मातृभूमि अब्दकोश १९३९

भारत सम्बन्धी हिन्दी भाषा का
एक मात्र सर्वाङ्ग पूर्ण ज्ञान का वार्षिक भण्डार

लेखक—

र. वि. धुलेकर,

एम. ए., एल.-एल. बी., एम. एल. ए.,

भूत-पूर्व संपादक उत्साह, मातृभूमि, (दैनिक) फ्री इंडिया (अंग्रेजी साप्ताहिक)
अनुवादक नेहरू कमेटी रिपोर्ट तथा अनेकों
पुस्तकों के लेखक

HINDI YEAR BOOK

दसवाँ वर्ष]

[मूल्य ४)

लेखक—र. वि. धुलेकर

मुद्रक तथा प्रकाशक :—

बी. डी. धुलेकर

मातृभूमि प्रिंटिंग हाउस, झाँसी।

भूमिका।

"हिंदी साहित्य में यह ग्रन्थ अपने ढंग का अनूठा है। यह बात विषय सूची से स्पष्ट हो जावेगी। मुख्य उद्देश्य इस ग्रन्थ का यह है कि समष्टि रूप में भारत की सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक तथा सर्व प्रकार की हलचलों का विश्वसनीय वर्णन पाठकों को दिया जावे", यह शब्द लेखक ने स० १९२६ में जब यह अब्दकोश (अब्द=वर्ष+कोश=भण्डार) प्रथम बार प्रकाशित हुआ, भूमिका में लिखे थे। प्रकाशित होते ही "मातृभूमि अब्दकोश" ने हिन्दी संसार में चिरस्थायी स्थान प्राप्त कर लिया। प्रतिष्ठित विद्वज्जनों ने तथा हिन्दी व अंग्रेजी के समाचार-पत्रों ने मुक्त कण्ठ से ग्रन्थ की प्रशंसा की और विशेषतः 'हिन्दी साहित्य सम्मेलन' ने अपने वार्षिक अधिवेशन में प्रस्ताव द्वारा "मातृभूमि अब्दकोश" को सम्मानित किया। 'बिहार उड़ीसा' तथा 'मध्यप्रदेश' 'और बरार' के डायरेक्टर्स आफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन महोदयों ने इसे छात्रों के लिये निर्देशपुस्तक (Reference Book) बनाया। भारतवर्ष की अनेक यूनीवर्सिटियों ने, सार्वजनिक वाचनालयों ने तथा सब श्रेणी के पाठकों ने ग्रन्थ को बड़े चाव से अपनाया।

इस वर्ष संयुक्तप्रान्त के शिक्षा-विभाग ने यह ग्रन्थ सरकारी वाचनालयों के लिये स्वीकृत किया है।

इस ग्रन्थ में व्यापार, अर्थ, उद्योग धन्धे सम्बन्धी सामग्री व आँकड़े एम. ए. के विद्यार्थियों के लिये भी पर्याप्त मात्रा में हैं।

"मातृभूमि अब्दकोश" १९३६ में सैकड़ों नवीन विषय ग्रथित किये गये हैं। प्रसिद्ध व्यक्तियों की जीवनियों में चित्र भी दिये जा

रहे हैं। भारत-सम्बन्धी जानने योग्य सभी सामग्री इस पुस्तक में उपलब्ध है।

"मातृभूमि अब्दकोश" हिन्दी भाषा का एकमात्र सर्वाङ्ग पूर्ण ज्ञानभण्डार है। पाठकों से प्रार्थना है कि इस ग्रंथ की उपयोगिता बढ़ाने के निमित्त अपनी सूचनायें लेखक के पास भेजें जिन पर आदरपूर्वक विचार होकर ग्रंथ में समावेश करने का प्रयत्न किया जावेगा।

ग्रंथ की तैयारी में श्रीयुत आनन्द मिश्र बी. ए. से बड़ी सहायता मिली है जिसके लिये मैं उनका कृतज्ञ हूँ।

र. वि. धुलेकर

विषय-सूची।

मातृभूमि अब्दकोश

राष्ट्रपति—श्रीयुत सुभाषचन्द्रबोस

मातृभूमि अब्दकोश १९३९

भारतवर्ष।

क्षेत्रफल—१८,०८,६७९ वर्गमील

जन संख्या—३५,२८,३७,७७८

भारतवर्ष जिसे भरतखण्ड भी कहते हैं महाद्वीप एशिया के दक्षिण में है। चीन के सिवाय जगत के सब देशों से यह देश अधिक आबाद है।

सीमा

इस देश के उत्तर में हिमालय पहाड़ दक्षिण में हिन्द महासासागर पूर्व में ब्रह्म-देश तथा बङ्गाल की खाड़ी, पश्चिम में अरबी समुद्र, बिलोचिस्तान व अफ़ग़ास्तिान है।

विस्तार

इस देश की लम्बाई उत्तर दक्षिण नंगा पर्वत से कुमारी अन्तरीप तक लगभग १९०० मील है और चौड़ाई पूर्व पश्चिम करांची से उत्तर आसाम तक लगभग १९०० मील है।

समुद्री किनारे की लम्बाई ३६०० मील है। क्षेत्रफल १८ लाख ८ हजार ६ सौ ७९ वर्ग मील है।

इस क्षेत्रफल में से १०९६१७१ वर्गमील अर्थात् ६१ प्रतिशत ब्रिटिश भारत में है और ७१२५०८ वर्गमील अर्थात् ३९ प्रतिशत देशी राज्यों में है।

प्राकृतिक स्वरूप

यह देश चारों ओर स्वाभाविक सीमाओं से घिरा हुआ है। इसके उत्तरी भाग को सिंध पंजाब और कश्मीर के पश्चिमी सिरे से आसाम की पूर्वी सीमा तक, हाल और सुलेमान पहाड़ पश्चिम में, हिमालय पर्वत उत्तर में नागा खसिया और टिपरा की पहाड़ियों की श्रेणी पूर्व में बड़ी मजबूती से घेरे हुए हैं। हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी गौरीशङ्कर है

ब्रिटिश भारत १०,९,१७१ वर्गमील (६१ प्रतिशत)
देशी भारत ७,१७,५०८—वर्गमील (३९ प्रतिशत)

जिसकी उँचाई २९ हजार २ फीट है। इसे मौंट एवरेस्ट और देवगंगा भी कहते हैं। इन पहाड़ी सीमाओं के बीच में विस्तृत महान हरे भरे मैदान हैं जिनमें होकर बड़ी २ नदियां बहती हैं; पश्चिम में सिंध नदी बहुत सी सहायक नदियों को लेकर दक्षिण ओर बहती हुई अरब के समुद्र में गिरती है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकल कर हिमालय केउत्तर तिब्बत में बहती हुई और हिमालय को आसाम से काटती हुई गङ्गा नदी में आ मिलती है। इन दोनों नदियों के बीच भारतवर्ष की सबसे प्रसिद्ध और पवित्र नदी गङ्गा उत्तरी भारत में बहती हुई बङ्गाल की खाड़ी में गिरती है। इन उत्तरी मैदानों के दक्षिण में मध्यप्रदेश का ऊँचा मैदान है जिसके दक्षिण में विन्ध्याचल पहाड़ और सतपुड़ा की पहाड़ियाँ फैली हुई हैं और जिसके दक्षिणी पूर्वी ढाल का पानी गंगा में और दक्षिणी पश्चिमी ढाल का पानी सिन्ध में बहकर जाता है। गंगा के मैदान और सिंध के मैदान के दक्षिण में दक्षिण का प्रायद्वीप है।

इस दक्षिणी विभाग दक्षिण का प्लेटो अर्थात् ऊँचा मैदान भी शामिल है जिसकी औसत उंचाई लगभग २००० फीट है। इस प्लेटो के उत्तर में विंध्याचल पर्वत नर्वदा, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ औरताप्ती नदी हैं। दक्षिणी विभाग के पूर्व में पूर्वी घाट और पश्चिमी में पश्चिमी घाट हैं। पूर्वी और पश्चिमी घाटों के मैदान के एक ओर पपाड़ और दूसरी ओर समुद्र है। इस प्रकार भारतवर्ष की पूर्वी और दक्षिणी और पश्चिमी किनारों की स्वाभाविक सीमायें बंगाल की खाड़ी, हिन्द महासागर और अरब सागर हैं।

भारतवर्ष के दक्षिण में लङ्का द्वीप है जिसे सीलोन कहते हैं। यह द्वीप रामेश्वरद्वीप के निकट है। लङ्काद्वीप-समूह मलाबार के किनारे १५० मील दूर पर पश्चिम की ओर हैं। यह मूंगे के बने हुये हैं अण्डमन और नीकोबार द्वीप बङ्गाल की खाड़ी में हैं। अण्डमन द्वीप में ब्रिटिश भारत के कैदी भेजे जाते

हैं। इसका मुख्य स्थान पोर्टब्लेयर है और यहाँ लार्ड मेयो सन् १८७२ ई० में एक कैदी द्वारा मारे गये थे।

जलवायु

भारत का दक्षिणी आधा भाग ऊष्ण कटिबन्ध में है और उत्तरी आधा भाग उत्तरी मध्य कटिबन्ध में है। इस कारण इस देश का जलवायु प्रायः गरम है। भारत के सबसे गर्म प्रदेश दो हैं कारो :मण्डल का किनारा और पश्चिमी रेगिस्तान अर्थात् राजपूताने का मैदान। उत्तरी भारत में गर्मी की ऋतु में लू चलती है और दिसम्बर और जनवरी के महीनों में कड़ाके का जाड़ा पड़ता है और काश्मीर व हिमालय की तराई में बर्फ भी गिरती है। दक्षिणी भारत के किनारे समुद्र के समीप होने के कारण उत्तरी भारत की तरह गरम नहीं हैं। मद्रास बम्बई तथा कलकत्ता का जलवायु इसी कारण समशीतोष्ण है। दक्षिण का प्लेटो भूमध्य रेखा के समीप होने पर भी ऊँचाई के कारण समशीतोष्ण है। भारत के तीन मुख्य ऋतु हैं। ग्रीष्म, वर्षा और शरद।

वायु की औसत उष्णता विभिन्न स्थानों पर नीचे कोष्टक में दी हुई है।

ऊष्णता का औसत।

स्थान	ऊँचाई फुटों में	वा० औसत	स्थान	उंचाई फुटों में	बा० औसत
अकोला	९३०	७९·२	पटना	१८३	७७·१
अहमदनगर	२१५२	७५·०	पूना	१८४०	७५·१
अहमदाबाद	१६३	८२·१	बम्बई	३७	७९·३
आगरा	५५५	७८·४	बर्द्वान	९९	७८·६
इलाहाबाद	३०९	७७·३	बनारस	२६६	७७·२
उटकमण्ड	७३२७	५७·३	बीकानेर	७७१	७९·६
करांची	४९	७७·६	बेलगाँव	२५३९	७२·८
कलकत्ता	२१	७७·९	बङ्गलौर	३०२१	७२·८
गोपालपुर	२१	७८·८	बिलारी	१४७५	८०·८
जकोबाबाद	१८६	७९·२	मरी	६३३३	५८·०
जबलपुर	१३२७	७५·६	मौंट आबू	३९४५	६८·८
टोंगू	१८३	७९·३	मद्रास	२२	८१·८
दार्जिलिंग	७३७६	५२·७	मछलीपट्टम	१५	८१·४
दिल्ली	७१८	७७·१	माण्डले	२५०	८०·८

ऊष्णता का औसत (चालू)

स्थान	उँचाई फुटों में	वा० औसत	स्थान	उँचाई फुटों में	वा० औसत
नागपुर	१०२५	७६.६	मेरठ	७३८	७४.४
मुल्तान	४२०	७७.५	शिमला	७२२४	५५.१
राजकोट	४२६	७८.५	शोलापुर	१५६०	७६.३
रंगून	५७	७६.२	श्रीनगर	५२०४	५३.३
लखनऊ	३६८	७६.६	सिलचर	१०४	७५.६
लाहौर	७०२	७४.७	हैदराबाद (सिंध)	६६	७६.६
शिलौंग	४६२०	६१.७	हैदराबाद (दक्षिण)	१६६०	७८.५

सन् १९३७—३८ की शीत तथा ऊष्णता।

नीचे लिखे स्थानों में अधिक से अधिक ऊष्णता व शीत पिछली साल इस प्रकार थी।

स्थान	उष्णता २५ जून १९३७	शीत २५ जनवरी १९३८	स्थान	उष्णता २५ जून १९३७	शीत २५ जनवरी १९३८
अकोला	९१	६०	कोलम्बो	८६	८६
अहमदनगर	८५	८८	खण्डवा	६४	६१
अहमदाबाद	१०८	८८	गोरखपुर	१०३	७८
अम्बाला	१०८	६९	चटगाँव	८०	८४
अजमेर	१०५	७८	जबलपुर	६५	८१
आगरा	१०८	७४	जैपुर	६६	७३
इन्दौर	९६	८६	जेकोबाबाद	११८	७३
इलाहाबाद	१०८	६९	झाँसी	१०२	७६
कालीकट	७६	८६	डेरा इस्माइल खां	१०१	६७
कोनोर	७२	७०	दार्जिलिंग	७०	४७
कोदैकेनाल	६४	६८	देहली	१०५	७०
कराँची	६०	७७	देहरादून	६६	६६
कानपुर	१०८	७५	नागपुर	६३	८६
क्वेटा	६१	४२	पटना	१०४	७८
कलकत्ता	६४	८८	पचमढ़ी	७८	७४
कटक	८७	८४	पेशावर	६६	६०

स्थान	उष्णता	शीत	स्थान	उष्णता	शीत
पूना	७९	८९	रंगून	८९	९२
फोर्ट सन्देमन	१०३	४७	रावलपिंडी	८८	५८
बम्बई	८५	८३	लखनऊ	१०६	७६
बनारस	१०७	७५	लाहौर	१०९	६५
बरेली	१०१	७६	लायलपुर	१०८	६९
बंगलौर	७८	८१	शिमला	७५	४८
मद्रास	१००	८५	शिलौंग	७७	६१
मैसूर	७९	८६	श्रीनगर	८८	३१
मुल्तान	११०	६९	शोलापुर	९१	९०
मैमो	७४	७४	स्यालकोट	१०३	६२
राजकोट	९२	८६	हैदराबाद (सिंध)	१०४	७८
राँची	८९	८०	हैदराबाद (दक्षिण)	९३	८३
रतनागिरी	८४	८७			

वृष्टि ।

भारतवर्ष में वृष्टि सामयिक पवनों पर अर्थात् "मानसून" पर निर्भर है। पश्चिमी किनारे पर वृष्टि अधिकतर दक्षिण पश्चिमी पवन के कारण होती है। इसी प्रकार पूर्वी किनारे पर वृष्टि उत्तर पूर्वी पवन द्वारा होती है। भारत में जिस प्रकार वर्षा ऋतु निश्चित है वैसी अन्य देशों में नहीं। दक्षिण पश्चिमी पवन अप्रैल से अक्टूबर तक चलती रहती है और उत्तर पूर्वी नवम्बर से फरवरी तक चलती है।

खासी (आसाम) पहाड़ियों में सारे जगत के स्थानों से अधिक वृष्टि होती है यहां तक कि चेरापूंजी में ५२३ इंच जल एक वर्ष में बरसता है। महाबलेश्वर पहाड़ियों पर २४० इंच प्रतिवर्ष बम्बई में ७०इंच, कलकत्ता में ६६ इंच, मद्रास में ४०इंच, और दिल्ली में २४ इंच, प्रतिवर्ष वृष्टि होती है।

विभिन्न स्थानों पर वृष्टि का अनुपात नीचे दिया गया है:—

वृष्टि की वार्षिक मात्रा

स्थान	उंचाई फुटों में	वृष्टि इंचों में	स्थान	उँचाई फुटों में	वृष्टि इंचों में
अकोला	९३०	३१.२७	बिलारी	१४७५	१८.३०
अहमदनगर	२१५२	२४.६६	मरी	६३३३	५७.९०
अहमदाबाद	१६३	२९.५२	मौंट आबू	३९४५	६२.४९
आगरा	५५५	२६.७०	मद्रास	२२	४८.३८
इलाहाबाद	३०९	३९.५२	मछलीपट्टम	१५	३८.३०
उटकमण्ड	७३२७	४६.६९	माण्डले	२५०	३०.६३
करांची	४९	७.६६	मेरठ	७१८	२९.६२
कलकत्ता	२१	६०.८३	मुलतान	४२०	७.११
कालीकट	२७	११६.२०	मंगलोर	६५	१२९.८३
जबलपुर	१३२७	५५.४५	राजकोट	४२९	२७.८०
दारजीलिंग	७३७६	१२१.८०	रायपुर	९७०	५०.२७
देहली	७१८	२७.७०	रंगून	५७	९८.४९
नागपुर	१०२५	४५.६२	लखनऊ	२६७	३९.२०
पटना	१८३	४४.५४	लाहौर	७०२	२०.७०
पूना	१८४०	२८.२६	शिलौंग	४९२०	८२.४४
बम्बई	३७	७३.९९	शिमला	७२२४	६७.९७
बर्दवान	९९	५७.५४	शोलापुर	१५९०	२८.७४
बनारस	२६७	४०.५९	श्रीनगर	५२०४	२७.०३
बीकानेर	७७१	११.२७	हैदराबाद (सिंध)	९६	७.२२
बेलगाँव	२५३९	४८.९१	हैदराबाद (दक्षिण)	१६९०	३१.५६
बङ्गलौर	३०२१	३६.८३			

सन् १९३७ ई० में वृष्टि।

नीचे लिखे स्थानों पर ता० २९ सितम्बर १९३७ तक जो वृष्टि हुई वह कोष्टक में नीचे दी गई है--

स्थान	इंच	स्थान	इंच
अकोला	३४ ९	दारजीलिंग	६६·७
अहमदनगर	१७·२	दीसा	३८·२
अहमदाबाद	३९·४	देहली	१४·९
अम्बाला	२२·१	देहरादून	१०५ ७
अजमेर	२२·६	नागपुर	५१·१
आगरा	१२·४	पटना	३१·४
इन्दौर	३७·५	पंचमढ़ी	८३·७
इलाहाबाद	३३·६	पेशावर	२·१
कालीकट	९९·२	पूना	२३·०
कोनोर	९·८	फोर्टसन्देमन	४·३
कोलम्बो	१७·७	बम्बई	६७·३
कादैकानल	२१·३	बनारस	३४·५
कलकत्ता	५२.१	बरेली	२३·४
क्वेटा	१·६	बंगलौर	१२·३
कटक	४५·८	मद्रास	१४·२
करांची	८·२	मंगलौर	१२८.१
कानपुर	१५·९	मैसूर	८ ३
खण्डवा	३८·६	मुल्तान	१६·२
गोरखपुर	४८·३	मंसूरी	७६·३
चटगाँव	९९·२	मैमौ	३१·२
चेरापूंजी	२६४·३	मौंट आबू	६६·०
जबलपुर	५८·६	मरी	२६·८
जैपुर	१५.९	राजकोट	२५·६
जकोबाबाद	१·८	रांची	४३·६
झाँसी	४५·५	रतनागिरि	१०३·९
डेराइस्माइलखाँ	२·७	रंगून	८२·८

स्थान	इंच	स्थान	इंच
रावलपिंडी	२१·९	श्रीनगर	९·७
लखनऊ	३०·३	शोलापुर	१४·२
लाहौर	११·१	स्यालकोट	१६·२
लायलपुर	९·९	हैदराबाद (सि०)	६·४
शिमला	४७·६	हैदराबाद (द०)	१५·६
शिलॉंग	४९·४		

उपज ।

भारतवर्ष में सब प्रकार की जलवायु होने के कारण उपज भी सब प्रकार की होती है। यहाँ सहस्रों प्रकार की बनस्पति तथा अनेक प्रकार के पदार्थ अनाज, सन, जूट इत्यादि उत्पन्न होते हैं।

बंगाल और आसाम में चावल, सन, जूट और तिलहन बहुतायत से पैदा होता है। गेहूं थोड़ा बहुत सारे देश में होता है परन्तु विशेषकर पंजाब और मालवा प्रदेश में और साधारण संयुक्त प्रदेश में अच्छा होता है। जौ की खेती उत्तरी भारत में अनेक स्थानों में होती है। बरार और दक्षिण और मध्यप्रदेश में रुई बहुतायत से होती है। बम्बई प्रान्त और राजपूताना में ज्वार व बाजरा बहुत होता है। मद्रास प्रांत में और बम्बई के कोकण प्रांत में चावल अधिक होता है। नीलगिरी प्रदेश तथा आसाम प्रांत में चाय होती है। काश्मीर में केशर और बिहार में नील उत्पन्न होता है। बिहार और मालवा में अफ़ीम पैदा होती है। आसाम में सिनकोना की खेती होती है जिससे कुनैन बनती है। दालचीनी, लौंग, इलायची कालीमिर्च और कहवा की पैदावार दक्षिण में और विशेष कर पश्चिमी घाट में होती है।

ब्रिटिश भारत की जुती हुई भूमि पदार्थों के अनुसार अगले पेज पर दी गई है जिससे भिन्न २ पदार्थों में जितनी भूमि लगी हुई है वह प्रगट होगी।

ब्रिटिश भारत की जुती हुई भूमि (१९३४-३५)
(पदार्थों के अनुसार)
(१० लाख एकड़ों में ००,००० बढ़ाकर पढ़िये ।)

चावल ७४.५
गेहूं २५.७
ज्वार २१.६
चना १३.७
बाजरा १३.१
जौ ६.६
मक्का ६.२
फल और तरकारी ४.८
राली ३.७
गन्ना ३.३
जूट २.४
अन्य खाद्य पदार्थ ३४.१
कपास १४.५
विविध ६.८
चारा १०.३
राई और सरसों २.६
तिल ३.४
अलसी २.१
मूँगफली ४.०

फल और तरकारियों की खेती देहातों में पर्याप्त मात्रा में नहीं होती। इधर तो तीन साल से युक्तप्रांत और बिहार में गन्ने की खेती बढ़ रही है और दोनों प्रांतों की सरकारों ने किसानों तथा शक्कर के उद्योग की रक्षा के निमित्त नये कानून भी बनाये हैं। फल और तरकारियों की खेती की उन्नति की ओर भी प्रांतीय सरकारें ध्यान दे रही हैं।

भारतवर्ष की भूमि (१९३१–३२)

सहस्रों में (००० बढ़ाकर पढ़िये)

कुल ६६,८८,६९,००० एकड़

जङ्गल	८८,५,६६
खेती के लिए अप्राप्य	१[illegible],५६,१४
खेती के लिए योग्य पड़ती	१५,५५,००
ऊसर	४९,०४,२
जुती हुई	२२,८९,३६

भूमि की बाँट (१९३१–३२)

(उपज के अनुसार)

चावल	८,१२,८७,९०६
गेहूं	२,५३,२०,१०३
जौ	६४,९५,२२६
जुआर	२,१६,०८,४७५
बाजरा	१,३९,४१,५९९
राली	३८,७०,७५३
मक्का	६१,०८,७९४
चना	१,५९,३१,७४३
अन्य अनाज	३,०४,४९,३६१
फल तरकारी इत्यादि	४८,९५,६६९
गन्ना	२८,७२,७५४
काफी	९१,७१४
चाय	७,७५,१२१
जोड़ एकड़	२१,३५,५९,२१८

धातु ।

मैसूर सोने की खान है। सम्भलपुर, पन्ना (बुन्देलखण्ड) और कोलेर झील के पास हीरा निकलता है। कोहनूर प्राचीन हीरा जो सम्राट षष्टम के मुकुट में लगा है वह गोदावरी के किनारे मिला था। चाँदी मुर्शिदाबाद में निकलती है। पंजाब में और मालावार के किनारों पर तथा विनोद में और अन्य नदियों की रेत से सोना निकलता है। कोयला बङ्गाल, छोटा नागपुर और मध्यप्रदेश में बहुतायत से होता है। लोहा अनेक स्थानों में निकलता है। पंजाब में नमक की चट्टानें हैं। ताँबा, सीसा, गन्धक, हरताल इत्यादि की भी खानें हैं।

खनिज पदार्थ

(स. १९३५ के आँकड़े)

१ पाउण्ड = रु० १३-५-४

पदार्थ	मूल्य (पाउण्ड)
कोयला	४९,०३,८२२
पेट्रोलियम	४६, ८५,३३३
मेंगनीज़	९,५०,६३०
सोना	२२,८५,८४८
अभ्रक	७,८७,८५९
चाँदी	७,६९,४५४
लोहा	२,२३,४४३
नीलम, लाल, पन्ना इत्यादि	८,६०१
हीरा	४,२०१

पशु-पक्षी

भारतवर्ष में सब प्रकार के पशु-पक्षी पाये जाते हैं। गुजरात में कुछ सिंह हैं। हाथी, चीते, बाघ, भालू, अनेक प्रकार के बन्दर और हिरण सुरा गाय जङ्गलों में पाये जाते हैं। गेंड़ा, हाथी पूर्वी प्रदेश में पाया जाता है। कच्छ में जङ्गली गदहा मिलता है और गोर (बहुत बड़ा जङ्गली बैल) पहाड़ी जङ्गलों में कहीं कहीं पाया जाता है। भेड़, बकरियाँ, गाय, बैल, भैंस, कुत्ते, घोड़े और ऊंट घरेलू पशु भारत में पर्याप्त हैं।

सुन्दर पक्षी सब प्रकार के तथा साधारण पक्षी कौवे चील इत्यादि सब जगह पाये जाते हैं। अनेक प्रकार के सर्प, जीव-जन्तु भारत में होते हैं। सर्प के काटने से प्रति वर्ष लगभग २०,००० मनुष्य मरते हैं। नदियों में घड़ियाल, मगर, सोंस, मछली और कछुए भी मिलते हैं।

रेशम के कीड़े बङ्गाल में पाले जाते हैं। मक्खियाँ, च्यूंटियाँ और मच्छर इत्यादि सब जगह होते हैं।

भारत की पशु संख्या (१९३५)

नीचे के कोष्टक में भारत की पशु संख्या प्रान्तवार दी गई है—

प्रान्त	गाय भैंस	भेड़ बकरी	घोड़े गदहे ऊँट इत्यादि	हल	गाड़ियाँ
अजमेर मारवाड़	४८१	५१५	१४	५०	१७
आसाम	५,९८२	७९५	२०	१,१४५	६३
बंगाल	२५,२८७	६,०४९	११६	४,५९२	८६०
बिहार, उड़ीसा	२१,३०८	६,७७९	२२७	३,५४२	६२५
बम्बई	१२,५९६	६,११२	५६३	१,५५३	७६८
ब्रह्मा	६,१२४	३५१	५७	८५४	७३५
मध्यप्रदेश, बरार	१३,८४४	२,१९३	१८६	१,६४१	१,१४७
कुर्ग	१३७	२	१	२८	१
देहली	१५५	३६	१५	१८	८
मद्रास	२४,६०७	१८,७०१	२०१	४,३८४	१,१९४
सीमाप्रान्त	१,०९४	१,०३२	१८५	२१२	७
पंजाब	१५,८४०	८,५८९	१,३९८	२,२६१	३५७
संयुक्तप्रान्त	३२,४७०	१०,००२	८१८	५,१९६	१,०९४

भारत की पशु संख्या (१९३५)

प्रान्त	पशुसंख्या प्रति जुती हुई १०० एकड़ भूमि	पशुसंख्या प्रति १०० मनुष्य	प्रान्त	पशुसंख्या प्रति जुती हुई १०० एकड़ भूमि	पशुसंख्या प्रति १०० मनुष्य
अजमेर मारवाड़	१३४	८६	कुर्ग	१००	८४
आसाम	१००	६६	देहली	७५	२४
बंगाल	१०८	५२	मद्रास	७५	५३
बिहार उड़ीसा	८८	५७	सीमाप्रान्त	५०	४४
बम्बई	३८	६०	पंजाब	६०	६७
ब्रह्मा	३४	.४२	संयुक्तप्रान्त	६१	६७
मध्यप्रदेश बरार	५६	८६			

ब्रिटिश भारत में पशु (१९३५—३६)

१० लाखों में (००,००० बढ़ा कर पढ़िये)

२१७.०	कुल पशु
१५०.८	गाय भैंस
६२.५	भेड़ बकरी

घोड़े, गदहे, ऊँट इत्यादि ३७ लाख के ऊपर हैं।

ब्रिटिश भारत की पशु संख्या

सहस्रों में, (००० बढ़ा कर पढ़िये)

	१९३०-३१	१९३१-३२	१९३२-३३	१९३३-३४	१९३४-३५
साँड़	४,६१९	४,६४१	४,६१३	४,६१९	५१,६१५
बैल	४७,१२५	४७,००१	४७,०४९	४७,१४९	
गायें	३७,९९४	३८,००८	३८,०१३	३८,११२	३६,८९६
बछड़े	३१,७१२	३१,७२३	३१,७२९	३१,६९४	३५,४४४
भैंसे	५,५५१	५,५३१	५,५३०	५,५४२	५,८२५
भैंसें	१४,७०७	१४,६९५	१४,६९६	१४,६९२	१५,४३८
पड़वे	११,१६०	११,१६३	११,१६१	११,११७	१२,९१७
कुल	१,५२,८६८	१,५२,७६२	१,५२,७६१	१,५२,९२५	१,५९,९३५

भाषा।

भारत में लगभग २२२ भाषायें बोली जाती हैं जिनके तीन प्रकार हैं— (१) संस्कृत (२) द्राविड़ी (३) ब्रह्मी भाषाओं से उत्पन्न होने वाली। लगभग २५ करोड़ मनुष्य संस्कृत से उत्पन्न होनेवाली भाषायें बोलते हैं, ५ करोड़ मनुष्य द्राविड़ी भाषायें और १.२ करोड़ अन्य भाषायें बोलते हैं।

भारत की मुख्य भाषायें बङ्गाली, उड़िया, हिन्दी, पञ्जाबी, मराठी, गुजराती, सिंधी, और आसामी संस्कृत भाषा की शाखायें हैं। इन भाषाओं के बोलनेवालों की संख्या कोष्टक में दी हुई है —

संस्कृत जन्य भाषायें।

भाषा	सहस्रों में (००० बढ़ाकर पढ़िये)		घटी या बढ़ी
	१९३१	१९२१	
हिन्दी	७१५४७	९६७१४	— २५१६७
बंगाली	५३४६८	४९२९४	+ ४१७५
मराठी	२०८९०	१८७९८	+ २०९२
पञ्जाबी	१५८३९	१६२३४	— ३९५
राजस्थानी	१३८९८	१२६८१	+ १२१७
उड़िया	१११९४	१०१४०	+ १०५४
गुजराती	१०१५०	८५५२	+ १५९८
लहंडा (पश्चिमी पंजाबी)	८५६६	५६५२	+ २९१४

पश्तो (जिसे अफगान बोलते हैं), कश्मीरी, तथा नैपाली भी संस्कृत-जन्य भाषायें हैं। हिन्दुस्तानी अथवा उर्दू भी संस्कृत भाषा की शाखा है। मुसलमानी फौजों के डेरों में यह उर्दू भाषा उत्पन्न हुई। इसमें अनेक शब्द फारसी के हैं।

द्राविड़ी भाषायें विशेषतः मद्रास प्रान्त में बोली जाती हैं। इसकी मुख्य शाखायें तामिल, मलयालम कनाड़ी, तैलंगी और गोंड़ी हैं। इन भाषाओं के बोलनेवालों की संख्या आगे के कोष्टक मे विदित होगी।

द्राविड़ी तथा ब्राह्मी भाषायें।

भाषा	सहस्रों में (००० बढ़ा कर पढ़िये)		घटी या बढ़ी
	१९३१	१९२१	
तैलंगी	२६३७४	२३६०१	+ २७७३
तामिल	१०४१२	१८७८०	— ८३६८
मलायलम	९१३८	७४९८	+ १६४०
कनाड़ी	११२०६	१०३७४	+ ८३२
ब्राह्मी	८८५४	८४२३	+ ४३१

धर्म तथा मत।

भारतवर्ष में अनेक मतमतान्तर तथा धर्म प्रचलित हैं जिनका विवरण विस्तार से अन्य स्थान पर दिया गया है। भारतवासी मुख्यतः वैदिक धर्मावलम्बी हैं पुराणादि इसके उपांग हैं। इस प्रचलित धर्म का नाम सनातन धर्म है और इसके मानने वाले अपने को हिन्दू कहते हैं। वस्तुतः इस धर्म को आर्य धर्म कहना चाहिये। आर्यसमाज, ब्रह्म-समाज, प्रार्थना समाज इत्यादि इसी मत की शाखा उप शाखा हैं। सिक्ख धर्म भी इसी श्रेणी में है। जैन और बौद्ध धर्म दोनों वैदिक धर्म से कुछ सिद्धान्तों में विभिन्नता रखने के कारण अलग होते हैं परन्तु वे वैदिक धर्म से ही निकले हैं। बौद्धों की संख्या विषेशकर ब्रह्म देश में ही है।

ईसाई मत अंग्रेजों के राज्य के पहिले से भारतमें आया परन्तु अंग्रेजी राज्य के बाद इसकी प्रगति हुई।

इसलाम अर्थात् दीन मुहम्मदी भी परदेशी मत है और मुसलमानों के आक्रमणों के साथ साथ भारत में आया।

जोरास्ट्रियन मत पारसी मानते हैं। भारत में यहूदी मतावलम्बी कम हैं।

कोल, संथाल आदि पहाड़ी जातियों में जो मत प्रचलित हैं वे भी हिन्दू धर्म से विभिन्न नहीं हैं।

धर्मानुसार जनसमाज का संक्षिप्त ब्योरा कोष्टक में दिया हुआ है—

धर्मानुसार जनसमाज।

सहस्त्रों में (००० बढ़ाकर पढ़िये)

धर्म	१०२१	१६३१	अंतर प्रतिशत १६३१ व १६२१
आर्य धर्म	२३२७२३	२३६१६५	+ १०·४
सनातन	२१६२६१	२१६८६२	+ १·४
आर्य समाज	४६८	६५५	+ ६२·१
ब्रह्म समाज	६	४	– ३३·४
सिक्ख	३२३६	४३३५	+ ३३·६
जैन	११७८	१२५२	+ ६·२
बौद्ध	११५७१	१२७८७	+ १०·५
ईरानी			
पारसी	१०२	१०६	+ ७·८
सेमिटिक	७३५११	८३८६७	+ १३·२
इसलाम	६८७३५	७७६७७	+ १३·०
ईसाई	४७५४	६१६६	३५·५
यहूदी	२२	२४	१०·६
अनार्य	६७७५	८२८०	१५·३
अन्य	१८	५७१	+ ३०७२·६

निवासी।

भारतवासियों की संख्या १६३१ की गणनानुसार ३५२८३७७७८ है जो यूरोप की आबादी से अधिक है। १ वर्ग मील में १६५ मनुष्यों का औसत है। किन्तु कुछ भागों में औसत प्रति वर्गमील ६०० है और एक जिले में ८७० है।

भारतवर्ष के निवासी ब्रिटिश भारत तथा देशी भारत में जिस प्रकार बसे हुये हैं उसका कोष्टक आगे दिया है।

भारतवासी अधिकतर ग्रामों में रहते हैं।१ बटे २० से भी कम शहरों में रहते हैं और १७.५ करोड़ से अधिक खेती में लगे हुये हैं। उसके

भारत की जन संख्या
३५, २८, ३७, ७७८

ब्रिटिश भारत में २७, १५, २६, ९३३ (७७ प्रतिशत)
देशी भारत में ८१२,१०,८४५ (२३ प्रतिशत)

बाद सब से अधिक मनुष्य अर्थात् १.२ करोड़ कपड़े बुनने और कपड़ों के लिये उपयोगी सामग्री बनाने में लगे हुये हैं।

भारतवर्ष के अति प्राचीन निवासी सन्थाल, कोल, भिल्ल, किरात गोंड़ खाँड़ आदि जाति के हैं जो जंगलों में और पहाड़ों में बसते हैं। इनका रङ्ग काला या सांवला, कद नाटा, कमजोर, नाक चपटी, डाढ़ी घनी, बाल अच्छे लम्बे सीधे या घूंघरवाले होते हैं। छाती और बदन के अन्य भागों पर भी बाल होते हैं।

पूर्वी हिमालय और उत्तरी पूर्वी भारत में मंगोल व शीनियों के सदृश जाति वाले लोग पाये जाते हैं। इनका रंग गेहुंआँ, कद नाटा और चेहरा चौड़ा है, बाल लम्बे और कड़े होते हैं। नाक कुछ चपटी होती है।

दक्षिणी भारत में द्राविड़ जाति के लोग पाये जाते हैं। इनका रंग काला, और कद नाटा होता है।

भारत के निवासी अधिकतर आर्य जाति के हैं जो ब्राह्मण, क्षत्री और वैश्य होते हैं।

मुसलमानी आक्रमणों के कारण अरबी, ईरानी, और अफगानी लोग भी आकर बस गये हैं और भारत की जातियों में मिश्रित हो गये हैं।

पश्चिमी किनारे पर पारसी लोग भी बसे हुये हैं जो संजाई बन्दर पर (जो बम्बई से ६० मील उत्तर में है) ७१७ ई० में उतरे थे।

यूरेशियन जाति जो अंग्रेज और हिंदुस्तानी से मिश्रित जाति है शहरों में पायी जाती है।

यहूदी और सीरियन ईसाई भी मलावार किनारे पर बसे हुये हैं।

———

भारतीय जनसमाज ।

१—जन संख्या का विवरण

२—जन्म मृत्यु का सम्बन्ध

३—विदेशों में भारतवासी

भारतीय जन समाज

१—जन संख्या का विवरण।

जन समाज की घनता।

भारतवर्ष के पूर्ण क्षेत्रफल तथा जन संख्या के अनुसार लोक संख्या की घनता प्रति वर्ग मील १९५ है। ब्रिटिश भारत की घनता प्रति वर्ग मील २४७ और देशी भारत में ११४ है।

घनता का सम्बन्ध सामाजिक परि-स्थिति पर है। व्यापारी तथा औद्योगिक केन्द्रों में घनता सब से अधिक है। इसी प्रकार नगरों में और ग्रामों में बड़ा अन्तर पड़ जाता है। केवल ग्रामीण लोक संख्या में भिन्न भिन्न प्रदेशों की घनता में परस्पर भेद भूमि की न्यूनाधिक उपज के अनुसार पड़ता है। इस कारण यदि नगरों की लोक संख्या अलग कर दी जावे। तो ग्रामीण जन संख्या प्रतिवर्ग मील कहीं कहीं केवल १ मनुष्य और कहीं १८८२ है।

कुछ देशों की घनता।

देश	प्रति वर्ग मील
बेलजियम	६५४
इंगलैण्ड वेल्स	६४९
फ्रान्स	१८४
जर्मनी	३३२
हौलैण्ड	५४४
आस्ट्रिया	१९९
स्पेन	१०७
जापान	२१५
यूनाइटेड स्टेटस	३२
भारत	१९५

भारत के नगर तथा ग्राम।

नाम	ब्रिटिश भारत	देशी भारत	कुल
नगर	१,६९८	८७७	२,५७५
ग्राम	४,९९,३५९	१,७९,४७२	६,९६,८३१

भारत की घर संख्या ।

	ब्रिटिश भारत	देशी भारत	कुल
नगरों में	५९,०८,४१८	२०,२७,५७१	७९,३५,९८९
ग्रामों में	४,८६,२४,७७४	१,४५,०१,४६५	६,३१,२६,२३९
कुल	५,४५,३३,१९२	१,६५,२९,०३६	७,१०,६२,२२८

भारत की लोक संख्या ।

	ब्रिटिश भारत	देशीभारत	कुल
नगरों में	२,९६,५८,४६९	९३,२६,९५८	३,८९,८५,४२७
ग्राम में	२४,१८,६८,४६४	७,१९,८३,८८७	३१,३८,५२,३५१
कुल	२७,१५,२६,९३३	८,१३,१०,८४५	३५,२८,३७,७७८

भारत में जन संख्या की वृद्धि (ब्रिटिश भारत)

	१८९१	१९००	१९११	१९२१	१९३१
भारत	२८७३१४६७१	२९४३६१०५६	३१५१५६३९६	३१८९४२४८०	३५२८३७७७८
प्रान्त	२२०७६५२८५	२३११४२४८९	२४३७९७६४७	२४६८५६१९१	२७१५२६९३३
अजमेर मारवाड़	५४२३५८	४७६९१२	५०१३९५	४९५२७१	५६०२९२
अण्डमन नीकोबार	१५६०९	२४६४९	२६४५९	२७०८६	२९४६३
आसाम	५३६३७७७	५७२४८७१	६५७८७६८	७४५९१२८	८६२२२५१
बिलोचिस्तान	...	३८२१०६	४१४४१२	४२०६४८	४६३५०८
बंगाल	३९०९५८५५	४२१४७८९५	४५४८९६९७	४६७०२३०७	५०११४००२
बिहार उड़ीसा — बिहार	२३५७४९४३	२३३५३४७४	२३७४५३३७	२३३७३५१७	२५७२७५००
बिहार उड़ीसा — उड़ीसा	४६६६२२७	४९८२१४२	५१३१७५३	४९६८८७३	५३०६१४२
बिहार उड़ीसा — छोटा नागपुर	४६२८७९२	४९००४२९	५६०५३६२	५६५३०२८	६६४३९३४
बम्बई — बम्बई प्रेसीडेन्सी	१५९८५४२७	१५३१९४०५	१६१३६६६६	१६०१२३४२	१७९९२०५३
बम्बई — सिन्ध	२८७५१००	३२१०९१०	३५१३४३५	३२७९३७७	३८८७०७०
बम्बई — अदन	४४०७९	४३९७४	४६१६५	५६५००	५१४७८
ब्रह्मा	७७२२०५३	१०४९०६२४	१२११५२१७	१३२१२१९२	१४६६७१४६
मध्यप्रदेश और बरार — मध्यप्रदेश	१०१५१३५४	९२१७३१२	१०८५८९९६	१०८३७४४४	१२०६५८८५
मध्यप्रदेश और बरार — बरार	२८९७४९१	२७५४०१६	३०५७१६२	३०७५३१६	३४४१८३८
कुर्ग	१७३०५५	१८०६०७	१७४९७६	१६३८३८	१६३३३७
देहली	३७३१३६	४०५८१९	४१३८५१	४८८५५२	६३६२४६
मद्रास	३५६४४४२८	३८२२९६५४	४१४०५४०४	४२३१८९८५	४६७४०१०७
उ० प० सीमाप्रान्त	१८५७५१९	२०४१५३४	२१९६९३३	२२५१३४०	२४२५०७६
पंजाब	१८६५२६१४	१९९४२७१५	१९५७९०४७	२०६८५४७८	२३५८०८५२
संयुक्तप्रान्त	४६५०१४६८	४७३१२४४१	४६८०६६१२	४५३७५०६९	४८४०८७६३

भारत की पुरुष संख्या

नाम	ब्रिटिश भारत	देशी भारत	कुल
नगरों में	१,६६,०३,७०६	४८,८१३४६	२,१४,८५,०५५
ग्रामों में	१२,३३,२७,८४७	३,७०१६०२१	१६,०३,४३,८६८
कुल	१३,६६,३१,५५,६	४,१८६७३६७	१८,१८,२८,९२३

भारत की स्त्री संख्या।

नाम	ब्रिटिश भारत	देशी भारत	कुल
नगरों में	१,३०,५४,७६०	४,४५,६१२	१७५,००,३७२
ग्रामों में	११,८५,४०,६१७	३४६,६७,८६६	१,५३४,०८,४८३
कुल	१३,१५,६५,३७७	३६४,१३,४७८	१,७१०,०८,८५५

भारत के स्त्री पुरुषों का औसत प्रति १०००० मनुष्य।

आयु	१६२१		१६३१	
	पुरुष	स्त्री	पुरुष	स्त्री
०-१०	२६७३	२८१०	२८०२	२८८६
१०-२०	२०८७	१०६६	२०८६	२०६२
२०-३०	१६४०	१७६६	१७६८	१८५६
३०-४०	१४६१	१३६८	१४३१	१३५१
४०-५०	१०१३	६६७	६६८	८६१
५०-६०	६१६	६०६	५६१	५४५
६०-७०	३४७	३७७	२६६	२८१
७० व अधिक	१६०	१८०	११५	१२४
औसत आयु	२४.८	२४.७	२४.२	२२.८

भारतीय जन संख्या (धर्मानुसार १६३१)

धर्म	संख्या	धर्म	संख्या
हिन्दू	२३,८५,६८,६५३	मुसलमान	७,६३,४४,२३१
आर्य समाजी	६,५५,५१२	ईसाई,	
ब्रह्मसमाजी	४४४६	एंग्लोइण्डियन	१६८१३४
सिक्ख	४३,२३,७३०	योरोपियन	१३८३६४
जैनी	१२,५१,३४०	यहूदी	२२६२३
बौद्ध	४,३५,८५७	अनार्य	७६११८०३
पारसी	१,०६,३२६	अन्य	४२२०१३

भारतीय जन संख्या की बृद्धि (देशी राज्य)

	१८९१	१९०१	१९११	१९२१	१९३१
राज्य और एजेन्सी	३४४३४२३६	३२५२५०४२	३६६९७६९१	३७१९६६६७	४१८९७३६७
आसाम स्टेटस् (मनीपुर)	५४५४६	१९५६८६	२३७३३७	२६१३४८	३०६९२७
बिलोचिस्तान स्टेटस्	...	२२५९९७	२२७२३८	२०५९८६	२१८४१०
बड़ोदा स्टेट	१२४२९२३	१००८६३४	१०५५९३५	११००५६४	१२५७८१७
बंगाल स्टेटस्	३७४०४३	३९३८७७	४३८३६८	४७७१४३	५१६१६२
बिहार उड़ीसा स्टेट्स	१५२५६४३	१६५३५९२	१९५५१२५	१९४६१८६	२२८८४२२
बम्बई स्टेट्स	१०८७५४७	१८३०१६६	१९६१२८२	१९७४१२१	२२८८६२३
सेण्ट्रल इण्डिया एजेन्सी	५३१२९२५	२७५४१०१	३१०७९०३	३०७१७७०	३४०५४३८
मध्य प्रदेश स्टेट्स	८६२५६७	८१२०३४	१०५३७०७	१०२९३९८	१२३५३८५
ग्वालियर स्टेट	...	१६१२६२३	१६९९८०८	१६९५३५५	१८६७०३१
हैदराबाद स्टेट	५८७२१२९	५६७३६२९	६७९७११८	६३४५०७१	७३७००१०
कश्मीर स्टेट	१३५३२२९	१५४२०५७	१६७४३६७	१७५७१२२	१९३८३३८
मद्रास स्टेट्स	१८५३९७६	२०९८०४८	२४११७५८	२७४४९२१	३३७३०३२
मैसूर स्टेट	२४८३४५१	२७९७०४२	२९३४६२१	३०४७११७	३३५३९६३
उ० प्र० सीमाप्रान्त एजेन्सी	...	४३६०८	८६४८७६	१५१७७९१	१२१२३४७
पंजाब स्टेट्स	२०९१२४	२१७७९४	२१६८५३	२१५६३३	२२९२९०
पंजाब स्टेट्स एजेन्सी	२११४९६७	२१९२०१५	२१०६०५५	२२१०१५०	२४५१३९४
राजपूताना एजेन्सी	६४२७१४५	५१६५९३१	५५०९०२३	५१७८४२८	५८८५०२८
सिकिम स्टेट	१५७४२	३०७९५	४५०५९	४१४९२	५५८२५
संयुक्त प्रान्त स्टेट्स	६०२५४८	५९२१९०	६०९३०९	५८१२३०	६१८१७१
पश्चिमी भारत स्टेट्स एजेन्सी	२०३०६६१	१६७५२४१	१७९१९४९	१७९५८४१	२०२५७५४

भारतीय लोक संख्या (जातियों के अनुसार १६३१)

अग्री	२,३६,२४५	धोबी	१५,३६,२८६
अम्बाला बासी	१७,३६६	डोम	३,६५,६७४
अम्माको डागा	६६६	दुशाध	७३,५२२
आर्य	२६,६५४	ऐलूत्सान	१८,५३६
वैद्य	१,१७,१५६	गड़रिया	२०,५१,२०५
वैरागी	४,०६,४४१	गिरासिया	१६,००४
बंजारा	६,७०,६६६	घोसी	३३,६०६
बनियाँ	६,१७,१८२	गोंड़	२३,७६,३६४
बौरी	४,०५,६८३	गूजर	२०,३८,६६२
भंगी	६,६८,०४७	हलवाई	६१,६५६
भार	४,६१,७४४	इदीगा	६४,६६६
भड़भूजा	२,८६,४१०	इलूवान	११,४६,५१२
भाट	१,२१,५६५	जाट	८०,२१,३०६
भील	७,११,८२१	काछी	८७,८१,१०३
भिलाला	५१,६६७	कहार	२०,७३,७१४
वोहरा	१,२८,४८७	कलवार	११,५५,८६३
ब्राह्मण	१,३६,२७,६७२	कनियान	१६,४६३
ब्रह्मभट्ट	१४,५८१	कटकारी	३२,०२१
ब्रहूई	३,६१८	कायस्थ	२४,६८,६३४
चमार	१,१५,४५,६५५	खटिक	२,१६,०५३
चेचूँ	१०,३४२	खत्री	५,८४,७२६
चेटी	१७,४२२	कोडागा	४१,०२६
चोधा	८१,२८३	कोमाती	७,४१,४७१
चुहरा	६,६६,५६६	कोंध	३,४७,२३७
दर्ज़ी	३,२५,५४०	कोया	३३,६३८

भारतीय लोक संख्या (१९३१)

जातियों के अनुसार (चालू)

कुम्हार	२०,९८,४२०	पठान	२४,७५,३४०
कुनबी	५९,८५,५३७	पिंजारी	१५,३९५
लब्बाई	३,६४,४०८	प्रभू	१९,६७३
लिंगायत	१९,५७,५२४	रेवारी	१,१०,३५४
लोधी	१५,०९,५७५	राजपूत	९२,४९,१५७
लोहाना	१४,०६,१९१	संताल	२३,८६,९२४
महार	३४,२३,४१६	सवाग	३,६९,३२०
माली	१०,५३,७८९	सैयद	९,९१,९९६
मल्लाह	२,९७,९६४	शहा	४,२०,०११
मोपला	८८०४	तगा	१,३७,५९८
मरहठा	२२,३०,८४९	तन्ती	६,३३,४८८
मेघ	२०,७४,९४१	तेली	६६,९५,०५०
मिरासी	२,४१,६६०	तण्डापुलायन	७०५
मोमिन	२४,१४,२४९	टोडा	५९७
नाई ब्राह्मण	१९,२०,२१९	विश्वब्राह्मण	४८,१०,८५४
नामशूद्र	२२,३३,८७७	यादव	१,२१,०४,४८६
नायर	१५,४९,९४४	कचीन	१,४९,९२०
ओद	३,४७,८४९	करेन	८,१४,२३५
ओरॉय	५,२९,८५२	मोन	३,२७,२५३
पनिका	१,७३,०००	शान	६,२३,७६२
पर्य्या	१२,५९,९०१		

भारत में हरिजन (प्रान्तवार १९३१)

प्रान्त	संख्या	राज्य	संख्या
अजमेर मारवाड़	७६,८१६	बड़ोदा	२,०३,०४३
अण्डमन	५१२	मध्यभारत-	
आसाम	१८,३०,४३०	एजेन्सी	७,६७,६०२
बिलोचिस्तान	५,७२२	ग्वालियर	६,७८,११९
बंगाल	६९,३०,६३१	हैदराबाद	२४,७३,२३०
बिहार और उड़ीसा	६३,७६,२५७	कश्मीर	१,७०,६२८
बम्बई	२०,९८,९९८	कोचीन	१,२५,३३९
मध्यप्रदेश और बरार	३०,७१,०७८	ट्रावनकोर	१,७,६९,७३५
कुर्ग	२४,८०३	मैसूर	१०,००,३२६
देहली	७२,८८३	राजपूताना	१५,६५,४०९
मद्रास	७२,९९,४००	सिकिम	२,०२९
सीमाप्रान्त	६,०१०	पश्चिमी भारत-	
पंजाब	१७,६६,८०५	स्टेटस एजेन्सी	३,१८,२२०
संयुक्तप्रान्त	१,१५,३१,१४५		

भारत में हिन्दू (१९३१)

अजमेर मारवाड़	४,३४,५०९	ब्रह्मा	५,७०,९५३
अण्डमन और नीकोबार	७,६,१८	मध्यप्रदेश	१,३३,३८,२२३
आसाम	४९,३१,७,६०	कुर्ग	१,४६,००७
बिलोचिस्तान	४१,४३२	देहली	३,९९,८६३
बंगाल	२,१५,७०,४०७	उ० प० सीमाप्रान्त	१,४२,९७७
बिहार उड़ीसा	३,१०,११,४७४	पंजाब	६३,२८,५८८
बम्बई प्रेसीडेंसी	२,५६,०२,१३२	संयुक्त प्रांत	४,०९,०५,५८६
सिन्ध	१०,१६,७०४	मद्रास	४,१२,७७,३७०
अदन	१,५८५	कुल	२३,८५,९८,६५३

भारत में मुसलमान (१९३१)

अजमेर मारवाड़	६७,१३३	ब्रह्मा	५८४,८३९
अण्डमन और नीकोबार	६,७१९	मध्यप्रदेश	६८२,८५४
आसाम	२७,५५,९१४	कुर्ग	१३,७७७
बिलोचिस्तान	४,०५,३०९	दिल्ली	२,०६,९६०
बंगाल	२,७४,९७,६२४	उ० प० सीमाप्रान्त	२२,२७,३०३
बिहार उड़ीसा	४२,६४,७९०	पंजाब	१,३३,३२,४६०
बम्बई प्रेसीडेंसी	५,८३,२५९	संयुक्त प्रांत	७१,८१,९२७
सिन्ध	२८,३०,८००	मद्रास	३३,०५,९३७
अदन	४२,८३८	कुल	७,९३,४४,२३१

भारत की लोक संख्या धन्धों के अनुसार (१९३१)

उद्योग तथा व्यापार	संख्या
भारत (कुल जन संख्या)	३५, २८, ३७, ७७८
खेती तथा चरागाह	२०, ३०, ९७, ७८८
मछली का तथा अन्य शिकार	१०, २९, ५३६
धातु की खदानें	५४, ४६२
नमक इत्यादि की खदानें	२, ४९, ८००
उद्योग	१, ७५, २३, ९८२
मिल की बुनाई	४५, ११, ५२०
पशुओं की खालें इत्यादि	३, ५९, ८६३
लकड़ी	१९, ७०, ५६५
धातु	८, ४५, ४२०
चीनी मिट्टी के कार्य	११, ९६, ४३७
केमिकल (रसायन) इत्यादि	७, ३५, २०७
खाद्य पदार्थ	१६, ६५, ४४७
पोशाक और तत् सम्बन्धी उद्योग	३९, १५, ९५६
कुर्सी मेज़ इत्यादि	२३, ८९५
इमारती वस्तुयें	६,९२,०३३

भारत की लोक संख्या धन्धों के अनुसार। (चालू)

उद्योग तथा व्यापार	संख्या
जहाज़ मोटर साइकिल आदि के कारखाने	३२, ३०२
बिजली के कारख़ाने इत्यादि	२४, २०७
अन्य उद्योग	१५, ४६, ५३१
बाहक साधन	३७, ७८, ५२०
हवाई	३३०
जल मार्गीय	४, ०१, २३७
सड़कें	१६, १०, ८०६
रेलें	६, ७६, ८८६
डाकख़ाना, तार, टेलीफोन इत्यादि	८६, २२५,
व्यापार	६२, ३६, ६६६
बैंक बीमा इत्यादि	४, ८२, ८५०
आढ़त और दलाली इत्यादि	७१, १६४
मिल का बुना हुआ	५, २६, ६६०
खाल चमड़ा, सींग फर इत्यादि	१, ०२, ३८६
लकड़ी बाँस छालें इत्यादि	१, ६७, ३०२
धातु, मशीनें, चाकू सरौते इत्यादि	२६, ७०२
चीनी मिट्टी	५३, ५३६
रसायन इत्यादि	७४, ६५५
होटल इत्यादि	५, ४७, २२६
खाद्य पदार्थ	४५, २५, ५५४
शृंगार और साबुन इत्यादि	१, ७२, ४८३
कुर्सी मेज इत्यादि	६६, ८४८
इमारती वस्तुयें	२५, ७४६
बाहक साधन	१, ४२, २५७
रत्न जड़ाई का काम, किताबें, और गाने के बाजे इत्यादि	२, ४४, ८२१

भारत की लोक संख्या धन्धों के अनुसार (चालू)

उद्योग तथा व्यापार	संख्या
ईंधन	३, ७१, २०३
अन्य व्यापार	१७, ४८, ५१०
पब्लिक शासन प्रबन्ध और शिक्षित धन्धे	४८, १९, ४५२
फौज	३, ३०, ६४८
जल सेना	१, ३९९
हवाई सेना	१, ८७५
पुलिस	६, ०७, ४०१
शासन प्रबन्ध	११, ५३, ९६३
धर्म	१२, ४७, ५२८
क़ानून	१, ४३, ४४१
दवाई	३, ६९, ४८३
शिक्षक और क्लर्क	५, ५४, ७७८
ललित कलायें	४, ०८, ९३६
वजीफ़े पेन्शन इत्यादि पानेवाले	२, ८०, ९५५
घरेलू नौकर	१, २६, ७४, ११०
जेल, पागल खाना व, अनाथालय के निवासी	१, ७६, ३६६
वेश्यायें और कुटनियाँ	७२, ५३६
भिक्षुक इत्यादि	१३, ९७, १६२
अन्य सर्व	८४, ९९, ६८९

भारत के प्रान्तों तथा राज्यों की जन संख्या ।

प्रान्त व राज्य	१९२१	१९३१	घनताप्रतिवर्गमी०
भारत	३१८९४२४८०	३५२८३७७७८	१९५
ब्रिटिश भारत	२७०९५०४३३	२७१५२६९३३	२४७
अजमेर मारवाड़	४९५२७१	५६०२९२	२०७
अण्डमननीकोबार	२७००७	२९४६३	...
आसाम	७९९०२४६	८६२२२५१	१३७
बिलोचिस्तान	७९९६२५	४६३५०८	६
बंगाल	४७५९२४६२	५०११४००२	६१६
बिहार उड़ीसा	३७९६१८५८	३७६७७५७६	३७९
बम्बई	२६७५६४८	२१९३०६०१	१७४
ब्रह्मा	१३२१२१९२	१४६६७१४६	६३
मध्यप्रदेश व बरार	१५९७९६६०	१५५०७७२३	१३७
कुर्ग	१६३८३८	१६३३२७	१०२
देहली	४८८१८८	६३६२४३	१११०
मद्रास	४२७९४१५५	४६७४०१०७	३२९
उ. प. सीमाप्रान्त	५०७५४७६	२४२५०७६	१२९
पंजाब	२५१०१०६०	२३५८०८५२	२०८
संयुक्तप्रान्त	४६५१०६६८	४८४०८७६३	४४२
राज्य तथा एजेंसी	४७९९२०४७	८१३१०८४५	११४
बड़ौदा	२१२६५२२	२४४३००७	२९९
सेंट्रलइंडियाएजेंसी	५९९७०२३	६६३२७९०	१२९
कोचीन	९७९०८०	१२०५०१६	८१४
ग्वालियर	३१८६०७५	३५२३०७०	१३४
हैदराबाद	१२४७१७७०	१४४३६१४८	१७५
कश्मीर	३३२०५१८	३६४६२४३	४३
मैसूर राज्य	५९७८८९२	६५५७३०२	२२४
राजपूतानाएजेन्सी	९८४४३८४	११२२५७१२	८७
सिक्किम	८१७२१	१०९८०८	...
ट्रावनकोर	४००६०६२	५०९५९७३	६६८

सन् १९३१ में हिन्दू विधवाओं का ब्योरा (भारत)

अवस्था	संख्या	अवस्था	संख्या
०—१	१,०८१	५—१०	८३,९२०
१—२	१,३४२	१०—१५	१,४५,४४६
२—३	२,६६५	१५—२०	४,०४,१६७
३—४	७,०७८	२०—२५	६,६८,५०८
४—५	११,४७१	२५—३०	१२,१२,३८५

प्रान्तों की जनसंख्या (धर्मानुसार)

प्रान्त	क्षेत्रफल वर्गमीलों में	यूरोपियनस् और एंग्लो इंडियनस	भारतीय ईसाई	हिन्दू	मुसलमान
मद्रास	१,४२,२६०	३०,३६८	१७,४३,९०८	४१६२६१३२	३३,०५,९३७
बम्बई	१,२३,६७९	४२,३०७	२,७४,७३५	१६६१९७४२	४४,५६,८९७
बंगाल	७७,२५१	५०,५८७	१,२९,१३४	२१५७०४०७	२७४९७६२४
संयुक्तप्रान्त	१,०६,२४८	३४,७४४	१,७०,२६२	४०९०५५८६	१७,८१,९२७
पंजाब	९९,८६६	२५,९४९	३,९१,८३९	६३२८५८८	१३३३२४६०
ब्रह्मा	२,३३,७०७	३०,८५१	३,००,७५४	५७०९५३	५,८४,८१६
बिहारउड़ीसा	८३,१४२	१२,७८८	३,२९,११२	३१०११५१२	४२,६५,०३५
मध्यप्रदेश और बरार	९९,८७३	१०,३१२	४०,२७१	११६८८१९४	६,८२,८५४
आसाम	५५,०१४	३,६७१	१९८,९१५	४९३१७६०	२७,५५,९१४
सीमाप्रान्त	१३,५१८	७,९४७	४,२६६	१४२९७७	२२,२७,३०३
कुर्ग	१,५९३	२२२	३,२०८	१४६००७	१३,७७७
देहली	५९३	५,३१६	११,६७३	३९९८६३	२,०६,९६०
अजमेर-मारवाड़	२,७११	२,९०८	४,०३९	४३४५०९	९७,१३३
बिलोचिस्तान	५४,२८८	५,४०४	२,६४०	४१४३२	४,०५,३०९
बंगालौर	१३	९,६७८	२०,३४४	७४००४	२८,६२५
अन्य	१२३	१३८	६,५३७	७४२१६	२५,६१३
भारत	१०,९४,१५२	२७०१९१	३६,३१,६३७	१७६५६५८८३	६७०६८१८४

प्रान्तों की जन संख्या (धर्मानुसार) (चालू)

प्रान्त	बौद्ध	पारसी	सिक्ख	अन्य	कुलजनसंख्या
मद्रास	१,२५६	५०७	५३७	३१३५८	४६७४०१०७
बम्बई	२,२०४	८६,५४४	२०,८६३	२४८५४४	२१८५४८६६
बंगाल	३,१६,०३१	१,५२०	७,३२०	५४१३७६	५०११४००२
संयुक्तप्रान्त	७३०	६६१	४६,५००	६८०२३	४८४०८७६३
पंजाब	५,७२३	५४६	३०,६४,१४४	४३४६०३	२३५८०८५२
ब्रह्मा	१२३४७५६६	४१६	१०,६०७	८०१२०१	१४६६७१४६
बिहारउड़ीसा	६१६	२४१	५,६५३	२०५२५६६	३७६७७८५६
मध्यप्रदेश और बरार	६६	२,०६२	४,२४१	३०७६६६२	१५५०७७२३
आसाम	१४,६५५	...	२,४६७	७१४५३६	८६२२२५१
सीमाप्रान्त	२	६०	४२,५१०	११	२४२५०७६
कुर्ग	३	२७	...	८३	१६३३२७
देहली	७६	१२६	६,४३७	५७६५	६३६२४६
अजमेर-मारवाड़	४	३०१	३४१	२१०५७	५६०२६२
बिलोचिस्तान	६८	१६७	८,३६८	१२०	४६३५०८
बंगलौर	२६०	२४४	३२	६२६	१३४११३
अन्य	१०	१,०८०	६६६	६३४०	२२४०२०
भारत	१२६६०००६	६७,८६५	३२,२१,०४६	८१०६२७०	२७१७८०१५

भारत के अपाहिज (१६३१)

	पागल	गूंगे बहरे	अन्धे	कोढ़ी
भारत	१,२०,३०४	२,३०,८६५	६०१३७०	१४७६११
ब्रिटिश भारत	६८,४४६	१,६०,५६२	४६२८०५	१२६८६७
अजमेर मारवाड़	२१७	४१०	२१६२	१८
अण्डमन नीकोबार	७	८	६	२
आसाम	५,०३७	६,७८०	६२२२	५१६४

भारत के अपाहिज (चालू)

	पागल	गूंगे बहरे	अन्धे	कोढ़ी
बिलोचिस्तान	१८६	२७८	७८१	२४
बंगाल	२१,७०५	३५,४३७	३६७४०	२०८४५
बिहार उड़ीसा	८,२६४	२४,००३	४७७५४	१९३२९
बम्बई	१०,९११	१७,३७६	४११५४	९११२
ब्रह्मा	१२,९०२	१६,९६७	२७७२७	११११२७
मध्यप्रदेश और बरार	४,५२६	१२,७०३	४२९२४	११५०६
कुर्ग	३१	१९१	१००	१७
देहली	८९	१४८	६५६	९
मद्रास	१५,३४९	३३,३०८	५१८८१	३३१२७
उ० प० सीमाप्रान्त	७४१	१,५९७	२४६३	२४९
पंजाब	७,२२०	१६,१६१	५७२५४	१८५३
संयुक्त-प्रान्त	११,२१९	२५,३१५	१४१९७८	१४४८५
देशी राज्य तथा एजेन्सी	२१,८५५	४०,३०३	१३८५६५	२१०४४
आसाम स्टेट्स	३८९	१३८	७०५	२५६
बिलोचिस्तान स्टेट्स	२३५	३०४	९१४	२७
बड़ोदा स्टेट्स	१,३७३	१,२६६	८०३३	५७५
बंगाल स्टेट्स	६९७	४२८	६५९	४०९
बिहार उड़ीसा स्टेट्स	७८१	२,४७२	५५७८	३४६५
बम्बई स्टेट्स	१,७३४	३,१७३	५९९०	१६४९
मध्यभारत एजेन्सी	१,५४९	१,८९६	१३६५७	१०८४
मध्यप्रदेश स्टेट्स	५०७	१,२६७	४१४७	१०१३
ग्वालियर स्टेट	४५३	१,३०७	६४०९	४२५
हैदराबाद स्टेट	२,२००	३७४२	१२५१६	३७३८
कश्मीर स्टेट	१,४२४	५७८७	५६९९	२०२६
मद्रास स्टेट्स एजेन्सी	२,८७७	३७९९	५१८४	३७२८
मैसूर स्टेट	१,७८२	३९५०	६५५३	७३३
पंजाब स्टेट्स	१३१	८३५	९५५	२२७
पंजाब स्टेट्स एजेन्सी	९८८	२५३६	११४६४	६८७
राजपूताना एजेन्सी	२,५९०	३१२६	३१६२७	५४३
सिकिम स्टेट	५	१६४	२६	७
संयुक्तप्रान्त स्टेट्स	३२२	४२८	२६४१	३०४
पश्चिमी भारत स्टेट्स एजेन्सी	१,८१८	३६२६	१५८०९	१४८

भारत के मुख्य नगरों की जन संख्या धर्मानुसार (१९३१)

नाम नगर		जन संख्या			धर्मानुयायी			
		कुल	पुरुष	स्त्री	हिन्दू	मुसलमान	अन्य धर्म	अन्य संख्य
अजमेर	...	११९५२४	६६०१४	५३५१०	७१३१४	४०५४८	जैन	२९४२
,,	...	...	...	...	...	...	ईसाई	४१६१
इलाहाबाद	...	१७३८९५	९७९०९	७५९८६	११४१५०	५४१९८	...	...
अहमदाबाद	...	२३४२६५	१३६२६१	९८००४	१६१७०३	६२८८३	जैन	४७९६
,,	...	...	...	...	...	...	ईसाई	३७७७
,,	...	...	...	...	...	...	पारसी	१३२१
अमृतसर	...	२६३२१०	१५७८२३	१०५३८७	९६९७५	१३२०१६	सिक्ख	३१८५५
आगरा	...	२०५४८७	११३३२०	९२१६७	१२७०८८	७२०४९	ईसाई	२९०३
,,	...	...	...	...	...	...	जैन	२०४३
,,	...	...	...	...	...	...	सिक्ख	१३०८
इन्दौर	...	१२७३२७	७३४५०	५३८७७	९६४३७	२५५७४	जैन	४३८५
कानपुर	...	२१९१८९	१२९२७६	८९९१३	१५०३७४	६५४६०	ईसाई	२८२५
करांची	...	२४७७९१	१४५०५२	१०२७३९	११५४६५	११८४१२	सिक्ख	१९१६
,,	...	...	...	...	...	....	ईसाई	७८५२
,,	...	...	...	...	...	....	पारसी	२४०८
कलकत्ता	...	११९३६५१	८१२२८७	३८१३६४	८२१०११	३१०८१४	बौद्ध	३००२
,,	...	...	...	...	...	....	जैन	३१४९
,,	...	...	...	...	...	...	सिक्ख	४६८३
,,	...	...	...	...	...	....	यहूदी	१८२९
,,	...	...	...	...	...	....	ईसाई	४६१०१

भारत के मुख्य नगरों की जन संख्या धर्मानुसार (चालू)

नाम नगर	जनसंख्या			धर्मानुयायी			
	कुल	पुरुष	स्त्री	हिन्दू	मुसलमान	अन्य	
						धर्म	संख्या
कलकत्ता (चालू)...	...	...	...	...	...	पारसी	११९९
जैपुर ...	१४४१७९	७७९३३	६६२४६	९२३४६	४४०७२	जैन	७२४२
देहली ...	३४७५३९	२०३८६९	१४३६७०	१७८२९८	१५८२८७	जैन	४२३८
...	...	...	-	...	...	सिक्ख	३१६९
...	...	....	...	...	...	ईसाई	३००८
नई देहली ...	६४८५५	४१३०७	२३५४८	४६७१५	१२१११	सिक्ख	२१४२
...	...	...	...	...	...	ईसाई	३५४१
नागपुर ...	२१५१६५	११६४०३	९८७६२	७७६२३७	२८०४२	जैन	१८३३
....	...	...	...	...	..	ईसाई	६४४९
....	...	...	...	...	...	अनार्य	११६३
टिनेवेली	५७०७८	२७६००	२९४७८	४९०२४	६७३५	ईसाई	१३१३
ढाका	१३८५१८	७९३६५	५९१५३	८००२३	५७७६४	...	...
पूना ...	१९८०७८	१०७५४२	९०५३६	१७०२१४	१९०४१	जैन	२१३०
...	१५९६९०	...	...	...	...	ईसाई	५१५३
पटना ...	...	९२२३८	६७४५२	११९६४४	३८२३८	ईसाई	१५७०
पेशावर ...	८७४४०	५०१५१	३७२८९	११५९४	६९८९३	सिक्ख	५१५०
बंगलौर सिटी	१७२३५७	९१६८०	८०६७७	१४४५२९	१९८३१	जैन	११५३
,, ...	...	...	...	....	...	ईसाई	६७५४

भारत के मुख्य नगरों की जन संख्या धर्मानुसार (चालू)

नाम नगर	जन संख्या			धर्मानुयायी			
	कुल	पुरुष	स्त्री	हिन्दू	मुसलमान	अन्य धर्म	अन्य संख्या
बंगलौर छावनी	१३४११३	६९४०९	६४७०४	७४००४	५८६२४	ईसाई	२००२२
बम्बई	११६१३८३	७४७३८१	४१४००२	७८९८६१	२०९२४६	बौद्ध	१६३०
,, ...	...	...	...	...	...	जैन	१२४२४
,, ...	...	...	...	...	...	ईसाई	८०७२८
,, ...	...	...	...	...	...	पारसी	५७७६५
,, ...	...	...	...	...	...	यहूदी	८६२१
बनारस ...	२०१०३७	१११५८७	८९४५०	१३७७५४	६१८६६	ईसाई	११५५
बरेली ...	१३४१७९	७२८३०	६१३५९	६२८२४	६९८०४	ईसाई	१४१०
बड़ोदा ...	१०९६३९	६०७२३	४८९१६	८७७५२	१७९७५	जैन	२६३९
मद्रास ...	६४५५८६	३४००६८	३०५५१८	५१९६३३	६९९५९	जैन	२२७९
,, ...	...	...	...	...	...	ईसाई	५२०८६
मदुरा ...	१८२०१८	९१६७६	९०३४२	१५८७३४	१३१९६	ईसाई	१००८१
माण्डले ...	१३४९५०	६८८४९	६५१०१	११०२०	१५३२७	बौद्ध	१०३२३७
,, ...	...	...	...	...	...	ईसाई	३७२४
,, ...	...	...	...	...	...	अनार्य	१२८४
मेरठ ...	९११८१	५२११२	३९०६९	४४३८८	४४७३५	...	...
मुरादाबाद ...	११०५६२	६१३४६	४९२१६	४३२२३	६३७१०	ईसाई	३२१५
मुल्तान ...	१०८३५१	६०८००	४७५५१	३७११२	६७१३१	सिक्ख	२२२८

भारत के मुख्य नगरों की जन संख्या धर्मानुसार (चालू)

नाम नगर	जन संख्या			धर्मानुयायी			
						अन्य	
	कुल	पुरुष	स्त्री	हिन्दू	मुसलमान	धर्म	संख्या
मैसूर ...	१०७१४२	५६७७२	५०३७०	८४७८६	१७७७२	इसाई	३६८७
रंगून ...	३६८६६७	२७००१७	१२८६५०	१४०३०१	७०५२६	बौद्ध	१२५३८३
,, ...	...	...	...	...	...	सिक्ख	१३४३
,, ...	...	...	...	...	...	ईसाई	३०४०८
,, ...	...	...	...	...	...	अनार्य	५५८०
,, ...	...	...	...	...	...	यहूदी	१०६६
रावलपिण्डी ...	७५७६७	४६०८६	२६६८१	२४८०६	३६६६२	सिक्ख	१२३८८
लाहौर ...	४०००७५	५३८४६	१४६२२६	१२७०१६	२३८०३३	सिक्ख	२१०१०
,, ...	...	...	...	...	...	ईसाई	१३१५३
लखनऊ ...	२५१०६७	१४३८७६	१०७२२१	१४२४६१	१०१६७३	ईसाई	५८०७
शोलापुर ...	१४४६५४	७६८३७	६७८१७	११९४३७	२८६८२	जैन	१५६३
,, ...	...	...	...	...	...	ईसाई	२६२३
श्रीनगर ...	१७३५७३	६५७६३	७८७८०	३३६७०	१३८७६४	...	...
सलेम ...	१०२१७६	५१७८६	५०३६३	६१२५४	८७५२	ईसाई	२१५६
हावड़ा ...	२२४८७३	१४५१२०	७६७५३	१७३६१३	४८२८६	ईसाई	२५१६
हैदराबाद ...	३४६,०६३	१८२८८५	१६३२०८	१६७३४६	१७०१६१	ईसाई	४५६०
त्रिचनापल्ली ...	१४२८४३	७२६६७	६६८४६	१०२७८३	१६४५६	ईसाई	२०३१८

२—जन्म मृत्यु का सम्बन्ध

स्त्री पुरुषों की संख्या का अनुपात

सन १९३१ की मनुष्यगणनानुसार, पुरुष प्रतिशत ५१.४ और स्त्रियाँ ४८.६ हैं। सन १९०१ से स्त्रियों का अनुपात गिरता जा रहा है। सन १९०१ में पुरुषों से स्त्रियाँ लगभग ५५ लाख कम थीं, स० १९११ में ७५ लाख कम थीं, सन १९२१ में लगभग ९० लाख और सन १९३१ में १.१ करोड़ कम हो गईं। स्पष्ट है कि स्त्रियों का अनुपात कम होता जा रहा है। केवल प्रान्तों की जनसंख्या देखने से भी यही प्रतीत होता है। मद्रास मात्र में स्त्री संख्या का अनुपात बढ़ रहा है।

स्त्री संख्या प्रति १००० पुरुष

प्रान्त	१८८१	१८९१	१९०१	१९११	१९२१	१९३१
बम्बई और सिंध	९४०	८४०	९४५	९३०	९१९	९०१
बंगाल	९९०	८७०	९६०	९५०	९३२	९२४
बिहार उड़ीसा	१,०२०	१,०४०	१,०४७	१,०४०	१,०२९	१,००५
मध्यप्रदेश-और बरार	९७०	९९०	१,०१९	१,०१०	१,००२	९९८
मद्रास	१,०२१	१,०२३	१,०२९	१,०३२	१,०२८	१,०२५
पंजाब	८४०	८५०	८५४	८२०	८२८	८३१
संयुक्त प्रान्त	९३०	९३०	९४०	९१७	९१२	९०२
आसाम	९५०	९४२	९४९	९४०	९२६	९००
सीमा प्रान्त	८२०	८४०	९४६	८५०	८३१	८४३
बिलोचिस्तान	...	...	...	७९०	७३०	७१७
ब्रह्मा	८७७	९६२	९६४	९५९	९५५	९५८
भारत	९५४	९५८	९६३	९५४		९४०

सन्तानोत्पत्ति आयु सीमा

साधारणतया स्त्रियों की सन्तानोत्पत्ति आयु सीमा १५ और ४५ वर्ष के बीच मानी जाती है और पुरुषों की २०से५० तक मानी जाती है। भारत में इस उत्पत्ति सीमा काल की स्त्री-संख्या का अनुपात प्रति १००० पुरुष अन्य साधारण स्त्रियों की अपेक्षा अधिक है जैसा नीचे दिये हुए कोष्टक से स्पष्ट होगा।

प्रान्त	सन्तानोत्पत्ति आयु काल में स्त्रियों का अनुपात प्रति ऐसे ही १००० पुरुष	सब प्रकार की स्त्रियों का अनुपात प्रति सब प्रकार के १००० पुरुष
बम्बई	९७०	९०१
बंगाल	१०३७	९२४
बिहार उड़ीसा	११३०	१००५
मध्यप्रान्त व बरार	११०६	९८८
मद्रास	११७७	१७२४
पंजाब	९१८	८३१
संयुक्तप्रान्त	९९५	९०२
आसाम	९९१	९००
सीमाप्रान्त	९६१	८४३
ब्रह्मदेश	१०३९	९५८

विदेशों में स्त्री पुरुषों का अनुपात

देश	स्त्री संख्या प्रति १००० पुरुष	देश	स्त्री संख्या प्रति १००० पुरुष
इंगलैंड व वेल्स (१६३१)	१०८७	हालैंड (१६३०)	१०१२
फ्रांस (१६२६)	१०८३	मिश्र (१६२७)	१००६
टर्की (१६२५)	१०७६	जापान (१६३०)	६६०
जर्मनी (१६२५)	१०६७	यू० स्टेट्स अमेरिका (१६३०)	६७६
इटली	१०४५	आस्ट्रेलिया (१६२१)	६६७
		केनाडा (१६२१)	६४०

स्त्री पुरुषों की मृत्यु संख्या का अनुपात

भारत में जन्म के पहले वर्ष में १००० बालकों में १८७.२ मृत्यु होती हैं और १००० बालिकाओं में १६६.६ मृत्यु होती हैं। प्रथम ६ वर्ष में बालकों की मृत्यु संख्या का अनुपात बालिकाओं की मृत्यु संख्या के अनुपात से अधिक रहता है, जैसा निम्नलिखित कोष्टक में दिया गया है।

मृत्यु संख्या का अनुपात प्रति १०० जन्म।

आयु	बालक	बालिकायें
०	२४.८७	२०.२१
१	६.१८	८.६५
२	५.६४	५.०६
३	३.६२	३.४०
४	२.७४	२.३२
५	१.६२	१.६५
६	१.४५	१.२५
७	१.१५	१.०१
८	.६४	.८८
६	.८३	.८२

अन्य देशों की नाईं, भारत में भी बालिकाओं से अधिक बालक उत्पन्न होते हैं। अर्थात् बालिकाओं की प्रतिशत जन्म संख्या के लिये बालकों की जन्मसंख्या १०८ है। इंगलैण्ड में बालकों की ऐसी जन्म संख्या १०५ है। इसी कारण ६ वर्ष की आयु के भीतर बालकों की मृत्यु संख्या का अनुपात बालिकाओं की मृत्यु संख्या के अनुपात से अधिक होने पर भी बालकों की संख्या बालिकाओं से अधिक ही रहती है अर्थात् भारत में प्रति ६१,४११ बालकों के ५९,८५९ बालिकायें हैं (१९३१)।

१० वर्ष की आयु से बालिकाओं की प्रतिशत मृत्यु संख्या एकदम बढ़ जाती है और बालकों की प्रतिशत मृत्यु संख्या के आगे निकल जाती है—

भारत की मृत्यु संख्या (आयु के अनुसार अनुपात)

आयु	प्रतिशत बालक	प्रतिशत बालिकायें	आयु	प्रतिशत बालक	प्रतिशत बालिकायें
१०	·७६	·८१	२१	१·३२	१·८५
११	·८१	·८४	२२	१·३७	१·९३
१२	·८४	·८८	२३	१·४२	२·०१
१३	·८८	·९३	२४	१·४७	२·०८
१४	·९३	१·०२	२५	१·५३	२·१६
१५	·९८	१·१५	२६	१·५९	२·२३
१६	१·०४	१·३०	२७	१·६६	२·३०
१७	१·१०	१·४४	२८	१·७४	२·३७
१८	१·१६	१·५६	२९	१·८३	२.४४
१९	१·२१	१·६६	३०	१·९३	२·५१
२०	१·२७	१.७६	३१	२·०३	२·५९

भारत में ५५वर्ष की आयु के बाद पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा मृत्यु-संख्या अधिक होती जाती है। योरोप में भी यही बात है। पुरुषों से स्त्रियाँ दीर्घजीवी होती हैं। ग्रेट ब्रिटेन में ८० वर्ष के ऊपर वाले मनुष्यों में पुरुषों से स्त्रियाँ दोगुनी हैं। १९३२ में १०० वर्ष के ऊपर आयुवाले १८ मनुष्य मरे इनमें केवल ३ ही पुरुष थे, शेष स्त्रियाँ थीं।

विवाहित मनुष्यों की संख्या

कुल संख्या	३५,२८,३७,७७८	(१९३१)
विवाहित पुरुष	८,४२,०८,४६७	४७ प्रतिशत पुरुष
विवाहित स्त्री	८,३६,०७,२२३	४६ ,, ,, स्त्री
अविववाहित पुरुष	८,६३,३८,००१	४८ ,, ,, पुरुष
अविवाहित स्त्री	५,६६,६८,०४३	३५ ,, ,, स्त्री

उपरोक्त आंकड़ों से यह प्रतीत होगा कि ६,०१,२४४ ऐसे पुरुष हैं जिनके स्त्रियाँ नहीं हैं। ४८ प्रतिशत पुरुष जो अविवाहित हैं उनमें ७७ प्रतिशत १५ वर्ष से नीची आयुवाले हैं और अविवाहित स्त्री संख्या में ६१ प्रतिशत १५ से नीची आयुवाली स्त्रियाँ हैं। १५ और ४० की आयु के बीच केवल ५ प्रतिशत स्त्रियाँ अविवाहित हैं। इंग्लैंड और वेल्स में ऐसी संख्या ३६ प्रतिशत है।

विवाहितों की संख्या (प्रति १०००)
(१५ वर्ष से कम आयु)

	१८८१	१८९१	१९०१	१९११	१९२१	१९३१
पुरुष	६३	५६	५६	५४	५१	७७
स्त्री	१८४	१७०	१६२	१५६	१४४	१८१

विधवाओं की संख्या (१९३१)

आयु	संख्या
०—१५	३,२१,७०१
१५—५०	१,४३,१४,४८८
५० से अधिक	१,१६,०६,२७६

उपरोक्त बालिका विधवाओं में २,५३,००० हिन्दू हैं और ५६,००० मुसलमान हैं।

१५ से ५० के बीच आयु वाली विधवाओं में १,०८,६०,३५५ हिन्दू और २५,६०,६२४ मुसलमान हैं। इंगलैंड में सन्तानोत्पत्ति अवस्था वाली स्त्रियों की संख्या प्रति शत (१००) केवल ४ है और भारत में १६ है।

अविवाहित हिन्दू स्त्रियां।

आयु		आयु	
कुलअविवाहित	३,८३,६१,६६६	१५—५०	२०,८४,४०५
०—१५	३,६२,३५,०७६	५० से अधिक	७२,४८५

वैवाहिक आयु और सन्तति संख्या

विवाह के समय स्त्री की आयु से और संन्तानोत्पत्ति से घनिष्ट संबंध है। नीचे दिये हुये कोष्टक से स्पष्ट होगा कि अधिक आयु पर विवाह होने से सन्तान की उत्पत्ति बढ़ती है और मृत्यु घटती है—

विवाह के समय स्त्री की आयु	निरीक्षित कुटुंबों की संख्या	जीवित बच्चे जो पैदा हुये	औसत प्रति कुटुंब	बच्चे जो जीवित रहे	औसत प्रति कुटुंब
प्रत्येक आयु में	५,६८,६२८	२३६८,१७२	४'२	१६,६१,४४८	२'६
०—१२ वर्ष	४०,७२६	१५४,१२०	३'८	१,१२,१२७	२'८
१३—१४ ,,	१६१,७८३	८०६,८६१	४'२	५,५५,३४५	२'६
१५—१६ ,,	२४६,८७४	१०,२२,२०६	४'१	७,२६,११८	२'६
२०—२६ ,,	७५,७५८	३२८,१८१	४'३	२,३२,८०४	३'१
३० और ऊपर	१०,४८४	५३,७७१	५'१	३८,०५६	३'६

ब्रिटिश भारत की जन्म मृत्यु संख्या।

(१६१८—१६२५)

	जन्म	मृत्यु
१६१८	८४८०५६०	१४८६५८०१
१६१६	७२१२४१५	८५५४१७८
१६२०	७८६४२८२	७३५५६५४
१६२१	७७७४७७६	७३८५११२
१६२२	७३८८६५६	५८०००६२
१६२३	८४६६०८५	६०३६६३१
१६२४	८८१७४०३	६८७६२८६
१६२५	८११५४०८	५६६७६१८

ब्रिटिश भारत की जन्म मृत्यु संख्या (चालू)

	जन्म	मृत्यु
१९२६	८३९५६७९	६४६०६१०
१९२७	८५१६७०६	६००९७२९
१९२८	८८८२५७८	६१८०११४
१९२९	८५६५३४१	६२६७८९१
१९३०	८६९०७१४	६४८३४४९
१९३१	९१३५८९०	६५१५०९९
१९३२	९०५४५०६	५८०५६६९
१९३३	९६७८८७६	६०९६७८७
१९३४	८२८८८९७	६८५६२४४
१९३५	९६९८७९४	६५७८७११

जन्म और मृत्यु का सम्बंध।

जन्म और मृत्यु संख्याओं का घनिष्ट सम्बन्ध है। जन्म संख्या के अनुपात की अधिकता के साथ २ प्रायः सभी देशों में मृत्यु संख्या की आनुपातिक मात्रा (Rate) भी अधिक पाई जाती है। और जहाँ जन्म की आनुपातिक मात्रा कम है वहाँ मृत्यु मात्रा भी कम पाई जाती है।

जन्म मृत्यु का अनुपात।

अधिक मात्रा वाले देश — प्रति सहस्र जन संख्या

देश	जन्मानुपात १९२६-३०	मृत्यु अनुपात १९२६-३०	वार्षिकजन्मानुपात १९३१	वार्षिकमृत्यु अनुपात १९३१
मिश्र	४४.१	१७.६	४४.८	२६.८
जापान	३३.४	१९.५	३२.२	१९.०
रूमानियाँ	३५.२	२१.२	३३.३	२०.८
पुर्तगाल	३१.९	१८.८	३०.५	१७.२
ब्रिटिश भारत	३५.७	२६.०	३४.३	२४.९
इटली	२६.८	१६.०	२४.९	१४.८
हंगरी	२६.०	१७.०	२३.७	१६.६
स्पेन	२८.५	१७.८	२७.४	१७.३

जन्ममृत्यु का अनुपात (चालू)

कम मात्रा वाले देश । प्रति सहस्त्र जन संख्या ।

देश	जन्मानुपात १९२६-३०	मृत्यु अनुपात १९२६-३०	वार्षिक जन्मानुपात १९३१	वार्षिक मृत्यु अनुपात १९३१
न्यूज़ी लैण्ड	१९.७	८.६	१८.४	८.३
अमेरिका	१९.७	१२.०	१७.८	११.१
स्काट लैण्ड	१९.९	...	१९.०	१३.३
फ्रान्स	१८.२	१६.७	१७.४	१६.३
जर्मनी	१८.४	११.८	१६.०	११.२
स्वेडेन	१५.९	१२.१	१४.८	१५.५
इंग्लैण्ड और वेल्स	१६.७	१२.१	१५.८	१२.३

भारत में जन्म मृत्यु का अनुपात प्रति सहस्त्र।

बर्ष	जन्मानुपात	मृत्यु अनुपात
१८८५	३६·७४	२६·३७
१८९०	३६·४७	३०·१५
१८९५	३४·५१	२८·९४
१९००	३६·५८	३८·६०
१९०५	३९·१३	३५·९६
१९१०	३९·५२	३३·२०
१९१५	३७·८२	२९·९४
१९२०	३२·९८	३०·८४
१९२१	३२·२०	३०·५९
१९२२	३१·८५	२४·०२
१९२३	३५·०६	२५·००
१९२४	३४·४४	२८·४९
१९२५	३३·६५	२४·७२
१९२६	३४·७७	२६·७६

भारत में जन्म मृत्यु का अनुपात (चालू)

वर्ष	जन्मानुपात	मृत्यु अनुपात
१९२७	३५·२७	२४·८९
१९२८	३६·७९	२५·५९
१९२९	३५·४७	२५·९५
१९३०	३५·९९	२६·८५
१०३१	३४·३	२४·९०
१९३२	६४·७८	२१·८५
१३३३	३६·४३	२२·९५
१९३४	३३·७	२३·००
१९३५	३४·९	२३·६

जन्म मृत्यु का अनुपात (प्रान्तवार)

प्रान्त	१९३१		१९३२	
	जन्म मात्रा	मृत्यु मात्रा	जन्म मात्रा	मृत्यु मात्रा
मध्यप्रदेश और बरार	४४·३	३५·५	४५·२०	२६·८९
देहली	४२·२	२३·७	४४·०९	२४·७३
पंजाब	४२.७	२६·०	४१·३४	२४·६९
बम्बई	६६·१	२३·८	३५·९०	२३·०४
अजमेर मारवाड़	३४·०	३०·१	३५·११	२४·८९
मद्रास	३५·५	२३·७	३६·०३	२१·९६
संयुक्तप्रान्त	३५·६	२७·०	३४·६६	२२·२३
बिहार और उड़ीसा	३३·९	२६·६	३३·८	२०·६
आसाम	२८·१	१८·७	३०·०६	१८·९६
बंगाल	२७·८	२२·३	२६·६	२०·५
ब्रह्मा	२६·५	१७·४	२७·७५	१७·३०

भारत में बाल मृत्यु (Infantile Mortality).

	प्रति सहस्र जन्म		प्रति सहस्र जन्म
१९२१	१९७·९०	१९२६	१८९·०४
१९२२	१७५·०९	१९२७	१६६·९३
१९२३	१७५·५६	१९२८	१७२·९४
१९२४	१८८·६६	१९२९	१७८·३९
१९२५	१७४·४०	१९३०	१८०·८३

उपरोक्त कोष्टक से स्पष्ट है कि बाल-मृत्यु का अनुपात प्रति सहस्त्र भारत में अधिक है। यह अनुपात प्रति सहस्त्र १९३४ में १८७ और १९३५ में१६४ था। यह अनुपात धर्मानुसार इस प्रकार है—

हिन्दू (ऊँची जाति)	२८६	प्रति सहस्त्र जन्म
अन्य	२८३	,, ,, ,,
मुसलमान	२८६	,, ,, ,,
पारसी	११८	,, ,, ,,
यूरोपियन	६२	,, ,, ,,

बड़े नगरों में तो बड़ी ही दुर्दशा है। बाल मृत्यु की मात्रा बहुत बढ़ी हुई है। स्वच्छ वायु, उत्तम निवास स्थान और शुद्ध भोजन तथा दूध इन तीनों का अभाव ही इसका कारण हो सकता है। कुछ नगरों की बाल मृत्यु का अनुपात इस चिन्तनीय अवस्था का द्योतक है—

प्रति सहस्त्र जन्म (१९३१)

नगर	बाल मृत्यु	नगर	बाल मृत्यु
बम्बई	२७४	लखनऊ	२६६
कलकत्ता	२४४	लाहौर	१८७
मद्रास	२५१	नागपुर	३२३
रंगून	२७८	दिल्ली	२०२

योरोप के कुछ नगरों की बाल मृत्यु का अनुपात तुलना के लिए दिया जाता है—

लंदन	६६ प्रति सहस्त्र	मैड्रिड	१०२ प्रति सहस्त्र
बरलिन	८२ ,, ,,	बुदापेस्ट	११४ ,, ,,
पैरिस	९३ ,, ,,	एम्सटरडम	३७ ,, ,,

भारत में जन्म से ५ वर्ष के भीतर मृत्यु पानेवाले बच्चों की संख्या भी शोचनीय है। तुलना के लिए कुछ अन्य देशों की भी मृत्यु संख्या प्रति लाख दी जाती है। (Actuarial Report on the Indian Census 1931).

बाल मृत्यु संख्या (५ वर्ष से कम आयु)

प्रति लाख जन्म

देश	सन्	५ वर्ष तक मृत्यु संख्या
भारत	(१९३१)	४५०००
आस्ट्रेलिया	(१९०१–१०)	१२,४१५
डेनमार्क	(१९०६–१०)	१४,७७१
इंग्लैंड	(१९०१–१०)	२०,६१२
फ्रांस	(१८९८–१९०३)	२२,३०८
जर्मनी	(१९०१–१०)	२५,७८९
हालैंड	(१९००–०९)	१९,७५७
इटली	(१९०१–१०)	२७;१८४
जापान	(१८९८–०३)	२३,११२
नार्वे	(१९०१–१०)	११,६३४
स्वीडन	(१९०१–१०)	१३,५०९
यूनाइटेड स्टेट्स	(०६–६०३६)	१७,८०५
स्विटज़रलैंड	(०६–६०३६)	११७,१२

स्त्रियों की मृत्यु संख्या

गर्भधारण की आयु से स्त्रियों में मृत्यु का अनुपात बहुत बढ़ जाता है। १५ वर्ष और ४० वर्ष के बीच स्त्रियां बहुत मरती हैं। इसके कारण अनेक हैं:—(१) बाल विवाह (२) प्रसूति काल में दुर्व्यवस्था तथा उत्तम स्वच्छ स्थान तथा पौष्टिक भोजन का अभाव (३) कुपढ़ दाइयों द्वारा कार्य आदि। इस काल में (१५ से ४०) पुरुषों की मृत्यु संख्या का अनुपात स्त्रियों की मृत्यु संख्या के अनुपात से कम है।

अगले पृष्ठ पर इस अनुपात का कोष्टक दिया गया है।

स्त्रियों की मृत्यु संख्या

प्रांत	मृत्यु का अनुपात प्रति सहस्र १५ से ४० वर्ष	
	पुरुष	स्त्री
कुर्ग	१६·०	२१·६
देहली	६·८	१४·१
मध्य प्रदेश	११·२	१३·२
बिहार उड़ीसा	१३·६	१३·५
बंगाल	१२·१	१५·१
आसाम	१०·०	१४·०
पंजाब	१०·७	१३·२
बम्बई	८·५	११·७
उ० प० सीमा प्रांत	११·३	११·६
मद्रास	६·५	११·१
संयुक्त प्रांत	१०·८	१२·५
ब्रह्मा	८·३	८·६
ब्रिटिश भारत	११·०	१२·८

प्रसूति काल में मृत्यु

(जच्चा की मृत्यु)

प्रसूति काल में होने वाली मृत्यु-संख्या पूरे भारतवर्ष के लिये प्राप्त नहीं है। किन्तु इसमें संदेह नहीं कि इस काल में स्त्रियों की मृत्यु संख्या काफी है। नगरों में तो ऐसी संख्या भयंकर हैं। मद्रास के पबलिक हेल्थ (स्वास्थ्य) विभाग ने १६३० में १६ म्युनिसिपेलिटियों की जांच कराई। फल स्वरुप यह ज्ञात हुआ कि १००० ज़च्चों में १५ · ४ मातायें मर जाती हैं। इन मृत्युओं में आधे से अधिक " सेपसिस " (विषाक्रमण) के कारण होती हैं। यह कारण रोका जा सकता है। इसी प्रकार युवा स्त्रियों में प्रसूति के समय मृत्यु अधिक होती है।

भारतवर्ष में ऐसी मृत्युओं का अनुपात २४.०५ प्रति १००० है। इंगलैंड में, जहां यह अनुपात केवल ४.११ हैं, निवासी चिंतित रहते हैं कि यह कैसे कम किया जावे।

सर जान मिगाउ (Sir John Megaw) ने १६३३ में जांच की थी। जिसका फल प्रांतवार आगे दिया जाता है:—

प्रसूतिकाओं की मृत्यु
प्रति १००० जन्म

ब्रिटिश भारत	२४. ०५
आसाम	२६' ४०
संयुक्त प्रांत	१८. ००
मध्य प्रांत	८. १८
मद्रास	१३. २४
बंगाल	४६. १६
बिहार उडीसा	२६. ५७
पंजाब	१८. ७३
बम्बई	२०. ०६

सर जान मिगाउ का कहना है कि १००० बालिका-माताओं में से १०० मातायें प्रसूति काल में ही मर जाती हैं और लगभग २ लाख माताएँ बच्चों के जन्म होने के ही समय प्रति वर्ष मरती हैं।

जीवन काल का औसत

इंगलैंड में जीवन का औसत स० १८६१ में ४४.१३ वर्ष और १६२०-२२ में ५५'६२ वर्ष था। भारत वर्ष में आयु का औसत बहुत कम है—१८६१ में २५'५४ वर्ष, १६०१ में २३'६६ वर्ष, १६११ में २३'३२ वर्ष, और १६३१ में २६'६१ वर्ष था।

भिन्न २ देशों में जीवन काल का औसत नीचे दिया जाता है—

		आयु का औसत	
		पुरुष	स्त्री
भारत	१६३१	२६.६१	२६.५६
जर्मनी	१६२४—२६	५५.६७	५८.८२
फ्रांस	१६२०—२३	५२.१६	५५.८७
इंगलैंड	१६२०—२२	५५.६२	५६.५८
इटली	१६२१—२२	४६.२५	५०.७५
रूस	१६२६—२७	४१.६३	४६.७३
जापान	१६२१—२२	४२.०६	४३.२०
स्वीडन	१६२१—२५	६०.७२	६२.६५
बेलजियम	१८६१—१६००	४५.३५	४८.८५

भारत में आयु का औसत प्रान्तवार इस प्रकार है—

सन १६३१	स्त्री	पुरुष	सन् १६३१	स्त्री	पुरुष
बंगाल	२४.६१	२४.२१	पंजाब	२८.०५	२६.५७
बम्बई	२७.८४	२६.३७	युक्तप्रान्त	२४.५६	२५.०६
ब्रह्मा	३०.६१	३१.००	बिहारउड़ीसा	२८.८८	२६.६०
मद्रास	२८.७१	३०.०४	मध्यप्रान्त	२८.१०	२८.२१

सन्तान उत्पादन शक्ति।

भारत में अनार्य कहलानेवाली (Tribal or aninists) जातियों की सन्तान उत्पादन शक्ति सब से अधिक है। बच्चों का सबसे अधिक औसत इन्हीं जातियों में है।

प्रति १०० विवाहित स्त्रियों के जिनकी आयु १५ और ४० वर्षों के बीच थी सन १९३१ की मनुष्य गणनानुसार निम्नलिखित परिमाण में बच्चे थे।

सर्व धर्म	१७०
हिन्दू	१६४
मुसलमान	१७८
सिक्ख	१९२
अनार्य	१९६

हिन्दुओं से मुसलमानों में उत्पादन शक्ति अधिक है अर्थात् जन्म संख्या की मात्रा (Birth-rate) अधिक और साथ २ मृत्यु संख्या की मात्रा (Death-rate) भी हिन्दुओं से मुसलमानों की कम है। फलतः दोनों कारणों से भारत में मुसलमानों का अनुपात शनैः शनैः बढ़ता जा रहा है। स० १८८१ में हिन्दुओं का अनुपात प्रतिशत ७४'३ था और १९३१ में यह घटकर ६८'२ रह गया है। ५० वर्ष में हिन्दू ६'१ प्रतिशत कम हो गए और मुसलमान २'५ प्रतिशत बढ़ गये अर्थात् उनकी मात्रा १९'७ से बढ़कर २२'२ हो गई।

सन् १९३१ में हिन्दुओं की जन्म-मात्रा (Birth rate) लगभग ३५'५ थी और मुसलमानों की ३६'७ थी और मृत्यु मात्रा (Death rate) हिन्दुओं की २६'१ और मुसलमानों की २२'७ थी।

कुटुम्ब का परिमाण

भारत में प्रति कुटुम्ब लगभग ४ मनुष्य हैं। धन्धों के अनुसार कुटुम्ब परिमाण इस प्रकार हैं:—

कच्चे माल की तैयारी ४'४ मनुष्य, पक्के माल की तैयारी ४'२, सरकारी नौकरियाँ तथा कलाकौशल ४'०, और वकील, डाक्टर तथा शिक्षक वर्ग ३'७ मनुष्य।

शिक्षा, उत्पादन शक्ति तथा आयु का पारस्परिक सम्बन्ध

शिक्षा, उत्पादनशक्ति, और आयु परिमाण में परस्पर विचित्र सम्बन्ध है। सभ्यता तथा शिक्षा की अधिक मात्रा होने से उत्पादन शक्ति कम पायी जाती है किंतु आयु की मात्रा बढ़ी हुई दिखाई पड़ती है। अगले पेज के कोष्टक से यह बात स्पष्ट होगी।

शिक्षा, उत्पादन शक्ति तथा आयु में सम्बन्ध

जाति	६० वर्ष से ऊपर वाले मनुष्यों की जन-संख्या	६० वर्ष से ऊपर वाले मनुष्य प्रति १०००	उत्पादन शक्ति	आयु	शिक्षा
अनार्य (Tribal)	२,६३,०५४	३४५	१	४	४
मुसलिम	२८,२४,७६८	३५७	२	३	३
हिन्दू	६८,२६,४१८	४११	३	२	२
पारसी	७,६६८	७६४	४	१	१

नोटः—कोष्टक से यह स्पष्ट है कि अनार्य जातियाँ उत्पादन शक्ति में सर्वोच्च (प्रथम श्रेणी में) हैं और पारसी उत्पादन शक्ति में न्यूनतम हैं, किन्तु आयु और शिक्षा दोनों में वेही सर्वोच्च अर्थात् प्रथम श्रेणी में हैं। शिक्षा और आयु से घनिष्ठ सम्बन्ध है। शिक्षा की वृद्धि से आयु की वृद्धि होती है। निरक्षरता और अल्प आयु सहगामी हैं।

विदेशों में भारतवासी।

विदेशों में भारतवासियों की संख्या इस समय लगभग २१ लाख है जिसमें सबसे बड़ी संख्या दक्षिणी अफ्रीका में है—अर्थात् १५०००० है जिस में से १,३५००० भारतीय नेटाल में, ११००० ट्रान्सवाल में और ७००० केप में है। मलाया में लगभग ५,००००० और जावा में करीब २०,००० भारतीय हैं। बाली द्वीप में कुल जन समाज हिन्दू ही है और उसने अभी तक अपनी सभ्यता क़ायम रक्खी है।

इङ्गलैण्ड व आयरलैण्ड में लगभग १३६१ भारती विद्यार्थी हैं और यूनाइटेड स्टेट्स अम्रीका में ३१७५ भारतीय हैं।

प्राचीनकाल में भारतवासी व्यापार के लिये जलप्रवास किया करते थे और सुमात्रा, जावा, अफ्रीका, अरब आदि देशों तक भारतीय जहाज जाया करते थे। श्रीयुत राधाकुमुद मुकर्जी ने अपनी पुस्तक "हिस्टरी आफ इण्डियन शिपिंग ऐन्ड मेरीटाइम ऐक्टिविटी" में जो सामग्री प्रकाशित की है उससे पता चलता है कि ३००० वर्ष ई. पू. भारत का समुद्री व्यापार बहुत बढ़ा चढ़ा था और भारत के ही बने हुये जहाजों में भारत की बनी हुई वस्तुयें जाया करती थीं। प्लिनी इतिहासकार ने भी इसी सम्बन्ध में लिखते हुये कहा है कि रोमन साम्राज्य से व्यापार द्वारा भारत सारा सोना खींच रहा है। अनेक यूनानी, मुसलमान चीनी और अन्य विदेशी इतिहासकारों के लेखों से भी सिद्ध होता है कि भारतीय शासकों की सेना में जहाजी बेड़ा मुख्य अंग था और सब प्रकार के बड़े से बड़े लड़ाई और व्यापार के जहाज भारत में बनते थे। सम्राट अकबर के पास भी बहुत बड़ा जहाज़ी बेड़ा था। बंगाल, कश्मीर, सिंध आदि जहाजों के बनाने के लिये प्रसिद्ध थे। कुस्तुन्तुनिया के सुल्तान भी भारत में जहाज बनवाया करते थे (सीजर डि फेडरिची १५६५)। शिवाजी महाराज के पास भी काफी बड़ा जहाजी बेड़ा था।

उपरोक्त वर्णन से यह स्पष्ट है कि भारतवासियों के लिये समुद्र यात्रा में कोई रुकावट न थी। किन्तु धीरे २ मुसलमानी काल में गृहयुद्ध के कारण तथा अन्य सामाजिक कारणों से समुद्र यात्रा हिन्दुओं के लिये निषिद्ध समझी जाने लगी।

आधुनिक काल में जो भारतवासी

अन्य देशों में पाये जाते हैं उनमें से अधिकतर स्वयं अथवा उनके पूर्वज मजदूरी के लिये गये हुये हैं। ईसा की १९ वीं शताब्दी के आरम्भ में गुलाम प्रथा योरोपियन राष्ट्रों ने बन्द करदी जिससे मारीशस आदि द्वीपों के योरोपियन शकर तैयार करनेवाले व्योपारियों को असुविधा होने लगी। उन्होंने भारत से मज़दूरों की भर्ती करना आरम्भ की। और सन् १८३४-३७ में लगभग ७००० मज़दूर भर्ती हुये। धीरे धीरे यह बात प्रकट होने लगी कि मज़दूरों की भर्ती धोखेबाज़ी से की जाती थी। दलालों को प्रत्येक मजदूर पर कमीशन दिया जाता था। यह कुली प्रथा भारतवासियों के लिये अत्यंत अपमान कारक सिद्ध हुई। कुलियों में स्त्री पुरुष दोनों भर्ती किये जाते थे किंतु स्त्री और पुरुष मज़दूर अकेले ही यहाँ से भर्ती किये जाते थे। उनके विवाहित भर्तार तथा पत्नियां साथ नहीं जाती थीं इस कारण इन कुलियों में बड़ा व्यभिचार होता था। साथ २ यह बात थी कि स्त्रियों की सख्या कम होने से अनेक प्रकार के जुर्म भी कुलियों में हुआ करते थे। ५ सालका इकरारनामा होने से कोई कुली बीच में न लौट सकता था। मारीशस की देखादेखी ब्रिटिश गायना ने भी कुली भर्ती करना आरम्भ किये। १८३८ में मजदूरों की भर्ती कुछ काल के लिये बन्द हो गई और सन १८४० में ब्रिटिश सरकार की एक जांच कमेटी ने कुली प्रथा की बुराइयाँ प्रकाशित कीं। इसपर जमैका ब्रिटिश गायना और ट्रिनिडाड के सिवाय अन्य देशों के लिए भर्ती बन्द कर दी गई।

सन् १८५८ में सेन्ट लूशिया, सेन्ट विन्सेन्ट नेटाल और सेन्ट विट्स को मजदूरों की भर्ती खोल दी गई। सन् १८७२ में सुरीनम को और १८७९ में ग्रेनेडा की भर्ती खुली। इसी समय में जाँच कमीशन नियत हुआ जिसके कारण ब्रिटिश गायना के लिये कानून बनाया गया और यही ट्रिनिडाड को भी लागू किया गया।

सन १८९२ में कुली प्रथा की बहुत सी बुराइयाँ प्रकट हुईं और फिर कड़ा कानून बनाया गया। १ जुलाई १९११ में नेटाल को कुली भेजना बन्द कर दिया गया। सन १९१५ में श्री० चिमनलाल और मि० मेकनील की रिपोर्ट पर भारत सरकार ने सिफारिश की कि "प्रतिज्ञा वद्ध कुली प्रथा" वन्द कर दी जावे। सन १९१६ में सेक्रिटरी खाफ स्टेट ने यह सिफारिश पसन्द कर ली। इसके पश्चात् ऐक्ट ७ सन १९२२ द्वारा विदेशों को मजदूरों का भेजना बन्द कर दिया गया। केवल उन देशों को भेजना कानूनी

रक्खा गया जिसे ऐसेम्बली निश्चित करे ।

विदेशों में भारतीयों के साथ व्यवहार ।

उपरोक्त वर्णन से यह पता चलेगा कि विदेशों में प्रायः सभी भारतीय "कुलियों" की भाँति गये। उनके पूंजीपति मालिक उनसे अधिक से अधिक लाभ उठाने का प्रयत्न करते रहे इस कारण सब प्रकार की असुविधायें भारतीयों के लिये उपस्थित की गईं। दक्षिणी अफ्रीका में भारतीयों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया गया। "बोर युद्ध" के छिड़ने पर यह कहा गया था कि भारतीयों के प्रति जो दुर्व्यवहार हो रहा है उसके लिये ब्रिटिश जाति लड़ रही है। लार्ड लैन्सडाउन ने भी यही विचार प्रकट किये कि ट्रांसवाल रिपब्लिक का जो व्यवहार भारतीयों के प्रति है वह अत्यन्त ख़राब है। युद्ध के बाद जब यही ट्रांसवाल ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बन गया तब भी भारतीयों की दशा न सुधरी। भारतीयों के स्वत्वों का अस्तित्व ही न रहा। इस पर महात्मा गान्धी ने सत्याग्रह आरम्भ किया और अनेक वर्षों तक ज़ारी रक्खा। अन्ततः सन् १९१४ में एक सन्धि हुई जिसे "गांधी-स्मटस" सन्धि कहते हैं जिससे कुछ दिन शान्ति रही। श्रीयुत गोपाल कृष्ण गोखले भी दक्षिणी अफ्रीका गये थे। इस सन्धि के बाद ही भारतीयों के विरुद्ध फिर दक्षिणी अफ्रीका के गोरे निवासियों के विचार प्रकट होने लगे और भारतीयों को बड़ा कष्ट होने लगा।

भरत सरकार के उद्योग से सन् १९१० व १९१८ की इम्पीरियल वार कान्फ्रेन्सों में ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य॰ भागों में भारतीयों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिये तथा वहां उन्हें क्या अधिकार प्राप्त होना चाहिये इस पर चर्चा हुई और साम्राज्य की नीति सम्बन्धी प्रस्ताव पास किये गये जिनमें भारतीयों के जन्मसिद्ध नागरिक स्वत्वों पर जोर दिया गया।

इसके पश्चात् सन् १९२१ की साम्राज्य कान्फ्रेन्स में फिर उपरोक्त स्वत्वों के मिलने की सिफारिश की गई।

सन् १९२२ में श्री० श्रीनिवास शास्त्री भारत सरकार की ओर से आस्ट्रेलिया, केनाडा, और न्यूजीलैण्ड गये और सन् १९२१ की साम्राज्य कान्फ्रेन्स के प्रस्तावों के कार्य रूप में परिणित होने का प्रयत्न किया। सन् १९२३ की साम्राज्य कान्फ्रेस में भारतीय प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया—

डोमीनियन सरकारें जिनमें भारतीय

आबादी है, तथा ब्रिटिश सरकार स्वयं केनया, उगण्डा, फिजी आदि प्रदेश जिनमें भारतीय आबादी है, एक एक कमेटी बनावें जो भारत सरकार द्वारा बनाई कमेटी से परामर्श करें और सन् १९२१ के प्रस्ताव में ग्रथित समानता तत्व को शीघ्र से शीघ्र व्यवहार में लाने का उपाय सोचें।

यह राय कोलोनियल सेक्रेटरी तथा डोमीनियन प्रधान मन्त्रियों ने (जेनरल स्मट्स को छोड़कर) पसन्द किया। भारत सरकार ने मार्च स० १९२४ में एक कमेटी केनया और फीजी में भारतीय सम्बन्धी प्रश्नों पर कोलोनियन आफिस के साथ विचार करने के लिये क़ायम की।

इसके सदस्य इस प्रकार थेः—(१) जे. होम सिम्पसन (अध्यक्ष) (२) आगाखाँ (३) सर बी राबटसन (४) दीवान बहादुर टी. रंगा चार्यर (५) के. सी. राय और आर बी यूबैंक (सेक्रेटरी)।

७ अगस्त १९२४ का हाउस आफ़ कामन्स में मि० जे० यच० टामस ने कोलोनियल आफ़िस का निर्णय बताया। इन प्रयत्नों का फल कुछ अच्छा अवश्य हुआ।

दक्षिण अफ्रीका

स० १९२१ से १९२३ तक नेटाल में एक आर्डीनेन्स कौंसिल में पेश किया जाता रहा जो भारतीयों के लिए हानिकारक था। किन्तु यूनियन सरकार ने उसे स्वीकृति दे दी। दिसम्बर स० १९२४ में नेटाल बोरो आर्डीनेन्स को दक्षिणी अफ़्रीका की सरकार ने स्वीकृति दे दी। इसी प्रकार नेटाल टानशिप आर्डीनेंस (३ स० १९२५) भी पास हुआ। दोनों का परिणाम भारतीयों के लिए बुरा था। भारत सरकार ने इन दोनों पर असन्तोष प्रकट किया जिस पर कुछ शाब्दिक परिवर्तन किया गया। जुलाई स० १९२५ में एरियाज़ रिजर्वेशन ऐन्ड इमीग्रेशन ऐन्ड रजिस्ट्रेन बिल यूनियन एसेम्बली में पेश किया गया। यह बिल भारतीयों के ही ख़िलाफ़ था। नवम्बर स० १९२५ में भारत सरकार ने एक शिष्ट मण्डल भेजा जिस के सदस्य (१) जी. एफ़. पैडीसन (कमिश्नर आफ़ लेबर मद्रास) लीडर (२) सैयद रज़ा अली और (३) सर देवप्रसाद सर्वाधिकारी मेम्बर थे। श्री० जी. एल. बाजपेई आई.सी. एस. सेक्रेटरी। उसके प्रयत्नों से यह निश्चित हुआ कि यूनियन सरकार और भारत सरकार के प्रतिनिधियों की एक कॉन्फ्रेंस होकर बिल में यथायोग्य परिवर्तन कर दिया जावे। दिसम्बर १९२६ में कांफ्रेन्स होना निश्चित हुई जिसके लिये (१) सर मुहम्मद हबीबुल्ला लीडर, (२) जी. एल. कोरबेट (डिपटी लीडर)

(३) श्री० श्रीनिवास शास्त्री (४) सर डार्सी लिंडसे (५) सर फीरोज सेठना (६) सर जार्ज पैडीसन और (७) जी. एस. बाजपेयी (सेक्रेटरी) भेजे गये।

इस कांफ्रेन्स के फलस्वरूप भारतीयों के स्वत्वों की रक्षा के लिए एक एजेन्ट जनरल भारत सरकार की ओर से दक्षिण अफ्रीका में रहने लगा है। पहिले एजेन्ट श्री० श्रीनिवास शास्त्री नियत हुये उनके बाद श्री० के. बी. रेड्डी नियत हुये।

सन् १९२९ के अन्त में सर के० वी० रेडी बीमारी के कारण अपने पद से हट गये और कुंवर सर महाराज सिंह उनके स्थान पर नियुक्त हुए।

स्थावर सम्पत्ति पर भारतीयों के स्वत्व तथा उस सम्बन्ध में उचित क़ानून बनाने के लिए दक्षिण अफ्रीका की यूनियन सरकार ने फरवरी १९३० में एसेम्बली की एक सिलेक्ट कमेटी नियुक्त की। उस समय सर के० वी० रेडी बीमार थे इस लिए भारत सरकार ने मि० जे० डी० टाइसन आई० सी० एस० को उक्त कमेटी के सामने भारतीयों के हितों को उचित रीति से रखने तथा भारतीयों की अन्य रीति से सहायता करने के लिए भेजा। कमेटी की रिपोर्ट भारतीयों के हितों के विरुद्ध थी और भारत सरकार ने तथा भारतीयों ने घोर विरोध किया। इसलिए कुछ काल के लिए वे क़ानून यूनियन पार्लीमेन्ट में पेश होने से रोक दिये गये। यूनियन सरकार इस बात पर राज़ी होगई कि "केपटाउन एग्रीमेन्ट १९२७" के संबंध में भारत सरकार और यूनियन सरकार के प्रतिनिधियों की होने वाली कानफ्रेन्स तक इस पर विचार स्थागित कर दिया जावे।

उक्त कान्फ्रेन्स के भारतीय सदस्य सर फ़ज़ले हुसैन (लीडर) श्रीमती सरोजिनी नायडू, सर निओफ्रे कोरबेट, सर डारसी लिंडसे, श्री० गिरजाशंकर बाजपेयी, तथा सर के० बी० रेडी थे। कान्फ्रेन्स सन् १९३२ के जनवरी-फरवरी मासों में हुई।

कान्फ्रेन्स के प्रस्तावों का सार निम्न लिखित है–(१) केपटाउन एग्रीमेन्ट १९२७ को दोनों सरकारों ने मित्रता का तथा भारतीय हितों की रक्षा का उचित कारण समझा (२) ८० प्रति शत भारतीय जो दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं वहीं पैदा हुये हैं। इस कारण दक्षिण अफ्रीका की यूनियन सरकार की योजना कि भारतीय भारत को शनैः शनैः वापिस भेज दिये जावें अब असम्भव हो गई है। भारत के बाहर ही उन्हें ज़मीनें देकर बसाने के प्रश्न पर विचार किया गया। भारत सरकार और यूनियन सरकार दोनों भारत के भारतीयों को तथा दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों को दूसरे देशों

में बसाने के लिये योजनाओं पर विचार करेंगी। (३) उक्त एग्रीमेन्ट के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं समझी गई।

उपरोक्त प्रस्तावों से स्पष्ट है कि सब प्रयत्नों द्वारा भारतीयों को दक्षिण अफ्रीका से निकालने तथा उनकी कमाई हुई तथा उनके कठिन परिश्रम द्वारा बनाई हुई भूमि ले लेने का निश्चय यूनियन सरकार ने कर लिया है।

ट्रान्सवाल एशियाटिक लैंड टिन्योर ऐक्ट में भी कुछ परिवर्तन किया गया है जिससे भारतीयों के हितों की कुछ रक्षा हुई है किन्तु फिर भी उसकी धारायें संतोषजनक नही हैं। (१) वह धारायें जिससे एशियाटिकों को विशिष्ट आबादी में ही भूमि तथा निवासस्थान मिल सकेंगे हटा दी गई हैं (२) गोल्ड लॉ द्वारा जो भूमि-प्राप्ति सम्बन्धी निषेध एशियाटिकों के लिये हैं उनमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है और इन्टीरियर के मिनिस्टर को अधिकार दिया गया है कि वह किसी भूमि को "गोल्ड लॉ" के आक्रमण से बचादे। (३) एशियाटिक कम्पनियों की स्थावर सम्पत्ति जो १ मई १९३० ई० से पहिले प्राप्त की गई हो, अथवा किसी एशियाटिक के नाम पर रजिस्टर्ड हो वह सुरक्षित रहेगी। (४) कम्पनियों के भाग (Shares) जो किसी एशियाटिक के पास १ मई १९३२ के पहिले से हैं सुरक्षित रहेंगे। (५) १ मई सन् १९१९ ई० से १ मई १९३० ई० तक एशियाटिकों ने जो नई भूमियाँ लेली हों वे भी सुरक्षित रहेंगी। (६) अन्य स्थानों में जो "गोल्ड लॉ" के अनुसार एशियाटिकों के लिये निषिद्ध न थे किन्तु "गोल्ड-लॉ" के अन्तर्गत कर दिये गये थे। (७) स्थानिक संस्थाओं की जगह सरकारी अफ़सरों को एशियाटिकों को व्यापारी सार्टीफिकेट देने का अधिकार दिया गया है। मजिस्ट्रेट तथा प्रान्तीय अदालत को अपील करने का भी मार्ग रक्खा गया है।

दक्षिण अफ्रीका की इंडियन कांग्रेस ने इस ऐक्ट का घोर विरोध किया और "सविनय आज्ञा भंग" (Passive Resistance) करने का भी निश्चय किया। यूनियन सरकार ने एक कमीशन नियुक्त किया।

सर के० वी० रेडी के रिक्त स्थान पर कुंवर सर महाराजसिंह की नियुक्ति हुई। सन् १९३५ तक वे रहे और उनके स्थान पर सैयद रज़ा अली नियुक्त हुये।

केनया उपनिवेश।

अफ्रीका के केनया ब्रिटिश उपनिवेश की उन्नति का कारण भी भारतवासी हैं। भारतीयों ने बेहड़ जंगलों को उपजाऊ उद्यान में परिवर्तित कर दिया है। सन १९३१ की

गणनानुसार इस उपनिवेश में भारतीयों की संख्या ३६,६४४ थी।

उपनिवेश में भूमि तैयार हो जाने पर ब्रिटिश सरकार तथा उपनिवेश के ब्रिटिश निवासियों ने भारतीयों के स्वत्वों पर प्रतिबंध लगाना आरम्भ कर दिया। भारतीयों के मुख्य कष्टों का विवरण भारत सरकार के ता० २१ अक्तूबर १६२० के पत्र में है। जो संक्षेप में इस प्रकार थे (१) भारतीयों को मताधिकार (Franchise) प्राप्त नहीं है। भारत सरकार ने इस माँग का अनुमोदन किया था। (२) पृथक्करण (Segregation) अर्थात् अन्य निवासियों से भारतवासी अलग बसाये जाते थे। प्रो० सिम्पसन ने इस पृथक्करण के पक्ष में लिखा था। भारत सरकार ने इसका विरोध किया। (३) उच्च भूमि (Highlands) भारतीयों को न दी जावे। लार्ड एलगिन ने १६०८ में इसका निर्णय कर दिया था और इस समय ग़ैरयूरोपियनों को भूमि देना ग़ैरक़ानूनी बना दिया गया था। भारत सरकार का कहना था कि जब ऐसी सब भूमि दी जा चुकी है तो लार्ड एलगिन का निर्णय अब लागू नहीं हो सकता। (४) स्थायी प्रवेश (Immigration) भारतीयों के लिये बन्द करना। भारत सरकार ने इसे भी अयोग्य बताया।

जुलाई १६२३ में ब्रिटिश सरकार ने उपरोक्त माँगों पर फ़ैसला देते हुए कहा कि अफ्रीका निवासियों (African natives) के ही हित सर्वोच्च माने जावेंगे। निर्णय संक्षेप में क्रमानुसार इसप्रकार दिया गया।

(१) मताधिकार—साम्प्रदायिक मताधिकार बनाया गया। चुने हुए यूरोपियन ११, चुने हुए भारतीय ५, नियोजित अरब १, अफ्रीकनों का १ पादरी प्रतिनिधि, और नियोजित सरकारी कर्मचारियों की बहुसंख्या (Official majority).

(२) पृथक्करण—भारतीय और योरोपियनों के बीच पृथक्करण की नीति त्याग दी गई।

(३) उच्चभूमि—वर्तमान नीति क़ायम की गई।

(४) स्थायी प्रवेश—इसका प्रतिबंध अस्वीकृत किया गया। किंतु अफ्रीकनों के हितों की रक्षा के निमित्त यह बताया गया कि भविष्य में कुछ प्रतिबंध अवश्य रक्खा जावे। केनया तथा उगन्डा के गवर्नरों की इस पर सूचनायें माँगी गईं।

१८ अगस्त १६२३ ई० के प्रस्ताव द्वारा भारत सरकार ने उक्त निर्णय पर अपना असंतोष प्रकट किया। मताधिकार के सम्बन्ध में तो क़ानून बन गया किंतु "स्थायी प्रवेश" के सम्बन्ध में भारत सरकार की प्रार्थना

पर ब्रिटिश सरकार के उपनिवेश मंत्री ने बिल रोक दिया। मार्च १९२४ में एक कमिटी नियुक्त हुई और उसकी सिफ़ारशों के सम्बन्ध में ७ अगस्त १९२४ ई० को उपनिवेश मंत्री ने हाउस आफ़ कामन्स में एक वक्तव्य दिया। भारतीयों के लिये वक्तव्य में कुछ भी लाभदायक भाग नहीं था। ब्रिटिश सरकार ने जून १९२४ में एक "ईस्ट अफ्रीकन कमेटी" (लार्ड साउथबरो की अध्यक्षता में) नियुक्त करने की घोषणा की किंतु मेजर औरमस्वीगोर की अध्यक्षता में जो कमीशन ईस्ट अफ्रीका गया था उस की रिपोर्ट प्रकाशित होने से लार्ड साउथवरो की कमेटी का काम स्थगित कर दिया गया। सन् १९२७ में केन्या लेजिस्लेटिव कौंसिल ने योरोपियनों और भारतीयों पर ४० शिलिंग और २० शिलिंग क्रमशः का पोल टैक्स लगाया। यह टैक्स उनकी शिक्षा के ख़र्च के लिये लगाया गया था।

जुलाई सन् १९२७ में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कमीशन नियुक्त किया गया। पूर्वी तथा मध्य अफ़रीकन सरकारों के बीच अधिक सहयोग के मार्गों को सूचित करना इसका कर्तव्य था। केनया के भारतीयों को इससे बड़ी चिन्ता उत्पन्न हुई। १७ सितम्बर १९२७ को दोनों केन्द्रीय व्यवस्थापक सभाओं का एक शिष्ट मडल वाइसराय से मिला और उसने प्रार्थना की कि उक्त कमीशन के सामने गवाही पेश करने तथा भारतीयों को सहायता देने के लिए भारत सरकार एक शिष्टमंडल (Deputation) नियुक्त करे। सरकार ने इसे मंजूर किया और कुंवर सर महाराजसिंह और मि० आर० बी० युबेङ्क सरकारी अफसर ईस्ट अफ़रीका भेजे गये और उक्त सज्जनों ने केनया, उगंडा, जंजीबार और टैंगनिका में भ्रमण किया। उपरोक्त कमीशन के अध्यक्ष सर एडवर्ड हिल्टनयंग नियक्त हुये थे। इस कमीशन की रिपोर्ट १८ जनवरी १९२९ को प्रकाशित हुई। ब्रिटिश सरकार ने मार्च १९२९ में सर सेम्युअल विलसन (उपनिवेशों के अन्डर सेक्रटरी) को ईस्ट अफ्रीका भेजा कि हिलटनयंग कमीशन की शिफारिशों की दृष्टि से स्थिति की जांच करें। भारत सरकारने कोलोनियल सेक्रटरी के निमंत्रण पर श्रीयुत श्रीनिवास शास्त्री को भारतीयों के दृष्टि कोण को सर सेम्युअल विलसन के सामने रखने के लिये भेजा। जून १९२९ में लौट कर श्री० श्रीनिवास शास्त्री ने अपनी रिपोर्ट पेश की और अनेक सूचनायें दीं। सितंबर १९२९ में ईस्ट अफ्रीका से एक शिष्टमंडल भारतीयों का आया जिसफे सदस्य श्री जे० बी० पांड्या,

मि० सी०पी० हाला, और मि० ईश्वर दास थे। शिष्ट मंडल के साथ श्री० हृदयनाथ कुंजरू, सर पुरुषोत्तमदास ठाकुर दास, सर फ्रैंक नोयस और मि० ए० बी० रीड भी सर फज़ले हुसैन (गवर्नमेंट मेम्बर) से मुलाकात के समय उपस्थित थे। भारतीयों की मांगें मुख्य २ यह थीं (१) केनया में सम्मिलित मताधिकार(२) ईस्ट अफ्रीका में एक ट्रेड कमिश्नर की भारतीयों की व्यापारी रक्षा के लिये नियुक्ति (३) शिक्षाका सुप्रबंध (४) केनया में भारतीयों को भूमि लेने में सुविधा (५) भारतीयों को उच्च पदों की प्राप्ति। (६) पृथककरण (Segregation) का विरोध तथा (७) भारत सरकार १ सदस्य नियोजित करदे जो शिष्टमंडल के साथ इङ्गलैंड जावे ताकि ब्रिटिश सरकार के सम्मुख भारतीयों की मांगें पेश की जा सकें। स्टैंडिंग एमेग्रेशन कमेटी की बैठकों में शिष्टमंडल उपस्थित हुआ और भारत सरकार ने अपने निश्चयोंकी सूचना ब्रिटिश सरकार को दी। नवम्बर १६३० में पार्लीमेंट ने एक सिलेक्ट कमेटी क़ायम की जिसकी रिपोर्ट १६३२ में प्रकाशित हुई किन्तु भारतीयों का लाभ नहीं हुआ। सन् १६२७ में म्युनिसिपालिटियों में भी भारतीयों को प्रतिनिधित्व कम देने का प्रयत्न किया गया। यह भी असंतोष का कारण है। सन् १६२८ में जो एक्ट पास हुआ उसने भी असंतोष नहीं घटाया।

केनया कोलोनी में भारतीयों को बड़े कष्ट हैं उन्हें उचित अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

फिजी तथा ब्रिटिश गायना।

सन् १६३२ में फिजीद्वीप में भारतीयों की संख्या ७८६७५ और ब्रिटिश गायना में १३४०५६ थी।

सन् १६१७ के "डिफेन्स आफ़ इन्डियां (कन्सालीडेटेड) रूल्स के अनुसार फिजी में भारतीयों का जाना रोक दिया गया। सन् १६१६ में फिजी सरकार ने भारत सरकार से भारतीयों के पुनरागमन के लिये लिखा पढ़ी आरंभ की और एक शिष्ट मंडल भी भारत में आया और उनकी सूचनायें केन्द्रीय कौंसिल की एक कमेटी के सुपुर्द की गईं। २ जनवरी १६२० से फ़िज़ी सरकार ने भारतीय मजदूरों की प्रतिज्ञायें (Indentures) समाप्त कर दीं और यह प्रकट किया कि भारतीयों को व्यवस्थापिक सभा (Legislative Council) में भी प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। उपरोक्त कमेटी ने यह शिफारिश की कि यदि प्रवासी भारतीयों को फ़िजी में अन्य प्रजा के साथ समानाधिकार प्राप्त होंगे तो भारतवासी पुनः आने को तैयार है। इसी बीच में फ़िजी सरकार ने सहस्रों की संख्या में

भारतवासियों को भारतको वापिस भेज दिया। देश में आने पर इन भारतीयों को काम मिलने में बड़ी कठिनाई हुई और उन्हें बड़े कष्ट हुये। सार्वजनिक कार्यकर्ताओं ने तथा समितियों ने सहायता पहुंचाने के अनेक प्रयत्न किये। भारत सरकार द्वारा फ़िजी जाने के प्रतिबन्ध कम कर दिये गये और ऐसे प्रवासी भारतीयों को जो वहां पैदा हुए थे अथवा जिनकी वहां जायदाद थी वापिस जाने की अनुमति दी।

फ़रवरी १९२९ में फिजी का नया शासन विधान प्रारम्भ हुआ जिसमें जातीयता के अनुसार भारतीयों को ३ सदस्यतायें दी गईं। भारतीयों ने इसका विरोध किया और सम्मिलित चुनाव पद्धति की माँग की। इन तीनों सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। सन् १९३२ के चुनाव में १ सदस्यता पर कोई भी भारतीय खड़ा नहीं हुआ और दो पर जो चुने गये उन्होंने भी त्याग-पत्र दे दिया।

ब्रिटिश गायना में प्रवासी भारतीय केवल मज़दूर ही हैं और उनके कष्ट अधिकतर आर्थिक हैं। सन् १९१९ में डा० जे० जे० न्युनन और श्री जे० ए० लक्खू (भारतीय) भारत में आये और उन्होंने भारतीयों द्वारा ब्रिटिश गायना बसाने की एक योजना रक्खी। सन् १९२२ में श्री वेङ्कटेशनारायण तिवारी, दीवान बहादुर पी० केशव पिल्ले तथा मि० कीटिंज भारत सरकार की ओर से ब्रिटिश गायना भेजे गये। २१ जनवरी १९२४ को दो रिपोर्टें प्रकाशित की गईं। बाद को कुंअर सर महाराजसिंह भी ब्रिटिश गायना भेजे गये।

ब्रिटिश गायना में प्रवासी भारतीयों को समानाधिकार प्राप्त हैं।

केनाडा डोमिनियन—केनाडा के नौ प्रान्तों में से ८ प्रान्तों में स्थायी (Domiciled) भारतीयों को समान मताधिकार प्राप्त है।

न्यूजीलैंड—न्यूजीलैंड में अन्य ब्रिटिश प्रजा के समान ही भारतीयों को अधिकार प्राप्त हैं। भारतीयों की संख्या केवल ११९९ है।

आस्ट्रेलिया—आस्ट्रेलिया में अभारतीयों को जो स्थायी निवासी (Domiciled)हो चुके हैं कामनवेल्थ मताधिकार प्राप्त हैं।

ज़ंज़ीबार—भारतीयों को व्यापारी उन्नति को रोकने के लिये ज़ंज़ीबार सरकार ने, जो ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत है, अनेक क़ानून बनाने आरम्भ कर दिये। फल स्वरूप भारतीयों ने अपने स्वत्वों की रक्षा के लिये आन्दोलन किया। ब्रिटिश सरकार ने मि० बाइन्डर को जाँच के लिए इंगलैंड से एप्रिल १९२९ में भेजा।

मि० बाइन्डर ने अपनी रिपोर्ट द्वारा ज़ंज़ीबार सरकार का ही समर्थन किया। भारतवर्ष तथा ज़ंज़ीबार के भारतीयों को अत्यन्त असंतोष हुआ।

ज़ंज़ीबार के व्यापार तथा उद्योग की उन्नति भारतीयों के परिश्रम का फल है और विशेषतः लौंग की खेती तथा व्यापार उन्हीं के हाथों में है। सब उपनिवेशों में ब्रिटिश साम्राज्य की यह नीति है कि उपनिवेशों की उन्नति के प्रारम्भिक काल में जब अधिक परिश्रम, साहस, और सहिष्णुता आदि की आवश्यकता होती है भारतीयों को सब प्रकार की सुविधा तथा प्रोत्साहन दिया जावे और जब उपनिवेश उन्नत होकर फलने फूलने लगे उस समय वहाँ से शनैः शनैः हटाया जावे। यही नीति यहीं भी बरती जा रही है। सन १९३७ के आरंभ में ज़ंज़ीबार सरकार ने नये कानूनों के चार मसविदे प्रकाशित किये जिनसे भारतीयों के व्यापारी स्वत्वों का पूर्णतया नाश ही है—(१) अरब और अफ्रीकनों की जितनी ज़मीन रहन है उनके रहननामे मोल ले लिये जावें अथवा उन सब ज़मीनों का मुनाफा उठाने के लिये अमीन नियत कर दिये जावें जिससे रहन का रुपया चुक जावे। (२) अरब तथा अफ्रीकनों द्वारा जमीनों का बेचना अथवा रहन रखना बंद कर दिया जावे। (३) जमीनों पर अधिकार स्थायी रूप से निश्चित कर दिये जावें। (४) लौंग की खरीद, बिक्री, तथा निर्यात पर प्रतिबंध तथा नियंत्रण क़ायम किया जावे।

उक्त मसविदों (Bills) में भारतीयों का नाम नहीं रखा गया है किन्तु उनका उद्देश्य भारतीयों को जमीनें न मिलने देना तथा उनका व्यापार छीन लेना ही है।

भारत सरकार भी उक्त बिलों का विरोध कर रही है और भारतवासी तथा जंज़ीबारी भारतीय तीव्र विरोध कर रहे हैं और भारत में लौंग के उपयोग का बायकाट भी हो रहा है। फलत: बिल कुछ काल के लिये स्थगित कर दिये गये हैं।

जगत का जनसमाज ।

जगत का जनसमाज

———:o:———

जगत के विभिन्न देशों की जन-संख्या।

देश	संख्या
योरुप	५७,४२,७४,४६५
उत्तरी अमेरिका	१७,४३,७५,२७६
दक्षिणी अमेरिका	८,७३,६८,०२५
एशिया	१,१४,७७,०७,४५५
अफ्रीका	१५,६५,७६,७८६
आस्ट्रेलिया इत्यादि	८,१६,८२,८५६
कुल ...	२,२२,२०,१४,६०२

अफ्रीका

देश	संख्या
एबीसीनिया	५५,००,०००
अलजीरिया	७०,००,०००
अन्य ब्रिटिश उपनिवेश	३,६६,७४,५३५
मिश्र	१,५२,८१,०००
फ्रेंच अफ्रीका	५,६८,२१,०००
इटैलियन अफ्रीका	२४,५६,२५४
बेलजियम काङ्गो	१,००,००,०००
लायबेरिया	२०,००,०००
मोरोको	५०,००,०००
पुर्तगीज़ अफ्रीका	७०,५६,०००
यूनियन आफ साउथ अफ्रीका	८४,८८,०००
कुल ...	१५,६५,७६,७८६

एशिया

देश	संख्या
अफ़गानिस्तान	६३,८०,०००
अरब	१,००,००,०००
भूटान	२,५०,०००
अन्य ब्रिटिश उपनिवेश	१,१४,६६,०००
चीन	४५,८८,१५,२८५
फ्रेंच उपनिवेश	२,४४,६७,६१४
भारतवर्ष	३५,३८,३७,७७८
ईराक़	३०,००,०००
ईरान	१,५०,५५,११५
जापान	६,७६,६४,६२८
कोरिया और फारमोसा	२,६०,००,०००
जापान के अधिकार में	१७,२५,०००
मैनचूको	३,४२,४४,६०८
नैपाल	५६,००,०००
फिलिस्तीन	११,००,०००
पुर्तगीज़ एशिया	११,८६,०००
सोवियट रूसी एशिया	५,४०,००,०००
श्याम	१,२३,५५,०००
तिब्बत मंगोलिया	३०,००,०००
एशियाई तुर्किस्तान	१,२०,००,०००
कुल ...	११३२१८३३२८

जगत के विभिन्न देशों की जन संख्या। (चालू)

आस्ट्रेलिया इत्यादि

देश	संख्या
आस्ट्रेलिया	६६,६८,१९५
डच ईस्ट इण्डीज़	६,०७,३१,०२५
फ़िजी द्वीप समूह	१,९३,२३८
ग्वाम	१९,८००
हवाई	३,७८,९४३
न्यू केलेडोनिया और तहती	९३,०६५
न्यूगायना	४,०६,३४४
पैसेफिक द्वीप (ब्रिटिश)	५,४४,०००
फिलीपाइन द्वीप	१,२५,९०,३६९
समोअन द्वीप (ब्रिटिश)	४७,८२०
समोअन द्वीप यू० एस०	१०,०५५

दक्षिणी अमेरिका

देश	संख्या
अरजेण्टाइना	१,२०,५५,४६९
बोलीविया	३०,००,०००
ब्रेज़ील	४,५०,००,०००
चिली	४४,३३,०००
कोलम्बिया	९०,१६,०००
ईक्वेडोर	२६,००,११६
गायना (ब्रिटिश)	३,१८,०००
गायना (डच)	२,२७,६५७
गायना (फ्रेंच)	३३,०००
पैरागुई	८,००,०००
पेरू	४५,००,०००
ट्रिनीडाड	४,१२,७८३
उरूगाई	१९,७५,०००
वेनेजुला	३०,२७,०००

योरुप

देश	संख्या
अलबेनिया	१०,००,०००
आस्ट्रिया	६७,६९,०६२
बेलजियम	८२,४७,९५०
बलगेरिया	६०,९०,२१५
जेकोस्लोवेकिया	१,४७,३०,०००
डैंनजिग	४,०७,५१७
डेनमार्क	३५,६०,०००
इंगलैण्ड	३,७७,९४,००३
इस्टोनिया	११,२६,३८३
फिनलैण्ड	३६,४०,०००
फ्रान्स	४,१८,३४,९२६
जर्मनी	६,५३,०६,१३०
जिब्राल्टर,माल्टा,गोज़ो	२,६७,०००
यूनान	६६,२०,०००
हंगैरी	८७,८३,९१८
आइसलैण्ड	१,००,०००
आइरिश फ्री स्टेट	३०,००,०००
इटैली	४,२४,२५,०००
लैटविया	१९,३९,०००
लिशटेन्स्टीन	१०,३०३
लिथोनिया	२४,५१,१७३
लक्सेम्बर्ग	२,९९,९९३
मोनैको	२२,९९४
नेदरलैण्डस	८२,९०,३८९
उत्तर आयरलैण्ड	१२,५१,०००
नार्वे	२८,४५,०००
पोलैण्ड	३,३२,२१,०००

जगत के विभिन्न देशों की जन-संख्या । (चालू)

देश	संख्या
पुर्तगाल	६८,२५,८८३
रूमानिया	१,८१,६१,६४५
सैनमैरीनो	१३,६६०
स्काटलैण्ड	४८,४२,६८०
स्पेन	२,८७,१६,१७७
स्वेडन	६२,११,५६६
स्विटज़रलैण्ड	४१,२५,०००
टर्की	१,७५,००,०००
यू. एस. एस. आर	१६,८०,००,०००
वेल्स	२१,५८,१६३
यूगोस्लेविया	१,४२,८०,०००

उत्तरी अमेरिका

देश	संख्या
अलास्का	५६,२७३
बरमूडाज़	२७,७८६
कैनेडा	१,०६,८१,०००
कोस्टारायका	५,१६,०००
क्यूबा	३७,००,०००
कुराकोआ	७६,२६६
डोमीनियन रिपब्लिक	१४,७८,०००
फ्रेञ्च दीप	५,०५,६८८
ग्रीनलैण्ड	१६,६३०
गेटमला	२२,४५,६६३
हेटी	२७,००,०००
होण्डूराज	९,७५,०५०
होण्डूराज (ब्रिटिश)	५२,६४५
जमायका	१०,६०,०००
मेक्सिको	१,७१,८४,०००
न्यूफाउण्डलैण्ड	२,८२,०००
नायकारेगा	९,५०,०००
पनामा	४,४२,०००
पनामाकेनाल ज़ोन	३०,६६०
पुर्टोरिका	१६,१०,०००
सैल्वेडोर	१५,२२,१८६
यूनाइटेडस्टेटस्	१२,६५,६४,०००
वर्जिन आयलैण्ड्स आफ़ यू० एस०	२२,०१२
वेस्ट इण्डीज़ (ब्रिटिश)	२०,४३,७८६

संसार की जनसंख्या (धर्मानुसार)

धर्म	जनसंख्या
ईसाई धर्म	६५२४००००००
रोमन कैथोलिक	३३,१५,००,०००
आर्थोडाक्स ,,	११,४०,००,०००
प्रोटेस्टैण्ट्स	२०,६६,००,०००
यहूदी	१,५३,१५,३५६
मुसलमान	२७,६०,२०,०००
बौद्ध	१५,०१,८०,०००
हिन्दू	२३,०१,५०,०००
कन्फ़्यूशियन्स	३५,०६,००,०००
शिण्टोइस्टस्	५,२०,००,०००
एनीमिस्टस्	१३,५६,५०,०००
अन्य	५,०८,७०,०००
कुल	१,८१,६१,८५,३५६

संसार की जनसंख्या (भाषा के अनुसार)

भाषा	जनसंख्या	भाषा	जनसंख्या
चीनी	४७,५०,००,०००	अल्बेनियन	१०,०४,०००
अंग्रेजी	२४,४९,९५,५००	बोयनियन	७१,००,०००
हिन्दी तथा अन्य		बल्गेरियन	५५,००,०००
भारतीयभाषाएँ	२१,६०,००,०००	डैनिश	३६,५९,८७०
जर्मन	७,८२,३३,१४२	इस्टोनियन	११,२०,०००
फ्रेंच	६,२४,१०,०४५	फ़िनिश	३०,२२,२५७
बंगाली	५,३४,६८,४६९	फ़्लेमिश	८५,००,०००
अरबी	२,९०,२१,४९६	ग्रीक	६४,८०,०००
जेकोस्लेवक	१,५०,००,०००	हंगेरियन	८६,८८,३४९
डच	१,५६,५२,९४९	एथियोपिक गैलागीज़	
गुजराती	१,०८,४९,९८४	एम हैरिक और टीगर	
अफ़ग़ान	१,१०,००,०००	सहित एबीसीनियन	५५,००,०००

संसार के मुख्य मुख्य नगरों की जन संख्या।

नगर	संख्या	नगर	संख्या
अलेक्ज़ेण्ड्रिया	५,७३,०६३	ब्रुसेल्स	९,६६,००६
ऐम्स्टरडेम	७,७८,०००	बुडापेस्ट	१३,५०,०००
अंगोरा	१,२०,०००	बुकारेस्ट	६,७०,०००
एथेन्स	४,५२,९१८	बुनसएरीज़	२२,३०,९४६
बग़दाद	२,५०,०००	कैरो	१०,६४,५६७
बेंगकोक	५,४१,०००	कलकत्ता	१४,१९,३२१
बार्सीलोना	१०,५०,०००	कैण्टन	१०,५०,०००
बटेविया	४,३५,१८४	शिकागो	४९,५५,०००
बेल्फ़ास्ट	४,१५,०००	कोलोन	७,५८,०००
बर्लिन	४२,४२,५००	कोलम्बो	२,८४,१५५
बर्मिंघम	१२,००,०००	कोपेनहेगेन	८,३१,२१८
बम्बई	११,५७,०५२	ड्रेस्डेन	७,२६,०००
ब्रेसला	६,२५,००३	देहली	४,४७,४४२
ब्रिस्टल	४,१५,०००	डब्लिन	४,२४,०००

संसार के मुख्य मुख्य नगरों की जन संख्या। (चालू)

नगर	संख्या	नगर	संख्या
एडिनबर्ग	४,४२,०००	नैनकिंग	१०,०१,८०१
जिनेवा	६,२०,०१३	नेपिल्स	१०,००,०००
ग्लासगो	११,६०,०००	ओडेसा	४,८५,२००
हेग	५,८०,०००	ओसाका	२६,६०,८८०
हैम्बर्ग	१६,४३,०००	पेरिस	४६,३०,५००
हैंको	७,७७,६१३	पेपिंग	१५,२०,०००
इस्तमबुल	८,८३,४११	प्रेग	६,१०,०००
कोबे	६,१२,१४०	रियोडीजानीरो	१७,१७,०००
कियोटो	१०,८६,५६२	रोम	१०,४५,०००
लीड्स	५,१२,०००	सैण्टियागो	१३,३३,०५८
लिपज़िग	७,६६.०००	सम्रोपाल्स	१०,०६,४०७
लेनिनग्रेड	२८,४०,०००	शंघाई	३५,००,०००
लिस्बन	६,३०,०००	सिंगापुर	५,६६,६०२
लिवरपूल	११,६६,०००	स्टाकहाल्म	५,१६,७११
लंदन	८४,०१,०००	सिडनी	१२,४६,०४०
मैड्रिड	१०,४८,०७२	तेहरान	३,२०,०००
मेंचेस्टर	११,००,०००	टेन्स्टिन	१३,८७,४६२
मेक्सिको	११,०००,००	टोकियो	५८,७५,३८८
मिलन	१०,५३,०००	टोरण्टो	७,५७,०००
माण्ट्रियल	१०,१७,०००	ट्यूरिन	६,२२,७६१
मास्को	३६,६३,३००	वियना	१८,६५,७८०
म्यूनिच	७,३८,०००	वारसा	१२,२५,४५१
न्यूयार्क	७३,६३,६२४	याकोहामा	७,०४,२६१
नोगोया	१०,८२,८१४		

विदेशों में भारतवासी।

ब्रिटिश साम्राज्य।

देश	भारतीय जन सङ्ख्या
लङ्का (सीलोन)	६५०५७७
स्टेट्स सेटिलमेंट्स	१०४६२८
फेडेरेंटेड मलाया स्टेट्स	२०५२१९
ब्रिटिश मलाया	६२४००९
होंगकोंग	२५५५
मौरीशस	२६५७९६
सिचलीज	३३२
जिवराल्टर	५०
नाइगेरिया	१००
कीनिवा	३९६४४
उगण्डा	१३,०२६
नयासालेंड	८०५
जन्जीवार	१४२४२
टेङ्गानिका राज्य	२३४२२
जमैका	१७९५०
ट्रीनीडाड	१४०६८९
ब्रिटिश गांयना	१३४०५९
फिजी द्वीप	७८९७४
वसूटीलेंड	१७२
स्वाजीलेंड	७
उत्तरी रोडेशिया (एशियाटिक)	५६

देश	भारतीय जन सङ्ख्या
दक्षिणी रोडेशिया (एशियाटिक)	१७००
केनाडा	१२२९११
आस्ट्रेलिया	२०००
न्यूजीलेंड	११६६
नैटाल	१५०९२०
ट्रान्सवाल	१५७४७
केप कोलोनी	६६५५
ओरेंजफ्रीस्टेट	१२७
न्यूफाउन्ड लेंड	६००
यूनाईटेड स्टेट अम्रीका (एशियाटिक)	३१७५
मैडागास्कर	५२७२
रियूनियन	२१९४
डच ईस्ट इण्डीज	५००००
सुरीनम	३४९५७
मुजम्बिक	११००
परशिया	३८२७

ब्रिटिश साम्राज्य में प्रवासी भारतीयों की संङ्ख्या २२, ३२, ६७६ है और अन्य विदेशों में संङ्ख्या १००, २२५ है कुल २३, ३३, २०१।

महात्मा गांधी

भारतवर्ष का संक्षिप्त इतिहास ।

भारतवर्ष का संक्षिप्त इतिहास

१—संक्षिप्त इतिहास

मातृभूमि अब्दकोश जैसे वार्षिक ग्रन्थ में भारतवर्ष के इतिहास का वर्णन विस्तृत नहीं हो सकता। और न उसकी आवश्यकता ही है। पाठकों की सुविधा के लिये घटनाओं को क्रमानुसार लिख दिया है। जहाँ तक सम्भव है हमने कोई महत्वपूर्ण घटना छोड़ी नहीं है। अल्प प्रयत्न से किसी भी घटना का वर्ष जाना जा सकता है। और यदि आद्योपान्त पढ़ लिया जावे तो भारतवर्ष के इतिहास का ज्ञान भी बहुत कुछ हो सकता है।

भारत के आधुनिक विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले इतिहास बहुधा बौद्ध काल से आरम्भ होते हैं। उसके पूर्व की घटनायें पाश्चात्य इतिहासकार दन्तकथायें कह कर टाल देते हैं। यदि देखा जावे तो भारत की सभ्यता का उत्कृष्ट काल उसके पूर्व ही समाप्त हो जाता है। बौद्ध काल के पश्चात् विदेशियों के आगमन से भारतीय सभ्यता के स्वरूप में परिवर्तन होना आरम्भ हो जाता है, यहाँ तक कि मुसलमानों के इस देश में आने की तिथि से तो देश में दो सभ्यताओं के द्वन्द्व से भारतीयों की प्रगति बन्द हो जाती है और भारतीय वैदिक संस्कृति, भारतीय कला कौशल, भारतीय विज्ञान इत्यादि के जीवन की इतिश्री सी हो जाती है। मुसलमानी काल से आज तक भारतीयों को अपनी प्राण-रक्षा और धर्म-रक्षा के प्रयत्नों से अवसर नहीं मिला कि वे अपनी असली आर्य सभ्यता को जो उपनिषद् काल में उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ चुकी थी कायम रखकर सारे जगत को उसका लाभ देते।

भारतीय विद्वानों के मतानुसार आज तक नौ अवतार—मत्स्य, कच्छ, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, रामचन्द्र, कृष्ण, बुद्ध—हो चुके हैं और दसवां अवतार कलङ्की भविष्य में होगा। सृष्टिकाल कृतयुग से आरम्भ होता है और फिर क्रमानुसार त्रेता और द्वापर के बाद कलियुग आता है जो इस समय वर्तमान है। वेद

अनादि हैं परन्तु सृष्टि में उनका आगमन कृतयुग ही में कहा जा सकता है क्योंकि श्रीराम का अवतार त्रेता में हुआ और वे वैदिक पुरुष थे ऐसा स्पष्ट है । विदेशी इतिहासज्ञों के मत भिन्न भिन्न हैं। कोई वैदिक काल को ई० स० के पूर्व ५००० वर्ष बताते हैं। कोई श्रीरामचन्द्र जी के काल को इतना ही समय व्यतीत होना बताते हैं। कोई इतिहासज्ञ महाभारत के काल को २००० वर्ष ई० स० के पूर्व अनुमान करते हैं। हम इन प्रश्नों के सुलझाने का प्रयत्न न कर केवल भारतीय प्राचीन मत को ही ग्रथित कर देते हैं। उद्देश्य यह है कि भारतीय विद्वानों का ध्यान इस ओर आकर्षित होकर कोई निश्चयात्मक अवधि बताई जा सके।

सृष्टि का आरम्भ।

१७,२८,०००वर्ष कृतयुग (सतयुग)का परिमाण। मच्छ, कच्छ, वराह, नृसिंह अवतार। महर्षियों द्वारा वेदों का जगत में आगमन। भारतीय सभ्यता का उन्नति काल।

१२,९६,००० वर्ष त्रेता का परिमाण। सूर्यवंशी क्षत्रियों का प्रावल्य राजा हरिश्चन्द्र सत्यवादी। वामन परशुराम और श्रीरामचन्द्र का अवतार। रावण लङ्काधीश की पराजय। आर्य जाति का दक्षिणी भारत में विस्तार।

८,६४,०००वर्ष द्वापरयुग का परिमाण। यदुवंशी क्षत्रियों का प्राबल्य। मथुरा के राजा कंस का अत्याचार और श्रीकृष्ण द्वारा मरण। कौरव पाण्डवों का महाभारत नामक महायुद्ध। युधिष्ठिराब्द का आरम्भ।

४,३२,००० वर्ष कलयुग का परिमाण जिसमें ५,०३९ वर्ष व्यतीत हुये।

आधुनिक विद्वानों के मतानुसार ऐतिहासिक घटनाओं का कालक्रम इस प्रकार है।

ई० पू०

५००० वैदिक काल का प्रारम्भ।

४००० श्रीरामावतार।

३१०२ युधिष्ठिराब्द का आरम्भ। कौरव पाण्डवों का महाभारत नामक युद्ध। श्रीकृष्ण द्वारा भगवद्गीता उपदेश।

१५०० रामायण तथा महाभारत ग्रन्थों का निर्माण होना।

७८० यूनान के साथ भारत का व्यापार।

६०० दारा का भारत पर आक्रमण।

५५७ महात्मा बुद्ध का जन्म।

५२२ महात्मा बुद्ध ने प्रचार आरम्भ किया।

४७७ महात्मा बुद्ध की मृत्यु।

२२७ सिकन्दर का भारत पर आक्रमण
३२२ सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण और सीरियन्स को हराना।
३०६ मेगस्थनीस (यूनानी प्रवासी) का भ्रमण। भारत की प्राचीन सभ्यता का विश्वसनीय वर्णन।
२९७ सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य की मृत्यु।
२६९ सम्राट अशोक का राज्यारोहण। ब्रिटिश साम्राज्य से अधिक विस्तृत साम्राज्य।
२५० सम्राट अशोक ने शस्त्रों द्वारा विजय बन्द कर दी।
२२४ सम्राट अशोक की मृत्यु।
२२० आन्ध्र राज्य की स्थापना।
५० बिक्रम सम्वत् आरम्भ।
ई० सन् का आरम्भ।
६८ यहूदी लोग रोग से पीड़ा पाकर भारतवर्ष की ओर भाग आये और मलाबार में बस गये।
१०० महाराज कनिष्क ने बौद्धों की बड़ी सभा की।
३२० गुप्तराज का उत्थान।
३४० समुद्र गुप्त भारत के महाराजाधिराज स्वीकृत हुये।
४०५–११ चीन यात्री फाहियान का भ्रमण।
४७३ आर्यभट्ट ज्योतिष के जन्मदाता का जन्म। पृथ्वी अपने धुरे पर घूमती है यह सिद्ध किया और सूर्य व चन्द्र ग्रहणों का कारण बताया।
४८० -९० गुप्तराजवंश का टूटना।
५०५ वराहमिहिर ज्योतिषी का जन्म।
५५० राजपूतों ने एक राज्य दक्षिण में स्थापित किया जो ११९० तक चला।
६०६ हर्षवर्धन का राज्यारोहण।
६२२ इस्लाम धर्म की स्थापना। हिजरी सन् आरम्भ।
६२९ –४५ चीनी यात्री ह्यून सांग का भ्रमण।
६४४ हर्षवर्धन ने ७५ दिन का मेला प्रयाग में आरम्भ किया जिसमें प्रतिदिन १०,००० बौद्ध भिक्षुओं को १०० सुवर्ण मुद्रा, १ मोती और एक कपड़ा दिया जाता था।
६४८ महाराज हर्षवर्धन की मृत्यु।
७०३ नेपाल व तिरहुत प्रदेश तिब्बत से निकाले गये।
७१२ अरबों ने मुल्तान और सिंध पर कब्जा कर लिया।
७१७ पारसियों का संजन बंदर (बम्बई से ६० मील उत्तर) पर पहुंचना।
७५० पालवंश बङ्गाल में स्थापित हुआ।
७८८ जगद्गुरु शङ्कराचार्य का जन्म।
९३३ दिल्ली शहर की स्थापना।
९७३ –१०४८ प्रसिद्ध इतिहासकार व वैज्ञानिक अलबरोनी।
९८६ पेशावर पर सुलतान गजनी ने कब्जा किया।
१००१ मुहम्मद गजनी का पहिला आक्रमण जैपाल की हार।

१००६ महमूद गजनी ने नगर कोट (काँगड़ा) को लूटा जहाँ उसे ७ लाख सुवर्ण मुद्रा ७०० मन सुवर्ण थाल, २०० मन सुवर्ण की ईंट,२००० मन चाँदी और बीस मन जवाहिरात, मोती, हीरे और लाल प्राप्त हुये।

१०२४ महमूद गजनीका १२वाँ आक्रमण। सोमनाथ (गुजरात) की लूट और मूर्ति का तोड़ना।

१०२८ -६० राजा भोज (पवार) ने मालवा में राज्य किया।

१०३८ राजा न्यायपाल (बंगाल) ने अतीसा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिये तिब्बत भेजा।

१०४६–११११ चन्देल राज्य. चन्देल राज्य के मुख्य स्थान खजराहो (छतरपुर स्टेट)महोबा (हमीरपुर) कालिञ्जर (बांदा) इस राज्य को जेजाक युक्ति (जिझौती) भी कहते थे।

११५८–७० वल्लाल सेन ने बङ्गाल के एक भाग पर राज्य किया।

११८२ परमाल चन्देल को पृथ्वीराज ने परास्त किया।

११८४ मुहम्मद गोरी का आक्रमण।

११६२ पृथ्वीराज की हार (मुहम्मद गोरी द्वारा) और उनकी हत्या। तराई का युद्ध।

११६६–१२०० वखत्यार खिलजी ने १८ घोड़े सवारों से बङ्गाल फतह किया।

१२०६ कुतुबुद्दीन ने गुलाम वंश का राज्य स्थापित किया। उर्दू भाषा का जन्म।

१२३० कुतुबमीनार तैयार हुई।

१२३६ रज़िया बेग़म का राज्यारोहण।

१२६० खिलजी वंश का आधिपत्य।

१२६८ अलाउद्दीन ने सोमनाथ को लूटा।

१३०३ चित्तौर गढ़ पर अलाउद्दीन की चढ़ाई। रानी पद्मिनी की वीरता।

१३१० खिलजियों ने मैसूर पर आक्रमण किया।

१३२० तुग़लक वंश का आरम्भ।

१३३६ विजय नगर में हिन्दू राज्य की स्थापना।

१३४२ भारतवर्ष भर में दुर्भिक्ष।

१३४७ दक्षिण भारत में मुसलमानों के बहमनी राज्य की स्थापना।

१३६८ तैमूरलङ्ग का आक्रमण।

१४१३ गुजराती कवि नरसिंह मेहता का जन्म।

१४५१ लोदी राज वंश की स्थापना।

१४६६ गुरू नानक का जन्म।

१४६८ वास्को डी गामा का आगमन।

१५२६ पानीपत का युद्ध। बाबर का राज्यारोहण। मुग़ल राज्य की स्थापना।

१५३० बाबर की मृत्यु।

१५३६ गुरूनानक की मृत्यु जलन्धर के पास ।

१५४० हुमायूँ दिल्लीसे भगाया गया । शेरशाह पठान का राज्यारम्भ ।

१५४२ अकबर का जन्म अमरकोट में ।

१५५५ हुमायूँ का वापस आना और अपना राज्य ले लेना ।

१५५६ अकबरका रज्यारोहण । पानीपत का द्वितीय युद्ध ।

१५६५ जज़िया टैक्स का बन्द होना ।

१५७५ चाँदबीबीने बीरता से अहमद नगर के किले की रक्षा की ।

१५७६ अकबर का नया धर्म ।

१५६१ शाहजहाँ का जन्म ।

१५६४ डच व्यापारियों का आगमन ।

१६०० ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना । चाँद बीबी का क़त्ल ।

१६०१ आदि ग्रन्थ गुरु अर्जुन ने समाप्त किया ।

१६०४ फ्रेंच व्यापारियों का आगमन

१६०५ अकबर की मृत्यु जहाँगीर का राज्यारोहण ।

१६०८ तुकाराम महाराष्ट्र कवि का जन्म ।

१६११ जहाँगीर की शादी नूरजहाँ के साथ ।

१६१३ जहाँगीर ने अंग्रेजी व्यापारियों को भारत का द्वार खोल दिया । सूरत में प्रथम अंग्रेजी कोठी ।

१६२३ तुलसीदासजी की मृत्यु ।

१६२७ शिवाजी महाराज का जन्म । जहाँगीर की मृत्यु, शाहजहाँ का राज्यारोहण ।

१६३० दक्षिण में और गुजरात में दुर्भिक्ष ।

१६३४ तख्तताऊस ७ वर्ष की मेहनत के बाद तैयार हुआ । ईस्ट इण्डिया कम्पनी को गंगा जी के किनारों पर व्यापार करने की आज्ञा ।

१६४८ शिवाजी ने तोरण किला ले लिया ।

१६५० शिवाजी ने कल्याण पर क़ब्ज़ा किया ।

१६५७ शाहजहाँ के लड़कों में आपसी युद्ध ।

१६५८ शाहजहां कैद हुये । औरंगज़ेब दिल्ली के बाहर बादशाह हुये ।

१६५६ चन्द्राब्द फिर से आरम्भ । औरंगज़ेब का राज्यारोहण । अफजल खाँ का शिवाजी द्वारा बध ।

१६६० शायिस्ताखाँ को शिवाजी ने परास्त किया ।

१६६१ पुर्तगाल ने बम्बई अंग्रेजों को दहेज में दी ।

१६६६ शाहजहां की मृत्यु । शिवाजी मुगल दरबार में गिरफ़्तार कर लिये गये लेकिन निकल भागे ।

१६६७ शिवाजी को औरंगजेब ने

राजा माना और शिवाजी ने अपने सिक्के चलाये।

१६७४ शिवाजी के स्वतन्त्र शासक होने की घोषणा तथा राज्यारोहण। पांडूचेरी की स्थापना (फ्रेंचद्वारा)।

१६७५ गुरु तेगबहादुर नवें गुरु औरंगज़ेब द्वारा बलि हुए।

१६८० शिवाजी महाराज की मृत्यु।

१६८६ ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने शासन आरम्भ करने की चेष्टा की।

१६९० चारनौक ने कलकत्ता बसाया। औरंगज़ेब ने अंग्रेजी कम्पनी को दण्ड दिया।

१७०० राजाराम महाराज की मृत्यु पर ताराबाई ने मराठी सत्ता अपने हाथ में ली। यूनाइटेड ईस्ट इण्डिया कम्पनी बनी। भारत के छपे हुये कपड़े इगलैंड में पार्लीमेंट के ऐक्ट द्वारा बन्द किये गये।

१७०७ औरंगजेब की मृत्यु और मुगल राज की इतिश्री आरम्भ।

१७०८ भारत में अंग्रेजी कम्पनियों का एकीकरण।

१७ ० सिखों का सशस्त्र उभरना।

१७१२ बहादुरशाह मुग़ल बादशाह की मृत्यु।

१७१४–२० बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवे।

१७१७ शाहु महाराजा का राज्यारोहण।

१७१९ मुग़ल बादशाह ने मराठों का चौथ बसूल करने का अधिकार स्वीकृत किया।

१७२० प्रसिद्ध बाजीराव प्रथम (पेशवा)।

१७२१ इङ्गलैण्ड में भारतीय बस्तुओं की मनाई की गई।

१७२४ बहुत से देशी राज्यों का निर्माण।

१७२५ फ्रेंच लोगों को माही मिला

१७२७ शाहु महाराज ने पेशवा को पूर्ण अधिकार दिये।

१७३७ मराठों का दिल्ली पर आक्रमण

१७३९ नादिरशाह का आक्रमण। पुर्तगाल का भारत में पतन।

१७४४ अंग्रेजों और फ्रेंचों की भारतवर्ष में लड़ाई।

१७४६ मद्रास फ्रान्स के कब्जे में।

१७४८ एक्सलाशेपल की सन्धि इङ्गलैण्ड और फ्रान्स के बीच।

१७४९ अंग्रेजी और फ्रांसीसी कम्पनियों के बीच युद्ध।

१७५१ अरकॉट का अंग्रेजों द्वारा घेरा। ओड़ीसा मरहठोंने लिया

१७५४ विदेशी कम्पनियों में समझौता। डुपले वापिस बुलाया गया।

१७५७ क्लाइव ने जाली संधि उमीचन्द के धोखा देने के लिये

बनाई। प्लासी का युद्ध। ब्रिटिश राज्य का आरम्भ। मीर ज़ाफर से अंग्रेजों को अटूट धन की प्राप्ति।

१७५८ क्लाइव गवर्नर हुआ। हैदर-अली मैसूर का राजा।

१७६० बांडीबाश की लड़ाई। फ्रेंच की हार।

१७६१ पानीपत का तीसरा युद्ध। मराठों की हार।

१७६३ फ्रेंच स्थान वापिस दिये गये

१७६४ अंग्रेजी फौज के देशी सिपाहियों का उभरना। २४ नेता तोप से उड़ा दिये गये।

१७६५ शाह आलम ने अंग्रेजों को दीवानी अख़्यारात दिये।

१७६८ इस्ट इण्डिया कम्पनी ने प्रयत्न आरम्भ किये कि बङ्गाल में कच्चा रेशम कते लेकिन बुना-वट का काम बन्द हो।

१७७० हैदरअली मरहठों से हार गया बङ्गाल में भयंकर दुर्भिक्ष। पहला बैङ्क खुला।

१७७२ वारन हेस्टिंग्स गवर्नर बङ्गाल। राजाराम मोहनराय, ब्रह्म समाज के संस्थापक का जन्म

१७७३ रेगुलेटिंग ऐक्ट पास हुआ।

१७७४ गवरनर जनरल का पद और सुप्रीम कोर्ट स्थापित। महाराजा नन्दकुमार की फांसी। हेस्टिंग्स ने अवध की बेगमों से धन लिया।

१७८० भारत में पहला समाचार पत्र 'हिक्कीज़ गज़ेट' प्रकाशित हुआ। महाराज रणजीतसिंह का जन्म। गवरनर जनरल को सुप्रीम कोर्ट से स्वतन्त्र बनाने का ऐक्ट पास हुआ!

१७८२ अंग्रेज़ों द्वारा पहिली शिक्षण संस्था की स्थापना। मि० 'हिकी' (सम्पादक पहिला समाचार पत्र) को जेल। हैदर अली की मृत्यु।

१७८८-९५ वारन हेस्टिंग्स पर पार्ली-मेन्ट में मुक़द्दमा।

१७८९ बम्बई का पहिला पत्र 'बम्बई हैरल्ड' प्रकाशित। 'कालीदास' के ग्रन्थों का अनुवाद विदेशी भाषा में।

१७९३ इसतमरारी बन्दोबस्त ऐक्ट पास हुआ।

१७९४ महादजी सिंदे की मृत्यु।

१७९५ श्रीमहारानी अहिल्यावाई होलकर की मृत्यु।

१७९९ चौथे मैसूर युद्ध का अन्त। टीपू सुलतान की मृत्यु।

१८०० मराठा राजनीतिज्ञ नाना फडणवीस की मृत्यु।

१८०२ वसीन की सन्धि। पेशवा ने महाराष्ट्र स्वातन्त्र्य का नाश किया।

१८०४ बङ्गाल स्टेट आफेंसेस रेग्यु-
लेशन पास हुआ जिससे
मारशल्ला की आज्ञा देने का
अधिकार सरकार को हुआ।

१८०६ वेलूर में बलवा।

१८१३ नया चार्टर (ईस्ट इण्डिया
कम्पनी)। कम्पनी को मजबूर
किया गया कि १ लाख रुपया
देशी विद्या तथा पाश्चात्य
विज्ञान की शिक्षा पर खर्च करे।
हिन्दुस्तानी रुई के माल पर
भारी कर इङ्गलैण्ड में लगाया
गया।

१८१७ अन्तिम मराठा युद्ध।

१८१८ बम्बई प्रान्त बनाया गया।
'समाचार दर्पण' देशी भाषा
(बङ्गाली) का पहिला पत्र,
रेग्युलेशन जिसके द्वारा सरकार
को यह अधिकार प्राप्त हुआ
कि किसी व्यक्ति को देश से
बिना मुकदमे के निकाल दे।

१८२० सिक्ख राज्य का उत्थान।

१८२४ स्वामी दयानन्द सरस्वती का
जन्म। एलफिन्स्टन की शिक्षा
सम्बन्धी प्रसिद्ध चिट्ठी।

१८२५ दादा भाई नौरोज़ी का जन्म।

१८२६ प्रथम ब्रह्मायुद्ध।

१८२८ ब्रह्मसमाज की स्थापना।

१८२६ सती प्रथा बन्द की गई।

१८३१ राजा मैसूर गद्दी से उतारे गये।

१८३३ ईस्ट इण्डिया कम्पनी को नया
चार्टर। शासन विधान में
परिवर्तन।

१८३४ कुर्ग अंग्रेजों ने लिया।

१८३५ कलकत्ता मेडीकल कालेज
स्थापित।
मुद्रकों की रजिस्ट्री का कानून
पास हुआ। इसके पहिले
गवर्नर जनरल से लाइसेन्स
लेना पड़ता था।

१८३६ योरोपियन लोग भी दीवानी
अदालत के अधिकार में किये
गये। योरोपियनों का आन्दो-
लन निष्फल।

१८३७ पहिला सार्वजनिक डाकखाना
खुला।

१८३६ महाराजा रणजीतसिंह की मृत्यु।

१८४३ सिन्ध अंग्रेजों ने लिया।

१८४५ प्रथम सिक्ख युद्ध।

१८४८ द्वितीय सिक्ख युद्ध।

१८४६ पञ्जाब अंग्रेजों के कब्ज़े में।
लगभग १२६,००० हथियार
छीने गये।

१८५१ भारत में प्रथम टेलीग्राम
लाइन।

१८५२ दक्षिणी ब्रह्म देश पर कब्ज़ा।

१८५३ पहिली रेलवे लाइन २६ मील
लम्बी बम्बई और थाना के
बीच में। अंग्रेजी शिक्षा का
प्रारम्भ।

१८५४ डाक के टिकट चलाए गये।
शिक्षा-विभाग की स्थापना।

सर चार्लस वुड का शिक्षा सम्बन्धी खलीता। व्यवस्थापक सभा की पहिली बैठक।

१८५५ ई० आई० रेलवे खोली गई।

१८५६ लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म।

१८५७-५८ स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध अथवा ग़दर (Sepoy Mutiny) महारानी लक्ष्मीबाई झाँसी की वीरतायुक्त मृत्यु। मुग़ल बादशाह कैद करके रंगून भेजे गये। यूनीवर्सिटी स्थापित हुई।

१८५८ भारतका शासन इंगलैंडके राजा के हाथ में आया। महारानी विक्टोरिया का घोषणा-पत्र प्रयाग में पढ़ा गया। इन्डियन नेव्ही (भारतीय जल सेना) तोड़ दी गई।

१८५९ तांत्या टोपे को फांसी।

१८६१ इण्डियन कौंसिल ऐक्ट पास हुआ। ग़ैर सरकारी सदस्य लिये गये। हाईकोर्ट स्थापित। कवि श्रेष्ठ रवीन्द्रनाथ टागोरका जन्म। मोती लाल नेहरू का जन्म।

१८६५ उड़ीसा में भयङ्कर दुर्भिक्ष १० लक्ष मनुष्यों की मृत्यु।

१८६७ किताबों की रजिस्ट्री का ऐक्ट पास हुआ।

१८६८ अमृतबाजार पत्रिका का प्रकाशन। कटक में मारशल्ला की घोषणा।

१८६९ महात्मा गान्धी का जन्म।

१८७० दफा १२४ ए पीनल कोड में जोड़ी गई।

१८७२ मालेर कोटला (पञ्जाब) में मारशल्ला की घोषणा। प्राथमिक शिक्षा का आरम्भ। लार्ड मेयो की पोर्ट ब्लेयर में हत्या।

१८७५ महाराजा गायकवाड़ (बड़ौदा) गद्दी से उतारे गये। युवराज (एडवर्ड सप्तम) का भारत में भ्रमण। आर्यसमाज स्थापित।

१८७६ रेलवे कान्फ्रेंस आरम्भ। देश में दुर्भिक्ष।

१८७७ रानी विक्टोरिया ने 'महारानी' का पद ग्रहण किया। लगभग सवा पांच लाख अकाल पीड़ित मनुष्य मरे।

१८७८ अफ़गानिस्तान से युद्ध। धोंड-मनमाड रेलवे आरम्भ। देशी भाषा के बर्तमानपत्रों का ऐक्ट पास हुआ। आर्म्स ऐक्ट पास हुआ।

१८७९ फौजी कमीशन कायम हुआ।

१८८० "केसरी" और "मराठा" का लो० तिलक द्वारा जन्म। प्रथम राष्ट्रीय पाठशाला पूना में स्थापित।

१८८१ मैसूर स्टेट रेलवे खोली गई।

१८८२ देशी भाषा के पत्रों का ऐक्ट रद्द हुआ। श्री० सुरेन्द्रनाथ

बनर्जी को अदालत के अपमान करने में जेल की सज़ा। रुई के कपड़ों की आयात पर कर बन्द कर दिया गया।

१८८५ राष्ट्रीय महासभा का जन्म (बम्बई), तीसरा ब्रह्मदेश युद्ध। स्थानिक स्वराज्य ऐक्ट पास हुआ।

१८८६ ग्वालियर का क़िला सिंधिया को वापिस दिया गया। झाँसी शहर अंग्रेज़ों को मिला। शिक्षा-विभाग का नूतन प्रबंध।

१८८७ महारानी विक्टोरिया की जुबिली।

१८९१ एज आफ़ कन्सेंटबिल (स्त्री द्वारा सम्भोग की अनुमति देने का आयु सम्बन्धी कानून) पास हुआ। मनीपुर का मामला। चीफ़कमिश्नर आसामकी हत्या। ब्रिटिश फौज भगा दी गई।

१८९२ इण्डियन कौंसिल ऐक्ट पास हुआ। सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई।

१८९३ भारतीय टकसाल बन्द हुई। सरकारी सिक्का नीति का आरम्भ। महाराज बड़ौदा ने प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा आरम्भ की।

१८९४ दादाभाई नौरोजी मेम्बर ब्रिटिश पार्लीमेंट चुने गये। भारतीय सूती कपड़ों पर कर लगाया गया।

१८९५ प्रांतीय फौजी विधान बन्द हुआ। सरकारी खर्च सम्बन्धी शाही कमीशन नियत हुआ।

१८९६ प्लेग का आरम्भ।

१८९७ ब्रह्मदेश छोटे लाट के आधीन किया गया। भारत में भूचाल। भयङ्कर दुर्भिक्ष।

१८९८ दफा १२३ ऐ पीनल कोड और दफा १०८ ज़ाब्ता फौजदारी में बढ़ाई गई।

१८९९ लार्ड कर्ज़न वाइसराय हुए।

१९०० गोल्ड रिज़र्व फण्ड बनाया गया

१९०१ महारानी विक्टोरिया की मृत्यु। आबपाशी कमीशन नियत हुआ।

१९०२ बरार के ज़िले निजाम हैदराबाद से ब्रिटिश को मिले। लार्ड किचनर कमान्डर-इन-चीफ़ हुए।

१९०३ एडवर्ड सप्तम बादशाह हुए। दिल्ली में राज्यारोहण दरबार बहुत खर्च करके किया गया। जनता ने खर्च का विरोध किया लेकिन निष्फल रहा।

१९०४ लार्ड कर्ज़न की म्याद बढ़ी। यूनिवर्सिटी ऐक्ट पास हुआ। सहकारी संस्थाओं का आरम्भ। तिब्बत पर चढ़ाई।

१९०५ वंग विच्छेद; विदेशी माल का

बायकाट, सरवेंण्ट आफ़ इंडिया सोसाइटी श्री गोखले द्वारा स्थापित। लार्ड कर्ज़न और लार्ड किचनर में मतभेद। लार्ड कर्ज़न का इस्तीफा। लार्ड मिण्टो वाइसराय नियत हुए।

१९०६ आल इण्डिया मुस्लिम लीग स्थापित। निकल की इकन्नी चलाई गई। बड़ौदा राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई।

१९०७ इण्डिया कौंसिल में दो हिंदुस्तानी नियत हुए।
राजद्रोही मीटिंग ऐक्ट पास हुआ। कांग्रेस में फूट। दक्षिणी अफ्रीका में आन्दोलन। पञ्जाब में एन्टीकौलीनाइज़ेशन अन्दोलन। ला० लाजपतराय को देश निकाला। अरविन्द घोष और अन्य देश भक्त पकड़े गये।
लोकमान्य तिलकको ६ साल की सज़ा राजद्रोह में।

१९०८ दमनकारी कानून— समाचार पत्र, ज़ाब्ता फ़ौजदारी (समिति), और भक से उड़ने वाले पदार्थों सम्बंधी—पास हुए। सप्तम एडवर्ड का घोषणा-पत्र। खुदीराम बोस द्वारा बङ्गाल के लाट पर पहिला बम्ब का गोला चलाया गया।

१९०९ मार्ले-मिण्टो सुधार। श्री० गोखले ने बड़ी व्यवस्थापक सभा में प्राथमिक अनिवार्य शिक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया जो अस्वीकृत हुआ।

१९१० प्रेस ऐक्ट पास हुआ। लार्ड हार्डिङ्ग वाइसराय हुए। सप्तम एडवर्ड की मृत्यु।

१९११ बंग विच्छेद रद्द हुवा। आसाम प्रान्त बनाया गया। बिहार उड़ीसा अलग नया प्रान्त हुआ दिल्ली राजधानी बनाई गई। पञ्चमजार्ज और महारानी का आगमन। निजाम हैदराबाद आसफजाह की मृत्यु।

१९१२ पब्लिक सर्बिसेज कमीशन नियत हुआ। लार्ड हार्डिंग दिल्ली में बम द्वारा घायल हुये।

१९१३ कानपुर में मसजिद का दंगा। श्री० टागोर को नोबेल पुरस्कार साहित्य के लिये मिला।

१९१४ कनाडा से लौटे हुये सिक्खों पर बज बज में सरकारी अत्याचार। योरूपीय महायुद्ध का आरम्भ। भारत की वीरता।

१९१५ हिन्दू विश्वविद्यालय का बिल पास हुआ। श्री० गोखले और श्री० फिरोज़शाह मेहता की मृत्यु। प्रिंस एसोसियेशन स्थापित, डिफेन्स आफ इण्डिया

ऐक्ट पास हुआ। समाचार पत्रों की प्रथम प्रदर्शिनी बड़ौदा में हुई।

१६१६ मैसूर में यूनिवर्सिटी होमरूल लीग स्थापित, लार्ड चेम्सफोर्ड वाइसराय, कांग्रेस-लीग स्कीम (सुधार विधान) बनाया गया।

१६१७ रुई के कपड़ों पर आयात कर बढ़ाया गया। मि० वेसेन्ट नज़र-बन्द हुईं। श्री दादाभाई नौरोजी की मृत्यु। पबलिक सर्विसेज कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित। इण्डैनचर्ड लेबर (कुली प्रथा) सम्बन्धी विरोधी आन्दोलन। ब्रिटिश शासन नीति की घोषणा। मि० माँटेग्यू का आगमन। दो आने का निकल का सिक्का चलाया गया। इम्पीरियल कांफ्रेंस में भारतीय मेम्बर।

१६१८ अडयार में राष्ट्रीय विश्व-विद्यालय। इन्फ़्लयूऐन्जा का फैलना। सुधारों की रिपोर्ट प्रकाशित। रौलेट कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित। कांग्रेस व मुसलिम लीग की ख़ास बैठकों ने सुधार पर विचार किये। आल इण्डिया माडरेट कांफ्रेंस स्थापित। बम्बई में सोने की टकसाल।

१६१६ रौलेट बिल जनता के घोर विरोध पर भी पास हुआ। सार्वदेशिक हड़तालें। सत्याग्रह का आरम्भ। महात्मा गान्धी पलवल व कोसी रेलवे स्टेशन के बीच रेल से उतारे गये। अनेक स्थानों में दंगे पंजाब में मारशल्ला। जलियान वाला बाग़ हत्याकांड। हार्नीमैन का देश निकाला। सर सङ्करन नैयर का एक्ज़िक्यूटिव कौंसिल की मेम्बरी से विरोधात्मक इस्तीफा। सर रवीन्द्रनाथ टागौर ने खिताब त्याग दिया। अफगानिस्तान से युद्ध। पंजाब के दंगे के लिये कमेटी स्थापित हुई। शाही घोषणा। राज-नैतिक क़ैदियों को माफ़ी। सत्येन्द्र प्रसन्नसिंह को लार्ड की पदवी मिली।

१६२० पंजाब के दङ्गों पर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। अपरा-धियों को निर्दोष ठहराया गया। जनता को इस निर्णय से असन्तोष। ख़िलाफत आन्दो-लन का ज़ोर। असहयोग की तैयारी। ख़ास बैठक कांग्रेस कलकत्ता। असहयोग पास हुआ। ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना। नागपुर कांग्रेस में असहयोग देश व्यापी हुआ।

१६२१ मोपलाओं का मलावार में

दङ्गा। लार्ड रीडिंग वाइसराय हुए। सुधार शासन का आरंभ। जन संख्या की गणना हुई। राष्ट्रीय कालेजों की स्थापना, श्री० शास्त्री पी० सी० बनाये गये। ब्रह्मदेश अलग गवरनर के आधीन प्रांत हुआ, तिलक स्वाराज्य फण्ड में एक करोड़ रु० जमा हुआ, देशभर में विलायती कपड़े जलाये गये, अली बन्धुओं पर मुक़दमा और सज़ा युवराज का आगमन और उनका बायकाट, बम्बई में दंगा स्वयं सेवक ग़ैरकानूनी हुए, सी. आर. दास प्रेसीडैण्ट कांग्रेस नियुक्त हुए, लाला लाजपतराय, मोतीलाल नेहरू तथा अन्य नेताओं की गिरफ़्तारी, हस्तलिखित समाचार पत्रों का प्रकाशन, लार्ड सिंह का इस्तीफ़ा, इम्पीरियल कांफ्रेंस में उपनिवेशों में भारतीओं की अवस्था पर विचार।

१९२२ जनवरी सन् १९२२ में बम्बई में राजनैतिक कांफ्रेंस और सर सङ्करन नैयर का कांफ्रेंस से उठ जाना, अहमदाबाद और सूरत म्यूनिसिपैलिटियां सस्पैण्ड हुई, बारडोली में सत्याग्रह की तैयारी, चौरी चौरा की घटना, सत्याग्रह का स्थगित किया जाना, महात्मा गांधी का उपवास, महात्मा गान्धी पर मुक़दमा और ६ साल की क़ैद का हुक्म, इण्डियन रेशियल डिस्टिङ्कशन कमेटी (रङ्गभेद कमेटी) की रिपोर्ट। सर माइकेल ओडायर का सर सङ्करन नैयर पर मुकदमा, गया कांग्रेस में कौंसिल प्रवेश का प्रश्न, देशबन्धु दास का देश व्यापी प्रभुत्व।

सत्याग्रह जाँच कमेटी और उसकी। रिपोर्ट कौंसिल पार्टी का जन्म, कांग्रेस में द्वन्द— परिवर्तन वादी (Pro-changer) और अपरिवर्तन वादी (No-changer)।

प्रेस ऐक्ट रद्द हुआ, मांटेग्यु का इस्तीफा, सिक्खों ने गुरू के बाग़ में सत्याग्रह किया, गुरुद्वारा आन्दोलन अकालियों द्वारा।

१९२३ योरोपियन अफसरों की परिस्थिति की जाँच के लिये 'ली कमीशन' नामक रायल कमीशन की नियुक्ति (जून) टैरिफ बोर्ड की स्थापना, लार्ड रीडिङ्ग ने व्यवस्थापक सभा के मत के विरुद्ध नमक टैक्स को दुगना करने का सार्टीफिकेट दिया जनतामें असन्तोष, स्वाराज्यपार्टी का ज़ोर, देशबन्धु सी० आर०

दास की लोकप्रियता, स्वामी श्रद्धानन्द ने शुद्धि का झण्डा उठाया, मुसलमान मलकाना राजपूतोंकी शुद्धि, पं० मालवीय का सङ्गठन कार्य और व्यायाम पर ज़ोर देना, बब्बर अकालियों द्वारा कुछ आदमियों का मारा जाना। महाराजा नाभा का देश निकाला, और पदच्युत होना, अकाली दल और गुरुद्वारा कमेटी का ग़ैरकानूनी करार दिया जाना, मोल ऐलिस(एक अंग्रेजी महिला) का सरहद्दी जातियों द्वारा खून।

१९२४ महात्मा गांधी के(Appendicites) रोग का आपरेशन, तदनन्तर रिहाई। ऐसेम्बली,सी० पी० और बङ्गाल कौंसिलों में स्वराज्यपार्टी के प्रयत्नों से बजट नामन्जूर हुआ। सुधार शासन की जांच के लिये मुडीमैन कमेटी की नियुक्ति, ब्रिटिश साम्राज्य प्रदर्शनी, औद्योगिक हड़तालें, कोहाट में मुसलमानों का दङ्गा और हिन्दुओं पर घोर अत्याचार। महात्मा गांधी और सी० आर० दास प्रभृति स्वराजिस्ट नेताओं के बीच जुहू (बम्बई) में कांफ्रेंस और परस्पर विरोध, आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी में स्वराजिस्टों द्वारा विरोध तदनन्तर एकता, परन्तु कांग्रेस मेम्बर द्वारा २००० गज सूत दिये जाने की प्रतिज्ञा। बङ्गाल आर्डीनेंस तथा रेग्यूलेशन (१८१८) द्वारा गिरफ़्तारियाँ। गांधी-स्वराजिस्ट पैक्ट (कलकत्ता)। बेलगाँव कांग्रेस (गांधी सभापति) मौंट एवरेस्ट (कैलास) की चढ़ाई केवल ६०० फुट बाकी रहे, मेलोरों और अरविन इस उद्योग में मर गये।

१९२५ श्री० सी० आर० दास की मृत्यु। श्री अरविन्द घोषको राजनैतिक कार्य के लिये निमन्त्रण और उनकी अस्वीकृति, श्री सेनगुप्त स्वराजिस्ट नेता बनाये गये। मुडीमैन कमेटी रिपोर्ट प्रकाशित (मार्च) श्री० तांबे (मध्य प्रांत के स्वराजिस्ट) कौंसिल के प्रेसीडेंट बन गये। मि० पटेल ऐसेम्बली के प्रेसीडेन्ट हुये। रिस्पांसिब कोअपरेशन (प्रतियोगी सहकारिता) का बम्बई और मध्य प्रदेश में ज़ोर। जयकर, केलकर, और मुन्जे का ऐसेम्बली से इस्तीफा, भारतीय टैक्स कमीशन का कार्य समाप्त हुआ, करेन्सी कमीशन ने कार्य आरम्भ किया, दक्षिणी अफ्रीका से शिष्टमण्डल का आगमन

तथा एक शिष्ट मण्डल का भारत से जाना, ऐसेम्बली के स्वराजिस्ट मेम्बरों का विरोध सूचक उठकर चला जाना ।

१९२६ लार्ड इरविन वाइसराय हुए । प्रांत की कौंसिलों तथा ऐसेम्बली के चुनाव, स्वराजिस्ट पार्टी का ज़ोर क़ाफ़ी रहा । हिन्दू मुसलिम दंगे कलकत्ते में तथा अन्य स्थानों में । करेन्सी कमीशन की रिपोर्ट जिसमें रुपया १ शिलिंग ६ पैंसका किये जाने की सिफ़ारिश की गई, भारतीय व्यापारियों का विरोध, रायल कृषि कमीशन की नियुक्ति । हिंदू सङ्गठन की वेगमयी प्रगति, रुई की मिलों सम्बन्धी जांच के लिये टेरिफ बोर्ड कमेटी की नियुक्ति, भारतवासियों की अवस्था पर विचार के लिये दक्षिणी अफ्रीका को एक शिष्ट मण्डल (सर जार्ज पेडिसन सभापति) भारत सरकार ने भेजा । पटुआ खाली सत्याग्रह । अब्दुलरशीद द्वारा स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या तथा अब्दुलरशीद को फांसी । कांग्रेस (गौहाटी)।

१९२७ इण्डियन सायन्स कांग्रेस (जनवरी) सर जे० सी० बोस सभापति । प्रथम अखिल भारतीय महिला परिषद (महारानी बड़ौदा अध्यक्ष) दक्षिणी अफ्रीका का समझौता और उस पर चर्चा। राजकुमारी पर अत्याचार के कारण खङ्गबहादुर युवक द्वारा हीरालाल का खून और ८ सालकी सज़ा । रुपये का दाम १८ पेन्स । पददलित जातियों की महासभा यूरोप में और भारतीय प्रतिनिधियों का उसमें सम्मिलित होना। काकोरी डकैती का मामला और अमानुषिक सजायें । स्कीन कमेटी (अर्थात् फौजी सुधार कमेटी) की रिपोर्ट । श्री सुभाषचन्द्र बोस नज़र कैद से बीमारी की हालत में छोड़े गये । श्री श्रीनिवास शास्त्री दक्षिणी अफ्रीका में भारत सरकार की ओर से एजेन्ट नियुक्त हुये । पटुआखाली सत्याग्रह में श्री० शचीन्द्रनाथ सेन की जेल यात्रा । "रंगीला रसूल" का मामला और राजपाल को सज़ा । वाइसराय द्वारा बिना तार द्वारा समाचार इत्यादि के भारत में प्रसार के लिये स्थान का उद्घाटन समारम्भ । मिस मेयो ने 'मदर इण्डिया' नामक पुस्तक, जिसमें भारत पर अपमानजनक आक्षेप किये गये हैं, प्रकाशित की । शिमला में हिन्दू-मुसलिम

अध्यक्षता में प्रतिद्वन्दी मुसलिम लीग की बैठक हुई। हकीम अजमलख़ाँ की मृत्यु।

१९२८ बम्बई में मिल मज़दूरों की विराट हड़ताल। लार्ड सिंह की मृत्यु। मिस मिलर की शुद्धि और महाराजा इन्दौर के साथ ब्याह। ऐसेम्बली ने सायमन कमीशन बायकाट पास किया, पटियाला में ३९ देशी नरेशों की सभा हुई। देशी राज्यों सम्बन्धी सर लेसली स्काट की स्कीम प्रकाशित हुई। सर एलेक्ज़ैण्डर मुडीमैन की मृत्यु। बारडोली सत्याग्रह तथा जांच कमेटी की नियुक्ति। लिलूआ में हड़ताल। सीलोन सुधार रिपोर्ट प्रकाशित हुई। नेहरू कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित। पबलिक सेफटी बिल कमेटी को सौंपा गया। लाहौर में रामलीला के जुलूस में बम फेंका गया। एस. आर. दास की मृत्यु, लाहौर में सायमन कमीशन के आगमन पर जुलूस की पुलिस द्वारा मारपीट, ला० लाजपत राय की चोट के कारण मृत्यु। साण्डर्स पुलिस अफसर लाहौर में मारा गया। दिल्ली में सायमन कमीशनके कारण हड़ताल। शारदा केनाल का उद्घाटन एकता कान्फ्रेंस और वाइसराय का भाषण। श्री० हरविलास शारदा द्वारा विवाह बिल का पेश होना। उड़ीसा में भयंकर बाढ़, ब्रिटिश पार्लीमेंट द्वारा भारत के लिये स्टेचुटरी कमीशन की नियुक्ति (सर जान सायमन अध्यक्ष)। लार्ड बर्किनहेड (भारत मन्त्री) का भारत के लिये अपमानयुक्त भाषण। कमीशन का बायकाट देश को सुझाया गया। खड्गपुर के कर्मचारियों की हड़ताल। राष्ट्रीय कांग्रेस मद्रास, डा० अन्सारी अध्यक्ष। कांग्रेस का ध्येय बदल कर पूर्ण स्वातन्त्र्य रक्खा गया। मि० रलियाराम की अध्यक्षता में १४वीं अखिल भारतीय क्रिश्चियन कान्फ्रेंस, इलाहाबाद। बैंकबे बम्बई की फिज़ूल ख़र्ची सम्बंधी श्री० नरीमैन पर मि० हार्वी के मुकदमे की बहस दिसम्बर २० तक—१९वां अधिवेशन, आल इण्डिया मुसलिम लीग कलकत्ता, श्री० मुहम्मद याकूब अध्यक्ष। लिबरल फेडरेशन (कलकत्ता) सर तेजबहादुर सप्रू अध्यक्ष। रिपबलिकन कांग्रेस मद्रास, अध्यक्ष पं० जवाहिरलाल नेहरू। लाहौर में सर मुहम्मद शफी की

हुआ। सम्राट पंचम जार्ज बहुत बीमार हुये और अच्छे हुये। ऐसेम्बली का दफ़्तर अलग हुआ। श्री० राजेन्द्रनाथ लहरी को गोंडा में फांसी लगी। झरिया में आल इण्डिया कांग्रेस हुई। कलकत्ते में कांग्रेस तथा अन्य कान्फ्रेंसें। सर्व दल सम्मेलन की बैठक। ब्रिटिश सरकार को कांग्रेस ने ३१ दिसम्बर सन् १९२९ तक का समय "डोमीनियन स्टेटस" देने के लिये दिया। स्वराज्य का संशोधित प्रस्ताव पास हुआ।

१९२९ मुसलिम पार्टी कान्फ्रेंस। आल इण्डिया प्रेस कान्फ्रेंस। चित्तरंजन सेवा सदन का उद्घाटन। सायमन कमीशन के मेम्बरों का देश भर में बायकाट। अमानुल्लाखां ने राजपद त्याग दिया। हिलटनयंग कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। पबलिक सेफटी बिल एसेम्बली में पेश हुआ। गामा पहलवान ने पिटरसन को हरा दिया। महात्मा गांधी विलायती कपड़ों की होली के सम्बंध में पकड़े गये, और उन पर १) जुर्माना हुआ। मेरठ षड्यन्त्र चलाया गया और गिरफ़्तारियां हुईं। महाशय राजपालकी हत्या। बटलर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित। पबलिक सेफटी बिल आर्डीनेन्स रूप में वाइसराय ने पास किया सांडरर्स हत्या कांड के अनेक अभियुक्त पकड़े गये। मि० वाल्डविन का इस्तीफ़ा तथा मि० मेकडोनेल्ड का प्रधान मन्त्री होना। ऐसेम्बली बम केस में भगतसिंह और दत्त को काले पानी की सजा। एज आफ कन्सेन्ट कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। कलकत्ता की [illegible] यतीन्द्रनाथ दास की भूख-हड़ताल तथा मृत्यु। शारदा बिल पास हुआ। वर्मा में श्री० विजया पोंगी की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु। वाइसराय ने डोमीनियन स्टेटस सम्बन्धी घोषणा निकाली। वाइसराय की स्पेशल ट्रेन के नीचे बम फटा। लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ।

१९३० कांग्रेस में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास हुआ। श्री० मजहरुलहक़ की मृत्यु। २६ जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जी० आइ० पी० रेलवे हड़ताल। सत्याग्रह आन्दोलन

का आरंभ। महात्मा गांधी द्वारा वाइसराय को सूचना। नमक कानून भंग किया गया। महात्मा गांधी तथा सहस्रों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गिरफ़्तारी तथा सज़ा। शोलापुर में दंगा तथा फ़ौजी क़ानून। अनेक आर्डीनेन्स वाइसराय द्वारा घोषित किये गये। ऐसेम्बली में साइमनकमीशन की रिपोर्ट का विरोध पास हुआ। पेशावर में "मारशल ला" जारी हुआ। श्री० सुभाषचन्द्र बोस कलकत्ता के मेयर चुने गये। श्री० जयकर तथा श्री० सप्रू महात्मा गांधी से संधि के लिये जेल में मिले। कौंसिल चुनाव का कांग्रेस द्वारा देशव्यापी बायकाट। राउण्ड टेबल कान्फ्रेन्स की पहली बैठक समाप्त हुई। 'वर्ल्ड थियोसाफिकल कनवेन्शन' बनारस।

१९३१ पं० कृष्णकान्त मालवीय, श्री० पुरुषोत्तमदास टंडन, मि० शेरवानी तथा पं० जवाहरलाल नेहरू की गिरिफ़्तारी। कमला नेहरू को छे मास की सजा। मौ० मोहम्मदअली का स्वर्गवास। सुभाष बाबू की गिरिफ़्तारी। पं० मोतीलाल नेहरू का देहान्त। बनारस में हिन्दू मुस्लिम दंगा। गाँधी इरविन संधि तथा सत्याग्रहियों की जेल से मुक्ति। भगतसिंह, राजगुरू और सुखदेव को फाँसी। कानपुरमें भीषण हिन्दू मुस्लिम दंगा। श्री गणेशशंकर विद्यार्थी की अमानुषिक हत्या। करांची में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन। लार्ड विलिंगडन की वायसराय पद पर नियुक्ति। महाराजा महमूदाबाद का स्वर्गवास। मैंमनसिंह रेल डकैती काण्ड। दिनेश गुप्ता को फाँसी। जर्मनी से लौटने पर श्री० एम० एन०राय की बम्बई में गिरिफ़्तारी। वासुदेव बलवन्त गोगटे द्वारा बम्बई के गवर्नर सर अरनेस्ट हाट्सनपर गोली प्रहार। कांग्रेस नेता श्री नीलकंठराव उधोजी का स्वर्गवास। महात्मा गांधी का गोलमेज कान्फ्रेन्स के लिये प्रस्थान। इलहाबाद में किसान कान्फ्रेन्स की बैठक तथा करबन्दी आन्दोलन चलाने का निर्णय। लाहौर में नेशनलिस्ट मुस्लिम कान्फ्रेन्स की बैठक (डा० अन्सारी सभापति) बंगाल में आर्डीनेन्स नं० ९ जारी हुआ। कश्मीर में हिन्दू मुस्लिम दंगा। चिटगाँव में भयंकार सशस्त्र विद्रोह तथा

अमानुषिक दमन। संयुक्तप्रान्त में आर्डीनेन्स नं० १२ घोषित हुआ।

१९३२ सत्याग्रह आन्दोलन पुनःप्रारम्भ हुआ। महात्मा गांधी, बल्लभ भाई पटेल, और बाबू राजेन्द्र प्रसाद की गिरिफ़्तारी। कांग्रेस ग़ैरक़ानूनी घोषित की गई। सहस्रों गिरिफ़्तारियाँ तथा सज़ायें। कुमारी बीनादास द्वारा बंगाल के गवर्नर सर जैक्सन पर गोली प्रहार। बंगाल में क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट पास हुआ। चिटगाँव आमरी रेड केस का फैसला। बंगाल में नये गवर्नर की नियुक्ति। पं० मालवीय और श्रीमती नायडू की गिरिफ़्तारी। बम्बई में हिन्दू मुस्लिम दंगा। श्री० विपिनचन्द्रपाल का स्वर्गवास। अलवर में हिन्दू मुस्लिम दंगा। लोथियन कमेटी रिपोर्ट प्रकाशित। डा० सप्रू, श्री० जयकर तथा श्री० जोशी का गोलमेज कान्फ्रेन्स की कन्सलटेटिव कमेटीसे इस्तीफा। आचार्य कृपलानी को सज़ा। भूलाभाई देसाई की गिरिफ़्तारी। देशी राज्य जाँच कमेटी की रिपोर्ट। कुमारी मनीबेनकी गिरिफ़्तारी। मीराबेन की गिरिफ़्तारी। शिवप्रसाद गुप्त तथा डा० किचलू को सज़ा। बंगाल के पं० श्याम सुन्दर चक्रवर्ती का निधन। अछूतों के लिये पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाये जाने के विरोध में महात्मा गांधी की आजीवन भूख हड़ताल करने की भीषण प्रतिज्ञा। भारत भर में अछूतों के लिये मन्दिर खोल दिये गये। अछूतों के संबंध में पूना में कान्फ्रेन्स तथा पैक्ट और "कम्यूनलअवार्ड" (साम्प्रदायिक निर्णय) ब्रिटिश प्रधान मंत्री द्वारा प्रकाशित।

१९३३ बाबू राजेन्द्रप्रसाद तथा श्री० आचार्य कृपलानी की गिरिफ़्तारी। डा० सप्रू तथा जयकर द्वारा गोल मेज़ कानफ्रेंस के विषय में एक विज्ञप्ति। पूना पैक्ट के विरुद्ध बंगाल में आन्दोलन। मेरठ षडयन्त्र केस का फैसला। मन्दिर प्रवेश बिल पर वायसराय की अस्वीकृति। कस्तूरी बाई गांधी की गिरिफ़्तारी। इण्डियन मेडिकल कानफ्रेन्स की स्थापना। पंजाब में एक एण्टीकम्यूनल लीग स्थापित की गई। सुभाष बाबू स्वास्थ्य लाभार्थ जेल से योरुप भेज दिये गये। कलकत्ते में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन पर सरकारी रोक टोक।

"ह्वाइट पेपर" (नये शासन विधान) का प्रकाशन। नवानगर के जाम साहेब का निधन। अन्डमान के बन्दियों की भूख-हड़ताल। श्री युत जे० एम० सेन गुप्त का स्वर्गबास। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम का ब्रिटिश सरकार को दान। महात्मा जी तथा राजगोपालाचार्य की गिरिफ़्तारी तथा जेल में महात्मा जी का अनशन। कांग्रेस सभापति श्री० अणे की गिरिफ़्तारी। डा० एनी बेसेण्ट का निधन। अफ़ग़ानिस्तान के शासक नादिरशाह की राज-हत्या। श्रीयुत विट्ठल भाई पटेल का स्वर्गबास। महात्माजी द्वारा हरिजन आन्दोलन का प्रारम्भ। पंजाब षडयन्त्र केस का फैसला। रिज़र्व बैंक बिल पास हुआ।

१९३४ बिहार में भयंकर भूकम्प तथा महात्मा गांधी का जनता से सहायतार्थ अनुरोध। कश्मीर में साम्प्रदायिक दंगा। 'हिन्दू' के सम्पादक ए० रंगास्वामी आयंगर का निधन। केनानूर में हिन्दू मुस्लिम दंगा। स्टेट्स-प्रोटेक्सन बिल पास हुआ। श्रीयुत शंकरनैयर का स्वर्गबास। बंगाल के गवर्नर जान एण्डरसन पर गोली प्रहार। पूना में एक सनातनी द्वारा महात्मा गांधी पर बम्ब प्रहार। उत्तरी बिहार में भीषण बाढ़। पं० मालवीय तथा श्रीयुत अणे का कांग्रेस पार्लीयामेंटरी बोर्ड से इस्तीफ़ा तथा नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना। केन्द्रीय ऐसेम्बली का चुनाव तथा उसमें नेवी बिल का पास होना। पार्लीमेण्टरी ज्वाइण्ट सेलेक्ट कमेटी की भारतीय सुधार पर रिपोर्ट। सुभाष बाबू का योरुप से प्रत्यागमन तथा उनके पिता का देहान्त। खां अब्दुल ग़फ़्फार खां की गिरिफ़्तारी।

१९३५ श्रीयुत एम० बी० अभ्यंकर का स्वर्गबास। नेशनल इंस्टीट्यूट आफ साइन्सेस आफ इण्डिया की स्थापना। आचार्य गिडवानी का निधन। ऐसेम्बली द्वारा इण्डो जापानी ट्रेड एग्रीमेण्ट की अस्वीकृति। 'लालकुर्ती संगठन' से सरकार ने कानूनी रोक हटा ली। हाउस आफ़ कामन्स में गवर्मेण्ट आफ़ इण्डिया बिल पास हुआ। श्रीयुत शेरवानी का स्वर्गबास। हज़ारीबाग़ में साम्प्रदायिक दंगा। फ़िरोज़ाबाद में हिन्दू मुस्लिम दंगा। इला-

हाबाद में प्रचण्ड अग्निकाण्ड। लाहौर में सिक्ख मुस्लिम दंगा। श्री० सरच्चन्द्र बोस की जेल से मुक्ति। बंगाल में भीषण बाढ़। सिकन्दराबाद में साम्प्रदायिक दंगा। इटली की एबीसीनिया पर चढ़ाई। पं० जवाहरलाल नेहरू अलमोड़ा जेल से छोड़ दिये गये। श्रीयुत जी० के० देवधर (प्रेसीडेण्ट, सर्वेण्ट आफ़ इण्डिया सोसाइटी) का स्वर्गबास। विहार के नेता श्री० दीपनारायण सिंह का निधन। पं० मालवीयजी की ७५ वीं वर्ष गाँठ। कांग्रेस की स्वर्ण जयन्ती।

१९३६ अछूतों द्वारा मन्दिर-प्रवेश सत्याग्रह। बड़ोदा के महाराज की हीरक जयन्ती। यू० पी० अनएमप्लायमेण्ट कमेटीकी रिपोर्ट का प्रकाशन। सम्राट जार्ज पञ्चम का निधन। कांग्रेस नेता श्रीयुत नवीन चन्द्र बार्डीलोइ का स्वर्गबास। सर डिन्शा बाच्छा, कांग्रेस के वृद्धतम सभापति का देहान्त। योगेशचटर्जी की लखनऊ जेल में अपूर्व भूख हड़ताल। श्रीमती कमला नेहरू का देहान्त। ओटावा एग्रीमेन्ट का केन्द्रीय ऐसेम्बली द्वाराअन्त। सुभाष बाबू की योरुप से आते ही बम्बई में गिरफ़तारी। पूना में हिन्दू मुसलिम दंगा। डा० अनसारी का स्वर्गवास। प्रो० ग्रेहम ब्राउन द्वारा हिमालय पर्वत की (२५,६६० की ऊँची) सर्व प्रथम चढ़ाई। बम्बई में हिन्दू मुस्लिम दंगा। महाराजा ग्वालियर को पूर्ण राज्याधिकार मिले। पं० जवाहरलाल नेहरू दुबारा सभापति चुने गये। सम्राट् एडवर्ड अष्टम् का राजपद त्याग तथा सम्राट् जार्ज षष्ठ का राजपद ग्रहण।

सन् १९३७ का तिथिक्रम।

जनवरी।

१—नवीन वर्ष की पदवियों का वितरण। मि० जिन्ना ने हिन्दू-मुसलिम एकता के लिए एक ज़ोरदार अपील प्रकाशित की।

२—सर अकबर हैदरी ने इंडियन सायन्स कांग्रेस (हैदराबाद) का प्रारंभ किया।

३—वर्ल्ड वाइ० एम० सी० ए० कन्वेन्शन का उद्घाटन महाराजा मैसूर ने किया।

४—इम्पीरियल इंडियन सिटीज़न-शिप एसोसियेशन ने "बाइन्डर रिपोर्ट" की, जो ज़ंज़ीबार के लौंग के व्यापार के संबंध में प्रकाशित हुई, निन्दा की।

५—पं० नहेरू ने (कांग्रेस सभापति) डा० सत्यनारायन सिनहा मेम्बर अ० भा० का० क० को कांग्रेस से अलहदा कर दिया। उन पर अवज्ञा का अभियोग लगाया गया था।

६—इंडियन सेन्ट्रल जूट कमेटी के सदस्यों की नामावली प्रकाशित हुई।

७—महाराजा बर्दवान और ग़ज़नवी की हिन्दू-मुसलिम संधि प्रकाशित हुई।

८—भारत सरकार ने बी० एन० रेलवे हड़ताल में हस्तक्षेप करने से इनकार किया।

९—मि० ए० डी० श्राफ को बम्बई चेम्बर आफ कमर्स से निकाल दिया गया।

१०—जिनेवा में लीग कौंसिल की बैठक की समाप्ति।

११—क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड ने भारतीय टीम जो इंग्लैंड गई थी उसके संबंध में बोमोंट कमेटी रिपोर्ट प्रकाशित की।

१२—सर अलेकज़ेंडर कारडिऊ की मृत्यु हुई।

१३—सक्रेटरी आफ़ स्टेट ने इंडियन

नेवी के अफ़सरों के वेतन में वृद्धि मंजूर की।

१४—बम्बई में देशी राज्यों के मंत्रियों की सभा ख़तम हुई।

१५—फेडरल कोर्ट के (मनोनीत) चीफ़ जस्टिस सर मारिस ग्वायर बम्बई में उतरे।

१६—जर्मनी ने समुद्र पार के जर्मनों को, फौजों और लेबर कोर सर्विस में भरती करना आरंभ किया।

१७—श्री० श्रीनिवास शास्त्री मलाया प्रायद्वीप का भ्रमण करके कोलम्बो में आये और एक सभा में व्याख्यान दिया।

१८—सर ऐण्ड्रू काल्डकोल्ट सीलोन (लंका) के गवर्नर नियुक्त हुये।

१९—आयरलैंड व इंग्लैंड के संबंधों के विषय में डिवेलेरा और मि० मैकडानेल्ड के बीच वार्तालाप।

२०—मि० फ्रैंकलिन रुज़वेल्ट फिर से यू. एस. ए. के प्रेसीडेंट हुए।

२१—सर सुलतान अहमद, मि० सर जफरुल्ला की अनुपस्थिति में कामर्स मेम्बर बनाये गये।

२२—मि० शिरलाल मोतीलाल इंडियन मर्चेंट चेम्बर बम्बई के सभापति चुने गये।

२३—सर अतुलचटर्जी (सपत्नीक) विलायत से भारत आये और बम्बई में उतरे।

२४—बंगालके गवर्नर की अण्डमन की यात्रा के लिए भारत से प्रस्थान सर्वेण्टस आफ इण्डिया सोसाइटी ने कानपुर में एक केन्द्र स्थापित करने का विचार किया।

२५—एसेम्बली (केन्द्रीय) का बजट सेशन प्रारंभ हुआ।

२६—इलाबाद कलकत्ता तथा अन्य स्थानों के कांग्रेस आफिसों पर "स्वतंत्रता प्रतिज्ञा" के संबंध में पुलिस ने छापा मारा।

२७—इटली व जर्मनी ने स्पेन में स्वयं सेवक (लड़ाई के लिये) न भेजना स्वीकार किया।

२८—लार्ड वेडेन पावेल चीफ़ स्काउट बम्बई में उतरे।

२९—बम्बई की स्त्रियों की कौंसिल ने "संतति नियमन" का प्रस्ताव पास किया।

३०—बंगाल गवर्न्मेंट ने ४१ नज़रबंद रिहा किये।

३१—मोस्को के मुक़दमें में १३ अभियुक्तों को मौत की सज़ा।

फ़रवरी

१—जेनरल हयाशी ने जापान में पिछली गड़बड़ी के बाद नई केबिनट बनाई।

२—सर एम० दादाभाई पुनः कौंसिल आफ़ स्टेट के प्रेसीडेंट हुए।

३—केन्द्रीय असेम्बली ने इंडियन इनश्योरैंस बिल तथा बिना टिकट वाले मुसाफिरों के सम्बंधी का बिल सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया।

४—वाइसराय ने आल इण्डिया स्काउट जम्बूरी (दिल्ली) का उद्घाटन किया।

५—डा० देशमुख का बिल जिसके द्वारा बिधवाओं को जायदाद विरासत में पाने का अधिकार दिया गया केन्द्रीय असेम्बली में पास हुआ।

६—वाइसराय ने इस विषय के रेगूलेशन निकाले कि खानों के भीतर स्त्रियाँ काम करने के लिये न भेजी जावें।

७—महाराजा ट्रावनकोर ने अछूतों को मन्दिर प्रवेश के लिये आज्ञादी। पं० नेहरू ने अपनी महाराष्ट्र यात्रा आरम्भ की।

८—ब्रिटिश नरेश ने भारत में होने वाले राज्याभिषेक दरबार को मुलतवी कर दिया।

९—एसेम्बली ने इनकमटैक्स बिल पास किया।

१०—बी० एन०रेलवे स्ट्राइक बंद हुई।

११—मद्रास में "इंडियन ओवरसीज़ बैंक" श्री के० वी० रेडी द्वारा आरंभ किया गया।

१२—मि० एम० हैलेट बिहार के गवर्नर (मनोनीत) को "सर" की पदवी दीगई।

१३—निज़ाम ने अपने शासन काल की "सिलवरजुबली" मनाई।

१४—ला०हरकिशन लाल की मृत्यु।

१५—सम्राट जार्ज षष्ठ तथा सम्राज्ञी ने बाजाप्ता बकिंघम पैलेस में रहना आरंभ किया।

१६—सर मुहम्मद जफरुल्ला ने ऐसेम्बली (केन्द्रीय) में रेलवे बजट पेश किया।

१७—पंजाब के गवर्नर ने सर सिकंदर हयात खां को नये शासन विधान के अनुसार प्रथम मंत्री मंडल बनाने के लिये बुलाया।

१८—डा० टागोर ने कलकत्ता यूनिवर्सीटी में "कनवोकेशन ऐड्रेस" (पदवी दान के समय अभिभाषण) दिया।

१९—मि० वेजबुडवेन (भूतपूर्व भारत मंत्री) हाउस आफ कामन्स के मंत्री चुने गये।

२०—स्वामी रामकृष्ण परमहंस की शताब्दी देश में अनेक स्थानों में मनाई गई।

२१—लखनऊ जिला कांग्रेस कमेटी ने मंत्री पद ग्रहण का प्रस्ताव पास किया।

२२—सर हेरीहेग ने "इंडियन रोड कांग्रेस" का उद्घाटन लखनऊ में किया।

२३—यू० पी० में साम्यवादियों ने मंत्रीपद ग्रहण का विरोध किया।

२४—वाइसराय ने देशी नरेशों से फेडरेशन में सम्मिलित होने के लिये अनुरोध किया।

२५—सर भूपेन्द्रनाथ मित्र की मृत्यु।

२६—नरेन्द्र मंडल (Prince's Chamber) के अध्यक्ष महाराजा पटियाला चुने गये।

२७—वर्धा में मंत्री पद ग्रहण समस्या पर विचार करने के लिये आ० इं० कांग्रेस कमेटी की बैठक आरंभ।

२८—श्री०सी सी० विश्वास कलकत्ता हाईकोर्ट के जज नियुक्त हुये।

मार्च

१—सर ब्रजेन्द्रनाथ सील की अध्यक्षतामें कलकत्तेमें "पार्लियामेंट आफ़ रिलीजन्स" (धर्मों की बृहत् सभा) हुई।

२—बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के पदवी दान उत्सव में सर एम० विश्वेश्वरया ने अभिभाषण दिया।

३—मि० सी० आर० रेडी ने कांग्रेस से त्यागपत्र दिया।

४—सर रोबर्टरीड आसामके गवर्नर ने चार्ज लिया।

५—हाउस आफ़ कामन्स ने "ब्रिटिश डिफेन्स लोन बिल" पास किया।

६—श्रीयुत श्रीनिवास शास्त्री की रिपोर्ट (मलाया में मज़दूरों की परिस्थिति पर) प्रकाशित हुई।

७—जापानी विदेश-मंत्री ने घोषित किया कि जापान ब्रिटेन से मित्रता चाहता है।

८—कलकत्ता में "धर्मों की बृहत सभा" खतम हुई।

९—कच्चे माल की प्राप्ति पर बिचार करने के लिये जेनीवा में कान्फ्रेन्स हुई।

१०—सर मौरिस हैलेट ने बिहार के गवरनरी का चार्ज लिया।

११—सर अकबर हैदरी हैदराबाद के कौंसिलके प्रेसीडेन्ट नियुक्तहुये।

१२—सर फ्रैंक नोयस ने "इन्स्टीट्यूट आफ़ शुगर टेकनालोजी" (कानपुर) का उद्घाटन किया।

१३—"क्रिकेट क्लब आफ़ इंडिया ने लार्ड टेनीसन की क्रिकेट टीम को निमंत्रण दिया।

१४—सर जेम्स ग्रिग की अनुपस्थिति में मि० जे० सी० निकसन फाइनेंस मिनिस्टर नियुक्त हुये।

१५—आल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मंत्री पद-ग्रहण करना मंजूर किया।

१६—बंगाल में मंत्रीमंडल में हिन्दू मुस्लिम सदस्यों की संख्या के सम्बन्ध में मतभेद हो गया।

१७—श्री० सुभाषचन्द्र बोस रिहा किये गये।

सर आस्टिन चेम्बरलेन की मृत्यु।

१८—केन्द्रीय एसेम्बली में कांग्रेस द्वारा पेश किया हुआ संशोधन कि "नमक कर" कम किया जावे, गिर गया।

१९—दिल्ली में "नेशनल कनवेन्शन" पं० जवाहिरलाल नेहरू के सभापतित्व में हुआ।

२०—राष्ट्रपति ने "नेशनल कनवेन्शन" में सदस्यों से देशभक्ति की शपथ ली।

२१—श्री० सरतचन्द्रबोस की अध्यक्षता में दिल्ली में अखिल भारतीय राजबन्दी सहायक कान्फ्रेन्स हुई।

२२—पं०मालवीय ने केन्द्रीय ऐसेम्बली में सदस्य बनना स्वीकार किया।

२३—दीवान बहादुर एन० गोपाल स्वामी अय्यंगर कश्मीर स्टेट के प्रधानमंत्री नियुक्त हुये।

२४—एबीसिनिया के 'एडिस अबाबा' नगर में इटैलियनों द्वारा क़त्लेआम।

२५—बी० एन० आर० लेबर यूनियन की शिकायत पर केन्द्रीय सरकार ने जांच की आज्ञा दी।

२६—हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन (मद्रास) में महात्मा गांधी ने पदवी दान उत्सव के अवसर पर अभिभाषण दिया।

२७—सर शाह मुहम्मद सुलेमान तथा मि० एम० आर० जयकर फिडरेल कोर्ट के जज नियुक्त हुये।

२८—गवरनरों द्वारा हस्तक्षेप न करने का आश्वासन पाये बिना कांग्रेस नेताओं ने मंत्री पद ग्रहण करना अस्वीकार किया।

२९—जापान और भारत में व्यापार संधि हुई।

३०—मि०लारेन्स रोजर लमले मद्रास के गवरनर नियुक्त हुये।

३१—६ प्रान्तोंमें "इन्टेरिम मिनिस्ट्री" (अस्थायी मंत्री मंडल) बनाये गये।

अप्रैल

१—नये शासन विधान के विरुद्ध भारत भर में हड़ताल मनाई गई।

२—जेनीवा में वर्ल्ड टेक्सटाइल कान्फ्रेन्स आरंभ हुई।

३०—सर जेम्स टेलर रिज़र्व बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त हुये।

४—महाराजा जैपुर ने गोंडियामठ मन्दिर का उद्घाटन मद्रास में किया।

५—लंदन में मि० रेम्ज़े मेकडानेल्ड ने इंटरनेशनल शुगर कान्फ्रेंस का उद्घाटन किया।

६—बाबू राजेन्द्रप्रसाद ने मुसलमानों से कांग्रेस में शामिल होने के लिये अनुरोध किया।

७—सरदार शार्दूलसिंह कवीश्वर की जागीर सरकार ने ज़ब्त कर ली।

८—मोटर इंशोरेन्स कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई।

९—भारत की राजनैतिक परिस्थिति पर लार्ड ज़ेटलैंड (भारत मंत्री) ने पार्लीमेंट में वक्तव्य दिया।

१०—सर फ्रैंक नौयस विलायत को गये।

११—प्रिन्स निकोलस ने अपने सब स्वत्व रूमानियन ताज के सम्बंध में त्याग दिये।

१२—मद्रास में दक्षिणी देशी ईसाइयों की फिडरेशन हुई।

१३—इजिपशियन स्वत्वों की कान्फ्रेंस के सभापति नहस पाशा चुने गये।

१४—दक्षिणी अफ्रीका की यूनियन सरकार ने एशियाटिक विरोधी बिल वापिस ले लिये।

१५—वर्ल्ड टेक्सटाइल कान्फ्रेंस (जेनीवा) ने संयुक्तराष्ट्र के प्रस्ताव को कि टेक्सटाइल (बुने हुए कपड़े) की तैयारी तथा मूल्य की जाँच के लिये एक अंतर्राष्ट्रीय कमीशन बनाया जावे, पास किया।

१६—महात्मा गांधी ने मंत्रीपद समस्या के निर्णय के लिये एक पंचायत (Tribunal) नियुक्त करने के लिये राय प्रकट की।

१७—'गांधी सेवा संघ' की तीसरी कान्फ्रेंस हुबली में हुई।

१८—राज्याभिषेक (लंदन) के अवसर पर सर फीरोज़ख़ां नून भारत साम्राज्य के झंडा-वाहक नियुक्त हुए।

१९—यू० पी० अहरार कान्फ्रेंस की बैठक लखनऊ में मि० मज़हर

अली अज़हर की अध्यक्षता में हुई।

२०—मि० नेविल चेम्बरलेन ने छठवीं बार हाउस आफ़ कामन्स में बजट पेश किया।

२१—इंटरनेशनल चेम्बर आफ़ कामर्स की द्विवर्षीय कांग्रेस के सदस्यों की नामावली प्रकाशित हुई।

२२—कलकत्ता जूट मिल के० हड़तालियों की सहायता के लिये श्री० राष्ट्रपति नेहरू ने प्रार्थना प्रकाशित की।

२३—बंगाल में काग़ज़ के मिलों में भी मज़दूरों द्वारा हड़ताल।

२४—सम्राट् जार्ज षष्ठ ने अपने स्वर्गीय पिता के स्मारक का विंडसर कैसेल में उद्घाटन किया।

२५—बंगाल के जूट और काग़ज़ की मिलों में हड़तालियों की संख्या बढ़कर डेढ़ लाख हो गई।

२६—मंत्री पद ग्रहण समस्या के सम्बंध में आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी की बैठक इलाहाबाद में हुई।

२७—कांग्रेस में मुसलमानों की सहायता लेने के लिए पं० नेहरू और मि० जिन्ना के उत्तर और प्रत्युत्तर प्रकाशित हुये।

महाराजा तथा महारानी ट्रावनकोर समुद्री यात्रा के लिये रवाना हुए।

२८—श्री सनत कुमार राय चौधरी (कांग्रेस) और श्री ए. के. एम. ज़केरिया कलकत्ता के मेयर तथा डिपुटी मेयर क्रमशः निर्वाचित हुये।

२९—कांग्रेस नेताओं की मन्त्रीपद ग्रहण-अस्वीकृति का कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने समर्थन किया।

३०—डा० रवीन्द्रनाथ ने बंगाल जूट मिल हड़तालियों की प्रति सहायता के लिये जनता से अनुरोध किया। इलाहाबाद में हिन्दुस्तानी एसोसियेशन स्थापित किया गया।

मई

१—डि वेलरा ने आयरलैण्ड के लिये एक नवीन शासन विधान की योजना प्रकाशित की।

२—सभापति रूसवेल्ट ने न्यूट्रैलिटी बिल पर हस्ताक्षर किये।

३—शिमला में अखिल भारतीय 'शुगर कान्फ्रेन्स' की बैठक हुई।

४—पं० जवाहिर लाल नेहरू राजनैतिक आन्दोलन के लिए रंगून गये।

५—डा० खां साहेब तथा अन्य मुसलमान नेताओं ने कांग्रेस में मुसलमानों को शामिल होने के लिये अपील प्रकाशित की ।

६—मि० बाल्डविन ने हाउस आफ़ कामन्स में प्रधान मन्त्री की हैसियत से अन्तिम वक्तृता दी।

७—लखनऊ के मुसलमानों ने श्री एम. स. जिन्ना के नाम खुली चिट्ठी भेजी जिसमें जिन्ना के प्रति अविश्वास प्रकट किया गया ।

८—ब्रिटिश साम्राज्य के प्रधान मन्त्रियों की दावत में बोलते हुए सम्राट जार्ज षष्ठ ने पार्लीमेण्टरी गवर्मेंट की प्रशंसा की ।

९—मन्दिर सत्याग्रह के सम्बन्ध में श्रीयुत एन. सी. केलकर की पूना में गिरफ़्तारी ।

१०—"जस्टिस पार्टी" ने अपनी मद्रास की बैठक में अस्थाई मन्त्रिमंडल की निन्दा की । बंगाल में जूट हड़ताल का अंत हुआ ।

११—सी पी. 'पैरेलेल असेम्बली" ने अपनी नागपुर की बैठक में सी. पी. अस्थाई मंत्रिमंडल की निन्दा की ।

१२—सम्राट तथा सम्राज्ञी का लन्दन में राज्याभिषेक हुआ ।

१३—स्पेन की विद्रोही सेना ने ३००० सरकारी सैनिकों को मार डाला ।

१४—लंदन में इम्पीरियल कान्फ्रेन्स की बैठक समाप्त हुई ।

१५—वाईकौंट फिलिप स्नोडेन का स्वर्गबास हो गया ।

१६—नेदर लैण्डस के गवर्नर जनरल ने ट्रावनकोर के महाराजा का स्वागत किया ।

१७—लाठी राज्य के राजा ठाकुर साहेब ने अपने राज्य में हरिजनों के लिये मन्दिर प्रवेश की स्वीकृति दे दी ।

१८—हिमालय की चढ़ाई में ईस्ट सेर रेजीमेण्ट इक्सपिडीशन रामगंगा घाटी में नौमिक तक पहुंच गयी ।

१९—पेरिस में अंतरराष्ट्रीय व्यापार कांग्रेस का बाइसवाँ अधिवेशन हुआ ।

२० - महाराजा अलवर का स्वर्गवास हुआ ।

२१—शिमला में वायसराय ने बाय स्काउट कमिश्नर्स की कान्फ्रेंस का उद्घाटन किया ।

२२—ब्रिटिश सम्राट तथा सम्राज्ञी ने जलसेनाओं का निरीक्षण किया ।

२३—जान डी. राकफेलर (सीनियर) का स्वर्गवास हो गया ।

बुकारेस्ट में वर्ल्ड वायरलेस कान्फ्रेन्स की बैठक हुई।

२४—प्रधान मंत्री वाल्डविन ने 'साम्राज्य दिवस' की दावत में फेयरवेल एड्रस दिया।

२५—शिमला में वायसराय ने कैटल कान्फ्रेन्स का उद्घाटन किया।

२६—एम्पायर प्रेसयूनियन की कान्फ्रेन्स की लन्दन में बैठक हुई।

२७—मिश्र देश 'लीग आफ़ नेशन्स' का सदस्य हो गया।

२८—इंग्लैण्ड के प्रधान मंत्री श्रीयुत वाल्डविन ने पद त्याग दिया।

योरुपनिवासी हिन्दुओं ने लन्दन में एक मन्दिर बनवाने की घोषणा की।

पं० कृष्णकान्त मालवीय ने पेशावर के हिन्दू मुसलमानों को दंगा बन्द कर देने के लिये एक पत्र भेजा।

२९—बनारस के सुप्रसिद्ध तथा दानी बाबू गौरीशंकरजी का स्वर्गवास

३०—पेशावर के सिक्ख और मुसलमानों में समझौता हो गया।

३१—कानपुर के प्रसिद्ध व्यापारी सेठ कमलापति सिंहानिया का स्वर्गवास।

जून

१—बम्बई में हिन्दू-मुसलिम दंगा।

२—बलरामपुर राज्य के प्रसिद्ध विद्वान् पं० कन्हैयालाल का निधन।

३—ड्यूक आफ़ विंडसर का विवाह मिसेस सिम्पसन के साथ हुआ।

बंगलौर इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ़ साइन्स के डाइरेक्टर श्री० सी० वी० रमन ने इस्तीफ़ा दिया।

४—सीरिया में अरबों और तुर्कों में साम्प्रदायिक दंगा।

५—सर फ़ीरोज़ख़ाँ नून हाई कमिश्नर फ़ार इण्डिया ने बरार के युवराज का स्वागत इण्डिया हाउस लन्दन में किया।

अलीगढ़ विश्वविद्यालय ने भारत में सर्वप्रथम परदावाली स्त्रियों को बी० ए० डिगरी प्रदान करने का प्रबन्ध किया।

६—दिल्ली की 'जमैतुलउलेमाहिन्द' ने कांग्रेस का साथ छोड़ देने का निश्चय किया।

७—रिज़र्व बैंक एमेण्डमेण्ट बिल केन्द्रीय असेम्बली में पेश हुआ।

८—कानपुर का 'तरुण प्रेस' ज़मानत जमा न होने के कारण सरकार ने बन्द कर दिया।

९—सम्राट की वर्षगाँठ लन्दन में मनाई गई। शचीन्द्रनाथ बख़्शी काकोरी केस के अभियुक्त ने नैनीजेल में भूख हड़ताल शुरू की।

१०—सी० पी० सरकार ने लगान में छूट देने की योजना पर विचार किया।

११— श्री राबिन चटर्जी हाँथ पाँव बाँधकर लखनऊ सूरज कुण्ड में संसार के तैराकों से अधिक समय तक तैरे।

१२ - कम्यूनिस्ट षडयंत्र केस की कलकत्ते में सुनवाई।

१३—रूस में सोवियट नेताओं की फाँसी। श्री ए० वी० वेंकटेश्वरम् लीग आफ़ नेशन्स के इण्डियन ब्यूरो के इंचार्ज होकर भारत से जिनेवा गये।

१४—इण्डो-ब्रिटिश ट्रेड (व्यापार) वार्ता हुई।

१५—बंगाल टिनेन्सी एक्ट में सुधार किये गये।

१६—इलाहाबाद बोर्ड के अंग्रेज़ी दसमें व इण्टरमीडियेट दर्जों का परीक्षाफल प्रकाशित हुये।

१७—इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बी० ए० तथा एल० एल०बी० कक्षाओं का परीक्षाफल प्रकाशित हुआ।

१८—लखनऊ विश्वविद्यालय का परीक्षाफल प्रकाशित हुये।

१९—अमृतसर में साम्प्रदायिक दंगा शांत हुआ।

यू० पी० इन्कमटैक्स इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई।

२०— इण्डो-जेपानीज़ ट्रेड पैक्ट पर हस्ताक्षर हुये।

बम्बई में भयंकर वर्षा।

२१—मंत्री-पद-ग्रहण समस्या के सम्बंध में वाइसराय ने वक्तव्य प्रकाशित किया और गवरनरों से कांग्रेस को आश्वासन देने के लिए कहा।

२२—महाराजा बलरामपुर का राज्याभिषेक उत्सव मनाया गया।

२३—महाराजा ट्रावनकोर अपने साथियों समेत ईस्ट इण्डीज़ से भारत लौट आये।

२ —फिलिस्तीन कमीशन रिपोर्ट पर हस्ताक्षर हुये।

२५—पंजाब बेकारी जाँच कमेटी का निर्माण हुआ।

२६—पटना के श्रीयुत जैप्रकाशनारायण जेल से छोड़ दिये गये।

२७—भारत की रेल के सम्बन्ध में वजवड कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई।

२८—बम्बई में श्रीयुत बी० डी०

सावरकर का शानदार स्वागत हुआ।

२९—पंजाब ऐसेम्बली में ४१ मेम्बरों ने वाकआउट (walk-out) किया।

३०—बम्बई कारपोरेशम ने सेवा समिति सम्बन्धी कार्यवाहियों को स्थगित कर देने का निर्णय प्रकट किया।

जुलाई

१—बिहार सरकार ने झरिया कान्स-पिरेसी केस के राजनैतिक अभियुक्तों को मुक्त कर दिया। सर आनन्द सरूप साहेबजी महाराज दयालबाग का स्वर्गवास।

२—इंगलैण्ड के प्रधान मंत्री ने इंगलैण्ड के लिये एक चतुर्मुखी कार्यक्रम प्रकाशित किया।

३—मद्रास कारपोरेशन ने अपने व्वायस्काउटस का सम्बन्ध बेडिन पावेल संस्था से तोड़ देने का निश्चय किया।

४—सर एस० एन० पोचखनवाला का स्वर्गबास।

५—कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बरधा में बैठक।

६—'ऐडवान्स' के सम्पादक को छे महीने की सख्त सज़ा तथा ५०० जुर्माना हुआ।

७—कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने सर्व-सम्मति से मंत्री-पद-ग्रहण नीति स्वीकृत की।

८—बिहार तथा मध्यप्रदेश के अस्थाई मंत्री मंडलों ने त्यागपत्र दिया।

९—डा० खरे ने सर्व प्रथम मध्यप्रदेश मंत्री मंडल का निर्माण किया।

१०—जंजीबार में भारतीय व्यापारियों ने "लौंगव्यापार" के योरोपिअन एकाधिकार का शांतिमय बिरोध करने का निश्चय किया।

११—अरब के 'राष्ट्ररक्षक दल' (National defense party) ने फिलिस्तीन कमीशन रिपोर्ट की निन्दा की।

१२—वैंगपिंग क्षेत्र पर जापान का चीन पर आक्रमण।

१३—इन्दौर की महारानी का स्वर्ग-बास।

१४—जंज़ीबार में लौंग की खेती करने वाले भारतवासियों को मनोवाञ्छित अधिकार प्रदान किये जाने का आश्वासन दिया गया।

१५—श्रीयुत राजगोपालाचार्य ने मद्रास में कांग्रेस मन्त्रिमंडल का निर्माण किया।

१६—भारत सरकार ने शुगर कन्वेन्शन को स्वीकार न करने का अंतिम निर्णय दे दिया ।

१७—आइरिश फ्री स्टेट की सरकार ने अपने नये विधान का समर्थन किया ।

१८—ब्रिटेन और रूस के मध्य तथा ब्रिटेन और जर्मनी के मध्य जल सन्धियाँ हुईं ।

१९—कश्मीर की राजमाता का स्वर्गबास होगया ।

२०—मद्रास सरकार ने श्री यूसुफ मेहरअली की सारी सज़ा माफ़ करदी और उनको जेल से छोड़ देने की आज्ञा निकाल दी ।

२१—पंजाब के प्रधान मंत्री ने श्री० खान अब्दुलगफ़्फार खां को पंजाब में आने की अनुज्ञा प्रकाशित की ।

२२—श्री डिवेलरा आयरलैण्ड के पुनः सभापति चुने गये ।

२३—ब्रिटिश सम्राट ने बम्बई के गवर्नर श्री लम्ले को जी० सी० आई० ई० की पदवी प्रदान की

२४—बम्बई सरकार ने महाराष्ट्र नेता श्री सेनापति बापट को छोड़ दिया ।

२५—जापान ने ३७वीं चीनी डिवीजन फ़ौज पर भयंकर आक्रमण किया.

२६—श्री सम्पूर्णानन्द, अखिल भारतीय कांग्रेस सोशिलिस्ट पार्टी के सभापति, ने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया ।

२७—डा० ए० लक्ष्मण स्वामी मुदालियर मद्रास मेडिकल कालेज के प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए ।

२८—मद्रास सरकार ने 'कोटापटन समर स्कूल केस' के क़ैदियों को छोड़ देने की आज्ञा दी ।

२९—भारत में वोकेशनल शिक्षा पर एबट वुड रिपोर्ट प्रकाशित हुई .

३०—सर सैय्यद रास मसूद का स्वर्गबास हो गया ।

३१—अण्डमान में १८७ कैदियों ने हड़ताल तथा ७० ने भूख हड़ताल प्रारम्भ की ।

अगस्त

१—राबिन चटर्जी अमृतसर में ३४ घंटे तक लगातार तैरे ।

२—भारत सरकारने सितम्बर में होने वाले लीग एसेम्बली के अधिवेशन (जिनेवा) के लिये भारतीय प्रतिनिधियों को नियोजित किया ।

३—बम्बई सरकार ने २२७ ग़ैरकानूनी संस्थाओं से रोक हटाई. ।

४—वाइसराय और गांधी जी की दिल्ली में मुलाक़ात।

५—डा० के० पी० जायसवाल (पटना) का स्वर्गबास।

६—बिहार सरकार ने अपने प्रान्तीय क़ैदियों को अण्डमान से वापिस लेने के लिये आज्ञा प्रकाशित की।

७—सोवियट रूस तथा यूनाइटेड स्टेटस अमेरिका मे एक व्यापारी संधि हुई।

८—कानपुर में ५०००० मिल मज़दूरों नें हड़ताल की।

९—उत्तरी चीन में ३००० जापानी पेकिंग में घुसे।

१०—मध्य भारतीय देशी राज्यों की कान्फ्रेन्स की बैठक झांसी में हुई।

११—कानपुर की मिल हड़ताल का अन्त हुआ।

१२—आसाम के भूतपूर्व गवर्नर सर माइकेल कीन का स्वर्ग बास।

१३—बंगाल लेजिस्लेटिव एसेम्बली ने सदस्यों का १५०) माहवारी बेतन बांध दिया।

१४—बंगाल में अण्डमन के क़ैदियों के प्रति सहानुभूति रखने वाले जुलूस पर की गई लाठी वर्षा के विरुद्ध सारे भारत में अण्डमन दिवस मनाया गया।

१५—कानपुर के मिल मज़दूरों ने भीषण हड़ताल प्रारम्भ की।

१६—कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वर्धा में बैठक हुई।

१७—अण्डमन दिवस मनाने पर पुलिस द्वारा लाठी वर्षा करने के सम्बन्धन में कांग्रेस ने बंगाल असेम्बली में एडजर्नमेण्ट मोशन (काम रोकने का प्रस्ताव) रक्खा। पर रद्द कर दिया गया।

१८—चीनी फ़ौज़ों ने 'नन्को पास' में ५००० जापानियों को मार डाला।

१९—अमेरिका ने जापान तथा चीन को अमेरिका निवासियों को सुरक्षित रखने के लिये चेतावनी दी।

२०—कलकत्ता में प्रेसीडेन्सी जेल के क़ैदियोंने भूख हड़ताल करदी। अण्डमन में कुछ भूख हड़तालियों की भयानक दशा।

२१—सीमाप्रांत सरकार ने 'पब्लिक ट्रेंक्विलिटी एक्ट' के अनुसार पास किये हुये देश निर्वासन आज्ञाओं को वापिस ले लिया।

२२—केन्द्रीय असेम्बली की शिमला में बैठक हुई।

२३—ज़ंज़ीबार व्यवस्था के सम्बन्ध में श्री सत्यमूर्ति द्वारा रक्खा हुआ एडजर्नमेण्ट मोशन रद्द कर दिया गया।

२४—इंगलैण्ड के आदेशानुसार चीन ने शंघाई पर उदासीन नीति प्रयोग करने का वचन दिया।

२५—केन्द्रीय एसेम्बली में इन्श्योरेन्स बिल पर सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट रक्खी गई।

२६—केन्द्रीय असेम्बली में एडजर्नमेण्ट मोशन पास हुआ।

२७—बंगाल असेम्बली में अण्डमन क़ैदियों पर वाद विवाद होते समय कांग्रेस सदस्यों ने वाकआउट कर दिया।

२८—महात्मा गांधी ने देशीराज्यों से तथा उन प्रान्तों से जहां कांग्रेस का बहु मत नहीं है नशा बन्द करदेने के लिये एक वक्तव्य प्रकाशित किया।

२९—अण्डमन के कैदियों ने भूख हड़ताल तोड़ दी।

३०—चीन और रूस में शांतिस्थापन करने के लिये एक संधि हुई।

३१—चीनी हवाई जहाजों ने अमेरिका के 'प्रेसीडेण्ट हूवर' नामक जहाज़ पर बम्ब वर्षा की।

सितम्बर

१—चीन सरकार ने अमेरिका से 'प्रेसीडेण्ट हूवर' पर बम्ब वर्षा हो जाने के कारण माफ़ी मांगी।

२—केन्द्रीय असेम्बली ने सर ए० एच० ग़ज़नवी के 'कोस्टल ट्रैफिक बिल को सेलेक्ट कमेटी में देने का निश्चय किया।

३—सीमाप्रान्त मंत्रीमंडल ने अपने प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने के कारण इस्तीफा दे दिया।

४—केन्द्रीय असेम्बली में सरदार सन्तसिंह का 'आर्मी एक्सपेण्डीचर रिडक्शन मोशन' पास होगया।

५—डा० खां साहेब ने सीमा प्रांत में कांग्रेस मन्त्री मंडल का निर्माण किया।

६—बंगाल असेम्बलीग ने अपना बजेट पास किया।

७—चीन ने जापान के विरुद्ध अन्तरराष्ट्रीय लीग से शिकायत की।

८—वायसराय ने श्री० भूलाभाई देसाई, श्री० सत्यमूर्ति तथा अन्य कांग्रेस नेताओं से भेंट की।

९—सभापति रुज़वेल्ट ने चीनी युद्ध क्षेत्र से हट आने के लिये सब अमेरिकन्स को आज्ञा दी।

१०—'कान्फ्रेन्स आन पायरेसी' की नियन में बैठक।

११—वायसराय ने शिमला में ललित कलाओं की प्रदिर्शनी का ऊद्‌घाटन किया।

१२—इटैली ने नियम की कान्फ्रेंस में कुछ शर्तों पर भाग लेने का विचार प्रकट किया।

१३—जिनेवा में श्री० आग़ा खां के सभापतित्व में लीग की असेम्बली की १८वीं बैठक।

१४—सभापति मसारिक का देहान्त होगया।

१५—यूरोपीय बड़े राष्ट्रों ने एण्टी-पायरेसी एग्रीमेण्ट पर हस्ताक्षर किये।

१६—जापान ने उत्तरी चीन पर बड़ा आक्रमण किया।

१७—बम्बई की कांग्रेसी सरकार ने सत्याग्रह आन्दोलन में ज़ब्त की हुई जायदाद को वापिस देने के लिये आज्ञा जारी की।

१८—सर रोजर लम्ले ने बम्बई की गवर्नरी का चार्ज लिया।

१९—राजा महमूदाबाद के सभापतित्व में मुस्लिम लीग की लखनऊ में बैठक।

डा० कैलाशनाथ काठजू (मंत्री) बरेली बम्बकाण्ड के सम्बन्ध में बरेली गये।

२०—बम्बई सरकार ने अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा के लिये एक प्रस्ताव पास किया।

२१—जापान के यह घोषित करने पर कि नानकिंग पर बम्ब वर्षा होगी अमेरिकन राजदूत ने वहाँ से प्रस्थान कर दिया।

२२—इटैलीने नियन संधि का संशोधन करने के सम्बन्ध में फ्रान्स व इंगलैंड के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया।

२३—जापानी हवाई जहाजों ने कैन्टन तथा नानकिंग पर बम्बवर्षा की।

२४—अण्डमान के २४ राजनैतिक क़ैदी कलकत्ता आये।

२५—मद्रास असेम्बली में शराब-बन्दी बिल लाया गया।

२६—मुसोलिनी तथा हिटलर की म्यूनिच में भेंट।

२७—मद्रास सरकार ने मादक-वस्तु-निषेध बिल पास किया।

२८—केन्द्रीय असेम्बली ने एक प्रस्ताव द्वारा वायसराय से 'शुगर कन्वेन्शन' को स्वीकार न करने के लिये आग्रह किया।

२९—लार्ड पील का देहान्त हो गया। बंगाल असेम्बली में 'बंगाल टिनैन्सी अमेण्डिग बिल' पास हुआ।

३०—पं० नेहरू ने जापानी वस्तुओं का बायकाट करने के लिये अनुरोध किया।

श्रीयुत एम० एन० राय

श्रीमती कमला देवी चट्टोपाध्याय

श्रीयुत आचार्य नरेन्द्र देव

श्रीयुत भूलाभाई देसाई

श्रीयुत एम० ए० जिन्ना

श्रीयुत शरत चन्द्र बोस

अक्तूबर

१—फेडरल कोर्ट के चीफ़ जस्टिस तथा उनके दो सहकारी जज नियुक्त हुये।

२—केन्द्रीय असेम्बली में इन्श्योरेन्स बिल की तीसरी रीडिंग समाप्त हुई।

३—भारत में महात्मा गांधी की ६९वीं बर्षगाँठ मनाई गई।

४—इंगलैण्ड तथा फ्रान्स ने इटैली को स्पेन से अपने स्वयं सेवक हटा लेने के लिये कहा।

५—प्रोफेसर रैपसन का देहान्त।

६—लीग आफ नेशन्स की १३ सदस्यों की कमेटी ने चीन पर जापनी आक्रमण के विरुद्ध रिपोर्ट प्रकाशित की।

७—सर रोजर लम्ले सर्व प्रथम बम्बई कैबिनट पर सभापति बनकर बैठे।

८—जापान और इटैली ने पूर्वी देशों के संबंध में कान्फ्रेन्स में शामिल होने से इनकार कर दिया।

९—श्री० रवीन्द्रनाथ टागोर ने चीन पर जापानी आक्रमण का घोर विरोध किया।

१०—"आल इण्डिया पोलिटिकल प्रिज़नर्स रिलीज़ कान्फ्रेंस" की गर्दीबाला में बैठक हुई।

११—जापान ने हुपई में चीन के अन्तिम गढ़ को बिजय किया।

१२—लखनऊ में अखिल भारतीय शिया राजनैनिक कान्फ्रेंस की बैठक हुई।

१३—हिन्दोस्तान और जापान के बीच एक व्यापारिक संधि स्थापित हुई।

अलीगढ़ में स्थानीय बम्बकाण्ड के सम्बन्ध में अनेक गिरिफ़्तारियाँ हुई।

१४—सरदार पटेल ने राष्ट्रीय कांग्रेस के लिये हरिपुरा में बिट्ठलनगर बनवाना प्रारम्भ किया।

१५—लखनऊ में मि० एम० ए० जिन्ना के सभापतित्व में अखिल भारतीय मुस्लिमलीग कान्फ्रेन्स की बैठक हुई।

करांची में भाई परमानन्द के सभापतित्व में सिन्ध हिन्दू कान्फ्रेन्स की बैठक हुई।

१६—पेशावर में पं० नेहरू का अपूर्व स्वागत हुआ।

१७—भारत सरकार ने "इण्डो ब्रिटिश ट्रेड" वार्ता के सम्बन्ध में गये हुये भारतीय प्रतिनिधियों को लन्दन से वापिस बुलाया।

१८—अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पास किया।

१९—अमृतसर में मुस्लिम-सिक्ख दंगा प्रारम्भ हुआ।

२०—लार्ड रुदरफोर्ड का देहान्त।

२१—बोमू के प्रोफेसर जैकोबी का देन्हात।

२२—पार्लीमेण्ट स्थगित हुई। सम्राट ने निकट भविष्य में ही संघ-शासन चरितार्थ होने की घोषणा की।

२३—कुमारी जीन बैटन इंगलैण्ड से अस्ट्रेलिया को न्यूनतम समय में हवाई जहाज़ ले गई।

२४—मैसूर सरकार ने श्री नारीमैन को गिरिफ़्तार कर लिया।

२५—लार्ड टेनीसन अपनी क्रिकेट टीम के साथ भारत आये।

२६—कांग्रेस की मज़दूर समिति ने कांग्रेस मंत्री मंडलों के लिये ११ प्रस्तावों की एक विज्ञप्ति प्रकाशित की।

२७—जापान ने ब्रुसेल्स में होने वाले राष्ट्र सम्मेलन में भाग लेने से इनकार कर दिया।

२८—अण्डमन क़ैदियों की रिहायी के सम्बन्ध में महात्मा गांधी बंगाल मंत्री मंडल से मिले।

२९—श्री जी० पी० नेयर अटलाँटिक महासागर को हवाई जहाज़ से पार करते समय फ्रान्स में गिर पड़े।

३०—अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कलकत्ता में बैठक हुई।

३१—ट्रावनकोर के महाराज ने ट्रावनकोर विश्वविद्यालय के स्थापित किये जाने की घोषणा की।

नवम्बर

१—सर टामस स्टुवार्ट ने बम्बई काठियावाड़ एअर सर्विस का उद्घाटन किया।

२—सर ज्योफ्रे कारबेट का देहान्त।

३—ब्रुसेल्स में फार ईस्टर्न कान-फ्रेंस की बैठक।

४—बीकानेर में स्वर्णजयंती के अवसर पर वायसराय पधारे।

५—इटैली, जर्मनी और जापान में एक संधि हुई।

६—सर टामस स्टुवार्ट ने दिल्ली एअर सर्विस का उद्घाटन किया।

७—पं० नेहरू ने कांग्रेस मंत्री मंडलों के लिये एक वक्तव्य प्रकाशित किया।

८—श्रीयुत नारीमैन ने बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सभापतित्व से इस्तीफ़ा दे दिया।

६—श्रीयुत रमज़े मेकडोनल्ड का देहान्त।

१०—श्री सुभाष चन्द्र बोस कलकत्ता कारपोरेशन के ऐल्डर मैन चुने गये।

११—लार्ड तथा लेडी ब्रेबोर्न ने मारसेलीज़ से भारत के लिए जहाज़ से प्रस्थान किया।

१२—फ्रान्स के प्रसिद्ध लेखक रोजर मार्टिन डुगार्ड को साहित्य का नोबल पुरस्कार मिला।

१३—जापान ने नाण्टो पर अधिकार कर लिया।

१४—श्री एस. एस. बाटलीवाला पर क्रान्तिमय भाषण देने के अपराध में अभियोग चलाया गया।

१५—श्री एन. एन. सरकार ने एसेम्बली से पास किये हुए इन्शोंरेन्स बिल को कौंसिल आफ स्टेट में रक्खा।

१६—नई दिल्ली में वायसराय ने ट्रिनियल कानफ्रेन्स आफ स्काउट्स का उद्घाटन किया।

१७—मद्रास मन्त्रीमंडल ने नील की मूर्त्ति को हटा देने की आज्ञा दी।

१८—श्री सुभाष बाबू ने योरुप के लिये प्रस्थान किया।

१६—लार्ड हेलीफेक्स ने बर्लिन में श्री० हिटलर से भेंट की।

२०—भारत सरकार ने इण्टरनेशनल पैक्ट पर अनुमति दी।

२१—बंगाल के "हिन्दू-मुस्लिम युनिटी एशोसियेशन" का उद्घाटन हुआ।

२२—सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जगदीश चन्द्र बोस का देहान्त।

२३—सर जान एण्डरसन बंगालके गवर्नर इंगलेंड वापिस गये।

२४—"वर्धा शिक्षा समिति" ने अपनी रिपोर्ट महात्मा गांधी को पेश की।

२४—कौंसिल आफ़ स्टेट में इन्श्योरेन्स बिल पास हुआ।

२६—लार्ड ब्रेबोर्न बंगाल के गवर्नर नियुक्त होकर भारत आये।

२७—लाहौर में किसानों पर पुलिस ने गोली वर्षा की। अहमदाबाद में नवाब छतारी के सभापतित्व में स्वयं सेवकों (स्काउट्स) की गोलमेज़ कानफ़रेन्स हुई।

२८—अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर ब्रिटिश कैबिनेट से परामर्श करने के लिये फ्रान्स के मंत्री लन्दन आये।

२६—कलकत्ता में आल इण्डिया काउ प्रोटेक्शन कान्फ्रेंस की बैठक हुई।

३०—बड़ौदा के महाराज योरुप से लौट कर बम्बई आये।

दिसम्बर

१—जापान ने स्पेन में फ्रान्स के राज्य को स्वीकार कर लिया।

२—श्री राजगोपालाचार्य ने आन्ध्र विश्वविद्यालय में पदवीदान समारंभ में दीक्षांत भाषण दिया।

३—लार्ड लोथियन की भारत में आगमन।

४—सीमाप्रान्त के अब्दुल क़यूम का स्वर्गवास।

५—बंगाल सरकार ने सभी क़ैदी स्त्रियों को छोड़ने पर विचार प्रकट किया।

६—दिल्ली में फिडरल कोर्ट का उद्‌घाटन हुआ।

७—श्री० जी० ए० नेटसन मद्रास के शेरिफ नियुक्त हुये। सर गिरजाशंकर बाजपेई ने म्यूज़ियम्स कान्फ्रेंस का उद्‌घाटन किया।

८—श्री० एम० सी० सीतलवाड बम्बई के एडवोकेट जनरल नियुक्त हुये।

९—वायसराय ने दिल्ली में फारेस्ट कान्फ्रेन्स का उद्‌घाटन किया।

१०—डा० एन० हुसेन ने शिक्षा के सम्बन्ध में अपनी सप्तवर्षीय योजना प्रकाशित की।

११—बंगाल के गवर्नर ने क्षयरोग के विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया।

१२—इटली ने लीग से स्तीफा दे दिया।

१३—जापानियों ने नानकिंग पर अधिकार कर लिया।

१४—पं० मदन मोहन मालवीय ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पदवीदान समारंभ में दीक्षांत भाषण दिया।

१५—अमेरिका ने, "पैने" जहाज़ पर की गई बम्ब वर्षा का, विरोध किया। जापान ने हानि को पूरा करने का वचन दिया।

१६—मध्यप्रदेश असेम्बली ने नशा-बन्दी बिल पर विचार करना कुछ काल के लिये स्थगित कर दिया।

१७—मारशल चाँग काई शेक ने जापान का विरोध आजीवन करने के सम्बन्ध में एक वक्तव्य प्रकाशित किया।

१८—बिहार असेम्बली में टिनेन्सी बिल पास हुआ। सर जदुनाथ सरकार के सभापतित्व में हिस्टारिकल रिकार्डस कमीशन की लाहौर में बैठक हुई।

१९—आल इण्डिया इण्डस्ट्रीज़

कान्फ्रेन्स की लाहौर में बैठक का अंत हुआ।

२०—ट्रिवेंड्रम में ओरियण्टल कान्फ्रेन्स की बैठक हुई।

२१—मद्रास के शेरिफ ने क्षयरोग के विरुद्ध आन्दोलन के निमित्त सार्वजनिक सभा की।

२२—बार्सीलोना में बम्ब वर्षा तथा बहुत से सिविलियन्स की मृत्यु।

२३—फ्रैंक केलाग, सुप्रसिद्ध संधि के प्रणेता का देहान्त।

२४—जापानियों ने चीनियों पर हांगचू में चारों ओर से आक्रमण कर दिया।

२५—देवास (सीनियर) के महाराजा का स्वर्गवास।

२६—डा० बी० सी० राय के सभापतित्व में आल इण्डिया मेडिकल कानफ़रेन्स की मद्रास में बैठक।

२७—कलकत्ता में आल इण्डिया एजूकेशनल कानफ़रेन्स की बैठक।

२८—जापान ने सिवान को पूर्णतया ले लिया तथा क्याँगटंग पर आक्रमण किया।

२९—सर चिम्मनलाल सीतलबाड के सभापतित्व में नेशनल लिबरल फिडरेशन की कलकत्ता में बैठक।

३०—श्री० डा० बी० सी० राय इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन के सभापति चुने गये।

३१—श्री० रायबहादुर सी० एस० सुब्रामनियम, चेयरमैन इण्डो-कमर्शल बैंक, का स्वर्गवास।

समय ।

आर्यमतानुसार समय के विभाग

प्राचीन आर्यमतानुसार समय अथवा काल अनादि और अनन्त है । उसका अनाद्यनंतत्व निम्न लिखित विवेचन से स्पष्ट होगा ।

मनु तथा मन्वन्तर

जगत का नियन्ता ब्रह्मदेव माना जाता है । मानवी काल गणनानुसार जब ४ अब्ज ३२ हज़ार वर्ष व्यतीत होते हैं तब ब्रह्मदेव का एक दिवस होता है । जब इस प्रकार के दिवसों के १०० वर्ष व्यतीत होते हैं तब वह ब्रह्मदेव और उसकी सृष्टि लय को प्राप्त होती है । जग की उत्पत्ति होकर ब्रह्मदेव के ५० वर्ष हो चुके हैं । इस हिसाब से यह जगत कब उत्पन्न हुआ इसका पता चल सकता है । ब्रह्मदेव के एक दिवस के अन्तर्गत १४ मन्वन्तर होते हैं उनमें से स्वयंभु, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत व चाक्षुष समाप्त होकर वैवस्वत मन्वन्तर चालू है । इसके अनन्तर सावर्णि, दक्षसावर्णि, ब्रह्मसावर्णि, धर्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, देवसावर्णि और इन्द्रसावर्णि ऐसे ७ मनवन्तर होने वाले हैं ।

युग

प्रत्येक मनु ७१ महायुग तक रहता है । एक महायुग ४३,२०,००० वर्ष चलता है । अब तक २७ महायुग हुये और २८ वां चल रहा है । इस महायुग में से कृतयुग (सत्ययुग) १७,२८,००० वर्ष, त्रेतायुग १२,९६,००० वर्ष, द्वापरयुग ८,६४,००० वर्ष ऐसे तीन युग समाप्त हो चुके हैं और चतुर्थ युग अर्थात् कलियुग (४,३२,०००) वर्ष चलरहा है जिसमें ५०३१ वर्ष व्यतीत हो चुके हैं ।

युगों की उत्पत्ति

सतयुग की उत्पत्ति कार्तिक शुक्ल ९ प्रथम प्रहर, चन्द्र श्रवण नक्षत्र वृद्धि योग में हुई । इस युग में सूर्यग्रहण १६०० और चन्द्रग्रहण १०,००० हुये । मनुष्य आयुर्बल १ लाखवर्ष था; उँचाई २१ हाथ । द्रव्य रत्न और पात्र सुवर्ण था । प्राण ब्रह्मांडमय तथा तीर्थ पुष्कर ।

त्रेतायुग की उत्पत्ति वैशाख शुक्ल ३ चन्द्र रोहिणी नक्षत्र, शोभन योग द्वितीय प्रहर में हुई । इस युग में सूर्यग्रहण १८०० और चन्द्रग्रहण ११००० हुये । प्राण अस्थिमय । मनुष्य आयुर्बल १०००० वर्ष और उँचाई

१४ हाथ थी। द्रव्य सुवर्ण और पात्र चाँदी था। तीर्थ नैमिषारण्य।

द्वापरयुग की उत्पत्ति माघ कृष्ण ३० शुक्रवार, धनिष्ठा नक्षत्र, वरीयसि योग, वृष लग्न में हुई। इस युग में सूर्यग्रहण ३६००, और चन्द्रग्रहण २०,००० हुए। मनुष्य आयुर्बल १००० वर्ष, उंचाई ७ हाथ और प्राण रुधिरगत। चाँदी के सिक्कों का प्रयोग, ताम्र के पात्र का निर्माण। तीर्थ कुरुक्षेत्र।

कलियुग की उत्पत्ति भाद्रपदकृष्ण १३ रविवार, चन्द्र आश्लेषा नक्षत्र में व्यतिपात योग, अर्ध रात्रि, मिथुन लग्नोदय में हुई। मनुष्यायुर्बल १०० वर्ष, उँचाई ३॥ हाथ, प्राण अन्नमय, द्रव्य कूट और पात्र मिट्टी। अस्थि का व्यवहार, तीर्थ गङ्गा।

वर्ष।

वेद कालीन ज्योतिष शास्त्रज्ञों ने कालमान का माप निश्चित करके समय के छोटे विभाग इस प्रकार किये हैं—वर्ष, ऋतु, मास, वार।

सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की एक प्रदक्षिणा समाप्त होने में जो काल व्यतीत होता है उसे सौर वर्ष कहते हैं। इसमें ३६५ दिन, ५ घंटे ४८ मिनट ४७॥ सेकंड होते हैं परन्तु चन्द्र भी पृथ्वी के चारों ओर फिरता है। उस में २७ दिन, १२ घण्टे ४८ मिनट और ४७॥ सेकन्ड लगते हैं किन्तु एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक चन्द्र को पहुंचने में जो कालक्षेप होता है उसे चन्द्र का एक मास कहते हैं और इस प्रकार के १२ मास को चान्द्रवर्ष कहते हैं। चान्द्रवर्ष में ४५३ दिन ६ घंटे ४८ मिनट ३३. ४४ सेकण्ड होते हैं।

प्राचीन काल में कुछ समय तक ५ सौर वर्षों को एक लघुयुग और ५ गुरुवर्षों को अर्थात् ६०वर्षों को युग कहने की प्रथा चलती रही। पंचवार्षिक युग के वर्षों के नाम इस प्रकार थे—सम्वत्सर, परिवत्सर, इदावत्सर, अनुवत्सर, इदवत्सर। ६० सौर मास अथवा ६२ चान्द्रमास का एक युग में अर्थात् सम्वत्सर में ३६५ दिन परिवत्सर में ३५४ दिन, इदाबत्सर में ३८४ दिन, अनुवत्सर में ३५४ दिन और इदवत्सर में ३८३ दिन समझे जाते थे। इनके प्रीत्यर्थ यज्ञ में आहुति दी जाती थी। किन्तु अब इन युगों के मानने की प्रथा नहीं है। बृहस्पति को सूर्य के चारों ओर फिरने में १२ बर्ष लगते हैं इसलिये यह वर्ष बार्हसपत्य अथवा गुरुवर्ष कहलाता है। इस प्रकार ५ गुरुवर्षों में ६० साधारण वर्ष अथवा सम्वत्सर होते हैं जिनमें प्रत्येक का एक नाम होता है जो प्रभव से आरंभ होकर क्षय तक है। सम्वत्सरों के ये नाम आज तक प्रचलित हैं।

ऋतु ।

ऋतु ६ हैं—वसन्त (चैत्र-वैशाख) ग्रीष्म (ज्येष्ठ-आषाढ़) वर्षा (श्रावण-भाद्रपद) शरत् (आश्विन-कार्तिक) हेमन्त (मार्गशीर्ष-पौष) शिशिर (माघ-फाल्गुन)।
पूर्वामनु प्रदिशं पार्थिवानामृतून प्रशासद्विदधावनुष्ठ ॥ ऋ० १-६५-३१ सूर्य, ऋतुओं का नियमन कर, पृथ्वी की पूर्वादि दिशायें एक के बाद दूसरी निर्माण करता है। तैत्तिरेय संहिता में भी उपरोक्त षड्ऋतुओं के नाम दिये हैं,किसी २ स्थान पर हेमन्त और शिशिर का एकीकरण करके केवल ५ ऋतु माने हैं "वसन्तो ग्रीष्मो वर्षाः ते देवा ऋतवः शरद्धेमतः शिशिरस्ते पितरो ·····स यत्रोदगा वर्तते देवेषु तर्हि भवति······यत्र दक्षिणा वर्तते पितृषु तर्हि भवति।(शतपथ ब्राह्मण २-१)वसन्तादि पहले तीन ऋतु देवों के माने जाते हैं और शेष पितरों के इसी कारण भीष्म पितामह ने दक्षिणायन में (अर्थात् पितृ ऋतुओं के मध्य) प्राण त्यागना उचित न समझा।

मास

चन्द्र की साम्वत्सरिक गति २७ नक्षत्रों द्वारा होती है उस में से जो नक्षत्र जिस पौर्णिमा को उदय होता है उसी के अनुसार मास का नाम रक्खा गया है। उदाहरणार्थ चित्रा नक्षत्र युक्त पौर्णिमा वाला मास चैत्र। इसी प्रकार विशाखा, ज्येष्ठा, अषाढ़ा, श्रवण नक्षत्रों युक्त भिन्न भिन्न मास के नाम हैं। कभी २ इन नक्षत्रों का उदय आगे पीछे भी होता है।

वार।

वारों के नाम वेदों में नहीं हैं। वार की जगह वासर शब्द मिलता है। अथर्वज्योतिष में इस प्रकार श्लोक है—

आदित्यः सोमो भौमश्च
तथा बुध बृहस्पती
भार्गवः शनैशचरैशचैव
एते सप्तदिनाधिपाः ॥

याज्ञवल्क्य स्मृति में भी इस प्रकार श्लोक है।

सूर्यः सोमो महीपुत्रः
सोमपुत्रो बृहस्पतिः।
शुक्रः शनैश्चरो राहुः
केतुश्चेते ग्रहाः स्मृताः ॥

इसमें नवग्रहों के नाम दिये हैं। इससे पता चलता है कि याज्ञवल्क्य ऋषि के समय में दिनों के नाम प्रचलित हो गये होंगे।

पंचाङ्ग।

जिसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण ये पांच अंग हों उसे पंचाङ्ग कहना चाहिये। इसी कारण

जिस पुस्तक में वर्ष सम्बन्धी ग्रहों तथा नक्षत्र राशि इत्यादि का ज्ञान रहता है उसे पंचांग कहने का प्रचात पड़ गया है ।

तिथि ।

आमावस्या के दिन सूर्य और चन्द्र एक स्थान में रहते हैं और चन्द्र प्रति दिन हटता २ दूसरी ओर पौर्णिमा तक जाता है और फिर वापिस आते २ अमावास्या को सूर्य के साथ एक स्थान में आजाता है। इस गति के ३६० अंश होते हैं और इन ३६० अंशों में ३० तिथियां होती हैं अर्थात् १ चांद्र मास में ३६० अंश और ३० तिथियाँ होती हैं। दूसरे अर्थ से १ तिथि में चन्द्र १२ अंश सूर्य से हट जाता है। ६३.६ दिनों में १ तिथि का लोप हो जाता है अर्थात् १२ चन्द्र मासों में ५, ६ तिथियों का लोप हो जाता है। दो दिन सूर्योदय पर एक ही तिथि रहने से तिथि वृद्धि और सूर्योदय पर तिथि न रहने पर तिथि क्षय होती है।

वार ।

सूर्योदय से लेकर दूसरे सूर्योदय तक के काल को वार कहते हैं।

नक्षत्र ।

नक्षत्र मण्डल के २७ भाग किये गये हैं जिस प्रत्येक भाग में ८०० कलायें होती हैं। इस प्रत्येक भाग के भ्रमण करने में चन्द्र को जितना समय लगता है उस काल को नक्षत्र कहते हैं। ताराओं के कुछ विशिष्ट समूह को भी नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र २७ हैं। वे इस प्रकार हैं—अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहणी, मृग, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा, उत्तरा, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शततारका, पूर्वाभाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा, रेवती, इन्हीं नक्षत्रों से मिलकर १२ राशियां बनती हैं जो इस प्रकार हैं—मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धन, मकर, कुम्भ, मीन।

योग ।

चन्द्र सूर्य के भोगमान को योग (जोड़) करके उस पर से ८०० कलाओं के योग आने में जो काल व्यतीत होता है उसे योग कहते हैं।

करण ।

तिथि के आधे काल को करण कहते हैं।

—:०:—

ज्योतिष शास्त्र ।

ज्योतिष शास्त्र को इस उच्चावस्था तक पहुंचाने का श्रेय आर्यभट्ट (शक ३९८) वराहमिहिर (शक ५२१) ब्रह्मगुप्त (शक ५२०) प्रभृत प्राचीन पण्डितों को है। जयपुर, काशी, उज्जयनी, मथुरा, तक्षशिला आदि स्थानों में आकाश में ग्रह तथा नक्षत्रों

के वेध देखने के लिये वेध शालायें थीं।

ज्योतिष शास्त्र पर अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं । १८ सिद्धान्त लिखे गये थे ऐसा कहते हैं जिनमें से पाराशर तन्त्र,, गर्ग संहिता, ब्रह्म-सिद्धान्त सूर्य सिद्धांत वशिष्ट सिद्धान्त, रोमकसिद्धान्त पुलस्त सिद्धान्त प्रसिद्ध हैं। इन अन्त के पांच सिद्धान्तों से वराहमिहिर ने पंचसिद्धान्तिका नामक ज्योतिष ग्रन्थ लिखा ।

—:०:—

प्रचलित सन् ।

भारत में अनेक सन् ज़ारी हैं उनका संक्षिप्त वर्णन निम्न लिखित है—

सप्तर्षि काल ।

काल की गणना की यह पद्धति काश्मीर तथा उसके निकटवर्ती प्रान्तों में चालू है। इसे "लौकिक काल" अथवा "शास्त्र काल" भी कहते हैं। ध्रुव नक्षत्र के चारों ओर १०० वर्ष में सप्तर्षि एक नक्षत्र आक्रमण करते हैं। इस प्रकार २७०० वर्ष में प्रदक्षिणा पूर्ण होती है। इसी सिद्धान्त पर यह काल गणना निर्धारित है। प्रत्येक सौ वर्ष के अनन्तर वर्षों के पहिले नाम का आरम्भ हो जाता है।

बिक्रम संम्वत ।

उत्तरी हिन्दुस्तान में (बङ्गाल को छोड़ कर) यह सम्वत् प्रचलित है। ईस्वी सन् के ५६ वर्ष पहिले इस सम्बत् का प्रारम्भ माना जाता है परन्तु उसके ६०० वर्ष पीछे तक भी इस सम्बत् का उल्लेख प्राचीन ग्रन्थों में नहीं मिलता ऐसा विद्वानों का मत है। ऐसा भी कहते हैं कि लगभग ६०० ईस्वी में उज्जैन के प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य ने परदेशी आक्रमण करने वालों को परास्त किया इस कारण उक्त विक्रमादित्य के नाम से यह सम्बत्सर जारी हुआ। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि यह सम्बत् ईस्वी सन् के ५६ वर्ष पूर्व से मालव-कुलोत्पन्न लोगों में जारी था और बिक्रमादित्य के काल में मालव जाति की उन्नति हुई इस कारण उसका नाम इस सम्बत् से सम्बद्धित कर दिया गया।

शालिवाहन शक ।

शालिवाहन नामक एक कुम्हार के पुत्रने मिट्टी की सेना तैयार करके उसमें जीव भर दिया और इस मिट्टी की सेना से शक जाति को परास्त किया। स्पष्ट अर्थ यही है कि मृत्तिकावत् निर्जीव प्रजा को उत्तेजना देकर शालिबाहन ने युद्ध करने पर तत्पर कर दिया और शक जाति के योद्धाओं को हरा कर नर्मदा के पार उत्तर की ओर भगा दिया। इसी बिजय के उपलक्ष में शालिबाहन नृप शक आरम्भ किया गया। मलवार व तिन्नेवल्ली प्रदेश छोड़ कर यह शक सारे दक्षिण भारत में

प्रचलित हैं। इसका वर्ष चांद्र व सौर है। भारत के उत्तरी प्रदेशों में से अनेक प्रदेशों में अन्य स्थानिक सम्वत्सरों के साथ शक सन् का भी उपयोग किया जाता है। नर्मदा के उत्तर में इसके महीने पौर्णिमान्त हैं और दक्षिण भाग में अमान्त हैं। इसका आरम्भ ईस्वी सन् के ७८ वें वर्ष में हुआ। कतिपय इतिहासकारों का कहना है कि ईस्वी सन् की पहिली शताब्दी में शक राजा कनिष्क के नाम से यह शक आरम्भ हुआ अर्थात् बौद्ध धर्मीय राजा के नाम का यह शक है। इस राजा ने कश्मीर और पश्चिमी भारत पर अपनी सत्ता जमाई इस कारण यह शक प्रचलित हुआ। तिब्बत, ब्रह्मदेश, जावा, सिंहल द्वीप इत्यादि प्रदेशों में शक प्रचलित था। प्राचीन लेखों में "शक नृप काल" "शकेन्द्र काल" ऐसा वर्णन है। बंगाल के पंचांगों में "शकनरपतेः अतिताब्द" वर्णन रहता है।

हिजरी सन्

यह सन् अरबस्थान का है। मुसलमानी धर्म के संस्थापक श्री मुहम्मद पैग़म्बर को धर्म सम्बन्धी सुधारणायें करने के प्रयत्नों के कारण अपने प्राण रक्षा करने के निमित्त मक्का से मदीना भागना पड़ा। वह समय हिजरी अथवा पलायन काल नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसका प्रारम्भ ई० स० ६२२ में ता० १५ जुलाई को हुआ। शक शालिवाहन ५४४ (सम्बत् ५६६ वि०) श्रावण शुक्ल २ गुरुवार रात्रि काल अथवा मुसलमानी शुक्रवार की रात्रि को आरम्भ हुआ। बारा चांद्र मास मिलकर ३५४-५५ दिनों का हिजरी वर्ष होता है। वार का आरम्भ सूर्यास्त से होता है। यह सन् मुसलमानी शासन काल में भारत में आया।

बंगाली सन्

बंगाली सन् बंगाल में प्रचलित है। इसका आरम्भ ईसवी सन् के ५९३ वर्ष बाद हुआ। वर्ष का आरम्भ मेष संक्रांति से (चैत्र वैशाख) होता है। इस प्ररम्भिक मास को वैशाख कहते हैं।

विलायती सन् व अमली सन्

उड़िया प्रान्त के राजा इन्द्रद्युम्न की जन्म तिथि भाद्र पद शुक्ल १२ से अमली वर्ष आरम्भ होता है। वर्ष चांद्र और सौर है।

विलायती सन् बंगाल के कुछ भागों में और विशेषतः उड़ीसा प्रान्त में प्रचलित है। इसका वर्ष सौर है किन्तु मासों के नाम चांद्र हैं। वर्षारम्भ कन्या राशि की संक्रान्ति से (भाद्र पद से) होता है।

फ़सली सन्

ये दोनों सन् ईसवी सन् के पश्चात ५९२ से आरम्भ हुये हैं।

अकबर ने यह सन् आरम्भ किया। अकबर का राज्यारोहण ई० स०

१५५६ में हुआ। उसी समय से फ़सली सन् का प्रारम्भ है। वर्षारम्भ आश्विन कृष्ण १ से होता है। ईस्वी सन् से फ़सली सन् ५९२-९३ वर्ष कम है। यह सन् फसलों के हिसाब से है।

सूर सन्

यह सन् मराठों के शासन काल में प्रचलित रहा। इस सन् को शाहूर सन् भी कहते हैं। कहीं कहीं अब भी जारी है। ईस्वी सन् से ५९९-६०० वर्ष कम है। महीनों के नाम मुसलमानी हैं।

मगी सन्

यह सन् चिटगांव (पूर्वी बंगाल) की ओर प्रचलित है। बंगाली सन् से ४५ वर्ष कम है अन्यथा दोनों एक से हैं।

कोल्लम अथवा परशुराम कोल

यह सन् केरलदेश अर्थात् मलावार में जारी है। मङ्गलौर से राजकुमारी तक कोल्लम काल कहते हैं। मासों के नाम राशियों के अनुसार हैं जैसे कन्नी व चिंगभ नाम कन्या व सिंह राशियों के अपभ्रंश हैं। मलावार के उत्तर भाग में कन्या राशि में सूर्य आते ही (अर्थात् भाद्र पद में) वर्षारम्भ होता है। अन्य स्थानों में सिंह राशि में सूर्य आते ही (श्रावण) में वर्ष आरम्भ होता है। १००० वर्ष का एक चक्र इस प्रकार चौथा चक्र चालू है। ऐसा वहां के लोग कहते हैं। ईस्वी सन् से ८२४-२५ वर्ष यह सन् कम है। केरल प्रदेश परशुराम ने समुद्र से मुक्त किया इस कारण यह काल उनके नाम से जारी हुआ ऐसी बदन्ती है।

राज शक

श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने ज्येष्ट शुक्ल १३ आनन्द नाम सम्बतसर शके १५९६ को आरम्भ किया। यह वर्ष उसी तिथि से बदलता है। ई० सन् से यह वर्ष १६७३-७४ वर्ष कम है।

ईस्वी सन्

अंग्रेजी राजसत्ता भारत में स्थापन होने के साथ ही यह सन् भारत में जारी हुआ। सुप्रसिद्ध धर्म संस्थापक येशूख्रिस्त की जन्म तिथि से यह सन् आरम्भ हुआ। पहिली जनवरी से आरम्भ होता है। प्रत्येक मास के दिन निश्चित हैं। और यह वर्ष सौर वर्ष होने के कारण ४ वर्ष में फरवरी मास में १ दिन जोड़ दिया जाता है। किन्तु १०० वर्ष में १ दिन की अधिकता पड़ जाती है इस कारण फरवरी मास के २८ ही दिन प्रत्येक १०० वर्ष में रक्खे जाते हैं। तृतीय जार्ज के समय में एक वर्ष में से एकदम ११ दिन कम कर दिये गये और सौर वर्ष से मिलान कर लिया गया।

——:०:——

जगत के भिन्न २ स्थानों का समय।

ग्रीनविच (इंगलैण्ड) १२ बजे मध्यान्ह।

म० पू० = मध्यान्ह पूर्व म० प० = मध्यान्ह पश्चात्।

स्थान	समय	स्थान	समय
एडलेड	६–१४ म० प०	बर्लिन	०–५४ म० प०
एडिनबर्ग	११–४७ ,,	बरनी	०–३० म० प०
आकलैंण्ड(न्यूज़ीलैण्ड)	१–३६ ,,	बम्बई	४–५१ ,,
कलकत्ता	५–५३ ,,	बोस्टन (यू० एस०)	७–१६ म० पू०
केप आफ गुडहोप	१–१४ ,,	ब्रूसबेन(क्वीन्सलैण्ड)	१०–१२म०प०
कांस्टेन्टीनोपल कुस्तुन्तुनिया	१–५६ ,,	ब्रुसल्स	०–१७ ,,
		मद्रास	५–२१ ,,
क्यूबेक	७–१५ म० पू०	मेड्रिड	११–४५ म० पू०
ग्लासगो	११–४३ ,,	मालटा	०–५८ म प०
जेरुसलम	२–२१ म० प०	मेलबोन (आस्ट्रिया)	६–४० ,,
टोरोण्टो	६–४२ म० पू०	मास्को	२–३० ,,
डब्लिन	११–३५ ,,	रोम (इटली)	०–५० ,,
न्यूफाउण्डलैण्ड	८–२६ ,,	राटरडेम	०–१८ ,,
न्यूयार्क	७–४ ,,	लिसबन	११–२३ म० पू०
पेरिस	६–६ म० प०	व्हेन्कोवर	३–३८ ,,
पेकिन	७–४६ ,,	व्हायना	१–५ म० प०
पेनजेन्स	११–३७ म० पू०	सिडनी	१०–५ ,,
पर्थ (आस्ट्र०)	७–४३ म० प०	स्वेज़	२–१० ,,
पोर्ट मोरेसबी	१०–४ ,,	सैनफ्रान्सिसको पोर्ट	३–५२ म० पू०
प्रेग	८–५८ ,,	सेन्ट पिटर्सबर्ग	२–१ म० प०
फ्लारेन्स	०–४५ म० पू०	स्टाकहाल्म	१–१२ ,,
फिलाडेलफिया	६–५६ ,,	हावर्ट (टस्मानिया)	६–४६ ,,

❀ कलेण्ड सन् १९३८ ई० ❀

जनवरी

रविवार	३०	२	९	१६	२३
चन्द्रवार	३१	३	१०	१७	२४
मंगलवार	❀	४	११	१८	२५
बुधवार	❀	५	१२	१९	२६
गुरुवार	❀	६	१३	२०	२७
शुक्रवार	❀	७	१४	२१	२८
शनिवार	१	८	१५	२२	२९

फ़रवरी

रविवार	❀	६	१३	२०	२७
चन्द्रवार	❀	७	१४	२१	२८
मंगलवार	१	८	१५	२२	❀
बुधवार	२	९	१६	२३	❀
गुरुवार	३	१०	१७	२४	❀
शुक्रवार	४	११	१८	२५	❀
शनिवार	५	१२	१९	२६	❀

मार्च

रविवार	❀	६	१३	२०	२७
चन्द्रवार	❀	७	१४	२१	२८
मंगलवार	१	८	१५	२२	२९
बुधवार	२	९	१६	२३	३०
गुरुवार	३	१०	१७	२४	३१
शुक्रवार	४	११	१८	२५	❀
शनिवार	५	१२	१९	२६	❀

अप्रैल

रविवार	❀	३	१०	१७	२४
चन्द्रवार	❀	४	११	१८	२५
मंगलवार	❀	५	१२	१९	२६
बुधवार	❀	६	१३	२०	२७
गुरुवार	❀	७	१४	२१	२८
शुक्रवार	१	८	१५	२२	२९
शनिवार	२	९	१६	२३	३०

मई

रविवार	१	८	१५	२२	२९
चन्द्रवार	२	९	१६	२३	३०
मंगलवार	३	१०	१७	२४	३१
बुधवार	४	११	१८	२५	❀
गुरुवार	५	१२	१९	२६	❀
शुक्रवार	६	१३	२०	२७	❀
शनिवार	७	१४	२१	२८	❀

जून

रविवार	❀	५	१२	१९	२६
चन्द्रवार	❀	६	१३	२०	२७
मंगलवार	❀	७	१४	२१	२८
बुधवार	१	८	१५	२२	२९
गुरुवार	२	९	१६	२३	३०
शुक्रवार	३	१०	१७	२४	❀
शनिवार	४	११	१८	२५	❀

जूलाई

रविवार	३१	३	१०	१७	२४
चन्द्रवार	❀	४	११	१८	२५
मंगलवार	❀	५	१२	१९	२६
बुधवार	❀	६	१३	२०	२७
गुरुवार	❀	७	१४	२१	२८
शुक्रवार	१	८	१५	२२	२९
शनिवार	२	९	१६	२३	३०

अगस्त

रविवार	❀	७	१४	२१	२८
चन्द्रवार	१	८	१५	२२	२९
मंगलवार	२	९	१६	२३	३०
बुधवार	३	१०	१७	२४	३१
गुरुवार	४	११	१८	२५	❀
शुक्रवार	५	१२	१९	२६	❀
शनिवार	६	१३	२०	२७	❀

सितम्बर

रविवार	❀	४	११	१८	२५
चन्द्रवार	❀	५	१२	१९	२६
मंगलवार	❀	६	१३	२०	२७
बुधवार	❀	७	१४	२१	२८
गुरुवार	१	८	१५	२२	२९
शुक्रवार	२	९	१६	२३	३०
शनिवार	३	१०	१७	२४	❀

अक्टूबर

रविवार	३०	२	९	१६	२३
चन्द्रवार	३१	३	१०	१७	२४
मंगलवार	❀	४	११	१८	२५
बुधवार	❀	५	१२	१९	२६
गुरुवार	❀	६	१३	२०	२७
शुक्रवार	❀	७	१४	२१	२८
शनिवार	१	८	१५	२२	२९

नवम्बर

रविवार	❀	६	१३	२०	२७
चन्द्रवार	❀	७	१४	२१	२८
मंगलवार	१	८	१५	२२	२९
बुधवार	२	९	१६	२३	३०
गुरुवार	३	१०	१७	२४	❀
शुक्रवार	४	११	१८	२५	❀
शनिवार	५	१२	१९	२६	❀

दिसम्बर

रविवार	❀	४	११	१८	२५
चन्द्रवार	❀	५	१२	१९	२६
मंगलवार	❀	६	१३	२०	२७
बुधवार	❀	७	१४	२१	२८
गुरुवार	१	८	१५	२२	२९
शुक्रवार	२	९	१६	२३	३०
शनिवार	३	१०	१७	२४	३१

चैत्र बैशाख सम्बत् १९९५
ता० १ अप्रैल से ३० अप्रैल १९३८

वार	चैत्र बैशाख	सफ़र	अप्रैल	विशेष विवरण
शु	१	२९	१	
श	२	३०	२	
र	३	१	३	सफ़र
चं	४	२	४	
मं	५	३	५	
बु	६	४	६	
गु	७	५	७	
शु	८	६	८	रामनवमी
शु	९	०	०	
श	१०	७	९	
र	११	८	१०	
चं	१२	९	११	
मं	१३	१०	१२	
बु	१४	११	१३	
गु	१५	१२	१४	हनुमज्जन्म
शु	१	१३	१५	वैषाख
श	२	१४	१६	
र	३	१५	१७	
चं	४	१६	१८	
मं	५	१७	१९	
बु	६	१८	२०	
गु	६	१९	२१	
शु	७	२०	२२	
श	८	२१	२३	
र	९	२२	२४	
चं	१०	२३	२५	
मं	११	२४	२६	
बु	१२	२५	२७	
गु	१३	२६	२८	
शु	१४	२७	२९	
श	३०	२८	३०	

बैषाख ज्येष्ठ सम्बत् १९९५
ता० १ मई से २९ मई १९३८

वार	बैशाख ज्येष्ठ	रबीउल अव्वल	मई	विशेष विवरण
र	१	२९	१	
र	२	०	०	
चं	३	१	२	रबीउलअव्वल
मं	४	२	३	
बु	५	३	४	
गु	६	४	५	
शु	७	५	६	
श	८	६	७	
र	९	७	८	
चं	१०	८	९	
मं	११	९	१०	
बु	१२	१०	११	
गु	३	११	१२	
शु	१४	१२	१३	
श	१५	१३	१४	
र	१	१४	१५	ज्येष्ठ
चं	२	१५	१६	
मं	३	१६	१७	
बु	४	१७	१८	
गु	५	१८	१९	
शु	६	१९	२०	
श	७	२०	२१	
र	८	२१	२२	
चं	९	२२	२३	
मं	१०	२३	२४	
बु	११	२४	२५	
गु	१२	२५	२६	
शु	१३	२६	२७	
श	१४	२७	२८	
र	३०	२८	२९	वटपूजन

ज्येष्ठ आषाढ़ सम्बत् १९९५
ता० ३० मई से २७ जून १९३८

वार	ज्येष्ठ आषाढ़	रबीउल आख़िर	मई, जून	विशेष विवरण
चं	१	२९	३०	
मं	२	१	३१	रबीउलआख़िर
बु	३	२	१	जून
गु	४	३	२	•
शु	५	४	३	
शु	६	०	०	
श	७	५	४	
र	८	६	५	
चं	९	७	६	
मं	१०	८	७	गंगा दशहरा
बु	११	९	८	भीमसेनी एका०
गु	१२	१०	९	
शु	१३	११	१०	
श	१४	१२	११	
र	१५	१३	१२	
चं	१	१४	१३	आषाढ़
मं	१	१५	१४	
बु	२	१६	१५	
गु	३	१७	१६	
शु	४	१८	१७	
श	५	१९	१८	
र	६	२०	१९	
चं	७	२१	२०	
मं	८	२२	२१	
बु	९	२३	२२	
गु	१०	२४	२३	
शु	११	२५	२४	
श	१२	२६	२५	
र	१३	२७	२६	
र	१४	०	०	
चं	३०	२८	२७	

आषाढ़ श्रावण सम्बत् १९९५
ता० २८ जून से २७ जुलाई १९३८

वार	आषाढ़ श्रावण	जमादिउलअव्वल	जून जौलाई	विशेष विवरण
मं	१	२९	२८	
बु	२	३०	२९	
गु	३	१	३०	जमादिउलअव्व
शु	४	२	१	जुलाई
श	५	३	२	
र	६	४	३	
चं	७	५	४	
मं	८	६	५	
बु	९	७	६	
गु	१०	८	७	
शु	११	९	८	
श	१२	१०	९	
र.	१३	११	१०	
चं	१४	१२	११	
मं	१५	१३	१२	आषाढ़ी
बु	१	१४	१३	श्रावण
गु	२	१५	१४	
शु	३	१६	१५	
श	४	१७	१६	
र	५	१८	१७	नागपंचमी
चं	६	१९	१८	
मं	७	२०	१९	
बु	८	२१	२०	
गु	९	२२	२१	
शु	१०	२३	२२	
श	११	२४	२३	
र	१२	२५	२४	
चं	१३	२६	२५	
मं	१४	२७	२६	
बु	३०	२८	२७	

श्रावण भाद्र सम्बत् १९९५
ता० २८ जौलाई से २५ अगस्त १९३८

वार	श्रावण भाद्र	जमादिउलआख़िर	जौलाई अगस्त	विशेष विवरण
बु	१	०	०	
गु	२	२९	२८	
शु	३	१	२९	
श	४	२	३०	जमादिउल-
र	५	३	३१	आख़ीर
चं	६	४	१	अगस्त
मं	७	५	२	
बु	८	६	३	
गु	९	७	४	
शु	१०	८	५	
श	११	९	६	
र	१२	१०	७	
चं	१३	११	८	
मं	१३	१२	९	
बु	१४	१३	१०	
गु	१५	१४	११	रक्षाबन्धन
शु	१	१५	१२	भाद्र
श	२	१६	१३	
र	३	१७	१४	
चं	४	१८	१५	
मं	५	१९	१६	
बु	६	२०	१७	
गु	७	२१	१८	
शु	८	२२	१९	कृष्णजन्म
शु	९	०	०	
श	१०	२३	२०	
र	११	२४	२१	
चं	१२	२५	२२	
मं	१३	२६	२३	
बु	१४	२७	२४	
गु	३०	२८	२५	

भाद्र आश्विन सम्वत् १९९५
ता० २६ अगस्त से २३ सितम्बर १९३८

वार	भाद्र आश्विन	रज्जब	अगस्त सितम्बर	विशेष विवरण
शु	१	२९	२६	
श	२	१	२७	रज्जब
र	३	२	२८	हरतालिका
चं	४	३	२९	गनेशचतुर्थी
मं	५	४	३०	
बु	६	५	३१	
गु	७	६	१	सितम्बर
शु	८	७	२	दधीचि जयन्ती
श	९	८	३	
र	१०	९	४	
चं	११	१०	५	
मं	१२	११	६	वामन जयन्ती
बु	१३	१२	७	
गु	१४	१३	८	अनन्त चौदस
शु	१५	१४	९	
श	१	१५	१०	आश्विन
र	२	१६	११	
चं	३	१७	१२	
मं	४	१८	१३	
बु	५	१९	१४	
गु	६	२०	१५	
शु	७	२१	१६	
श	८	२२	१७	
र	९	२३	१८	
चं	१०	२४	१९	
मं	११	२५	२०	
बु	१२	२६	२१	
बु	१३	०	०	
गु	१४	२७	२२	
शु	३०	२८	२३	

आश्विन कार्तिक सम्वत् १९९५
ता० २५सितम्बर से २३अक्टूबर१९३८

वार	आश्विन कार्तिक	साबान	सितम्बर अक्टूबर	विशेष विवरण
श	१	२९	२४	
र	२	३०	२५	
चं	३	१	२६	साबान
मं	४	२	२७	
बु	५	३	२८	
गु	६	४	२९	
शु	७	५	३०	
श	८	६	१	अक्टूबर
र	९	७	२	
चं	९	८	३	दुर्गा पूजन
मं	१०	९	४	विजय दशमी
बु	११	१०	५	
गु	१२	११	६	
शु	१३	१२	७	
श	१४	१३	८	
र	१५	४	९	शरद् पूर्णिमा
चं	१	१५	१०	कार्तिक
मं	२	१६	११	
बु	३	१७	१२	
गु	४	१८	१३	
शु	५	१९	१४	
शु	६	०	०	
श	७	२०	१५	
र	८	२१	१६	
चं	९	२२	१७	
मं	१०	२३	१८	
बु	११	२४	१९	
गु	१२	२५	२०	
शु	१३	२६	२१	
श	१४	२७	२२	नरकचौ०दिवाली
र	३०	२८	२३	गोवर्धन पूजन

कार्तिक मार्गशीर्ष सम्वत् १९९५
ता० २४अक्टूबर से २१ नवम्बर १९३८

वार	कार्तिक मार्गशीर्ष	रमज़ान	अक्टूबर	विशेष विवरण
चं	१	२९	२४	
मं	२	१	२५	रमज़ान
बु	३	२	२६	
गु	४	३	२७	
शु	५	४	२८	
श	६	५	२९	
र	७	६	३०	
चं	८	७	३१	
मं	९	८	१	नवम्बर
बु	१०	९	२	
गु	११	१०	३	देवोत्थानी एका०
शु	१२	११	४	
श	१३	१२	५	
र	१४	१३	६	
चं	१५	१४	७	कार्तिकी
मं	१	१५	८	मार्गशीर्ष
बु	२	१६	९	
गु	३	१७	१०	
शु	४	१८	११	
श	५	१९	१२	
र	६	२०	१३	
चं	७	२१	१४	
मं	८	२२	१५	
बु	९	२३	१६	
बु	१०	०	०	
गु	११	२४	१७	
शु	१२	२५	१८	
श	१३	२६	१९	
र	१४	२७	२०	
चं	३०	२८	२१	

मार्गशीर्ष पौष सम्बत् १९९५
ता० २२ नवम्बर से २१ दिसम्बर १९३८

वार	मार्गशीर्ष पौष	सव्वाल	नवम्बर दिसम्बर	विशेष विवरण
मं	१	२९	२२	
बु	२	३०	२३	
गु	२	१	२४	सव्वाल
शु	३	२	२५	
श	४	३	२६	
र	५	४	२७	
चं	६	५	२८	
मं	७	६	२९	
बु	८	७	३०	
गु	९	८	१	दिसम्बर
शु	१०	९	२	
श	११	१०	३	
र	१२	११	४	
चं	१३	१२	५	
मं	१४	१३	६	
बु	१५	१४	७	
गु	१	१५	८	पौष
शु	२	१६	९	
श	३	१७	१०	
श	४	०	०	
र	५	१८	११	
चं	६	१९	१२	
मं	७	२०	१३	
बु	८	२१	१४	
गु	९	२२	१५	
शु	१०	२३	१६	
श	११	२४	१७	
र	१२	२५	१८	
चं	१३	२६	१९	
मं	१४	२७	२०	
बु	१५	२८	२१	

पौष माघ सम्वत् १९९५
ता०२२ दिसम्बर से २०जनवरी १९३९

वार	पौष माघ	जिल्काद	दिसम्बर जनवरी	विशेष विवरण
गु	१	२९	२२	
शु	२	३०	२३	
श	३	१	२४	जिल्काद
र	४	२	२५	
चं	५	३	२६	
मं	५	४	२७	
बु	६	५	२८	
गु	७	६	२९	
शु	८	७	३०	
श	९	८	३१	
र	१०	९	१	जनवरी
चं	११	१०	२	
मं	१२	११	३	
मं	१३	०	०	
बु	१४	१२	४	
गु	१५	१३	५	
शु	१	१४	६	
श	२	१५	७	
र	३	१६	८	
चं	४	१७	९	
मं	५	१८	१०	
बु	६	१९	११	
गु	७	२०	१२	
शु	८	२१	१३	
श	९	२२	१४	
र	१०	२३	१५	
चं	११	२४	१६	
मं	१२	२५	१७	
बु	१३	२६	१८	
गु	१४	२७	१९	
शु	३०	२८	२०	

माघ फाल्गुण सम्बत् १९९५
ता०२१ जनवरी से १९ फरवरी १९३९

वार	माघ फाल्गुण	जिलहेज़	जनवरी फरवरी	विशेष विवरण
श	१	२९	२१	
र	२	३०	२२	
चं	३	१	२३	जिलहेज़
मं	४	२	२४	
बु	५	३	२५	•
गु	६	४	२६	
शु	७	५	२७	
श	८	६	२८	
र	९	७	२९	
चं	१०	८	३०	
मं	११	९	३१	
बु	१२	१०	१	फरवरी
गु	१३	११	२	
शु	१४	१२	३	
श	१५	१३	४	
र	१	१४	५	फाल्गुण
चं	२	१५	६	
चं	३	०	०	
मं	४	१६	७	
बु	५	१७	८	
गु	६	१८	९	
शु	७	१९	१०	
श	८	२०	११	
र	९	२१	१२	
चं	१०	२२	१३	
मं	११	२३	१४	
बु	१२	२४	१५	
गु	१३	२५	१६	
शु	१३	२६	१७	शिवरात्रि
श	१४	२७	१८	
र	३०	२८	१९	

फाल्गुण चैत्र सम्बत् १९९५
ता० २० फरवरी से २० मार्च १९३९

वार	फाल्गुण चैत्र	मोहर्रम	फरवरी मार्च	विशेष विवरण
चं	१	२९	२०	
मं	२	१	२१	मोहर्रम
बु	३	२	२२	
गु	४	३	२३	
शु	५	४	२४	वसन्त
श	६	५	२५	
र	७	६	२६	
चं	८	७	२७	
मं	९	८	२८	
बु	१०	९	१	मार्च
गु	११	१०	२	
गु	१२	०	०	
शु	१३	११	३	
श	१४	१२	४	
र.	१५	१३	५	होलिकादीपन
चं	१	१४	६	चैत्र
मं	२	१५	७	
बु	३	१६	८	
गु	४	१७	९	
शु	५	१८	१०	
श	६	१९	११	
र	७	२०	१२	
चं	८	२१	१३	
मं	९	२२	१४	
बु	१०	२३	१५	
गु	११	२४	१६	
शु	१२	२५	१७	
श	१३	२६	१८	
र	१४	२७	१९	
चं	३०	२८	२०	

तातीलें स० १९३८-३९ ई०

सम्वत् १९९५ वि०

त्योहार	ता० ई० सन्	वार
रामनवमी	८ अप्रैल १९३८	शुक्रवार
गंगा दशहरा	७ जून	मंगलवार
नाग पंचमी	१७ जुलाई	रविवार
रक्षाबंधन	११ अगस्त	गुरुवार
कृष्णजन्म	१९ ,,	शुक्रवार
गणेश चतुर्थी	२९ अगस्त	चंद्रवार
अनंतचौदस	८ सितम्बर	गुरुवार
विजयादशमी	४ अक्तूबर	मंगलवार
धनतेरस	२१ नवम्बर	शुक्रवार
नरक चौदस दिवाली	२२ नवम्बर	शनिवार
भ्रातृद्वितीया	२५ नवम्बर	मंगलवार
चन्द्रग्रहण	७ नवम्बर	चन्द्रवार
ईदुलफितर	२४ ,,	बृहस्पतिवार
बड़ादिन	२५ दिसम्बर	रविवार
न्यूइयर्सडे	१ जनवरी १९३९	रविवार
मकर संक्रान्ति	१३ जनवरी	शुक्रवार
शिवरात्रि	१७ फरवरी	शुक्रवार
मोहर्रम	२१ ,,	मंगलवार
वसंन्त पंचमी	२४ ,,	शुक्रवार
होलिकादहन	५ मार्च	रविवार
धूलोत्सव	६ ,,	मंगलवार

❀कलेण्डर सन् १९३९ ई०❀

जनवरी					
रविवार	१	८	१५	२२	२९
चन्द्रवार	२	९	१६	२३	३०
मंगलवार	३	१०	१७	२४	३१
बुधवार	४	११	१८	२५	❀
गुरुवार	५	१२	१९	२६	❀
शुक्रवार	६	१३	२०	२७	❀
शनिवार	७	१४	२१	२८	❀

फ़रवरी					
रविवार	❀	५	१२	१९	२६
चन्द्रवार	❀	६	१३	२०	२७
मंगलवार	❀	७	१४	२१	२८
बुधवार	१	८	१५	२२	❀
गुरुवार	२	९	१६	२३	❀
शुक्रवार	३	१०	१७	२४	❀
शनिवार	४	११	१८	२५	❀

मार्च					
रविवार	❀	५	१२	१९	२६
चन्द्रवार	❀	६	१३	२०	२७
मंगलवार	❀	७	१४	२१	२८
बुधवार	१	८	१५	२२	२९
गुरुवार	२	९	१६	२३	३०
शुक्रवार	३	१०	१७	२४	३१
शनिवार	४	११	१८	२५	❀

अप्रैल					
रविवार	३०	२	९	१६	२३
चन्द्रवार	❀	३	१०	१७	२४
मंगलवार	❀	४	११	१८	२५
बुधवार	❀	५	१२	१९	२६
गुरुवार	❀	६	१३	२०	२७
शुक्रवार	❀	७	१४	२१	२८
शनिवार	१	८	१५	२२	२९

मई					
रविवार	❀	७	१४	२१	२८
चन्द्रवार	१	८	१५	२२	२९
मंगलवार	२	९	१६	२३	३०
बुधवार	३	१०	१७	२४	३१
गुरुवार	४	११	१८	२५	❀
शुक्रवार	५	१२	१९	२६	❀
शनिवार	६	१३	२०	२७	❀

जून					
रविवार	❀	४	११	१८	२५
चन्द्रवार	❀	५	१२	१९	२६
मंगलवार	❀	६	१३	२०	२७
बुधवार	❀	७	१४	२१	२८
गुरुवार	१	८	१५	२२	२९
शुक्रवार	२	९	१६	२३	३०
शनिवार	३	१०	१७	२४	❀

जूलाई					
रविवार	३०	२	९	१६	२३
चन्द्रवार	३१	३	१०	१७	२४
मंगलवार	❀	४	११	१८	२५
बुधवार	❀	५	१२	१९	२६
गुरुवार	❀	६	१३	२०	२७
शुक्रवार	❀	७	१४	२१	२८
शनिवार	१	८	१५	२२	२९

अगस्त					
रविवार	❀	६	१३	२०	२७
चन्द्रवार	❀	७	१४	२१	२८
मंगलवार	१	८	१५	२२	२९
बुधवार	२	९	१६	२३	३०
गुरुवार	३	१०	१७	२४	३१
शुक्रवार	४	११	१८	२५	❀
शनिवार	५	१२	१९	२६	❀

सितम्बर					
रविवार	❀	३	१०	१७	२४
चन्द्रवार	❀	४	११	१८	२५
मंगलवार	❀	५	१२	१९	२६
बुधवार	❀	६	१३	२०	२७
गुरुवार	❀	७	१४	२१	२८
शुक्रवार	१	८	१५	२२	२९
शनिवार	२	९	१६	२३	३०

अक्टूबर					
रविवार	१	८	१५	२२	२९
चन्द्रवार	२	९	१६	२३	३०
मंगलवार	३	१०	१७	२४	३१
बुधवार	४	११	१८	२५	❀
गुरुवार	५	१२	१९	२६	❀
शुक्रवार	६	१३	२०	२७	❀
शनिवार	७	१४	२१	२८	❀

नवम्बर					
रविवार	❀	५	१२	१९	२६
चन्द्रवार	❀	६	१३	२०	२७
मंगलवार	❀	७	१४	२१	२८
बुधवार	१	८	१५	२२	२९
गुरुवार	२	९	१६	२३	३०
शुक्रवार	३	१०	१७	२४	❀
शनिवार	४	११	१८	२५	❀

दिसम्बर					
रविवार	३१	३	१०	१७	२४
चन्द्रवार	❀	४	११	१८	२५
मंगलवार	❀	५	१२	१९	२६
बुधवार	❀	६	१३	२०	२७
गुरुवार	❀	७	१४	२१	२८
शुक्रवार	१	८	१५	२२	२९
शनिवार	२	९	१६	२३	३०

काल परिमाण।

मानुष वर्ष

१८ निमिष	=	१	काष्टा
३० काष्टा	=	१	मुहूर्त
३० मुहूर्त	=	१	अहोरात्रि
६० विपल	=	१	पल
६० पल	=	१	घड़ी
६० घड़ी	=	१	अहोरात्रि
१५ अहोरात्रि	=	१	पक्ष
२ पक्ष	=	१	मास
१२ मास	=	१	वर्ष

दैव वर्ष।

६ मास (मनुष्यों के)	=	१	दिन
६ मास ,,	=	१	रात्रि
१२ मास ,,	=	१	अहोरात्रि
३६० अहोरात्रि (दैव)	=	१	वर्ष
१२००० वर्ष (दैव)	=	१	युग
४३२०००० मानुषवर्ष	=	१	युग

दैव युग = १ चतुर्युगमानुष

कल्पमान।

४३२००० मानव वर्ष	=	कलियुग
८६४००० मानव वर्ष	=	द्वापर
१२९६०० ,,	=	त्रेता
१७२८००० ,,	=	कृतयुग
४३२०००० ,,	=	चतुर्युगमहायुग
१००० महायुग	=	१ कल्प

ब्रह्मायु परिमाण।

१ कल्प	=	१ ब्राह्मदिन
१ कल्प	=	१ ब्राह्मरात्रि
२ कल्प	=	१ ब्राह्म अहोरात्रि
३६० अहोरात्रि / ७२० कल्प	=	ब्राह्म वर्ष
१०० ब्राह्मवर्ष / ७२००० कल्प	=	ब्रह्मा की आयु

३११०४०००००००००० मानुषवर्ष = ब्रह्मायु = १०० ब्राह्मवर्ष

पाश्चात्य मान।

१ पल	=	२४	सेकण्ड
६० सेकण्ड	=	१	मिनट
६० मिनट	=	१	घण्टा
२४ घण्टा	=	१	अहोरात्रि
१ घड़ी	=	२४	मिनट

भारत के धर्म तथा सम्प्रदाय ।

भारत के धर्म तथा सम्प्रदाय।

इस अध्याय में भारतीय धर्म तथा मतों का वर्णन ऐतिहासिक रूप से दिया जा रहा है। प्रत्येक धर्म तथा मत के मुख्य २ सिद्धान्त तथा उनके प्रवर्त्तकों के नाम भी कालानुसार दिये गये हैं।

वैदिक धर्म

ऐतिहासिक दृष्टि से वैदिक धर्म ही सब से अधिक प्राचीन है। वैदिक ग्रन्थों के पठन से प्रतीत होता है कि सामाजिक उन्नति वैदिक काल में सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गई थी। वैदिक काल में ईश्वर की एकता का पूर्ण ज्ञान था। वेदों में भिन्न २ नामों से एक ही ईश्वर की आराधना की गई है यह बात सिद्ध है। कुछ पाश्चात्य लेखकों ने वेदों को 'गड़-रियों के गीत' बताया है। यह बात केवल उन्हीं की असमर्थता तथा अज्ञान की सूचक है।

वैदिक संस्कृति क्या है यह निम्न-लिखित विवेचन से स्पष्ट होगा।

वेद।

वेद जगत का प्रथम ग्रन्थ है और सकल शास्त्रों का मूल तथा ज्ञान का अमूल्य भण्डार है। वेद काण्डरूप हैं और अन्य शास्त्र शाखा प्रशाखा रूप हैं। वेद प्रधानतयः दो प्रकार के हैं (१) कण्ठाप्त-वे श्रुतियाँ जिनको ऋषियों ने प्रत्यक्ष किया था (२) कल्प्य—वे श्रुतियाँ जो स्मृति तथा शिष्टाचार द्वारा अनुमान में आईं। कण्ठाप्त श्रुतियाँ मन्त्रभेद के अनुसार त्रिविध हैं यथा ऋक, यजुः और साम। इनका दूसरा नाम 'त्रयी' है। यही कण्ठाप्त श्रुतियाँ अन्य प्रमाण से चतुर्धा विभक्त हैं। ऋक्, यजुः, साम और अथर्व। प्रायः पद्य में प्रकाशित मन्त्रों का नाम ऋक्, गद्य में प्रकाशित मन्त्रों का नाम यजुः, और गाने योग्य मन्त्रों का नाम साम है। अथर्ववेद में उक्त तीनों प्रकार के मन्त्र मिश्रित हैं।

वेद विभाग के लिये दो सम्मतियाँ हैं। (१) वेदव्यास ने ही वेदों की त्रिधा और चतुर्धा विभक्ति की है। (२) यज्ञ क्रियाओं की सुविधा के लिये अथर्व ऋषि ने वेद विभाग किया था। यज्ञ कार्य के लिये उपयोगी सूक्त समूह को प्रथम तीन वेदों में विभक्त कर अन्यान्य सूक्तों को अलग कर दिया और अथर्ववेद के नाम से इस समूह की संज्ञा हुई।

ज्ञान नित्य वस्तु है इस कारण प्रलय के समय भी ज्ञानरूपी वेद ओ३म्-काररूप से नित्य स्थित रहते हैं।

वेद अनादि हैं और नाशविहीन भी हैं। कृष्ण यजुर्वेदीयश्वेताश्वतरोपनिषद में लिखा है कि परमात्मा ने पहिले ब्रह्मा जी को उत्पन्न करके उनको वेद प्रदान किया। उस विराट परम पुरुष की श्रवणेन्द्रियें दिशायें हैं और वाक्य वेद रूप हैं। कर्म वेद से उत्पन्न है और वेद अक्षर परमात्मा से उत्पन्न है। ऋषि गण वेद के कर्ता नहीं परन्तु द्रष्टा मात्र हैं। वेद नित्य वस्तु है केवल ऋषियों के समाधि शुद्ध अन्तःकरण में प्रकाश को प्राप्त होते हैं।

वेद का प्रतिपाद्य विषय ब्रह्मज्ञान अथवा अपूर्ण जीव की पूर्णता और ब्रह्मभाव की प्राप्ति है। जैसे प्रकृति की पूर्णता ही मुक्ति है। प्रकृति त्रैगुण्य है (१) स्थूल (२) सूक्ष्म और (३) कारण; अथवा (१) अधिभूति (२) अधिदैव और (३) अध्यात्म (क्रमशः) इन तीनों प्रकार की पूर्णता की प्राप्ति होने पर जीव ब्रह्मरूप बन सकता है। जीव के लिये आधिभौतिक शरीर है जिसकी शुद्धि कर्म के द्वारा, आधिदैविक मन है जिसकी शुद्धि उपासना के द्वारा और आध्यात्मिक बुद्धि है जिसकी शुद्धि ज्ञान के द्वारा होती है। इसीलिये वेद में ब्राह्मण (कर्म-कांड) संहिता (उपासनाकांड) और आरण्यक अथवा उपनिषद (ज्ञानकांड) विभाग हैं। वेद में ऋषि, छंद और देवताओं का उल्लेख है। उसका अर्थ इस प्रकार है। (१) ऋषि, जिन ऋषियों के चित्त में स्वतंत्र रूप से जो २ मन्त्र आविर्भूत हुए वे उन मन्त्रों के ऋषि कहलाते हैं (२) छंद, जिस पद्धति अथवा छंद रूप में यह मन्त्र कहे गये हैं वही उन मन्त्रों का छंद है (३) देवता, जिन २ मन्त्रों द्वारा जिन २ भगवच्छक्तियों की उपासना की जाती है वे उपास्य शक्तियाँ उन मन्त्रों के देवता हैं। मन्त्रों की आदिभौतिक शक्ति का स्वरूप छंद है, आधिदैविक शक्ति का स्वरूप देवता है और अध्यात्मिक शक्ति का स्वरूप ऋषि है।

महाभाष्य के अनुसार यजुर्वेद की १०१ शाखायें, सामवेद की १००० शाखायें ऋगवेद की २१ शाखायें और अथर्ववेद की ६ शाखायें हैं। किन्तु मुक्तिकोपनिषद के अनुसार—

ऋगवेद	की	२१	शाखायें
यजुर्वेद	,,	१०६	,,
सामवेद	,,	१०००	,,
अथर्ववेद	,,	५०	,,

स्कन्द पुराण के अनुसार—

ऋगवेद	२४	शाखायें
यजुर्वेद	१०१	,,
सामवेद	१०००	,,
अथर्ववेद	१२	,,

परन्तु आज कल केवल सात आठ शाखायें ही दृष्टिगोचर हैं।

ऋग्वेद ।

इसकी संहिता में १० मण्डल हैं जिनमें ८५ अनुवाद समूह हैं। इन अनुवादक समूहों में १०२८ सूक्त हैं। सूक्त के भेद इस प्रकार हैं:- महासूक्त, मध्यमसूक्त, क्षुद्रसूक्त, ऋषिसूक्त, छंदसूक्त और देवतासूक्त। ऋगवेद की कविता संख्या १०४०२ और शब्द संख्या १५३८२६ और शब्दांश की संख्या ४३२००० है। शौनिक मुनि के ग्रन्थ के अनुसार ऋगवेद संहिता के आठ भाग हैं—श्रावक, चर्चक, श्रवणीयपार क्रमपार. क्रमस्थ, क्रमजटा, क्रमशट, क्रमदण्ड। ऋगवेद की पांच शाखायें जो प्रचलित हैं इस प्रकार हैं—आश्वलायन, साङ्ख्यायन, शाकल, वास्कल और मांडुक।

इसमें ६४ अध्याय, १० मंडल, वर्ग संख्या २००६, पदक्रम, वशिष्ट के १५२५१४, दूसरे के ५८, ऋक् के १०५८० पद पारायण नाम से अभिहित हैं।

यजुर्वेद

यह दो भाग में विभक्त में—शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद का अन्य नाम वाजसेनेय संहिता है। कृष्ण यजुर्वेद संहिता का अन्य नाम तैत्तरीय संहिता है। शुक्ल यजुर्वेद के ऋषि याज्ञवल्क्य हैं। इसमें १६०० और इसके ब्राह्मण में ७६०० मंत्र हैं। शुक्ल यजुर्वेद की १७ शाखायें इस प्रकार हैं—जाबाल, औधेय, कण्व, माध्यन्दिनै, ज्ञापीय तापायनीय, कापाल, पौंड्रवत्स, आवटिक, पामावटिक, पाराशरीय, वैधेय, वैनेय, औधेय, गालव, वैजेय, कात्यायनीय। वाजसेनेय संहिता में ४० अध्याय २६० अनुवाक तथा अनेक कांड हैं। इसमें पुरुषमेध, अश्वमेध षोडसी, चातुर्मास्य, अग्निहोत्र, वाजपेय अग्निष्टोम, दर्शपौर्णमास यज्ञों का वर्णन मिलता है। इसमें वैदिक युग की सामाजिक रीति नीति का भी वर्णन है। प्रसिद्ध "शतपथ ब्राह्मण" इसकी माध्यन्दिन शाखा के अन्तर्गत हैं। बृहदारण्यकोपनिषद् भी इसके अन्तर्गत है।

कृष्ण यजुर्वेद की ८६ शाखा हैं। परन्तु आज कल यजुर्वेद की १२ शाखायें और १४ उपशाखायें मिलती हैं, शाखाओं के नाम इस प्रकार हैं—वरचक, आहरक, कपिष्टलकठ औपमन्य, आष्टलकठ, चारायणीय, वारायणीय वातन्तिवेय, श्वेताश्वतर, मैत्रायणीय। कृष्णयजुर्वेद के ब्राह्मण का नाम तैत्तरीय ब्राह्मण और आरण्यक का नाम तैत्तरीय आरण्यक है। तैत्तरीय शाखा की उपशाखायें है— औख्य और खाण्डिकेय। इस खाण्डिकेय उपशाखा में पांच प्रशाखायें हैं—आपस्तम्बी, बौधायनी, सत्याषाढी, हिरण्यकेशी और ओथेय। ब्राह्मणात्मक कृष्ण यजुर्वेद में १८००० मन्त्र हैं, इसकी तैत्तरीय

संहिता में ७ अष्टक हैं जो प्रत्येक ७-८ अध्याय में विभाजित हैं। प्रत्येक अध्याय में अनुवाक हैं जो कुल ७०० हैं। प्रजापति, सोम आदि देवता इसके ऋषि हैं। इसमें अश्वमेध, अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, राजसूय, अतिरात्र आदि यज्ञों का वर्णन है। ज्ञानकाण्ड में शाखाओं के अनुसार उपनिषद् हैं। मैत्रायणीय उपनिषद्, श्वेताश्वतर उपनिषद् और नारायणीय उपनिषद आदि मिलते हैं।

साम वेद।

सामवेद की सहस्र शाखायें थीं उन में केवल ८ अर्थात् सुरायणीय, वातन्तिवेय प्राञ्जल, ऋग्वर्णभेदा, प्राचीनयोग्य, राणायणीय मिलते हैं। सामवेद के छः प्रपाठक हैं इसका दूसरा नाम छन्द अर्चिक है। सामवेदीय उद्गातागण इसी को गाते थे। इसको सप्तसाम भी कहते हैं। सामवेद के उत्तर भाग का नाम उत्तरार्चिक या आरण्यगण है। सामवेद के ब्राह्मण भाग में आर्षेयु देवताध्याय अद्भुत ताण्डय, महाब्राह्मण हैं। इसमें दो उपनिषद् छान्दोग्य और केनोपनिषद् प्रधान हैं।

अथर्व वेद।

अथर्ववेद की नौ शाखाओं के नाम इस प्रकार पाये जाते हैं-पैप्पल, दान्त, प्रदान्त, स्नात, सौल्न ब्रह्मदावल, शौनक, देवीदर्शती और चरणविद्या हैं। आज कल शौनक शाखा उपलब्ध है। इसकी मन्त्र संख्या १२३०० है जिनमें शत्रुपीडन, आत्मरक्षा, विपद्-हारी कारण आदि कार्यों के लिये अनेक मन्त्र हैं। वर्तमान तन्त्र शास्त्र की उत्पत्ति अथर्ववेद ही से हुई है ऐसा प्रतीत होता है। इस वेद के ब्राह्मण का नाम गोपथ ब्राह्मण है। ज्ञान कांड में जाबाल कैवल्य आनन्दवल्ली आरूणीय तेजोविंदु ध्यानविन्दु आमृतविंदु ब्रह्मविन्दु नादविन्दु प्रश्न मुण्डक अथर्वशिरस गर्भ माण्डुक्य, नीलरुद्र आदि उपनिषद् मिलते हैं।

वेदांग।

वेदों के अर्थ साधारण कोष तथा विद्याभ्यास द्वारा ज्ञेय नही हैं। उनके सत्यार्थ समझने के लिये विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। साधारण व्याकरण तथा काव्य कोष द्वारा वेदों के अर्थ लगाने से अर्थ का अनर्थ होता है यह प्रायः देखा जाता है। इस कारण परम पूज्य ऋषियों ने वेदाङ्ग निर्मित किये हैं। यह अङ्ग छः हैं। मुण्डकोपनिषद् के अनुसार वेदांग इस प्रकार हैं—

शिक्षाकल्पोव्याकरणनिरुक्तछंदोज्योतिषमिति; अर्थात् शिक्षा, कल्प,

व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष।

शिक्षा।

इस शास्त्र में वेद के पाठ करने की शैली विस्तृत रीति से वर्णित है। शब्द के साथ शाब्दिक भाव का और वाचक के साथ वाच्य का सम्बन्ध है। अतः अलौकिक शक्तिपूर्ण वेद के पद-समूह द्वारा तब ही पूर्ण लाभ हो सकता है जब वे अपनी वैज्ञानिक शक्ति युक्त यथावत ध्वनि के साथ बोले जावें। वेद की साधारण शिक्षा में केवल ह्रस्वादि तीन स्वर भेदों का वर्णन, पाठ की शैली और हस्त चालनादि वाह्य क्रिया की शैली का वर्णन किया गया है और सामवेद सम्बन्धीय संगीत शिक्षा में इन स्वर भेदों से और सात स्वरों की उत्पत्ति दिखाकर उन्हीं के सहायता से मूर्च्छना आदि असाधारण सूक्ष्म शक्ति की उत्पत्ति द्वारा शब्द विज्ञान की और विशेष अलौकिकता आविष्कृत की गई है। महामुनि नारद, पाणिनि आदि के ग्रन्थ पाये जाते हैं जो साधारण शिक्षा में अत्यन्त लाभदायक हैं परन्तु साम शिक्षा के ग्रन्थ प्रायः लोप हो गये हैं।

कल्प।

यह शास्त्र मन्त्र सम्बन्धीय क्रिया-सिद्धांत का वर्णन करने वाला है। इस वेदाङ्ग में अग्निष्टोम आदि नाना याग, उपनयन आदि नाना संस्कार, और ब्रह्मचर्य गार्हस्थ्य आदि आश्रम सम्बन्धीय नाना कर्मों की वहिरंग साधन विधि का पूर्ण रूप से वर्णन किया गया है। जितनी शाखाओं में वेद विभक्त हैं उतने ही स्वतन्त्र कल्प शास्त्र हैं। वे शास्त्र सूत्रबद्ध होने के कारण कल्पसूत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं। आजकल क्रिया कांड में जितने कल्पशास्त्रों का व्यवहार होता है वे प्रधानतया तीन भागों में विभक्त हैं यथा—श्रौतसूत्र, धर्मसूत्र और गृह्य-सूत्र। श्रौतसूत्र में यज्ञादि की विधि बताई गई है। धर्मसूत्र में सामाजिक जीवनायापन में जितने प्रकार के नियम पालन करने होते हैं उनका वर्णन है। गृह्यसूत्र के अनुसार जात-कर्म विवाह आदि नित्यनैमित्तिक कर्म किये जाते हैं। श्रौतसूत्र की शाखाओं में से आश्वालायन, बौधायन, भारद्वाज आपस्तम्ब, हिरण्यकेशीय तथा कृत्यायन; धर्मसूत्रों की शाखाओं में से सांख्यायन, आश्वलायन, पारस्कर तथा गोभिल आदि उल्लेख योग्य हैं।

व्याकरण

यह शास्त्र शब्दानुशासन का द्वार-रूप है। संस्कृत भाषा अपने नामानुसार संस्कृत और अपने सब अंगों में पूर्ण होने से सर्वथा नियमबद्ध है इस कारण संस्कृत भाषा में व्याकरण की सर्वोपरि आवश्यकता है। इस शास्त्र

का प्रारम्भ भगवान पातंजलि ने "अथशब्दानुशासनम्" से किया है।

निरुक्त

व्याकरण शास्त्र द्वारा प्रथम शब्दार्थ का बोध होता है और तदनन्तर निरुक्त शास्त्रोक्त विज्ञान द्वारा वेद का भावार्थ समझने में सहायता प्राप्त हुआ करती है। निरुक्तशास्त्र का निघण्टु नाम से एक अन्तर्विभाग है।

छन्द

जिस प्रकार शिक्षाशास्त्र स्वर की सहायता से वैदिक कर्मकांड और उपासना कांड में सहायता करता है उसी प्रकार यह छंद शास्त्र भी छंदो-विज्ञान की सहायता से अलौकिक शक्तियों का आविष्कार करके वैदिक ज्ञान के विस्तार करने में और कर्म में सफलता प्राप्त कराने में बहुत ही उपकारी हैं। साधारण उपयोग इस शास्त्र का यह है कि वेदों का अध्ययन पठन पाठन योग्य रीति से स्वरों सहित होता है और मंत्रों के कंठस्थ करने में तथा अर्थ समझने में सुगमता होती है।

ज्योतिष

ज्योतिष शास्त्र के दो विभाग हैं—फलित और गणित। सूर्य, चन्द्र, शनि इत्यादि ग्रहों का चलना नियमित रूप से होता है और गणित द्वारा जाना जा सकता है। गणित-ज्योतिष ब्रह्मांड में अनेक ग्रहों के पर्यटन के नियमों को बताता है और फलित ज्योतिष इन ग्रहों का परिणाम मानव सृष्टि पर कैसा पड़ता है इन नियमों को अर्थात् फलों को बताता है। ज्योतिष काल के स्वरूप का प्रतिपादक है। आर्य जाति में अनेकानेक विप्लव और दुर्दैवों के कारण कई शताब्दियों से गणित ज्योतिष को सारणी का संस्कार नहीं हुआ है। इस कारण भारतवर्ष में ज्योतिषशास्त्र की योग्य उन्नति नही हैं। यह आवश्यक है कि यन्त्रालयों के निर्माण द्वारा तथा पाश्चात्य जाति के नवीन गणित की शैलियों की सहायता ली जावे।

उपवेद

उपवेद चार भागों में विभक्त हैं यथा—

आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धर्व्वश्चेति तेत्रयः
स्थापत्यवेदमपरमुपवेदश्चतुर्विधिः ॥

आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्ववेद और स्थापत्य वेद ही चार उपवेद हैं।

आयुर्वेद

शरीर का स्वास्थ्य ठीक रखकर दीर्घायु बनाने के लिये यह वेद निर्माण हुआ है। इसकी उपयोगिता सर्वमान्य है।

धनुर्वेद

इसके ग्रन्थों में मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान, मन्त्र विज्ञान, लक्ष्यसिद्धि, अस्त्र-शस्त्रविज्ञान, युद्धविज्ञान आदि अनेक विषयों का वर्णन था। इसके ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं।

गांधर्ववेद

संगीत शास्त्र के आर्य ग्रन्थ छिन्न विछिन्न दशा में मिलते हैं। अर्वाचीन ग्रंथ असली गान्धर्ववेद नहीं है।

स्थापत्यवेद

इसमें नाना प्रकार के शिल्प कला, कारु-कार्य और पदार्थविद्या का वर्णन था। इसके भी ग्रंथ लुप्तप्राय हैं।

दर्शन शास्त्र

दर्शन शास्त्र सात श्रेणी में विभक्त हैं। और यह सात विभावों के अनुसार तीन वर्गों में रक्खे गये हैं। (१) न्यायदर्शन (२) वैशेषिकदर्शन (पदार्थवाद सम्बन्धीय) (३) योग दर्शन और (४) सांख्य दर्शन (सांख्य प्रवचन सम्बन्धीय) (५) कर्म मीमांसा (६) देवी मीमांसा और (७) ब्रह्ममीमांसा (वेदों के काण्डत्रय के अनुसार मीमांसा सम्बन्धीय) दर्शन कहाते हैं। इनके अतिरिक्त और किसी दार्शनिक सिद्धान्त को आर्यगण स्वीकार नहीं करते।

न्याय दर्शन।

यह महर्षि गौतमप्रणीत है। इसको आन्वीक्षिकी तथा अक्षपाद दर्शक भी कहते हैं। प्रमाण के द्वारा पदार्थों का निरूपण अथवा दूसरे के समझाने के लिये प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन इन पांच अवयवों के अवतारण का नाम न्याय है। इसके तीन भाग किये जा सकते हैं तर्क, न्याय और दर्शन। तर्कांश में तर्क, निर्णय, वाद, जल्प वितण्डा आदि विषय हैं। न्यायांश में प्रमाण आदि के विषय में चर्चा की गई है और दर्शनांश में आत्मा अनात्मा की आलोचना है। न्यायदर्शन का प्रतिपाद्य विषय दुःख-निवृत्ति है।

वैशेषिक दर्शन।

इस न्याय के प्रवर्तकमहर्षि कणादि हैं। इसमें विशेष नामक एक अतिरिक्त पदार्थ स्वीकृत होने से इसका नाम वैशेषिक दर्शन हुआ। धर्म विशेष से उत्पन्न द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय इन छः पदार्थों के साधर्म्य और वैधर्म्य ज्ञानजनित तत्व ज्ञान के द्वारा निःश्रेयस लाभ होता है। इस प्रकार से निःश्रेयस लाभ का उपाय बताना ही वैशेषिक धर्म का उद्देश्य है।

योग दर्शन।

इसके प्रवर्तक श्री भगवान पातंजलि हैं। योग दर्शन के चार पाद है समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद, और कैवल्यपाद। इस दर्शन का नाम सांख्य प्रवचन भी है। इसका कारण यह है कि भगवान पातंजलि ने महर्षि कपिल के सिद्धान्तों को ग्रहण किया है। सांख्योक्त २५ तत्व अर्थात् पुरुष, प्रकृति, महत् अहङ्कार, पञ्चतन्मात्रा एकादश इंद्रिय, और पञ्च महाभूत इस दर्शन में स्वीकृत हैं परन्तु भगवान पातंजलि ने इनके सिवाय एक और

तत्व का प्रचार किया है। वह तत्व ईश्वर है।

सांख्य दर्शन।

इसके प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं। सांख्य के मत में जगत त्रिगुणात्मक है। इसका २१ वां तत्व पुरुष है जो असङ्ग, नित्य, शुद्ध और मुक्त स्वभाव है। संसार दुःखमय है पुरुषार्थ द्वारा वह दुःख दूर होता है। ज्ञान ही परम पुरुषार्थ है। ज्ञान ही के द्वारा मुक्ति का लाभ है यही इस शास्त्र का प्रतिपाद्य विषय है।

कर्म मीमांसा।

कर्म अथवा पूर्वमीमांसा—इस के प्रवर्तक महर्षि जैमिनि हैं। इनमें १२ अध्याय हैं—यज्ञ, अग्नि होत्र, दान, आदि विषय इसमें वर्णित हैं। कर्म ही वेद का प्रतिपाद्य होने से कर्म के सिवाय वेद का और अंश वृथा है तथा वेद में जो तत्वज्ञान दिया हुआ है उसका उद्देश्य देह से भिन्न आत्मा का अस्तित्व प्रमाणित करके जीव को अदृष्ट स्वर्ग आदि के साधनरूप याग-यज्ञ में प्रवृत्त करना है, ऐसा जैमिनी मीमांसा का सिद्धान्त है। महर्षि जैमिनी के मत में यज्ञ ही मोक्ष फल का देने वाला है। इस दर्शन में ईश्वर का नाम नहीं है। कर्म मीमांसा के दूसरे ग्रन्थ के प्रधान आचार्य महर्षि भरद्वाज हैं।

दैवी मीमांसा।

इस मीमांसा के प्रतिपादन का विषय परमात्मा की आनन्द सत्ता है। एवं आनन्द सत्ता के सत् और चित दोनों ही में व्यापक होने से सद्भाव और चिद्भाव दोनों में ही आनन्द प्राप्त होता है। इसके प्रथम पाद का नाम रस पाद और द्वितीय पाद का नाम उत्पत्ति पाद है।

ब्रह्मी मीमांसा।

वेदोक्त ज्ञान कांड की प्रतिष्ठा वेदांत दर्शन का लक्ष्य है। इसके प्रवर्तक महर्षि वेद व्यास हैं। वेद के अन्तिम (ज्ञान) कांड का प्रतिपादन होने से इसे उत्तर मीमांसा (वेदान्त) कहते हैं और ब्रह्म ही इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय होने से इसका नाम ब्रह्मीमीमांसा है। मुख्य उद्देश्य जीव को दुःखमय संसार से मुक्त करके आनन्दमय ब्रह्मपद में स्थापित करना है।

स्मृति।

वैदिक तत्वों का स्मरण करके पूज्यपाद महर्षियों ने सकल अधिकारियों के कल्याण के लिये जो ग्रन्थ प्रणीत किये हैं उनको स्मृति शास्त्र कहते हैं।

प्रधान स्मृतियां

मनु, अत्रि, विष्णु, हारीत, याज्ञवल्क्य, उशना, अङ्गिरा, यम, आपस्तम्ब, सवर्त्त, कात्यायन, बृहस्पति,

पराशर, व्यास, शङ्ख, लिखित, दक्ष, गौतम, शतातप और वशिष्ट।

उपस्मृतियां।

गोभिल, जमदग्नि, विश्वामित्र, प्रजापति, वृद्ध, शातातप, पैठीनसि, आश्वालायन, पितामह, बौद्धायन, भारद्वाज, छागलेय, जाबालि, च्यवन, मारीच और कश्यप। कहीं २ ऐसा मत भी देखने में आता है कि केवल (१) मनु और (२) याज्ञवल्क्य प्रधान स्मृतियां हैं और बाकी उपस्मृतियां हैं और जिन्हें ऊपर उपस्मृतियों में गिनाया है वे औपस्मृतियाँ हैं। कोई २ महाभारत को पञ्चम वेद कहते हैं और कोई २ इसके बहुत से अंशों को स्मृति भी कहते हैं एवं कोई २ आचार्य इसी प्रकार सब पुराणों के विशेष अंशों को भी स्मृति कहते हैं।

अन्य सब उपदेशों के अतिरिक्त स्मृतियों में प्रति दिन के कार्यक्रम और सामाजिक रीतियों का वर्णन है।

चार्वाक मत।

महाभारत के युद्ध के पश्चात् भारतवर्ष में अन्धकार सा छा गया। बड़े २ योद्धा, नीतिज्ञ, धर्मपरायण सज्जन विद्वान अर्थात् भारतवर्ष की संस्कृति के आधारस्तम्भ मारे गये और भारतवर्ष में अवनति आरम्भ हो गई। वैदिक धर्म का ह्रास होने लगा। वैदिक मन्त्रों के आधार पर पशुयज्ञ होने लगे और जनता में बुद्धिभेद प्रकट हो गया। मत-मतान्तरों का उत्पन्न हो जाना इन्हीं सब कारणों का फल है।

बृहस्पति नामक ब्राह्मण को व्यभिचार करने के कारण उसकी जाति ने वहिष्कृत कर दिया। अतः उसने ब्राह्मणों से बदला लेने के लिए चार्वाक को एक नूतन लोकायतिक (अर्थात् जो साधारण रीति से माना जा सके ऐसा) मत प्रचार करने के लिये तत्पर किया। चार्वाक के पिता का नाम इन्द्रकाँत और माता का नाम श्रवणी था। उसका जन्म युधिष्टिर शक ६६१ (ई० सन् पूर्व २४३६) वैशाख शुक्ल १५ को हुआ था। चार्वाक ने ब्राह्मणों की निन्दा करना आरम्भ की तथा वेदों में अनेक अनाचार लिखे हैं ऐसा भी बताना आरम्भ किया। सर्वसाधारण को उसने यह बताया कि सृष्टि का रचयिता कोई नहीं है। पृथ्वी वायु तेज और जल इन्हीं से सृष्टि उत्पन्न हुई है। चार्वाक की मृत्यु पर उसके अनुयायिओं में ४ भेद हो गये जो (१) देह (२) मन (३) प्राण और (४) इन्द्रियों को ही ईश्वर मानने लगे।

चार्वाक के बाद इस मत का एक बड़ा आचार्य क्षपणक नामक हुआ। परन्तु यह मत सर्वग्राह्य नहीं हुआ। ईस्वी सन् की आठवीं शताब्दी में भी कुछ अनुयायी इस मत के थे।

अब कोई नहीं है ऐसा मालूम होता है।

जैन धर्म।

यह धर्म वैदिक धर्म की शाखा है। इस धर्म के प्रवर्त्तक ऋषभदेव आदि नाथ, तीर्थशङ्कर थे ऐसा जैन मतावलम्बी कहते हैं। जैन मतानुसार जगत का रचयिता कोई ईश्वर नहीं है परन्तु जो मनुष्य मुक्त हुये हैं अर्थात् जो अष्टधादूषण रहित हुये हैं वही ईश्वर होते हैं।

इस धर्म का विशेष प्रचार तीर्थङ्कर महाबीर स्वामी ने किया। वे जैनाचार्य कहलाते हैं। अरिहन्त ने जैन धर्म को और भी प्रकाशित किया। यु० स० १५३३ (ई० पूर्व १५६७) में अरिहन्त निर्वाण को प्राप्त हुए।

महाबीर स्वामी ने ओ३म् का मंत्र क़ायम रक्खा। इस धर्म ने जीव और निर्जीव आदि को अनन्त माना है।

महावीर स्वामी के निर्वाण के पश्चात् तीर्थङ्करों की मूर्तियों की पूजा आरम्भ हुई। शृङ्गार में मत भेद होने से २ भेद हो गये हैं (१) दिगम्बरी और (२) श्वेताम्बरी सम्प्रदाय।

श्वेताम्बरी अपनी मूर्तियों को वस्त्रालङ्कारों से विभूषित करते हैं, दिगम्बरी नहीं करते। श्वेताम्बरी १२ स्वर्ग व ६४ इन्द्र मानते हैं। दिगम्बरी १६ स्वर्ग और १०० इन्द्र मानते हैं। श्वेताम्बरी स्त्री को मोक्ष की अधिकारिणी मानते हैं, दिगम्बरी नहीं मानते।

"अहिंसा परमो धर्मः" इसी तत्व को जैन मतावलम्बी पूर्णरूप से पालन करना चाहते हैं। जैनी पुनर्जन्म मानते हैं, जातिभेद नहीं मानते। इस धर्म के अनुयायी क़रीब १२ लाख हैं। गिरनार, अष्टापद, पावापुरी, चम्पापुरी पालीताना, आबू, सम्मेदशिखर यह सात इनके मुख्य तीर्थस्थान हैं। इस धर्म के लोग विशेष कर व्यापारी हैं। कहा जाता है कि इसी धर्म के २४ तीर्थङ्करों के कारण बिष्णु के २४ अवतार पौराणिक मताबलम्बी मानने लगे।

बौद्ध सम्प्रदाय।

कपिलवस्तु (नेपाल) के राजा शुद्धोधन के पुत्र (ज० ५५७ ई० पूर्व) गौतम ने यह सम्प्रदाय चलाया। इस समय का भी वातावरण पशुहिंसा पूर्ण था। इसी कारण इस धर्म का भी मूल मन्त्र अहिंसा है। गौतम ने योग-साधन तथा तप द्वारा बुद्धगति प्राप्त की इस कारण उनका नाम बुद्ध हुआ। उन्होंने युवा अवस्था ही में राज पाट त्याग दिया था और निर्वाण मार्ग के चिन्तन में अपने आप को लगा दिया। अपने जीवनक्रम में ही मगध, मिथिला, अयोध्या, व काशी प्रदेशों में अपने सम्प्रदाय का अच्छा प्रचार कर दिया था। बुद्धदेव ने वेदों को

नहीं माना और वर्णभेद को भी नहीं माना। इस कारण ब्राह्मणों से बड़ा ही मत भेद हुआ।

बुद्ध देव ने कोई लिखित ग्रन्थ नहीं छोड़ा। उनकी मृत्यु के बाद ४ महासभायें हुईं। (१) पहिली महासभा मगध के राजा अजातशत्रु के समय (ई० पू० पांचवीं शताब्दी) में हुई। इस सभा में महात्मा बुद्ध का उपदेश संग्रह होकर बौद्धशास्त्र बना। यह शास्त्र तीन प्रकार का था, सूत्रपिटक विनयपिटक, और आदिधर्मपिटक, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं। बौद्ध शास्त्र के द्वादश विभाग हैं—अन, समरोथ व्याकरण, गाथा, उदान, इतिबुत्तक, जातक, अवभूत, वेदल्ल, निदान, अवदान और उपदेश।

(२) दूसरी सभा सम्राट कालाशोक (४ थी शताब्दी ई० पू०) के समय में (३) तीसरी महासभा सम्राट अशोक के समय में हुई।

(४) चौथी सभा कश्मीर के राजा कनिष्क (ई० पू० १४३) के समय में हुई।

बौद्ध शास्त्र पहिले संस्कृत भाषा में रचे गये उसके बाद तिब्बती भाषा में उनका अनुवाद हुआ।

बौद्ध मतालम्बी ईश्वर का अस्तित्व नहीं मानते। जड़ पदार्थ ही नित्य है और इसी की शक्ति से ही सृष्टि चल रही है। नैपाल में एक सम्प्रदाय बुद्ध का अस्तित्व अनादि और अनन्त, मानते हैं। सिंहली बुद्ध नास्तिक हैं। नेपाल और चीन देश के बौद्ध ज्ञानी बुद्ध, बोधिसत्व आदि बुद्ध, और अन्य देवताओं को मानते हैं।

बुद्ध गया मुख्य तीर्थ स्थान है। इस साम्प्रदाय के भिक्षुओं ने ब्रह्म देश, चीन, जापान और लंका आदि देशों में यह सम्प्रदाय चलाया। इस मत पर भी पौराणिक रीतियों का बड़ा प्रभाव पड़ा। इसके चार पन्थ हैं—शून्यवाद, योगाचार, सौत्रांतिक, व वैभाषिक,। ई० सन् की ८ वीं शताब्दी में भारत से यह पन्थ लुप्तप्राय हो गया जिसका मुख्य कारण शङ्कराचार्य की दिग्विजय थी।

पुराण काल।

पुराणों का अर्थ इतिहास है ऐसा वैदिक ग्रन्थों से सिद्ध होता है। किन्तु अर्वाचीन काल में पौराणिक शब्द कुछ विचित्र हो गया है। पुराण का अर्थ अब विशेष ग्रन्थ ही समझा जाता है। बौद्ध काल के अन्तिम काल से पौराणिक काल का आरम्भ आधुनिक विद्वान मानने लगे हैं किन्तु ऐसा मानना भूल है। उपनिषदों में भी पुराणों का उल्लेख है। अस्तु।

महापुराण।

महापुराण १८ हैं— ब्रह्म, पद्म विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्कण्डेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवैवर्त, लिंग,

वराह, स्कन्द, वामन, कूर्म, मत्स्य, गरुड़ और ब्रह्मांड।

उपपुराण।

उप पुराण भी अष्टादश हैं— सनतकुमारोक्त, आद्य, नरसिंह, कुमारोक्त, वायवीय, नन्दीशभाषित, दुर्वासस, नारदीय, शिवधर्म, नन्दीकेश्वर, उशनावकापिल, वारुण साम्ब, कालिका, माहेश्वर, दैव, पाराशर, मारीच, भास्कर।

इसके अतिरिक्त मुद्गल व कल्कि वृहद्धर्म भी पुराण हैं।

कुमारिल भट्टाचार्य का वेदोक्त कर्मकाण्ड।

वैदिक धर्म पर बौद्ध तथा जैन मतों ने बड़ा ही आक्रमण किया और ईसा की शताब्दी के क़रीब वैदिक कर्मकांड बिलकुल लोप सा हो रहा था। ऐसे समय में कुमारिल भट्ट ने वेदोक्त कर्मकण्ड की पुनः जागृति की। कुमारिलभट्ट तैलंगी ब्राह्मण थे और उनका जन्म ७४१ ई० में महानदी तटवर्ती जयमंगल ग्राम में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने चम्पानगरी की राज सभा के बौद्ध पंडितों को परास्त किया और वेदोक्त कर्मकाण्ड का प्रचार किया। चूंकि उन्होंने बौद्ध गुरु के पास शिक्षा ग्रहण की थी और फिर बौद्धों को ही हराया इस कारण उन्होंने गुरुद्रोह के लिये देहांत प्रायश्चित के निमित्त चिता में प्रवेश किया। उन्होंने बौद्धमत खंडन सम्बन्धी ७ ग्रन्थ लिखे। उनके शिष्य विश्वरूप, मुरारीमिश्र, प्रभाकर, पार्थ सारथी, तथा मंडन मिश्र थे।

(१) शैवसम्प्रदाय।

यह सम्प्रदाय कब प्रचलित हुआ यह ठीक नहीं कहा जा सकता। रामायण और महाभारत ग्रन्थों में शिव जी का महात्म्य दिया हुआ है। यह सम्प्रदाय अति प्राचीन है। बौद्ध ग्रंथों में भी महादेव का उल्लेख है। संस्कृत नाटकों में शिवजी की आराधना आरम्भ में पाई जाती है।

(२) केवलाद्वैत

इस मत के प्रवर्त्तक श्री शङ्कराचार्य थे। उनका जन्म ७८९ ई० में केरल देश में हुआ। उनके पिता का नाम शिवगुरु और माता का नाम सती था।

इस सम्प्रदाय में वैदिक ज्ञानकांड पर जोर दिया गया है। श्रीमान् शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र, भगवद्गीता तथा उपनिषदों के भाष्य तथा अनेक धार्मिक ग्रन्थ लिखे। श्रीमान् आचार्य जी ने बौद्धों तथा मंडन मिश्र सरीखे कर्मकाण्डी ब्राह्मणों को भी परास्त किया। साधारण मनुष्यों में धर्म के प्रचार के लिये उन्होंने मूर्तिपूजा क़ायम रक्खी और मठ भी क़ायम किये। (१) द्वारका में शारदा मठ (२) जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ (३) हरिद्वार में

ज्योतिष मठ (४) मैसूर में शृंगेरी मठ (५) काशी में सुमेर मठ।

(३) रसेश्वर

इस सम्प्रदाय की स्थापना ६ ठीं शताब्दी ई० में हुई। शरीर को अमर बना कर मोक्ष हो सकता है और पारद आदि रसों के सेवन से ही शरीर अमर हो सकता है ऐसा इस सम्प्रदाय का मत है। यह सम्प्रदाय शैव है।

(४) पाशुपत मार्ग

यह सम्प्रदाय भी शैव है। इसके स्थापक नकुलीश थे जो पांचवीं शताब्दी में हुये। उन्होंने पाशुपत नामक सूत्रग्रन्थ की स्थापना की है।

(५) प्रत्यभिज्ञा

अभिनव गुप्ताचार द्वारा ईसा की छटीं शयब्दी में यह सम्प्रदाय स्थापित हुआ। सिद्धान्त यह है कि जीव शिव से भिन्न नहीं हैं और दृश्य जगत शिव का आभास है।

(६) दत्तात्रेय पंथ

श्री दत्तात्रेय का अवतार त्रेतायुग में अत्रि ऋषि की पत्नी महासती अनुसूया के उदर से हुआ। उन्हीं के उपदेशों के आधार पर ईसा की ५ वीं शताब्दी में यह पन्थ किसी योगी ने चलाया। यह पन्थ ज्ञानमार्ग को ही मुख्य मार्ग समझता है।

(७) लिङ्गायत (शैव) सम्प्रदाय।

कल्याण (दक्षिण) देश के राजा बीजल के साले का नाम बसव था जिसे राजा ने अपना मन्त्री बनाया। बसव ने यह अवसर पाकर एक नवीन मत चलाया जिसमें जात पांत का भेद न रक्खा केवल शिवलिंग की पूजा ही को प्रधान मार्ग बताया। इस पन्थ में शिवलिंग के चिन्ह शरीर पर धारण करना प्रचलित है इसलिये इसे लिंगायत कहते हैं। बीजल ने कुछ काल के बाद बसव को निकाल दिया उसने कुएँ में गिर कर आत्मघात किया। इस कुएँ वाले नगर को उलवी कहते हैं और वह लिंगायतों का तीर्थ स्थान है। कर्नाटक का दक्षिण भाग कानड़ा ज़िला, निज़ाम राज्य कोल्हापुर स्टेट, बल्लाभारी ज़िला में, तथा मैसूर स्टेट में लिंगायतों का प्राबल्य हैं। इस देश में २६ लाख लिंगायत रहते हैं। इस सम्प्रदाय की स्थापना १० वीं शताब्दी में हुई।

(८) शक्ति सम्प्रदाय।

यह सम्प्रदाय अति प्राचीन है। तंत्र शास्त्र इसका मूल ग्रन्थ है। इस मत में शक्ति की उपासना भिन्न २ नामों से की जाती है—काली, तारा, जगदम्बा, जिह्वाहिनी, जगद्धात्री इत्यादि। गुरु व शिष्य का इस पन्थ में बड़ा माहात्म्य है। मांस और मदिरा से शक्ति (देवी) की पूजा करना और पशु, पक्षी और मनुष्य तक को बलिदान देना योग्य समझा जाता है।

(६) वामाचारी सम्प्रदाय ।

इसे बाममार्ग भी कहते हैं । इसमें "मद्यंमांसञ्चमत्स्यंचमुद्रामैथुनमेवच । मकारपंचकंचैव महापातक नाशनम्" अर्थात् मदिरा, मांस, मत्स्य (मछली) मुद्रा और मैथुन ये पांचम अक्षर से शुरू होनेवाली चीजें महापातक नाशिनी हैं, यह ही इस धर्म का मूल तत्व है । सब प्रकार के व्यभिचार ग्राह्य हैं ऐसा इस पन्थ के प्रवर्तकों का कहना है । यह पन्थ शक्ति सम्प्रदाय का उग्र स्वरूप है । इस पन्थ का मुख्य तीर्थस्थान आसाम में कामाक्षी देवी का मन्दिर है जहां भग का पूजन होता है । इस मत में और भी आन्तरिक भेद हैं । चोलीपन्थी, करारीपन्थी, शीतलापन्थी, मार्गी, मातापन्थी, कूड़ापन्थी इत्यादि ।

(१०) वैष्णव सम्प्रदाय ।

वैष्णव सम्प्रदय के मुख्य ५ आचार्य हैं जिनके अनुयायी इस समय पाये जाते हैं (१) विष्णुस्वामी (२) रामानुजाचार्य (३) मध्वाचार्य(४) निम्बार्क (५) चैतन्य ।

(क विष्णु स्वामी का प्रादुर्भाव सम्भवतः ३ री शताब्दी ई० में हुआ उन्होंने विष्णु की उपासना का आदेश दिया और विष्णु की मूर्तिपूजा भी उन्होंने योग्य बतलाई । विष्णु स्वामी ने व्याससूत्र पर भाष्य और गीता पर व्याख्या लिखी । वे ब्राह्मणों को ही दीक्षा देते थे इस कारण उनके मत का प्रचार कम हुआ । उनके बाद ज्ञानदेव, नामदेव, केशव, त्रिलोचन, हीरालाल और श्रीराम प्रभृति सज्जनों ने यह सम्प्रदाय चलाया । केशव ने गोस्वामी की पदवी बंश परंपरा के लिये ग्रहण की । ई० सन् ८०९ में श्री शंकराचार्य के किसी शिष्य ने इस पन्थ के गोस्वामी विल्वमङ्गल को परास्त किया और परमात्मा साकार है इस मत का खण्डन किया । इस समय से यह गद्दी उच्छिन्न हो गई, अनेक शताब्दियों के बाद यह सम्प्रदाय फिर चला ।

(ख) (१) रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत अथवा श्रीसम्प्रदाय ।

रामानुजाचार्य ने शैव सम्प्रदाय तथा केवलाद्वैत मत को बढ़ता देख वैष्णव सम्प्रदाय को जाग्रत करने के लिये वेद और उपनिषदों के सहारे विशिष्टाद्वैत सम्प्रदाय स्थापित किया । उन्होंने न्याय दर्शन के द्वारा जीव और ब्रह्म में भेद बताकर अद्वैत वाद का खण्डन किया । ब्रह्म अद्वितीय है, परन्तु केवल नहीं, विशिष्ट है । परमात्मा एक है परन्तु जीव भिन्न हैं । भक्ति को प्रधान बताया और विष्णु के दो अवतार राम और कृष्ण की पूजा का उपदेश किया । जगन्नाथ, काशी, जैपुर में मठ स्थापित किये गये ।

अद्वैतमत के अनुसार ब्रह्म ज्ञान रूप है और जगत मायामय तथा मिथ्या है। रामानुजाचार्य ने यह प्रतिपादन किया कि ज्ञानमयता में अज्ञान नहीं रह सकता। परमात्मा पुरुष है और जीव भी पुरुष है परन्तु जीव सृष्टि उत्पन्न नहीं कर सकता परमात्मा ही कर सकता है। इसी अर्थ में वह विशिष्टाद्वैत है। जीव मुक्त होकर परमात्मा में लय होता है।

(२) रामानन्दी सम्प्रदाय—यह सम्प्रदाय उत्तरी भारत में प्रचलित है। इसके अनुयायी राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान की उपासना तथा पूजा करते हैं कहा जाता है कि रामानन्द श्री रामानुजाचार्य के शिष्य थे.किंतु कोई प्रमाण नहीं है। भक्तमाल की शिष्य परम्परा इस प्रकार है—रामानुज के देवाचार्य, राघवानन्द, और उनके रामानन्द शिष्य हुये इस प्रकार रामानन्द और रामानुज के समय में बड़ा अन्तर पड़ता है। रामानन्द का मठ काशी में है और एक वेदी पर उनके पदचिन्ह भी बताये जाते हैं। इस सम्प्रदाय में गृहस्थ और त्यागी दोनों होते हैं।

(ग) मध्वाचारी सम्प्रदाय।

इस सम्प्रदाय का असली नाम ब्रह्मसम्प्रदाय है। इसे पूर्णप्रज्ञ सम्प्रदाय भी कहते हैं। मध्वाचार्य का जन्म ई० सन् १२३६ में हुआ था। उन्होंने अनन्तेश्वर मठ में वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया था और शङ्करमतानुसार सन्यास ग्रहण किया था उस समय उन्होंने अपना नाम आनन्दतीर्थ रक्खा था। उन्होंने गीता पर एक भाष्य लिखा है। शंकराचार्य का अद्वैत मत उन्हें पसंद न आया और श्रीरामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत (त्रिधातत्व युक्त) मत भी पसन्द न आया। इस कारण उन्होंने द्विधायुक्त द्वैतमत का प्रतिपादन किया। उन्होंने विष्णु को ही जगत का नियन्ता बताया। इनका मत है कि जिस प्रकार विष्णु सृष्टि पैदा करते हैं उसी प्रकार जीव को दण्ड भी देते हैं। परमात्मा और जीव दोनों अनादि हैं। मध्वाचार्य जीवात्मा का परमात्मा में लय हो जाना स्वीकार नहीं करते। कैवल्य के समय भी जीवात्मा अलग रहता है केवल जैसे सूर्य के सन्मुख तारे दिखाई नहीं देते वैसे ही जीवात्मा का प्रकाश परमात्मा के सम्मुख अलग नहीं दीखता। शैवों का योग और वैष्णवों का सायुज्य नहीं मानते। इस पंथ में ब्राह्मण और सन्यासियों को ही दीक्षा मिल सकती है। अस्पृश्य जाति को नहीं मिल सकती।

(घ) निम्बार्क सम्प्रदाय।

इस सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक भास्कराचार्य प्रसिद्ध ज्योतिषी थे और उनका जन्म १०३६ शकाब्द में वेदर (हैदराबाद निज़ाम) में हुआ था।

उनके पिता का नाम महेश्वर भट्ट था उन्होंने अपने पिता के पास गणित महूर्त ग्रन्थ, सिद्धान्त ग्रन्थ, वेद तथा शास्त्रों का अध्ययन किया था। उनके समय में जैन मत का प्राबल्य था। भास्कराचार्य ने वैष्णव सम्प्रदाय का प्रचार किया। उन्होंने मन्दिरों में राधा-कृष्ण की मूर्तियों की पूजा करने का उपदेश किया। कहते हैं कि एक जैन अतिथि को सन्ध्या समय भोजन कराने में देर हो रही थी तो उन्होंने सूर्य भगवान को अस्त होने से कुछ समय तक रोक दिया और सूर्य भगवान एक निम्ब वृक्ष पर दिखाई देते रहे इस लिये भास्कराचार्य का नाम निम्बार्क और निम्बादित्य पड़ा। कहते हैं कि उन्होंने वेद भाष्य लिखा था, जो मथुरा पर औरंगजेब द्वारा चढ़ाई के समय नगर के साथ जल गया। निम्बार्क के दो शिष्य थे—केशव भट्ट और हरिव्यास। उनके कारण यह सम्प्रदाय दो श्रेणियों में विभक्त हो गया है (१) विरक्त (२) ग्रहस्थ। यमुना के किनारे मथुरा के पास ध्रुवक्षेत्र में निम्बार्क की गद्दी है।

(ङ) चैतन्य सम्प्रदाय।

वैष्णव सम्प्रदायों में यह सम्प्रदाय बहुत बड़ा है। इस सम्प्रदाय के प्रवर्त्तक महात्मा चैतन्य थे और नित्यानंद और अद्वैत उनके सहायक थे। सम्प्रदाय के अनुयायी श्री चैतन्य को कृष्ण का अवतार मानते हैं। महात्मा चैतन्य का जन्म १४०७ शकाब्द में नवद्वीप (बंगाल) में हुआ उनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम शची था। चैतन्य का दूसरा नाम निमाई था और गौर वर्ण के कारण उन्हें गौरांग भी कहते हैं। उनके दो ब्याह हुये किन्तु २४ वर्ष की अवस्था में ही इन्हें वैराग्य आगया और इन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया। हरिकीर्तन और ईश्वरोपासना में वे इस प्रकार तन्मय रहते थे कि उन्हें बाह्य सृष्टि का कुछ भी ध्यान न रहता था नित्यानन्द और अद्वैत उनके सहायक थे परन्तु उन्हें भी इस सम्प्रदाय वाले महाप्रभु कहते हैं। इस पन्थ में प्रेम भक्ति को ही प्रस्थान दिया गया है। चैतन्य महाप्रभु ने मुसलमान तथा अन्य म्लेच्छ जाति के लोगों को भी शिष्य बनाया। भक्ति सबके लिये समान मार्ग हैं कोई ऊँच नीच नहीं हैं। हरिनाम स्मरण के अतिरिक्त कोई उपाय परित्राण का नहीं। गुरू को भी बहुत ऊँचा स्थान दिया गया है यहां तक कि भगवान अप्रसन्न होजावें किन्तु गुरू अप्रसन्न न हों क्योंकि गुरू की अप्रसन्नता से नाश हो जाता है। इस सम्प्रदाय की अनेक शाखायें हैं जो इस प्रकार हैं—

(१) स्पष्टदायक—इस शाखा वाले गुरुओं का देवत्व और एकाधिपत्य नही मानते। धर्म विषय में स्त्रियों को भी

स्वतन्त्र मानते हैं। आश्रमों में स्त्री पुरुष एक साथ ब्रह्मचर्य पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं।

(२) बाउल—इस सम्प्रदाय वाले शरीर को राधाकृष्ण और अन्यान्य देवों का निवास स्थान मानते हैं। इस मतानुसार पुरुष और प्रकृति (स्त्री) का प्रेम ही मोक्ष का साधन है। वामाचारियों की तरह इस पन्थ में भी व्यभिचार को स्थान है मल मूत्र भी ग्राह्य कहा गया है।

(३) न्याडा—इस पन्थ वाले नित्यानन्द के लड़के वीरप्रभ को अपना प्रवर्त्तक बतलाते हैं। इसमें और बाऊल पन्थ में विशेष भेद नहीं है।

(४) सहजी—इस मतानुसार प्रत्येक पुरुष अपने को शिक्षागुरु किंबा कृष्ण मानता है और प्रत्येक स्त्री अपने को राधा मानती है और सब स्त्री पुरुष जब चाहें तब सहज साधना (स्त्री पुरुष के शारीरिक मिलन) द्वारा मोक्ष प्राप्ति की चेष्टा कर सकते हैं।

(५) गौरांगसेवक—इस मत वाले चैतन्य स्वामी को राधाकृष्ण दोनों का सम्मिलित अवतार मानते हैं और मन्दिरों में उन्हीं की पूजा करते हैं।

(६) दरवेश—इस वैष्णव शाखा का प्रवर्त्तक चैतन्य का कोई शिष्य था ऐसा कहा जाता है किन्तु उसकी श्रद्धा इसलाम धर्म पर भी थी ऐसा मालूम होता है। इस मत की भजनावली में अल्ला, मुहम्मद, इत्यादि शब्द मिलते हैं दरवेश शब्द भी फ़ारसी है।

(७) कर्त्ता भक्त—रामशरण पाल ने पूर्णचन्द्र नामक उदासीन से दीक्षा ग्रहण की और यह मत चलाया। यह मत जातिभेद और स्पर्शदोष नहीं मानता। गुरुओं को महाशय कहते हैं। इस संप्रदाय वाले चैतन्य, पूर्णचन्द्र और रामशरण पाल को एक ही मानते हैं। बङ्गाल के साधारण जनों में से लाखों मनुष्य इस सम्प्रदाय में हैं।

(८) रामवल्लभी—कृष्णकिंकर, गुणसागर, और श्रीनाथ इन तीन मनुष्यों ने रामशरण पाल का मत न मान कर यह पन्थ चलाया। इस मतानुसार सभी जाति सभी देव और सभी धर्म एक हैं। "परम सत्य" वेदी पर ईसा मुहम्मद और नानक को नैवेद्य देते हैं और भगवद्गीता, बाइबल और कुरान का पाठ करते हैं। जाति भेद नहीं मानते हैं।

(९) इनके अतिरिक्त अनेक शाखायें हैं जैसे सतकुली, अन्तकुली, पागलनाथी, दर्पनारायणजी, विश्वासी, जगन्मोहिनी, तिलकदासी अतिबड़ी इत्यादि।

११–शुद्धाद्वैत
(पुष्टिमार्ग वल्लभाचारी)

इस मार्ग के प्रवर्त्तक श्रीमान् वल्लभाचार्य थे। इनके पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट था। वे तैलङ्गी ब्राह्मण थे। उनके

पिता काशी में तीर्थाटन के लिये आये तब हिन्दू मुसलमानों में झगड़ा हो गया इस कारण उनके पिता चम्पारन (बिहार) चले गये। वहां वल्लभाचार्य पैदा हुये (जन्म सम्बत् १५३५) उनका पहिला नाम वद्क्रम था। वलभाचार्य ने नारायण भट्ट से वेद, शास्त्र, न्याय पुराणादि का अध्ययन किया था। उन्होंने यह प्रतिपादन किया कि ब्राह्मण में जो परमाणु हैं उनका नाश नहीं होता, केवल रूपान्तर होता है। रूपान्तर को ही तिरोभाव और आविर्भाव कहते हैं। परमात्मा साकार है और सृष्टि दो प्रकार की जीवात्मक और जड़ात्मक हैं। इन्हीं के सम्मिश्रिण से यह रूप-रूपांतर दिखाई देते हैं। इन तीनों में किसी प्रकार का भेद नहीं है। विष्णु स्वामी के "परमात्मा साकार" मत का प्रतिपादन करने से वल्लभाचार्य विष्णु स्वामी के मठाचार्य नियुक्त हुये। उन्होंने गद्दी गोकुल में रक्खी और पुष्टि मार्ग की स्थापना की। अद्वैत बाद को ग्रहण किया। उन्होंने राधाकृष्ण क्रीड़ा और प्रेम पूर्वक भक्त का उपदेश दिया और अपने सम्प्रदाय को अधिक रसिक और अधिक मनोरञ्जक बनाया कारण यही मालूम होता है कि सर्व साधारण का झुकाव मनोरञ्जन की ओर अधिक होता है। विष्णु स्वामी ने सन्यास को अभीष्ट बताया था किंतु वल्लभाचार्य ने उसे निरर्थक बताया। उनके दो पुत्र हुये। श्रीनाथ की मूर्ति उन्होंने पहिले गोवर्द्धन में प्रतिष्ठित की बाद को सन्वत् १५७६ में वे उसे मेवाड़ ले गये। वहां से काशी चले आये और वहीं उनकी सद्गति हुई।

पंथ ।

१—कबीर पन्थ ।

भारत में कबीर पन्थ छोटी कहाने वाली जातियों में प्रचलित है किन्तु इस पन्थ के प्रवर्त्तक को सभी आदर की दृष्टि से देखते हैं। कबीर किस जाति के थे यह निश्चित नहीं है किंतु वे ब्राह्मण थे ऐसा लोग अधिक मानते हैं। उन्हें जन्मकाल से ही एक नूरी जुलाहे ने पाला था और बाल्यावस्था से ही उन्हें वैराग्य आगया था। उन्होंने युक्ति और चातुर्य से रामानन्द की दीक्षा प्राप्त की थी।

कबीर के अनेक सिद्धान्त वैष्णवी हैं किन्तु अनेक बातें इसलाम मत के अनुकूल हैं। उन्होंने दोनों से अपने सिद्धान्त स्थिर किये हैं। ये मूर्ति पूजा नहीं बताते और न मास मदिरा का सेवन बताते हैं। पुनर्जन्म को उन्होंने माना है किन्तु जाति भेद नहीं मानते। परमेश्वर और अल्ला एक ही है।

कबीर ने काशी नरेश को जो उपदेश दिया था वह बीजक में संग्रहित है। यह ग्रन्थ ७०० अध्यायों में विभक्त है। शब्दावली और सुखनिधान दो ग्रन्थ पूजनीय माने जाते हैं।

महात्मा कबीर का देहान्त गोरखपुर जिले में मगहर गांव में हुआ। कहा जाता है कि उनके शव के लिये हिन्दू व मुसलमान दोनों लड़ने लगे। शव पर से कपड़ा उठाने पर केवल फूल ही मिले। काशी नरेश वीरसिंह ने आधे फूल मंगाकर मणिकर्णिका घाट पर अग्नि संस्कार किया और वहां कबीर चौरा बनवाया। मुसलमानों ने आधे फूल दफ़नाये और उसी गांव (मगहर) में बीजलखां पठान ने समाधि बनवाई। दोनों स्थान पवित्र माने जाते हैं। कबीर के मुख्य शिष्य १२ थे—धर्मदास, भागूदास, जीवनदास ज्ञानी, साहेबदास, नित्यानन्द आदि।

२—सिख सम्प्रदाय ।

गुरु नानक का जन्म १४६९ ई० में नानकुचान (पंजाब) में हुआ था। बाल्यावस्था से ही नानक की जिज्ञासा प्रवृत्ति थी और वैराग्य भी था। उनका व्याह उनकी इच्छा के विरुद्ध हुआ और दो पुत्र भी हुये किंतु शीघ्र ही उन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया। वे मक्का मदीने तक गये फिर उन्होंने सन्यास छोड़ दिया और सब जाति के लोगों को धर्म उपदेश करने लगे। उन्होंने बताया कि आत्म शुद्धि बिना कुछ नहीं हो सकता, आत्मा ईश्वर का अंश है। वेद के ज्ञान कांड का मनन, मूर्ति पूजा असत्य है, ईश्वर अवतार नहीं लेता, गुरु का लिखा ग्रन्थ ही वेद है जात पाँति का भेद

असत्य है इत्यादि ।

नानक के बाद अंगद, अमरदास, रामदास, तथा अर्जुनदेव ने गुरू का स्थान ग्रहण किया । अर्जुनदेव मुसलमानों द्वारा मारे गये । उनके बाद हरिगोविन्द गुरू ने सिक्खों को तलवार पकड़ना सिखाया । नवें गुरू तेगबहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया । गुरू गोविंदसिंह ने सिख जाति को पूर्ण सैनिक जाति बना दिया । औरंगजेब से उन्होंने खूब युद्ध किया । उनके दो पुत्रों को निर्दयी औरंगजेब ने दीवार में चुनवा दिया । इतना होने पर भी सिखों ने मुसलमानों के छक्के छुड़ा दिये । पाँच वस्तुओं का रखना प्रत्येक सिख पर वाध्य है—कड़ा, केश, कन्घा, कच्छ, और कृपाण गुरूग्रन्थ साहेब सिक्खों की पूज्य पुस्तक है ।

अमृतसर शहर अर्जुन देव का बसाया हुआ है । यह एक झील के बीच बसाया गया है ।

नानक पन्थ की अनेक शाखायें हैं जैसे कूका पन्थी, गाँजा भक्षी, सुधीग्राही, नामधारी निर्मल और रामरायी आदि ।

इस पन्थ के अनुयायी करीब ४३ लाख के हैं ।

३—मानभाव पन्थ ।

इस पन्थ के संस्थापक कृष्णभट्ट का जन्म १०४७ ई० में दक्षिण प्रांत शोम्बे ग्राम में हुआ था । वह कृष्ण वेश में रहता था और लोगों को कृष्ण का दर्शन देता था । पैटन स्थान के राजा चन्द्रसेन के मन्त्री हेमाड़पन्त ने उसके छल को जान लिया और उसे कारागार में डाल दिया । तो भी इस पन्थ के अनुयायी अभी तक महाराष्ट्र और विहार में पाये जाते हैं । इस पन्थ के पांच मठ हैं—रुद्रपुर, कारञ्ज दरियापुर, फलटन और पैठन । एक महन्त गद्दी अधिकारी होता है ।

४—इलाही मत ।

अकबर ने यह मत ई० सन् १५७५ में हिन्दू, मुसलमान, पारसी, ईसाई और यहूदी मतों के सिद्धान्तों को सम्मिलित करके क़ायम किया था । जाति बन्धन इस मत के अनुयायियों के लिए नहीं रक्खा गया किन्तु यह मत चल न सका ।

५—खीजड़ा अथवा प्रणामी पंथ ।

इस पंथ के प्रवर्त्तक देवचन्द और प्राणनाथ थे । देवचन्द का जन्म अमरकोट (सिंध) में सन् १६५८ में हुआ था । वे बड़े विद्वान थे और उन्होंने जप तप बहुत किये । प्राणनाथ से मित्रता होने पर उन्होंने पन्थ स्थापित किया । प्राणनाथ धवलपुर राज्य में उच्चपद पर थे इस कारण कुछ अनुयायी इस पन्थ के हो गए ।

वैष्णवी सिद्धान्तों के साथ कुछ सिद्धान्त इसलामी भी हैं। कृष्ण की उपासना इस पन्थ का मुख्य उपदेश है।

६—उद्धवी अथवा स्वामी नारायण सम्प्रदाय।

इस पन्थ के प्रवर्त्तक स्वामी सहजानन्द थे। वे सरयूपारी ब्राह्मण थे। उनका जन्म १७८१ ई० में हुआ था। उनके गुरु रामानन्द नामक साधु थे। प्रारम्भ में इन्होंने गडढ़ा नरेश दादा-खाचर को उपदेश दिया। यह स्वामी अपढ़ थे किंतु भाववान थे। इस पन्थ का मुख्य ग्रन्थ शिक्षा-पत्री है।

स्वामी सहजानन्द कृष्ण का अवतार माने जाते हैं। भक्ति से मोक्ष होता है यही इस पन्थ का उपदेश है। इसके अनुयायी काठियावाड़ और गुजरात ही में पाये जाते हैं।

७—राधास्वामी सम्प्रदाय।

इस मत के संस्थापक स्वामी जी के नाम से प्रसिद्ध थे। जन्म स० १८१८ ई० में आगरे में हुआ था।

इस मत के नाम का आधार निम्न लिखित पद्य पर हुआ ऐसा कहा जाता है:—

कबीर धारा अगम की,
सद्गुरु देहि लिखाय।
उलटि ताहि सुमिरन करो,
स्वामी सङ्ग मिलाय॥

धारा शब्द को उलट कर, स्वामी के साथ मिलाने से राधा स्वामी होता है ऐसा स्पष्ट है। राधास्वामी परमात्मा का नाम है गुरू का नहीं और न कृष्ण का। इस सम्प्रदाय में सृष्टि के ३ भाग माने जाते हैं (१) दयालुदेश (२) ब्रह्मांड (३) पिंड। मुक्ति प्राप्ति के भी तीन मार्ग हैं—राधा स्वामी का ध्यान राधा स्वामी का स्मरण, और आत्म-धारा शब्द का श्रवण। इस पन्थ में जाति पांति का भेद भाव नहीं रक्खा गया है। गुरू का बड़ा भारी महात्म्य इस पन्थ में है। गुरू को प्रत्येक वस्तु अर्पण करके आपस में बांट ली जाती है। गुरू का जूठन गुरू के वस्त्र और गुरू का पादार्घ्य पवित्र और ग्राह्य माने जाते हैं।

इस पन्थ वाले सतसंगी कहलाते हैं आगरे में बड़ा भारी स्थान दयाल बाग़ के नाम से बनाया गया है जहाँ पाठशालायें भी हैं और मुख्य तीर्थ स्थान है। सब प्रकार की वस्तुयें तैयार होती हैं। इस सम्प्रदाय के लोग एक दूसरे को सहायता देना अपना कर्तव्य समझते हैं।

स्वामीजी के बाद सम्प्रदाय के अनेक धर्माध्यक्ष हुए। साहिब जी महाराज ने दयाल बाग़ की बड़ी उन्नति की।

ता० २४ जून सन् १९३६ को साहब जी महाराज का देहान्त हो गया। तब से राय साहब गुरुचरण दास मेहता प्रबन्ध कारणी सभा के सभा पति हैं। धर्माध्यक्ष अभी तक कोई नियुक्त नहीं हुआ है।

८—रयदासी।

रयदास (जाति के चमार) रामानन्द के शिष्य थे। चित्तौड़ की रानी ने उनकी शिक्षा ली थी। विष्णु की पूजा और नाम स्मरण इस पंथ का प्रधान अंग है।

९—मलूकदासी।

इस पंथ वाले रामचन्द्र की उपासना करते हैं। मलूकदास रामानन्दी थे। भगवद्गीता को मानते हैं। और ग्रहस्थगुरु से दीक्षा लेते हैं। करा (मानिकपुर इलाहाबाद) में इस पंथ का प्रधान मठ है।

१०—दादू पन्थी।

अहमदाबाद के दादू ने इस पंथ को चलाया। कबीर के कमाल, कमाल के जमाल, जमाल के विमल, विमल के बुद्धन, बुद्धन के दादू क्रमानुसार शिष्य हुये। इस पन्थ के उपास्य देव श्री रामचन्द्र हैं किन्तु इस पन्थ वाले मूर्ति - पूजा नहीं करते।

११—आचारी।

यह रामानुजी सम्प्रदाय की एक शाखा है। धर्माचार्य केवल ब्राह्मण हो सकते हैं किन्तु धात्री और वैद्य भी दीक्षा ले सकते हैं। दक्षिण भारत में इसके अनुयायी हैं।

१२—मीरा पन्थ।

भगवद्भक्त मीराबाई ने इस पंथ की स्थापना की है। मीराबाई मेडता नरेश की कन्या थीं और उदयपुर राना को व्याही थीं जो शैव थे। इस कारण मीराबाई से नहीं बनी। मीरा बाई गिरधर गोपाल की उपासक थीं। राना ने उन्हें सब प्रकार समझाया, डराया, दुःख दिया, विष तक दिया पर उन्होंने साधुओं की सेवा और श्री कृष्ण की पूजा न छोड़ी।

मीरा बाई के पद, अत्यन्त मधुर चित्ताकर्षक और मार्मिक हैं।

१३—राधाबल्लभी।

मुख्य धाम बृन्दाबन है। राधाकृष्ण की ही उपासना करना ध्येय है।

१४—सखी भाव।

इस पन्थ वाले कृष्ण की उपासना करते हैं और खुद को कृष्ण की सखी समझते हैं। स्त्री वेष में भी इसी कारण रहते हैं।

१५—सत नामी।

इस पन्थ के अनुयायी ईश्वर को सत नाम कहते हैं। जगजीवन क्षत्रिय ने

नवाब आसफुद्दौला के समय में यह पंथ प्रचलित किया। यह पंथ निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं। कहते हैं कि इस पन्थ के साधु, मल और वीर्य का भी भक्षण करते हैं।

१६—ईसुर्वेदी।

सम्वत १६०६ में एक पादरी रावर्न डी० नेविली भारत में आया और बाइबिल को पञ्चम वेद ईसुवेंद बताने लगा। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा "अग्नि भीले" का अपभ्रंस "इसुमीले" किया यह पन्थ चल न सका।

१७—विट्ठल भक्त।

पुंडरीक ने १४वीं ई० शताब्दी में इसकी स्थापना की। इस पन्थ के इष्ट देव विठोबा हैं जो विष्णु के नवम अवतार माने जाते हैं। भीमा नदी के तट पर पँढ़रपुर में विठोबा का मंदिर है। महाराष्ट्र में विठोबा की उपासना बहुत प्रचलित है।

महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्तकवि तुकाराम विठोबा के बड़े ही भक्त हुए हैं। इनके अभङ्ग मार्मिक, सरल और रसिक हैं। ये जन्मानुसार वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते।

१८—चरण दासी पन्थ।

यह पंथ चरण दास देहरा (अलवर) ने स्थापित किया। राधा कृष्ण उपास्य देव हैं। भागवत और भगवद्गीता इनके प्रमाणिक ग्रन्थ हैं। दिल्ली में प्रधान मठ है यहीं चरण दास की समाधि है।

१६—आदि बराहोपासक।

इस पंथ के लोग वराह की उपासना करते हैं और शरीर पर वराह चिह्न रखते हैं। उपासक बहुत कम हैं।

२०—समर्थ सम्प्रदाय (रामदासी)

यह सम्प्रदाय श्री समर्थ रामदास स्वामी शिवा जी के गुरू ने स्थापित किया था। रामदास स्वामी का मुख्य ग्रन्थ दासबोध है उनके उपासक महाराष्ट्र भर में पाए जाते हैं। राम चन्द्र मुख्य उपास्य देव हैं।

२१—चूहड़ पन्थ।

आगरे के एक वैश्य ने थोड़े ही दिन हुए यह पन्थ क़ायम किया था। उपास्य देव श्री कृष्ण हैं। साधन के समय स्त्री पुरुष साथ मिलकर नृत्य गायन करते हैं।

२२—अन्यान्य पन्थ।

इन पन्थों के अतिरिक्त भारत में अनेक पन्थ हैं जैसे राम प्रसादी, हरि व्यासी, वारकरी, माधवी, सधन, हरिश्चंद्री, (डोमही इस पंथ में हैं) रामदेव (मारवाड़ के खेड़ाया ग्राम निवासी) राम सनेही (जयपुर निवासी) स्थापना सम्वत् ८२४। चक्राँकित (शठकोप कजर द्वारा स्थापित) विष्णु पंथ (जम्मजी दिल्ली निवासी द्वारा स्थापित) कृष्ण राम (सम्वत १८६५ में

कृष्ण राम ब्राह्मण अहमदाबाद निवासी), कार्मोलिन, (सन १६०७ में स्थापित ईसाई मत की उपशाखा) कुबेर (कुबेर कोली द्वारा सारसा में स्थापित), बाबा लाल का पंथ (सीमा प्रान्त की ओर प्रचलित) अनंत पंथ निरंजन (राजपूताने में प्रचलित), बीजमार्गी, आपा पंथ (मल्लार पुर के मुन्नादास सुनार द्वारा स्थापित अयोध्या के माडवा नामक ग्राम में प्रधान मठ) षड्दर्शनी (मारवाड़ में प्रचलित) संतराम पलटूदासी, (अयोध्या में मुख्य मठ) खाकी, सेन पंथ आदि हैं।

२३—पारसी मत (जरथोस्ती धर्म)

महात्मा जरथोस्त का जन्म टेहरान के पास रहे (ग्राम) में १५३७ ई० सन् के पूर्व हुआ था। तीस वर्ष की अवस्था में ईरान के बादशाह के पास गए। बादशाह के धर्माचार्यों की सभा की उसमें जरथोस्त ने सबको पराजित किया। किंतु स्वार्थियों ने बादशाह को कुछ उलटा समझा दिया। इस कारण बादशाह ने उन्हें बंदीग्रह में डाल दिया। थोड़े ही दिन पीछे बादशाह बीमार हुये और जब किसी दवा से अच्छे न हुये तब जरथोस्त के शरण आये। बादशाह ने अपना सेवियन धर्म त्याग दिया और जरथोस्ती धर्म को स्वीकार किया। इसके पश्चात् अनेक देशों ने यह धर्म स्वीकार किया। इस धर्म के सिद्धान्त यह हैं—परमेश्वर अनादि, अनन्त निर्विकार है। मूर्तिपूजा व्यर्थ है। जाति पांति नहीं मानी जाती। दया, गायों की रक्षा करना, स्वच्छता से रहना, यही उपदेश दिया जाता है।

मुसलमानों ने ईरान पर आठवीं शताब्दी में आक्रमण किया उस समय कुछ ईरानी ई० सन् ७२१ में भारत में भाग आये और संजाव बन्दर पर उतरे। इस समय के पारसी उन्हीं के वंशज हैं।

२४—इसलाम मत।

भारत पर मुसलमानों के आक्रमण के साथ यह मत भारत में आया। इसलाम का प्रचार भारत में तलवार के जोर पर हुआ यह बात सिद्ध है।

इस धर्म के प्रवर्त्तक श्री मुहम्मद का जन्म ५७० ई० सन् में मक्का में हुआ था। वह कुरेश वंश की खदीजा नामक स्त्री के यहाँ नौकर थे। एक बार वे बसरा गये और वहाँ पर एक ईसाई साधु (बाहिरी) का उपदेश सुना जिससे मूर्ति पूजा के वे विरुद्ध हो गये। इसके बाद उन्होंने मूर्ति पूजा के खण्डन और ईश्वर की एकता का प्रचार किया। खुद को ईश्वर का भेजा हुआ पैग़म्बर (दूत) बताया। अरब स्थान के लोगों ने उन्हें तंग किया और वे मदीने भाग कर आये

उसी समय से हिजरी सन् चला। भारत के इतिहास में मुसलमानी काल अन्धकार का काल समझा जाता है। भारतीय संस्कृति का विनाश इसी काल में हुआ।

२५—पीराना पन्थ।

ई० सन् १४४६ में अहमदाबाद के पास गरमथा गाँव में एक फ़क़ीर इमामशाह ने इस पन्थ को चलाया। उसने अनेक हिन्दुओं को अपने पंथ में मिलाया। मत्स्य मांस और मादक वस्तु से अलग रहना बताया जाता है। इस में हिन्दू और मुसलिम सिद्धान्तों का मिश्रण है।

२६—यहूदी मत।

भारत में यहूदी मत के मानने वाले बहुत कम हैं। इस धर्म के प्रवर्त्तक मूसा का जन्म ई० सन् पूर्व १५७१ में हुआ।

२७—ईसाई मत।

भारत में ईसाई मत का प्रचार छटवीं शताब्दी में आरम्भ हुआ। ऐसा कहते हैं कि सेंट टामस (Apostle) ने भारतवर्ष में इस मत का प्रचार किया और आरम्भ में कुछ भारत वासी मलावार के समुद्र तट पर ईसाई हुये।

ईसामसीह के जन्म को १६३८ वर्ष हुये और ईसाई मतावलम्बियों का विश्वास है कि वर्जिन मेरी के गर्भ से केवल ईश्वरी प्रेरणा से ईशु उत्पन्न हुये। ईसाई मत अनुदार नहीं है। ईसाई मतावलम्बी तीन दैविक व्यक्तियों को मानते हैं—(१) पिता (२) पुत्र और (३) होली गोस्ट (पवित्र आत्मा)। ईसामसीह ईश्वर के पुत्र माने जाते हैं। ईसा ने धर्म-प्रचार एशिया माइनर के जेरूसलम आदि शहरों में किया। रोगियों को निरोग करने की उनमें अद्भुत शक्ति थी इस कारण उन्हें 'मसीह' कहते हैं। इस धर्म की अनेक शाखायें हो गई हैं—(१) रोमन केथोलिक (२) प्रोटेस्टैण्ट (३) लिबरल केथोलिक (४) प्रिस्बिटेरियन। इङ्गलैण्ड के प्रोटेस्टैण्टो ने चर्च आफ इंगलैण्ड अलग कर लिया है। प्रोटेस्टैण्ट शाखा के प्रवर्त्तक 'लूथर' थे इस मत की मुख्य पुस्तक 'बाइबिल' है जिसके दो भाग हैं—(१) ओल्ड टेस्टामेंट और (२) न्यू टेस्टामेंट।

आधुनिक मत ।

१—ब्रह्म समाज ।

ब्रह्म समाज की स्थापना १८१८ ई० में राजा राममोहन राय ने की। राजा राममोहन राय को हिन्दू धर्म की प्रचलित कुरीतियों से असन्तोष उत्पन्न हुआ और उन्होंने अनेक लेख इस विषय में लिखे। मूर्ति पूजा, ब्राह्मण, पुरोहितों, की आढ्यता, स्त्रियों में परदा, धर्म के नाम पर स्त्रियों का जलाया जाना (सती प्रथा), वेदों की विस्मृति—यह सब बातें उन्हें अच्छी न लगीं और उन्होंने इनके विरुद्ध आन्दोलन आरम्भ किया। सन् १८२८ ई० में उन्होंने एक आस्तिक संघ (Theists' Union) भी क़ायम किया जिसमें वैदिक साहित्य पढ़ा जावे और धर्म पर व्याख्यान दिये जावें। ब्रह्म समाज के उद्देश्य ये थे— नीत, धर्म, उदारता पवित्रता, आदि सद्गुणों की समाज में उन्नति तथा विभिन्न धर्म तथा मतों के मनुष्यों में पारस्परिक प्रेम बन्धनों को दृढ़ करना।

राजा राममोहन राय का जन्म मई १८७२ ई० में राधानगर (बङ्गाल) में हुआ था। उनके पिता का नाम रामकण्ठ राय था। उन्होंने महेश नामक अध्यापक द्वारा अरबी, फारसी और बङ्गला की शिक्षा प्राप्त की थी। १६ वर्ष की अवस्था में "मूर्ति पूजा निषेध" पुस्तक लिखी जिसके कारण वे जाति वहिष्कृत किये गये और पिता ने भी उन्हें घर से निकाल दिया। उन्होंने पहिले नौकरी की किन्तु बाद को धर्मोपदेश के लिये उसे त्याग दिया। ब्रह्म समाज के सिद्धान्तानुसार परमात्मा एक है जीव उससे भिन्न है मूर्ति पूजा और जाति भेद मिथ्या है, सर्वत्र समान भाव से आचरण करना चाहिये। १८२८ ई० सन् में सती प्रथा बन्द हुई वह इन्हीं के प्रयत्नों का फल है। सन् १८३१ में वे इङ्गलैण्ड गये और १८३३ में इनका वहीं देहान्त हुआ। बाबू द्वारकानाथ टागोर और बाबू प्रसन्न कुमार ने उन्हें बड़ी सहायता दी थी।

१८४८ ई० में केशवचन्द्र सेन ने यह मत स्वीकार किया और स० १८६२ में आचार्य नियत हुये। उन्हों ने १८६६ ई० में भिन्न २ जाति के अनेक स्त्री पुरुषों के विवाह कराये। यह बात महर्षि देवेन्द्रनाथ टागोर को पसंद न आई। इस कारण मत की दो शाखायें हो गईं—(१) आदि ब्रह्म समाज (२) भारतवर्षीय ब्रह्म समाज।

केशवचन्द्र ने भारत में भ्रमण कर

अनेक शाखायें क़ायम कीं। स० १८७० में वे इङ्गलैण्ड गये। अंग्रेज लोग उनके भाषणों से दंग रह गये। मिस्टर मैक्स मुलर से उनसे मुलाकात हुई और महारानी विक्टोरिया ने उन्हें भोज दिया। स० १८७८ में वे अपने को ईश्वर का प्रतिनिधि बतलाने लगे। कट्टर सुधारक होने पर भी उन्होंने अपनी १३ वर्ष की कन्या का विवाह कूच विहार के राजा से कर दिया। इन बातों से उन पर लोगों की श्रद्धा कम होगई और साधारण ब्रह्म समाज नामक तीसरी शाखा खुल गई। स० १८८४ में केशवचन्द्र सेन की मृत्यु हुई

२—प्रर्थना समाज।

बम्बई प्रांत में ब्रह्म समाजी जैसे तत्वों के मानने वाले अपने को प्रार्थना समाजी कहते हैं। उन्हें 'सुधारक' भी कहते हैं। हिंदुओं की अनिष्ट कारक प्रथाओं को नहीं मानते। विधवा विवाह, प्रौढ़ विवाह, स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं। जाति पांति के भेद को नहीं मानते। इनकी उपशाखा स० १९१४-१५ में आर्यब्रदरहुड नाम से चली हैं। इस समाज के प्रसिद्ध संचालक श्री० महादेव गोविंदरानडे, सर रामकृष्ण भाण्डारकर और सर नारायण जी० चन्द्रावरकर थे।

३—आर्य समाज।

आर्य समाज की स्थापना ता० १ मार्च १८७५ में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा बम्बई में हुई। उस समय से उन्होंने वेद भाष्य और सत्यार्थ प्रकाश लिखना आरम्भ किया। स० १८७५ में चांदापुर में अनेक धर्माचार्यों से वादविवाद कर वैदिक धर्म को पुष्ट किया।

महर्षि दयानंद का जन्म १८२४ ई० में टंकारा (काठियावाड़) में हुआ था। उनका नाम मूलशंकर था और उनके पिता का नाम अम्बाशंकर था। वे औदीच्य ब्राह्मण थे। बाल्यावस्था ही में मूर्ति पूजा पर अश्रद्धा हो जाने के कारण घर से चल दिये। मथुरा में और काशी में वेदाध्ययन किया। उन्होंने स्वामी पूर्णानंद से सन्यास ग्रहण किया। उस समय उनकी आयु २३ साल की थी। उसके बाद उन्होंने देशाटन किया और मथुरा में आकर उन्होंने स्वामी बृजानन्द से ७ वर्ष तक वेद पढ़ा। उनके आदेशानुसार उन्होंने वैदिक धर्म का पुनः प्रचार करने का दृढ़ निश्चय किया। ता० १७ नवम्बर १८६९ को उन्होंने काशी में ८००-९०० पंडितों को राजा जयकृष्ण काशी नरेश के सभापतित्व में बाद विबाद कर मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध सिद्ध करदी और वैदिक धर्म को भारत में पुनः प्रतिष्ठित किया। आर्य समाज की स्थापना निम्न लिखित सिद्धान्तों पर की गई:—

[१] सर्व ज्ञान और धर्म का मूल वेद है।

[२] परमात्मा निराकार और सर्वव्यापक है।

[३] मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध है।

[४] पुराण सर्वथैव मानने योग्य नहीं है।

[५] पुनर्जन्म सत्य है।

[६] वर्ण व्यवस्था गुण और कर्म पर है, जन्म से ही नहीं।

[७] द्विजों को १६ संस्कार और नित्य कर्म करना चाहिये।

[८] यज्ञ में पशु हिंसा वेदानुकूल नहीं है।

[९] नियोग प्रथा ग्राह्य है।

[१०] जीव और ईश्वर भिन्न है।

सन् १८७८ में न्यूयार्क की थियोसोफीकल सोसाइटी के साथ पत्र व्यवहार होकर यह निश्चित हुआ कि वे भी आर्यसमाज के साथ सामाजिक व धार्मिक कार्य करें, किंतु तुरन्त ही मतभेद हो गया।

उन्होंने पंजाब, संयुक्तप्रांत और विहार में अनेक शाखायें क़ायम कीं। देशी राज्यों में भी भ्रमण किया और जोधपुर में कुछ मास रहे। जोधपुर नरेश की वेश्या ने स्वामी जी को उनके विरोधियों की सहायता से रसोइये द्वारा पिसा हुआ काँच अन्न में खिला दिया। स्वामीजी ने आबू पहाड़ पर जाकर चिकित्सा कराई परन्तु कोई लाभ न हुआ। यहां से अजमेर गये और वहीं सन् १८८३ की दीपावली के दिन उनका देहान्त हुआ।

आर्यसमाज की स्थापना से भारत की उन्नति का सूर्य क्षितिज में उदय हो गया। इस समाज ने वेद विद्या को पुनः प्रतिष्ठित कर नवीन जीवन का सञ्चार कर दिया। सब प्रकार की सामाजिक प्रगतिशील हलचलों में आर्य समाज ने अग्रसर भाग लिया है। गोरक्षा, अनाथालय, विधवाश्रम, कन्या पाठशालायें, पददलित जातियों की उन्नति, परधर्मीयों और पतितों की शुद्धि, बालविवाह का रोकना, विधवा बिबाह इत्यादि सभी बातों में आर्यसमाज के कार्याकर्त्ताओं ने ठोस कार्य किया है।

आर्यसमाज द्वारा दयानन्द एंगलो वैदिक कालेज लाहौर और गुरुकुल काँगड़ी की स्थापना हुई है जिसके द्वारा युवकों में जागृति हुई है।

आर्यसमाज का संचालन अखिल भारतवर्षीय आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा होता है। उसके नीचे प्रान्तीय आर्य-प्रतिनिधि सभायें भी हैं।

पिछले वर्षों में आर्यसमाज ने शुद्धि और सङ्गठन आन्दोलन में बड़ा काम किया। इस संस्था के क़रीब ४

लाख ६८ हज़ार अनुयायी हैं। सन् १९११ से संख्या ६३ प्रतिशत बढ़ी। पंजाब में ६५ प्रतिशत और संयुक्त प्रान्त में ५६ प्रतिशत।

४—देव समाज।

यह समाज सन १८७७ में श्रीयुत शिव नारायण अग्निहोत्री कानपुर निवासी ने क़ायम की। मनुष्य में ऐसी शक्तियाँ हैं जो उन्नति को प्राप्त होकर ब्रह्माण्ड को लाभ पहुँचा सकती हैं। इस समाज में केवल चरित्रवान और अच्छे मनुष्य लिए जाते हैं। मद्यपान और मांसाहार की मनाई है। ईश्वर को यह समाज नहीं मानता, समानता के तत्व पर यह समाज चलाया जाता है। इसके अनुयायी बहुत कम हैं। श्री अग्निहोत्री जी ने देव गुरु की उपाधि धारण की थी और समाज की स्थापना लाहौर में की।

५—थियासोफिकल सोसायटी।

थियासोफी के सिद्धान्तों का प्रकाश श्रीमती मेडम व्हेलेना पेट्रूना ब्लावेट्स्की (रूसी महिला) ने सन् १८७५ में किया। उन्होंने एक बड़ा ग्रन्थ "इसिस अनव्हेल्ड" लिखा और यह बताया कि इस ग्रन्थ को उन्होंने दैवी आदेश स्फुरण से प्रकट किया है। मेडम ब्लावेट्स्की ने अपने सिद्धान्तों का आधार हिंदू "कर्मफल" तत्व को बनाया। कर्नल आलकट एक अमरीकन सज्जन को यह सिद्धांत पसन्द आए और फिर दोनों सज्जनों ने इस थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना न्यूयार्क (अमेरिका) में ता० १७ नवम्बर १८७५ को की। ऐसा कहा जाता है कि यह दोनों व्यक्ति स्थापना में केवल निमित्त मात्र हुये किंतु असली संस्थापक महर्षि देवापी अथवा लार्ड मैत्रेय हैं।

कहा जाता है कि इन महर्षियों का उल्लेख भागवत, विष्णु पुराण और कलकी पुराण में इस प्रकार है कि वे कलियुग में धर्म की स्थापना करेंगे। कर्नल आलकाट और मेडम ब्लावेट्स्की से स्वामी दयानन्द सरस्वती से पत्र व्योहार हुआ और ता० २२ मई १८७८ को थियोसोफ़िकल सोसाइटी की बैठक में स्वामी जी को आचार्य बनाना भी निश्चित हुआ किंतु स्वामी जी से अवतार और महात्माओं का मिलन इत्यादि विषयों में मतभेद हो गया। कर्नल आलकाट और मेडम ब्लावेट्स्की ने अपनी समाज का केन्द्र अडयार (मद्रास) में बनाया और स्वतन्त्रता से नूतन धर्म का प्रचार करने लगे।

मेडम ब्लावेट्स्की ने अनेक पुस्तकें लिखीं जिनमें दो अत्यन्त गम्भीर तथा ज्ञान पूर्ण हैं—"इसिस अनव्हेल्ड" और "सीक्रेट डाकट्रिन"।

कर्नल आलकाट का प्रथम लेकचर बम्बई में २३ मार्च १८६० को हुआ और सोसाइटी का भारतीय भाग ता० २७ दि० १८६० को स्थापित किया। मेडम ब्लावेट्स्की की मृत्यु पर कर्नल आलकाट सभापति हुए। ऐसा कहा जाता है कि मिसेज़ एनीवेसेण्ट को मि० डब्ल्यू. टी. स्टीड ने 'इसिस अनव्हेल्ड' पुस्तक समालोचना लिखने के लिए दी। उसको पढ़कर उन्होंने थियोसोफी में प्रवेश किया। मि० एनीवेसेण्ट सन् १६०६ में प्रेसीडेण्ट हुईं जिस वर्ष कर्नल आलकाट का देहान्त हुआ।

इस समाज के मुख्य सिद्धान्त निम्नलिखित हैं:—(१) जाति, रङ्ग धर्म, वर्ण आदि किसी प्रकार का भेद न मानकर मनुष्यों में भ्रातृ-भाव उत्पन्न करना।

(२) सब प्रकार के धर्म, आत्म-विद्या, विज्ञान की शिक्षा की उन्नति।

(३) मानवी प्रकृति के नियमों की खोज और उन पर विचार।

थियोसोफी के अनुयायियों में बड़े बड़े विद्वान हैं—जैसे मि० लेडबीटर मि० एरंडेल, मि० जीन राजा दास, बाबू भगवान दास।

थियोसोफिकल सोसाइटी के आरम्भ होने के कुछ वर्षों बाद एक "एसोटेरिक सेक्शन" (गुप्त मण्डल) बन गया जिसमें केवल विशिष्ट सदस्य ही लिए गए। इस मण्डल ने खुद को अन्य सज्जनों से अधिक ज्ञानवान तथा गुप्त रहस्यों का जानकार बताना आरम्भ किया। उसकी बैठकों में गुप्त रीति से जगद्गुरु के आने की चर्चा आरम्भ की गई। उसी प्रकार यह भी प्रगट किया जाने लगा कि मि० वेसेण्ट से और ऋषियों से जो तिब्बत में रहते हैं मुलाक़ात होती हैं इत्यादि। धीरे २ यह भी प्रगट किया जाने लगा कि मद्रास प्रांत के नारायण अय्यर के पुत्र जे० कृष्ण मूर्ति के शरीर में जगद्गुरु लार्ड मैत्रेय अवतीर्ण होने वाले हैं। इन बातों पर बड़ा वादाविवाद हुआ और थियोसोफिकल सोसायटी के प्रमुख सदस्य बा० भगवान दास ने अनेक लेख इसी सम्बन्ध में लिखे। सन् १६११ में मि० एनीवेसेण्ट कृष्णमूर्ति को इङ्गलैण्ड ले गईं। कृष्णमूर्ति के पिता ने उन पर पुत्र की वापिसी के लिए दावा किया। सन् १६१३ में यह मुक़दमा हुआ। बाल्यावस्था में ही कृष्णमूर्ति ने एक पुस्तक "ऐट दी फ़ीट आफ़ माई मास्टर" लिखी।

इस समाज का वार्षिक कन्वेशन होता है जो एक वर्ष अडयार और एक वर्ष बनारस में होता है। सारे जगत् के प्रतिनिधि यहां आते हैं।

समाज की शाखायें सारे जगत में

हैं और श्री जे. कृष्णमूर्ति जगद्गुरु भी कहाए जाने लगे। जगद्गुरु के आगमन की बाट जोहने तथा उनके अवतार लेने के लिए इस समाज के साथ २ एक दूसरी संस्था तैयार की गई थी जिसका नाम स्टार इन दी ईस्ट रक्खा गया था।

श्री० कृष्णमूर्ति की सबसे पहिली पुस्तक 'ऐट दि फीट आफ़ माई मास्टर' है, जिसका हिन्दी भाषान्तर "श्रीगुरुदेव चरणेषु" है।

होलैण्ड के एक धनवान ने बहुत सी सम्पत्ति इस संघ को दी है। वहाँ के ओमेन शहर में हर साल अधिवेशन होता है। एक अधिवेशन में २००० से अधिक उपस्थिति जगत की सब जातियों के सदस्यों की थी। अफ्रीका में ४०००० पौंड इकट्ठा किया जा रहा है और इस संघ ने एक भारत समाज भी कायम की है जो भारत के मन्दिरों का उद्धार कर रही है। अडयार (मद्रास) में इस संघ का केन्द्र है। कुछ समय से श्री० कृष्णमूर्ति ने संघ को तोड़ दिया है। उनका कहना है कि संघ क़ायम रहने से साम्प्रदायिक भाव उत्पन्न होते हैं जो धीरे धीरे संकुचित होकर अन्य सम्प्रदायों से विरोध करने लगते हैं। सत्य सब की सम्पत्ति है और उसकी खोज के लिये सम्प्रदाय की कोई आवश्यकता नहीं।

कुल देशों में लगभग १५७६ थियोसाफिकल सोसाइटी की शाखायें और ४७६३१ सदस्य हैं। इस समाज में हर धर्म के लोग प्रविष्ट हो सकते हैं और अपने २ धर्म का पालन कर सकते हैं।

अडयार में भव्य इमारतें बनाई गई हैं। मन्दिर, मसजिद, और गिरजा भी बनाये गये हैं जिससे अपने २ धर्म के अनुसार लोग पूजा कर सकें।

थियोसोफिकल सभा ने अनेक सर्वोपयोगी संस्थायें भी चलाईं—

(१) हिन्दू कालेज बनारस, जो अब हिन्दू यूनिवर्सिटी में परिवर्तित हो गया है।

(२) बालिकाओं के लिये स्कूल, बनारस।

(३) पञ्चम स्कूल, अडयार। यह स्कूल अछूतों के लिये है।

(४) मदनापल्ली नेशनल यूनीवर्सिटी।

(५) अडयार में महान् पुस्तकालय

६—सत्य शोधक समाज।

श्रीयुत ज्योतिराव फुले ने इस समाज को सन् १८६६ में पूना में स्थापित किया। परमेश्वर निराकार है। उसकी शक्ति से ही मोक्ष होते हैं। वह अवतार नहीं लेता। मूर्ति पूजा अयोग्य है। वेद पुराणादि को स्वार्थी लोगों ने रचा है अतः उन्हें

सर्वथा सत्य न मानना चाहिये उन्हें जांच कर अपनी बुद्धि अनुसार सत्यासत्य का विवेक करना चाहिये। जाति भेद व्यर्थ हैं सब समान हैं। इन्हीं सिद्धान्तों को श्री० फुले ने अपने सामने रख कर इस सभा की स्थापना की। इस समाज ने अनेक पुस्तकें प्रकाशित की हैं। इसके अनुयायी महाराष्ट्र और विहार में हैं। श्री० भास्करराव विठोजीराव जाधव ने सन् १९११ में इस समाज को पुन: जागृत किया और धीरे २ इस समाज के अनुयायी ब्राह्मणेतर पक्ष में शामिल हो गये और सन् १९२८ में महाराष्ट्र में जो ब्राह्मण-अब्राह्मण झगड़े हुये उन में इस समाज के ही लोग मुख्य थे।

७—फ्रीमैसन

इस समाज की शाखायें भारत में अनेक हैं और बहुत से धनी और विद्वान् मनुष्य इसके सदस्य हैं। १६वीं शताब्दी ईस्वी में इसकी स्थापना विलायत में हुई थी ऐसा कहा जाता है। इस समाज की बातें गुप्त रक्खी जाती हैं। इस समाज का केवल एक ही सिद्धान्त मालूम होता है, पारस्परिक सहायता। इसी कारण न कोई गूढ़ तत्व है और न कोई गुप्त बात है। जब कोई गुप्त बात नहीं तो कोई मनुष्य बताना भी चाहे तो क्या बताए। इस समाज से जगत को कोई लाभ नहीं है। अनेक भारतीय धनवान तथा विद्वान मनुष्य इसके सदस्य केवल इसीलिये हो जाते हैं कि अंग्रेजों का अनुग्रह प्राप्त करलें और उनके कृपापात्र बने रहें।

८—स्वामी रामतीर्थ का वेदांत मत

स्वामी रामतीर्थ ने कोई पन्थ नहीं चलाया किन्तु उन्होंने उपनिषदों में ग्रथित एकतावाद को पुष्ट किया। सारा ब्रह्माण्ड परमात्मा का स्वरूप है, सब चल अचल वस्तुयें एक हैं, कोई भिन्नता नहीं यही उन्होंने प्रतिपादन किया। अर्थात् वेदान्त मत का पुन: प्रचार किया।

स्वामी रामतीर्थ गोस्वामी तुलसीदासजी के वंशज थे। गुजरानवाला जिले में सन् १८७४ में स्वामीजी का जन्म हुआ। २० वर्ष की अवस्था में उन्होंने एम. ए. पास किया और फिर प्रोफेसर हुये। सन् १८९८ के बाद एक वर्ष तक वे अरण्य में रहकर आत्मोउन्नति पर एकान्त में विचार करते रहे। फिर २६ वर्ष की अवस्था में सन्यासी हो गये। हिमालय पर्वत पर उन्होंने खूब भ्रमण किया। इसके बाद अमरीका और जापान गये। और वहाँ उन्होंने वेदान्त पर अनेक व्याख्यान दिये और अनेक अनुयायी बनाये। टेहरी (गढ़वाल) के पास गढ़वाल में गंगा स्नान करते समय पैर फिसलने से उनको जल समाधि हो गई। उस समय उनकी आयु ३२-३६ साल

भारत का साम्पत्तिक जीवन।

भारत का साम्पत्तिक जीवन ।

भारत की सम्पत्ति ।

यह बात बिल्कुल निर्विवाद है कि प्राचीन काल में भारतवर्ष बड़ा ही समृद्धिशाली तथा धनवान देश था । कारण भी स्पष्ट है कि भारतवर्ष की भूमि अत्यन्त उपजाऊ है । और ऋतुयें भी मानव स्वभाव के अनुकूल हैं । थोड़े ही प्रयास में पर्याप्त उपज होती है । सब प्रकार के अनाज फल तरकारियाँ, औषधियाँ और जङ्गली पदार्थ बहुतायत से उत्पन्न होते रहे हैं । देश के निवासी चिरकाल से सभ्य और उन्नत रहे हैं सब प्रकार के खनिज पदार्थ भी उन्हें प्राप्त रहे हैं । कला कौशल तथा मानसिक परिश्रम में भी यहां के निवासी प्राचीन काल में भी अग्रसर रहे । अरब इरान, यूनान, इटली, चीन आदि देशों में भारत से पन्ना, हीरे, मोती आदि रत्न तथा उत्तमोत्तम वस्त्र भूषण आदि सुदूर देशों में भेजे जाते रहे और अनेक देशों से भारत में सम्पति खिंचती रही । सिकन्दर से लेकर आधुनिक काल तक विदेशियों के आक्रमण भारत की सम्पतिशालिता का प्रमाण हैं ।

किंतु आज यह बात भी निर्विवाद है कि भारत की दरिद्रता की पराकाष्ठा हो चुकी है और वर्तमान जगत के सभ्य देशों से तुलना करने पर भारत अत्यन्त ही दरिद्री और हीन पाया जाता है ।

जापान सरकार के आंकडे विभाग (Statistical Department) के प्रमुख पदाधिकारी ने भिन्न २ देशों की सम्पत्ति का अनुमान वैज्ञानिक रीति से किया और निम्न लिखित आंकड़े उन्हीं की गवेषणा के आधार पर दिये जाते हैं ।

विभिन्न देशों की सम्पत्ति।

(येन = सवा रुपिया)

देश	सम्पति	वार्षिक आय प्रति मनुष्य
इंगलैण्ड	४३८३१ (लाख येन)	६७७ येन
अम्रीका यू० एस०	१४२५१८	१२७२ ,,
जरमनी	२४६२७	३६८ ,,
फ्रांस	२१६०७	५४६ ,,
जापान	१२८८५	२१८ ,,
इटली	१०३५२	२६० ,,
आस्ट्रेलिया	४५२४	७७१ ,,
भारत (हमारे आंकड़े)	७६५१२० रु०	३४ रूपया

उपरोक्त आंकडों से सिद्ध है कि अन्य देशों की अपेक्षा लोक संख्या को ध्यान रखते हुए भारत बड़ा ही निर्धन देश है। वार्षिक आय प्रति मनुष्य केवल ३४ रु० है। यू० एस० अमरीका में वार्षिक आय प्रति मनुष्य बड़े ऊँचे परिमाण में है। एक दूसरे विशेषज्ञ के आंकड़ों से कतिपय देशों की प्रति मनुष्य सम्पति की मात्रा का दिग्दर्शन होगा।

सम्पत्ति प्रति मनुष्य

देश	रुपया
अम्रीका यू. एस.	५८६६
फ्रान्स	३७५०
इंगलैंड स्काट लैंड	५७००
जर्मनी	३७००
रूस	१२८८
जापान	७५०
भारत	३००

भारत के अंग्रेजी शासकों द्वारा समय २ पर यह बताने की चेष्टा की जाती है कि भारत पहले से अधिक धनवान है और होता जा रहा है। इस सम्बन्ध में यह भी प्रयत्न किया गया है कि भारत के निवासियों की वार्षिक आय भी वैसी कम नहीं है जैसी कि भारत वासी बताते हैं। सन् १८७१ में श्रीयुत दादा भाई नौरोजी ने बड़ी खोज के साथ यह पाया कि भारतवासियों की वार्षिक आय केवल २० रुपया है। यह अनुमान समय समय पर लगाये गये हैं जो नीचे दिये जाते हैं:—

भारतीय की वार्षिक आय।

सन्	अनुमानकर्ता	वार्षिकआय
१८७१	श्री. दादभाई नौरोजी	रु० २०
१८८२	मि. बेयरिंग बारबर	रु० २७
१८६१	एटकिन्सन	रु० ३५
१६००	मि. विलियम डिग्बी	रु० १७
१६००	लार्ड कर्जन	रु० ३०
१६११	मि. फिंडले शिरास	रु० ५०
१६१४	श्री. वी. एन. शर्मा	रु० ८६
१६२१	प्रो० शाह व खंबाटा	रु० ६७
१६२१	फिंडले शिरास	रु० १०७

उपरोक्त हिसाब से भारतवासियों की आय प्रति मनुष्य प्रति दिवस दो आने से अधिक नहीं है, अधिकांश लोक संख्या को पेट भर अन्न नहीं मिलता और ४ करोड़ केवल एक समय साधारण भोजन पाते हैं।

राष्ट्रीय वार्षिक आय

भारत की राष्ट्रीय वार्षिक आय का अनुमान भी जानना आवश्यक है। निम्न लिखित • आंकडे मि० फिंडले शिराज, जो प्रिंसिपल तथा अर्थ शास्त्र के प्रोफेसर गुजरात कालेज बम्बई यूनीवर्सिटी में थे तथा भारत सरकार के आँकड़े विभाग के डायरेकटर भी रह चुके हैं, के आधार पर दिये गये हैं:—

विभिन्न देशों की राष्ट्रीय आय

देश	वर्ष	आय (लाख पौंडों में)	प्रतिमनुष्य (पौंड)	जनसंख्या (लाखों में)
अंग्रेज़ी भारत	१६३१	१२७७८	५	२७,१५
ग्रेट ब्रिटेन	१६३१	३५०००	७६	४,६०
मिश्र	१६२८	३०१०	२१	१,४०
फ्रान्स	१६२८	१६६३०	४१	४,१०
जर्मनी	१६२५	२४४८०	३६	६,२६
इटली	१६२७	६७२०	२४	४,१०
जापान	१६२५	११३२०	१४	८,३४
स्विटज़रलैंड	१६२४	३२१०	८०	४०
यू. एस. अम्रीका	१६३२	१०६५६०	८६	१२,२८
सोवियट रूस	१६२५	१४६१०	१०	१४७०

वार्षिक आय व्यय (केन्द्रीय)

लाख रुपयों में

वर्ष	आय	व्यय
१९३८-३९	८५९२	८५८३
(अनुमान)		कुल

वार्षिक आय व्यय (प्रान्तीय योग)

१९३८-३९	८५·४४	८६·१७

वार्षिक इन्कम टैक्स

१९३५-३६ रु० १३,९०,२१,६६८

वार्षिक सुपर टैक्स

२९३५-३६ रु० ३,१४,५३,९०८

कुछ देशों का वार्षिक कर।

फ्रांस	१९३१—३२	पौंड	१०·९
जर्मनी	१९३२—३३	,,	७·८
इटली	१९३२—३३	,,	७·३
जापान	१९३२—३३	,,	१·७
ग्रेट ब्रिटेन	१९३२—३३	पौंड	१९·७
यू० एस० अम्रीका	१९३२	,,	१७·३
भारत	१९३१	,,	०४·२

वार्षिक कर।

ऐसे निर्धन निवासियों पर सरकारी कर का भार भी अधिक है और बढ़ता भी जा रहा है।

प्रति मनुष्य (वार्षिक)

सं०	रु०	आ०	पा०
१८७१	१	१३	०
१८९१	२	०	३
१९११	२	११	३
१९१३	२	१४	५
१९२२	६	१	८
१९२६	५	४	११
१९३२—३३	५	०	६

मि० फिंडले शिराज के अनुसार सं०१९३१—३२ में ब्रिटिश भारत में वार्षिक कर की मात्रा रु० ५·७ थी वह इस प्रकार है :—

केन्द्रीयकर	७६५३	(लाख रु०)	२·८
प्रान्तीयकर	६०४६	(लाख रु०)	२·२
स्थानीयकर	१७५८	(लाख रु०)	०·७
योग	१,५५,५७	,, रु०	५·७

भारतवर्ष में १९३१ की गणनानुसार ६७ प्रतिशत मनुष्य खेती तथा तत्सम्बन्धी साधनों में लगे हुये हैं। उद्योग (Industry) में केवल ९·७ और व्यापार में केवल ५·४ लगे हुये हैं। उद्योग और व्यापार ही ऐसे दो धंधे हैं जिनमें सम्पत्ति की उत्पादन शक्ति बहुत है। विशेषकर उद्योग से सम्पत्ति बाहर से भी आती है और बाहर जाने वाली रुकती है। खनिज पदार्थों के उत्पादन में केवल १ प्रति सहस्र मनुष्य लगे हुये हैं।

सम्पत्ति उत्पादन के साधन	साधनों में लगे हुये मनुष्य लाखों में	प्रतिशत जन संख्या
खेती तथा पशुपालन	२३,३८	६७·०
खनिज पदार्थ	५	·१
उद्योग (Industry)	३४२	९·७
वाहन (Transport)	५३	१·५
व्यापार	१८८	५·४
पुलिस आदि	१७	·५
सार्वजनिक प्रबन्ध (Public Administration)	२८	·८
शिक्षित धंधे	५९	१·७
अन्य	४६६	१३·३

भारतीयों पर ऋण ।

भारतीयों पर ग़ैर सरकारी ऋण की मात्रा भी काफ़ी है। बंगाल में ब्याज पर ऋण देने वाले महाजनों की संख्या लगभग ४५,००० बम्बई प्रान्त में लगभग २०,०००, पंजाब में लगभग ५५,५००, मध्यप्रान्त में लगभग ४३,०००, बिहार उड़ीसा में लगभग १,००,००० और संयुक्तप्रान्त में भी लगभग १ लाख से ऊपर है।

कुल ऋण का अनुमान लगभग ९ अरब रुपया है जिसका ९० प्रतिशत से ऊपर देहात के निवासियों पर है।

ब्याज की दर स्थान स्थान पर भिन्न २ है और १२ प्रति सैकड़े प्रति वर्ष से ७५ प्रति सैकड़े प्रतिवर्ष तक है।

भारत पर सरकारी ऋण ।
(Public Debt)

भारतवर्ष पर ऋण का भार बढ़ता जाता है। यदि यह ऋण उपयोगी कार्यों अर्थात् सम्पत्ति के उत्पादन में लगाया गया हो तो आपत्ति का कारण नहीं है किन्तु जब अधिकांश भार केवल अंग्रेज़ी राज्य सत्ता के स्थिर रखने तथा विस्तार करने के लिये ही लगाया गया हो तो ऐसा ऋण आपत्तिजनक ही मानना होगा। भारत का सरकारी ऋण अधिकांश में अनुपयोगी ही है। सेना पर वार्षिक ख़र्च का आधिक्य तथा सरकारी कर्मचारियों के ऊँची मात्रा में वेतन इस बढ़ते हुये ऋण को कारण हैं।

सरकारी ऋण (केन्द्रीय)

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	भारत में	इंगलैंड में	योग
१९३५	७२६.४२	५१३.११	१२६६.५३
१९३६	७०७.४२	५०३.३२	१२१०.७४

किसानों पर ऋण ।

भारत के किसान निर्धन होने के साथ २ ऋणी भी बड़ी मात्रा में हैं। इस ऋण के अनेक कारण हैं उनमें से मुख्य यह हैं—(१) निरक्षरता (२) कुरीतियां (३) प्रति किसान खेतों की कमी (४) सिंचाई की असुविधा (५) सरकारी उदासीनता। (६) कृषि के अतिरिक्त देहातों में धंधों का अभाव।

स० १९२८ के कृषि सम्बन्धी रायल कमीशन ने खेतों का क्षेत्रफल प्रति किसान इस प्रकार पाया।

प्रान्त	एकड़ प्रति किसान
बम्बई	१२.२
पंजाब	९.२
मध्यप्रदेश	८.५
ब्रह्मा	५.६
मद्रास	४.९
बंगाल	३.१
बिहार उड़ीसा	३.१
आसाम	३.०
संयुक्त प्रान्त	२.५

उपरोक्त आँकड़ों से यह विदित होगा कि प्रथम ४ प्रान्तों में खेतों का क्षेत्रफल प्रति किसान आर्थिक दृष्टि से पर्याप्त (Economic holding) कहा जा सकता है किन्तु बाक़ी प्रांतों में ऐसा क्षेत्रफल स्पष्टतः अपर्याप्त (Uneconomic) है।

पिछले वर्षों में वस्तुओं के दाम गिर जाने से भी किसानों के कष्ट बढ़ गये हैं। लगान की मात्रा प्रायः वही बनी रही और कहीं २ लगान में छूट दी गई पर वह पूर्ण मात्रा में उन तक न पहुंच सकी। जहां जमींदारी प्रथा है उन प्रान्तों में ज़मीदारों ने क़ानून अथवा सरकारी आज्ञा की अवहेलना भी की और लगान में छूट न दी और पूरा लगान वसूल कर लिया। अनाज का दाम गिर जाने से किसानों को अन्य प्रकार से भी हानि हुई। अपना ऋण जो उन्होंने बढ़े हुये दामों के समय लिया था चुकाने में उन्हें अत्यन्त कठिनाई हुई। उदाहरणार्थ, जूलाई स० १९१४ की कीमतों को यदि १०० माना जावे अर्थात् उन कीमतों के सूचक अंक (Index number) को १०० माना जावे तो सन् १९३३ के जून

में चावल की क़ीमत ६५, गेहूं की क़ीमत ८६, रुई की क़ीमत ८७, जूट की क़ीमत ४५ थी। इसी रीति से स० १९१३ की क़ीमतों को १०० माना जावे तो भारतवर्ष की कुल फ़सलों की क़ीमत स० १९२८-२९ में १० अरब १८ करोड़ ५१ लाख रुपये थी और १९३१-३२ में कुल फ़सलों को क़ीमत केवल ५ अरब ३६ करोड़ ८९ लाख रुपये थी। अर्थात् किसान को उतने ही माल के लिये सन १९३१-३२ में तुलनात्मक मूल्य परिमाण (Comparative level of prices) के अनुसार केवल लगभग ५० प्रतिशत अर्थात् आधे रुपये मिले। किन्तु ऋण की मात्रा तथा ब्याज की दर वही बनी रही। किसानों पर ऋण की मात्रा सन् १९३१ में निम्न-लिखित थी।

प्रान्त	कुल ऋण	ऋण प्रति किसान
पंजाब	१३५करोड़रु०	९२रु०
मद्रास	१५० ,,	५० ,,
बम्बई	८१ ,,	४९ ,,
संयुक्तप्रान्त	१२४ ,,	३६ ,,
बंगाल	१०० ,,	३१ ,,
बिहार उड़ीसा	१५५ ,,	३१ ,,
आसाम	२२ ,,	३१ ,,
मध्यप्रदेश	३६ ,,	३० ,,
	८०३	

बेकारी की मात्रा।

मनुष्य गणना के आँकड़ों से यह प्रकट होता है कि प्रति वर्ष बेकारी बढ़ती ही जाती है। किसान के लिये एक वर्ष में १५० दिन से अधिक काम नहीं होता इसके अतिरिक्त उस पर बेकार मनुष्यों का भार भी रहता है। बेकारी का अनुपात बढ़ता जाता है—

प्रतिशत

वर्ष	उद्योगी	उद्योगी पर अवलंवित
१९११	४७	५३
१९२१	४६	५४
१९३१	४४	५६

इस प्रकार उद्योग धन्धों में लगे हुये मनुष्यों की संख्या भी दिन प्रति दिन घटती जा रही है। यह संख्यायें भी बेकारी की द्योतक हैं। भारतवर्ष की कुल जन संख्या से भी सापेक्षिक अनुपात घटता जा रहा है—

वर्ष	उद्योग पर अवलंवित संख्या	कुल जन सं० का अनु०
१९०१	४५७१९९२२	१५.५
१९११	३५०१२५५८	११.१
१९२१	३३१६७०१८	१०.३
१९३१	३४२०००००	९.७

कृषि

भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। ७२ प्रतिशत मनुष्य इस धंधे में लगे हुये हैं। भारतवर्ष से अन्य देशों को अनेक प्रकार के अनाज, तिलहन, जूट, रुई, चाय आदि पदार्थ जाते हैं। जगत को ४० प्रतिशत चाय भारतवर्ष देता है।

गेहूं, चावल, चना और ज्वार मुख्य खाद्य पदार्थ हैं। इनका विस्तृत वर्णन आगे दिया जा रहा है।

कृषि में लगे हुए मनुष्य।

कृषि में लगे हुए मनुष्य तीन प्रकार से विभाजित किये जा सकते हैं। (१) कृषक (२) कृषक के सहायक (३) कृषि जिनका अतिरिक्त धंधा है। इनकी संख्या निम्नलिखित है।

	भारतवर्ष	ब्रिटिश भारत	देशी राज्य
कृषक	८,२२ लाख	६,४६	१,७२
सहायक	१,४७ ,,	८८	५७
अन्य	६४ ,,	४७	१७

कृषि में लगी हुई भूमि।

स्वभावतः सबसे अधिक भूमि अनाज अर्थात् खाद्य पदार्थों में लगी हुई है। ऐसी भूमि लगभग २० करोड़ एकड़ है। गन्ने में ३५ लाख, फक़त तरकारी मसाले आदि में ८४ लाख, तिलहन में १.४ करोड़, कपास में १.४ करोड़, जूट में २४ लाख एकड़ भूमि लगी हुई है। बंगाल, मद्रास, बम्बई, गुजरात, तथा मध्यप्रदेश के कुछ भागों में बहुतायत से होता है और उन प्रान्तों के निवासियों का मुख्य खाद्य पदार्थ भी है। गेहूं पंजाब युक्तप्रान्त, राजपूताना, और मालवा में अधिक होता है और मुख्य खाद्य पदार्थ भी है। ज्वार तथा बाजरा बम्बई, बरार, नागपुर प्रभृति प्रान्तों में बहुतायत से उपयोग में पाया जाता है। भिन्न २ पदार्थों में जो भूमि उपयोग में लाई जा रही है उसका ब्योरा आगे के कोष्टक में दिया गया है—

भारतवर्ष की वार्षिक उपज

सन् १९३५-३६

	१९३३–३४	१९३४–३५	१९३५–३६
चावल टन	३,०९,०७,०००	३,०२,३८,०००	२,७९,०२,०००
गेहूं ,,	९३,७०,०००	९७,२९,०००	९४,२६,०००
काफ़ी पौंड	३,४६,०१,०००	३,२७,४४,०००	❀ अप्राप्य
चाय ,,	३८,२६,७४,०००	४०,००,९५,०००	३९,६६,६०,४००
रुई ४०० पौंड गट्ठा	५१,०८,०००	४८,५७,०००	५९,६३,०००
जूट ,,	७९,८७,०००	८५,००,०००	७२,१५,०००
अलसी टन	३,७६,०००	४,२०,०००	३,८४,०००
सरसों ,,	९,४३,०००	९,००,०००	९,५४,०७०
तिल ,,	५,४७,०००	४,०६,०००	४,६१,०००
मूंगफली ,,	३३,३०,०००	१८,८४,०००	२२,२८,०००
अरण्डी ,,	१,४३,०००	१,०५,०००	१,१९,०००
नील हंडर.	७,०००	१०,०००	❀ अप्राप्य
ऊख टन	४८,९६,०००	५१,४०,०००	५९,०३,०००
रबड़ पौंड	१,२९,१५,०००	३,७१,५६,०००	४,८५,४५,०००

भिन्न २ पदार्थों में लगी हुई भूमि

(क्षेत्रफल एकड़ों में)

पदार्थ	१९२४–२५	१९३०–३१	१९३४–३५
चावल	७,९३,०६,०००	८,०६,३२,०००	७,९५,२०,०००
गेहूँ	२,४८,४८,०००	२,४७,९७,०००	२,५६,५५,०००
जौ	६९,७०,०००	६६,९३,०००	६५,८७,०००
ज्वार	२,२४,७०,०००	२,२८,०८,०००	२,१८,५२,०००
बाजरा	१,१९,६६,०००	१,३६,९८,०००	१,३१,०२,०००
रागी	३९,८०,०००	३९,७३,०००	३७,३८,०००
मक्का	५३,४८,०००	६४,५८,०००	६१,८५,०००
चना	१,६५,५२,०००	१,३६,४४,०००	१,३७,३२,०००
अन्य अनाज व दालें	२,८८,८८,१००	३,००,३३,०००	३,०२,६३,०००
योग	२०,०३,२८,०००	२०,२७,३६,०००	२०,०६,३५,०००
गन्ना इत्यादि	२६,५५,०००	२८,६९,०००	३५,२४,०००
फल, तरकारी, मसाले इत्यादि	७६,७१,०००	८२,४१,०००	८४,८५,०००
कुल जोड़ खाद्य पदार्थ	२१,०६,५४,०००	२१,३८,४६,०००	२१,२६,४४,०००
अलसी	२३,२५,०००	१९,९९,०००	२१,२८,०००
तिल	३१,७२,०००	३६,३८,०००	३३,९३,०००
सरसों	३२,८०,०००	३२,९७,०००	२८,५५,०००
अन्य तिलहन	६२,२२,०००	७५,२४,०००	६१,६७,०००
कुल जोड़ तिलहन	१,४९,९९,०००	१,६४,५८,०००	१,४५,४३;०००

भिन्न २ पदार्थों में लगी हुई भूमि

(चालू)

पदार्थ	१९२४-२५	१९३०-३१	१९३४-३५
कपास	१,५६,८७,०००	१,४२,०१,०००	१,४४,८४,०००
जूट	३६,१०,०००	३४,०२,०००	२४,७६,०००
अन्य सूत	८,०५,०००	७,१९,०००	६,२४,०००
नील	१,०४,०००	६४,०००	६०,०००
अफ़ीम	५९,०००	४३,०००	९,८००
कहवा	९१,८००	९२,०००	९६,०००
चाय	७,३८,०००	७,७५,०००	७,८३,०००
तमाखू	१०,५५,०००	११,१२,०००	१२,५७,०००
चारा	८९,४०,०००	९३,००,०००	१,०३,०८.०००
अन्य पदार्थ	१७,२५,०००	१९,०१,०००	१८,३४,०००
कुल जोड़	४,७८,१३,०००	४,८०,६७,०००	३,६४,७४,०००

ज़मींदारी ।

देश के भिन्न २ प्रान्तों में भूमि पर सरकारी कर अथवा मालगुज़ारी का निर्धारण भिन्न भिन्न रीति से किया जाता है। संयुक्तप्रान्त, बंगाल, बिहार, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, पंजाब तथा सीमाप्रान्त में ज़मींदारी प्रथा है अर्थात् किसान से जमींदार लगान उगाहता है और उसका एक अंश सरकार को मालगुज़ारी के रूप में देता है। मद्रास, बम्बई, बर्मा तथा कुर्ग में रैयतवारी प्रथा है अर्थात् किसान (रैयत) से सरकार प्रत्यक्ष रूप से भूमि का कर लेती है। मध्यप्रदेश और बरार, आसाम और मद्रास में दोनों प्रथायें प्रचलित हैं। अवध में तालुक़दारी प्रथा है जिसमें ज़मींदार को विशेष अधिकार प्राप्त हैं और मालगुजारी की मात्रा कम है।

वर्तमान समय में ज़मींदारी प्रथा के विरुद्ध आन्दोलन जारी है जिसका उग्ररूप संयुक्त प्रान्त में किसान आन्दोलन के अन्तर्गत पाया जाता है।

भिन्न २ प्रातों में मालगुज़ारी की मात्रा तथा मालगुज़ारी प्रति मनुष्य नीचे दिये हुये कोष्टक में दी जाती है-

सरकारी मालगुजारी।

प्रान्त तथा ज़मींदारी की क़िस्में	मालगुज़ारी प्रतिजन	मालगुज़ारी जो पूरे क्षेत्रफल पर वसूल की जाती है।
अजमेर मारवाड़ (१९३४—३५)	रु० आ० पा०	
ज़मींदारी तथा भैयाचारा		
अस्थायी बन्दोबस्त	१— ४—११	२,८५,९८३
स्थायी ,,	११— ७	१,१४,७३४
आसाम (१९३४—३५)		
रैयतवारी		६५,३४,०४२
ज़मींदारी तथा भैयाचारा	१— ६— ५	
अस्थायी बन्दोबस्त		८,६४,७६३
स्थायी ,,		३,७०,८०५

सरकारी मालगुजारी (चालू)

प्रान्त तथा ज़मींदारी की क़िस्में	मालगुज़ारी प्रतिजन	मालगुज़ारी जो पूरे क्षेत्रफल पर वसूल की जाती है।
बंगाल		
(१९३२—३३)		
ज़मींदारी स्थायी बन्दोबस्त	१०— २	२,२६,७९,७१२
,, अस्थायी बन्दोबस्त		८०,८०,१८८
बिहार और उड़ीसा		
(१९३१—३२)		
ज़मींदारी स्थायी बन्दोबस्त	७— ३	५४,७५,६६९
,, अस्थायी बन्दोबस्त		४,३९६
बम्बई		
(१९३०—३१)		
रैयतवारी		४,०५,५९,९८८
ज़मींदारी तथा भैयाचारी	२— ५— ६	
अस्थायी बन्दोबस्त		१३,६०,५६६
ब्रह्मा		
(१९३४—३५)		
रैयतवारी	३—११— ४	३,२४,३८,९७०
मध्य प्रदेश और बरार		
(१९३४—३५)		
रैयतवारी		१,०२,३९,३८३
ज़मींदारी तथा भैयाचारा	१— ८— २	
अस्थायी बन्दोबस्त		१,१९,८०,१२४
कुर्क		
(१९३२—३३)		
रैयतवारी	२— ८— ८	३,१०,१५४
देहली		
(१९३४—३५)		
ज़मींदारी अस्थायी बन्दोबस्त	१४— ९	५,४०,३७३

सरकारी मालगुज़ारी (चालू)

प्रान्त तथा ज़मींदारी की किस्में	मालगुज़ारी प्रतिजन	मालगुज़ारी जा पूरे क्षेत्रफल पर वसूल की जाती है ।
मद्रास (१९३३—३४)		
रैयतवारी	२— ०— ७	६,६३,०२,२३९
ज़मींदारी स्थायी बन्दोबस्त	११— १	७१,४०,६९८
कुछ इनामी गाँव	६— ४	...
सीमाप्रान्त (१९३४—३५)		
ज़मींदारी अस्थायी बन्दोबस्त	१— २— ०	२६,५२,११३
पंजाब (१९३४—३५)		
ज़मींदारी अस्थायी बन्दोबस्त	२— १— ८	४,६७,८५,३२९
संयुक्तप्रान्त (१९३१—३२)		
ज़मींदारी तथा भैयाचारा		
अस्थायी बन्दोबस्त	१— ८— ५	६,११,४८,६५६
स्थायी बन्दोबस्त	१— ०— २	५०,८५,०८५

भूमि की सींच

बङ्गाल, बम्बई, बिहार आदि प्रांतों में जहाँ भूमि समुद्र की सितह से बहुत ऊँची नहीं है और जहाँ पानी बहुत बरसता है वहाँ आबपाशी कोई बड़ी समस्या नहीं है । जब पानी नहीं बरसता तो कुओं और तालाबों से काम चल जाता है किन्तु राजपूताना मालवा, पश्चिमी युक्तप्रांत तथा पंजाब में नहरों के बिना काम नहीं चल सकता क्योंकि यहाँ की भूमि बरबरी और वर्षा अनिश्चित है ।

सरकारी नहरों में इस समय । १ अरब १५ करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं । कुल पर अब्वाब से आमदनी लगभग साढ़े छ प्रतिशत होती है । सन् १९०१-०२ तक ४२'३ करोड़ रुपया सरकार द्वारा नहरों के बनाने में लगाया गया था ।

पंजाब प्रांत में सब से अधिक भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। सन् १९२७-२८ में केवल इसी प्रांत में १०३८१००० एकड़ जमींन सींची गई। मद्रास प्रांत में ७० लाख एकड़ नहरों से सींची जाती है।

ब्रटिश इंडिया में सरकारी नहरों से जो भूमि सींची गई वह इस प्रकार है—

सन्	एकड़
१९२९-३०	३,०६,८७,३४०
१९३०-३१	३,१०,६६,३६३
१९३१-३२	२,९५,०४,०११
१९३२-३३	४,९८,८१,८८१
१९३३-३४	५,०५,०७,७६१
१९३४-३५	५,०५,३४,०००

नहरों द्वारा भूमि की सींच

प्रांत वार।

प्रान्त (१९३४-३५)	एकड़
अजमेर मारवाड़	......
आसाम	३,३६,५१०
बंगाल	३,३३,७७४
बिहार उड़ीसा	१७,३६,३७३
बम्बई	३६,२८,१६१
ब्रह्मा	६,१८,४२८
मध्यप्रदेश	८,४६,७३६
कुर्ग	२,७२६
देहली	३,६५,४६
मद्रास	३७,४१,४५८
सीमाप्रान्त	४,१७,५१४
पंजाब	९६,०२,६५३
संयुक्तप्रांत	३२,७४,६१४
योगः—	२,६०,७१,०६०

मुख्य फसलों की सिंचाई।

चावल, गेहूं, जौ, ज्वार और बाजरा मुख्य फसलें हैं जिनमें सींची जाने वाली भूमि अधिक मात्रा में लगी हुई है। चावल में एक करोड़ ८३ लाख एकड़, गेहूं में १ करोड़ १२ लाख, जौ में २६ लाख, ज्वार में १३ लाख और बाजरा में २.८ लाख एकड़ सींची जाने वाली भूमि लगी हुई है। ब्योरा अगले पृष्ठ के कोष्ठक में दिया गया है।

मुख्य फ़स्लों की सिंचाई*

(एकड़ों में)

प्रान्त	चावल	गेहूं	जौ	ज्वार	बाजरा
अजेमरमारवाड़	१४६	१७८१३	३७०७६	३३६	१३६
आसाम	६११२७२	....	...	...	...
बंगाल	१५६५२७५	१५६६४	३१०४	१०	५
बिहार उड़ीसा	३४७००२६	२५२८१०	१२६४५५	३२७५	१४६६
बम्बई	१३५४५००	१२५७६०६	२४६०३	६५४१७२	३३५६६६
ब्रह्मा	१३६६७००	३६२	...	२४०	...
मध्यप्रदेश बरार	८६३६२१	५१६८६	१४४६	४१०	...
कुर्ग	४१३२	...	...	...	...
देहली	६३	२२६११	३२४३	२४००	२,४२७
मद्रास	७६५२५४६	३३२५	...	५१६६८२	२६६८१८
सीमाप्रान्त	३८६०६	३५१०७५	५४४५३	२०७७२	६०७८
पंजाब	७०७४७६	५२१६६७३	२५२६२१	१६३३४१	३३७२५७
संयुक्तप्रान्त	४५४६७४	४०२३६८२	२११५५७२	११८४५	१५१६
जोड़ः—	१८३६७६२६	११२१२३४०	२६५२१७६	१३७४१८६	६८७७३२

*दोनों फ़सलों से मतलब है।

सींची जाने वाली भूमि का ब्योरा
(एकड़ों में)

प्रांत	नहरें		तालाब	कुएँ	अन्य साधन	कुल सिंची हुई भूमि
	सरकारी	अन्य				
अजमेर मारवाड़	...	...	३८,०७३	६७,८६१	१७३	१,३६,१०७
आसाम	३४०	३,३६,१७०	१,४१०	...	२,६५,६७४	६,३६,८६४
बंगाल	१,२६,०८२	२,०७,६६२	८,८८,१०१	३६,६८४	४,४०,८८६	१६,६६,४४८
बिहार उड़ीसा	८,३८,६२४	६,००,७३६	१६,१६,०३१	५,७४,७६१	११,६६,२८८	५१,०२,४५३
बम्बई	३८,२५,४८०	१,०२,६८१	१,४७,००६	६,५७,६८२	३,७२,४५७	५१,०५,३०६
ब्रह्मा	६,४६,४६८	२,६८,६६०	१,८१,३३७	५६,४८६	३,२६,४४५	१४,८५,६६६
मध्य प्रान्त बरार	❀	८,४६,७३६	❀	१,४८,७५०	४७,२०८	१,०५,६२३
कुर्ग	२,७२६	...	१,४०६	....	...	४,१३२
देहली	३६,५४६	...	१,३८२	२१,०२८	...	५८,६५६
मद्रास	३७,४१,४५८	२,०४,७६२	३२,४१,२१६	१४,०५,२४६	६,३०,८८०	६२,२३,५६५
उ० प० सीमाप्रांत	४,१७,५१४	३,८१,२०५	...	८२,५१६	७८,५६०	६,५६,८२८
पंजाब	६५,२८,६६२	३,७४,२६१	३५,०४६	४३,५१,४७८	१,३५,२४८	१,४४,२४,७२६
संयुक्तप्रांत	३२,३६,७६६	३८,११५	५८,८०६	५०,६१,६४८	२२,२५,३८०	१,०६,५०,७५२
जोड़	२,२४,०३,७०६	३६,६७,२५१	६२,'२,८२३	१,२५,२७,१४१	५७,२२,५३२	५,०५,३३,५५६

❀ सरकारी तथा अन्य का योग

सिंचाई के साधन।

भूमि की सिंचाई सरकारी तथा ग़ैर सरकारी नहरों, तालाबों तथा कुओं द्वारा होती है। अनेक खेतों में नहरों और तालाबों के अभाव के कारण केवल वृष्टि पर ही निर्भर रहना पड़ता है। भिन्न २ प्रांतों में जिन २ साधनों द्वारा भूमि सींची जाती है उस भूमि का व्योरा पीछे के कोष्टक में दिया गया है। पंजाब में १ करोड़ ४४ लाख एकड़ सींची जाने वाली भूमि में ६८ लाख एकड़ भूमि नहरों से सींची जाती है। और इसी प्रांत में सींची जाने वाली भूमि सब से अधिक मात्रा में है। संयुक्त प्रांत में १ करोड़ ६ लाख, मद्रास में ६२ लाख, बम्बई में ५१ लाख, बिहार उड़ीसा में ५१ लाख बंगाल में १६ लाख, और अजमेर मारवाड़ में १३ लाख एकड़ भूमि सींची जाती है।

सन् १९३१—३२ तक सरकार ने १४२.६ करोड़ रुपया सिंचाई के साधनों में खर्च किया। वार्षिक खर्च लगभग ४.५ करोड़ है और सालाना आय (खर्च काट कर) लगभग ६ करोड़ रुपया है।

रुई।

भारतवर्ष में रुई की उपज बहुतायत से होती है और यूनाइटेड स्टेटस अम्रीका के बाद यही देश है जिसमें सब से अधिक रुई उत्पन्न होती है। पिछले ३८ साल में रुई की खेती बहुत बढ़ गई है। इसके कई कारण हैं। स० १९२१ के असहयोग आन्दोलन तथा १९३१—३२ के सविनय अवज्ञा आन्दोलन के देशव्यापी हो जाने से सारे देश में राष्ट्रीयता छागई। बहुत से लोगों ने खादी पहनना आरम्भ कर दिया और उससे भी अधिक लोगों ने विदेशी कपड़े न खरीदने की क़सम खा ली।

इसके फलस्वरूप अनेक नई मिलें खुल गईं और दिन ब दिन रुई का व्यापार बढ़ता गया। कुछ वर्षों से लम्बे तागे वाली रुई की खेती अधिक की जाती है। छोटे तागे वाली रुई लोग कम बोने लगे हैं।

विभिन्न देशों में रुई की उपज।

*सहस्र क्विण्टलों में।

देश	*क्विण्टल	देश	*क्विण्टल
अफ्रीका	१००००	चीन	१५७००
मिश्र	७१००	सायप्रस	
युगाण्डा	६३०	कोरिया	७००
सुडान	१०००	भारत	२०३००
उत्तरी अमरीका	३७६०००	सीरिया	५ :
मध्य अमरीका	१२५०	सोवियट रूस	८८५०
मेक्सिको	१०५३	योरुप (रूस छोड़ कर)	८००
दक्खिनी अमरीका	८८००	बलगेरिया	१२५
अर्जेण्टाइन	१०५०	यूनान	२५०
ब्रेज़िल	६५००	इटली	२०
एशिया	३७३००	टर्की	३६८

*एक क्विण्टल = १.६६८ हंडरेडवेट

भारत में रुई की उपज।

(प्रान्तवार)

बम्बई प्रान्त में सब से अधिक मात्रा में रुई की खेती की जाती है। तदनन्तर मध्यप्रदेश रुई की उपज में अग्रसर है। स० १६३५–३६ में बम्बई प्रान्त में ५१७ लाख एकड़ भूमि, मध्य प्रदेश में ४१.६ लाख एकड़, पंजाब में ३५ लाख एकड़, मद्रास में २६ लाख एकड़, हैदराबाद (दक्षिण) में ३६ लाख एकड़ और मध्य भारत (राजपूताना मालवा प्रदेश) में १२ लाख एकड़ भूमि रुई की खेती में लगी हुई थी। किन्तु पंजाब में सबसे अधिक मात्रा में उपज हुई अर्थात् ४०० पौंड प्रति गठ्ठे के हिसाब से १५ लाख ६१ हजार गठ्ठे रुई उपजी। इससे यह प्रतीत होता है कि पंजाब की भूमि रुई के लिये भी अधिक उपजाऊ सिद्ध हुई है रुई की उपज प्रान्तवार आगे के कोष्टक में दी जा रही है।

रुई की उपज (प्रान्तवार)

प्रान्त व राज्य	१९३४—३५		१९३५—३६	
	एकड़ भूमि	४०० पौं० गट्ठा	एकड़ भूमि	४०० पौं० गट्ठा
बम्बई ❀	६२,६७,०००	११,१५,०००	४७,४४,०००	११,२२,०००
मध्यप्रदेश	४२,०१,०००	६,१७,०००	४१,६०,०००	६,४६,०००
पंजाब ❀	२८,८४,०००	१२,४२,०००	३५,४२,०००	१५,९६,०००
मद्रास ❀	२३,२०,०००	४,७७,०००	२६,४९,०००	५,४१,०००
संयुक्तप्रान्त ❀	७,१५,०००	१,९४,०००	५,९६,०००	१,९५,०००
सिन्ध ❀	७,०५,०००	२,८५,०००	८,४४,०००	३,४३,०००
ब्रह्मा	४,५७,०००	९३,०००	४,९३,०००	१,०५,०००
बंगाल ❀	७४,०००	२४,०००	७३,०००	२४,०००
बिहार	४२,०००	८,०००	३८,०००	७,०००
आसाम	३४,०००	१३,०००	३५,०००	१४,०००
अजमेरमारवाड़	३६,०००	१२,०००	३५,०००	१३,०००
सीमाप्रान्त	१५,०००	४,०००	१५,०००	३,०००
देहली	४,०००	१,०००	२,५००	१,०००
हैदराबाद	३१,०१,०००	४,४३,०००	३६,९८,०००	५,६९,०००
मध्य भारत	११,७३,०००	१,३१,०००	१२,०२,०००	१,८०,०००
बड़ोदा	८,००,०००	६९,०००	८,३७,०००	१,५६,०००
ग्वालियर	६,३३,०००	५८,०००	६,०२,०००	१,२४,०००
राजपुताना	४,९२,०००	६४,०००	४,८६,०००	७८,०००
मैसूर	७०,०००	८,०००	८७,०००	११,०००
कुल	२,४०,२३,०००	४८,५८,०००	२,५१,३८,०००	५७२८०००

❀ देशी राज्यों के सहित ।

भारत में सं० १६१४ में रुई के लिये २,५०,२३,००० एकड़ भूमि जोती गई और ५२,०६,००० गट्ठे (४०० पौंड प्रति गट्ठा) रुई की उपज हुई। स० १६३४—३५ में भूमि २,४०,२३,००० एकड़ थी और उपज ४८,५८,००० गट्ठे थी। १६३४-३५ तक पिछले १० वर्षों के रुई की उपज का औसत प्रति एकड़ भारत में ८५ पौंड, मिश्र में ३६७ पौंड और यू० स्टे० अमरीका में १६६ पौंड थी। १६३६—३७ की रुई की फ़सल का अनुमान ५४,७८,००० गट्ठे है।

कच्ची रुई की निर्यात।

भारत वर्ष से कच्ची रुई अनेक देशों को जाती है। २७.६करोड़ रुपया से ऊपर का कपड़ा इस देश में विदेशों से आता है। भारत की मिलें कुल रुई को उपयोग में नहीं लातीं। लगभग आधी रुई विदेशों को जाती है। मुख्य देश जो भारत से रुई लेते हैं वे नीचे के कोष्टक से विदित होंगे।

रुई की निर्यात गट्ठों में (४०० पौंड)
सहस्रों में (००० बढ़ा कर पढ़िये)

विदेश	१६३२-३३	१६३३-३४	१६३४-३५	१६६५-३६	१६३७-३७
	गट्ठा	गट्ठा	गट्ठा	गट्ठा	गट्ठा
ग्रेटब्रिटेन और आयरलैण्ड	१६७	३४२	२४७	४५६	६०१
ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य भाग	७	३	६	१२	१४
जापान	१,०८५	१,०२२	२,०११	१७५६	२,४२७
इटैली	१५०	२६१	२७८	१५४	१६५
फ्रान्स	१२४	१६३	१४८	१६६	१५५
चीन	८३४	३३७	१४२	१०६	७२
बेलजियम	१२८	१४५	१५३	२२५	३११
स्पेन	५२	६१	६०	६७	२६
जरमनी	१५२	२४७	१५३	२६३	२१४
अन्य देश	६४	१५६	१४८	१८५	२८४

रुई के कपड़े का व्यापार

भारत में कपड़ा अत्यन्त प्राचीन काल से बनता आया है। यहाँ के कपड़े इतने अच्छे बनते थे कि रोमन साम्राज्य से लाखों रुपये भारत में आते थे। आधुनिक काल में भी इङ्गलैण्ड देश को इस क़दर कपड़ा छींट मलमल आदि जाता था कि इङ्गलैण्ड ने स० १७०१ से क़ानून द्वारा भारत के कपड़े की आयात बन्द करना आरम्भ की। स० १८३८ में मिल खोलने का प्रयत्न हुआ किन्तु असफल रहा। १८५३ में भारत में पहिली मिल खोली गई उस समय से भारत में मिलें बढ़ती जाती हैं।

स० १८७६--८० में ५८ मिलें थीं, वे स० १८६० में १०६ हो गईं। स० १८६६ में १७४ थीं। स्वदेशी आन्दोलन के कारण स० १६१० में २३३ हो गईं और अब बढ़ते २ उनकी संख्या इस समय ३७६ है। मजदूरों की दैनिक संख्या ४,१७,८०३ है।

आरम्भिक काल में मिलों में कपड़ा बहुत मोटा बिना जाता था। २४ कौंट से अधिक सूत उपयोग में नहीं आता था। इस कारण भारत में विदेशी महीन कपड़े की आयत बढ़ती गई। भारत में बना कपड़ा पूर्वी द्वीपों में जाता था। २० वीं शताब्दी के आरम्भ में मिल मालिकों ने देखा कि यदि हम लङ्काशायर से मुक़ाबला करना चाहते हैं तो बारीक़ सूत का कपड़ा बनावें। स० १६०० से १६१५ तक मिलों ने इस ओर काफ़ी उन्नति की और स० १६०० के मुक़ाबिले सन १६१५ में तिगुना कपड़ा बनाया। विदेशी मिलों की होड़ के कारण भारत की मिलों को बड़ी हानि हुई है यह कहना पूर्णतया सत्य नहीं है कि भारत की रुई से बारीक़ सूत नहीं निकल सकता साधारण रुई से ४० कौंट तक निकल सकता है और अब रुई की खेती की उन्नति हो गई है और लम्बे धागे वाली रुई बोई जाने लगी है जिससे अब कोई कठिनाई नहीं रही है। स० १८६४ में इंडियन टैरिफ एक्ट के द्वारा विदेशी सूत व कपड़े के मूल्य पर ५) रु० प्रतिशत आयात कर लगाया गया और देशी मिलों के सूत पर भी जो २० कौंट से ऊपर हो इतनी ही "एकसाइज ड्यूटी" लगाई गई लेकिन लंकाशायर के विरोध पर भारत सरकार ने विदेशी सूत पर कर छोड़ दिया और विदेशी कपड़ों पर कर कम करके ३॥ प्रतिशत कर दिया। साथ २ देशी मिलों के कपड़ों पर भी इसी एक्ट अर्थात्

इंडियन काटन ड्यूटीज ऐक्ट १८९६ द्वारा ३॥ प्रतिशत ड्यूटी लगादी गई स० १९१६ तक देशी मिलों को यह अनुचित बोझ सहना पड़ा। सन १९१७ में बजट में कमी के कारण भारत सरकार ने विदेशी कपड़ों पर कर बढ़ाकर ७॥ प्रतिशत कर दिया किन्तु देशी कपड़ों पर वही रहा। इससे मिलों को अवश्य लाभ हुआ सन १९२१ में खर्च की बढ़ती के कारण विदेशी कपड़े पर आयात कर २१ प्रतिशत कर दिया गया किन्तु देशी कपड़ों पर ३॥ प्रतिशत ही रहा। सन १९२२ में विदेशी रुई के सूत पर जिस पर १८९६ में कोई आयात कर नहीं था ५ प्रतिशत कर लगाया गया। इसकेबाद रुई के व्यापार में हड़-ताल, मिलबन्दी (लाकआउट) आदि अनेक कारणों से घाटा होने से सरकार ने सन १९२६ में देशी कपड़ों की ३॥ प्रतिशत की ड्यूटी बिलकुल छोड़ दी। इसमें जो कुछ लाभ की मात्रा थी वह सब विनिमय (Exchange) के परि-वर्तन से निकल गई। अर्थात १ रु० =१ शि० ६ पेन्स के बना दिया गया जिससे विदेशी व्यापारियों को लगभग १२॥ प्रतिशत केवल विनिमय से लाभ होने लगा। भारतीय मिल मालिकों ने, अन्य व्यापारियों ने तथा कौंसिल के मेम्बरों ने इसका बड़ा विरोध किया किन्तु सरकार ने कुछ न सुना। महात्मा गांधी ने जो अपनी ११मांगें ब्रिटिश सरकार के सामने सन १९३० में रक्खीं उनमें भी यह मांग थी कि विनिमय १ रु०=१ शिलिंग ४ पैंस करदिया जावे।

कपड़े की खपत बढ़ती ही जाती है इस कारण मिलों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आगे कोष्टक में मिलों की संख्या की वृद्धि दी जा रही है—

भारत की मिलों में कते हुये सूत का वज़न (पौंडों में)
(मुटाई के अनुसार)

नम्बर (कौंट)	१९३१—३२	१९३३—३४	१९३५—३६
१—१०	११,६८,९९,११४	१०,७५,६४,०३१	११,०४,५६,७७५
११—२०	४४,५१,५७,९३४	४३,९८,६६,७०६	४८,३६,१६,१४५
२१—३०	२९,४०,०५,३४२	२५,४८,२७,१३६	२८,७६,१३,१७८
३१—४०	७,१०,७३,०७५	७,५८,१०,००९	११,२०,२६,२०९
४० से ऊपर	३,४०,०१,३६३	३,७३,५८,४०५	५,८५,२८,१६४
व्यर्थ इत्यादि	५२,३६,१९२	५६,३४,६९६	६०,५६,४३०
जोड़—	९६,६३,७३,०२०	९२,१०,६०,९८३	१,०५,८२,९६,९०१

भारत में मिलों की बढ़ती।

सन्	मिलें	तकुवे	करघे	मज़दूरों का दैनिक औसत	कती हुई रुई का औसत	
					हण्डरेटवेट	गट्ठा ३९२पौ.
१८८०	५८	१४,६१,५९०	१३,५०२	४४,४[illegible]०	१०,७६,७०८	३,०७,६३१
१८८५	८७	२१,४५,६४६	१६,५३७	६७,१८६	२०,८८,६२१	५,९६,७४९
१८९०	१३७	३२,७४,१९६	५३,४१२	२३,४१२	१,०२,७२१	१०,०८,४६२
१८९५	१४८	३८,०९,९२९	३४,३३८	१,३८,६६९	४६,९५,९९९	१३,४१,७१४
१९००	१९३	४९,४५,७८३	४०,१२४	१,६१,१८९	५०,८६,७३२	१४,५३,३५२
१९०५	१९७	५१,६३,४८६	५०,१३९	१९५,२७७	६५,७७,३५४	१८,७९,२४४
१९१०	२६३	६१,९५,६७१	८२,७२५	२,३३,६२४	६७,७२,५३५	१९,३५,०१०
१९१५	२७२	६८,४८,७४४	१,०८,००९	२,६५,३४६	७३,५९,२१२	२१,०२,६३२
१९२०	२५३	६७,८३,८७६	१,१९,०१२	३,११,०७८	६८,३३,११३	१९,५२,३१८
२९२५	३३७	८५,१०,६३३	१,५४,२०२	३,६७,८७७	७७,९२,०८५	२२,२६,३१०
१९३०	३४८	९१,२४,७६८	१,७९,२५०	३,८४,[illegible]२२	९०,०७,९९९	२५,७३,७१४
१९३१	३३९	९३,११,९५३	१,८२,४२९	३,९५,४७५	९२,१६,११६	२६,३३,१७०
१९३२	३३९	९५,०६,०८३	१,८६,३४१	४,०३,२२६	१,०१,८९,४२४	२९,११,२६४
१९३३	३४४	९५,८०,६६८	१,८९,०४०	४,००,००५	९९,३०,०५३	२८,३७,१५८
१९३४	३५२	९३,१३,१७४	१,९४,३८८	३,८४,९३८	९४,६३,९६५	२७,०३,९९०
१९३५	३६५	९६,८५,७७५	१,९८,[illegible]६७	४,१४,८८४	१,०९,३१,९४९	३१,२३,४१४
१९३६	३७९	९८,५६,६५८	२,००,०६२	४,१७,८०३	१,१०,९८,९६३	३१,७१,४१०

भारत की मिलों में कते हुये सूत का वज़न (पौंडों में)

(प्रान्तवार)

	१९३२-३३	१९३३-३४	१९३४-३५	१९३५-३६
बम्बई प्रेसीडेन्सी	५५,८५,९४,७०९	४८,४७,१४,६७४	५२,३०,४४,५५२	५४,८८,०६,१५१
मद्रास	१०,४९,०९,६५३	९,८२,७४,०६९	१०,३७,६५,६६७	११,३०,७७,८३३
बंगाल	४,०८,२१,४८८	३,९९,१२,३९९	४,१०,५६,०५६	४,०९,९१,२४४
संयुक्तप्रान्त	९,३१,२९,७७५	९,३८,६५,०३४	९,९७,०१,३०५	१०,७९,४५,९२५
अजमेर मारवाड़	७७,९६,७५९	८०,९७,५३०	८६,३०,७१०	१,०३,८५,४५४
पंजाब	५०,६३,०१५	२५,७०,५६२	२६,९९,६४१	६७,३९,७०४
देहली	२,६७,९१,०४३	२,४३,५२,४३१	२,५३,१०,७२२	२,५२,०३,९४७
मध्यप्रदेश और बरार	४,५३,८५,३४९	४,१५,९५,५८०	४,५०,०९,४३३	४,६४,२७,८०९
ब्रह्मा	३२,८०,३९५	३३,२९,२५१	४०,२३,२२८	३६,७१,०५५
योग	८८,५७,७२,१७९	७९,६७.११,४३०	८५,३२,४०,८१४	९०,३२,४९,१२२
इन्दौर, मैसूर, बड़ौदा, नन्द-गाँव, भावनगर, हैदराबाद, वधवान, उज्जैन, किशनगढ़, कैम्बे, कोल्हापुर, कोचीन, राज-कोट, रतलाम, ट्रावनकोर	१३,०६,४९,६८५	१२,४३,४९,१९३	१४,८१,७९,००३	१३,५०,४७,७७९
कुल जोड़	१,०१,६४,२१,८६४	९२,१०,६०,९८३	१,००,१४,१९,८१७	१,०५,८२,९६,९०१

भारत में बना हुआ कपड़ा।

	१९३३—३४	१९३४—३५	१९३५—३६
भूरे तथा साफ़ थान			
पौंड	४९,५७,९४,७९४	५६,०६,५,१२३६	५८,७७,८६,७२८
गज़	२,२६,४९,९४,८९९	२६४,१३,०५,३०६	२,७७,२९,८०,०३६
रंगीन थान			
पौंड	१३,७६,१०,४९६	१४,७४,६६,१४०	१५,२८,७२,९०६
गज़	६८,००,५६,८२८	७५,५८,०१,९८१	७९,७८,७८,९८५
भूरे तथा रंगीन थान			
पौंड	३३,९१,९८२	३७,०३,७३७	५१,१७,६०९
दर्जन	८,४१,७६१	९,३०,५२३	१२,९१,०२५
मोज़े बनियान आदि			
पौंड	२३,४०,३३६	४७,१८,४३५	५३,०४,४३५
दर्जन	७,४५,३९१	१४,८१,७०८	१६,४८,०६६
विविध			
पौंड	४८,६४,१३३	६२,०८,३२०	५६,७३,५४८
रुई, रेशम, तथा ऊन से मिश्रित थान			
पौंड	१८,५९,११४	३८,३०,२६५	४६,७६,१५१
कुल पौंड	६४,५८,६०,८५५	७३,६५,७८,१३३	७६,१४,३१,२७१
गज़	२,९४,५०,५१,७२७	३,३९,७१,०७,२८७	३,५७,०८,५९,०११
दर्जन	१५,८७,१५२	२४,१२,२३१	२९,३९,०९१

भारत में कपड़े का खर्च।

भारत में प्रतिवर्ष लगभग ६१३ करोड़ गज़ कपड़ा ख़र्च होता है जिसका औसत प्रति मनुष्य १६'५७ गज़ होता है। आधे से कुछ अधिक देशी मिलों का खर्च होता है। ८७ करोड़ गज़ कपड़ा अर्थात् १/६ से कुछ अधिक विदेशों से आता है। शेष करघों द्वारा हाथ से बुना हुआ कपड़ा १६६ करोड़ गज उपयोग में लाया जाता है।

महात्मा गांधी के परिश्रम द्वारा राष्ट्रीय कांग्रेस ने खादी अर्थात् हाथ से कते हुए सूत का कपड़ा प्रत्येक कांग्रेसी पदाधिकारी के लिये अनिवार्य कर दिया है तथा इनके अतिरिक्त लाखों भारतवासी केवल खादी ही पहिनने लगे हैं। खादी की तैय्यारी के लिये विशाल संस्था भी क़ायम हो गई है जिसका नाम "अखिल भारतवर्षीय चर्खा संघ (All India Spinners' Association) है। इस संस्था ने स० १९३६ में ४४,७०,९३१ गज़ कपड़ा तैयार किया और अपनी प्रमाणित संस्थाओं द्वारा १७, ५३, ०६६ गज़ तैयार किया।

स० १९१९–२० में विदेशी कपड़े की आयात विदेशों से ५६'१२ करोड़ रुपये की थी और इस आयात की वार्षिक मात्रा इसी प्रकार १९२९–३० तक बनी रही किन्तु सन १९३०–३१ में यकायक आयात की मात्रा गिर गई और उस साल केवल २१'६४ करोड़ रुपये का कपड़ा विदेशों से आया। और सन १९३५ ३६ में केवल २७'८ करोड़ रुपये का कपड़ा विदेशों से भारत में आया। राष्ट्रीय आन्दोलन तथा देशी मिलों की होड़ ही इस कमी का कारण है

कपड़े का खर्च।

(करोड़ गज़ों में—००,००,००० बढ़ाकर पढ़िये)

	मिलका कपड़ा	विदेशी कपड़ा	हाथका कपड़ा	जोड़	प्रति मनुष्य
१९३१—३२	२८८	७६	१५०	५१४	१४'२८
१९३२—३३	३११	१२०	१७०	६०१	१६'७०
१९३३—३४	२८९	७७	१४४	५१०	१४'१७
१९३४—३५	३३४	९७	१४६	५७७	१५'६०
१९३५—३६	३५०	९७	१६६	६१३	१६'५७

खादी ।

भारतवर्ष के व्यापार में खादी का स्थान सदा से महत्व पूर्ण रहा है। विदेशी कपड़े भी सब निवासियों की कपड़ों की आवश्यकता पूरी नहीं करते। देश में लाखों चरखे और सहस्रों करघे चलते ही जाते हैं।

किन्तु विदेशी मिलों के कपड़ों के आक्रमण से लाखों कौरी व जुलाहे जिनका रोज़गार केवल कपड़ा बुनना था बेकार हो गये हैं और देश की निर्धनता बढ़ती जाती है

भिन्न २ उद्योगों में भारतवासी इस प्रकार लगे हुये हैं (१६३१)।

खेती	६७·०	प्रतिशत
व्यापार	५·४	,,
ढुलाई (रेल आदि)	१·५	,,
प्रबन्ध	२·८	,,
मिल फैक्टरियाँ आदि	६·७	,,

इससे स्पष्ट है कि इतने वर्षों में "मशीनयुग" ने भी १० प्रतिशत से अधिक मनुष्यों को काम न दिया और न पेट भरा।

भारत में जुती हुई ज़मीन २२·५ करोड़ एकड़ है खेती में लगे हुये मनुष्यों के लिये १·२० एकड़ भूमि प्रति मनुष्य है।

भारतीय किसान की औसत जोत का क्षेत्रफल इस प्रकार है—

प्रांत	एकड़
आसाम	२·६६
बङ्गाल	३·१२
बिहार उड़ीसा	३·०६
बम्बई	१२·१५
ब्रह्मा	५·६५
मध्य प्रदेश	८·४८
मद्रास	४·६१
पश्चिमोत्तर प्रांत	११·२२
पंजाब	६·१८
यू० पी०	२·५१

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि ६७·१ मनुष्यों को मिलें व फैक्टरियां काम नहीं दे सकतीं। न इतने मनुष्य गांव छोड़ कर मिलों में काम पा सकते हैं। इस कारण महात्मा गांधी का कहना है कि खादी द्वारा ग्राम में रहने वालों को ऐसा सहायक उद्योग दिया जा सकता है जो उन्हें खेती से बचे हुये समय में ही कुछ धन सम्पादन करने में सहायता दे। चरखा और खादी पर महात्मा जी इसी कारण बहुत ज़ोर देते हैं। उनका कहना है कि यदि कोई मनुष्य शहर में आकर मज़दूरी करे तो उसकी

मज़दूरी से चरखा से सूत कातने की आमदनी की तुलना नहीं हो सकती। चरखा चलाना केवल 'सहायक उद्योग' है किन्तु बड़ा ही शक्तिवान उद्योग है।

असहयोग आन्दोलन (१९२१) के आरम्भ में ही महात्मा गांधी ने चरखा व खादी का प्रचार आरम्भ किया। सितम्बर सन् १९२५ में अखिल भारतीय चरखा संघ महात्मा गांधी के प्रयत्नों द्वारा क़ायम हुआ।

आज कल भिन्न २ प्रान्तों में लगभग १५०० कार्यकर्त्ता खादी का काम कर रहे हैं। जिनमें ११३५ कार्यकर्त्ता आल इंडिया एसोसिएशन में और ३२९ अन्य सहायक संस्थाओं में हैं।

आल इंडिया स्पिनर्स एसोसियेशन।

(कार्यकर्ताओं की संख्या)

सेन्ट्रल आफिस	१०	केरल	१३
अनंतपुर	६	महाराष्ट्र	१४०
आसाम	४१	पंजाब	४५
आंध्र	६५	कश्मीर	६६
बिहार	१७१	राजस्थान	४९
बम्बई भांडार	३८	टामिलनाद	१६४
बंगाल	५६	यू० पी०	२२५
ब्रह्मा	३	उटकल	१४
गुजरात काठियावाड़	४	सिंध	६
करनाटक	४६		११३५

खादी के विक्रय केन्द्र।

सन १९३६ के अन्त में खादी के ४२० केन्द्र थे जिसमें २५६ अखिल भारत वर्षीय चरखासंघ के, संघ द्वारा सहायता प्राप्त ३१, और स्वतंत्र १३३ थे। सन० १९३४ में ४८० केन्द्र थे। स्वतंत्र केन्द्रों की संख्या २१७ से गिरकर १६४ हो गई।

विक्रय केन्द्रों की संख्या प्रान्तवार।

अ० भा० चरखा संघ

प्रान्त	केन्द्र	ग्राम	सहायता प्राप्त	स्वतंत्र	योग
आंध्र	३०	२३३	२	३१	६३
आसाम	३	३१	...	...	३
बिहार	४१	८०५	...	३	४४
बंगल	९	३३९	२०	८	३७
बम्बई	२	...	...	३	५
ब्रह्मा	१	...	...	...	१
गुजरातकाठियावाड़	२	३५	१	१४	१७
करनाटक	१९	११९	...	८	२७
काश्मीर	८	५००	...	...	८
केरल	६	२८	...	...	६
महाराष्ट्र	२८	४३०	१	२	३१
पंजाब	१८	२४५	१	७	२६
राजस्थान	१९	७९	१	३	२३
सिंध	२	६०	...	३	५
तामिलनाद	४५	५९९	५	२९	७९
संयुक्तप्रान्त व हिंद	१७	४९५	...	१८	३५
उत्कल	६	१५	...	४	१०
	२५६	४६३२	३१	१३३	४२०

आ० भा० चरखा संघ द्वारा स० १९३६ में १७ लाख १३ हजार की खादी तैयार हुई और २४ लाख ३१ हजार की खादी बिकी और ९ लाख ३३ हजार मजदूरों को दिया गया।

श्रीमती सरोजिनी नायडू

श्रीमती सत्यवती देवी
कांग्रेस एम. एल. ए. (यू. पी.)

श्री० टी० प्रकाशम
मिनिस्टर, मद्रास सरकार

कविराज प्रतापसिंह रसायनाचार्य
हिन्दू वि० वि० काशी

पं० वंशीधर मिश्र
एम. एल. ए., यू. पी.

खद्दर की तैयारी व विक्री १६३६

प्रान्त	तैयारी रु०	बिक्री रु०
आंध्र	८५६३७	६२७३०
आसाम	३४५८	३१०
बिहार	२,४४,२४१	२१५०४८
बंगाल	७६८७६	४१०६३२
गुजरातकाठिया-वाड	१४२२	...
बर्मा	...	४२७७४
बम्बई	...	२६१६३५
कर्नाटक	३४५६७	११०६४८
कश्मीर	१०२६६८	८१७६२
महाराष्ट्र	२६८५४२	४०२७६१
पंजाब	१२३८६६	१२३५०३
राजस्थान	३०६५१	६२०६२
टामिलनाद	४७३६६६	४३६४५६
केरल	२५६६४	३७०२१
यू. पी.	१८८१२४	४०६६८४
उटकल	११३२४	१७०२७
	१७१३४००	२४३१४२२

खादी का प्रचार दिन प्रति दिन बढ़ता जाता है और सन् १६३० के राष्ट्रीय आन्दोलन ने उसे और बढ़ा दिया। खद्दी राष्ट्रीय पोशाक बनती जाती है।

स० १६३७ के एसेम्बली के चुनाव में काँग्रेस की सफलता ने खादी प्रचार को काफ़ी सहायता दी है। प्रान्तीय सरकार ने जहाँ काँग्रेसी मंत्रि-मण्डल हैं अपने कर्म चारियों की वर्दियों में खद्दर का उपयोग करना निश्चित किया है।

मजदूरी में वृद्धि।

महात्मा गांधी जी की सूचनानुसार अखिल भारत वर्षीय चरखा संघ ने खादी के लिये सूत कातने तथा बुनने वालों की मजदूरी बढ़ादी है। इस विषय का प्रस्ताव संघ की कौंसिल ने अपनी ११ व १२ अक्टूबर १६३५ की बैठक में पास किया। उक्त प्रस्ताव में इस बृद्धि के लिये यह उद्देश्य बताया गया है कि मज़-दूर को वैज्ञानिक रीति से आवश्यक अन्न सामिग्री तथा सालाना २० गज़ कपड़ा मिलना अत्यन्त आवश्यक है जिससे उसका रहन सहन ऊँचा हो कर एक विशेष प्रमाण पर हो जावे। उक्त प्रस्ताव के कार्य-रूप में परिणित होने के कारण स्वतंत्र संस्थाओं ने अनेक केन्द्र बंद कर दिये हैं कारण कि उस प्रमाण में मज़दूरी देना उनके लिये असम्भव है ऐसी संख्या २४० से घटकर १६८ हो गई है।

अखिल भारतीय चरखा संघ द्वारा प्रमाणित संस्थाओं ने स० १९३५ में ११,८६,९९० रुपये का और स० १९३६ में ७,१०,८५७ रुपये का खद्दर तैयार किया। इन वर्षों में इन संस्थाओं की बिक्री क्रमशः १४,६४,३०१ रुपया व १०,१६,३१९ रुपये की हुई अर्थात् तैयारी व बिक्री दोनों में घटी हुई। अखिल भारतीय चरखा संघ द्वारा निर्माणित खद्दर स० १९३५ में १५ लाख रुपये व १९३६ में १७ लाख रुपये का था और बिक्री क्रमशः २७.९ लाख रुपये व २४.३ लाख रुपये की हुई।

रेशमी खादी

अखिल भारतीय चरखा संघ ने बिहार, बंगाल और करनाटक में रेशमी खादी तैयार किये जाने का उद्योग किया है। बनारस आदि स्थानों में जो रेशमी कपड़े करघों द्वारा तैयार किये जाते हैं उनमें विशेषतः विदेशी रेशम उपयोग में लाया जाता है। चरखा संघ के भण्डारों में रुई की खादी के साथ साथ रेशमी खादी भी मिलती है।

उपरोक्त प्रन्तों में स० १९३५ व स० १९३६ में जो खादी तैयार की गई और बेची गई उसका ब्योरा नीचे दिया जाता है।

प्रान्त	निर्माण	निर्माण	विक्रय	विक्रय
	१९३५	१९३६	१९३५	१९३६
बिहार	९०७०	७३५९	६२१६	८२२५
बंगाल	४६०६४०	३२८३७१	२०१४२७	२००२६२
करनाटक	१७७५	१२९९२	३३७८	१७४७७
	४,७१,४६७	३४९,७२२	२११,०२१	२२५९६७

देशी राज्यों में खादी कार्य।

मैसूर राज्य में सरकार द्वारा बडनवल कताई केन्द्र जारी है तथा अनेक जिला बोर्ड भी इस कार्य को चला रहे हैं। उक्त राज्यमें स० १९३६ में ४७,७४५ रुपये की खादी तैयार हुई और ३५७४५ रुपये की खादी बिक्री की गई।

काठियावाड़ में भावनगर, बड़ोदा, और बाडिया राज्यों ने अनेक खादी निर्माण केन्द्र बनाये हैं। ग्वालियर राज्य द्वारा सबलगढ़ केन्द्र को सहायता मिली है और राज्य के लिये १००० थान खादी के खरीदे हैं।

यह सत्य है कि मजदूरी में वृद्धि की नवीन नीति ने कुछ केन्द्रों में खादी का कार्य कम कर दिया है किन्तु इस नीति ने खादी आन्दोलन में एक स्थायी दृढ़ता लादी है और कातने वालों तथा बुनाई करने वालों के हृदयों में उत्साह व विश्वास भर दिया है जो प्रत्येक कार्य के लिए बड़े पोषक साधन होते हैं।

गन्ना

भारतवर्ष में गन्ने की खेती प्राचीन काल से होती आती है और इसका ज्ञान इसी देश से अन्य देशों में फैला है। वेदों में भी इसका उल्लेख है। सभी प्रान्तों में थोड़ा बहुत गन्ना उत्पन्न होता है किन्तु अधिकता से उत्तरी भारत में अर्थात बिहार तथा संयुक्त प्रान्त में लगभग ८६ प्रतिशत उपजता है। सन् १९२३ से १९३० तक प्रायः हर वर्ष २८ लाख एकड़ भूमि गन्ने के लिये उपयोग में लाई जाती थी। अधिक तर गन्ना गुड़ बनाने के काम में लाया जाता था जिससे विदेशी शक्कर को और विशेपतः जावा शक्कर को बड़ी ही सुविधा मिलती थी। स० १९३२ से शक्कर के देशी उद्योग को रक्षा मिली है। सन् १९१४ में ८०,३,००० टन विदेशी शक्कर आई वह बढ़कर १९२९-३० में ९,३९,६०० टन हो गई किन्तु १९३४-३५ में केवल २,२२,९३२ टन रह गई। सन १९३२-३३ के पहले केवल ३१ शक्कर की फैक्टरियां थीं। १९३२-३३ में ५२ और १९३३—३४ में ५५ और सन १९३४-३५ में १९ नई फैक्टरिया बनीं जिससे उस साल में कुल १४२ फैक्टरियां हो गईं। सन १९३५-३६ में १५५ फैक्टरियां थीं। अन्यत्र यह बताया गया है कि बिहार और संयुक्त प्रान्त की सरकारों ने नये क़ानून १९३७-३८ में बनाये हैं जिसके द्वारा शक्कर के फैक्टरी मालिकों तथा गन्ने के कृषकों को दोनों की ही लाभ पहुंचाने का प्रयत्न किया गया है। यू. पी. में गन्ने का मूल्य फी मन निश्चित कर दिया गया है। साधारण कर फी मन लगाया गया है और फैक्टरियों के लिये गन्ने की उपज के क्षेत्र भी बना दिये गये हैं।

सन १९०६-०७ तक जर्मन तथा आष्ट्रियन बीट शक्कर अधिकांश में इस देश में आती थी किन्तु धीरे २ जावा और मारीशस द्वीपों से ही कुछ शक्कर आने लगी और सन् १९१३-१४ में इन दो द्वीपों से ८,९६,८६९ टन आई। उस साल गन्ने की खेती में लगी हुई भूमि २५ लाख ३६

हजार ९०० एकड़ थी और वह बढ़ कर सन् १९३४-३५ में ३५ लाख ६६ हजार एकड़ हो गई। १५ जनवरी १९३४ को जो प्रलयकारी भूकम्प बिहार प्रान्त में हुआ उससे गन्ने की खेती को बड़ी हानि पहुँची किन्तु शीघ्र ही क्षति की पूर्ति हो जायगी ऐसा पूर्ण विश्वास है।

स० १९३४-३५ में लगभग ३६,९२,००० टन गुड़ तैयार हुआ और १३० फैक्टरियों ने ५ लाख ७८ हजार ११५ टन सफेद शक्कर तैयार की। कुल शक्कर जो १९३४-३५ में तैयार हुई वह लगभग ७,६८,११५ टन थी और विदेशों से, विशेषतः जावा से २,२२,००० टन आयी।

अच्छी शक्कर विदेशों को नहीं भेजी जाती है इसका मुख्य कारण केन्द्रीय सरकार की नीति है। १ अप्रैल १९३४ से खण्डसारी शक्कर पर प्रति हंड्रेडवेट दस आना और अन्य शक्कर पर एक रुपया पाँच आना उत्पत्ति कर (Excise duty) लगता है। यह कर भारत की फैक्टरियों को देना पड़ता है। विदेशी शक्कर की आयात पर ९ॽ प्रति हं० और मोलेसेस (मैल मिला हुआ शीरा) की आयात पर ३१$\frac{1}{4}$ प्रतिशत मूल्य पर अयात कर है। देशी फैक्टरियों से निकला हुआ मोलेसेस अभी केवल फेंका जाता है किन्तु उसे लाभदायक उपयोग में लगाने का प्रयोग किया जा रहा है। ऊसर भूमि में खाद की तौर पर उपयोग किया जाये ऐसा भी संकेत किया गया है।

चावल।

चावल भारतवर्ष में लगभग प्रत्येक प्रान्त में उत्पन्न होता है और भारत के अधिकांश लोग उसे खाते भी हैं। जो अनाज विदेशों को भेजा जाता है उसमें चावल की मात्रा प्रतिशत ६१ होती है।

चावल की उपज लगभग ३ करोड़ टन वार्षिक ब्रिटिश भारत में होती है और लगभग ७ करोड़ ९० लाख एकड भूमि इसकी खेती में लगी रहती है। लगभग २ लाख टन साफ किया हुआ चावल भारत से विदेशों को जाता है।

सारे जगत में चावल की वार्षिक उपज ९ करोड़ ५ लाख टन होती है जिनमें केवल चीन देश में ३ करोड़ टन उत्पन्न होता है। इस प्रकार जगत की उपज से भारत की उपज का सापेक्षिक अनुपात ३६ प्रतिशत होता है।

चावल की उपज ।

वर्ष	क्षेत्रफल एकड़	उपज	निर्यात साफ किया हुआ चावल
१९१३–१४	७,६६,०८,०००	३,०१,३८,०००	२४,१६,०००
१९१८–१९	७,७६,१३,०००	२,४३,१८,०००	२०१७,०००
१९३१–३२	८,०२,९९,०००	३,१६,४९,०००	२३,०१,०००
१९३४–३५	७,८१,२१,०००	२,९०,२४,०००	१५,९२,०००

देशी राज्यों में भी काफ़ी चावल उत्पन्न होता है। स० १९३३–३४ में ३८ लाख एकड़ भूमि चावल की खेती में लगी हुई थी और उपज ११.१९ लाख टन थी और स० १९३४–३५ में ३७ लाख एकड़ भूमि और ११.१३ लाख टन उपज थी।

अधिकतर चावल साफ करके ही विदेशों में भेजा जाता है। कुछ चावल (लगभग ६.६ लाख टन—१९३५–३६) उबालकर भेजा जाताहै। लंका द्वीप, फिडरेटेड मलाया स्टेट्स मारीशस तथा अन्य ब्रिटिश आधीन देशों को तथा अरब के राज्यों को अधिक तर चावल जाता है। चावल की उपज का केवल ५.५ प्रतिशत भाग विदेशों को जाता है किन्तु जगत के अन्य देशों की अपेक्षा भारत से ही सब से अधिक चावल विदेशों को जाता है।

चावल की निर्यात ।

बंगाल, मद्रास और बम्बई प्रान्तों से मुख्यतः निर्यात होती है। स० १९१३–१४ में बंगाल से ३ लाख टन, मद्रास से १ लाख टन और बम्बई से २८ हजार टन चावल भेजा गया है किन्तु महायुद्ध के बाद से निर्यात की मात्रा सब प्रान्तों की घटती जाती है।

चावल की निर्यात ।

वर्ष	प्रान्त	टन	पौंड (मूल्य)
१९१३—१४	बंगाल	३२६	३,३०४
	मद्रास	१५५	१,५७०
	बम्बई	२८	२८३
१९१८—१९	बंगाल	१५३	१,६२६
	मद्रास	९७	१,१२६
	बम्बई	१०४	१,५२६
१९३१—३२	बंगाल	१२३	१,१८४
	मद्रास	६१	६८७
	बम्बई	११	१५१
	बंगाल	८०	६५७
	मद्रास	७०	६२९
	बम्बई	१३	१४६

निर्यातकर ।

चावल की निर्यात पर २) प्रति मन कर लगता है । स० १९१३–१४ में ८६० हज़ार पौंड की आमदनी थी वह घटकर १९३५–३६ में ४२४ हज़ार हो गई कारण कि निर्यात प्रत्येक वर्ष घटती जाती है ।

गेहूँ ।

सारे जगत में उत्पन्न होने वाले गेहूं की मात्रा का अष्टमांश भारत में उत्पन्न होता है । पंजाब तथा युक्त-प्रान्त का मुख्य खाद्य पदार्थ है । लगभग ३½ करोड़ एकड़ भूमि गेहूं की खेती में प्रति वर्ष लगी रहती है । पंजाब में ९४ संयुक्त प्रान्त में ७५ मध्य प्रदेश में ३४ बम्बई में १६ सिंध में ६ अन्य ब्रिटिश प्रांतों में २४ मध्य भारत के राज्यों में २० ग्वालियर में १३ हैदराबाद में १२ अन्य राज्यों में २५ लाख एकड़ भूमि क्रमशः गेहूं में लगीहुई है ।

विभिन्न देशों में गेहूँ की उपज तथा निर्यात।

(१९३५-३६)

देश	उपज टन	निर्यात टन	निर्यात का अनुपात उपज से (प्रतिशत)
सोवियट रूस	३,०३,१४,०००	७,४९,०००	२-५
अमरीका	१,६६,८३,०००	७०००	.०४
भारत	२४,३५,०००	१०,०००	.१
अर्जेण्टाइन रिपब्लिक	३७,३६,०००	१७,४४,०००	४६.९
कनाडा	७४,२२,०००	६२,०९०००	८३.६
आस्ट्रेलिया	३८,१६,०००	१९,६०,०००	५१.३

गेहूं की उपज का औसत।

(प्रति एकड़ १९२५-३५)

प्रान्त	पौंड	प्रान्त	पौंड
पंजाब	७३८	सिंध	५९३
संयुक्त प्रान्त	७८६	हैदराबाद	२३१
मध्यप्रदेश	४४४	ग्वालियर	४५८
बिहार और उड़ीसा	८८२	मध्य भरत	३८२
बम्बई	४४७	भारत (कुल)	६३६

अन्यदेशों में गेहूं की उपज (१९२४-३३)

(औसत प्रति एकड़)

देश	पौंड	देश	पौंड
अमरीका	८४६	अर्जेण्टाइन	७८०
कनाडा	९७२	योरोप	१,१४३
आस्ट्रेलिया	७१४	रूस	६३६

भारत में गेहूं की उपज ।

टन

वर्ष	उपज	निर्यात
१६३०–३१	६३,०६,०००	२०,०००
१६३२–३३	६४,५५,०००	२०,०००
१६३४–१५	६७,१८,०००	६,०००

गेहूं के आटे की निर्यात ।

भारत से गेहूं का आटा, मैदा और सूजी विभिन्न देशों को जाता है जिनमें अरब, स्ट्रेट सेटलमेंट, केन्या कोलोनी, और अदन मुख्य हैं। सन् १६१३–१४ में ७६,४१२ टन (मूल्य ८,८४,०६८ पौंड) आटा इत्यादि भेजा गया। किन्तु निर्यात प्रत्येक वर्ष घटती जाती है। सन् १६१८–६ में केवल ३७,६४२ टन, और १६३२–३३ में २७,७६० टन और सन् १६३५–३६ में केवल १८,०३१ टन आटा विदेशों को गया।

जौ ।

संयुक्त प्रान्त तथा बिहार उड़ीसा में जौ बहुतायत से उत्पन्न होता है। पंजाब तथा सीमा प्रान्त में भी काफी होता है। ब्रिटिश भारत में सन् १६३४–३५ में जौ की खेती में लगी हुई भूमि का क्षेत्रफल ६५ लाख एकड़ था और देशी राज्यों में क्षेत्रफल लगभग ३७ हज़ार एकड़ था।

सन् १६३५–३६ में ३५१६ टन जौ (मूल्य—१५,६४७ पौंड) विदेशों को भेजा गया।

दालें ।

अरहर, मसूर, मूंग, आदि दालें काफ़ी मात्रा में भारत में उत्पन्न होती हैं इनकी उपज के आँकड़े प्राप्य नहीं हैं। मसूर मुख्यतः मध्य प्रान्त, मद्रास और संयुक्त प्रान्त में होती है किन्तु भारत के सब प्रान्तों में थोड़ी बहुत होती है। भारत वर्ष की उच्च जातियों में विशेषतः शाकाहारी जातियों में अरहर का उपयोग अधिक होता है।

यूनाइटेड किंगडम, जापान, सीलोन, स्ट्रेटस सेटलमेंट देशों को दालें काफ़ी मात्रा में जाती हैं। महायुद्ध के पहिले जर्मनी हौलैंड और बेलजियम में दालें काफ़ी जाती थीं। अब निर्यात की मात्रा घट गई है।

दालों की निर्यात।

वर्ष	मात्रा	मूल्य
	टन	पौंड
१९१३—१४	११४६२८	७,११,००९
१९१८—१९	१५९३१८	१९,७०,७३२
१९३१—३२	७६७७७	५,४०,०३५
१९३५—३६	९१८२२	६,३२,७१७

ज्वार-बाजरा।

मद्रास, बम्बई, दक्षिण और हैदराबाद के निकटवर्ती प्रान्तों में ज्वार कृषकों का मुख्य खाद्य पदार्थ है। मध्यप्रदेश, बरार, युक्तप्रांत तथा पंजाब के कुछ भागों में ज्वार काफ़ी पैदा होती है। स० १९३४—३५ में ६३,३०,००० टन पैदा हुई थी। उससे पहिले साल में ६२ लाख टन हुई थी।

बाजरा, मद्रास, युक्त प्रांत, सीमा प्रान्त, पंजाब तथा बम्बई प्रान्तों में काफ़ी उत्पन्न होता है। सन् १९३४-३५ में इसकी उपज २५,४९,००० टन हुई।

सन् १९३५—३६ में ज्वार-बाजरा लगभग ८५४३ टन विदेशों को भेजा गया जिसका मूल्य ६२७२४ पौंड था।

चना ।

चने की खेती में एक करोड़ ७० लाख एकड़ भूमि लगी हुई है। सन् १९३४—३५ में चने की उपज ३६,७१,००० टन के लगभग थी। संयुक्त प्रान्त, पंजाब, मध्य प्रदेश, तथा बिहार उड़ीसा में बहुत होता है। पर बम्बई, हैदराबाद, मैसूर में भी होता है।

सन् १९३१—३२ में चने की निर्यात बहुत बड़ी मात्रा में हुई अर्थात् २,८२,१९३ टन थी जिसका मूल्य २२,३३,४१४ पौंड था। किंतु उसके बाद से निर्यात प्रतिवर्ष घट रही है। सन् १९३४–३५ में २१७४३ टन थी, और स० १९३५–३६ में केवल ७५०१ टन (मूल्य ५९,०३ पौंड) चना विदेशों को भेजा गया।

तिलहन।

भारतवर्ष से अन्य देशों को करीब १२ करोड़ रुपये का तिलहन प्रत्येक वर्ष जाता है। सिवाय बड़े शहरों के तेल बहुधा बैल के कोल्हुओं द्वारा ही निकाला जाता है। इस प्रकार के कोल्हू ग्राम २ में पाये जाते हैं।

तिलहन की वार्षिक उपज का औसत लगभग ७० लाख टन है जिसका मूल्य ५ करोड़ ८० लाख पौंड था। सन १९३४—३५ में भारत से तिलहन तथा खली आदि मिलाकर लगभग ९५ लाख पौंड मूल्य के विदेशों को भेजे गये। तिलहन की निर्यात जितनी सारे संसार से होती है उसकी ½ केवल भारतवर्ष से होती है।

भारतवर्ष में तिलहन से बची हुई खली का उयपोग साबुन वगैरह बनाने के काम में नहीं लिया जाता इस कारण बहुतसा तिलहन अन्य देशों को बड़े सस्ते दामों में चला जाता है। यदि तेल निकलने के बाद की बची हुई खली का भी उपयोग मूल्यवान वस्तुएं बनाने में हो तो तिलहन इतना अधिक बाहर न जा सके।

तिलहन की निर्यात।
(टनों में)

तिलहन	१९३२—३३	१९३३—३४	१९३४—३५	१९३५—३६
अलसी	७२,१६०	३,७८,८६८	२,३८,३६५	१,६४,७४३
मूंगफली	४,३३,०००	५,४७,०००	५,११,०००	४,१३,०००
राई	१,१४,५४६	७३,४६३	३६,६३४	१६,०२१
सरसों	३,६५५	३,३८६	२,७७३	२,११७
तिल	६	३	१	१
बिनौला	२,३८६	५,५७५	६३६	७३०
अरण्डी	८५,८६०	८१,५५६	६८,७४६	५६,६६८

मूंग फली।

मूंगफली की खेती दिन प्रति दिन भारत में बढ़ती चली जाती है मुख्य कारण उसका यह है कि यह वस्तु बहुत लोकप्रिय हो गई है। मद्रास, ब्रह्मा, बम्बई और हैदराबाद स्टेट में मूंगफली बहुत बोई जाती है। गुजरात, खान्देश, धारवाड़, मध्यप्रान्त, छोटा नागपुर में भी मूंगफली की खेती प्रतिवर्ष बढ़ती जाती है। सन १९२४ से सन १९२९ तक का औसत यदि एकड़ों में देखा जाय तो ४६ लाख एकड़ आता है वही क्षेत्रफल सन १९२९-३० में ५७ लाख ४८ हजार हो गया और सन १९३०-३१ में बढ़ कर ६२ लाख ४० हजार हो गया। उसी प्रकार उपज भी जो सन १९२४—२९ में औसतन २३ लाख ७ हजार टन थी वह सन १९२९-३० में २६ लाख ६८ हजार हो गई और सन १९३०-३१ में बढ़कर २९ लाख ८८ हजार हो गई।

सन १९३४-३५ में ५११००० टन मूंगफली विदेशों को भेजी गई।

अलसी।

संयुक्त प्रान्त, बिहार उड़ीसा, बंगाल तथा मध्य प्रान्त में अलसी उत्पन्न होती है। वार्षिक उपज लगभग ५ लाख टन होती है और करीब ४ लाख टन विदेशों को चली जाती है। लगभग ३० लाख एकड़ भूमि इसकी खेती में लगी हुई है।

अलसी की निर्यात।

	टन	पौंड (मूल्य)
१९१३—१४	४१३,८७३	४४,४७,९९८
१९१८—१९	२,९२,४५३	४३,६१,४०२
१९३२—३३	७२,१९०	६,८३,३०७
१९३५—३६	१,६४,७४३	१६,५४,६६३

सन् १९३१-३२, तथा १९३२-३३ में अर्जेण्टाइन देश में अलसी बहुत पैदा हुई उसका परिणाम भारत पर पड़ा। स० १९३३ में "ओटावा व्यापारी संधि" के अनुसार यूनाइटेड किंगडम (इंगलैंड) में साम्राज्य के बाहिर की अलसी पर १० प्रतिशत आयात कर लगाया गया जिससे भारत की अलसी की निर्यात बढ़ गई।

लगभग ७० हज़ार गैलन अलसी का तेल विदेशों को भारत से भेजा जाता है। सन् १९३५—३६ में ७७,८६६ गैलन तेल भेजा गया जिसका मूल्य ९५१८ पौंड था।

राई तथा सरसों।

सन् १९३४—३५ में ब्रिटिश भारत में २८,१८,००० एकड़ भूमि राई व सरसों की खेती में लगी हुई थी और उपज ५,३६,००० टन थी।

देशी राज्यों में सन् १९३४—३५ में ७०,००० एकड़ भूमि राई-सरसों में लगी हुई थी और उपज ७००० टन थी।

सन् १९३५—३६ में राई की निर्यात १९,०२१ टन (मूल्य पौं० १९३,४०८), सरसों की निर्यात २११७ टन (मूल्य पौंड ३०,५२१) और राई व सरसों के तेल की निर्यात २३,७९९ गैलन्स (मूल्य पौंड २५,८४०) थी।

राई सरसों की खली मुख्यतः जापान देश को भेजी जाती है। सन् १९३५—३६ में २०,६३८ टन (मूल्य १,०८,५८७ पौंड) विदेशों को भेजी गई जिसमें मुख्य देश जापान व लंका थे।

राई और सरसों के आंकड़े अलग-अलग अप्राप्य हैं।

तिल ।

तिल की खेती में ६० लाख एकड़ भूमि लगी हुई है और औसत उपज प्रतिवर्ष ५,२५,००० टन है।

सन् १९३४ में ८२,७९८ (कुइन्टल) विदेशों को भेजे गये।

अधिकतर तिल का तेल खाने के उपयोग में लाया जाता है और केवल १ लाख गैलन विदेशों को भेजा जाता है।

अन्य तिलहन ।

बिनौला (रुई का बीज) करीब २० लाख टन उपजता है। २ लाख टन बोने के काम में आता है। सन् १९१३—१४ में २ लाख ८४ हज़ार टन विदेशों को गया। किन्तु बाद को निर्यात् गिरती गई और सन् १९३५—३६ में केवल ७३० टन बाहर गया जिसका मूल्य कुल ३३९१ पौंड था।

बिनौले के तेल के लिये स्थायी बाजार विदेशों में नहीं है। सन् १९३३—३४ में ३,६८,७७७ गैलन की मांग हुई वह सन् १९३४—३५ में घट कर १,२२,९३२ गैलन हो गई और सन् १९३५—३६ में केवल ८६,६५० गैलन हो गई जिसका मूल्य केवल ९२३२ पौंड है।

बिनौले की खली सन् १९३५—३६ में केवल ६२१३ टन (मूल्य पौ० ६२,३५४) भेजी गई। अभी तक इस वस्तु का वैज्ञानिक उपयोग मूल्यवान पदार्थों के तैयारी में नहीं किया जा रहा है।

अंडी विशेषतः मद्रास, अहमदाबाद और बम्बई में होती है किन्तु सब जगह थोड़ी बहुत होती है। सन् १९३४—३५ में इसकी खेती के लिये भारत भारत में १४,४८,००० एकड़ भूमि जोती गई और उपज १ लाख ५००० टन हुई। यू० एस० अफ्रीका और ग्रेट ब्रिटेन मुख्य बाजार हैं। सन् १९३४—३५ में ६८,७४९ टन (मूल्य पौ० ६,०८,११४) और सन् १९३५—३६ में ५९,९६८ टन (मूल्य पौ० ६,२३,६०८) विदेशों को भेजी गई।

अंडी का तेल बहुत काल से ग्रेट ब्रिटेन को भेजा जा रहा है। सन् १८०४ में २०२०७ पौंड भेजे गये थे। स० १८८९–९० में २६,१४,९९० गैलन तेल विदेशों को गया। धीरे २ निर्यात घटती गई और अब १९१८–१९ से १६ लाख गैलन से १४ लाख गैलन तक रहती है। सन् १९३५–३६ से १४,०८,०२३ गैलन (मूल्य पौंड १,६१,०५५) थी।

अंडी की खली भी विदेशों को जाती है किन्तु निर्यात दिन प्रति दिन घटती जाती है और सन् १९३५-३६ में केवल १८०४ टन (मूल्य पौ० ५,३७५) थी।

नारियल अधिकतर दक्षिण भारत के काठियावाड़, कानड़ा, रतनागिरि, मलाबार, ट्रावनकोर, क़ोचीन भागों में उत्पन्न होता है। उत्तरी भारत में बंगाल के कुछ भागों में काफ़ी होता है।

१३,८८,००० एकड़ भूमि इसकी खेती में लगी हुई है। एक पेड़ में ५० से २०० तक नारियल होते हैं और एक एकड़ में ४००० से ५००० नारियल तक प्राप्त हो जाते हैं। भारत में लगभग ४० करोड़ नारियल खर्च हो जाता है। नारियल की निर्यात सन् १९३३-३४ में ३३ टन (मूल्य पौं० ३१,६११), सन् १९३४-३५ में ५९ टन (मूल्य पौ० ३९,१२७) और सन् १९३५-३६ में ४८ टन (मूल्य पौ० ३२, ७४२) थी।

नारियल के तेल की निर्यात स० १९१३-१४ में १० लाख गैलन और १९१८-१९ में ७१ लाख गैलन थी किन्तु घटते घटते स० १९३१-३२ में केवल ३६,९७४ गैलन रह गई और सन् १९३५-३६ में केवल ३२,७४२ टन (मूल्य पौ० ३२३४) थी। इसमें इंगलैंड ने १४१६७ गैलन और नेदरलैंडस ने ७२६० गैलन लिया।

नारियल की खली भी इंगलैंड द्वारा जर्मनी, फ्रान्स और बेलजियम में जाती है। स० १९३५—३६ में ३८२५ टन (मूल्य पौ० १९०७५) भेजी गई।

नारियल के फल की अनेक उपयोगी वस्तुयें बनती हैं और देश में उपयोग में लाने के अतिरिक्त विदेशों को भी भेजी जाती हैं। फल, जटायें, जटाओं की रस्सियां आदि, गरी तेल, और खली सभी विदेशों को भेजी जाती हैं। स० १९३५-३६ में पौ० ६,५६,१९१ की केवल जटा से बनी हुई वस्तुयें विदेशों को गईं।

तिलहन के अतिरिक्त, तेल भी भारत से काफ़ी मात्रा में बाहर भेजा जाता है। गरी, अण्डी तथा राई सरसों के तेल की निर्यात बहुत काफ़ी मात्रा में होती है। स० १९१३-१४ तथा १९३५-३६ के आँकड़ों के देखने से विदित होगा कि पहले से निर्यात कुछ घट गई है।

तेल की निर्यात।

तेल	१९१३—१४		१९३५—३६	
	तौल गैलनोंमें	मूल्य पौंडों में	तौल गैलनोंमें	मूल्य पौंडों में
गरी	१०,९१,४७७	१,५५,०६३	३१,७४२	९,२३४
अरण्डी	१०,०७,००१	९२,५०४	१४,०८,०२८	१,६१,०५५
सरसों व राई	४,०७,१७८	४८,६१४	२,३६,७९९	२५,८४०
तिल	२,०८,०५३	२८,६९९	१,५०,०२५	१८,२७४
अलसी	१,०२,३६०	१७,४९३	७७,८६६	९,५१७
मूंगफली	२,८८,१९०	३०,०१३	२,९०,८०३	१,९,५६३
अन्यवनस्पति	४,३७,८२८	१३,२४७	१,६१,४८४	१९५०

जूट।

जूट अधिकतर बंगाल में होता है। बिहार, उड़ीसा और मद्रास में भी कुछ होता है। जूट के व्यापार का महत्व वर्तमान काल में अत्यन्त अधिक है। रिशडा (बंगाल) में सन् १८५५ में पहिली जूट मिल खोली गई और १८५९ में इंजन से चलने वाला लूम (करघा) लगाया गया। इस समय प्रति दिन ४००० टन जूट का कपड़ा तैयार होता है यह कपड़ा बोरे वगैरह के बनाने में काम आता है। सन् १८७५ तक बराबर जूट का उद्योग तथा व्यापार बढ़ता गया और मिलों की संख्या भी बढ़ती गई। सन् १९८० में मिलों की संख्या २१ थी और मज़दूरों की दैनिक संख्या ३८,००० थी। सन् १९३३-३४ में मिलों की संख्या ९९ और मज़दूरों की दैनिक संख्या २ लाख ६० हज़ार हो गई।

जूट के उद्योग की वृद्धि।

वर्ष	मिलें	पूंजी	मज़दूरी	करघे	तकुवे
		लाख रु० में	सहस्रों में	सहस्रों में	सहस्रों में
१८८०—८४	२१	२७०	३८	५	८८
१९००—०४	३६	६८०	११४	१६	३३४
१९२०—२४	९०	२२१३	३४१	५०	१०६७
१९३०—३१	१००	२३६०	३०७	६१	१२२५
१९३३—३४	९९	२३७०	२६०	५९	११९४

सन् १९३४ में जूट की खेती में २६,७०,००० एकड़ भूमि लगी हुई थी और उपज ८५ लाख गट्ठे (प्रति ४०० पौंड) थी। घट कर १९३५ में १९४७००० एकड़ भूमि तथा उपज ६३ लाख ७२ हजार गट्ठे (प्रति ४०० पौंड) रह गई।

प्रथम श्रेणी के १ गट्ठे का मूल्य सन् १९१३-१४ में ५९ रुपये से ८५ रुपये तक था वह सन् १९३४-३५ में २८ रुपये से ३१ तक रहा और सन् १९३५—३६ में पौने ३२ रुपये से ३८ रुपये तक रहा।

जूट की उपज (१९३४)

	भूमि एकड़ों में	उपज ४००पौ० के गट्ठों में
आसाम	१,१२,०००	२,५७,०००
बंगाल	१६,७०,०००	५७,०७,०००
बिहार और उड़ीसा	१,४६,०००	३,५६,०००
कुल बृटिश भारत	१९,२८,०००	६३,२०,०००
कूच बिहार	१८,०००	५०,०००
त्रिपुरा	१,०००	२,०००
कुल भारत	१९,४७,०००	६३,७२,०००

भारत मे कच्चे जूट की निर्यात (४०० पौंड के गट्ठों में)

विदेश	१९१३—१४	१९१८—१९	१९३१—३२	१९३२–३३	१९३३–३४	१९३४—३५	१९३५—३६
ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैण्ड	१६,२६,०६७	१२,५५,०७५	८,६४,७३५	७,२५,३२३	९,०२,२८०	९,२३,०००	९,३०,०००
जर्मनी	८,८६,९२८	....	७,३२,७७६	६,८१,५७६	९,२६,३०१	७,६१,०००	८,५१,०००
अम्रीका	६,५९,३६६	३,४२,८८२	२,७५,०४४	२,०१-३१४	२,८९,५२५	२,८९,०००	४,४५,०००
फ्रान्स	४,०७.१६५	२,४०,५९३	२,९०,४६६	३,८८,९१८	४,६८,५२९	४,६५,०००	४,२१,०००
इटली	२,११,५१२	१,४९,१४४	२,४७,१००	२,०९,८०४	३,६४,४२५	४,८७,०००	२,७५,०००
स्पेन	१,१८,६१३	७३,११३	१,९९,४७७	२,३६,९४१	१,९९,५००	२,४१,०००	२,८५,०००
अन्य देश	१,३७,६०३	१,६८,९०७	६,७५,४६२	७,०९,३३६	९,४९,१८०	१०,४८,०००	११,१२,०००
कुल { गट्ठे	४३,०३,३२६	२२,२९,७१४	३२,८५,०६०	३१,५३,१५२	४१,८९,७४०	४२,१४,०००	४३,१९,०००
कुल { टन	७,६८,४५१	३,९८,१४८	५,८६,६१८	५,६३,०६३	७,४८,१६८	७,५२,४७४	७,७१,३२४
मूल्य पौंड	२,०५,५०,९२९	८४,८०,०५२	८३,९१,०२२	७२,९७,७५३	८१,९९'५०३	८१,५३,३१९	१,०२,८०,७२६

जूट की निर्यात।

कच्चा जूट (रेशा) भी अब काफ़ी मात्रा में विदेशों को जाने लगा है। सन् १८३८ में डंडी (आयर्लैंड) के व्यापारियों ने इंजिन से चलने वाले करघे लगाये। यूरोप के अन्य देशों ने भी जूट की बुनाई के लिये मिलें खोल लीं जिससे भारत के जूट की निर्यात यकायक बढ़ गई। इस समय ४३ लाख गट्ठों की निर्यात में ६ लाख गट्ठे ग्रेट ब्रिटेन और आयर्लैंड लेते हैं और ८·५ लाख जर्मनी लेता है। अफ्रीका और फ्रान्स ४-४ लाख और इटली और स्पेन २-२ लाख गट्ठे लेते हैं। वार्षिक उपज ६४ लाख गट्ठों की है जिसमें भारतीय मिलें लगभग ५० लाख गट्ठों-का उपयोग कर लेती हैं। यह उद्योग अंग्रेज पूंजीपतियों के हाथ में है। सन् १९३५-३६ में २४ लाख गज़ जूट का कनवास भारत में तैयार हुआ। जूट के उत्तम सूत को व्यापारी भाषा में हैशियन (Hessian) कहते हैं।

ता० १ मार्च १९१६ से भारत सरकार ने कच्चे जूट की निर्यात पर (कटे हुए टुकड़ों को छोड़ कर) प्रति गट्ठा २ रु० ४ आना निर्यात कर (Export duty) लगाया। कटे हुये टुकड़ों के गट्ठों पर १० आना प्रति गट्ठा लगाया। साथ २ "हैशियन" पर १६ रुपया टन और बोरों के कपड़े पर १० रुपया प्रति टन निर्यात कर लगाया गया। १ मार्च १९१७ से ये कर दुगने कर दिये गए। और अब ४ रुपया ८ आना, १ रुपया ४ आना, २० रुपया और ३२ रुपया क्रमशः है।

इस निर्यात कर के अतिरिक्त एक अतिरिक्त कर (Cess) भी है जो कच्चे जूट पर दो आना प्रति गट्ठा और बुने हुये जूट पर १२ आना है जो प्रति गट्ठा ऐसी निर्यात पर कलकत्ता या चिटगांव से होती है।

तम्बाकू।

तम्बाकू (तमाखू) का उपयोग भारतवर्ष में देश व्यापी है। ऐसा कहा जाता है कि स० १५०८ में पुर्तगाल निवासियों ने तमाखू भारतवर्ष में प्रचलित की। इसकी खेती में लगभग १३ लाख ५० हजार एकड़ भूमि लगी हुई है और वार्षिक उपज ६०७ लाख टन है।

तम्बाकू की खेती।

(१६३४—३५)

प्रान्त तथा राज्य	एकड़ भूमि	टन उपज
आसाम	१३,०००	५,०००
बंगाल	३,०८,०००	१,४४,०००
बम्बई	१,८४,०००	१,४६,०००
बिहार और उड़ीसा	१,३३,०००	५०,०००
ब्रह्मा	१,०२,०००	४५,०००
मध्यप्रदेश और बरार	१५,०००	४,०००
देहली	१,०००	१,०००
मद्रास	२,०२,०००	१,५३,०००
सीमा प्रान्त	१४,०००	...
पंजाब	८८,०००	३८,०००
संयुक्त प्रान्त	१,००,०००	६[illegible],०००
कुल ब्रिटिश भारत	१२,५०,०००	६,५१,०००
बड़ोदा	४४,०००	५,०००
हैदराबाद	७५,०००	१६,०००
खैरपुर (सिंध)	२,०००	१,०००
मैसूर	२३,०००	३,०००
कुल देशीराज्य	१,००,०००	२०,०००
कुल भारत	१३,५०,०००	६,७१,०००

भारत से अन्य देशों को भी तमाखू जाती है विशेषतः इङ्गलैण्ड को जाती है। निर्यात दिन प्रति दिन बढ़ती जाती है। महायुद्ध के पहिले इङ्गलैण्ड को १,३५००० पौंड वजन तमाखू एक वर्ष में औसतन जाती थी उसके पश्चात सन् १६२६-२७ में १ करोड़ पौंड, सन् १६३१-३२ में २ करोड़ ५४ लाख पौंड, सन् १६३५-३६ में २ करोड़ ८७ लाख पौंड वजन तमाखू इङ्गलैण्ड को गई। कुल निर्यात विदेशों की इस प्रकार थी—

तम्बाकू की निर्यात।

सन्	बग़ैर बनी हुई		बनी हुई	
	मात्रा पौंडों में	मूल्य पौंडों में	मात्रा पौंडों में	मूल्य पौंडों में
१९१३—१४	२,७८,१७,०००	२,११,८००	२२,०६,०००	१,०७,८००
१९१८—१९	३,१५,०६,०००	५,४९,६००	१४,७७,०००	९३,२०६
१९३१—३२	२,५४,२६,६३२	६,०४,६३०	८,३४,६१७	३६,०५६
१९३२—३३	२,०८,९२,८०४	५,५०,५६०	७,२९,८४६	२७,७५३
१९३३—३४	२,९२,०६,४७०	६,७५,९७५	७,५३,४३०	१७,५१५
१९३४—३५	२,६३,४९,२८७	५,८१,६४४	१०,२७,७९७	३२,६३३
१९३५—३६	२,८७,४२,६२८	६,५९,६७६	८,५५,९७२	३३,५६४

सिगार, सिगरेट व बीड़ी।

बनी हुई तम्बाकू की आयात बनी हुई तम्बाकू की निर्यात से कहीं अधिक है। सिगरेट मुख्य निर्यात की वस्तु है और इंगलैण्ड से ही यह माल अधिकतर आता है। स० १९२०—२१ में सिगरेट की आयात बढ़कर ४० लाख पौंड (वजन में) होगई थी किंतु भारत में सिगरेट तैयार होने लगे हैं और इस होड़ के कारण सन १९२४-२५ में घट कर लगभग २१ लाख पौंड (वजन में) होगई। किंतु अगले ५ सालों में अर्थात १९२९-३० तक फिर आयात बढ़ती गई और ५२ लाख पौंड (वजन में) तम्बाकू विदेशों से मुख्यतः इंग्लैंड से आई। उस समय से दिन प्रति दिन भारत में सिगार व सिगरेट बनाने का उद्योग बढ़ता जाता है और आयात भी घटती जाती है। सन १९३१ में भारत में २२ फैक्टरियां थीं जिनमें ८००० मजदूर काम करते थे। सन १९३५-३६ में स्टेट्स सेटलमेंट को ८८५४ पौंड (वज़न) और यूनाइटेट किंगडम

(इंग्लैंड) को ४२७०० पौंड (वज़न) सिगार भेजे गये।

सन १९३५–३६ में कुल बनी हुई तम्बाकू की निर्यात ८,५५,४७२ पौंड (वजन) थी जिसका मूल्य २३३,५६४ पौंड था।

बीड़ी का प्रचार भारत वर्ष में दिन प्रति दिन बढ़ता जाता है। बम्बई, गुजरात मध्यप्रदेश तथा संयुक्त प्रांत में काफी मात्रा में तैयार होती है और देश भर में उपयोग में लाई जाती है। यह वस्तु आन्तरिक व्यापार की होने के कारण तत्संबंधी उपयुक्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

ऊन।

भारत में ऊन बहुत उत्पन्न होता है और तिब्बत, नैपाल, अफगानिस्तान से भी आता है। सन १९२९–३० में कच्चे ऊन की आयात ५ करोड़ १७ लाख रु० की थी और कच्चे ऊन की निर्यात ४ करोड़ ४२ लाख रु० की थी। देश में कच्चे ऊन और ऊनी कपड़े की निर्यात ५ करोड़ ९० लाख ७१ हजार रु० की थी और आयात ५ करोड़ १ लाख ८७ हजार रुपये की थी।

भारत में अनेक स्थानों पर अच्छे २ कालीन बनते हैं। पंजाब और कशमीर में अच्छे कम्बल व दुशाले बनते हैं।

भारत में सन १९०० से ऊन की मिलें खुलीं। मिलों की संख्या बढ़ती जाती है। स० १९३४ में १३ मिलें ऊन का माल तैयार करने वाली थीं जिनमें ७५०८५ तकुये और १५९५ करघे लगे हुये हैं। स० १९३५–३६ में ९३,४७,१.८ पौंड वजन (मूल्य पौंड ६,०४,८४८) के कालीन व रग विदेशों को भेजे गये। यह माल मुख्यतः इंगलैंड व अमरीका जाता है।

इस समय ऊन की मिलें १३ हैं और ऊनी कपड़े की तैयारी तथा खपत दोनों बढ़ गई हैं। जर्मन महायुद्ध में इन मिलों ने बहुत कपड़ा तैयार किया। लालइमली और धारीवाल मिलों का ऊनी कपड़ा सारे भारत में खूब चलता है। कानपुर की जुग्गीलाल कमलापति मिल में भी ऊनी कपड़ा तैयार होने लगा है। इन मिलों के अतिरिक्त मुजफ्फरनगर में अच्छे कम्बल और मिरजापुर व झांसी में अच्छे कालीन तैयार होते हैं। पहिनने के ऊनी कपड़े मिलों में और काशमीर देश में करघों से तैयार होते हैं।

रबड़।

दक्षिणी भारत और ब्रह्मा में रबड़ अधिक उत्पन्न होता है। उत्तरी भारत में आसाम का कुछ भाग छोड़कर रबड़ उत्पन्न नहीं होती। इस प्रकार कुल रबड़ की खेती में ब्रह्मा में ४७ प्रतिशत, कोचीन में ४ प्रतिशत, कुर्ग और मैसूर में १ प्रतिशत और ट्रावनकोरमें ४३ प्रतिशत खेती होती है।

भारतवर्ष में रबड़ के सामान बनाने की फैक्टरियाँ नहीं हैं। कच्ची रबड़ उत्पन्न होती है वही विदेशों को भेज दी जाती हैं वहां साफ होकर माल में परिवर्तित होती है।

स० १९३४ से भारतवर्ष अन्तराष्ट्रीय संधि में शामिल होगया है इस कारण १९३४ के इंडियन रबड़ कन्ट्रोल ऐक्ट के अनुसार रबड़ के निर्यात पर कुछ प्रतिबंध हो गये हैं।

विदेशों को रबड़ भेजी गई वह इस प्रकार है—

भारत से रबड़ की निर्यात।

देश	१९१३—१४		१९३५—३६	
	पौंड मात्रा	पौंड मूल्य	पौंड मात्रा	पौंड मूल्य
ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैण्ड	१७,१८,७५२	३,३६,११३	१,०८,९२,४८९	२,४०,८७०
लंका	७,८४,११२	१,७१,६६४	५४,२८,५७०	१,३[illegible],७३२
स्टेट्ससेटेलमेन्ट	७५,२६४	११,८९१	७७,१६,[illegible]५१	१,४७,३९४
हालैण्ड	२२,४००	४,१६९	....	....
अम्रीका	३,६९५	५१९	२,१२,१३०	४,५८७
जर्मनी	१,२२२	१२०	१९,३७,९८६	३८,३३२
कुल—	२६,०५,२६८	५,२४,४६८	३,०६,४७,७८३	६,६५,४५३

भारतीय बन्दरगाहों से रबड़ की निर्यात १९३४।

(तौल पौंडों में)

मद्रास	पौंड	ब्रह्मा	पौंड
कोचीन	९९,५९,०१३	रंगून	३७,२३,२१०
कालीकट	८,२८,२७७	मरगुई	३८,४९,६००
धनुष कोडी	२८,४२७	मोलमेन	४२,४६,७४६
अन्य बन्दरगाह	९,३५०	टैव्वाय	७,४७,०९९
ट्रावनकोर		विक्टोरिया प्वाइंट	२,४२,७२६
अलेप्पे	२०,२२,०७९		
		कुल	२,५६,५६,५२७

रबड़ की खेती के लिये जंगलों में पेड़ों पर निशान किये जाते हैं और उनमें से गोंद के रूप में रबड़ निकाली जाती है। खेती के चकों अथवा हलकों का ब्योरा तथा क्षेत्रफल तथा उपज का ब्योरा नीचे दिया जाता है।

	१९२७	१९२८	१९३४
खेतियों के चक	१९१२	२७८२	१५६५०
कुल क्षेत्रफल	२२८७५६	२४५९०७	२२५३१९
खास खेती का क्षेत्रफल	१५१८४१	१६७०१६	१७५४१९
उपज	२६०४२२५८	२६८३९३३२	३६७१९५२२
खेती में लगे हुये मनुष्य	५२८९९	५८२९२	३३२७४

कुइनाइन (सिनकोना)

कुइनाइन (कुनैन) एक प्रकार के वृक्ष की छाल से उत्पन्न होती है जिसे सिनकोना कहते हैं। सबसे अधिक कुनैन जावा में उत्पन्न होती है जहां लगभग ४००० एकड़ भूमि इसके लिये उपयोग में आती है।

सन १८६० से भारत सरकार ने भी सिनकोना की खेती का प्रबन्ध करना आरम्भ किया।

बंगाल में सन् १९२९-३० में २८७७ एकड़ भूमि में सिनकोना की खेती थी और ११,३०,४०२ पौंड छाल उत्पन्न हुई। जिससे कुइनाइन १३००० पौंड साफ कुइनाइन सलफेट तैयार हुई। जावा और ब्रह्मा से भारत सरकार के लिये २,०९० पौंड कुइनाइन सलफेट और ९३२ पौंड सिनकोना पाउडर तैयार कराया गया।

(सिनकोना की निर्यात)

वर्ष	पौंड (वज़न)	पौंड मूल्य
१९१३—१४	६,०५,१०२	८,२८६
१९१८—१६	२७,४६८	७०६
१९३.—३२	८६,०३८	२,५२८
१९३२—३३	६,०२६	१८८
१९३३—३४	६४,८४१	२,२१६
१९३४—३५	१,४१,७६८	३,१७८
१९३५—३६	२४,११८	४७३

नील।

भारत में पहले नील बहुत उत्पन्न होती थी किन्तु कृत्रिम नील के बनने से अब खेती कम हो गई है और व्यापार भी कम हो गया है।

नील की उपज तथा निर्यात।

वर्ष	एकड़ भूमि	हण्ड. उपज	हण्ड. निर्यात
१८६६—६७	१६,८८,६०१	१,६८,६७३	१,६६,५२३
१९१३—१४	१,७२,६००	२६,०००	१०,६३६
१८१८—१६	२,६२,०००	४८,६००	३२,७०७
१९२६—३०	७५,७००	१४,४००	८६७
१९३०—३१	६६,८०६	१३,०००	६३४
१९३१—३२	५३,५००	६,६००	७६६
१९३२—३३	६७,८००	११,१००	३४२
१९३३—३४	४३,६००	७,५००	५०२
१९३४—३५	५६,६००	१०,२००	५४४

नील की उपज (प्रान्तवार)

प्रान्त	१९१४—१५		१९३४—३५	
	एकड़ भूमि	हण्ड. उपज	एकड़ भूमि	हण्ड. उपज
मद्रास	७१,७००	१३,६००	५४,०००	६,३००
बिहार और उड़ीसा	३८,५००	५,५००	१,०००	२००
पंजाब	२०,४००	३,४००	३,०००	५००
संयुक्तप्रान्त	१२,३००	१,५००	१,३००	२००
बम्बई, सिन्ध तथा देशी राज्य	४,२००	१,०००	३००	※
बंगाल	१,३००	२००	...	...
कुल	१,४८,४००	२५,२००	५६,६००	१७,२००

रेशम ।

भारत में प्राचीन काल से रेशम के उत्तमोत्तम वस्त्र बनते आये हैं । तीन प्रकार के रेशम के कीड़े ख़ास भारतीय हैं (१) टसर (२) मूंगा (३) एंडी। अन्य प्रकार के रेशम के कीड़े भी पाये जाते हैं । आसाम, बंगाल और मध्यप्रांत में रेशम उपजता है ।

सूरत, बनारस, एवला, भड़ौच मद्रास, जैसोर आदि नगरों में रेशमी काम बहुत अच्छा बनता है। भारत से अन्य देशों को रेशम भेजा जता है । स० १९१५–१६ में साढ़े २७ लाख रु० का व स० १९१६–१७ में ५५ लाख रु० का रेशम भेजा गया । १९३५–३६ में कचे रेशम की निर्यात ३७ हज़ार पौंड की थी और रेशमी कपड़े की ३ लाख रु० की थी। कच्चे रेशम और रेशमी कपड़े की आयात १९३४–३५ में ४ करोड़ से ऊपर की थी। नक़ली रेशम के कपड़े भी जापान, इङ्गलैंड, हालैंड आदि से लगभग ४ करोड़ रुपये के भारत में आते हैं ।

भारत में रेशम की आयात।

(सहस्र रुपयों में)

विदेश	कच्चा रेशम		रेशम का धागा		रेशमी कपड़े	
	१९३४–३५	१९३५–३६	१९३४–३५	१९३५–३६	१९३४–३५	१९३५–३६
ग्रेटब्रिटेन व आयरलैंड	....	....	९,५२	६,६०	५५	२४
चीन	३५,५२	१५,२२	१२,७७	१२,५३	२१,१६	१५,९२
जापान	२१,४७	४२,४५	४७,५६	५६,५०	१,००,८९	७१,८३
फ्रान्स	....	....	५२	३९	२२	१२
इटली	....	....	७,६४	७,०३	....	....
स्विटज़रलैंड	....	....	८	....	....	...
अन्यदेश	३९	६	७	८७	२,३८	२,२६

भारत से रेशम की निर्यात।

(पौंडों में)

	१९३२–३३	१९३३–३४	१९३४–३५	१९३५–३६
कच्चा रेशम	५,४३२	११,६४२	२२,९५४	३७,३८२
चैसम	७३,७९६	४,२९,०९०	६,६४,६९२	५,३१,९७६
ककून्स	३९७५५	७,८०६	५६	५,०००

चाय।

चाय की उपज अधिकतर आसाम बङ्गाल और दक्षिणी भारत में होती है। सन् १९३४ की उपज लगभग ४० करोड़ पौंड थी। जिसमें से आसाम ने ६१ प्रतिशत उत्पन्न किया। बंगाल (उत्तरी भारत) २५ प्रतिशत और दक्षिणी भारत केवल १४ प्रतिशत उत्पन्न करता है।

लगभग ४ लाख ३१ हजार ८ सौ एकड़ ज़मीन आसाम में, २ लाख १८ हजार ७ सौ एकड़ उत्तरी भारत में और १ लाख एकड़ के लगभग भूमि दक्षिणी भारत में चाय की खेती में लगी हुई है। क़रीब २ सब रुपया विदेशों का ही इस व्यवसाय में लगा हुआ है।

सन् १९२८–२९ में १ करोड़ ५१ लाख ९ हजार पौंड की चाय हिन्दुस्तान से बाहर गई। जो चाय भारत से विदेशों में जाती है उसमें से ८४ प्रतिशत इंगलैंड को जाती है फिर वहां से भारतीय चाय अन्य देशों को जाती है।

चाय की उपज (प्रान्तवार)

प्रान्त	सहस्र एकड़	सहस्र पौंड(वज़न)	मज़दूरों की संख्या का दैनिक औसत
आसाम	४,३२	२३,२८,३५	५,४०,४१३
बंगाल	२,००	९,८४,०२	१,९४,७५७
मद्रास	७५	२,९३,४२	६९,६७६
कुर्ग	❀	१,९९	३७०
पंजाब	१०	२३,४०	१६,७२८
संयुक्तप्रान्त	६	१७,८६	३,७४६
बिहार-उड़ीसा	४	१०,३३	२,७२१
ब्रिटिश भारत	७,२७	३६,५७,३७	८,२२,४०४
देशी राज्य	९४	३,४३,५८	८३,१५१
कुल भारत	८,२१	४०,००,९५	९०,५५,५५

❀ ५०० एकड़ से कम

भारत में चाय का उपयोग देश-व्यापी होता जाता है। रेलवे स्टेशनों पर तथा नगरों में चाय की दुकानें बढ़ती जाती हैं और लोग काफ़ी मात्रा में चाय पीने लगे हैं। सन् १९३४–३५ में ७ करोड़ पौंड चाय भारत में ख़र्च हुई।

चाय भारत से जाकर वापिस लौटती है। सन् १९३५–३६ में चाय की आयत ५१,२६,४४७ पौंड (वज़न) हुई।

चाय की खेती के उद्योग में कम्प-नियों द्वारा ३ करोड़ ९० लाख पौंड पूंजी रूप में लगा हुआ है।

चाय के उद्योग की उन्नति ।

सन	क्षेत्र सहस्र एकड़ों में	उपज लाख पौंडों में	सन्	क्षेत्र सहस्र एकड़ों में	उपज लाख पौंडों में
	एकड़	वज़न		एकड़	वज़न
१९००–०४	५००	१६,५०	१९३०	८०२	३९,१०
१९१०	५३३	२४,६०	१९३१	८०७	३९,४०
१९१५	५६४	३५,२०	१९३२	८०६	४३,३०
१९२०	६५४	३२,२०	१९३३	८१६	३८,३०
१९२५	६७२	३३,५०	१९३४	८२१	४०,००
१९२६	७१२	४०,१०	१९३५	८२६	३९,६०

चाय की खेती मुख्यतः आसाम में होती है और आरम्भ से अंग्रेज़ व्यापारियों के हाथ में है। मज़दूरों की माँग अधिक होने के कारण मज़दूरों के साथ और विशेषतः स्त्री मज़दूरों के साथ बड़ा ही अत्याचार हुआ करता था। अनेक वर्षों तक आसाम में चाय के खेतों के मालिकों द्वारा होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध आन्दोलन होता रहा है। अब दशा कुछ सुधर गई है।

सारे जगत की चाय की मांग का अनुमान ८० करोड़ पौंड (वज़न) है जिसके ४० प्रतिशत भाग की पूर्ति भारत करता है। सन् १९३४–३५ में भारत ने ३४ करोड़ पौंड, सीलोन (लंका) ने २१ करोड़, चीन ने १० करोड़ और जापान द्वीप ने ११ करोड़ पौंड वज़न चाय विदेशों को भेजी।

चाय की निर्यात।

वर्ष	कुल निर्यात		ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैण्ड को निर्यात	
	पौंड मात्रा	पौंड मूल्य	पौंड मात्रा	पौंड मूल्य
१९१३–१४	२८,९४,७३,५९१	९९,८३,३७२	२०,९०,५०,७७१	७२,३२,०४९
१९१८–१९	३२,३६,५९,७१०	१,१८,५०,४०४	२८,२२,०५,१९६	९८,५९,०५०
१९३१–३२	३४,२३,८५,३०४	१,४५,९६,२९२	२९,२०,०४,२६५	१,२७,११,७१७
१९३२–३३	३७,९८,२७,४४६	१,२९,१७,८२८	३३,१५,३१,८७०	१,११,३६,७३९
१९३३–३४	३१,८२,९१,०६८	१,४९,०४,१२८	२७,६६,७९,२६५	१,३१,९०,९३२
१९३४–३५	३२,५०,६९,९४०	१,५१,०९,३०५	२८,६९,६६,१०२	१,३६,१९,५३५

नोट:—खेत से चुनी हुई पत्ती अधिकतर विदेशों को मुख्यतः इंग्लैंड को चली जाती है वहां से साफ और पैक होकर भारत में बिकने के लिये आती है। इस प्रकार की आयात ५१,२६,४४७ पौंड स० १९३५–३६ में थी।

चाय की उपज में लगे हुये मज़दूर

(दैनिक औसत)

प्रान्त व राज्य	बग़ीचों में स्थायी रूप से लगे हुये	बग़ीचों के बाहर स्थायी रूपसे लगे हुये	बग़ीचों के बाहर अस्थायीरूप से लगे हुये
आसाम	४,७६,२१०	२८,०२३	३३,१८०
बंगाल	१,८२,६६८	५,१८१	६,६०८
बिहार और उड़ीसा	१,४०५	७१४	६०२
संयुक्तप्रान्त	१,६१२	६००	१,२३४
पंजाब	१,१२८	२,८०६	६,७६४
मद्रास	६०,३४०	३,३८६	५,६५०
कुर्ग	३७०	....	....
त्रिपुरा	५,३५३	१,१५६	१,६०८
ट्रावनकोर	६६,५७२	१,१५१	१,२४७
मैसूर	१,५५०	२,४००	४००
कोचीन	१,६३०	....	७४
कुल	८,०२,४३८	४५,४२०	५७,६६७

भारतीय चाय इंगलैण्ड में पहुंच कर अन्य देशों को जाती है उसकी मात्रा सन् १९३४ में इस प्रकार थीः—

	पौंड		पौंड
आयरलैण्ड	१,३७,००,६८०	चिली	२,६०,२१६
रूस	८,८०,२७१	अर्जेण्टाइन	३,८०,१०४
जर्मनी	१८,४८,५२०	डेनमार्क	३,७७,१८५
नेदरलैण्डस	१२,६६,४२८	फ्रांस	६८,६०७
बेलजियम	१,२५,०६६	टर्की	६३,४२५
संयुक्त राष्ट्र अमरीका	४६,६१,१८५	अस्ट्रियाहँगरी	४२,६००
केनाडा	२१,६६,७५०	चैनेल द्वीपपुंज	११,२२,४८५
दक्षिणी अफ्रीका	१,८४२	अन्यदेश	२२,८४,३१६
न्यूफाउण्डलैण्ड	२१,८१३	कुल	३,००,३८,०८१

पीछे लिखा हुआ चाय की निर्यात का ब्यौरा सिर्फ सामुद्रिक है। कुछ चाय स्थल मार्ग से भी विदेशों को भेजी जाती है ऐसी निर्यात की मात्रा १९३३-३४ में १,०८,६१,००० पौंड तथा १९३४-३५ में १,८६,९८,००० पौंड थी।

चाय पर निर्यात कर।

चाय की निर्यात पर कर (Export duty) तथा अतिरिक्त कर (Cess) भी है। "इण्डियन टी एसोसिएशन" की इच्छा पर चाय के व्यापार को बढ़ाने के लिये सन् १९०३ के "इण्डियन टी सेस ऐक्ट" के अनुसार प्रति पौंड वज़न पर चौथाई पाई का सेस (Cess) लगाया गया। अप्रैल १९२१ से इस की दर ४ आना प्रति १०० पौंड वज़न पर कर दी गई और २१ अप्रेल १९२३ से ६ आना प्रति १०० पौंड वजन पर कर दी गई। सन् १९३३ में दर आठ आना की गई और सन् १९३५ में १२ आना हो गई। सन् १९३६ में नया ऐक्ट पास हुआ है जिसके अनुसार यह दर १ रुपया ८ आना से अधिक नहीं हो सकती। सरकार केवल रुपया इकट्ठा करती है और "टी मार्केट एक्सपैनशन बोर्ड" को व्यापार की उन्नति के लिये दे देती है।

सन् १९३४-३५ में पौंड १,२०,७५० जमा हुए जिनमें से पौंड ४८,७५० भारत में, पौंड ५०,००० अफ्रीका में और पौंड १०,००० इंगलैण्ड में विज्ञापन के लिए दिये गये।

सन् १९१६ में १ रुपया ८ आना प्रति १०० पौंड वज़न पर निर्यात कर लगाया गया किन्तु मार्च १९२७ से बन्द कर दिया गया। चाय की कुल बिक्री का ४० प्रतिशत भाग उद्योग द्वारा लाभ समझा जाता है और उस पर इनकम टैक्स लगाया जाता है।

काफ़ी।

काफ़ी अधिकतर दक्षिणी भारत में ही उत्पन्न होती है और विदेशों में ही इसकी अधिक खपत है।

सन् १९३४ में १,८५,५०० एकड़ ज़मीन काफ़ी की खेती में थी और ३,२८,५६,८३१ पौंड के क़रीब काफ़ी उत्पन्न हुई।

काफी की निर्यात ।

वर्ष	मात्रा हण्डरेडवेटों में	मूल्य (पौंडों में)
१९१३–१४	२,४९,६००	१०,२४,४०२
१९१८–१९	२,१८,५०४	७,६५,०५८
१९३१–३२	१,५५,६००	७,०८,७५८
१९३२–३३	१,७३,१७७	८,२३,६०६
१९३३–३४	१,८५,९९५	७,६८,४०४
१९३४–३५	१,४०,९६३	५,४५,३०२
१९३५–३६	२,१५,६५१	७,६६,४६६

लकड़ी ।

भारत के जङ्गल बहुमूल्य लकड़ी उत्पन्न करते हैं। सरकार को स० १९२९-३० में पौं० ४५,६३,८५२, स० १९३०-३१ में पौं० ३५,५०,०८० और सन् १९३१–३२ में पौं० २९, ६८,७९७ की आय जङ्गलों से हुई। सन् १९३१–३२ में सरकारी जङ्गलों का क्षेत्रफल १,०६,००० वर्गमील था।

अच्छी लकड़ी तथा जलाऊ लकड़ी जो सरकारी जङ्गलों से स० १९३१–३२ में बिक्री की गई उसका नाप ३० करोड़ ६१ लख घन फुट था जिसमें ८ करोड़ ३० लाख ब्रह्म देश की लकड़ी थी।

जङ्गलों में अनेक प्रकार की लकड़ी होती है जिसमें उपयोगी निम्न प्रकार की हैं—साल, शीशम, एंग, मट्टी, पडौक, पिनकेड़ो, रोज़वुड, देशीतून आदि। रबर, देवदार, इयूकेलिपटस, साखू, सागौन आदि के जङ्गल भी लगाये गये हैं।

भारतवर्ष में कितनी लकड़ी ख़र्च होती है इसका अनुमान लगाना असम्भव है और ऐसे आंकड़े अप्राप्य हैं।

विदेशों को अधिकतर ब्रह्म देश से "टीक" (सागौन) लकड़ी जाती है।

लकड़ी की निर्यात ।

	क्यूबिक टन	पौंड (मूल्य)
१९१३–१४	५८,६७२	५,७१,६३६
१९१८–१९	५३,३१३	४,२३,३६०
१९३१–३२	२२,११३	४,२४,६०२
१९३३–३४	२६,७३८	४,५९,८००
१९३५–३६	५९,३०६	८,४६,४७५

स्याम देश की टीक लकड़ी बम्बई में काफ़ी आती है। सामान बनाने तथा पैकिंग के लिये सस्ती लकड़ी मुख्यतः ओरेगेन पाइन, अफ्रीका और डील से तथा जलाऊ लकड़ी जूगोस्लेविया से आती है। लकड़ी के "स्लीपर" रेलवे के काम के लिये भी विदेशों से आते हैं।

लकड़ी की आयत।

वर्ष	लकड़ी सब प्रकार	रेलवे स्लीपर	मूल्य
	क्यूबिक टन	हंड्रेडवेट	पौंड
१९१३–१४	६२,५८१	१०,६०,०६३	६,३२,३७७
१९१९–२०	४५,४३०	१५४२०	६,२९,३६०
१९३३–३४	१९,८५१	१२०	१,२२,७६४
१९३५–३६	१३,७९७	...	६४,६५६

लाख।

लाख (सं० लाक्ष) भी जंगलों में उत्पन्न होती है। इंडियन लाख सेस कमेटी द्वारा जो आंकड़े एकत्रित हुये उसके अनुसार सन् १९३४ में १०,२७,४०० मन लाख उत्पन्न हुई।

लाख कीड़ों द्वारा उत्पन्न होती है और वृक्ष में गोंद की तरह एकत्र की जाती है। वहां कीड़े लाखों की संख्या में होते हैं इसीलिए कदाचित इसका नाम लाक्ष पड़ा। सबसे अच्छी लाख कुसुम्ब पेड़ की होती है किन्तु अन्य पेड़ों की भी काफी अच्छी होती है। पलास, बबूल, बेर, साल, घोंट सिरस, पीपल, कत्था, और अरहर।

लाख के लिये मुख्य ४ प्रदेश हैं—(१) मध्य भारत, जिसमें छोटा नागपुर, उससे लगे हुए उड़ीसा बंगाल और संयुक्त प्रान्त के भाग मध्यप्रान्त, पूर्वी उत्तरी हैदराबाद और छत्तीसगढ़-नागपुर प्रदेश (पलास तथा कुसुम्ब वृक्ष) (२) सिन्ध (बबूल), (३) मध्य आसाम (पीपल

तथा अरहर (४) उत्तरी ब्रह्म देश और शान प्रदेश (पीपल तथा पलास वृक्ष) । पंजाब में और मैसूर में भी लाख होता है ।

जापान, फोरमोसा, और जर्मन ईस्ट अफ्रीका में लाख उत्पन्न करने के प्रयत्न किये गये लेकिन असफल रहे इस कारण भारत का ही लाख मुख्य है ।

बने हुये लाख की निर्यात ।

	शेलेक	बटनलेक	अन्य	जोड़
१९१३–१४				
वजन हं०	२,७५,३५७	२१,८६५	२३,६४६	३,२०,८६८
मूल्य पौं०	११,३१,८७६	८७,१३९	२९,०९५	१२,४८,११०
१९१८–१९				
वजन हं०	२,२२,८७९	३,५२०	६,५७५	२,३२,९८४
मूल्य पौं०	१८,६६,२६३	३७,५३३	१२,५३०	१९,१६,३२६
१९२१–२२				
वजन हं०	२,९७,०१२	१८,१६४	३१,०५०	३,४६,२२६
मूल्य पौं०	९,७३,८४४	७१,१०७	३०,६५०	१०,७५,६०१
१९३४–३६				
वजन हं०	२,८४,५३२	२९,३७३	४०,५६४	३,५४,४६९
मूल्य पौं०	७,६६,२३३	८६०५६	२३,९६७	८,७६,३५६

कच्चे लाख की निर्यात।

	स्टिक	सीड	योग
१९३४–३५			
वजन हं०	५,०८१	८८,६३५	९३,७१६
मूल्य पौं०	१२,७३३	३,४८,८५०	३,६१,५८३
१९३५–३६			
वजन हं०	७,२७०	१,२५,८४२	१,३३,११२
मूल्य पौं०	१४,०१४	२,८७,३५६	३,०१,३७०

लाख की निर्यात की मात्रा यू० एस० अम्रीका को सबसे अधिक है। तद्पश्चात् इंगलैण्ड, जर्मनी, फ्रांस, जापान आदि अन्य देशों को लाख क्रमशः कम कम मात्रा में जाती है। सन् १९३५ में यू० एस० अम्रीका को १,७२,४४५ हन्ड्रेडवेट, इंगलैण्ड को ७९,६१५ हं०, जर्मनी को ५४,५९९ हं०, फ्रान्स १२,५४९ हं०, जापान ५४१०१ हं० और अन्य देशों को १,१३,९७२ हं० लाख गयी।

श्याम तथा इन्डोचीन से कच्ची लाख लगभग ४८५०० हं० भारत में आती है और साफ़ होकर उपयोग में लाई जाती है।

वारनिश और पेंट में लाख उपयोग में लाई जाती है किन्तु पाश्चात्य देश वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा नई वस्तुयें उपयोग में ला रहे हैं उदाहरणार्थ—सेलूलोस। यह असंभव नहीं है कि शीघ्र ही इस वस्तु का उपयोग विदेशों के लिये नाम मात्र रह जावे।

संदल (चन्दन)

दक्षिणी भारत में मैसूर, कुर्ग, कोयमबटूर, सालेम, ट्रावङ्कोर और संदूरप्रदेशों में चन्दन के वृक्ष बहुतायत से पाये जाते हैं।

चंदन की लकड़ी का उपयोग अनेक प्रकार से होता है। छोटी २ सन्दूकचियें, तस्वीरों के चौखटे और बहुत सी सुन्दर खुदी हुई लकड़ी की वस्तुयें बनाई जाती हैं। हिन्दू समाज में पूजा के समय घिस कर लगाने के उपयोग में भी लाया जाता है और पारसी समाज के अग्नि मन्दिरों में जलाने के काम में आता है। हवन सामग्री में तथा अन्तिम क्रिया के समय भी उपयोग में लाया जाता है।

चन्दन का तेल भी काफ़ी मूल्यवान होता है। चन्दन की लकड़ी में से ५ से ७ प्रतिशत तक तेल निकलता है जो देश और विदेशों में उपयोग में लाया जाता है। इत्र, तेल तथा अच्छे साबुन बनाने के काम में लाया आता है।

भारत में लगभग ७०० टन चन्दन की लकड़ी काम में लाई जाती है। महायुद्ध के पहिले लगभग २००० टन चन्दन विदेशों को जाता था। मैसूर स्टेट ने स्वयं अपनी फैक्टरी जारी की है और उसमें तेल तथा साबुन तैयार किया जाता है।

सन् १९३२–३३ में मद्रास में ६४८ टन चन्दन ४४५९९ पौंड में बिका। औसत मूल्य ६९ पौं० प्रति टन था।

सन् १९३१ में बंगलौर फैक्टरी बंद कर दी गई और अब केवल मैसूर फैक्टरी में ही तेल निकालने का काम किया जाता है।

सन् १९३४–३५ में पौं० ६०,१३० मूल्य का चन्दन और ७३,२४८ पौंड का तेल विदेशों को गया और सन् १९३५–३६ में पौं० ६९,४०० पौंड मूल्य का चन्दन और पौं० ८३,२४१ पौंडमूल्य का तेल विदेशों को भेजा गया।

खानें तथा खनिज पदार्थ ।

भारतवर्ष में सब प्रकार की खानें हैं और सब प्रकार के खनिज पदार्थ पाये जाते हैं और खोज करने से अधिक मात्रा में पाये जा सकते हैं। किन्तु सब अन्य व्यापारों की नाईं भारतीयों को सरकारी सहायता न होने से व्यवसाय जैसी उन्नति पर होना चाहिये वैसा नहीं है। प्राचीन काल में भारत से अन्य देशों को और विशेषतः योरुप को उत्तम से उत्तम लोहा, पीतल, तांबा, जस्ता, कांसा आदि खनिज पदार्थों का सामान जाता था और उसकी बड़ी प्रशंसा होती थी किन्तु अब ऐसा नहीं है। ४० वर्ष से तो ऐसा हो गया है कि भारत के बाजारों में सब प्रकार की धातुओं का सामान विदेशी ही दिखाई पड़ने लगा है। योरुप में रसायन शास्त्र की उन्नति ने भारत के माल को पीछे हटा दिया है और धातु का सामान सस्ते से सस्ता विदेशी मिलता है।

नीचे दिये हुये कोष्टक में भारत में मुख्य खानिज पदार्थों की निकासी का व्योरा दिया है।

खनिज पदार्थों की निकासी।

(१६३५)

	निकासी		मूल्य	
मेंगनीज	टन	६,४१,४८३	पौं०	६,५०,६३०
लोहा (ore)	,,	२३,६४,२६७	,,	२,६६,६४२
सोना			,,	२२,८५,८४८
चांदी	औंस	५८,५०,४०६	,,	७,६६,४५४
टिन	टन	५,८५६	,,	७,६३,०८१
सीसा (ore)	टन	४,६०,८८६		
(धातु)	टन	७२०६०	,,	१०,३७,४७६
ज़स्ता	हंड्रेड०	१७,०३,२३०	,,	२,६५,४७५
तांबा (ore)	टन	३,५०,८०१	,,	२,६२,३१६
जवाहिरात	केरट	८,०४,५७१	,,	८,६०१
केरोसीन तेल	गैलन्स	१६,२४,००,०००	,,	१,३५,३३,०००
कोयला	टन	२,३०,१६,६६५	,,	४४,००,०००

मुख्य खनिज पदार्थ।

कोयला।

भारत में कोयला बहुतायत से पाया जाता है। सबसे अधिक कोयला बङ्गाल, बिहार, उडीसा और गोंडवाने में होता है। हैदराबाद में सिगरनी खान है और अन्य प्रान्तों में भी अनेक खानें हैं।

कोयले की उत्पत्ति में प्रति बर्ष उन्नति होती जाती है। रेलवे की बढ़ती के कारण भारतीय व्यापार में कोयला बड़े महत्व की वस्तु होगया है।

विदेशों को कोयला करीब ७ लाख टन जाता है। दक्षिण अफ्रीका इङ्गलैण्ड और आस्ट्रेलिया से भी भारत में कुछ कोयला आता है जो वर्षिक लगभग ७,७०० लाख टन है।

भिन्न २ प्रान्तों में जितना कोयला निकाला गया वह नीचे के कोष्टक में दिया हुआ है—

कोयले की निकासी।

(प्रान्तवार)

प्रान्त	१९३५	मूल्य फ़ी टन	
	टन	रु०	आ०
बङ्गाल	६६,८२,७५७	२	९
बिहार और उड़ीसा	१,२७,४७,२४०	२	१०
आसाम	२,२०,७३७	९	८
पंजाब	१,४४,४२३	४	६
बिलोचिस्तान	९,५८५	७	८
मध्यप्रान्त	२१,१८,६४०	३	९
हैदराबाद	७,२९,४१४	३	४
राजपूताना	३४,४२५	४	६
मध्यभारत	३,३९,३६६	३	८
योग	२,३०,१६,६९५	२	१३

भारतीय कोयले का विविध उद्योगों में व्यय।

उद्योग	१६२६	१६३२	१६३२
	टन	टन	टन
रेलवे तथा उनके कारखाने	७५,८३,०००	६४,४३,०००	७२,६३,०००
पोर्ट ट्रस्ट	१,६८,०००	१,३५,०००	१,३५,०००
बंकर कोयला	१३,७६,०००	१०,७७,०००	१०,२०,०००
एडमिरैल्टी आदि	३८,०००	३०,०००	२६,०००
देश के भीतर चलने वाले स्टीमर	६,७४,०००	५,७६,०००	५,५१,०००
जूट मिल	६,६२,०००	६,५३,०००	६,५३,०००
काटन मिल	१५,३८,०००	१३,६१,०००	१५,३१,०००
लोहे और पीतल के ढालने के कारख़ाने	५२,३१,०००	३६,६७,०००	५५,८३,०००
चाय के बग़ीचे	२,२०,०००	२,०३,०००	१,८६,०००
कोलइरियों में तथा अनुचित निरर्थक व्यय	२३,४२,०००	२०,१५,०००	१२,२०,०००
ईंट और खपरों के कारख़ाने	६,६१,०००	६,६६,०००	७,६२,०००
काग़ज़ के मिल	१,३६,०००	१,४२,०००	१,७१,०००
अन्य उद्योगों तथा घरेलू कामों में	१८,७६,०००	२३,७५,०००	३७,१२,०००
जोड़	२२८७ ०००	१६६१६०००	२२८७६०००

कोयले के उद्योग में दैनिक मजदूरों की संख्या लगभग १,७६,१५२ है और कोयले का मूल्य प्रति टन २ रु० १२ आना होता है। प्रति भारतवासी के निमित्त कोयले के वार्षिक खर्च का औसत ·०६ टन है। स० १६३५ में १८, ६२,३३८ टन विदेशों को भेजा गया।

कोयले की निकासी (मूल्य सहित)

सन	टन	मूल्य (रु० में)
१९३१	२, १७, १६, ४८५	८, २६, ९८, ३६४
१९३२	२, ०१, ५३, ३८७	६, ८०, ९६, ६०४
१९३३	१, ९७, ८९, १६३	६, ११, ८६, ०८३
१९३४	२, २०, ५७, ४४७	६, १२, ०००, ०००
१९३५	२, ३०, १६, ६९५	६, १४, ०००, ०००

कोयले की खानों में मजदूरों की संख्या का दैनिक औसत

वर्ष	बृटिश भारत			देशीराज्य	कुल मजदूर
	पुरुष	स्त्री	बालक		
१९३० भूमि के ऊपर	९२८४७	२३९१७	१	९६५४	१,८४,३७०
,, ,, नीचे	३९३०८	१२९६२		५६५१	
१९३२ ,, ,, ऊपर	८९४५६	१६९०१		१२२७९	१,६५,५६७
,, ,, नीचे	३२५४५	९९५१	२	४७३३	
१९३४ ,, ,, ऊपर	९५९०३	१२५५९	१	१३३६४	१,६९,३५४
,, ,, नीचे	३३०६१	९९४९	१०	४५०७	
१९३५ ,, ,, ऊपर	१०२३१३	११०९२	२	१४६३४	१,७९,१५२
,, ,, नीचे	३४३५५	१४४७३	१२	५२७१	

खानें

कोयले की खानों की संख्या तथा पूंजी।

१९३०–३१	२१९	१०९६	लाख रुपया
१९३१–३२	२१७	१०,८०	,,
१९३२–३३	२१२	१०,८०	,,
१९३३–३४	२१२	१०,६३	,,
१९३४–३५	२.४	१०,१९	,,
१९३५–३६	२१७	१०,४५	,,

कोयले की निर्यात।

कोयले की निर्यात प्रत्येक वर्ष घटती जाती है जैसा नीचे दिये हुये आंकड़ों से प्रतीत होगा।

निर्यात के आंकड़ों में वह कोयला शामिल नहीं है जो उन स्टीमरों में ख़र्च होता है जो विदेशी व्यापार में लगे हुये हैं। ऐसे कोयले को बंकर (Bunker) कोयला कहते हैं। इसी प्रकार इन आंकड़ों में सरकारी फ़ौजी जहाज़ों में जो कोयला ख़र्च होता है वह भी शामिल नहीं है। बंकर कोयला ५,४७,४२६ टन और सरकारी जहाज़ों का कोयला २९००० टन स० १९३५ में ख़र्च हुआ।

कोयले की निर्यात।

१९१३–१४	७,२१,७२६ टन	१९३३–३४	३,७३,८९४ ,,
१९१८–१९	१,४३,६२७ ,,	१९३५–३६	१,९८,०२५ ,,
१९३१–३२	५,१५,११७ ,,		

लोहा।

भारत में प्राचीन काल से लोहे की उत्तमोत्तम वस्तुयें हथियार, बर्तन आदि बनते आये हैं। नई रीति से लोहे को निकालने तथा सामान बनाने का प्रयत्न पहिले पहिल सन् १८३० में किया गया। उस समय, दक्षिण में आरकाट के पास मशीनरी से काम किया गया।

बङ्गाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों में कच्चा लोहा बहुत निकलता है। गोवा और मैसूर में भी लोहा होता है।

कुटली में स० १८७५ से पक्का लोहा (Pig iron) बनाया जा रहा है किन्तु स० १६१४ ई० से ईस्पात (Steel) की ढुलाई आधुनिक रीति से सफल हुई। सन् १६१४ में लोहे की आयात विदेशों से १२ लाख ५० हज़ार टन (मूल्य पौ० १७ मिलियन) से ऊपर थी जिसमें गेलवेनाइज़्ड आयरन, टिन शीट और रेलवे का सामान भी शामिल था। उस साल पौ० ५० लाख से ऊपर की मशीनरी थी। सन् १६२४ में भारतीय लोहे के उद्योग को रक्षा मिलने से विदेशों की निर्यात में कमी होने लगी और भारत में लोहे का माल काफ़ी तैयार होने लगा। स० १६३३–३४ में कुल लोहा (सामान सहित) ५,५०,६६६ टन, स० १६३४—३५ में कुल लोहा ६,२७,३५८ टन, और स० १६३५–३६ में कुल लोहा ६७६६६१ टन और तैयार हुआ।

कच्चा लोहा (Iron Ore) स० १६३२ में १७ लाख टन, स० १६३४ में १६ लाख टन और सन १६३५ में २३ लाख टन उत्पन्न हुआ जैसा अगले पृष्ठ के कोष्ट से स्पष्ट होगा।

भारत में केवल ४ कम्पनियां ऐसी हैं जो लोहे (Pig iron) का सामान आधुनिक मशीनरी से तैयार करती हैं। (१) टाटा आयरन ऐंड स्टील कम्पनी (२) इन्डियन आयरन ऐंड स्टील कम्पनी (३) बंगाल आयरन कम्पनी (४) मैसूर आयरन ऐंड स्टील वर्क्स

टाटा आयरन ऐंड स्टील कम्पनी स० १६०७ में स्थापित की गई। इस कम्पनी के पास ज़िला रायपुर (मध्यप्रदेश) और मयूरभञ्ज राज्य में कच्चे लोहे की खानें हैं। ज़िला बालाघाट (मध्यप्रान्त) में मेंगनीज़ (कच्चा) है। मैसूर में मेगनेसाइट और क्रोमाइट, और झरिया में कोयले की खानें काफ़ी मात्रा में हैं। कारख़ाने स० १६११ में तैयार हुये। काम शुरू होने के पहले ही सरकार ने अगले १० साल के लिये २०,००० टन रेलवे के सामान देने की आज्ञा दे रखी थी और म्युनिशन बोर्ड का भी काम काफी मिला। सन, १६१८ में १०,६८,०६४ टन पिग आयरन और ७१,०६६ टन रेल (पटरी) तैयार की सन १६३३ में कम्पनी ने ७,६३,६३५ टन पिग आयरन तैयार किया। उसी साल ५,०५४,२६ टन ईस्पात का माल और ७,७२५ टन फेर मेंगनीज़ का माल तैयार किया।

इन्डियन आयरन ऐंड स्टील कम्पनी की पौंड १० लाख है। स० १६२२ में पिग आयरन व स्टील का काम ढालना शुरू किया। स० १६३३ में

कच्चे लोहे की निकासी मूल्य सहित।

प्रान्त	१९३२		१४३४		१९३५	
	वज़न	मूल्य	वज़न	मूल्य	वज़न	मूल्य
	टन	पौंड	टन	पौंड	टन	पौंड
बिहार-उड़ीसा केओंझार	१,८६,१७३	१३,९९८	३,९७,४६१	२६,८८४	२,८३,४८९	२१,३१५
मयूरगंज	८,९१,१९३	१,६०,४४८	६,४५,१०८	७५,०७६	८,७६,९३९	९६,६७२
संबलपुर सिंहभूमि	६६,६८,८४७	११,६६,३३४	८,१०,५४७	१,००,१७९	११,५५,९६५	१,३६,०४६
मध्यप्रदेश	८०३	१८१	८९८	२०३	८००	१८०
मद्रास	४,४९६	३३५		•		
मैसूर	४,३९५	१,१४८	३८,९७४	१०,९०४	२४,०१९	५,७८६
ब्रह्मदेश	६,५६०	१,९७३	२३,९३०	७,१९७	२३,०८५	६,९४३
योग	१७,६०,५०१	२,९४,७२०	१९१,६९,१८	२,२३,४४३	२३,६४,२९७	२,६६,९४२

२, ४६, ०७६ टन माल तैयार किया।

बंगाल आयरन ऐंड स्टील कम्पनी का काम १८७५ में आरम्भ हुआ था प्रारंभिक काल में काफी काम इस कम्पनी को नहीं रहा। स० १६३१ में इस कम्पनी ने कुछ काम बंद किया किन्तु १६३५ में पिग आयरन ढालना आरम्भ कर दिया। स०१६३३ में इस कम्पनी ने १२५११ टन रेलवे की पटरी और २३,२६३ टन पाइप आदि ढाले।

मैसूर आयरन ऐंड स्टील कम्पनी ने स० १६३२ में १४,६८३ टन और स० १६३३ में १४,८०५ टन माल तैयार किया।

भारतवर्ष में स० १६३२ में पिग आयरन का माल ६,१३,३१४ टन और स० १६३३ में १०,५७,८३७ टन तैयार हुआ।

लोहे की निर्यात

स० १६३५-३६ में भारत से साधारण लोहे का और ईस्पात का १,१८,५८,६०२ टन माल (मूल्य पौंड ११२०७) विदेशों को, विशेषतः जापान व इंग्लैंड को गया। उसी साल पिग आयरन ५,३८,१५३ टन (मूल्य पौंड ६,३३,८७४) विदेशों को विशेषतः चीन, जापान, इंग्लैंड, और यू० एस० अमरीका को गया।

सोना

भारत में सोना प्राचीन काल से निकलता आया है। संसार की कुल निकासी का २ प्रतिशत भारतीय निकासी है। ६६ प्रतिशत केवल एक खान से जिसका नाम कोलार है सोना निकलता है। यह खान मैसूर स्टेट में बंगलौर से ४० मील पर है और ४ मील लम्बी है। स० १६०५ में सबसे अधिक सोना निकला अर्थात ६,३१,११६ औंस सोना (मूल्य पौंड २३,७३,४५७) निकला। उसके बाद से सोने की निकासी कम होती है किन्तु महायुद्ध के बाद से मूल्य बढ़ जाने से २० लाख पौंड के मूल्य का सोना प्रतिवर्ष निकलता है।

सन १६३०-३१ तक भारतवर्ष में प्रतिवर्ष सोने की निर्यात से आयात अधिक रही है। उस साल आयात १३ करोड़ रु० की थी और निर्यात ४६ लाख रु० थी। पर स० १६२७-२८ से विनिमय की दर १ शिलिं ४ पैंस=१ रु० की जगह एक शिलिंग ६ पैंस=१ रु० होने से भारत से बराबर सोना खिचता जाता है। १६३१-३२ में निर्यात ६,०७ करोड़ रु० की थी और आयात केवल २ करोड़ रु० थी। जैसी कि अगले पृष्ठ के कोष्टक से यह बात स्पष्ट होगी

सोने की आयात निर्यात ।

	आयात	निर्यात
	रुपया	रुपया
१६२२–२३	४१,३२,२६,०००	१३,३१,०००
१६२३–२४	२०,२५,३१,०००	६,६८,०००
१६२४–२५	७८,२८,६८,०००	३६,३२,०००
१६२५–२६	३५,२२,६६,३६३	३७,५३,५६४
१६२६–२७	१६,५०,१२,००२	१०,०६,५५४
१६२७-२८	१८,१३,४४,०६२	३,४४,०३६
१६२८–२६	२१,२१,६६,६६२	२,०२,७१४
१६२६–३०	१४,२३,७७,४७७	१,०३,०८१
१६३०–३१	१३,२४,५२,४५३	४६,३४,३८८
१६३१–३२	४,७६,६५,३८४	६०,७८,२५,१५५
१६३२–३३	१,३१,८१,३६१	६६,८४,०६,३४७
१६३३–३४	१,०६,६४,२८५	५८,१५,३०,२४६
१६३४–३५	७१,६३,०००	५३,२५,६८,७०८
१६३५–३६	६४,६५,४१०	३८,३०,५५,३६५

सीसा ।

भारत वर्ष में केवल बर्मा प्रांत में एक ही खान (बाडिन खान उत्तरी-शान स्टेट) में होता है और वह भी एक ही कम्पनी बर्मा कारपोरेशन लिमिटेड के हाथ में स० १६१४ से है।

सीसे की खनिज धातु में चांदी भी निकलती है और उससे काफ़ी आमदनी होती है।

सीसे की निकासी ।

	१६३४	१६३५
सीसे की खनिक धातु (टन)	४०,६२,५११	३६,६५,१६६
सीसा (टन)	७१,८१५	७२,०६०
मूल्य (पौं०)	पौंड ८,०३,४७६	पौंड १०,३७,४७६

सीसे की निर्यात ।

१६३४—३५	टन	१२,५५,६८६	पौं०	१०,४५,८८३
१६३५—३६	टन	१३,६१,८७६	पौं०	१३,७७,१०७

पेट्रोलियम ।

पेट्रोलियम भी केवल ब्रह्मा प्रान्त में उत्पन्न होता है। आसाम और पंजाब में जो उपजता है वह बहुत कम है। बर्मा आयल कम्पनी के हाथ में व्यापार का बड़ा भाग है।

सन् १९२८ में कुल पेट्रोलियम जो उत्पन्न हुआ वह ३०,५९,४३,७११ गैलन था जिसका मूल्य ५,७८,१०,३८६ रुपया था और स० १९२९ में ३०,६१,४८,३९३ गैलन्स थी जिसका मूल्य ६,४३,२६,००९ रुपया होता है।

मिट्टी का तेल ।

सन् १९३० में मिट्टी का तेल ३१ करोड़ गैलन उत्पन्न हुआ। उस साल आसाम के डिगबोई फील्ड और पंजाब में अटक में भी काफ़ी उत्पन्न हुआ था।

भारतवर्ष में तिलादि के तेलों का जलाना बन्द होता जाता है और देहातों में भी केरोसीन तेल जलता है। यह सब तेल जो बर्मा में पैदा होता है भारत में खर्च हो जाता है और विदेशों से भी आता है। सन् १९३४-३५ तक पिछले ६ सालों के वार्षिक आयात का औसत ७ करोड़ ९५ लाख गैलन रहा।

सन् १९१०—११ में पेट्रोलियम आदि की निर्यात २५ लाख गैलन थी। सन् १९१८—१९ में २४,८४,५०० गैलन तेल बाहर गया। सन् १९२४—२५ तक पिछले ५ वर्षों के निर्यात का औसत २,०२,७३,००० गैलन था, और सन् १९३०—३१ तक के ५ वर्षों का औसत केवल २२,०१,००० रह गया। और फिर घट कर १९३३-३४ तक केवल ८४,००० गैलन औसत रह गया। इसके मुख्य कारण भारत में दिन प्रति दिन मोटरों तथा सड़कों का बढ़ना और गांवों में अधिकाधिक उपयोग होना ही कहे जा सकते हैं।

मेंगनीज़ ।

भारत में मेंगनीज़ धातु निकलने का कार्य क़रीब ३० वर्ष से आरम्भ हुआ है। मध्यप्रान्त में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। मैसूर, मद्रास प्रान्त, मध्यभारत, बम्बई और बिहार उड़ीसा में भी पाया जाता है। मेंगनीज धातु का व्यापार बड़े महत्व का है। मेंगनीज का उपयोग कांच के रंग बदलने चीनी के बरतन रंगने व चमकदार

बनाने और लोहों के कारखानों में उपयोग में लाया जाता है। सन् १८६२ में ६७४ टन निकला था, सन् १६०० में ६२,०८८ टन निकला और अब उपज बढ़ कर सन् १६२८ में ६७८४४६ टन हुई और सन् १६२६ में ६६४२७६ टन हो गई। इसमें से केवल मध्य प्रान्त से १६२८ में ५६११३४ टन और १६२६ में ६२१६६६ टन उत्पन्न हुआ।

मेगनीज की निकासी।

सन्	निकासी	मूल्य (पौंड)
१६३१	५,३७,८४४	७,२६,६५४
१६३२	२,१२,६०४	१४,०२२
१६३३	२,१८,३०७	१,२३,१७१
१६३५	६,४१,४ ३	६,५०,४३०

मेंगनीज़ की निर्यात

	टन
स० १६२६	६,६४,४८६
स० १६३२	३,०१,२५२
स० १६३५	४,५५,०००

नमक

भारतवर्ष में मुख्यतः ४ स्थानों में बिक्री के लिये नमक तैयार होता है और यह सब व्यापार भारत सरकार के निरीक्षण में है। नमक बनाने पर क़ानूनी प्रतिबन्ध है। महात्मा गांधी ने इसी कारण सन् १६३० में सत्याग्रह के कार्यक्रम में नमक बनाना रखा था।

(१) पहाड़ी नमक कोहाट (पंजाब) में (२) सांभर झील राजपूताना में (३) कच्छकी खाड़ी से (४) बम्बई तथा मद्रास के कारखानों से।

पंजाब में पहाड़ी नमक इतना अधिक है कि सैकड़ों वर्षों तक देश को नमक की कमी नहीं पड़ सकती। बम्बई और मद्रास में समुद्र तट पर सूर्य की गरमी द्वारा नमक अपने आप तैयार हो जाता है। बंगाल में हवा में गर्मी न होने के कारण नमक तैयार नहीं हो सकता है। स० १६३३ में ५१ लाख १७ हजार ६२३ रुपये का नमक विदेशों से आया। जहाज़ों के नीचे के हिस्सों में जहाज़ों को स्थिर रखने के लिये वज़न की जरूरत होती है इस लिये योरोप से और विशेषतः इंग्लैंड से खाली जहाज़ आने के कारण नमक रखकर लाते हैं। किराया नाम मात्र लिया जाता है इसलिये बिक्री का पड़ता पड़ जाता है।

नमक की तैयारी

१६३१	टन	१८,७४,०५४	रु०	१,३८,२५,५७८
१६३२	,,	१६,५६,८४३	,,	१,२१,८७,६४०
१६३३	,,	१७,६३,५६१	,,	१,१६,८५,६८३

नमक पर कर ।

मुग़लों के राज्य के समय से ही नमक पर कर लगता चला आया है। अंग्रेजी राज्य में भी सब प्रकार के नमक की तैयारी पर अतिरिक्तकर है और उसी मात्रा में आयात कर भी है। स० १८८८ से १९०३ तक अतिरिक्त कर (Excise Duty) २ रु० ८ आना प्रति मन था। स० १९०३ और १९०७ की बीच घटाकर १ रु० कर दिया गया। १९१६ में दर १ रु० ४ आना की गई और स० १९२३ में बढ़ाकर २ रु० ८ आना की गई। १ मार्च १९२४ से दर १ रु० ४ आना है किन्तु ३० सितम्बर १९३१ से उस साल के क़ानून (Finance Act) के अनुसार २५ प्रतिशत बढ़ती (Surcharge) लगादी गई है जो अभी तक जारी है। १८ मार्च १९३१ से विदेशी नमक की आयात पर एक नया अधिक कर (Additional) साढे चार आना फी मन लगा दिया गया था। यह अधिक कर सन १९३३-३४ में ढाई आना कर दिया गया और १९३६ में इसे घटाकर डेढ़ आना कर दिया गया है जो दो साल तक उसी मात्रा में कायम रहेगा।

भारत में ९२ लाख मन नमक खर्च होता है प्रति मनुष्य १२ पौंड वार्षिक तथा प्रति कुटुम्ब ३८.४ पौंड वार्षिक है।

टैक्स के कारण भारत की गरीब जनता काफी नमक नहीं खा सकती है न पशुओं को खिला सकती है तुलना के लिये अन्य देशों की प्रति मनुष्य नमक की खपत नीचे दी जाती है।

नमक की खपत ।

प्रति मनुष्य

देश	पौंड	देश	पौंड
भारतवर्ष	१२	आष्ट्रिया	१६
इंग्लैंड	४०	वेलजियम	१६.५
फ्रांस	१८	प्रशा	१४
इटली	२०	रूस	१८
पुर्तगाल	३३	स्पेन	१२
स्विटज़र लैंड	८.५	स्वेडन नारवे	९.५

भारत का वैदेशिक व्यापार ।

भारत वर्ष कृषि प्रधान देश है और यहां से विदेशों को कच्चा माल अधिकता से जाता है किन्तु देश विस्तृत होने के कारण तथा उद्योग धन्धों की प्रगति दिन प्रति दिन उन्नति के मार्ग पर होने के कारण भारत के व्यापार का सब प्रकार से जगत के लिये महत्व है जेनीवा के अन्तर्राष्ट्रीय लेबर आफिस में भारत को औद्योगिक देशों में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त है। बम्बई प्रान्त के कपड़े का व्यापार, और कलकत्ते का जूट का व्यापार काफी महत्व रखते हैं। धातु के उद्योगों में टाटा कम्पनी का जमशेदपुर का कारखाना बढ़ा चढ़ा है।

व्यापार की दृष्टि से विदेशों को निर्यात की वस्तुओं में अनाज, तिलहन, रुई, चाय, चमड़ा, लोहा, नील, काफी, ऊन मुख्य वस्तुयें हैं।

आयात की दृष्टि से रुई का कपड़ा व सूत, ऊनी कपड़ा, धातु के बरतन, मशीन व कलें, शक्कर, काग़ज़, रसायन, मोटरें व बाइसिकलें, मिट्टी का तेल, नकली रेशम मुख्य वस्तुये हैं।

निम्नलिखित आंकड़ों से भारत के व्यापार की मात्रा का कुछ दिग्दर्शन हो सकता है इन आकड़ों में यह बात याद रखना चाहिये कि जो माल विदेश से आकर बाहर चला गया वह आयात व निर्यात दोनों में शामिल नहीं है।

सन्	आयात	निर्यात
	(करोड़ रुपये)	
१९१३–१४	१८३	२४४
१९२२–२३	१३८	२१४
१९३१–३२	१२६	१५५
१९३३–३४	११५	१४७
१९३५–३६	१३७	१६०

आयात की वस्तुओं में रुई के कपड़े का पहला नम्बर है, उसके बाद धातु आदि और तीन नम्बर पर मशीनें हैं। सन् १९३५—३६ में २२ करोड़ रुपये का रुई का कपड़ा आया और धातु आदि १७ करोड़ रुपये की और मशीनें आदि १३.६ करोड़ रुपये की आईं। शक्कर १.६ करोड़ की, तेल ११ करोड़ का और मोटर वग़ैरह ६.६ करोड़ की आईं। खाने पीने का विलायती सामान ३.१२ करोड़ का आया। कुल आयात का औसत १ अरब ३४ करोड़ रुपये से ऊपर होता है।

प्राचीन काल से भारत से विदेशों को सूती तथा रेशमी कपड़ा, मसाले रत्न आदि जाते रहे हैं और उसके बदले सोना, चाँदी, जवाहिरात आदि आते रहे हैं। रोमन साम्राज्य से भी

भारत में सोना आता रहा है। साथ साथ तांबा, टीन, सीसा तथा मूंगा मोती भी विदेशों से आता रहा है।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के भारत में आने से भारत का दुर्दैव काल प्रारंभ होता है। इंग्लैंड को भारतीय वस्तुओं के बदले बहुत सा सोना देना पड़ता था और काफी ऊनी कपड़ा नहीं भेजा जा सकता था इसलिये इंग्लैंड में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की कड़ी समालोचना होती थी। सूरत और ढाका के करघों से इंग्लैंड के करघे होड़ में जीत न सकते थे इसलिये दो क़ानून पास करके भारतीय सूती कपड़ा इंग्लैंड में आना बन्द कर दिया गया।

स० १७५० के पहिले इंग्लैंड से २७ मिलियन पौंड का सोना भारत में आया और केवल ९ मि० पौंड का सामान आया। स० १७६० के प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेजों के हाथों में बंगाल दे दिया और स० १७६० से स० १८०९ तक केवल १४½ मि० पौंड सोना इंग्लैंड से भारत में आया और तिजारती माल ४८½ मि० पौंड का आया।

लंकाशायर की रुई का उद्योग बढ़ता गया और भारत का उद्योग सब प्रकार से दबाया गया। स० १८६९ ७० में भारत में कुल आयात पौंड २,१९,४६,६६० की थी जिस में पौंड १,०८,४६,६६० इंग्लैंड का सूती कपड़ा था। १० लाख पौंड की शराब वग़ैरः, ९ लाख ६ हज़ार ६६० पौंड का तांबा, ८ लाख ७३ हज़ार ३३० पौंड का लोहा और ५ लाख पौंड का नमक उस साल भारत में आया।

सुयेज़ नहर के खुलने से तथा स्टीम द्वारा मशीनों व जहाज़ों के चलने से भारत से कच्चा माल बड़ी तेजी के साथ जाने लगा और महायुद्ध १९१४ के ५० वर्ष पहिले के काल से महायुद्ध तक निर्यात की मात्रा आयात की मात्रा से बराबर अधिक बनी रही।

१८६४-६५ से १८८४ तक बराबर निर्यात २९ प्रतिशत आयात से अधिक रही। उस समय से १९१३-१४ तक निर्यात १९ प्रतिशत आयात से अधिक रही। और यही अधिकता की मात्रा महायुद्ध के बाद तक अर्थात १९१९-२० तक रही।

स० १९२०-२१ से इंग्लैंड, यू० एस० अम्रीका और जापान ने जो भारत के सबसे बड़े ग्राहक थे, माल कम लेना आरम्भ किया। आयात की मात्रा पौं० ५,८९,४२४२५ से निर्यात से बढ़ गई और सन् १९२१-२२ में आयात पौंड ३,०७,८१,११५ निर्यात से अधिक थी।

स० १९२२-२३ में व्यापार मन्द रहा।

स० १९२३–२४ में निर्यात पौंड ३३.३ मिलियन आयात से बढ़ गई कारण यह था कि कच्ची रुई के दाम उस साल बढ़ गये।

स० १९२४–२५ में निर्यात की मात्रा बढ़कर पौंड २६६.६ मिलियनहो गई। जूट और खाद्य पदार्थ की मांग ऊँची रही। साथ २ आयात भी पौंड १०.६ मिलियन पिछले साल से अधिक रही।

सन् १९२५–२६ में चाय तथा खाद्य पदार्थों के कम जाने से निर्यात में कुछ कमी हुई और स० १९२६–२७ में दाम यकायक गिरजाने से विशेषतः रुई और जूट के दाम गिर जाने से निर्यात की मात्रा गिर गई। सन् १९२५–२६ में व्यापार परिमाण (Balance of Trade) भारत के पक्ष में पौंड १०७.३ मिलियन और स० १०२६–२७ में पौंड ५२.६ मिलियन रहा।

स० १९२७–२८ तथा १९२८–२९ में व्यापार स्थिर रहा और कुछ उन्नति भी करता रहा।

स० १९२९–३० से व्यापार में मन्दी आरम्भ हुई और सत्याग्रह आन्दोलन के कारण विदेशी कपड़े का बायकाट हुआ। फवतः आयात और निर्यात की मात्रायें क्रमशः ५ और ६ प्रतिशत गिर गयीं और १९३०–३१ में क्रमशः ३२ और २९ प्रतिशत गिरीं।

स० १९३१-३२ में वैदेशिक व्यापार और नीचे गिरा। दामों में जो भयंकर कमी अक्टूबर १९२९ में आरम्भ हुई थी वह बढ़ती ही गई और सितम्बर १९३१ तक जारी रही। कच्चे माल के दाम पक्के माल के दाम की अपेक्षा बहुत गिर गये। फलतः भारत को जो कच्चा माल विदेशों को भेजा जाता है उसमें बड़ी हानि हुई।

१९३२-३३ में यही मन्दी जारी रही। सोने के दाम बढ़ जाने से, स० १९३१-३२ में पौंड ५८·७ मिलियन का, स० १९३२–३३ में पौंड ५० मिलियन का, और स० १९३३-३४ में पौंड ४३·५ मिलियन का सोना विदेशों को गया। व्यापार-परिमाण (Balance of Trade) भारत के पक्ष में इन वर्षों में रहा किन्तु वास्तव में भारत का माल विदेशों को कम गया और कमी की पूर्ति सोने के निर्यात ने की।

स० १९३४-३५ में दामों में कुछ उन्नति हुई जिसका कारण जगत की साधारण आर्थिक अवस्था का सुधार था। भारतवर्ष के भीतर भी व्यापार ने उन्नति की। सोने की निर्यात जारी रही और इस वर्ष पौंड ४० मि० का सोना विदेशों को

गया। आयात भी पौंड १२'७ मि० से बढ़ी। और निर्यात भी पौंड ३'४ मि० से बढ़ी। ओटावा की व्यापार संधि कारण बताया जाता है किन्तु इस में तथ्य नहीं है। ओटावा संधि भारत के लिये हानिकारक ही है।

स० १९३५-३६ में व्यापार में साधारण उन्नति जारी रही। जूट (कच्चा पक्का) खाद्य पदार्थ, धातु, चमड़े, पेरेफिन वैक्स, और लाख सभी अधिक मात्रा में विदेशों को भेजे गये। कच्ची रुई और चाय की निर्यात में कमी हुई। व्यापार परिमाण (Balance of Trade) भारत के पक्ष में पौंड ५० मिलियन रहा जिसमें सोने की निर्यात भी शामिल है।

स० १९३६-३७ का व्यापार।

व्यापार में उन्नति के चिन्ह इस बर्ष में स्पष्ट होगये। यह चिन्ह अन्य देशों में १९३२ से दिखाई देने लगे थे।

दामों की मात्रा में उन्नति उसी समय से प्रारम्भ हुई (ऐसी राय कुछ अर्थ-शास्त्रज्ञों की है) जब इंग्लैंड ने गोल्डस्टैंडर्ड (Gold Standard) छोड़ दिया। जापान और यू० एस० अम्रीका ने भी ऐसा ही किया और वहां भी दामों की मात्रा में उन्नति हुई स० १९३४ और १९३५ में कच्चा माल खप गया और कुछ देशों ने कच्चे माल की उपज में प्रतिबंध लगा दिया इन्हीं वर्षों में उत्तरी अम्रीका और अन्य मुख्य देशों में अवर्षण होने से भी कच्चे माल का भण्डार कम होगया। मूल्य की मात्रा में उन्नति होती गई और स० १९३६ में फ्रांस ने भी गोल्डस्टैंडर्ड छोड़ दिया जिस से मूल्य की मात्रा और बढ़ गई। इन कारणों के अतिरिक्त और भी एक बड़ा भारी कारण उन्नति का है। तमाम यूरूपियन देश और यू० एस० अम्रीका अधिकाधिक मात्रा में लड़ाई की सामिग्री तैयार करते जा रहे हैं जिस से सब प्रकार के उद्योगों को सहायता मिल रही है।

भारत पर भी इन सब कारणों का असर पड़ा है किन्तु भारत अभी अन्य देशों की सदृश औद्योगिक नहीं हुआ है और कृषि प्रधान देश होने के कारण अभी तक गिरे हुये दामों की चोट से सम्हल नहीं सका है।

स० १९३६-३७ में निर्यात की मात्रा १९६ करोड़ रुपया थी जो ३६ करोड़ पहिले साल से अधिक है। स० १९२८-२९ की मात्रा से १३४ करोड़ कम है। उस साल (१९२८-२९) के माल की मात्रा से १९३६–३७ की माल की मात्रा कम नहीं है किन्तु दामों में ४१ प्रतिशत कमी है।

स० १९३६-३७ में आयात की

मात्रा १२५ करोड़ रुपया थी, जबकि स० १६३५-३६ में वह १३४ करोड़ रुपया थी और स० १६३३-३४ में ११५ करोड़ रुपया थी। स० १६२८-२६ में आयात २४३ करोड़ रुपया थी इस प्रकार घटी ५१ प्रतिशत है। आयात के दामों में ३५ प्रतिशत की कमी हुई।

व्यापारी सामान के आयात-निर्यात के अनुसार व्यापार परिमाण (Balance of Trade) इस वर्ष ७८ करोड़ रुपये का भारत के पक्ष में रहा, जबकि १६३५-३६ में केवल ३१ करोड़ रुपये का था। सोना इस वर्ष (१६३६-३७) २८ करोड़ का विदेशों को गया। १४ करोड़ रुपये की चांदी विदेशों से इस वर्ष आई।

कुल व्यापार परिमाण स० १६३६-३७ में ६२ करोड़ रुपये का भारत के पक्ष में रहा। चाय के दाम बढ़ गये। अलसी के दाम सब से अधिक बढ़े। जूट के दाम ६० प्रतिशत घटे और चावल के दाम भी १६२८-२६ की अपेक्षा ४५ प्रतिशत कम हैं यद्यपि दो तीन वर्षमें कुछ बढ़े हैं। अप्रैल १६३६ से मार्च १६३७ में गेहूं के दाम ४२ प्रति शत बढ़े।

खेती पर कोई प्रतिबंध न होने से उपज अनियमित होती है और वृष्टि पर अवलंबित रहती है। गन्ने की खेती की भूमि में ७५ प्रतिशत बढ़ती रही।

शक्कर की निकासी ३०० प्रतिशत बढ़ी, कपड़े की तैयारी दुगनी हो गई, सीमेंट में ८० प्रतिशत, लोहे में ७० प्रतिशत, काग़ज़ में २५ प्रतिशत, जूट में ३८ प्रतिशत, बढ़ती हुई। औद्योगिक वस्तुओं के दाम कम होने के अनेक कारण हैं। उनमें से मुख्य निर्माण के अच्छे साधन तथा प्रबन्ध हैं।

भारत में विदेशी माल की आयात।

सहस्र रुपयों में] [००० बढ़ा कर पढ़िये

वस्तु	१६३४-३५	१६३५-३६	कुल आयात में प्रतिशत औसत
रुई तथा रुई के कपड़े	२७,०४,५८	२७,८६,६२	२०·७६
मशीनरी	१२,६३,६७	१३,६८,१६	१०·१८
धातुएं इत्यादि	११,३७,७४	१२,०३,३२	८·६५
तेल	६,६७,११	७,२४,५४	५·३६
गाड़ियां	६,६०,००	६,६२,१४	५·१५
पुर्ज़े औज़ार इत्यादि	४,७२,६२	५,१८,०३	३·८६

भारत में विदेशी माल की आयात (चालू)

वस्तु	१९३४-३५	१९३५—३६	कुल आयात में प्रतिशत औसत
रंग	३,०७,५१	३,३३,६७	२.४८
धातु के बर्तन इत्यादि	३,०५,३०	३,२६,७६	२.४३
कृत्रिम रेशम	३,५९,२९	३,१५,७८	२.३५
रसायन	२,९२,३९	३,११,९७	२.३२
खाद्य पदार्थ	२,८९,०६	३,११,८७	२.३२
क़ाग़ज़ तथा बोर्ड	२,७२,८२	२,९९,००	२.२३
ऊन कच्चा तथा निर्मित	३,८६,४७	२,७८,५४	२.०७
रेशम कच्चा तथा निर्मित	३,३७,०९	२,७७,६५	२.०७
शराब इत्यादि	२,३५,५६	२,४७,५६	१.८४
दवाइयां	१,९१,९०	२,११,१७	१.५७
रबड़ की वस्तुयें	२,०५,८२	२,०६,८५	१.५४
शक्कर	२,१०,८५	१,९०,७३	१.४२
नाज, दाल, आटा,	२,६६,४५	१,६२,४०	१.२१
मसाला	१,५५,४९	१,६१,७७	१.२०
कांच का सामान	१,३२,५६	१,३९,४०	१.०४
फल तरकारी	१,२९,९९	१,०३,४१	०.९९
रंगने के पदार्थ	९६,८३	१,०१,९६	०.७६
स्टेशनरी	६८,८०	७६,१०	०.५७
इमारती सामान	५९,९०	७२,७९	०.५४
खाद	६७,०६	७१,१४	०.५३
बने हुये कपड़े इत्यादि	८२,४२	७१,०८	०.५३
श्रृंगार की सामग्री	६४,०५	६६,०६	०.४९
तमाखू	६१,८२	६१,५६	०.४६

भारत में विदेश माल की आयात (चालू)

वस्तु	१६३४–३५	१६३५–३६	कुल आयात में प्रतिशत औसत
स्त्रियों की पोशाकें	६७,३६	५६,०५	०.४४
चाय के डब्बे	५२,०८	५८,१७	०.४३
नमक	५२,०८	५६,७४	०.४२
मशीन के लिये पट्टियाँ	४६,८३	५३,५१	०.४०
लकड़ी	५६,७६	५२,४२	०.४०
किताबें इत्यादि	५१,३८	५३,२१	०.४०
फ़ौजी सामान	४२,७२	४८,६१	०.३७
जवाहिरात मोती इत्यादि	५०,१०	४८,०६	०.३६
खिलौने और खेल के सामान	५०,५५	४७,५१	०.३५
चीनी मिट्टी के वर्तन इत्यादि	४४,२४	४५,६७	०.३४
साबुन	६३,२१	३४,२७	२.२६
रेलें	२८,७५	३१,०३	०.२३
छाते इत्यादि	२७,१६	२६,१८	०.२२
जूते	३४,७७	२८,७८	०.२२
चाकू छुरे आदि	२७,६८	२८,७०	०.२१
टैलो एण्ड स्टेरायन	२२,३२	२८,३६	०.२१
गोंद आदि	२६,६८	२६,१०	०.१६
चाय	१७,१३	२४,६७	०.१६
कमरा सजाने का लकड़ी का सामान	२०,१३	२३,२८	०.१७
काग़ज़ बनाने की सामग्री	२६,२८	२०,४८	०.१५

भारत में विदेशी माल की आयात (चालू)

वस्तु	१९३४-३५	१९३५-३६	कुल आयात में प्रतिशत औसत
ज़िंदा जानवर	२४,६४	२०,२६	०.१५
मछली	१६,५७	१६,३४	०.१४
घड़ियां तथा पुर्ज़े	१६,२५	१८,१५	०.१४
फ़्लैक्स की वस्तुयें	१७,५८	१७,६३	०.१३
कोयला और कोक	१२,५०	१३,२१	०.१०
जूट के सामान	८,६२	१०,८०	०.०८
सोने चाँदी के ज़ेवर	२१,२०	१०,७६	०.०८
दियासलाई	६२	१,०६	०.०१
अन्य	७,८३,२५	८,०१,०१	५.६६
कुल मूल्य	१,३२,२६,१३	१,३४,३७,६०	१००

आयात के मुख्य पदार्थ

(१९३६-३७)

रुई भी भारत में विदेशों से काफ़ी मात्रा में आती है। अधिक महीन कपड़ों के लिये लम्बे रेशे की आवश्यकता होती है इस कारण लम्बे सूत वाली रुई विदेशों से आती है।

रुई
५ करोड़ ८५ लाख रुपया

स० १९३६-३७ में इंग्लैंड से ४६ हज़ार ७२८ की, मिश्र से १ करोड़ ८५ लाख रुपये की केनया कोलोनी से ३ करोड़ ६ लाख रुपये की, टैङ्गनिका से ३४ लाख ८६ हज़ार रुपये की, सुडान (अंग्रेज़ी प्रान्त) से ४० लाख ७६ हज़ार की, यू० एस० अफ्रीका से ८ लाख २३ हज़ार रुपये की और अन्य देशों से ६ लाख ६ हज़ार रुपये की रुई भारत में आई

इस में से केवल बम्बई प्रान्त में ५ करोड़ ४० लाख रुपये की और बंगाल में २१·५ लाख रुपये की और मद्रास में २२ लाख ८४ हज़ार रुपये की खपत हुई।

रुई का माल अनेक प्रकार का भारत में विदेशों से आता है। सूत व धागा

रुई का माल
१७ करोड़ ४८ लाख रुपया

(Twist & yarn) सफ़ेद २८ लाख ३६ हज़ार रुपये का और रंगा हुआ ११ लाख ७८ हज़ार रुपये का और मरसराइज़्ड ६१ लाख ६६ हज़ार रुपये का आया। कुल सूत व धागा २ करोड़ ५४ लाख रुपया का भारत में इस साल आया जिसमें ७८.८ लाख रुपये का इंग्लैंड से, १ करोड़ ३७ लाख रुपये का जापान से, ३८ लाख २२ हज़ार रुपये का चीन से भारत में आया।

इस में से बम्बई ने एक करोड़ २५ लाख रुपये का, मद्रास ने ६८ लाख २३ हज़ार रुपये का और बंगाल ने ४८ लाख ६१ हज़ार रुपये का सूत व धागा लिया।

मोज़े बनियाइन आदि (Hosiery) माल की आयात ३२ लाख ७१ हज़ार रुपये की हुई जिसमें जापान से २८ लाख ६० हज़ार रुपया का और १ लाख २० हज़ार रुपये का इंग्लैंड से, और वाकी अन्य देशों से यह माल आया।

कपड़ा (बिना साफ़ किया) विदेशों से ३ करोड़ २७ लाख रुपये का आया और कपड़ा (सफेद) साफ़ किया हुआ ४ करोड़ ४६ करोड़ ४६ लाख रुपये का आया।

बिना साफ किया हुआ जापान से २ करोड़ ४५ लाख रुपये का और इंग्लैंड से ६१ लाख ८६ हज़ार रुपये का माल आया।

साफ किया हुआ सफेद कपड़ा इंग्लैंड से ३ करोड़ ४४ लाख रुपये का और जापान से केवल ७४ लाख ५६ हज़ार रुपये का आया।

छपा हुआ कपड़ा कुल विदेशों से ३ करोड़ का आया जिसमें इंग्लैंड से १ करोड़ ८ लाख रुपये का और जापान से १ करोड़ ६२ लाख रुपये का आया।

रंगा हुआ कपड़ा कुल २ करोड़ ६ लाख रुपये का विदेशों से आया जिसमें से इंग्लैंड से एक १ करोड़ ७० लाख रुपये का और जापान से २३ लाख २१ हज़ार रुपये का आया।

कुल बिना हुआ कपड़ा विदेशों से भारत में १३ करोड़ ३६ लाख रुपये का आया जिसमें से बंगाल में ३ करोड़ ६६ लाख रुपये की, बम्बई में ३ करोड़ ८५ लाख रुपये की खपत हुई।

कृत्रिम रेशम की खपत भारतवर्ष में बढ़ती जाती है। सन् १९३४-३५ में

कृत्रिम रेशम
३ करोड़ ८५ लाख रुपया

ऐसे रेशम का माल विदेशों से ३ करोड़

५६ लाख रुपये का आया और स० १६३६-३७ में ३ करोड़ ८५ लाख रुपये का आया जिसमें जापान से कृत्रिम रेशमी सूत ८४ लाख ३८ हज़ार रुपये का और कृत्रिम रेशमी कपड़ा २ करोड़ ३२ लाख का आया। इंग्लैंड से कृत्रिम रेशमी सूत केवल ११.८ लाख रु० का और कपड़ा केवल ३ लाख ७२ हज़ार रुपये का आया।

ऊन तथा ऊनी माल की आयात विदेशों से स० १६३५-३६ में २ करोड़ ७८ लाख रुपये की थी। स० १६३६-३७ में २ करोड़ ८७ लाख रुपये की हुई।

ऊन व ऊनी माल
२ करोड़ ८७ लाख
रुपया

स० १६३६-३७ में ऊन ५६ लाख ५२ हज़ार रुपये का विदेशों से आया जिसमें से आस्ट्रेलिया से ३४ लाख ८६ हज़ार रुपये का और इंग्लैंड से २० लाख ८४ हज़ार रुपये का आया।

ऊनी कपड़ा ८४ लाख २६ हज़ार रुपये का विदेशों से आया जिसमें इंग्लैंड से ४१ लाख ५४ हज़ार रुपये का और जापान से ३४ लाख ३६ हज़ार रुपये का और जर्मनी से ५ लाख ५६ हज़ार रुपये का कपड़ा आया।

ओढ़ने के कम्बल इटली से १६ लाख रुपये के आये और अन्य देशों से केवल ६.६ लाख रुपये के आये ऊनी मोज़े बनियाइन आदि (Hosiery) १४ लाख ४८ हज़ार रुपये के आये जिसमें जापान से ८.६ लाख रुपये के और इंग्लैंड से ५ लाख २७ हज़ार रुपये के आये।

रेशम (ककून, सूत व धागा), रेशमी कपड़ा, मोज़े बनियाइन, आदि अनेक प्रकार का रेशमी माल विदेशों से आता है।

रेशम व रेशमी माल
२ करोड़ ४१ लाख
रुपया

रेशम तथा रेशमी माल की आयात घटती जाती है। स० १६३४-३५ में ३ करोड़ ३७ लाख रुपये का, १६३५-३६ में २ करोड़ ७७ लाख रुपये का, और और स० १६३६—३७ में २ करोड़ ४१ लाख रुपये का माल विदेशों से भारत में आया।

इसमें से कच्चा रेशम व ककून ६४ लाख ५१ हज़ार रुपये के आये। इन मालों में चीन से ३४ लाख ७४ हज़ार रुपये का और जापान से २६ लाख ६७ हज़ार रुपये का, माल आया रेशमी सूत ६० लाख ६६ हज़ार रुपये का आया जिसमें जापान से ४२ लाख ६८ हज़ार रुपये का, चीन से १० लाख ५८ हज़ार रुपये का, और इटली

से ५ लाख ५५ हज़ार रुपये का आया।

रेशम के मोज़े आदि १ लाख ७ हज़ार रुपये के विदेशों से आये।

रेशम का कपड़ा विदेशों से ८० लाख ६२ हज़ार रुपये का आया जिसमें अकेले जापान से ६२ लाख २६ हज़ार रुपये का और चीन से १६ लाख ६८ हज़ार रुपये का आया।

रेशम मिश्रित माल ३३ लाख ६६ हज़ार रुपये का आया जिसमें केवल जापान से २४ लाख १७ हजार रुपये का आया।

लोहे की आयात स० १६३४-३५ में है ५ करोड़ ३३ लाख रुपये की, सन १६३५-३६ में ६ करोड़ २१ लाख रुपये की और स० १६३६-३७ में ५ करोड़ १० लाख रुपये की थी।

लोहा
५ करोड़ १० लाख
रुपया

सन १६३६-३७में ट्यूब, पाइप, आदि ७६ लाख ५४ हज़ार रुपये की, रेलवे के स्लीपर्स आदि ६ लाख ४६ हज़ार रुपये के, गेलवेनाइज़्ड लोहे के शीट १ करोड़ ६ लाख रुपये के, कीलें आदि ३२ लाख रुपये की और बीम गर्डर आदि २६ लाख ५८ हज़ार रुपये के विदेशों से आये।

अल्यूमिनियम की आयात स० १६३६-३७ में ४३ लाख ४४ हज़ार रुपये की, पीतल कांसा आदि की,

अन्य धातु
३ करोड़ ४१ लाख
रुपया

आयात ६६ लाख ५४ हज़ार रुपये की, और तांबे की आयात ८० लाख ५० हज़ार रुपये की, सीसे की आयात ५ लाख ३० हज़ार रुपये की, टीन की ५६ लाख १८ हजार रुपये की और जस्ते की ५३ लाख ३८ हज़ार रुपये की थी।

मशीनरी की आयात वार्षिक १४ करोड़ रुपये की है। स० १६३६-३७ में १४ करोड़ १३ लाख रुपये

मशीनरी
१४ करोड़ १३ लाख
रुपया

की मशीनरी आयी उसमें ६ करोड़ २६ लाख रुपये की इंगलैण्ड से, २ करोड़ २ लाख रुपये की जर्मनी से, १ करोड़ २५ लाख रुपये की यू० एस० अमरीका से भारत में आई। शकर की मशीनरी ६५ लाख रुपये की, कपड़े बुनने की मशीनरी १ करोड़ ८० लाख रुपये की, जूट के लिये मशीनरी ७३ लाख रुपये की और टाइपराइटर १६ लाख रुपये के भारत में विदेशों से आये।

मोटर गाड़ियों की आयात भारत में बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। नगरों और ग्रामों में मोटरकार और विशेषत. लारियां बड़ी संख्या में दिखाई देने लगी हैं।

मोटर
२ करोड़ ४२ लाख
रुपया

सवारियां ढोने में तो लारियों ने रेलवे का मुक़ाबला कर लिया है और इसके कारण रेलवे को किराया भी कम करना पड़ा है और कहीं कहीं पर रेलवे ने अपनी लारियां भी चलाई हैं।

मोटर कार्स की आयात।

सन	ग्रेटब्रिटेन और आ-यरलैंड	अम्रीका	कनाडा	फ़्रांस	इटली	अन्य देश	कुल संख्या
१६२६–२७	२,५४६	४,०३०	४,४७६	६०७	१,४१६	१२२	१३,१६७
१६२७–२८	३,६००	६,०३१	३,४००	५३८	१,३६७	१८६	१५,१२२
१६२८–२६	३,६४५	१०,१४५	४,३६६	२७७	६६७	१६७	१६,५६७
१६२६–३०	३,७५८	६,६२०	२,३१८	३६४	१,१५०	१८६	१७,३६६
१६३०–३१	२,८८५	५,०६८	३,२५०	२६१	६१७	१६०	१२,६०१
१६३१-३२	२,१७८	३,३६८	६७६	१६१	५१०	३२७	७७,२२०
१६३२–३३	३,६५८	१,२०१	२६६	८४	२२३	४३६	६,२०१
१६३३–३४	५,३४८	२,२२७	१,७१५	६२	२२१	१८६	६,७५६
१६३४–३५	६,३११	५,५६४	२,०५७	२६	२६७	२०६	१४,४३४
१६३५–३६	६,७४८	३,८५१	२,३२८	१३	२१०	४४४	१३,५६०
१६३६–३७	६,३३७	३,८७०	१२६०	—	३८२	२४७	१२,६३६

ब्रिटिश भारत में मोटर गाड़ियों की संख्या (१९३६)

प्रान्त व शहर	मोटरकार्स तथा टैक्सी	मोटर सायकिल्स आदि	लारियां बसेस आदि	कुल
बंगाल प्रेसीडेन्सी	१८,६४६	१,१३९	४,७६५	२४,५५०
कलकत्ता-हावड़ा शहर	१४,७९४	८६२	३,०९७	१८,७५३
बम्बई शहर	१०,-७०	५००	१,२३०	१२,६००
बम्बई प्रेसीडेन्सी	२५,२८२	१,७०५	१,५००	२८,४८७
मद्रास शहर	४,२९१	४५७	५४८	५,२९६
मद्रास प्रेसीडेन्सी	१२,७५२	१,८५४	६,९८१	२१,५८७
संयुक्तप्रान्त	१३,६६१	१,७३९	३,८४०	१९,२४०
पंजाब	७,८६३	१,५७३	७,१२३	१६,५५९
ब्रह्मा	११,६९१	१,१०२	६,०९५	१८,८८८
बिहार उड़ीसा	५,८५५	४८६	१,१९७	७,५३८
मध्यप्रदेश और बरार	३,६७०	६८४	१,८९५	६,२४९
सिन्ध	२,३७३	४०५	१७०	२,९४८
देहली	२,१७४	१९५	७७०	३,१३९
सीमाप्रान्त	४,७८३	१,६३७	३,५३०	९,९५०
अजमेर मारवाड़	६९५	७६	१९०	९६१
आसाम	२,४९२	२२१	१,९५०	४,६६३
कुल	१,०९,५६५	१२,४११	२९,८३६	१,६१,८१२

सन १६३४-३५ में १४,४३४ मोटर गाड़ियां, सन १६३५-३६ में १२,५६० मोटर गाड़ियां, और सन १६३६-३७ में १२,६३६ मोटर गाड़ियां भारत में विदेशों से आईं।

सन १६३४-३५ में मोटरों की आयत का मूल्य २ करोड़ ५६ लाख रुपया, सन् १६३५-३६ में २ करोड़ ५१ लाख रूपया और स० १६३६-३७ में २ करोड़ ४२ लाख रुपया था।

भिन्न २ प्रान्तों में जो मोटरें इस समय काम में लाई जा रही हैं उनका व्योरा पीछे कोष्टक में दिया गया है।

मोटर साइकिलों की आयात की संख्या सन १६३४-३५ में ७६४, सन १६३५-३६ में ७३४, और स० १६३६-३७ में ६२१ है जिससे स्पष्ट है कि भारतवासी इस सवारी को पसन्द नहीं करते।

साइकलें (साधारण) भारत में काफी संख्या में उपयोग में लाई जाती हैं। और उनकी आयात बढ़ रही हैं। स १६-३४-३५ में १,०६,२८६ स० १६३५-३६ में १२,३३,६६५, और सन १६३६-३७ में १,६५,३६० साइकलें विदेशों से आयीं और स० १६३६-३७ में साइकलों के दाम ४७ लाख ४८ हज़ार ३६२ रुपये थे और इनके अतिरिक्त सामान (रबड़ के अतिरिक्त) ६४ लाख ६३ हज़ार ५१० रुपये का आया। आयात का कुल मूल्य १ करोड़ २१ लाख ४१ हजार और ८७५ रुपया था।

साइकिलें
१ करोड़ २१ लाख
रुपया

रबड़ का सामान सन १६३४-३५ में २ करोड़ ५ लाख रुपये का, स० १६३५-३६ में २ करोड़ ६ लाख रुपयेका और स०१६३६-३७ में २ करोड़ ११ लाख रुपयेका भारत में आया। उसमें स० १६३६-३७ में न्यूमेटिक मोटर कवर (टायर) १ करोड़ ५ लाख रु० के इंग्लैंड से आए। मोटर ट्यूब १४,०३,४५१ रुपये के भारत में आये।

रबड़ का सामान
२ करोड़ ११ लाख
रुपया

मोटर साइकिलों के टायर३७,४५६ रुपये के और ट्यूब ११,६४६ रु० के भारत में आए।

साधारण साइकिलों के टायर २३ लाख १७ हज़ार रुपये के और ट्यूब ११ लाख ५२ हज़ार रुपये के विदेशों से भारत में आये।

कागज़ विदेशों से सन् १६३४-३५

में २ करोड़ ७२ लाख रुपये का, सन् १९३५-३६ में २ करोड़ ९९ लाख का, और स० १९३६–३७ में २ करोड़ ८१ लाख रुपये का आया। उसमें पैकिंग काग़ज़ ४८ लाख रुपये का ११३६–३७ में आया।

काग़ज़
२ करोड़ २१ लाख रुपया

अख़बारी काग़ज़ १९३४–३५ में ३१ लाख १० हज़ार रुपया का आया। आगे साल के आंकड़े अप्राप्य हैं।

कुल छपाई का काग़ज़ सन् १९३६-३७ में ८७ लाख रुपये का भारत में आया। सन् १९३५-३६ में ९६ लाख रुपये का आया था।

उपरोक्त छपाई के काग़ज़ (१९३६–३७) में जर्मनी से ३८ लाख रुपये का, नारवे से १७ लाख रुपये का, आस्ट्रेलिया से ३ लाख रुपये का और स्वीडन से २ लाख ७७ हज़ार रुपये का आया।

तम्बाकू की आयात सन् १९३४–३५ में ६१ लाख ८२ हज़ार रुपये की, सन् १९३५-३६ में ६१ लाख ५६ हज़ार रुपये की, सन् १९३६–३७ में ८० लाख ८२ हज़ार रूपये की थी जिसमें बिना बनी हुई ४४ लाख ७६ हज़ार रूपयों की थी और सिगार ६१,३३८ रूपये के, सिगरेट (इङ्गलैंड के) ३० लाख १५ हज़ार ५१० रूपये के, सिगरेट (अन्य देशों के) १,४४,७७१ रूपये के, पाइप और सिगरेटों की तम्बाकू २,३५,८७३ रूपये की, और अन्य तम्बाकू १,४८,५२२ रूपये की विदेशों से आयी।

तम्बाकू
८० लाख ८२ हज़ार रुपया

जवाहिरात सन् १९३६–३७ में ९७,६१,३८९ रूपये के भारत में आये जिसमें सब से अधिक मूल्य के अर्थात् ७४,८४,९३१ रूपये के बेलजियम से आये और प्रत्येक वर्ष भी ऐसा ही होता है। सन् १९३४–३५ में ३३ लाख ८२ हज़ार रूपये के और सन् १९३५-३६ में २९ लाख ६४ हज़ार रूपये के जवाहिरात बेलजियम से आये इंगलैंड, फ्रान्स और नेदरलैंड से लगभग ५ लाख रूपये के ही आये।

जवाहिरात
६७ लाख ७१ हज़ार रुपया

धातु का सामान जिसमें खेती के औज़ार, मेमारों के औज़ार, घरेलू समान, लैम्प, हैंड पम्प, तिजोरियाँ, स्टोव आदि शामिल हैं। भारत में सन् १९३४–३५ में ३ करोड़ ५ लाख

रूपये, का सन् १६३५–३६ में ३ करोड़ २६ लाख रूपये का और सन् १६३६–३७ में २ करोड़ ८६ लाख रूपये का आया।

इङ्गलैंड से ६८ लाख ६२ हज़ार रूपये का, जर्मनी से ६३ लाख ७१ हज़ार रूपये का और जापान से ३४ लाख १४ हज़ार रूपये का, यू० एस० अम्रीका से २५ लाख ७३ हज़ार रू१ये का और स्वीडन से १५ लाख ४२ हज़ार रूपये का उपरोक्त सामान १६३६–३७ में आया।

खनिज तेल भी भारत में बहुत आता है। सन् १६३६–३७ में ५ करोड़ ८२ लाख ७५ हज़ार रूपये का खनिज तेल आया जिसमें केरोसीन तेल रूस (U. S. S. R.) से १ करोड़ १७ लाख ५५ हज़ार, सुमातरा से ५३ लाख २० हज़ार का, और ईरान से १६ लाख २३ हज़ार का आया। कुल केरोसीन तेल २ करोड़ १० लाख रूपये का आया।

लुब्रीकेटिंग तेल (औंगन) १ करोड़ का आया जिसमें यू० एस० अम्रीका से ७० लाख ४० हज़ार रूपये का था।

पेट्रोलियम (ख़तरे का) ३५ लाख ४३ हज़ार रूपये का आया।

रसायन जिसमें खाद और दवायें शामिल नहीं हैं २ करोड़ ७२ लाख रूपये की सन् १६३६–३७ में विदेशों से आई।

रसायन
२ करोड़ ७२ लाख
रुपया

दवायें विदेशों से २ करोड़ ६ लाख रु० की सन १६३६-३७ में आई। और दवाओं की आयात का वार्षिक औसत भी यही है। इनमें कपूर २१ लाख २४ हजार रुपये का, कोकेन २१,१८८ रु० की, काड-लिवर आयल ८५७०४, और अफ़ीम की औषधियां १,६२,४२३ रुपये की, भारत में आईं। ६७ लाख ६५ हज़ार रुपये की पेटेण्ट दवायें जर्मनी (१८ लाख) इंग्लैंड (२६ लाख), यू० एस० अम्रीका (१२ लाख) और अन्य देशों से (६ लाख) आती हैं। कुइनाइन साल्ट २३ लाख १३ हजार रुपये का आता है।

दवायें
२ करोड़ ३६ लाख
रुपया

सन १६३६-३७ में साबुन २६ लाख ८५ हज़ार रुपये का, स्टेशनरी ७५ लाख रुपये की, चाय ५६ लाख रुपये की, छाते १६·४० लाख रुपये के, खाद ८० लाख रुपये की,

दियासलाई ४८,४७२ रुपये की, शराब १ करोड़ ६१ लाख रुपये की, ज़ेवरात व चांदी सोने का सामान १६ लाख १५ हज़ार रुपये का आया।

वैज्ञानिक शस्त्रादि ५ करोड़ १९ लाख रुपये के विदेशों से आये। लगभग यही औसत हर वर्ष रहता है। सन १९३६-३७ में बिजली के पंखे व उन का सामान ३५ लाख १५ हज़ार रूपये का, केवल बिजली के तार २२ लाख रूपये के, बिजली के लैम्प व सामान २५ लाख ४४ हज़ार रूपये का, X Ray (एक्स रे) का सामान २ लाख ६३ हज़ार रूपये का, फोटोग्राफिक (सिनेमा टाकी आदि) का सामान ८३ लाख ९२ हज़ार रूपये का विदेशों से भारत को आया।

वैज्ञानिक शस्त्र
५ करोड़ १९ लाख
रुपया

वैज्ञानिक सामान १४ लाख रूपये का और सरजिकल १३ लाख ७८ हज़ार रूपये का आया।

शकर की आयात में अब बड़ा अन्तर पड़ गया है। सन १९३४-३५ में २ करोड़ १० लाख रूपये की आयात थी वह घट कर सन् १९३५–३६ में १ करोड़ ९० लाख रुपये की हुई और स० १९३६–३७ में केवल २३ लाख ९१ हज़ार रूपये की आयात हुई।

शकर
२३ लाख ९१ हज़ार
रूपया

स० १९३७ के ९ मास (अप्रैल से दिसंबर) में शकर की आयात केवल १६ लाख ८७ हज़ार रूपये की हुई है जब कि स० १९३६ के इन्हीं मासों में आयात [illegible]० लाख रूपये की थी।

आयात की कुल मात्रा।

१९३५-३६	रू० १,३४,४२,३२,३८५
१९३६-३७	रू० १,२५,२४,०१,००६
१९३७ (अप्रेल से दिसंबर)	रू० १,२९,६९,२९,३५१

भारत के माल की निर्यात।

सहस्र रूपयों में] [००० बढ़ाकर पढ़िये

पदार्थ	१९३३–३४	१९३४–३५	१९३५–३६	कुल आयात में प्रतिशत औसत
रुई	२७,६१,४७	३५,४४,८७	३४,४७,०३	२१·४७
सूती कपड़े	२,७२,६३	२,६४,८०	२,९२,७२	१·८२
जूट	१०,९३,२७	१०,८७,११	१३,७०,७६	८·५४
जूट की वस्तुयें	२१,३७,४९	२१,४६,८३	२३,४८,९५	१४·६३
चाय	१९,८४,५०	२०,१३,१९	१९,८२,२३	१२·३५
नाज, दालें और आटा	११,७४,७९	११,८४,४०	१२,४०,८७	७·७३
बीज	१३,६६,१५	१०,५४,१०	१०,३६,०५	६·४३
धातुयें	५,४८,७०	५,९१,२७	७,७३,३५	४·८२
चमड़ा	५,८२,९८	५,४७,८८	६,६२,८९	३·५१
कच्चा चमड़ा और खालें	४,२५,३३	३,१३,०७	४,१३,१०	२·५७
ऊनी कपड़े तथा धागा	२,७२,४८	२,१९,२७	२,९२,५६	१·८२
पैराफ़िन मोम	२,२८,९१	१,९१,९३	२,२७,८७	१·४२
खली	१,६४,७२	१,९६,९९	१,८१,७०	१·१३
फल तरकारी	९९,०६	१,०७,७८	१,६४,६६	१·०३
लाख	२,४६,४४	३,२९,९६	१,५८,३६	०·९९
लकड़ी	८४,२४	१,१०,२७	१,३४,५७	०·८४
कहवा	१,०२,४५	७२,७१	१,०२,२०	०·६४
तमाखू	९३,८०	८१,९०	९२,४३	०·५८
कच्ची रबड़	३१,१८	६५,८९	८८,७१	०·५५
कोयर (Coir)	७६,९६	७९,८६	८७,७१	०·५५
अभ्रक	४४,७४	६९,०७	८३,४९	०·५२
चारा दाना इत्यादि	४६,६४	७७,३०	७३,४३	०·४६
रंगने के पदार्थ	७८,६९	७१,६१	७०,३५	०·४४
तेल	५७,२४	५५,३६	६३,६५	०·४०
सन् (कच्चा)	३६,०९	३९,०३	६०,३४	०·३८

भारत के माल की निर्यात (चालू)

सहस्र रुपयों में] [००० बढ़ाकर पढ़िये

पदार्थ	१९३३–३४	१९३४–३५	१९३५–३६	कुल आयात में प्रतिशत औसत
मसाले	७२,२०	७७,३४	५४,९८	०·३४
मछली	४४,८७	४५,५५	४५,६०	०·२८
खाद	२५,४५	३१,८४	३८,२३	०·२४
हड्डियाँ	२४,३८	३१,९६	३२,१९	०·२०
खाने का सामान	२८,१२	२७,८७	२७,१३	०·१७
दवाइयां	२३,८१	२५,९५	२५,४४	०·१६
सुअर के बाल	१७,४७	२३,४१	२२,७८	०·१४
ब्रश और झाड़ू के लिये मूंज इत्यादि	२२,०२	१९,१५	२१,९३	०·१४
कोयला और कोक	३७,३५	२९,५२	१७,३३	०·११
साल्टपीटर	१५,२६	१३,७८	१३,२०	०·०८
पोशाक	११,१४	११,३३	१२,८१	०·०८
इमारती सामान	९,८४	९,७५	१०,४५	०·०७
जिंदा जानवर	९,८६	१२,२४	९,२६	०·०६
रस्सा इत्यादि	६,५५	७,३६	६,८५	०·०४
रेशमी कपड़े और धागे	३,२९	४,६०	६,५०	०·०४
मोमबत्ती	५,३३	५,००	५,८१	०·०३
सींग इत्यादि	३,२२	२,४७	२,८२	०·०२
शकर	२,३८	२,४३	२,३९	०·०१
टैलो स्टेरायन और मोम	१,९८	१,१९	८०	....
अफ़ीम	७२,६५	९,८१	१	....
अन्य	२,४७,०५	२,६२,२७	२,४९,१०	२·१७
कुल	१,४७,२५,०७	१,५१,६६,९७	१,६०,५२,१९	१००

निर्यात के मुख्य पदार्थ

(१९३६-३७) कुल निर्यात रु० १,९६,१२,९९,७८६

निर्यात की वस्तुओं में रूई को उच्च-तम स्थान प्राप्त है। स० १९३६-३७ में विभिन्न देशों को ४४,४१,०३,५५८ रूपये की भेजी गयी, स० १९३४-३५ में ३४.९ करोड़ रुपये की और सन १९३५-३६ में ३३.७ करोड़ रूपये की भेजी गयी। इसी प्रकार रद्दी रूई भी ७६ लाख ३९ हज़ार रूपये की भेजी गयी।

रुई
४४ करोड़ ४१ लाख
रुपया

जगत के सभी देश भारत की रूई लेते हैं।

रुई की निर्यात (लाख रुपयों में)

इंग्लैंड	६,३१
पोलैंड	५०
जर्मनी	२,१९
नेदरलैंडस्	५०
बेलजियम	३,२०
फ्रांस	१,५७
स्पेन	२५
पुर्तगाल	८
इटली	१,७०
बलगेरिया	१०
ग्रीस	८
लंका	५
फ्रेंच इंडो-चीन	२७

रुई की निर्यात (लाख रुपयों में)

चीन	७२
जापान	२५,४१
यू० एस० अमरीका	८७
अन्य देश	२४
मिश्र	२२

रूई का धागा व सूत स० १९३६-३७ में विदेशों को ५८ लाख ६१ हज़ार रुपये का गया। यह माल अधिकतर एशियायी देशों में ही जाता है। इसमें सीरिया को १८ लाख रूपये का गया। शालें तथा रूमाल के निर्यात का मूल्य ४४ लाख ७८ हज़ार रूपये का सन १९३६-३७में था जिसमें २४ लाख ८६ हज़ार रूपये का माल नाइगेरिया को गया और १५ लाख ५६ हज़ार रूपये का माल इंग्लैंड को गया।

रुई का माल
२ करोड़ ७८ लाख
रुपया

रूई के कपड़े की निर्यात का मूल्य स० १९३६-३७ में २ करोड़ १२ लाख रूपया था। स० १९३४-३५ में १ करोड़ ६१ लाख रूपया और सन १९३५-३६ में १ करोड़ ८१ लाख रूपया था। यह माल अधिकतर साइप्रस, अदन, अरब, स्ट्रेटस सेटेल-मेंट, मारीशस, पोर्टुगीज़ ईस्ट अफ्रीका,

केन्या, टैङ्गनिका आदि प्रदेशों को जाता है। इनमें से लंका द्वीप ने ८८.६ लाख रूपये का, स्ट्रेटस सेटेलमेंट ने ४३.६ लाख रूपये का, और ईरान ने १८ लाख रूपये का माल लिया।

जूट (कच्चे) की निर्यात की मात्रा स० १९३४-३५ में १० करोड़ ८७ लाख रूपये की, स० १९३५-३६ में १३ करोड़ ७० लाख रूपये की, और स० १९३६–३७ में १४ करोड़ ७७ लाख रुपये की थी।

जूट (कचा)
१४ करोड़ ७७ लाख
रुपया

यह माल जगत के सभी देश लेते हैं। जर्मनी ने १.५० करोड़ रूपये का, फ्रांस ने १.५७ करोड़ रूपये का, इटली ने १.३९ करोड़ रूपये का, यू० एस० अमरीका ने १.५९ करोड़ रुपये का, वेलजियम ने ८३ लाख रूपये का, जापान ने ५५ लाख रूपये का, और ब्रेज़िल ने ४२ लाख रुपये का माल स० १९३६-३७ में लिया।

चाय की निर्यात का मूल्य प्रति वर्ष २० करोड़ रूपया है। स० १९३६-३७ में २०.०३ करोड़ की चाय विदेशों को गई जिसमें केवल इंगलैण्ड को १७ करोड़ रुपये की गयी और ईरान को ९२ लाख रूपये की, केनाडा को ७५ लाख रूपये की, और यू० एस० अमरीका को ४३ लाख रुपये की गयी।

चाय
२० करोड़ ३६ लाख
रुपया

चावल की निर्यात प्रति वर्ष ११ करोड़ की होती है। सन १९३६-३७ में निर्यात ११ करोड़ ६३ लाख रूपया थी। इसमें ४ लाख ५० हज़ार रूपये का धान और ५ करोड़ ८१ लाख रूपये का उबला चावल और ५ करोड़ ५९ लाख का सादा चावल विदेशों को भेजा गया।

चावल
११ करोड़ ६३ लाख
रुपया

लंका को ३ करोड़ ५१ लाख रूपये का, स्ट्रेटस सेटेलमेंट को १ करोड़ १९ लाख रूपये का और इंग्लैंड को ४१ लाख ८२ हज़ार रूपये का भेजा गया। प्रायः सभी देश थोड़ा बहुत चावल भारत से लेते हैं।

चमड़ा व खाल का भी व्यापार भारत का विदेशों के साथ काफी है। प्रायः सभी मुख्य देशों को कच्चा और पक्का चमड़ा जाता है।

चमड़ा
१ करोड़ ४१ लाख
रुपया

चमड़े की निर्यात की मात्रा।

मूल्य लाख रूपयों में]		भैंस	गाय	बकरी
१९३४-३५	संख्या (खालें)	३,७७,४३४	४६,६७,००८	१,९४,९४,८१०
	वज़न टन	२,८३८	१६,२७१	१३,८७३
	मूल्य रू०	११.६१	९५.५९	१.८०
१९३५-३६	संख्या (खालें)	३,७१,७२५	४४,८५,०१२	२,८३,८८,३०७
	वज़न टन	२,६९३	१६,४६२	२०,१०८
	मूल्य रू०	१०.६४	९८.१२	२.७८
१९३६-३७	संख्या (खालें)	६,५३,१५६	४२,३४,५७८	२,५१,६८,१८०
	वज़न टन	४,४८०	१९,४ ७	१७,९८५
	मूल्य रू०	२१.५७	१०९.४१	२.७८

		भेड़	अन्य
१९३४-३५	संख्या (खालें)	२०,८७,८१६	६,६८,७८९
	वज़न टन	१,१७६	११०
	मूल्य रू०	१५.७१	६.०४
१९३५-३६	संख्या (खालें)	१७,१२,३७८	६,६३,६८३
	वज़न टन	९३३	४
	मूल्य रू०	१४.३१	५.२७
१९३६-३७	संख्या (खालें)	११,५२,८८४	९,०१,८४५
	वज़न टन	६०३	२४५
	मूल्य रू०	१४.५९	८.९३

तिलहन की निर्यात की मात्रा सन १९३६-३७ में १८,४६,९२,९०९ रूपये थी। इस में लगभग ६ लाख रूपये के अन्य बीज भी शामिल हैं। अंडी ६२ लाख रूपये की, मूंगफली १२ करोड़ २८ लाख रूपये की, अलसी ४ करोड़ ३६ लाख रुपये की, सरसों ४ लाख ७८ हज़ार रूपये की, राई ५३ लाख रूपये की, और तिल २७ लाख रूपये के विदेशों को भेजे गये।

तिलहन
१८ करोड़ ४६ लाख
रुपया

तम्बाकू (बनी व ग़ैर बनी) की

तम्बाकू
९२ लाख ५१ हज़ार
रुपया

निर्यात १९३६-३७ में ९२ लाख ५१ हज़ार की थी। इसमें केवल४लाख ७५ हज़ार रू० के सिगार व सिगरट आदि थे।

ऊन
३ करोड़ ७३ लाख
रुपया

ऊन तथा ऊनी माल विदेशों को सन १९३६-३७ में ३ करोड़ ७३ लाख रू० का भेजा गया। सन १९३४--३५ में २·१९ करोड़ रू० का और स० १९३५-३६ में २·९२ करोड़ रूपये का माल भेजा गया।

कच्चा ऊन केवल इंग्लैंड को २ करोड़ रू० का और यू० एस० अफ्रीका को ६४ लाख रूपये का भेजा गया। इसी प्रकार ८५ लाख रुपये के ऊनी माल की निर्यात में से ६५ लाख रु० का इंग्लैंड को और ११ लाख रू० का यू० एस० अफ्रीका को भेजा गया।

धातु
८ करोड़ १ लाख
रुपया

धातु (कच्ची) और धातु पक्की विदेशों को प्रति वर्ष ८ करोड़ रुपये के जाते हैं। सन १९३६-३७ में ८ करोड़ १ लाख रूपये की धातु भेजी गई। इसमें पीतल, कांसा, आदि ५ लाख ७१ हज़ार रूपये का तांबा २५ लाख रूपये का, सीसा २ करोड़ ४० लाख रूपये का (केवल इङ्गलैंड को १ करोड़ ४८ लाख रूपये का गया), मैंगनीज़ और १ करोड़ ३१ लाख रुपये का और जस्ता ३९ लाख २७ हज़ार रूपये का भेजा गया।

अभ्रक
९४ लाख ५ हज़ार
रुपया

अभ्रक सन् १९३६-३७ में ९४ लाख ५ हज़ार रूपये का भेजा गया। इस के पहिले साल निर्यात ८३ लाख ४८ हज़ार की थी।

वनास्पति तेल
६९ लाख ९६ हज़ार
रुपया

वनस्पति तेल की निर्यात सन् १९३६-३७ में ६९ लाख ९६ हज़ार रूपये की थी। इसके पिछले साल ६३ लाख ६४ हज़ार रूपये की थी।

खली
२ करोड़ २६ लाख
रुपया

खली की निर्यात का मूल्य २ करोड़ २६ लाख ९३ हज़ार रुपया सन् १९३६-३७ में था।

अन्य वस्तुओं की निर्यात (१६३६-३७)

वस्तु	मूल्य पौंड		
लाख	२,३४,२१,२६८	कोयर	७०,६६,३६८
पैराफिन वैक्स	१,६५,६६,०१०	जानवरों के लिये अनाज	६५,७४,२१४
फल तरकारी	१,६६,८८,५४८	सन	६६,३२,७४२
सागौन लकड़ी	१,४५,६६,०२६	मसाला	५५,४१,३०२
काफ़ी	७,८२,६६,७७७	मछली	४४,६५,७८४
कच्ची रबड़	१,०४,०३,२०२	हड्डी	१५,८२,६४१

भारत से कुल निर्यात।

१६३४-३५	रु०	१,५१,६६,६७,०००
१६३५-३६	रु०	१,६०,५२,१६,०००
१६३६-३७	रु०	१,६६,१२,६६,७८६

भारत के बन्दरगाह

ऐतहासिक तथा राजनैतिक कारणों से वर्तमान बन्दरगाहों का निर्माण हुआ है। अभी तक राष्ट्रीय दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के अनुसार यह जांच नहीं की गई है कि कौन कौन से स्थान बन्दरगाहों के लिये उचित होंगे। समुद्रतट की लम्बाई ३६०० मील है जिस पर मुख्य बन्दरगाह ये हैं— करांची, बेडी, ओखा, पोरबन्दर, भावनगर, मोरमुगांव, बम्बई, मंगलोर, टेलीचेरी माही, कालीकट, कोचिन, अलेप्पी, कुइलोन, तूतीकोरिन, धनुषकोडी, नागापट्टम, कारीकल, कुड्डालोर, पान्डुचेरी, मद्रास, मसुलपटम, कोकानाडा, विज़गापटम, बिम्लीपटम, गोपालपुर, बालासोर, चांदबली, कटक, पुरी, कलकत्ता, और चिटगांव।

ब्रह्मदेश के मुख्य बन्दरगाह ये हैं—अकयाब, बसीन, रंगून, मौलमीन, टेवाय, मेरगुइ।

पोर्ट ट्रस्ट।

बड़े बन्दरगाहों के प्रबन्ध के लिये अर्थात् कलकत्ता, बम्बई, रंगून, करांची, मद्रास और चिटगांव के प्रबन्ध के लिये स्थानीय पोर्ट ट्रस्ट स्थापित किये गये हैं जिनको काफ़ी आमदनी होती है और बन्दरगाहों की उन्नति तथा व्यापारिक सुविधा का सुप्रबन्ध करना उनका कर्तव्य है।

कुल पोर्ट ट्रस्टों का वार्षिक आय-व्यय ।

सन्	आय रु०	व्यय रु०
१६३१–३२	७,१६,८१,०५६	७,६३,८७,२२०
१६३२–३३	५,६३,७०,०६१	६,६१,७८,७२५
१६३३–३४	७,२८,५६८	७,३७,१३,७१७

आय व्यय १६३४–३५

नाम	आय पौंड	व्यय पौंड
कलकत्ता	२२,६६,४८६	२३,३८,४०६
बम्बई	१८,७६,०८५	१८,५०,७००
मद्रास	२,५४,५४७	२,२७,३८०
करांची	५,२२,००१	४,६६,७३२
चिटगांव	७७,८८७	—
रंगून	५,६५,१२३	५,०५,०३६

मुख्य बन्दरगाहों की आयात निर्यात ।
(१६३४–३५)

नाम	आयात पौंड	निर्यात पौंड
करांची (१६३४–३५)	१,८७,८३,०५४	१,८३,०६,६४६
बेडी (१६३३–३४)	४,४७,०००	३,३५,२५०
ओखा ,,	३,६६,६००	१,६६,७२५
भावनगर ,,	१७,२४,६२५	८,१६,१५०
मोरमुगाव	४,६६,८६०	५५,७१६
बम्बई (१६३४–३५)	५,६३,६२,४५८	८,५२,३६,७१६
तूतीकोरिन(१६३३-३४)	८,१४,५५५	१६,८७,२४३
मद्रास (१६३४–३५)	१,३४,६८,५६६	८५,७६,४०६
कलकत्ता ,,	२,६८,३३,८२६	४,३१,४६,४४३
रंगून ,,	१,५५,४४,१६१	३,२१,८२,६६३

कलकत्ता ।

कलकत्ता शहर हुगली नदी के किनारे स्थित है और भारत का सबसे बड़ा नगर है। आबादी १४,८५,५८२ है। कलकत्ता बन्दरगाह से जूट, चाय, कोयला, गेहूं, तिलहन आदि विदेशों को भेजे जाते हैं। १६१३—१४ में

कलकत्ते के कुल रेलवे व्यापार की मात्रा १,०३,८६,००० टन थी जिसमें ८६,०५,००० टन माल कलकत्ते में आया और १७,८४,००० टन माल कलकत्ते से गया। स्टीमर और नावों से ११,२६,००० टन माल कलकत्ते को देश ही से आया। स० १६३३—३४ में रेलों तथा नदियों द्वारा ७१,३६,६०० टन माल कलकत्ते में आया और १२,१२,५०० टन माल देश में गया। सन् १६३४-३५ में ६६,१६,७०० टन कलकत्ते में रेल तथा नदियों द्वारा आया और १६,१६,६०० माल देश में गया।

मुख्य वस्तुओं की आयात निर्यात
(१९३४—३५)

आयात		निर्यात	
वस्तु	पौंड	वस्तु	पौंड
रुई के कपड़े	६०,३०,६६२	जूट का सामान	१,८६,८६,७२०
धातु आदि	३१,४६,४४७	जूट कच्चा	७७,०६,८२१
तेल	३,३६,२८६	चाय	६०,४३,३८६
मशीनरी	३३,०६,५६२	कच्ची रुई	२,२५,७०५
औज़ार	१२,८५,५५३	चावल	७,८६,७२०
रसायन	८,६८,७११	दाल	२,६३,१५६
धातु के पदार्थ	७,५८,१११	चमड़ा	१५,७७,१५०
खाद्य पदार्थ	६,५४,६४३	लाख	२४,५०,१२८
काग़ज़ आदि	६,२५,८६२	खाद	१,३८,०८०
मोटर गाड़ियां	५,७२,८४०	कोयला	१३,५५,६७१
ऊन का माल	५,५५,८४४	तिलहन	६,६७,६८८
शराब	५,०४,५०४	लोहा (pig)	६,६४,६८१
चावल	२७,०५,८४३	मेंगनीज़	२,६७,६३५
		अभ्रक	४,५६,०२७
कुल आयात	२,६८,३३,८२६	कुल निर्यात	४,३१,४६,४४३

बम्बई।

बम्बई बन्दरगाह द्वारा देश से मुख्यतः रुई, कोयला, चमड़ा, अनाज तिलहन, मेंगनीज़ (कच्चा) विदेशों को भेजे जाते हैं। और विदेशों से सोना, चाँदी, रुई का कपड़ा, धातु का मामान, धातुयें, मशीनरी, केरोसीन तेल, शक्कर और लकड़ी मुख्यतः आती हैं।

कलकत्ते के सदृश बम्बई के लिये नदियां नहीं हैं जो देश में से माल लावें, किन्तु बम्बई प्राकृतिक बन्दरगाह है और वर्ष भर एकसा सुरक्षित रहता है।

हज्ज को लाखों यात्री यहीं से जाते हैं। परशियन बन्दरगाहों से काफ़ी समुद्री व्यापार इस बन्दरगाह द्वारा होता है। करांची, काठियावाड़, मलाबार तट और गोआ से समुद्री व्यापार काफ़ी होता है।

स० १९१३–१४ में १५३६ जहाज़ों द्वारा ३=,३७,१११ टन माल बम्बई में उतरा और स० १९३४—३५ में १२८२ जहाज़ों द्वारा ५६,६०,५५५ टन माल उतरा।

मुख्य वस्तुओं की आयात निर्यात
(१९३४—३५)

वस्तु	आयात	वस्तु	आयात
ईंट, चीनी का सामान आदि	टन २,११,०००	लोहा	टन ८०,०००
कोयला	,, १,७७,०००	मशनरी (रेलवे आदि की)	,, ८१,०००
रुई	गट्ठे ७,४१,०००	जलाने का तेल	गैलन ४,६८,००,०००
जलाऊ लकड़ी	टन ३४,०००	केरोसीन तेल	,, ४,६३,७६,०००
अनाज	,, ४,०६,०००	कपड़ा पेकेट व गट्ठे	३,२६,०००
धातु का सामान पैकेट	टन २२,०८०	शकर	टन ८३,०००
,,	,, २०,०००	लकड़ी	,, ७७०००
		सूत आदि गट्ठे	१,०१,०००

वस्तु	निर्यात	वस्तु	निर्यात
रुई	गट्ठे १९,२४,०००	मायरोबलन	टन ३१,०००
अनाज	टन १,६७,०००	केरोसीन तेल	गैलन ६,३३,०००
मूंगफली	,, ८०,०००	कपड़ा गट्ठे व पैकेट	३,६४,०००
चमड़ा	,, २,०००	तिलहन	टन २,५४,०००
लोहा	,, ३५,०००	शकर	,, १४,०००
मैंगनीज़ओर	,, ५४,०००	सूत	गट्ठे १,०५,०००

करांची।

करांची बहुत काल से विदेशी व्यापार का द्वार रहा है। उत्तरी पश्चिमी भारत, बिलोचिस्तान और अफगानिस्तान के व्यापारी विनिमय

का केन्द्र पहिले था ही, अब आधुनिक काल में यह बन्दरगाह बड़ा ही उन्नत अवस्था को प्राप्त कर गया है।

मुख्य निर्यात की वस्तुयें गेहूं, रुई, जौ, चावल, चना, तिलहन, ऊन, चमड़ा और हड्डी हैं और मुख्य आयात की वस्तुयें रुई व ऊन का कपड़ा, शकर, मशीनरी, लोहा, व स्टील, खनिज तैल, और कोयला हैं।

इस बन्दरगाह को तृतीय स्थान प्राप्त है। सन् १६२६ में भारत और विदेशों के बीच हवाई डाक चलना आरंभ हुई उस समय से तो इस बन्दरगाह को अधिक महत्व प्राप्त हो गया है। हवाई बन्दरगाहों में करांची प्रथम श्रेणी में है।

हवाई जहाज़ों का "नियमित आवागमन" (Services) भारत और विदेशों के बीच स्थापित हो गया है। यह तीन प्रकार का है (१) इम्पीरियल एयरवेज़ लिमिटेड (Imperial Airways Ltd.) (ब्रिटिश), (२) एयर फ्रान्स (फ्रेंच), (३) K. L. M. (के. एल. एम.) (डच)।

इम्पीरियल एयरवेज़ लिमिटेड का "नियमित आवागमन" क्रायडन और करांची के बीच सप्ताह में दो वार होता है। इण्डियन ट्रान्स-कन्टीनेन्टल एयरवेज़ के सहयोग से इम्पीरियल एयरवेज़ ने "आवागमन" कलकत्ता सिंगापुर और रंगून तक स्थापित कर दिया है।

एयर फ्रान्स (Air France) का "आवागमन" (Service) फ़्रान्स और फ्रेंच कोचिन और चीन के बीच मारसेलीज़ और सैगोन बन्दरगाहों द्वारा होता है।

के० एल० एम० (K. L. M.) हवाई जहाज़ हालैंड और जावा के बीच एमस्टर्डम और बटेविया द्वारा "आवागमन" रखते हैं।

करांची और मद्रास के बीच टाटाज़ लिमिटेड के हवाई जहाज़ और करांची व लाहौर के बीच इण्डियन नैशनल एयरवेज़ लिमिटेड के हवाई जहाज़ सप्ताह में दो वार चलते हैं।

सन् १६३४-३५ में करांची बन्दरगाह में ३७१३ समुद्री जहाज़ २५,६०,७१५ टन माल लेकर आये और उसके पहिले साल में ३११ समुद्री जहाज़ २३,७८,४०३ टन माल लेकर आये।

कराँची बन्दरगाह में
आयात निर्यात का मूल्य

सन्	आयात पौं०	निर्यात पौं०
१९३१–३२	३,२१,५४,३२०	१,४७,०३,६५४
१९३२–३३	१,९९,७५,०६२	१,३५,२४,४८७
१९३३–३४	१,६६,३४,४४२	१,५१,५५,७३०
१९३४–३५	१,८७,८३,०५४	१,८३,०९,९४६

भारत के बैंक।

योरोपियन बैङ्कों के सदृश भारत में "ज्वाइन्ट स्टाक बैङ्क" अर्थात् कम्पनियों द्वारा संचालित बैङ्क नहीं थे। बड़े और छोटे महाजन ही हर श्रेणी के मनुष्यों का काम किया करते थे। व्यापार के लिये विश्वसनीय महाजनों की हुण्डियां भी चलती थीं और वे अब भी चलती हैं किन्तु कम प्रमाण पर। कम्पनी द्वारा संचालित पहिला बैंक भारत में लगभग १०० वर्ष पहिले स्थापित हुआ। इस समय भारत में लगभग १३६ बैंक हैं जिनकी १६७४ शाखायें भारत में हैं।

भारत के कृषिकों तथा ज़मींदारों और शहरों के अधिकांश छोटे बड़े व्यापारियों का कार्य अभी तक महाजनों द्वारा ही होता है। किसानों के पास और अधिकांश ज़मींदारों के पास इतना रुपया ही नहीं बचता कि वे बैंकों में जमा कर सकें। महाजनों के पास रुपया जमा करना किसान जानते ही नहीं केवल उधार लेने का काम वे महाजन से लेते हैं। "ज्वाइन्ट स्टाक बैंक" इस आधार पर अर्थात् केवल उधार देने के आधार पर नहीं चल सकते। किसानों की ग़रीबी ही इसका कारण है। इस विवेचन से यह भी स्पष्ट है कि भारतीय बैंकों का रुपया खेती में बिलकुल नहीं लगा हुआ है। बैंकों का रुपया व्यापार ही में लगा हुआ है।

व्यापारी बैंकों के अतिरिक्त (१) ऐक्सचेन्ज बैंक और (२) कोआपरेटिव बैंक भी हैं।

ऐक्सचेन्ज बैंकों का मुख्य काम अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार है। उनके हेड आफिस (मुख्य स्थान) विदेशों में हैं। भारत और विदेशों के बीच जो व्यापार होता है उसमें हुण्डियों (Cheques) का विनियम (Exchange) कार्य इन बैंकों का मुख्य कार्य है। विदेशों से माल की बिल्टियां, भेजना तथा उनका चुकावरा आदि कार्य सब इन्ही बैंकों

द्वारा होता है।

कोआपरेटिव बैंकों का कार्य किसानों को तथा शहरों में ख़ास प्रकार के कर्मचारियों को रुपया क़र्ज़ देना तथा उन्हें रुपया बचाने की आदत सिखाना है। कोआपरेटिव सोसायटीज़ ऐक्ट १९१२ द्वारा इन बैंकों को और इनके सदस्यों को अनेक सुविधायें दी गई हैं।

इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया।

सन् १९२० तक बंगाल, मद्रास और बम्बई में एक एक प्रेसीडेन्सी बैंक था। सन् १९२१ में तीनों का एकीकरण होकर एक मुख्य बैंक बनाया गया जिसका नाम "इम्पीरियल बैंक" रक्खा गया। तीनों बैंकों की पूंजी ३ करोड़ ७५ लाख रु० थी उसे बढ़ाकर ११ करोड़ २५ लाख रु० कर दी गई। बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के हाथों प्रबन्ध है और एक भाग का मूल्य ५०० रुपया है। सरकारी ख़ज़ाने सब इसके हाथ में दे दिये गये हैं। कलकत्ता बम्बई और मद्रास में स्थानीय बोर्ड प्रबन्ध के लिये हैं। गवर्नर जनरल को विशेष कार्यों में आदेश देन का अधिकार है। मैंनेजिंग डायरेक्टर (Sir William Lamond) सर विलियम लैमंड हैं। कार्य का ब्योरा नीचे दिया जाता है।

आर्थिक विवरण।

(लाख रुपयों में)

सन्	पूंजी	रिज़र्व	गवरमेंट डिपाज़िट	प्राइवेट डिपाज़िट
१९३०	५,६२	५,२७	१३,९१	७०,०३
१९३१	,,	५,३७	१५,९६	६६,१५
१९३२	,,	५,४२	१९,०८	६१,४६
१९३३	,,	५,२०	५,८२	७४,२३
१९३४	,,	५,२७	७,९१	७४,८३

ऐक्सचेन्ज बैंक।

ऐक्सचेंज बैंकों का कार्य योरोपियन कम्पनियों के हाथ में है और विदेशी व्यापार ही उनका मुख्य कार्य है। उनके कार्य का संक्षिप्त ब्योरा अगले पृष्ट पर दिया गया है।

आर्थिक विवरण।

हज़ार पौंडों में] [००० बढ़ाकर पढ़िये

सन्	संख्या	पूंजी व रिज़र्व	डिपाज़िट (भारत में)	कैश बैलेन्स (भारत में)
१६३०	१८	१६,३६,१६	५,१०,८६	५७,८२
१६३१	१७	१८,५६,६४	५,०६,०४	६६,०५
१६३२	१८	१७,३८,४६	५,४७,६६	७२,००
१६३३	१८	१४,३०,८०	५,३०,८८	५०,४०
१६३४	१७	१४,१६,१८	५,३५,००	५७,६२

ज्वाइन्ट स्टाक बैंक।

सन् १६३४-३५ में १०५ बैंक थे और उनकी शाखायें लगभग ८२८ थीं। आरम्भ में भारत के बैङ्क योरोपियन लोगों के हाथों में थे और उनमें उन्हीं की पूंजी लगी हुई थी किन्तु इन २५ वर्षों के भीतर स्वदेशी आन्दोलन के कारण अनेक देशी बैंक भी खुल गये हैं। सन् १६०५ में केवल ६ देशी बैंक थे जिनमें १२ करोड़ रुपया जमा था। अब देशी बैङ्कों की संख्या २७ है जिनमें ६० करोड़ के ऊपर रुपया जमा है।

भारत के बैङ्कों के कार्य का व्योरा कुछ वर्षों का नीचे दिया जाता है—

प्रथम श्रेणी के बैंक (पूंजी ५ लाख से ऊपर)
(लाख रुपयों में)

सन्	संख्या	पूंजी व रिज़र्व	डिपाज़िट	कैश बैलेन्स
१६३०	३१	११,६०	६३,२६	७,६८
१६३१	३४	१२,०८	६२,२६	७,७१
१६३२	३४	१२,२१	७२,३४	६,७६
१६३३	३४	१२,३४	७१,६८	१०,६२
१६३४	३६	१२,६७	७६,७७	११,१४

द्वितीय श्रेणी के बैंक (पूंजी ५ लाख से कम)

(लाख रुपयों में)

सन्	संख्या	पूंजी व रिज़र्व	डिपाज़िट	कैश बैलेन्स
१९३०	५७	१४१	४३९	५२
१९३१	५४	१२८	३९२	४७
१९३२	५२	१२९	३९३	६४
१९३३	५५	१३१	४७५	७९
१९३४	६९	१४९	५११	७२

रिजर्व बैंक आफ इंडिया।

१ अप्रैल १९३५ से रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया, स्थापित किया गया है। इसकी पूंजी ५ करोड़ रुपये की है और प्रति भाग का मूल्य १०० रुपया है। कुल पूंजी जमा हो गई है।

इस बैंक के महत्वपूर्ण कार्य तथा विशेष अधिकार भी हैं।

(१) 'नोट' (Currency Notes) जारी करने तथा सिक्कों का प्रबन्ध करने का इसी बैंक को अधिकार है।

(२) भारत सरकार तथा भारत के सब बैंकों का महाजन रूप है।

(३) देश की आर्थिक अवस्था की रक्षा करना तथा बैंकिंग और आर्थिक उन्नति का कार्य मार्ग इसके हाथ में रहेगा।

(४) रुपये का विनिमय स्थिर रखना (वर्तमान १ रुपया = १ शि० ६ पैंस)।

(५) प्रत्येक बैंक को जो रिज़र्व बैंक ऐक्ट के शिड्यूल में दर्ज है निश्चित मात्रा में अमानत इस बैंक में जमा रखनी पड़ेगी।

(६) बैंक रेट निश्चित करना।

(७) यह बैंक एक विशेष कृषि विभाग (Agricultural Credit Department) स्थापित करेगा।

यह बैंक आगे चलकर इम्पीरियल बैंक का कुल सरकारी काम करेगा। जहाँ उसकी शाखा न होगी वहां इम्पीरियल बैंक काम करेगा।

इस बैंक का प्रबन्ध सेन्ट्रल बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के हाथों में है जिसमें (१) गवर्नर (२) डिप्टी गवर्नर (३) ४ डायरेक्टर, गवर्नर जनरल द्वारा नियोजित (४) ८ डाइरेक्टर भागीदारों द्वारा निर्वाचित (५) एक

सरकारी कर्मचारी गवर्नर जनरल द्वारा नियोजित।

डिप्टी गवरनरों तथा सरकारी कर्मचारी को मताधिकार नहीं है। शेष १३ को है।

५ भागों के भागीदार को १ वोट (मताधिकार) प्राप्त है किंतु किसी भागीदार को १० वोटों से अधिक वोट प्राप्त न होंगे।

रिज़र्व बैंक के कार्यालय बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, और रंगून में हैं।

रिज़र्व बैंक का कार्य।

सन्	डिपाज़िट	लाभ
१९३५	रु० ३४,६५,१८,९२०	५६,०५,७४४
१९३६	रु० २३,२८,४३,८६३	५३,४२,१००

बैंक रेट।

इम्पीरियल बैंक जिस व्याज की दर (Rate) पर "गवर्मेन्ट पेपर" की ज़मानत पर रुपया उधार देता है वे दर कुछ वर्षों के नीचे दिये जा रहे हैं जिससे यह विदित होगा कि व्यापारियों को किस मात्रा में उधार लेने की आवश्यकता पड़ी। बैंक रेट यदि कम हो तो जानना चाहिये कि रुपये की मांग व्यापार में कम है अथवा जमा करने वाले अधिक हैं और बैंक में रुपया बेकार पड़ा है। उलटी परिस्थित में बैंक रेट अधिक हो जाता है।

सन्	दर
१९३१	७.०४४
१९३२	५.०२७
१९३३	३.५६३
१९३४	३.५
१९३५	३.४५
१९३६	३.२०

क्लियरिंग हाउसेज़।

कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, और करांची में "क्लिअरिंग हाउसेज़" (Clearing Houses) हैं जहां तमाम प्रतिष्ठित बैंकों की चेकों (Cheques) का दैनिक जमा खर्च कर दिया जाता है। परस्पर रुपया लेने देने की आवश्यकता नहीं होती।

चेकों (Cheqnes) का जमा खर्च ।

सन्	कलकत्ता	बम्बई	मद्रास	करांची
१९३३	८२,३६८	६४,५५२	५,१५९	२,५६३
१९३४	८६,३७३	६८,३२१	५,७६१	२,८७३
१९३५	९३,८८७	७५,०४५	६,२८९	२,९७८
१९३६	८९,८५७	७२,१२५	८,३९३	३,०९९

भारत की फ़ैक्टरियां ।

भारतीय उद्योग में बृद्धि होने के कारण दिन प्रति दिन "फ़ैक्टरियों" की संख्या बढ़ती जाती है। सन १९२२ के ऐक्ट के अनुसार जिन कारख़ानों में एक स्थान में २० मनुष्य से अधिक काम करते हों उसे फ़ैक्टरी कहते हैं। प्रान्तीय सरकारों को यह भी अधिकार है कि उन कारख़ानों को भी जिनमें १० से कम मनुष्य काम न करते हों "फ़ैक्टरी" करार दे देवें। अनेक फ़ैक्टरी ऐक्टों द्वारा सरकार को विशिष्ट अधिकार निरीक्षण, प्रबन्ध, दैनिक वेतन, काम करने के घंटे आदि के संबध में प्राप्त हैं। उनका ब्योरा अन्यत्र दिया गया है।

निम्नलिखित कोष्टकों में फ़ैक्टरियों-संबन्धी कुछ उपयोगी आंकड़े दिये जारहे हैं।

फ़ैक्टरियों सम्बन्धी ब्योरा।

सन	फ़ैक्टरियों की संख्या	मज़दूरों का दैनिक औसत			योग
		पुरुष	स्त्री	बालक	
१९१४	२,९३६	७,४६,७७३	१,४४,१५७	६०,०४३	९,५०,९७३
१९१८	३,४३६	८,९७,४६६	१,६१,१४३	६४,११०	११,२२,९२२
१९२२	५,१४४	१०,८६,४५७	२,०६,८८७	६७,६२८	१३,६१,००२
१९२६	७,२५१	१२,०८,६२८	२,४९,६६६	६०,०९४	१५,१८,३९१
१९३०	८,१४८	१२,३५,४२५	२,५४,९०५	३७,९७२	१५,२८,३०२
१९३५	८,८३१	१३,६०,१३१	२,३५,३४४	१५,४५७	१६,१०,९३२

फैक्टरियों की संख्या (१९३५)
(प्रान्तवार)

प्रान्त	संख्या	मज़दूरों का दैनिक औसत
बम्बई	१,७४६	४,२०,७१६
मद्रास	१,४६१	१,०६,७४४
बंगाल	१,५६५	५,१३,१६६
संयुक्तप्रान्त	४६६	१,३६,२६०
पंजाब	६६६	५८,१६१
ब्रह्मा	६६५	६०,३२७
विहारउड़ीसा	३०६	८६,३२७
मध्यप्रांत	६६६	५५,८६६
आसाम	७०६	४७,५५७
सीमाप्रांत	२८	१,१३१
बिलोचिस्तान	१६	२,२७८
अजमेरमारवाड़	३८	२३,४८१
दिल्ली	५५	१३,२२६
कुर्ग बंगलोर	२१	२,५८४
योग	८,८३१	१६,१०,६२१

फैक्टरियों के प्रकार ।

सन १६२८ में ७८६३ फैक्टरियां थीं जिनमें १५,२०,३१५ मनुष्य लगे हुए थे । उनका व्योरा इस प्रकार है—

नाम	फैक्टरियों की संख्या	मनुष्यों की संख्या	नाम	फैक्टरियों की संख्या	मनुष्यों की संख्या
रूई की मिलें	२७५	३,१७,७८०	जहाज़ी	२०	२४,२२५
मोज़ेबनियाइन	२५	२,२२६	स्टील ट्रन्क	४	५११
जूट की मिलें	६१	३,३८६,३५	ढलाई ख़ाने	६८	२,३४७
रेशम की मिलें	८	२,०७८	लोहे के कारख़ाने	५	३१,३२६
ऊन की मिलें	६	५,६५४	शीशे की ढलाई	६	४,१६३
कांच रिपेरिंग	२७५	७,१५५	पेट्रोलियमसफाई	१२	१२,८६८
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	१२	१,५१०	बेकरी विस्कुट	१५	१,०४२
			काफी	१६	३,५७५
इलेक्ट्रिकलसपलाई	४०	५,३००	आटे की चक्की	६६	५,६४७
इंजीनियरिंग	२३७	३६,२७४	बरफ व पानी	८८	३,४६४
तेल के कनिस्टर	२६	१०२०३	छपाई	३०५	२४,२०७
मेटल स्टाम्पिग	२८	३८५३	सरकारी फैक्टरी	३२६	१,४७,३०८
रेलवे वर्कशाप	६७	६२६६४	चावल की मिलें	१,५५८	७४,६१३

फैक्टरियों के प्रकार (चालू)

नाम	फैक्टरियों की संख्या	मनुष्यों की संख्या	नाम	फैक्टरियों की संख्या	मनुष्यों की संख्या
शक्कर	४५	१५,२५३	क़ाग़ज़	८	५,८२५
चाय	६०१	६३,०८५	ईटें व खपरे	६८	६,३५४
तमाखू	१५	६,६१२	सीमेंट चूना आदि	२५	६,१२४
हड्डी व खाद	१६	३,४३०	कांच	१५	२,०२२
रसायन	१३	२,७५०	आरे की मिल	१६६	१७,१६०
रंगना व साफ़ करना	३७	४,८००	जूते व चमड़ा	१२	२,६७८
नील	२२	१,२३५	चमड़े का पकाना	१८	३,१०१
लाख	१६	२,२५६	रुई की औंटाई	२१८३	१,४६,६००
दियासलाई	२६	१४,५२६	जूट प्रेस	१२२	३५,४७१
तेल	२२७	१०,६६१	रस्सी	१४	४,१३७
पेण्ट	६	१,४०५	रबड़ का माल	५	१७२
साबुन	६	६५४			
तारपीन	२	२२२	जोड़	७८६३	१५२०३१५

बीमा कम्पनियां ।

आरम्भिक काल में भारत में विदेशी कम्पनियों द्वारा बीमा का काम शुरू हुआ। पहिले नगरों में और विशेष कर सरकारी कर्मचारियों में ही बीमा करना पसन्द किया गया। करीब १०० वर्ष पहिले अर्थात् १८२९ में आर्बथनाट एण्ड कम्पनी ने एक बीमा कम्पनी "इक्वीटेबल इन्शोरेंस कम्पनी" खोली। यह कम्पनी बहुत दिनों तक चली। मद्रास और युक्तप्रांत में विधवाओं की सहायता के लिये बीमा कम्पनियों का आयोजन किया गया। "बम्बई विडोज़ पेन्शन फण्ड" कम्पनी सन् १८७६ में क़ायम हुई थी जो अभी तक चालू है। "ओरियंटल" इन्शोरेन्स कम्पनी सन १८७४ में स्थापित हुई और अब वह सबसे अच्छी कम्पनियों में गिनी जाती है। सन् १८९२ और १८९६ के बीच अनेक कम्पनियां खोली गईं जिनमें करांची की "इण्डियन लाइफ़" बम्बई की "अम्पायर आफ इंडिया", और "भारत इन्शोरेंस" लाहौर की मुख्य हैं।

स्वदेशी आन्दोलन (१९०४-५)

के बाद भारत में अनेक कम्पनियां खोली गईं जिनमें कुछ बन्द हो गईं और जो बाक़ी बचीं वे बहुत अच्छी चल रही हैं।

देशी और विदेशी कम्पनियां कुल जो भारतवर्ष में जीवन (Life) बीमा करने का काम करती हैं वे ३६६ हैं जिनमें २१७ भारत में बनी हैं और १४९ विदेशों में बनी हुई हैं।

पोस्ट आफिस इन्शोरेंस फंड !

सन् १८८३ में यह फंड डाकखाने के कर्मचारियों के लिये खोला गया किंतु आगे चल कर सब सरकारी कर्मचारियों के लिये खोल दिया गया।

ता० ३१ मार्च १९३५ को इस फंड में ८६ ५२२ पालिसी थीं जिनके बीमा का रुपया लगभग १७ करोड़ ८८ लाख रुपया होता है।

बीमा कम्पनियों में मुनाफा बांटने की पद्धति में गड़बड़ी होने के कारण "लाइफ एशोरेन्स ऐक्ट" १९१२, और "इंडियन इन्शोरेन्स कम्पनीज़ एक्ट" १९२८, पास किये गये जिनसे दो लाभदायक फल हुये हैं (१) मुनाफा केवल मुनाफे में से ही बांटा जा सकता है; पूंजी में से नहीं (२) सरकार के पास ज़मानत के लिये २ लाख रुपया जमा किया जावे।

बीमा कम्पनियों की संख्या।

(१९३५)

(देशी)

प्रान्त	संख्या
बम्बई	६१
बंगाल	४१
मद्रास	३७
पंजाब	२१
सिंध	१४
दिल्ली	१०
संयुक्तप्रान्त	१०
बिहार	४
मध्यप्रान्त	५
अजमेर मारवाड़	३
ब्रह्मा	१
आसाम	१
सीमाप्रान्त	१
योग	२१७

विदेशी
(भारत में काम करने वाली)

यूनाइटेडकिंगडम (इंग्लैंड)	६६
ब्रिटिश डोमीनियन	३०
योरोप	२०
यू. एस. अमरीका	१६
जापान	६
जावा	५
	१४६

स० १६३४ में भारत में जो बीमा का कार्य हुआ उसमें नई २,१५,००० पालिसियां (जीवनियां) हुईं और कार्य का मूल्य ३८ करोड़ रुपया हुआ। वार्षिक किस्तों (Premiums का मूल्य २ करोड़ रुपया था। इस काम में देशी कम्पनियों ने १,८३,००० जीवनियों को (मूल्य २८ करोड़) बीमा किया। देशी कम्पनियों की प्रति जीवनी का औसत मूल्य १५२८ रुपया और विदेशी कम्पनी की प्रति जीवनी का औसत मूल्य ३२१३ रुपया था।

स० १६३४ तक कुल बीमा की हुई जीवनियों की संख्या ६,८७,००० और मूल्य २१५ करोड़ रुपया था। इसमें देशी कम्पनियों का काम ७,४२,००० जीवनियां और मूल्य १३२ करोड़ रुपया था।

कुछ देशी बीमा कम्पनियों ने ब्रिटिश ईस्ट अफ्रीका, लंका, और स्ट्रेट्स सेंटलमैंट में भी काम फैलाया है। स० १६३४ तक ५ करोड़ के मूल्य का काम इन्होंने किया।

बीमा कम्पनियों की सूची।

निम्न लिखित मुख्य कम्पनियाँ भारत में काम करती हैं—

मुख्य विदेशी कम्पनियाँ।

ऐटलस ऐशोरेन्स कम्पनी, ४ क्लाइव रो०, कलकत्ता।

अफ्रीकन फारेन इन्शोरेन्स ऐसोसियेशन, १५ क्लाइव रोड, कलकत्ता।

अलाएन्स ऐशोरेन्स क० लिमिटेड, १ ऐंड २ हेयर रोड, कलकत्ता।

ब्रिटिश ट्रेडर्स इन्शोरेन्स, कं० लिमि०, ८ क्लाइव रोड, कलकत्ता।

कलकत्ता एक्सीडेन्ट इन्शोरेन्स एसोसियेशन, रायल ऐक्सचेन्ज बिल्डिंग, २ क्लाइव रोड, कलकत्ता।

कलकत्ता फायर इन्शोरेन्स ऐसोसियेशन, रायल ऐक्सचेन्ज बिल्डिंग। २ क्लाइव रोड, कलकत्ता।

चायना फायर इन्शोरेन्स कं० लिमि० ८ क्लाइव रोड, गिलांडरहाउस, कलकत्ता।

चायना अंडराइटर्स, ६० सुले पैगोडा रोड, रंगून।

कमरशियल यूनियन ऐशोरेन्स कं० नं० बी, १ क्लाइव बिल्डिंग, ८ क्लाइव रोड, कलकत्ता एंड ३ वेलेस रोड, बम्बई।

कामन-वेल्थ ऐशोरेन्स कं० लिमि०, ४६ धरमतल्ला रोड, कलकत्ता।

ईगल स्टार एंड ब्रिटिश डोमनिअन्स इंशोरेन्स कं० लिमि०, २१ स्ट्रेंड रोड, कलकत्ता।

ईस्ट इंडिया इन्शोरेन्स कं० लिमि०, ४ क्लाइव स्ट०, कलकत्ता।

इकोनोमिक इन्शोरेन्स कं० लिमि०, ७ हेयर स्ट०, कलकत्ता।

ग्रेट अमेरिकन इन्शोरेन्श कं०, १५ क्लाइव रोड, कलकत्ता।

ग्रेट ईस्टर्न लाइफ ऐशोरेन्स कं०, ५०-५२ चर्चगेट स्ट०, बम्बई एण्ड नोस्टन बिल्डिंग, कलकत्ता।

ग्रेशम लाइफ ऐशोरेन्स सोसायटी, ग्रेशम बिल्डिंग, स्पालानडे रोड, बम्बई।

इंपीरियल लाइफ स्टाक इंशोरेन्स कं० लिमि०, क्लाइव बिल्डिंग, ८ क्लाइव स्ट०, कलकत्ता।

इन्डेम्निटी म्युचुअल मेरिन ऐशोरेन्स-कं० लि०, २१ स्ट्रेंड रोड, कलकत्ता।

ला यूनियन एण्ड रोक इंशोरेन्स कं०, २ फैरली प्लेस, कलकत्ता।

लिवरपूल एण्ड लंदन एड ग्लोब इंशोरेन्स कं०, ६ क्लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता।

लन्दन ऐशोरेन्स कारपोरेशन, क्लाइव बिल्डिंग, कलकत्ता।

मैन्युफैकचररर्स लाइफ़ इंशोरेन्स क०, ४१-५१ कवासजी पाटिल स्ट्रीट, फोर्ट बम्बई।

नेशनल म्युचुअल लाइफ़ एसोसियेशन आफ़ अस्ट्रेलिया, चर्चगेट रोड, फोर्ट बम्बई।

नार्थ ब्रिटिश एंड मरकेंटाइल इंशोरैन्स कं०, १०१-१ क्लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता।

नार्दर्न ऐशोरैंस कं०, ७ हेयर रोड, कलकत्ता।

नोरविच यूनियन लाइफ इशोरैंस आफिस, पोस्ट बाक्स १४७, कलकत्ता।

फोनी ऐशोरैन्स कं०, २८ डलहौसी स्कायर, कलकत्ता।

प्रुडेंशियल ऐशोरैंस कं०, क्लाइव बिल्डिंग, कलकत्ता।

रायल ऐक्सचेंज ऐशोरेन्स कं०, पोस्ट बाक्स ३२७, कलकत्ता।

रायल इन्शोरैन्स कं०, २६-२७ डलहौसी स्कायर, कलकत्ता।

स्काटिश यूनियन एंड नेशनलइंशोरैंस कं०, ६ क्लाइंशरेंज, कलकत्ता।

स्टैण्डर्ड लाइफ ऐशोरैन्स कं०, स्टैण्डर्ड बिल्डिंग, पोस्ट बाक्स १०१, कलकत्ता।

सनलाइफ ऐशोरैंस कं० आफ कनाडा, कनाडा बिल्डिंग, बम्बई।

यार्कशायर इन्शोरेंस कं०, अमीर बिल्डिंग, १६ अलफिन्स्टन सर्किल, फोर्ट बंबई।

मुख्य भारतीय कम्पनियाँ।

आल इण्डिया एण्ड बर्मा प्रोविडेन्ट फंड, १ लारल लेन, बंगलौर।

आंध्र इन्शोरेन्स, मछली पट्टम।

आर्य इन्शोरेंस कं०, सिलचर, कछार।

एशियन इन्शोरेन्स कं०, एशियन बिल्डिग बलार्ड स्टेट, बम्बई।

एशियाटिक गवर्नमेंट सेकुरिटी लाइफ ऐशोरेंस कं०, १३ फोर्ट, 'ए' स्ट्रीट, बंगलोर।

ऐसोसिएकों गौना डी मटनो औक्सिलो ऐसोसिएकौ, गौना बिडिलग, दाबुल, बम्बई २।

बी० बी० एंड सी० आई० एंड आर० एम० रेलवे जोरोस्ट्रियन एसोसियेशन, विलीय मेनसन, पोस्ट ग्रांट रोड, बम्बई।

बंगाल इंशोरेंश एण्ड रियल प्रापरटी कं०, ८ डलहौज़ी स्कायर, कलकत्ता।

बंगाल मरकेंटिली लाईफ ईशोरेंश कं०, २४ स्ट्रेंड रोड, कलकत्ता।

भारत इन्शोरेन्स कं०, भारत

बिल्डिंग, लाहौर ।

बम्बई लाइफ ऐशोरैन्स कं०, ७३-७५ अपोलोरोड, फोर्ट बम्बई ।

बम्बई म्युचुअल लाइफ ऐशोरेंस सोसाइटी, १७० होर्नबी रोड, फोर्ट बंबई ।

बम्बई विडोज़ पेन्शन फंड, ३५ मेडोस रोड, बम्बई ।

बम्बई जोरौस्ट्रियन म्युचुअल डेथ बेनेफिट फंड, आरडेशिर डाडे रोड, खेतवाड़ी, बम्बई ।

ब्रुटानिया लाइफ ऐशोरेन्स कं० ३७२६, फोरबस रोड, फोर्ट बम्बई ।

ब्रिटिश इंडियन इंशोरेन्स कं०, चेम्बर लाइन रोड, लाहौर ।

कलकत्ता इन्शोरेन्स कं०, १५ हेयर रोड, कलकत्ता ।

क्रिश्चियन म्युचुअल इन्शोरेन्स कं०, मेकलौड रोड, लाहौर ।

कोआपरेटिव एशोरेन्स कं०, लाहोर ।

क्रीसेन्ट इंशोरेन्स कम्पनी, कवारना बिल्डिंग, २८ होर्नबीरोड, बम्बई ।

डोनेशन यूनियन लिंकन रेलवे ४८, स्टेफेन्स रोड, फ्रेजर टाउन, बंगलौर ।

ईस्ट एंड वेस्ट इंशोरेन्स कं०, ६५ अपोलो स्ट्रीट, फोर्ट बम्बई एंड ८४ ए क्लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता ।

ऐम्पायर आफ़ इण्डिया लाइफ ऐशोरेन्स कं०, २१४ होर्नबी रोड, फोर्ट बम्बई ।

एम्पलायर्स लाइबिलिटी ऐशोरेन्स कारपोरेशन लि०, ५ डलहौसी स्का०, कलकत्ता ।

जनरल ऐशोरेन्स सोसायटी लि०, कचेरी रोड, अजमेर ।

ग्रेट ईस्टर्न लाइफ ऐशोरेन्स कं० लि०, चांदनी चौक, देहली ।

ग्रेट इंडिया इंशोरेन्स कं०, ८४ क्लाइव रोड, कलकत्ता ।

गुजरात जोरौस्ट्रियन म्युचुअल डेथ बेनेफिट फंड, लालकाका बिल्डिंग, नागपुर ।

हिमालय ऐशोरेंस कं०, ४ डलहौसी स्का०, कलकत्ता ।

हिन्दू फैमली एनुइटी फंड, ५ डलहौसी स्का० ई०, कलकत्ता ।

हिन्दू म्यूचुअल लाइफ ऐशोरेन्स कं०, ३०६बो बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता ।

हिंदुस्तान ऐशोरेन्स एंड म्युचुअल बेनेफिट सोसाइटी, लाहौर ।

हिन्दुस्तान कोआपरेटिव इंशोरेन्स सोसायटी, हिन्दुस्तान बिल्डिंग, ६ ए कारपोरेशन रोड, कलकत्ता ।

हुकुमचन्द इन्शोरेन्स कं० लिमि०, ३० क्लाइव रोड, कलकत्ता ।

आइडियल डेमोक्रेटिक ऐशोरेंस एण्ड मोर्गेजलौंस लिमि०, पराँजपे बिल्डिंग, तिलक तलाव, नागपुर सिटी ।

इण्डिया इकुईटेबिल इंशोरेन्स कं०, २१ ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता ।

इण्डिया प्रोवीडेण्ट कं० लिमि०, २६ ग्रे स्ट्रीट, कलकत्ता ।

इण्डियन क्रिश्चियन प्रोवीडेंट फंड वेपरी, मद्रास ।

इण्डियन लाइफ ऐशोरेन्स कम्पनी, एलफिस्टन रोड, करांची ।

इंडियन मरकेंटाइल इन्शोरेन्स कम्पनी लिमि०, ११ बैंक स्ट्रीट, फोर्ट बम्बई एण्ड ७ जी क्लाइव रोड, कलकत्ता ।

इंडियन पेनिनशुलर इंशोरेन्स कम्पनी लि०, १६ कचेरी रोड, मेलापुर, मद्रास ।

इंडस्ट्रियल एण्ड प्रुडेन्शियल एशोरेन्स कं०, जहांगीर वाडिया बिल्डिग, ऐसप्लानेड रोड, फोर्ट बम्बई ।

जुपीटर जनरल इन्शोरेन्स कं० लिमि०, ईवार्ट हाउस, टैमारिंड लेन, फोर्ट बम्बई ।

लक्ष्मी इन्शोरेन्स कं० मेकलौड रोड, लाहौर

लाइट आफ़ एशिया इन्शोरेन्स कं०, ६ ओल्ड पोस्ट आफ़िस स्ट्रीट, कलकत्ता ।

मंगलौर रोमन केथोलिक प्रोविडेन्ट फंड, मंगलौर ।

मिलीअंस म्युचुअल बेनेफिट सोसाइटी २३ स्ट्रेंजर्स सेन्ट जी० टी०, मद्रास ।

म्युचुअल हेल्प एसोसियेशन, शिमला ।

नागपुर पायोनियर इन्शोरेन्स कं०, पायोनियर बिल्डिग, नागनुर ।

नेशनल इण्डियन लाइफ़ इन्शोरेन्स कं०, ६ एंड ७ क्लाइव स्ट्री०, कलकत्ता ।

नेशनल इंशोरेंस कं०, ६ ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता ब्रांच, लौन स्का०, ब्रौडवे, मद्रास ।

न्यू इण्डिया ऐन्शोरेंस कं०, ऐसप्लानेड रोड, बम्बई एण्ड ऐक्सीडेन्ट, ब्रांच, १०० क्लाइव स्ट्री०, कलकत्ता ।

ओरिअंटल गवर्नमेंट सेकुरिटी लाइफ ऐशोरेन्स कं०, ओरिअंटल बिल्डिग, बम्बई ।

पारसी जोरौस्ट्रियन डेथ बेनिफिट फंड, ६ खेतवाड़ी लेन, बम्बई ।

पीपुल्स इन्शोरेन्स कं०, इन्शोरेन्स बिल्डिग, चेम्बर लाइन रोड, लाहौर ।

पीपुल्स ओन प्रोविडेन्ट एण्ड जनरल इन्शोरेन्स कं० लि०, बैजवाडा ।

प्रेसीडेन्सी प्रोविडेन्ट एंड जनरल इन्शोरेंस क० लिमि०, अमृत बिल्डिग, बलार्ड स्टेट, फोर्ट बम्बई

प्रभात इन्शोरेन्स कं० लिमि०, ३ मिशन रो०, कलकत्ता।

पंजाब म्युचुअल हिन्दू फैमिली रिलीफ फंड, चेम्बर लाइन रोड, लाहौर।

फ्री इण्डिया जनरल इन्शोरेन्स कम्पनी लि०, कानपुर।

सिंद हिंदू प्रोविडेन्ट फंड सोसायटी, हैदराबाद सिंध।

साउथ इण्डिया वेसलियन मेथोडिस्ट सोसाइटी, पोस्ट बाक्स ५०१, पार्क टाउन, मद्रास।

टिनेवेली डामोसिसन कौंसिल विडोज़ फंड, पालमकोटाह, मद्रास।

यूनीक ऐशोरेन्स कं०, १० केनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता।

यूनाइटेड इण्डिया लाइफ ऐशोरेन्स कं०, सम्बुदास स्ट्रीट, मद्रास।

वीनस ऐशोरेन्स बैंक, चांदनी चौक, देहली।

वेस्टर्न इण्डिया लाइफ इन्शोरेन्स कं०, सतारा सिटी।

ज़ेनिथ लाइफ ऐशोरेन्स कं०, फोरबस स्ट्रीट, बम्बई।

व्यापारी मण्डल ।

आधुनिक काल में व्यापारी समाज को देश के जीवन में बड़ा प्रभावशाली स्थान प्राप्त है। उसका प्रभाव केवल व्यापार ही पर नहीं पड़ता है किन्तु राज शासन की बागडोर पर भी उसका हाथ होता है। योरोपियन देशों के वर्तमान शासन में व्यापारी-वर्ग पथ-प्रदर्शक का कार्य करता है और शासनों में अधिकतर परिवर्तन इसी वर्ग की सहायता से अथवा विरोध से हो जाया करते हैं। इङ्गलैंड के शासन में "लङ्काशायर" के मिल मालिकों का बड़ा ज़ोर है।

यह महत्व सङ्गठन से उत्पन्न हुआ है। व्यापारी समाज ने अनेक मण्डल बना रक्खे हैं जिनके द्वारा वे अपना असर डालते हैं। कोई भी क़ानून अथवा नीति जिसका कुछ भी परिणाम व्यापार पर हो सकता है बिना इस समाज की ओर से आलोचना के नहीं रह सकता। इसी प्रकार तेजी मद्दी की रोक थाम भी इन संगठित संस्थाओं द्वारा की जाती है। व्यापारियों के समाजों को "चेम्बर्स आफ कामर्स" कहते हैं। भारत में भी इसी प्रकार के व्यापारी मण्डल हैं और योरोपियन व्यापारी मण्डलों का काफ़ी असर भारतीय सरकार पर है।

भारत में भी अनेक व्यापारी मंडल हैं। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, रंगून और करांची में "चेम्बर्स आफ कामर्स" हैं जिनमें भारतीय तथा अंग्रेज दोनों ही सदस्य हो सकते हैं किन्तु प्राबल्य अंग्रेजों का है। इनके अतिरिक्त दो बड़े व्यापारी मण्डल हैं (१) एसोशियेटेड चेबर्स्स आफ कामर्स आफ इण्डिया—यह संस्था योरोपियन व्यापारी हितों की रक्षक है। (२) फिडरेशन आफ इण्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स ऐंड इन्डस्ट्री—यह सभा भारतीय व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। उपरोक्त संस्थाओं के अतिरिक्त जूट, रुई आदि भिन्न व्यापारी वर्गों की अलग अलग संस्थायें (Associations) हैं।

लंदन चेम्बर्स आफ कामर्स ने भी स० १६१२ से "ईस्ट इण्डिया सेकशन" भारत में खोल रखा है।

भारतीय व्यापारियों ने भी लंदन में "इण्डियन चेम्बर आफ कामर्स" स० १६२७ में स्थापित किया है।

१—ऐसोशियेटेड चेम्बर्स आफ़ कामर्स आफ़ इण्डिया।

उपरोक्त संस्था स० १९२० में योरोपियन व्यापारी हितों की रक्षा के मुख्य उद्देश्य से स्थापित की गई। उस समय लंका का चेम्बर आफ कामर्स भी इस संस्था का सदस्य हुआ। बाद को स० १९३२ में वह चेम्बर अलग हो गया। इस प्रकार की संस्था की स्थापना का उद्योग स० १९०५ में सर्व प्रथम किया गया किंतु अनेक वर्षों तक शिथिलता रही। दूसरा प्रयत्न स० १९१७ में किया गया किंतु असफल रहा। स० १९१९-२१ के राष्ट्रीय आन्दोलन के रूप में ऐसी संस्था की आवश्यकता महान प्रतीत हुई और स० १९२० की योरोपियन व्यापारियों की कान्फ्रेंस ने यह संस्था क़ायम कर दी।

इस संस्था में १५ चेम्बर्स आफ कामर्स इस समय सम्बद्ध हैं (१)बंगाल (२) बम्बई (३) ब्रह्मा (४) कालीकट (५) चिटगाँव (६) कोकोनाड़ा (७) कोचीन (८) कोइमबटोर (९) करांची (१०) मद्रास (११) नरायनगंज (१२) नार्दर्न इंडिया (१३) पंजाब (१४) अपर इण्डिया (१५) तूतीकोरिन।

इस संस्था की कोई कार्यकारिणी समिति नहीं है। प्रेसीडेन्ट और सिक्रेटरी ही काम चलाते हैं।

इस संस्था की कान्फ्रेंसों का उद्घाटन वायसराय और गवरनरों द्वारा होता रहा है और सरकारी उच्च पदाधिकारी (योरोपियन) कान्फ्रेन्सों में उपस्थित होते रहे हैं। राजनैतिक, आर्थिक कानूनी, रेलवे तार आदि, कस्टम टैक्स आदि सभी प्रश्नों पर यह संस्था विचार करती रही है। इस संस्था का एक नियोजित प्रतिनिधि केन्द्रीय सेन्ट्रल एसेम्बली में होता है। "इम्पीरियल कौंसिल आफ एग्रीकलचरल रिसर्च" तथा "सेंट्रल एडवाइज़री कमेटी फार लाइटहाउसेज़" में भी इस के प्रतिनिधि होते हैं।

स० १९३० से बंगाल चेम्बर आफ कामर्स के प्रधान तथा मंत्री इस मंडल के भी प्रधान तथा मंत्री रहे हैं।

२—फिडरेशन आफ़ इण्डियन चेम्बर्स आफ़ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री।

सर फ़ज़ल भाई करीम भाई इब्राहीम, बम्बई के प्रतिष्ठित मिल मालिक ने स० १९१३ में एक "इन्डियन कामर्स कांग्रेस" स्थापित करने की आयोजना की जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय व्यापार के हितों की

रक्षा करना था । स० १९१४ में इस कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ जिसके स्वागताध्यक्ष सर दिनशा इडलजी वाचा थे । सर फज़ल भाई करीम भाई अध्यक्ष हुये । उक्त कांग्रेस ने प्रस्ताव द्वारा एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स की स्थापना के लिये एक प्रान्तीय कमेटी नियुक्त की । सदस्य बनाने तथा रजिस्ट्री कराने का कार्य इस कमेटी को सौंपा गया ।

किंतु इसका कार्य अनेक वर्षों तक शिथिल रहा । स० १९२६ में विनिमय के महत्वपूर्ण प्रश्न के सम्मुख आने के कारण व्यापारी समाज फिर जागृत हुआ और दिल्ली (१९२६) और कलकत्ता (१९२६-२७) की व्यापारी कांग्रेसों में व्यापक व्यापारी मंडल की स्थापना की । योजना पर फिर ज़ोर दिया गया । फलतः सन १९२६ के अधिवेशन में ३१ दिसम्बर १९२६ तथा १ जनवरी १९२७ के अधिवेशन में "फिडरेशन आफ इन्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स ऐन्ड इन्डस्ट्री" की स्थापना हुई । आन्तरिक तथा वैदेशिक व्यापार की उन्नति इसका मुख्य उद्देश्य है ।

इस फिडरेशन के सदस्य दो प्रकार के होते हैं—(१) चेम्बर्स आफ कामर्स (२) व्यापारी समितियां ।

विख्यात भारतीय भी आनरेरी सदस्य बना लिये जाते हैं सन १९३६-३७ के पदाधिकारी निम्नलिखित हैं ।

प्रधान—श्री० डी० पी० खेतान

कमेटी के सदस्य—मि० ए० डी० शराफ (इन्डियन मर्चैंट्स चेम्बर, बम्बई), मि० मनुसुबेदार (बम्बई), सेठ कस्तूर भाई लाल भाई (अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसियेशन), लाला श्रीराम जी (दिल्लीफैक्टरी ओनर्स फिडरेशन), मि० जी० डी० बिड़ला (इण्डियन चेम्बर आफ कामर्स कलकत्ता), सर पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास (इन्डियन साल्ट एसोसियेशन बम्बई), पंडित के० सनातनम (इन्डियन लाइफ एशोरेन्सेज़ एसोसियेशन बम्बई), लाला पदमपत सिंहानियां (मर्चैंट्स चेम्बर आफ यूनाइटेड प्राविन्सेज़ कानपुर), सर रहीमतुल्ला एम० चिनाय (इंडियन मर्चैंट्स आफ चेम्बर बम्बई), मि० एम० एल० दहानुकर (महाराष्ट्र चेम्बर आफ कामर्स बम्बई), मि० चुन्नी लाल जी० मेहता (बम्बई बुलियन एक्सचेंज और बम्बई शराफ एसोसियेशन) ।

इस संस्था के सदस्य अनेक संस्थाओं में प्रतिनिधि के रूप से भेजे जाते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय लेबर आर्गेनाइज़ेशन में भी प्रतिनिधि हैं । सदस्यों की संख्या इस समय ४८ है ।

३—आल इण्डिया आर्गेनाइज़ेशन आफ़ इण्डस्ट्रियल एम्पलायर्स, कानपुर।

यह संस्था ता० १२ दिसम्बर १६३२ को स्थापित हुई। इसके उद्देश्य निम्न-लिखित हैं—(१) भारतीय उद्योगों की उन्नति (२) लीग आफ नेशन्स, इन्टर नेशनल चेम्बर आफ कामर्स, इन्टर नेशनल लेबर कांफ्रेंस आदि संस्थाओं में भारतीय उद्योग के रक्षणार्थ प्रतिनिधि भेजना (३) व्यापार तथा उद्योग से संबन्ध रखने वाले क़ानूनों का विरोध अथवा समर्थन, जो उचित समझा जावे। (४) औद्योगिक मजदूरों की भरती, वेतन आदि का प्रबन्ध आदि आदि। नाम से ही स्पष्ट है कि यह संस्था मालिकों के हितों की रक्षा के लिये ही स्थापित हुई है।

४—इण्डियन नेशनल कमेटी आफ़ दी इन्टरनेशनल चेम्बर आफ़ कामर्स, कानपुर।

इन्टरनैशनल चेम्बर्स आफ कामर्स, पैरिस से सम्बन्ध रखने वाली संस्था है जिसका उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि है तथा व्यापारियों द्वारा सुसम्बद्ध कार्य-वाही किये जाने का प्रयत्न करते रहना इस संस्था का कार्य है।

इस संस्था के ३६ संगठित सदस्य और ८७ सहयोगी सदस्य हैं।

५—इण्डियन चेम्बर आफ़ कामर्स, कलकत्ता।

हिन्दुस्तानी व्यापारियों ने सन १६२६ में यह संस्था इस उद्देश्य से स्थापित की कि जिन व्यापारों में भारतीय लगे हुये हैं उनमें उन्नति हो और विदेशियों से उनकी रक्षा भी हो। उन्होंने पंचायत बोर्ड भी क़ायम किया जिसके द्वारा आपसी झगड़े निपटाये जाते हैं। विदेशी माल की तैयारी के स्थान आदि के संबन्ध में यह संस्था सार्टीफिकेट भी जारी करती है। केवल हिन्दुस्तानी व्यापारियों और कम्पनियों को सदस्य होने का अधिकार है जिनकी संख्या इस समय २१८ है।

प्रबन्ध एक कमेटी के हाथों में है जिसकी सदस्य संख्या २१ है। १ प्रधान, २ उपप्रधान और १८ साधारण सदस्य होते हैं। मंत्री

वैतनिक है। इस संस्था के प्रमुख सदस्य इण्डियन शुगर मिल्स एसोसियेशन, इण्डियन कोलयरी ओनर्स एसोसियेशन, जूट वर्क्स एसोसियेशन आदि आदि हैं।

इंडियन कोलयरी ओनर्स एसोसियेशन स० १९३३ में प्रारम्भ हुई। हेड आफिस झरिया में और ब्राँच आफिस १३५ कैनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता में है।

६—इण्डियन चेम्बर आफ़ कामर्स, लाहौर।

पंजाब के व्यापार और उद्योग की उन्नति के लिये यह संस्था स० १९१२ में स्थापित हुई और कम्पनीज़ ऐक्ट के अनुसार १९१३ में रजिस्ट्रीशुदा हुई। यह संस्था फिडरेशन आफ इण्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स ऐंड इन्डस्ट्री तथा इन्टरनैशनल चेम्बर आफ कामर्स पेरिस से सम्बन्धित है। लाहौर में हेड आफ़िस है।

७—इण्डियन जूट मिल्स एसोसियेशन, कलकत्ता।

यह संस्था स० १८८४ में स्थापित हुई थी।

इसका नाम पहिले "इण्डियन जूट मैनुफेकचरर्स एसोसियेशन" था जो स० १९०२ में बदला गया। स० १९२६ के ट्रेड यूनियन एक्ट के अनुसार इस की रजिस्ट्री स० १९३१ में भी हुई है।

सदस्य संख्या १९ से बढ़कर ५४ हो गई है। उद्देश्य—जूट के उद्योग तथा व्यापार की उन्नति।

८—ईस्ट इण्डिया काटन एसोसियेशन लि०, बम्बई।

यह संस्था स० १९२१ में बम्बई में निम्नलिखित उद्देश्यों से स्थापित की गई। (१) "काटन एक्सचेंज" (रुई के व्यापार का विनिमय केन्द्र) बम्बई तथा अन्य स्थानों में स्थापित करना। (२) मुआहियों के पालन करने तथा तोड़ने के नियम बनाना। (३) झगड़े निपटाना। (४) सब प्रकार से रुई के व्यापार की उन्नति के मार्ग निश्चित करना।

९—इन्डियन टी एसोसियेशन, कलकत्ता।

चाय की खेती करने वाले जमींदार तथा संस्थाओं के सामुहिक हितों की रक्षा तथा उन्नति करने के लिये यह संस्था स० १८८१ में क़ायम हुई। प्रत्येक वर्ष १२ संस्थायें (Firms) चुनी जाती हैं जो इस

बड़ी संस्था का कार्य चलाती हैं। ऐसी चुनी हुई संस्थायें अपने प्रतिनिधियों द्वारा प्रबन्ध करती हैं।

यह संस्था १ चीफ साइन्टिफिक आफ़िसर, २ केमिस्ट, १ माइकोलाजिस्ट १ बेक्टीरियालोजिस्ट और १ बोटेनिस्ट रखे हुये है जो चाय की खेती पर वैज्ञानिक रीति से सलाह देते रहते हैं।

१०—इन्डियन सेण्ट्रल काटन कमेटी।

भारत सरकार ने ता० ३१ मार्च १९३१ को यह कमेटी कायम की। इस का कार्य भारत सरकार को रुई की खेती तथा व्यापार संबंधी राय देना, रुई की खेती की उन्नति के उपाय बताना आदि है।

इम्पीरियल कौंसिल आफ एग्रीकलचरल रिसर्च का वाइस प्रेसीडेंट इस कमेटी का प्रेसीडेन्ट होता है और प्रान्तीय सरकार के कृषि विभाग, चेम्बर्स आफ कामर्स, एम्पायर काटन ग्रोइंग कारपोरेशन तथा अनेक सरकारी तथा ग़ैरसरकारी कमेटियों विभागों, तथा संस्थाओं के प्रतिनिधि इस काटन कमेटी के सदस्य होते हैं।

११—इन्डियन माइनिंग एसोसियेशन।

बंगाल चेम्बर आफ़ कामर्स की माइनिंग सब कमेटी के प्रयत्नों के फलस्वरूप यह एसोसियेशन खनिज उद्योग की उन्नति तथा उसके हितों की रक्षा के उद्देश्य से स० १८९२ में स्थापित हुई।

प्रायः सभी कोयले की खानों के अधिकतर अंग्रेज़ इस एसोसियेशन के सदस्य हैं। सदस्य संख्या इस समय ६० है। हेड आफिस कलकत्ता है।

१२—इन्डियन माइनिंग फेडरेशन।

मार्च १९१३ में यह फिडरेशन विशेषतः भारतीय हितों की रक्षा के निमित्त स्थापित हुआ। प्रायः सभी खानों के हिन्दुस्तानी मालिक इस फेडरेशन के सदस्य हैं। बंगाल और बिहार की अनेक सरकारी संस्थाओं पर इस फिडरेशन के प्रतिनिधि हैं।

१३—माइनिंग ऐण्ड जियालाजिकल इन्स्टीट्यूट आफ़ इन्डिया, कलकत्ता।

सन १६०६ में खनिज विज्ञान के अध्ययन तथा अनुसंधान के उद्देश्य से यह संस्था स्थापित हुई। इस के सदस्य वह सज्जन हो सकते हैं जो खनिज विज्ञान, भूतत्व विज्ञान, धातु विज्ञान आदि विज्ञानों में उच्च पदवी प्राप्त हों। अथवा पर्याप्त अनुभव हो। धनबाद में एक वाचनालय भी इस इन्स्टीट्यूट का है। संस्था की ओर से साहित्य भी प्रकाशित किया जाता है। सदस्य संख्या लगभग २३५ है।

कार्य कारिणी समिति द्वारा प्रबन्ध किया जाता है।

१४—वाइन, स्पिरिट ऐण्ड बियर एसोसियेशन आफ़ इण्डिया, कलकत्ता।

विदेशी शराब, स्पिरिट आदि के व्यापारियों की यह संस्था सन् १८६२ में स्थापित हुई। कस्टम ड्यूटी सम्बन्धी कानून तथा नियम, शराबों की आयात सम्बन्धी नियमादि, विदेशी शराब के व्यापारियों के हितों की रक्षा आदि इस सभा के उद्देश्य हैं। हेड आफिस कलकत्ता है।

चेम्बर्स आफ कामर्स

१—बंगाल चेम्बर आफ़ कामर्स, कलकत्ता।

इस चेम्बर की स्थापना सन् १८३४ ई० में हुई और स० १८६३ में कम्पनी ऐक्ट के अनुसार रजिस्टर्ड हुई। योरोपियन व्यापारियों की प्रतिनिधि स्वरूप यह संस्था है। सदस्य संख्या २२१ है। १ प्रेसीडेण्ट और ७ मेम्बरों की एक कमेटी द्वारा कार्य संचालन होता है।

विदेशों को निर्यात का माल तोलने के लिये इस संस्था ने "लाइसेन्स्ड मेज़रर्स डिपार्टमेंट" कायम किया है जो ५० वर्ष से चल रहा है। इस विभाग द्वारा नापे और तौले हुये माल को जहाज की मालिक कम्पनियाँ किराया निश्चित करने के लिये मानती हैं। इसके अतिरिक्त एक पंचायत भी है जो झगड़े निपटाती है। उसके फैसले हाई कोर्ट में माने जाते हैं। भारत सरकार की राजनीति पर इस चेम्बर का काफी प्रभुत्व है।

२—बंगाल नेशनल चेम्बर आफ़ कामर्स, कलकत्ता ।

भारतीय व्यापारी समाज की उपरोक्त प्रतिष्ठित संस्था स० १८८७ में स्थापित हुई । बंगाल में व्यापार तथा उद्योग की उन्नति, व्यापारियों में परस्पर सहयोग तथा एकता, परस्पर झगड़ों का निपटारा आदि इस सभा के उद्देश्य हैं । बंगाल भर में व्यापारी मनुष्य तथा फर्म्स सदस्य बन सकते हैं ।

सदस्य संख्या ३०० है । बैंक, बीमा कम्पनियां, औद्योगिक कम्पनियां, रुई की मिलें आदि इसकी सदस्य हैं ।

अनेक सार्वजनिक संस्थाओं में इसको प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है । हेड आफिस कलकत्ता में है ।

३—मारवाड़ी चेम्बर आफ़ कामर्स, कलकत्ता ।

इसकी स्थापना सन् १९०० में हुई । यह सभा किसी अन्य सभा से सम्बद्ध नहीं है । सरकार द्वारा इस सभा से परामर्श किया जाता है । व्यापार और उद्योग की उन्नति इसका ध्येय है सदस्य संख्या १९,७० है ।

४—मुस्लिम चेम्बर आफ़ कामर्स, कलकत्ता ।

यह चेम्बर स० १९३२ में स्थापित हुआ । मुसलमानों द्वारा व्यापार तथा उद्योग की उन्नति इस सभा का मुख्य ध्येय है ।

कलकत्ता पोर्टट्रस्ट बोर्ड आफ इकनामिक इन्क्वायरी बंगाल, पैरिस इन्टरनेशनल कांग्रेस आफ इक्सचेंज आदि में इसके प्रतिनिधि जाते हैं ।

५—मुस्लिम चेम्बर आफ़ कामर्स, बिहार उड़ीसा ।

यह चेम्बर स० १९३२ में पटना में स्थापित हुई । भारतीय मुस्लिम समाज की व्यापारी उन्नति और विशेषतः बिहार उड़ीसा के मुस्लिम समाज की व्यापारी उन्नति इसका ध्येय है ।

६—बम्बई चेम्बर आफ़ कामर्स, बम्बई ।

इसकी स्थापना स० १८३६ में हुई और सरकारी कस्टम हाउस में इसे विशेष सुविधा प्राप्त है जिससे यह संस्था उत्तम व्यापारी सामग्री प्रकाशित करती है । इसका भी एक "मेजरमेंट (नाप तौल) डिपार्टमेंट" है जो निर्यात की वस्तुओं की नाप तौल करके सार्टीफिकेट देता है ।

सरकारी संस्थाओं में इसे प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

स० १६३५ में इसकी सदस्य संख्या १६२ थी जिसमें १४ बैंक, १० जहाज़ी एजेन्सियां ३ रेलवे कम्पनियां, १० इन्जीनियर और कन्ट्रैक्टर सभायें भी शामिल हैं। योरोपियन प्रभुत्व इस सभा में काफी है।

७--इन्डियन मर्चेंट्स चेम्बर आफ़ कामर्स, बम्बई।

यह चेम्बर स० १६०७ में स्थापित हुआ और भारतीयों के व्यापार तथा उद्योग की रक्षा तथा उन्नति इसका मुख्य उद्देश्य है। लेजिस्लेटिव एसेम्बली तथा कौंसिल, म्युनिसिपल कारपोरेशन, बम्बई यूनिवर्सिटी, पोर्ट-ट्रस्ट आदि सरकारी संस्थाओं में इसे प्रतिनिधित्व प्राप्त है। सदस्य संख्या ६०० है।

८--महाराष्ट्र चेम्बर आफ़ कामर्स, बम्बई।

स० १६२७ में इस चेम्बर की स्थापना हुई। महाराष्ट्र प्रान्त के व्यापारी तथा उद्योगी मनुष्यों तथा संस्थाओं का संगठन और उनकी उन्नति इसका ध्येय है यह संस्था बड़ी प्रभावशाली है और राजनीति पर काफी प्रभाव है।

६--मद्रास चेम्बर आफ़ कामर्स, मद्रास।

स० १८३६ में यह चेम्बर स्थापित हुआ। योरोपियन व्यापारियों का प्रभुत्व है और विशेष कर उन्हीं के व्यापार का प्रतिनिधि स्वरूप है। सदस्य संख्या ५६ है जिसमें मद्रास में काम करनेवाली २ रेलवे कम्पनियां तथा प्रमुख बैंक इसमें शामिल हैं। कोचिन, कालीकट और कोकोनाडा चेम्बर्स इस चेम्बर से संबंधित हैं। यह चेम्बर स्वयं ब्रिटिश इम्पीरियल कौंसिल आफ कामर्स (लन्दन) तथा एसोशियेटेड चेम्बर्स आफ कामर्स आफ़ इन्डिया से संबंधित है। इन्डियन टी सेस कमेटी, रेलवे कम्पनियों, व्यवस्थापिका सभाओं, मद्रास पोर्टट्रस्ट आदि संस्थाओं में इस चेम्बर के प्रतिनिधि भेजे जाते हैं। अनेक उप समितियां आयात निर्यात संबंधी कार्य के लिये हैं।

१०--बिहार उड़ीसा चेम्बर आफ़ कामर्स, पटना।

इस संस्था के भी ध्येय अन्य चेम्बरों के सदृश हैं। व्यापारी व्यक्ति तथा फर्म सभी सदस्य बन सकते हैं। यूनिवर्सिटी, बोर्ड आफ़ इन्डस्ट्रीज़, रेलवे कमेटी, लेजिस्लेटिव एसेम्बली आदि में इसके प्रतिनिधि जाते हैं।

११--उड़ीसा चेम्बर आफ कामर्स, कटक

भारतीय व्यापारियों, व्यक्तियों तथा कम्पनियों, को सदस्य होने का अधिकार प्राप्त है। उद्देश्य व्यापार और उद्योग की उन्नति है। कार्यकारिणी कमेटी में १ प्रेसीडेन्ट, १ वाइसप्रेसीडेन्ट तथा ७ सदस्य होते हैं।

१२--सदर्न इन्डिया चेम्बर आफ कामर्स, मद्रास।

स० १६०६ में यह संस्था भारतीय व्यापार और उद्योग की उन्नति तथा रक्षा के लिये क़ायम हुई। सदस्य संख्या ४०० है और मद्रास प्रांतभर में अनेक चेम्बर्स और सभायें इसमें सम्बद्ध हैं। पोर्ट ट्रस्ट, बोर्ड आफ इन्डस्ट्रीज़, मद्रास कारपोरेशन, लेजिसलेटिव एसेम्बली आदिसंस्थाओं में प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

१३—कोकानाडा चेम्बर आफ कामर्स।

यह संस्था स० १८६८ में स्थापित हुई। और मद्रास प्रान्त के कोकोनाडा, गोदावरी, कृष्णा, विज़गापट्टम और जाम भागों में व्यापार करने वाले व्यापारियों की यह संस्था है। इसकी कोई शाखायें नहीं हैं।

१४—तूतीकोरिन चेम्बर आफ कामर्स।

तूतीकोरन में योरोपियन व्यापारियों ने यह स० १६०६ में स्थापित की थी।

१५--कोचिन चेम्बर आफ कामर्स

यह संस्था जो स० १८५७ में क़ायम हुई योरोपियन व्यापारियों की है।

१६--कालीकट चेम्बर आफ कामर्स।

स० १६२३ में यह संस्था व्यापारियों के हितों की उन्नति तथा रक्षा के लिये स्थापित हुई।

१७—टेलीचेरी चेम्बर आफ कामर्स।

योरोपियन व्यापारियों की यह संस्था है। इसकी कोई शाखायें नहीं है।

१८—नागापट्टम चेम्बर आफ कामर्स।

यह संस्था स० १९३१ में स्थापित हुई। इसे सरकारी मान्यता भी है। पंचायत द्वारा झगड़े निपटाने का कार्य किया जाता है।

१९—कोयम बटोर चेम्बर आफ़ कामर्स।

यह संस्था स० १९२२ में स्थापित हुई थी। व्यापारी उन्नति इसका ध्येय है।

२०—मैसूर चेम्बर आफ़ कामर्स।

स० १९१५ में यह संस्था स्थापित हुई। भारत सरकार ने भी इसको माना है और मैसूर की सरकारी संस्थाओं में इसे प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

२१—नागपुर चेम्बर आफ़ कामर्स।

स० १९३३ में इस चेम्बर की स्थापना हुई। व्यापारी उन्नति इसका ध्येय है। सदस्य संख्या ६० है। स्थानीय म्युनिस्पिल कमेटी में इसको प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है।

२२—करांची चेम्बर आफ़ कामर्स।

स० १८६० में यह चेम्बर स्थापित हुआ। अन्य चेम्बरों के ध्येयों के सदृश ही इसके ध्येय हैं। यह चेम्बर बड़ा प्रभावशाली है। और योरोपियन व्यापारियों का प्रतिनिधि स्वरूप है। सदस्य संख्या ५६ है। पोर्टट्रस्ट, कारपोरेशन, लेजिसलेटिव कौंसिल आदि में इसका प्रतिनिधित्व है।

२३—बायर्स एण्ड शिपर्स चेम्बर, करांची।

विदेशों से व्यापार करने वाले व्यक्तियों तथा कम्पनियों की यह संस्था १९१६ में स्थापित हुई। लीग आफ नेशन्स की अन्तराष्ट्रीय मज़दूर कान्फ्रेंसों में इसके प्रतिनिधि जाते हैं। अनेक स्थानीय सरकारी संस्थाओं में इसको प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

२४—चिटगांव चेम्बर आफ़ कामर्स।

स० १९०६ में यह संस्था स्थापित हुई। पूर्वी बंगाल में योरोपियन और हिन्दुस्तानी व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिये यह संस्था क़ायम हुई। चिटगांव पोर्ट ट्रस्ट और चिटगांव म्युनिसपेलिटी में इसको प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

२५— नारायणगंज चेम्बर आफ़ कामर्स।

यह चेम्बर स्थानीय है और पूर्वी बंगाल के व्यापारी इसके सदस्य हैं।

२६—बरार चेम्बर आफ़ कामर्स, अकोला।

स० १९३३ में यह चेम्बर भारतीय गया।
व्यापारियों के हितार्थ स्थापित किया

२७—अपर इन्डिया चेम्बर आफ़ कामर्स, कानपुर।

यह चेम्बर स० १८८८ में स्थापित किया गया। युक्तप्रान्त आगरा व अवध के व्यापार तथा उद्योग की रक्षा तथा उन्नति इस चेम्बर का ध्येय है। योरोपियन व्यापारियों का इस चेम्बर में प्रभुत्व है। सदस्य संख्या २२ से बढ़कर ६१ हो गई। सब रेलवे जो इस प्रान्त में काम करती हैं बैंक तथा मिलें इसकी सदस्य हैं। सरकारी औद्योगिक विभागों के उच्चपदाधिकारी इसके सहकारी सदस्य बनाये जाते हैं।

लंदन चेम्बर आफ कमर्स, फिडरेशन आफ कमर्स आफ़ दि ब्रिटिश इम्पायर लंदन, तथा एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स आफ इण्डिया और इम्पलायर्स फ़िडरेशन आफ बम्बई से इसका सम्बन्ध है।

लेजिसलेटिव एसेम्बली व कौंसिल बोर्ड आफ इन्डस्ट्रीज़, इन्डियन सेन्ट्रल काटन कमेटी, म्युनिसिपल बोर्ड आदि सरकारी संस्थाओं में इसे प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

२८—यूनाइटेड प्राविन्सेज़ चेम्बर आफ़ कामर्स, कानपुर।

यह संस्था स० १९१४ में भारतीय व्यापारियों के हितों के रक्षणार्थ स्थापित हुई। यह भी काफ़ी प्रतिष्ठित संस्था है और अपर इण्डिया चेम्बर के सदृश सरकारी संस्थाओं में इसे भी प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

२९—मर्चेन्ट्स चेम्बर आफ़ कामर्स, कानपुर।

सन् १९३२ में यह चेम्बर युक्तप्रान्त के व्यापारियों की रक्षा तथा उन्नति के लिये स्थापित हुई। प्रत्येक मास १ हिन्दी और १ अंग्रेजी विज्ञप्ति बुलेटिन रूप में प्रकाशित की जाती है।

३०—पंजाब चेम्बर आफ़ कामर्स, दिल्ली।

यह चेम्बर सन् १९०५ में स्थापित हुआ। इसकी स्थानिक कमेटियां लाहौर और अमृतसर में हैं। सीमाप्रान्त, कश्मीर और पंजाब के व्यापार से इसका सम्बन्ध है। पंजाब लेजिसलेटिव कौंसिल में इसे प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

३१—नार्दर्न इन्डिया चेम्बर आफ़ कामर्स, लाहौर।

सन् १९२३ में यह चेम्बर कायम हुआ इसे पंजाब बोर्ड आफ इकनामिक इनक्वायरी, कम्यूनिकेशन्स बोर्ड, तथा अन्य सरकारी संस्थाओं पर प्रतिनिधित्व प्राप्त है।

व्यापारी सभायें

चेम्बर आफ कामर्स के अतिरिक्त व्यापारी सभायें अनेक स्थानों में हैं और सार्वजनिक क्षेत्र में उनका काफी प्रभाव है। ऐसी संस्थाओं की सूची दी जाती है।

१—मारवाड़ी एसोसियेशन, कलकत्ता।

स्थापित १८९८। सदस्य संख्या ३००। व्यवस्थापिका सभाओं में प्रतिनिधित्व।

२—ब्लैंकेट ऐन्ड शाल ट्रेडर्स एसोसियेशन, कलकत्ता।

स्थापित-१९३३। सदस्य संख्या २००।

३—ग्रेन आयल सीड, ऐण्ड राइस एसोसिएशन, कलकत्ता।

स्थापित-१८८४ परिवर्तित १९३०।

४—हाइड्स ऐण्ड स्किन्स एसोसियेशन, कलकत्ता।

स्थापित-१९१९। बंगाल चेम्बर आफ कामर्स से संबन्धित।

५—इंडियन इंजीनियरिंग एसोसियेशन, कलकत्ता।

स्थापित १९०९-१९१२। बंगाल चेम्बर आफ कामर्स से सम्बन्धित।

६-इंडियन शुगर मिल्स एसोसियेशन, कलकत्ता।

स्थापित १९३२। सदस्य १०२ मिलें।

७-जूट फैब्रिक्स शिपर्स एसोसियेशन, कलकत्ता।

स्थापित १९९८।

८—इंडियन टी सेस कमेटी, कलकत्ता।

स्थापित-१९०३। उद्देश्य-चाय के प्रचार के लिये एक स्थायी कोश कायम करना। एक्ट नम्बर ९ सन् १९०३ इसके लिये पास किया गया और सरकार इस टैक्स को उगा कर कमेटी को दे देती है। प्रचार का कार्य यू० एस० अफ्रीका, इंगलैंड और भारत में किया जाता है।

९—बम्बई मिल ओनर्स एसोसियेशन, बम्बई।

स्थापित-१८७५। सदस्य संख्या १०० है जिसमें ९१ रुई की मिलें, ४ ऊन की मिलें, २ रेशम की मिलें थीं।

१०—पीस गुड्स नेटिव मर्चेंट्स एसोसियेशन, बम्बई।

स्थापित—१८८१। यह संस्था कपड़े के व्यापारियों ने अपनी सुविधाओं के निमित्त संचालित की।

११—ग्रेन मर्चेंट्स एसोसियेशन, बम्बई।

स्थापित—१८९९। यह सभा बम्बई के नाज के व्यापारियों ने नाज के भाव इत्यादि को ठीक रखने के लिये बनाई।

१२—मिल ओनर्स एसोसियेशन, अहमदाबाद।

स्थापित—१८९१। प्रान्तीय और केन्द्रीय व्यवस्थापक सभाओं में इसे प्रतिनिधित्व प्राप्त है। यह बड़ी प्रभावशाली संस्था है।

१३—नेटिव शेयर ऐण्ड स्टाक्स ब्रोकर्स एसोसियेशन, बम्बई।

यह संस्था बम्बई के बड़े दलालों तथा अढ़तियों के बीच स्थापित है।

१४—शेयर होल्डर्स एसोसियेशन, बम्बई।

यह संस्था बम्बई के मिलों के धनी भागीदारों ने स्थापित की है। उद्देश्य कम्पनियों में रुपया लगाने वालों (शेयरहोल्डर्स) के हितों की रक्षा। स्थापित—१९२८।

१५—सीड ट्रेडर्स एसोसियेशन।

तिलहन इत्यादि अनेक प्रकार के बीजों के व्यापारियों ने यह संस्था स्थापित की है। इनका मुख्य उद्देश्य व्यापार की उन्नति है।

१६—बम्बई सराफ़ एसोसियेशन, बम्बई।

बम्बई के सोने चांदी के दुकानदारों तथा अढ़तियों ने भाव की रोक थाम के लिये इस संस्था को जन्म दिया।

१७—बम्बई बुलियन एक्सचेंज लिमिटेड।

इस संस्था के द्वारा विदेशों तथा देश के भीतर के लिये थोक सोने चांदी का विनिमय होता है। इससे व्यापार में सुविधा मिलती है।

१८—इंडियन मर्चेंट्स स्टाक एक्सचेंज, कलकत्ता।

कलकत्ता के मुख्य एवं बड़े अढ़तियों के बीच यह संस्था कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य भावों के उतार चढ़ाव को ठीक करना है।

१९—इंडियन शुगर मर्चेंट्स एसोसियेशन, कानपुर।

यह संस्था कानपुर के शकर के अढ़तियों तथा दुकानदारों ने चलाई है। इस संस्था के पास बहुत धन है। संस्था सुसंगठित है।

२०—सदर्न इंडिया स्किन्स ऐंड हाइड मर्चेंट्स एसोसियेशन, मद्रास।

२१—करांची इंडियन मर्चेंट्स एसोसियेशन, करांची।

स्थापित–१९०२। रजिस्टर्ड–१९२५। इसकी सदस्य संख्या २११ है।

२२—एम्पलायर्स फिडरेशन आफ सदर्न इन्डिया, मद्रास।

स्थापित—१९२०। सदस्य संख्या ३६। १०० मज़दूरों से अधिक नौकर रखने वाला मालिक सदस्य बन सकता है। प्रायः सभी मिलें इसकी सदस्य हैं। यह संस्था बड़ी प्रभावशाली है।

२३—ट्रेड्स एसोसियेशन, कलकत्ता।

स्थापित–१८३०। कलकत्ता की व्यापारी सभाओं में यह एक मुख्य सभा है। यह सभी व्यापारियों की एक सामूहिक संस्था है।

२४—कलकत्ता इम्पोर्ट ट्रेड एसोसियेशन, कलकत्ता।

कलकत्ता के आयाती माल के व्यापारियों ने आयात के भावों इत्यादि को नियमित बनाने के लिये स्थापित की।

२५—बम्बई प्रेसीडेंन्सी ट्रेड एसोसियेशन, बम्बई।

बम्बई प्रान्त भर के बड़े बड़े व्यापारियों ने यह संस्था स्थापित की।

२६—मद्रास ट्रेड्स एसोसियेशन, मद्रास ।

कलकत्ता, बम्बई की तरह इस प्रांत के व्यापारियों ने भी एक समानान्तर सभा स्थापित की । मुख्य उद्देश्य व्यापार की उन्नति है ।

व्यापार संबंधी सरकारी विभाग ।

१-व्यापारी ज्ञान तथा आंकड़े विभाग। (Department of commercial Intelligence and Statistics).

उपरोक्त विभाग स० १९०५ में स्थापित किया गया। सन् १९२२ से आंकड़े विभाग (Department of Statistics) बन्द कर दिया गया और इसी विभाग में सम्मिलित कर दिया गया ।

भारत सरकार की ओर से व्यापारी समाज की बड़ी महत्व पूर्ण सेवा इस विभाग द्वारा की जाती है। व्यापार के लिये आवश्यक ज्ञान संबंधी सब प्रकार की पूंछ ताछ करना आंकड़े एकत्रित करना, सामग्री सुसंगठित तथा समझने योग्य रूप में रखना, आयात निर्यात टैक्स के निश्चित करने के लिये पदार्थों के मूल्य निश्चित करना, विदेशों में व्यापार के लिये द्वारों तथा मार्गों को ढूंढना, देशी उद्योग धंधों संबंधी ज्ञान का प्रचार करना आदि बड़े ही महत्वपूर्ण कार्य इस विभाग के हैं।

आगे दी हुई सामग्री इस विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है—

(१) भारतीय उपज तथा मशीनों द्वारा तैयार किये हुये माल की निर्यात करने वालों की सूची (Directory of the Exporters of the Indian Produce and manufactures).

(२) भारतीय आयात-निर्यात टैक्सों की सूची (Indian Custom's Tariff).

(३) साप्ताहिक इंडियन ट्रेड जर्नल (Indian Trade Journal.)

(४) भारतीय व्यापार का ब्योरा (Review of the Trade of India) वार्षिक ।

(५) वैदेशिक समुद्री व्यापार का ब्योरा (Statement of the Foreign Sea-borne Trade and Navigation of British India) मासिक तथा वार्षिक।

(६) ब्रिटिश भारत संबंधी संक्षिप्त आंकड़े (Statistical Abstract for British India) वार्षिक ।

(७) भारतीय कृषि के आंकड़े (Agricultural Statistics of

India) वार्षिक।

(८) भारत की मुख्य फसलों के क्षेत्र तथा उपज के अनुमान (Estimates of area and yield of the Principal Crops in India) वार्षिक।

(९) भारतीय दामों की सापेक्षिक संख्या (Index Numbers of Indian Prices) पंचवर्षीय।

(१०) विशिष्ट स्थानों पर अनाज की उपज, त्रैमासिक।

(११) विशिष्ट उद्योगों के माल की तैयारी, मासिक।

इस के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की सामग्री प्रकाशित की जाती है।

आंकड़ों के अनुसंधान के लिये लिये एक विशिष्ट शाखा (Statisticate Research Branch) उपरोक्त विभाग में खोली गई है।

यह विभाग भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल (Director General of Commercial Intelligence and Statistics) के प्रबन्ध में है। उसकी सहायता के लिये २ डिपुटी डायरेक्टर्स भी हैं।

इस विभाग का एक वाचनालय तथा पुस्तकालय भी है जिसमें बिना किसी शुल्क के प्रत्येक मनुष्य जाकर पढ़ सकता है।

२—भूगर्भ ज्ञान विभाग (Geological Survey Department)

यह विभाग स० १८५१ में स्थापित हुआ। डा० टामस ओल्डहैम ने इसे संगठित किया। इस समय इस विभाग में २४ कर्मचारी हैं। इस विभाग के कार्य मुख्य २ हैं। (१) भारत की भूमि की भूगर्भ विज्ञान की दृष्टि से जांच तथा वर्गीकरण (२) खनिज सामग्री संबंधी ज्ञान का प्रचार। भारत सरकार को यह विभाग अनेक प्रश्नों पर परामर्श भी देता है—उदाहरणार्थ खनिज पदार्थों के व्यवसायियों के लाइसेंस, पट्टे आदि देने के नियम बनाना। फौजी विभाग, तथा स्थानिक संस्थायें इस विभाग से पानी के बंध बाँधने के स्थान, भूकम्प, भूमि का फिसलना, जल से बिजली उत्पन्न करने का प्रबन्ध, सड़कों तथा इमारतों का सामान आदि विषयों पर परामर्श करते हैं। इस विभाग के प्रबन्ध में अजायब घर का भूगर्भ विज्ञान विभाग भी है।

खनिज पदार्थों की निकासी के आँकड़े भी यह विभाग वार्षिक रूप में प्रकाशित करता है।

जनता की ओर से जो खनिजपदार्थ रासायनिक विश्लेषण केलिये भेजे जाते हैं उन्हें यह विभाजित कर देता है।

३—खनिज ज्ञान विभाग।

यह विभाग भारत सरकार ने स० १६०२ में स्थापित किया। इण्डियन माइन्स ऐक्ट (Act IV of 1923) के अनुसार नियम और उपनियम का पालन इस विभाग के हाथ में है। खानों के सुप्रबन्ध तथा उनकी सुरक्षा के लिये इन्स्पेक्टर्स नियत किये जाते हैं और उनके द्वारा सब दुर्घटनाओं की जाँच कराई जाती है।

यह विभाग शिक्षा विभाग से संबन्ध रखता है। बंगाल इञ्जिनियरिंग कालेज, और इण्डियन स्कूल आफ साइन्स (धनबाद) के, प्रबन्धक कमेटी में सरकारी चीफ इन्स्पेक्टर सदस्य है और माइनिंग एजुकेशन एडवाइज़री बोर्ड का प्रेसीडेंट है।

इंडियन स्कूल आफ माइन्स।

यह स्कूल धनबाद में स० १६२६ से प्रारम्भ किया गया और इसमें खनिज विज्ञान और विशेषतः कोयला निकालने के ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। इसकी प्रबन्धक कमेटी का अध्यक्ष डायरेक्टर जियोलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया होता है। इन्टरमीडियेट पास विद्यार्थी प्रवेश पा सकता है।

४—पेटेन्ट आफिस।

यह सरकारी विभाग एक पदाधिकारी के आधीन है जिसे "कन्ट्रोलर आफ पेटेंट्स ऐन्ड डिज़ाइन्स" कहते हैं। दफ़्तर नं० १ कौंसिल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता। सब प्रार्थना पत्र पेटेंट तथा डिज़ाइन की रजिस्ट्री के लिये वहीं भेजे जाते हैं।

यूनाइटेड किंगडम तथा साम्राज्य के अन्य भागों के पेटेन्ट तथा डिज़ाइन की रजिस्टरियाँ भारत में मानी जाती हैं। "पेटेन्ट आफिस हैन्डबुक", (पुस्तक) से नियम और उपनियम ज्ञात हो सकते हैं।

आविष्कारकों को विशेष अधिकारों के निमित्त एक ऐक्ट स० १८५६ में पास किया गया था किंतु दूसरे ही साल रद्द कर दिया गया। कुछ परिवर्तनों के साथ स० १८५६ में वही ऐक्ट फिर पास किया गया, और स० १८७२ में पैटर्न्स और डिज़ाइन्स प्रोटेक्शन ऐक्ट पास किया गया। स० १८८३ में प्रोटेक्शन इनवेन्शन्स ऐक्ट पास किया गया और सन १८८८ में इनवेनशन्स ऐण्ड डिजाइन्स ऐक्ट पास हुआ।

यह सब एक्ट रद्द किये गये और सन १६११ में इंडियन पेटेन्ट्स ऐण्ड डिजाइन्स ऐक्ट (Indian Patents and Designs Act) पास किया गया जो वर्तमान कानून है। यह ऐक्ट स० १६३० में संशोधित किया गया।

व्यापारी तथा उद्योग शालायें।

१—ऐलबर्ट टेम्पल आफ साइन्स ऐन्ड स्कूल आफ आर्ट ३३७, अपर चितपुर रोड, कलकत्ता।

२—गवरमेंट स्कूल आफ आर्ट्स ऐण्ड क्राफ्टस, लखनऊ।

३—इण्डियन सुसायटी आफ ओरियंटल आर्ट, १२ शामा वाया मैशन्स, कलकत्ता।

४—मेयो स्कूल आफ आर्ट्स, लाहौर।

५—स्कूल आफ आर्ट्स ऐण्ड क्राफ्टस, मद्रास।

६—सर जे.जे. स्कूल आफ आर्ट, बम्बई।

७—गवरमेंट स्कूल आफ आर्ट्स, २८ चौरंगी, कलकत्ता।

८—इण्डियन आर्ट स्कूल, २५७ ए. बौ बाजार स्ट्रीट, कलकत्ता।

९—स्कूल आफ आर्ट, जैपुर।

१०—स्कूल आफ आर्ट, ट्रिवेन्ड्रम।

११—कलकत्ता टेकनीकल स्कूल ११० कारपोरेशन स्ट्रीट, कलकत्ता।

१२—सेन्ट्रल पाटरीटेकनिक इन्सटीट्यूट लश्कर, गवालियर।

१३—काटेज इन्डस्ट्रीज़ इन्सटीट्यूट, गुलजार बाग, पटना।

१४—डी.बी. टेकनीकल स्कूल, बर्दवान

१५—डायमण्ड जुबिली इण्डस्ट्रियल स्कूल, राजशाही।

१६—इलियट बनमाली टेकनीकल स्कूल, पटना।

१७—फरदुनजी सोराबजी पारेख टेकनीकल इन्स्टीट्यूट सोनी फालिया, सूरत।

१८—गवरमेंट कार्पेन्ट्री ऐण्ड स्मिथरी स्कूल, कुइलोन।

१९—गवरमेंट सेन्ट्रल वुड वर्किङ्ग इन्स्टीट्यूट बरेली, संयुक्तप्रान्त।

२०—गवरमेंट टेकनीकल इन्स्टीट्यूट जी. आई. पी., झांसी।

२१—गवरमेंट इन्डस्ट्रियल स्कूल, बिलारी।

२२—गवरमेंट इन्डस्ट्रियल इन्स्टीट्यूट, मद्रास।

२३—गवरमेंट इन्डस्ट्रियल इन्स्टीट्यूट, मदुरा।

२४—गवरमेंट टेकनीकल स्कूल, गोरखपुर।

२५—गवरमेंट टेकनीकल स्कूल, लाहौर।

२६—गवरमेंट ट्रेड्स स्कूल, पोपहेम्स ब्राडवे, मद्रास।

२७—गवरमेंट ट्रेड्स स्कूल, मङ्गलोर।

२८—हारकोर्ट बटलर टेकनालाजिकल इन्स्टीट्यूट, कानपुर।

२९—केरल सोप इन्स्टीट्यूट, केरल।

३०—लालसिंह मानसिंह इन्डस्ट्रियल स्कूल, मैनपुरी यू० पी०।

३१—प्रेम महाविद्यालय, वृन्दावन यू० पी० ।

३२—रनछोड़लाल छोटेलाल टेकनीकल इन्स्टीट्यूट, अहमदाबाद ।

३३—रांची टेकनीकल स्कूल, रांची ।

३४—श्रीचमराजेन्द्र टेकनीकल इन्स्टीट्यूट, मैसूर ।

३५—टेकनीकल इन्टीट्यूट, उज्जैन ।

३६—टेकनीकल इन्स्टीट्यूट, कंचरपारा, ई० बी० रेलवे ।

३७—तिरहुत टेकनिकल इन्सटीट्यूट, मुजफ्फ़रपुर ।

३८—विक्टोरिया जुबिली टेकनीकल इन्स्टीट्यूट, बंबई ।

३९—कलाभवन, बड़ोदा ।

४०—टेकनीकल इन्स्टीट्यूट, जमालपुर ।

४१—टेकनीकल इन्स्टीट्यूट, जमशेदपुर ।

४२—स्कूल आफ काटेज इन्डस्ट्रीज़ ६६। B मिर्जापुर स्ट्रीट, कलकत्ता ।

४३—ब्वायज़ इण्डस्ट्रियल स्कूल, बालासोर ।

चमड़ा

४४—बङ्गाल टैनिंग इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता ।

४५—गवरमेंट लेदर (चमड़ा) वर्किङ्ग स्कूल, आगरा ।

४६—गवरमेंट लेदर वर्किङ्ग स्कूल, मेरठ

४७—गवरमेंट टैनिंग स्कूल, फतेहपुर ।

४८—लेदर ट्रेडस इन्स्टीट्यूट, मद्रास ।

बुनाई

४९—गवरमेंट सेन्ट्रल वीविंग इन्स्टीट्यूट, अमृतसर ।

५०—गवरमेंट सेन्ट्रल वीविंग इन्स्टीट्यूट, बनारस ।

५१—गवरमेंट स्कूल आफ डाइङ्ग ऐण्ड प्रिंटिङ्ग, कानपुर ।

५२—गवरमेंट सिल्क वीविंग ऐण्ड डाइङ्ग इन्स्टीट्यूट, बरहामपुर ।

५३—गवरमेंट टैक्सटाइल इन्स्टीट्यूट, मद्रास ।

५४—गवरमेंट वीविंग ऐण्ड काटन प्रिंटिंग स्कूल, बुलन्दशहर ।

५५—गवरमेंट वीविंग इन्स्टीट्यूट, सीरामपुर ।

५६—लालकुर्ती होजरी स्कूल, मेरठ छावनी ।

५७—टैक्सटाइल इन्स्टीट्यूट नरवर, मंदसौर तथा चन्देरी ।

स्वदेशी डायरेक्टरी ।

स्वदेशी डायरेक्टरी।

चूड़ी।

१—भगवत एन्ड को०, पाडुन्रंग-निवास, कोल्हापूर ३।

२—जुवेल ग्लास वर्कस, सिविल स्टेशन, जबलपूर।

३—कन्डीवाली बैन्गिल्स मेनुफैक्चरिंग को०, कन्डीवाली बी. बी. एन्ड सी. आइ. आर., ४ चत्री रघुनाथ वेलजी, डिउ, जिला काठियावाड़।

४—सेठ जिवराज त्रिभुवन शौप, ३६ केथल स्ट्रीट, भुलेश्वर, बम्बई।

५—ऐन. जी. वर्कस चिचानी, थाना।

६—सिधप्पा कुगप्पा अगनूसी, पो० घोदगेसी वाया गोकाक, जिला बेलगांव।

बिसकुट और बारली।

१—आगरा बेकरी और कनफेक्शनरी १०।१ चक्रवारा रोड, भवानीपुर, कलकत्ता।

२—बङ्गाल बिस्कुट फेक्टरी लिमि०, २०-१-२ जोरापुकर स्का० लेन, चितरंजन एवीन्यू, नोर्थ कलकत्ता।

३—बी० एन. कामन, खोजा स्ट्रीट टेंक, बम्बई।

४—बिस्कुट और बारली फैक्टरी २, कालाचन्द सानियाल लेन, कलकत्ता।

५—कलकत्ता बेकरी, १२ गौआ बाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता।

६—दक्षिणी ब्राह्मण बेकरी, साँगली।

७—इम्पायर बिस्कुट को., डम डम, कलकत्ता।

८—घोष ऐण्ड सन्स, भागलपुर।

९—हन्स दीवान, १६१-३ डनकन रोड, बाईकुला, बम्बई।

१०—इम्पीरियल बिस्कुट वर्कस, सिकंदराबाद, दक्षिण।

११—किट्टर ब्रादर्स (बिसकुट), बेलगांव।

१२—कितादुवर ब्रादर्स, बेलगांव ।
१३—के. सी. बोस एन्ड को०,(श्याम बाजार स्टीम बिस्कुट एन्ड बारली फेक्टरी), कलकत्ता ।
१४—मलावार बिस्कुट फेक्टरी, मद्रास ।
१५—नारायण गोविंद देवजी, ओल्ड सोनपुर लेन, बम्बई २ ।
१६—एन. सी. मण्डल ऐण्ड सन्स २ अक्षीदत्त लेन, कलकत्ता ।
१७—परुषराम बेकरी, पधारपुर ।
१८—पितरोमल ऊधवदास, करांची ।
१९—राष्ट्रीय हिन्दू बेकरी, सोनपुर लेन, बम्बई ।
२०—रायल बिस्कुट फेक्टरी, बोरिंग पेट, कोलार ।
२१—रायल बिस्कुट को०, मदुरा ।
२२—साठे ब्रादर्स ६५ ए., मैन स्ट्रीट, पूना ।
२३—दी देहली बिस्कुट फैक्टरी लिमि., रानीबाग रोड, देहली ।
२४—दी लिली बिस्कुट को०, ३ रमाकांत सोन लेन, उल्तदंग, कलकत्ता ।
२५—दी रिनाडन बिस्कुट को०, कोनोट रोड, बाईकुला, बम्बई ।
२६—दी जनरल एजेन्सी, नं० १३,१७ कृष्णा बिल्डिङ्ग, परेल, बम्बई ।
२७—दी पायोनियर प्योर प्रोडक्टस, १२ फिरोजपुर रोड, लाहौर ।
२८—दी न्यू कालीकट फैक्टरी, पेपर, मद्रास ।
२९—तिब्बी बिस्कुट फैक्टरी, लाटूश-रोड, लखनऊ ।
३०—विष्णु बिस्कुट फैक्टरी, बाजार रोड, नागापट्टम ।

बटन ।

१—आर्य बटन ऐन्ड मेटल वर्क्स, सुल्तानी सराय स्ट्रीट, अलीगढ़ ।
२—दी माडेल इंडस्ट्रीज़, दयालबाग, आगरा ।
३—बिहार इंडस्ट्रियल बटन फैक्टरी, पो० आ० मोतीहरी, जि० चम्पारन, बिहार ।
४—फोटो बटन मेनुफेक्चरिंग को०, ४६५ कालबा देवी रोड, बम्बई ।
५—आर० एस० बादल एन्ड ब्रादर्स, होवर चन्द, बम्बई २
६—दी गोल्ड फील्ड बटन मेनुफेक्चरिंग को०, १५८ प्रिंसेस स्ट्रीट, बम्बई ।
७—वर्धमान एन्ड सन्स पुधोनी, बम्बई ३ ।
८—कलकत्ता हार्न मेनुफेक्चरिंग को०, १८ आनन्द रोलेट रोड, कलकत्ता ।

९—इंडियन इम्पोर्ट ऐण्ड एक्सपोर्ट को० लिमि०, १३ क्लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता ।

१०—जेसोर कूम्ब ऐन्ड बटन मेनुफेक्चरिंग को०, २०-१ लालबाजार स्ट्रीट, कलकत्ता ।

११—दी तिरहुत मून बटन फैक्टरी पो० आ० मेशी, जिला चम्पारन।

१२—भारतलक्ष्मी लि., १३ काजीटोला, ढाका ।

१३—कोरोनेशन बटन मेनुफेक्चरिंग कम्पनी, ढाका ।

१४—ढाका बटन फैक्टरी, (ई० बी० रेलवे) ढाका ।

१५—दत्त बटन फैक्टरी, शंकरी बाजार, ढाका ।

१६—ईस्ट बंगाल बटन फैक्टरी, ७५ लायल स्ट्रीट, ढाका ।

१७—ईस्ट इन्डिया बटन फैक्टरी, ३४ गानकतुल्ला फीलखाना, ढाका।

१८—ईस्टर्न स्माल इन्डस्ट्रीज, लक्ष्मीबाजार, ढाका ।

१९—जुपीटर बटन मैनुफैक्चरिंग क०, सूत्रपुर, ढाका ।

२०—केशवलाल दत्त, ७६ शंकरी बाजार, ढाका ।

२१—मुस्लिम बटन फैक्टरी, ८४ उरबन रोड, ढाका ।

२२—नारायण बटन वर्कस, नरिन्द ढाका ।

२३—ओरियंटल हार्न ऐण्ड बटन फैक्टरी, फरीदाबाद, ढाका ।

२४—पंजाब बटन मेनुफेकचरिंगको०, बाल्टर रोड, ढाका ।

२५—स्टारबटन फेक्टरी कोलोटोला, ढाका ।

२६—विक्टोरिया बटन मेनुफेकचरिंग को०, नरिन्द, ढाका ।

२७—दक्षिण बटन फेक्टरी हैदराबाद, दक्षिण ।

२८—बटन मेनुफेकचरिंग वर्कस, जैपुर सिटी ।

२९—डी. एन. चन्द्र एण्ड को०, नानापीठ, पूना ।

मोमबत्ती ।

१—बंगलोर सोप एन्ड केन्डिल वर्कस, नगराथपेट, बंगलोर सिटी ।

२—बनारस हिन्दू यूनीवरसिटी, (केन्डिल), बनारस ।

३—राजेश्वरी सोप ऐन्ड केन्डिल वर्कस, ब्रकिङ्गहम पेट, बेजवादा ।

४—हिंद कंडिल वर्कस, बिलीमोरिया, (बी. बी, एन्ड सी. आई. आर.)

५—वेस्टर्न इन्डिया आयल प्रोडक्टस लिमि०, बिलीमोरिया ।

६—हिन्द केन्डिल बर्कस, सांडहर्स्ट रोड, वेस्ट बम्बई ।

७—लाइट हाउस केन्डिल फेक्टरी होमजी हाल, मजहा गांव, बम्बई १० ।

८—सोप केन्डिल्स मेनुफेक्चरिंग को, मजगांव, बम्बई १० ।

९—दी रोशन केन्डिल फेक्टरी, क्लाइव रोड बाइकुला पुल, बम्बई १०

१०—कालीकट सोप ऐन्ड केन्डिल को०, कालीकट ।

११—साउथ इन्डिया केन्डिल वर्कस, सिलेवन्स रोड, मैलापुर, मद्रास ।

१२—केशरी केन्डिल वर्कस, गोगई, सेलम ।

१३—सेलम केन्डिल वर्कस, गोगई, सेलम ।

केनवास पालिश ।

१—शिल्प व्यापार भवन (रबड़ सिमेन्ट एन्ड केनवास पालिश) ठठेरी बाजार, बनारस सिटी ।

कार्ड बोर्ड सन्दूक ।

१—नेशनल पेपर बाक्स, को० बम्बई ।

२—लक्ष्मी बाक्स मेनुफेक्चरिंग को०, परेल, बम्बई ।

३—कार्ड बोर्ड बाक्स मेनुफेक्चरिंग को०, ३८ कोलोटोला स्ट्रीट, कलकत्ता ।

४—देहली कार्ड बोर्ड बाक्स फेक्टरी, देहली ।

खड़िया ।

१—भूषण चाक पेंसिल फैक्टरी, गुजरानवाला ।

२—नेशनल क्रेअन वर्कस, (क्रेअन चाक्स) कुंबकोरम (एस. आई.)।

३—गुरुनथन चाक वर्कस, कुंबकोरम।

४—मदनलाल मोहनलाल कपूर, दी इन्डियन इन्डस्ट्रीज़ (फ्रेंच चाक), धर्मपुर, लाहौर ।

५—भगत एन्ड सन्स, पूना ।

सिगरेट और सिगार ।

१—ए. पी, स्वामी नारायण, रिची रोड, अहमदाबाद ।

२—स्वदेशी सिगरेट डिपो, नाग देवी स्ट्रीट, बम्बई २ ।

३—दी खेडीवाल टुबेको को०, वरीवली, वी. बी. एंड सी. आई., बम्बई।

४—मुहम्मद गोस इस्लाम, पेट, बेजवादा।

५—ओरियंटल टुबेको मेनुफेक्चरिंग को, वोरिंग पेट।

६—नेशनल सिगार फेक्टरी, ४६ मानिक टोला स्ट्रीट, कलकत्ता।

७—रामेश्वर टुबेको को०, २६२ ग्रांड ट्रंक रोड, सुलकिया, हावड़ा।

८—हरीदास औड़ी, १ चांदनी चौक स्ट्रीट, कलकत्ता।

९—निर्भयराम बालाराम, १९८ हरीसन रोड, कलकत्ता।

१०—बंगाल सिगार कारपोरेशन, १४-१ रमाकान्त बोस स्ट्रीट, कलकत्ता।

११—बंगाल टुबेको को., ३वी राधाकांत जिवूस स्ट्रीट, कलकत्ता।

१२—चोपड़ा ऐन्ड को, चांदनी चौक, देहली।

१३—श्रीराम सत्यनारायण, जगनायक-पुर, कोकोनाडा।

१४—प्रधान टुबेको कं०, ग्वालियर।

१५—हैदराबाद टुबेको कं० लिमिटेड, हैदराबाद।

१६—मित्तर एन्ड मित्तर, ७२ फ्रेजर स्ट्रीट, रंगून।

१७—दक्षिण टुबेको कं०, बन्दर रोड, शक्कर (सिंध)।

१८—आंध्र सिगार मेनूफेक्चरिंग कं०, फिट्टाई बाजार, तंजोर।

१९—हेमिल्टन एन्ड कं०, त्रिचनापल्ली (S. I.)

२०—रोबिनसन ऐन्ड कं०, सिगार्स, त्रिचनापल्ली।

२१—मेमनेन बादर्स, वार्यर, त्रिचानापल्ली।

२२—सुन्दरायन पिलले टी एम मिचल्स सिगार वर्कस, पलकराय, त्रिचनापल्ली।

२३—डायमंड जुबली मेनुफेक्चरिंग कं० वार्यर, त्रिचनापल्ली।

घड़ी।

१—इन्डियन क्लाक मेनुफेक्चरिंग कं० (क्लाक्स टावर, क्लाक्स रेगूलेटर) बम्बई।

२—स्वदेशी इलेक्ट्रिक क्लाक कं०, शास्त्री हाल, ग्रांट रोड, बम्बई ७।

३—अब्दुल कादिर अब्दुल सत्तार ऐन्ड सन्स, ४८ नागदेवी, कीस-लेन, बम्बई।

४—पी० दास ऐन्ड कं०, १५ फकीरदास चक्रवर्ती लेन, कलकत्ता।

५—दीइन्डियन इंडस्ट्रियल कं० लि०, २८ हासपिटल रोड, लाहोर।

६—जी. आर. अगाशे, (ओवजर बेटरीक्लाक), पूना ।

७—एन. आर. आठवले (टाइमपीस) शुक्रवार, पूना ।

बिजली का सामान ।

१—दी माडेल इन्डस्ट्रीज (पंखे) दयालबाग, आगरा ।

२—दी इस्टर्न इलेक्ट्रिक लाइट ऐण्ड पावर कं० (पंखे), बम्बई हाउस, २४ बुसरोड, बम्बई ।

३—स्टेन्डर्ड केमिकल एन्ड फारमेस्यूटिकल कं०, २६ परेल टंक रोड, अम्बादेवी, बम्बई १२ ।

४—इनकेंडीसेन्ट लम्प कं० ६६ नागदेवी स्ट्रीट, बम्बई ३ (ड्राईबैटरीज़)।

५—एकम मेनुफेक्चरिंग कं० (फिटिंग्स), ग्रांट रोड, बम्बई ।

६—इन्डिया इलेक्ट्रिक वर्क्स (पंखे), २५ साउथ रोड इन्टली, कलकत्ता ।

७—क्लाइड इंजीनियरिंग वर्क्स (पंखे) ६१।१ वकुलबगान रोड, कलकत्ता ।

८—सिंह एन्ड क०, हरीसनरोड, कलकत्ता ।

९—दी ग्लोब इलेक्ट्रिक क० रिवर साइड स्ट्रीट (ड्राई बैटरीज़), लुधियाना ।

इनेमेल्ड चीज़ें ।

१—पंजाब इनेमेलिंग वर्क्स, अमृतसर ।

२—पायोनियर इनेमेलिंग वर्क्स, अमृतसर ।

३—चितले ब्रदर्स, बम्बई २ ।

४—दुर्लभदास मुलजी जवेरी २१ फोपलवाडी, बम्बई २ ।

५—बङ्गाल इनेमिल वर्क्स लि० २।१ मिशन रोड, कलकत्ता ।

६—सूर इनेमिल ऐण्ड स्टाम्पिग वर्क्स लिमि०, ६ मिडले रोड इंटली, कलकत्ता ।

७—न्यू कलकत्ता इनेमिल वर्क्स, १०८ प्रिंस अनवर शाह रोड, कलकत्ता ।

८—इम्पीरियल इनेमिल वर्क्स, १० चितरंजन एवेन्यू, कलकत्ता ।

९—कलर प्रिंटिंग ऐण्ड हौलो वेयर्स लिमि०, २४३ अपर सरकूलर रोड, कलकत्ता ।

१०—पायोनियर इनेमिल ऐण्ड आयरन वर्क्स, ११ क्लाइव रोड, कलकत्ता ।

खाद।

१—मुकर्जी एण्ड को०, अघोरी भवन, भागलपुर।

२—कलकत्ता बोन मिल्स को० लि०, ११।२ सुक्स लेन कलकत्ता।

३—शेटी सुधार मंडल, ४३१ सोमवार पेट, पूना सिटी।

४—कादम्बूर मिल, कादम्बूर, तिनेवेली।

कांच का सामान।

१—अमृतसर ग्लास वर्कस, ग्रांड ट्रंक रोड, अमृतसर।

२—दी जैन ग्लास फैक्टरी, फीरोजाबाद, आगरा।

३—गोमतीपुर ग्लास वर्कस, अहमदाबाद।

४—अपर इंडिया ग्लास वर्कस, अम्बाला।

५—दी यू० पी० ग्लास वर्कस लिमि०, ई० आई० रेलवे, बहजोई।

६—इंडियन ग्लास मैन्युफैक्चरिंग को०, मटुंगा, बम्बई।

७—पीर मुहम्मद ग्लास वर्कस, मटुंगा, बम्बई।

८—गंगा ग्लास वर्कस लि०, वालावाली, डि० बिजनौर।

९—दागा ग्लास फैक्टरी, बीकानेर।

१०—बीकानेर स्टेट, ग्लास, वर्कस, बीकानेर।

११—दी नेशनल ग्लास ट्राम टरमिनस मजगांव, बम्बई १०।

१२—बीनापानी ग्लास ब्लोविंग वर्कस, ११ए रामचन्द्र घोष लेन, बैदन बीडन् स्ट्रीट, कलकत्ता।

१३—कलकत्ता ग्लास वर्कस, ६। बी कुंदू लेन बेलगाछिआ, कलकत्ता।

१४—भारत ग्लास वर्कस, डमडम रोड, कलकत्ता।

१५—श्री गोविन्द देव ग्लास वर्कस, ६ इजरा स्ट्रीट, कलकत्ता।

१६—आरटिस्टिक ग्लास वर्कस ११ टागोर कासल स्ट्रीट, कलकत्ता।

१७—बिक्टोरिया ग्लास वर्कस, आशुतोष मुकर्जी रोड, गोबिंदपुरा, कलकत्ता।

१८—यूनियन ग्लास वर्कस, १४ क्लाइब स्ट्रीट, कलकत्ता।

१९—ग्रेट ईस्टर्न ग्लास वर्कस, गोबरा कलकत्ता।

२०—बंगाल ग्लास वर्कस लिमि०, चर्च रोड, डमडम।

२१—कोरोनेशन ग्लास वर्कस, फीरोजाबाद।

२२—दी हनूमान ग्लास वर्कस, ई. आई. रेलवे, फीरोज़ाबाद।

२३—पैसा फंड ग्लास वर्कस, तलेगांव।

२४—ओनामा ग्लास वर्कस, गोंडिया सी० पी०।

२५—दी कृष्ण ग्लास वर्कस, हाथरस।

२६—दी इंडियन ग्लास फैक्टरी, पो० फरुखाबाद।

२७—शिवाजी ग्लास वर्कस, हावड़ा।

२८—दी डेक्कन ग्लास वर्कस, डेक्कन हैदराबाद।

२९—जीवेल ग्लास फैक्टरी, जबलपूर।

३०—मोहनलाल ज्वाला प्रसाद ऐन्ड सन्स, कासगंज।

३१—वाधवन ग्लास वर्कस, पो० जोरावर नगर, काठियावाड़।

३२—दी इलाहाबाद ग्लास वर्कस, नैनी, यू० पी०।

३३—नैनी ग्लास वर्कस, नैनी, ई० आइ० आर०।

३४—नगीना ग्लास वर्कस, नगीना, बिजनौर।

३५—नागपुर ग्लास वर्कस लिमि०, नागपुर।

३६—माडेल फैक्टरी, नयागांव।

३७—ओगले ग्लास वर्कस, डि० सितारा, ओगले वाडी।

३८—वेस्टर्न इन्डिया ग्लास वर्कस, साथ रोड, पंचमहल।

३९—दी डायमंड ग्लास वर्कस को०, रान।

४०—गोविन्द ग्लास वर्कस, रामराजा टुलो।

४१—इम्पीरियल ग्लास वर्कस, भावल, शाहपुर।

४२—पालीवाल ग्लास वर्कस, शिकोहाबाद, ई० आई०आर०।

४३-दी पायोनियर ग्लास वर्कस, ८६।६। टांगड़ा रोड।

ग्रामोफोन।

१—माडेल इण्डस्ट्रीज़ दयालबाग, आगरा।

लालटेन व चिमनी।

१—अपर इन्डिया ग्लास वर्कस, अहमदाबाद सिटी।

२—दी बम्बई इन्केनडिसेण्ट लाइट को०, ९९ नागदेवी स्ट्रीट, बम्बई ३।

३—सी. एस. पोची एन्ड सन्स, ३४० अब्दुल रहमान स्ट्रीट, बम्बई।

४—औगले ग्लास वर्कस लिमि०, औगले वाडी।

५—नन्दराम मारुती जादव, ८०२ रविवार, पूना।

दियासलाई ।

१—दी अहमदाबाद सुलतान माचिस को०, अहमदाबाद ।
२—गुजरात इसलाम माचिस मैन्युफैक्चरिंग को०, कनकरिया रोड, अहमदाबाद ।
३—अन्धेरी माचिस फैक्टरी, अन्धेरी ।
४—दी बरेली माचिस फैक्टरी, बरेली ।
५—बारीविली माचिस को०, बारीविली ।
६—बालसार माचिस फैक्टरी, बालसार ।
७—भागीरथी माचिस फैक्टरी, जोगिन बैसाक रोड, मौरदंगा बरनागर ।
८—बेलगांव माचिस फैक्टरी, बेलगांव ।
९—दी अमृत माचिस फैक्टरी, करगी रोड, डि० विलासपुर ।
१०—स्वदेशी माचिस फैक्टरी, बलार्ड स्ट्रीट, बम्बई ।
११—बम्बई माचिस वर्कस १२। नागदेवी स्ट्रीट, बम्बई ।
१२—कुरला माचिस वर्कस, नागदेवी स्ट्रीट, बम्बई ।
१३—कम्बे माचिस वर्कस, कम्बे ।
१४—राजस्थान माचिस वर्कस, सिंडीकेट, कम्बे ।
१५—राजरतन माचिस सिंडीकेट रेलवे स्टेशन के पास, कम्बे ।
१६—कलकत्ता माचिस वर्कस, गार्डन रीच, कलकत्ता ।
१७—हिन्दुस्तान माचिस को० लि० २ लायन्स रेन्ज, कलकत्ता ।
१८—दी ईस्ट इंडिया माचिस मैन्युफैक्चरिंग को० ४६-४७ मुरारीपुकुर रोड, कलकत्ता ।
१९—न्यू सुन्दरवन माचिस फैक्टरी ४ लायन्स रेन्ज, कलकत्ता
२०—बंगदेश कार्यालय, १०७ उलट डांगा मैन रोड, कलकत्ता ।
२१—कलकत्ता माचिस फैक्टरी, रसा रोड, कलकत्ता ।
२२—हैदरी माचिस को० १५० ए, बालीघाट, मेन रोड, कलकत्ता ।
२३—एम० एन० मेहता, ६५ इजरा स्ट्रीट, कलकत्ता ।
२४—क्रोवन माचिस फैक्टरी, १२ ओल्ड टोलीगंज रोड, कलकत्ता।
२५—धरमसी एण्ड को० १६, डम डम रोड, कलकत्ता ।
२६—पायोनियर फैक्टरी, १६ डम डम रोड, कलकत्ता ।
२७—वेस्ट इण्डिया माचिस फैक्टरी, ४२।५ कनाल ईस्ट रोड, कलकत्ता ।
२८—रामपुरा माचिस वर्कस, ३३ बेलगछिया रोड, कलकत्ता ।

२९—अदमजी ट्रेडिंग को० ५५, केनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता।
३०—करीमभाइ माचिस मैन्युफैक-रिंगको० ३१, कनाल वेस्टरोड, उल्तदंग, कलकत्ता।
३१—इण्डियन माचिस वर्कस जगननैकपुर, कोकोनाडा।
३२—उड़ीसा माचिस वर्कस, कटक।
३३—प्रसन्न माचिस फैक्टरी, ३० बेचर्रामदेवड़ी, ढाका।
३४—बरार माचिस फैक्टरी, इलीचपुर।
३५—नेशनल माचिस वर्कस, घाटकोपर।
३६—दी स्वदेशी कम्पनी, घाटकोपर।
३७—जलपैगुड़ी इण्डस्ट्रीज़ लिमि०, जलपैगुड़ी, (बंगाल)।
३८—कौलसन माचिस फेक्टरी, शाहद्रा, लाहौर।
३९—दी महालक्ष्मी माचिस फेक्टरी, शाहद्रा, लाहौर।
४०—श्रीहरि माचिस वर्कस, मद्रास।
४१—बेबी माचिस फेक्टरी, ३५ कम्बालामल कोइल स्ट्रीट, टोंडियारपेट, मद्रास।
४२—गनेश माचिस वर्कस, मद्रास।
४३—दी मद्रास स्वदेशी वर्कस, १४४, तिरुवेलियारी हाइ रोड, टोंडियारपेट, मद्रास।
४४—श्री राधा कृष्ण माचिस फेक्टरी, मद्रास।
४५—मैसूर माचिस ऐन्ड केंडिल फेक्टरी, मैसूर।
४६—इण्डियन माचिस फेक्टरी, मदुरा।
४७—दातार माचिस फेक्टरी, पेटलड।
४८—माचिस वर्कस, स्वकासे, रामानन्द।
४९—आदमजी दाऊद एण्ड को०, रंगून।
५०—दी रंगून माचिस वर्कस, २०४ मोगल स्ट्रीट, रंगून।
५१—हुलीसर लिमि० राजबारी।
५२—सेन्टाक्रुज़ माचिस वर्कस, सेन्टाक्रुज़।
५३—हुसेनी माचिस फेक्टरी, बेगमपुरा, नारायन अखाड़ा, सूरत।
५४—नेशनल माचिस वर्कस, सेविकौसी, एस. आइ. आर.।
५५—साउथ इण्डिया लुसीफर माचिस वर्कस, न्यूरोड, सेविकौसी एस. आई. आर.।
५६—थाना माचिस फेक्टरी, आगरा रोड, थाना।
५७—नारायन माचिस वर्कस, मानूरभगोम, पो० अथिनगोल, ट्रावनकोर।
५८—सुलतानिया माचिस फेक्टरी, इलूपुर, त्रिचनापल्ली।
५९—उमरेठ माचिस फेक्टरी, उमरेठ।

आलमोनियम ।

१—शंकर आलमोनियम वर्कस, बनारस ।
२—दुग्ग आलमोनियम फैक्टरी, तारदेव, बम्बई ।
३—कोहिनूर आलमोनियम फैक्टरी, बम्बई ।
४—लल्लू भाई ऐण्ड को०, १२४, कंसराचाल, बम्बई २ ।
५—बम्बई आलमोनियम फैक्टरी, फूल गेट, भेंडी, बम्बई ६ ।
६—स्टैंडर्ड आलमोनियम ऐण्ड ब्रास वर्कस, कलकत्ता ।
७—भारत आलमोनियम वर्कस, ५६।१ कैनिंग स्ट्रीट, कलकत्ता ।
८—आलमोनियम मैन्युफैकचरिंग को० लि०, १४ क्लाइव स्ट्रीट, कलकत्ता ।
९—आरुमूगम नैकर गनेश आलमोनियम फैक्टरी, मद्रास ।
१०—किपोल आलमोनियम वर्कस, पूना ।

कुकर्स ।

१—डोमेस्टिक इकोनोमी को०, ३१ एक्ज़ामीनर प्रेसबिल्डिंग, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट बम्बई ।
२—बङ्गाल केमिकल ऐण्ड फरमास्यूटिकल स्कायर, कलकत्ता ।
३—केशव ऐण्ड सन्स, ३८–२, ग्रीश मुकरजी रोड, भवानीपुर कलकत्ता ।
४—इकमिक कुकर लिमि० २६, कालेज स्ट्रीट, कलकत्ता ।
५—मन्मथ कुकर को०, ६६ हरीसन रोड, कलकत्ता ।
६—रिलीफ कुकर को० १३६, बौबाजार, कलकत्ता ।
७—सरोजनी कुकर को० हरीसन रोड, कम्पैनियन, कलकत्ता ।
८—कम्पनी कुकर वर्कस, चांदनी चौक, देहली ।
९—आनन्द कुकर ऐण्ड मैटल वर्कस, चांदनी चौक, देहली ।
१०—कमला कुकर को०, रायपूरम, मद्रास ।
११—रुकमिनी कुकर को ४, सौथमदा, चर्च स्ट्रीट, रायपूरम, मद्रास ।
१२—सैयद अहमद कुकर वर्कस, पूना सिटी ।

चरखा ।

१—नेशनल इंडस्ट्रीज को०, १० नवीन कुन्ह लेन, कालेज रोड, कलकत्ता ।

धर्मशालायें ।

धर्मशालायें।

अजमेर।

१—टीकमचंद सोनी की स्टेशन के पास।

२—रेलवालों की स्टेशन के पास।

अयोध्या।

१—हरनारायणदास की, रायगंज।

२—कन्हैयालाल की, रायगंज।

३—महन्त सुखरामदास की, नया-घाट।

४—लाला पन्नालाल, नवाबगंज (गोंड़ा) वाले की, वासुदेव घाट।

५—करमसीदास जी बम्बई वाले की, स्वर्गद्वारघाट।

अलीगढ़।

१—जानकी बाई की, दूबे का पाड़ा।

२—मलूकन्द की स्टेशन के पास।

अमृतसर।

१—सन्तराम का तालाब, स्टेशन के पास।

२—लाला हरगोविन्द दास की, स्टेशन के पास।

३—हरदयाल दुर्गादत्त की मलका की मूर्ति के पास, मारवाड़ी बाजार।

अंबाला।

१—मास्टर हरगूलाल की, अनाजमंडी, छावनी।

आगरा।

१—लाला रामकिशनदास सरावगी की, फोर्ट स्टेशन के पास।

२—रावबहादुर विश्वम्भरनाथ की, सिटी स्टेशन के पास।

३—उत्तम जैन दिगम्बर धर्मशाला, राजा की मंडी, स्टेशन के पास।

आरा।

१—बाबू हरप्रसाद जैन की, महाजन टोली में।

आजिमगंज।

१—रामबुद्धसिंह बहादुर की।

२—राय गणपतिसिंह बहादुर की।

आसनसोल।

१—आसाराम जौहरीमल रामनरायण गङ्गाविशन की, मुन्शी बाजार में।

इन्दौर।

१—सेठ हुकुमचन्द की स्टेशन के पास।

इटावा।

१—बद्रीदास की धर्मशाला, पुराना शहर।

२—स्टेशन के पास भी एक धर्मशाला है।

इश्री।

१—दिगम्बर जैन धर्मशाला।

२—श्वेताम्बर जैन धर्मशाला।

उज्जैन।

१—फतेहपुरियों की, चिप्रा नदी के किनारे।

२—खेमराज श्रीकृष्णदास की, हरिसिद्धि दरवाजा।

३—महाराज ग्वालियर की स्टेशन के पास।

४—सखाराजा की धर्मशाला।

५—व्यंकटेश भवन धर्मशाला।

६—गजाधर की धर्मशाला।

उदयपुर।

१—महन्त माधवदास जी की सूरजपोल के पास।

उन्नाव।

१—लाला सोहनलाल अग्रवाल की।

कलकत्ता।

१—फूलचन्द हकीम जैन की, ६ श्याम बाई गली, बड़ा बाजार।

२—रायबहादुर सूरजमल की, ६ मल्लिक स्ट्रीट।

३—बाबू लक्ष्मीनारायण की, ५१ बांस तल्ला।

४—राजा शिवबक्श बागला की, हावड़ा स्टेशन पर।

५—विनायक मिश्र की, २२६ हरीसन रोड।

६—श्याम देवी भूतिका की, १५० हरीसन रोड।

७—बब्बूलाल अगरवाल, १६६ हरीसन रोड।

८—रामकृष्णदास गिरधारी लाल, १६७ हरीसन रोड।

कन्नौज।

१—बाबू कुंजबिहारी लाल जी का मन्दिर शहर में।

२—शिवस्वरूप की कन्नौज स्टेशन के पास।

क्यूल।

१—ऊगरमल हजारीलाल लोहिया स्टेशन से एक फर्लाङ्ग पर।

कासगंज।

१—परमानन्दजी की।

कानपुर।

१—बैजनाथ रामनाथ सिंहानिया की, स्टेशन से आध मील पर।

२—मच्छी भवन धर्मशाला, नयागंज।

३—सेठ लक्ष्मणदास की, लाठी मुहाल।

४—तुलसीराम शिवप्रसाद की, स्टेशन के पास ।

५—पीली कोठी, चटाई मुहाल ।

६—बेनीमाधव की, मूलगंज ।

७—अनन्तराम की, फीलखाना ।

८—सेण्ट्रल धर्मशाला, सेण्ट्रल स्टेशन के पास ।

कोटा ।

१—महारानी साहिबा की, जंकशन स्टेशन के पास ।

कटवा ।

१—कालीबाड़ी धर्मशाला ।

कोलगांव ।

१—बा० गिरधारीलाल मारवाड़ी की ।

खंडवा ।

१—सेठानी पार्वती बाई की, स्टेशन के पास ।

गया ।

१—सेठ सिवप्रसाद झुनझुनू वाले की, स्टेशन पर ।

२—सेठ शिवप्रसाद झुनझुन वाले की, चांदचोरे के पास ।

३—महाबोधी सोसाइटी की, बौध गया ।

ग्वालियर ।

१—श्री कृष्ण धर्मशाला ।

गढ़मुक्तेश्वर ।

१—राय साहब नानामल जानकी-दास की दो हैं ।

गाजियाबाद ।

१—मि० जान ईगिल ब्राइट की ।

गिरीडीह ।

१—राय धनपतसिंह की ।

गुलजारी बाग ।

१—बा० किशोरीलाल चौधरी की ।

चांदपुर सिआऊ ।

१—श्रीमती वासन्ती देवी की ।

जसीडीह ।

१—जुगुलकिशोर सूरजमल रुइया की, स्टेशन के पास ।

जामनगर ।

१—मूलजी जेठा की, खंभालिया नाका ।

जोधपुर ।

१—श्री जसवन्त जाड़ेची बिलास, स्टेशन से एक फर्लाङ्ग पर ।

जूनागढ़ ।

१—जीवराज दयाल भाटिया की ।

जौनपुर ।

१—नारायणदास परमेश्वरीदास की, स्टेशन के पास ।

झांसी।

१—गोपालदास की, बड़ा बाज़ार।

२—बाबू मुन्नालाल की।

ट्रिचनापल्ली।

१—खेमराज श्रीकृष्णदास की।

डाकोर।

१—मु० शंकरस्वरूप की।

डाल्टन गंज।

१—सेठ चुन्नीलाल गनपतराय रांची वाले की, स्टेशन से पौन मील पर।

दिल्ली।

१—लाला छुन्ना मल की।

२—लाला लक्ष्मीनारायण की, फतेहपुरी बाजार।

दरभंगा

१—दरभंगा नरेश की स्टेशन के पास।

२—ऊगरमल हजारीमल की।

द्वारकापुरी।

१—आऊजी प्रेमजी की, श्री जी के मंदिर के पास, गोमती, द्वारका।

२—बलवन्त लाल रामेश्वर लाल दुदवा वाले की मन्दिर के पास।

३—हजारीमल दुदवा वाले की।

४—आचारी जी की, भेंट, द्वारका।

५—सत्यभामाजी की, भेंट, द्वारका।

धामपुर।

१—मु० भगत विहारीलाल की।

नागपुर।

१—जमुनादास जी पोद्दार की।

नासिक।

१—महाराज कपूरथला की पंचवटी पर।

नैनी।

१—बिहारीलाल कुन्जीलाल सिंघानिया की।

नीमसार।

१—सेठ शिवरामदास तथा रामनिरंजन दास की।

नैनीताल।

१—बच्छी गौड धर्मशाला; सिपाही धारा।

२—म्युनिसिपल सराय, तल्लीताल।

पटना।

१—गुरुमुखराय सरावगी की।

२—लाला अनन्तलाल अगरवाल की।

३—मारवाड़ी समाज की, चौक।

४—किशोरीलाल चौधरी की, गुलजार बाग़।

५—लाला जय तथा छोटेलाल की।

पीलीभीत।

१—लाला मूल चन्द की।

पुरी ।

१—रामचन्द गोयनका की ।

२—धनजी मलजी तथा आशाराम सीताराम की ।

३—सेठ कन्हैयालाल बागला चूरूवाले की ।

प्रयाग ।

१—बिहारीलाल कुंजीलाल सिंहानियां की ।

२—तेजपाल गोकुल दास की, मुट्ठीगंज ।

३—गोमती देवी की, मुट्ठीगंज ।

४—बाबू वंशीधर गोपालदास रस्तोगी की दारागंज ।

पामरगंज ।

१—सेठ शिवप्रसाद जी की ।

पुनपुन ।

१—सेठ शिवप्रसाद जी की ।

फैज़ाबाद ।

१—पतितदास के मंदिर के पास, मु० श्रमानी गंज में ।

२—फैजाबाद और देवकली रोड के बीच में, मुहल्ला बेनीगंज में ।

३—देवकली रोड पर देरुआ की कोठी के सामने ।

४—मुहल्ला साहब गंज के मूलचन्द चम्मनलाल की दूकान के पास ।

५—साहबगंज में पं० परमेश्वरनाथ शाहपुर के मकान के पास ।

६—मुआफ नाका में हरदयाल जी की ।

फर्रुखाबाद ।

१—लाला सुन्दरलाल कलकत्तेवाले की बढनिया टोला ।

२—दूलाराय की ।

बनारस ।

१—श्री कृष्ण धर्मशाला ।

२—राधाकृष्ण शिवदत्तराय की, ज्ञानवापी ।

३—लच्छीराम की, फाटक सुखलाल साव ।

४—लखनऊ वाले की बुलानाला ।

५—मोतीलाल मंगलचन्द की बुलानाला ।

६—चित्र गुप्त आश्रम, कचौड़ी गली ।

बम्बई ।

१—हीराबाग़, गिरगांव ।

२—माधौबाग़, गिरगांव ।

बरेली ।

१—सेठ खुन्नीलाल की ।

बीकानेर ।

१—प्रोहता मोतीराम की ।

भागलपुर ।

१—हरदेवदास जी की ।

भुवनेश्वर ।

१—हरगोविन्दराय मथुरादास डालमिया भिवानी वाले की ।

मसूरी।

१—श्री सनातन धर्म कैन्टोमेंट में।
२—आर्य समाज।
३—गढवाली धर्मशाला।
४—सिख धर्मशाला।

मदुरा।

१—स्टेशन के पास।

मैनपुरी।

१—सावित्री धर्मशाला, स्टेशन से एक मील।

मोमासा।

१—भगवानदास बागला की, स्टेशन के पास।

मुंगेर।

१—रायबहादुर बैजनाथ गोयनका की, स्टेशन के पास।

मुरादाबाद।

१—लाला सांवलदास की।
२—लाला जवाहरलाल की।

मेरठ।

१—नाइन की धर्म सभा की।
२—लाला धर्म दास की।
३—लाला किशनसहाय की।
४—लाला परमानन्द की।
५—लाला सुन्दरलाल की।
६—लाला तोताराम की।
७—मुसम्मात सुन्दर कुंअरि की।
८—पंचायती की।
९—रस्तोगी की।

मुलतानगंज।

१—सेठ बैजनाथमल मारवाड़ी की।

मानपुर।

१—प्रेमनारायणजी की।

मुगलसराय

१—बाबू रामजीदास जाटिया की।

इलाहाबाद।

१—बाबू मोतीचन्द की, मोरी।
२—बाबू रामप्रसाद चौधरी की, बक्सी कला।
३—बुधसेन मङ्गलसेन की नईबस्ती।
४—जीवनराम की अलोपीबाग।
५—लाला शिवप्रताप सिंह की अलोपीबाग।
६—लाला बच्चूलाल की, शिवकोटी महादेव।
७—लाला गुलजारीलाल की, अलोपीबाग।
८—महन्त जानकीदास की, मोरी।
९—रीवां के महाराज की, मितहाजपुर
१०—मुन्नीलाल सेठ की मुट्ठीगंज।
११—गोमती देवी की, अलोपीबाग व मुट्ठीगंज।
१२—राय राधारमन की, नई बस्ती।
१३—राय शिवप्रसाद की, चौखण्डी।
१४—बिहारीलाल कुंजीलाल सिंहानिया की।

१५—तेजलाल गोकुलदास की मुट्ठीगंज
१६—वंशीधर गंगादास रस्तोगी दारागंज ।
१७—राय शिवप्रसाद की, अलोपीबाग।
१८—रामदास की, अलोपीबाग।
१९—राणा संग्रामसिंह की, मुट्ठीगंज।
२०—रामनाथ की, मितहाजपुर।
२१—शेख मशीउद्दीन की, मुट्ठीगंज।
२२—तेजपाल गोकुलदास की, मोरीवासुदेवराय की।

मिर्जापुर

१—बीजराम भाड़ामल की।

मुजफ्फरनगर

१—रायबहादुर बलदेवलाल बसन्तलाल दुदवा वाले की सरसैयागंज।
२—लछीराम की पुराना बाजार ।
३—राय परमेश्वर नारायण महता की।

मथुरा।

१—तेजपाल गोकुलदासजी की, मारू गली।
२—राजा तिलोई की, बंगाली घाट।
३—रामगोपाल मालाणी की, प्रयाग घाट।
४—हरमुखराय दुर्लीचन्द्र हाथरस वाले की, स्वामीघाट।
५—हरदयाल विष्णुदयाल कलकत्ते वाले की, नयाबाजार।
६—महाराज आवागढ़ की पुल के पास।
७—अहमदाबाद वाले की, दामोदर भवन छाता बाजार।
८—दामोदर तपसीदास, विश्राम घाट के पास।

मद्रास।

१ - राजाराम स्वामी मुडालियर की।
२—वंशीलाल अबीरचंद की साहूकार पैठ।

मनमाड।

१—दीवान बहादुर गोविन्दास मदूरा वाले की।

रामेश्वर।

१—वन्शीलाल अमीरचन्द की, मन्दिर से थोड़ी दूर पर।
२—रायबहादुर भगवानदास बागला की, रामझरोखे की सड़क।

रायबरेली।

१—कन्हाईशाह बाकल की ।

रानीगंज।

१—बजाज की धर्मशाला।

लखनऊ।

१—छेदीलाल की, अमीनाबाद पार्क।
२—भोलानाथ की, चौक।
३—प्रभूदयाल जैन की, अहियागंज।
४—गूंगेनवाब की, बाग धर्मशाला।

लाहौर।

१—मूलचन्द की।

लुधियाना।

१—लाहौरी खत्रियों की पन्चायती कूचा लालूमल।

वर्द्धवान ।

१—बा० शशिभूषण बोस की ।

वरियारपुर ।

१—शोभाराम शिवदत्तराय की ।

विन्ध्याचल ।

१—शिवनरायण बलदेवदास सिंहानिया की ।

२—सारस्वत खत्रियों की ।

३—चुनमुन मिश्र की ।

बृन्दावन ।

१—मिर्जापुर वालों की ।

२—ताराचन्द रामनाथ पूनावाले की ।

वाडी ।

१—कंडा स्वामी मुडालियर (पोन्नेरी के राजा की) ।

वैद्यनाथ ।

१—सुखरामजी लक्ष्मीनारायण कानोडिया की ।

२—रामचन्द्र गोयनका की ।

३—हजारीमल दुदवा वाले की ।

४—हरिकिशनदास पन्नालाल मदड की ।

श्रीरामपुर ।

१—बा० चेत्र मोहनशाह जी की ।

सागर ।

१—सेठ नारायनदास गेडा की ।

२—केदारनाथ गरिया की ।

३—दुर्गाप्रसाद मोदी की ।

४—विन्द्रावन वाग धर्मशाला, गोपालगंज ।

५—जैन धर्मशाला बजाजी ।

६—जैन धर्मशाला (दिवालानाका) ।

१—सूरजमल की ।

२—स्टेशन धर्मशाला ।

३—रेस्ट हौस, बौध गया ।

सण्डीला ।

१—राजा दुर्गाप्रसाद की ।

सहारनपुर ।

१—सेठी मूलराम की ।

हाथरस ।

१—लक्ष्मीनारायण की ।

२—सेठ बिहारीलाल की ।

हरिद्वार ।

१—सदासुख गंभीरचन्द्र की ।

२—विनायक की ।

३—सूरजमल की ।

४—खुशीराम की ।

५—सिन्ध शिकारपुरी की ।

६—विलास पुर की ।

७—महाराज कपूर्थला की ।

८—पंचायती धर्मशाला ।

९—कराडीमल की ।

१०—जयरामदास भिवाली वाले की ।

११—भोलागिरि की ।

१२—बाबा काली कमली वाले की ।

भारत में अंग्रेज़ी शासन।

भारत में अंग्रेज़ी शासन।

१—चार्टर्स तथा पार्लियामेंटरी ऐक्ट्स ।

भारत में अंग्रेज़ी शासन का संक्षिप्त इतिहास आगे दिया गया है। इस जगह जितने क़ानून भारतीय शासन सम्बन्धी आरम्भ से वर्तमान काल तक, इंग्लैंड में अथवा भारत में पास हुये हैं दिये जाते हैं।

यह क़ानून कालानुसार तीन भागों में बांटे जा सकते हैं। (१) चार्टर काल (१६००—१७६५)—इस काल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को केवल व्यापार करने के अधिकार ब्रिटिश सरकार की ओर से दिये गये ।

(२) कम्पनी शासन काल (१७६५-१८५८)—इस काल में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को पार्लियामेंट के ऐक्टों द्वारा भारत में शासन करने का अधिकार दिया गया।

(३) ब्रिटिश नरेश शासन काल (१८५८ से वर्तमान काल तक)

१—चार्टर काल ।
(१६००—१७६५)

इस काल में १३ महत्व-पूर्ण चार्टर (अधिकार पत्र) ईस्ट इण्डिया कम्पनी को ब्रिटिश सरकार ने दिये।

१—रानी एलिज़ाबेथ का चार्टर (१६००)—यह चार्टर चन्द अंग्रेज़ी व्यापारियों को भारत में व्यापार करने के लिये दिया गया। इसका उद्देश्य यह भी था कि भारत में डच व्यापारियों का व्यापार समाप्त हो जाय इस चार्टर की अवधि १३ साल की थी।

२—जेम्स प्रथम का चार्टर(१६०६)-इसके द्वारा पहिला चार्टर फिर जारी किया गया और सदैव के लिये कर दिया गया।

३—क्रामवेल का चार्टर (१६५७)-इस चार्टर का उद्देश्य यह था कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी को अन्य कम्पनियों से स्वतन्त्र कर दिया जावे जैसा कि इस चार्टर द्वारा किया गया।

४—चार्ल्स द्वितीय का चार्टर १६६१—यह चार्टर इस उद्देश्य से दिया गया था कि चार्टर से क्रामवेल का नाम हट जावे और चार्लस का नाम आ जावे। उसने यह चार्टर १६६१ में दिया और यह भी अधिकार दिया कि कम्पनी सिक्के बना कर चलावे और जो कम्पनी के हद में अन्य व्यापारी जावें उन्हें सजा देवे।

५—चार्लस द्वितीय का चार्टर १६६६—इस चार्टर द्वारा (क) ईस्ट इण्डिया कम्पनी को बम्बई टापू दिया गया (ख) कम्पनी को यह अधिकार दिया गया कि अपनी नौकरी में ऐसे सरकारी पदाधिकारियों को ले सकती है जो इसके लिये तैयार हों।

६—चार्लस द्वितीय का चार्टर १६८५—इस चार्टर द्वारा कम्पनी को किसी भी एशियाई और अमरीकन जाति से युद्ध और सन्धि करने का अधिकार दिया गया और इस कार्य के लिये फ़ौजें भरती करने और उन्हें सिखाने का भी अधिकार दिया गया।

७—जेम्स द्वितीय का चार्टर १६८६—इस चार्टर द्वारा—

(क) कम्पनी के अधिकार फिर से जारी और दृढ़ किये गये और कम्पनी को एडमिरेल, वाइस एडमिरेल और अन्य समुद्री अफसर नियत करने का भी अधिकार दिया गया।

(ख) कम्पनी को अपने क़िलों में सिक्के ढालने का भी अधिकार दिया गया।

८—कम्पनी का चार्टर १६८७—यह चार्टर कम्पनी की ओर से था न कि ब्रिटिश नरेश की ओर से। इस साल जेम्स द्वितीय ने कम्पनी को अधिकार दे दिया था कि मद्रास में म्युनिसिपैलिटी अपने चार्टर द्वारा क़ायम करे।

९—विलियम का चार्टर १६९३—पिछला चार्टर दृढ़ किया गया किन्तु यह भी शर्त रक्खी गई कि अगर नये रेग्यूलेशनों को कम्पनी एक साल के भीतर न माने तो चार्टर रद्द कर दिया जावेगा।

१०—१६९८ का चार्टर—इसके अनुसार एक नई कम्पनी बनाई गई।

(क) यह कम्पनी साधारण तथा पिछले तत्वों पर ही बनाई गई। केवल कम्पनी के संचालकों का नाम "डायरेक्टर" रक्खा गया।

(ख) नई कम्पनी को ही ईस्ट-इन्डीज़ में व्यापार करने का अधिकार दिया गया।

(ग) नई कम्पनी को अधिकार

दिया गया कि क़ानून और उप-क़ानून (आर्डीनेन्सेज़) बनावे, गवर्नर नियत करे, अदालतें क़ायम करे और धर्म के पादरी नियत करे ।

११—जार्ज प्रथम का चार्टर १७२६—इस चार्टर द्वारा—

(क) बम्बई और कलकत्ता में म्यूनिसिपैलिटियां क़ायम की गईं ।

(ख) बम्बई और कलकत्ता में मेयर की अदालतें क़ायम की गईं ।

१२—जार्ज द्वितीय का चार्टर १७५३—इस चार्टर द्वारा मद्रास कारपोरेशन जो फ्रेंच लोगों के आधिपत्य में जाने के कारण टूट गया था फिर से बनाया गया ।

१३—१७५८ का चार्टर—इस चार्टर द्वारा कम्पनी को यह अधिकार मिला कि देशी नरेशों से जीते हुये क़िले प्रदेश, अथवा प्रान्त वापिस देदे या उनका उचित प्रबन्ध करे ।

२-कम्पनी शासनकाल । (१७६५ – १८५८)

इस काल के आरंभ में ईस्ट इंडिया कम्पनी का क्या स्वरूप था यह जानना आवश्यक है ।

इंगलैंड में रचना ।

कम्पनी का संचालन १६९८ के चार्टर के अनुसार किया जाता था । मालिकों का एक जनरल "कोर्ट आफ प्रोप्राइटर्स" था और संचालकों का एक "कोर्ट आफ डायरेक्टर्स" था । डायरेक्टरों की संख्या २४ थी और प्रत्येक वर्ष उनका चुनाव होता था ।

भारत में रचना ।

कम्पनी ने तीन प्रेसीडेन्ट कलकत्ता बम्बई और मद्रास में क़ायम किये थे । प्रत्येक प्रेसीडेन्सी का शासन प्रेसीडेन्ट-इन-कौंसिल द्वारा चलाया जाता था । मालिकों के कोर्ट द्वारा प्रेसीडेन्ट नियत होता था और कौंसिल के मेम्बर (जिनकी संख्या ३ थी) डायरेक्टरों के कोर्ट द्वारा नियत होते थे । कुल शासन विभागों का नियंत्रण प्रेसीडेन्ट और कौंसिल के हाथों में था और उन्हीं का अधिकार फ़ौजों पर भी था । ब्रिटिश नरेश द्वारा तीनों प्रेसीडेन्सियों में अदालतें क़ायम हुई थीं जिन्हें दीवानी और फ़ौजदारी दोनों अधिकार थे ।

इस काल में ६ ऐक्ट पार्लियामेंट ने पास किये ।

१—लार्ड नार्थ का रेगुलेटिंग ऐक्ट १७७३ ।

इस ऐक्ट ने निम्नलिखित परिवर्तन किये ।

(क) इंगलैंड में कोर्ट आफ डाय-

रेक्टर्स केवल एक साल के लिये चुना जावे।

(ख) मालिकों के वोट उनके पूंजी के अनुसार कम ज़्यादा कर दिये जावें।

(ग) भारत में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ते में कायम की गई जिसमें एक चीफ़ जज और ३ सहायक जज रक्खे गये।

(घ) कलकत्ता में गवर्नर जनरल और ४ कौंसिलर नियत हुये जिनका अधिकार अन्य प्रेसीडेन्सियों पर भी रक्खा गया। गवर्नर जनरल नियमानुसार रिपोर्ट डायरेक्टरों को भेजे और डायरेक्टर सेक्रेटरी आफ़ स्टेट के यहां भेजे ऐसा नियम ऐक्ट में रक्खा गया।

२—पिट का इंडिया ऐक्ट १७८४।

इस ऐक्ट द्वारा पार्लियामेंट ने ६ प्रीवी कौंसिलरों को कमिश्नर नियत किया जिनके अधिकार में कुल भारतीय मामले सौंपे गये। इन कमिश्नरों के आधीन कम्पनी के कुल इन्तज़ामी, फौजी और माली प्रबन्ध बनाये गये। डायरेक्टरों का यह कर्तव्य हो गया कि इन कमिश्नरों (बोर्ड आफ कन्ट्रोल) के सामने भारत सम्बन्धी कुल काग़ज़ात पेश करें। कोर्ट आफ प्रोप्राइटर्स को अब कोई अधिकार नहीं रहा कि कोर्ट आफ डायरेक्टर्स की कार्यवाही में हस्तक्षेप करे। भारत का शासन एक गवर्नर जनरल और ३ कौंसिलरों के हाथ में रक्खा गया।

३—चार्टर ऐक्ट १७९३।

(क) इस ऐक्ट द्वारा ब्रिटिश नरेश के अधिकार में यह बात रक्खी गई कि बोर्ड आफ़ कण्ट्रोल के सदस्य नियत करे। यह सम्बन्ध नहीं रक्खा गया कि ऐसे सदस्य केवल प्रीवी कौंसिलर ही हों।

(ख) कम्पनी के व्यापारी स्वत्व २० साल के लिये दृढ़ किये गये।

४—चार्टर ऐक्ट १८१३—इस ऐक्ट के अनुसार—

(क) कम्पनी का भारत में व्यापार करने का एकाधिकार छीन लिया गया। केवल चीन के लिये ऐसे अधिकार रक्खे गये।

(ख) कम्पनी पर यह वाध्य किया गया कि एक बिशप और दो आर्कडीकन्स नियत करे।

५—चार्टर ऐक्ट १८३३।

इस ऐक्ट द्वारा कम्पनी के व्यापारी अधिकार छीन लिये गये और कम्पनी को शासक समिति बना दिया गया। चीन में व्यापारी स्वत्व

भी उससे छीन लिये गये। यह भी निश्चित किया गया कि पूरे भारत के लिये एक से कानून बनाये जावें और भारत के सुप्रीम कोर्ट को अधिकार दिया गया कि वह क़ानून और रेगुलेशन्स तैयार करे जो भारत की सब प्रजा यूरोपियन और देशी पर लागू हों।

६—चार्टर ऐक्ट १८५३।

इस ऐक्ट द्वारा पार्लियामेंट ने कम्पनी के शासनाधिकार ऐसे समय के लिये दृढ़ कर दिये जो उसे उचित मालूम हों। बंगाल बिहार और उड़ीसा की प्रेसीडेन्सी एक लेफटिनेंट गवर्नर के मातहत बनाई गई। गवर्नर जनरल का शासन किसी विशेष प्रेसीडेन्सी पर नहीं रहा। कोर्ट आफ डायरेक्टर्स की संख्या २४ से १८ कर दी गई।

३—ब्रिटिश नरेश शासन काल।
(१८५७से वर्तमान काल तक)

भारत में सन् १८५७ में विप्लव हो गया इस कारण अंग्रेजी सत्ता पुनः स्थापित होने पर पार्लियामेंट ने सन् १८५८ में एक ऐक्ट पास किया।

(१) गवरमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट १८५८—इस ऐक्ट द्वारा कम्पनी के सब शासन अधिकार छीन लिये गये और ब्रिटिश नरेश में कुल शासन अधिकार केन्द्रीभूत हुये। सेक्रेटरी आफ स्टेट की सहायता के लिये एक कौंसिल बनाई गई जिसमें १५ सदस्य रक्खे गये, ८ नरेश द्वारा नियोजित और ७ कोर्ट आफ़ डायरेक्टर्स द्वारा चुने हुये। कवेनेण्टेड सिविल सर्विस में नौकरियाँ सब प्रजा के लिये खोल दी गईं और परीक्षा क़ायम की गई। बोर्ड आफ कन्ट्रोल तोड़ दिया गया।

(२)इंडियन कौंसिल ऐक्ट १८६१—गवर्नर जनरल की इक्ज़ीक्यूटिव कौंसिल की रचना में कुछ परिवर्तन किया गया और क़ानून बनाने वाली सभाओं की रचना में भी फेर फार किया गया।

(३) हाई क़ोर्ट ऐक्ट १८६१—इस ऐक्ट द्वारा सुप्रीम और सदर कोर्ट तोड़ दिये गये तथा बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में हाई कोर्ट स्थापित किये गये। प्रत्येक में एक चीफ जस्टिस और अधिक से अधिक १५ जज रक्खे गये।

(४) इंडिया कौंसिल ऐक्ट १८९२—इस ऐक्ट के अनुसार भारत में व्यवस्थापक सभाओं (कौंसिलों) के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई और गवर्नर जनरल-इन-कौंसिल को अधिकार दिया गया कि सेक्रेटरी आफ स्टेट-

इन कौंसिल की अनुमति के आधीन इन सदस्यों की नियुक्ति के लिये नियम बनावे।

(५) इन्डियन कौंसिल ऐक्ट १६०६—सन् १६०७ में लार्ड मिन्टो वाइसराय ने एक खलीता सेक्रेटरी आफ स्टेट (लार्ड मोरले) को भेजा जिसमें उन्होंने यह सूचित किया कि उस समय की राजनैतिक अवस्था विचार करने योग्य है और जनता की ओर से बराबर मांग हो रही है कि उसे नागरिक के समान अधिकार मिलें और शासन में अधिक योग्य भाग लेने का अवसर प्राप्त हो। इस पर विचार करने के लिये एक कमेटी नियुक्त हुई। सुधारों की एक रचना भी तैयार हुई। प्रान्तीय सरकारों से भी राय ली गई और लार्ड मोरले ने फरवरी १६०६ में एक बिल पार्लियामेण्ट में पेश किया जो कुछ संशोधनों के साथ पास हुआ।

इस ऐक्ट ने दो दिशाओं में अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। अर्थात (१) भारतीय कौंसिलों के स्वरूप तथा कार्यशैली में। (२) प्रान्तीय सरकारों की कार्यकारिणी समितियों के स्वरूप में।

एडीशनल (ग़ैर सरकारी) सदस्यों की संख्या।

नाम कौंसिल	१८९२ से पहिले अधिक से अधिक ऐडीशनल मेम्बरों की संख्या।	१८९२ के पीछे अधिक से अधिक एडीशनल मेम्बरों की संख्या।	१६०६ के ऐक्ट द्वारा अधिक से अधिक मेम्बरों की संख्या
इम्पीरियल कौंसिल	१२	६१	६०
बम्बई ,,	८	२०	५०
मद्रास ,,	८	२०	५०
बंगाल ,,	८	२०	५०
यू० पी० ,,	—	१५	५०
पंजाब ,,	—	—	३०
ब्रह्मा ,,	—	—	३०

कौंसिलों की रचना और कार्यों में इस प्रकार परिवर्तन हुये।

(क) सदस्यों की संख्या में वृद्धि। एडीशनल सदस्यों की संख्या बहुत बढ़ा दी गई। (ख) सरकारी और ग़ैरसरकारी सदस्यों का औसत निश्चित कर दिया गया। (ग) सदस्य नियोजित तथा चुने हुये दोनों प्रकार के रक्खे गये।

६—गवर्मेन्ट आफ इण्डिया ऐक्ट १९१९—

इस ऐक्ट के पास किये जाने के कारण अन्यत्र दिये गये हैं। इस ऐक्ट द्वारा केन्द्रीय सरकार के लिये दो व्यवस्थापक सन्स्थायें बना दी गईं (१) कौंसिल आफ स्टेट जिसमें धनी पुरुषों तथा बड़े ज़मींदारों का का ही प्राबल्य रक्खा गया। (२) लेजिस्लेटिव एसेम्बली अर्थात् साधारण पुरुषों की सभा। प्रान्तों में एक व्यवस्थापक सभा बनाई गई और प्रान्तिक विषयों को 'रिज़र्वड' (संरक्षित) और ट्रान्सफर्ड (समर्पित) विभागों में बाँट दिया गया। समर्पित विषय "मिनिस्टरों" के हाथों में दे दिये गये। चुने हुये मेम्बरों में से ही मिनिस्टर नियोजित किये जाते रहे।

भिन्न भिन्न व्यवस्थापक सभाओं के सदस्यों की संख्या।
(गवरमेंट आफ, इण्डिया ऐक्ट १९१९)

सरकार या प्रांत	निर्वाचित	नियोजित	योग
भारत सरकार			
(१) लेजिस्लेटिव असेम्बली	१०३	४०	१४३
(२) कौंसिल आफ स्टेट	३३	२७	६०
मद्रास कौंसिल	९८	२९	१२७
बंगाल ,,	११३	२६	१३९
बम्बई ,,	८६	२५	१११
संयुक्तप्रांत ,,	१००	२३	१२३
पंजाब ,,	७१	२२	९३
बिहार उड़ीसा ,,	७६	२७	१०३
ब्रह्मा ,,	—	—	—
मध्यप्रांत बरार ,,	५४	१६	७०
आसाम ,,	३९	१४	५३

इस ऐक्ट की दफा ८४ (अ) में यह नियम रक्खा गया कि १० वर्ष के बाद पार्लियामेंट की दोनों सभाओं की अनुमति लेकर भारतमंत्री सम्राट के सामने ऐसे व्यक्तियों के नाम पेश करेगा जो "कमीशन" का कार्य करेंगे और इस बात की जांच करेंगे कि भारतवासियों को उत्तरदायी शासन की मात्रा कब और कितनी दी जावे। इसे "स्टेचुटरी" कमीशन कहते हैं।

इस धारा के अनुसार सन् १९२७ के अन्त में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा एक कमीशन जिसे "सायमन कमीशन" कहते हैं नियुक्त हुआ।

इस कमीशन की सहायता के लिये प्रान्तीय कौंसिलों के मेम्बरों द्वारा समितियाँ प्रांत में बनाई गईं और एक केन्द्रीय कमेटी भी बनाई गई जिसके सदस्य लेजिसलेटिव एसेम्बली के मेम्बरों द्वारा चुने गये। इस सेन्ट्रल कमेटी के सभापति सर शङ्करनायर बनाये गये।

नोटः—सन् १९१९ के ऐक्ट ने ब्रह्मा में कौंसिल स्थापित नहीं की। सन् १९२२ में एक नया ऐक्ट बनाया गया जिसके अनुसार ब्रह्मा भी गवर्नर के आधीन प्रांत बनाया गया और कौंसिल भी वहां स्थापित हुई। मेम्बरों की संख्या १०४ है जिसमें ७९ चुने हुये हैं।

७—गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट १९३५—इसी ऐक्ट के अनुसार वर्तमान शासन जारी है। इस ऐक्ट ने शासन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किये (१) केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा में देशी राज्यों के प्रतिनिधियों का समावेश (२) रेलवे शासन का पृथक्करण (३) प्रान्तों में स्वशासन (Provincial Autonomy) की स्थापना अर्थात् विभाजित शासन का अन्त। पार्टी पद्धति (Party system) पर शासन का आरंभ। बहुमत वाली पार्टी द्वारा मंत्री मंडल की योजना। (४) फिडरल कोर्ट की स्थापना (५) सिंध तथा उड़ीसा का नये प्रान्त बनाया जाना (६) बर्मा का पृथक्करण (७) बम्बई, मद्रास, बंगाल, युक्तप्रान्त, बिहार और आसाम प्रान्तों में दो व्यवस्थापक सभायें तथा अन्य प्रान्तों में एक की स्थापना। (८) व्यवस्थापक सभाओं में सदस्यों की संख्या की वृद्धि (९) भारत में ब्रिटिश सत्ता तथा स्वार्थों की रक्षा (Safeguards)

इस ऐक्ट का स्वरूप पूर्ण रूप से इस ग्रन्थ के भारतीय शासन विभाग में दिया गया है।

भारत में अंग्रेज़ी शासन

२—इतिहास—आरम्भ से १८५७ तक

वर्तमान अंग्रेजी शासन के जन्म और विकास का इतिहास अत्यन्त महत्वपूर्ण है और प्रत्येक मनुष्य को, जो वर्तमान राजनैतिक परिस्थिति को सूक्ष्म रीति से निरीक्षण करना चाहता है, जानना आवश्यक है । भारत में अंग्रेजों के आने का मूल उद्देश्य अथवा कारण शासन न था किन्तु केवल व्यापार । २४ अक्टूबर सन् १५९९ ई० में (अकबर के शासन काल में) इंग्लैंड में लन्दन के व्यापारियों ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी इस उद्देश्य से बनाई कि पूर्वी देशों से अधिक सुगमता से व्यापार कर सकें और उन्हें इंग्लैण्ड के राज्य की ओर से अधिकार पत्र (Charter) भी प्राप्त हुआ । इस कम्पनी का निमन्त्रण एक शासक (Governor) और उसके साथ दो कार्यकारिणी समतियों (१) कोर्ट आफ प्रोप्राय-टर्स (मालिकों की समिति) और (२) कोर्ट आफ डायरेक्टर्स (संचालकों की समिति) के हाथ में दिया गया । भारत में कम्पनी की फैक्टरियों और अन्य कार्य का प्रबन्ध तीन स्थानों से किया जाता था, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता । प्रत्येक स्थान में एक गवर्नर और कम्पनी के उच्चाधिकारियों का एक मण्डल नियुक्त किया गया जो स्वतन्त्र रूप से प्रबन्ध करता था किन्तु इस कारण परस्पर द्वेष भाव उत्पन्न होने से कार्य में बड़ी गड़बड़ी होती थी ।

एक दूसरी अंग्रेजी कम्पनी ने भी दुकानें क़ायम कीं लेकिन सन् १७०८ के चार्टर से दोनों सम्मिलित हो गईं ।

औरङ्गज़ेब के शासन काल के पश्चात् भारत में केन्द्रीय शासन का अन्त हुआ और देश भर में अनेक शासक प्रान्त २ में उत्पन्न हो गये । मुसलमान और मराठों के द्वन्द युद्ध में अनेक शाखायें फूटीं । फ्रांसीसी व्यापारी और अंग्रेज़ व्यापारियों की उपस्थित ने स्थिति में अनेक ग्रन्थियां डाल दीं । परस्पर द्वेष भाव और प्रति-योगिता के कारण इन्होंने मराठों, निज़ाम, दिल्ली के मुगल बादशाहों, बङ्गाल के नवाबों के गृह युद्ध में स्वार्थ साधन के उद्देश्य को आगे रख कर

पक्ष लेने की उलट फेर युक्त चाल चलना आरम्भ किया जिससे गृह युद्ध ने दधिकाधों का स्वरूप धारण कर लिया।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने व्यापार के साथ साथ लड़ाई का काम भी आरंभ कर दिया और 'मिल' इतिहासकार के अनुसार अंग्रेजों ने बिना किसी कारण के तञ्जोर के नरेश प्रतापसिंह के विरुद्ध शाहाजी की जो स्वयं राज्य चाहता था सहायता की, उद्देश्य इतना ही था कि देहीकोटा मिल जावे। किन्तु लड़ाई में अंग्रेज़ बुरी तरह हारे। इस पर वे दुबारा लड़ने पर तैयार हुये। अन्ततः सुलह होगई और अंग्रेजों ने शाहाजी का साथ छोड़ दिया और प्रतापसिंह से जिस क़िले को वे चाहते थे पाया और साथ साथ रियासत भी जिसकी आमदनी ६००० पैगोडा थी पाई।

बङ्गाल में सिराजुद्दौला के राज्यारोहण से अंग्रेजों के स्वार्थ साधन में बाधा पड़ने लगी थी। लड़ाई का कारण पैदा होते देर न लगी। एक ज़मींदार ने मालगुज़ारी न दी इस पर नवाब की तरफ से उस पर अत्याचार हुये। वह भाग कर कलकत्ता चला गया। नवाब ने उसे अंग्रेजों से मांगा। उन्होंने इनकार कर दिया इस पर १८ जून १७५६ को सिराजुद्दौला ने कलकत्ते पर चढ़ाई करके फोर्ट विलियम ले लिया। हालवेल और बहुत से अंग्रेजी सैनिक पकड़े गये। मिल इतिहासकार का कहना है कि अंग्रेज लोग स्वयं कैदियों को उसी स्थान में रखते थे जिसमें वे रक्खे गये और उन्हीं ने नवाब के मनुष्यों को वह जगह बताई। ऐसा कहा जाता है कि १४६ आदमी एक कोठरी में बन्द कर दिये गये जिसमें केवल २३ आदमी जीवित रहे बाकी मर गये। इसी को "ब्लैक होल" दुर्घटना कहते हैं। यह वैसी ही दुर्घटना मालूम होती है जैसी सन् १९२१ में हुई जब मोपलाओं के दंगे में रेलगाड़ी के डिब्बे में अनेक क़ैदी भर दिये गये और उनमें से थोड़े छोड़ कर सब दम घुटने से मर गये। उपरोक्त दुर्घटना के कारण अंग्रेजों में बड़ा क्षोभ उत्पन्न हुआ और क्लाइव और वाटसन दक्षिण से भेजे गये। उन्होंने नवाब से फोर्ट विलियम वापिस ले लिया और कुछ धन भी लिया।

इसी समय फ्रान्स और इंगलैण्ड में लड़ाई आरम्भ होने से क्लाइव ने चन्द्रनगर पर धावा कर दिया। इस पर नवाब सिरजुद्दौला ने फ्रान्स की सहायता करनी चाही। क्लाइव ने यह देखकर नवाब के सेनापति मीरजाफर को यह लालच दिखाकर कि जीतने

पर तुम्हें नवाब बना देंगे अपनी तरफ फोड़ लिया। यह फोड़ी फाड़ी बंगाल के प्रसिद्ध सेठ ओमीचन्द्र के जरिये हुई थी। ३० लाख रुपया देना उसे कहा गया किन्तु उसका यह कहना था कि नवाब के खजाने से जो कुछ मिले उसमें से ५ रु० फी सैकड़ा मुझे मिले। यह बात क्लाइव के साथियों को पसन्द न थी परन्तु 'मिल' इतिहासकार कहता है कि क्लाइव ने दो संधियां बनाईं जिनमें एक में ओमीचन्द को कमीशन देने का इक़रार था और दूसरे में नहीं। एडमिरल वाटसन चूंकि इस जाल के ख़िलाफ़ था इसलिये क्लाइव ने उसके जाली दस्तख़त बना दिये। इस तैयारी के बाद नवाब से कड़े शब्दों में सब हानियों की पूर्ति मांगी गई। नवाब के इनकार करने पर क्लाइव ने धावा कर दिया। प्लासी का युद्ध हुआ जिसमें मीरजाफर ने धोखा दिया और सिराजुद्दौल हार गया। मीरजाफर बंगाल का नवाब बना दिया गया और कम्पनी को २३ लाख पौंड (३·४५ करोड़ रुपये) का धन मिला जिस में से क्लाइव को खुद २ लाख पौंड (३० लाख रुपया) का धन मिला।

मि० ब्रुक ऐडम्स अपनी पुस्तक "ला आफ सिविलीज़ेशन ऐन्ड डिके" में लिखते हैं कि "प्लासी की लड़ाई के बाद ही बंगाल की लूट का माल इंग्लैंड में पहुंचना शुरू हुआ और सब सिद्ध हस्तों का इस बात पर एक मत है कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन (औद्योगिक क्रांति) १७६० में शुरू हुई।...........कदाचित जगत के आरंभ से किसी भी व्यवसाय में किसी भी देश को ऐसा लाभ नहीं हुआ जैसा इंग्लैण्ड को भारत की लूट से हुआ" स० १७५८ में क्लाइव गवरनर बनाया गया।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी की लालच बढ़ती गयी जिसे मीरजाफर पूरा न कर सका। इसलिये उसे हटा कर उसका दामाद मीर क़ासिम नवाब बनाया गया कम्पनी के नौकर निजी व्यापार करते थे और नाजायज़ फायदा उठाते थे। मीर क़ासिम ने अपनी प्रजा और अंग्रेजों के लिये (जिन्हें पहिले टैक्स माफ थे) दोनों को समान करने के लिये कस्टम टैक्स माफ़ कर दिये। अंग्रेज व्यापारियों को यह बुरा लगा उन्होंने मीरकासिम को १७६३ में हटा दिया और मीरजाफ़र को फिर नवाब बना दिया। मीर जाफ़र सन् १७६५ में मरा और उसका पुत्र नजीमुद्दौला नवाब बनाया गया। कम्पनी के नौकरों ने नये नवाब से २० लाख रुपये की इनामें ले लीं

भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासक।

नाम गवर्नर जनरल्स, फोर्ट विलियम, बंगाल	नियुक्ति
वारेन हेस्टिंग्स	२० अक्टूबर १७७४
सर जान मैकफरसन	८ फरवरी १७८५
अर्ल कर्नवालिस	१२ सितम्बर १७८६
सर जान शोर	२८ अक्टूबर १७९३
सर एलफ्रेड क्लार्क (स्थानापन्न)	१७ मार्च १७९८
अर्ल आफ मार्निंगटन (मारक्विस वेलज़ली)	१८ मई १७९८
मारक्विस कार्नवालिस (दूसरी बार)	३० जुलाई १८०५
कैप्टेन एल० ए० पी० ऐन्डर्सन, तथा सर जार्ज बारलो	१० अक्टूबर १८०५
लार्ड मिन्टो	३१ जुलाई १८०७
अर्ल आफ मोयरा (मारक्विस आफ हेसटिंग्स)	४ अक्टूबर १८१३
जान ऐडम (स्थानापन्न)	१३ जनवरी १८२३
लार्ड ऐमहर्स्ट	१ अगस्त १८२३
विलियम बटरवर्थ बेली (स्थानापन्न)	१३ मार्च १८२८
लार्ड बेनटिंक	४ जुलाई १८२८

नोट--ता० १४ नवम्बर १८३४ से लार्ड बेनटिंक गवर्नर जरनल, इण्डिया हुये।

नाम गवर्नर जनरल्स, इण्डिया।	नियुक्ति
लार्ड बेनटिंक	१४ नवम्बर १८३४
सर चार्ल्स मेटकाफ	२० मार्च १८३५
लार्ड आकलैंड	४ मार्च १८३६
लार्ड एलिनबरा	२८ फरवरी १८४२
विलियम विलबरफोर्स (स्थानापन्न)	१५ जून १८४४
सर हेनरी हार्डिंज (वाइकौंट)	२३ जुलाई १८४४
अर्ल आफ डलहौज़ी	१३ जनवरी १८४८
वाईकौंट कैनिंग	२९ फरवरी १८५६

नोट—१ मई १८५४ में बंगाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर नियत हुआ उसी रोज़ से बङ्गाल का प्रेसीडेन्सी का अधिकारी गवर्नर जनरल नहीं रहा। ता० १ अप्रेल १९१२ को बंगाल में गवर्नर मुकर्रर हुआ और लेफ्टिनेन्ट गवर्नर की जगह तोड़ दी गई।

और कुल इंतिज़ाम कम्पनी के हाथों में देने के लिये मजबूर किया। इसके एवज़ में नवाब को ४५ लाख रुपया पेन्शन लगा दी गई।

इसी बीच में शाह आलम द्वितीय से अंग्रेजों ने बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त करली और उसे ३६ लाख रुपया की पेन्शन लगा दी। इस दीवानी की प्राप्ति से कंपनी को इन तीन प्रान्तों में शासनाधिकार पूर्ण रीति से प्राप्त हो गये। इस अधिकार का सबसे बड़ा उपयोग कम्पनी ने यह किया कि रेशम के कपड़े बुनने वालों को कपड़े बुनने की मनाई कर दी और इस मनाई को ऐसी सख़्ती से बरता गया कि थोड़े ही साल में बुनने का काम बिलकुल बन्द हो गया और इंग्लैण्ड से बुना हुआ कपड़ा उलटा भारत को आने लगा।

सन् १७७३ में लार्ड क्लाइव पर हाउस आफ कामन्स में रुपया खाने का अभियोग लगाया गया। वह बरी कर दिया गया परन्तु दुख के कारण उसने १७७४ में आत्मघात कर लिया।

स० १७७३ में रेगुलेटिंग एक्ट पास हुआ।

इस ऐक्ट के अनुसार सन् १७७४ में वारन हेस्टिंग्ज़ गवर्नर जनरल बनाया गया और वह सन् १७८५ तक रहा। कम्पनी की आर्थिक अवस्था अत्यन्त ख़राब थी। हेसटिंग्ज़ ने सब प्रकार से कम्पनी को धनी बनाने का प्रयत्न किया। इलाहाबाद और कोटा उसने नवाब अवध को ५० लाख रुपये में बेच दिये, दिल्ली के बादशाह की २६ लाख रुपये वाली पेन्शन बंद कर दी, अवध की बेगमों को लूट लिया। अवध के नवाब सिराजुद्दौला को हेसटिंग्ज़ ने ४ लाख पौंड पर अपनी अंग्रेज़ी फौज़ किराये पर दे दी और रुहेलों पर नवाब की फ़ौजों से मिलकर हमला कर दिया। सारा रुहेलखंड बरबाद कर दिया गया। अंग्रेज लोग निष्कारण हैदरअली (मैसूर) से भी लड़े परन्तु हार गये।

सन् १७८५ में वारेन हेसटिंग्ज़ के इंग्लैण्ड लौटने पर उस पर हाउस आफ कामन्स में उपरोक्त अत्याचारों के लिये मुक़दमा चलाया गया जो ७ वर्ष चला परन्तु अन्त में हेसटिंग्ज़ बरी कर दिया गया।

मि० मेकफ़रसन १७८५–८६ (कौंसिल के सीनियर मेम्बर) ने वारन हेसटिंग्ज़ के जाने पर २० महीने तक गवर्नर जनरल का काम किया।

लार्ड कार्नवालिस (१७८३–९३) ने, जो इसके बाद गवर्नर जनरल हुये, बंगाल में इस्तमरारी बन्दोबस्त

(Permanent Settlement) किया ।

सर जान शोर (१७९३–९८) गवर्नर जनरल ने किसी से हस्तक्षेप न करने की नीति चलाई । सरएलफ्रेड क्लार्क ने उसके जाने पर तीन महीने काम किया ।

मारक्विस आफ़ वेलेज़ली सन् १७९८ में गवर्नर जनरल हुये । उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि अंग्रेज़ी शक्ति को भारत में सर्वोच्च शक्ति बना दें । उन्होंने देशी राज्यों के साथ संधियां और उप-संधियां करने की नीति चलाई इस नीति से धीरे २ उन्होंने क़रीब २ सब देशी नरेशों की रक्षा का प्रबन्ध अपने हाथों में ले लिया अर्थात् उनसे यह बात मन्जूर कराली कि उनकी रक्षा के लिये फ़ौज़ें अंग्रेज़ रक्खेंगे और वे ही उनकी तरफ़ से लड़ेंगे । देशी नरेश इसके लिये अंग्रेजों को सालाना ख़र्चा देंगे । यह नीति देशी राज्यों के लिये कितनी घातक सिद्ध हुई यह बात बताने की आवश्यकता नहीं ।

इस समय मराठों की शक्ति बड़ी बलवान थी । वेलेज़ली ने उसे तोड़ना चाहा और बराबर दो तीन साल तक प्रयत्न करते रहे कि श्रीमन्त पेशवे उनसे उपरोक्त प्रकार की संधि करलें परन्तु नानाफणनवीस प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ इस चाल में न आये । सन् १८०० में नाना फणनवीस की मृत्यु पर मराठे सरदारों में घरेलू युद्ध आरम्भ हुआ और यह मौक़ा देखकर वेलेज़ली ने श्रीमन्त पेशवे से सन्धि (बसीन) करली इस सन्धि के अनुसार श्रीमन्त पेशवे ने, कुल सैनिक प्रबन्ध अंग्रेज़ों के हाथ में देदिया । इस संधि के कारण द्वितीय मराठा युद्ध छिड़ गया । अंत में सिंधिया ने यमुना नदी के उत्तर का भाग अंग्रेजों को छोड़ दिया और शाह आलम दिल्ली के बादशाह को भी उन्हीं को दे दिया । वेलेज़ली ने बादशाह को इस युद्ध का फल भी नहीं दिया वरन् उसके कुल रहे सहे अधिकार भी नष्ट कर दिये । अंग्रेज़ों को भी इस युद्ध से बड़ी हानि पहुंची ।

वेलेज़ली वापिस बुला लिये गये और लार्ड कार्नवालिस दुबारा भेजे गये कि किसी तरह शांति स्थापित करें । वे पहुंचने के बाद ही गाज़ीपुर में मर गये ।

सर जार्ज बारलो ने कुछ रोज़ गवर्नर जनरल का कार्य किया । इनके शासन काल में १० जुलाई १८०६ को वेलोर में सिपाहियों ने ग़दर कर दिया ।

अर्ल मिंटो ने अंग्रेज़ी शासन को दृढ़ किया । जावा व मारीशस पर

BLOCKS & DESIGNS
for
Book Illustrations, Newspapers,
Magazines, Catalogues,
Charts and Commercial work
of every description.
CINEMA SLIDES
CALENDARS AND
LABELS.
QUALITY SERVICE IN
PROCESS ENGRAVING
XMAS, NEW YEAR,
ID, HOLI
AND
GREETING CARDS.
NAME PLATES for Furniture.
ADVERTISING NOVELTIES.
REMEMBER!
MAXWELL Co
66, La-Touche Road Lucknow.
FINE ART PRINTERS

भी हमला किया। उन्होंने महाराजा रणजीतसिंह "शेर पंजाब" से संधि की। इस समय भारत में सब से पहिला सत्याग्रह हुआ। बनारस में हाउस टैक्स लगाये जाने पर जनता ने घर छोड़ दिये और शहर के बाहर जा बसी। १५ दिन तक हड़ताल रही। सरकार को टैक्स बंद करना पड़ा।

लार्ड मोयरा मारकुइस आफ़ हेस्टिंग्स, (१८१३-२३) के शासन काल में श्रीमन्त पेशवे का कुल राज्य ले लिया गया। सिंधिया से नई सन्धि की गई और होलकर से भी उनके राज्य का कुछ भाग लिया गया। तीसरे मराठा युद्ध का यह सब फल था। इन्हीं गवर्नर जनरल के शासन काल में पुलिस टैक्स के कारण बलवा हुआ और नमक टैक्स के कारण अनेक स्थानों में दंगे हुये। नमक का मूल्य १४ आने मन से ६ रु० मन हो गया था।

लार्ड ऐम्हर्स्ट (१८२३–२८) के समय में ब्रह्म देश के अराकाना तथा अन्य प्रान्त अंग्रेज़ों को प्रथम बर्मा युद्ध के अन्त में मिले। गुजरात व कच्छ में अंग्रेज़ी राज्य के विरुद्ध दंगे हुये।

लार्ड बेनटिंक (१८२८–३४) के समय में चार्टर ऐक्ट १८३३ का पास हुआ जिसमें अन्य बातों के साथ यह तत्व भी रक्खा गया कि भारत का कोई निवासी केवल धर्म या निवास स्थान या रंग के कारण ही कम्पनी की किसी नौकरी या पद से वंचित न रक्खा जावेगा। बेनटिंक ने कुछ सुधार किये परन्तु देश की दरिद्रता के कारणों में वृद्धि होने के कारण देश दिन प्रति दिन दुर्बल ही होता गया।

सर चार्लस् मेटकाफ (१८३५-३६) के समय में समाचार पत्रों को आज़ादी दी गई।

लार्ड आकलैंड (१८३६–४२) ने अफ़ग़ानिस्तान में अपने एक पिट्ठू शाह शुजा को राजा बनाना चाहा और लड़ाई की परन्तु बुरी तरह हारे। इस पर वे वापिस बुलाये गये।

लार्ड एलेनबरा (१८४२–४४) ने अफ़ग़ानिस्तान को हराया। सिंध प्रान्त पर निष्कारण अधिकार कर लिया।

लार्ड हार्डिंज (१८४४–४८) ने सिक्खों से लड़ाई छेड़ दी और लाहौर प्रान्त पर अधिकार कर लिया।

लार्ड डलहौज़ी (१८४८–५६) ने नई नीति जिसे ज़ब्ती या हड़प नीति (Policy of the Lapse) कहते हैं जारी की। इस

नीति से सब देशी राज्यों के वारिस अंग्रेज़ बन बैठे। जिस देशी नरेश की मृत्यु हुई और उसने पुत्र न छोड़ा तो उसकी वारिस ईस्ट इंडिया कम्पनी बन गई। गोद लिये हुये लड़के नाजायज़ माने गये क्योंकि कम्पनी के धर्म में गोद लेने की प्रथा नहीं थी। इस न्याय (अथवा अन्याय) से सतारा, नागपूर, झांसी और अवध के राज्य हड़प कर लिये गये।

सन् १८५३ में कम्पनी का चार्टर बदल दिया गया। कोई मियाद इसमें नहीं रक्खी गई सिर्फ यह लिख दिया गया कि यह चार्टर तब तक जारी रहे जब तक पार्लियामेंट इसे बदल न दे। तब तक ब्रिटिश नरेश के लिये कम्पनी शासन करे।

वाइकौंट कैनिंग (१८५६–१८६२) के समय में भारत में विप्लव हुआ। इसे अंग्रेज़ी में "सिपाइ म्युटिनी" कहते हैं परन्तु वास्तव में अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता का प्रथम संगठित युद्ध था जो अनेक कारणों से निष्फल हुआ। इस युद्ध में महारानी लक्ष्मीबाई (झांसी), नाना साहेब पेशवे, दिल्ली के शाहज़ादे तथा अनेक व्यक्ति सम्मिलित थे। अंग्रेज़ी सेना के देशी सिपाहियों का उभरना एक सामयिक बात थी। कारण पहिले से ही मौजूद थे। केयी और मेलेसन ने अपने इतिहास में कारणों को भली प्रकार दिया है।

इस साल के युद्ध के बाद देश में शांति स्थापित हुई और सन् १८५८ में भारत का शासन गवरमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट के अनुसार ब्रिटिश नरेश के हाथों में ले लिया गया।

वाइसराय और गवर्नर जनरल आफ इण्डिया।

नाम	नियुक्ति
१ वाइकौंट कैनिंग	१ नवम्बर १८५८
२ अर्ल आफ एलगिन ऐन्ड किनकारडिन	१२ मार्च १८६२
३ सर रोबर्ट नेपियर	२१ नवम्बर १८६३
४ सर विलियम टी० डेनीसन	२ दिसम्बर १८६३
५ सर जान लारेन्स	१२ जनवरी १८६४
६ अर्ल आफ मेयो	१२ जनवरी १८६९
७ सर जान स्ट्रेची	९ फरवरी १८७२
८ लार्ड नेपियर आफ मर्चिसटाउन	२३ फरवरी १८७२
९ लार्ड नार्थब्रुक	३ मई १८७२
१० लार्ड लिटन	१२ अप्रेल १८७६
११ मारक्विस आफ रिपन	८ जून १८८०
१२ अर्ल आफ डफ़रिन	१३ दिसम्बर १८८४
१३ मारक्विस आफ लैन्सडाऊन	१० दिसम्बर १८८८
१४ अर्ल आफ एलगिन ऐन्ड किनकारडिन	२७ जनवरी १८९४
१५ लार्ड कर्ज़न	६ जनवरी १८९९
१६ लार्ड एम्पटिल	३० अप्रेल १९०४
१७ लार्ड कर्ज़न	१३ दिसम्बर १९०४
१८ अर्ल आफ मिंटो	१८ नवम्बर १९०५
१९ बैरन हार्डिज आफ पैन्सहर्स्ट	२३ नवम्बर १९१०
२० लार्ड चेम्सफोर्ड	५ अप्रैल १९१६
२१ लार्ड रीडिंग	३ अप्रैल १९२१
२२ लार्ड अर्विन	४ अप्रेल १९२६
२३ लार्ड विलिंगडन	४ अप्रेल १९३१
२४ मारक्विस आफ लिनलिथगो	४ अप्रेल १९३६

सेक्रेटरी आफ़ स्टेट फ़ार इण्डिया।

(भारत मन्त्री)

नाम	नियुक्ति
१ लार्ड स्टेनले	२ सितम्बर ८५८
२ सर चार्ल्स वुड	१८ जून १८५६
३ अर्ल डिग्रे और रिपन	१६ फरवरी १८६६
४ वाईकौंट क्रेनबोर्न	६ जुलाई १८६६
५ सर स्टैफर्ड नार्थकोट	८ मार्च १८६७
६ ड्यूक आफ आरगाइल	६ दिसम्बर १८६८
७ मारक्विस आफ सैलिसबरी	२१ फरवरी १८७४
८ वाईकौंट क्रेनब्रुक	२ अप्रेल १८७८
९ मारक्विस आफ हारटिंगटन	२८ अप्रैल १८८०
१० अर्ल आफ किम्बरले	१६ दिसम्बर १८८२
११ लार्ड रैंडलफ चर्चहिल	२४ जून १८८५
१२ अर्ल आफ किम्बरले	६ फरवरी १८८६
१३ वाइकौंट क्रास	३ अगस्त १८८६
१४ अर्ल आफ किम्बरले	१८ अगस्त १८९२
१५ सर हेनरी फ्लावर	१० मार्च १८९४
१६ लार्ड जार्ज हैमिलटन	४ जुलाई १८९५
१७ वाइकौंट मोरले	११ दिसम्बर १९०५
१८ अर्ल आफ क्रू	७ नवम्बर १९१०
१९ वाइकौंट मोरले	७ मार्च १९११
२० अर्ल आफ क्रू	२५ मई १९११
२१ आस्टिन चेम्बरलेन	२६ मई १९१५
२२ ई. एस. मान्टेगू	२० जुलाई १९१७
२३ वाइकौंट पील	२१ मार्च १९२२
२४ लार्ड आलिवियर	२३ जुलाई १९२४
२५ अर्ल आफ बर्किनहेर	७ नवम्बर १९२४
२६ वाइकौंट पील	१८ अक्टूबर १९२८
२७ डबलू वेजवुडबेन	जून १९२९
२८ सर सेमुअल होर	१९३१
२९ लार्ड ज़ेटलैंड	१९३५

भारत में अंग्रेज़ी शासन।

३—इतिहास—ब्रिटिश नरेश के आधीन।

१८५८ से वर्तमान काल तक।

१ दिसम्बर १८५८ को इलाहाबाद में एक बड़ा दरबार किया गया और शाही फ़रमान द्वारा घोषित किया गया कि रानी विक्टोरिया ने भारत का शासन अपने हाथ में ले लिया है। घोषणा में यह बताया गया कि सब की सम्पत्ति सुरक्षित रक्खी जावेगी और योरोपियन और भारतीयों को समानाधिकार प्राप्त होंगे। उस समय भारतवासियों में से अनेकों को यह प्रतीत हुआ था कि उनके दुःखों का अन्त आ गया परन्तु थोड़े ही वर्षों के पश्चात् यह स्पष्ट होने लगा कि पुरानी शासन पद्धत्ति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। कोर्ट आफ डायरेक्टर्स के बदले सेक्रेटरी आफ स्टेट का निरंकुश शासन प्रारम्भ हुआ। भारतीय प्रजा निःशस्त्र कर दी गई। और भारत का शासन नौकरशाही की स्वेच्छा पर निर्भर कर दिया गया।

लार्ड कैनिंग सन् १८६२ में चले गये और उनकी जगह पर लार्ड ऐलगिन ने केवल थोड़े महीने कार्य किया।

सर जान लारेन्स (१८६२-६९) ने सुलह करने की नीति चलाई। इन के शासन काल में दो बड़े ज़बरदस्त दुर्भिक्ष पड़े। उड़ीसा (१८६६) और बुन्देलखण्ड (१८६८-६९) दोनों प्रान्त तबाह हो गये।

लार्ड मेयो (१८६९-७२) ने एग्रीकलचरल डिपार्टमेंट (खेती विभाग) क़ायम किया। इस विभाग की उपयोगिता भारतवासियों के लिये आज तक कुछ नहीं हुई है यद्यपि लाखों रुपया हर साल इस विभाग के कर्मचारियों को बड़ी २ तनख्वाहें देने में ख़र्च किये जाते हैं। लार्ड मेयो ने प्रान्तीय जमा ख़र्च के हिसाब रखने का सिलसिला चलाया। इनके शासन काल में बाबा रामसिंह ने खालसा (सिंह) लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा किया परन्तु सरकार

द्वारा उनका दमन किया गया। सरकारी नौकरों ने अनेकों अत्याचार किये उनमें से एक उदाहरण यह है कि जलंधर के डिपुटी कमिश्नर मि० कोवन ने ४६ सिक्खों को निर्दयता पूर्वक तोप से उड़ा दिया।

लार्ड नार्थब्रुक (१८७२-७६) ने भारतीयों के साथ कुछ सहृदयता प्रदर्शित की किन्तु अंग्रेजी नौकरशाही ने उनका विरोध किया। इन्हीं के शासन काल में प्रिंस एडवर्ड (युवराज) भारत में भ्रमण करने आये। उनके लिये देश भर में स्वागत के लिये नौकर शाही द्वारा प्रबन्ध किया गया। बाबू कृष्टोदास पाल ने युवराज के नाम एक खुली चिट्ठी प्रकाशित की और स्वागत करते हुये यह बताया कि नौकर शाही उन्हें भारत की असली परिस्थिति नहीं बता रही है। सारी सजावट केवल बनावट है। भारतीय दिन प्रति दिन निर्धन हो रहे हैं और इस निर्धनता का कारण दुःशासन है। अफ़ग़ानिस्तान में अंग्रेज़ी कमीशन भेजने से इनकार करने के कारण लार्ड नार्थब्रुक ने इस्तीफा दे दिया (१८७६)।

लार्ड लिटन (१८७६-८०) के शासन काल में बड़ी फ़िजूल ख़र्ची की गई। दक्षिण भारत में ज़बरदस्त अकाल होने पर भी लाखों रुपया दिल्ली दरबार (१८७७) में उड़ाया गया। इसके साथ २ काबुल पर निष्कारण हमला किया गया जिसमें सर लुइ केवेगनेरी और उनके साथियों का बध हुआ और द्वितीय अफ़ग़ान युद्ध छिड़ गया। रूसी हौआ बता कर फ़ौज ख़ूब बढ़ा ली गई, और सीमाप्रान्त में बड़ी भारी फौज एकत्र की गई जो मौका पड़ने पर हार गई। देशी भाषाओं के समाचार पत्रों पर दमन आरम्भ किया गया, लंकाशायर को प्रसन्न करने के लिये रुई के माल पर आयात कर बन्द कर दिया गया और शस्त्रों का क़ानून (Arms Act) बनाया गया।

लार्ड रिपन (१८ ०-८४) ने देशी भाषा के समाचार पत्रों सम्बन्धी प्रेस ऐक्ट रद्द कर दिया और म्यूनिसपल और ज़िला बोर्ड स्थापित कराये। भारतीय और अंग्रेजी दोनों के मुक़दमे भारतीय मजिस्ट्रेटों के सामने ही हों ऐसा एक बिल 'इलवर्ट बिल' इम्पीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल में पेश किया गया जिस पर अंग्रेजों ने घोर आन्दोलन किया और यहाँ तक असंतुष्ट हुये कि वाइसराय को पकड़ कर और जहाज़ में रखकर इंग्लैण्ड भेज देने के लिये कुछ अंग्रेज़ों ने सलाह भी करली। इस कारण बिल पास न हो सका। अंग्रेज़ खुद को

भारतियों के समान नीचा कैसे बना ले सकते थे।

लार्ड डफ़रिन (१८८४-९२) ने ब्रह्म देश के साथ लड़ाई छेड़ दी और रूस से लड़ने के लिये तैयारियाँ कीं। इन्हीं वाइसराय के समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापित की गई (१८८५)। लार्ड डफ़रिन ने कांग्रेस के स्थापित होने में बड़ी कठिनाइयां डालीं और मि० ह्यूम से जो पत्र व्यवहार किया वह पढ़ने योग्य है। अंग्रेज़ी शासन के विरुद्ध संगठित रूप से इन्हीं वाइसराय के शासन काल में पहिले पहिल आवाज़ उठाई गई।

लार्ड लैन्सडाऊन (१८९२-९४) ने भी लार्ड डफ़रिन की नीति चलाई अंग्रेज़ी राज्य की सीमा सब प्रकार बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। पश्चिमोत्तर सीमा का बहुत सा प्रदेश अमीर अफ़गानिस्तान की इच्छा के विरुद्ध दबा लिया। मनीपुर के राजा पर भी अत्याचार किया गया। काश्मीर के महाराज को भी गद्दी से उतार दिया गया। 'अमृत बाज़ार पत्रिका' में इस सम्बन्ध में बड़ी कड़ी आलोचनायें निकलीं यहां तक कि लार्ड लैन्सडाऊन के हाथ के लिखे हुये पत्र की एक नकल भी प्रकाशित कर दी गई जिसमें उक्त वाइसराय का सरासर अन्याय दिखाई देता था। इसी कारण "आफिस सीक्रेट एक्ट" पास किया गया। इस ऐक्ट के अनुसार सरकारी गुप्त चिट्ठी पत्री प्रकाशित करना जुर्म क़रार दिया गया।

लार्ड एलगिन (१८९४-९९) के आने पर सरकारी जमा ख़र्च में सवा दो करोड़ की घटी मालूम पड़ी जिसके कारण अनेक वस्तुओं पर आयात कर लगाया गया परन्तु रुई के माल पर नहीं लगाया गया। रुपया की दर कम होते २ इस समय १ शिलिंग १ पेनी हो गई (१८९५)। सीमा-प्रान्त पर अनेक झगड़े हुये। स० १८९५ में चितराल में जो ब्रिटिश ऐजेंट था वह घेर लिया गया। मुश्किल से छुड़ाया जा सका। १८९७ में बज़ीर स्वातों और मुहम्मदी लोगों ने मक्के पर हमला कर दिया और अफ़्रीदियों नें ख़ैबर पास रोक लिया। इस झगड़े में क़रीब १०००० अफ़सर और सिपाही मारे गये भारत पर इन सब लड़ाइयों का ख़र्चा लद गया और १८८६-८७ में दुर्भिक्ष के कारण भारत, अत्यन्त दुःखी हो गया। इसी समय में बम्बई प्रान्त में बड़े ज़ोर शोर से प्लेग आरम्भ हुआ। सरकारी कर्मचारियों ने जनता से बड़ा बुरा व्यवहार किया। पूना में

इसी कारण मि० रैंड का खून भी हुआ। भारत के दुःख धीरे २ अंग्रेज़ी शासन में बढ़ते ही गये। लेकिन शासकों ने इस ओर ध्यान ही न दिया।

लार्ड कर्ज़न (१८९९-१९०५) ने आकर खुल्लम खुल्ला भारतियों के विचारों तथा इच्छाओं की अवहेलना आरम्भ कर दी। स्थानीय स्वराज्य की जड़ काट दी। भारतियों को झूठा और नीच कहने लगे। नौकर शाही के अधिकार बढ़ा दिये। यूनीवर्सिटियों पर अफसरी अधिकार जमाया गया। प्रान्तीय नौकरियों के लिये परीक्षायें जो ली जाती थीं वे बन्द कर दी गईं। इसके अतिरिक्त हिन्दू मुसलमानों में भेद डालने के लिये और बंगालियों का जोर तोड़ने के लिये बंगाल प्रान्त के दो टुकड़े कर दिये गये। इस नीति से सारे देश में असन्तोष छा गया और स्वदेशी तथा बायकाट आन्दोलन बड़ी तीव्रता से चलने लगे। अदालतों का बायकाट भी किया गया और पंचायत बोर्ड भी स्थापित हुये। १६ अक्टूबर १९०५ को देश में हड़ताल हुई और विदेशी वस्तु का बायकाट और स्वदेशी के ग्रहण की शपथ लाखों मनुष्यों ने ली।

लार्ड किचनर से फ़ौजी मुहकमें पर भारत सरकार की देख रेख सम्बन्धी झगड़े के कारण स० १९०५ में लार्ड कर्ज़न ने स्तीफ़ा दे दिया।

लार्ड मिन्टो (१९०५-१०) के आने से भारत में दमन नीति का स्वरूप उग्र हो गया। प्रजा के नेताओं की धड़पकड़ आरम्भ हुई अनेक बिना कारण पकड़े गये। लाला लाजपतराय निर्वासित किये गये। श्री० अरविन्द घोष तथा विपिन चन्द्रपाल गिरफ़्तार हुये। लो० तिलक को कड़ी सजा दी गई। नये २ ऐक्ट पास किये गये जिनके द्वारा जनता के अधिकार कुचले गये, उदाहरणार्थ, "इक्सप्लोसिव ऐक्ट", राज्यद्रोही सभाओं के मनाई सम्बन्धी क़ानून 'क्रिमिनल ला एमेंडमेंट ऐक्ट' इत्यादि।

इस शासन काल में यदि कोई अच्छा कार्य कहा जा सकता है तो वह यह था कि कौंसिलों का स्वरूप कुछ विस्तृत कर दिया गया। उन्हें "मोरले मिंटो" सुधार कहते हैं।

लार्ड हार्डिंग (१९१०-१६) के समय में कोई विशेष कार्य नहीं हुआ। सन् १९११ में सम्राट पंचमजार्ज भारत में आये और बंग-भंग रद्द कर दिया गया। सन् १९१३ में दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ अनुचित व्यवहार होने के कारण आन्दोलन आरम्भ हुआ। सन् १९१४ में जर्मन

युद्ध शुरू हुआ और भारत से सब प्रकार की सहायता, धन और मनुष्य लिये गये।

लार्ड चेम्स फोर्ड (१९१६-२१) के समय में क़ानून द्वारा दमन की मात्रा बहुत बढ़ गई। डिफेन्स आफ इण्डिया ऐक्ट पास करके राजनैतिक आन्दोलन को दबाने का कार्य किया गया। मिसेज़ बेसेन्ट जार्ज एरंडेल एच. वाडिया नज़र क़ैद किये गये। होमरूल आन्दोलन ने जोर पकड़ा और कांग्रेस के दोनों पक्ष नरम व गरम लखनऊ में (१९१६) एक हो गये। भारत ने स्वराज्य की मांग एक स्वर से की। इम्पीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल के १९ सदस्यों ने राष्ट्रीय मांग का मसौदा विलायत भेजा।

२० अगस्त १९१७ को ब्रिटिश पर्लियामेंट में मि० मान्टेग्यू भारत मन्त्री ने घोषणा की।

"सम्राट के सरकार की यह नीति है और इस नीति से भारत सरकार पूर्णतया सहमत है कि राज्य-प्रबन्ध के प्रत्येक विभाग में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाय और क्रमशः स्वशासन की संस्थाओं की बढ़ती हो जिससे कि ब्रिटिश साम्राज्य का अंश रहते हुये भारत में उत्तरदायी शासन पद्धति का दिनों दिन विकास हो। सम्राट की सरकार ने यह निश्चय कर लिया है कि यथासम्भव शीघ्र ही इस ओर यथार्थ कार्य किया जायगा और क्रमशः पद्धति निर्णय करने के लिये यह अत्यावश्यक है कि पहले आंग्ल देश के अधिकारियों और भारत के कर्मचारियों में पूर्णतया बहस हो ले। अतः सम्राट की सम्मति से सरकार ने यह निश्चय किया है कि वाइसराय का निमन्त्रण स्वीकार कर मैं भारत जाऊँ और वाइसराय और भारत सरकार से इस सम्बन्ध में बहस करूँ और वाइसराय के साथ साथ प्रान्तीय सरकारों की राय भी लूँ और प्रतिनिधिक संस्थाओं आदि के विचारों को भी सुनूँ।

"यह कहना ज़रूरी है कि इस नीति के अनुसार उन्नति धीरे २ मंजिल दर मंजिल ही हो सकती है। ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार जिनके ऊपर भारतवासियों के कल्याण और उत्कर्ष की जिम्मेदारी है वे ही उन्नतिक्रम के समय और सीमा का निर्णय करेंगे। यह निर्णय इस बात पर निर्भर होगा कि कहां तक उन लोगों की सहायता मिलती है जिनको कि सेवा के नये अवकाश मिलेंगे और उनके उत्तरदायित्व के भाव पर कहाँ तक भरोसा किया जा सकता है।

"हमारे प्रस्तावों पर जनता की ओर से बहस और आलोचना होने का पर्याप्त अवसर दिया जायगा और ये प्रस्ताव उपयुक्त समय पर पार्लियामेंट के सम्मुख उपस्थित किये जायँगे।"

इसके पश्चात मि० मांटेगू भारत में आये और अनेक संस्थाओं के प्रतिनिधियों से मिले। राष्ट्रीय महासभा और मुस्लिम लीग ने एक संयुक्त योजना पेश की जिसे "कांग्रेस लीग स्कीम" कहते हैं मिस्टर मांटेगू ने जो रिपोर्ट पेश की उसे मांटेगुचेम्सफोर्ड रिपोर्ट आफ रिफार्मेस कहते हैं। तीन कमेटियों ने भी इन सुधारों के सम्बन्ध में काम किया था जिनकी जांच पार्लियामेंट की दोनों सभाओं की एक ज्वाइंट कमेटी ने की। इन सब कमेटियों की सामग्री के आधार पर १६१६ में "गवरन्मेंट आफ इण्डिया ऐक्ट" पास किया गया।

जब कि शासन सुधार सम्बन्धी जांच जारी थी सरकार ने एक दमनकारी ऐक्ट पास किया जिसे "काला ऐक्ट" और "रौलेट ऐक्ट" भी कहते हैं। इसका परिणाम बड़ा भयङ्कर हुआ। सारे भारतवर्ष में आग सी लग गई। असन्तोष की सीमा न रही। जबरदस्त आन्दोलन खड़ा हो गया। पञ्जाब में सरकार ने आन्दोलन को अत्याचारों द्वारा दबाया। जलियानवाला बाग में निर्दोषी तथा निशस्त्र जनता पर जनरल डायर ने गोलियाँ चलाईं बाद को "मारशल ला" भी जारी कर दिया गया। अमृतसर में इज्जतदार मनुष्यों को पेट के बल रिंगाया गया और कोड़े लगवाये गये। स्त्रियों और बच्चों पर भारी अत्याचार किया गया। ला० हरकिशनलाल, डा० किचलू प्रभृति सज्जनों को कड़ी सजायें दी गईं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन को भारतीय जनता ने स्वीकार कर लिया और देश भर में असहयोग की हवा फैल गई। इधर सरकार ने टर्की के विरुद्ध अपनी नीति प्रकट रूप से करती जिसकी वजह से भारतीय मुसलमान भी सरकार के विरुद्ध हो गये और खिलाफत कमेटी की स्थापना हुई। मुसलमानों ने भी असहयोग आन्दोलन में अग्रसर भाग लिया। अफगानिस्तान में अमीर हबीबुल्लाह खां को किसी ने मार डाला थोड़ी गड़बड़ी के बाद अमीर अमानुल्लाह खां राज्यारूढ़ हुये और उन्होंने भारत की पश्चिमोत्तर सीमा पर आक्रमण कर दिया। फलतः अंग्रेज़ों को अमीर अफगानिस्तान को पूर्ण स्वतंत्र मानना पड़ा।

लार्ड रीडिंग (१६२१-२६) ने शुरू में यह प्रकट किया कि वे भारत से मिलकर कार्य चलावेंगे । ये वाइसराय अन्त में बड़े कूट नीतिज्ञ सिद्ध हुये । इन्होंने महात्मा गान्धी से मुलाकात की और कुछ दिनों तक असहयोग में किसी प्रकार की बाधा न डाली । किन्तु थोड़े ही दिनों के बाद दमन नीति का बड़ी कड़ाई के साथ उपयोग किया । असहयोग आन्दोलन को तोड़ने के लिये उन्होंने अनेक भारतियों को लालच दिखाकर अपनी ओर कर लिया । स्वार्थी लोगों ने जिलों में अमन सभायें खोलीं । नरमदल वालों ने भारतियों का साथ असहयोग में नहीं दिया और सरकार में मिले रहे । यू० पी० व बंगाल में क्रिमिनल ला एमेंडमैंट ऐक्ट द्वारा सैकड़ों मनुष्य गिरफ़्तार किये गये । कांग्रेस के वालिंटियर ग़ैर क़ानूनी बना दिये गये । पण्डित मोतीलाल नेहरू, श्री० सी० आर० दास तथा अन्य प्रमुख नेता जेल भेज दिये गये । आन्दोलन असह्य होने के कारण सरकार ने महात्मा गांधी पर भी राज्य-द्रोह का मामला चला दिया और सज़ा दे दी । सरकार ने रेगुलेशन १८१८ का उपयोग बंगाल में किया और बिना मुकद्दमों के सहस्रों युवकों को नज़र कैद कर दिया ।

लार्ड रीडिंग के प्रारंभिक शासन काल में एक बड़ी भारी घटना मलावार प्रान्त में हो गई । मलावार के मुसलमान निवासी जो मोपला कहलाते हैं हिन्दू संगठन तथा शुद्धि कार्य के कारण भड़क उठे और दंगा फिसाद करना उन लोगों ने आरम्भ कर दिया । हिन्दुओं पर अनेक प्रकार के अत्याचार किये गये । हिन्दुओं के बच्चों और स्त्रियों को भ्रष्ट किया गया और जबरदस्ती मुसलमान बनाया गया सरकार ने भी मोपलाओं को अनेक रीति से दबाया । एक दुर्घटना इस प्रकार हुई जो 'ब्लैक' होल घटना के बराबरी की कही जा सकती है । सौ से अधिक मोपला कैदी एक वेगन में जिस की लम्बाई १८ फुट और चौड़ाई ६ फुट थी भर दिये गये । उन्हें पानी नहीं दिया गया । हवा भी उन्हें नहीं मिली । ७० से अधिक दम घुटने से मर गये । रास्ते में प्यास के मारे उन्होंने एक दूसरे को काट खाया । यह दुर्घटना (१६२१) में हुई ।

इसी सन् में युवराज प्रिन्स आफ वेल्स भारत में आये परन्तु भारत भर में उनका वायकाट किया । इसी प्रकार भारतवर्ष की जनता ने असहयोग के कारण कौंसिलों और अदालतों का वायकाट किया था ।

लार्ड इरविन (१९२६–३१) ने आकर भारतीयों से अपील की कि वे सरकार से मिलकर काम करें। परन्तु जब सायमन कमीशन अक्टूबर सन १९२७ में नियत हुआ उसमें एक भी भारतीय नहीं रक्खा गया। देशी राज्यों के अंग्रेजी सत्ता से सम्बन्धों की जांच के लिये एक कमेटी भी नियत हुई जिसे बटलर कमेटी कहते हैं। सायमन कमीशन का बायकाट सारी जनता ने स्वीकार कर लिया और इस बायकाट में सब प्रकार के राजनैतिक दल सम्मिलित हुये। सर्वदल सम्मेलन ने एक कमेटी नियत की जिसने भारतीय शासन का एक मसौदा तैयार किया जिसे नेहरू कमेटी रिपोर्ट कहते हैं।

१९२८ की कांग्रेस ने नेहरू रिपोट को मन्जूर करते हुये यह प्रस्ताव पास किया कि अगर ३१ दिसम्बर १९२९ तक सरकार ने नेहरू रिपोर्ट में दिया हुआ डोमीनियन स्टेटस भारत को न दिया तो कांग्रेस अपना ध्येय पूर्ण स्वाधीनता बना लेगी सन् १९२९ में बराबर इसी शासन की प्राप्ति के लिये आन्दोलन होता रहा। लार्ड इरविन ने राजनैतिक आन्दोलन दबाने के लिये दो बड़े मुकद्दमे चलाये (१) लाहौर षडयन्त्र। (२) मेरठ षडयन्त्र। इनके अतिरिक्त भी सैकड़ों मनुष्यों पर राजनैतिक मुकदमे चलाये गये और वे जेल भेजे गये। राजनैतिक वातावरण अधिक गरम हो जाने के कारण लार्ड इरविन विलायत गये और उन्होंने दिसम्बर १९२९ में एक घोषणा निकाली कि ब्रिटिश सरकार का लक्ष भारत को औपनिवेशिक स्वराज्य देने का है किन्तु उन्होंने कोई अवधि नहीं बताई कि कब दिया जायगा। भारत के नेताओं ने सन्तोष प्रदर्शित करते हुये ४ शर्तें पेश कीं जिनके मन्जूर होने पर भारतीय नेता गोलमेज कांफ्रेंस में शरीक होंगे। शर्तें मन्जूर नहीं हुईं। फिर महात्मा गान्धी और पं० मोतीलाल नेहरू २२ दिसम्बर १९२९ को वाइसराय से दिल्ली में मिले। उसी रोज सुबह को किसी ने वाइसराय की ट्रेन के नीचे बिजली के तार के जरिये बम चला दिया। दोपहर को मुलाकात में वाइसराय ने सन्तोष जनक उत्तर नहीं दिया। विवश होकर महात्मा गांधी ने कांग्रेस में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पेश कर दिया जो मन्जूर हुआ और कांग्रेस का अब ध्येय पूर्ण स्वाधीनता है। कांग्रेस वरकिंग कमेटी के नियमानुसार २६ जनवरी १९३० को "स्वतन्त्रता दिवस" मनाया गया और एक वक्तव्य आम सभाओं में

पढ़ा गया। महात्मा गान्धी ने सरकार के सामने ११ मागें पेश कीं। इसके पहले २५ जनवरी को वाइसराय ने भी एक वक्तव्य प्रकाशित किया था। जिसमें कहा गया था कि राउण्ड टेबिल कांफ्रेंस जाड़े के पहले की जावेगी तथा जब तक पार्लियामेंट सायमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार न कर लेगी तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि ब्रिटिश सरकार की क्या नीति होगी। १५ फरवरी सन् १९३० ई० को वर्किंग कमेटी ने देशव्यापी सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ करने का निश्चय किया। ता० १२ मार्च १९३० को महात्मा गान्धी अपने ७९ साथियों के साथ नमक क़ानून तोड़ने के निमित्त डंडी की ओर रवाना हुये और देश भर में सत्याग्रह आरम्भ हो गया और सहस्त्रों घर, नारी, तथा बालक बालिकायें देश प्रेम की बलबेदी पर चढ़ गये। जेलें भरी जाने लगीं। जून में सायमन रिपोर्ट प्रकाशित हुई। १२ नवम्बर १९३० ई० से प्रथम राउण्ड टेबिल कांग्रेस आरम्भ हुई जिसमें सरकार द्वारा नियोजित सदस्य सम्मिलित हुये। सत्याग्रह आन्दोलन ज़ोर पकड़ता गया। डा० सप्रू तथा श्री जयकर ने कांग्रेस तथा सरकार के बीच संधि कराने का प्रयत्न किया किन्तु निष्फल रहे। सरकार द्वारा अनेक "आर्डीनेंन्स" भी बनाये गये। २५ जनवरी १९३१ को वाइसराय ने वर्किंग कमेटी के सदस्यों को जेल से रिहा कर दिया। अनेक कठनाइयों के बाद महात्मा गान्धी व लार्ड यरविन में परामर्श होकर कांग्रेस व सरकार के बीच संधि हुई। जिसे "गांधी-इरविन" संधि कहते हैं।

लार्ड विलिंगडन (१९३१–१९३६) ने आकर आरम्भ में लार्ड इरविन की शांतिनीति का अवलंबन किया और महात्मा गांधी कांग्रेस के प्रतिनिधि होकर द्वितीय राउण्ड टेबिल कान्फ्रेंस में लंदन गये। उनके साथ पं० मदन मोहन मालवीय तथा श्रीमती सरोजिनी नायडू भी गईं किंतु भारतीय दृष्टि से कोई फल नहीं हुआ। सरकार द्वारा नियोजित सदस्यों में मतभेद रहा और हिंदू-मुसलिम समस्या सुलझ न सकी। इसका निर्णय मि० रेमज़े मेकडानेल्ड के हाथ में दे दिया गया। यह निर्णय "साम्प्रदायिक निर्णय" (Communal award) कहलाता है। लार्ड विलिंगडन की नीति से असंतोष बढ़ता ही गया और महात्मा गांधी के लौटने तक भारत में स्थिति बहुत बिगड़ गई और १९३२ के आरम्भ में भारत भर में सत्याग्रह आन्दोलन तीव्रता से

चलने लगा और ब्रिटिश सरकार को बड़ी भयंकर परिस्थिति का सामना करना पड़ा। व्यवस्थापक सभाओं का कांग्रेस द्वारा बायकाट होने से सरकार के पृष्ठपोषक उनमें भरे गये और सरकार की दमन नीति में उन्होंने पूरा साथ दिया। इसबार सरकार की ओर से "लाठी चार्ज" मारपीट आदि का उपयोग पूरी तौर पर किया गया किंतु भारतवासी नहीं दबे। लार्ड विलिंगडन को नीति बदलनी पड़ी और धीरे २ दमन करना पड़ा। फलतः स० १९३४ साल के मध्य में सत्याग्रह आन्दोलन स्थगित कर दिया गया सरकार ने कांग्रेस संस्था तथा उसकी कार्य कारिणी को गैर कानूनी घोषित कर दिया था किंतु भारतीयों ने जान पर खेल कर भी वार्षिक अधिवेशन करांची (१९३१), दिल्ली (१९३२), और कलकत्ता (१९३३) में किये थे। सत्याग्रह के स्थगित होने के बाद केन्द्रीय लेजिस-लेटिव एसेम्बली के चुनाव के संबंध में रांची तथा पटना में राष्ट्रीय नेताओं की कान्फ्रेंसें होकर वह निश्चित किया गया कि कांग्रेस चुनाव में भाग लें और ऐसा ही हुआ। चुनाव में कांग्रेस यशस्वी रही और कांग्रेसी सदस्य पर्याप्त संख्या में चुने गये। महात्मा गांधी कुछ काल के लिये कांग्रेस से अलग हो गये। पं० जवाहरलाल ने भारत भर में साम्यवाद मतों का प्रचार किया। स० १९३५ में गवरन्मेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट पास हुआ और कांग्रेस ने नये शासन विधान के अनुसार प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं के निर्वाचन में भाग लेने का निश्चय किया।

लार्ड लिनलिथगो (१९३६) अप्रैल में वाइसराव व गवर्नर जनरल होकर आये। कांग्रेस ने (१९३७) बम्बई, मद्रास, बिहार; उड़ीसा, संयुक्तप्रांन्त और मध्यप्रान्त में बहुत बड़े बहुमत से विजय पायी। वार्ड लिनलिथ गो की नीति कुछ स्पष्ट नहीं है और जैसी आशा की जाती थी कि लार्ड विलिंगडन की नीति में परिवर्तन होगा वह पूरी नहीं हुई। "मंत्री पद ग्रहण समस्या पर भी उनके आने के पहिले से भारत में बड़ी उत्तेजना थी किंतु वाइसराय ने बहुत काल तक मौन रहना ही उचित समझा। इस कारण भारत में बड़ा असंतोष रहा और जहां कांग्रेस के सदस्य बहुमत में थे उन प्रान्तों में थी अल्प संख्यक पार्टी के मंत्री बनाये गये। अन्त में जब कांग्रेस ने यह अंतिम रीति से निश्चित कर दिया कि जब तक प्रान्तीय गवरनर इस बात का आश्वासन न देंगे कि

मंत्रियों के अधिकारों में हस्तक्षेप न करेंगे तब तक कांग्रेस मंत्रीमंडल न बनायेगी। दिल्ली में कांग्रेस द्वारा "नैशनल कन्वेशन" बुलाया गया जिसमें व्यवस्थापक सभाओं के कांग्रेसी सदस्यों ने देशभक्ति की शपथ थी। जून १९३७ में अन्ततः लार्ड लिनलिथगो ने घोषणा द्वारा परिस्थिति साफ की और गवरनरों ने भी उक्त आश्वासन दे दिया। फलतः कांग्रेसी बहुमत वाले प्रान्तों में मंत्री मंडल कांग्रेस द्वारा बनाये गये।

वर्तमान भारतीय शासन।

वर्तमान भारतीय शासन।

गवर्मेंट आफ इंडिया ऐक्ट १९३५

गवर्मेंट आफ इन्डिया ऐक्ट में १५ भाग हैं जिनके अन्तर्गत अनेक अध्याय तथा धारायें हैं। इनके अतिरिक्त 'शेड्यूल'' भी हैं। भाग तथा अध्यायों के विषय नीचे दिये जाते हैं।

भाग १—प्रारम्भिक विषय।

भाग २—फिडरेशन आफ इन्डिया (भारतीय संघ शासन)

भाग ३—गवरनरों के प्रान्त।

भाग ४—चीफ कमिश्नरों के प्रान्त।

भाग ५—व्यवस्था अधिकार।

भाग ६—फेडरेशन, प्रान्त, तथा देशी राज्यों के बीच प्रबंध-संबंध।

भाग ७—अर्थ, सम्पत्ति, मुआहिदे तथा मुकद्मे।

भाग ८—फिडरल रेलवे शासन।

भाग ९—न्याय विभाग।

भाग १०-भारत में सम्राट द्वारा नियुक्त पदाधिकारी।

भाग-११ सेक्रेटरी आफ स्टेट, उसके सलाहकार, तथा उसका प्रबंध विभाग।

भाग १२-विविध विषय।

भाग १३-परिवर्तन काल के नियम।

भाग १४-ब्रह्मादेश।

भाग १५-आरम्भ तथा कानूनों का अंत।

शिड्यूल।

इनके अतिरिक्त ऐक्ट में १६ शिड्यूल हैं जिनके विषय इस प्रकार है (१) फिडरल लेजिस्लेचर का स्वरूप (२) ऐसी धारायें जिनके संशोधन से देशी राज्यों का संघ प्रवेश अप्रभावित रहे। (३) गवर्नर जनरल तथा गवरनरों के लिये धारायें। (४) शपथ इत्यादि का स्वरूप। (५) प्रान्तीय व्यवस्थापक सभाओं का स्वरूप। (६) मताधिकार सम्बन्धी नियम। (७) प्रान्तीय तथा केन्द्रीय कानूनों के विषय। (८) फिडरल रेलवे अधिकारी-वर्ग। (९) वह धारायें जो संशोधनों सहित संघ शासन स्थापित होने तक जारी रहेगी। (१०) ब्रह्मा में गवर्नर सम्बन्धी धारायें। (११) ब्रह्मा का वह क्षेत्रवर्ग जिसके लिये विशेष नियम लागू हैं। (१२) ब्रह्मा की व्यवस्थापक सभाओं का स्वरूप। (१३) ब्रह्मा के मताधिकार सम्बन्धी धारायें। (१४) शपथ इत्यादि के स्वरूप। (१५) ब्रह्मा रेलवे बोर्ड। (१६) रद्द की हुई धारायें तथा क़ानून।

गवर्मेंट आफ़ इण्डिया ऐक्ट १६३५।

गवर्मेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट में दिया हुआ शासन विधान संक्षिप्त रूप में यहां दिया जा रहा है। मुख्य विषय कोई भी नहीं छोड़े गये हैं।

फिडरेशन की स्थापना।

गवर्मेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट १६३५ ने भारत में "संघ शासन" स्थापित किया है। उसके अनुसार प्रान्तों में शासन जारी हो चुका है। केन्द्रीय शासन में संघ शासन स्थापित होना बाकी है।

संघ शासन (Federation) ब्रिटिश सम्राट की घोषणा द्वारा स्थापित होगा (१) जब पार्लीमेन्ट की दोनों सभायें सम्राट की सेवा में इसके निमित्त प्रार्थना (address) पेश करेंगी और (२) देशी राज्यों के कम से कम आधे निवासियों के शासकों ने जिन्हें "फिडरल अपर चेम्बर" में कम से कम आधे सदस्य पाने का अधिकार प्राप्त हो, संघ शासन में सम्मिलित होने के लिये इच्छाकप्र ट की हो।

फिडरेशन में शामिल होने के लिये देशी नरेश को एक प्रवेश-पत्र (Instrument of Accession) पर हस्ताक्षर कर के देना पड़ेगा और सम्राट की अनुमति प्राप्त करनी पड़ेगी उपरोक्त पत्र में दो बातें होंगी (१) शासक यह घोषित करेगा कि संघ शासन के निमित्त भारत सम्राट, गवर्नर जनरल, फिडरेल लेजिस्लेचर (व्यवस्थापक मंडल), फिडरेल कोर्ट, तथा अन्य फिडरेल अधिकारयुक्त शक्ति उस शासक के राज्य में ऐसे अधिकार का उपयोग करेंगे जो गवर्मेन्ट आफ़ इंडिया ऐक्ट द्वारा उन्हें दिये गये हैं। (२) शासक पर इस विषय का उत्तर-दायित्व होगा कि सम्मेलन पत्र के आधीन गवर्मेंट आफ इंडिया ऐक्ट के सब नियम उसके राज्य में उचित रूप से माने जावेंगे।

नोटः—१. संघ शासन में प्रान्तों को अवश्य ही सम्मिलित होना पड़ेगा किंतु देशी राज्यों के लिये संघ शासन में शामिल होना अनिवार्य नहीं है। किंतु जब तक कौंसिल आफ स्टेट में जो देशी राज्यों के लिये सदस्य संख्या (अर्थात १०४) निश्चित है उसमें से आधी सदस्य संख्या (अर्थात ५२) प्राप्त करने योग्य देशी राज्य शामिल नहीं होते संघ शासन स्थापित नहीं हो सकता।

देशी राज्यों की जन संख्या ब्रिटिश

भारत की जन संख्या की $\frac{1}{4}$ है किंतु फिडरेल एसेम्बली में उन्हें $\frac{1}{3}$ जगहें (३७५ में १२५) दी गई हैं और कौंसिल आफ स्टेट में २५० में १०४ दी गई हैं। दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक में देशी नरेशों की सदस्य संख्या ३६ प्रतिशत होती है।

२. देशी राज्यों के आन्तरिक शासन में फिडरेल शासन को कोई अधिकार न होगा। फिडरेल विषय निश्चित हैं और होते रहेंगे।

फिडरेशन आफ इन्डिया।

संघ शासन में निम्नलिखित प्रदेश सम्मिलित होंगे —

(१) प्रान्त (Governors' Provinces)।

(२) देशी राज्य (Indian States) जो संघ में सम्मिलित होगये हों अथवा आगे हों।

(३) छोटे प्रान्त (Chief Commissioners' Provinces)

फिडरल शासन प्रबन्ध।

फिडरल शासन का प्रबन्ध गवर्नर जनरल आफ इण्डिया द्वारा सम्राट की ओर से किया जावेगा। यह शासन गवर्नर जनरल स्वयं अथवा अधिकारियों द्वारा चलाया करेगा।

आदेश पत्र।
(Instrument of Instructions)

सेक्रेटरी आफ़ स्टेट द्वारा सम्राट की ओर से गवरनर जनरल को एक "आदेश पत्र" मिला करेगा जिसके अनुसार वह प्रबन्ध करेगा। किंतु किसी ऐसेम्बली अथवा अदालत में ऐसी आपत्ति न की जा सकेगी कि गवर्नर जनरल ने कोई कार्य इस आदेश-पत्र के विरुद्ध किया।

फिडरल शाशन प्रबंध की सीमा निम्न लिखित होगी —

(१) ऐसे सब विषय जिनके निमित्त संघ व्यवस्थापक मंडल (Federal Legislature) कानून बना सकता है।

(२) सम्राट की ओर से भारत में जल, थल और हवाई सेनाओं का कायम करना और भारतीय खर्च से जो सेनायें रखी गई हों उनका प्रबन्ध।

(३) विशिष्ट जातियों के प्रदेशों (Tribal areas) पर ब्रिटिश शम्राट के अधिकारों और स्वत्वों का उपयोग करना।

फिडरेल शासन प्रबन्ध विभाग को प्रान्तों में ऐसे विषयों के सम्बन्ध में कोई अधिकार न होगा जिनके संबन्ध में प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल (Provincial Legislature) कानून बना सकता है। इसी प्रकार देशी

राज्यों के सम्बन्ध में भी उन्हीं विषयों पर अधिकार होगा जिनके सम्बन्ध में संघ व्यवस्थापक मंडल बना सकता है। ऐसे अधिकार "प्रवेश पत्र" के (Instrument of Accession) आधीन होंगे।

सुरक्षित विषय।
(Reserved Subjects)

गवरनर जनरल के कुछ सुरक्षित विषय हैं (१) रक्षा (Defence) (२) धर्म (Ecclesiastical affairs) (३) बाह्य देशीय विषय (Extenal affairs) फिडरेशन तथा सम्राट के अन्य प्रदेशों के संबन्धों को छोड़ कर उक्त विषयों पर सुरक्षित अधिकार होगा। (४) विशिष्ट जाति प्रदेश (Tribal areas)

इन विषयों के प्रबन्ध में गवरनर जनरल "स्वेच्छा" (Discretion) का उपयोग करेगा।

अपनी सहायता के लिये गवरनर जनरल अधिक से अधिक ३ सलाहकार नियुक्त कर सकता है जिनके वेतन तथा नियुक्ति की शर्तें श्रीमान सम्राट परिषद् सहित निश्चित करेंगे। यह सलाहकार केवल गवरनर जनरल को ही उत्तरदायी होंगे।

गवरनर जनरल के विशेष कर्तव्य

(१) भारत अथवा भारत के किसी भाग में शांति भंग के भयंकर कारणों की रोक।

(२) अल्पमत जातियों के उचित स्वत्वों की रक्षा

(३) ऐक्ट के अनुसार वर्तमान अथवा भूतपूर्व सरकारी कर्मचारियों के अथवा उनके अवलम्बियों के अधिकारों को दिलाना और उनके उचित हितों की रक्षा करना।

(४) फिडरल शासन की आर्थिक स्थिरता तथा आर्थिक पत की रक्षा।

(५) जिन विषयों के सम्बन्ध में विशिष्ट वर्तन का उपयोग कानून द्वारा आवश्यक हो उनके लिये प्रबंध सीमा का सुरक्षित करना।

(६) भारत में आने वाले अंग्रेजी तथा बर्मा देशों के माल के सम्बन्ध में विशिष्ट अथवा दंडात्मक वर्तन करने को रोकना।

(७) देशी राज्यों के अधिकारों की रक्षा तथा देशी नरेशों के स्वत्व तथा मान की रक्षा।

(८) उन कार्यों को सुचारु रूप से चलाने का प्रबन्ध करना जिनके सम्बन्ध में गवरनर जनरल "स्वेच्छा" (Discretion) अथवा "व्यक्तिमत" का उपयोग कर सकते हैं।

कानून बनाने के अधिकार।
(गवरनर जनरल के)

गवर्मेन्ट आफ इण्डिया ऐक्ट १९३५ ने गवरनर जनरल को

कानून बनाने के विस्तृत अधिकार भी दिये हैं। मन्त्रियों की सलाह को वह रद्द कर सकता है, जितना रुपया चाहे वह अपने कार्यों के लिये ले सकता है और व्यवस्थापक मंडल (Legislature) जिस कानून को न चाहे उसे भी पास कर सकता है। ऐसे बिल को वह गवरनर जनरल का ऐक्ट (Governor General's Act) बना देवे अथवा व्यवस्थापक मंडल के पास संदेश (Message) द्वारा बिल का मसविदा (Draft Bill) बना कर भेज देवे। यदि शासन विधान के चलने में उसे कठिनाई प्रतीत हो तो वह फिडरल शासन के कुछ अधिकार (फिडरल कोर्ट को छोड़ कर) अपने हाथों में ले सकता है। इस प्रकार की अद्भुत आवश्यकता (Emergency) की सूचना सेक्रेटरी आफ स्टेट को दी जावेगी किन्तु इसकी अवधि ६ मास से अधिक न होगी। पार्लीमेंट चाहे तो प्रत्येक वर्ष इस प्रकार की अवधि बढ़ाती रहेगी किन्तु केवल तीन साल तक ही ऐसी अवधि पार्लीमेंट द्वारा बढ़ाई जा सकती है।

(१) यदि किसी समय जब कि फिडरल व्यवस्थापक मंडल (Federal Legislature) की बैठक न हो रही हो और गवरनर जनरल को यह प्रतीत हो कि ऐसे कारण उपस्थित हैं जब त्वरित क्रिया की आवश्यकता है तो वह उन कारणों के उपयुक्त "आर्डीनेन्सेज़" घोषित कर सकता है।

ऐसे "आर्डीनेन्सेज़" की वही शक्ति होगी जो फिडरल व्यवस्थापक मंडल द्वारा पास किये हुये और गवरनर जनरल की स्वीकृति प्राप्त किये हुये ऐक्ट की होगी। गवर्नर जनरल को ऐसे आर्डीनेंस फिडरेल व्यवस्थापक मंडल के सामने रखने पड़ेंगे और यदि उनकी स्वीकृत न हुई अथवा सम्राट ने वापिस ले लिये अथवा व्यवस्थापक मंडल के पुनः बैठने के बाद ६ सप्ताह बीत गये तो ऐसे आर्डीनेन्सों का अन्त हो जावेगा।

(२) जिन विषयों में गवर्नर जनरल को "स्वेच्छा" (Discretion) और "व्यक्ति-मत" (Individual Judgement) के उपयोग का अधिकार है और उपरोक्त परिस्थिति का सामना हो तो गवरनर जनरल "आर्डीनेन्स" घोषित कर सकता है।

ऐसे आर्डीनेन्सों की अवधि ६ मास की होगी और दूसरे आर्डीनेन्सों को जारी कर के ऐसी अवधि ६ मास के लिये और बढ़ाई जा सकती है।

शासन विधान में रुकावट

यदि किसी समय गवरनर जनरल

को यह विश्वास हो जावे कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि ऐक्ट के अनुसार संघ शासन का जारी रहना असम्भव हो गया है तो वह घोषणा द्वारा फिडरल सरकार के कुल अधिकार अपने हाथों में ले लेगा। किंतु उसे फिडरेल कोर्ट के कोई अधिकार अपने हाथों में लेने का अधिकार न होगा। ऐसी घोषणा की सूचना सेक्रेटरी आफ स्टेट को भेज दी जावेगी और उसका कर्तव्य होगा कि पार्लीमेंट की दोनों सभाओं के सामने रक्खे।

मंत्री मंडल।

गवरनर जनरल की सहायता तथा सलाह के लिये एक मंत्री मंडल (Council of Ministers) होगा जिसकी सदस्य संख्या अधिक से अधिक १० होगी। अपनी "स्वेच्छा (Discretion) से वह इस मंडल का किसी समय सभापतित्व कर सकेगा।

उन विषयों में जिनके संबंध में गवरनर जनरल को "स्वेच्छा" और "व्यक्तिमत" उपयोग करने का अधिकार है उसे मंत्री मंडल से परामर्श करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे विषयों के निर्णय संबन्धी औचित्य पर कोई आपत्ति न की जा सकेगी।

गवरनर जनरल अपने "स्वेच्छा" अधिकार से मंत्रियों को चुनेगा और उनसे राजभक्ति की शपथ लेकर फिडरेल लेजिसलेचर में मेम्बरों के सदृश काम करने देगा। यदि ६ मास के भीतर कोई मंत्री किसी व्यवस्थापक सभा का चुना हुआ सदस्य न हो सकेगा तो उसे मंत्री पद त्याग देना पड़ेगा।

नोट—इस प्रकार संघ शासन प्रबन्ध के ३ भाग हैं (१) गवरनर जनरल ३ सलाहकारों सहित "सुरक्षित" (Reserved) विषयों पर अधिकार रखेगा (२) गवरनर जनरल (१० मंत्रियों सहित) अनेक विषयों पर अधिकार रखेगा (३) गवरनर जनरल स्वयं अपनी "स्वेच्छा" (Discretion) तथा "व्यक्ति-मत" के अनुसार अनेक विषयों पर अधिकार रखेगा।

अर्थ सलाहकार।
(Financial Advisor)

गवर्नर जनरल को अधिकार होगा कि वह आर्थिक विषयों में सलाह लेने के लिये एक "अर्थ सलाहकार" नियुक्त करेगा। इस सलाहकार का यह कर्तव्य होगा कि फिडरल गवर्मेंट की आर्थिकपत तथा स्थिरता के संबंध में गवरनर जनरल के विशेष उत्तरदायित्व में सहायता करेगा और फिडरल गवर्नमेन्ट जिस विषय में सलाह मांगे उसे देगा।

एडवोकेट जनरल।

गवरनर जनरल, एडवोकेट जनरल को नियुक्त करेगा जिसका यह काम होगा कि फिडरल सरकार को ऐसे कानूनी मामलों में सलाह दे जो उसके लिये निश्चित किये गये हों या उसके पास सलाह के लिये भेजे जायें। ऐडवोकेट जनरल को ब्रिटिश भारत तथा फिडरेटेड (संघ में सम्मिलित) देशी राज्यों की अदालतों में फिडरल विषयों के संबंध में उपस्थित होने तथा पैरवी करने का अधिकार रहेगा।

फिडरल व्यवस्थापक मंडल।

संघ शासन के व्यवस्थापक मंडल का स्वरूप इस प्रकार है—

(१) ब्रिटिश नरेश (प्रतिनिधि-गवरनर जनरल)।

(२) दो व्यवस्थापक सभायें

(क) कौंसिल आफ स्टेट

(ख) हाउस आफ ऐसेम्बली (अथवा फिडरल ऐसेम्बली)

(क) कौंसिल आफ स्टेट में (१) १५६ सदस्य ब्रिटिश भारत के तथा (२) अधिक से अधिक १०४ प्रतिनिधि देशी राज्यों के होंगे। कुल संख्या २६० से अधिक न होगी।

(ख) फिडरल ऐसेम्बली में (१) २५० सदस्य ब्रिटिश भारत के और (२) अधिक से अधिक १२५ सदस्य देशी राज्यों के होंगे। कुल सदस्य ३७५ से अधिक न होंगे।

नोट—कौंसिल आफ स्टेट में ब्रिटिश भारत के १५६ सदस्यों में ६ सदस्य गवरनर जनरल अपनी 'स्वेच्छा' (Discretion) से चुनेगा।

कौंसिल आफ स्टेट स्थायी सभा होगी और प्रत्येक ३ वर्षों की अवधि के बाद $\frac{1}{3}$ सदस्य बदलते रहेंगे।

फिडरल एसेम्बली का जीवन कॉल पहिली बैठक से ५ वर्ष का होगा। किंतु गवरनर जनरल को उसे बीच में ही अंत करने, मुलतवी करने तथा बुलाने का अधिकार है।

फिडरल व्यवस्थापक मंडल की रचना।

कौंसिल आफ स्टेट की रचना।

कौंसिल आफ स्टेट कुल सदस्य २६०

ब्रिटिश भारत
१५६ सदस्य (कुल)
साधारण ७५
शिड्यूल जातियां ६
मुसलिम ४६
सिख ४
स्त्रियां ६
योरोपियन ७
भारतीय ईसाई २
ऐंग्लो इण्डियन १
नियोजित ६

देशी राज्य
१०४ सदस्य
(कोष्टक देखिये)

फिडरेल एसेम्बली की रचना।

फिडरेल एसेम्बली, कुल सदस्य ३७५

ब्रिटिश भारत
२५० सदस्य (कुल)
साधारण ८६
शिड्यूल जाति १६
मुसलमान ८२
सिख ६
ऐंग्लो इण्डियन ४
स्त्रियां ६
योरोपियन ८
भारतीय ईसाई ८
व्यापार उद्योग ११
ज़मीदार ७
श्रमजीवी १०

देशी राज्य
१२५ सदस्य
(कोष्टक देखिये)

प्रेसीडेन्ट तथा स्पीकर

कौंसिल आफ स्टेट के सदस्य एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष चुनेंगे जो प्रेसीडेन्ट तथा डिपटी प्रेसीडेन्ट कहलायेंगे।

फिडरेल एसेम्बली के सदस्य एक सभापति और एक उपसभापति चुनेंगे जो स्पीकर (Speaker) तथा डिपटी स्पीकर कहलायेंगे।

व्यवस्थापक मंडल द्वारा निश्चित वेतन तथा भत्ते उन्हें मिलेंगे।

सदस्यों की सधारण योग्यता।

फिडरल व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्यों की साधारण योग्यतायें निम्न लिखित हैं—

(१) ब्रिटिश प्रजा हो अथवा

(२) फिडरेटेड देशी नरेश अथवा उसकी प्रजा

(३) कौंसिल आफ स्टेट की सदस्यता के लिये ३० वर्ष की आयु होना चाहिये और एसेम्बली की सदस्यता के लिये २५ वर्ष की आयु होनी चाहिये।

(४) विशेष सदस्यता के लिए (जैसे व्यापार, उद्योग, मजदूर आदि) विशिष्ट योग्यता होनी चाहिये।

नोटः—विस्तृत योग्यताओं के विवरण के लिये गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट के शिडूल देखिये।

निर्वाचन विधि।

कौंसिल आफ स्टेट—सिख, मुसलिम, तथा साधारण सदस्यताओं के लिये विशिष्ट जातियों के निर्वाचन क्षेत्र बना दिये गये हैं और मतदाता (Voters) प्रत्यक्ष रीति से सदस्यों को चुनेंगे।

ऐंग्लोइंडियन, योरोपियन तथा ईसाई जातियों के सदस्य अप्रत्यक्ष रीति से अपने अपने निर्वाचन समूहों (Electoral Colleges) द्वारा चुने जावेंगे। इन निर्वाचन समूहों में उपरोक्त जातियों के प्रान्तीय कौंसिलों तथा एसेम्बलियों के सदस्य ही वोटर होंगे।

देशी राज्यों के प्रतिनिधि अपने अपने देशी नरेशों द्वारा नियोजित होंगे।

फिडरल एसेम्बली—सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से होगा।

फिडरल एसेम्बली के सिख, मुसलिम और साधारण (General) सदस्यों का चुनाव प्रान्तीय एसेम्बली के उन्ही विशिष्ट जातियों के सदस्यों द्वारा होगा। निर्वाचन की पद्धति (Proportional Representation by Single transperable Vote) परिवर्तन योग्यमत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व होगी)।

योरोपियन, ऐंग्लोइंडियन, ईसाई तथा स्त्रियों की सुरक्षित सदस्यताओं का चुनाव उन जातियों की प्रान्तीय एसेम्बली के सदस्यों द्वारा होगा। वे अपने अपने वोट विशिष्ट निर्वाचन समूहों द्वारा देंगे।

व्यापार, उद्योग, जमीदार, मजदूर-वर्ग, आदि की सदस्यताओं का चुनाव चेम्बर आफ कामर्स, एसोसियेटेड चेम्बर्स आफ कामर्स, आदि संस्थाओं द्वारा होगा।

देशी राज्यों के सदस्यों की संख्या उनकी जन संख्या के अनुपात से होगी।

नियोजित सदस्य।

फिडरल एसेम्बली में कोई भी सदस्य सरकार द्वारा नियोजित न होगा।

कौंसिल आफ स्टेट में केवल ६ सदस्य गवरनर जनरल द्वारा नियोजित होंगे।

सदस्यों का वेतन तथा भत्ता।

दोनों व्यवस्थापक सभाओं के सदस्य वेतन तथा भत्ता जो निश्चित किये जावें पायेंगे।

विचार स्वातंत्र्य।

सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता है और सभाओं में दिये हुये वक्तव्यों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकेगा।

भाषा।

फिडरल व्यवस्थापक मंडल में कुल कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी। किंतु दोनों सभाओं के नियमों में तथा दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक के नियमों में अंग्रेजी न जानने वाले अथवा काफी अंग्रेजी न जानने वाले सज्जनों को दूसरी भाषा का उपयोग करने की सुविधा रखी जावेगी।

कार्य विधि।

दोनों सभायें अपनी कार्य को चलाने के लिये नियम बनावेंगी।

कानून बनाने के अधिकार।

दोनों सभाओं को कानून बनाने का अधिकार होगा। किंतु कोई कानून—

(१) जिसके द्वारा नया टैक्स लगाया जावे या बढ़ाया जावे।

(२) जिसके द्वारा रुपया कर्ज लिया जावे, जमानत दी जावे अथवा आर्थिक भार लिया जावे आदि।

(३) जिसके द्वारा फिडरल आमदनी पर खर्च का भार डाला जावे अथवा बढ़ाया जावे आदि।

बिना गवरनर जनरल की सिफारिश के पेश न हो सकेगा। उक्त प्रकार का बिल केवल फिडरेल

एसेम्बली ही में आरम्भ हो सकेगा। कौंसिल आफ स्टेट में आरम्भ न हो सकेगा।

प्रत्येक कानून का दोनों सभाओं में नियमानुसार पास होना अनिवार्य है। यदि ऐसा न हो, तो गवरनर जनरल संयुक्त बैठक बुलाकर उस कानून को पेश करायेगा और ऐसी बैठक में बहुमत का नियमानुसार निर्णय अंतिम होगा। सभाओं द्वारा कानून (Bill) पास होने के बाद प्रत्येक बिल गवरनर जनरल की स्वीकृति के लिये पेश होगा। ऐसी दशा में गवरनर जनरल अपनी "स्वेच्छा" द्वारा उस पर स्वीकृति देगा अथवा स्वीकृति रोक देगा अथवा ब्रिटिश नरेश की इच्छा प्रदर्शन के लिये रख छोड़ेगा।

गवरनर जनरल अपनी स्वेच्छा (Discretion) द्वारा दोनों सभाओं के पास किसी बिल को पुनः विचार के लिये संदेश सहित भेज सकता है और संशोधन भी सूचित कर सकता है।

जब तक गवरनर जनरल अथवा ब्रिटिश नरेश की स्वीकृति न प्राप्त हो कोई "बिल" लागू कानून (Act) न समझा जावेगा। ब्रिटिश नरेश को यह अधिकार है कि गवरनर जनरल द्वारा स्वीकृत बिल को १२ मास के भीतर रद कर देवे।

वार्षिक अनुमान (Budget)

आय व्यय का वार्षिक अनुमान प्रति वर्ष दोनों व्यवस्थापक सभाओं के सामने स्वीकृति के लिये पेश किया जाया करेगा।

प्रान्तीय शासन।

प्रान्त दो प्रकार के हैं: –

(१) गवर्नरी प्रान्त—मद्रास, बंगाल, बम्बई, संयुक्तप्रान्त, पंजाब, बिहार, मध्यप्रान्त, उड़ीसा व सिन्ध।

(२) चीफ कमिश्नरी प्रान्त—ब्रिटिश बिलोचिस्तान, दिल्ली, अजमेर मारवाड, कुर्ग, अंडमान तथा नीकोबार द्वीप, पंथ पिपलोदा।

नोटः—अदन द्वीप भारत का भाग नहीं रहा।

गवरनरी प्रान्त।

दो नये प्रान्त बनाये गये हैं (१) उड़ीसा जो बिहार से अलग किया गया है और उड़िया भाषा बोलने वाले मद्रास तथा मध्यप्रान्त (C.P.) के प्रदेश जोड़ दिये गये हैं। (२) सिंध का भाग बम्बई प्रान्त से पृथक करके प्रान्त बना दिया गया है।

नोटः—बरार वास्तव में निज़ाम (हैदराबाद) का है किन्तु केवल शासन प्रबन्ध के लिये सी० पी०

(मध्य प्रान्त) के अन्तर्गत है। बरार से चुने हुये सदस्यों को निज़ाम के प्रति राजभक्ति की शपथ लेना पड़ती है अन्यथा वे सब प्रकार से ब्रिटिश प्रजा हैं।

यदि किसी समय शासन प्रबन्ध का आपसी करारनामा टूट जावे तो ब्रिटिश नरेश को उस हद तक गवर्मेंट आफ इण्डिया ऐक्ट १९३५ के अनुसार संयुक्तप्रान्त के शासन में फेर फार करने का अधिकार है।

प्रान्तीय प्रबन्ध शक्ति।

प्रान्त का प्रबन्ध ब्रिटिश नरेश की ओर से गवरनर स्वयं अथवा अपने आधीन अधिकारियों द्वारा चलायेगा।

प्रान्तीय प्रबंध की रचना।

शासन प्रबन्ध के लिये गवर्नर का मंत्रीमण्डल होगा जिसके सदस्य (मन्त्री) वह अपनी स्वेच्छा (Discretion) से नियुक्त करेगा अथवा हटायेगा।

गवरनर को "व्यक्तमत" (Induidual Judgement) द्वारा भी प्रबन्ध करने का अधिकार है। इस प्रकार गवरनर तीन रीति से शासन प्रबन्ध चलायेगा—

(१) गवरनर मंत्रीमंडल सहित

(२) गवरनर "स्वेच्छा" युक्त (acting in his disrcetion)

(३) गवरनर "व्यक्तिमत" युक्त (acting in his individual Judgement)

नोटः—"व्यक्तिमत" तथा 'स्वेच्छा' में वास्तविक तथा व्यवहारिक भेद दिखाई नहीं देता किन्तु गवर्मेंट आफ इण्डिया ऐक्ट १९३५ में "व्यक्तिमत" तथा "स्वेच्छा" द्वारा किये जाने वाले कार्यों का विवरण अलग अलग है। इस कारण गवरनर के अधिकार भी इन्हीं दो भेदों के कारण दो प्रकार के हैं।

"व्यक्तिमत" तथा "स्वेच्छा" द्वारा किये हुये कार्यों के औचित्य के संबंध में कोई प्रश्न अथवा आपत्ति नहीं की जा सकती।

यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय मन्त्री प्रान्तीय सभा का सदस्य हो किन्तु यह अनिवार्य है कि ६ मास के भीतर ही वह किसी स्थान से सदस्य चुन जावे नहीं तो उसे त्याग पत्र देना पड़ेगा।

आदेश पत्र (Instrument of Instructions)

सेक्रेटरी आफ स्टेट द्वारा सम्राट की ओर से गवरनर को एक आदेश पत्र मिला करेगा जिसके अनुसार वह प्रबन्ध करेगा किन्तु किसी असेम्बली अथवा अदालत में ऐसी आपत्ति न की जा सकेगी कि गवरनर ने

कोई कार्य इस "आदेशपत्र" के विरुद्ध किया।

मन्त्रियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में उक्त प्रान्तीय आदेश पत्रों में यह दिया हुआ है कि गवरनर को चाहिये कि मन्त्रियों की नियुक्ति ऐसे व्यक्ति की सलाह से करे जो उसकी राय में व्यवस्थापक सभा में स्थायी बहुमत रख सकता हो और ऐसे मन्त्रियों को नियुक्त करे जो सामूहिकरूप से व्यवस्थापक सभा के विश्वास पात्र हों। जहाँ तक सम्भव हो ऐसे मन्त्रि-मण्डल में अल्पमत जातियों के भी कुछ मन्त्री हों। किन्तु इन सब नियुक्तियों में गवरनर इस आवश्यकता का सदैव ध्यान रखे कि मन्त्रियों में "संयुक्त उत्तरदायित्व की भावना" (Sense of joint responsibility) दृढ़ होती रहे।

गवरनर के विशेषाधिकार तथा कर्त्तव्य।

गवरनर के अनेक विशेषाधिकार हैं तथा अनेक विशेष कर्तव्य हैं जो विस्तृत रूप से गवर्मेंट आफ इण्डिया एक्ट में दिये हुये हैं। यहाँ संक्षिप्तरूप से ब्योरा दिया जाता है—

(१) प्रान्त अथवा किसी उसके भाग में शांति भंग होने की भयंकर संभावना को रोकना।

(२) अल्पमत वाली जातियों के स्वत्वों की रक्षा।

(३) ऐक्ट के अनुसार वर्तमान अथवा भूतपूर्व सरकरी कर्मचारियों के अथवा उनके अवलम्बियों के अधिकारों को दिलाना और उनके उचित हितों की रक्षा करना।

(४) जिन विषयों के संबंध में विशिष्ट वर्तन का उपयोग कानून द्वारा आवश्यक हो उनके लिये प्रबंध सीमा का सुरक्षित करना (भाग ५ अध्याय ३)।

(५) विशिष्ट प्रदेशों में (Partially Excluded Areas) में सुशासन और शांति का कायम करना।

(६) देशी राज्यों के अधिकारों की और उनके नरेशों की प्रतिष्ठा की रक्षा।

(७) भाग ६ (गवर्मेंट आफ इंडिया ऐक्ट) के अन्तर्गत गवरनर को गवरनर जनरल द्वारा आदेश और आज्ञायें मिलें उनका पालन कराना।

(८) यदि किसी समय गवरनर को प्रतीत हो कि, कुछ मनुष्य हिंसा के जुर्म कर रहे हैं या ऐसे जुर्म करने का विचार या तैयारी कर रहे हैं अथवा कानून द्वारा स्थापित शासन को उखाड़ना चाहते है तो गवरनर

विशेषाधिकारों द्वारा उक्त कार्यवाही का मुकाबला करेगा।

(९) गवरनर अपनी "स्वेच्छा" (Discretion) से ऐसे नियम बनायेगा जिससे (Terrorism) के संबंध के काग़ज अथवा इत्तला पुलिस विभाग के केवल ऐसे ही कर्मचारियों को बताये जावेंगे जिन्हें कमिश्नर पुलिस और इन्सपेक्टर जनरल निश्चित करे या अन्य ऐसे पबलिक अफसरों को बताये जावें जिन्हें गवरनर स्वयं नियत करे।

(१०) गवरनर को विशेष परिस्थति में "आर्डीनेन्स" जारी करने का अधिकार होगा।

(११) यदि किसी समय ऐक्ट के अनुसार प्रबंध चलना कठिन हो जाये तो गवरनर (१) शासन प्रबंध (घोषणा द्वारा) अपने हाथ में ले लेगा और (२) प्रान्तीय अधिकारों का स्वयं उपयोग करेगा (धारा ९३)।

नोट—इसके लिए गवरनर जनरल की अनुमति आवश्यक है।

(१२) गवरनर कुछ विशिष्ट परिस्थिति में स्वयं "ऐक्ट" (Act) पास कर सकेगा (धारा ९०)।

ऐडवोकेट जनरल।

गवरनर का कर्तव्य होगा कि वह किसी ऐसे मनुष्य को जो हाईकोर्ट का जज नियुक्त हो सकता है ऐडवोकेट जनरल नियुक्त करे।

मेम्बरों की विशेष सुविधायें।

प्रान्तीय तथा केन्द्रीय सभाओं के मेम्बरों को एसेम्बली के भीतर विचार प्रकट करने की पूर्ण स्वतंत्रता है और उन पर इस कारण कोई मुकद्दमा नहीं चल सकेगा किंतु (१) हाईकोर्ट या फिडरल कोर्ट के किसी जज के कार्यों की आलोचना न की जा सकेगी और (२) यदि गवरनर अथवा गवरनर जनरल अपने विशेषाधिकार से कोई बिल पेश कराता है और उस पर वादविवाद की मनाई करता है तो कोई बहस न हो सकेगी।

सदस्य-संख्या का वितरण।

प्रान्तीय तथा केन्द्रीय व्यवस्थापक सभाओं में सदस्य-संख्या का वितरण विशेष हितों के तथा विशेष जातियों के बीच किया गया है। ब्रिटिश गवर्नमेंन्ट द्वारा दिये हुये "साम्प्रदायिक निर्णय" (Commulal Award dated august 4, 1932) के अनुसार मुसलमान, सिख, देशी ईसाई, ऐंग्लो इन्डियन और योरोपियन जातियों को सदस्यतायें बांटी गयी हैं। "पूना ऐक्ट" जो दलित जातियों (हरिजनों) के नेताओं तथा शेष हिन्दू जातियों के नेताओं के बीच ता० २४ सितम्बर १९३२ को

हुआ, उसके द्वारा हरिजनों को साधारण सदस्यताओं में से कुछ सदस्यतायें सुरक्षित कर दी गईं।

"पूना पैक्ट" का मुख्य अंश।

हरिजन सदस्यों का चुनाव संयुक्त निर्वाचन रीति से होगा किंतु कार्य-प्रणाली विशेष होगी। अंतिम चुनाव के पहिले हरिजनों द्वारा चार हरिजन उम्मीदवार भी चुने जावेंगे और बाद को चुनाव के समय इसी संख्या में से हरिजन वोटर तथा अन्य वोटर (हिन्दू आदि) संयुक्त रीति से हरिजन सदस्य को चुनेंगे।

प्रान्तीय व्यवस्थापक मंडल।

प्रान्तों में व्यवस्थापक मण्डल होंगे जिनकी रचना निम्नलिखित होगी—

(क) बम्बई, मद्रास, बङ्गाल, संयुक्तप्रान्त, बिहार और आसाम में

(१) ब्रिटिश नरेश (गवरनर प्रतिनिधि)

(२) लेजिस्लेटिव एसेम्बली (साधारण सभा)।

(३) लेजिस्लेटिव कौंसिल (धनिकों की सभा)।

(ख) अन्य प्रान्तों में—

(१) ब्रिटिश नरेश (गवरनर प्रतिनिधि)।

(२) लेजिस्लेटिव एसेम्बली।

प्रान्तों की लेजिस्लेटिव एसेम्बली और कौंसिलों की रचना तथा सदस्य संख्या अन्यत्र दी गई है।

व्यवस्थापक मण्डल की अवधि।

लेजिस्लेटिव एसेम्बली की अवधि ५ साल की होगी।

लेजिस्लेटिव कौंसिल स्थायी होगी केवल प्रति तृतीय वर्ष में $\frac{1}{3}$ सदस्य बदलते रहेंगे।

वेतन और भत्ता।

एसेम्बली और कौंसिल के सदस्यों को वेतन तथा भत्ता दिया जा सकेगा।

प्रेसीडेंट तथा स्पीकर।

लेजिस्लेटिव एसेम्बली में अध्यक्ष स्थान के लिये सदस्यों द्वारा चुने हुये स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर होंगे और उन्हें निश्चित वेतन मिलेगा।

इसी प्रकार कौंसिल में अध्यक्ष स्थान के लिये सदस्यों द्वारा चुने हुये प्रेसीडेन्ट तथा डिप्टी प्रेसी-डेन्ट होंगे और उन्हें निश्चित वेतन दिया जायगा।

क़ानून बनाने का अधिकार।

धन सम्बन्धी बिल केवल लेजि-स्लेटिव एसेम्बली से ही आरम्भ हो सकेंगे और उनके लिये गवरनर की सिफारिश आवश्यक है।

अन्य प्रकार के "बिल" दोनों सभाओं में आरम्भ किये जा सकेंगे।

बिल के पास होने के लिये दोनों सभाओं की अनुमति होना चाहिये ।

यदि एक सभा का पास किया हुआ बिल दूसरी सभा न पास करे अथवा कुछ संशोधन कर दे तो गवरनर दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक बुलायेगा और बहुमत से पास हुआ बिल पास समझा जायेगा ।

गवरनर की स्वीकृति।

दोनों सभाओं द्वारा पास किया हुआ बिल गवरनर के सामने स्वीकृति (assent) के लिये पेश किया जावेगा ।

गवरनर अपनी "स्वेच्छा" द्वारा उक्त बिल को (१) स्वीकृत करेगा अथवा स्वीकृति न देगा। (२) गवरनर जनरल के विचार के लिये रख लेगा ।

गवरनर जनरल अपनी "स्वेच्छा" से ब्रिटिश नरेश के नाम पर स्वीकृति देगा अथवा स्वीकृति रोक लेगा अथवा पुनः विचार के लिये दोनों सभाओं के पास संदेश सहित वापस कर देगा ।

प्रान्तीय एसेम्बलियों में विभिन्न सदस्यों की संख्या ।

प्रान्त	कुल संख्या	साधारण	साधारण, (दलितों के लिये सुरक्षित)	पिछड़ी हुई जातियाँ	सिक्ख	मुसलिम	एंग्लो इंडियन	योरोपियन	देशी ईसाई	व्यापार, उद्योग, खनिज और प्लेंटिंग	बड़ी जातियाँ	यूनीवर्सिटी	मज़दूर वर्ग	स्त्रियों की सदस्यतायें: साधारण	सिक्ख	मुसलिम	एंग्लोइंडि०	देशी ईसाई
मद्रास	२१५	१४६	३०	१	...	२८	२	३	८	६	६	१	६	६	...	१	...	१
बम्बई	१७५	११४	१५	१	...	२९	२	३	३	७	२	१	७	५	...	१	१	...
बङ्गाल	२५०	७८	३०	...	...	११७	३	११	२	१९	५	२	८	२	...	२	...	...
संयुक्तप्रान्त	२२८	१४०	२०	...	...	६४	१	२	२	३	६	१	३	४	१	२	...	...
पंजाब	१७५	४२	८	...	३१	८४	१	१	२	१	५	१	३	१	...	२	...	...
बिहार	१५२	८६	१५	७	...	३९	१	२	१	४	४	१	३	३	...	१	...	...
मध्यप्रान्त और बरार	११२	८४	२०	१	...	१४	१	१	...	२	३	१	२	३	...	...	...	...
आसाम	१०८	४७	७	९	...	३४	...	१	१	११	...	...	४	१	...	...	...	...
सीमाप्रान्त	५०	९	...	...	३	३६	...	...	...	...	२	...	...	...	...	...	...	...
उड़ीसा	६०	४४	६	५	...	४	...	...	१	१	२	...	१	२	...	...	...	...
सिंध	६०	१८	...	...	...	३३	...	२	...	२	२	...	१	१	...	१	...	...

निर्वाचकों के प्रकार ।

निर्वाचकों के १८ प्रकार हैं—

१—साधारण (General) मुख्यतः हिन्दू समाज ।

२—साधारण सदस्यतायें हरिजनों के लिये सुरक्षित । (यह सदस्यतायें उपरोक्त १-के अंतर्गत हैं) ।

३—मुसलमान ।

४—योरोपियन ।

५—एंग्लो-इंडियन ।

६—देशी ईसाई ।

७—सिक्ख (पंजाब) ।

८—स्त्रियां साधारण (General) ।

९— ,, (सिक्ख) ।

१०— ,, (मुसलमान) ।

११— ,, (एंग्लो इन्डियन) ।

१२— ,, (देशी ईसाई) ।

१३— ,, व्यापार और उद्योग (मुख्यत: ब्रिटिश) ।

१४— देशी व्यापार तथा उद्योग (Indian Commerce and Industry) ।

१५— ज़मींदार वर्ग ।

१६— मजदूर वर्ग (Labour) ।

१७—विश्वविद्यालय (Universities) ।

१८—पिछड़ी हुई जातियां तथा प्रदेश ।

चीफ कमिश्नरों के प्रांत ।

चीफ कमिश्नरों के प्रान्त निम्नलिखित हैं—

(१) ब्रिटिश बिलोचिस्तान ।

(२) दिल्ली ।

(३) अजमेर मारवाड़ ।

(४) कुर्ग ।

(५) अंडमान और निकोबार द्वीप ।

(६) पंथ पिपोलोदा ।

इन प्रान्तों का शासन गवरनर जनरल चीफ कमिश्नरों द्वारा चलायेगा । फिडरल शासन का अधिकार इन सब प्रान्तों पर पूर्ण है केवल ब्रिटिश बिलोचिस्तान में फिडरल सभाओं द्वारा पास किया हुआ कानून (Act) जब तक गवरनर जनरल घोषणा द्वारा लागू न करेगा लागू न हो सकेगा ।

कुर्ग में वर्तमान व्यवस्थापक मंडल तथा आर्थिक संबंध क़ायम रहेंगे जब तक वे बदले न जावें ।

गवरनर जनरल को अंडमान तथा निकोबार द्वीपों के लिये रेगूलेशन बनाने का अधिकार है ।

ब्रिटिश प्रजा, व्यापार तथा कम्पनियों की रक्षा ।

यूनाइटेड किंगडम की ब्रिटिश प्रजा पर प्रान्तीय अथवा फिडरल क़ानून

का ऐसा भाग लागू न होगा जिसके द्वारा—

(१) ब्रिटिश भारत में उसके आने पर कोई रुकावट रखी गई हो अथवा—

(२) जन्मस्थान, जाति, नसल, धर्म, भाषा, निवासस्थान (स्थायी अथवा अस्थायी) के कारणों द्वारा कोई अयोग्यता, भार, रुकावट अथवा शर्त उनके भ्रमण, निवास अथवा सम्पत्ति की प्राप्ति, अधिकार या विनिमय, सार्वजनिक नौकरी में नियुक्ति अथवा पेशा, व्यापार, धन्धा अथवा उद्योग में लगाई गई हो।

कोई प्रान्तीय अथवा फिडरल क़ानून ऐसा पास नहीं किया जा सकेगा जिसके द्वारा किसी ब्रिटिश प्रजा पर, जो यूनाइटेड किंगडम या बर्मा का स्थायी निवासी (Domiciled) हो भेदयुक्त कर लगाया जावे। यदि किसी मनुष्य के स्थायी निवास भारत में हो अथवा कोई कम्पनी भारत में ही बनी (incorporated) हो तो उसे टैक्स (कर) कम देना पड़े तो उपरोक्त कानून भेदयुक्त माना जावेगा। जो ब्रिटेन में बनी हुई कम्पनियाँ भारत में काम कर रही हैं उन्हें प्रान्तीय अथवा फिडरल आमदनी से सहायता (Subsidy, bounty or grant) पाने का वही अधिकार होगा जो उन मनुष्यों को प्राप्त होगा जिनका स्थायी निवासस्थान (Domicile) भारत में है अथवा उन कम्पनियों को होगा जो भारत में ही बनी हैं।

फिडरल अथवा प्रान्तीय कानून द्वारा यूनाइटेड किंगडम में रजिस्ट्री-शुदा जल अथवा हवाई जहाज़ों के लिये कोई भेदयुक्त क़ानून भारत में रजिस्ट्रीशुदा जहाज़ों को लाभ पहुंचाते हुये कानून न बन सकेगा।

फिडरल रेलवे शासन।

रेलवे का निर्माण तथा प्रबन्ध "फिडरेल रेलवे अथारिटी" (Federal Railway authority) द्वारा फिडरेल सरकार चलावेगी।

गवरनर जनरल अपनी "स्वेच्छा" (Discretion) से उक्त "फिडरल रेलवे अथारिटी" के $\frac{3}{7}$ (इससे कम नहीं) सदस्य चुनेगा और बाक़ी के सदस्य फिडरल सरकार द्वारा नियुक्त होंगे।

गवरनर जनरल अपनी "स्वेच्छा" द्वारा उक्त सदस्यों में से एक अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

इस फिडरल रेलवे शासन को फिडरल रेलवे संबंधी सब प्रकार के

कार्य करने का अधिकार होगा। कृषि, उद्योग, व्यापार, तथा साधारण जनता के हितों को ध्यान में रखते हुये रेलवे अथारिटी के सब कार्य व्यापारी तत्व पर चलाये जावेंगे। ऐसे सब कार्यों में तथा नीति के संबंध में अथारिटी को फिडरल गवरमेन्ट की आज्ञायें माननी होंगी किंतु यदि कोई झगड़ा पड़े तो गवरनर जनरल की राय (जो वह "स्वेच्छा" द्वारा देगा) अंतिम होगी।

फिडरल रेलवे शासन के सदस्य निम्नलिखित मनुष्य न हो सकेंगे (१) जिसे व्यापार, उद्योग, कृषि, अर्थविभाग, प्रबंध का अनुभव न हो (२) जो १२ मास के भीतर फिडरल या प्रान्तीय ऐसेम्बलियों के सदस्य रह चुके हों (३) जो सरकारी नौकर हों या (४) रेलवे अफसर हों।

रेलवे शासन के प्रबंध के लिये गवरनर जनरल की "स्वेच्छा" द्वारा एक "चीफ रेलवे कमिश्नर (Chief Railway Commissioner) नियुक्त होगा जिसकी सहायता के लिये एक अर्थ कमिश्नर (Financial Commissioner) और अनेक सहायक कमिश्नर होंगे। इन कमिश्नरों को रेलवे प्रबन्ध का ज्ञान होना आवश्यक है। रेलवे शासक की बैठकों में चीफ़ रेलवे कमिश्नर और अर्थ कमिश्नर बैठ सकेंगे। फिडरल शासन के साथ रेलवे शासन के सम्बन्ध इस ध्येय से बनाये गये हैं कि देश के काम के लिये व्यापारी सिद्धान्तों पर रेलवे का काम चलाया जावे।

रेलवे पंचायत।

गवरनर जनरल अपनी "स्वेच्छा" से ऐसे ८ सज्जनों की एक नामावली बनायेगा जिन्हें रेलवे शासन का अनुभव हो। किसी झगड़े के निपटारे के लिये गवरनर जनरल अपनी "स्वेच्छा" से उसी नामावली में से १ सज्जन अध्यक्ष और दो पंच नियत कर देगा। इस पंचायत को कागजात व गवाही पेश कराने, मुआवज़ा दिलाने, अन्य आज्ञायें निकालने आदि के अधिकार होंगे।

रेलवे रेट कमेटी।

गवरनर जनरल रेलवे शासन को सलाह देने के लिये रेलवे रेट कमेटी भी नियुक्त करेगा।

फिडरल कोर्ट।

फिडरेशन के काम के लिए एक "फिडरल कोर्ट" होगा जिसमें एक चीफ जस्टिस आफ इण्डिया और

इतने जज होंगे जितने सम्राट आवश्यक समझें। फिलहाल ६ जज होंगे। इनकी संख्या व्यवस्थापक मंडल द्वारा प्रार्थना पर बढ़ाई जा सकेगी।

स्थान।

फिडरल कोर्ट का स्थान दिल्ली अथवा ऐसा स्थान जो चीफ जस्टिस गवरनर जनरल की अनुमति से समय समय पर नियत होगा।

फिडरल कोर्ट के अधिकार।

(१) फिडरल कोर्ट में "प्रारंभिक रीति" से भी मुकद्में होंगे (Original jurisdiction)

(२) ब्रिटिश इंडिया के किसी हाईकोर्ट के फैसले से जिसमें उक्त हाइकोर्ट यह सार्टिफिकेट दे कि गवर्मेंट आफ़ इंडिया ऐक्ट की किसी धारा अथवा उसके अनुसार किसी "आर्डर-इन-कौंसिल" के अर्थ (Interpretation) के संबंध में वाद विवाद है, अपील के अधिकार होंगे।

(३) किसी फिडरेल स्टेट के हाइकोर्ट के फैसले से अपील के अधिकार होंगे।

(४) फिडरल कोर्ट को गवरनर जनरल द्वारा भेजे हुए प्रश्नों पर राय देने का अधिकार होगा।

(५) फिडरल कोर्ट तथा प्रिवी-कौंसिल के फैसले भारत की सब अदालतों को मान्य होंगे।

प्रिवी कौंसिल की अपील।

फिडरल कोर्ट के आरंभिक फैसले की तथा किसी "आर्डर इन कौंसिल" की अपील प्रिवी कौंसिल की जुडीशल कमेटी को होगी।

ब्रिटिश भारत में हाईकोर्ट।

ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित हाईकोर्ट होंगे। कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, इलाहाबाद, लाहौर, पटना, चीफकोर्ट अवध, जुडीशल कमिश्नर्स कोर्ट, सी० पी० बरार, सीमाप्रान्त तथा सिंध।

ब्रिटिश सम्राट (कौंसिल सहित) को अधिकार होगा कि अन्य किसी अदालत को हाईकोर्ट घोषित करदें।

हाईकोर्ट के जज सम्राट द्वारा नियत होंगे और ज़िला जजों को प्रान्तीय गवरनर अपनी "व्यक्तिमत" से नियुक्त करेगा सब-जज आदि पबलिक सर्विस कमीशन के तथा हाईकोर्ट के परामर्श से गवरनर नियुक्त करेगा।

रक्षा तथा फौजी विभाग।

संघ शासन की स्थापना पर, रक्षा-सम्बन्धी नीति तथा व्यय का

उत्तरदायित्व केवल गवर्नर जनरल की "स्वेच्छा" (Discretion) में रहेगा और सेक्रेटरी आफ स्टेट का साधारण निरीक्षण रहेगा। "कमांडर इन चीफ" सरकारी मण्डल का सदस्य न रहेगा कि सब सेना का सेना नायक रह कर गवर्नर जनरल को युद्ध के संचालन, नीति तथा तैयारी के प्रश्नों पर परामर्श देगा। गवर्नर जनरल को अधिकार होगा कि रक्षा विभाग के संचालन के लिये एक सलाहकार नियुक्त करे जो उसकी ओर से व्यवस्थापक सभाओं में बोलेगा किंतु उसे वोट का अधिकार न होगा।

रक्षा का व्यय संघ शासन के आधीन न रहेगा किन्तु गवर्नर जनरल के हाथों में (एक अर्थ सलाहकार सहित) रहेगा। किन्तु ऐसे, अर्थात् रक्षा सम्बन्धी, अनुमान (Budget) के निश्चय करने में फिडरेल मन्त्रियों से सलाह लेनी पड़ेगी।

कमांडर-इन-चीफ के कर्तव्यों के सम्बन्ध में गवर्नर जनरल को उसकी राय लेनी होगी और यदि कमांडर-इन-चीफ चाहे तो सेक्रेटरी आफ स्टेट को ऐसी राय की सूचना देनी होगी।

नये शासन विधान द्वारा रक्षा विभाग का सब सम्बन्ध व्यवस्थापक सभाओं (Legislature) से तथा सरकारी अन्य सरकारी विभागों से तोड़ दिया जावेगा।

जल, थल, और हवाई सेनाओं में क़ानून द्वारा प्रविष्ट कर्मचारियों को "कमीशन" देने का अधिकार ब्रिटिश नरेश अथवा उसके द्वारा नियत किये हुये व्यक्ति को होगा।

सिविल सर्विसेज़।
(Civil Services)

ब्रिटिश नरेश की इच्छा पर साधारण विभागों (Civil Services) के कर्मचारी अपने पद पर नियुक्ति रहेंगे।

जब तक पार्लीमेंट अन्यथा न कहे सिविल सर्विसेज़ (Civil Services) जिन्हें इण्डियन सिविल सर्विस, इंडियन मेडीकल सर्विस (सिविल), इण्डियन पोलिस सर्विस कहते हैं सेक्रेटरी आफ स्टेट द्वारा नियुक्त होंगे।

सेक्रेटरी आफ स्टेट को अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति का भी अधिकार है।

[उच्चपदाधिकारियों के लिये विशेष सुविधायें दी गई हैं। सेक्रेटरी आफ स्टेट उनके वेतन, भत्ते, छुट्टी के नियम, पेन्शन, तरक्की के नियम निश्चित कर सकेगा चाहे ऐसे

पदाधिकारी मन्त्रियों के नीचे ही काम करेंगे। इण्डियन सिविल सर्विस (I.C.S.) के कर्मचारियों के लिये विशिष्ट पद भी सुरक्षित रक्खे गयेहैं।]

सेक्रेटरी आफ स्टेट को ईसाई पादरियों के विभाग की नियुक्ति का भी अधिकार है।

हाई कमिश्नर।

यूनाइटेड किंगडम में एक हाई-कमिश्नर भारत की ओर से रहेगा। गवर्नर जनरल की सूचना के अनुसार व्यापारी मुआहिदे करने, भारत सरकार के लिये सामान ख़रीदने आदि का काम करेगा। उसकी नियुक्ति ५ साल के लिये होगी और ३००० पौंड वार्षिक वेतन उसे मिलेगा।

पेन्शन।

इंग्लैड में भारतीय कर्मचारियों की पेनशनों की अदायगी का भार भारतीय आमदनी पर है और गवर्नर जनरल को अधिकार है कि आवश्यकतानुसार भारतीय आमदनी की ज़मानत पर कर्ज़ लेकर भी पेनशनें अदा करे।

पबलिक सर्विसेज़ कमीशन।
(Public Services Commission)

फिडरेशन (शासनसंघ) केन्द्रीय के लिये एक पबलिक सर्विस कमीशन अर्थात् सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये समिति नियुक्त होगी और इस प्रकार की समिति प्रत्येक प्रान्त के लिये भी होगी।

दो अथवा अधिक प्रान्त मिलकर एक कमीशन नियुक्त कर सकते हैं अथवा यह भी निश्चित कर सकते हैं कि एक ही कमीशन सब प्रान्तों के लिये काम करे।

इन पबलिक सर्विसेज़ कमीशनों का कर्तव्य होगा कि सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिये उचित परीक्षाओं का प्रबन्ध करें।

सेक्रेटरी आफ स्टेट।

इस ऐक्ट के पूर्वस्थित "कौंसिल आफ इंडिया" तोड़ दी जावेगी। सेक्रेटरी आफ स्टेट को अधिकार होगा कि भारतीय प्रश्नों पर परामर्श के लिये एक समिति जिसमें ३ से ६ तक सदस्य होंगे नियुक्त करे। इनसे सलाह लेना अथवा व्यक्तिगत रूप से सलाह लेना अथवा सामूहिक रूप से सलाह लेना यह बात सेक्रेटरी की इच्छा पर निर्भर है। वह चाहे तो परामर्श न भी ले अथवा उनकी सलाह को न भी माने। सलाहकार वे ही नियुक्त किये जा सकते हैं जिन्होंने भारत में १० वर्ष ब्रिटिश-

नरेश की नौकरी की हो और ऐसी नौकरी छोड़े २ वर्ष से अधिक काल भी न बीत गया हो। ऐसे सलाह-कारों को ७३५० पौंड वार्षिक वेतन मिलेगा और यदि सलाहकार भारत का "डोमीसाइल्ड" (निवासी) हो गया हो तो ६०० पौंड अधिक मिलेगा।

कौंसिल आफ स्टेट की रचना।

ब्रिटिश भारत के सदस्यों की बांट।

१ प्रान्त	२ कुल	३ साधारण	४ दलित जातियों के सदस्य	५ सिक्ख	६ मुसलमान	७ स्त्री
मद्रास	२०	१४	१	...	४	१
बम्बई	१६	१०	१	....	४	१
बंगाल	२०	८	१	....	१०	१
संयुक्तप्रान्त	२०	११	१	....	७	१
पंजाब	१६	३	...	४	८	१
बिहार	१६	१०	१	....	४	१
म. प्रा. और बरार	८	६	१	....	१	....
आसाम	५	३	...	...	२	...
उ. प. सीमाप्रान्त	५	१	...	....	४	...
उड़ीसा	५	४	...	....	१	....
सिन्ध	५	२	....	....	३	...
ब्रिटिश बिलोचिस्तान	१	....	....	....	१	....
देहली	१	१	...	....	...	....
अजमेर मारवाड़	१	१	...	....	....	...
कुर्ग	१	१	....	...	...	....
एंग्लो इण्डियन	....	....	...	...	....	....
यूरोपियन	७	...	....	....	...	...
भारतीय ईसाई	२	....	...	....	....	....
जोड़	१५०	७५	६	४	४६	६

तिसाला चुनाव के लिये सदस्यों की बांट।

१ प्रान्त	हर तीसरे साल चुने जाने वाले सदस्यों की तादात की बाँट।					हर छठे साल चुने जाने वाले सदस्यों के तादात की बाँट					हर नवें साल चुने जाने वाले सदस्यों की तादात की बाँट				
	२ साधारण सदस्य	३ दलित जातियों के सदस्य	४ सिक्ख सदस्य	५ मुसलमान सदस्य	६ स्त्री सदस्य	७ साधारण सदस्य	८ दलित जातियों के सदस्य	९ सिक्ख सदस्य	१० मुसलमान सदस्य	११ स्त्री सदस्य	१२ साधारण सदस्य	१३ दलित जातियों के सदस्य	१४ सिक्ख सदस्य	१५ मुसलमान सदस्य	१६ स्त्री सदस्य
मद्रास	....	....	....	....	....	७	....	...	२	१	७	१	....	२	....
बम्बई	५	....	....	२	१	...	....	....	....	....	५	१	....	२	....
बंगाल	४	१	....	५	....	...	....	....	....	....	४	....	....	५	१
संयुक्तप्रान्त	५	१	....	३	१	६	...	....	४	....	....	....	....	....	....
पंजाब	२	....	२	४	....	१	....	२	४	१	....	....	....	....	....
बिहार	....	...	....	....	...	५	१	...	२	....	५	....	....	२	१
मध्यप्रांत और बरार	....	....	....	....	....	६	१	....	१	....	....	....	....	....	....
आसाम	....	...	....	....	...	३	...	....	२	...	....	....	....	....	....
उ. प. सीमाप्रांत	....	...	....	....	....	...	....	....	...	...	१	....	....	४	....
उड़ीसा	४	...	....	१	....	...	....	...	...	....	....	....	....	....	....
सिंध	२	...	....	३	....	...	....	....	....	...	....	....	....	....	....
ब्रिटिशबलूचिस्तान	....	...	....	....	....	...	....	....	....	....	....	....	....	१	....
देहली	....	....	....	....	....	....	....	....	...	....	१	....	....	....	....
अजमेर मारवाड़	....	...	....	....	....	..	....	....	...	...	१	....	....	....	....
कुर्ग	....	....	....	....	....	....	...	....	....	....	१	....	....	....	....
जोड़	२२	२	२	१८	२	२८	२	२	१५	२	२५	२	....	१६	२

फिडरल एसेम्बली की रचना।

१ प्रांत	२ कुल सदस्य	३ कुल साधारण सदस्य	४ दलित जातियों की सुरक्षित संख्या	५ सिक्ख	६ मुसलमान	७ एंग्लो इंडियन	८ यूरोपियन	९ भारतीय ईसाई	१० व्यापार और उद्योग	११ ज़मींदार	१२ श्रमजीवी	१३ स्त्री
मद्रास	३७	१९	४	...	८	१	१	२	१	१	१	२
बम्बई	३०	१३	२	....	६	१	१	१	३	१	२	२
बंगाल	३७	१०	३	...	१७	१	१	१	३	१	२	१
संयुक्तप्रांत	३७	१९	३	...	१२	१	१	१	....	१	१	१
पंजाब	३०	६	१	६	१४	....	१	१	....	१	...	१
बिहार	३०	१६	२	....	९	...	१	१	...	१	१	१
मध्यप्रांत और बरार	१५	९	२	....	३	....	....	....	....	१	१	१
आसाम	१०	४	१	...	३	....	१	१	....	....	१	....
उ० प० सीमाप्रांत	५	१	....	...	४	....	....	....	....	....	....	....
उड़ीसा	५	४	१	...	१	....	....	...	...	...	...	....
सिन्ध	५	१	...	...	३	...	१	....	....	....	...	...
ब्रिटिश बलूचिस्तान	१	...	....	...	१	....	....	...	....	....	...	...
देहली	२	१	....	....	१	....	...	....	...	....	...	...
अजमेर मारवाड़	१	१	....	...	....	....	...	....	...	....	....	....
कुर्ग	१	१	....	....	....	...	...	....	....	....	....	....
ग़ैर प्रांतीय सदस्य	४	....	...	....	....	....	...	...	३	....	१	...
जोड़	२५०	१५०	१९	६	८२	४	८	८	११	७	१०	९

कौन्सिल आफ स्टेट तथा फिडरल एसेम्बली में देशी राज्यों के सदस्यों की संख्या।

कौंसिल आफ स्टेट १०४ सदस्य (देशी राज्यों के) — फिडरल एसेम्बली १२५ सदस्य (देशी राज्यों के)

१	२	३	४	५
देशी राज्य तथा उनके समूह	कौंसिल आफ स्टेट में संख्या	देशी राज्य तथा उनके समूह	फिडरल एसेम्बली में संख्या	जन संख्या
		पहला विभाग		
हैदराबाद	५	हैदराबाद	१६	१,४४,३६,१४८
		दूसरा विभाग		
मैसूर	३	मैसूर	७	६५,५७,३०२
		तीसरा विभाग		
कश्मीर	३	कश्मीर	४	३६,४६,२४३
		चौथा विभाग		
ग्वालियर	३	ग्वालियर	४	३५,२३,०७०
		पांचवाँ विभाग		
बड़ौदा	३	बड़ौदा	३	२४,४३,००७
		छठा विभाग		
कलात	२	कलात	१	३,४२,१०१
		सातवाँ विभाग		
सिकिम	१	सिकिम	...	१,०६,८०८
		आठवाँ विभाग		
१. रामपुर	१	१ रामपुर	१	४,६५,२२५
२. बनारस	१	२ बनारस	१	३,६१,२७२
		नवाँ विभाग		
१. ट्रावनकोर	२	१ ट्रावनकोर	५	५०,९५,९७३
२. कोचीन	२	२ कोचीन	१	१२,०५,०१६

रियासती सदस्यों की संख्या (चालू)

देशी राज्य तथा उनके समूह	कौंसिल आफ स्टेट में संख्या	देशी राज्य तथा उनके समूह	फिडरल एसेम्बली में संख्या	जन संख्या
३. पदुकोताई		३. पदुकोताई		४,००,६६४
बंगनापैली	१	बंगनापैली	१	३६,२१८
सन्दूर		सन्दूर		१३,५८३
		दसवाँ विभाग		
१. उदैपुर	२	१. उदैपुर	२	१५,६६,६१०
२. जैपुर	२	२. जैपुर	३	२६,३१,७७५
३. जोधपुर	२	३. जोधपुर	२	२१,२५,६८२
४. बीकानेर	२	४. बीकानेर	१	६,३६,२१८
५. अलवर	१	५. अलवर	१	७,४६,७५१
६. कोटा	१	६. कोटा	१	६,८५,८०४
७. भरतपुर	१	७. भरतपुर	१	४,८६,६५४
८. टोंक	१	८. टोंक	१	३,१७,३६०
६. धौलपुर	१	६. धौलपुर	१	२,५४,६८६
१०. करौली	१	१०. करौली		१,४०,५२५
११. बूंदी	१	११. बूंदी	१	२,१६,७२२
१२. सिरोही	१	१२. सिरोही		२,१६,५२८
१३. डूँगरपुर	१	१३. डूँगरपुर	१	२,२७,५४४
१४. बंसवारा	१	१४. बंसवारा		२,६०,६७०
१५. परतापगढ़	१	१५. परतापगढ़	१	७६,५३६
झालवर		झालवर		१,०७,५६०
१६. जैसलमेर	१	१६. जैसलमेर	१	७६,२५५
किशनगढ़		किशनगढ़		८५,७४४

रियासती सदस्यों की संख्या (चालू)

देशी राज्य तथा उनके समूह	कौंसिल श्राफ स्टेट में संख्या	देशी राज्य तथा उनके समूह	फिडरल एसेम्बली में संख्या	जन संख्या
		ग्यारहवाँ विभाग		
१. इन्दौर	२	१. इन्दौर	२	१३,२५,०८६
२. भूपाल	२	२. भूपाल	१	७,२६,६५५
३. रींवाँ	२	३. रीवाँ	२	१५,८७,४४५
४. दतिया	१	४. दतिया	१	१,५८-८३४
५. श्रोरछा	१	५. श्रोरछा		३,१४,६६१
६. धार	१	६. धार		२,४३,४३०
७. देवास(बड़ा)	१	७. देवास(बड़ा)	१	८३,३२१
देवास(छोटा)		देवास(छोटा)		७०,५१३
८. जश्रोरा	१	८. जश्रोरा	१	१,००,१६६
रतलाम		रतलाम		१,०७,३२१
९. पन्ना	१	९. पन्ना	१	२,१२,१३०
समथर		समथर		३३,३०७
श्रजैगढ़		श्रजैगढ़		८५,८९५
१०. बिजावर	१	१०. बिजावर	१	१,१५,८५२
चरखारी		चरखारी		१,२०,३५१
छतरपुर		छतरपुर		१,६१,२६७
११. बश्रोनी	१	११. बश्रोनी	१	१९,१३२
नागौद		नागौद		७४,५८९
मैहर		मैहर		६८,६९१
बरौंधा		बरौंधा		१६,०७१
१२. बड़वानी	१	१२. बड़वानी	१	१,४१,११०
श्रलीराजपुर		श्रलीराजपुर		१,०१,९६३
शाहपुरा		शाहपुरा		५४,२३३

रियासती सदस्यों की संख्या (चालू)

देशी राज्य तथा उनके समूह	कौंसिल ग्राफ स्टेट में संख्या	देशी राज्य तथा उनके समूह	फिडरल एसेम्बली में संख्या	जन संख्या
१३. झबुआ		१३. झबुआ		१,४५,५२२
सैलाना	१	सैलाना	१	३५,२२३
सीतामऊ		सीतामऊ		२८,४२२
१४. राजगढ़		१४. राजगढ़		१,३४,८६१
नरसिंहगढ़	१	नरसिंहगढ़	१	१,१३,८७३
खिलचीपुर		खिलचीपुर		४५,५८३
		बारहवाँ विभाग		
१. कच	१	१. कच	१	५,१४,३०७
२. ईदर	१	२. ईदर	१	२,६२,६६०
३. नवनगर	१	३. नवनगर	१	४,०६,१९२
४. भावनगर	१	४. भावनगर	१	५,००,२७४
५. जूनागढ़	१	५. जूनागढ़	१	५,४५,१५२
६. राजपिपला	१	६. राजपिपला	१	२,०६,११४
पालनपुर		पालनपुर		२,६४,१७९
७. ध्रगंध्रा	१	७. ध्रगंध्रा	१	८८,९६१
गोण्डाल		गोण्डाल		२,०५,८४६
८. पोरबन्दर	१	८. पोरबन्दर	१	१,१५,६७३
मोर्वी		मोर्वी		१,१३,९२३
९. राधनपुर		९. राधनपुर		७०,५३०
बाँकानेर	१	बाँकानेर	१	४४,२५९
पालीटाना		पालीटाना		६२,१५०
१०. कैम्बे		१०. कैम्बे		८७,७६१
धरमपुर	१	धरमपुर	१	१,१२,०३१
वालसीनोर		वालसीनोर		५२,५२५

रियासती सदस्यों की संख्या (चालू)

देशी राज्य तथा उनके समूह	कौंसिल आफ स्टेट में संख्या	देशी राज्य तथा उनके समूह	फिडरल एसेम्बली में संख्या	जन संख्या
११. बेरिया		११. बेरिया		१,५६,४२६
छोटा उदैपुर	१	छोटा उदैपुर	१	१,४४,६४०
संत		संत		८३,५३१
लूनावदा		लूनाविदा		६५,१६२
१२. बन्सदा		१२. बन्सदा		४८,८३६
साचिन	१	साचिन	१	२२,१०७
जाह्वर		जाह्वर		५७,२६१
दन्ता		दन्ता		२६,१६६
१३. ध्रोई		१३. ध्रोई		२७,६३६
लिम्बडी	१	लिम्बड़ी	१	४०,०८८
वाधवन		वाधवन		४२,६०२
राजकोट		राजकोट		७५,५४०

तेरहवाँ विभाग

देशी राज्य तथा उनके समूह	कौंसिल आफ स्टेट में संख्या	देशी राज्य तथा उनके समूह	फिडरल एसेम्बली में संख्या	जन संख्या
१. कोल्हापुर	२	१. कोल्हापुर	१	६,५७,१३७
२. सांग्ली	१	२. सांग्ली	१	२,५८,४४२
सवँतवदी	...	सवंतवदी		२,३०,५८६
३. जनीरा		३. जनीरा		१,१०,३७६
मुधौल	१	मुधौल	१	६२,८३२
भोर		भोर		१,४१,५४६
४. जमखण्डी		४. जमखन्डी		१,१४,२७०
मिराज(बड़ा)		मिराज(बड़ा)		६३,६३८
मिराज(छोटा)	१	मिराज(छोटा)	१	४०,६८४
कुरुन्दबादबड़ा		कुरुन्दबादबड़ा		४४,२०४
कुरुन्दबादछोटा		कुरुन्दबादछोटा		३६,५३८

रियासती सदस्यों की संख्या (चालू)

देशी राज्य तथा उनके समूह	कौंसिल आफ स्टेट में संख्या	देशी राज्य और उनके समूह	फिडरल एसेम्बली में संख्या	जन संख्या
५. अकलकोट		५. अकलकोट		९२,६०५
फलतान		फलतान		५८,७६१
जाठ	१	जाठ	१	९१,०९९
औंध		औंध		७६,५०७
रामदुर्ग		रामदुर्ग		३५,४५४
		चौदहवाँ विभाग		
१. पटियाला	२	१. पटियाला	२	१६,२५,५२०
२. बहबलपुर	२	२. बहबलपुर	१	९,८४,६१२
३. खैरपुर	१	३. खैरपुर	१	२,२७,१८३
४. कपूरथला	१	४. कपूरथला	१	३,१६,७५७
५. जिन्द	१	५. जिन्द	१	३,२४,६७६
६. नाभा	१	६. नाभा	१	२,८७,५७४
७. मण्डी		७. तेहरी गढ़वाल	१	३,४९,५७३
विलासपुर	१	८. मण्डी		२,०७,४६५
सुकेत		विलासपुर	१	१,००,९९४
८. तेहरी गढ़वाल		सुकेत		५८,४०८
सिरमूर	१	९. सिरमूर	१	१,४८,५६८
चम्बा		चम्बा		१,४६,८७०
९. फरीदकोट		१०. फरीदकोट		१,६४,३६४
मलेरकोटला	१	मलेर कोटला	१	८३,०७२
लोहारू		लोहारू		२३,३३८
		पन्द्रहवां विभाग		
१. कूंचविहार	१	१. कूंचविहार	१	५,९०,८८६
२. त्रिपुरा	१	२. त्रिपुरा	१	३,८२,४५०
३. मानीपुर		३. मानीपुर	१	४,४५,६०६

रियासती सदस्यों की संख्या (चालू)

देशी राज्य तथा उनके समूह	कौंसिल आफ स्टेट में संख्या	देशी राज्य और उनके समूह	फिडरल एसेम्बली में संख्या	जन संख्या
		सोलहवाँ विभाग		
१. मयूरभंज	१	१. मयूरभंज	१	८,८९,६०३
सोनेपुर		२. सोनेपुर	१	२,३७,९२०
२. पटना	१	३. पटना	१	५,६६,९२४
कलहण्डी		४. कलहण्डी	१	५,१३,७ ६
३. क्योञ्झार	१	५. क्योञ्झार	१	४,६०,६०९
धेनकनाल		६. गंगपुर	१	३,५६,६७४
नयागढ़		७. बस्तार	१	५,२४,७२१
तालचेर		८. सरगुजा	१	५,०१,९३९
नीलगिरी		९. धनकेनाल	३	२,८४,३२६
४. गंगपुर	१	नयागढ़		१,४२,४०६
बामरा		सेराइकेला		१,४३,५२५
सेराईकेला		बौद		१,३५,२५८
बौद		तालचेर		६७,७०२
बोनाई		बोनाई		८०,१८६
५. बस्तार	१	नीलगिरी		६८,५९४
सरगुजा		बामरा		१,५१,०४७
रायगढ़		१०. रायगढ़	३	२,७७,५६९
नन्दगांव		खैरगढ़		१,५७,४००
६. खैरगढ़	१	जशपुर		१,९३,६९८
जशपुर		कन्केर		१,३६,१०८
कन्केर		सरनगढ़		१,२८,९६७
कोरिया		कोरिया		९०,८८६
सरनगढ़		नन्दगांव		१,८२,३८०

सत्रहवां विभाग

अन्य देशी राज्य

सब विभागों की सब रियासतों की आबादी का जोड़ ७,८९,८१,९१२

नोट :—इन राज्यों का उल्लेख गवर्मेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट १९३५ के प्रथम शिड्यूल भाग २ धारा १२ में है।

वर्तमान केन्द्रीय शासन ।

भारतीय शासन मुख्य दो भागों में विभाजित है:—(१) ब्रिटिश भारत (२) देशी राज्य ।

नोटः—भारत में कुछ ऐसे स्थान हैं जो पुर्तगाल और फ्रान्स के क़बज़े में हैं उनके शासन का विवरण आगे दिया गया है ।

ब्रिटिश भारत का शासन ।

ब्रिटिश भारत के शासन का इतिहास पहिले दिया जा चुका है । इस अध्याय में उसका वर्तमान स्वरूप दिया जाता है ।

शासन का स्वरूप ।

गवर्मेन्ट आफ इण्डिया ऐक्ट १९३५ के अनुसार भारत के शासन का स्वरूप पूर्ण रूप से अभी नहीं बना है । प्रान्तों में उपरोक्त ऐक्टानुसार "प्रान्तीय स्वशासन" (Provincial Autonomy) ता० १ अप्रेल १९३७ से आरम्भ हो गया है किन्तु अभी तक केन्द्रीय सरकार जिसका स्वरूप (संघ शासन) (Federation) होना चाहिये स्थापित नहीं हुई है । केन्द्रीय सरकार अभी तक गवर्मेन्ट आफ इंडिया ऐक्ट (१९१९) के अनुसार ही चलाई जा रही है ।

लार्ड लिनिलिथगो (वाइसराय) इस संघ शासन को शीघ्रातिशीघ्र स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं । यह बताना यहाँ अनुचित न होगा कि भारत के सब प्रकार के राजनैतिक दल और मुख्यतः राष्ट्रीय कांग्रेस Indian National Congress इस संघ शासन का घोर विरोध कर रही है ।

फलतः केन्द्रीय सरकार का वर्तमान स्वरूप केवल आवश्यक मात्रा में ही दिया जा रहा है । प्रान्तीय शासन का व्योरा विस्तृत रूप से दिया गया है ।

केन्द्रीय शासन का स्वरूप (१६१६ के ऐक्ट के अनुसार)

ब्रिटिश सरकार।

भारत का वर्तमान शासन ब्रिटिश सरकार के हाथों में है। कुल देश का राज्य ब्रिटिश नरेश के नाम पर चलाया जाता है। इस समय षष्टम जार्ज का शासन काल है। सन १८७६ के रायल टाइटिल्स ऐक्ट के अनुसार इंगलैंड के नरेश को भारत सम्राट का पद प्राप्त है।

ब्रिटिश पार्लियामेंट

ब्रिटिश साम्राज्य की व्यवस्थापक सभा को पार्लियामेंट कहते हैं। उसके अन्तर्गत दो सभायें हैं--(१) हाउस आफ लार्ड्स। (२) हाउस आफ कामन्स।

हाउस आफ लार्ड्स में लगभग ७४० सदस्य हैं जिनमें यूनाइटेट किंगडम के पियर्स (लार्ड्स), रायल ड्यूक्स, आर्कबिशप्स, ड्यूक्स, मारकुइसेस, अर्ल्स, वाइकौंट्स, २४ बिशप व बैरन, और २८ आयरलैंड के पियर्स (आजीवन) और १६ स्काटलैंड के पियर्स पार्लियामेंट की अवधि के लिये चुने जाते हैं।

हाउस आफ कामन्स में जन साधारण से ६१५ सदस्य पार्लियामेंट की अवधि के लिये चुने जाते हैं। जिसमें

इंग्लैंड ४९२, वेल्स ३६, स्काटलैंड ७४, उत्तरी आयर्लैंड १३ चुनते हैं। स० १९११ से हाउस आफ कामन्स के सदस्यों को वार्षिक ४०० पौंड दिया जाता है।

सेक्रेटरी आफ स्टेट।

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल में कम्पनी के कोर्ट आफ डायरेक्टर्स तथा कोर्ट आफ प्रोप्राइटर्स द्वारा भारत का शासन प्रबन्ध होता था। सन् १७८४ में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोर्ड आफ कन्ट्रोल स्थापित किया। शनैः शनैः इस बोर्ड के प्रधान (President) के हाथों में प्रबंध की पर्याप्त शक्ति आ गई। सन् १८५८ ई० में भारतीय युद्ध के पश्चात भारत का शासन ब्रिटिश नरेश के हाथ में आ गया। उसी साल (१८५८ ई०) के ऐक्ट द्वारा सेक्रेटरी आफ स्टेट फार इण्डिया (भारत मंत्री) बनाया गया। बोर्ड आफ कन्ट्रोल के कुल अधिकार उसके हाथ में आये और ब्रिटिश नरेश तथा पार्लीयामेंट का भारत पर शासन उसके द्वारा चलाया जाने लगा। सन् १९१५ ई० में इसी संबंध में एक दूसरा कानून भी पास किया गया।

सन् १९१९ ई० के गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट के पहिले भारत के सब प्रकार के शासन प्रबंध तथा आय व्यय की जाँच तथा निरीक्षण पर सेक्रेटरी आफ स्टेट का पूर्ण अधिकार था। सन् १९१९ ई० के ऐक्टानुसार प्रान्तों में शासनाधिकार कुछ अंश तक व्यवस्थापिका सभाओं में तथा मंत्रियों को दे दिया गया और केन्द्रीय सरकार के अधिकारों में भी 'व्यवस्थापक सभाओं मेंलोकमत के प्रतिनिधि अधिक संख्या में होने के कारण,' कमी हुई। इस हद तक सेक्रेटरी आफ स्टेट के अधिकार भी कम हुये। ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी जो १९१९ ई० के ऐक्ट के पहिले बनाई गई थी उसने भी यह राय दी थी कि जहाँ भारत सरकार तथा व्यवस्थापक सभाओं का मत भेद न हो वहाँ सेक्रेटरी आफ स्टेट केवल अत्यंत विशेष अवस्था में ही हस्तक्षेप किया करे।

इंडिया कौंसिल

भारत मंत्री को परामर्श देने के लिये सन् १८५८ ई० के ऐक्ट ने इंडिया कौंसिल भी निर्माण की। इसके सदस्य आरंभ में आजीवन सदस्य होते थे किन्तु कुछ काल के बाद ५ वर्ष के लिये नियुक्त किये जाने लगे। उन्हें १२०० पौंड

वार्षिक वेतन मिलता था और जो भारतवासी नियुक्त होते थे उन्हें ६०० पौंड भत्ता भी मिलता था। लार्डमार्ले (भारत मंत्री) ने सन् १९१७ ई० से भारतीयों को भी कौंसिल में लेना आरंभ किया। सदस्यों की संख्या सन् १९१९ ई० के ऐक्ट के अनुसार ८ से १२ तक रक्खी गई जिसमें आधे ऐसे होने चाहिये जो १० वर्ष तक भारत में रह चुके हों और जिनको भारत छोड़े हुये ५ वर्ष से अधिक भी न हुआ हो। १ अप्रैल सन् १९३७ ई० से इंडिया कौंसिल का अस्तित्व मिट गया। उसके स्थान में सलाहकारों की एक समिति सेक्रेटरी आफ स्टेट के साथ काम करेगी फिडरेशन के आरंभ होने पर सलाहकारों की संख्या कम से कम ३ और अधिक से अधिक ६ होगी।

इंडिया आफिस

सेक्रेटरी आफ स्टेट के दफ्तर को इंडिया आफिस कहते हैं। सन् १९१९ के पहिले तक सेक्रेटरी आफ स्टेट का वेतन भारत को देना पड़ता था किन्तु उसके बाद से ब्रिटिश सरकार को देना पड़ता है। इंडिया आफिस का वार्षिक व्यय लगभग २३०,००० पौंड है जिसमें से ब्रिटिश सरकार ११५००० पौंड देती थी। अब सन् १९३५ के ऐक्ट के अनुसार सेक्रेटरी आफ स्टेट तथा उसके कुल विभाग का खर्च पार्लियामेंट पर है।

हाइ कमिश्नर

स० १९२० ई० के पूर्व भारत के लिये कर्ज लेने देने का कार्य (अर्थात् एजेन्सी कार्य) व सामान खरीदना, मुआहिदे करना, इत्यादि सब कार्य सेक्रटरी आफ स्टेट किया करता था १ अक्टूबर १९२० ई० से वह काम सेक्रटरी आफ स्टेट से लेकर एक उच्च पदाधिकारी को जिसे 'हाइ कमिश्नर' कहते हैं सौंप दिया गया है। पहिले हाइ कमिश्नर स्वर्गीय सर विलियम मेयर थे। आज कल सर फीरोजखां नून हैं। इनके हाथों में भारत सरकार के लिये स्टोर्स खरीदने का काम, भारतीय विद्यार्थियों की जाँच तथा ट्रेड कमिश्नर का कार्य सौंपा गया। उस समय से कार्य बढ़ते जाते हैं जैसे सिविल लीव अलाउसों और पेन्शनों का अदा करना, आई० सी० एस० और फारेस्ट उम्मेदवारों की नियुक्ति तथा उनकी देख, रेख जो अफसर भारत से डेपूटेशन पर या शिक्षा के लिये आवें उनके लिये प्रबन्ध करना, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तकों तथा रिपोर्टों के बेचने का प्रबन्ध करना इत्यादि।

हाइ कमिश्नर की नियुक्ति ५ साल के लिये होती है। उसका वेतन ३००० पौंड वार्षिक भारत को देना होता है।

ब्रिटिश कैबिनेट (मंत्री मंडल)

पार्लियामेंट का कार्य-संचालन एक कार्य कारिणी द्वारा होता है जिसे ब्रिटिश कैबिनेट या मंत्रीमंडल कहते हैं। इस मंत्रीमंडल के सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार होती है। आजकल इसमें निम्नलिखित सदस्य हैं—

प्रधान मंत्री, नेविल चेम्बरलेन।
लार्ड हाईचान्सलर, वाइकौंट हेलशैन।
अर्थ सचिव, सर जान सायमन।
गृह सचिव, सर सैमुअल होर।
परराष्ट्र सचिव, लार्ड हैलीफैक्स।
डोमनियन सेक्रेटरी, मैलकम मैकडानल्ड।
औपनिवेषिक मंत्री, डबलू० आर्म्‌स बाईगोर।
युद्ध सचिव, ले. होर बैलीशा।
भारत सचिव, मारक्विस ज़ेटलैंड।
हवाई सेना सचिव, वाईकौंट स्विण्टन।
फर्स्ट लार्ड आफ दि ऐडमिरैल्टी, ए० डफ० कूपर,
बोर्ड आफ ट्रेड के सभापति, औलीवर स्टैन्ले।
स्वास्थ्य सचिव, सर किंग्स्ले वुड।
कृषि तथा फिशरी के मंत्री, डबलू० एस० मोरीसन।
स्काटलैंड सचिव, वाल्टर ई० इलियट।
शिक्षा बोर्ड के सभापति, लार्ड स्टैनहोप।
लार्ड प्रीवी सील, लार्ड डि लावर।
लेबर मंत्री, अरनेस्ट ब्राउन।
स्वरक्षा संगठन सचिव, सर टामस इन्सकिप।
ट्रान्सपोर्ट सचिव, ई एल० बरगिन।

नोटः—प्रधान मंत्री को छोड़कर (जिसका वेतन १०,००० पौंड सालाना होता है) प्रत्येक मंत्री को वेतन ४,००० पौंड सालाना दिया जाता है।

ब्रिटिश सम्राट तथा उनका कुटुम्ब।

हिज़ मोस्ट एक्सीलेण्ट मैजेस्टी जार्ज दि सिक्सथ बाइ दि ग्रेस आफ़ गाड आफ़ ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड, ऐण्ड ब्रिटिश डोमिनियन बियाण्ड दि सीज़, किंग, डिफेण्डर आफ़ दि फेथ एम्परर आफ़ इण्डिया, जन्म १४ दिसम्बर, १८९५, विवाह २६ अप्रैल १९२३ लेडी एलिज़बेथ ऐंजिल मार्गरेट बोलेसलियन (ज० ४ अगस्त १९००), राज्यारोहण १२ दिसम्बर १९३६।

सन्तान ।

१—हिज़ रायल हाईनेस प्रिन्सेस एलिज़ावेथ अलेक्ज़ेण्डरा मेरी, जन्म अप्रैल २१, १६२६ ।

२—हिज़ रायल हाईनेस प्रिन्सेस मार्गरेट रोज़, जन्म २१ अगस्त १६३० ।

भाई और बहन ।

१—हिज़ रायल हाईनेस ड्यूक आफ़ विण्डसर, भूतपूर्व राजा एडवर्ड अष्टम्, राज्यारोहण २० जनवरी, १६३५, पदत्याग १० दिसम्बर १६३६, विवाह २४ अप्रैल १६३७ (मिसेस सिम्पसन) ।

२—हिज़ रायल हाईनेस ड्यूक आफ़ ग्लाउस्टर, जन्म ३१ मार्च १६००, विवाह ६ नवम्बर १६३५, (लेडी एलाइस माण्टेग्यू डगलस स्काट, डचेस आफ़ ग्लाडस्टर, जन्म २५ दिसम्बर १६०१) ।

३—हिज़ रायल हाईनेस ड्यूक आफ़ केण्ट, जन्म २० दिसम्बर १६०२, विवाह २६ नवम्बर १६३५ (हिज़ रायल हाईनेस दि प्रिन्सेस मैरिना आफ़ ग्रीस और डेनमार्क)

४—हिज़ रायल हाईनेस दि प्रिन्सेस रायल काउण्टेस आफ़ हेयरवुड, जन्म २५ अप्रैल १८६७, विवाह २८ फ़रवरी १६२२ (वाईकौंट लैसेलीस) ।

इण्डिया आफ़िस ।

सेक्रेटरी आफ़ स्टेट फ़ार इण्डिया—मोस्ट आनरेबिल दि मारक्विस आफ़ ज़ेटलैंड । पी. सी., जी. सी. आई. ई., के. सी, आई. ई. ।

परमानेण्ट अण्डर सेक्रेटरी आफ़ स्टेट—सर एफ़ स्टीवार्ट जी. सी. आई. ई. ।

पार्लियामेण्टरी अण्डर सेक्रेटरी आफ़ स्टेट—लार्ड स्टैंले ।

सेक्रेटरी आफ़ स्टेट के परामर्शदाता—सर ए० रामास्वामी मुडालियर, सर होरेस विलियमसन, सर जे. एच. क्के, सर हेनरी स्ट्राकोच, सर आर. ग्लैन्सी, ख़ाँ बहादुर सर अब्दुल क़ादिर, सर एलन पारसन्स, सरदार बहादुर मोहनसिंह ।

हाई कमिश्नर आफ़ इण्डिया—सर फीरोज़ख़ाँ नून ।

डिपुटी हाई कमिश्नर आफ़ इण्डिया-बी. रामाराव आई.सी.एस.।

ट्रेड कमिश्नर फ़ार इण्डिया—डी. डी. बी. मीक ।

भारत सरकार ❀ ।

भारत सरकार के तीन अंग हैं। (१) गवरनर जनरल इन कौंसिल। (२) कौंसिल आफ़ स्टेट। (३) लेजिसलेटिव एसम्बली।

वाइसराय तथा गवरनर जनरल

भारत का शासन व्यवहारिक रीति से गवरनर जनरल इन कौंसिल द्वारा चलाया जाता है। गवरनर जनरल को वाइसराय कहते हैं परन्तु इसके लिये कोई कानूनी आधार नहीं है। ब्रिटिश सम्राट का भारत में वह प्रतिनिधि है। इस कारण उसे यह पदवी प्राप्त हो गई है और अब यह पदवी कानूनी ही समझना चाहिये। गवरनर जनरल की नियुक्ति ब्रिटिश नरेश द्वारा होती है और वह उन्हीं को उत्तरदायी है सम्राट की ओर से क्षमा तथा दया प्रकाशित करने के कुल अधिकार गवरनर जनरल को हैं। भारतीय शासन के सर्वोच्च तथा कुल अधिकार उसी में केन्द्रीभूत हैं। सब प्रकार के कानून वह बना सकता है और भारतीय व्यस्थापक सभाओं कौंसिल तथा एसम्बली द्वारा बने हुये कानूनों को वह स्वयं रद्द कर सकता है इस प्रकार नये कानून बनाने की शक्ति को सर्टीफ़िकेशन, कहते हैं। स० १९१९ के बाद अनेक अवसरों पर दोनों प्रकार की शक्तियों का प्रयोग किया जा चुका है।

गवरनर जनरल की कौंसिल।

गवरनर जनरल की सहायता के लिये एक कार्यकारिणी समिति होती हैं जिसके सदस्य ब्रिटिश नरेश द्वारा नियुक्त होते हैं। साधारण तथा कुल शासन गवरनर जनरल-इन-कौंसिल द्वारा ही चलाया जाता है। कानूनन कौंसिल के बिना गवरनर-जनरल को कोई कार्य नहीं करना चाहिये परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। गवरनर जनरल स्वयं सब अधिकार वरत सकता है। कौंसिल में साधारण तय: कमांडर-इन-चीफ़ को मिलाकर ८ सदस्य होते हैं। इससे भी अधिक हो सकते हैं। इन में से कम से कम ३ आई. सी. ऐस होते हैं। और एक सदस्य बैरिस्टर अथवा वकील हाई कोर्ट होना चाहिये। यदि मद्रास, बम्बई या बंगाल प्रेसीडेन्सी में से किसी जगह इस कौंसिल की बैठक हो तो उस प्रेसीडेन्सी का गवरनर असाधारण सदस्य उस बैठक

❀ नोट—केन्द्रीय सरकार का यह विवरण गवर्मेन्ट आफ़ इन्डिया ऐक्ट १९१९ के अनुसार दिया गया है। यही स्वरूप वर्तमान है। नवीन ऐक्ट (१९३५) के अनुसार केवल प्रान्तों में शासन चल रहा है।

के लिये हो जाता है। किन्तु बैठकें साधारणतया दिल्ली और शिमला में ही होती है।

प्रत्येक सदस्य के हाथ में एक विशिष्ट विभाग (Port Folio) होता है और वही उस विभाग का कार्य चलाता है। परन्तु इन सदस्यों के नीचे जो सेक्रेटरी होते हैं उन्हें पूर्ण अधिकार है कि गवरनर जनरल के पास सीधे चले जावें और कोई कार्य केवल उसी की आज्ञानुसार कर दें।

इस कौंसिल का कुल कार्य बहुमत से होता है परंतु गवरनर जनरल को बहुमत न मानने का अधिकार है ऐसे अवसर पर विरोधी सदस्य अपना विरोध लिखकर पेश कर सकते हैं जो सेक्रेटरी आफ-स्टेट के यहां भेज दिया जाता है।

कार्य के विभाग इस प्रकार हैं —

१—'शिक्षा स्वास्थ्य भूमि, विभाग

२—'होम' विभाग (भारतीय प्रबन्ध इत्यादि)

३—'फाइनेन्स' विभाग (जमा खर्च)

४—व्यापार विभाग (Commerce) ।

५—उद्योग विभाग (Industries & Labor) ।

६—क़ानून विभाग (Law) ।

७—विदेशी संबन्ध (Foreign) यह विभाग स्वयं गवरनर जनरल के हाथ में रहता है।

८—फौजी विभाग, कमांडर इन-चीफ के हाथ में फौजी विभाग रहता है।

इस कौंसिल की बैठक बहुधा एक सप्ताह में एक बार या दो बार होती हैं।

कौंसिल के सदस्यों की अवधि के लिये कोई नियम नहीं है। कौंसिल के सेक्रटरी की अवधि ३ वर्ष है। सेक्रटरी के नीचे डिप्टी और असिस्टेण्ट सेक्रटरी तथा अन्य पदाधिकारी होते हैं।

भारत सरकार के कार्य

केन्द्रीय सरकार के हाथों में ऐसे कार्य हैं जो पूरे भारतवर्ष से संबंध रखते हैं अथवा उनका प्रबंध समष्टि रूप में अधिक भली प्रकार हो सकता है। अन्य कार्य प्रांतीय सरकारों के हाथों में दे दिये गये हैं स० १९१९ के ऐक्ट के अनुसार प्रांतीय 'संरक्षित' विषयों के प्रबंध में केन्द्रस्थ सरकार को हस्तक्षेप करने का पूर्ण अधिकार था परन्तु 'समर्पित' विषयों में केवल निम्नलिखित कारणों से ही हस्तक्षेप किया जा सकता था। (१) यदि

केन्द्रीय विषयों का ऋण सर्वआवश्यक हो।

(२) यदि दो या अधिक प्रांतीय सरकारों के बीच कोई बात तै करनी हो।

(३) यदि हाई कमिश्नर के कार्य संबंधी कोई कर्तव्य गवरनर जनरल का हो।

(४) यदि प्रांतीय सरकारों को करजा निकालना हो इत्यादि।

अब १९३५ के ऐक्ट के अनुसार प्रांतों में स्वशासन (Autonomy) स्थापित हो गया है और गवरनर जनरल इन कौंसिल के अधिकार पर्याप्त मात्रा में कम हो गये हैं।

भारत सरकार के पदाधिकारी

वायसराय ऐण्ड गवर्नर जनरल आफ इंडिया तथा कौंसिल

हिज़ एक्सलेन्सी दि मोस्ट आनरेबिल दि मारक्विस आफ लिनलिथगो, पी० सी०, के० टी०, जी० सी० एस० आई०, जी० एम० आई०ई०, ओ० बी० आई०, डी० एल०, टी० डी०। (वाइसराय)

कमान्डर इनचीफ इन इंडिया

हिज़ एक्सलेन्सी जनरल सर राबर्ट ए० कासल्स, जी० सी० बी०, सी० एस० आई०, डी० एस० ओ०।

कार्यकारिणी के सदस्य।

दि आनरेबिल सर टामस स्टीवार्ट, के० सी० आई० ई०, सी० एस० आई० (रेलवेज़ ऐण्ड कम्यूनिकेशन)।

दि आनरेबिल सर एन एन० सरकार, के० सी० एस० आई० बार-ऐट-ला, (कानून)।

दि आनरेबिल सर जेम्स ग्रिग, के० सी० बी, के० सी० एस० आई (फ़ायनेन्स)।

दि आनरेबिल कुँवर सर जगदीशप्रसाद, सी० एस० आई०, सी० आई० ई०, ओ० बी० ई० (शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि)।

दि आनरेबिल सर मुहम्मद ज़फरुल्लाहखाँ बार-ऐट-ला (कामर्स ऐण्ड लेबर)।

गृह विभाग।

आन० मि० आर० एम० मैक्सवेल आई० सी० एस०, सी० आई० ई०, (सेक्रटरी)

जे० ए० थार्न, सी० आई० ई०, आई० सी० एस० (ज्वायंट सेक्रेटरी)

आई० एम० स्टीफेन्स, सी० आई० ई० (डायरेक्टर आफ पब्लिक इनफरमेशन)

राजनीति विभाग।

आन० सर बरट्रैण्ड ग्लैन्सी, के० सी० आई० ई०, सेक्रेटरी सी० ए० कोरफील्ड, सी० आई ई० (ज्वायंट सेक्रेटरी)

परराष्ट्र-विभाग।

सर औब्रे मेटकाफ़ के० सी० आई० ई०, सी० आई० ई० एम० वी० ओ०, सेक्रेटरी।

अर्थ विभाग।

ए० जे० रैसमन, सी० आई० ई०, आई० सी० एस०, सेक्रेटरी।

ई० टी० कोट्स, आई० सी० एस०, ज्वायंट सेक्रटरी।

जे० डब्लू केली, कन्ट्रोलर आफ़ करेन्सी।

सर अरनेस्ट बर्डन, के० सी० आई० ई०, आई० सी० एस आडीटर।

जनरल इन इण्डिया।

एम० आर० कोबर्न, ओ० बी० ई०. मिलीटरी एकौंटेण्ट जनरल।

रक्षा विभाग।

जी० एम० जी० ओगिलवी, आई० सी० एस०, सेक्रेटरी।

वाइस एडमिरड ए० ई० एफ० बेडफोर्ड, आर० एन० फ्लैग आफीसर कमांडिंग रायल इण्डियन आर्मी।

ले० जनरल सर डबलू० एच० बारडोलोम्यू, चीफ आफ दि जनरल स्टाफ।

ब्रिगेडियर ए० जी० ओ० मेन, डायरेक्टर आफ मिलीटरी आपरेशन एण्ड इण्टेलीजेन्स।

ब्रिगेडियर वी० एच० बी० मैजेण्डी, डी० एस० ओ०, डायरेक्टर मिलीटरी ट्रेनिंग।

ले० जनरल सर जान ब्रिण्ड, डी० एस० ओ०, ऐडजुटैण्ड जनरल इन इण्डिया।

ब्रिगेडियर एन० एम० विल्सन, डी० एस० ओ० डायरेक्टर आफ पर्सनल सर्विसेस।

ब्रिगेडियर एल० एम० पीट, जज एडवोकेट जनरल इन इण्डिया।

मेजर जनरल डी० एस० स्केटन सी० बी०, डी० एस० ओ०, डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेस इन इण्डिया।

मेजर जनरल सर आर्थर मोयन्स डी० एम० ओ०, क्वार्टर मास्टर जनरल इन इण्डिया।

मेजर जनरल ई० एम० स्टीवार्ड,

डायरेक्टर आफ सप्लाईज एण्ड ट्रान्सपोर्ट ।

जनरल, एच० एस० गासकेल, डी० एस० ओ०, इनजीनियर-इन-चीफ ।

ब्रिगेडियर एच० सी० डिवेस, डायरेक्टर , वैटिनरी सर्वे ।

ले० जनरल सर हेनरी ई० इपरीज़, प्राइस मास्टर जनरल आफ दि आर्डीनेन्स इन इण्डिया ।

मेजर जनरल एन० सी० बला-टाइन, मिलीटरी सेक्रीटरी ।

एअर मार्शल आर० एच० पीक, ओ० बी० ई०, एअर आफ़ीसर कमांडिग आर० ए० एफ० इण्डिया ।

लेजिस्लेटिव विभाग

जी० एच० स्पेन्स, आई० सी० एस०, सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव विभाग ।

जे बार्टले, आई० सी० एस०, ज्वायंट सेक्रेटरी एण्ड ड्राफ्ट्समैन ।

डी० एन० मित्तर, सालीसिटर, गवर्नमेंट आफ इण्डिया ।

सर ब्रोजेन्द्र मित्तर, के० सी० एस० आई० फिडरल एडवोकेट जनरल इन इण्डिया ।

कामर्स तथा लेबर विभाग

ए० जी० क्ला०, आई० सी० एस०, सेक्रटरी, लेवर विभाग ।

डा० जे मटाई, डायरेक्टर जनरल आफ कामर्शल इण्टेलीजेन्स ऐण्ड स्टैटिस्टिक्स ।

रेलवे बोर्ड ।

सर जी० रसेल के० सी० एस० आई०, चीफ़ कमिश्नर आफ रेलवेज़ ।

ए० ई० टिलडेन पैटेनसन मेम्बर रेलवे बोर्ड ।

जे० सी० हिगेट, मेम्बर रेलवे बोर्ड

बी० एम० स्टैग, आई० सी० एस० फायनेन्शल कमिश्नर आफ रेलवेज़ ।

बी० एल० कैमेरान, सेक्रेटरी रेलवे बोर्ड ।

बी० एन० मित्रा, डायरेक्टर आफ रेलवे आडिट ।

एच० सी० नोरबरी, कण्ट्रोलर आफ रेलवे एकाउण्टस ।

टी० एस० शंकर अटयर, डायरेक्टर आफ फा .ने.न्स ।

शिक्षा, स्वास्थ्य और भूमि विभाग ।

सर गिरिजाशंकर बाजपेई, सेक्रेटरी शिक्षा विभाग जे० ई० पार्किन्सन आई० ई० एस०, शिक्षा, कमिश्नर आफ इण्डिया, सी० जी० ट्रिवर इन्सपेक्टर जनरल आफ फारेस्ट्स ।

मेजर जनरल ई० डबलू० सी० ब्रैडफील्ड, आई० एम० एस० डाय-

रेक्टर जनरल इण्डियन मेडिकल सर्विस।

ले० कर्नल ए० जे० एच० रसेल, आई० एम० एस० पब्लिक हेल्थ कमिश्नर आफ़ इण्डिया।

ब्रिगेडियर एच० जे० कौचमैन सर्वेयर जनरल आफ इण्डिया, जे० एफ० ब्लेकिस्टन डायरेक्टर जनरल आफ आर्केआलोजी. इंडिया, डा० बेनीप्रसाद डी० एस० सी० डायरेक्टर जूलोजिकल सर्वे आफ इण्डिया, सी० सी०कालडर, डायरेक्टर बोटैनिकल सर्वे आफ इंडिया।

रेलवे ऐण्ड कम्यूनिकेशन विभाग

एस० एन० राय, आई० सी० एस० सेक्रेटरी कम्यूनिकेशन्स डिपार्टमेंट।

एल० फीलडेन, कण्ट्रोलर आफ ब्राडकास्टिंग।

एफ० टिम्स, एम० एससी० डायरेक्टर आफ सिविल एविएशन इन इण्डिया।

के रामा पाई, कण्ट्रोलर आफ पेटेण्ट ऐण्ड डिज़ाइन्स।

आर० एस० परसेल, सी० आई० ई० डायरेक्टर जनरल आफ पोस्ट्स ऐण्ड टेलेग्राफ्स।

जी० एस, चीफ इन्सपेक्टर आफ इक्सप्लोसिव्ज़।

मी० एफ० विकफोर्ड, कण्ट्रोलर आफ प्रिंटिंग ऐण्ड स्टेशनरी।

सी० डबलू० बी० नारमड, डायरेक्टर जनरल आफ आबज़रवेटरीज़।

सर जेम्स पिकेटली, चीफ़ कण्ट्रोलर आफ़ स्टोर्स।

ए० एम० हिरोन० एफ० जी० एस० डायरेक्टर जियोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया।

डी० पेनमैन, सी० आई० ई० चीफ़ इन्सपेक्टर आफ माइन्स।

लेजिस्लेटिव असेम्बली विभाग।

मियां मुहम्मद रफी, सेक्रेटरी।

रिफ़ार्मस आफ़िस।

डबलू एच० लेविस, आई सी० एस०, सी आई० ई०, रिफार्मस कमिश्नर।

ई० के० स्मिथ, आई० सी० एच०, ज्वायंट सेक्रेटरी।

सेण्ट्रल बोर्ड आफ रेवेन्यू।

ए० एच० लायड, आई० सी० एस०, मेम्बर।

जे० एफ० शेर्का, आई० सी० एस०, मेम्बर।

टैरिफ बोर्ड।

सर जी० ऐकेन, के० सी० आई० ई०, प्रेसीडेण्ट।

सर फज़ल इब्राहिम रहीमतुल्ला, मेम्बर।

डा० एल० सी जेन, पीएच० डी० डी० एससी० मेम्बर।

के० बी भाटिया, आई० सी० एस सेक्रेटरी।

फिडरल पब्लिक सर्विस कमीशन।

ई० गार्डन, आई० सी एस० (चेयरमैन)।

ए० एफ० रहमान, एच० एस० क्रास्थवेट, रायबहादुर पी० एल० धावन, (सदस्य)।

एच० हैमिल, आई० ई० एस० (सेक्रेटरी)।

चैम्बर आफ प्रिन्सेज़।

चान्सलर एच० एच० दि महाराजा आफ पटियाला।

प्रोचान्सलर—एच० एच० दि जाम साहेब नावनगर।

स्टैंडिंग कमेटी—बहवलपुर, डूंगरपुर, बिलासपुर, मंडी, बीकानेर, जोधपुर, सांचिन, और सांग्ली के शाएक।

भारतीय न्याय विभाग

फिडरल कोर्ट आफ इण्डिया।

चीफ जस्टिस आफ इण्डिया—सर मारिस गुइर के० सी० एस० आई०। जजेज़—एम० आर० जयकर, सर शाह मोहम्मद सुलेमान। ऐडवोकेट जनरल आफ इण्डिया—सर ब्रोजेन्द्र लाल मित्तर के० सी० आई० ई०।

चीफ़ जस्टिस (हाईकोर्ट्स)।

कलकत्ता—आन० सर हेराल्ड डर्बीशायर, के० सी०।

बम्बई—आन० सर जान बोमाएट, के० सी०।

मद्रास—आन० एच० एच० एल० लीच।

पटना—आन० सर कोर्टनी टेरेल।

इलाहाबाद—सर जान टाम।

नागपुर—आन० सर जान गिलबर्ट स्टोन।

अवध (चीफ़कोर्ट)—आन० विशेश्वरनाव श्रीवास्तव।

हाई कोर्टो के साधारण जज।

कलकत्ता

आन० सर लियोनार्ड जे कास्टेलो।
,, ,, आर० ई० जैक।
,, मि० जे एल० विलियम्स।
,, ,, एस० के० घोष।

लाल सुरेन्द्रबहादुर सिंह
एम. एल. ए (यू. पी)
(युवराज मिमरी रियासत)

श्री० सी. राजगोपालाचार्यर
प्रधान मंत्री मद्रास सरकार

श्री० मुहम्मद याकूब
मंत्री, मद्रास सरकार

पं० आत्माराम गोविंद खेर
पार्लीमेंटरी सेक्रेटरी यू. पी.

पं० श्रीनारायण चतुर्वेदी
शिक्षा प्रसार अफसर यू. पी.

पं० श्रीरत्न शुक्ल एम. एल. ए.
यू. पी.

,, ,, एच० आर० पैंकिज ।
,, ,, डी० सी० पैटरसन ।
,, ,, टी० अमीरअली ।
,, ,, एम० सी० घोष ।
,, ,, सी० बार्टले ।
,, ,, जी० डी० मैकनेयर ।
,, ,, एस० नसीम अली ।
,, ,, ए० जी० आर० हेण्डरसन ।
,, ,, आर० सी० मित्तर ।
,, ,, एन० जी० ए० एग्ली ।
,, ,, बी० के० मुकर्जी ।
,, ,, सी० सी० निरवास ।
,, ,, एन० ए० खुदेकर ।

बम्बई हाईकोर्ट ।

आन० मि० सी० पी० ब्लैकवेल ।
,, ,, एस० एस० रंगनेकर ।
,, ,, आर० एस० ब्रूमफील्ड ।
,, ,, के० डबलू बारली ।
,, ,, बी० जे० वाडिया ।
,, ,, एच० जे० कानिया ।
,, ,, एन० जे० वाडिया ।
,, ,, एच० बी० डिवाटिया ।
,, ,, ए० एस० आर० मैकलिन ।
,, ,, के० बी० वसुदेव ।
,, ,, के० सी० सेन ।
,, ,, एन० जी० इनजीनियर ।
,, ,, एम०ए० सोमर्जी ।
,, ,, डी० आर० नारमन ।
,, ,, जी० एन० ठाकुर ।

पटना हाईकोर्ट ।

आन० मि० ए० डबलू० ईवोर्ट
,, सर० टी० एस० मैकफरसन ।
,, मि० एस फज़ल अली ।
,, ,, ख़्वजा एम० नूर ।
,, ,, जे० एफ० डबलू० जेम्स ।
,, ,, एस० बी० ठोवले ।
,, ,, सी० एम० अगरवाल ।
,, ,, एस० बी० वर्मा ।
,, ,, एफ० जी० रोलैण्ड ।
,, ,, एफ० एफ० मदन ।

लाहौर हाईकोर्ट ।

आन० सर० जे यंगहसिन ।
,, मि० बख़्शी टेक चन्द ।
,, ,, जे० कोल्डस्ट्रीम ।
,, ,, जै लाल ।
,, ,, कुंवर दलीप सिंह ।
,, ,, जे० एच० मुनरो ।
,, ,, एफ० डबलू स्केम्प ।
,, ,, एम० बी० भिड़े ।
,, ,, अब्दुल रशीद ।
,, ,, एस० दीन मुहम्मद ।

मद्रास हाईकोर्ट ।

आन० सर० एम० वेंकटा सुबा राव ।
,, मि० सी मधवन नैयर ।
,, ,, एस० वर्दाचार ।
,, ,, एच० डी० कारनिश ।

,, ,, के० पी० लक्ष्मणम्राव।
,, ,, वी० पाण्डुरंगाराव।
,, ,, आर० जे० बर्न।
,, ,, ए० जी० जेक्सिटल।
,, ,, वी० मार्केट।
,, ,, एस० वर्ड्सवर्थ।
,, ,, एन० एस० मेनन।
,, ,, जे० सी० स्टोडार्ड।
,, ,, पी० वेंक्टारमण राव।
,, ,, एफ० डबलू जेक्सिटल।
,, ,, एल० सी० होरविल।

इलाहाबाद हाईकोर्ट

आन० मि० सी० नियामतुल्ला।
,, ,, ई० बेनेट।
,, ,, इकबाल अहमद।
,, ,, ए० टी० हैरीज़।
,, ,, राजपाल सिंह।
,, ,, उमाशंकर बाजपेई।
,, ,, एच० जे० कोलिस्टर।
,, ,, जे० जे० एलारप।
,, ,, आर० एल० योर्क।

,, ,, ए० एच० हैमिल्टन।
,, ,, गंगानाथ।

नागपुर हाईकोर्ट

मि० एल० लेविस।
,, बी० एस० नियोगी।
,, आर० ई० योलाक।
,, विवियन बोस।
,, एच० जी ग्रिऊर।

जजों की संख्या

कोर्ट	अधिक से अधिक
हाई कोर्ट, मद्रास	१५
,, ,, बम्बई	१३
,, ,, कलकत्ता	१६
,, ,, इलाहाबाद	१२
,, ,, लाहौर	१५
,, ,, पटना	...
,, ,, नागपुर	७
चीफ़कोर्ट, अवध	७
जुडिशल कमिश्नर्स आफ सिंध	५
,, ,, सीमा प्रान्त	२

केन्द्रीय व्यवस्थापक मण्डल।

(ऐक्ट १६१६)

भारत में कानून तीन प्रकार के हैं:—

(१) ब्रिटिश पार्लीमेंट के ऐक्ट उदाहरणार्थ गवरमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट १६१६ व १६३५।

(२) गवरनर जनरल द्वारा बनाये हुये आर्डीनेंसेंज। यह कानून केवल ६ माह तक लागू रहते हैं और आकस्मिक आवश्यकता होने पर इन्हें बनाना चाहिये ऐसा नियम है परन्तु आवश्यकता है अथवा नहीं इस बात का निर्णय पूर्णतया गवरनर जरनल पर है। उदाहरण—बङ्गाल आर्डीनेन्स।

(३) व्यवस्थापक सभाओं द्वारा बनाये हुये ऐक्ट।

भारतीय व्यवस्थापक मण्डल।

व्यवस्थापक मण्डल अर्थात (Indian Legislature) के दो भाग हैं।

(१) कौंसिल आफ स्टेट (Council of state)

(२) लेजिसलेटिव एसेम्बली (Legislative Asembly)

किसी कानून के पास होने के लिये दोनों सभाओं की अनुमति होना चाहिये ऐसा साधारण नियम है।

दोनों सभाओं में निश्चित संख्या सदस्यों की होती है। कुछ नियमित सङ्ख्या तक सदस्यों के स्थान खाली रहें तो भी दोनों सभायें अपना कार्य कर सकती है। सरकारी नौकर चुना हुआ सदस्य नहीं हो सकता। यदि गैर सरकारी सदस्य सरकारी नौकरी कर ले तो उसका स्थान खाली हो जाता है। यदि कोई सदस्य दोनों सभाओं में चुना जावे तो एक स्थान से इस्तीफा देना पड़ता है दोनों जगह सदस्य नहीं रह सकता।

गवरनर जनरल की कौंसिल के सदस्य दोनों में से एक सभा के सदस्य नियोजित हो सकते हैं परन्तु दोनों जगह बैठने व बोलने का अधिकार उन्हें रहता है।

निर्वाचन विधि।

सदस्यों के निर्वाचन के लिये नियम बने हुये हैं। कौंसिल आफ स्टेट और एसेम्बली के निर्वाचन क्षेत्र (Seat or Constituency) अलग २ हैं और निर्वाचन की योग्यता भी अलग २ है। कौंसिल आफ स्टेट के लिये क्षेत्र भी बड़े हैं और योग्यता भी बड़ी है।

निर्वाचन संघ (Electorate) अर्थात निर्वाचकों (वोटरों) के समूह भी अलग २ हैं और कई प्रकार के हैं- साधारण, साम्प्रदायिक (मुसलमान; ब्राह्मण यूरोपियन इत्यादि) विशेष, यूनिवर्सिटी, व्यापार, जमींदार, खान, खेती इत्यादि ।

निर्वाचन संघों का विशेष ज्ञान आगे चल कर कौंसिल आफ स्टेट तथा एसेम्बली के विशेष विवरण में दिया गया है ।

सदस्यों की संख्या (ऐक्ट १६१६)

ऐसेम्बली और कौंसिल आफ स्टेट

प्रान्त		ऐसेम्बली	कौंसिल आफ स्टेट
मद्रास	निर्वाचित	१६	५
बङ्गाल	,,	१७	६
बम्बई	,,	१६	६
संयुक्त प्रान्त	,,	१६	६
पंजाब	,,	१२	४
बिहार उड़ीसा	,,	१२	३
मध्य प्रान्त	,,	५	२
आसाम	,,	४	१
बर्मा	,,	४	२
दिल्ली	,,	१	—
कुल	निर्वाचित	१०३	३५
भारत सरकार	नियोजित	४१	२६
कुल		१४४	६०

मताधिकार।

मताधिकार (वोट की पात्रता) निम्नलिखित व्यक्तियों को नहीं रहती।

१-जो ब्रिटिश प्रजा न हो किंतु देशी नरेश और उनकी प्रजा को मताधिकार हैं।

२-पागल।

३--२१ वर्ष से कम की आयु वाला मनुष्य।

४—जिसे पीनल कोड के ९वें चैपटर के अनुसार ऐसे अपराध में सजा दी गई हो जिसमें ६ महीने से अधिक सजा हो। दंडित होने के ५ वर्ष बाद वह निर्वाचित हो सकता है।

५—जो निर्वाचन कमिश्नरों द्वारा चुनाव के समय रिशवत तथा दूषित व्यवहार के लिये अपराधी ठहराया गया हो। ऐसे व्यक्ति किसी प्रांत में ३ साल और किसी में ५ साल बाद निर्वाचक हो सकते हैं।

स्त्रियों को सभी प्रांतों में मताधिकार है।

गवरनर जनरल इन कौंसिल को अधिकार है कि उपरोक्त अवधियां (४) व (५) कम कर दे।

निर्वाचकों की सूचि को Electoral Roll कहते हैं और जिन व्यक्तियों का उसमें नाम दर्ज हो वे ही वोट दे सकते हैं।

व्यवस्थापक सभाओं के नियम।

कौंसिल आफ स्टेट का अध्यक्ष गवरनर जनरल द्वारा नियत होता है।

लेजिस्लेटिव एसेम्बली का पहिला अध्यक्ष गवरनर जनरल नियत करेगा जो चार वर्ष तक काम करेगा बाद को वह एसम्बली द्वारा चुना जावेगा जिस की स्वीकृति गवरनर जनरल देगा। (इस समय अध्यक्ष चुना हुआ ही है)

एसम्बली एक डिपटी प्रेसीडेन्ट भी नियत करेगी।

इन दोनों का वेतन गवरनर जनरल द्वारा निश्चित होगा अगर वह इन्हें नियत करे अन्यथा ऐसेम्बली इस के निमित्त एक्ट पास करेगी।

कौंसिल आफ स्टेट ५ साल तक और एसेम्बली ३ साल तक (पहिली बैठक से) जारी रहेगी।

गवरनर जनरल को अधिकार है कि लेजिसलेटिब एसेम्बली और कौंसिल आफ स्टेट को अवधि के पहिले ही स्थगित करदे या उनकी अवधि बढ़ा दे।

कोई सरकारी नौकर किसी सभा के चुनाव के लिये खड़ा न हो सकेगा।

गवरनर जनरल की कौंसिल का प्रत्येक मेम्बर दोनों सभाओं में से किसी एक का मेम्बर नियुक्त होगा पर दोनों में उसे बोलने का अधिकार होगा।

यदि कोई मनुष्य दोनों सभाओं का सदस्य चुन लिया जावे तो उसे एक सभा से इस्तीफा दे देना पड़ेगा।

इन सभाओं को भारत सम्बन्धी सब प्रकार के कानून बनाने का अधिकार है। परन्तु उन्हें सेक्रेटरी आफ स्टेट की अनुमति के बिना ऐसा अधिकार नहीं है कि किसी हाईकोर्ट को तोड़ दे या किसी अदालत को फाँसी देने का अधिकार दे दें।

गवरनर जनरल की अनुमति बिना निम्न लिखित विषयों सम्बन्धी कोई कानून पेश नहीं किये जा सकते:—

१—सार्वजनिक कर्ज (Public Debt) तथा सार्वजनिक आमदनी।

२—धर्म तथा धार्मिक रीतियां (ब्रिटिश भारत की प्रजा संबन्धी)

३—सरकारी फौजों के नियम तथा नियुक्ति सम्बन्धी विषय।

४—विदेशी नरेशों तथा राज्यों से सम्बन्ध।

यदि एक सभा का पास किया हुआ बिल दूसरी सभा में ६ महीने के अन्दर न पास करे तो गवरनर जनरल उस बिल को दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक के सामने पेश करेगा।

यदि कोई बिल दोनों सभाओं ने पास कर दिया हो तो गवरनर जनरल उसे पुनः विचार के लिये उन्हीं को वापिस कर सकता है।

दोनों सभाओं के सदस्यों के विचार स्वातंत्र है और उनके भाषणों के कारण उन पर किसी अदालत में मुकदमा नहीं चल सकता।

अनुमान पत्र (Budget)

प्रत्येक वर्ष भारत के सरकारी अनुमानित आय व्यय का ब्योरा दोनों सभाओं के सामने पेश किया जायगा।

किसी कार्य के लिये किसी आमदनी या रुपये का खर्च बिना गवर्नर जनरल की अनुमति के पेश नहीं किया जा सकता।

गवरनर जनरल-इन-कौंसिल के निम्न लिखित खर्चों के अनुमान लेजिसलेटिव ऐसेम्बली के वोटों के आधीन न रहेंगे। और उन पर वार्षिक अनुमान पत्र पर बहस के

समय कोई चरचा भी नहीं हो सकती है। गवरनर जनरल इस बाधक नियम को हटा सकता है:—

१—कर्ज का सूद और किस्त।

२—ऐसा खर्च जो किसी कानून द्वारा बाध्य हो।

३—वेतन तथा पेन्शनें ऐसे कर्मचारियों की जिनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा अथवा सेक्रेटरी आफ स्टेट द्वारा होती है।

४—चीफ कमिश्नर और जुडिशल कमिश्नरों के वेतन।

५—खर्चे जो गवरनर जनरल इन कौंसिल निम्न प्रकार की मद्दों में रख दे।

(क) गिरजों का खर्च।

(ख) राजनैतिक खर्च।

(४) यदि यह प्रश्न उपस्थित हो कि कोई खर्च उपरोक्त मद्द में आता है या नहीं तो गवरनर जनरल का फैसला अन्तिम होगा।

(५) गवरनर जनरल-इन-कौंसिल के अन्य खर्चों का अनुमान लेजिसलेटिव ऐसेम्बली के वोट के आधीन रहता है और भिन्न २ मद्दों को माँगों के रूप में पेश किया जाता है।

(६) लेजिसलेटिव एसेम्बली इन भागों में से किसी को स्वीकार कर सकती है या मांग का रुपया कम कर सकती है।

(७) लेजिसलेटिव ऐसेम्बली द्वारा पास किये हुये अनुमान गवरनर जनरल इन कौंसिल को पेश किये जाते हैं। और यदि किसी मांग का ऐसेम्बली ने स्वीकार न किया हो या उसके रुपये को कम कर दिया हो तो गवरनर जनरल ऐसी मांग को पूर्ण रूप से स्वयं स्वीकार कर सकता है और ऐसेम्बली की राय को रद्द कर सकता है।

(८) उपरोक्त नियमों के होते हुये भी गवरनर जनरल स्वयं किसी खर्च को जिसे वह भारत की रक्षा तथा शांति के लिये उचित समझे पास कर सकता है।

आकस्मिक अधिकार।

गवरनर जनरल द्वारा स्वीकार किये हुये किसी बिल को दोनों सभायें या एक नामंजूर करे या संशोधन कर दें यदि गवरनर जनरल यह समझे तो कि ब्रिटिश भारत या उसके किसी भाग की रक्षा तथा शांति के लिये उस बिल का पास होना आवश्यक है तो इस प्रकार का सार्टीफिकेट देदेगा और इस पर-

(१) यदि बिल दूसरी सभा ने पास कर दिया है तो गवरनर जनरल के हस्ताक्षर होने पर इस बात के होते हुये भी कि दोनों सभाओं ने उसे पास नहीं किया है, वह बिल तुरन्त कानून हो जावेगा।

(२) यदि बिल दूसरी सभा में पेश नहीं हुआ है तो वह दूसरी सभा में पेश किया जावेगा, तो यदि उस सभा ने गवरनर जनरल की इच्छानुसार उसे पास कर दिया तो वह ऐक्ट हो जावेगा अगर नहीं तो गवरनर जनरल के हस्ताक्षरों से ही वह एक्ट हो जावेगा—

इस प्रकार का एक्ट गवरनर जनरल द्वारा पास किया गया है ऐसा समझा जावेगा और जितनी जल्दी हो सके उसे पार्लीमेंट की दोनों सभाओं के सामने पेश किया जावेगा और जब तक पार्लीमेंट उसे पास न कर दे तब तक वह लागू न होगा।

किंतु यदि गवरनर जनरल समझे कि ऐक्ट का पास होना अत्यन्त आवश्यक है तो उसी समय ऐसे बिल को लागू कर देगा और वह तब तक लागू रहेगा जब तक सम्राट (कौंसिल सहित) उसे रद्द न कर दें।

कौंसिल आफ़ स्टेट

निर्वाचक (वोटर) की योग्यता

जिस व्यक्ति में उपरोक्त अयोग्यतायें न हों और जिसमें निम्नलिखित योग्यतायें हों वह वोटर हो सकता है और उसी का नाम वोटरों की सूची में दर्ज किया जाता है:—

१-जो निर्वाचन क्षेत्र Constituency of Seat की सीमा के भीतर रहता हो। और—

२-(१) जिसके पास निर्धारित मूल्य की ज़मीन हो।

या (२) जो निर्धारित आमदनी पर टैक्स (कर) देता हो।

या (३) जो किसी व्यवस्थापक सभा का सदस्य हो या रहा हो।

या (४) जो किसी म्युनिसपल या डिस्ट्रिक्टबोर्ड या कौंसिल का निर्धारित पदधिकारी हो या रहा हो।

या (५) जो व्यक्ति किसी यूनिवर्सिटी की निर्धारित पदवी प्राप्त हो।

या (६) जो किसी सरकारी बैंक का निर्धारित पदाधिकारी हो।

या (७) जिसे सरकार द्वारा शमसुल उलमा अथवा महामहोपाध्याय की पदवी प्राप्त हुई हो।

साम्प्रदायिक अथवा जाति संघ में उसी सम्प्रदाय अथवा जाति का मनुष्य निर्वाचक हो सकता है—जैसे मुसलमान संघ में मुसलमान ही निर्वाचक हो सकता है अन्य मनुष्य नहीं।

भिन्न २ प्राँतों में निर्वाचकों की योग्यता के लिए आमदनी पर टैक्स की सीमा अथवा मालगुजारी की सीमा अलग २ है:—

उदाहरणार्थ:—

प्रांत	सालाना आमदनी	मालगुजारी
बङ्गाल	१२०००	५०००
बम्बई	३००००	७५००
मद्रास	२००००	२०००
संयुक्त प्राँत	१००००	५०००
सी. पी.	२००००	३०००
आसाम	१२०००	२०००
पंजाब	१५०००	७५००
बिहार	१२०००	१२००
बर्मा	५०००	...

यह बात स्पष्ट है कि कौंसिल आफ स्टेट धनिकों की सभा है। पहले निर्वाचन में यह पाया गया कि देश भर में लगभग १८०० कुल निर्वाचक थे।

कुछ विशेष योग्यतायें।

कौंसिल आफ स्टेट के निर्वाचकों में निम्न लिखित अयोग्तायें उपरोक्त अयोग्यताओं के अतिरिक्त भी न होना चाहिये—

(१) ऐसे वकील जो किसी अदालत द्वारा वकालत करने के अधिकार से वञ्चित कर दिये गये हों।

(२) ऐसे व्यक्ति जो ऐसे दिवालिये हों जो बरी न हुये हों।

(३) जिनकी आयु २५ वर्ष से कम हो।

(४) जिन्हें एक वर्ष से अधिक सजा या देश निकाला दिया गया हो।

(५) जो सरकारी नौकर हो।

यदि भारत सरकार चाहे तो पहिली या चौथी अयोग्यता किसी विशेप व्यक्ति के लिये रद्द कर सकती है पाँच वर्ष के बाद चौथी अयोग्यता नष्ट हो जाती है।

कौंसिल आफ स्टेट

सदस्यों की संख्या (६०) सभापति सहित

सरकार या प्रान्त	चुने हुये						नामजद		
	जनरल	गैर मुसलिम	मुसलिम	सिक्ख	योरोपियन व्यापारी	कुल	सरकारी	गैर सरकारी	कुल
भारत सरकार	...	...	...	...	...	...	१२	...	१२
मद्रास	...	४	१	...	...	५	१	१	२
बम्बई	...	३	२	...	१	६	१	१	२
बङ्गाल	....	३	२	...	१	६	१	१	२
संयुक्त प्रान्त	...	३	२	...	...	५	१	१	२
पंजाब	...	१	१½	१	...	३½	१	२	३
बिहार उड़ीसा	...	२½	१	...	...	३½	१	...	१
बर्मा	१	...	...	...	१	२	...	...	...
मध्यप्रान्त	२	...	...	...	...	२	...	...	...
आसाम	...	½	½	...	...	१	१	...	१
देहली	...	...	...	...	...	...	...	...	...
कुल						३४			२५

नोटः—एक निर्वाचन में पंजाब में मुसलिमों को दो और दूसरे निर्वाचन में बिहार उड़ीसा के गैर मुसलिमों को दो सदस्य चुनने का अधिकार है। इसी प्रकार एक निर्वाचन में बिहार उड़ीसा में गैर मुसलिमों को ३ और दूसरे में पंजाब में मुसलिमों को एक सदस्य चुनने का अधिकार है। आसाम में मुसलिम व गैर मुसलिम बारी बारी से एक सदस्य चुनते रहते हैं।

ऊपर के कोष्टक से सदस्यों की संख्या मालूम होगी। सरकार २७ सदस्य (सभापति को मिलाकर)

नामजद कर सकती हैं जिसमें से २० (अधिक नहीं) सरकारी नौकर हो सकते हैं। विहार प्रान्त के लिये सरकार १ सदस्य नियोजित कर देती है।

सभापति को सरकार सदस्यों में से ही नामजद कर सकती है।

कौंसिल आफ स्टेट के सदस्यों के नामों के पहिले Hon'ble (माननीय) शब्द लगाये जाने का मान सरकार ने दे रक्खा है।

कौंसिल आफ स्टेट की आयु ५ वर्ष की है।

लेजिसलेटिव ऐसेम्बली।

कार्य तथा अधिकारियों की महत्ता की दृष्टि से एसेम्बली अत्यन्त महत्व रखने वाली सभा है। भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व इसमें कौंसिल आफ स्टेट के मुकाबिले में ज़्यादा है यद्यपि निर्वाचक संघ ऐसे रक्खे गये हैं कि असली लोकमत का प्राबल्य चुने हुये सदस्यों द्वारा नहीं हो सकता।

निर्वाचक की योग्यता—

जिन व्यक्तियों में निर्धारित अयोग्यतायें न हों और निम्नलिखित योग्यतायें हों, वे इस सभा के निर्वाचक हो सकते हैं।

१—जो निर्वाचक संघ के क्षेत्र की सीमा के अन्दर रहने वाले हों और

२—(१) जो निर्धारित मूल्य या उससे अधिक की ज़मीन के मालिक हों या

(२) जिनके अधिकार में निर्धारित मूल्य या उस से अधिक की ज़मीन हो या

(३) जो ऐसे मकान के मालिक हों या ऐसे मकान में रहते हों जिसका वर्षिक किराया निर्धारित रकम या उससे अधिक हो,

या (४) जो ऐसे शहरों में, जहाँ म्युनिसिपैटियों द्वारा हैसियत टैक्स लिया जाता है, निर्धारित आमदनी या उससे अधिक पर म्युनिसपैलटी को हैसियत टैक्स देते हों।

या (५) जो भारत सरकार को इनकम टैक्स देते हों अर्थात जिनकी कृषि की आमदनी के अलावा अन्य आमदनी २००० रुपया से अधिक हो।

जाति या साम्प्रदायिक या विशिष्ट निर्वाचक संघ से वही व्यक्ति चुना जा सकता है जो उस जाति, सम्प्रदाय या विशिष्ट निर्वाचक संघ का सदस्य हो।

ऐसेम्बली के सदस्यों का वर्गीकरण ।

सरकार या प्रान्त	निर्वाचित							नामजद			
	गैर मुसलिम	मुसलिम	सिक्ख	योरोपियन	ज़मींदार	व्यापारीमंडल	जोड़	सरकारी	गैर सरकारी	जोड़	कुल जोड़
भारत सरकार	...	...	...	...	...	....	....	१२	....	१२	१२
मद्रास	१०	३	....	१	१	१	१६	२	२	४	२०
बम्बई	७	४	...	२	१	२	१६	२	४	६	२२
बंगाल	६	६	...	३	१	१	१७	२	३	५	२२
संयुक्त प्रान्त	८	६	...	१	१	....	१६	२	१	३	१९
पंजाब	३	६	२	...	१	...	१२	१	१	२	१४
बिहार उड़ीसा	८	३	..	...	१	...	१२	१	१	२	१४
मध्य प्रान्त	३	१	...	...	१	....	५	१	....	१	६
आसाम	२	१	...	१	....	...	४	१	....	१	५
बर्मा	२ गैरयोरोपियन			३	....	....	४	१	....	१	५
बरार	...	...	...	...	....	....	....	...	२	२	२
अजमेर	...	...	...	...	...	....	....	...	१	१	१
देहली	१ जनरल						१	...	....	....	१

कौंसिल आफ स्टेट के निर्वाचकों की योग्यता से एसेम्बली के निर्वाचकों की योग्यता कम रक्खी गई है।

एसेम्बली के निर्वाचकों की योग्यतायें भिन्न २ प्रान्तों में भिन्न २ हैं जैसे बंबई प्रांत के कुछ ज़िलों में कम से कम ३७॥) और कुछ ज़िलों में ७५) इनकम-टैक्स देने वाला मनुष्य निर्वाचक हो सकता है बङ्गाल में ६०) से अधिक मालगुजारी और २०००) रुपये की आमदनी पर टैक्स देने वाला, संयुक्त प्रांत में १८०) सालाना किराये के मकान में रहने वाला, या १५०) मालगुजारी देने वाला, पंजाब में १५०००) की लागत के मकान का मालिक, ३३०) सालाना का किरायेदार या १००) मालगुजारी देने वाला या ५०००) पर

इनकम टैक्स देने वाला, और मध्य प्रांत के विविध जिलों में मकान के किराये का १८०) देने वाला, या मालगुजारी का ६०) से १५०) तक देने वाला निर्वाचक हो सकता है।

साम्प्रदायिक तथा जमींदारों या व्योपारियों के प्रतिनिधियों (सदस्यों) के चुने जाने के लिये निर्वाचकों की योग्यतायें भिन्न २ प्रान्त में भिन्न २ हैं।

जो व्यक्ति एसेम्बली की (और कौंसिल आफ स्टेट) की मेम्बरी के लिये खड़ा होना चाहे उसे ५००) जमानत के रूप में जमा करने होते हैं। यदि वोट देने वाले वोटरों की कुल संख्या में से अष्टमांश (आठवां हिस्सा) वोटों का उसे अपने पक्ष में न मिले तो जमानत जप्त हो जाती है।

एसेम्बली के सदस्यों को M.L A. की पदवी अपने नाम के पीछे लगाने का अधिकार है। कौंसिल आफ स्टेट के सदस्यों को 'आनरेबिल' अपने नाम के पहिले लिखने का अधिकार है।

ऐसेम्बली के सदस्य

इस सभा में १४३ सदस्य होते हैं जिसमें ४० नामजद होते हैं। नामजद सदस्यों में २६ से अधिक सरकारी नहीं हो सकते। सदस्यों की कुल संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है और निर्वाचित और नामजद सदस्यों का परस्पर औसत घट बढ़ सकता है परन्तु कम से कम पांच बटे सात सदस्य अवश्य निर्वाचित होने चाहिये और नामजद सदस्यों में कम से कम एक तिहाई गैर सरकारी होने चाहिये।

सिम्बर १६२६ में ऐसेम्बली ने एक प्रस्ताव पास कर दिया है कि प्रांतीय कौंसिलें प्रस्तावों द्वारा स्त्रियों को सदस्य होने का अधिकार दे सकती हैं। कौंसिल आफ स्टेट भी प्रस्ताव द्वारा स्त्रियों को सदस्य होने का अधिकार दे सकती है। अभी तक मद्रास, बम्बई, पंजाब और बर्मा की व्यवस्थापक सभाओं (कौंसिलों) ने प्रस्ताव पास कर दिया है।

सरकार किसी भी प्रांत से स्त्रियों को नामजद कर सकती है।

ऐसेम्बली और कौंसिल आफ स्टेट की कार्य पद्धति।

इन दोनों सभाओं की बैठकें शिमला में गरमी में होती हैं और बाकी बैठकें दिल्ली में होती हैं। समय ११ से ५ बजे दिन तक का है। आरम्भ में सदस्यों द्वारा किये हुये प्रश्नों का उत्तर सरकारी पदाधिकारी देते हैं। अन्य कार्यों के दो भाग होते हैं-सरकारी और गैर सरकारी। गैर सरकारी कार्यों के लिये गवरनर जनरल कुछ दिन निश्चित

कर देता है इनमें गैर सरकारी सदस्यों के प्रस्तावों पर ही विचार होता है अन्य दिनों में सरकारी प्रस्ताव पर चर्चा होती है। सभापति की राय बिना कोई नवीन विषय पेश नहीं हो सकता।

एसेम्बली के लिये २५ सदस्यों की और कौंसिल आफ स्टेट में १५ सदस्यों की उपस्थिति कम से कम होना चाहिये सदस्यों के बैठने का क्रम सभापति निश्चित करता है। बहुधा सरकारी सदस्य और सरकार के पक्ष वाले दाहिनी ओर बैठते हैं और सार्वजनिक पक्ष वाले बाईं ओर और मध्यस्थ लोग मध्य भाग में बैठते है। वर्तमान ऐसेम्बली में स्वराजिस्ट पार्टी का जोर है, और उस से छोटी पार्टियां नैशनेलिस्ट, इनडिपेण्डेंट मुसलिम, इत्यादि हैं। सभाओं की भाषा अंग्रेजी है परन्तु सभापति की आज्ञा से सदस्य देशी भाषा में बोल सकता है। प्रत्येक प्रस्ताव पर वोट लिये जाते हैं और निर्णय बहुमत से किया जाता है यदि वोट बराबर हों तो सभापति को अपना वोट देकर निर्णय करना पड़ता है। साधारणतया सभापति वोट नहीं दे सकता। भाषण करने की पूर्ण स्वतंत्रता है परन्तु विषयान्तर न होना चाहिये। सभापति को शांति स्थापित करने का अधिकार है और यदि कोई सदस्य शाँति रखने में बाधक हो तो सभापति उसे १ दिन या अधिक दिनों के लिये सभा में आने से बन्द कर सकता है और आवश्यकता पड़ने पर अधिवेशन भी स्थगित कर सकता है।

प्रश्नोत्तर।

सभाओं में नियमानुसार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न उनही विषयों के सम्बन्ध में किये जा सकते हैं जिनके संबन्ध में प्रस्ताव पेश किये जा सकते हैं। प्रश्नोत्तर के समय में पूरक प्रश्न (Supplementary) भी सब सदस्यों द्वारा किये जा सकते हैं। किसी सरकारी सदस्य से वही प्रश्न किये जा सकते हैं जिन से सरकारी तौर पर उसका संबंध है। प्रश्नों की सूचना कम से कम १० दिन पहले देना चाहिये सभापति को प्रश्न न पूछने देने का अधिकार है।

प्रस्तावों की पद्धति।

कौंसिल आफ स्टेट और लेजिस्लेटिव ऐसेम्बली में जितने प्रस्ताव पेश किये जाते हैं वे सब सिफारिश के रूप में होते हैं और पास होने पर भी सरकार पर बाध्य नहीं है।

निम्न लिखित प्रकार के प्रश्न उपस्थित नहीं किये जा सकते:—

(१) ब्रिटिश सरकार, गवरनर जन-

रल या कौंसिल युक्त गवरनर का विदेशी राज्यों या देशी राज्यों से सम्बन्ध ।

(२) देशी रियासतों का शासन

(३) किसी देशी नरेश सम्बन्धी कोई विषय ।

(४) ऐसे विषय जो किसी सरकारी अदालत में पेश हों ।

निम्न लिखित विषयों के लिये गवरनर जनरल की स्वीकृति अवश्य होना चाहियेः—

(१) धार्मिक विषय या रीतियां ।

(२) जल, थल, या आकाश सेना की रचना ।

(३) विदेशी राज्यों या देशी राज्यों से सरकारी सम्बन्ध,

(४) प्रांतिक विषयों का नियंत्रण ।

(५) प्रांतीय कौंसिल का कोई कानून रद्द करना या बदलना ।

प्रस्ताव दो उद्देश्य से पेश किये जाते हैं–(१) सरकार से किसी कार्य करने की सिफ़ारिश निमित्त (२) किसी सार्वजनिक महत्व पूर्ण घटना के सम्बन्ध में वादानुवाद करने के लिये । साधारण कार्य स्थगित करने के निमित्त । इस प्रकार का प्रस्ताव प्रश्नोत्तर के समय के बाद ही पढ़ कर सुना दिया जाता है । यदि किसी सदस्य को उसमें आपत्ति हो तो सभापति सब सदस्यों से कहता है कि जो प्रस्ताव के वादानुवाद के अनुकूल हों वे खड़े हो जावें । कौंसिल आफ स्टेट में १५ और ऐसेम्बली में २५ खड़े हो जावें तो सभापति सूचित कर देता है कि अनुमति है और समय भी उसके लिये सूचित कर देता है जो साधारणतया ४ बजे का होता है ।

कार्यों की सिफारिश सम्बन्धी प्रस्ताव के लिये १५ दिन पहिले सूचना देना पड़ती है । प्रस्ताव उपस्थित किया जाय या नहीं इसका निर्णय सभापति के आधीन है । इस प्रकार मन्जूर किये हुये प्रस्तावों में से किन प्रस्वावों पर विचार हो यह बात चिट्ठी (Ballot) डाल कर तै की जाती है । एक बक्स में चिट्ठियां रख दी जाती हैं और किसी मनुष्य से एक विशिष्ट संख्या चिट्ठियों की उठवा ली जाती है। जो प्रस्ताव इन चिट्ठियों में निकलते हैं उन्हीं पर विचार होता है । यह जुये का प्रकार हटा कर यदि प्रस्तावों के पेश किये जाने की संख्या तथा उनके नाम ऐसी कमेटी के हाथों में दे दिया जायें जिसमें सब पक्ष के सदस्य हों तो अच्छा हो । इस कुरीति के कारण

अनेक अच्छे प्रस्ताव पेश ही नहीं हो पाते।

प्रस्तावक की अनुपस्थिति में उसका प्रस्ताव रद्द हो जाता है।

बिल (कानून) के पास होने की रीति इस प्रकार है:—

(१) पहिले गवरनर जनरल से अनुमति प्राप्त की जावे।

(२) निश्चित किये हुये दिन पर बिल के सामुहिक सिद्धांतों पर वाद-विवाद होता है।

(३) यदि सभा चाहे तो उसे 'सिलेक्ट कमेटी'' (जिसमें ला मेंबर बिल से सम्बन्ध रखने वाला सरकारी मेंबर और तीन या अधिक मेंबर चुने हुये होते हैं) के सुपुर्द कर दिया जाता है।

(४) यह कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है।

(५) इसके पश्चात बिल के प्रत्येक (Clause) वाक्यांश पर बहस होती और सन्शोधन इत्यादि पास किये जाते हैं।

(६) तत्पश्चात् मसविदा दूसरी सभा में भेजा जाता है जो कि (क) उसे पूर्ण रूपेण पास करदे या (ख) उसमें सन्शोधन कर दे।

(७) यदि बिल बिना सन्शोधन के दूसरी सभा में पास हो जावे तो गवरनर जनरल के पास अनुमति के लिये भेजा जाता है।

(८) अनुमति मिलने पर बिल की सूरत कानून (Act) में परिवर्तित हो जाती है।

(९) यदि दूसरी सभा के संशोधनों को पहिली सभा ने न माना तो पहिली सभा (क) उस बिल को रोक दे या (ख) गवरनर जनरल के पास भेज दे।

(१०) गवरनर जनरल ऐसे अवसर पर ऐसे बिल को दोनों सभाओं की संयुक्त सभा Joint Session के सामने पेश करेगा। इस संयुक्त बैठक का अध्यक्ष कौंसिल आफ स्टेट का भी सभापति होगा।

(११) इस संयुक्त बैठक में ऐसा बिल संशोधनों सहित बहुमत से पास होगा।

कौंसिल आफ़ स्टेट।

प्रेसीडेंट—सर मानिकजी बैरामजी दादाभाई।

निर्वाचित सदस्य।

के. आचार्य
चिदम्बरम चेटियर
नरायनदास गिरधरदास
वी. रामदास पण्टूलू
सैयद मुहम्मद पादशाह
गोविन्दलाल शिवलाल मोतीलाल
सर फ़िरोज़ सी० सेठना
सर सुलेमान कासिम हाजी मिठा
अताबिक्त मुहम्मद हुसेन
आर. एच. पारकर
कुमारशंकर राय चौधरी
कुमार नृपेन्द्र नारायण सिनहा
अब्दुल रज़्ज़ाक हाजी अब्दुल सत्तार
सैयद इहतिशाम हैदर चौधरी
जे. रीड के
राजा युवराजदत्तसिंह
हृदयनाथ कुञ्जरू
पी. एन. सप्रू
हाजी सैयद मुहम्मद हुसेन
लाला रामसरनदास
सरदार बूटासिंह
चौधरी अताउल्लाहखां तारतार
सर कामेश्वरसिंह (दरभंगा)
श्रीनरायण मेहता
सीताकान्त महापात्र
अबू अबदुल्ला सैयदहुसेन इसमाइल
वी० वी० केलकर
बृजलाल नंदलाल बियाणी
मौलवी असगर अली खां

नियोजित सदस्य

जनरल सर राबर्ट कैसेल्स
कुंअर सर जगदीशप्रसाद
आर. एम. मैक्सवेल
जे. सी. निक्सन
ए. जी. क्लाउ
एच. डो
सर जी० रसल
डी. सी. विलियम्स
जी. बी. बेवूर
जे. सी. हिवेट
ए. एच. ए. टाड
शेख़मुहम्मद सिद्दीकी

लेजिस्लेटिव असेम्बली (केन्द्रीय)

प्रेसीडेंट—सर अब्दुर्रहीम ।

क—निर्वाचित सदस्य

के. नागेश्वर राव
एन. जी रंगा आयंगर
एम. अनन्तस्यनाम आयंगर
टी. एस. अविनाशलिंगम चेटियर
सी. एन मथुरंगा मुदालियर
के. संतानम्
पी. एस. कुमारस्वामी राजू
सैमुयल आरोन
दीवानचंद नवलराम
भूलाभाई दीवनजी देसाई
एन. वी. गाडगिल
केशवराव मारुतिराव जेधे
एस. के. हुसैनी
अमरेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय
लक्ष्मीकान्त मैत्र
सूर्यकुमार सोम
अखिलचन्द्रदत्त
रघुबीरनरायणसिंह
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल
श्रीप्रकाश
कृष्णकान्त मालवीय
मोहनलाल सक्सेना
जोगेन्द्रसिंह
एस. सत्यमूर्ति
जी. वी देशमुख
सर कौवासजी जहाँगीर
अब्दुल हलीम ग़जनवी
अनवारुल अज़ीम
कबीरुद्दीन अहमद
मोहम्मद अहमद काज़रजी
सर मोहम्मद मामिन ख़ां
मोहम्मद याकूब
डा० ज़ियाउद्दीन अहमद
मोहम्मद अज़हरअली
एम. ए. जिन्ना
सर अब्दुर्रहीम
शौकतअली
उमरअलीशाह
सैयद मुर्तज़ा
अब्दुल सत्तार
सैयद गुलाम
एच. एच. अब्दुल्ला
सर मुहम्मद मेहरशाह

फ़ज़लहक़ पिराचा
मख़दूम मुरीदहुसेन कुरैशी
मुहम्मद नयूम
मुहम्मद आसान
बदरुल हसेन
सिद्दीकअली खां
एन. सी. चन्दर
पी. एन. बनर्जी
डा० भगवानदास
ला० श्यामलाल
भाई परमानन्द
रायज़ादा हंसराज
सत्यनारायणसिंह
बिपिनबिहारी वर्मा
नीलकंठदास
भूभानन्द दास
कैलाशविहारी
रामनरायणसिंह
सेठ गोविन्ददास
घनश्यामसिंह गुप्ता
कुलधर चलिहा
एम. आसफअली

भागचन्द सोनी
हुसेनभाई ए. लालजी
अब्दुल्ला हारूं
नबीबख़्श इलाहीबख़्श
मोहम्मद इस्माइल खां
एफ. ई. जेम्स
डबलू. बी. होसाक
सर लेडले हडसन
टी. चेयरमैन मोर्टीयर
ए. एकमैन
जे. आर. स्काट
सी. एच. विदरिंगटन
सर बसुदेव राजा
वीरेन्द्रकान्त लहरी
एम. गयासुद्दीन
हरिहरप्रसाद नरायणसिंह
शिवदास डागा
सामी वेंकटाशलम चेटी
मथुरादास विशनजी
एच. पी. मोदी
बैजनाथ बाजोरिया
सरदार संतसिंह

ख—नियोजित सदस्य।

(सरकारी)

सर नृपेन्द्रनाथ सरकार
सर जेम्स ग्रिग
सर हेनरी क्रेक
मुहम्मद ज़फरुल्ला खां

सर राघवेन्द्र राव
सर गिरजाशंकर बाजपेई
सर औब्रे मेटकाफ़
जी. एच. स्पेन्स

ए. एच. लायड
एस. एन. राय
जे. ए. थार्न
के. संजीवराय
जे. ए. मैकडाउन
बी. बी. श्रीहरी नायडू
के. आर. मेनन
वी. एस. भिड़े
सी. वी. नागरकर
पी. जे. ग्रिफित्स
ए. के. चन्दा
एन. जे. राउटन
एस. एल. मेहता
जे. एफ. सेल
रायबहादुर बंशीधर
ललितचन्द्र
एम. एस. अणे (बरार)

(गैर सरकारी)

अहमद नवाज़खां
आर. डी. दलाल
सर सत्यचरन मुकर्जी
सर जवाहरसिंह
कैप्टेन शेर मुहम्मदखां
रायबहादुर लालचन्द
अब्दुल हमीद
सर रामस्वामी श्रीनिवास शर्मा
एल. सी. बसू
एफ. एक्स. डिसूजा
एम. सी. राजा
सर एच. ए. जे. गिडनी
एन. एम. जोशी

प्रान्तीय शासन

वर्तमान प्रान्तीय शासन का स्वरूप गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट (१६३५) के अनुसार बन गया है और उक्त ऐक्ट का वह भाग जो प्रान्तीय शासन से सम्बन्ध रखता है लागू हो चुका है।

गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट (१६३५) का जो ब्योरा अन्यत्र दिया गया है उस से शासन के सब अंगों का दिग्दर्शन हो जावेगा। इस स्थान पर केवल आवश्यक अंगों का विवरण दिया जा रहा है।

(१) गवरनरी प्रान्त।

यह प्रान्त ११ हैं—(१) बम्बई (२) बङ्गाल (३) मद्रास (४) संयुक्तप्रान्त (५) पंजाब (६) बिहार (७) मध्यप्रदेश और बरार (८) आसाम (६) सीमा-प्रान्त (१०) उड़ीसा (११) सिंध।

(२) चीफ़ कमिश्नरी प्रान्त।

यह प्रान्त ६ हैं—(१) ब्रिटिश बिलोचिस्तान (२) दिल्ली (३) अजमेर मारवाड़ (४) कुर्ग (५) अंडमन और निकोबार द्वीप समुह (६) पंथ पिपलोडा।

इन प्रान्तों का शासन गवरनर जनरल अपने चीफ़ कमिश्नरों द्वारा करता है। यहां व्यवस्थापक सभायें नहीं हैं।

प्रान्तीय शासन प्रबन्ध

(गवरनरी प्रान्त)

गवरनर

ब्रिटिश सम्राट द्वारा गवरनर नियुक्त होता है और गवरनर के नाम पर कुल आज्ञायें जारी की जाती हैं। उसी के नाम पर कुल शासन चलाया जाता है।

मंत्रीमंडल

गवरनर की सहायता तथा सलाह के लिये मंत्री मंडल की नियुक्ति गवरनर द्वारा लेजिसलेटिव एसेम्बली

(Legislative Assembly) के बहुमत रखनेवाले दल में से होती है। इसे केबीनेट (Cabinet) कहते हैं और प्रधान मंत्री को "प्रीमियर" (Premier) अथवा (Chief Minister) कहते हैं। सुविधा के लिये मंत्रीमंडलों ने अनेक (Parliamentary Secretary) नियुक्त किये हैं किंतु इनका उल्लेख गवर्नमेंट आफ इन्डिया ऐक्ट में नहीं है।

"व्यक्तिमत" तथा "स्वेच्छा"

गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट में निर्धारित विषयों तथा अवसरों पर गवर्नर को "व्यक्तिमत" (Individual Judgment) तथा "स्वेच्छा" (Discretion) से काम करने तथा निर्णय देने का अधिकार है।

व्यवस्थापिका सभायें।

सभायें दो प्रकार की होती हैं (१) लेजिस्लेटिव कौंसिल (Legislative Council) अथवा (Upper Chamber)। इस सभा में प्रायः बड़े जमींदार, महाजन तथा पूंजीपतियों को निर्वाचित होने का अधिकार है। गवर्नर को कुछ सदस्य नियोजित करने का भी अधिकार है।

(२) लेजिस्लेटिव एसेम्बली (Legeislative Assembly) अथवा (Lower Chamber)। यह सभा सर्व साधारण निर्वाचकों द्वारा चुनी जाती है। मताधिकार की योग्यता साधारण है।

दोनों सभाओंवाले प्रांत—मद्रास, बम्बई, बंगाल, बिहार, संयुक्तप्रांत, आसाम।

एक सभा अर्थात साधारण सभा वाले प्रांत—मध्यप्रदेश तथा बरार, पंजाब, उड़ीसा, सिंध, सीमाप्रांत।

निर्वाचकों की योग्यता।

वोट (Vote) अर्थात मताधिकार प्रत्येक प्रौढ़ स्त्री पुरुष को प्राप्त नहीं है। भिन्न २ प्रान्तों ने अपनी परिस्थित के अनुसार शिक्षा, व्यापार, इनकमटैक्स, लगान, मालगुजारी जाति, धर्म के क्षेत्र से योग्यतायें निश्चित की हैं।

प्रेसीडेंट तथा स्पीकर।

प्रत्येक लेजिस्लेटिव कौंसिल में चुना हुआ अध्यक्ष होता है जिसे "प्रेसीडेंट (President) कहते हैं

प्रत्येक लेजिसलेटिव एसेम्बली में चुना हुआ अध्यक्ष होता है जिसे "स्पीकर" (Speaker) कहते हैं।

व्यवस्थापक सभाओं में सदस्य संख्या।

प्रान्त	लेजिसलेटिव कौंसिल	लेजिसलेटिव एसेम्बली।
बंगाल	६३ से ६५	२५०
मद्रास	५४ से ५६	२१५
बम्बई	२९ से ३०	१७५
संयुक्तप्रान्त	५८ से ६०	२२८
आसाम	२१ से २२	१०८
बिहार	२९ से ३०	१५२
सीमाप्रान्त	×	५०
सिंध	×	६०
उड़ीसा	×	६०
मध्यप्रान्त	×	११२
पंजाब	×	१७५
	२५४ से २६३	१५८५

क्षेत्र फल, जन संख्या, और मतदाताओं की संख्या का औसत प्रति देहाती निर्वाचन क्षेत्र (प्रान्तीय लेजिसलेटिव एसेम्बली)

प्रान्त	क्षेत्रफल का औसत प्रति निर्वाचन क्षेत्र (वर्गमीलों में)		जन संख्या का औसत (प्रति निर्वाचन क्षेत्र)		मत दाताओं की संख्या का औसत (प्रान्त निर्वाचन क्षेत्र)	
	साधारण	मुसलिम	साधारण	मुसलिम	साधारण	मुसलिम
मद्रास	२,०७६	५,२७८	५,६२,७४८	१,०२,८४१	७३,५८२	१२,४६२
बम्बई	२,३३८	४,०६१	४,४४,३००	६८,२५१	४४,११६	६,४६०
बंगाल	१,९९९	६५१	५,५१,२९४	२,४२,१६८	३८,९४४	२९,५९३
संयुक्तप्रा.	९९३	२,०८३	२,४८,२९६	[illegible],१९,५२७	३४,२५६	७,८६९
पंजाब	३,५३५	१,२२५	२,२१,६९२	१,५८,३४७	२२,४०९	१५,१८८
बिहार	१,०५१	२,०४०	४,१२,४०३	१,१२,२४८	२६,०५७	८,१५४
मध्यप्रा.	१,८५०	८,३२६	२,५५,५७४	५०,१००	२२,५९२	५,१६६
आसाम	७०७	८११	१,२५,१२८	८०,६०७	१०,८२१	८,०००
सीमाप्रा	२,२५३	४१०	१४,९४८	६१,५५७	२,३०५	४,५६४
उड़ीसा	९०८	८,१७०	२,२३,४१६	३२,८०८	१२,७७५	१,९५७
सिंध	३,०२९	१,४९५	५८,००१	८१,३५३	६,५६६	१२,३९९

क्षेत्रफल, जन संख्या, और मतदाताओं की संख्या का औसत प्रति देहाती निर्वाचन क्षेत्र (प्रान्तीय लेजिसलेटिव एसेम्बली)

प्रान्त	क्षेत्रफल का औसत प्रति सदस्य (वर्ग-मीलों में)		प्रति सदस्य जन संख्या का औसत		मतदाताओं का औसत प्रति सदस्य	
	साधारण	मुसलिम	साधारण	मुसलिम	साधारण	मुसलिम
मद्रास	९६७	४,८७२	२,७६,०१३	९४,९३०	३४,२६३	११,५३१
बम्बई	७५७	३,२१८	१,४५,१६७	५४,०३२	१४,४१४	५,११५
बंगाल	१,९९९	६५१	३,००,७०६	२,४२,१६८	३७,६०६	२९,५९६
संयुक्तप्रां.	८६४	२,०८३	२,१५,९९७	१,१९,५२७	२९,८००	७,८६९
पंजाब	२,७०३	१,२२५	१,६९,५१९	१,५८,३७४	१८,६६६	१५,१८८
बिहार	८५६	२,०४०	३,३६,०३२	१,१२,२४८	२१,२३१	८,१५४
मध्यप्रदेश	१,३६९	८,३२६	१,८९,०५४	५०,१००	१७,४५२	५,१६६
आसाम	५८७	८११	१,०३,८३०	८०,९८७	८,९७९	८,०००
सीमाप्रांत	२,२५३	४१०	१४,९४८	६१,५५७	२,३०५	४,५६४
उड़ीसा	७२६	८,१७०	१,८२,७९६	३२,८०८	१०,४५२	१,९५७
सिन्ध	३,०८९	१,४९५	५८,००१	८७,३५३	६,५६९	१२,६६९

सुरक्षित सदस्यपद (प्रान्तवार)

	हरिजन	स्त्रियाँ	यूनिवर्सिटी	ज़मींदार	योरोपियन	व्यापारी वर्ग	पिछड़ी हुई जा०	श्रमजीवी वर्ग	देशी ईसाई	एंग्लो इंडियन
मद्रास	३०	८	१	६	३	६	१	६	९	२
बम्बई	१५	६	१	२	३	७	१	७	३	२
बङ्गाल	३०	५	२	५	११	१९	...	८	२	३
संयुक्तप्रान्त	२०	६	१	६	२	३	....	३	२	१
पंजाब	८	४	१	५	१	१	....	३	२	१
बिहार	१५	४	१	४	२	४	७	३	१	१
मध्यप्रदेशऔरबरार	२०	३	१	३	१	२	१	२	...	१
आसाम	७	१	....	....	१	११	९	४	१	....
उड़ीसा	६	२	....	२	...	१	५	१	....	....
सिंध	...	२	....	२	२	२	....	१	....	....
सीमाप्रान्त	...	....	....	२	....	....	....	...	....	....

स्त्रियों के सुरक्षित सदस्यपद (प्रान्त तथा धर्मानुसार)

प्रान्त	साधारण	सिक्ख	मुसलमान	ऐंग्लो-इंडियन	भारतीय ईसाई
मद्रास	६	....	१	....	१
बम्बई	५	....	१	....	....
बंगाल	२	....	२	१	....
संयुक्तप्रान्त	४	....	२	....	....
पंजाब	१	१	२	....	....
बिहार	३	...	१	....	....
मध्यप्रदेश और बरार	३	....	....	....	....
आसाम	१	....	...	....	....
उड़ीसा	२	....	....	....	....
सिन्ध	१	...	१	....	...

प्रश्नोत्तर तथा प्रस्तावों की पद्धति

प्रत्येक प्रान्त को अधिकार है कि अपनी अपनी लेजिसलेटिव कौंसिल तथा एसेम्बली की कार्य पद्धति के लिये नियम बनावे ।

साधारणतया सब कार्यवाही अंग्रेजी में ही हो सकती है किंतु जो सदस्य काफ़ी अंग्रेज़ी नहीं जानते वे अन्य भारतीय भाषाओं का उपयोग नियमानुसार कर सकते हैं ।

कौंसिल और एसेम्बली में कार्य के लिये समय की अवधि तथा तिथियां निश्चित करना गवर्नर के अधिकार में है और उसी को कौंसिल तथा एसेम्बली के बुलाने तथा अन्त करने का भी अधिकार है ।

प्रत्येक सदस्य को मंत्रीमंडल से प्रश्न पूछने का अधिकार है और इस निमित्त नियमानुसार लिखित रूप में प्रश्न पहिले स्पीकर अथवा प्रेसीडेंट के पास भेज देने चाहिये । निश्चित तिथि पर मंत्री अथवा ऐसा नियम हो तो पार्लमेंटरी सेक्रेटरी प्रश्नों का उत्तर कौंसिल अथवा एसेम्बली की बैठक में सुना देगा । उक्त सदस्य तथा अन्य सदस्यों को पूरक प्रश्न (Supplementary) पूछने का अधिकार है ।

प्रस्तावों तथा नये कानूनों के लिये नियम भिन्न हैं । प्रस्ताव तथा प्रस्तावित कानूनों के मसविदे (Bill) सदस्यों को चाहिये कि लिखित रूप में स्पीकर अथवा प्रेसीडेंट के यहां भेजदें । गवर्नर की ओर से विशिष्ट दिन इन प्रस्तावों तथा बिलों (प्रस्तावित कानूनों के मसविदों) के विचार के लिये निश्चित कर दिये जाते हैं । स्पीकर तथा प्रेसीडेंट कुल सदस्यों के प्रस्तावों तथा बिलों के लिये चिट्ठियां (Ballot) उठवाता है और जिस क्रम से चिट्ठियां उठती हैं उसी क्रम से सदस्य अपने अपने प्रस्तावों और बिलों को कौंसिल अथवा एसेम्बली की बैठकों में उपस्थित करता है। क्रमानुसार विचार होता जाता है और निश्चित दिन बीत जाने पर सब बाकी के प्रस्तावों तथा बिलों का स्वभावतः लोप (lapse) होजाता है । ऐसे लुप्त (lapsed) बिल और प्रस्ताव पुनः अगली बैठकों में उक्त चिट्ठियों की रीति से क्रमानुसार पेश किये जा सकते हैं अन्यथा नहीं।

मंत्रीमंडल को प्रस्तावों तथा बिलों को सदैव पेश करने का अधिकार है ।

कोई बिल जिसमें रुपये का खर्च तथा कर लगाना प्रस्तावित हो उसे

कोई सदस्य बिना गवर्नर की स्वीकृति पहिले प्राप्त किये पेश नहीं कर सकेगा। अर्थ बिल (Money Bill) लेजिस्लेटिव कौंसिल में आरंभिक रीति से पेश नहीं किया जासकता। वह पहिले एसेम्बली में ही पेश हो सकता है। बजट (आय व्यय का अनुमान पत्र) पर एसेम्बली ही विचार करके पास कर सकती है। कौंसिल में बजट केवल सूचना निमित्त पेश होगा। कौंसिल के सदस्यों को अपने विचार प्रगट करने का अधिकार है। मंजूर या नामंजूर करने का नहीं।

कोई भी बिल जब तक दोनों सभाओं से स्वीकृति प्राप्त न करे पास नहीं समझा जाता। यदि दोनों सभाओं में मत भेद हो अथवा संशोधित रूप में पास किया जावे तो आरंभिक सभा को अधिकार है कि संशोधन मंजूर करले। यदि न करे तो दोनों सभाओं के सम्मिलित अधिवेशन में ऐसा बिल पेश होगा और बहुमत से जो स्वरूप पास होगा वही स्वरूप अंतिम समझा जावेगा।

गवर्नर की स्वीकृति

दोनों सभाओं द्वारा पास किया हुआ बिल गवर्नर के पास स्वीकृति के लिये भेजा जायगा। स्वीकृति मिलने पर बिल कानून का अधिकार युक्त स्वरूप धारण करेगा और ऐक्ट (Act) कहलायेगा। बिना स्वीकृति के नहीं।

यदि गवर्नर स्वीकृति न दे तो उसे गवर्नर जनरल के पास भेज देगा जो नियमानुसार स्वीकृति देगा अथवा न देगा।

सन् १९३७ के चुनाव।

सन् १९३७ के आरंभ में नये गवर्नमेंट आफ़ इन्डिया ऐक्ट १९३५ के अनुसार प्रान्तीय कौंसिलों और एसेम्बलियों के चुनाव हुये। कांग्रेस ने चुनाव में भाग लेना निश्चित किया और सब प्रान्तों में कांग्रेसी उम्मीदवार खड़े किये गये। फलतः ६ प्रान्तों में अर्थात् मद्रास, बम्बई संयुक्तप्रांत, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में कांग्रेस को असेम्बलियों में बहुमत प्राप्त हुआ। उत्तर पश्चिमी सीमाप्रांत में पीछे कुछ स्वतंत्र सदस्य कांग्रेस में आगये जिससे उस प्रांत में भी बहुमत कांग्रेस पार्टी का है। कौंसिलों में केवल मद्रास में कांग्रेस पार्टी का बहुमत है।

कुल प्रान्तीय एसेम्बलियों में सदस्य संख्या १५८५ है और कौंसिलों में लगभग २३३ है।

कौंसिलों व एसेम्बलियों के वोटरों (Voters) की संख्या लगभग ३ करोड़ २० लाख है।

इन चुनावों में लगभग ७००० उम्मीदवार खड़े हुये। लगभग १८०० उम्मीदवार जो सफल रहे उनमें कांग्रेसी ७६१ और अन्य १०४९ थे।

एसेम्बलियों में पार्टियां।

एसेम्बलियों में अनेक पार्टियों की ओर से उम्मीदवार खड़े किये गये थे। चुनाव के अन्त में भिन्न २ पार्टियों की शक्ति निम्न लिखित थी।

मद्रास।

पार्टी	संख्या
कांग्रेस	१५९
जस्टिसपार्टी	१६
पीपलस पार्टी	१
मुसलिम लीग	१०
मुसलिम प्रोग्रेसिव	१
स्वतन्त्र मुसलिम	८
योरोपियन	७
देशी व्यापार	१
ऐंग्लो इण्डियन	२
अन्य	१०
	२१५

संयुक्त प्रान्त।

पार्टी	संख्या
कांग्रेस	१३३
स्वतन्त्र मुसलिम	२९
मुसलिम लीग	२७
नेशनल एग्रीकलचरिस्ट पार्टी	१८
स्वतन्त्र हिन्दू	९
जमींदार	६
योरोपियन्स	३
इंडियनक्रिश्चियन	२
ऐंग्लो इंडियन	१
	२२८

बंगाल ।

कांग्रेस	५५
स्वतन्त्र मुसलिम	४२
प्राजा पार्टी	४०
मुसलिमलीग	३६
योरोपियन	२५
स्वतंत्र शिड्यूल जाति	२३
स्वतंत्र हिन्दू	१५
ऐंग्लोइंडियन	४
हिन्दू नैशनेलिस्ट	३
हिन्दू सभा	२
देशी ईसाई	२
	२५०

बम्बई ।

कांग्रेस	८८
मुसलिमलीग	२०
स्वतन्त्रमुसलिम	१०
स्वतन्त्र	२२
योरोपियन आदि	८
स्वतन्त्र मज़दूर	१२
अ-ब्राह्मण	८
डिमाक्रेटिक स्वराज्य	५
किसान	२
	१७५

उड़ीसा ।

कांग्रेस	३६
स्वतंत्र	११
यूनाइटेड पार्टी	५
नेशनल पार्टी	४
नियोजित	४
	६०

बिहार ।

कांग्रेस	६५
मुसलिम स्वतन्त्र	१५
यूनाइटेड मुसलिम	६
योरोपियन्स	४
कोन्सटीट्यूशनल	२
ऐंग्लोइंडियन	१
इण्डियनक्रिश्चियन	१
लायलिस्टि	१
	१५२

मध्यप्रान्त ।

कांग्रेस	७१
मुसलिम	१४
अब्राह्मण	३
अम्बेडकर पार्टी	४
नैशनेलिस्ट	२
राजा पार्टी	१
योरोपियन	१
ऐंग्लोइंडियन	१
हिन्दू सभा	१
स्वतन्त्र	१४
	११२

सिंध ।

सिंधयूनाइटेड	१८
कांग्रेस	८
हिंदू सभा	११
आज़ाद	३
सिंध मुसलिम	४
हिंदू स्वतन्त्र	२
मुसलिम स्वतन्त्र	६
मज़दूर	१
अन्य	४
	६०

पंजाब ।

यूनियनिस्ट	९९
कांग्रेस	१८
आकाली कांग्रेस	११
खालसानैशनेलिस्ट	१३
हिंदू चुनाव बोर्ड	१२
एहरार	२
मुसलिम	१
कांग्रेस नैशनेलिस्ट	१
इत्तहादेमिल्लत	२
स्वतन्त्र	१६
	१७५

सीमाप्रान्त ।

कांग्रेस	२१
मुसलमान	२१
हिन्दू सिक्ख नैशनेलिस्ट	७
मुसलिम स्वतन्त्र	२
हिन्दू	१
	५०

आसाम ।

कांग्रेसी हिन्दू	२५
इंडिपेन्डेंट हिन्दू	१०
हिन्दू पीपलस पार्टी	३
आसाम वेली मुसलिम पार्टी	५
सूर्मा वेली मुसलिम पार्टी	५
मुसलिम लीग	६
स्वतन्त्र मुसलिम	१४
योरोपियन	९
प्रजा पार्टी	१
ईसाई	१
स्त्रियां स्वतन्त्र	१
पिछड़ी हुई जाति	१
,, ,, पहाड़ी	५
मज़दूर	४
अन्य	२
	१०८

मंत्री-पद-ग्रहण-समस्या ।

चुनाव के बाद एक अत्यन्त महत्व-पूर्ण प्रश्न देश के सामने उपस्थित हुआ । ६ प्रान्तों में कांग्रेसी सदस्यों का बहुमत हो गया । मंत्रीमंडल ऐसे प्रान्तों में कांग्रेस बनाये अथवा न बनाये यह प्रश्न चारों ओर उठने लगा । भिन्न २ रायें प्रकाशित होने लगीं । कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने जो वर्धा में हुई अपना विचारपूर्ण निर्णय दिया कि जिन प्रान्तों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत है वहां मंत्रीमंडल बनाया जावे किन्तु ऐसे मंत्री-मंडल तब तक न बनाये जा सकेंगे जब तक प्रान्तीय एसेम्बली की कांग्रेस पार्टी का नेता अपना संतोष न प्रकट करे और इस बात की घोषणा करने पर तैयार न हो कि जब तक वह और उसका मंत्रीमंडल शासन विधान के भीतर कार्य करते रहेंगे गवरनर

हस्तक्षेप के अपने विशेष अधिकार न बरतेगा और वैधानिक कार्यवाहियों में मंत्रीमंडल की राय को रद्द न करेगा।

उक्त प्रस्ताव का समर्थन दिल्ली में "नेशनल कनवेन्शन" अर्थात् कांग्रेस पार्टी के चुने हुये सदस्य तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं के राष्ट्रीय सम्मेलन द्वारा जो ता० १९ व २० मार्च १९३७ को हुआ समर्थन किया गया।

गवरनरों ने उक्त आश्वासन देने से इनकार कर दिया और प्रांतों में गवरनरों ने अन्य दलों के नेताओं को बुलाकर मंत्रीमंडल बना लिये।

किंतु जिन प्रांतों में कांग्रेस पार्टी का बहुमत था वहां के मंत्रीमंडल भयभीत ही बने रहे और कौंसिल अथवा एसेम्बली के अधिवेशन न कर सके। देश में इन अस्थायी अल्पमतवाले मंत्रीमंडलों की निन्दा तथा उनका विरोध जारी रहा।

महात्मा गांधी ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण वक्तव्य प्रकाशित किया जिसका आशय यह था :—

"इससे यह प्रगट है कि ब्रिटिश सरकार ने अपने वचनों को भंग कर दिया है। मुझे इसमें शंका नहीं है कि वह अपनी इच्छा भारतीयों पर तब तक बल पूर्वक लादेगी जब तक जनता में ऐसी भीतरी शक्ति न उत्पन्न होजावे कि उस इच्छा का मुकाबला कर सके। किंतु इसे प्रांतीय स्वशासन नहीं कह सकते।

बृटिश सरकार द्वारा बनाये हुये शासन विधान के अनुसार चुने हुये बहुमत को दबाने से उसने स्वयं ही स्वशासन को रद्द कर दिया है जिसे नये शासन विधान द्वारा दिया जाना बताया जाता है"।

लार्ड ज़ेटलैंड सेक्रेटरी आफ स्टेट ने हाउस आफ कामन्स में गवरनरों की नीति का समर्थन किया और कहा कि सरकार चलाई ही जावेगी और यदि बहुमतवालों ने मंत्रीमंडल नहीं बनाये तो गवरनरों ने अन्य सदस्यों द्वारा मंडल बनाने में कोई भी अनुचित कार्य नहीं किया।

महात्मा गांधी ने लार्ड ज़ेटलैंड के उक्त विचार का विरोध किया और यह सलाह दी कि यदि बृटिश सरकार की यह राय है कि ऐक्ट १९३५ के अनुसार गवरनर आश्वासन नहीं दे सकते तो तीन पंच नियुक्त कर दिये जावें जो इसका निर्णय कर दें। तीन पंचों में एक कांग्रेस चुनेगी, एक बृटिश सरकार और तीसरा पंच वे दोनों मिलकर चुनलें।

मि० आर० ए० बटलर अण्डर सेक्रेटरी आफ स्टेट ने हाउस आफ़ कामन्स में कहा कि ऐसी पंचायत नियुक्त नहीं की जा सकती।

२८अप्रैल १९३७को राष्ट्रीय कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने प्रस्ताव द्वारा यह स्पष्ट बताया कि ऐसी परिस्थिति में यह सलाह नहीं दी जा सकती कि कांग्रेस सदस्य उन प्रान्तों में जहां उनका बहुमत है मंत्रीमंडल बनावें।

आश्वासन देने से किसी प्रकार भी गवरनरों के इन अधिकारों में, कि बड़े मतभेद के समय मंत्रियों को बरखास्त करदें अथवा असेम्बली को भंग करदें, कमी नहीं आती किंतु वर्किंग कमेटी को यह बहुत बड़ी आपत्ति है कि गवरनर द्वारा हस्तक्षेप के कारण मंत्रियों को स्वयंही इस्तीफा देना पड़े न कि गवरनरों को बरखास्त करने की जिम्मेदारी लेना पड़े।

ता० २१ जून १९३७ को वाइसराय ने वक्तव्य द्वारा शासन को चलाने की प्रार्थना कांग्रेस से की और कहा कि उन सब दशाओं में जब कि ऐक्ट द्वारा गवरनर अपने व्यक्तिमत (Individual Judgment) द्वारा काम चलाने पर वाध्य नहीं है उसे मंत्रियों की सलाह माननी ही पड़ेगी। क्योंकि ऐसी अवस्था में मंत्रियों की सलाह मानने अथवा न मानने का उत्तरदायित्व पार्लीमेंट के प्रति गवरनरों का है। मंत्री इस बात को उन्होंने अमुक सलाह दी थी और नहीं मानी गई जनता से भी कह दे सकते हैं। ''व्यक्तिमत'' संबंधी कार्यों में मंत्रियों का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

त्यागपत्र देने और पदच्युत करने के प्रश्नों के संबंध में वाइसराय ने कहा कि त्यागपत्र अधिक सम्मानयुक्त है क्योंकि वह गवरनर के कार्य के विरुद्ध अपने निषेध का द्योतक है। दोनों रीतियों में कौन सी रीति बर्ती जावे यह विशिष्ट अवसर पर निर्भर है कोई नियम नहीं बनाया जा सकता। इतिहास बताता है कि प्रजातंत्री शासन की प्रगति परस्पर सहयोग पर आश्रित है।

५, ६ व ७ जुलाई १९३७ को वर्धा में कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने मंत्री-पद ग्रहण करने की सलाह दे दी। किंतु यह स्पष्ट कर दिया कि कुल परिस्थित को देखते हुये यह आवश्यक है कि चुनाव के पहिले कांग्रेस मेनीफेस्टो (घोषणा) के अनुसार कार्यवाही करने के लिये ही मंत्री पद लिये जावें। नये शासन विधान से एक ओर लड़ा जावे और दूसरी ओर रचनात्मक कार्यक्रम चलाया जावे।

इस प्रस्तावानुसार जूलाई १९३७ में विभिन्न प्रान्तों में जहां कांग्रेसी सदस्यों का बहुमत है मंत्रीमंडल बनाये गये।

बम्बई

क्षेत्रफल १,२३,६२३ वर्गमील। जन संख्या १,७६,६२,०५३।

बम्बई प्रान्त सब से छोटा प्रान्त है। भूमि अधिकतर पहाड़ी है। ४ कमिश्नरियां और २६ जिले हैं। ब्रिटिश भाग के अतिरिक्त देशीराज्य भी इसके अन्तर्गत हैं जो गवरनर के आधीन हैं।

(१) गुजरात, (२) करनाटक (३) दक्खिन इस प्रांन्त के प्राकृत भाग है। दक्षिण प्लेटो के दोनों ओर पूर्वी और पश्चिमी घाट (पहाड़) हैं। तापती, नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी और लूनी मुख्य नदियां है।

वार्षिक वृष्टि बम्बई द्वीप में ७५ इंच होती है अन्य स्थानों में कम ज़्यादा होती है।

मराठी, गुजराती, करनाटकी, सिंधी भाषायें मुख्यतः बोली जाती हैं। जन संख्या में ८० प्रतिशत हिन्दू १७$\frac{1}{2}$ मुसलमान, १ प्रतिशत जैन, और १$\frac{1}{3}$ प्रतिशत ईसाई हैं। भारत के आधे पारसी बम्बई नगर में रहते हैं।

प्रान्त का मुख्य उद्योग कृषि है मिलों द्वारा कपड़े का उद्योग बम्बई नगर, सूरत, अहमदाबाद, चालीसगाँव आदि नगरों में केन्द्रीभूत है।

गुजरात में प्रख्यात भरोच रुई होती है। अन्य भागों में रुई, गेहूं, चना, बाजरा, गन्ना होते हैं। कोकण प्रदेश में उत्तम चावल तथा नारियल होता है।

गवरनर।

हिज़ एक्सीलेंसी रा. आ. लारेंस रोजर लमले।

मंत्रीमण्डल (कांग्रेस)

प्रधान मंत्री (प्रीमियर)-डा. बी. जी. खेर

मंत्री--ए. बी. लट्टे (फाइनेन्स)

मंत्री डा. एम. डी. गिलडर (एकसाइज़ व पब्लिक हेल्थ)

,, के. एम. मुंशी (होम, ला, आर्डर)

मंत्री मुरार जी आर. देसाई (रेवेन्यू और रूरल डिवेलपमेंट)

,, एल. एम. पाटील (लोकल सेल्फ गवर्मेंट)

,, श्री एम. बी. नूरी (पबलिक वर्क्स)

प्रेसीडेन्ड कौंसिल—श्री एम. पकवासा।

डिप्टी प्रेसीडेन्ट—श्री आर. जी. सोमन।

स्पीकर एसेम्बली—श्री जी. वी. मावलनकर।

डिप्टी स्पीकर—श्री नारायण राव जोशी।

सिविल सेक्रेटरीज़।

चीफ़ सेक्रेटरी, राजनैतिक तथा सुधार विभाग—सर चार्लस जरनल के. सी. आई. ई , सी. यस. आई.।

गृह तथा धार्मिक विभाग--जे. वी. अरविन डी. एस. ओ., एम. सी.

रेवेन्यू विभाग—ई. डबलू पेरी, सी. आई. ई.

जनरल तथा शिक्षा विभाग—यच. टी. सार्ली।

अर्थ विभाग—सी. जी. फ्री के. सी. आई. ई.।

क़ानूनी विभाग—के. सी. सेन.

बम्बई लेजिस्लेटिव कौंसिल

आत्माराम महादेव अतावणे।
माधवराव गोपालराव भोंसले
नारायणराव दामोधर धोधेकर।
दादूभाई पुरुषोत्तम दास देसाई
नरसिंह राव श्री निवास राव देसाई।
सरदार रायबहादुर चन्द्ररया बासवन्तराव देसाई।
सुब्रे रामचन्द्र हल्दीपुर।
डा. गणेश सखाराय महाजनी।
प्रेमराज शालिगराम मारवाड़ी।
चिनूभाई लल्लू भाई मेहता।
श्रीमती हंसा जीवराज मेहता।
मंगलदास मंचाराय पकवसा।
भीम जी बाला जी पोद्दार।
रामचन्द्र गणेश प्रधान।
शांतिलाल हरजीवन शाह।
रामचन्द्र गणेश सोमन।
महादेव बजाजी विरकार।
प्रोफेसर सोहराब आर. डावर।
रतीलाल मूलजी गांधी।
बेहराय नौरोसजी बरनजी।
सर करीम भाई इब्राहीम।
डा. के. ऐ. हमीद।
अब्दुल सत्तार खां अमीर खां इनामदार।

खां साहेब मुहम्मद इब्राहीम झकन ।

मुहम्मद अमीन वज़ीर मुहम्मद ताम्बे

फ्रेडीरिक स्टोन्स ।

बम्बई लेजिस्लेटिव असेम्बली

जीवप्पा सुभाना एडाले ।

दत्तात्रेय त्रिम्बक आराध्यै ।

शालिगराम रामचन्द्र भरतिया ।

रामकृष्ण गंगाराम भाटंकर ।

राजाराम रामजी भोले ।

गणेशकृष्ण चिताले ।

अनंतविनायक चित्रे ।

परसोत्तम लालजी चौहान ।

धानाजी नाना चौधरी ।

सर धानजी शा बी. कूपर ।

फूलसिंहजी भारतसिंहजी दानी ।

विश्नु वमन डाण्डेकर ।

दिनकर रावनभेराम देसाई ।

गुराशिदप्पा कदप्पा देसाई ।

रनधीर प्रसन्नवदन ।

शंकरप्पागौड़ बसालिंगप्पा गौड़ देसाई ।

केशव बलवन्त देशमुख

गोविन्द हरी देशपाण्डे ।

आनंदप्पा दयानप्पा डोडयेटी ।

कुन्दनमल सोभाचन्द फ़िरोदिया ।

विनायक आत्मारा गड़करी ।

भाऊराव कृष्णराव गायकवाड़ ।

मानिकलाल मगनलाल गान्धी

शंकरकृष्णजी गवंकर ।

दामजी पोसाला गवित ।

गंगाधर राघोराम घाड़गे ।

गुलाबसिंह भिला गिरासे ।

रामचन्द्र भागवत गिरमे ।

केशव गोविन्द गोखले ।

महाबलेश्वर गनपति भट्टगोपी ।

निंगप्पा फ़कीरप्पा हैलीकेरी ।

भाउराम सखाराम हिरे ।

रेमप्पा सोमप्पा होलर ।

दौलतराव गुलाजी जादव ।

तुलसीदास सुभानराव जादव ।

पारप्पा चंबसप्पा जक्सी ।

नारायणराव गुरूराव जोशी ।

विश्वनाथराव नरायणराव जोग

अनप्पा नारायण कल्याणी ।

सरसिदप्पा तोटप्पा काम्बली ।

शिवराय लक्ष्मण करण्डीकर ।

श्रीपद श्यामजी कारीगुद्री ।

अप्पाजी यशवन्तराव काडे ।

भगवान शम्भुप्पा कठाले ।

शेषगिरि नारायणराव केश्वैन ।

दत्तात्र्य काशीनाथ कुण्टे ।

भोगीलाल धीरजलाल ।

अप्पाबाबाजी लाठे ।

अण्णाबाबाजी लाठे

मगनलाल नगिनदास ।

रामचन्द्र नरायण माण्डलिक ।

नामदेव राव बुधाजीराव मराठे ।
राजमल लक्ष्मीचन्द मारवाड़ी ।
हरीप्रसाद पीताम्बर मेहता ।
शंकर पाण्डुरंग मोहिटे ।
मुरारभाई कसनजी ।
मुरारजी रनछोड़जी ।
जयवन्त घनश्याम मोरे ।
वमनराव सीताराम मुकादाम ।
बसन्तनारायण नायक ।
गिरीमलप्पा राछप्पा नालवाड़ी ।
नामदेव एकनाथ नावले
निमप्पा रुद्रप्पा नेशवी ।
पृथ्वीराज अमोलकचन्द निमानी ।
शामराव विश्नू पारूलेकर ।
हरीविनायक पडारकर ।
बाबूभाई जशभाई पटेल ।
भाईलाल भाई भीखा भाई पटेल ।
मंगेशबभूता पटेल ।
आत्माराम नाना पाटिल ।
गंभीरराव अविचलराव पाटिल ।
कल्लनगौड़ शिद्दनगौड़ पाटिल ।
लक्ष्मण गोविंद पाटिल
लक्ष्मण माधव पा टल ।
मालगौड़ पुंगौड़ पाटिल ।
नरहर राजाराम पाटिल ।
शंकरगौड़ तिमंगौड़ पाटिल ।
बिठलनाथू पाटिल ।
गणेश कृष्ण फड़के ।
छोटालाल बालकृष्ण पुराणी ।
बाबाजी रावनरायण राव राणे

बाचाजी रामचन्द्र राणे ।
दत्तात्रेब वमन रावत ।
प्रभाकर जनार्दन रोहय ।
शंकरहरी साठे ।
खण्डेराव सखाराम सवत ।
कानजी गोविन्द शेट ।
लालचन्द हीराचन्द शेठ ।
बाजीराव शिन्दे ।
पाण्डुरंग केशव शिराल्कार ।
लक्ष्मीदास मंगलदास श्रीकान्त ।
मुरीगेप्पा शिदप्पा सुगन्धी ।
कमालजी राघो टालकर ।
रावसाहब भाऊसाहब थोरट ।
बिठलराव लक्ष्मणराव थूबे ।
हरीबिठल तलपूले ।
भाईजी भाई उकाभाई बघेला ।
बलवन्त हनमन्त बड़ाले ।
गोविन्द धरमजी वर्तक ।
ईश्वरलाल कालीदास व्यास ।
पुरुशोत्तम बासुदेव बाध ।
बालाजी भवन्सा वाल्वेकर ।
नगम्मा वीरंगौड़ पाटिल ।
भास्कर राव भाऊराव चक्रनारायण
ढोमिनिक जाज़ेफ फ़रेइरा ।
अब्दुल लतीफ हाजी हजरत खां ।
अस्माल मूसा अभ्राम ।

अली बहादुर बहादुर खां ।
अब्दुल्ला हाजी ईसा भगत ।
इस्माइल इब्राहीम चन्द्रीगार ।
खां साहेब फैज़ महम्मद खां मोहबत खां ।
अब्दुल मजीद अब्दुल क़दर घी वाले ।
ख़ां सहेब अब्दुल रहीम बावू हकीम ।
अब्दुल करीम अमीन साहब हनागी ।
आलीसा नबीसा इल्काल ।
खलीलुल्ला अबासाहेब जानवेकर ।
ख़ां साहेब हाजी अहमद कासम काछी ।
ख़्वाजा वशीरुद्दीन ख़्वाजा मोई-नुद्दीन काजी ।
अज़ीज गफूर काज़ी ।
मुहम्मद सुलेमान कासम मीठा ।
मोहम्मदबबा माधूबाब पटेल ।
मूसा जी यूसुफ जी पटेल ।
फ़ज़ल इब्राहीम रहीमतुल्ला ।
ख़ानबहादुर सरदार हाजी अमीर साहेब ।
सरदार महबूब अली खां अकबर खां सवानूर ।
ख़ांन बहादुर शेख़ जान मोहम्मद हाजी शेख़ काला ।
शेख़ मुहम्मद हसेन ।
इस्मायल हसेन बापू शिदिक्का ।
अहमद इब्राहीम सिंगापुरी ।
डा० भीमराव रामजी अम्बेडकर ।
कृष्णजी भीमराव आल्ट्रोलीकर ।
चम्पकलाल जेकिसनदास घिया ।
डा० मंचेरशा धानजा भाई गिल्डर ।
भाल चन्द्र महेश्वर गुप्ते ।
जिना भाई पार्बती शंकर जोशी ।
बाल गंगाधर खेर ।
नगीनदास त्रिभुवनदास ।
गणेश वासुदेव मावलंकर ।
के. एफ, नारीमैन ।
सदाशिव कोनाजी पाटिल ।
सावलराम गुण्डाजी सोंगवकर ।
बलवन्तराय परमदराय ठाकोर ।
दत्तात्रेय नथोबा बन्देकर ।
अन्नपूर्णा गोपालदेशमुख ।
विजयगोरी बलवन्तराय कनूगा ।
लीलावती कन्हैयालाल मुन्शी ।
लक्ष्मी बाई गणे थूज़े ।
डा० जाज़ेफ अल्टिनों कोलाको ।
सर अली मुहम्मद खां ।
हुसेन अबूबकर ।
मुहम्मद अली अलाबख्श ।
मुहम्मद यासीन नूरी ।
सलीमा फ़ैज़ बी. तैय्यबजी ।
स्टैनले हेनरी प्रेटर ।
फ्रैन्सिस हल्राय फ्रेंच ।
डबलू. डबलू. रसेल ।

कोर्टनी पारकर ब्रम्ले ।
सर जी चुन्नीभाई माधव लाल ।
नारायणराव गनपति राव विंचूरकर ।
सर जान एबरक्राम्बी ।
फ्रे स वाटसन चार्ल्सवर्थ ।
एम. सी. घिया ।
भवनजी ए खीनजी ।
जी. ओ. पाडक ।
संकलाल बालाभाई ।
सोराबजी दोराबजी शकलतवाला ।
खोनदूरभाई कसनजी देसाई ।
दादासाहेब खासेराव जागतप ।
शावक्श होरमसजी झाबवाला ।
रामचन्द्र अमर जी खेदीकर ।
जमनादास माधवजी मेहता ।
अख्तार हुसेन मिर्ज़ा ।
गुलजारीलाल नन्द ।
कन्हैयालाल मानिकलाल मुन्शी ।

बंगाल

क्षेत्रफल ८२,२७७, वर्गमील । जन संख्या ५१,१४,००२ ।

बंगाल की भूमि समतल है और गंगा तथा ब्रह्मपुत्र आदि अन्य अनेक नदियों के कारण बड़ी उपजाऊ है। दक्षिणी भाग अर्थात सुन्दरबन सदैव पानी में डूबा सा रहता है और उसमें काफी जंगल है और दलदल है । उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत है ।

बंगाल में चावल और जूट बहुतायत से होता है। कलकत्ते में जूट उद्योग मुख्य है ।

जंगलों में हाथी, भैंसे, चीते, शेर गेंडा, रीछ, भेड़िये, तथा अन्य जंगली पशु पाये जाते हैं ।

वार्षिक वृष्टि भयंकर होती है जिससे बहुधा बाढें आकर खेती तथा ग्रामों को हानि पहुंचाती हैं ।

जन समाज में मुसलमान २,७५,३०,३२१, हिन्दू २,१५,३७ ६२१, बौद्ध ३,१५,८०१, ईसाई १,८०,५७२, अन्य जातियां ५,२३,०३७ हैं ।

मुख्य भाषा बंगाली है ।

गवरनर

हिज एक्सेलेंसी लार्ड ब्रेबोर्न ।

मंत्रीमंडल (संयुक्त)

शिक्षा—ए. के. फ़जलुलहक (प्रधानमंत्री) ।

अर्थ—एन. आर. सरकार ।

होम ला ऐण्ड आर्डर—ख्वाजा सर नजीमुद्दीन ।

रेवेन्यू—सर बेज्वाय पी. सिंह राय।

एग्रीकल्चर ऐण्ड इण्डस्ट्रीज नवाब ख्वाजा हबीबुल्ला।

कम्यूनिकेशन्स एण्ड वर्क्स—महराजा शीशचन्द्र नन्दी।

कामर्स एण्ड लेबर—एच. एस. सुहरावर्दी।

जुडीशल एण्ड लेजिस्लेटिव—नवाब मुशर्रफ़ हुसेन।

लोकल सेल्फ ग. और पब्लिक हेल्थ—सय्यद नौशेरअली।

फ़ारेस्ट एण्ड इक्साइज़—पी. डी. रायकूट।

कोआपरेटिव क्रेडिट एण्ड रूरल इण्डेटेडनेस—मुकुन्द बिहारी मलिक।

स्पीकर ले असेम्बली—ख़ान बहादुर अज़ीज़ुलहक़।

डिपुटी स्पीकर—अशरफ़अली ख़ां चौधरी।

प्रेसीडेन्ट ले. कौंसिल—श्री सत्येन्द्र चन्द्र मित्र।

डिपुटी प्रेसीडेण्ड—हमीदुल हक़ चौधरी।

सिविल सेक्रेटरीज़

चीफ़ तथा होम सेक्रेटरी—जी. पी. हाग।

एडीशनल होम सेक्रेटरी—जे. आर ब्लेयर।

डिपुटी सेक्रेटरी होम और प्रेस आफ़ीसर—एस. बसू।

सेक्रेटरी रेवेन्यू फारेस्ट एण्ड इक्साइज़—ओ. एम. मार्टिन।

सेक्रेटरी फायनेन्स—डी ग्लैडिंग।

सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव डि.—जी. जी. हूपर।

ज्वाइंट सेक्रेटरी कोआपरेटिव क्रेडिट एण्ड रूरल इन्डेटेडनेस—ई. डबलू. हालैण्ड।

सेक्रेटरी एग्रीकल्चर एण्ड इण्डस्ट्रीज़—एच. एस. ई स्टीवेन्स।

सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ—जी. ए. दत्त।

सेक्रेटरी जुडीशल डि.—एन. जी. ए. एडग्ले।

सेक्रेटरी शिक्षा विभाग—टी. एम डो.।

सेक्रेटरी डा. आफ कम्यूनिकेशन्स एण्ड वर्क्स—एस के हलदर।

बंगाल लेजिस्लेटिव कौंसिल

राधाकुमुद मुकर्जी।

कामिनी कुमार दत्त।

नरेशनाथ मुकर्जी।

सचीन्द्रनारायण सान्याल।

महाराजा मन्मथनाथराय चौधरी ।
राधिकाभूषण राय ।
हनूमान प्रसाद पोद्दार ।
बंकिमचन्द्र दत्त ।
सामलेश्वरसिंह राय ।
नगेन्द्र नारायण राय ।
सत्येन्द्रचन्द्र मित्र ।
नरेन्द्रचन्द्रदत्त ।
राजा भूपेन्द्रनाथसिंह ।
राय सुरेन्द्र सिनहा ।
सूबिदअली मुल्ला ।
मुहम्द हुसेन ।
मुहम्मद अकराम ख़ां ।
हमीदुल्हक़ चौधरी ।
मेशबहुद्दीन अहमद ।
कादिर बक्श ।
मुअज्ज़ामुद्दीन हुसेन ।
हुमायूं ज़ेड़. श. कबीर ।
अमीरुद्दीन हैदर ।
शमसुज़्ज़ोहा ।
टी. लैम्ब ।
ई सी. आरमण्ड ।
सर जार्ज कैम्पबेल ।

बंगाल लेजिस्लेटिव असेम्बली

जतीन्द्रनाथ बासू ।
संतोषकुमार बासू ।
प्रभूदयाल हिम्मतसिंह ।
डा. जे. एम. दास गुप्ता ।
जोगेश चन्द्र गुप्ता ।
सरतचन्द्र बोस ।
बड़ादा प्रसन्न पेन
तुलसीचन्द्र गोस्वामी ।
राय हरेन्द्रनाथ चौधरी ।
डा. नलिनाक्ष सान्याल ।
सुरेन्द्र मोहन मैत्र ।
बीरेन्द्रनाथ माजूमदार ।
महाराजा कुमार उदयचन्द माहताब ।
अद्वैत कुमार माजी ।
प्रमथनाथ बनर्जी ।
बाँकू बिहारी मंडल ।
डा. सरतचन्द मुकर्जी ।
देवेन्द्रनाथ दास
आशुतोष मल्लिक ।
मनीन्द्र भूषण सिनहा ।
कमलकृष्ण रे ।
देवेन्द्र लाल खाँ ।
कृष्ण प्रसाद मोण्डाल ।
किशोरीपति राय ।
हरेन्द्र डोलुई ।
गोबिन्दचन्द्र भौमिक ।
ईश्वरचन्द्रमाल ।
निकुञ्जबिहारी मेटी ।
गौडहरी सोम ।

श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित
मंत्री, यू० पी० सरकार

पं० गोविन्दवल्लभ पंत
प्रधान मंत्री यू० पी० सरकार

हाफ़िज़ मुहम्मद इब्राहीम
मंत्री यू० पी० सरकार

श्रीयुत के. एम. मुंशी
मंत्री, बम्बई सरकार

सरदार वल्लभ भाई पटेल

श्रीयुत रविशंकर शुक्ल
प्रधान मंत्री सी. पी. सरकार

राधानाथ दास।	मधुसूदन सरकार।
सुकुमार दत्त।	मनोरंजन बनर्जी।
मनमथनाथ रे।	धनञ्जय राय।
पुलिनबिहारी मलिक।	किरनशंकर राय चौधरी।
जोगेशचन्द्र सेन बहादुर।	चारुचन्द्र राय।
हेमचन्द्र नस्कर।	अमृतलाल मंडल।
पी. बनर्जी।	वीरेन्द्रकिशोर राय चौधरी।
अनुकूलचन्द्र दास।	मनमोहन दास।
हरीपद चट्टोपाध्याय।	सुरेन्द्रनाथ विश्वास।
लक्ष्मीनारायण विश्वास।	विरतचन्द्र मण्डल।
ससंकशेखर सान्याल।	प्रमथरंजन ठाकुर।
कीर्तिभूषन दास।	नरेन्द्रनाथदास गुप्ता।
अतुलकृष्ण घोष।	उपेन्द्रनाथ एदबार।
रसिकलाल विश्वास।	जोगेन्द्रनाथ मंडल
नगेन्द्रनाथ सेन।	धीरेन्द्रनाथ दत्त।
मुकुन्दबिहारी मलिक।	जगतचन्द्र मण्डल।
पातीराम रे।	हरेन्द्रकुमार सूर।
सत्यप्रिय बनर्जी।	महिमचन्द्र दास।
अतुलचन्द्र कुमार।	दामबर सिंह गुरुंग।
तारिनीचरन प्रमाणिक।	एम. ए. एच. इस्पहानी।
प्रेमहरी बरमन।	के नूरुद्दीन।
श्यामाप्रसाद बरमन।	मौलवी मुहम्मद सुलेमान।
निशीथनाथ कुण्डू।	एच. एस. सुहरावर्दी।
खगेन्द्रनाथ दास गुप्ता	नवाब के हबीबुल्ला बहादुर।
प्रसन्नदेव रायकत।	मौलवी अब्दुल हुसेन।
उपेन्द्रनाथ बरमन।	मुहम्मद अब्दुल रशीद।
जोतीन्द्रनाथ चक्रवर्ती।	मुहम्मद सिद्दीक सैयद।
क्षेत्रनाथ सिनहा।	अलफ़ैजुद्दीन अहमद।
पुष्पजित वर्मा	अब्दुल कासिम।
नरेन्द्र नारायण चक्रवर्ती।	अब्दुर्रऊफ़।

जसीमुद्दीन अहमद ।
कुरा हुसेन यूसुफ मिर्जा ।
ए. एफ. एम. अब्दुर रहमान ।
एम. शमसुद्दीन अहमद ।
मोहम्मद मोशीन अली ।
आफताब हुसेन जोरदार ।
एम. अज़ीजुलहक़ ।
अब्दुलबारी ।
साहेबज़ादा कवनजाह सैय्यद कासिम अली मिर्ज़ा ।
एम० फरहत रज़ा चौधरी ।
सैय्यद नौशेर अली ।
बलिउर रहिमान ।
सिराजुलइस्लाम ।
मौ० अहमद अली इनायतपुरी ।
अब्दुल हकीम ।
सैय्यदजलालुद्दीन हरोमी ।
मोस्तगावसल हूक़े सैय्यद ।
अशरफ अलीख़ाँ चौधरी ।
मौ० मनीरुद्दीन अखंड ।
मुहम्मद अमीर अली मियाँ ।
मोहम्मद मुस्लिमअली मुल्ला ।
मफीजुद्दीन चौधरी ।
हफीजुद्दीन चौधरी ।
अब्दुल जब्बार ।
महताबुद्दीन अहमद ।
मुशर्रफ हुसेन ।
ए. एम. एल. रहमान ।
हाजी सफ़ीरुद्दीन अहमद ।
शाह अब्दुर्रऊफ ।
इमदादुल्हक़ ।
अब्दुल हाफिज़ ।
अबू हुसेन सरकार ।
अहमद हुसेन ।
रजीबुद्दीन तरफदार ।
मुहम्मद ईशाक़ ।
मफीज़उद्दीन अहमद ।
मोहम्मदअली ।
अज़हर अली ।
ए. एम. अब्दुल हमीद ।
अब्दुर रशीद मुहम्मद ।
अब्दुल्लाह अल-महमूद ।
मुहम्मद वारत अली ।
जेड. ए. चौधरी ।
इदरीस अहमद मियां ।
ख़्वाजा शहाबुद्दीन ।
अब्दुल अज़ीज़ ।
अब्दुल सलीम ।
मोहम्मद अब्दुल हकीम ।
रिज़ाउर्रहमान ख़ां ।
औलाद हुसेन ख़ां ।
अब्दुल लतीफ़ विस्वास ।
मुहम्मद अब्दुस शहीद ।
अब्दुल हाफ़िज़ ।
फज़लर्रहमान मुख्तार ।
मुहम्मद अब्दुल ज़ब्बार पलवन ।
ज़ियासुद्दीन अहमद ।
अब्दुल करीम ।
अब्दुल मजीद ।
अब्दुल वाहेद ।

शमशुलहुदा।
अब्दुल हकीम।
मसूद अलीखां पन्नी।
मिर्जा अब्दुल हाफ़िज़।
हुसेन अली चौधरी।
ख़ां साहेब कबीरुद्दीन खां।
अब्दुल हुसेन अहमद।
मुहम्मद इज़रायल।
अब्दुल हामिद शाह।
ख़ां साहेब हमीरुद्दीन अहमद।
शमसुद्दीन अहमद सोण्डाकार।
अहमद अली मृधा।
तमीज़ुद्दीन खां।
यूसुफ अली चौधरी।
मोहम्मद अब्दुल फज़ल।
गियासुद्दीन अहमद चौधरी।
ए. के. फज़लुलहक़।
अब्दुल कादिर।
हातिमअली जमादार।
ए. के. फज़लुलहक़।
हाशेमअली ख़ां।
समसुद्दीन अहमद।
अब्दुल वहाब खां।
मोहम्मद मोजामिल हक़।
तुफेल अहमद चौधरी।
मुस्तफा अली।
नवाब ज़ादा के. नसीर अल्लाह।
मक़बूल हसेन।
सर मोहीउद्दीन फ़रूक़ी।
रामीज़ुद्दीन अहमद।
असीमद्दीन अहमद।
मुहम्मद हसेनुज़्ज़ामन।
जनाब अली माजूमदार।
अबीदुर्रजा चौधरी।
शहीद अली।
मुहम्मद इब्राहीम।
अमीनुल्लाह।
शहा सैय्यद गुलाम सरवर हुसेन।
सैय्यद अहमद खां।
अब्दुल मजीद।
अब्दुर्रज़्ज़ाक।
जलालद्दीन अहमद।
अहमद कबीर चौधरी।
मोहम्मद मनीरुज्जान इस्लामवादी।
डा. सनाउल्लाह।
फ़ज़लुलहक।
कुमारी मीरादत्त गुप्ता।
श्री मती हेमाप्रोवा माजूमदार।
श्रीमती हसीना मुर्शीद।
वेगम फरहतबानू खानम।
जे. डबलू शिपेण्डेल।
एल. टी. मैगुरी।
सी. गिरिफ्तस।
श्रीमती एलेनवेस्ट।
डबलू. एल. आर्मस्ट्रांग।
जे. आर. वाकर।
एफ. सी. ब्रशेर।
सी. यस. मेक्लाशलेन।
करटिस मिलर।
डबलू. डबलू. के. पेज।

जी. मोरगन।
आर. यच. फरग्यूसन।
विलिम सी. पैटन।
जे. ई. आर्डिश।
एल. एम. क्रासफील्ड।
डा. एच. सी. मुकर्जी।
एस. ए. गोमेस।
ई. स्टड।
डैविड हेएड्री।
ए. जी. मैकक्रिमन।
इमान. ए. क्लार्क।
आर. एम. सैसून।
ए. पी. ब्लेयर।
डबलू. सी. वर्डसवर्थ।
के. ऐ. हैमिल्टन।
एच. आर. नोरटन।
सी. जी. कूपर।
टी. बी. निम्मू।
एच. सी. बैनरमैन।
सी. डबलू. माइल्स।
देवीप्रसाद खैतान।
राय मंगूलाल तमूरिया बहादुर।
अब्दुर्रहमान सिद्दीक़ी।
सर विजयप्रसाद सिंह।
महाराजा श्रीसचन्द्र नन्दी।
कुमार साहेब शेखरेश्वर रे।
महाराजा शाहसी कान्त आचार्य चौधरी।
राय काशीरोदचन्द्र।
जे. एन. गुप्ता।
आफताब अली।
डा. सुरेशचन्द्र बनर्जी।
निहरेन्द्र दत्त माजूमदार।
शिवनाथ बनर्जी।
ए. एम. ए. जमान।
बी. मुकर्जी।
लिहा मुण्डा सरदार।
श्यामाप्रसाद मुकर्जी।
फजलुर्रहमान।

मद्रास।

क्षेत्रफल १,४२,२६० वर्गमील। जन संख्या ४,६७,४०,१०७।

मद्रास प्रांत भारत के दक्षिणी पूर्वी किनारे पर है और प्रायः इसके सब भाग कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के दक्षिण में हैं।

प्रान्त में हिन्दू ८८ प्रति शत, मुसलमान ७ प्रतिशत और ईसाई ३.८ प्रतिशत हैं।

जलवायु समशीतोष्ण है। चावल मुख्य खाद्य पदार्थ है और काफी उपजता है। ज्वार, रागी, दालें भी

होती हैं। मदुरा और कोयमबटूर में तम्बाकू अच्छी होती है। नीलगिरि (पर्वत) प्रदेश में चाय होती है। दक्षिणी भाग में मसाले की वस्तुयें उत्पन्न होती हैं।

गोदावरी, कृष्णा, कावेरी उत्तरी व दक्षिणी पेन्नर, और पालार मुख्य नदियां हैं।

जन समाज मुख्यत: द्राविडी है और तीन द्राविडी भाषायें बोली जाती हैं। (१) तामिल, दक्षिणी भाग में। (२) तैलंगी, उत्तरी भाग में। (३) मलायलम, पश्चिमी समुद्रतट पर। ट्रावङ्कोर, कोचिन और मलाबार में मलायलम भाषा बोली जाती है। कानड़ी, उड़िया और हिन्दुस्थानी भाषायें भी कुछ भागों में बोली जाती हैं।

गवरनर।

राइट आ. लार्ड ए. अर्सकिन।

मंत्री मंडल (कांग्रेस)

पुलिस फायनेन्स—सी. राजगोपालाचार्य (प्रधान मंत्री)।

रेवेन्यू—टी. प्रकाशम।

पब्लिक वर्कस—याकूब हुसेन।

शिक्षा और कानून— डा. पी. सुब्रामन्यम्।

पब्लिक हेल्थ—डा. टी. एस. राजन।

एग्रीकल्चर एण्ड रूरल डिवलेपमेंट वी. जे. मुनीस्वामी पिलाई।

लेबर ऐण्ड इण्डस्ट्रीज़—वी. वी. गिरि।

पब्लिक इनफरमेशन —एस. रामनाथ पिलाई।

कोर्ट्स ऐण्ड प्रिज़न्स—श्री के. रमन. मेनन।

डिप्टी प्रेसीडेण्ट कौंसिल—के वेंकटास्वामी नायडू।

लोकल एडमिनिस्ट्रेशन—श्री बी. गोपाल रेडी।

स्पीकर ले. असेम्बली—श्री बुलूस साम्बमूर्ति।

डिपुटी स्पीकर असेम्बली—श्रीमती रुक्मणी लक्ष्मी पथाई।

प्रेसीडेण्ट ले. कौंसिल—श्री यू. रामाराव।

डिपुटी प्रेसीडेण्ट—के. वेंकटास्वामी नायडू।

सिक्रेटरीज।

चीफ़ सेक्रेटरी—सी. एफ. ब्रैकनबरी।

सेक्रेटरी फायनेन्स—सी. ई जोन्स

सेक्रेटरी लोकल सेल्फ-गवर्नमेंट—टी.बी. रसेल ।

सेक्रेटरी होम—एच. एम. हुड ।

सेक्रेटरी पब्लिक वर्क्स—डबलू. स्काट ब्राउन ।

सेक्रेटरी डिवलपमेंट—सी. जे. पाल

सेक्रेटरी रेवेन्यू—एच. आर. उज़ेली ।

सेक्रेटरी शिक्षा ऐण्ड पब्लिक हेल्थ—सी. एच. मास्टरमैन ।

सेक्रेटरी लीगल डिपार्टमेंट—पी. अप्पूनैयर ।

मद्रास लेजिस्लेटिव कौंसिल ।

के. वेंक्टास्वामी नायडू ।
यू. रामा राव ।
नारायण वेंक्टाश्चलम ।
बरहागिरि वेंक्टा जोगय्या पंतुलू ।
पासुमर्ती वीरभद्र स्वामी ।
नादिम पल्ली सुब्बाराजू ।
देवता श्रीरामा मूर्ती ।
लक्काराजू सुब्बा राव ।
पेनूमेत्सा पेड्डु राजू ।
बादल पाटला गंगाराजू ।
बोलिनी नारायण स्वामी नायडू ।
काशीनधूनी पूना मल्लिकार्जुनुडू ।
बप्पुतुरी वेंक्टापुण्यम ।
लेबुरू सुब्बारामी रेडी ।
वी. वसन्त राव ।
मानेपल्ली नारायण राव ।
बेल्डोना भीमराव ।
एन. संकटा रेडी ।
के. दैवा सिगमनी मुदालियर ।
मोगिली रेडी गारी रामकृष्ण रेडी ।
सी. पेरूमल स्वामी रेडियर ।
आर. श्रीनिवास आयंगर ।
श्री रामनाथम चेत्यर ।
एन. आर. सामियप्पा मुदालियर ।
के. एस. शिवसुब्राह्मण्य अय्यर ।
के. वी. श्रीनिवास आयंगर ।
ए० एस० अलगानन चेत्यर ।
ए. रंगास्वामी आयंगर ।
टी. सी. श्रीनिवास आयंगर ।
मेदाई दलावोई कुमारा स्वामी मुदालियर ।
एस. के सतगोपा मुदालियर ।
टी. ए. रामालिंगम चेत्यर ।
कोज़ी पुराठ माधव मेनन ।
मनिक्काठ नारायण मेनन ।
धर्मस्तल मंजय हेग्डे ।
मुन्शी अब्दुल बहाब ।
अब्दुल वहाब बुख़ारी ।
गुलाम जिलानी क़ुरेशी ।
हामिद सुल्तान मरक्कायर ।
एस. के. अहमद मीरन ।

चोवक्करन पजुक्कठा मामूक्केयी ।
तईले कण्डी मक्कातिल मोइदू ।
यफ़. बिर्ले ।

एस. ई. रंगानाथम ।
एस. जे. गॉंज़लवेज़ ।
जेरोम सैल्डान्हा ।

मद्रास लेजिस्लेटिव असेम्बली ।

चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ।
के. वी नरसिंहम ।
सुब्बाराव करुणाकरम ।
पी. एम. आदिक सावलूनयागर आवरगल ।
जी रंजियह नायडू गरू ।
टी प्रकाशम गरू ।
जे. शिवस्थान सुगम पिलाई आवरगल ।
एन. एस. वारदाचार्यर आवरगल ।
टी विश्वनाथम गरू ।
वुलूसू साम्बमूर्ती गरू ।
अय्यादिवरा कालेश्वरराव गरू ।
कोण्डावेंकटप्पैया गरू ।
वी. भूवर्गभ आयंगर आवरगल ।
पी. रतनवेलू नेवर आवरगल ।
एन. एम. आर. सुब्बाराम अय्यर ।
के. पी. यज्ञनेश्वर शर्मा आवरगल ।
पेरियास्वामी सुवियह मुदालियर आवरगल ।
वी. आर. पेरूमल चेट्टी आवरगल ।
पुलेला श्यामसुन्दर राव गरू ।

चाला नारासिंहम ।
सकेटी गुरूवूलू ।
वी. वी. गिरी ।
वेंकटप्पाल भाष्करराव महासयो ।
राजा पुष्पति अलख नरायन गजपति राज मणे ।
पुष्पति लक्ष्मी नरायण सिंह राजू ।
डी. एल. नरसिंह राजू ।
दिगुमर्ती वेंक्टा रमास्वामी ।
विनाकोटा जगन्नाथम गुप्ता ।
बारू राजा राव ।
कन्डुला बीर राघवा स्वामी नायडू ।
काला वेंकटराव ।
पाण्डु लक्ष्मास्वामी ।
मल्लीपुदी पल्लाम राजू ।
बी. एस. मूर्ति ।
मगनी बेपिनीडू ।
गोतु मुखला वेनकन्ना ।
दाँदू नरायण राजू ।
ग्रान्दी वेंक्टारेडी ।
राजा यारलगद्दा शिवरामप्रसाद ।
बेमुला कर्मय्या ।
राजावसी रेडीदुर्गा सदा शिवेश्वराप्रसाद मणे ।
कटरा गद्दा वेंकटा नरायणराव ।

अगुधु रामीरेडी ।
कसू वेंकटारेडी ।
कल्लुरी चन्दमौलि ।
पोथुला बचप्पा नावडू ।
पुत्ता सुब्बय्या ।
बद्देपुदी बेंकटा नरायण रेडी ।
कमठम शनमुखम ।
वारो गत्ती बेंक्टा सुब्बय्या ।
बेज़वादा गोपाला रेडी ।
बैठनी पेरूमला नायडू ।
एन. रंगा रेडी ।
के. कोटी रेडी ।
स्वर्ण नगप्पा ।
कल्लूर सुब्बाराव ।
डी. कद्रिप्पा ।
आर. वेंकटप्पा नावडू ।
सी. ओबी रेडी ।
एच. सीताराम रेडी ।
गोविन्द दास ।
अनन्ताचार ।
लक्ष्मणस्वामी राव ।
यस नगप्पा ।
गोपवरम वेंक्टारेडी ।
के. वरादचारी आवरगल ।
आर. बी. रामकृष्ण राजू ।
एम. दौरेकन्नू
नलप्पारेडी रामकृष्ण रेडी
सी. आर. पर्थसार्थी आयंगर
पटाकोटा सुन्दरम श्रीनिवास अय्यर
कृष्णमाचारी भास्यम आयंगर

मलाई चिनतम्बी राजा
पी. नातेसा मुदालियर
एम. भक्तवत्सल मुदालियर
ओ. शेंगम पिलाई
के. ए. शन्मुखा मुदालियर
बी. टी. शेशाद्रीचार्यर
बी. एम. रामास्वामी मुदालियर
बी. भक्तवत्सलू नायडू
जामेदार आदिमूलम्
डी. रामलिंग रेडियर
नरायण स्वामी पिलाई अण्णा मलाई पिलाई
ए. रामलिंगम
आर. वेंक्टासुब्बा रेडियर
के. कुलासेकरन
एस. चिदम्बरा अय्यर
आर. पोन्नू स्वामी पिलाई
ए. एस. सहाजनादम्
के. सीतारामा रेडियर
ए. सुब्रामन्यम
वी. आई. मुन्शीस्वामी पिलाई
बिठिलिंगम पिलाई नादिमुथू पिलाई
मुरुगय्यम मारिमुथू
पी. वेंक्टारामा अय्यर
एस. रामनाथ पिलाई
अप्पा खुतिया पिलाई वेदूरत्न पिलाई
कथापेरू मलनैनर कोलण्डवेलू नैनर
ए. एम. पी. सुब्बारया चेत्यर

के. पेरियास्वामी कवण्डर
एन. हलस्यम अय्यर
पी. मारिमुथू पिलाई
बी. वेंक्टाचलम पिलाई
आर. मरूथई
के. कुप्पू स्वामी अय्यर
आर. एस. वेंक्टारामा अय्यर
करुप्पा कुदम्बन बालकृष्ण कुदम्बन
के शक्तिवदीबेलू कवण्डर
ए. के. ऐ. रामचन्द्र रेडियर
एल. कृष्णा स्वामी भारती
पी. एस. कुमारा स्वामी राजा
कामराजा नादर
आर. एस. मनीखम
मुदुर मलिंग थेवर
बी. एस. आर. एम. विलैप्पा चेत्यर
मुथू अरुणांचलमचेत्यर
ए. आर. ए. एस. दुरायस्वामी नादर
एल. सत्तनाथा कारयालार
पाल चिनामुथू
श्रीमती लक्ष्मी अम्मल
टी. एस. चोकालिंगम पिलाई
पलानी स्वामी कवण्डर
कृष्ण कुदुम्बन
के. एस. रामास्वामी कवण्डर
के. एस. पेरिया स्वामी कवण्डर
बिनौदिया कवण्डर
के. एन. नाजप्पा कवण्डर
डी. श्रीनिवासैय्यर
वी. सी. पलानी स्वामी कवण्डर
एच. बी. अरी गौंडर
बी. टी वेंक्टाचारी
एम. जी. नातेसा चेटी
पी. सुब्बार्यान
के. ए. नाचिप्पा कवण्डर
एन. नगराजा आयंगर
एम. पी.. पेरियास्वामी
एस. सी. वेंक्टप्या चेत्यर
ए. वालकृष्ण शेटी
के. ईश्वर
के. आर. करन्त
बन्तवल वेंक्टार्या बलीजा
पोथेरी माधवन
मनीकोठ पुन्नोरठदायोदरन
अम्बालाकत्त करुणाकर मेनन
एरान्हीकत्त परंबथ कन्नन
पोकानचेरी अच्युतम्
चिंगोरन केलोथ गोविन्दम नैय्यर
रदंमबीदू राघव मेनन
कोंगत्तिल रमण मेनन
अब्दुल हामिद खां
पी. आई कुन्हमद कुही।
अकराम अली।
महबूब अली बेग।
शेखमुहम्मद लालजान।
मुहम्मद अब्दुस्सलाम।
एस. घोसी मोहीदीन।
अब्दुर्रहिमान खां।

अब्दुर्रऊफ।
मुहम्मद रहमतुल्ला ।
याक़ूब हसेन ।
वशीर अहमद ।
सी. अब्दुलहकीम नवाब ।
अहमदतम्बी मुहम्मद मोहीद्दीन ।
पी. ख़लीफ़ुल्ला ।
मुहम्मद अब्दुल कादिर ।
इब्राहीम साहेब ।
वी. एस. टी. शेख़ मन्सूर तटागनर ।
के. ए. शेख़ दाऊद ।
सुल्तान अब्दुर्रहिमान अली ।
अरिन्हल कारुवंती वलप्पिल कादिर कुट्टी ।
सैय्यद अहमदजाफिरी अट्टा कोयातंगल ।
मुहम्मद अब्दुलर्रहिमान ।
कल्लादी उनीकम्भू ।
मुक्कानदुरम्ब शेख़ रौठन ।
पल्लीमनयालिल मोइदोनकुट्टी ।
मुहम्मद स्वामनद ।
हाजी सैय्यद हुसेन ।
श्रीमती रुक्मणी लक्ष्मीपथाई ।
श्रीमती गमडम अम्माना राजा ।
श्रीमती ए. वी. कुट्टीमालू अम्मा ।
श्रीमती अंजालै अम्मल ।
श्रीमती एन. लक्ष्मी देवम्मा ।
श्रीमती के. लक्ष्मी अम्बल
श्रीमती खदीजा याकूबहुसेन
श्रीमती जेबामोनी मासिलमोनी

ई. एच. एम. बावर
ई. एम. डिमेलो
सी. आर. टी. कान्ग्रीव
जी. वी. रीड
बी. डबलू. बैचलर
डी. आर. आयज़ेक
जे. राजाराव
एम, सैमुयेल जोनाथेन
अप्पादुराय पिलाई
वी. जे. सामू पिलाई
ए. टी. पन्नीर सेलवम
जे. एल पी. राश विक्टोरिया
सी. जे. वार्के
पन्सला पेद्दा पादुला
सर विलियम ओवेन राइट
विलियम मारिस ब्राउनिंग
जान मैकेन्ज़ी स्मिथ
विलियम केनेथ मेकाले लैंगले
टी. टी. कृष्णाचार्यर
कुमारा राजा मुढियह चेत्यर
वायरीचेर्ली नारायण गजपति राजू
राजामेका वेंक्टारमिया अप्पाराव
गोविन्दराव कृष्णराव
के. एस. सप्तरिषी रेडियर
टी. बी. कन्दा सायी नायंकर
आर. एम. पालन
जी. कृष्ण मुराठी
गेण्टा चेलवपाठी चेट्टी
एन. जी. रामास्वामी नायडू
पी. आर. के. शर्मा

संयुक्तप्रान्त (यूनाइटेड प्राविन्सेज़)

क्षेत्रफल १,०७,००० वर्गमील। जनसंख्या ४,८४,०८,७६३।

यह प्रान्त अत्यन्त उपजाऊ है। नदियां तथा नहरें बहुत हैं। भूमि अच्छी है। हिमालय की तराई में उत्तम लकड़ी जंगलों में पाई जाती है। चावल, गेहूं, दालें, ज्वार, बाजरा, जौ, गन्ना सभी अनाज बहुतायत से होते हैं और इस प्रान्त को भारत का सर्वोत्कृष्ट भाग कहना असंगत न होगा। सब से अधिक गन्ना और शकर इसी प्रान्त में होती है। ७२ प्रतिशत मनुष्य कृषि में लगे हैं। आम इस प्रान्त में उत्तमोत्तम होता है। तरकारियां काफ़ी मात्रा में हैं।

संसार की परम पवित्र नदी गंगा का सर्वोत्तम प्रवाह-भाग इसी प्रान्त में है। यमुना, काली नदी, घाघरा, गोमती, चम्बल, सिंध बेतवा तथा अन्य छोटी बड़ी नदियां इस प्रान्त को अपने जल से सींचती हैं। नहरों द्वारा स० १९३७-३८ में ३८२०९४४ एकड़ भूमि सींची गई।

आबादी की घनता ४४० प्रति वर्ग-मील है। भाषा हिन्दी (पश्चिमी) है। हिन्दू ८५ प्रतिशत, और मुसलमान १५ प्रतिशत हैं।

इस प्रान्त में बहुत बड़े २ नगर हैं। प्रयाग (इलाहाबाद), कानपुर, लखनऊ, काशी (बनारस), अलीगढ़ और आगरा मुख्य हैं।

५ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी) बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद, अलीगढ़ और आगरा हैं। रेलवे पथ इस प्रान्त में जाल के समान बिछा हुआ है। कानपुर उत्तरी भारत का बहुत बड़ा व्यापारी केन्द्र है।

गवरनर

हिज़ एक्सीलेंसी सर हेरीहेग

मंत्रीमंडल (कांग्रेस)

होम, ला ऐण्ड आर्डर, फायनेन्स—पं० गोविन्द बल्लभ पंथ (प्रधानमन्त्री)

रेवेन्यू—रफी अहमद किदवई

इण्डस्ट्रीज़ एण्ड जस्टिस—डा. कैलाशनाथ काटजू।

लोकलसेल्फ गवर्नमेन्ट एण्ड पब्लिक हैल्थ—श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित

शिक्षा—श्री सम्पूर्णानन्द

पब्लिक वर्क्स ऐण्ड कम्यूनिकेशन—हाफ़िज़ मोहम्मद इब्राहीम

स्पीकर असेम्बली—बा पुरुषोत्तमदास टंडन

डिपुटी स्पीकर—अब्दुलहकीम

प्रेसीडेण्ट कौंसिल—सर सीताराम

डिपुटी प्रेसीडेण्ड—बेगम एजाज़ रसूल

सिविल सेक्रेटरीज़

चीफ़ सेक्रेटरी—पन्नालाल

फ़ायनेन्स ,, —ए. सी. टरनर

रेवेन्यू एण्ड पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट—ए. ए. वा

लोकल सेल्फ ग. एण्ड पब्लिक हेल्थ—ए. बी. रीड

जुडीशल—एल. एस. ह्वाइट

इण्डस्ट्रीस और शिक्षा-पी एम. खरेगाट

डिप्टी सेक्रेटरीज़

जनरल ब्रांच—एस. एच. ज़हीर

रेवेन्यू ब्रांच—जे. बी. लैंगफोर्ड

फ़ायनेन्स—सूरज दीन बाजपेई

लोकल सेल्फग. ऐण्ड पब्लिक हेल्थ—मुहम्मद मुस्ताक़-अली ख़ां

जुडीशल ब्रांच—बाबू फूलचन्द्र मोघा

शिक्षा—आर. एस. वीयर, जे. सी. पावेल प्राइस

लीगल—एल एस ह्वाइट

स्पेशल ड्यूटी पर

रिफार्मस कमिश्नर—जे. एच. डारविन

इण्डस्ट्रीज—एस. पी. शा

रूरल डेवलपमेन्ट—सी० एस० वेंक्टाचर

डायरेक्टर आफ पब्लीसिटी—डी. एन. मुकर्जी।

एडवोकेट जनरल—नारायण प्रसाद अष्ठाना

संयुक्तप्रान्त लेजिस्लेटिव कौंसिल

बैजनाथ	मथुरादास
राय अमरनाथ	जनार्दनस्वरूप
बिजेन्द्रस्वरूप	बाबूलाल
मोहनकृष्ण वर्मा	लक्ष्मीनरायण
चन्द्रभाल	हरसहाय गुप्ता

राधेरमण लाल	राजेन्द्र सिंह
गोपाल सिंह	भया दुर्गाप्रसाद सिंह
रतनलाल जैन	बजरंग बहादुर सिंह
चौ. बदनसिंह तिवारी	इस्लाम अहमद ख़ां
रूपचन्द जैन	मुहम्मद फ़य्याज खां
रामेश्वरप्रताप सिंह	महमूदुल्ला जंग
बद्रीप्रसाद कक्कड़	सैय्यद अहमद हुसेन रिज़वी
वेनीमाधव तिवारी	मुहम्मद ज़की
लक्ष्मीराज सिंह	आग़ा हैदर साहेब
रायचन्द्र गुप्ता	अकबर अली ख़ां
रघुराजसिंह	मुहम्मद आबिद ख़ां शेरवानी
मोहनलाल शाह	मसूदुज़्ज़मान
केदारनाथ खेतान	हाफ़िज़ अहमद हुसेन
अष्ठभुज प्रसाद	वहीद हुसेन
माधौ प्रसाद खन्ना	मुहम्मद फ़ारूक़
रामउग्र सिंह	मुहम्मद निसारुल्ला
रमाकान्त मालवीय	काल्बे अब्बास
हनूमान सिंह	श्रीमती एज़ाज़ रसूल
श्रीराम	अख़्तर हुसेन
द्वारका प्रकाश सिंह	इज़्हार अहमद फारूक़ी
मोहनलाल	सर ट्रेसी गैविन जोन्स

संयुक्तप्रान्त लेजिस्लेटिव असेम्बली

ज्वालाप्रसाद श्रीवास्तव	डा. जवाहरलाल
सैय्यद अहमदअली खां	भगतदयाल सेठ
महाराज कुमार सर बिजयानन्द	सेठ अचलसिंह
केप्टेन राजा दुर्गानारायण सिंह	करनसिंह केन
चन्द्र भानु गुप्ता	सम्पूर्णानन्द
नरायण दास	पुरुषोत्तमदास टंडन

हरी
अजितप्रसाद जैन
प्यारेलाल शर्मा
आचार्य युगुलकिशोर
आत्माराम गोविन्द खेर
आचार्य रामसरन
गोविन्दवल्लभ पंत
आचार्य नरेन्द्र देव
विन्ध्यबासनी प्रसाद
महाबीर त्यागी
फूलसिंह
बिहारीलाल
मंगलसिंह
केशव गुप्ता
श्रीमती सत्यवती देवी
चरनसिंह
खुशीराम
रघुनाथ नारायण सिंह
विजयपाल सिंह
ब्रिजबिहारी लाल
मानिक सिंह
भीमसेन
टोडर सिंह
ज्वालाप्रसाद जिज्ञासू
मलखान सिंह
प्रोफेसर कृष्णचन्द्र
शिवमंगल सिंह
रामचन्द्र पालीवाल
मानिक चन्द्र
जगप्रनसाद रावत

जीवालाल
मिज़ाजी
बीरेश्वर सिंह
बाबूराम वर्मा
श्री मती विद्यावती राठौर
कुंवर शमशेरजंग
खूबसिंह
दाउदयाल खन्ना
शंकरदत्त
पृथ्वीराज सिंह
द्वारका प्रसाद
देव नारायण
साधौसिंह
रुकुमसिंह
लखनदास यादव
बदन सिंह
भगवान सिंह
रामेश्वरदयाल
श्रीमती उमा नेहरू
बलवन्त सिंह
बुद्धू सिंह
होतीलाल अग्रवाल
रामस्वरूप गुप्ता
वेंक्टेश नरायन तिवारी
डा. मुरारीलाल
बंशगोपाल
शिवदयाल उपाध्याय
डा. कैलाशनाथ काटजू
रनजीत सीताराम पंडित
लालबहादुर शास्त्री

रघुनाथ विनायक धुलेकर
भगवतनरायन भार्गव
मन्नीलाल पाण्डे
लोटेन ठेकेदार
दीवान शत्रुघनसिंह
केशवचन्द्रसिंह
हरप्रसादसिंह
जगतनरायण उपाध्याय
कमलापति तिवारी
विश्वनाथ
राजा शारदामहेशप्रसादसिंहशाह
बीरबल सिंह
केशवदेव मालवीय
राय परसराम
इन्द्रदेव त्रिपाठी
राधामोहन सिंह
सूर्यनरायण सिंह
सिंहासन सिंह
मोहनलाल गौतम
डा. विश्वनाथ मुकर्जी
अयागध्वज सिंह
शिब्बनलाल सक्सेना
पूर्णवासी
रामधारी पाण्डे
काशीप्रसाद राय
विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी
सीताराम
हरनाथ मेवाफ़रोश
रामचरित्र
सीताराम अस्थाना

गजाधरप्रसाद
राधाकान्त मालवीय
अलगूराय शास्त्री
आनन्दसिंह
हरगोविन्द पंत
रामप्रसाद ताम्ता
जगमोहनसिंह नेगी
अनसुय्याप्रसाद बहुगुण
गोपीनाथ श्रीवास्तव
विशम्भरदयाल त्रिपाठी
जटाशंकर शुक्ल
लाल सुरेन्द्रबहादुर सिंह
श्रीमती सुनीति देवी मित्रा
भवानी
लक्ष्मीशंकर बाजपेई
छेदालाल गुप्ता
शाँतिस्वरूप
भमूतिसिंह
वैद्य शिवराम द्विवेदी
परागीलाल
लालताबख्श सिंह
बंशीधर मिश्र
भैयालाल
ख़ुशवक्त राय
कृष्णनाथ कौल
पल्टू
रामनरशे सिंह
जंगबहादुर सिंह
सुन्दरलालगुप्ता
हुकुमसिंह

वैद्य भगवानदीन
लालबिहारी टंडन
ईश्वरसरन
राघवेन्द्रप्रताप सिंह
हरीप्रसाद तास्ता
हरिश्चन्द्र बाजपेई
गोविन्द मालवीय
कृष्णानन्दनाथ खरे
ठकुरायन पार्वती कुवँरि
चेतराम
मुहम्मद इस्माइलखां
शेख़ ज़ालिब रसूल
हाफ़िज ग़जनफरुल्ला
अज़ीज अहमद खां
करीमुलरज़ा खां
अख़्तर आदिल
कैप्टेन नवाबज़ादा मुहम्मद अब्दुस्समी ख़ां
डा. अब्दुस्समद
ज़हूर अहमद
मुहम्मद एकराम ख़ां
रेज़वानउल्ला
ख़लीकुज़्ज़मा
मुहम्मद वसीम
क़ाज़ी अब्दुलबली
हाजी मुहम्मद मक़सूद अलीखां
शेख मुहम्मद ज़ियाउल्ल पक़
हसनअली ख़ां
नवाब ज़ादा मुहम्मद लियाक़त अली खाँ

ताहिर हसेन
कैप्टेन नवाब जमशेद्अली ख़ां
मुहम्मद रहमत ख़ां
हाजी मुहम्मद ओबैदुर्रहमान ख़ां
शेख बदरुद्दीन
मुहम्मदजान ख़ां
ख़लीकुद्दीन अहमद
मुहम्मद रज़ा खां
इस्लामउल्ला खां
हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम
अख़्तरहुसेन ख़ां
जफर हुसेन ख़ां
मुहम्मद इस्माइल
ज़ैनुल आब्दीन
फ़सिहउद्दीन
मुहम्मद फ़ज़लुर्रहमान खां
शेख़ इमत्याज़ अहमद
लेफ्टीनेण्ट एम सुल्तान आलम खां
नफ़ीसुल हुसेन
मुहम्मद हसेन खां
मुहम्मद हुसेन
मुहम्मद अथार
मुहम्मद सुलेमान अन्सारी
मुहम्मद फरुक़
ज़हीरुल हसेन लारी
मुहम्मद आदिल अब्बासी
अब्दुल हक़ीम
मुहम्मद ईशाक़ ख़ा
इक़बाल अहमद खां
ज़हीर उद्दीन
हैदर हसेन

मुबाशिर हुसेन किदवई	बेग़म शहीद हुसेन
ऐज़ाज़ रसूल	एच. जी. वैल्फोर्ड
साजिद हुसेन	डेस्मण्ड यंग
राजा मुहम्मद मेदी	केप्टेन एस. आर. पूकाक
मर्ज़ा मुहम्मद वेग़	सर महराज सिंह
ग़ुलाम हुसेन	एस. सी. चटर्जी
राजा मुहम्मद सादत	ई. एम. सूटर
रफ़ी अहम्मद किदवई	पदमपत सिंहानियां
राजा मुहम्मद अहमद अली ख़ां	प्रागनारायण
शेख़ सैय्यद उद्दीन अहमद	मुहम्मद हबीबुल्ला
राजा मुहम्मद एजाज़ रसूल ख़ां	राजा जगन्नाथ वख़्शसिंह
डा. बी. थंगमा	राजा विश्वेश्वर दयाल सेठ
श्रीमती प्रकाशवती सूद	राय गोविन्द चन्द्र
श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित	राजा रामा शास्त्री
श्रीमती लक्ष्मी देवी	सूरज प्रसाद अवस्थी
बेग़म हबीबुल्ला	बी. के. मुकर्जी
	डा. सैय्यद हुसेन ज़हीर

बिहार

क्षेत्रफल ४१००० वर्गमील। जनसंख्या २,४७,२०,५०० ।

बिहार में दो विभाग बिहार और छोटानागपुर भूमि तथा जन समाज के अनुसार प्राकृतिक हैं।

उड़ीसा पहिले इसके अन्तर्गत था किन्तु अब अलग प्रान्त बन गया है।

बिहार प्रान्त में कोयला तथा अभ्रक की खानें हैं और इन दोनों पदार्थों की निकासी सबसे अधिक इसी प्रान्त में होती है। अन्य खनिज पदार्थ टीन, साल्टपियर, सोना, तांबा मेगनीज एल्यूमिनियम, और लोहा हैं। जमशेदपुर में टाटा का लोहे का महान कारखाना है। गया में जगत विख्यात विष्णुपद तथा नगर से कुछ दूर बौद्धों का मन्दिर है।

प्रान्त का जलवायु अच्छा है। छोटानागपुर में गर्मियों का सरकारी पहाड़ी निवास स्थान रांची है।

गवरनर।

हिज़ एक्सलेंसी सर मारिस जी. हैलेट

मन्त्रीमण्डल (कांग्रेस)

होम, रेवेन्यू जेल्स, जुडीशियरी-लेजिस्लेचर— श्रीकृष्ण सिंह (प्रधान मन्त्री)

शिक्षाउन्नति—श्री डा० सैय्यद मुहमूद

फ़ायनेन्स—लोकल सेल्फ ग.

पी. डबलू. डी. कामर्स—श्रीअनुग्रह नरायन सिंह

इक्साइज़ एण्ड पब्लिक हेल्थ—श्री जगलाल चौधरी

स्पीकर लेजिस्लेटिव असेम्बली—श्री रामदयाल सिंह

डिपुटी स्पीकर—श्री प्रोफेसर—अब्दुल बारी

सिविल सेक्रेटरीज़

चीफ सेक्रेटरी पोलीटिकल एण्ड एप्वा इण्ट मेंट डिपार्टमेंट—डबलू. बी. ब्रेट

फ़ायनेन्स—एच. सी. प्रायर

रेवेन्यू—जे. डबलू. होल्टन

जुडीशल—जे. जी. शियर

पी. डबलू. डी.—जी. एफ हाल

शिक्षा तथा उन्नति—एस. लाल

लोकल सेल्फग—वी. के. आर. मेनन

सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव कौंसिल—सैय्यद अनवर यूसुफ़

डिपुटी से.—जे. ए. सैमुएल

विहार लेजिस्लेटिव कौंसिल

प्रेसीडेंट आ. कु. राजिव नारायण सिंह।

राजी रंजनप्रसाद सिंह

हरिहरप्रसाद नरायन सिंह

विश्वनाथप्रसाद नरायण सिंह

महेश्वर प्रसाद नरायन सिंह

गंगानाथ सिंह

देवनरायण प्रसाद सिंह

कुमार रामानन्द सिंह

कल्याणी प्रसाद सिंह दुवे

नलिनी कुमार सेन

सैय्यद मुहम्मद इस्मायल

नक़ी इमाम

मुबारक़ अली

जमीलुर्रहमान

एलेन कैम्पबेल कोम्बीं

अब्दुल अहमद मुहम्मदनूर

बल्देव सहाय
बलराम राय
बन्सी लाल
गजीन्द्र नरायण सिंह
कमलेश्वरी मंडल
नागेश्वर प्रसाद सिंह
पूर्णे दवे शर्मा
मुहम्मद हफ़ीज़
सतीश चन्द्र सिनहा
शाहबाजिद हुसेन
त्रिबेनी प्रसाद सिंह
गुरु सहाय लाल

बिहार लेजिस्लेटिव असेम्बली

सारंगधर सिनहा
जगत नरायन लाल
विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा
उपेन्द्रनाथ मुकर्जी
जीमुत वाहन सेन
इन्दु दीवान सरन सिंह
श्याम नन्दन सिनहा
शीलभद्र याजी
श्यामा नारायन सिंह
रायप्रसाद
बीरेन्द्र बहादुर सिनहा
सुखारी पासी
अनुग्रह नरायन सिनहा
जमुना प्रसाद सिनहा
बूंदी पासी
जुगुल किशोर नरायन सिनहा
हरगोविन्द मिश्रा
गुसेश्वर पाण्डे
हरी नन्दन सिंह
बुधन राय वर्मा
जगजीवन राय
हरिहर सिनहा
वीरेश दत्त सिनहा
द्वारका नाथ तिवारी
नरायण प्रसाद सिनहा
शिवेश्वर प्रसाद नरायण सिनहा
प्रभूनाथ सिनहा
गोबिन्दपति तिवारी
रामबास्वान रविदास
गणेश प्रसाद
गोरख प्रसाद
हरबन्स सहाय
वैद्यनाथ मिश्र
विश्वनाथ सिंह
बाल गोविन्द भगत
महेश प्रसाद सिनहा
शिवनन्दन पास्वन
ब्रिजनन्दन सहाय
रामदयलु सिनहा
रामेश्वर प्रसाद सिनहा
दीप नरायण सिनहा
राम नन्दन सिनहा
राम शीस ठाकुर
राजेन्द्र नरायन चौधरी

चतुरानन दास
जमना कर्जी
सूर्यनन्दन ठाकुर
केश्वर पास्वन
राजेश्वर प्रसाद नारन सिनहा
रायचरन सिनहा
सुन्दर पासी
श्रीकृष्ण सिनहा
रघुनन्दन प्रसाद
निर्पद मुकर्जी
राम चरित्र सिंह
ब्रह्मदेव नरायन सिंह
कालिका प्रसाद सिंह
मेवालाल झा
शिवधारी सिनहा
हर किशोर प्रसाद
राजेन्द्र मिश्र
शिवनन्दन प्रसाद मंडन
बर्सू चमार
रामदीन तिवारी
किशोरलाल कुण्डू
धरि नरावन चाँद
जगलाल चौधरी पासी
बिनोदानन्द झा
बुद्धिनाथ झा
भगवानचन्द्र दास
चरनमर्मू
शशि भूषण रे
देवू मर्मू
कृष्णवल्लभ

होमा संताल
सुखलाल सिंह
कारू दुसाध
देवकीनन्दन प्रसाद
राम भगत
कंदर्पनाथ शाहदेव
बोनीफ़ेस लाका
पूरनचन्द्र मित्र
राजकिशोर सिंह
जीतूराय दुसाध
जदुबंश सहाय
उपेन्द्र मोहनदास गुप्त
टीकाराम माँझी
अजितप्रसाद सिंहदेव
गुलू धोपा
अम्बिका चरत मलिक
प्रमड भातसाली
देवेन्द्रनाथ सामन्त
बाबू रसिक हो
अब्दुल अज़ीज
हाफ़िज़ जाफर हुसेन
अब्दुल जलील
नवाब अब्दुल वहाब ख़ाँ
मोहीउद्दीन अहमद
मुहम्मद यूनुस
शरफ़ुद्दीन हसन
नजम्मुल हसन
मुहम्मद लतीफ़ुर्रहमान
शराफ़त हुसेन
डा. सैय्यद मुहम्मद

मुहम्मद क़ासिम
सघीरुल हक़
अब्दुल मजीद
मुहम्मद सानी
मुहम्मद याक़ूब
बदरुल हसन
तजम्मुल हसन खां
मुहम्मद शफ़ी
अहमद ग़फ़ूर
सईदुल हक़
मुहम्मद सलीम
मुहम्मद नजीरुल हसन
रफ़ीउद्दीन अहमद रिज़्वी
मुहम्मद महमूद
मुहम्मद मिनातुल्ला
ज़ियाउर्रहमान
ज़ैनउद्दीन हसन मिर्ज़ा
फ़ज़लुर्रहमान
मुहम्मद इस्लामउद्दीन
शफ़ीक़ुल हक़
मुहम्मद ताहिर
सैय्यद अली मंजूर
अब्दुल बरी
अब्दुल मजीद
रमज़ान अली
मुहम्मद हुसेन
मुहम्मद इलियास
श्रीमती कामाख्या देवी
श्रीमती शारदा कुमारी देवी
श्रीमती सरस्वती देवी
लेडी ईमाम
ए. एच. हेमैन
ई. सी. डैनबी
जे रिचमाण्ड
आयगेनीज़बेक
चक्रेश्वर कुमार जैन
डबलू. एच. मेरिक
एस. ए. राबर्टस
मन्डीन्द्र नाथ मुकर्जी
गणेशदत्त सिंह
चन्द्रेश्वर प्रसाद नारायण सिनहा
सूर्य मोहन ठाकुर
राज किशोरनाथ शाहदेव
नथा राम
हरेन्द्र बहादुर चन्द्र
खेत्र नाथ सेन गुप्ता
सच्चिदानन्द सिनहा

सिंध

क्षेत्रफल ४६३७८ वर्गमील । जनसंख्या ३८,८७,०७० ।

यह प्रान्त १ अप्रैल १९३६ से अलग गवरनर के आधीन प्रान्त बनाया गया ।

जलवायु अत्यंत तीक्ष्ण है । गर्मियों

में अत्यंत ऊष्ण और सर्दियों में अत्यंत शीतल। वार्षिक वृष्टि का औसत केवल ४ इंच हैं।

कराँची बहुत बड़ा बन्दरगाह है और विशेषकर पंजाब का गेहूं और तिलहन यहीं से विदेशों को जाता है।

सक्कर में सिंधुनदी का एक महान बंधा बांधा गया है जिसका बनना स० १९३२ में आरम्भ हुआ और १९३२ में समाप्त हुआ। यह १ मील लम्बा है। अनेक नहरे बनाई गई हैं जिससे लगभग ७५,००,००० एकड़ भूमि सींची जाती है।

मुसलमान ७३ प्रतिशत और हिन्दू २७ प्रतिशत हैं। मुख्य भाषा सिंधी है।

गवरनर

हिज़ एक्सलेंसी सर लैंस लाट ग्रेहेम।

मंत्रीमंडल (संयुक्त)

प्रधान मंत्री—श्री सर गुलाम हुसेन हिदायतुल्ला

मंत्री—श्री मुखी गोविन्दराम प्रीतम दास

मंत्री—श्री मीर बन्देह अली ख़ां

स्पीकर—श्री भोजसिंह पहियाजनी

डिप्टी स्पीकर—श्री ख़ां. सा. गबोले

सिबिल सेक्रेटरीज़

चीफ़ सेक्रेटरी—एच. के कृपलानी

फ़ायनेन्स—सी. बी. बी. क्ली

रेवेन्यू—आर. ई. गिवसन

पी. डबलू डी.—ए. गार्डन

डिपुटी सेक्रेटरी पी. डबलू. डी.—ए. ई. शार्प

होम, पोलीटिकल एण्ड जनरल—ई. रोड्रीग्रीज़

डिपुटी सेक्रेटरी फ़ायनेन्स—एन, वी. राघवम

लीगल—टी. डी. मोटवानी

असिस्टेण्ट सेक्रेटरीपी. डबलू. डी. आर. एस. एस. वी.माज़ूमदार

सिंध लेजिस्लेटिव असेम्बली

निहचलदास चातूमल
जमशेद नूसेरवाँ सी. मेहता
रा. सा. गोकलदास मेवलदास
हेमनदास रूपचंद वाध्वानी
दौलतराम मोहनदास
भोजसिंह गुरदीनूमल

हंसाराम सुन्दरदास
निवन्दराम विशनदास
होतचन्द हीरानन्द
घनश्याम जेठानन्द शिवदासनी
धनूमल ताराचन्द्र
दी. ब. हीरानन्द खेमसिंह
परताबराय खैमुखदास
सीतलदास पेरूमल
आखजी रतनसिंह सोधो
डा. पोपटी लाल ए. भोपतकर
रुस्तमजी खुरशेदजी सिधवा
मुखीगोबिन्दरामपीतमदास
मुहम्मद उस्मान मुहम्मद ख़ां मुसरो
मुम्मद यूसुफ़ खैर मुहम्मद ख़ां
पीरग़ुलाम हैदरशाह साहिब दीनोशाह
ग़ुलाम मुहम्मद अब्दुल ख़ां इस्रान
इलाई बख़्श नवाज़अली पीर
ग़ुलाम मुर्तज़ा शाह मुहम्मदशाह
अब्दुल मजीद लीलाराम शेख़
मुहम्मद अयूब ख़ां शाह
मुहम्मद ख़ां खुहरो
हाजी अमीर अली थारो ख़ां लाहोरी
मीर मुहम्मद ग़ईब खाँ चौदियो
मीर ज़ेनुलदीन ख़ां सुन्दर ख़ां सुन्दरेनी
सोहराब ख़ां साहेबदीनो ख़ां सर्की
जाफर ख़ां गुलमुहम्मद ख़ां बुर्दी
अल्लाबख़्श मुहम्मद उमार
शमसुद्दीन ख़ां अब्दुलकबीर ख़ां
अब्दुलसत्तरर अब्दुलरहमान
रसूल बख़्शशाह महबूबशाह
कैसर ख़ां गुलाम मुहम्मद ख़ां
मुहम्मद अलीशाह अल्लाहदोशाह
नूरमुहम्मदशाह मुरादअली शाह
रसूलबख़्श ख़ां मुहम्मद ख़ां उनेर
जामजान मुहम्मद ख़ां मुहम्मद शरीफ़ जनेजो
खैरशाह ईमामअलीशाह
मखदूम गुलामहैदर मख़दूम जही-रुद्दीन
मरिन मुहम्मदशाह ज़ैनुलाब्दीन शाह
गुलाम अल्ला ख़ां मीरहाजी हुसेन बख़्श ख़ां
बन्देअली ख़ां मीरहाजी
मुहम्मद हुसेन ख़ां
गुलाम अली बन्देहअली ख़ां
मीर अल्लहबाद ख़ां
इमाम बख़्श ख़ां
अरबाब टोगाची मीर मुहम्मद
अल्लाह बख़्श ख़ुदाद ख़ां गबोल
मीर मुहम्मद हाशिम फ़ैज़ मुहम्मद
कुमारी जेठीलाल तुलसीदास सिपाही मलानी
जेनूबाई गुलाम अली अल्लाना देवी
डी. एन. ओ. सुलीवान
कर्नल एच. जे. मेहन

जी. एस. रास्चेन
ईसरदास वारीन्दमल
गुलाम हुसेन हिदायतुल्ला
दियाल मल दौलतराम
नरायणदास आनन्दजी बीहर

पंजाब

क्षेत्रफल ९९,२०० वर्गमील । जनसंख्या २,३५,८०,८५२ ।

पंजाब प्रान्त पांच नदियों का प्रदेश है और प्राचीन काल में भी इसका नाम पांचाल देश था।

सिंध, झेलम, चिनाब, रावी, और सतलस नदियों के कारण और विशेषकर नई नहरों के कारण यह प्रदेश बड़ा ही उपजाऊ है। गेहूं, बहुतायत से होता है जाड़ों में काफ़ी सरदी और गर्मियों में काफ़ी गर्मी पड़ती है। वार्षिक वृष्टि का औसत बहुत कम अर्थात २० इंच से भी कम है। अन्य पदार्थ जौ, रुई, तम्बाकू, गन्ना, ज्वार, बाजरा, तिलहन और कहीं चाय भी होती है।

शिमला केन्द्रीय सरकार का गर्मियों का निवांस्थान इसी प्रान्त के पहाड़ों पर है।

मुसलमान ५७ प्रतिशत, और हिन्दू २७ प्रतिशत हैं। सिक्ख ४०,७२,००० जो लगभग १८ प्रतिशत होते हैं।

पश्चिमी पंजाबी पूर्वी पंजाबी, पश्चिमी हिन्दी भाषायें बोली जाती है। पश्चिमी पंजाब के अफ़गान् पश्तो भाषा बोलते हैं।

गवरनर

हिज़ एक्सलेंसी सर हरबर्ट विलियम इमरसन

मंत्रीमंडल (संयुक्त)

प्रधान मंत्री–सर सिकन्दरहयात ख़ां
रेवेन्यू—सर सुन्दर सिंह मजीठिया
उन्नति—चौधरी छोटू राम

फायनेन्स—मनोहरलाल
पब्लिक वर्कस—मेजर नवाबज़ादा मालिक ख़ैजर हयात ख़ां तिवाना
शिक्षा—मियां अब्दुल हये
स्पीकर—सर शाह उद्दीन
डिप्टी स्पीकर—सरदार दसुन्धा सिंह

सिविल सिक्रेटरीज़

चीफ़ सेक्रेटरी—एफ. एच. पकिल
होम—ए. वी. आस्कविद
फ़ायनेन्स—रामचन्द्र
मेडिकल, लोकल ग.—डबलू. जी. ब्रेडेफोर्ड
इलेक्ट्रीसिटी एण्ड इन्डस्ट्रीज़—आर. जे एस. डाड

पंजाब लेजिस्लेटिव असेम्बली

अनंतराम चौधरी
आत्माराम
कैप्टन बलबीरसिंह
भगतराम चोडा
भगतराम पंडित
भगवन्त सिंह
छोटूराम चौधरी
लेफ्टीनेण्ट दीनानाथ
दुनीचन्द
गिरधारी दास महन्त
डा. सर गोकुल चन्द नारंग
गोपाल दास
गोपालसिंह
हंसराज भगत
हरीचन्द राय
हरनाम दास
चौधरी हेतराम
जुगल किशोर
करतारसिंह चौधरी
किशनदास सेठ
मुकुन्द लाल पुरी
मूलासिंह
मुन्नीलाल कालिया पंडित
प्रेमसिंह चौधरी
राय सी.
रामनारायण आरोड़ा
रामस्वरूप चौधरी
रनपत चौधरी
रिपुदमन सिंह
शामलाल
सुमेर सिंह चौधरी
फ़क़ीरा
सूरजमल चौधरी
टीकाराम चौधरी
भीमसेन
देशबन्धु गुप्ता
डा. गोपचन्द
डा. संतराम सेठ
शिवदयाल
सुदर्शन

श्रीराम शर्मा
कृष्ण गोपाल दत्त
अब्दुल हामिद खां सूफी
अब्दुलराव मियाँ
अब्दुल रहीम चौधरी
अब्दुल रहीम चौधरी
अफ़ज़ल अली हसनी
अहमद यार ख़ां चौधरी
अहमद यार ख़ां दौल्ताना
अकबर अली पीर
अली अकबर चौधरी
अल्लाबख्श खां
अमजद अली शाह
कैप्टेन आशिक़ हुसेन
बादर मोहीउद्दीन मियां
फ़ैय्याज़ मुहम्मद ख़ां
फ़ैय्याज मुहम्मद शेख़
फ़क़ीर हुसेन ख़ां चौधरी
फरमान अली ख़ां सूबेदार मेजर
राजा फ़तेह ख़ां
फ़तेह अहमद मियाँ
फ़तेह शेर ख़ां मालिक
फ़जल अली ख़ां
फ़ज्मयद्दीन
फ़जल करीम बख़्श
ग़ज़नफर अली ख़ां
गुलाम मुहीउद्दीन
गुलाम मुर्तजा ख़्वाजा
गुलाम कादिर खां
गुलाम रसूल चौधरी
हबी बुल्लाह ख़ां मालिक
हैबत खां दहा ख़ां
जहाँगीर ख़ां चौधरी
करामतअली शेख़
ख़िज़र हयात खां तिवाना मेजर
मक़बूल मुहम्मद मीर
मोहीउद्दीन लाल बादशाह पीर
मुबारकअली शाह
मुहम्मद अब्दुल रहमान ख़ां
मुम्हमद अकराम ख़ां
मुहम्मद अशरफ चौधरी
मुहम्मद फ़ैय्याज अली खां
मुहम्मद हुसेन
मुहम्मद हसन खां गुरचनी
मुहम्मद हुसेन मखदूम शेख़
मुहम्मद हुसेन सरदार
मुहम्मद हुसेन चौधरी
मुहम्मद इफ़्तिकार उद्दीन
मेजर मुहम्मद नवाज़ खां
मुहम्मद रजा शाह जीलानी
मुहम्मद शादत अली खां
मुहम्मद सरफ़ाज़ ख़ां चौधरी
मुहम्मद सरफराज़ ख़ा राजा
मुहम्मद शफ़ी अली ख़ां
मुहम्मद विलायत हुसेन
जीलानी मख़दूमज़ादा
मुहम्मद यासीन ख़ां चौधरी
मुहम्मद यूसुफ ख़ां
मुश्ताक़ अहमद गुरयानी
मुज़फ्फर अली ख़ां

मुज़फ्फर ख़ां कैप्टेन मालिक	चननसिंह
मुज़फ्फर ख़ां	दसुंधासिंह
नासिरुद्दीन चौधरी	गुरबचनसिंह
नासिरुद्दीनशाह पीर	हरीसिंह
राना नसुरुद्दीन ख़ां	हरजनसिंह
नवाज़िश अलीशाह	लेफ़्टीनेण्ट हरनामसिंह
नूर अहमद ख़ां	इंदरसिंह
मियां नुरुल्ला	जगजीतसिंह टिक्का
पीर मुहम्मद चौधरी	जोगीन्द्रसिंहमान
चौधरी रियासत अली	जोगीन्द्रसिंह
साहेबदाद ख़ां चौधरी	कबूलसिंह
सर शहाबुद्दीन चौधरी	कपूरसिंह
शहादत ख़ां	कर्त्तारसिंह
शाहनवाज़ ख़ां	लालसिंह
मियां सुल्तान मुहम्मद	नौरतनसिंह
तालिब हुसेन ख़ां	नौनिहालसिंह
उमर हयात ख़ाँ चौधरी	परतापसिंह
वली मुहम्मद सैय्याल	प्रेमसिंह
मियाँ अब्दुल अज़ीज़	प्रीतमसिंह
अब्दुलहै मियाँ	रूरसिंह
बरकत अली मालिक	सम्पूरनसिंह
गुलाम हुसेन ख़्वाजा	सोहनसिंह जोश
गुलाम समद ख़्वाजा	सुन्दरसिंह
ख़ालिद लतीफ़ गाबा	तारासिंह
अज़हर अली अज़हर	उत्तमसिंह
डा० मुहम्मद आलम	वसाखासिंह
डा० सैफुद्दीन किचलू	संतोखसिंह
अजितसिंह	उज्जलसिंह
बलदेवसिंह	जहान आरा शाहनवाज़
बलवन्तसिंह	श्रीमती पारवती जैचन्द

श्रीमती रघुबीर कौर
श्रीमती लतीफ़ रशीदा
जलाल दीन चौधरी
एस. पी. सिनहा
जगजीत सिंह
सर मुहम्मद जमाल खां
सर मुहम्मद हयात खां नून
मेजर सर सिकन्दर हयात खां
राजेन्द्रनाथ
अहमद बख़्श खां
चरमनलाल दीवान
सीताराम
बिन्दासरन
विलियम राबर्टस
ई. ह्यू
मनोहरलाल

उड़ीसा

क्षेत्रफल ३२,००० वर्गमील । जनसंख्या ५३,०६,१४२ ।

सं० १९३७ से उड़ीसा गवरनर के आधीन नया प्रान्त बनाया गया है। यह प्रान्त निर्धन है। व्यापार तथा कृषि में बहुत पिछड़ा हुआ है और इस प्रान्त के निवासियों का सबसे बड़ा आक्षेप यह था कि बिहार प्रान्त का अंग होने से इस भाग की ओर उपेक्षा की दृष्टि है। अब उन्नति होगी ऐसी आशा की जाती है, शासन के खर्च का भार किंतु काफी भारी है।

कोयला, लोहा, मेगनीज और अनेक खनिज पदार्थ मिलते हैं। चिलका और पूरी झील की मछलियां कलकत्ते को भेजी जाती हैं। गन्ना और जूट भी उत्पन्न होता है। भूमि कमज़ोर है। जलवायु भी अच्छा नहीं है सब प्रकार की उन्नति की बहुत आवश्यकता है।

भाषा उड़िया है। जन समाज प्राय: हिंदू है।

गवर्नर

हिज़ एक्सीलेंसी सर जान आस्टिन हबक

मंत्रीमंडल (कांग्रेस)

होम, फ़ायनेन्स, एड्यूकेशन एण्ड डिवलेपमेण्ट—श्रीयुत विश्वनाथ दास (प्रधान मंत्री)

रेवेन्यू एण्ड पब्लिक वर्कस—श्रीयुत नित्यानन्द क़ानूनगो

ला कामर्स, पब्लिक हेल्थ एण्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेण्ट—

श्रीयुत बोधराम दुबे

स्पीकर लेजिस्लेटिव असेम्बली—श्रीयुत मुकुन्दप्रसाद दास

डिपुटी स्पीकर—श्रीयुत नन्दकिशोर दास

एडवोकेट जनरल—श्रीयुत बी. के. राम

उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेम्बली

रामकृष्ण बोस	चक्रधर बेहेरा
विचित्रानन्द दास	निधीदास
अटलबिहारी आचार्य	जगन्नाथदास
किनाई सामल	नृपलाल सिंह
नबाकृष्ण चौधरी	बोधराम दुबे
नित्यानन्द क़ानूनगो	प्रह्लादराय लाठ
जदुमोनी मंगाराज	फ़कीरा बेहेरा
गोविन्दप्रसाद सिंह	बिसी गएडा
लोकनाथ मिश्र	लाल अनीत्रन देव
बीरकिशोर बेहरा	विश्वनाथ दास
द्वारकानाथ दास	रामचन्द्र मर्दराजा देवगुरु
नरायनचन्द्र धीर नरेन्द्र	मान्धाता गोराचन्द पटनायक
साधूचरन दास	गोविन्दो पोधानो
गिरजाभूषण दत्त	पुण्य नायको
मोहनदास	दिवाकर पटनायक
जगबन्धु सिनहा	श्री रामचन्द्र देवो
बीसी बेहेरा	वैश्यराजू काशी विश्वनाथम राजू
जगन्नाथ मिश्र	गोविन्दचन्द्र ठाटराज
प्राणनाथ पटनायक	कैप्टेन महाराजा श्रीकृष्णचन्द्र गजपति नरायन
गोदावरीस मिश्र	सदाशिबो त्रिपाठी महाशय
मुकुन्दप्रसाद दास	राधामोहन साहू महाशय
नन्दकिशोर दास	राधाकृष्ण विश्वासराय
चारु चन्द्र रे महाशय	

सैय्यद अहमद बख़्श
फ़ज़ले हक़
अब्दुस सोभान ख़ां
लतीफुर्रहमान
श्रीमती सरला देवी
श्रीमती ए. लक्ष्मीबाई
प्रेमनन्द मोहन्ती
रंगलाल
सर राजेन्द्रनरायण भांजा देव
राजा कृष्णचन्द्र मानसिंह हरीचंदन मर्दराज
पियारी शंकर राय
रेवरेण्ड ई. एम. इवान्स
हरीपानी सिन्हा
अराबोलू अप्पाला स्वामी नाइडू
राधा मोहन पाण्डा

मध्यप्रान्त (सेन्ट्रल प्राविन्सेज़)

क्षेत्रफल १७,८२४ ।　　जनसंख्या मध्यप्रान्त १,२०,६५,८५५ ।
　　　　　　　　　　　,, बरार ३४,४१,८३८ ।

इस प्रदेश का एक अंग बरार भी है जिसके मालिक निज़ाम (हैदराबाद) हैं किंतु शासन प्रबंध ब्रिटिश सरकार के हाथ में सं० १८५३ से है। सं० १९३६ की नई संधि द्वारा निजाम के युवराज "प्रिन्स, आफ बरार" कहलाने लगे। इसके अतिरिक्त अन्य अधिकार भी निजाम को प्राप्त हुये हैं।

इस प्रान्त की भूमि काली और उपजाऊ है। रुई मुख्य पदार्थ कृषि का है और लगभग ४६ प्रतिशत उपज इसी की है। गेहूं, ज्वार और तिलहन भी होता है। कोयला भी काफी मात्रा में पाया जाता है।

८० प्रतिशत हिंदू हैं। गौंड और भील (प्राचीन जातियों) का काफी समाज पहाड़ियों में बसता है। वे अपनी भाषायें बोलते हैं। प्रान्त के उत्तरी भाग में हिंदी और दक्षिणी भाग में मराठी बोली जाती है।

गवरनर

हिज़ एक्सलेंसी सर हाइड क्लेरण्डन गोवन

मंत्रीमंडल (कांग्रेस)

होम—श्रीयुत डा. एन. बी खरे (प्रधान मंत्री)

शिक्षा—श्रीयुत पं० आर. एस. शुक्ल

लोकल सेल्फ ग.—श्रीयुत डी.

पी. मिश्र

पब्लिक वर्कस—श्रीयुत आर. एम. देशमुख

क़ानून—श्रीयुत एम. बाई. शैरिफ़

फ़ायनेन्स—श्रीयुत डी. के. मेहता

रेवेन्यूऐएड इक्साइज़—श्रीयुत पी. बी. गोले

स्पीकर ले० असेम्बली—श्रीयुत जी. एस. गुप्ता

डिपुटी स्पीकर—श्रीमती अनसुइया बाई काले

सिविल सेक्रेटरीज़

चीफ़ सेक्रेटरी—सी. एफ. वाटरफाल

फ़ायनेन्स—सी. डी. देशमुख

लोकल सेल्फ ग.—जी. एस. भालजा

रेवेन्यू—सी. जे. डबलू. लिली

सेटेलमेंट—पी. एस. राऊ

लीगल—सी. आर. हेमोन

शिक्षा—एम. ओवेन

पी. डबलू. डी.—एच. ए. हाइड

फ़ायनेन्शल कमिश्नर—ज्योर्फ्रे पोनल वर्टन

मध्यप्रान्त लेजिस्लेटिव असेम्बली

बजरंग लहनू
सीताराभ लक्ष्मण पाटिल
भीकूलाल लक्ष्मीचन्द चण्डक
ए. एन. उधौजी
टी. जे. केदार
पुखराज कोचर
दशरथ लक्ष्मण पाटिल
आर. एस. दुबे
डी. बी. खोबरगेड
नीलकंठ यादवराव देवताले
धर्मराव भुजंगराव
दीपचन्द लक्ष्मीचन्द
बिहारीलाल दवेलाल पटेल
गुलाबचन्द चौधरी
जी. आर. जम्बोलकर
प्रभाकर डी. जातर
दुर्गाशंकर कृपाशंकर मेहता
द्वारका प्रसाद मिश्र
मतुआ चैनू मेहरा
काशी प्रसाद पाण्डे
एन. हनुमन्त राय
जी. के. लोकरस
जालम मोती
बसुदेवराव वेंक्टाराव
प्रेमशंकर लक्ष्मीशंकर धगत
भागीरथ राखन चौधरी
महेन्द्र लाल
लाल चूड़ामन शाह
अरजुन सिंह
दत्तात्रय भीखाजी नायक
शंकरलाल चौधरी
रामेश्वर अग्निभोज

भगवन्तराव अण्णाभाऊ मंडलोई
एम. आर. माजूमदार
अनन्तराम
महन्त पूरनदास सुद्दीन सतनामी
महन्त लक्ष्मी नरायनदास बैरागी
रविशंकर शुक्ल
महन्त नैनदास राजाराम सतनामी
जमना लाल तेजमल चौपड़ा
डा. ई. राघवेन्द्रराव
सुकीर्तिदास
रामगोपाल तिवारी
मुक्तावन दास अजब दास
अमरसिंह बैजनाथ सिंह सैगल
ठाकुर छेदीलाल
बहोरिक लेदवा रविदास
मोहनलाल प्रेमसुख खंडेलवाल
पोसू सतनानी
विश्वनाथ राव यादव राव तामस्कर
घनश्यामसिंह गुप्त
कन्हैयालाल
बद्रीनारायण अग्रवाल
गनपतराव पाण्डे
रघोबा गम्भीर घोड़ीचोर
वी. एम. जाकतदार
सुगंचन्द्र चुन्नीलाल
आर. ए. देशमुख
गनेशराव रामचन्द्र देशमुख
लक्ष्मण नारायण नाठे
गणेश आका जी गवई
भीमसिंह गोविन्दसिंह
केशव जानू जी
उम्मेद सिंह नारायण सिंह
विट्ठलराव नारायणराव जमादार
दिनकरराव यादोराव राजूकार
भीमराव हनमन्तराव जातकार
दौलत किशन भगत
नारायण बाला जी वोब्डे
एम. पी. कोल्ही
पन्धारी सीताराम पाटिल
लक्ष्मण श्रवण भातकर
तुकाराम शंकर पाटिल
कृष्णराव गनपतराव देशमुख
डा. नारायण भास्कर खरे
एल. एन. हरदास
चतुर्भुजभाई जसानी
कुशलचंद घासीराम खजांची
नर्मदा प्रसाद मिश्र
केशवराव रामचन्द्र राव खण्डेका
डा. जगन्नाथ गनपतराव
पियारेलाल सिंह
सम्भाजी राव वी. गोखले
पी. वी. गोले
मुहम्मद यूसुफ़ शरीफ़
सैय्यद हुसेन
अब्दुल रज़्ज़ाक ख़ां
इफ्तिकार अली
मजीउद्दीन अहमद
सैय्यद हिफ़ाजत अली
एस. डबलू. ए. रिज़वी
माहीउद्दीन ख़ां

हिदायत अली
मिर्जा रहमान वेग
सैयद अब्दुल रऊफ़ शाह
अब्दुल रहमान ख़ां
सैय्यद मुज़फ़्फ़र हुसेन
मुहम्मद मोहीब्बुल हक़
अन्सुथ्या बाई काले
श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान
श्रीमती दुर्गा बाई जोशी
रेवरेण्ड जी. सी. रोजर्स
एल. एच. वार्टलेट
उदेभान शाह
छंगालाल जैदेव प्रसाद भरूका
गोपालदास बुलाकीदास मोहटा
व्योहर राजेन्द्र सिनहा
माधव गंगाधर चितनाविस
आर. एम. देशमुख
गनपति सदाशिव पेज
के. आर. कालप्पा
वी. जी. खापरडे

उत्तर-पश्चिम सीमाप्रान्त

क्षेत्रफल ३६,३४६ वर्गमील जनसंख्या २४,२५,०७६।

यह प्रान्त अंग्रेजी राज्य ने १८४९ में हस्तगत किया। इसके मुख्य चार भाग हैं (१) दाराजात सीमा (२) कुर्रम घाटी (३) पेशावर सीमा (४) चितराल।

सारा प्रान्त पहाड़ी है। काबुल नदी, कुर्रम नदी, टोची नदी, और गोमल नदी, ऐसी चार नदियां हैं जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं किंतु गहरी व तेज़ होने के कारण खेती के लिये उपयोगी नहीं है।

जलवायु विषम है। डेरा इसमाइल खां अत्यंत गर्म है। पेशावर भी ऐसा ही है। किंतु जाड़ों में ३० और ३२ डिगरी के नीचे पारा चला जाता है।

वृष्टि बिलकुल कम है खेती केवल घाटियों में होती है। मुख्य फसलें गेहूं व जौ हैं। बाजरा और ज्वार भी होते हैं। कारखाने बिलकुल नहीं हैं।

९० प्रतिशत आबादी मुसलिम है। हिन्दू अल्प मात्रा में हैं।

स० १९०१ में प्रान्त नया बना और चीफ कमिश्नर के आधीन रक्खा गया। १९३२ में गवरनर के आधीन हुआ और उसे लेजिसलेटिव कौंसिल भी दीगई।

गवर्नर

हिज़ एक्सलेंसी सर जार्ज कनिंग्रम

मंत्रीमंडल (कांग्रेस)

होम—पोलीटिकल ऐण्ड पब्लिक वर्कस—श्रीयुत डा. ख़ां साहेब (प्रधान मंत्री)

शिक्षा—काजी अताउल्ला

अर्थ—भंजूराम गांधी

उद्योग—ख़ां अब्बास खां

स्पीकर लेजिस्लेटिव असेम्बली—मालिक खुदा वख़्श खां

डिप्टी स्पीकर—मुहम्मद सरवर ताहिर ख़ां

सिविल सिक्रेटरीज़

चीफ़ सेक्रेटरी—ए. जे. हायकिन्सन

उन्नति विभाग—जे. आर. एल. ब्रेडशा

होम—ए. एन. मिचेल

फ़ायनेन्स—चुन्नीलाल

ऐडवोकेट जनरल—एस. राजासिंह

पी. डबलू. डी.—जी. एम. रास

सीमाप्रान्त लेजिस्लेटिव असेम्बली

महरचन्द खन्ना

चीमल लाल

भंजूराम गांधी

डा. चारुचन्द्र घोष

जमनादास

ईश्वरदास

हुकुमचन्द

कन्वरभान

रोचीराम

अब्दुलराब खां

पीरवख्श ख़ां

ख़ुदा वख्श ख़ां

मुहम्मद जमा ख़ां

पीरमुनम्मद कामरा

अब्दुर्रहमान ख़ां

खां मुहम्मद सरवर ख़ां

अब्दुल मजीद ख़ां

सर साहेबज़ादा अब्दुल क़य्यूम ख़ां

खाँ मुहम्मद अब्बास खाँ

ख़ां मुहम्मद अत्ताई ख़ां

फ़क़ीरा ख़ां

क़ाजी अताउल्ला ख़ां

अरबाब अब्दुल ग़फ़ूर ख़ां

ख़ांअब्दुल ग़फ़ूर ख़ां

डा. ख़ां साहेब

अर्बब अब्दुर्रहमान ख़ां

मियां ज़ाफ़रशाह

ख़ां मुहम्मद शर्मीजान

ख़ां ज़ारिन ख़ां

ख़ां अमीर मुहम्मद ख़ां

ख़ां अब्दुल अज़ीज ख़ां	मुहम्मद जाफ़र खां
मियाँ जियाऊद्दीन	नबाब ज़ादा मुहम्मद सैय्यद खां
खां अज़ीजुल्ला ख़ां	असादुल्ला खां
ख़ां मालिकुर्रहमान	नबाब ज़ादा अल्लानवाज़ खां
पीर सैय्यद जलाल शाह	खां अब्दुल्ला खां
मुहम्मद अफज़ल ख़ां	अजित सिंह
कैप्टेन नवाब बाज़ मुहम्मद ख़ां	जगत सिंह
खां नसीरुल्ला खां	परमानन्द
खां अकबर अली ख़ां	सैदुल्ला खां
खां फ़ैजुल्ला खां	सरदार मुहम्मद औरंगजेब खां

आसाम

क्षेत्रफल ५५,०१४ वर्गमील   जनसंख्या ८६,२२,२५१

आसाम प्रान्त पहाड़ी प्रदेश है और उसकी घाटियां तथा पहाड़ियां जंगलों से अच्छादित हैं। इसके ४ भाग हैं (१) सूरमाघाटी (२) कछार घाटी और आसाम खास (३) पहाड़ी ज़िले जो समय २ पर अंग्रेजी राज्य में लाये गये। (४) पश्चिमी द्वार भाग जो भूटान के दक्षिण में है।

सन् १८७४ में यह प्रदेश चीफ़-कमिश्नर के आधीन किया गया और सन् १६०५ में पूर्वी बंगाल में जोड़ दिया गया अर्थात् जब कर्जन द्वारा वंगविच्छेद किया था जो सन् १६११ में रद्द हुआ। सन् १६१२ में पूर्वी बंगाल फिर पश्चिमी बंगाल से मिला दिया गया और आसाम नया प्रान्त बना दिया गया। सन् १६१६ में यह प्रान्त गवरनरी प्रान्त बनाया गया और सन् १६३७ से "स्वशासित प्रान्तों" में से है।

चाय और चावल मुख्य फसलें हैं। खानिज पदार्थों में पेट्रोलियम मुख्य है। रवड़ भी काफ़ी होती है।

इसके अन्तर्गत मणिपुर का राज्य है। इम्फल उसकी राजधानी है।

निवासी तिब्बत-ब्रह्मी जाति के हैं। ४३ प्रतिशत मनुष्य बंगाली और २१ प्रतिशत आसामी भाषा बोलते हैं। लगभग ५२ लाख हिन्दू हैं और २७-५ लाख मुसलमान हैं।

गवरनर

हिज़ एक्सीलेंसी सर राबर्ट नील रीड

मंत्रीमण्डल (संयुक्त)

होम फ़ायनेन्स ऐण्ड पब्लिक वर्क्‌स—सर मुहम्मद सैदुल्ला (प्रधान मन्त्री)

शिक्षा तथा जंगल—अबूनासर मुहम्मद वहीद

लोकल सेल्फ़ ग. ऐण्ड मेडिकल. पब्लिक हेल्थ, इक्साइज़ ऐण्ड लेजिस्लेटिव—रेवेरेण्ड जे. जे. एम. निकोलस रे

जुडीशल एण्ड रेवेन्यू—रोहिनी-कुमार चौधरी

कृषिउद्योग, कोआपरेटिव सोसाइटीज़—मौलवी मुहम्मदअली हैदर खां

स्पीकर लेजिस्लेटिव असेम्बली—श्रीयुत बसन्तकुमार दास

डिपुटी स्पीकर—मौलवी अमीनुद्दीन अहमद

प्रेसीडेंट लेजिस्लेटिव कौंसिल—मनमोहन लहरी

डिपुटी प्रेसीडेण्ट—श्रीमती ज़ुबेदा रहमान

सिविल सेक्रेटरीज़

चीफ़ सेक्रेटरी—सी. के. रोडस

फ़ायनेन्स एण्ड रेवेन्यू—ए.जी. पैटन, ए. बी. जोन्स

शिक्षा, लोकल सेल्फ़ ग.—सी. एस. मुलन, अबूनासर मुहम्मद सलेह

लेजिस्लेटिव विभाग—ए. एल. ब्लैक

सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव असेम्बली—आनन्द कान्त बरुआ

पी. डबलू. डी.—जी. रीड. शा

होम—टी. ई. फ़र्ज़,हादी हुसेन

आसाम लेजिस्लेटिव कौंसिल

अपूर्वकुमार घोष
सत्येन्द्रमोहन लहरी
मनमोहन लहरी
बालाबख़्श अगरवाला हंचोरिया
गज़ानन्द अगरवाला
रामेश्वर सहारिया
हेमचन्द्र दत्त
शरत चन्द्र भट्टाचार्य
मनमोहन चौधरी
सुरेशचन्द्र दास
अब्दुल है
तफ़ज़्ज़ुल हुसेन हज़ारीका

मुहम्मद असदउद्दीन चौधरी	अब्दुर्रहमान चौधरी
गौसुद्दीन अहमद चौधरी	एच. पी. ग्रे.
गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी	डबलू. ई. डी. कूपर

आसाम लेजिस्लेटिव असेम्बली

जोगेन्द्र नरायण मंडल	भुवनचन्द्र जोगोई
संतोष कुमार बरुआ	जादवप्रसाद चालिहा
अजित नरायण दबे	लखेश्वर बरुआ
परमानन्द दास	जोगेशचन्द्र गोहैन
जोगेन्द्रचन्द्र नाथ	रजनीकान्त बरुआ
घनश्याम दास	सर्बेश्वर बरुआ
कामेश्वर दास	अक्षयकुमार दास
गौरीकान्त तालुक़दार	करुणासिंधुराय
सिद्धनाथ शर्मा	बिपिनबिहारी दास
जोगेन्द्र नाथ बरुआ	शिबेन्द्रचन्द्र विश्वास
बेलीराम दास	प्रमोद चन्द्रदत्त
रोहिनी कुमार चौधरी	दक्षिणारंजन गुप्त चौधरी
गोपीनाथ बारडोलोई	ललितमोहन कर
पुरन्दर शर्मा	बसन्तकुमार दास
बिपिनचन्द्र मेधी	हरेन्द्रनारायण चौधरी
श्रोमेयो कुमार दास	क्षिरोदचन्द्र देव
महादेव शर्मा	बालाराम सरकार
हलधर भुयन	कामिनीकुमार सेन
मोहीचन्द्र बोरा	हीरेन्द्रचन्द्र चक्रवर्ती
पूर्णचन्द्र शर्मा	अरुणकुमार चन्दा
डा. महेन्द्रनाथ सैकिया	कालाचन्द्र राय नामसूद्र
राजेन्द्रनाथ बरुआ	गयासुद्दीन अहमद
शंकरचन्द्र बरुआ	अब्दुल हमीद
कृष्णनाथ शर्मा	जहानुद्दीन अहमद
रामनाथ दास	मोतियर रहमान
देवेश्वरशर्मा	मुहम्मद अहमद अली

सैय्यद अब्दुर्रऊ
सर मुहम्मद सैदुल्ला
फ़क़ीररुद्दीन अली अहमद
शेख उस्मान अली सादागर
मुहम्मद अमीरुद्दीन
बदरुद्दीन अहमद
करामत अली
सईदुर्रहमान
मुहम्मद मक़बूल हुसेन चौधरी
मुनव्वर अली
दीवान मुहम्मद अहवाब चौधरी
अब्दुलबारी चौधरी
दीवान अली राजा
मुदव्वर हुसेन चौधरी
असरफउद्दीन चौधरी
अब्दुर्रहमान
नजीरुद्दीन अहमद
अब्दुल अज़ीज़
मुहम्मद अली हैदरख़ां
शमसुलउलेमा अबूनासर मुहम्मद वहीद
अब्दुस्सलाम
दीवान एक्लीयूर रोज़ा चौधरी
अब्दुल मातिन चौधरी
मौलवी मुफ़ीजुर्रहमान
मुबारक अली
हाजी अब्दुल मजीद चौधरी
मुहम्मद अली
मज़रूफ़ अली लश्कर

नामवर अली बड़भइया
मिस मेविस डन
विलियम फ़्लेमिंग
कमफर्ट गोल्डस्मिथ
रूपनाथ ब्रह्मा
रवीचन्द्र कचारी
करका मीरी
धीरसिंह देउरी
बेंजामिन मोमिन
जोबान मारक
रेवेण्ड जे. जे. एम. निकालेस-राय
रेवेण्ड एल गटपोह
खोरसिंह तेरंग माज़ूमदार
फ्रेडीरिक बेस्टन हाकेन हल
लेज़लीआर्डेन रोफ़े
डोनैल्ड ब्राकहोल्स हार्वेभूर
लायनेल जेम्स गाडविन
जान रिचार्ड क्रुटन
अरनाल्ड बेललैमी बेड़ो
आर्थर फ्रेडेरिक बेण्डाली
नवाकुमार दत्त
वैद्यनाथ मुकर्जी
विलियम रिचार्ड फाल
केदारमल ब्राह्मण
विदेशी मानहंती
भैरवचन्द्र दास
विनोदकुमार जे. सरवन
परमेश्वर पारिदा अहीर

दिल्ली

क्षेत्रफल ५७३ वर्गमील जनसंख्या ६३६२४५

यह प्रान्त स० १६१२ में दरबार के समय बनाया गया। नई दिल्ली भारत की वर्तमान राजधानी करोड़ों रुपया लगाकर बड़ी सुन्दरता से बनाई गई है। एसेम्बली भवन और वाइसराय का निवासस्थान यहीं है। शासन चीफ़ कमिश्नर के हाथ में है।

चीफ़ कमिश्नर

मि० ई. एम. जेनकिन्स सी. एस. आई.

बिलोचिस्तान

क्षेत्रफल १,३४,६३८ वर्गमील। जनसंख्या ४,६३,५०८।

बिलोचिस्तान पहाड़ी प्रदेश है और कुछ भाग इसके रेगिस्तान हैं। वृष्टि का वार्षिक औसत केवल ५ इंच है। गेहूं, खजूर, अंगूर और तरबूज मुख्यतः उत्पन्न होते हैं।

समाज सब मुसलिम है और स्थाई निवास नहीं रखते हैं।

प्रान्त का शासन एक चीफ कमिश्नर और एक एजेन्ट टू दी गवरनर - जनरल द्वारा होता है। उनकी सहायता के लिये "जिरगा" अर्थात् जातियों की सभायें हैं जो जातियों के कानून द्वारा परस्पर झगड़ों को निपटारा करती हैं।

सं० १६३५ के मई मास में भयंकर भूकम्प के कारण क्वेटा नगर विध्वंस हो गया और लगभग ३०,००० मनुष्य नाश को प्राप्त हुये।

चीफ कमिश्नर

लेफ्टीनेन्ट कर्नल ए. ई. वी. पारसन्स

रेवेन्यू ऐण्ड जुडीशल कमिश्नर—आर. ई. एल. विंगेट

चीफ कमिश्नर्स सेक्रेटरी—आई. डबलू. गलब्रेथ

चीफकमिश्नर्स पर्सनल असिस्टेण्ट—ले. डी. एच. बिस्को

पी. डबलू. डी.—ब्रिग्रेडियर ई. एफ. एस. डासन

पोलीटिकल एजेण्ट ऐण्ड डिपुटी कमिश्नर—मेजर सी. ई. यू. ब्रेमनेर

असिस्टेण्ट—ए एस. बी. शाह

कुर्ग

क्षेत्रफल १,५९३ वर्गमील । जनसंख्या १,६३,३२७ ।

चीफ़ कमिश्नर—लेफ्टीनेण्ट सी. टी. सी. प्लोडेन

अजमेर मारवाड़

क्षेत्रफल २,७११ वर्गमील । जनसंख्या ५,६०,२९२

चीफ़ कमिश्नर—आन. मि. ए. सी. लोथियन

अण्डमन नीकोवार

चीफ़ कमिश्नर—डबलू. ए. कासग्रेव

अदन

गवर्नर एण्ड कमाण्डरइनचीफ़—लेफ़्टीनेण्ट कर्नल सर बर्नर्ड राडन रेली

अफ़सर हवाई सेना—एयर कोमोडोर डबलू. ए. मेकलाही

चीफ़जस्टिस—जे. टेलर लारेन्स

पोलीटिकल सेक्रेटरी—लेफ़्टीनेण्ट कर्नल एम. सी. लेक
सिविल सेक्रेटरी—मेजर एम. सी. सिमक्वेयर
फ़ायनेन्स आफ़ीसर—ए मछ्-मोर ।

फ्रेंच भारतीय प्रदेश ।

चेत्रफल २०३ वर्गमील जनसंख्या २,८६,४१०

फ्रान्स के आधीन जो भारतीय प्रदेश है उसके पाँच भाग हैं (१) पांडचेरी, कारोमंडल किनारे पर, (२) कारीकल, तंजोर के पास (३) चंद्रनगर, कलकत्ते के पास, (४) माही, मलावार किनारे पर, (५) यानांव, गोदावरी के मुख पर ।

इन पांचों प्रान्तों का शासन एक लेजिस्लेटिव कौंसिल के हाथ में है । पांडीचेरी में गवरनर रहता है । पेरिस की पार्लमेंट में एक सीनेटर और एक डिपटी चुन कर जाता है । शासन प्रजातंत्री है और सब प्रजा को समानाधिकर हैं ।

पांडीचेरी में ५ रुई की मिलें हैं ।

पुर्तगाली भारतीय प्रदेश

भारत में पुर्तगाल के तीन प्रदेश हैं—(१) गोवा, जिसके साथ अंगीदिवा, साउ जार्जे, और मोरसीगोस तीन द्वीप मलावार किनारे पर, (२) डामन, गुजरात किनारे पर ददारा तथा नागर अवेली प्रदेश सहित और (३) ड्यू, काठियावाड़ किनारे पर गोकोला और साम्बोर सहित ।

चेत्रफल १६३७ वर्गमील और जनसंख्या ५,७६,६६६ है ।

पुर्तगाली भारतीय प्रदेश एक गवरनर जनरल के आधीन है जो "पांजिम" अथवा "नोवागोआ" (स्थान) राजधानी में रहता है और उसके आधीन १ लेफ़्टिनेंट गवरनर डामन में और १ ड्यू में रहता है

एक लेजिसलेटिव कौंसिल भी है जिसमें गवरनर जनरल (प्रेसीडेण्ट), सरकारी पदाधिकारी, ५ चुने हुये सदस्य, और ५ गवरनर जनरल द्वारा नियोजित सदस्य होते हैं ।

इस प्रदेश के निवासियों को पुर्तगाल में समानाधिकार प्राप्त हैं और अनेक निवासी पुर्तगाल में उच्चपदों पर नियुक्त होते रहते हैं। यही कारण मालूम होता है कि इस पुर्तगाली प्रदेश में शासन सम्बन्धी अशांति नहीं है।

मोरमुगाउ बन्दरगाह बड़ा ही उन्नतिशील है। एम. एंड एस. एम. रेलवे जिस प्रदेश में चलती है वहां का केवल यही जलमार्ग विदेशों के लिये हैं। नारियल, मछली, [illegible], नमक आदि पदार्थ विदेशों को जाते हैं।

भारत में शिक्षा प्रसार ।

भारत में शिक्षा प्रसार ।

इस अध्याय में केवल अंग्रेजी शासन काल में जो शिक्षा प्रसार भारत में हुआ है वह दिया जाता है ।

ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारतियों की शिक्षा की ओर कुछ ध्यान नहीं दिया सन १७८२ में वारनहेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा मुसलमानों के लिये खोला और सन १७९१ में बनारस संस्कृत कालेज खोला । सन् १८१३ ऐक्ट द्वारा भी जो यह नियम बना कि कम्पनी को चाहिये कि कम से १ लाख रूपया प्रतिवर्ष शिक्षा में खर्च करे उसका भी उपयोग नहीं हुआ । सं० १८१६ में डेविड हेवट (एक अंग्रेज घड़ी साज) ने राजा राम मोहन राय की सहायता से एक हिन्दू कालेज खोला । ईसाइयों और हिन्दुओं दोनों की इस पर अश्रद्धा थी किन्तु धीरे २ उसकी उपयुक्तता प्रतीत होने लगी । पब्लिक इन्सट्रकशन्स कमेटी (बंगाल) ने भी १५ साल बाद रिपोर्ट दी कि अंग्रेजी शिक्षा के लिये रुचि बढ़ रही है । बम्बई में ऐलफिंसटन कालेज वहां के गवरनर की स्मृति में खोला गया और १८६५ में कलकत्ता मेडिकल कालेज खोला गया । मृतक की चीर फाड़ कठिनाई रूप में खड़ी हो गई क्योंकि हिन्दू छात्र इस कार्य के लिये तैयार नहीं थे किन्तु श्री मधुसूदन दास और कुछ अन्य विद्यार्थियों ने यह कार्य आरम्भ कर दिया । कैरी, मारशमैन और वार्ड ने स० १८१८ में मिशनरी कालेज सीरामपुर में खोला किन्तु अलेकजेंडर डफ पादरी ने कलकत्ते में साधारण कालेज खोला जिसमें ईसाई धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी । मद्रास क्रिश्चियन कालेज भी १८३७ में खोला गया । बम्बई में सं० १८३४ में विलसन स्कूल (फिरकालेज हुआ) स्थापित किया गया ।

इस समय गवर्मेंट ऑफ इंडिया के पदाधिकारयों में पाश्चात्य शिक्षा भारत में चलाई जावे या भारत को भारतीय भाषाओं की शिक्षा ही दी

जावे ऐसा बड़े ज़ोरों का बिवाद कई साल तक चला। अंत में सं० १८३५ में लार्ड मेकाले ने यह तै कर दिया कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा ही दी जावे।

स० १८५४ में सर चार्लीस वुड, प्रेसीडेन्ट बोर्ड आफ कंट्रोल ने अपना प्रसिद्ध खलीता भेजा जिसके द्वारा कलकत्ता में यूनिवर्सिटी कायम हो गई शिक्षा विभाग हर प्रांत में स्थापित किये गये और गैर सरकारी स्कूलों को सहायता दिये जाने का नियम बनाया गया।

स० १८५८ में बम्बई और मद्रास यूनिवर्सिटियां कायम की गईं और शिक्षा-संबन्धी एक दूसरा खलीता भी महारानी विक्टोरिया की ओर से जारी किया गया।

स० १८८२ में एक 'शिक्षा कमीशन' कायम किया गया जिसने शैक्षणिक संस्थाओं की जांच की। स० १८५५-५६ में कुल पाठशालायें ५०,९९८ थीं और छात्र ९,२३,७८० थे, और स० १८८२ में पाठशालायें १,१४,१०९ थीं और विद्यार्थी २६,४३,९७८ थे। कमीशन ने सार्वजनिक शिक्षा पर जोर दिया और उच्च शिक्षा की सहायता बन्द कर दी। इस नीति का परिणाम अनिष्टकारक हुआ। थोड़े दिनों बाद प्राथमिक शिक्षा म्युनिस्पेलिटियों और ज़िला बोर्डों को दे दी गई। लार्ड रिपन ने पंजाब यूनिवर्सिटी स० १८८२ में आरम्भ की। और सन् १८८७ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कायम हुई।

इस ज़माने में भारतीय राजनैतिक आन्दोलन आरम्भ हो गया और भारतियों ने अपने स्वत्वों की मांग करना आरम्भ कर दिया। इस कारण लार्ड कर्जन ने शिक्षा नीति में परिवर्तन कर दिया। स० १९०१ में उन्होंने शिमला में एक कान्फ्रेंस की जिसमें केवल अंग्रेज़ ही बुलाये गए और कार्यवाही गुप्त रक्खी गई। इसके बाद स० १९०२ में एक दूसरा "यूनिवर्सिटी कमीशन" नियत हुआ जिसने यूनिवर्सिटियों को सरकारी मुहकमा बना दिया। स० १९०४ में एक यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पास हुआ। चांसलरों को अधिकार मिल गया कि सिनेट के ८० प्रतिशत मेम्बरों को स्वयं नियत करें और बाक़ी के लिए भी उनकी अनुमति जरूरी रक्खी गई। यूनीवर्सिटी के आधीन स्कूलों का निरीक्षण सरकारी शिक्षा विभाग के हाथ में दिया गया। यूनिवर्सिटी के सब प्रस्तावों और स्कूलों की सम्बन्धता (Affiliation) के निर्णय भी

सरकारी अनुमति के आधीन कर दिये गये। स० १९१७ में कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन (सैडलर कमीशन) नियुक्त हुआ जिसने अनेक सिफारशें कीं जो जनता के लिये हानिकारक ही सिद्ध हुईं। ढाका में एक यूनिवर्सिटी (जो शिक्षा दे केवल परीक्षा ही न ले) कायम हुई।

इंटरमीडियेट कालेज--कलकत्ता यूनिवर्सिटीकमीशन के फलस्वरूप लखनऊ, इलाहाबाद और ढाका यूनिवर्सिटियों से इंटरमीडियेट क्लासों की शिक्षा ले ली गई और अलग एक वोर्ड के हाथों में दे दी गई।

इसके पश्चात् अनेक यूनिवर्सिटियां और भी कायम हुई हैं। इनका व्योरा नीचे दिया जाता है—

नाम	ऐक्टों की साल	क्षेत्र
१—कलकत्ता	१८५७, १९०४, १९०५, १९२१	बंगाल आसाम और कुछ देशी राज्य
२—बम्बई	१८५७, १९०४, १९०५	बम्बई प्रान्त और कुल देशी राज्य (बड़ौदा आदि)
३—मद्रास	१८५७, १९०४, १९०५, १९२३	मद्रास प्रान्त (कुर्ग तैलंग प्रदेश छोड़कर)
४—पंजाब	१८८२, १९०४, १९०५	पंजाब सीमाप्रान्त बिलोचिस्तान और कुछ देशी राज्य
५—इलाहाबाद	१८८७, १९०४, १९०५, १९२१	(शैक्षणिक)
६—बनारस	अक्टूबर १९१५	बनारस जिला
७—मैसूर	जुलाई १९१६	मैसूर राज्य
८—पटना	सितम्बर १९१७, १९२३	बिहार उड़ीसा और कुछ राज्य
९—उसमानिया (निजाम प्रदेश)	१९१८	हैदराबाद
१०—ढाका	अप्रैल १९२०	५ मील (यूनीटरी)
११—अलीगढ़ मुसलिम	सितंवर १९२०	१० (यूनिटरी)
१२—रंगून	१९२०, १९२४	ब्रह्मदेश
१३—लखनऊ	नवम्बर १९२०	(शैक्षणिक)
१४—दिल्ली	मार्च १९२२	दिल्ली

१५—नागपुर	जनवरी १९२३	सी. पी. बरार
१६—आंध्र	जनवरी १९२६	तैलंग प्रदेश (मद्रास)
१७—आगरा	१९२७	राजपूताना ग्वालियर तथा कुछ भाग संयुक्तप्रांत
१८—अन्नामलइ	१९२९	यूनिटरी

हारटोग कमेटी।

सायमन कमीशन के साथ एक कमेटी शिक्षा-सम्बन्धी जांच के लिये नियुक्त हुई थी जिसके निम्नलिखित सदस्य थे।

१—सर फिलिप हारटोग अध्यक्ष
२—सर एम्हर्स्ट सेलवी बिग
३—सर सैयद सुलतान अहमद
४—सर जार्ज ऐण्डर्सन
५—मिसेज मुथु लक्ष्मी रेडी

इस कमेटी की रिपोर्ट सन १९-२९ में प्रकाशित हुई।

शिक्षा का माध्यम स्कूलों में प्रायः प्रान्तीय भाषाओं में होगया। यद्यपि अंग्रेज़ी भाषा भी हाइ स्कूलों में अनिवार्य विषयों में है। यूनिवर्सिटी शिक्षा में माध्यम अभी तक अंग्रेज़ी है। प्रान्तीय सरकारें प्रयत्न कर रही हैं कि यहां भी माध्यम प्रान्तीय भाषा हो किंतु अभी कोई संतोषजनक निर्णय नहीं किया गया है।

१—हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस

हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस की स्थापना का श्रेय पूज्यपाद पं० मदन-मोहन मालवीय को ही है। कल्पना भी उन्हीं ही की है और जिन कठिनाइयों का सामना करके उन्होंने इस विश्वविद्यालय को खड़ा कर दिया उन्हें केवल वही बता सकते हैं। उन्होंने १ करोड़ रुपया इकट्ठा करने का संकल्प किया और देश भर में घूम २ कर धन एकत्र किया अन्य यूनिवर्सिटियों की भांति यह संस्था सरकारी प्रसाद नहीं है। सारे भारतवर्ष के गरीब अमीर छोटे बड़े सब का इस संस्था की स्थापना और उत्कर्ष में हाथ है।

भारत के अनेक देशी राज्य रजवाड़ों ने इसे सहायता दी है। महाराजा मैसूर ने सबसे अधिक धन दिया है महाराजा बनारस ने ज़मीन दी है और महाराजा दरभङ्गा ने धन, शारीरिक परिश्रम और उद्योग भी इस विश्वविद्यालय को दिया है।

यूनिवर्सिटी का संचालन इस प्रकार है—

(१) कोर्ट—कुल प्रबन्धक कार्य इसके हाथ में हैं। कोर्ट की एक कार्य - कारिणी कमेटी भी है जिसे कौंसिल कहते हैं।

(२) सिनेट—कुल शिक्षा कार्य का प्रबन्ध इस कमेटी के हाथ में है। इसकी एक कार्यकारिणी सभा है जिसे सिण्डीकेट कहते हैं।

सितम्बर १९१५ में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बिल पास हुआ और १ अक्टूबर १९१७ को बनारस का सेन्ट्रल हिन्दू कालेज इस यूनिवर्सिटी में माने जाने की घोषणा की गई।

हिन्दू धार्मिक शिक्षा इस संस्था में दी जाती है किन्तु सब धर्म के छात्र लिये जाते हैं। भारतवर्ष भर में स्कूल इससे सम्बद्धित हो सकते हैं।

२—मैसूर यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी सन् १९१६ में एक ऐक्ट द्वारा मैसूर राज्य में शिक्षा की उन्नति के उद्देश्य से आरम्भ की गई। यूनिवर्सिटी के चान्सलर महाराजा मैसूर हैं और पुरानी यूनिवर्सिटियों की तरह ही इस की संचालन विधि है। सीनेट में कम से कम ५० और अधिक से अधिक ६० मेम्बर हो सकते हैं। नवीनता यह है कि सब प्रोफेसरों को सदस्यता स्वयम् प्राप्त हो जाती है।

मैसूर के शिक्षा विभाग की ३० जून १९२६ को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट से विदित होता है कि इस वर्ष में विद्यालयों की संख्या ८७२२ से ९०८४ और शिक्षार्थियों की २८७३९४ से ३०३०९२ होगई थी। प्रति ३.२४वर्गमील में ६४५ जन संख्या पीछे एक विद्यालय था। विद्यालय जाने योग्य प्रतिशत बालकों तथा बालिकाओं में क्रमशः ६५.०२ और १३.१४ बालक और बालिकायें शिक्षा प्राप्त करती हैं। गत वर्ष यह संख्यायें क्रमशः ५२.३० और १२.४८ थीं। गत वर्ष २० मनुष्य पीछे एक शिक्षार्थी था, इस वर्ष यह अनुपात १९ और १ का रहा। यह औसत ब्रिटिश भारत के अधिकांश प्रान्तों से अधिक है। व्यक्ति पीछे शिक्षा के लिये वहां बारह आना व्यय पड़ा।

३—अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी

यह संस्था सर सैय्यद अहमद के परिश्रमों का फल है। मुसलमानों की शिक्षा का सुप्रबन्ध होना चाहिये इस उद्देश्य से उन्होंने १८७५ में एक स्कूल खोला जो तीन वर्ष के बाद मुहमडन ऐंग्लो ओरियण्टल कालेज में परिवर्तित हो गया। उसके पश्चात् अनेक वर्षों तक इस संस्था को यूनिवर्सिटी बनाने का प्रयत्न जारी रहा। सन् १९११ में आगाखां ने बहुत सा रुपया जमा किया और संचालन विधि का मसौदा भी बनाया। किन्तु सेक्रेटरी आफ स्टेट ने मन्जूर नहीं किया और विशेषतः

इस प्रश्न पर कि यूनिवर्सिटी को भारत भर में स्कूल व कालेज सम्बन्ध करने का अधिकार दिया जावे। उन्हों ने अपना मत विरुद्ध प्रकट किया। और ऐसा ही मत भारत सरकार ने प्रदर्शित किया। ता० १५ अक्टूबर १९१५ को मुसलिम यूनिवर्सिटी के ऐसोसियेशन की एक सभा राजा महमूदाबाद के सभापतित्व में हुई जिसमें यह प्रस्ताव पास हुआ कि मुसलिम यूनिवर्सिटी फौंडेशन (स्थापना) कमेटी से सिफारिश की जावे कि यह हिन्दू यूनिवर्सिटी को जैसी सुविधायें प्राप्त हैं वही मंजूर कर ले। यह भी उस समय स्पष्ट हुआ कि अनेक मुसलमान इस सिफारिश को पसन्द नहीं करते थे।

अप्रैल १९१७ में स्थापना कमेटी ने इस आशय का प्रस्ताव पास किया—भारत सरकार के शिक्षा विभाग की चिट्ठी नं० ९९ डी० ओ० दिल्ली १७ फरवरी १९१७ पर विचार करते हुये स्थापना कमेटी तै करती है कि हिन्दू यूनिवर्सिटी के ढङ्ग पर मुसलिम यूनिवर्सिटी का स्वरूप मंजूर करने पर वह तैयार है और लखनऊ की मीटिंग में बनाई हुई रेगूलेशन कमेटी व प्रेसीडेन्ट और सेक्रेटरी मुसलिम यूनिवर्सिटी एसोसियेशन को स्थापना कमेटी अधिकार देती है कि भारत सरकार के शिक्षा सदस्य से परामर्श करके इम्पीरियल कौंसिल में मुसलिम यूनिवर्सिटी बिल पेश करें।

उपरोक्त बिल सितम्बर १९२० में पास हुआ और १ दिसम्बर १९२१ में जारी हुआ।

४—कलकत्ता यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी स० १८५७ में सरकार द्वारा स्थापित हुई। स० १९०४ स० १९०५ और स० १९२१ में अनेक परिवर्तन हुये। स० १९०४ व स० १९०५ में पोस्ट ग्रेजुएट (बी. ए. के बाद) अध्ययन किये जाने का कार्य आरम्भ हुआ। इस यूनिवर्सिटी को उन्नति के शिखर पर पहुँचाने का श्रेय श्रीयुत आशुतोष मुकर्जी को है जिन्होंने अनेक वर्षों तक निस्पृहता से वाइस चांसलर का कार्य किया और अनेक विद्वानों का संग्रह किया तथा अनेक पुस्तकें विद्वानों से तैयार कराई।

५—मद्रास यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी भी स० १८५७ में स्थापित हुई और स० १९०४, १९०५ और १९२३ के ऐक्टों द्वारा अनेक परिवर्तन उसके कार्य प्रणाली में हुये। इसका संचालन कलकत्ता यूनिवर्सिटी की तरह है।

६—बम्बई यूनिवर्सिटी

यह भी १८५७ में कायम हुई और

सं० १६०४ व १६०५ के एक्टों द्वारा इसके संचालन में परिवर्तन किया गया।

७—पंजाब यूनिवर्सिटी

यह यूनिवर्सिटी सं० १८८२ में कायम हुई और उसके सञ्चालन विधि में १६०४ व १६०५ में परिवर्तन हुआ।

८—इलाहाबाद यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी १८८७ में कायम हुई। सं० १६०४—१६०५ में परिवर्तन हुआ। सं० १६२१ के ऐक्ट द्वारा यह यूनिवर्सिटी रेसीडेन्शल हो गई अर्थात् केवल इलाहाबाद ही में उसका कार्य क्षेत्र रह गया और उसका कार्य पढ़ाने का हो गया। अब यह केवल परीक्षा संस्था नहीं है। इस यूनिवर्सिटी में से लखनऊ (१६२०) और नागपुर (१६२३) आगरा (१६२८), बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी (१६१५) और अलीगढ़ (१६२०) में अलग हो गई।

९—पटना यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से सं० १६१७ में अलग हुई। इसमें कुछ परिवर्तन १६२३ में हुये।

१०—ढाका यूनिवर्सिटी

यह यूनिवर्सिटी अप्रैल १६२० में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से अलग होकर कायम हुई।

१०—दिल्ली यूनिवर्सिटी

पञ्जाब यूनिवर्सिटी का कुछ क्षेत्र अलग करके दिल्ली यूनिवर्सिटी सन् १६२२ में कायम की गई।

१२—नागपुर यूनिवर्सिटी

यह यूनिवर्सिटी सं० १६२३ में कायम हुई। सी. पी. तथा बरार इसका कार्यक्षेत्र है।

१३—आंध्र यूनिवर्सिटी

जनवरी १६२६ में यह यूनिवर्सिटी कायम हुई। मद्रास यूनिवर्सिटी का कुछ भाग अलहदा कर दिया गया है।

१४—आगरा यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी १६२८ में आरम्भ हुई है।

१५—उसमानिया यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी हैदराबाद (निज़ाम) प्रांत में सं० १६१८ में कायम हुई। इस यूनिवर्सिटी का माध्यम उर्दू भाषा है।

१६—रंगून यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी सं० १६२३ (जून) में कायम हुई।

१७—लखनऊ यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी सं० १६२० (नवम्बर) में कायम हुई।

१८—अन्नमालई यूनिवर्सिटी।

यह यूनिवर्सिटी चिदम्बराय स्थान में राजा सर अन्नमकट्ट चेटी के उदार दान (२० लाख रू०) द्वारा सं० १६२६ में स्थापित हुई।

१६—इण्डियन विमेन्स यूनिवर्सिटी

प्रोफेसर धोंडूकेशव कर्वे ने स० १८६६ में हिन्दू विधवा आश्रम पूना में स्थापित किया और फिर उसे हिंगणों स्थान पर जो पूना के करीब है, ले गये। वहीं पर वह अब भी है। स्थापना के समय शिष्य संख्या केवल २ थीं किन्तु स० १६१५ तक बढ़ कर वह काफी बड़ी हो गई। स० १६१५ में जब प्रो० कर्वे भारतीय सामाजिक कान्फ्रेन्स के सभापति हुये उस समय उन्होंने अपने विचार स्त्रियों के लिये यूनिवर्सिटी संबंधी प्रकट किये। स० १६१६ में प्रो० कर्वे ने भारत में भ्रमण करके २००० सज्जनों की सहायता प्राप्त की। जून १६१६ में प्रथम सिनेट की बैठक हुई जिसके (चांसलर) सभापति सर रामकृष्ण भांडारकर और वाइसचांसलर प्रो० रघुनाथ पुरुषोतम परांजपे हुये। प्रारंभिक संचालन विधि बनाई गई और पाठ्यक्रम भी निश्चित किया गया। विधवाश्राश्रम (हिंगणों) को इस संस्था से सम्बद्धित कर दिया। ५ जुलाई १६१६ को प्रथम कालेज ४ विद्यार्थियों से खोला गया।

सिनेट के सदस्य-पद चुनाव द्वारा भरे जाने का प्रथम से ही निश्चय किया गया।

संस्था में मुख्य नियम यह है कि कुल शिक्षा की माध्यम देशी भाषायें हैं और पाठ्यक्रम में यह विशेषता रक्खी गई है कि स्त्रीवर्ग के लिये उपयोगी विषय, पाकशास्त्र, बालचिकित्सा इत्यादि अन्य विषयों के साथ पढ़ाये जाते हैं।

स० १६१६ से १६१६ तक यूनीवर्सिटी का संघठन हुआ। स० १६२० में सर विट्ठलदास डी० ठाकरसी ने यूनीवर्सिटी को सालाना ५२,५०० रुपये की आमदनी (जो १५ लाख रुपये के सरकारी प्रोनोटों पर साढ़े तीन प्रतिशत के हिसाब से होता है) प्रदान की और कुछ शर्तें भी लगाई जिनमें से मुख्य यह थीं (१) इस संस्था के नाम के पहिले नाथीबाई दामोदर ठाकरसी लगा दिया जावे (२) यूनिवर्सिटी का मुख्य स्थान पूना से बम्बई तबदील कर दिया जावे। (३) कुछ बातें पूरी होने पर असल रुपया १५ लाख भी यूनिवर्सिटी को मिल जावेगा।

सेठ मूलराज खटाव ने ३५००० रु० स्त्रियों के बोर्डिङ्ग हौस के लिये दिया है। और स० १६१६ से १६२६ तक यूनिवर्सिटी ने २ लाख ७२ हजार रुपया की सहायता प्राप्त की है।

स० १६२० में एक कालेज और दो स्कूल गुजरात के इससे सम्बन्धित

हुये। इस समय तक सैकड़ों स्त्रियां ग्रेजुयेट हो चुकी हैं।

इस संस्था के प्राण वास्तव में प्रो० कर्वे हैं। उन्हीं के परिश्रमों से यह संस्था इस रूप को प्राप्त हुई है।

राष्ट्रीय विद्यालय।

गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी।

इस संस्था की स्थापना का निश्चय आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब ने २६ नवम्बर १८६८ ई० के अधिवेशन में किया था। असली संस्थापक महात्मा मुंशीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) ही को कहना चाहिये। उन्हीं के प्रयत्नों से मार्च १६०२ को वैदिक संस्कृति को पुनरुज्जीवित करने वाली यह संस्था स्थापित हुई। यह निश्चित हुआ था कि संस्था के लिये ३० हज़ार रुपया पहिले मिलने का अभिवचन मिलना चाहिये और ८,००० रुपया नकद मिल जावे तब संस्था का आरंभ हो। महात्मा मुंशीराम तारीख २६ अगस्त १८६६ को यह भीष्म प्रतिज्ञा करके निकले कि जब तक ३०,००० रुपया न लाऊँगा घर लौटकर न आऊँगा और फल यह हुआ कि ७ मास में ३०,००० रुपया एकत्रित हो गया। स्वर्ग वासी दानवीर मुं० अमनसिंह ने अपना पूरा ग्राम कांगड़ी दान में दे दिया। जिसमें १२०० पक्के बीघे हैं।

यह गुरुकुल प्राथमिक ४ श्रेणियों से आरम्भ किया गया। स० १६०८ में महाविद्यालय और १६११ में विश्व-विद्यालय का इसने रूप धारण किया।

स० १६२३ में वेद महाविद्यालय और आयुर्वेद महाविद्यालय भी खोले गये। अब तक इस गुरुकुल की ६ शाखायें खुल चुकी हैं।

नाम गुरुकुल	स्थापना,
१—मुलतान	१३ फरवरी १६०६
२—कुरुक्षेत्र	१ बैसाख १६६६ वि०
३—भटिन्डू	१६७२ वि०
४—रायकोट	१८७६ वि०
५—सूपा	१६२४ ई०
६—झज्जर	१६२१ वि०

१३ कार्तिक १६८० वि० को दीपावली के दिन कन्या गुरुकुल इन्द्रप्रस्थ की स्थापना की गई।

स० १६८४ अथवा स० १६२८-१ तक कुल १८० स्नातक (ग्रेजुएट) निकले हैं। उनमें से ५० शिक्षा कार्य, १० पत्र-सम्पादन कार्य, ३ विशुद्ध

राजनैतिक कार्य २७ चिकित्सा कार्य, ४४ व्यापार व जमींदारी कर रहे हैं। ६ स्नातक राजनैतिक कार्यों के लिये जेल भी जा चुके हैं। ६० स्नातक अच्छे लेखक हैं। २६ स्नातकों ने पुस्तकें लिखी हैं। १६ स्नातक भारत वर्ष के बाहर योरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, तथा अफ्रीका, आदि हो आये हैं।

महाविद्यालयों और अधिकारियों की पाठ विधि निश्चित करने के लिये एक शिक्षा पटल की आयोजना १२ माघ १६७६ वि० को अतरंग सभा ने की है।

इस संस्था के मुख्य आचार्य श्री० प्रो० रामदेव हैं।

सम्वंत् १६८२ (१६१७ ई०) गुरुकुल की रजत जयन्ती (सिलवर जुबिली) हुई जिसमें १,५२,००६ रु० नकद और एक लाख ३० हज़ार रु० के बचन मिले।

इस संस्था को २,२५,१३७ रु० स्थिर उपाध्याय (Chairs) वृत्ति के लिये १,५२,६६० रु० छात्र वृत्तियों के लिये और सहस्रों रु० पदकों के लिये मिला है। कुछ साल पहिले बाढ़ से गुरुकुल की अनेक इमारतों को हानि पहुंची थी परन्तु शीघ्र ही क्षति पूरी हो गई।

गुरुकुल का कोष ७ लाख रुपये से ऊ र है।

गुरुकुल बृन्दाबन।

यह गुरुकुल संयुक्तप्रान्तीय आर्य प्रतिनिधि द्वारा ता० १ दिसम्बर १६०५ को स्थापित हुआ। कार्य के संचालन के लिये ११ सदस्यों की एक सभा है। मुख्य अधिष्टाता श्रीराम जी हैं।

इस संस्था में लगभग १८० ब्रह्मचारी पढ़ते हैं और वार्षिक व्यव लगभग ७०,००० रुपया है। स्याम, फिजी, ब्रह्मदेश आदि के विद्यार्थी इसमें शिक्षा पा रहे हैं। ८-१० वर्ष की आयु के ब्रह्मचारी लिये जाते हैं और २५ वर्ष तक की आयु तक पढ़ाये जाते हैं। इस संस्था की इमारतें डेढ़ लाख रुपया की हैं।

स्नातकों को वेद शिरोमणि, सिद्धांत शिरोमणि और आयुर्वेद शिरोमणि की उपाधियां दी जाती हैं।

गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद ।

गुजरात विद्यापीठ की स्थापना असहयोग आन्दोलन के समय हुई है। पहिले गुजरात महा विद्यालय ता० १९ नवम्बर १९२० को खोला गया। इसमें हिन्दी की शिक्षा अनिवार्य है। इस संस्था के अत्युत्तम वाचनालय हैं जिनमें ४०,००० रुपये से अधिक की पुस्तकें हैं।

गुजरात विद्यापीठ के मुख्य नियम यह हैं—

१—विद्यापीठ का मुख्य काम स्वराज्य प्राप्ति के लिये चलते हुये आन्दोलनों के लिये चरित्रवान, शक्तिसम्पन्न, और कर्तव्यनिष्ठ कार्य-कर्ता तैयार करने का है।

२—विद्यापीठ की कोई संस्था सरकार से सहायता न लेगी।

३—सब संचालकों और शिक्षकों को अहिंसा-व्रत धारण करना चाहिये।

४—विद्यापीठ में छूत अछूत का विभेद न रक्खा जावेगा।

५—विद्यापीठ के संचालकों, शिक्षकों तथा उससे सम्बन्ध रखने वाले कार्यकर्ताओं को सूत कातना और खादी पहिरना अनिवार्य होगा।

६—विद्यापीठ में गुजराती भाषा शिक्षा की माध्यम होगी।

७—हिन्दी राष्ट्रभाषा को योग्य स्थान दिया जावेगा।

८—विद्यापीठ में औद्योगिक शिक्षा को बौद्धिक शिक्षा के बराबर ही महत्व दिया जावेगा।

९—ग्रामों में शिक्षा का प्रचार विद्यापीठ का मुख्य कर्तव्य होगा। आदि।

विद्यापीठ से निकले हुये विद्यार्थियों ने अहमदाबाद में तथा निकटवर्ती ग्रामों में स्वदेशी आन्दोलन का कार्य बड़ी अच्छी तरह से किया है। बारडोली सत्याग्रह में भी गुजरात विद्यापीठ के कार्यकर्ताओं तथा विद्यार्थियों ने अग्रसर भाग लिया है।

प्रेम महा विद्यालय, वृन्दावन।

यह संस्था ता० २४ मई १९०९ को देशभक्त त्याग-वीर राजा महेंद्रप्रतापसिंह ने स्थापित की। उन्होंने इस संस्था के लिये अपना महल प्रदान किया। और पांच गांव जिनकी आमदनी, खर्च काटकर,

३०,००० रु० सालाना है। श्रीमान् राजा महेंद्रप्रतापसिंह इस समय देश की स्वतन्त्रता के लिये अब विदेशों में कार्य कर रहे हैं। उनको भारत में आने की अनुज्ञा ब्रिटिश सरकार ने नहीं दी है। जाने के पूर्व इस संस्था की रजिस्ट्री कर दी थी जिसका नाम "प्रेम महाविद्यालय एसोसियेशन वृन्दाबन" है। इसके प्रबन्ध के लिये दो समितियाँ थीं—(१) जनरल कौंसिल, (२) एक्जीक्यूटिव कमेटी।

स० १९३२ में असहयोग आन्दोलन में इस विद्यालय के सभी विद्यार्थी तथा शिक्षक शामिल हो गये फलतः सरकार ने उसे जप्त कर लिया। अब पुनः संचालन का प्रबन्ध किया जा रहा है।

इस संस्था की विशेषतायें यह थीं कि इसके पाठ्यक्रम में साहित्यक और औद्योगिक शिक्षा का सम्मिश्रण था। एक स्कूल मेट्रीक्यूलेशन तक की शिक्षा देता था। माध्यम हिन्दी थी। अंग्रेजी भी सिखलाई जाती थी। विद्यार्थी औसत से २ घण्टे प्रति दिन कारखाने में काम करते थे जहां लकड़ी, चीनी मिट्टी, कालीन बुनना और सिलाई सिखलाई जाती थी। सन् १९२७ से ललित कला भी सिखाये जाते थे। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित विभाग हैं—व्यापार, इंजीनियरिंग, मिट्टी व चीनी, मिकेनिकल (यन्त्रविद्या) लकड़ी व लोहारी, बुनाई, छापाखाना।

विद्यार्थियों के लिये छात्रालय, पुस्तकालय, वाचनालय हैं।

प्रेम महा विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को राष्ट्रीय विचार सिखाये जाते थे। शारीरिक व्यायाम पर जोर दिया जाता था।

विद्यार्थियों को १० रु० मासिक भोजन व्यय के लिये देना पड़ते हैं। फीस नहीं ली जाती थी।

कारखाने से सब प्रकार का सामान जो तैयार होता है बेचा जाता है। महा पुरुषों के बस्ट भी तैयार होते थे।

प्रेम महा विद्यालय का किसी सरकारी संस्था से संबंध नहीं है। राजा साहेब की रियासत से ही खर्च चलता है।

स० १९२६-२७ में वार्षिक आय ११९३४० रु० ७ आ० ६ पाई और खर्च ८४५५१ रु० १५ आ० १ पा० था और बचत ३४७८८ रु० ८ आ० ८ पा० थी। यही औसत वार्षिक खर्च व आमदनी का है।

विश्व भारती (शांति निकेतन बोलपुर)।

प्रसिद्ध कवि सर रवीन्द्रनाथ टागोर ने इस संस्था को स० १९२१ में स्थापित किया। श्रीयुत टागोर को भारत की प्रचलित शिक्षा प्रणाली

श्रीयुत शंकर राव देव
सदस्य, कांग्रेस वर्किंग कमेटी

श्री अल्ला बख़्श
प्रधानमंत्री, सिंध सरकार।

श्रीयुत अलगू राय शास्त्री,
एम० एल० ए० (यू०पी०)

अत्यन्त दोष जनिक मालूम हुई इस कारण उन्होंने बोलपुर में एक पाठशाला आरम्भ की उसमें विशेष ध्यान छात्रों के चरित्र गठन और सुसंस्कृति पर ही दिया गया। ऐसी शिक्षा जो केवल उदर भरण के लिये अन्य पाठशालाओं में दी जाती है वहाँ नहीं दी जाती। धीरे २ यह संस्था अन्तरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित हो गई है और उसका नाम विश्वभारती, रक्खा गया है। योरुप के प्रसिद्ध विद्वान इस संस्था में जिसका नाम "शांति निकेतन" भी है आकर ठहरते हैं और विद्या अभ्यास में समय व्यतीत करते हैं। श्रीयुत सी. एफ. एन्डरुज़ और मि० रोलैंड भी इस विश्वविद्यालय में कार्य करते हैं।

मालव विद्यापीठ, अर्वाचीन गुरुकुल, राऊ इन्दौर।

इस संस्था की स्थापना पं० नारायण प्रसाद, दीवान देवास (सीनियर) द्वारा १९१८ में देवास में हुई और फिर इन्दौर में यह संस्था आ गई। इसका उद्देश्य है मालव के बालक तथा बालिकाओं की शारीरिक, मानसिक, और आध्यात्मिक उन्नति करना, उनका जीवन स्वावलम्बी बनाना, हिन्दी, संस्कृत और अंग्रेजी की उच्च शिक्षा देकर सदाचारी, ईश्वर भक्त, और व्यवहार दक्ष बनाना। इस संस्था द्वारा चलाई हुई पाठशाला बहुत अच्छा काम कर रही है।

प्रयाग महिला विद्यापीठ।

यह संस्था २ फरवरी १९२२ को श्रीयुत पुरुषोत्तमदास टन्डन तथा बाबू संगमलाल अग्रवाल के प्रयत्नों से स्थापित हुई। उस समय श्रीयुत टन्डनजी चेयरमैन और श्री० अग्रवाल जी मेम्बर म्युनिसिपल बोर्ड इलाहाबाद थे इस कारण उक्त म्युनिसिपल बोर्ड से इस कार्य को बड़ी सहायता मिली। यह विद्यापीठ परीक्षक संस्था के स्वरूप में ही आरम्भ किया गया है। इस विद्यापीठ की मुख्य परीक्षायें तीन रक्खी गई हैं (१) विद्या विनोदिनी (मैट्रीकूलेशन) (२) विदुषी (बी. ए.) और (३) सरस्वती (एम. ए.)।

जिस समय से यह विद्यापीठ आरंभ हुआ है उसी समय से जनता ने इसे अपनाया है। प्रत्येक बड़े शहर में इसकी परीक्षायें उस स्थान के प्रतिष्ठित सज्जनों की देख रेख में प्रति वर्ष

होती हैं। सन् १९२३ से ३ साल के भीतर इस विद्यापीठ के केन्द्र विद्या-विनोदनी की परीक्षा के लिये ४२ हो गये और परीक्षार्थिनियों की संख्या ४१३ हो गई। इसी प्रकार विदुषी परीक्षा के लिये स० १९२४ में २६ परीक्षार्थिनियां थी। परीक्षायें हिन्दी भाषा में होती हैं। बाबू संगमलाल अग्रवाल इस विद्यापीठ के प्राण हैं और रजिस्ट्रार पद पर हैं।

काशी विद्यापीठ।

काशी विद्यापीठ की स्थापना ता० १० फरवरी १९२१ को हुई। असहयोग आन्दोलन का यह पीठ प्रत्यक्ष फल है। श्रीयुत शिवप्रसाद गुप्त तथा बाबू भगवानदास राष्ट्रीय पाठशाला खोलने का उद्योग कर रहे थे कि जनवरी स० १९२१ में महात्मा गांधी ने श्रीयुत भगवानदास को पत्र लिखा कि "मुझे विश्वास है कि अब काशी जी में एक महाविद्यालय शीघ्र खुल जायेगा।" इसपर निश्चय दृढ़कर लिया गया और २८ माघ १९७७ (सौर) के शुभ मुहूर्त पर महात्मा गाँधी जी के कर कमलों से और पं० मोतीलाल नेहरू, पं० जवाहिरलाल नेहरू, सेठ जमनालाल बजाज, आदि नेताओं की उपस्थिति में पवित्र वेद मन्त्रों के उच्चारण सहित विद्यापीठ का आरंभ हुआ।

इस विद्यापीठ का सञ्चालन दो सभाओं के आधीन है (१) निरीक्षक सभा (२) प्रबन्ध समिति प्रबन्ध समिति ही मुख्य कार्यवाहक सभा है। उसके अध्यक्ष बाबू भगवानदास हैं और मन्त्री श्री० शिवप्रसाद गुप्त हैं। निरीक्षक सभा के सदस्य महात्मा गांधी, पं० मोतीलाल नेहरू, श्री० श्रीप्रकाश, श्री० नरेन्द्रदेव आदि हैं। एक शिक्षा परिषद् भी है जो पाठ्यक्रम को निश्चित करती है।

श्री० शिवप्रसाद गुप्त ने इस संस्था के लिये १० लाख रुपये का प्रबन्ध कर दिया है जिसका वार्षिक सूद ६०००० रु० आता है। इस कोश का नाम "श्री हरप्रसाद शिक्षानिधि" (बा० शिवप्रसाद के भाई के नाम से) रक्खा गया है।

विद्यापीठ के तीन मुख्य विभाग हैं क—विद्यालय जिसमें (१) दर्शन (२) इतिहास राजधर्म अर्थ शास्त्र, (३) गणित (४) संस्कृत, हिन्दी उर्दू, अंग्रेजी के अध्ययन का भी प्रबंध है। ख—परीक्षायें (१) विशारद (२) शास्त्री (३) आचार्य की स्थिर की गई हैं। (ग) विद्यापीठ में युक्तप्रान्त के अनेक विद्यालय संबंधित

हैं। सम्वत् १९७८ में १४ राष्ट्रीय पाठशालाओं के १५० विद्यार्थियों ने परीक्षा दी तथा एफ. ए. के समान परीक्षा में १३. और बी. ए. के समान परीक्षा में १० सम्मिलित हुये। उस समय से विद्यापीठ बराबर उन्नति करता जाता है। उसकी इमारतें भी अब तैयार हो गई हैं और इस समय डा० रामसरन एम. ए, एम. एल. ए. स्थानापन्न आचार्य की देख रेख में कार्य बहुत अच्छा चल रहा है। गांधी आश्रम इस संस्था से अलग कर दिया गया है। श्रयुत श्रीप्रकाश और श्री० वीरबल सिंह ने इस पीठ के लिये बड़े परिश्रम किये हैं।

बिहार विद्यापीठ।

इसका कार्य १० जनवरी १९२१ को आरम्भ हुआ पर विधि पूर्वक इसका उद्घाटन महात्मा गांधी द्वारा ६ फरवरी १९२१ को हुआ।

इसके प्रधान संस्थापक मौ० मजरूल हक, श्री राजेन्द्रप्रसाद, तथा श्री ब्रज किशोर हैं।

इस संस्था द्वारा चलाये हुये राष्ट्रीय विद्यालय आध्यमिक राष्ट्रीय विद्यालय तथा प्रारंभिक राष्ट्रीय विद्यालय बिहार के अनेक स्थानों पर हैं। सदाकत आश्रम पटना भी इसी संस्था मे संबंधित है। एक महाविद्यालय तथा राष्ट्रीय शिक्षा मंडल भी हैं।

विद्यालय की सम्पत्ति में अनेक भवन तथा लगभग छः सौ बीघा जमीन है।

विद्यालय के अन्तर्गत एक आयुर्वेदिक औषधालय है जिसका लक्ष्य यहां के विद्यार्थियों को आयुर्वेदिक शिक्षा देकर स्वावलम्बी बनाना है तथा भारत में आयुर्वेदिक औषधियों का प्रचार करना है तथा विद्यापीठ को आर्थिक सहायता पहुंचाना है।

इसके अतिरिक्त एक लकड़ी का कारखाना है जिसमें सब प्रकार की लकड़ी का काम किया जाता है।

एक विशेष उल्लेखनीय बात यह है कि यहां के विद्यार्थी वर्ष में दो महीना देहातों में रहते हैं और वहां देहातों का अनुभव करते हैं तथा लोगों में सफ़ाई, चर्खा शिक्षा का प्रचार करते हैं। विशेष अवसर पड़ने पर विद्यार्थी गण देहातियों की सहायता के लिये भी भेजे जाते हैं।

गुरुकुल महाविद्यालय, ज्वालापुर (हरिद्वार)।

गुरुकुल महा विद्यालय, ज्वालापुर की स्थापना १९ मई स० १६०७ ई० तदनुसार बैसाख शुद्ध २ सम्बत् १९६४ को प्रसिद्ध तार्किक शिरोमणि वीतराग स्वर्गीय श्री० १०८ स्वामी दर्शनानन्द जी सरस्वती द्वारा हुई। स्वर्गीय श्री० बाबू सीताराम जी रईस रूब इन्स्पेक्टर पुलिस ज्वालापुर ने विशाल भूमि दान में दी जिस में इस समय विद्यालय है। प्रथम आचार्य तथा कुल पति स्वर्गीय श्री १०८ स्वामी शुद्ध बोध तीर्थ जी थे।

स्वामी दर्शनानन्द जी का पहिला नाम पंडित कृपाराम वर्मा था। उन्होंने दर्शन शास्त्र की शिक्षा श्री मनीष्यानन्द जी (काशी) से पाई थी। उन्होंने यह विद्यालय इस मुख्य उद्देश्य को लेकर खोला था—वैदिक समय की प्राचीन ब्रह्मचर्याश्रम प्रणाली को पुनर्जीवित करना और श्री० १०८ महर्षि दयानन्द सरस्वती की निर्दिष्ट की हुई रीति से आर्य भाषा तथा संस्कृतादि भाषा का निःशुल्क अध्ययन कराना।

गुरुकुल कांगड़ी के संचालकों में महात्मा मुंशीराम (स्वामी श्रद्धानन्द) द्वारा पहिले स्थापित हो चुका था कुछ कारणों से मत भेद हो गया। कुछ अध्यापकगण उस विद्यालय से चले गये। बाद को श्री० भीमसेन शर्मा तथा पं० दिलीदत्त शर्मा तथा आचार्य पं० गंगादत्त शर्मा प्रभृति सज्जनों ने इस विद्यालय के कायम करने में अधिक परिश्रम किये। महाविद्यालय इस समय उत्तरोत्तर उन्नति कर रहा है। इस समय श्री० पं० नरदेव शास्त्री इस विद्यालय के प्राण हैं।

निःशुल्क शिक्षा ही इस महा विद्यालय का परमध्येय है। ब्रह्मचारियों को अन्न वस्त्र निवास स्थान सभी निशुल्क दिया जाता है।

विद्यालय में लगभग २०० विद्यार्थी सदैव रहते हैं। विद्यालय से लगभग १३१ स्नातक तथा उपाधिधारी ऐसे निकले हैं जिन्होंने उल्लेखनीय सम्मान सार्वजनिक जीवन में पाया है। सहस्त्रों विद्यार्थी उपयुक्त उद्योगों द्वारा जीवन निर्वाह कर रहे हैं यह कहने की आवश्यकता नहीं।

संचालन भिन्न २ देशों व प्रान्तों के सदस्यों द्वारा संगठित महासभा द्वारा होता है जिसके अध्यक्ष-उपाध्यक्ष तथा मन्त्री चुने जाते हैं।

कन्या गुरुकुल, देहरादून

दिल्ली के दानवीर सेठ रघुकल जी ने १ लाख रुपया कन्या शिक्षा निमित्त दिया। फल स्वरूप दिल्ली में "कन्या गुरुकुल इन्द्र प्रस्थ" के नाम से सम्बत् १६८० में यह संस्था स्थापित की गई। पहली साल में ही कन्याओं की संख्या ८७ हो गई, आज कल २१६ है। सन् १६२७ में जलवायु अनुकूल न होने के कारण मई से यह संस्था देहरादून लाई गई। पर थोड़े दिन बाद प्रबन्धक समिति ने देहरादून ही इसका निश्चित स्थान कर लिया। उसका प्रबन्ध पंजाब सिंध की आर्य प्रतिनिधि सभा द्वारा होता था। अब विद्या सभा के आधीन कर दिया गया जिसमें निम्न लिखित सज्जन हैं (१) श्रीमान् आचार्य रामदेवजी प्रधान सभा (२) श्रीमती आचार्या विद्यावती जी सेठ आचार्या तथा मुख्याधिष्ठात्री (३) श्रीमती राधारानी जी प्रधानाधिष्ठात्री तथा उपाचार्या। वैदिक एवं अर्वाचीन साहित्य, गृहविज्ञान, शिल्पकला, वाद्य, इतिहास, गणित, मनोविज्ञान, आर्य सिद्धान्त, अर्थशास्त्र और विज्ञान इत्यादि विषय पढ़ाये जाते हैं। व्यायाम एवं रोगोपचार के लिये पर्याप्त प्रबन्ध है। अभीतक २० स्नातिकायें (ग्रेजुएट) तथा २३ अधिकारी निकली हैं। पिछले साल गुरुकुल की आय ६८२३६) की और व्यय ५२१७१) था।

तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पूना

यह संस्था सन् १६२१ में लोकमान्य तिलक की पुण्य स्मृति में स्थापित हुई। इसके ४ उद्देश्य हैं—

१—संस्था बिना सरकारी सहायता के चलाना।

२—स्वावलम्बी और स्वदेश प्रेमी विद्यार्थियों का निर्माण करना।

३—अन्य ऐसी ही संस्थाओं को संचालित और सम्बन्धित करना।

४—गवेषणा एवं प्रकाशन कार्य करना।

साहित्य, राजशास्त्र, आयुर्वेद, व्यापार, संगीत, चित्रकला, शिल्पकला इत्यादि विषय पढ़ाये जाते हैं और स्वतंत्र पदवी दी जाती हैं, 'वाङ्मय विशारद', 'आयुर्वेद विशारद' इत्यादि। ग्रामों में शिक्षा प्रचार करने की शिक्षा भी दी जाती है। इस विद्यापीठ के आधीन निम्नलिखित संस्थायें चल रही हैं—

आयुर्वेद महाविद्यालय पूना।

भारत आयुर्वेद महाविद्यालय

अमरावती।
तिलक राष्ट्रीय विद्यालय खानमांव
तिलक राष्ट्रीय शाला अकोली।
तिलक विद्यालय नागपुर।
तिलक राष्ट्रीय पाठशाला, निपाखी।
नवीन समर्थ विद्यालय, तरेगाँव।
वैदिक संशोधन मंडल पूना।

विद्यापीठ की आय ११६५६) और व्यय १७४६) है शेष रुपया उपरोक्त आधीन संस्थाओं में वितरित कर दिया जाता है।

कुलपति—सी० वी० वैद्य, एम० ए०।
कुलगुरू—प्रो० डी० आर० धारपुडे एम० ए०।
पीठ स्थविर—वी० वी० अतिथकर बी० ए०।

हरिजन गुरुकुल, गांधी ग्राम, आजमगढ़।

हरिजन भाइयों को वर्तमान अधोगति से निकालने के लिये सं० १६६२ में सरजू जी के तट पर गांधी ग्राम (परिखापुर) में हरिजन गुरुकुल की स्थापना हुई। उसका उद्देश्य विद्यार्थियों (विशेषकर हरिजनों) को हिन्दू संस्कृति और सभ्यता के मर्म को समझाकर ईश्वर निष्ठा में दृढ़ता प्राप्त कराना है। आरंभ में केवल दो ब्रह्मचारी थे। पर अब १५ आश्रम में और ७२ बालक विद्यालय में हो गये हैं। शिक्षा हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अनुसार दी जाती है पर संस्कृत भाषा धर्म शिक्षा, कताई बुनाई और बागबानी की अतिरिक्त शिक्षा दी जाती है। आश्रम के विद्यार्थियों को भोजन पीठ की ओर से मिलता है। लगभग १५०) मासिक व्यय है। यह संस्था मुख्यतः श्री स्वामी सत्यानन्द सरस्वती (भूतपूर्व श्री० बलदेव चौबे) सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्ता, के सतत प्रयत्नों द्वारा ही स्थापित हुई है। आजकल संस्था की प्रबन्धक समिति के प्रधान वही हैं। मंत्री श्री द्वारिकाप्रसाद हैं।

शिक्षितों की संख्या (मुख्य धर्मानुसार)

(१६३१)

प्रान्त	संख्या	प्रान्त	संख्या
बंगाल		बिहार उड़ीसा	
मुसलमान	१५,७२,६०७		
हिन्दू	३०,१३,६०७	हिन्दू	१४,९२,१३०

शिक्षितों की संख्या (चालू)

बम्बई

हिन्दू	१४,८३,३१९
मुसलमान	२,७९,१८२
जैन	६०,६८०
पारसी	६४६०७

मध्यप्रदेश और बरार

हिन्दू	७,१७,६६८
मुसलमान	९०,५१५

पंजाब

मुसलमान	३९२,६५९
हिन्दू	५,६६,६३६
सिक्ख	२,४७,३१३

सीमा प्रान्त

मुसलमान	४४,४९६

संयुक्त प्रान्त

हिन्दू	१८,२३,८४९
मुसलमान	३,५७,६७४
ईसाई	५०,२८६

मद्रास

हिन्दू	३६,४२,३४३
मुसलमान	३,४३,५२८
ईसाई	३,२०,०५२

मैसूर स्टेट

हिन्दू	४,८७,८२७
मुसलमान	६७,३३२
ईसाई	३१२८६

राजपूताना एजेन्सी

हिन्दू	२,८३,७४९
मुसलमान	३७,३४१
जैन	८०,०८२

संयुक्तप्रान्त स्टेट

हिन्दू	४२,८५१
मुसलमान	६,७२४

बिहार और उड़ीसा स्टेट्स

हिन्दू	१,४३,७३२

बम्बई स्टेट्स

हिन्दू	२,१५,२८०
मुसलमान	२८,९९६

मध्यभारत एजेन्सी

हिन्दू	२,२१,९१४
मुसलमान	३८,१७९

मध्य प्रदेश स्टेट्स

हिन्दू	२९,१४३
मुसलमान	३,०६५

ग्वालियर स्टेट

हिन्दू	११३,७५२
मुसलमान	१६,९२७
जैन	९६२७

हैदराबाद स्टेट

हिन्दू	४०५,६१४
मुसलमान	१,५८,८५९

काश्मीर स्टेट

मुसलमान	४५,६१९
हिन्दू	६९,३०६
सिक्ख	६,४५८

कोचीन स्टेट

हिन्दू	१,९२,३२०
ईसाई	१,२४,१३७
मसलमान	१२,०४१

ट्रावनकोर स्टेट		पंजाब स्टेट्स एजेन्सी	
हिन्दू	७,०३,४४०	हिन्दू	६२,१७०
ईसाई	४,७२,२५७	मुसलमान	२६,४१४
मुसलमान	४१,६०७	सिक्ख	२७,२६१

विद्यार्थियों की संख्या।

(यूनीवर्सिटी विभाग)

१६३३	१,०६,४७७
१६३४	१,१३,२०८
१६३५	१,१७,६७१

विद्यार्थियों की संख्या।

	बालक	बालिकायें	कुल
१६१६—१७	६,२१,५२७	१२,३०,४१६	७८,५१,६४६
१६२१—२२	६,६६,२६,७६	१४,१८,४२२	८३,२१,४०१
१६२६—२७	६३,१५,१४०	१८,४२,३५६	१,११,५७,४६६
१६३०—३१	१,०३,१३,४६३	२३,७५,५६३	१,२६,८६,०८६
१६३२—३३	१,०२,४७,०६२	२६,०६,४७०	१,२८,५३,५३२
१६३४—३५	१,०६,१६,६२३	२८,६०,२४६	१,३५,०६,८६६

विद्यालय तथा विद्यार्थी।

राजमान्य	सं० १६३५	सं० १६३५
यूनीवर्सिटी	१५	११,००३
आर्ट कालेज	२५६	८,१३,०६७
उद्योगी कालेज	६६	१६,४६८
हाई स्कूल	३,४६७	१०,४३,८६७
मिडिल स्कूल	१०,६१७	१३,१८,००७
प्रायमरी स्कूल	२,००,२७३	१,००,८६,६७२
विशेष	६,५०६	२,५७,२७६
	२,२१,३०७	१,२८,२०,७६०
अन्य	३४,६५६	६,८६,१०६
	२,५६,२६३	१,३५,०६,८६६

विद्यार्थियों की संख्या (१९३४—३५)

विद्यालय	बालकों के	बालिकाओं के	कुल
आर्ट कालेज	२३२	२७	२५९
हाई स्कूल	३,०९२	३७६	३७६७
मिडिल स्कूल अंग्रेज़ी	३,९९५	३९३	४,३८८
मिडिल स्कूल (भाषा)	१,६६,५८८	५३२	६,२२९
प्रायमरी		३३,७८५	२०,०७३

उक्त आंकड़ों से स्पष्ट होगा कि प्रति ४२२३ वर्ग मील के लिये १०,४६,९८५ मनुष्यों के लिये १ आर्ट कालेज, प्रति २१५ वर्गमील और ७८२६९ मनुष्यों के लिये १ हाई स्कूल, प्रति १०३ वर्गमील और २५२९० मनुष्यों के लिये एक मिडिल स्कूल और प्रति ५ मील और १२५५ मनुष्यों के लिये १ प्राइमरी स्कूल है।

औद्योगिक विद्यालय (१९३५)

ट्रेनिंग (शिक्षा)		संख्या	विद्यार्थी
	कालेज	२३	१७०१
	स्कूल	५८३	२६९७२
कानून	कालेज	१२	७२५६
	स्कूल	९	१६६
डाक्टरी	कालेज	१०	५०२८
	स्कूल	३०	७०२२
इन्जीनियरिंग	कालेज	७	२०७०
	स्कूल	१०	२७२८
कृषि	कालेज	६	८०८
	स्कूल	१५	६६०
जंगल	कालेज	१	४९
	स्कूल	१	४४
पशुचिकित्सा	कालेज	४	३७९
	स्कूल	....	....
व्यापार	कालेज	६	२६०५
	स्कूल	२२०	८६९२
औद्योगिक	स्कूल	४८९	२७७०५
कला	स्कूल	१५	२११०

भारत के विद्यालय तथा विद्यार्थी ।

	विद्यालय		विद्यार्थी	
	१९३५	१९३६	१९३५	१९३६
सजमान्य संस्थायें				
विश्वविद्यालय	१६	१६	११,००३	११,३११
आर्ट्स कालेज	२५९	२६१	८१,३७८	८३,८६४
प्रोफेशनल कालेज	६९	७३	१९,४९८	२०,०४९
हाई स्कूल	३,४६७	३,५५०	१०,४३,८९७	१०,८१,७९१
मिडिल स्कूल	१०,६१७	१०,६७८	१३,१८,१०७	१३,४१,१२७
प्रायमरी स्कूल	२,००,३७३	१,९७,८५८	१,००,८१,६७२	१,००,८९,६७२
स्पेशल स्कूल	६,५०६	६,६४९	२,५७,२७६	२,६८,५३२
कुल	२,२१,३०७	२,१९,०८५	१,२८,२०,७६०	१,३१,१५,०७७
अन्य संस्थायें	३४,९५६	३५,१२६	६,८६,१६९	७,०१,०७२
सब कुल	२,५६,२६३	२,५४,२११	१,३४,०६,८६९	१,[illegible]८,१६,१४९

भारत के विभिन्न प्रकार के कालेज ।

	१९३५		१९३६	
	संस्था	विद्यार्थी	संस्था	विद्यार्थी
कालेज				
ट्रेनिंग	२३	१,७०१	२४	१,८३८
ला (कानून)	१३	७,२५६	१४	७,३३५
मेडिकल	१०	५,०२८	१०	५,१२९
इञ्जिनियरिंग	७	२,०७४	७	२,०४९
एग्रीकल्चरल (कृषि)	६	८०८	६	८८२
कामर्शल (व्यापार)	६	२,६०५	६	२,८९१
टेकनालाजिकल	....	....	२	६९
जंगल (फारेस्ट)	१	४२	२	६४
विटेरीनरी	४	३७९	४	४१९
कुल	७०	१९,९९३	७५	२०,६४५

भारत के विचित्र प्रकार के स्कूल।

	१९३५		१९३६	
	संस्था	विद्यार्थी	संस्था	विद्यार्थी
स्कूल				
नारमल और ट्रेनिंग	५७८	२६,६७२	५७१	२७,१३२
ला	२	१९६	२	२०२
मेडिकल	३०	७,०२२	३१	७,००३
इंजिनियरिंग	१०	१,७२८	१०	१,६८७
टेकनिकल और इण्डस्ट्रियल	४८९	२७,७०५	५१२	२८,८०९
कामर्शल	२२०	८,६९२	३१२	११,७८१
एग्रीकलचरल	१५	६६०	१४	५३१
फारेस्ट	१	४४	१	४
आर्ट	१५	२,११०	१५	२,१४४
कुल	१,३६०	७४,७९९	१,४७०	७९,३२६
स्कूल और कालेजों का योग	१,४२०	९४,६९२	१,५४५	९९,९८१

भारत के विद्यार्थी तथा विद्यालय

प्रान्त	कुल विद्यार्थी		कुल संस्थायें	
	१९३५	१९३६	१९३५	१९३६
मद्रास	३०,९४,२०३	३१,७३,९८०	५१,५६४	५१,३०१
बम्बई	१४,२२,१४६	१४,७६,४०३	१६,९२७	१७,३१४
बंगाल	३०,७५,२७१	३१,४६,२९१	७१,६६०	६९,४२३
संयुक्तप्रान्त	१५,९४,९४०	१६,२०,२६८	२४,८३०	२४,५७२
पंजाब	१२,६८,४७४	१२,७४,४३२	१८,०१९	१८,२२६
ब्रह्मा	६७,३०,१०६	७,४३,७८५	२५,५७४	२५,८०४
बिहारऔर उड़ीसा	११,८४,९६८	१२,१४,८८७	३१,४९५	३०,७६२
मध्यप्रांतऔर बरार	५,०१,१९७	४,९९,१००	५,९४१	५,९५०
आसाम	४,०३,८९०	४,२४,०२१	७,६४३	८,१३०
सीमाप्रान्त	९५,२६३	९७,१९५	१,१२८	१,१३०
ब्रिटिश भारत	१,३५,०६,९६९	१,३८,१६,१४९	२,५६,२९३	२,५४,२११

स्त्रियों के लिये विद्यालय (१९३५)

राजमान्य	विद्यालय	विद्यार्थी
आर्ट कालेज	२७	४६७१
प्रोफेशनल कालेज	६	८४१
हाई स्कूल	२७६	११६७३०
मिडिल स्कूल	६२५	२०४३५८
प्राइमरी स्कूल	३३७८५	२४०६५८४
विशेष	४१०	२१०४८
	३५५९२	२७५७२३२
अन्य	४०६६	१३३०१४
	३६६०१	२८६०२४६

शिक्षा पर खर्च ।

सन् १९११ ई० में श्री० गोखले ने अनुमान किया था कि जबकि यू० एस० ए० में १६ शि०, इङ्गलैंड वेल्स में १० शि०, स्काटलैंड में ६ शि०, आस्ट्रेलिया में ११ शि० ३ पेन्स और जर्मनी में ६ शि० १० पेन्स प्रारंभिक शिक्षा पर प्रति मनुष्य वार्षिक खर्च किया जाता है भारत सरकार केवल १ पेन्स से भी कम खर्च सालाना करती है ।

सन् १९३४–३५ में प्रांतीय और केन्द्रीय सरकारों ने १२ करोड़ १ लाख ६० हजार ५०३ रु० कुल शिक्षा पर खर्च किया जो केवल ५.७ प्रतिशतसरकारी आमदनी के होता है । यदि म्युनिसिपेलिटी और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों का खर्च भी जोड़ा जावे तो १५ करोड़ ७४ लाख रुपया होता है । अर्थात् ६ आना प्रति मनुष्य शिक्षा खर्च पड़ता है ।

यूनाइटेड किंगडम (इङ्गलैंड) में प्रति मनुष्य १६ रु० फ्रान्स में १० रु० और यू० एस० ए० में लगभग ५५ रु० वार्षिक प्रति मनुष्य खर्च किया जाता है । यही कारण है कि अशिक्षितों की संख्या भारत में अत्यधिक है । प्रारंभिक स्कूलों में यू० एस० ए० में कुल जन संख्या के २० प्रति शत, इङ्गलैंड और वेल्स में १७ प्रतिशत, जापान में १३ प्रतिशत और भारत में केवल ४ प्रतिशत मनुष्य हैं ।

भारत में केवल ६.२ प्रतिशत मनुष्य साक्षर हैं । अंग्रेजी शिक्षित मर्दों में २ प्रतिशत और स्त्रियों में ·३ प्रतिशत हैं ।

शिक्षा पर व्यय (प्रान्तवार)

प्रान्त	कुल व्यय (रुपयों में)			व्यय का प्रतिशत औसत			
	१९३५	१९३६	बढ़ती	सरकारी रुपया	स्थानीय रुपया	फीसका रुपया	अन्यसाधन
मद्रास	४,४०,९४,०४४	५,५१,५१,९५७	१०,५७,९१३	४६.४	१४.३	१७.७	२१.६
बम्बई	४,१०,८६,३५४	४,२१,६५,९०८	१०,७९,५५४	४२.१	१८.८	२४.६	१४.५
बंगाल	४,३२,३९,३०३	४,४४,२६,०५४	११,८६,७५१	३१.४	७.९	४४.६	१६.०
संयुक्त प्रान्त	३,८०,४१,८३८	३,८९,४९,१६९	९,०७,३३१	५३.१	१३.१	२०.२	१३.३
पंजाब	३,१२,०६,०३२	३,२२,०९,०४४	१०,०३,०१२	५०.७	१३.८	२५.४	१०.१
ब्रह्मा	१,५०,७०,२१३	१,६१,३३,२१९	१०,५६,००६	३३.८	२९.६	२१.५	१५.१
बिहार उड़ीसा	१,७१,०३,९२९	१,८२,०८,४१०	११,०४,४८१	३२.४	२९.५	२३.४	१४.७
मध्य प्रान्त और बरार	१,०६,०१,६१७	१,०९,१५,६०८	३,१३,९९१	४३.४	२८.३	१९.१	९.२
आसाम	५०,५०,८६०	५३,९५,१६१	३,४४,३०१	५६.३	१३.४	१९.३	११.०
सीमाप्रान्त	२९,४५,७९१	३०,८८,२९४	१,४२,५०३	६८.४	९.८	११.५	१०.३
ब्रिटिशभारत	२६,५२,११,४२०	२७,३२,७९,००९	८०,६७,५८९	४३.३	१६.१	२५.२	१४.४

भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति ।

कौन क्या है ?

कौन क्या है ?

अरविन्द घोष—जन्म कलकत्ते में १५ अगस्त १८७२; शि० सेंटपाल स्कूल दार्जिलिंग और इंगलैंड में; सिविलसर्विस परीक्षा में शामिल हुये; पठन पाठन की परीक्षा में पास हुये पर घुड़सवारी में फेल हो गये (१८९०); किंग्ज कालेज कैम्ब्रिज में भरती हुये और ग्रेजुयेट हुये (१८९२); बड़ौदा राज्य में उच्च पदाधिकारी १२ वर्ष तक रहे; नेशनल कालेज कलकत्ता के प्रिन्सिपल १९०६; संपादक 'वन्देमारम्'; राष्ट्रीय आन्दोलन में मुख्य भाग लिया १९०७; विद्रोह करने और षडयन्त्र रचने के अपराध में गिरफ्तार हुये १९०८, किन्तु निर्दोष सिद्ध हुये और छोड़ दिये गये; आज कल वे पांडिचेरी में रह कर योगी का जीवन व्यतीत कर रहे हैं; पुस्तकें—सुपरमैन, ईशोपनिषद, आइडियल आफ कर्मयोगिन, योग एन्ड इटस ओरिजिन, ब्रेन आफ इण्डिया, योग साधना, लव एन्ड डेथ, आदि २; पता—पांडिचेरी।

अणे, माधवराव श्रीहरि—प्रमुख राजनैतिक नेता बरार; शिक्षा बी. ए. एल-एल. बी; तिलक के साथी कार्यकर्ता; होमरूल आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया; अध्यक्ष मराठी साहित्य सम्मेलन (१९२८); मराठी के उत्तम वक्ता तथा लेखक; असहयोग आंदोलनों में सदैव प्रमुख भाग लिया; सदस्य केन्द्रीय असेम्बली; सदस्य नेहरू कमेटी; स्थानापन्न सभापति कांग्रेस (१९३३); कांग्रेस कार्यकारिणी समिति से इस्तीफ़ा (१९३४) श्रीयुत पं० मालवीय के साथ कांग्रेस नेशलिस्ट पार्टी संचालित की; पता—यवतमाल, बरार।

अध्यापक रामरत्न—प्रसिद्ध हिन्दी लेखक; ज० १९४०; सर्व-सम्मानित हिन्दी साहित्य सेवी; आपकी लिखी हुई अनेक पुस्तकें स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं; पुस्तकें—अलंकार प्रबोध, रचना प्रबोध, चिन्ह विचार, काव्य प्रवेश, बाल शिक्षा इत्यादि; हिन्दी साहित्य सम्मे-

लन के प्रचार तथा परीक्षा मंत्रित्व का कार्य ५ वर्ष तक किया; राष्ट्रीय आन्दोलनों में सदैव भाग लेते हैं; पता—रत्नाश्रम, आगरा ।

अन्सारी, फरीदुलहक— जन्म १६००; बार ऐटला (लंदन); सायमन कमीशन बायकाट के समय विशेष कार्य किया; अ० भा० कांग्रेस कमेटी के सदस्य (१६२२-३४); सविनय अवज्ञा आन्दोलन में दोबार जेल यात्रा (१६३०-३२) अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में प्रवेश (१६३४); पता—दरियागंज, दिल्ली ।

अपसन, एस० जी०—जर्नलिस्ट; जन्म २५ दिसम्बर १८८२ क्वेटा; सम्पादक "इंडियन पिकचर मैगजीन", १६१४; "सोसाइटी इलस्ट्रेटेड" १६१५–१६; असिस्टेंट एडीटर "इम्पायर", "कमर्शल" १६१६–१६; सम्पादक "लुकर आन" १६१७–२१, 'इण्डियन बिजिनेस' १६१७-२१, "ईस्ट ऐन्ड वेस्ट" १६२०, "इंडिपेंडेंट" १६२२, मुसलमान हुये १६२१; सम्पादक "मुसलिम" औटलुक लाहौर; पता—लाहौर ।

अब्दुर्रहीम, सर दि आन० बार० एट० ला०—शि० एम० ए० कलकत्ता; पब्लिक सर्विस कमीशन के सदस्य (१६१३–१५); स्थानापन्न चीफ जस्टिस मद्रास (१६१६); बंगाल इक्जीक्यूटिव कौंसिल के सदस्य (१६२०–२२); के० सी० एस० आई० १६२४; मेम्बर बंगाल कौंसिल (१६२५–२६); मिनिस्टर १६३१; लेजिस्लेटिव एसेम्बली (केन्द्रीय) के सभापति १६३५ से; पता—शिमला, दिल्ली ।

अब्दुल अज़ीज़, सैयद— बार ऐट ला; ज० १८८५; संस्थापक अंजुमन इस्लामिया उर्दू पब्लिक लाइब्रेरी तथा पटना क्लब; सभापति अंजुमन इस्लामिया तथा मुस्लिम यतीमखाना; अनेक कान्फ्रेन्सों के सभापति; पिछली कौंसिल में अहरार पार्टी के लीडर; भूतपूर्व शिक्षा मंत्री बिहार (१६३४); पता—दिलकुशा, पटना ।

अब्दुल गफ्फारखाँ, खान— सीमाप्रान्त के गांधी—जन्म १८६१; शिक्षा इंट्रेंस तक; लालकुर्तीवाले (खुदाई खिदमतगार) के संस्थापक नेता; एण्टी रौलट आन्दोलन के संचालक; असहयोग आन्दोलन में ३ साल की सख़्त सजा; अफगान जिरगा के संगठन कर्त्ता (१६२६); हजारी बाग जेल में राजबन्दी (१६३२–३४); पंजाब तथा सीमा-

प्रांत से अपने भाई डा० खां साहब सहित निर्वासित (१९३४); बम्बई कांग्रेस अधिवेशन के सम्बन्ध में भाषण देने पर दो साल की सजा (१९३५); पता—पेशावर ।

अब्दुल कयूम खां, सर—के. सी आई. ई.; ज० १८६८; केन्द्रीय एसेम्बली के सदस्य (१९२३—३१); सीमा प्रान्त के मंत्री (१९३२); गोलमेज़ कान्फ्रेन्स के सदस्य (१९३०—३२), अस्थाई मंत्रिमंडल के प्रधान मन्त्री १९३७—३८; पता—पेशावर ।

अबुल कलाम आज़ाद—ज. १८८८ मक्का में; शिक्षा, अलअज़हर विश्वविद्यालय कैरो में, धर्मशास्त्र अध्ययन, तत्पश्चात् भारत आगमन; कलकत्ते में उर्दू साप्ताहिक "अलहिलाल" संचालित किया, इस पत्र पर सरकारी प्रतिबन्ध लग जाने से "अलबलाग़" नामी दूसरा साप्ताहिक निकाला जिससे अली भाइयों के साथ नज़रबन्द किये गये; १९२१—२२ के असहयोग एवं खिलाफत आन्दोलनों में विशेष भाग लिया; सविनय अवज्ञा आन्दोलन में कई बार जेल यात्रा; १९२३ में देहली के कांग्रेस विशेषाधिवेशन के सभापति; पुनः १९३० में स्थानापन्न कांग्रेस सभापति; सदस्य अ. भा. कांग्रेस कमेटी; सुयोग्य लेखक वक्ता एवं राजनीतिज्ञ, मुख्य रचना कुरान की टीका (३ जिल्दें); पता—बालीगंज, कलकत्ता ।

अनूप शर्मा—एम. ए. एल टी. ; ज. १९५७ विक्र; हेडमास्टर खैराबाद; वीर-रस-प्रधान कविता लिखते हैं; पुस्तकें सुनालकाव्य, सिद्धार्थ चरित्र;पता—खैराबाद ।

अभिराम शर्मा—ज० श्रावण

शुक्ल द्वितीया संवत् १९६०; जन्म स्थान अपानिवादा पोस्ट बिल्हौर जिला कानपुर; शि० अंग्रेजी; हिन्दी के प्रतिष्ठित कवि, आपकी सर्वोत्तम कृतियाँ छायावादी एवं राष्ट्रीय हैं । अभिराम पुस्तक माला के व्यवस्थापक, अनेक पुस्तकें प्रकाशित कीं; पुस्तकें—मुक्त-संगीत (जब्त थी, रोक हटा ली गई), अंचल, अम्बर, और विजयाविलास; पता—अभिराम निवास, बादशाही नाका कानपुर ।

अभेदानन्द, डा० स्वामी—रामकृष्ण मिशन के अधिष्ठाता

ज. १८६६; शिक्षा० पी. एच. डी.; सभापति रामकृष्ण वेदान्त सुसाइटी, कलकत्ता; श्रीरामकृष्ण परमहंस के शिष्य और स्वामी विवेकानन्द के गुरुभाई; ट्रस्टी बेलूर मठ तथा रामकृष्ण मिशन; लन्दन में १८९६ में वेदान्त पर अनेक भाषण; न्यूयार्क वेदान्त सुसाइटी का संगठन १८९७ में; इंगलैंड, कनाडा और अमेरिका की अनेक संस्थाओं में भाषण; अनेक संस्थाओं व रामकृष्ण आश्रमों के सभापति; ग्रन्थः—"रिइन्कारनेशन", "स्पिरिचुअल, अन्फोल्डमेण्ट," "फिलोसोफी आफ वर्क", "हाउ टु बी ए योगी", "डिवाइन हेरीटेज आफ मैन" इत्यादि; पता—रामकृष्ण वेदांत सुसाइटी, कलकत्ता।

अम्बेडकर, डा० भीमराव रामजी—हरिजनों के नेता, ज. १८९३; गायकवाड स्कालर होकर कोलम्बिया विश्वविद्यालय में अर्थ शास्त्र एवं सोशियालोजी पढ़ने गये और एम. ए, पी. एच. डी की डिग्री प्राप्त की; अर्थशास्त्र के प्रोफेसर सिडेनहेम कालेज बम्बई १९०७; जर्मनी में तथा लन्दन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और कामर्स तथा अर्थशास्त्र में डी. एस सी. डिग्री ली; १९२६ के करेन्सी रायल कमीशन के समक्ष बयान दिये; बहिष्कृत हितकारिणी सभा के जन्मदाता; सम्पादक "बहिष्कृत भारत,"; दलित जातियों में जागृति पैदा करने के लिये अनन्य उपाय किये और अनेकों सभाओं के सभापति हुये; गोलमेज़ कान्फ्रेन्स के सदस्य (१९३०—३२); सदस्य, ज्वाइण्ट पार्लियामेण्टरी कमेटी (१९३२); "पूना पैक्ट" के मुख्य सदस्य; ग्रन्थ, "दि प्राबलम आफ दि रूपी", "इवोल्यूशन आफ प्राविन्शियल फायनेन्स इन ब्रिटिश इण्डिया", "कास्ट्स इन इण्डिया" इत्यादि; पता—राजगृह, हिन्दू कालोनी, दादर, बम्बई १४।

अमर सिंह—प्रसिद्ध क्रिकेटियर; ज. १९१०; इंगलैंड को जाने वाली अ. भा क्रिकेट टीम के सदस्य; अनेक पुरस्कारों के प्राप्त कर्ता; पता—जामनगर।

अमरनाथ झा, प्रो०—ज० २१ फरवरी १८९७ ई०; शि० एम० ए०; प्रयाग म्युनिसिपल बोर्ड के भूतपूर्व सीनियर वाइस चेयरमैन; प्रयाग सार्वजनिक पुस्तकालय के अवैतनिक मंत्री; यू० पी० ओलेम्पिक एसोसियेशन के सभापति; सभापति हिन्दी विभाग आलइन्डिया ओरियण्टल कान्फ्रेन्स (१९२९); चेयरमैन इण्टर यूनीवर्सिटी बोर्ड (१९३६-३७); सदस्य, लीग आफ नेशन्स एडवायज़री

कमेटी (१९३४); उपसभापति लंदन पोयट्री सुसायटी; सभापति यू० पी० शाखा इंगलिश एसोसियेशन; पुस्तकें—शेक्सपीरियन कमेडी, लिटरेरी स्टडीज़, एन्थालोजी आफ माडर्न वर्स(अंग्रेज़ी); पद्म पराग, संस्कृत टीका दशकुमार चरित; पता—प्रयाग।

अमरनाथ—प्रसिद्ध क्रिकेटियर ज० १९०६; क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी; अ० भा० क्रिकेट टीम के (जो १९३६ में विलायत गई थी) सदस्य; अनेक संस्थाओं में यश प्राप्त किया; पता—नार्दर्न इण्डिया क्रिकेट एसोसियेशन, लाहौर।

अमृत कौर, राजकुमारी—शिक्षा इंग्लैण्ड में; स्त्री जाति की उन्नति के लिये अनेक संस्थाओं में काम किया; जे० पी० (१९३३; फ्रेंचाइज कमेटी (१९३३) के समक्ष बयान दिये; मेम्बर जलन्धर म्यूनिसिपेलिटी; लेडी अरविन कालेज आफ होम सायन्स देहली की कार्यकारिणी एवं गवर्निंग बाडी की सदस्या; टेनिस खेलने की प्रतियोगता में लब्धप्रतिष्ठ; पता—मैनर विली, शिमला वेस्ट।

अयोध्यानाथ शर्मा—ज० ८ दिसम्बर १९९७ ई०; शि० एम० ए० संयोजक हिन्दी बोर्ड आफ स्टीडीज़ (आगरा वि. वि); सदस्य फैकल्टी आफ़ आर्टस; अनेक हिन्दी प्रचारक समितियों के सदस्य; शब्द-सागर में सहायक सम्पादक; पुस्तकें—उज्ज्वल तारे, गद्य मुक्तावली, गद्य मुक्ताहार, प्रभावती साहित्य कुसुम, बालव्याकरण इत्यादि; पता—आर्य-नगर, पो० नवाबगंज, कानपुर।

अयोध्या सिंह उपाध्याय—ज० १८६५ ई०; अध्यापक, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय; सर्वोच्च कोटि के हिन्दी कवि; पुस्तकें—ठेठ हिन्दी का ठाट अधखिला फूल, प्रिय प्रवास आदि अनेक पुस्तकें लिखी हैं; पता—बनारस।

अली शौकत, मौ०—शि० एम. ए. ओ कालेज अलीगढ़, बी., ए.; सरकारी अफीम बिभाग में नियुक्त; राष्ट्रीय कार्य के कारण पदत्याग किया; अलीगढ़ कालेज के लिये धन एकत्र किया; महायुद्ध के समय डिफेन्स आफ इंडिया ऐक्ट द्वारा नजरकैद; खिलाफत और असहयोग आंदोलनों के प्रमुख नेता १९१९-२१; दो वर्ष की कड़ी कैद, अध्यक्ष, आल इंडिया मुसलिम कांफ्रेंस १९२८; मुसलमानों के प्रमुख नेता; वर्तमान नीति कांग्रेस का विरोध,

मेम्बर, केन्द्रीय एसेम्बली; पता—दिल्ली ।

अवस्थी, रमाशंकर—ज० मई १८९७ ई०; कांग्रेस के कार्यकर्ता; उच्चकोटि के निर्भीक सम्पादक; 'अभ्युदय' तथा 'प्रताप' के भूतपूर्व सहायक सम्पादक; 'वर्तमान' दैनिक के संस्थापक एवं संचालक; पुस्तकें 'रूस की राज्य क्रांति', 'बोलशेविक, जादूगर' 'सत्याग्रह गाइड' आदि; पता—'वर्तमान', कानपुर ।

अवध बिहारी मालवीय, 'अवधेश'—ज० सम्वत १९४२; हिन्दी के अच्छे कवि; पुस्तकें—राष्ट्रीय अष्टक, अवधेश पचासा, हिन्दूसंगठन, कृष्णाष्टक, शिवाष्टक, अवधेश कुसुमाञ्जलि; पता—गणेशनगर, नागपुर ।

अशरफ, डा० कुवंर मोहम्मद—शि० एम० ए०, एल एल० बी०, पी एच० डी० (लन्दन); अलीगढ़ वि० वि० के भूतपूर्व इतिहास प्रोफेसर; असहयोग (१९२१) में कालेज छोड़कर अन्दोलन में प्रमुख भागलिया; बाद में नेशनल मुस्लिम विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे; अ० भा० कांग्रेस कमेटी के आर्थिक एवं राजनैतिक बिभाग के मंत्री; पता—स्वराज्य भवन, प्रयाग ।

अहमद, सैयद अशरफुद्दीन खान बहादुर नवाबजादा; सी. आई. ई.; जन्म ६ जनवरी १८६९, मेम्बर लेजिसलेटिव कौंसिल और वाइस प्रेसीडेन्ट बिहार उड़ीसा हज कमेटी; शि० कलकत्ता, मद्रास, डफरन कालेज इत्यादि; ए. डी. सी. अन्तिम राजा अवध के १८७४; मैनेजर हुगली इमाम बाड़ा १८७९; लाइफ ट्रस्टी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और फेलो कलकत्ता यूनिवर्सिटी; पुस्तकें—तुहफये सखुन, नौरतन, यादगार दर्दाना; तशाकत मोहसिनिया; पता– नवाब कोठीबाढ, (ई. आई. आर.) पटना ।

अहमद हसन, सर—नवाब अमीन जंग बहादुर, एम. ए, बी. ऐल. सी. ऐस आई. १९११, नवाब १९१७, के. सी. आई ई. १९२०; मिनिस्टर इनवेटिंग निजाम; सिक्रटरी निजाम सरकार; जन्म ११ अगस्त १८६३; हाई कोर्ट वकील १९९०; डिप्टी कलेक्टर और मैजिस्ट्रेट १८९०-९२; असिस्टैन्ट सेक्रटरी निजाम १८९३; पता—हैदराबाद ।

आगरकर, सिद्धनाथ माधव, सी० पी० के प्रसिद्ध हिन्दी पत्रकार; शि. बी. ए.; ज० १९४८ विक्र; 'कर्मबीर' (जबलपुर) के सहायक

सम्पादक; खंडवा से साप्ताहिक पत्र "मध्यभारत" निकाला(१९२२-२३); नागपुर के अर्धसप्ताहिक "प्रणवीर" के सहकारी सम्पादक; सन १९२३ में श्री० माखनलाल चतुर्वेदी के साथ "कर्मवीर" निकाला; सन १९३१ से खंडवा से हिन्दी "स्वराज्य" बड़ी सफलता पूर्वक सम्पादन कर रहे हैं; मंत्री महाकोशल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी (१९२६); मेम्बर आल इन्डिया कांग्रेस कमेटी (१९२६-३१); उपसभापति मध्य भारत प्रान्त परिषद; प्रधान नेता निमाड जंगल सत्याग्रह (१९३८); जेल यात्रा (१९३०); पता—'स्वराज्य', खंडवा।

आग़ाख़ां हिज़ हाईनेस सर— ज. १८७५; प्रिवी कौन्सिलर १९३४; पूर्वी अफ्रीका, मध्य ऐशिया, भारत वर्ष के इस्माइली मुसलमानों के महन्त; योरुपीय महायुद्ध में सेवाओं के उपलक्ष में देशी नरेशों की प्रथम श्रेणी में घोषित किये गये; ११ तोपों की सलामी दी गई; अन्तर्राष्ट्रीय लीग असेम्बली के सभापति; आधुनिक घुड़दौड में विशेष रुचि, योरुप व भारत में अनेक घोड़ों के मालिक; रौंडटेबल कांफ्रेंस में मुसलमानों के नेता; पता—आगा हाल, बम्बई।

आचार्य, प्रसन्न कुमार— ज० १८९० आई. ई.एस., एम. ए.; पी एच डी. लीडेन (Leyden), डी. लिट (लन्दन), पुरातत्व विज्ञान, भाषा विज्ञान, स्थापत्य कला (Architecture) विज्ञान में विश्वविख्यात आचार्यों से शिक्षा प्राप्त की; ऋषिकुल कालेज हरद्वार के प्रिंसपल रहे; गवर्मेन्ट आफ इण्डिया स्टेट्स स्कालर (१९१४—१८) तक रहें; मद्रास के गवर्नर लार्ड पेंटलैण्ड द्वारा 'आर्कीटेक्चुरल टेक्स्ट' के संपादन में सहायक १९१९; प्रोफेसर पटना कालेज १९१९—२०; इलाहाबाद विश्व-विद्यालय के 'ओरियंटल डिपार्टमेंट' के हेड; ग्रन्थ—भारतीय स्थापत्य कला पर ५ पुस्तकें, टेक्स्ट आफ मानसार; पता—जार्ज टाउन, इलाहाबाद।

आबिदअली जाफरभाई— ज० १९००; २ आने रोज़ के कुली से जीवनारम्भ; १९१७ में सरकारी नौकरी; १९२१ के असहयोग आन्दोलन में पदत्याग; १९२१—२४ तक आवैतनिक मंत्री सी. पी. कांग्रेस कमेटी और ख़िलाफ़त कमेटी; अ. भा. कांग्रेस कमेटी के सदस्य; १९२३ में २२½ माह की सज़ा; १९२५ में बम्बई में अ. भा. शिया कांन्फ्रेन्स की स्वागत समिति के जनरल सेक्रेटरी; सिंगापूर, ईरान आदि स्थानों से

व्यापार किया; इंडियन मर्चेंट्स चेम्बर और इण्डियन एसोसियेशन, सिंगापुर के अवैतनिक मंत्री; १९२९ में कांग्रेस मुसलिम पार्टी को संगठित किया और उसके अवैतनिक जनरल सेक्रेटरी; १९२९ से बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के मंत्री; १९३०—३३ तक चार बार जेल यात्रा; १९३१ के शराबबंदी आन्दोलन में गोली लगने से एक टांग बिलकुल टूट गई; बिहार भूकम्प घटनास्थल पर प्रशंसनीय सेवा कार्य; १९३४ में बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के मन्त्री; कौंसिल प्रवेश से असहमत होकर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से पदत्याग स० १९३५; पता—डायरेक्टर, स्टैण्डर्ड जनरल्स लिमि०, बम्बई ।

आयंगर, सी. दुरायस्वामी— ज० १८७३; शिक्षा बी. एल.; लेजिस्लेटिव एसेम्बली (केन्द्रीय) के भूतपूर्व सदस्य; सभापति ज़िला कांग्रेसकमेटी तालुक़ बोर्ड और म्यूनिसिपल कौंसिल चित्तूर; सभापति आन्ध्र प्रांतीय कान्फ्रेन्स १९२८; ग्रन्थ-श्री वेंकटेश, लेसन्स फ्राम श्री भगवद्गीता, हिन्दूइज़्म इन दि लाइट आफ विशिष्ठाद्वैतम्, गान्धी अनवेल्ड, एसोटरिक स्टडी आफ रामायण; पता—चित्तूर ।

आरकोट, प्रिन्स आफ, सर गुलाम मुहम्मद अली खान बहादुर—प्राचीन नवाब कार्नाटक के वन्शज; जन्म १८८२; शि० न्यूइंगटन कोर्ट आफ वार्डस इन्स्टीट्यूशन मद्रास; मेम्बर मद्रास लेजिस्लेटिव कौंसिल १९०४-०६ व १९१६-१७; मेम्बर इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल १९१०—१३; प्रेसीडेन्ट आल इण्डिया मुसलिम लीग १९७०; पता—अमीर महल, रोयापेट्टा, मद्रास ।

आरोग्य स्वामी मुडालियर— आनरेबल दीवान बहादुर रायपुरम नल्लवीरम; बी. ए., बी. सी. ई; राव बहादुर (१९१५); दीवान बहादुर (१९२५); मिनिस्टर पब्लिक हैल्थ और एकसाइज मद्रास में रहे; ज० १८ अप्रैल १८७०; शि० मद्रास क्रिश्चयन कालेज आफ इंजीनियरिंग मद्रास; सरकारी नौकरी (१८९६ से १९२५); पता—मयलापुर ।

आलम, डा० शेख, महमूद— बार ऐट ला; मेम्बर पंजाब लेजिस्लेटिव एसेम्बली ज० १८९२; शि० आक्सफोर्ड और ट्रिनिटी; असहयोग में वकालत स्थगित की पुनः आरम्भ की १९२३; पंजाब कौंसिल में नेशनेलिस्ट पार्टी के नेता; प्रमुख काँग्रेस कार्यकर्त्ता; प्रेसीडेण्ट यूथ लीग झांसी और बंगाल और राजनैतिक कांफ्रेंस

सागर नमक क़ानून तोड़ने के कारण जेल, पता—लाहौर।

आसफ़ अली—बार-ऐट-ला,

अडवोकेट लाहौर हाईकोर्ट; ज० ११ मई १८८८; शि० दिल्ली, लिंकन्स इनलंदन; प्रेसीडेण्ट दिल्लीप्रान्तीय कांग्रेस १९२३; म्यु० कमिश्नर दिल्ली; डिफेन्स आफ इंडिया ऐक्ट के अनुसार मुक़दमा चला लेकिन छूट गए १९१८; असहयोग में वकालत स्थगित कर दी १९२०; क्रिमिनल ला एमेण्डमेण्ट ऐक्ट के अनुसार १॥ साल की सजा; मिश्र देश, इंगलैण्ड, फ्रांस, स्विटजरलैंड, इटली, जर्मनी, टर्की आदि देश में भ्रमण किया; एसेम्बली बम केस में भगतसिंह और दत्त की तरफ से पैरवी की; मेम्बर केन्द्रीय लेजिसलेटिव एसेम्बली १९३५ से; पता—कूचा चेलान दिल्ली।

आसफअली, श्रीमती अरुणा-प्रसिद्ध लेखिका, ज० १९०९; अनेक भाषाओं में शिक्षित; नेशनल कौंसिल आफ विमेन की सदस्या; देहली विमेन्स लीग की सिक्रेटरी १९२९; स्त्रियों की उन्नति के लिये अनेक सेवायें की; सविनय असहयोग आन्दोलन में ६ मास की सजा १९३०, १९३२; सुयोग्य वक्ता; पता—देहली।

इक़बाल बहादुर वर्मा—ज० १९४२ विक्र०; हिन्दी के प्रसिद्ध कवि एवं अनुवादक; पुस्तकें :—सत्याग्रह का महत्व, शकुंतला का उर्दू पद्यानुवाद, शेख सादी के करीमा का हिन्दी पद्यानुवाद; पता—हथग्राम, जि० फतेहपुर।

इन्द्र विद्यावाचस्पति, प्रो०—ज० १८८९ ई०; प्रधान, जि० कांग्रेस कमेटी दिल्ली (१९३५-३६), सूबा कांग्रेस कमेटी दिल्ली (१९३७), स्वागत कारिणी सभा, आल इण्डिया कन्वेशन दिल्ली (१९३७) तथा दलितोद्धार सभा दिल्ली; जेलयात्रा कई बार; 'सद्धर्म प्रचारक', 'सत्यवादी' 'विजय', 'वीर अर्जुन', आदि का सम्पादन किया; व्यवस्थाक गुरुकुल विद्यालय कांगड़ी; पुस्तकें—कारण, अपराधी कौन (उपन्यास), स्वर्ण देश का उद्धार (नाटक), नैपोलियन बोनापर्ट, प्रिन्स बिस्मार्क, गैरी-

बाल्डी, जवाहर लाल (जीवनी); पता—दिल्ली।

. इमाम, सर सैयद हसन— बैरिस्टर; ज० ३० अगस्त १८७१ ई०; शि० पटना और इंगलैण्ड; बैरिस्टर मिडिल टेम्पिल १८९२; जज कलकत्ता हाईकोर्ट (१९१२-१६); प्रेसीडेंट स्पेशल सेशन राष्ट्रीय कांग्रेस १९-१८; प्रेसीडेण्ट आल इण्डिया होमरूल लीग; डेलीगेट लन्दन कांफ्रेंस टर्किश पीस ट्रीटी १९२१; भारतीय प्रतिनिधि लीग आफ नेशन्स १९२३; पता—हसरत मंजिल, पटना।

इसमाइल, मिरजा मुहम्मद दीवान मैसूर; ज० १८८३; शि० महाराजा मैसूर के सहपाठी (पैलेस स्कूल,) बी. ए. १९०५; मैसूर सर्विस (पुलिस, एकाउन्ट, और सर्वे मुहकमें) १९०५; असिस्टंट सेक्रटरी महाराजा (१९०८) हुजूर सेक्रटरी (१९२४); प्राइवेट सेक्रटरी महाराजा (१९२२); अमीनुल मुल्क की पदवी (१९२०); पता—समर पैलेस, मैसूर।

ईश्वरीप्रसाद, डा०—ज० १८-९२ ई०; शि० एम. ए. एल एल. बी.; हिन्दी व अंग्रेज़ी के प्रकाण्ड विद्वान, सुप्रसिद्ध इतिहासकार; सदस्य कार्यकारिणी समिति, फैकल्टी आफ आर्ट्स और बोर्ड आफ स्टीज़ आगरा वि० वि० (१९२७ से); सदस्य कार्यकारिणी समिति, एकाडिमिक कौंसिल और फैकल्टी आफ आर्ट्स प्रयाग वि० वि० (१९३५-३८); सदस्य कार्यकारिणी समिति हिन्दुस्तान एकाडेमी (१९३०-३३); सदस्य बोर्ड आफ़ ट्रस्टीज़ आगरा कालेज; ग्रामसुधार में विशेष रुचि; पुस्तकें—हिस्ट्री आफ मेडीवल इण्डिया, हिस्ट्री आफ मुस्लिम रूल इन इण्डिया, न्यू हिस्ट्री आफ इण्डिया, इत्यादि अनेक इतिहास पर पुस्तकें; पता—प्रयाग वि० वि०, प्रयाग।

उदय शंकर—नृत्यकला में प्रवीण; लन्दन में मैडेम पैवलोवा ने इनको नाचने के लिये अपना जोड़ चुना; लन्दन में जार्ज पंजुम के सामने नाचे, किया, नार्वे, स्वेडन, डेनमार्क के बादशाहों ने भी इनका स्वागत किया; सारा संसार भ्रमण किया और पुरस्कार पाये; पेरिस में एक कम्पनी खोली और काफी धन कमाया; भारत में भी काफी सम्मान प्राप्त किया; पता—कलकत्ता।

उदयशंकर भट्ट—हिन्दी के उत्कृष्ट लेखक, ज० श्रावण शुक्ला नाग पंचमी; सं० १९५४ वि० जन्म-

स्थान आगरा संयुक्त प्रान्त; डी० ए० बी० कालेज, लाहौर में हिन्दी व संस्कृत के भूतपूर्व प्रोफेसर; रहस्यवाद में निराशा एवं वेदना प्रधान अनुभूतिवादी इस कारण वियोगान्त नाटक लिखने में रुचि; पुस्तकें-विक्रमादित्य, दाहर, अम्बर, सागर विजय, मत्स्यगन्धा, विश्वामित्र (नाटक), तक्षशिला, रामा, मानसी, (काव्य), कृष्णचन्द्रिका, गुमान मिश्र का शकुन्तला (सम्पादित ग्रन्थ) आदि; पता—लाहौर।

उपाध्याय, हरिभाऊ—ज० चैत्र कृष्ण ९ सं० १९४९; स्थान भौंरासा (ग्वालियर); शि० हिन्दू कालेज बनारस; महात्मा गांधी के अनुयायी, सम्पादक, "औदुम्बर" काशी (१९१२-१५) उपसम्पादक "सरस्वती" १९१३-१८, "हिन्दी नवजीवन" १९२१-२५ "त्यागभूमि" अजमेर; अनुवादित पुस्तकें—काबूर, रागिणी, सम्राट अशोक, इत्यादि; मुजफ्फरपुर के सम्मेलन के सभापति चुने गये पर स्वीकार नहीं किया; हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थायी समिति के सदस्य; अध्यक्ष राजस्थान अछूत सहायक मण्डली; संचालक गांधी सेवा संघ (राजस्थान शाखा) सस्ता साहित्य मंडल के संस्थापकों में; खादी प्रचार अस्पृश्यता निवारण तथा राजस्थान की सेवा का कार्य करते हैं; पता—त्यागभूमि कार्यालय, अजमेर।

उपेन्द्रनाथ "अश्क"—प्रसिद्ध उर्दू तथा हिन्दी लेखक; जन्म, १४ दिसम्बर १९१० (जालंधर); शि० बी. ए; एलएल. बी; १९२७ में उर्दू लेख लिखना प्रारम्भ किया; स्व० लाला लाजपतराय के "बन्देमातरम" तथा "वीरभारत" पत्रों में उप—सम्पादक; उर्दू में "नौरत्न" (१९३०) और "औरत की फितरत" (१९३३) नामक कहानियों के संग्रह प्रकाशित किये; सं० १९३६ में पत्नी के देहान्त होने पर हिन्दी लिखना प्रारम्भ किया; रेडियो में इनके दो नाटक ब्राडकास्ट हुये; हिन्दी नाटक "जय पराजय" (१९३७) में लिखा जो पंजाब यूनिवर्सिटी और राजपूताना बोर्ड में पाठ्य पुस्तकों में रक्खा गया; पता—लाहौर।

उमेश मिश्र, डा०—ज० १८९९; शि० संस्कृत में द्वितीय डाक्टर आफ लेटर्स (इलाहाबाद यूनिवर्सिटी); पुस्तकें—Conception of Matter according to Nyaya Vaisheshik, Vidyapati Thakur, Kapil and his Philosophy; तथा अन्य; प्रोफेसर

इंडियन फिलासफी; इलाहाबाद यूनिवर्सिटी; पूर्व निवासस्थान दरभंगा; पता—इलाहाबाद।

एण्डूज़, सी० एफ़०—ज० १८७१; प्रोफेसर, शान्तिनिकेतन विश्वविद्यालय, बंगाल; दीनहिन परायण होने से दीन बन्धु के नाम से प्रसिद्ध हैं; शिक्षा, बरमिंघम और केम्ब्रिज; फेलो और लेक्चरर पेम्ब्रोक कालेज १८९९; वाइस प्रिंसपल वेसकट हाउस केंब्रिज १९००-०४; प्रोफेसर, सेण्ट स्टीफेन्स कालेज, देहली; फेलो पंजाब युनीवर्सिटी १९१४; दक्षिण अफ्रिका में महात्मा गांधी के सत्याग्रह आन्दोलन में सहायता की; ग्रन्थः—"दि रिनेसांस इन इण्डिया", "क्राइस्ट एंड लेबर", "दि इण्डियन प्राबलेम", "इंडियन्स इन साउथ अफ्रीका", "ड्रिंक एण्ड ड्रग ईविल" पताः—शांति निकेतन, बोलपुर, बंगाल।

एरंडेल, डा० जार्ज सिडनी—ज० १८७८; शिक्षा (जर्मनी इंग्लैण्ड, जर्मनी और फ्रांस) डी० लिट०, एम० ए०, एल एल० बी०; फेलो, रायल हिस्टारिकल सोसाइटी; सभापति थियोसाफिकल सोसाइटी; बचपन ही से थियोसोफी से प्रेम रहा; १८९५ में सोसाइटी में सम्मिलित हुये; सेण्ट्रल हिन्दू कालेज, बनारस में हिस्ट्री के प्रोफेसर १९०३; इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फेलो; नेशनल विश्वविद्यालय मद्रास के भूतपूर्व प्रिंसपल; होल्कर स्टेट के भूतपूर्व शिक्षा मन्त्री; भारत लिबरल के थोलिक चर्च के भूतपूर्व रिजनरी बिशप; स्काउट्स एसोसियेशन तथा सेवा समिति के पदाधिकारी रहे; होमरूल आन्दोलन में श्रीमती एनी बेसेंट के साथ कार्य किया और ओटाकामण्ड में नज़रबन्द किये गये; मद्रास लेबर यूनियन के भूतपूर्व अवैतनिक सभापति; विश्वव्यापी थियोसाफिकल आन्दोलन के प्रमुख रहे; भूतपूर्व सम्पादक 'न्यू इण्डिया', मद्रास; थियोसाफिकल; सुसाइटी के सभापति हुये १९३४; ग्रन्थः—'निर्वाण', 'माउण्ट एवरेस्ट', 'यू', 'गाड्स इन दि बिकमिंग' इत्यादि, पताः—अडयार, मद्रास।

कनिका राजा-राजेन्द्र नारायण भंज—ज० १८८१ ई०; मेम्बर बंगाल ले० कौं० (१९०९-०); बिहार उड़ीसा ले० कौं० (१९१२-१६), व इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल (१९१६-२०); उप-सभापति बंगाल और बिहार लैण्ड होल्डर्स एसोसियेशन; मेम्बर, बंगाल फिशरी बोर्ड, रायल एशियाटिक सुसाइटी, तथा

गवर्निंग बोर्ड रेविनशा कालेज कटक; फेलो, पटना युनिवर्सिटी; पता--कटक

कमलापति त्रिपाठी शास्त्री—सम्पादक "आज" दैनिक; जन्म—भाद्रपद शुक्ला ५, संवत् १९६२ वि०; शि० शास्त्री, काशी विद्यापीठ; काँग्रेस कार्यकर्त्ता; असहयोग आन्दोलन में जेलयात्रा १९२९, १९३०, तथा १९३२; काँग्रेसी मेम्बर यू० पी० एसेम्बली (१९३७); पुस्तकें—मौर्य कालीन, भारत का इतिहास. कांग्रेस के इतिहास में काशी का स्थान, पता—"आज" आफिस, बनारस।

कर्वे, प्रो० धोंडू केशव,--बी. ए., संस्थापक इंडियन, वीमेन्स युनिवर्सिटी; जन्म मई १८८५, स्त्रियों की उन्ननि के लिये उच्चकोटि के कार्यकर्त्ता, पूना के पास विधवाश्रम स्थापित किया (१८९६); नेशनल सोशल कान्फ्रेन्स के अध्यक्ष (१९१५), पता--पूना।

करमरकर, विनायक राव पांडोबा—ज० १८९२; शि० बंबई स्कूल आफ आर्ट १९१०-१३; कलकत्ते में शिल्पकारी का काम किया (१९१६–२०); उच्च शिक्षा के लिये इंगलैंड आर्टफौंड्री में मजदूर बनकर काम सीखा; हिन्दुस्तानी होने से कालेजों में जगह न मिली; अच्छा कार्य होने से रायल ऐकेडेमी में एकदम तीसरे वर्ष के वर्ग में लिये गये; सं० १९२२ में इटली में रोम, फ्लारेंस नेपल्स, पांपाई, आदि नगरों में मूर्ति-निर्माण कला सीखी; स० १९२४ से उत्तरोत्तर उन्नति हुई; पूना के शिवाजी स्मारक के लिये शिवाजी की अश्वारूढ मूर्ति १४ फुट ऊँची निर्माण की; पता—४ वार्डन रोड बंबई।

करन्दीकर, जे. एस.-जन्म १८ फरवरी १८७५; लोकमान्य तिलक के सहयोगी कार्यकर्ता; ज्योतिष शास्त्र के प्रख्यात पंडित; शि० बी० ए० एल०-एल. बी. उपाधि-तत्व भूषण; अध्यक्ष प्रथम बृहन्महाराष्ट्र परिषद झांसी १९२६; मराठी साहित्य सम्मेलन ग्वालियर में प्रमुख भाग लिया; वर्तमान सम्पादक 'केसरी' पूना; पुस्तकें कौटिल्य अर्थशस्त्र, आदि। पता--केसरी आफिस, पूना।

करीम भाई इब्राहीम, सर—मर्चेंट तथा मिल मालिक ज० १८६७, मुख्य सदस्य, खोजा मुस्लिम समाज; ट्रस्टी बम्बई पोर्ट १६ वर्ष; सदस्य म्यू० कारपोरेशन २० साल; डायरेक्टर बोर्ड बैंक आफ इंडिया; पता--बेलविडियर, बम्बई।

करीम भाई, सर फज़ल भाई— मिल ओनर तथा मर्चेंट बम्बई, ज० १८७२, सदस्य, वेट्स ऐण्ड मेज़र कमेटी; सदस्य बम्बई प्राविंशियल कौंसिल तथा इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल; शेरीफ बम्बई १९२६, डेलीगेट इण्टर नेशनल फाइनेनशियल कान्फ्रेन्स ब्रसेलस (१९२०) पता—बम्बई।

करुणा शंकर शुक्ल 'करुणेश'— कवि तथा लेखक, जन्म, कार्तिक शुक्ल; सं० १९६४, पुस्तक—"हिलोर", पता—चौक कानपुर।

कवीशर, शार्दूल सिंह— ज० १८८६, अमृतसर, शिक्षा—बी० ए०; सिक्खों में काँग्रेस प्रचार कार्य तथा असहयोग आन्दोलन में विशेष भाग; बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के फेलो (१९२७); दिल्ली से "सिखरिव्यू" और लाहौर से 'न्यू हेराल्ड' पत्र प्रकाशित किये; प्रान्तीय काँग्रेस कान्फ्रेन्स के सभापति हुए (१९२५); कॉग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य (१९२५ व १९२६); स्थानापन्न काँग्रेस सभापति (१९३२) पीपुल इंशोरेन्श कम्पनी के संचालक (१९-२६ से); पुस्तकें—Non-voilent Non-Co-operation, Studies in Sikh Religion, इत्यादि, पता:—चेम्बर लेन रोड, लाहौर।

कस्तूर भाई लालभाई, सेठ— मिल ओनर, ज० १८९४ ई०; अवैतनिक मन्त्री अहमदाबाद फेमीन रिलीफ कमेटी १९१८-१९; उप सभापति अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसियेशन १९२३-२४; सदस्य केन्द्रीय असेम्बली १९२३-२६; प्रतिनिधि इंटरनेशनल लेबर कान्फ्रेंस जिनेवा १९२९, पता—अहमदाबाद।

काजी, सैयद हिफाजत अली— ज० १८९२; बी. ए. एल. एल. बी.; सभापति म्यु० कमेटी खंडवा १९२०; भूतपूर्व मिनिस्टर स्वायत्त शासन सी० पी० सरकार, पता—खंडवा।

काटजू, डा० कैलाशनाथ— शिक्षा० एम. ए. एल. एल. डी.; प्रसिद्ध एडवोकेट; काँग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता; काँग्रेसी एम. एल. ए., यू. पी. (१९३७); भूतपूर्व चेयरमैन. इलाहाबाद म्यू० बोर्ड; मिनिस्टर यू० पी० सरकार १९३७, पता—लखनऊ।

कानजी द्वारकादास— ज० १८९१; सदस्य, बम्बई लेजिस्लेटिव कौंसिल १९२१; अवैतनिक ट्रेज़रर, आलइंडिया होमरूल लीग, बम्बई ब्रांच; जनरल सेक्रेटरी होमरूल लीग; पता—रिज रोड बम्बई।

कामत, बी० एस०—ज० १८७१; शि० बी. ए; सदस्य, बम्बई लेजिस्लेटिव कौंसिल १९१३–२० व केन्द्रीय असेम्बली १९२१-२३; सदस्य रायल कमीशन एग्रीकलचर १९२७; पता—पूना।

कामता प्रसाद गुरु—हिन्दी लेखक; जन्म० पौष कृष्ण ६, सं० १९६२ वि०; प्रान्तीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन (कटनी १९३५) के अन्तर्गत कवि सम्मेलन के सभापति; भारत धर्म महामंडल काशी से "व्याकरण रत्न" की उपाधि प्राप्त पुस्तकें—"हिन्दी व्याकरण" (मध्य प्रदेश की सरकार से सुवर्णपदक प्राप्त), मध्य हिन्दी रचना, अन्त्याक्षरी, पार्वती, यशोदा, हिन्दुस्तानी शिष्टाचार (उपन्यास), सुदर्शन (नाटक); पता—जबलपुर सी० पी०।

कालिदास कपूर—प्रसिद्ध हिन्दी लेखक, जन्म–११ अगस्त ११९२, शि० एम. ए. एल. टी; हेडमास्टर कालीचरण हाई स्कूल लखनऊ (१९२१ से), लेखक--भारतवर्ष का प्रासंगिक इतिहास, भारतीय इतिहास की कहानियाँ, हिन्दी सार संग्रह, आधुनिक पद्यावली, साहित्य समीक्षा, शिक्षा समीक्षा, Towards a Better Order; यू० पी०सेकंडरी एजूकेशन एसोसियेशन के सभापति (१९२५-२६) व प्रधान मंत्री (१९३१-३५); 'Education' के सम्पादक (१९३२-३४); और १९३८ से; बोर्ड आफ हाई स्कूल और इण्टरमीडियेट एजूकेशन में प्रान्तीय हेडमास्टरों की ओर से प्रतिनिधि (१९३५-३७); उक्त बोर्ड की हिन्दी कमेटी के सभापति (१९३१-३७); जापान यात्रा (१९३६); यू० पी० एस ई० ए० कोआपरेटिव बेनिफिट सोसाइटी के सभापति १९३३ से; पता—लखनऊ।

काले, वामन गोविन्द—ज० १८७६; लाइफ मेम्बर दक्षिण एजूकेशन सोसाईटी पूना १९०७; फेलो बम्बई यूनीवर्सिटी १९२२ तक; प्रोफेसर हिस्ट्री तथा इकोनोमिक्स फरग्यूसन कालेज; सदस्य इंडियन फिस्केल कमशीन और टैरिफ बोर्ड १९२२; मन्त्री डो० ई० सोसाइटी १९२५-२८; पुस्तकें—अनेक पुस्तकों के लेखक; पता—फरगूसन कालेज, पूना।

कालेलकर, दत्तात्रय बाल कृष्ण, उर्फ काका कालेलकर—ज० १८८५, शिक्षा बी. ए. 'राष्ट्रमत' (साप्ताहिक) के सम्पादन में संयोजक; राष्ट्रीय शिक्षा की उन्नति में विशेष रुचि; गणेश विद्यालय बेलगाँव,

गंगानाथ विद्यालय बड़ौदा, ऋषिकुल हरद्वार, सिन्धु ब्रह्मचर्याश्रम हैदराबाद आदि संस्थाओं की उन्नति में प्रमुख भाग; शान्तिनिकेतन के शिक्षक १९२५; हिमालय पर लगभग २००० मील पैदल यात्रा की; ब्रह्मदेश तथा लंका का भ्रमण; गुजरात विद्यापीठ की स्थापना में सहायक और उसके वाइस चान्सलर एवं प्रिंसपल (१९२७-३४); गांधी जी की अनुपस्थिति में 'नवजीवन' का सम्पादन किया; अनेक बार जेल गये; नागरी लिपि सुधार समिति के सभापति; वर्धा शिक्षा आयोजन के प्रमुख पुरस्कर्ता; पताः—मगन वाड़ी वर्धा।

कावस जी जहांगीर, सर, (जूनियर)—जं० १८७९; शि० सेंट जेवियर कालेज बम्बई और सेंटजान्स कालेज केम्ब्रिज; अनेक वर्षों तक मेंबर बंबई कारपोरेशन १९०२-०७; मेंबर लेजिसलेटिव कौंसिल १९२१; मेयर, बम्बई; प्रमुख नेता लिबरल दल; पता—रेडीमनी हाउस, मलार हिल बम्बई।

कासिम बाजार, महाराजा सर मनीन्द्र चन्द्र नन्दी, के. सी. आई. ई.—वाइस प्रेसीडेण्ट बंगाल लेंडहोल्डरस एसोशियेशन और ब्रिटिश इंडियन एसोसियेशन; व कुछ समय तक कौंसिल आफ स्टेट के; प्राचीन विद्या में आधिक रुचि रखते हैं; लेखक—हिस्ट्री आफ इण्डियन शिपिंग एण्ड मेरीटायम, ग्रेट वैष्णव ग्रन्थाज, दी इंडियन मेडिकल प्लांट, इत्यादि, पता—कासिम बाजार बंगाल।

किचलू, डा० सैफुद्दीन—बार-एट-ला; वकालत आरम्भ १९१३ (रावलपिंडी); विवाह १९१५; सत्याग्रह में प्रमुख भाग लिया १९१९; मारशल ला में कैद और देश निकाला (दिसम्बर १९१९); सेक्रेटरी मुस्लिम लीग १९२८; नमक क़ानून भंग में जेलयात्रा १९३०; पंजाब में कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्त्ता पता—अमृतसर।

किदवई, शेख रफी अहमद—

रेवेन्यू मिनिस्टिर यू० पी० सरकार जन्म १८९४ ई०; शिक्षा० अलीगढ़ कालेज; असहयोग में शिक्षा त्याग १९२०; ह्विप कॉंग्रेस पार्टी लेजिस्लेटिव एसेम्बली १९२३; सेक्रे-

टरी सर्वदल सम्मेलन १९२८; प्रेसीडेण्ट यू० पी० पार्लीमेंटरी बोर्ड १९३६-३७; पता--मसौली, बाराबंकी।

किफ़ायत उल्ला, मुफ्ती—सभापति जमैयतउल उलेमा हिन्द देहली; भारत में मुसलमानों के धार्मिक मुखिया; राष्ट्रीय आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया, तथा जेल यात्रा पता—देहली।

किबे, माधवराव विनायक—ज०१८७७ ई०; शि० एम. ए.; सरदार रावबहादुर, (१९१२) दीवान ख़ास बहादुर (१९२०); वजीरुद्दौरा (१९३३); भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर होल्कर स्टेट; भूतपूर्व मिनिस्टर देवास स्टेट; लेखक तथा प्रसिद्ध साहित्य सेवी; पताः—सरस्वती निकेतन, इंदौर।

कुंजरू, पंडित हृदयनाथ—सभापति, सर्वेण्ट्स आफ इण्डिया सोसाइटी (१९३५ से); उक्त सोसाइटी में प्रवेश (१९०५); काँग्रेस कार्यकर्ता १९१८ तक; लिबरल दल के प्रमुख नेता; आल इण्डिया लिबरल फिडरेशन के सभापति अनेक वर्षों तक; मेम्बर यू० पी० सेवा समिति के प्रमुख कार्यकर्त्ता; मेम्बर, यू० पी० लेजिस्लेटिव कौंसिल अनेक वर्षों तक; मेम्बर कौंसिल आफ स्टेट, पता—इलाहाबाद।

कुर्तकोटी, डा०—शंकराचार्य; शि० एम. ए.; पी. एच. डी. (जर्मनी); ज० २० मई १८७९; हिज़ होलीनेस श्री विद्याशंकर भारती स्वामी जगद्गुरू शंकराचार्य कर्वीर पीठ; सन्यास तथा पीठा रोहण २ जून १९१७; मिस नैन्सीमिलर (शर्मिष्ठा देवी महारानी इंदौर) की शुद्धि की १९२८; भंडारकर ओरियंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना में प्रमुख भाग; सभापति हिन्दू महासभा, लाहौर १९३६; अछूतोद्धार के समर्थक; पता—पंचवटी नासिक।

कुलकर्णी, दत्तात्रय अनन्त—आयुर्वेद संशोधक; जन्म० १४ अगस्त १९००; शि० एम० एस-सी०, आयुर्वेदाचार्य; प्रोफेसर आयुर्वेद कालेज, हिन्दू यूनिवर्सिटी बनारस, पुस्तकें---पदार्थ विनिश्चय, आधुनिक परमाणु वाद, रसरत्न समुच्चय, आदि, पता—हिं० यूनि० बनारस।

केलकर, नरसिंह चिंतामणि—लो० तिलक के सहकारी; ज० २४ अगस्त १८७२ (मिरज); सम्पादक "मराठा" तथा 'केसरी'. सन् १८९६ से; मेम्बर पूना म्युनिसि-

पेलिटी (१५ वर्ष तक); प्रेसी-डेण्ट कोसमोस ऐण्ड कोआपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़; प्रेसीडेंट महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी १६२२; रिस्पांसिव पार्टी के संस्थापकों में; अनेक अंग्रेजी और मराठी पुस्तकें--, लोकमान्य तिलक की जीवनी तथा उनके पत्र (२ भाग) तथा अनेक पौराणिक नाटकों के लेखक, प्रेसीडेण्ट हिन्दू महासभा (१६१८); टैरिफ बिल के पास होने के विरोध में लेजि-सलेटिव असेम्बली से इस्तीफा दिया १६३०; पता—पूना ।

केन, करनसिंह—पार्लीमेंटरी

सेक्रेटरी यू० पी० गवर्मेंट (१६३७), जन्म—१३ अप्रैल १६०६; शि० बी० ए० तथा आइ० सी० आर ओ० (ग्लासगो); हरिजन सेवक संघ में लगभग ४½ वर्ष कार्य तथा इसी कार्य के लिये भारत भ्रमण; आग्रा जनरल शिड्यूल जाति की ओर से कांग्रेसी मेम्बर लेजिसलेटिव ऐसेम्बली पता—लखनऊ ।

केला, भगवानदास—प्रोफेसर गुरुकुल प्रेम महाविद्यालय, शि० बी. ए. तक; (१६१५); अर्थशास्त्र तथा इतिहास के पंडित; लेखक-भारतीय, शासन, भारतीय निर्माण, भारतीय अर्थशास्त्र, देश भक्त दामोदर इत्यादि; भूतपूर्व सम्पादक; 'प्रेम'; प्रकाशक भारतीय ग्रंथमाला; पता—वृन्दावन ।

केसकर, श्री० विश्वनाथ महाराज—ज० १८८०, शिक्षा, बी. ए.; पूना में शिक्षक; आराधना तथा एकान्तवास आत्म चिन्तन में विशेष रुचि; हैदराबाद दक्खिन में एक स्कूल खोला (१६१३); बनारस में वेदान्त का ज्ञान प्राप्त किया, फ्रांस, स्विटजर लैण्ड, जर्मनी आस्ट्रिया, इंग्लैण्ड और अन्य देशों में भ्रमण; योरुप और अमेरिका में अनेक वेदान्त सभायें स्थापित कीं और शिष्य बनाये; पता—पंचाग्नि ।

कोटला नरेश, राजा कुशल पालसिंह—शि० एम. ए. एल-एल बी. एल-एल, डी.; सदस्य केन्द्रीय असेम्बली; ज० १८७२ ई; सदस्य,

यू. पी. ले० कौंसिल, तथा इम्पीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल अनेक वर्षों तक; रिप्रेजेंटेटिव लैंडेड एरिस्टोक्रेसी आगरा प्राविन्स (१६१३); सदस्य मैनेजिंग कमेटी आगरा कालेज, पता—कोटला कोर्ट, जि० आगरा।

कोल्हापुर, सर श्रीराजाराम छत्रपती महाराजा—जन्म ३० जुलाई १८६७; शिवाजी महाराज के वंशज; वि० (१६१८) श्रीमती ताराबाई साहिब नातनी गायकवाड़; शि० हेंडन स्कूल व युइंग क्रिश्चियन कालेज; रिक्रीएशनस, घुड़दौड़, टेनिस शिकार; १६२७ में लैफटिनेन्ट कर्नल की उपाधि मिली; अब्राह्मण आन्दोलन के समर्थक, पता—कोल्हापुर।

कोलंगोड, दी आन. राजा बसुदेव राजा बलियानम्मीदी—सी. आई. ई. (१६१५) एफ. एम. यू० (१६२१); जमींदार तथा मेम्बर कौंसिल आफ स्टेट; ज० अक्टूबर १६७३; दो बार मेम्बर मद्रास लेजिसलेटिव कौंसिल; पता—कोलगोड मलबार डिस्ट्रिक्ट।

कृपलानी, जे. बी., आचार्य—एम. ए., प्रोफेसर, बनारस वि. वि., तथा काशी विद्यापीठ; असहयोग में नौकरी त्याग दी (१६२१); आचार्य गुजरात विद्यापीठ (१६२२-२७); यू० पी० चरखा संघ के प्रमुख कार्यकर्त्ता; जेलयात्रा कई बार; जनरल सेक्रेटरी काँग्रेस; पता—'स्वराज्य भवन' इलाहाबाद।

कृष्णमूर्ति, जे—आर्डर आफ दी स्टार के अधिष्ठाता; अनेक थियासोफिस्ट इन्हें जगद्गुरु (वर्ल्ड टीचर) मानते हैं; ज० मदनपल्ले (मद्रास) ११ मई १८६५; शि० लन्दन तथा पेरिस; मिसेज़ बेसेन्ट तथा एरंडेल के साथ बाल्यपन से रहे; १२ वर्ष की आयु में "एट दी फूट आफ दीमास्टर" पुस्तक लिखी; उत्कृष्ट वक्ता तथा विद्वान, भ्रमण, यूरोप तथा अमेरिका, पता—अद्यार (मद्रास), ईरडी ओमेन (हालेण्ड)।

कृष्णाकान्त मालवीय—शि० बी. ए (इलाहाबाद); मेम्बर आल इंडिया काँग्रेस कमेटी १६२२-२३; मेंबर आल इण्डिया हिन्दू सभा; सेक्रेटरी यू. पी. इण्डिपेण्डण्ट काँग्रेस पार्टी(१६२६); मेम्बर लेजिसलेटिव एसेम्बली अनेक वर्षों से; टैरिफ बिल के विरोध में एसेम्बली से त्याग पत्र १६३०; लेखक—संसार संकट, वैवाहिक अत्याचार, मोरक्को, चीन, यूनान आदि का राजनैतिक इतिहास; भूत-

पूर्व संपादक 'मर्यादा', मुख्य संपादक "दैनिक अभ्युदय" तथा साप्ताहिक 'अभ्युदय' प्रयाग; पता—अभ्युदय कार्यालय प्रयाग।

कृष्णदत्त गुप्त वैद्य, पंडित—

आयुर्वेद-भिषगरत्न, ज० १८८० ई०; संस्कृत धार्मिक एवं साहित्यिक ग्रंथों के पंडित आयुर्वेद की अमूल्य सेवा तथा खोज; अनेक रौप्य, स्वर्णपदक एवं प्रशंसापत्र पाये हैं; कुष्ट रोग की चिकित्सा में अपूर्वज्ञान; नि० भा० आ० सम्मेलन से पंडित की उपाधि मिली; शिलालेख पढ़ने का विशेष ज्ञान है; पता—कटनी।

कृष्णमाचार्यर, सर वी. टी.— ज० १८८१ ई०; बी. ए. बी-एल; मिनिस्टर बड़ौदा स्टेट; चीफ रेवेन्यू आफिसर कोचीन स्टेट, १९०२-११; सौथबरो कमेटीके साथ स्पेशल ड्यूटी १९१९-२२; सेक्रेटरी मद्रास गवरमेण्ट; प्रतिनिधि गोलमेज कान्फ्रेंस तथा जे. पी. सी.; सदस्य रिजर्व बैंक कमेटी, प्रतिनिधि, असेम्बली लीग आफ नेशन्स १९३४ ३६; पता—बड़ौदा।

खड़कसिंह, सरदार— शि. बी. ए. एल-एल. बी.; सिख लीडर ज० स्यालकोट प्रेसीडेन्ट सिख एजूकेशनल कांफ्रेंस, प्रेसीडेन्ट शिरोमणि सिख गुरु द्वारा कमेटी १९२१; असहयोग में जेलयात्रा; पता—अमृतसर।

खरे, डा० नारायण भास्कर- कांग्रेसी प्रधान मंत्री सी. पी.; ज० १८८४ ई०, प्रसिद्ध कांग्रेसी डाक्टर; सदस्य, स्वागत समिति नागपुर कांग्रेस, १९२०; सी. पी लेजिस्लेटिव कौंसिल १९२३-२७; राष्ट्रीय आन्दोलनों में अनेक बार जेल; भूतपूर्व सदस्य केन्द्रीय असेम्बली; पता—इंदिरा महल, नागपुर।

खलकसिंह, श्री० राजासाहब- खनियाधाना नरेश; गवालियर रेजीडेंसी जन्म अगहन सुदी ७ सं० १९४६; हिंदी के प्रसिद्ध लेखक; अनेक मासिक पत्रिकाओं में आपके लेख प्रकाशित होते हैं; राष्ट्रीय भावों के प्रेमी; विद्वज्जनों की सहायता प्रेम तथा उत्साह पूर्वक करते हैं; पुस्तक—सत्य कथा संग्रह; पता—खनियाधाना।

खलीकुज्जमा खां, चौधरी—ज० २५ दिसम्बर १८८६; शि० बी० ए.; एल एल. बी. (अलीगढ़); असहयोग में वकालत छोड़ी १९२०; मेंबर प्रान्तीय लेजिस्लेटिब असेम्बली १९२१; क्रिमिनल ला एमेंडमेंट ऐक्ट में सजा १ साल; चेयरमैन म्यू० बोर्ड लखनऊ १९२३-२६; व १९३६ से यू० पी० लेजिसलेटिव एसेम्बली में मुसलिम लीग दल के नेता; पता— लखनऊ।

ख्वाजा, अबदुल मजीद—बार - एट - ला; प्रिंसपल नेशनल मुसलिम यूनीवर्सिटी शि०; अलीगढ़ व लन्दन; हैदराबाद (दक्खिन) में चीफ जज; असहयोग में वकालत छोड़ी (१९२१) मेम्बर आल इंडिया कांग्रेस तथा खिलाफत कमेटी अनेक वर्षों तक; जेलयात्रा असहयोग में; पता—नेशनल मुसलिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़।

खाडीलकर, कृष्णाजी प्रभाकर—जन्मस्थान सांगली शि.; बी. ए.; असिस्टेंट तथा मुख्य संपादक "केसरी" १९२१ तक (करीब २५ वर्ष तक); संस्थापक व सम्पादक 'लोकमान्य' दैनिक १९२१; संस्थापक तथा सम्पादक 'नवाकाल' दैनिकबम्बई; मराठी के प्रसिद्ध नाटकलेखक; पुस्तकें—कांचन गडची मोहना, कीचक वध, भाऊबंदकी, सत्वपरीक्षा, मानापमान इत्यादि, पता—सम्पादक दैनिक 'नवाकाल' बम्बई।

खां साहब, डा०—प्रधान मंत्री, सीमाप्रांत गवर्मेंट: 'फ्रान्टियर गांधी' के भाई; अपने भाई के साथ खुदाई खिदमतगारों का संगठन किया; एण्टी रौलेट ऐक्ट विरोधी तथा असहयोग आन्दोलनों में प्रमुख भाग लिया; १९३४ में पंजाब तथा सीमाप्रान्त से वहिष्कृत किये गये; कई बार जेल गये; पता:—पेशावर।

खुशालचंद खुरशंद—ज० १८८८ ई०; सम्पादक एवं संस्थापक 'मिलाप' (हिन्दी और उर्दू); सेक्रेटरी आर्य पारदेशिक सभा; उपसभापति पंजाब नेशलिस्ट पार्टी लाहौर; पुस्तकें 'अमृत पान' इत्यादि १२ पुस्तकें लिखीं, पता—दैनिक मिलाप, लाहौर।

खेर, आत्माराम गोबिंद—ज० १८९४ ई०; शि. बी. ए. एल-एल. बी.; चेयरमैन म्यु० बोर्ड, झांसी (१९२३-३१); असहयोग में कई बार जेल गये; सदस्य अ. भा. कांग्रेस कमेटी कई बार: स्वताध्यक्ष, द्वितीय बृहन्महाराष्ट्र परिषद १९२५; कांग्रेसी एम. एल. ए. और पार्लियामेण्टरी सेक्रेटरी यू० पी० सरकार, पता—झांसी।

खेर, बाल गंगाधर--कांग्रेसी प्रधान मंत्री, बम्बई गवर्मेंट; शि०बी.ए. एलएल. बी. सालीसिटर; दक्षिण फेलो विलसन कालेज; बम्बई प्रांत के प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता; प्रधान मंत्री बम्बई सरकार (१९३७) पता--बम्बई।

गंगाप्रसाद सिंह अखौरी—विशारद; ज० कार्तिक सं० १९५८; भूत-पूर्व सहायक सम्पादक "विश्व दूत" (कलकत्ता), सम्पादक 'भारत जीवन' काशी; सभासद नागरी प्रचारिणी सभा काशी; लेखक—हिन्दी के मुसलमान कवि, देवदास, अभागिनी, माधुरी, मित्र, दाम्पत्य जीवन, गीता प्रदीप आदि पता—काशी।

पं० गंगाप्रसाद अग्निहोत्री--हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक पुस्तकें:—निबंधमालादर्श, प्रणयी माधव, मेघदूत; इत्यादि; पता—लखनऊ।

ग़जनवी, ए. के. अबूअहमद खां—जमींदार, ज० १८७९; १२ वर्ष की उम्र से शिक्षा के लिये आक्सफर्ड, जेनीवा और म्यूनिच के विश्व-विद्यालयों में रहे; कई वर्षों तक मेम्बर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, मेमनसिंह, मेंबर बङ्गाल लेजि० कौंसिल, मेम्बर इम्पीरियल लेजि० कौंसिल; मिनिस्टर बङ्गाल सरकार, १९२४; पुनः मिनिस्टर १९२७; राजनैतिक कारणों से हेजाज पैलेस्टाइन और सीरिया गये १९१३; लंडन में नेशनल इंडियन क्रिकेट क्लब कायम किया १८८९; बङ्गाल की मर्दुम शुमारी की रिपोर्ट में इनके अनुसंधान शामिल किये गये; (१९-००); पता—नार्थ हाउस, मेमनसिंह।

गजाधरप्रसाद, 'साहित्यरत्न'-

ज० १ जुलाई १८९८ ई०; शिक्षा, वर्नाक्यूलर फायनल, अँग्रेजी इंटरेंस तक, उर्दू का अच्छा अभ्यास; संयुक्त मंत्री अ० भा० रविदास महासभा; उपाध्यक्ष यू० पी० डिप्रेस्ड क्लासेस लीग; हरिजन उत्थान समिति, कलकत्ता; प्रधान मंत्री बेलियाघट्टा (कलकत्ता) आर्यसमाज; मंत्री, घट्टा रविदास सभा; प्रधान, कलकत्ता हरिजन सभा; बनारस जि० डि० क्ला० लीग; सदस्य अ० भा० डि० क्ला० लीग की वर्किंग कमेटी; पता—सरौली, पोस्ट रामगढ़, जि० बनारस।

गर्दे, लक्ष्मण नारायण—ज० सं० १९४६, वि०; हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध लेखक; भूतपूर्व सम्पादक "भारत मित्र"; पुस्तकें, सरल गीता, एशिया का जागरण, कृष्ण चरित्र, महाराष्ट्र रहस्य, आत्मोद्धार, गांधी सिद्धांत; सम्पादक श्रीकृष्ण सन्देश; पता—बनारस।

गांगेय नरोत्तम शास्त्री—

ज० १९-००, भूतपूर्व प्रोफेसर बनारस विश्व विद्यालय तथा काशी विद्यापीठ; काशी के धुरन्धर साहित्यिकों एवं सामाजिक सुधारकों में आपकी गणना रही; सत्याग्रह आन्दोलन में अध्यापन कार्य छोड़कर आचार्य कृपलानी के साथ कार्य किया; भारत धर्म महामंडल, वर्णाश्रम स्वराज्य संघ, सनातन धर्म महा सम्मेलन, बजरंग परिषद, टीकामणी संस्कृत कालेज संस्थाओं के सदस्य; इनके पूर्वज काश्मीर निवासी थे; शिशु अवस्था में एक बार गंगा जी में डूब कर मीलों बह जाने के बाद भी जीवित थे इसलिये गांगेय नाम पड़ा; ग्रन्थ—श्री हनुमज्जन्म वर्णन, वामनविजय नाटक, नूतननिकुंज, करुण निर्झरिणी, गांगेय गीत गुच्छ, आदि—; पता—२८०नं० चितरंजन एवेन्यू कलकत्ता।

गांधी, श्रीमती कस्तूरबाई,—महात्मा गांधी की धर्म पत्नी; महात्मा जी के साथ सदैव काम किया; दक्षिण अफ्रीका गईं; असहयोग आन्दोलनों में प्रमुख भाग तथा अनेक बार जेल यात्रा; सत्याग्रहाश्रम में स्त्री विभाग की अध्यक्षा; पताः—सत्याग्रहाश्रम, वर्धा।

गांधी, मोहनदास करमचन्द, महात्मा,—असहयोग आन्दोलन के जन्मदाता; जन्म २ अक्टोबर १८६९; पिता पोरबन्दर राज्य के २५ वर्षों तक दीवान रहे; बचपन में गांधी जी को स्कूल की अन्तिम शिक्षा राजकोट और भावानगर में दिलाई गई और बाद में वे आगे की शिक्षा के लिये इंगलैण्ड भेजे गये; वैरिस्टर होकर उन्होंने वकालत बम्बई और काठियावाड़ में की; एक खास मुकदमे के सम्बन्ध में उन्हें दक्षिणी अफ्रीका जाना पड़ा; वहां आंदोलन शुरू किया; और सत्याग्रह (Passive Resistance) सिद्धांतों का प्रचार किया;

यूरोप के महायुद्ध (१९१४) के प्रारम्भ होने के समय से दो वर्ष बाद तक गन्धी जी ब्रिटिश राज्य के बड़े भक्त बने रहे; गांधीजी ने खेड़ा प्रान्त के किसानों का सत्याग्रह चलाया और पटना प्रदेश में निलहा साहिबों के अत्याचारों के विरुद्ध आन्दोलन चलाया और दोनों में सफलता प्राप्त की।

सन् १९१९ के रौलट ऐक्ट ने भारत में आग लगा दी महात्मा जी सत्य और अहिंसा पर विश्वास करते हैं। जलियान वाला बाग में जेनरल डायर द्वारा किये हुये भयंकर अत्याचार तथा मुसलमानों के साथ खिलाफत सम्बन्धी अन्याय ने महात्मा जी का विश्वास अंग्रेजी राज्य से उठा दिया। उन्होंने इस कारण सं० १९२० में सत्याग्रह आन्दोलन प्रारंभ किया; साबरमती आश्रम स्थापित किया और 'यङ्ग इण्डिया' व 'नवजीवन' पत्र चलाये। सं०१९३२ में दुबारा सत्याग्रह आन्दोलन चलाया जो सं० १९३४ तक चला। जगत विख्यात संधि सं०१९३१ वाइसराय इरविन से की; गोलमेज़ कांफ्रेन्स में भारत के एकाएकी प्रतिनिधि होकर गये; १९३४ में हरिजन आन्दोलन चलाया; १९३५ में कांग्रेस से इस्तीफा दिया; महात्मा गान्धी राष्ट्र के कर्णधार हैं पता -- वर्धा।

गिडनी, लेफ्टिनेंट कर्नल हेनरी अलबर्ट, जान—मेम्बर ले० असेम्बली; जन्म १८६३; शिक्षा कलकत्ता, लण्डन, केम्ब्रिज, आक्सफर्ड; इण्डियन मेडिकल सरविस में सम्मिलित हुये १८८८; चीन की चढ़ाई में सेवा की १९०१; नार्थ वेस्टर्न फ्रंटियर में घायल हुए १९१४-१५ सदस्य बम्बई कारपोरेशन १९१८-२१; सभापति एंग्लो इंडियनों में और भारत में बस जाने वाले यूरोपियन की सभा के; सदस्य जातिगत भेद निर्णायक कमेटी; एंग्लो इंडियनों का डेपुटेशन बनाया, १९२५; असिस्टेण्ट कमिश्नर लेबर कमीशन १९२९; सदस्य गोल मेज, कांफ्रेंस १९३०-३२; प्रतिनिधि जे० पी० सी०; स्थानापन्न सभापति केन्द्रीय एसेम्बेली १९३५; पता—८७ ए० पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता।

गिरधर शर्मा नवरत्न,—प्रसिद्ध विद्वान तथा वक्ता; जन्म जेष्ठ शुक्ल ८ संवत १९३८ वि०; बंगाली, गुजराती, मराठी, उर्दू, फारसी, प्राकृत, पाली, अंग्रेजी आदि अनेक भाषाओं के अच्छे ज्ञाता और संस्कृत के उद्भट विद्वान; उपाधियां–साहित्य

शिरोमणि, काव्यालंकार, प्राच्यविद्या महार्णव आदि; ग्रंथ—स्वदेशाष्टकम्, योगी, जापान विजय, अमरसूक्त सुधाकर (संस्कृत), गीतांजलि, बाग़बान, फलसंचय, चित्रांगदा आदि आदि, पता—झालरापाटन सिटी।

गिल्डर, डा. एम. डी. डी.— एम. डी. एफ. आर. सी. पी.; मेम्बर ले० कौं० (बम्बई) दस वर्ष तक; सदस्य बम्बई यूनिवर्सिटी सीनेट अनेक वर्ष; महात्मा गांधी के मुख्य चिकित्सक; कांग्रेसी एम. एल. ए. (बम्बई); मंत्री स्वास्थ्यविभाग बम्बई सरकार, पता—बम्बई।

गुप्त, देशबन्धु— जर्नेलिस्ट तथा कांग्रेस कार्यकर्ता, ज० १९०१, शि० आर्य स्कूल अम्बाला; सेंट स्टीफन्स कालेज दिल्ली; असहयोग में शिक्षा त्याग; तिलक स्कूल आफ पालिटिक्स में विद्याध्ययन १९२१-२२ दिल्ली प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के मंत्री १९२१; जेलयात्रा १९२१–२२; संस्थापक तथा सम्पादक "तेज" दैनिक पत्र; लेखों के कारण १५३ अ० पीनलकोड में सजा; प्रांतीय हिन्दू सभा दिल्ली के संस्थापकों में; स्वामी श्रद्धानन्द के कृपा पात्र; सदस्य, अ० भा० हिन्दू सभा की कार्यकारिणी समिति व आ० ई० कांग्रेस कमेटी, व आ० इं० स्वामी श्रद्धानन्द मेमोरियल ट्रस्ट; सोल डाइरेक्टर 'तेज' दैनिक; पता—"तेज" कार्यालय दिल्ली।

गुप्त, बाबू शिवप्रसाद— बनारस के प्रसिद्ध दानवीर तथा देश भक्त; शि० बी. ए. राजनैतिक आंदोलन में प्रवेश (१९०४–०५); जगत का भ्रमण; इसी भ्रमण में सिंगापुर की जेल में ३ मास रहना पड़ा; काशी विद्यापीठ (राष्ट्रीयसंस्था) के मुख्य संस्थापक तथा सहायक; विद्यापीठ के लिये इतनी सम्पति अर्पण की है जिसकी वार्षिक उत्पत्ति लगभग ६०००० रुपया है; ज्ञानमण्डल के संस्थापक तथा संचालक १९१८); संस्थापक, दैनिक पत्र कृष्ण जन्माष्टमी १९७१ (असहयोग आंदोलन का आरंभ दिवस); भारतमाता के मंदिर की नींव चैत्र शुक्ल १ सं० १९८४ को २४ लक्ष गायत्रीजप तथा दशांग हवन इत्यादि की समाप्ति पर रक्खी; इस मंदिर में ३० फुट लम्बे और ३० फुट चौड़े संगमरमर पत्थर पर भारत का चित्र (उभरा हुआ) जिसमें बृहत्त भारत के कुछ कुछ भाग भी सम्मलित हैं बनाया गया है; हिन्दी भाषा के कट्टर भक्त, तथा भारत माता के सच्चे सेवक;

असहयोग में पूर्ण भाग लिया, प्रेसीडेंट प्रांतीय कांग्रेस कमेटी (१९२७-२८); लेखक पृथिवी प्रदक्षिणा, पता—बनारस ।

गुप्त, मैथिलीशरण—हिन्दी भाषा के सुप्रसिद्ध कवि; बाल्यकाल से ही अनेक मासिक पत्रों में कवितायें प्रकाशित होती हैं; अनेक पुस्तकों के लेखक "भारत-भारती" "जयद्रथ-वध" 'साकेत' "चन्द्रहास" "तिलोत्तमा" "पलासी का युद्ध" इत्यादि, पता—चिरगांव, झांसी ।

गुलाबराय, बाबू—शि. एम. ए., एल एल. बी.; हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक; स्वाभाविक रुचि तर्क तथा दर्शन शास्त्र में है; महाराजा छतरपुर के प्रायवेट सेक्रेटरी रहे; आवागढ़ रियासत में दानाध्यक्ष रहे; प्रोफेसर आगरा कालेज तथा बोर्डन जैन होस्टेल; हास्य-रस पर भी रचनायें की हैं; पुस्तकें—शांतिधर्म, मैत्री धर्म, कर्त्तव्य शास्त्र, नवरस, तर्क-शास्त्र, पाश्चात्य दर्शन, ठलुआ-क्लब, इत्यादि;पता—जैन होस्टेल, आगरा ।

गोकुलचंद नारंग सर—ज० १८७८; शिक्षा एम. ए., पी एच. डी. लाहौर, कलकत्ता, इंगलैंड, जर्मनी के विश्व विद्यालयों में अनेक वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की, तथा प्रोफेसर रहे; पंजाब सरकार के भूतपूर्व मिनिस्टर; अनेक ग्रंथ लिखे; पता—लाहौर ।

गोखले, श्रीमती अवन्तिका बाई,—श्री० बावनगोखले मिकेनिकल इंजीनियर की धर्म-पत्नी; महात्मा गांधी के साथ चम्पारन में काम किया; योरुप यात्रा (१९१३); श्री जी. के. देवधर के साथ सामाजिक कार्य किया; बम्बई म्यूनिस्पिल कारपोरेशन की सदस्या; १९१५ से कांग्रेस की सदस्या; होमरूल लीग असहयोग एवं सविनय अवज्ञा और एण्टी रौलेट आन्दोलनों में प्रमुख भाग लिया; हिन्दू महिला समाज की संस्थापिका; ग्रन्थ; गांधी का जीवन, और अनेक यात्राओं पर (मराठी में), पता—गिरगांव बम्बई ।

गोखले, दामोदर विश्वनाथ—शि. बी ए., एल एल. बी ; सहकारी संपादक 'केसरी' (पूना); शिक्षक ए. ई. एस. हाई स्कूल बम्बई अनेक वर्ष; संपादक 'मराठा' १२ वर्ष तक, प्रधान मंत्री, सार्वजनिक सभा, होम रूल लीग, सदस्य, अ० भा० कांग्रेस दस वर्ष तक; डायरेक्टर कासमास सेण्ट्रल कोआपरेटिव बैंक; असहयोग आन्दोलन में प्रमुख भाग; जेलयात्रा कई बार; पता—शनवार पेठ, पूना ।

गोंडाल, महाराजा श्री भगवन्तसिंह जी—ज० १८६५; शि० राजकुमार कालेज राजकोट और एडिनबरा; बालिकाओं की प्रारम्भिक शिक्षा अपने राज्य में अनिवार्य करने वाले सबसे प्रथम देशी नरेश; मनोरंजन--विदेश भ्रमण, यूरोप अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और जापान; प्रकाशन—जरनल आफ विजिट टू इङ्गलैंड, हिस्ट्री आफ आर्यन मेडीकल साइन्स; पता—हुजूर बङ्गला, गोंडाल।

गोपालदास, दरबार,—प्रतिष्ठित नरेश काठियावाड़ एजेंसी; १९२० से कांग्रेस में कार्य आरंभ किया; लार्ड रीडिंग के दरबार में अफसरों के रोकने पर भी खद्दर पहनकर गये; फलस्वरूप सरकार ने गद्दी से उतार दिया; असहयोग आन्दोलन में प्रमुख कार्य किया; खेड़ा सत्याग्रह में कार्य किया; कई बार सकुटुम्ब जेल यात्रा की; हरीपुरा कांग्रेस (१९३८) की स्वागत समिति के प्रधान; आजकल बोरसद के किसानों के बीच कार्य कर रहे हैं; पता—अहमदाबाद।

गोपालराम—सम्पादक 'जासूस' गहमर; ज० पौष वद्य ५ सं० १९२३, हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक; लेखनी ओजस्वी तथा रोचक; करीब ६०पुस्तकें जासूसी विषय की लिखीं, 'जासूस' मासिक पत्र के संस्थापक तथा संपादक आरम्भ से; आरम्भिक जीवन में पुलिस में नौकरी; "हिन्दुस्तान" के सहायक सम्पादक १८९७; 'भारत मित्र' के स्थानापन्न संपादक १८९१; श्री 'वेङ्कटेश्वर' के सम्पादक १९०१; कलकत्ते के साहित्य परिषद् से 'साहित्य सरस्वती' और 'विद्याविनोद' उपाधि प्राप्त, पता—गहमर (गाज़ीपुर)।

गोपालशरण सिंह ठाकुर—

हिन्दी भाषा के उच्चकोटिके कवि; जन्म पौष शुक्ल प्रतिपदा सं० १९-४८; प्रयाग के गूँगों और बहरों के स्कूल के संस्थापक; प्रथम सभापति श्री रघुराज साहित्य परिषद् रीवां; कवि समाज प्रयाग के सभापति; सन् १९२७ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन के साथ होने वाले कवि सम्मेलन की सभापति; मध्य भारत हिन्दी साहित्य समिति इन्दौर के सभापति १९२९; बहु भाषा कवि सम्मेलन (ओरियंटल कान्फ्रेंस मैसूर)

के सभापति (१९३५); रीवाँ राज्य के मन्त्री मण्डल के सदस्य (१९३२-३४); पुस्तकें—माधवी (१९२९); कादम्बिनी (गीति काव्य) (१९३७), "मानवी" नारीजीवन सम्बन्धी काव्य (१९३८); पता; नई गढ़ी, रीवाँ। मध्य भारत।

गोविन्दानन्द, स्वामी—जन्म १८८८; हैदराबाद (सिंध) में, शि० बम्बई विश्वविद्यालय से एम. ए. पास करने के बाद मुजफ़्फरपुर, नागपुर और बांकीपुर के कालेजों में प्रोफेसर रहे; यूरोप के महायुद्ध के प्रारम्भ में जापान जाने के लिये जहाज से रवाने हुए, कोमा गाटामारू जहाज वाले मामले में पकड़े गये (१९१४); बिना मुकदमा चलाये ही जेल में कैद रहे १९१८ तक; असहयोग आन्दोलन में सजा पाई; छूटने के बाद सिन्धी दैनिक पत्र 'केसरी' प्रकाशित किया; सभापति राज-नैतिक पीड़ित कान्फ्रेंस कानपुर, १९२६; लीडर लेफ्टविंग; पार्टी; संपादक, "वायस आफ इण्डिया"; स्वागतोपाध्याक्ष करांची कांग्रेस (१९३१); पता—करांची।

गोविन्ददास, सेठ—जबलपुर के प्रतिष्ठित नेता व रईस; १९२१ में काँग्रेस का काम करना आरम्भ किया; इनके बाबा ने रियासत छीन ली; 'लोकमत' पत्र के संस्थापक; असहयोग में काम किया; स्वराजिस्ट पार्टी की ओर से कौंसिल आफ स्टेट में गये (१९२४-३०); असहयोग में कई बार जेलयात्रा; कांग्रेस पार्लियामेंटरी बोर्ड की ओर से केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा में मेम्बर (१९२५); पता—जबलपुर सी० पी०।

गौड़, सर हरीसिंह—बैरिस्टर; जन्म १८७२; शि० एम. ए. एलएल. बी. (क्रेम्ब्रिज), एलएल. डी. (डबलिन) डी. सी. एल (आक्सफोर्ड); चेयरमैन नागपुर म्युनिसि० (१९१८-२२); प्रथम वाइस चांसलर दिल्ली यूनि०; अनेक कानूनी पुस्तकों के लेखक; 'हिन्दू कोड' 'ला आफ ट्रांसफर' आदि आदि पता—नागपुर।

गौतम, मोहन लाल—प्रमुख साम्यवादी कॉंग्रेस कर्यकर्त्ता; असहयोग आन्दोलनों में अनेक बार जेल; काँग्रेसी एम. एल ए., यू. पी. प्रबन्धक एवं सम्पादक 'संघर्ष' (लखनऊ); पताः—लखनऊ एवं इलाहाबाद।

गंगानाथ झा, डा०-महा महोपाध्याय, एल-एल. डी, डी. लिट.; ज० १९३५ वि०; वाइस चान्सलर

प्रयाग विश्वविद्यालय लगभग ९ वर्ष तक; संस्कृत में अनेक ग्रन्थ रचे; भाषा में भी न्याय दर्शन तथा वैशेषिक दर्शन इत्यादि ग्रन्थ लिखे; पताः—इलाहाबाद।

घोष, हेमेन्द्रप्रसाद—सम्पादक 'बसुमती', ज० १८७६; शि० कलकत्ता वि० वि; सदस्य 'बन्देमातम्' सम्पादकीय संघ १६०७; मेंबर मैसोपोटेमिया प्रेस डेपूटेशन १६१७; बँगला भाषा की लगभग १ दर्जन पुस्तकों के लेखक; पता—१०६।२, शाम बाजार ट्रीट कलकत्ता।

घोष, तुषार कान्ति—ज० १८६६ ई०; बी. ए,; सम्पादक, 'अमृतबाजार' पत्रिका; अदालत का अपमान करने से जेल यात्रा की; पता—आनन्द चटर्जी लेन, कलकत्ता।

चटर्जी, सर अतुलचन्द्र—जी. सी. आई. ई., के सी. आई. ई, के. सी. एस. ई.; शि. आई. सी. एस.; सदस्य, इंडिया कौंसिल व परमानेंट ओपियम बोर्ड, तथा सदस्य इम्पीरियल इकोनोमिक कमेटी (१६२५-३१); सदस्य वाइसराय की इकजीक्यूटिव कौंसिल (१६२१-२४); डेलीगेट, आई. एल. कान्फ्रेंस (अफ्रीका), व लीग श्राफ नेशन्स १६२५; उपसभापति इकोनोमिक कन्सलटेटिव कमेटी आफ लीग आफ नेशन्स; डेलीगेट ओटावा कान्फ्रेन्स; हाई कमिश्नर इंडिया १६२५-३१; पता—लंदन।

चटर्जी, रामानन्द—ज० १८६५, शि. एम. ए.; सर्व प्रथम श्रेणी में प्रथम पास हुये, प्रोफेसर आफ इंगलिश, सिटी कालेज कलकत्ता १८८७-१८६५; प्रिंसपल, कायस्थ, पाठशाला इलाहाबाद १८६५-१६०६; फेलो, अलाहाबाद विश्वविद्यालय; सदस्य, यू.पी. सेकंडरी शिक्षा रिफार्मस कमेटी; साधारण ब्रह्म समाज के सभापति; श्री० टागोर के परम मित्र; भूतपूर्व प्रेसीडंट, हिंदू महासभा, 'कम्यूनल एवार्ड' का बड़ा तीव्र विरोध किया १६३२; सम्पादक, 'मार्डन रिव्यू' और 'प्रवासी', ग्रन्थः—"राजाराम मोहनराय ऐण्ड माडर्न इण्डिया," "टुवर्ड्स होमरूल" "चटर्जीज़ पिक्चर एलबम" (१८ जिल्दें), पता:—"माडर्न रिव्यू" आफिस, कलकत्ता।

चटर्जी, लेडी ग्लेडीज मेरी, ओ. बी. ई.—जन्म, उज्जेन, में शिक्षा, लन्दन में एम. ए. (फिलासोफी) डी. एस सी. (इकानोमिकस); विवाह सर अतुलचन्द्र चटर्जी के साथ, १६२४; लन्दन के बोर्ड आफ ट्रेड में अन्वेषणमंत्री;

मध्य प्रान्त के स्कूलों की मुख्य इन्सपेक्टरेस; लन्दन की मिनिस्ट्री आफ म्यूनिशन्स के स्वास्थ्य विभाग की मुख्य सुपरिंटेडेन्ट; स्त्रियों और बच्चों को मजदूरी के सम्बन्ध में इंडियन गवर्नमेंट की सलाहकार (१९२०-१९२२); पता:—१३१, एशेगार्डेन्स, लन्दन,

चट्टोपाध्याय, कमला देवी—ज० १९०३ ई०; शिक्षा, विलायत में; बम्बई प्रान्त की समाजवादी प्रमुख कार्यकर्त्री; समाज विज्ञान में विशेष अध्ययन; प्रथम भारतीय कुलीन घराने की अभिनेत्री (सिनेमा ऐक्ट्रेस); प्रान्तीय कौंसिल के निर्वाचन में भाग लेने वाली प्रथम स्त्री; राष्ट्रीय आन्दोलन में प्रमुख भाग लिया तथा जेल गईं; संस्थापक-सदस्य अ. भा. सोशलिस्ट पार्टी; पताः—धारेश्वर गार्डन, मंगलौर।

चटोपाध्याय, हरीन्द्र—ज० १८९८ ई०; शिक्षा, हैदराबाद तथा विलायत में; १७ साल की आयु में अनेक गद्य एवं पद्य पुस्तकें प्रकाशित की; सुप्रसिद्ध नाटककार चित्रकार, एवं संगीतज्ञ; नाट्यकला में विशेष अध्ययन निमित्त संसार भ्रमण किया; लगभग ४० पुस्तकें केवल अंग्रेज़ी कविता में लिखीं; 'अबू हुसेन' सर्वोत्तम है; पता—पोएट्स कार्नर, कलकत्ता।

चतुर्वेदी, श्रीनारायण,—हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध लेखक तथा विद्वान; जन्म० जनवरी १८९५ शि. एम. ए. (इतिहास-इलाहाबाद यूनि०); एम. ए. (शिक्षा विज्ञान-लंडन यूनि०); एल. टी. (इलाहाबाद); लीग आफ नेशन्स जिनेवा की शिक्षा विशेषज्ञ समिति के सदस्य (१९२६-३०); भारतीय प्रतिनिधि वर्ल्ड फेडरेशन आफ एजुकेशनल एसोसियेशन्स, टोरेन्टो; संसार भ्रमण १९२७-२८; प्रथम प्रिंसिपल कान्यकुब्ज इन्टर कालेज लखनऊ; व्यवस्थापक शिक्षा विभाग संयुक्त प्रान्तीय कृषि और औद्योगिक प्रदर्शिनी लखनऊ (१९३६-३७); मंत्री, शिक्षा सुधार कमेटी यू० पी. सरकार (१९३८); साम्प्रत, एजूकेशन इक्सपेनशन आफीसर यू० पी०; पता—लखनऊ।

चतुरसेन शास्त्री—हिन्दी के प्रसिद्ध उपन्यास लेखक; ज० १९४५ वि०, सुभाग्य वैद्य; वैद्यक पर अनेक ग्रन्थ लिखे हैं; वर्तमान काल के प्राय: सर्वोत्कृष्ट गद्य लेखक; अनेक पुस्तकें लिखी हैं; पता—दिल्ली।

चमनलाल, दीवान,—एडवोकेट हाईकोर्ट लाहौर और मेंबर केन्द्रीय लेजिसलेटिव एसेम्बली; ज० १८९२; शिक्षा रावलपिंडी, लन्दन तथा पेरिस

में; वैरिस्टरी १९१०; जेनरल एडीटर, "कोटेरी", कला और साहित्य विषयक त्रैमासिक पत्र लन्दन; सहायक सम्पादक, वाम्बे क्रानिकल १९२०; ट्रेड यूनियन काँग्रेस संस्थापकों में १९२०; 'नेशनल' पत्र को जन्म दिया १९२३; अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कांफ्रेंस में प्रतिनिधि १९२५; ब्रिटिश ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रतिनिधि १९२६; सभापति, ट्रेड यूनियन कांग्रेस १९२७; टैरिफ बिल के विरोध में लेजिसलेटिव एसेम्बली से त्याग पत्र १९३०; पता—लाहौर।

चिन्तामणि, सी. वाई.—सुप्रसिद्ध संपादक 'लीडर' इलाहाबाद; जन्म, विजयानगरम १८८०; सम्पादक विज़गस्पेक्टेटर १८९८; इंडियन हेरल्ड १८९९-१९००; मद्रास स्टेंडर्ड १९०१; इण्डियन पीपुल (१९०३-०५); मन्त्री प्रथम इण्डियन इण्डस्ट्रियल कांफ्रेंस १९१५; नर्मदल के इङ्गलैण्ड जाने वाले डेपूटेशन के मेम्बर १९१९; सभापति अखिल भारतीय लिबरल कांफ्रेंस १९२०; सदस्य यू० पी० ले० कौंसिल अनेक वर्षों तक; मिनिस्टर, यू० पी० सरकार १९२३-२४; पता—साउथ रोड इलाहाबाद।

चेटी, आर. के. सम्मुखम—दीवान कोचीन स्टेट; ज० १८९२; शि० क्रिश्चियन कालेज, मद्रास; सदस्य मद्रास ले० कौंसिल १९२०; डिवलपमेण्ट मिनिस्टरी के कौंसिल सेक्रेटरी १९२२; बंबई, बंगाल व संयुक्त प्रान्त में नशा खोरी रोकने के जो उपाय किये गये हैं उनके जानने और उन पर रिपोर्ट लिखने के लिये मद्रास गवरमेण्ट से नियुक्त किये गये १९२२-१९२३; भारत के नेशनल कन्वेन्शन के डेपुटेशन के साथ इङ्गलैंड गये; आस्ट्रेलिया में भारतीय प्रतिनिधि हो कर गये; प्रेसीडेंट, केन्द्रीय एसेम्बली १९३३; पता—'हावर्डन', रेसकोर्स, कोयम्बटूर।

चोइथराम प्रतावराय, डा०—जन्म १८८९; डाक्टर हैदराबाद जेल १९११; नौकरी त्याग कर ब्रह्मचर्य आश्रम में शामिल हुए १९१२; मन्त्री तिलक नेशनल होमरूल लीग १९१६; सत्याग्रह आन्दोलन में शामिल हुए १९२१; सम्पादक 'हिन्दू' हैदराबाद (सिंध) १९२२; राजविद्रोह में १८ मास की सजा हुई १९२२; सभापति; सिंध प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी अनेक बार; हिन्दू संगठन में शामिल हुए १९२५; कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता, पता—हैदराबाद (सिन्ध)।

चौधरी, तुलसीराम---खद्दर प्रचार के कट्टर प्रेमी; ज० १९४६; राली ब्रदर्स के यहां कर्मचारी १९१४; स्वतन्त्र व्यापार १९१४-१९१९; असहयोग आन्दोलन के समय राजनीति में प्रवेश १९१०; प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के मेंबर १९२२; राजनैतिक कार्य में जेलयात्रा १९२२; खद्दर का कार्य आरम्भ १९२३; संस्थापक गान्धी खद्दर कार्यालय १९२६ (दिसम्बर); पता—उझयानी।

चौधरी, नवाब बहादुर सैयद नवाब अली—ज० १८६३; १७ वर्ष तक बंगाल और इम्पीरियल लेजिसलेटिव कौंसिलों के मेम्बर; मिनिस्टर बंगाल सरकार १९२१; आल इण्डिया मुसलिम फेडरेशन के संस्थापकों में; बंगाल इकज़ीक्यूटिव कौंसिल के मेम्बर रहे; पता--जिला मैमनसिंह।

चौधरानी, मिसेज़ सरलादेवी--ज० १८७३; विवाह स्व० पं० रामभजदत्त चौधरी (पंजाब) से १९०५; शि० कलकत्ता में; १७ वर्ष की अवस्था में बी. ए. हुईं; पद्मावती सुवर्ण पदक कलकत्ता वि० वि० से सर्व प्रथम प्राप्त किया; तिलक स्वराज्य फण्ड में अपने सारे आभूषण दिये १९२२; अध्यक्षा हिन्दू समाज सुधार कांफ्रेंस १९२५; पता--कलकत्ता।

चौधरी, लालचन्द—लेफ्टिनेंट, रायबहादुर, ज० १८८२; रोहतक जिला बोर्ड के वाइस चेयरमैन १९१४-१९२३; कौंसिल आफ स्टेट के मेंबर १९२२; मिनिस्टर पंजाब गवर्नमेंट (त्यागपत्र दिया १९२४); भरतपुर राज्य की कौंसिल के सभापति सन् १९२७ तक; पता—रोहतक, पंजाब।

चन्द्रभानु गुप्त,—कांग्रेसी कार्यकर्ता, जन्म० ३ जुलाई १९०४; शि. एम. ए. एल एल. बी. (१९२५); आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य (१९२९-३८); काकोरी (१९२७) तथा मेरठ (१९२६) षडयंत्र केसों के अभियुक्तों के वकील; लखनऊ यूनिवर्सिटी के कोर्ट तथा कौंसिल के सदस्य (१९३७-१९३८); असहयोग आन्दोलन में ७ बार जेल गये; कांग्रेस के ९ वें अधिवेशन (लखनऊ) के कोष कमेटी के प्रधान; संयुक्त प्रान्त में समाजवादी दल के प्रथम प्रधान मंत्री (१९३४-३६); यू० पी० एसेम्बली में कांग्रेसी सदस्य (१९३७ से); पता—लखनऊ।

चन्द्रभाल ओझा—ज० ४ जुलाई १९०४; शि, एम. ए. (संस्कृत

एवं हिन्दी); मंत्री, हिन्द छात्र सभा गोरखपुर; हेडमास्टर ब्राह्मण स्कूल गोरखपुर; हिन्दी के अच्छे लेखक; पुस्तकें—'सुबोध,' 'बालव्याकरण'; और 'रचना प्रवेश'; पताः—जगन्नाथपुर, गोरखपुर।

चन्द्रभूषण त्रिपाठी, 'प्रमोद'—हिन्दी कवि, जन्म कार्तिक शुक्ला १ १६५६; पुस्तकें—'आभा'; और मानस तरंगिणी (प्रकाशित हो रही है); शृंगार एवं शान्त रस प्रधान कवितायें लिखते हैं, पता—मझिगवां, रायबरेली।

चन्द्रमनोहर मिश्र, 'मनोहर'-अच्छे हिंदी लेखक, जन्म संवत १६४६; साहित्य सेवा विशेषकर हिन्दी के प्राचीन काव्य और कवियों पर खोज पूर्ण और आलोचनात्मक लेख; समालोचक,-सुधा, सरस्वती, ज्योति, इन्दु आदि पत्रिकाओं में १६२५ से; 'गल्पमाला' के पदक निर्णायक कई वर्ष तक; कन्नौज का इतिहास लिख रहे हैं; पता—सरायमीरा, कन्नौज।

चन्द्रमौलि सुकुल,-उत्कृष्ट हिंदी लेखक; जन्म मार्च शुक्ल सं० १६३६ वि०; श्री कान्यकुब्ज सभा काशी के सभापति; वाइस प्रिंसिपल टीचर्स ट्रेनिंग कालेज बनारस; भूतपूर्व सम्पादक "कान्यकुब्ज"; पुस्तकें—रचना विचार, मनोविज्ञान, शरीर और शरीर रचना, नाट्यकथामृत; आदि; पता—काशी।

जगदीशप्रसाद, कुंअर सर—सी. एस आई., सी. आई ई., ओ. बी. ई. शि० आक्सफोर्ड से बी. ए. करके आई. सी. एस. पास किया (१६०२); यू० पी० सरकार में रिफार्मस कमिश्नर; उद्योग और शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी, चीफ़ सेक्रेटरी रहे; और होम मेम्बर १६३५ तक; वाइसराय की कौंसिल के सदस्य; पता—दिल्ली।

जगन्नाथप्रसाद शुक्ल,—आयुर्वेद पंचानन; जन्म भाद्रपद शुक्ल ८, सम्बत १६३६ वि०; सफल वैद्य; अनेक समाचार पत्रों का सम्पादन प्रयाग समाचार, श्री वेंकटेश्वर (समाचार, हिन्दी केसरी, सुधानिधि); निखिल भारत वर्षीय वैद्य सम्मेलन के प्रधान मंत्री अनेक वर्षों तक; प्रधान मंत्री अ० भा० हिंदी साहित्य सम्मेलन; सं० १६२० से कांग्रेस कार्य आरंभ किया; प्रान्तीय और आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य समय-समय पर रहे; राष्ट्र कार्य में जेलयात्रा (१६२६); मेम्बर, यू० पी० गवर्मेंट बोर्ड आफ इन्डियन मेडीसिन तथा पटना

आयुर्वेदिक कालेज; पुस्तकें—भारतवर्ष का इतिहास, आयुर्वेद विधान; आहार शास्त्र, परिभाषा प्रबोध, पथ्यापथ्य निरूपण, शंकर चरित्र, बाघाम्बरी चरित्र, आदि; पता—दारागंज प्रयाग।

जगन्नाथप्रसाद 'मिलिंद'—ज० संबत् १९६४ (मुरार ग्वालियर); तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ एवं काशी विद्यापीठ में शिक्षा पाई; हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत के अतिरिक्त मराठी, बंगला, गुजराती इत्यादि भाषाओं का भी काफी ज्ञान रखते हैं; शांतिनिकेतन में अध्यापन कार्य किया है; पुस्तकें 'पंखुरियां', 'प्रताप-प्रतिज्ञा', 'आंखों में', छायावादी कवियों में प्रसिद्ध हैं; पता—बनारस।

जटाशंकर शुक्ल,—प्रमुख किसान सेवक; जन्म कुवार बदी ९ सं० १९-६३; यू० पी० प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य (अनेकबार); धर्मार्थ औषधि वितरण का कार्य; यू० पी० एसेम्बली में कांग्रेसी मेम्बर (१९३७); असहयोग में ५ बार जेल; असहयोग में कत्ल का मिथ्या अभियोग किया गया(१९३१) किंतु छूट गये; प्रेसीडेंट ज़िला किसान संघ; पता—सुरौली, डा० रसूलाबाद, जिला उन्नाव।

जयरामदास दौलतराम—कांग्रेसी नेता तथा पत्रकार; ज० १८७२ हैदराबाद (सिंध); शिक्षा बी. ए. एलएल. बी.; करांची में वकालत शुरू की; होमरूल लीग में १९१६ में काम; १९२७ से अ. भा. कांग्रेस कमेटी के सदस्य; सम्पादक; 'भारतवासी' १९१९; असहयोग में काम किया; सम्पादक 'हिन्दू' 'वंदेमातरम्' १९२१; हिन्दू महा सभा के जनरल सेक्रेटरी १९२५-२७; 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के सम्पादक १९२५-२६; बम्बई, लेजिसलेटिव कौंसिल के सदस्य १९२६; सविनय अवज्ञा आन्दोलन में कई बार जेल गये; आल इंडिया विदेशी वस्त्र बायकाट कमेटी के सेक्रेटरी; करांची में पुलिस द्वारा गोली चलने में जखमी हुये (१६ अप्रैल १९३०); मेम्बर कांग्रेस वर्किंग कमेटी; पता—हैदराबाद सिंध।

जयकर, मुकुन्दराव-बैरिस्टर; मेम्बर लेजि० असेम्बली; अनेक

संस्थाओं के सदस्य; आर्य शिक्षा समिति बम्बई के सहयोगी संस्थापक १८९७; सभापति नासिक कांफ्रेंस; सभापति पूना जिला कांफ्रेंस १९१८; बम्बई होमरूल लीग की मैनेजिंग कमेटी के मेम्बर १९१८; असहयोग में वकालत छोड़ी १९२०; किन्तु फिर शुरू की १९२२; सभापति सिंध हिन्दू कांफ्रेंस १९२५; प्रति सहयोगी दल संस्थापकों में से; सदस्य, बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी १९२५—१९२९; डिपुटी लीडर असेम्बली नेशलिस्ट पार्टी १९२७-३०; प्रतिनिधि गोलमेज़ कांफ्रेंस १९३०-३२; सदस्य फिडरल स्ट्रक्चर सब कमेटी; डा० सप्रू के साथ गांधी-इरविन के घटक; संस्कृत के प्रकाण्ड विद्वान; जज फिडरल कोर्ट दिल्ली १९३८; पता—दिल्ली

ज़ाकिर हुसेन, डा०—प्रिंसपल जामिया मिल्लिया इस्लामियां, दिल्ली; ज० १८९९ ई०; शि० एम. ए., पी. एच. डी, जर्मनी में; भू. पू. लेक्चरर इकनामिक्स अलीगढ़ यूनिवर्सिटी; असहयोग (१९१९) में भाग लिया और राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना में सहमोग दिया; जर्मन यात्रा १९२३; वर्धा प्राथमिक शिक्षा संगठन कमेटी के सभापति १९३७; पुस्तकें—दि एग्रेरियन सेटिलमेण्ट्स आफ इंडिया (जर्मन भाषा में), इकनामिक्स; आइडियल एंड मेथड; पता—दिल्ली।

जाधव, भास्करराव विठोजी राव—मेम्बर बम्बई कौंसिल; शि० विलसन कालेज एलफिस्टन कालेज और गवर्नमेंट स्कूल; कोल्हापुर राज्य में नौकरी करके रेवेन्यू मेंबर के पद पर से रिटायर हुये; मराठा शिक्षा कांफ्रेंस शुरू की १९००; और सत्यशोधक आन्दोलन को पुनर्जीवित किया (१९११); प्रान्त के अब्राह्मण आन्दोलन में आरंभ से शामिल रहे; मिनिस्टिर शिक्षा विभाग बंबई १९२४-२६; लेजि० कौंसिल अब्राह्मण पार्टी के लीडर; एम-एल. ए. (केन्द्रीय) १९३०; प्रतिनिधि गोलमेज़ कांफ्रेंस; डिपुटी लीडर केन्द्रीय एसेम्बली डिमाक्रेटिक पार्टी १९३४; पता—आराम, डोंगरी, बम्बई।

जाफर, खान बहादुर सर इब्राहीम हारून—ज० १८८१; शि० डेकन कालेज पूना; सभापति अंजुमने इसलामिया पूना; बंबई प्रांतीय मुसलिम लीग संगठित की १९०८; सभापति आल इण्डिया मुसलिम कांफ्रेंस लखनऊ १९१९; मेंबर कैंटूनमेंट सुधार कमेटी मेंबर;

बम्बई लेजिसलेटिव कौंसिल १९१६-१९; मेंबर इंपीरियल कौंसिल १९१९-२०; सभापति आल इण्डिया मुसलिम शिक्षा कांफ्रेंस १९२०; मुसलिम युनिवर्सिटी कोर्ट के मेंबर १९२२-२६; मेंबर हज्ज इनक्वायरी क० १९२७-२८; कौंसिल आफ स्टेट के मेम्बर अनेक बार पता--ईस्ट स्ट्रीट; पूना।

जिन्ना, मोहम्मदअली—मेम्बर लेजिसलेटिव असेंबली तथा मुसलिम समाज के नेता; ज० १८७६ करांची में; शि० करांची व इंगलैंड; एडवोकेट बम्बई हाई कोर्ट १९०६; प्राइवेट सेक्रेटरी दादा भाई नोरोजी १९०६; मेंबर इंपीरियल कौंसिल १९१०; रौलेट ऐक्ट के विरोध में मेंबरी से इस्तीफा १९१९; प्रेसीडेन्ट मुसलिम लीग (स्पेशल सेशन) १९२०; मेंबर सुधार जांच कमेटी १९२३–२५; मेंबर सेंढर्स्ट कमेटी १९२६–२७; असेंबली में इंडिपेंडेण्ट दल के नेता प्रतिनिधि गोलमेज़ कान्फ्रेन्स; सभापति मुस्लिम लीग १९३४ से आजतक; पता—मलावार हिल; बम्बई।

ज़ियाउद्दीन अहमद, डा०—वाइस चांसलर, मुसलिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़; जन्म १८७८; शि० अलाहाबाद व केम्ब्रिज (इंगलैंड); मेम्बर कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन (१९१७); मेम्बर, सेंडहर्स्ट कमेटी; मुसलिम कान्फ्रेन्सों आदि के सभापति; पता—अलीगढ़।

जी० पी० श्री वास्तव—प्रसिद्ध उपन्यास लेखक, जन्म अप्रेल १८९१; शिक्षा, बी. ए., एल-एल. बी; हिन्दी भाषा के उत्कृष्ट लेखक, लगभग ४० पुस्तकें लिखीं; मौलिक रचनायें — लम्बीदाढ़ी, मीठीहंसी, नोक-झोंक आदि; आधार पर रचित रचनाएं–मारमार हकीम, आँखों में धूल आदि; सं० १९१४ में "इन्द्रभूषण" नामक स्वर्ण पदक और स० १९२२ में गल्पमाला रजत पदक प्राप्त किया; अनेक साहित्य सम्मेलनों के सभापति; पता—गंगा आश्रम, गोंडा (अवध)।

जैप्रकाश नारायण,--प्रसिद्ध कांग्रेस समाजवादी नेता; शि., एम. ए. भारत और अमेरीका के विश्व-विद्यालयों में; १९३० से १९३३ तक राष्ट्रीय आन्दोलन में अनेक बार जेल गये; मंत्री, अ० भा० कांग्रेस साम्यवादी दल १९३७–३८; कांग्रेस द्वारा मंत्री-पद ग्रहण के घोर विरोधी; भू. पू. मंत्री राष्ट्रीय कांग्रेस; पुस्तकें—why sicialism? आदि; पता—पटना।

जैन, श्रीमती लेखावती—प्रसिद्ध लेखिका तथा राष्ट्रसेवक; जन्म १९०७; उपाधि जैन 'कोकिला'; उत्तम व्याख्यान देती हैं तथा उर्दू, हिन्दी और अंग्रेज़ी की अच्छी लेखिका हैं; पंजाब लेजिस्लेटिव कौंसिल की भूतपूर्व सदस्या; पता—अम्बाला।

जोगेन्द्रसिंह, सरदार—भू० पू० कृषि विभागके मंत्री, पंजाव सरकार; शकर कमेटी व टैक्सकमी सांडर्स्ट कमेटी के मेम्बर; दो साल के लिये होम मेम्बर पटियाला स्टेट; ताल्लुकदार आगरा; संपादक 'इस्ट ऐंड वेस्ट' ग्रंथ—नूरजहान, कमला; पता—लाहौर।

जोशी, नारायण मल्हार—मज़दूरों के नेता; मेम्बर लेजि० असेंबली; जन्म १८७६; शि० पूना; ८ साल तक शिक्षक; सदस्य सर्वेंट आफ इंडिया में प्रवेश १९०९; १९११ से सेक्रेटरी समाज सेवा संघ बम्बई; १९१९ से सेक्रेटरी राष्ट्रीय लिबरल सभा; भारतीय समाचार पत्र प्रतिनिधि होकर मेसोपुटामियाँ १९१७ और वाशिंग्टन १९२० गये; भारतीय प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर परिषद् जिनेवा १९१२, १९२५, १९२९; कैसर-इ-हिंद रौप्य पदक १९१९; मेम्बर बम्बई म्युनिसिपल कारपोरेशन १९१९-२३; सी. आई. ई. पदवी लेने से इनकार १९२१; लेजि० असेंबली में श्रमजीवियों के प्रतिनिधि स्वरूप सरकार के नियोजित मेम्बर १९२१ व १९२४-१९२७; प्रतिनिधि गोलमेज़ कान्फ्रेंस; पता—सर्वेंट्स आफ इंडिया सोसायटी, सैंडा रोड बम्बई।

जोसेफ, पोथन—जर्नलिस्ट; ज० १८९२; दोयम संपादक "बांबेक्रानिकल" १९२० व १९२४-२६; दोयम् संपादक 'कैपिटल' १९२०-२४; संपादक "वोइस आफ इंडिया"; एडीटर "इंडियन डेली टेलीग्राफ" १९२६; मेम्बर बम्बई कारपोरेशन तथा प्रेसीडेन्ट साउथ इंडियन एसोशियन बम्बई; संपादक 'इंडियन डेलीमेल' १९३१ पता—नई दिल्ली।

ताम्बे, श्रीपाद बलवन्त—ज० १८७५; शिक्षा बी. ए. एलएल. बी.; सदस्य सी. पी. कौंसिल १९१७-२०; सी. पी. कांग्रेस स्वराज्य पार्टी के नेता १९२२; सभापति सी. पी. कौंसिल १९२३; भू. पू. होम मेम्बर व स्थानापन्न गवर्नर सी. पी.; सदस्य इंडियन फ्रेंचाइज़ कमेटी १९३२; पता-नागपुर।

तामस्कर, गोपालदामोदर—प्रसिद्ध हिन्दी लेखक, ज० कार्तिक शुद्ध ९ संवत् १९७९; विविध विषयों पर लेख लिखे; पुस्तकें—ग्रन्थ A

Regional Geography of India, A Text-book of Physical Geography, शिक्षा मीमांसा; योरुप के राजनैतिक आदर्शों का विकास, कौटिल्य अर्थ शास्त्र मीमांसा राजा दिलीप (नाटक), मराठों का उत्थान और पतन, आदि, पता—गोल बाजार, जबलपुर सी० पी० ।

तिर्वा, मेजर राजा दुर्गा नारायण सिंह—प्रसिद्ध ताल्लुकेदार तथा प्रमुख नेता नेशनलिस्ट एग्रीकलचरिस्ट पार्टी यू. पी; ज० ४ जून १८९६; शि० मेयो कालेज अजमेर; किंग्स कमीशन १९१८; केप्टेन १९२४; मेजर १९३४; योरुप यात्रा १९२८; ताल्लुकेदार व जमीदारों की कांफ्रेंस के सभापति (लखनऊ) १९२२; यू० पी० सोशल कांफ्रेंस के सभापति (बनारस) १९२३; सभापति अछूत कांफ्रेंस कानपुर (१९२४); प्रेसीडेण्ड, प्रान्तीय हिन्दू सभा, प्रान्तीय क्षत्रिय सभा तथा आल इंडिया शुद्धि सभा; वाइस प्रेसीडेण्ड आल इंडिया हिन्दू महासभा, क्षत्रिय महासभा और जमींदार एसोसिएशन; चेयरमैन डि० बोर्ड फरुखाबाद १९२३-२७; डिलिमिटेशन कमेटी के मेम्बर रहे; मेम्बर मैनेजिंग कमेटी उदयप्रताप कालेज बनारस, बलवन्त राजपूत कालेज आगरा, क्षत्रिय हाई स्कूल जौनपुर, हरदोई और पडरौना; संस्थापक-प्रधान आदित्य कुमारी क्षत्रिय हाईस्कूल मेम्बर; लेजिस्लेटिव एसेम्बली (१९३७); मिनिस्टर अस्थायी मंत्रि मंडल यू. पी. सरकार (१९३७) विचार, उदार तथा प्रगतिशील; हिन्दी सहित्य में विशेष रुचि; पता—तिरवा।

टण्डन पुरुषोत्तमदास बाबू—सभापति सर्वेंट्स आफ पीपुल सुसाइटी; १९२१ के असहयोग आन्दोलन में वकालत छोड़ दी; भू. पू. सभापति यू० पी प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी; सेक्रेटरी पंजाब नेशनल बैंक, अलाहाबाद म्युनिसिपलटी के भूतपूर्व चेयरमैन; यू० पी० असेम्बली के स्पीकार १९३७; पता—लखनऊ, अलाहाबाद ।

टागोर, अवनीन्द्नाथ—आर्टिस्ट ज० १८६१; शि० संस्कृत कालेज कलकत्ता व इंग्लैंड; उमर खयाम; रवींद्रनाथ टागोर की क्रिसंट-मून सिस्टर निवेदिता की मिथस ऐंड लीजंडस आफ इंडिया के विषयों की रंगीन तसवीरें बनाई; करीब दो सो रंगीन तसवीरें तैयार की व बहुत से मेडल व पारतोषिक प्राप्त किये; मेम्बर आर्टस् एड् व्हायजरी कमेटी टू बंगाल गवर्नमेंट; संस्थापक

व मेम्बर एलाइड् आर्टिस्टस् असोसिएशन; पता—द्वारका नाथ टागोर लेन कलकत्ता।

टागोर, रवीन्द्र नाथ—ज० १८६१; बोलपुर (बंगाल) में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय "विश्व भारती" शांति निकेतन की स्थापना १९००-१; तब से यह शाला ही उनके जीवन का मुख्य कार्य हुआ है; इंग्लैंड प्रवास १९१२; अपनी बंगाली पुस्तकों में से कुछ पुस्तकों का अंग्रेजी में अनुवाद किया जिसमें गीतांजली जगत प्रसिद्ध है नोबल प्राइज फार लिटरेचर १९१३-२८ गद्य और लगभग ३० काव्य की पुस्तकों के लेखक; पुस्तकें (अंग्रेजी) गीतांजली, गार्डनर, साधना, क्रीसेन्ट-मून पोस्ट आफिस (नाटक) गोरा इत्यादि पता—शांतिनिकेतन बोलपुर, बंगाल।

ठक्कर, अमृतलाल बी.—प्रसिद्ध देश सेवक,—ज० १८६९ भावनगर; शि० इंजिनियर १८९०; इंजिनियर कार्य १८९०-१९१४; स० १९१४ में इस्तीफ़ा देकर श्री० गोखले की सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी में प्रवेश; भीलों में विद्या प्रचार कार्य आरंभ किया और "भील सेवा मंडल" की स्थापना की; आल इंडिया हरिजन सेवक संघ के जनरल सेक्रेटरी (स० १९३२ से); महात्मा गांधी के हरिजन आंदोलन के दौरे में सेक्रेटरी (१९३३-३४), पता—हरिजन सेवक संघ, किंग्सवे, दिल्ली।

तिवान, नवाब सर उमर हयातखांन—जमींदार व मेम्बर कौंसिल आफ स्टेट; ज० १८७४; शि० एटकिन्सन् कालेज, लाहोर; हेड अटेची टू अमीर आफ अफगानिस्तान, १९०७, मेम्बर इंपीरियल लेजिलेटिव कौंसिल, हेरल्ड दिल्ली दरबार १९११; सरहद्दी युद्ध में भाग लिया और सात मर्तबे सरकारी खलीतों में प्रशंस युद्ध उल्लेख हुआ, तीसरे कावुल युद्ध में भाग लिया, १९१९, मेम्बर ईशर कमेटी १९२०, प्रेसीडेंट हार्स ब्रीडिंग एंड शो सोसायटी आफ इंडिया, भ्रमण—अफ्रिका यूरप एशिया, तिब्बत, पता—काहा, जिला शाहपुर, पंजाब।

दत्त, अखिल चन्द्र—ज० १८६९, एम. एल. ए. (केन्द्रीय), चार बार बंगाल व्यवस्थापक सभा के सदस्य. बंगाल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के भूतपूर्व सभापति; बंगाल कांग्रेस नेशलिस्ट पार्टी के सभापति तथा एसेम्बली में डिपुटी लीडर, पता:—दत्तकुटीर, कोमिल्ला, बंगाल।

दया शंकर दुबे, प्रो०—प्रसिद्ध हिंदी लेखक, जन्म २८ जुलाई १८९६ ई०; शिक्षा, एम. ए. एल. एल. बी.; रिसर्च स्कालर (१९१९–२०); प्रोफ़ेसर यूइंग क्रिश्चियन कालेज इलाहाबाद (१९२०–२२) प्रो० लखनऊ यूनि० (१९२२–२६) प्रो० अलाहाबाद यूनि० (१९२६ से); परीक्षा मन्त्री, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, सभापति भारत वर्षीय हिंदी अर्थ शास्त्र परिशद; सम्पादक, धर्म-ग्रन्थावली; पुस्तकें— भारत में कृषि सुधार, विदेशी विनिमय, सम्पत्ति का उपभोग, धन की उत्पत्ति, अर्थशास्त्र शब्दावली, निर्वाचन पद्धति, बृटिश साम्राज्य शासन, इत्यादि; पता—इलाहाबाद।

दाऊ दयाल खन्ना—कांग्रेस कार्यकर्ता, जन्म नवम्बर १९११; असहयोग में कालेज छोड़ दिया; मन्त्री मुरादाबाद कांग्रेस कमेटी (१९२९–३७); असहयोग अन्दोलन में दो बार जेल की सज़ा

(१९३०) व (१९३२); मेम्बर म्यू० बोर्ड मुरादाबाद; यू० पी० प्रान्तीय पोस्टमैन कान्फ़रेन्स के सभापति (एटा दिसम्बर १९३७); यू० पी० लेजिसलेटिव एसेम्बली के मेम्बर (१९३७); पता—मुरादाबाद यू० पी०।

दादा भाई, सर माणिक जी बैराम जी—सभापति कौंसिल आफ़ स्टेट जन्म १८६९; वकालत शुरू की १८८७, एडवोकेट बम्बई हाई कोर्ट १८८७; मध्य प्रान्त में गवर्नमेंट एडवोकेट १८९१; सभापति अखिल भारतीय इन्डस्ट्रियल कान्फ्रेंस कलकत्ता १८११; मेम्बर इम्पीरियल लेजिसलेटिव कौंसिल १९०८–१२, और १९१४–१७; कौंसिल आफ़ स्टेट के मेम्बर चुने गए १९२१; मेम्बर फिस्कल कमीशन १९२१; मेम्बर करेंसी कमीशन १९२५–१९२६; सदस्य गोल मेज़ कान्फ्रेन्स १९३१; मालिक अनेक मेंगनीस की खानों के जो मध्य प्रान्त, बरार और विहार उड़ीसा में हैं और कितने ही जिनिंग और कपास ओटने की फैक्टरियों के जो भारत के सभी प्रान्तों में हैं; पता—नागपुर।

दावर, सोहराब आर.—शि० बम्बई और लन्दन और मेनचेस्टर; बैरिस्टर ऐट ला; दावर्स कालेज आफ़

कामर्स बम्बई के संस्थापक एवं प्रिंसपल; प्रथम भारतीय जो मार्क फ्रीमेंस के ग्राण्ड सीनियर ओवरसियर हुए,। ग्रन्थः—"इण्डियन मरकेंटाईल ला", "बिज़नस आर्गनाइज़ेशन", "हायर एकाउटिंग", 'कम्पनी ला'; इत्यादि, बम्बई शेयर होल्डर्स एसोसिएशन के सभापति ; पता—एसप्लानेड, बम्बई।

दास, पं० नीलकण्ठ संपादक "नवभारत" (मासिक); भू० पू० संपादक 'सेना'; बच्चों के सत्यवाडी में नये ढङ्ग पर खुले मैदान में शिक्षा देने वाला एक स्थानीय प्राईवेट स्कूल स्थापन किया जो आज कल 'सत्यवाडी विहार' कहलाता है; पुरी के अकाल में कार्य किया १९१९, पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षा के प्रोफेसर कलकत्ता वि० वि० में नियुक्त हुये १९२०; असहयोग किया १९२१ में; सभापति उत्कल प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी १९२२; ४ मास सजा हुई और २०० रु० जुर्माना हुआ १९२३; एसेम्बली में चुने गये १९२४-१९२७; पुस्तकें-प्रणयिनी, कोनार्क, मायादेवी, खारावेला, दसनायक, आर्यजीवन इत्यादि; पता—पो० आ० साखी गोपाल, (उड़ीसा)।

दास, रजनी कान्त—जेनेवा के राष्ट्रसंघ के अन्तर्राष्ट्रीय श्रमजीवी कार्यालय के विशेष सदस्य १९२५ से; ज० १८८१, देनर (ढाका) में शि० कलकत्ता वि० वि० और ओहियो मिस्सोरी, शिकागो और विस कोंसिन विश्व विद्यालयों में; लेकचरर नार्थ वेस्टन वि० वि० और डिपाल वि० वि० शिकागो १९१६-२०; व्याख्याना न्यूयार्क वि० वि० १९२०-२१; प्रोफेसर विश्वभारती, बङ्गाल १९२४-२५; पैसिफिक महासागर के किनारे के देशों में भारतीय श्रमजीवियों की मजदूरी की दशा की जांच करने के लिए गवर्नमेंट के विशेष एजेंट १९२१-२२; भारत, यूरोप और अमरीका में बहुत दूर २ तक भ्रमण किया है; पुस्तकें—'लेवर मूवमेंट इन इंडिया', 'फैक्टरी लेवर इन इंडिया', 'फैक्टरी लेजिस्लेशन इन इंडिया' पता—C/O एक्स प्रेस कम्पनी १ रयूडू मोंट ब्लेंक; जेनेवा; स्विटजरलेंड।

दास, विश्वनाथ—उड़ीसा प्रान्त के प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता; असहयोग आन्दोलन में काफी भाग लिया ; उड़ीसा लेजिस्लेटिव एसेम्बली के कांग्रेसी सदस्य (१९३७) तथा प्रधान मंत्री उड़ीसा प्रान्तीय संस्कार ; पता—कटक।

दुनीचंद—बैरिस्टर और म्यूनिसपिल कमिश्नर लाहोर; ज०

१८६०; शि० गवर्नमेंट कालेज; लाहौर और ग्रेज़ इन लन्दन; पंजाब मार्शलला के समय देश निर्वासन; १६१६; बाद में जन्म भर कैद की सज़ा हुई किन्तु दिसम्बर १६१६ में छोड़ दिये गये; असहयोग में वकालत छोड़ दी; लारेंस की प्रतिमा के सत्याग्रह के सम्बन्ध में ८ मास कैद की सज़ा हुई १६३१; पंजाब प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी अनेक बार; पुस्तकें—Social work and Politics; पता—लाहौर।

दुनी चंद, लाला—मेम्बर लेजि० एसेम्बली; जन्म १८७३; मैनेजर अम्बाला एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल १६०६-१६२१; मेंबर मैनेजिंग कमेटी डी० ए० वी० कालेज लाहौर; सभापति अखिल भारतीय शुद्धि सम्मेलन; क्रिमिन ला एक्ट के अनुसार गिरफ़्तार हुये और ६ महीने की कैद की सजा हुई; पंजाब प्रान्तीय काम्फ्रेन्स के सभापति; लेजिस्लेटिव एसेम्बली के स्वराजिस्ट मेम्बर; पता—कृपानिवास अम्बाला।

दुबे, दयाशंकर—प्रोफेसर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय; जन्म २८ जुलाई १८६६; शि० एम. ए. एल. एल. बी.; परीक्षा मंत्री हिन्दी साहित्य संमेलन प्रयाग (१० सितम्बर १६२८-२६); मंत्री भारतवर्षीय हिन्दी अर्थ शास्त्र परिषद; उपसभापति विश्वविद्यालय ग्राम सेवा संघ; सदस्य हिन्दी साहित्य गोष्ठी, प्रयाग; पुस्तकें—भारत में कृषि सुधार, विदेशी विनिमय, भारत के उद्योग धंधे, निर्वाचन नियम, ब्रिटिश साम्राज्य का शासन; स० १६१६-२० में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कालर; लखनऊ यूनि० में प्रोफेसर चार वर्ष तक; पता—इलाहाबाद यूनिवर्सिटी; इलाहाबाद।

दुलारे लाल भार्गव—संपादक 'सुधा'; ज० १६५८ विक्र०; भू. पू. संपादक माधुरी; संस्थापक गंगा पुस्तक माला तथा गंगा फाइन आर्ट प्रेस; अपनी पुस्तक माला से सैकड़ों पुस्तकें प्रकाशित की हैं; आप बिहारी के ढंग पर लगभग ५०० दोहे लिख चुके हैं; ब्रजभाषा के उत्कृष्ट कवि; दुलारे दोहावली, देव-पुरस्कार के सर्व-प्रथम विजेता; आपकी हिन्दी सेवा चिरस्मरणीय रहेगी; पुस्तकें—दुलारे दोहावली इत्यादि; पता—कविकुटीर लाटूश रोड, लखनऊ।

देव, शंकर राव दत्तात्रय—शिक्षा, बी. ए.; महाराष्ट्र प्राविन्शल कांग्रेस के भू० पू० सभापति; महात्मा गांधी के साथ चम्पारन (बिहार) में किसानों के लिये कार्य किया;

असहयोग आन्दोलन में विशेष भाग लिया; मुलशी पेठा सत्याग्रह का नेतृत्व किया; असहयोग आन्दोलन में कई बार जेल गये; मराठी के अच्छे वक्ता; सम्पादक 'स्वराज्य'; स्वागताध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस फैज़पुर १९३६; पता—प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी पूना।

देवीदयाल शुक्ल, 'प्रणयेश'- हिन्दी कवि, जन्म० २६ जून स० १९०४; पुस्तकें-निशीथिनी, कालिंदी, और विजया विहार; मंत्री साहित्य मंडल कानपुर १९२६; कांकरोली नरेश द्वारा "काव्यालंकार" की पदवी प्रदान हुई; पता—नारियल बाजार, कानपुर।

देशपांडे, गंगाधर बालकृष्ण- लो० तिलक के सहयोगी; ज० १८७०; शि० बी. ए. एल. एल. बी; कर्नाटक प्रांत के प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता; सभापति राष्ट्रीय कांग्रेस १९३२, मई से अगस्त तक; कट्टर असहयोगी तथा खादी भक्त व प्रचारक; सदस्य आल इंडिया कांग्रेस कमेटी; मेम्बर होमरूल डेप्यूटेशन १९१७; जेलयात्रा १९२१-२२; पता—बेलगांव।

देशमुख, रामराव माधवराव- मध्य प्रांत की कांग्रेस सरकार के कृषि विभाग के मिनिस्टर; जन्म १८९२; शिक्षा कैम्ब्रिज में अर्थशास्त्र और कानून; मिडिल टेम्पल से बैरिस्टरी १९१६; सी० पी० कौंसिल के मेम्बर १९२१; स्वराजिस्ट होकर पुनः चुने गये १९२४; पार्टी में मत भेद होने के कारण कौंसिल छोड़ दी १९२५; एसेम्बली में स्वतंत्र रूप से चुने गये १९२६; सी० पी० कौंसिल में प्रतिसहयोगी होकर चुने गये १९२७; सभापति बरार नेशलिस्ट पार्टी १९३२; बरार के प्रतिनिधि होकर इंग्लैंड गये १९३३; सभापति महाराष्ट्र कान्फ्रेन्स; पता—अमरावती, (बरार)।

देसाई, चन्दूलाल मनीलाल- ज० १८८२; शिक्षा एल. डी एस. सुप्रसिद्ध डेन्टिस्ट; होमरूल लीग में लोकमान्य तिलक के साथ कार्य किया; वकालत छोड़कर बम्बई से भड़ोंच आये; रौलेट आन्दोलन में विशेष भाग लिया १९१९; असहयोग आन्दोलन में कार्य किया; नागपुर झंडा सत्याग्रह का (१९२३) में नेतृत्व किया; १९२६ में सेवाश्रम स्थापित किया; १९२७ में भड़ोंच फलड रिलीफ के लिये संगठन कार्य किया; बारडोली सत्याग्रह में प्रमुख भाग लिया (१९२८); असहयोग में सम्मिलित हुये; कई बार जेल गये; अ० भा० कांग्रेस कमेटी के सदस्य कई

साल तक; गुजरात व्यायाम मंडल के संस्थापक; पता—सेवाश्रम, भड़ोंच।

देसाई, भूलाभाई—लीडर पार्टी सेन्ट्रल एसेम्बली; जन्म १८७७; शिक्षा एम. ए. एल एल. बी.; कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य; गुजरात कालेज अहमदाबाद में दो साल (१९१७-१९१९) प्रोफ़ेसर रहे ; होम रूल लीग में विशेष भाग लिया; बम्बई सरकार के एडवोकेट जनरल रहे १९२६; बारडोली के किसानों की ओर से ब्रूमफील्ड कमेटी के समक्ष कार्य किया १९२५; गांधी इरविन समझौते के बाद पुनः बारडौली इन्क्वायरी कमेटी के सामने पेश हुए १९३१; सविनय अवज्ञा आन्दोलन काल में "स्वदेशी सभा" संगठित की १९३० ; सविनय अवज्ञा आन्दोलन में एक साल की सज़ा तथा १०.००० रु० जुर्माना; अनेक बार योरुप भ्रमण किया; कांग्रेस पार्लियामेण्टरी बोर्ड की स्थापना में विशेष प्रयत्न किया और उसके सेक्रेटरी तथा सभापति रहे (१९३४); पता—वार्डेन रोड, बम्बई।

देसाई, महादेव हीरालाल—बी. ए.: प्राइवेट सेक्रेटरी महात्मा गांधी; 'यंग इन्डिया' तथा 'नव जीवन' के सम्पादक; 'इंडिपेंडेंट' इलाहाबाद का सम्पादन किया और; जेल यात्रा १९२१-२२; पत्र की ज़मानत ज़ब्त होने के बाद 'इंडिपेंडेंट;' की हस्तलिखित प्रतियाँ प्रकाशित कीं; महात्मा गांधी की सत्य के प्रयोग पुस्तक के अनुवादक; पता—वर्धा।

देसाई, श्रीमती सत्यबाला—वैज्ञानिक संगीतज्ञा; ज० १८९२; ८ वर्ष की उम्र में धार्मिक गीतों के अंश गाने लगीं थीं; सामवेद और संस्कृत की अष्टपदी के गान भी १२ वर्ष की उम्र में स्वरों के साथ गाने में प्रवीण हो गई थीं; संसार का भ्रमण किया और यूरोपियन, चीनी और जापानी आदि कितने ही जनसमूहों के सामने पदर्शन के साथ संगीत पर अनेक व्याख्यान दिए; हिंदी, संस्कृत, फ़ारसी, गुजराती और बंगाली और अन्य कितनी ही भाषाओं में वे गा सकती हैं; चित्रकला में अत्यन्त प्रवीण हैं; न्यूयार्क (अमरीका) फिलेथियन सोहायटी की फेलो हैं; पता—बम्बई।

देहलवी, अली मुहम्मद खाँ—भू. पू. सभापति बम्बई लेजिस्लेटिव कौंसिल, संपादक 'अलहक़' १९१०—१९०३ ; सभापति प्रेसीडेन्सी मुस्लिम शिक्षा कान्फ्रेन्स पूना;

जन्म १५ अक्टूबर १८७४; शि० बम्बई और लन्दन; गुजरात और सिंध में वकालत की; बम्बई में स्माल काजेज कोर्ट के जज; मिनिस्टर एग्रीकलचर १९२४—२७; प्रकाशन—"हिस्ट्री एण्ड ओरोजिन आफ पोलो" 'मेडीकेन्सी इन इण्डिया' पता—सेक्रेटरियट, बम्बई ।

द्वारिका प्रसाद मिश्र—सुयोग्य हिंदी लेखक तथा देश हितैषी; शि. बी. ए., एल एल. बी.;

राष्ट्रीय आन्दोलनों में अनेक बार जेल गये ; जन्मदाता तथा संपादक 'लोकमत' ; ज० १९५८ विक्र ; सी. पी. में कांग्रेसी एम. एल. ए तथा मिनिस्टर पता—नागपुर जबलपुर ।

द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद—जन्मदाता तथा संपादक 'सरस्वती' अनेक वर्षों तक; तथा हिंदी के सर्व सम्मानित विद्वान; ज० १९२१ विक्र. ; अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, मराठी, बंगला, गुजराती आदि भाषाओं में आपका अधिकार है ; साहित्य रचना के साथ साथ आपने अनेक कवियों एवं लेखकों को प्रोत्साहन देकर उन्नत किया; पुस्तकें 'काव्य मंजूषा' तथा अनेक गद्य पद्यानुवाद तथा मौलिक ग्रन्थ; पता—दौलतपुर, रायबरेली ।

धर्मेन्द्र नाथ शास्त्री, तर्क शिरोमणि,—जन्म ४ नवम्बर १८९७; स० १९२३-२४ में गुरुकुल वृन्दावन के आचार्य पद पर कार्य किया; आर्य समाज में जात पांत तोड़ने का विशेष प्रयत्न किया ; आर्य सार्वदेशिक सभा की कार्य कारिणी समिति के सदस्य; प्रोफेसर मेरठ गवर्नमेंट कालेज ; इनकी धर्म पत्नी श्रीमती उर्मिला शास्त्री ने असहयोग में प्रमुख भाग लिया; फलतः प्रान्तीय सरकार का इन पर रोष हुआ; 'जन्म भूमि'' पत्र का प्रकाशन ; पुस्तकें—दिव्य दर्शन, सदाचार सन्ध्या ; पथ प्रदीप, आदि; पता—मेरठ ।

धीरेन्द्र वर्मा, प्रो ;—प्रधान हिंदी विभाग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी; जन्म १७ मई १८९७ ई०; शि० एम. ए. (१९२१); डी. लिट पेरिस (१९३५) ; हिंदी के प्रकांड विद्वान ; हिंदुस्तानी एकेडेमी के सदस्य ; हिन्दी साहित्य सम्मेलन की अनेक

समितियों के सदस्य ; नागरी प्रचारणी सभा काशी के कार्य कारिणी के सदस्य ; पुस्तकें—अष्ट छाप, हिंदी राष्ट्र या सूबा हिन्दुस्तान, हिन्दी भाषा का इतिहास हिन्दी भाषा और लिपि;' ला लाँग ब्रज (फ्रेन्च भाषा में १९३५) आदि, पता—इलाहाबाद।

धुलेकर, रघुनाथ विनायक—राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता तथा लेखक; ज० ६ जनवरी १८९१ ई०; शि० बी. ए. आनर्स (कलकत्ता), एम.ए.एल.एल. बी. (इलाहाबाद), एडवोकेट; संस्थापक महाराष्ट्र समिति तथा विद्यालय झांसी; १९१६ ; संयुक्त मंत्री यू. पी. प्रान्तीय राजनैतिक कान्फ्रेन्स झांसी १९१६ ; संस्थापक-प्रधान महाराष्ट्र गणेश मन्दिर ट्रस्ट १९१७ से; सभापति जी. आई. पी. रेलवे यूनियन १९१८; असहयोग में वकालत छोड़ी १९२१; मंत्री प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी १९२१-२२; संपादक अर्ध साप्ताहिक 'उत्साह' १९२१, दैनिक हिन्दी 'मातृभूमि' १९२२-२३; साप्ताहिक अंग्रेज़ी 'फ्री इंडिया' १९२२-२३; जेलयात्रा १९२५; असहयोग आन्दोलन में पुनः जेलयात्रा व जुर्माना २०० रु० १९३०-३१; संस्थापक-प्रधान सर्वेंट्स आफ दि नेशन सुसाइटी (राष्ट्र सेवा मंडल) और बुन्देलखण्ड आयुर्वेदिक कालेज १९३४; कांग्रेसी एम. एल. ए. यू. पी. १९३७; गवर्नमेंट व्हिप १९३७ से; पता—झांसी।

ध्यान चंद,—जगत में हाकी के सर्वोत्कृष्ट खिलाड़ी; शि० कालेज तक; 'झांसी हीरोज़' हाकी टीम को लेकर जर्मनी, न्यूज़ी लैंड इंग्लैंड, अफ्रीका आदि देशों में भ्रमण; ओलिम्पिक गेम्स (योरोप) में १९२८ और १९३२ में खेले; जगत के सब देशों को हराया; "स्टिक के जादूगर" नाम प्राप्त किया है; इनके छोटे भाई रूपसिंह भी जगत विख्यात खिलाड़ी हैं; इस समय फौज में नौकर हैं; पता—आर्मी स्पोर्टस कन्ट्रोल बोर्ड, कसौली।

नटराजन, कामाक्षी—ज एडीटर 'दी इण्डियन सोशल रिफार्मर' व "इण्डियन डेली मेल" बम्बई; जन्म १८६८; हेडमास्टर आर्यन हाई स्कूल ट्रिपली केन मद्रास दोयम एडीटर दी "हिन्दू" मद्रास; फेलो बम्बई यूनिवर्सिटी व मेंबर सिंडीकेट (१९१६); प्रेसीडेंट मद्रास प्रान्तिक सामाजिक परिषद करनूल १९१७; प्रेसीडेन्ट बम्बई प्रान्तिक सामाजिक परिषद बीजापुर १९१८; प्रेसीडेन्ट मैसूर परिषद १९२१; प्रेसी-

डेन्ट आल इण्डिया सामाजिक परिषद १७२७; ग्रन्थ—दक्षिण सेंसस् रिपोर्ट १९११; पता—टाटा का बंगला, खार रोड, बांद्रा, बम्बई।

नटेसन, जी. ए.—एडीटर 'इण्डियन रिव्यू' ज० १८७३; ग्रेजुएट १८९७; फेलो मद्रास यूनिवर्सिटी व मेंबर मद्रास कारपोरेशन; माडरेट परिषद में १९१९ में सम्मिलित हुये. सेक्रेटरी मद्रास लिबरल लीग; जाइन्ट सेक्रेटरी नेशनल लिबरल फेडरेशन आफ इंडिया १९२२; एम्पायर पार्लीमेंटरी डेलीगेशन के सम्बन्ध में कनाडा गये १९२८; सदस्य इंडियन टेरिफ बोर्ड; पुस्तकें —What India wants ? Autonomy within the Empire; पता-मंगल विलास, मायलापुर मद्रास।

नरदेव शास्त्री, वेदतीर्थ,—ज० २१ अक्टूबर स० १८८०; धार्मिक, शिक्षासम्बन्धी, साहित्यिक, राजनैतिक सभी कार्यक्षेत्रों में काम करते हैं; आल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य १० वर्ष तक; असहयोग में ३ बार जेल की सज़ा; महाविद्यालय ज्वालापुर के मुख्याधिष्ठाता अनेक वर्षों तक, पुस्तकें—आर्य समाज का इतिहास, ऋग्वेदालोचन, गीताविमर्श शुद्धबोध चरित, पत्र पुष्प, कारावास की राम कहानी, आदि पता—महा विद्यालय ज्वालापुर (हरिद्वार)

नरेन्द्र देव, आचार्य—आचार्य काशी विद्यापीठ; ज० कार्तिक सं० १९४६ विक्र०; एम. ए., एल एल. बी.; पाली; प्राकृत; बौद्ध साहित्य के प्रकाण्ड पंडित; फ़ैज़ाबाद होमरूल लीग के सेक्रेटरी १९१६; १९२० के असहयोग में वकालत त्याग और विद्यापीठ के आचार्य; भू० पू० संपादक 'विद्यापीठ' (त्रैमासिक); अ. भा. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कान्फ्रेन्स के सभापति १९३४; कांग्रेसी एम. एल. ए. (यू. पी.) १९३७; संपादक 'संघर्ष' कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के नेता; पता—नज़रबाग़, लखनऊ।

नारीमैन, के० एफ़०—वकील बम्बई हाई कोर्ट; सदस्य बम्बई लेजिस्लेटिव कौंसिल अनेकबार; भू० पू० मेम्बर बम्बई कारपोरेशन; नेता बम्बई प्रान्त युवक परिषद; बम्बई प्रान्त के कांग्रेसी नेता; सभापति अ० भा० यूथ लीग कलकत्ता १९२९; सभापति बम्बई प्रांतीय कांग्रेस कमेटी अनेक बार; पुस्तकें—What Next ?, Whither Congress ?; पता—कांग्रेस दफ़्तर, बम्बई।

नायडू, मिसेज़ सरोजनी---प्रेसीडेन्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस १९२५; ज० १८७९; डाक्टर एम. जी. नायडू के साथ १८९८ में शादी; दो पुत्र दो कन्यायें; शि० हैदराबाद किंग्ज कालेज; लंडन गर्टन कालेज केम्ब्रिज; अंग्रेज़ी कविताओं के ग्रन्थ लिखे जिनका भाषान्तर करीब २ सब भाषाओं में हो चुका है; जाइन्ट कमेटी आन रिफार्मस के सामने गवाही दी १९१९; अन्तर्राष्ट्रीय स्त्री मताधिकार परिषद् जिनेवा के सामने भाषण किया १९१९; हिन्दुस्थान की प्रतिनिधि की हैसियत से दक्षिण अफ्रीका गईं; मेंबर बम्बई म्युनिसिपल कारपोरेशन; प्रेसीडेन्ट बम्बई प्रान्तिक कांग्रेस कमेटी; मेम्बर आल इंडिया कांग्रेस कमेटी १९२२; श्री अब्बास तैयब जी के पश्चात् आपने नमक कानून तोड़ने के लिये धरसना पर कोई वालंटियरों के साथ धावा किया और पकड़ी गईं १९३०. पता—ताजमहल होटेल, बम्बई ।

निर्मल, ज्योति प्रसाद—हिन्दी के अच्छे लेखक; ज० १९५२ विक्र; भू. पू. सम्पादक 'मनोरमा' और भारतेंदु; सम्पादक 'भारत; पुस्तकें—'स्त्रीकवि-कौमुदी'; नव युग काव्य विमर्ष; पता—प्रयाग ।

निहाल सिंह, सेंट—जर्नलिस्ट जन्म, पंजाब में, प्रवास व देश निरीक्षण की इच्छा से कालेज छोड़ दिया; मकान गुप्त रीति से छोड़ कर हिन्दुस्तान भर भ्रमण किया, और लेख लिखकर ही द्रव्य संपादन करते हैं; जापान व अमेरिका भ्रमण में कुछ दिन 'बोहीमियन मेगेजीन' के संपादक रहे; १९१० में इंगलैंड गये अमेरिकन महिला से, जो खुद जर्नलिस्ट है, "माडर्न रिव्यू" के विशेष लेखक पता—ग्रैंडहोटेल, सीलोन ।

नून, सर फीरोज खां---ज० १८९३, शिक्षा; बार ऐट ला, (लाहौर, आक्सफोर्ड और लन्दन में पाई); लाहौर हाई कोर्ट के ऐडवोकेट; १९२१ से पंजाब प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्य; पंजाब स्वायत्त शासन के मंत्री १९२७; और शिक्षा मंत्री १९३०; आजकल लन्दन में हाई कमिश्नर फार इण्डिया; पता:—लन्दन ।

नेगी, जगमोहन सिंह,—जन्म० ५ जूलाई १९०५; शिक्षा० बी. ए. (१९२७); एल एल. बी. (१९३१); गढ़वाल में सर्वप्रथम कांग्रेस कार्य प्रारंभ किया (१९३०); मेम्बर, प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी (१९३१); असहयोग में जेल;

१ साल और ५०० रू० जुर्माना की सज़ा; चेयरमैन डि० बोर्ड गढ़वाल

(१९३१-३५); खानदानी पदवी "थोकदार"; संयोजक गढ़वाल शिक्षा कान्फ्रेन्स (९३४); स० १९३७ में कांग्रेस की ओर से मेम्बर ले० एसेम्बली; पता—ग्राम खादी, जि० गढ़वाल।

नेहरू, जवाहर लाल—बार-एट-ला; प्रेसीडेन्ट रिपब्लिकन् कांग्रेस १९२७; जनरल सेक्रेटरी इंडियन नेशनल कांग्रेस १९२८; ज० १८८९; शि० हेरो स्कूल व ट्रिनटी कालेज, कैंब्रिज; बार-एट-ला आफ दी इनर टेंपल; एडवोकेट इलाहाबाद हाई कोर्ट; सेक्रेटरी होमरूल लीग इलाहाबाद १९१८; मेंबर, आल इंडिया कांग्रेस कमेटी १९१८ से; डायरेक्टर 'इंडिपेन्डेंट'; कट्टर असहयोगी; १९२१ व फिर १९२२ में कैद; दलित राष्ट्रों की कांग्रेस में हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि; संस्थापक इंडिपेन्डेन्स लीग १९२८; प्रेसीडेन्ट, लाहौर कांग्रेस (१९२९), लखनऊ कांग्रेस (१९३६), फैजपुर कांग्रेस (१९३६); अनेकबार जेल यात्रा; भारतवर्ष की ओर से योरुप इत्यादि में आन्दोलन कर रहे हैं; पता—इलाहाबाद।

नेहरू, श्रीमती उमा—जन्म० मार्च १८८४; शि० हाई स्कूल केम्ब्रिज, इंगलिश, फ्रेन्च, हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेज़ी संगीत की ज्ञाता; कांग्रेस में अनेक वर्षों से कार्य; जेलयात्रा (१९३२) असहयोग में; चेयरमैन एडूकेशन कमेटी इलाहाबाद म्यु०; प्रेसीडेंट आल इन्डिया विमेंस एसोसियेशन; मेम्बर आल

इंडिया कांग्रेस कमेटी, तथा प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी; यू० पी० एसेम्बली में कांग्रेस सदस्या; पुस्तकें—बिपता, मदर इंडिया; सम्पादक—Children's Weekly, दिल्ली; पता—इलाहाबाद।

नेहरू, श्रीमती रामेश्वरी—ज० १८९६; यौरुप, रूस मिश्र, ब्रह्मा आदि लगभग सभी विदेशों में भ्रमण

किया है; 'स्त्री दर्पण' का सम्पादन बहुत काल तक किया है; आल इण्डिया वीमेन्स कान्फ्रेन्स की सोशल सेक्रेटरी; कन्सेन्ट कमेटी की सदस्या; वीमेन्स इण्डियन एसोसियेशन की लन्दन कमेटी की सभानेत्री; विदेशों में भारत की दशा पर अनेक भाषण दिये; हरिजन सेवा में विशेष रुचि; पता:—लाहौर।

पट्टाभी सीतारामैय्या, डा०—शि० बी. ए., एम. बी. सी. एम.; अ. भा. कांग्रेस कमेटी के सदस्य १९१६ से; संस्थापक तथा संपादक 'जन्मभूमि' १९१९ से १९३०; १९३० से १९३३ तक तीन बार राष्ट्रीय आन्दोलनों में जेल यात्रा; सदस्य, कांग्रेस वर्किंग कमेटी १९१९-३१, १९३४-३६; कोआपरेटिव मूवमेंट में विशेष भाग लिया; संस्थापक आँध्र बैंक, भारत लक्ष्मी इंशोरेन्स कं०, आंध्र इन्शोरेन्स कं० और हिन्दुस्तान म्युचुअल इन्शोरेन्स कं०; पुस्तकें; नेशनल एडुकेशन, इंडियन नेशनालिज़्म, इंडियन नेशनल कांग्रेस का इतिहास (अंग्रेज़ी) पता—मछलीपट्टम्।

पटेल, बल्लभ भाई० जे०—ज० १८७६ शिक्षा; बार-ऐट-ला १९१३; मंत्री प्रथम गुजरात प्राविन्शल कान्फ्रेन्स १९१६; महात्मा गांधी खेड़ा करबन्दी आन्दोलन का नेतृत्व किया १९१७; रौलेट एक्ट का विरोध; अहमदाबाद कांग्रेस की स्वागत समिति के सभापति १९२२; गुजरात विद्यापीठ के लिये १० लाख रु० एकत्रित किया; झंडा सत्याग्रह नागपुर के नेता; बारडोली सत्याग्रह के संचालक १९२२-२३; कई बार जेल गये; करांची कांग्रेस के सभापति १९३१; सदस्य आल इण्डिया कांग्रेस पार्लियामेण्टरी कमेटी; मेम्बर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी; पता—वर्धा, अहमदाबाद।

पंडित नानकचंद—ज० १८८६; शिक्षा, एम० ए०, बार ऐट ला (लाहौर और आक्सफोर्ड); एडवोकेट लाहौर; पंजाब प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्य १९२३ से; तीसरी गोलमेज़ कान्फ्रेन्स के प्रतिनिधि; ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के समक्ष बयान दिये; पंजाब विश्व-विद्यालय के फेलो; अनेक शिक्षा सम्बन्धी संस्थाओं को स्थापित किया; पता—लाहौर।

पंडित, रणजीत सीताराम—ज० १८९८; शिक्षा बी० ए० एल० एल० बी० एडवोकेट, अलाहाबाद हाईकोर्ट; बम्बई, इंग्लैण्ड और

जर्मनी में शिक्षा पाई; विवाह, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित १६२ ; शिक्षा काल में आपने अनेक बड़े बड़े पुरस्कार पाये भारत और विलायत दोनो जगह; लार्ड सिनहा तथा र बी० एल० मित्र के साथ कलकत्ता हाईकोर्ट में वकालत आरम्भ की; डिफेन्स आफ इण्डिया ऐक्ट के अनुसार राजकोट में एक साल नज़र बन्द; युद्ध काल में बंगाल लाइटहार्स फौज में काम किया १६१८; पेशावर गोली कांड की जांच कमेटी के सेक्रेटरी; राजतरंगिणी का संस्कृत से अंग्रेजी अनुवाद; यू० पी० कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी; मेम्बर प्रान्तीय लेजिस्लेटिव असेम्बली १६३७; पता—प्रान्तीय कांग्रेस आफिस, लखनऊ।

पंत, गोविंद वल्लभ—प्रधान मंत्री यू० पी० सरकार; शि० बी० ए० एल-एल० बी०; जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्लियामेण्टरी बोर्ड (१६३६-३७); असेम्बली कांग्रेस पार्टी के डिप्टी लीडर; पुरानी यू० पी० कौंसिल में स्वराज्यपार्टी के लीडर (१६२३-२६); असहयोग आन्दोलन में जेलयात्रा (१६३०-३२); केन्द्रीय एसेम्बली के मेम्बर १६३४-३६; अच्छे वक्ता और तार्किक। पता—लखनऊ व नैनीताल।

पनिक्कर, केवलम माधव—शिक्षा० आक्सफोर्ड; मेम्बर अकेडेमिक कौंसिल; प्रोफेसर मुसलिम यूनीवर्सिटी अलीगढ़ १६१६-२२; वैदेशिक मंत्री पटियाला रियासत; सहकारी सम्पादक 'स्वराज्य' मद्रास; १६२२-२४; सम्पादक 'हिन्दुतान टाइम्स' १६२४-२५; डिप्टी डायरेक्टर, प्रिंसेस स्पेशल आरगेनाइजेशन १६३०; सेक्रेटरी, चान्सलर प्रिंसेज़चेम्बर १६३१-३३; प्रिंसेस डेलीगेशन के सेक्रेटरी होकर सभी गोलमेज़ कान्फ्रेन्सों में गये; ग्रन्थ—'इंडियन नेशनेलिज़्म, इट्स हिस्ट्री ऐण्ड प्रिंसपल्स' 'इन्डियन स्टेट्स'; पता—पटियाला।

परमानन्द, दादा—जन्मस्थान जिला हमीरपुर; स० १६१५ में क्रांतिकारी षड्यंत्र के सिलसिले में पकड़े गये; सजा, जन्म कैद; कांग्रेसी मंत्री मंडल (यू० पी०) द्वारा रिहा किये गये (१६३७); छूटने के बाद राष्ट्रीय आन्दोलन में प्रवृत्त हैं; दिल्ली में प्रवेश पर सरकारी प्रतिबंध लगाये जानेपर उसे नहीं माना फलतः जेलयात्रा; पता—हमीरपुर।

परमानन्द, भाई—प्रसिद्ध हिंदू नेता; शिक्ष० एम० ए०; आर्य समाज की ओर से दक्षिण अफ्रीका गये; तीन साल वहां नज़रबन्द रहे;

अमेरिका की ब्रिटिश कोलोनीज़ देखने के लिये गये; गदर पार्टी केस में पकड़े गये और फांसी का हुक्म (१९१५) किंतु फिर आजन्म देश निकाला की सजा हुई; १९२० तक अन्डमन्स में रहे, २ महीने की भूख हड़ताल की और छोड़ दिये गये; पंजाब विद्यापीठ के चान्सलर अ. भा. हिन्दू महासभा (अजमेर) के सभापति (१९३३); ज्वाइन्ट पार्लियामेन्टरी कमेटी के समक्ष हिन्दुओं के ओर से बयान देने के लिये विलायत गये; मेम्बर केन्द्रीय एसेम्बली; पता—देहली, शिमला।

परांजपे, रघुनाथ पुरुषोत्तम—ज० १८७६; शि० हिन्दुस्तान, केम्ब्रिज, पेरिस, गोटिंगहम; सब यूनिवर्सिटी परीक्षाओं में प्रथम, केम्ब्रिज में सीनियर रङ्गलर १८९९; प्रिन्सिपल फरग्यूशन कालेज पूना १९०२–२०; वाइस चान्सलर इंडियन वीमेन्स यूनिवर्सिटी १९१६–२०; मेम्बर बम्बई लेजि० कौंसिल १९१३–२०; मिनिस्टर आफ एज्यूकेशन बम्बई, १९२१–२३; मेम्बर, रिफार्म्स इन्काइरी कमेटी १९२४; आक्जिलियरी व टेरीटोरियल फोर्सेस कमेटी १९२४; मेंबर टेक्सेसन् कमेटी १९२४–२५; प्रेसीडेन्ट लिबरल फेडरेशन १९२४; बम्बई कौंसिल के लिये युनिवर्सिटी के तरफ से प्रतिनिधि चुने गये १९२६; मिनिस्टर नियत हुये १९२७; इण्डिया आफिस में नियत १९२७–३२; वाइस चान्सलर लखनऊ, विश्व-विद्यालय; पता:—लखनऊ, पूना।

पराड़कर, बाबूराव विष्णु—शिक्षा, बी. ए.; सुप्रसिद्ध सम्पादक तथा लेखक; ज्ञानमंडल काशी की स्थापना तथा संचालन में काफी सहायता दी; काशी की अनेक सामाजिक और साहित्यक संस्थाओं के प्रतिष्ठित सदस्य; सामाजिक सुधारों के पोषक; देशभक्त तथा साहित्य सेवी, पता—'आज' आफिस, बनारस।

पाटिल, एस. के.—ज० १९००, शिक्षा, बम्बई और लन्दन में; सम्पादन कला की शिक्षा लन्दन में पाई; राष्ट्रीय आंदोलन में जेल; 'बाम्बे क्रानिकल', में उप संपादक; जनरल सेक्रेटरी बम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी १९३० से अ. भा. कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी १९३४; पता—गिरगाँव रोड, बम्बई।

पालीवाल, श्री कृष्णदत्त—ज० १८९९; शिक्षा, एम. ए. एल-एल. बी., साहित्यरत्न; असहयोग में ला कालेज छोड़ दिया १९२०;

सम्पादक 'प्रताप' और 'प्रभा'; कानपुर कांग्रेस कमेटी और मज़दूर सभा के सभापति १९२२-२३; कानपुर स्वराज्य पार्टी के सभापति १९२३; यू. पी. कौंसिल के सदस्य १९२३; १९२२ से अ. भा. कांग्रेस कमेटी के सदस्य; राष्ट्रीय कांग्रेस के पब्लिसिटी आफिसर और स्वागत समिति के मन्त्री (कानपुर) १९२५; यू पी. कांग्रेस कमेटी और स्वराज्य पार्टी के सेक्रेटरी, एम. एल. ए. (केन्द्रीय) १९३४; सम्पादक 'सैनिक' आगरा, पता—आगरा।

पुण्तांबेकर, श्रीकृष्णव्यंकटेश- ज० १८ जरवरी १८९०; शि० एम. ए. बारएट-ला; प्रिंसिपल इतिहास और अर्थशास्त्र सार्वजनिक कालेज सूरत १९२०-२१; प्रिंसिपल नैशनल कालेज बम्बई (१९२१-२५; महात्मा गांधी से १०००) खादी लेख के लिये पुरस्कार पाया; लेखक—इंट्रोडकशन टु सिविक्स ऐण्ड पोलिटिक्स; इंट्रोडकशन टु इण्डियन सिटिजनशिप ऐण्ड सिवलीज़ेशन (दो जिल्द); प्रोफेसर इतिहास और राजनीति हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस।

पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, सर- मेम्बर इण्डियन लेजिसलेटिव एसेम्बली; कपास के व्यापारी; ज० १८७९; शि० एल्फिस्टन कालेज; प्रेसीडेण्ट ईस्ट इण्डियन काटन एसोसियेशन; मेम्बर इंचकेप कमेटी गवर्नर, इम्पीरियल बैङ्क आफ इण्डिया (सेंट्रल बोर्ड); मेम्बर रायल कमीशन आन इण्डिया करेन्सी ऐंड फायनेंस १९२६; डायरेक्टर रिज़र्व बैङ्क; पता—मलाबार केसल, बम्बई।

पुरोहित, प्रताप नारायण-

ताज़ीमी सरदार; हिन्दी के अच्छे कवि; जन्म० १ जनवरी १९०३; शि० बी. ए. तक; जयपुर दरबार में ऊँची कुर्सी दी जाती है; अनेक कवि सम्मेलनों में सम्मानित किये गये; फोटो तथा सिनेमेटोग्राफी में निपुण; योरुप के अनेक देश इटली, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड आदि देशों में भ्रमण; पुस्तकें—नल नरेश, काव्य कानन, मन के मोती; गुणियों के गायन, नव निकुञ्ज, आदि; पता—सिवार हाउस, गनगोरी बाज़ार सवाई बाज़ार, राजपूताना।

पोद्दार, कन्हैयालाल—सुप्रसिद्ध विद्वान; आपकी हिन्दी-साहित्य-सेवा महत्वपूर्ण है; पुस्तकें—भर्तृहरि शतक, गंगालहरी, अलंकार प्रकाश, काव्य-कल्पद्रुम आदि पता—रामगढ़।

पोद्दार, दत्तूवामन—ज० १८९०; शिक्षा बी. ए.; शिक्षण प्रकाशक मंडली पूना के आजीवन सदस्य १९१४; प्रोफेसर सर परशुराम भाऊ कालेज १९२६-३२; भारत इतिहास संशोधक मण्डल के सेक्रेटरी; विचार मण्डल के संस्थापक; महाराष्ट्र शारदा मण्डल के सभापति; इण्डियन वीमेन्स यूनिव० की सीनेट के सदस्य १९१२-२७; बंबई यूनिवर्सिटी की फैकल्टी आफ आर्टस् के कोआपरेटिव मेंबर; तिलक नेशनल युनिसिटी की सीनेट के सदस्य; इण्डियन हिस्टारिकल रिकार्डस कमीशन के करेस्पांडिग मेंबर; भण्डारकर ओरियण्टल रिसर्च इंस्टीट्यूट के सदस्य; हिंदी अंग्रेजी और मराठी में अनेक ग्रन्थ एवं निबन्ध लिखे; पता—पोद्दार हाउस पूना।

पोद्दार, हनूमानप्रसाद—सुप्रसिद्ध संपादक 'कल्याण' (मासिक); ज० १९४९ विक्र; लेख बड़े विद्वतापूर्ण एवं धार्मिक; "कल्याण" का यशस्वी सम्पादन तथा संचालन आप ही के अथक परिश्रम का फल है; पता—गोरखपुर।

प्रकाशम, टी.—एडीटर "स्वराज्य" १९२१ से; असहयोग (१९२१) में वकालत छोड़ी; प्रेसीडेन्ट आंध्र प्रान्तिक कांग्रेस कमेटी; कांग्रेस आज्ञानुसार त्यागपत्र व नमक कानून भंग में जेल यात्रा (१९३०); मंत्री मद्रास सरकार; पता—मद्रास।

प्रतापसिंह, कविराज—प्राणाचार्य, रसायनाचार्य; जन्म २ जून १८९२; शि० मद्रास १९१३, कलकत्ता १९१३-१८; प्रिंसिपल, बाबाकाली कमली वाले का आयुर्वैदिक महाविद्यालय १९२१ तक; तथा ललितहरी संस्कृत आयुर्वैदिक कालेज, पीलीभीत १९२१-२५; सुपरिंटेंडेंट, आयु० फार्मेसी बनारस वि. वि. मैंबर बोर्ड आफ इंडियन मेडीसिन (१९२६ से); बोर्ड आफ एडवाइज़री कमेटी, पटना गवर्मेन्ट आयुर्वैदिक कालेज; सभापति अ० भा० आयुर्वैदिक सम्मेलन; १९३४; प्र० मन्त्री अ० भा० आ० महामंडल १९३६; पुस्तकें, आ० महामंडल जयन्ती ग्रन्थ, खनिज विज्ञान, स्वास्थ्य सूत्रावली, संक्षिप्त विष विज्ञान; प्रसूति परिचर्या, जच्चा, प्रताप कंठाभरण; तथा आयुर्वैदिक यूनि० बिल के रचयिता, पता—बनारस।

फ़जलभाई करीमभाई, सर— ज० १८७२; ओ. बी. ई. (१६२०); व्यापारी तथा मिल मालिक; २१ साल से म्यूनिसपल कारपोरेटर; इंडियन मर्चेण्टस चेम्बर ऐण्ड ब्यूरो के चेयरमैन १६१४-१६; बम्बई मिल ओनर्स एसोसियेशन के चेयरमैन १६०७-०८; आल इण्डिया मुसलिम लीग के उप-सभापति, बम्बई के शेरिफ; इम्पीरियल; लेजिस्लेटिव कौंसिल के सदस्य १६१३-१६; बम्बई प्रेसीडेन्सी वार रिलीफ फण्ड के अवैतिक सेक्रेटरी; वेट्स ऐण्ड मेज़र्स कमेटी के सदस्य; इंटर नेशनल फायनेन्शल कांफ्रेंस (ब्रसेल्स) के भारतीय डेलीगेट होकर गये १६१०; पता—पोद्दार रोड, कम्बाला हिल. बम्बई।

फैज़ी रहमान—प्रसिद्ध चित्रकार; जन्म १८८०; वि० जंजीरा की बेगम साहबा की बहन से; शि० स्कूल आफ रायल एकेडमी आफ आर्ट्स, लन्दन; रायल एकडेमी की वार्षिक प्रदर्शनियों में प्रदर्शक; पैरिस, लन्दन और अमरीका के मुख्य मुख्य चित्रकला प्रदर्शनों में अपनी कला दिखाई; सन् १६२४ में नेशनल गैलरी आफ ब्रिटिश आर्ट में आप के बनाये हुये दो रङ्गीन चित्र स्थायी संग्रह के लिये गये; गायकवाड़ बड़ोदा के यहां आर्ट ऐडवाइज़र अनेक वर्षों तक; पता—ऐकने रिफायत मलावार रोड, बम्बई।

बजाज, जमनालाल—जन्म· जयपुर राज्य १८८६; चेयरमैन स्वा० समिति नागपुर कांग्रेस (१६२०); अखिल भारतीय मारवाड़ी अग्रवाल महासभा के संचालक; खिलाफत और कांग्रेस के कार्यों में बहुत सा द्रव्य दान दिया; आल इण्डिया कांग्रेस के खद्दर विभाग के मुख्य संचालक; १६२१ से साबरमती सत्याग्रह आश्रम के ट्रस्टे; नमक कानून भङ्ग में जेलयात्रा १६३०; खंजाची राष्ट्रीय महासभा; पता—वरधा (सी. पी.)।

बड़थ्वाल, पीताम्बर दत्त— हिन्दी भाषा के विद्वान तथा लेखक; ज० १६४८ वि०; अनेक वर्षों से अवैतनिक निरीक्षक हिंदी हस्तलिखित पुस्तकों के खोज विभाग (नागरी प्रचारिणी सभा काशी) १६३०—३४; काशी विश्वविद्यालय में हिन्दी के अध्यापक (१६३०—३४); १६३४ से प्रोफेसर हिन्दी, लखनऊ विश्वविद्यालय; पुस्तकें—गोस्वामी तुलसीदास, रूपक रहस्य (बाबू श्यामसुन्दर दास के सहकारी लेखक), संक्षिप्त रामचंद्रिका, जोगेसुरी बानी (का संपादन किया); पता—विश्वविद्यालय, लखनऊ।

बलदेव प्रसाद मिश्र—प्रसिद्ध हिन्दी लेखक; जन्म ११ सितम्बर १९९८ (राजनांदगांव सी. पी.); शि० एम ए एल-एल. बी; अवैतनिक अध्यक्ष हिन्दी विभाग नागपुर यूनि०; परीक्षक नागपुर, पटना, कलकत्ता, यूनिवर्सिटी; सदस्य अनेकानेक कमेटियां; डाक्टरेट के लिये "तुलसी दर्शन" नमक निबन्ध लिखा है जो हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से छप रहा है; पुस्तकें—'शंकर दिग्विजय' (एम. ए. के पाठ्य क्रम में स्वीकृत); असत्य, वासना वैभव, जीव विज्ञान (साहित्य सम्मेलन की ओर से पाठ्यग्रंथ है), मादक प्याला, आदि; दीवान रायगढ़ स्टेट; पता—रायगढ़ सी० पी०

बापना, सर सिराय मल,—वज़ीरुद्दौला रायबहादुर; ज० १८८२; सी. आई. ई.; शि० बी. ए. बी. एस सी.; एल एल. बी.; प्रधान मंत्री इन्दौर रियासत; डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज इन्दौर १९०७; ला ट्यूटर तथा सेक्रटरी महाराजा तुकोजी राव; होम मिनिस्टर १९१५; पटियाला रियासत में मिनिस्टर १९२१ से १९२३ तक रहे; इन्दौर में पुनः गृह सचिव १९२३; १९२६ से प्रधान मंत्री एवं प्रेसीडेण्ट आफ दि कैबिनेट; १९३१ में गोल मेज़ कान्फ्रेन्स में डेलीगेट होकर गये; १९३५ में अंतरीष्ट्रीय लीग एसेम्बली के डेलीगेट; पता—इन्दौर।

बालकृष्ण शर्मा, 'नवीन'—ज० सम्बत १९५४ (शाजापुर ग्वालियर राज्य); विद्यार्थी जीवन से ही राजनैतिक क्षेत्र में आने की उत्कंठा थी; स्वर्गीय श्री गणेश शंकर की विशेष सहायता एवं सहानुभूति प्राप्त की; असहयोग आन्दोलन में बी. ए. फाइनल से पढ़ना छोड़ कर 'प्रताप' एवं 'प्रभा' का सम्पादन करने लगे; हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वान; खड़ी बोली के कवियों में विशेष स्थान; 'विस्मृता उर्मिला' महाकाव्य उल्लेखनीय है; सभापति कानपुर नगर कांग्रेस कमेटी तथा यू० पी० प्रान्तीय कांग्रेस की कार्य समिति के सदस्य ; पता—कानपुर।

बिड़ला, घनश्याम दास—ज० १८९१; भारत के प्रसिद्ध व्यापारी तथा दानवीर; बिड़ला ब्रदर्स लि० के मैनेजिंग डायरेक्टर; लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्य १९३०; इम्पीरियल प्रिफरेन्स के विरोध में मेम्बरी से पदत्याग; इण्डियन चेम्बर आफ कामर्स कलकत्ता के सभापति १९३५; फिडरेशन आफ इण्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स के सभापति १९२९; इण्डियन फिस्कल

कमीशन के सदस्य; अन्तर्राष्ट्रीय लेबर कांफ्रेंस जिनेवा में भारतीय डेलीगेट होकर गये १९२७; दूसरी गोलमेज कांफ्रेंस के डेलीगेट १९३०; अ. भा. हरिजन सेवक संघ के सभापति; अनेक संस्थाओं को सहायतार्थ दान दिया; पता — कलकत्ता ।

बिस्मिल श्री. जी—हिंदी, उर्दू के प्रख्यात कवि; ज० १९६५ विक्र; पुराना नाम सुखदेव प्रसाद सिंह है; पत्र पत्रिकाओं में कवितायें प्रकाशित होती है; पता —प्रयाग ।

बीरबल सिंह—अध्यापक तथा रजिस्ट्रार काशी विद्यापीठ; ज०१८९९ (जनवरी); शि० बी. ए. (इलाहाबाद); एम. ए. (हिन्दू यूनिवर्सिटी); कांग्रेस कार्य १९-२१ से; १९३० के सत्याग्रह आन्दोलन में ४ मास की जेल; स० १९३२ में १५ मास की जेलयात्रा; चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड जौनपुर १९३८; कांग्रेसी मेंबर यू. पी. लेजिसलेटिव एसेम्बली (१९३७); पता—काशी विद्यापीठ, बनारस ।

बेनीप्रसाद, प्रोफेसर डा०— ज० १९ फरवरी १८९४; शिक्षा, कानपुर, इलाहाबाद, और लन्दन; एम. ए ; इलाहाबाद; रिसर्च स्कालर इंडियन हिस्टरी इलाहाबाद यूनीवर्सिटी; लंदन; यूनीवर्सिटी की पी. एच. डी., और डी. एस. सी. की उपाधियां प्राप्त; इंडियन हिस्टरी के लेक्चरर (१९१८–२४), और रीडर राजनीति तथा समाज विज्ञान इलाबाद यूनिवर्सिटी (१९२५ से); हिन्दी भाषा के उत्कृष्ट लेखक; अनेक समाचार पत्रों में लेख प्रकाशित होते है (सत्येन्द्र और सत्यशोधक उपनाम से); पुस्तकें; हिस्ट्री आफ जहांगीर, थियरी आफ गवरमेंट इन एनशियेंट इंडिया, स्टेट इन एनशियेन्ट इंडिया, प्राबलेम आफ दी इंडियन कान्सटीच्यूशन; पता—इलाहाबाद ।

बोस, सुभाषचन्द्र— प्रेसीडेंट राष्ट्रीय महासभा (हरीपुरा) १९३८, ज०१८९७; शि० कलकत्ता व केम्ब्रिज; इण्डियन सि० सरविस में नियुक्ति; १९२१ में त्यागपत्र और असहयोग आन्दोलन में शामिल हुये; मैनेजर 'फारवर्ड' कलकत्ता १९२२–२४; मेम्बर कलकत्ता कारपोरेशन १९२४; चीफ

एक्जीक्यूटिव आफ़िसर कलकत्ता कारपोरेशन १९२४; बङ्गाल रेगुलेशन सन् १८१८ के अनुसार गिरफ्तार, बङ्गाल कौंसिल के मेम्बर चुने गये १९२६, रिहाई १९२७; बंगाल प्रां० क० के अध्यक्ष; लाहौर कांग्रेस की आज्ञानुसार कौंसिल मेम्बरी से त्याग पत्र; १२४ ए धारानुसार जेल यात्रा १९३६; बङ्गाल युवक संघ के प्रमुख कार्य कर्ता; नजर कैद बहुत समय तक; बीमारी के कारण योरुप में रहें: पता—कलकत्ता।

ब्रजरत्न दास,—प्रसिद्ध हिंदी लेखक; जन्म० भाद्रपद कृष्ण ८ सं० १९४७; स्वर्गीय भारतेन्दु बा० हरिश्चन्द्र इनके मातामह थे; नागरी प्रचारणी सभा काशी की प्रबंध समिति के सदस्य स० १९१२ से, तथा प्रधान मंत्री एवं अर्थमंत्री अनेक वर्षों तक; हरिश्चन्द्र हाई स्कूल में कई वर्ष अवैतनिक अध्यापक और बोर्ड आफ़ ट्रस्टीज़ के सदस्य हैं; पुस्तकें सम्पादित—प्रेमसागर, खुसरो की हिंदी कविता, रहिमनविलास, मुद्राराक्षस, जरासंध बध महाकाव्य, भूषण ग्रन्थावली, भाषा भूषण, भारतेन्दु ग्रन्थावली, तुलसी ग्रन्थावली आदि; अनूदित—संस्कृतसे, काव्यादर्श, फारसी से, हुमांयूनामा, मआसिरुल उमर, मौलिक—यशवंतसिंह तथा स्वातंत्र्य युद्ध, हुमायूं, हिंदी साहित्य का इतिहास; पता—बूजानाला, काशी।

ब्रेलवी, सैय्यद अब्दुल्ला,—ज० १८९१; शिक्षा, एम. ए. एल. एल बी.; १९१०-११ में "बाम्बे क्रानिकल" दैनिक पत्र के संपादक मंडल के सदस्य; आ. भा. कांग्रेस कमेटी के सदस्य; सविनय अवज्ञा आन्दोलन में कई बार जेल यात्रा; सम्पादक "बाम्बे क्रानिकल"; "सोशल सर्विस" (त्रैमासिम) के सम्पादकीय मंडल में; पताः—"बाम्बे क्रानिकल," बम्बई।

भगवती चरण वर्मा— ज० सम्बत् १९७०; शफीपुर (उन्नाव) शि० बी. ए. एल एल. बी.; छाया वादी कवियों में श्रेष्ठ; पुस्तकें 'मधुकण' 'प्रेम संगीत' (पद्य) एवं 'पतन', 'चित्र लेखा', 'तीन वर्ष' (गद्य) आदि; पता—प्रयाग।

भगवान दास, डा०—शि० एम. ए. (कलकत्ता) ज० १८६९; बी. ए. १८८५ और १८८७; गवर्नमेंट नौकरी में तहसीलदार १८९०; पदत्याग सेन्ट्रल हिन्दू कालेज बनारस की सेवा के लिये १८९९; उक्त कालेज के बोर्ड आफ ट्रस्टीज के सेक्रेटरी १८९९-१९१४; प्रिंसिपल

काशी विद्यापीठ १९२१; प्रान्तीय राजनैतिक कांफ्रेन्स के सभापति १९२०; एकादश अ० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति १९२१; हिंदू युनिवर्सिटी से Hon. D. L. की उपाधि १९२८; अनेक पुस्तकें और पत्रिकाओं के लेखक; भारतीय तत्वज्ञान तथा दर्शनशास्त्र के विद्वान लेखक; पता—सेवा श्रम, सिगरा बनारस।

भार्गव, भगवन्नारायण—शि० बी. ए.; हिन्दी के अच्छे कवि तथा लेखक; मेम्बर, लेजिस्लेटिव कौंसिल यू. पी. (स्वराजिस्ट) १९२३-२६; १९३० में त्याग पत्र; पहले कांग्रेस आज्ञानुसार बाद में महात्मा गांधी के पकड़े जाने के विरोध में; चेयरमैन डि० बोर्ड अनेक वर्षों तक रहे; कांग्रेस मेम्बर यू. पी. एसेम्बली १९३७; पता—झांसी।

मसानी, एम० आर०—ज० १९०५; शिक्षा बी. ए. एलएल. बी. बार-एट-ला; बम्बई और लन्दन में; लन्दन स्कूल आफ इकानोमिक्स लेबर पार्टी के चेयरमैन १९२७-२८; इण्डिया सुसाइटी के सभापति १९२६-२७; लन्दन इण्डियन मजलिस के सभापति १९२६-२७; सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भाग लिया; कई बार जेल गये; बम्बई कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संगठन कर्ता १९३४ तथा उसके सेक्रेटरी; 'डेली सन' के संयोजक सम्पादक; जनरल सेक्रेटरी आल इण्डिया सोशलिस्ट पार्टी १९३६; बम्बई म्यूनिसिपल कारपोरेशन के सदस्य; पता—गिरगाँव, बम्बई।

महराज सिंह, कुंअर सर—ज० १८७८; एम. ए., बार ऐट ला, सी. आई. ई.; असिस्टेन्ट सेक्रेटरी गवर्नमेंट आफ इण्डिया १९११; युक्तप्रान्त सरकार के सेक्रेटरी १९१६; डिपुटी सेक्रेटरी गवर्नमेंट आफ इण्डिया १९२०-२३; अलाहाबाद के कमिश्नर; जोधपुर स्टेट कौंसिल के सभापति; दक्षिण अफ्रीका में भारत सरकार के एजेन्ट १९३२-३३; होम मेम्बर यू. पी. सरकार १९३५; मेम्बर एसेम्बली यू. पी. १९३७; पता—अलाहाबाद।

महादेवी वर्मा—सुयोग्य लेखिका एवं सर्वोत्तम छायावादी कवयित्री; ज० १९६८ विक्र; प्रिंसपल; प्रयाग महिला विद्यालय; अनेक पुरस्कार और प्रशंसा-पत्र मिले हैं; 'नीरजा' पुस्तक पर सेकसरिया पारितोषिक (५०० रु०) का मिला हैं; संपादिका, 'चांद'; पुस्तकें—नीहार, रश्मि, सांध्यगीत, नीरजा आदि; पता—प्रयाग।

महेन्द्रप्रताप सिंह, राजा—दानबीर तथा देश सेवक, ज० अगहन सुदी ५ सम्बत १९४३; पिता का नाम राजा घनश्यामसिंह; जन्म स्थान मुरसान; हाथरस के राजा हरनारायण सिंह के दत्तक पुत्र; ६ वर्ष की अवस्था में पिता का देहान्त; रियासत कोर्ट आफ वार्डस हुई; शि० बी. ए. तक; सन १९०३ में सपत्नीक यूरोप यात्रा; सन् १९०६ में प्रेम महा-विद्यालय की स्थापना और ३३००० रु० सालाना की जायदात तथा महलों का दान देना; गुरुकुल बृन्द्राबन (आर्य समाज) को १२००० रु० की जमीन दी (अक्टूबर १९११); 'प्रेम' तथा 'निर्बल सेवक' पत्रों का सम्पादन; दूसरी यूरोप यात्रा १९१२; तीसारी यूरोप यात्रा १९१४, उस समय से स्विटजरलैन्ड, जर्मनी, फ्रांस, टर्की, रूस अफगानिस्तान इत्यादि देशों में रहकर भारतीय स्वतंत्रा के लिये कार्य कर रहे हैं; अभी तक वे भारत के बाहर हैं; भारत में आने का प्रतिबंध है।

माखन लाल चतुर्वेदी—प्रसिद्ध सम्पादक तथा कवि, ज० सम्बत १९४५; संस्कृत, अंग्रेजी, मराठी, गुजरातीऔर बंगला भाषा के विद्वान; संपादक 'कर्मवीर' 'प्रताप' एवं 'प्रभा' कानपुर का भी संपादन कर चुके हैं; ग्रन्थ—कृष्णार्जुन युद्ध (नाटक) तथा अनेक छायावादी एवं राष्ट्रीय कवितायें और कहानियां प्रकाशित हो चुकी हैं; असहयोग आन्दोलन में जेल यात्रा; पता—'कर्मवीर' खंडवा।

माताप्रसाद शुक्ल,—अच्छे हिंदी लेखक; जन्म ज्येष्ठ शुक्ल १४ सं० १९६६; शि० एम. ए., एल. एल. बी. डी० लिट०; (इलाहाबाद) के लिये "तुलसीदास के जीवम तथा कृतियों का आलोचनात्मक अध्ययन" निबंध दिया है; तुलसीदास की जीवनी तथा उनके ग्रंथों संबंधी आपने विशेष खोज की है और योरोपियन तथा भारतीय विद्वानों से प्रशंसा प्राप्त की है; प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में विद्वत्तापूर्ण लेख आकर्षित होते हैं; पुस्तकें-तुलसी सन्दर्भ, सम्पादित—कवितावली, पार्वती मंगल; पता—इलाहाबाद।

मानिकचन्द, डा०—अछूतों के प्रमुख नेता; दलितवर्ग की ओर से युक्त प्रान्तीय एसेम्बली के सदस्य; आदि स्थान रियासत कोटा; आगरा के प्रतिष्ठित डाक्टर; पता—आगरा।

मालवीय, महामना पं० मदन मोहन—सुप्रसिद्ध नेता, ज० २५

दि० १८६१; शि० म्योर सेन्ट्रल कालेज इलाहाबाद ग्रेज्युएट; १८८४-१८८७ तक गवर्नमेन्ट हाई स्कूल में शिक्षक; "हिन्दुस्थान" और "इंडियन यूनियन" के एडीटर; एल. एल. वी. १८६१; मेंबर प्रांतिक लेजिस्लेटिव कौंसिल १६०२-१२; प्रेसीडेन्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस १६०६ और १६१८; मेंबर इंपीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल १६१०-१६; रौलेट कानून की वजह से इस्तीफा दिया; मेंबर इंडियन इंडस्ट्रियल कमीशन १६१६-१६; मायनारिटी रिपोर्ट लिखी; बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के संस्थापक और १६१६ से वाइस चांसलर; प्रेसीडेन्ट सेवा समिति प्रयाग; चीफ स्काउट, सेवासमिति स्काउटस एसोसियेशन; प्रेसीडेन्ट हिन्दू महा सभा १६२३-२४; मेंबर लेजि० एसेम्बली; १६२४ से लीडर आफ औपोजिशन; टैरिफ बिल के विरोध में त्यागपत्र; १६३०. में कांग्रेस पार्लियामेण्टरी बोर्ड से मत भेद पड़ जाने से स्तीफा दे दिया और श्रीयुत अणे के साथ कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी स्थापित की; सन् १६३७ में नेशनलिस्ट पार्टी बनाई पर कांग्रेस से मिला दी; पता—बनारस।

मित्र, सर ब्रजेन्द्रलाल—ज० १८७५, शिक्षा एम. ए., बार ऐट ला, बंगाल के ऐडवोकेट जनरल; गवर्नमेंट आफ इण्डिया के ला मेम्बर १६२८-३४; एडवोकेट जनरल १६३८; पता—कलकत्ता और देहली।

मिश्र, रामनारायण,-बी. ए. (इलाहाबाद) ज० १८६५; प्रधान अध्यापक कान्यकुब्ज हाईस्कूल लखनऊ; भूगोल के विशेषज्ञ; सम्पादक 'भूगोल'; पता—प्रयाग।

मिश्र, पं० श्याम बिहारी—ज० सं० १६३० वि०; शि० एम. ए. यह स्वयं और उनके बन्धु पं० शुकदेव विहारी मिश्र कविता तथा पुस्तकें मिश्र बन्धु के नाम से प्रकाशित करते हैं; हिंदी संसार के सुपरिचित प्रसिद्ध समालोचक तथा उत्कृष्ट कवि हैं पुस्तकें—हिन्दी नवरत्न, मिश्रमन्धु विनोद भारत का प्राचीन इतिहास, भूषण ग्रन्थावली, आदि; पता—दीवान टीकमगढ़ स्टेट, टीकमगढ़।

मुकर्जी, प्रो० राधा कमल—प्रो० लखनऊ यूनि०; ज० १८८६; शिक्षा एम. ए., पी. एच. डी, कलकत्ता विश्व-विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हुये मौअट मेडल और प्रेमचन्द रायचन्द स्कालरशिप प्राप्त किया १६१५; सम्पादक 'उपासना'; पंजाब विश्व-विद्यालय में अर्थशास्त्र के स्पेशल लेक्चरर १६१७; कलकत्ता विश्व-विद्यालय में प्रोफेसर १६१७—

२१; रीडर पटना विश्व-विद्यालय १६२४; प्रो० लखनऊ यूनि०; लगभग २४ मूल्यवान ग्रन्थ लिखे और अनेक देशी एवं विदेशी पत्रों का सम्पादन किया; पता—लखनऊ।

मुकर्जी, प्रो० राधाकुमुद—ज० २५ ज० १८८४, डबल एम. ए. कलकत्ता (१६०१-१६०२); प्रेमचन्द रायचन्द स्कालर (रु० ७०००) और मेडल "विद्या वैभव" उपाधि (धर्म महा मंडल काशी); बड़ौदा राज्य से रु०७०० का पारतोषिक इतिहास के लिये मिला; 'इतिहास शिरोमणि' बड़ौदा सरकार; कलकत्ता यूनिवर्सिटी, रीडर (१६२४); हिन्दू यूनिवर्सिटी में सर मणिन्द्र चन्द्र नन्दी लेकचरर; मैसूर यूनिवर्सिटी लेकचरर १६१८-२०; इलाहाबाद, लखनऊ, अलीगढ़, यूनिवर्सिटियों की अनेक सभाओं के सदस्य; प्रोफेसर और प्रधान इतिहास विभाग लखनऊ यूनि०; लेखक, हिस्टरी आफ इण्डियन शिपिंग, फन्डामेन्टल यूनिटी आफ इंडिया, लोकल गवर्नमेंट इन एनशियेण्ट इण्डिया, नैशनलिज़्म इन एनशियेण्ट इण्डिया, हर्ष आदि; कांग्रेसी मेम्बर ले० कौं० बंगाल (१६३७); पता—लखनऊ।

मुकुन्दीलाल श्रीवास्तव,—अच्छे हिन्दी लेखक शि० बी. ए. विशारद; 'विद्यार्थी काल में अवनति क्यों हुई' शीर्षक लेख पर रजत पदक तथा 'रणधीर पराक्रम' नाटक पर स्वर्ण पदक प्राप्त किया; स० १६२० के असहयोग आन्दोलन में एम. ए. से शिक्षा छोड़ दी; स० १६२२ में ज्ञान मंडल में नियुक्ति; काशी विद्यापीठ में ग्रंथमाला के सम्पादक तथा अध्यापक; पुस्तकें—सम्राज्यवाद तथा हिन्दी धन संग्रह, ग्रीस और रोम के महापुरुष, जापान रहस्य, पता—काशी विद्या पीठ, काशी।

मुंजे, डा० बी० एस०—प्रसिद्ध हिन्दू नेता; मेम्बर, लेजिस्लेटिव एसम्बली (अनेकबार); सत्याग्रह आन्दोलन १६३० में सजा; गोलमेज़ कान्फ्रेन्स में प्रतिनिधि होकर गये; फौजी शिक्षा में विशेष रुचि; 'भोंसला मिलीटरी कालेज' नासिक के संस्थापक; अ० भा० हिन्दू महासभा के सभापति रहे; पता—नागपुर।

मुन्शी, कन्हैयालाल मानिकलाल—ज० १८८७; शिक्षा बड़ौदा और बम्बई; बी. ए. एल-एल. बी.; एडवोकेट; सम्पादक 'यंग इन्डिया' १६१५; सेक्रेटरी बम्बई होम रूल लीग १६२०; गुजराती साहित्य कोष के सम्पादक; बम्बई विश्वविद्यालय

के सिनेट व सिंडीकेट के सदस्य; सत्याग्रह आन्दोलन में सपत्नीक प्रमुख भाग लिया; जेल गये; अ० भा० कांग्रेस कमेटी के सदस्य; बम्बई सरकार के कांग्रेसी होम मिनिस्टर १६३७; अनेक गुजराती ग्रन्थ लिखे; पता—रिज रोड, मलाबार हिल, बम्बई।

मुन्शी, श्रीमती लीलावती—ज० १८६६; सुयोग्य गुजराती उपन्यास लेखिका और राजनैतिक कार्यकर्त्री; धर्मपत्नी श्री के० मुन्शी; सेक्रेटरी साहित्य समसद और स्त्री सेवा संघ; अ० भा० कांग्रेस कमेटी की सदस्या १६३१; उपसभानेत्री नारमद सेंटीनेरी कमेटी और भारतीय संगीत समिति; अनेक ग्रंथ लिखे; पता—रिज रोड, मलाबार हिल, बम्बई।

मुले, लक्षमणराव भास्कर राव—एजुकेशन मिनिस्टर गवालियर शि० बी. ए. एल-एल. बी.; राज्य की शिक्षा प्रणाली तथा लगान सम्बन्धी अनेक परिवर्तन किये; भारतीय दर्शन शास्त्र के विद्वान; भूतपूर्व सदस्य टीनेन्सी कौंसिल; पुस्तकें—रेवन्यु मैनुएल आफ ग्वालियर; पता-ग्वालियर।

मूलचन्द अगरवाल,—शिक्षा बी. ए; संस्थापक तथा संचालक तथा अनेक वर्षों से सम्पादक "विश्वमित्र" (दैनिक, मासिक और साप्ताहिक) कलकत्ता के मारवाड़ी समाज में काफी प्रतिष्ठा रखते हैं; "ऐडवान्स" पत्र की कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर; अनेक समाजिक संस्थाओं के संस्थापक तथा सदस्य; पता—विश्वमित्र आफिस, कलकत्ता।

मेहता, जमनादास माधव जी;—बैरिस्टर, ज० जामनगर में १८८४; वाइस प्रेसीडेन्ट लन्डन इंडियन एसोसियेशन १६१४; मेंबर बंबई कारपोरेशन १६२२; एडीटर "राष्ट्र-सेवक"; मेम्बर लेजि० असेम्बली, केन्द्रीय १६२३-३०; प्रेसीडेन्ट आल० इं० रेलवे मैन; प्रेसीडेन्ट प्रां कां. महाराष्ट्र व बम्बई कुछ कालतक; मेम्बर व वर्किंग कमेटी कांग्रेस (१६२६); मेयर बम्बई (१६३६-३७) प्रेसीडेन्ट ट्रेडस यू० फि० (१६३३-३५) मिनिस्टर बम्बई (इंटरिम) १६३७; पता—बम्बई।

मेहर अली, युसुफ़—ज० १६०३, शिक्षा ब. ए. एल. एल. बी; विद्यार्थी अवस्था में भाषण देने में कई बार स्वर्ण पदक एवं अन्य पुरस्कार पाये; वर्ल्ड यूथ पीस कांग्रेस में भारतीय युवकों के प्रतिनिधि होकर हालैण्ड गये १६२८; जनरल

सेक्रेटरी आल इण्डिय यूथ लीग; असहयोग आन्दोलन में ४ बार जेल गये १६३०—३३; संयोजक मंत्री आल इन्डिया सोशिलिस्ट पार्टी; पता—बम्बई।

मोहन लाल महतो;—साहित्यालंकार कविरत्न, हिंदी के प्रसिद्ध लेखक एवं कवि; गया की हिंदी साहित्य सभा के उपसभापति; लेखों के लिये, माधुरी स्वर्णपदक, तथा भिन्न २ सभाओं के पदक प्राप्त किये, पुस्तकें—निर्माल्य, एकतारा उत्सर्ग, कल्पना, रेखा, सलिला इत्यादि; कहानी साहित्य के प्रोलेटेरियन रूप देने के लिये सतत प्रयत्न कर रहें हैं; पता—गया।

मोहनलाल, सकसेना—ज० २४ अक्टूबर १८६६; बी० ए० एल० एल० बी०; यू० पी० कौंसिल के मेंबर, (१६२३-२६), चीफ़ व्हिप स्वराज्य पार्टी(१६२३-२६); जेलयात्रा (१६२१) व (सितम्बर १६-२३); मन्त्री नगर कांग्रेस कमेटी, लखनऊ; नमक के कानून में जेलयात्रा १६३०; एम० एल० ए० (केन्द्रीय); मैनेजिंग डायरेक्टर 'नेशनल हेराल्ड'; सभापति यू० पी० प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी १६३७-३८; पता—लखनऊ।

मोहम्मद याक़ूब, मौलवी सर—ज० १८७६, प्रथम नान आफीशल चेयरमैन मुरादाबाद; प्रेसीडेन्ट मुस्लिम लीग १६२७; केन्द्रीय एसेम्बली के सभापति १६३०; इंडियन फ्रेंन्चाइज़ कमेटी के सदस्य १६३२; पताः—मोगवलपुर, मुरादाबाद।

मोहानी, मौ० हसरत,—आल इंडिया मुसलिम लीग के भूतपूर्व प्रेसींडेंट; १६०३ में ग्रेजुएट होने पर उर्दू पत्र निकाला व कांग्रेस में प्रवेश किया; राजद्रोह में दो साल की सख़्त कैद व ५०० रुपये जुर्माना १६०८; जुर्माना देने से इनकार करने पर पुलिस ने इनकी लायब्रेरी में से हजारों रुपयों की किताबें जप्त करलीं; छूटने पर स्वदेशी स्टोर्स खोला, 'तज़कराय शुअरा' त्रैमासिक पत्र निकाला; दुबारा क़ैद से छूटने पर फिर देशसेवा में मग्न; प्रेसीडेन्ट मुसलिम लीग १६२१; फिर क़ैद १६२२; मुसलमानों के अधिकारों की प्राप्ति के लिये आजकल आन्दोलन कर रहे हैं; पता—कानपुर।

रघुबरदयाल भट्ट—सुप्रतिष्ठित वैद्य एवं हिन्दी और संस्कृत के विद्वान; मंत्री आ० भा० वैद्य सम्मेलन, यू० पी०; मेम्बर इंडियन बोर्ड आफ

मेडीसिन; सर्व श्रेष्ठ हिन्दी लिपि लेखक; कांग्रेस में १९२१ से कार्य कर रहे हैं; अनेक बार जेलयात्रा; पता—नौघड़ा, कानपुर ।

रघुबीरसिंह जी, डा०, महाराज कुमार, युवराज सीतामऊ मालवा; हिन्दी तथा अंग्रेज़ी के उत्कृष्ट लेखक; जन्म २६ फरवरी सन् १९०८; शि० बी० ए० १९२८; एल०-एल० बी०; स० १९३०; एम० ए० १९३३; आगरा यूनिवर्सिटी से Malwa in Transition ग्रंथ पर डी० लिट की उपाधि (१९३६); विशेष अभिरुचि ऐतिहासिक साहित्यिक खोजों में; अप्राप्य ग्रंथोंका उत्तम संग्रह आपने किया है; समालोचना तथा कहानी साहित्य का विशेष अध्ययन; गद्य शैली भाव प्रधान तथा परिमार्जित; राजनैतिक विचार उन्नत एवं उदार; ग्रंथ—पूर्व मध्यकालीन भारत; बिखरे फूल, मालवा में युगान्तर, सप्त दीप, तथा अनेक अप्रकाशित ग्रंथ, पता—सीतामऊ, मालवा ।

रघुवंश नारायण सिंह, चौधरी—जागीरदार; प्रसिद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता; कांग्रेसी एम० एल० ए० (यू० पी०) (१९३७); सुपुत्र कुं० रघुबीर नारायण सिंह एम० एल० ए० के (केन्द्रीय); असहयोग आन्दोलन में मेरठ जिले में काफी कार्य किया; पता—असौढा, जिला मेरठ ।

रनछोड़ अमृतलाल—ज० १८९१; कपड़े के प्रतिष्ठित व्यापारी; योरुप यात्रा की; दो बार राष्ट्रीय आन्दोलनों में जेल गये; अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसियेशन के भूतपूर्व सभापति; भूतपूर्व चेयरमैन अहमदाबाद म्यूनिसेपेलिटी; भू० पू० कांग्रेस सभापति दिल्ली १९३२; अ० भा० चर्खा संघ तथा हरिजन आश्रम साबरमती के ट्रस्टी; डायरेक्टर काटन मिल्स; संस्थापक अशोक इन्शोरेन्स क० लि० बम्बई; पता—बम्बई ।

रमन, डा० सर, सी० वी०—ज० १८८८, शिक्षा एम० ए०, पी० एच० डी०; एल० एल० डी०; डी० एस० सी०; एफ० आर० एस०; भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त; इण्डियन आडिट एण्ड एकाउण्ट्स सर्विस १९०७-१७; प्रोफेसर कलकत्ता विश्वविद्यालय १९१७-३३; इण्डियन एसोसियेशन फार दी कल्टीवेशन आफ सायन्स के अवैतनिक मंत्री १९१९-३३, ब्रिटिश एसोसियेशन लेक्चरर टोरन्टो १९२४; रिसर्च

एसोशियेट, कैलीफोर्निया इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी १९२४; सभापति इण्डिया सायन्स कांग्रेस १९२८; मेटरसी मेडलिस्ट, रोम १९२९; इण्डियन एकाडेमी आफ सायन्स के सभापति १९३४ से; डायरेक्टर इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ सायन्स; पता—बंगलौर।

रमाशंकर अवस्थी,—प्रसिद्ध पत्रकार तथा उच्चकोटि के मनोरंजन लेखक, जन्म १५ मई १८९९; संस्थापक तथा सम्पादक "वर्तमान" कानपुर; पुस्तकें—सातवीं राज्यक्रांति, बोलशेविक लाल क्रान्ति, बोलशेविक जादूगर, आदि पता—"वर्तमान" कानपुर।

'रसिकेन्द्र', द्वारिकाप्रसाद—हिन्दी के अच्छे कवि; आपकी भाषा बड़ी परिमार्जित तथा भाव बड़े अनूठे होते हैं, 'आंखों' पर खड़ी बोली में अच्छी कविता लिखी है; पुस्तकें—'आत्माभिमान', 'सती सारंधा', 'अज्ञातवास' पता—काल्पी।

रहीमतुल्ला, सरइब्राहीम—जन्म १८६२; जी० बी० ई०; के० सी० एस० आई०, सी० आई० ई०; म्यूनीसिपल कारपोरेटर बम्बई १८९२; म्यूनिसिपल प्रेसीडेंट बम्बई १८९९; एम० एल० सी० १८९९-१९१६; इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल १९१२; प्रेसीडेंट फिसिकल कमीशन. १९२१, इक्जीक्यूटिव कौंसिल बम्बई सरकार १९१८-२३; प्रेसीडेंट लेजिस्लेटिव कौंसिल १९२३-२६; प्रेसीडेंट एसेम्बली १९३१; १९३३ में स्तीफा दे दिया; पता—पेडर रोड, कम्बाला हिल, बम्बई।

रहीम, सर अब्दुल के० सी० एस० आई०—जन्म १८६७; शि० प्रेसीडेंसी कालेज कलकत्ता; मिडिल टेंपल एडवोकेट कलकत्ता १८९०; प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट कलकत्ता १९०८-०३; कई साल तक जज मद्रास हाईकोर्ट; अस्थाई चीफ जस्टिस, मेंबर रायल कमीशन आन पब्लिक सर्विसेस १९१३-१५; बंगाल सरकार के एक्जीक्यूटिव कौंसिल के मेंबर रहे; असेम्बली की इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता १९३१; निर्वाचित सभापति केन्द्रीय असेम्बली १९३५; पता—दिल्ली और शिमला।

राघवदास, बाबा,—उच्चकोटि के धार्मिक एवं राजनैतिक कार्यकर्ता जन्म १२ दिसम्बर १८९८; मूल निवास महाराष्ट्र; संयुक्त प्रान्त में अनेक वर्षों से राष्टकार्य; राष्ट्रीय आन्दोलन में सं० १९२१, १९२३, १९३०, १९३२, १९३७–३८ में अनेकबार जेल-यात्रा; राष्ट्रकार्य, हरिजन सेवा, हिन्दी प्रचार धर्म प्रचार

कष्टनिवारण में जीवन बिताते हैं; हैं; अनाथालय, श्रीकृष्ण विद्यालय, अछूतोद्धार औषधालय आदि के संस्थापक; ''कल्याण'' के सहकारी सम्पादक, पता—गोरखपुर ।

राजगोपालाचार्यर, चक्रवर्ती- मद्रास हाईकोर्ट के वकील रहे; ज० १८७९; शि० सेण्ट्रल कालेज बंगलौर, ला कालेज मद्रास; चेयरमैन सालेम म्यूनिसिपैलटी १९१७-१९; असहयोग में वकालत छोड़ी १९२०; बेलोर में कैद १९२१; महात्मा गांधी के कारावास के समय सम्पादक 'यंग इंडिया'; सविनय अवज्ञा भंग में भाग लेने से फ्रीमैसन सोसाइटी ने अलग किया; स्वर्गीय देश बन्धु सी. आर. दास के खिलाफ गया कांग्रेस में कट्टर असहयोगियों के नेता १९२२; राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता; राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी के सदस्य अनेकबार;, कांग्रेस के शराबबन्दी आन्दोलन के नेता; कांग्रेस एम० एल० ए० (केन्द्रीय); १९३६; केन्द्रीय एसेम्बली से इस्तीफा देकर मद्रास सरकार के प्रधान मन्त्री निर्वाचित हुये १९३७; पुस्तकें—भगवद्गीता; पता—मद्रास ।

राजा, चक्रधर सिंह--- रायगढ़ (सी० पी०) नरेश; हिन्दी साहित्य तथा संगीत के प्रेमी; जन्म—भाद्रकृष्ण ४ सम्वत १९६२; अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन (प्रयाग) के सभापति (१९३६); नागपुर यूनिवर्सिटी के संगीत विभाग के अवैतनिक अध्यक्ष कुछ समय तक; पुस्तकें—बैरागढिया राजकुमार, और अलकुपुरी (उपन्यास), मायाचक्र रम्यरास (काव्य); नागपुर विश्वविद्यालय के एम० ए० के पाठ्यक्रम में स्वीकृत, रत्नहार, जोशेफरहन (उर्दू); उदार तथा प्रगतिशील शासक; पता—रायगढ़ ।

राजनाथ पाण्डेय,—हिन्दी के अच्छे लेखक; जन्म० चैत्र कृष्ण ६ सम्बत १९६५; शि० एम० ए०, एल० टी०; प्रोफेसर सेंट ऐण्डरूज़ कालेज गोरखपुर; अशिक्षित प्रौढ़ मनुष्यों और विशेष कर हरिजनों की रात्रिपाठशाला में स्वयं पढ़ाते हैं; पुस्तकें—वेद का राष्ट्रगान तथा अन्य हिंदी ग्रंथों के अनुसंधान में तिब्बत यात्रा (१९३४),—पता, गोरखपुर ।

राजबहादुर सिंह—उच्च कोटि के लेखक तथा सम्पादक; जन्म० १० दिसम्बर १९०२ (राजीपुर-नौंगवां जिला सुलतानपुर); शि० बी. ए. तक; सं० १९२१ से हिन्दू संसार,

अर्जुन, भारतवीर आदि पत्रों के सहकारी सम्पादक रह चुके हैं;

वर्तमान सम्पादक "श्रीवेङ्कटेश्वर समाचार" लगभग २७ पुस्तकें लिखी हैं जिनमें "लेनिन और गांधी" व "रूसका पंचवर्षीय आयोजन" अधिक प्रसिद्ध हैं, पता—बम्बई ।

राजेन्द्र प्रसाद, बाबू—ज० १८८४; एम० ए०, एम० एल० १९०७; संस्थापक विहारी स्टूडेण्ट्स कान्फ्रेन्स विहार पोलीटिकल कांफ्रेन्स तथा विहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन; और अ० भा० हिन्दी साहित्य सम्मेलन के सभापति रहे; कलकत्ता व पटना में वकालत की; चम्पारन आन्दोलन में महात्मा गांधी को सहयोग दिया; १९२१ एवं १९३१-३२ के आन्दोलनों में अग्रसर रहे; विहार भूकम्प में पीडितों की अपूर्व सहायता की; कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन के सभापति १९३४; सदस्य कांग्रेस वर्किंग कमेटी व पार्लीमेंटरी सबकमेटी; पता—पटना ।

राजेश्वर दत्त मिश्र शास्त्री "मग",—आयुर्वेद के अच्छे विद्वान तथा मर्मज्ञ, जन्म १९ जून १९०२ ई०; शि० आयुर्वेदाचार्य बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी); उपाधि विद्या वागीश; मेम्बर यू० पी० बोर्ड आफ इण्डियन मेडीसिन; सभापति संयुक्त प्रान्त १० में वैद्य सम्मेलन झांसी (१९३८); पुस्तकें—स्वस्थ वृत समुच्चय; पता—हिन्दू विश्व-विद्यालय, काशी ।

राधाकृष्ण एस० डा० सर—ज० १८८८, दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर मद्रास प्रेसीडेन्सी कालिज १९११-१०; मैसूर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके; कलकता यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर १९२१-३१, आक्सफोर्ड में पूर्वीय धर्मों के प्रोफेसर योरुप अमेरिका में अनेक संस्थाओं में भाषण दिये हैं; और अनेक पुस्तकें लिखी हैं; पता—आक्स फोर्ड, इंग्लैण्ड ।

राधा गोविंद मिश्र—डा०, वैद्य शास्त्री; ज० फाल्गुण शुक्ल ८ शनिवार १९६२ विक्र; हिन्दी, उर्दू, तथा अंग्रेजी भाषाओं के ज्ञाता; बोर्ड आफ इंडियन मेडिसिन यू. पी. द्वारा रजिस्टर्ड वैद्य; बुंदेलखंड वैद्य परिषद;

तथा प्रांतीय के प्रदर्शक मंत्री १९३७; वैद्य सम्मेलन संस्थापक, श्री कान्यकुब्ज पाठशाला और सभा; पुस्तक--सचित्र आयुर्वेदिक इंजेक्शन विज्ञान' नि. भ. वैद्य सम्मेलन द्वारा प्रथम श्रेणी का प्रमाण पत्र एवं स्वर्णपदक प्राप्त); पता सागर दरवाज़ा, झाँसी।

रामकुमार वर्मा, प्रो०,—हिन्दी के प्रसिद्ध कवि तथा विद्वान, देव पुरस्कार के विजेता, जन्म १५ सितम्बर १९०५; शि० एम० ए०; "देश सेवा" कविता पर खत्री पुरस्कार (१९२२), "चित्ररेखा" काव्य ग्रंथ पर देव पुरस्कार (१९३५); "चन्द्रकिरण" काव्य ग्रंथ पर चक्रधर पुरस्कार (१९३७) प्राप्त किये; अ० भा० कवि सम्मेलन जबलपुर (१९३२) के सभापति; हिन्दी साहित्य सम्मेलन के साहित्य मंत्री दो बार नियुक्त हुये (१९३६–३७) पुस्तकें--वीर हमीर; चित्तौड़ की चिता, अंजलि, रूपराशि, निशीथ चित्ररेखा, पृथ्वीराज की आंखें (नाटक), साहित्य समालोचना, आदि पता--इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इलाहाबाद।

रामकुमारी चौहान,—हिन्दी की विख्यात कवियत्री, जन्म० अगहन बदी ६, संबत १९६६, (पचोर बिठूर); धर्मपत्नी स्वर्गीय ठा०रतनसिंह

जी वकील झांसी; अनेक पत्रिकाओं में उत्तम कवितायें प्रकाशित होती हैं; "निःश्वास" ग्रंथ पर अखिल भारतीय से कसेरिया पारितोषिक प्राप्त हुआ; वीरवर (नाटक) अप्रकाशित, पता—मुहल्ला खत्रियाना, झांसी।

रामचन्द्र टंडन,--प्रसिद्ध लेखक, जन्म १९ जनवरी १८९९; शि० एम. ए., एल. एल. बी; सम्पादक "हिन्दुस्तानी" त्रैमासिक पत्रिका; मंत्री, रोरिक सेन्टर आफ आर्ट ऐन्ड कलचर; इलाहाबाद; पुस्तकें—श्रीमती सरोजिनी नाइडू; रेणु; टालस्टाय की कहानियां; रूसी कहानियां कलरव कसौटी; आदि; पता--हिन्दुस्तान एकेडेमी, यू० पी० इलाहाबाद।

रामचंद्र शुक्ल—हिन्दी के श्रेष्ठ पंडित; ज० १९४१ विक्र; हिंदी, संस्कृत, बंगाली, अंग्रेजी, उर्दू आदि

भाषाओं के मर्मज्ञ भू. पू. सम्पादक नागरी प्रचारिणी पत्रिका; हिंदी के सर्वश्रेष्ठ निबन्धकार एवं समालोचक; अनेक अंग्रेजी गद्य, पद्य पुस्तकों का अनुवाद किया; अनेक आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी हैं; अध्यापक हिन्दू वि. वि बनारस; पता—बनारस।

राम चरण हयारण 'मित्र-' हिन्दी कवि; ज. चैत्र कृष्ण १९६१ विक्र०; भू० पू० मंत्री हैहय युवक संघ; अनेक कवि सम्मेलनों में पदक प्राप्त किये; सदस्य ऋषिकुमार विद्यालय चित्रकूट; पुस्तकें- भेंट (प्रकाशित), वीर बुन्देला (अप्राशित); पता—झांसी।

रामदेव, प्रो०—गुरुकुल (कांगड़ी) विश्वविद्यालय के प्रमुख कार्यकर्ता तथा सञ्चालक; संस्कृत के उच्च कोटि के विद्वान, आर्य समाज की ओर से अफ्रीका आदि देशों में प्रचार कार्य किया है; पताः गुरुकुल कांगड़ी।

रामनरेश त्रिपाठी,—हिन्दी के प्रतिष्ठित लेखक तथा कवि, जन्म. सम्बत १९४७; संस्कृत, अंग्रेजी, गुजराती, मराठी तथा बंगला का पर्याप्त ज्ञान है; पुस्तकें--कविता कौमुदी ७ भाग, मिलन, पथिक, स्वप्न (जिसपर हिदुस्तान एकेडमी से २००) पुरस्कार लिया, जयंत (नाटक), प्रेम लोक (नाटक), बाल साहित्य पर अनेक पुस्तकें; स० १९२१-२२ के राष्ट्रीय आन्दोलन में जेलयात्रा; स० १९ २ में हिन्दी मंदिर प्रयाग की स्थापना; पता—सुलतानपुर।

रामनाथ 'सुमन'—समाज सुधारक एवं साहित्यसेवी; "आज, इन्दु," त्याग भूमि, नवराजस्थान आदि पत्रिकाओं से सम्पादकीय संबंध; सत्याग्रह आन्दोलन में दो बार कारावास; पुस्तकें--कविरत्न मीर दागेजिगर; कवि "प्रसाद" की काव्य साधना, विपंची (काव्य), भाई के पत्र, Bleeding wonnd, Forces and Personalities in British Politics आदि; पता—हरिजन कालोनी, किंग्ज़ वे, दिल्ली।

रामप्रसाद त्रिपाठी, डा.—प्रयाग वि. वि. में इतिहास के रीडर; ज० १९३० विक्र; एम. ए. (प्रयाग), डी. लिट. (लंदन); सरकारी वजीफे से विलायत गये थे; परीक्षा मंत्री तथा प्रधानमंत्री हि० सा० सम्मेलन; हिंदी के प्रतिष्ठित लेखक, कवि तथा समालोचक; पता – प्रयाग।

राम, प्रोफ़ेसर वी. एस.—ज० १८९५; शिक्षा अमेरिका और

इंगलैंड में एम. ए. पी. एच. डी.; इतिहास प्रोफ़ेसर कलकत्ता वि. १६२१; लखनऊ वि के राजनीति प्रोफ़ेसर १६२२; रीडर पटना विश्व-विद्यालय १६२६; बनारस प्रयाग और लखनऊ विश्वविद्यालयों की फैकल्टी आफ आर्टस के सदस्य; अंतर्राष्ट्रीय लीग की सेक्रेटरियट में एक अफ़सर १६३६; ग्रन्थ, पोलिटिकल थियोरी एण्ड माडर्न गवर्मेंट्स', 'इण्डिया एण्ड लीग आफ नेशन्स' आदि; पता—लखनऊ।

राम बिहारी शुक्ल—हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक; जन्म १६६० वि. शि० एम. ए. साहित्यरत्न; नागरी प्रचारिणी सभा के प्रधान मंत्री; गोस्वामी तुलसीदास के परमभक्त; उनके स्मारक (राजपुर) को यमुना प्रवाह से बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं; पुस्तकें बाल-व्याकरण, अनमोल रत्न, काव्य कलाधार, काव्य कुसुमाकर, काव्य प्रदीप आदि; पता—बनारस।

राममनोहर लोहिया, डा०—वैदेशिक प्रश्नों के मर्मज्ञ; जन्म० २३ मार्च १६१०; शि० एम० ए०, पी० एच० डी; विदेश मंत्री, आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी; सदस्य, कार्य समिति, अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी दल; पुस्तक,—"स्वराज्य क्या और कैसे", India on China, आदि, पता—स्वराज भवन, इलाहाबाद

रामसरन, प्रो०—जन्म जूलाई १८६४ मुरादाबाद शि० एम० ए०, एल एल० बी, (१६१८); वकालत (१६१८—२१); असहयोग में वकालत छोड़ दी; जेल यात्रा (१६२२); काशी विद्यापीठ में प्रोफेसर (१६२३ से) और वर्तमान स्थानापन्न प्रिंसिपल; सेवक सदस्य गांधी सेवा संघ १६३५ से; यू० पी० एसेम्बली में कांग्रेसी सदस्य (१६३७); पता—काशी विद्यापीठ बनारस।

रामेश्वर प्रसाद शर्मा—राष्ट्रीय कार्य कर्ता तथा हिन्दी के अच्छे लेखक; जन्म १६५०; हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं के ज्ञाता; कांग्रेस कार्य १६२६ से; देशी राज्य प्रजा का संगठन; सरस्वती, मर्यादा, उत्साह, न्याय, शुभचिन्तक, साहस आदि

पत्र पत्रिकाओं का सम्पादन किया; अनेकबार राष्ट्रीय आन्दोलन में जेलयात्रा; पुस्तकें—अस्तोदय, स्वावलंबन, उद्योगी पुरुष, दादाभाई नौरोजी आदि; पता—झांसी

रामेश्वरी नेहरू— जन्म दिसम्बर १८८७; "स्त्री दर्पण" हिन्दी मासिक पत्रिका का सम्पादन १६, १७ वर्ष किया; अन्य पत्रों में लेख लिखती हैं; स्त्रियों की उन्नति संबंधी कार्य तथा हरिजन सेवा में विशेष रुचि; "एज आफ कन्सेन्ट" कमेटी की सदस्य, योरोप भ्रमण किया और लंडन में कई स्त्री संस्थाओं में काम किया, पता—लाहौर।

राय, एम. एन—जगत विख्यात कम्यूनिस्ट नेता; मेरठ और कानपुर केसों में षड़यंत्र अभियुक्त; रूस के लेनिन और ट्राट्स्की के सहकारी कार्यकर्त्ता; चीन फिली पाइन्स, मेक्सिको में किया; राजद्रोह में छः साल की सख्त सज़ा; १९३६ में छूटे; सम्पादक इण्डिपेंडेन्ट (अंग्रेजी साप्ताहिक), पता—बम्बई।

राय, कालीनाथ—एडीटर 'ट्रिब्यून' लाहौर; ज० १८७८; जैपुर बङ्गाल में; 'बङ्गाली' के सब एडीटर १९०० मि० बनर्जी के इंग्लैण्ड जाने पर पत्र के मुख्य सम्पादक "दी पंजाबी" १९१५—१७; १९१७ से "ट्रिब्यून" के एडीटर; १९१९ में दो साल की सख्त कैद; पता—"ट्रिब्यून" लाहौर।

राय कृष्ण दास—ज. १८९९ संस्कृत के विद्वान; ग्रन्थ—साधना 'छायापथ', 'संलाप,' 'प्रबाल' 'अनाख्या' और 'सुधांशु' इत्यादि; नवयुग के श्रेष्ठ छायावदी कवि; 'भावुक' और 'ब्रजरज' नामक काव्यात्मक रचनायें बड़ी उच्च कोटि की हैं; पता—भारत भण्डार काशी।

राय डा, विधान चन्द्र—एम. डी., एम. आर. सी. पी., एफ. आर. सी. एस.; कलकत्ता के सुप्रसिद्ध तथा नेता असहयोग में तथा देशबन्धु दास के स्वराज्य पार्टी बनाने में विशेष योग दिया; सविनय अवज्ञा आन्दोलन में भी प्रमुख भाग लिया; काँग्रेस पार्लिया मेण्टरी बोर्ड के प्रथम मन्त्री; कलकत्ता के मेयर १९३३; कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्य; पता—कलकत्ता।

रायसर प्रफुल्ल चन्द्र ज० १८६१; शिक्षा, कलकत्ता और विलायत में डी. एस. सी. पी. एच. डी. तक; अविवाहित डीन आफ दि फैकल्टी आफ सायन्स कलकत्ता विश्वविद्यालय १९१५; केमिकल

सुसाइटी लंदन और एशियारिक सुसाइटी आफ बंगाल के फेलो; प्रथम सभापति दि इण्डियन केमिकल सुसाइटी १९२४–२६: संस्थापक एवं संचालक दि बंगाल केमिकल ऐण्ड फार्मास्युटिकलवर्क्स लि०; अनेक मूल्यवान ग्रन्थ लिखे, पता – कालेज आफ सायन्स, कलकत्ता।

राव, राघवेन्द्र—बार ऐट ला; १९२४ से प्रान्तीय कौंसिल के सदस्य; स्वराज्य पार्टी के लीडर; मध्य प्रान्तीय सरकार में दो बार मंत्री (मिनिस्टर) रह चुके; होम मेम्बर १९३०; स्थानापन्न गवर्नर १९३६; एम. एल. ए. (सी. पी.) १९३७; पता—नागपुर।

राहुल, भदन्त सांकृत्यायन—महा पंडित, त्रिपिटकाचार्य; बौद्ध उपदेशक; बाल्यकाल का नाम दामोदर; तिब्बत लंका आदि स्थानों से अनेक ग्रन्थों का अन्वेषण किया; सारे संसार का पर्यटन किया; चीनी, अरबी, फारसी, संस्कृत, तिब्बती, हिन्दी, पाली एवं प्राकृत भाषाओं के पंडित; पुस्तकें–साम्यवाद ही क्यों? तिब्बत में सवाबरस, विनय पिटक, अभिधर्म कोष, वादन्याय, इत्यादि; पता—पर्यटन कर रहे हैं।

रुईकर, आर. एस.—बी. ए. एल. एल. बी. एडवोकेट नागपुर; भूतपूर्व सभापति अ. भा. ट्रेड यूनियन कांग्रेस; जी. आई पी. रेलवे यूनियन के सभापति; १९२८ में जी. आई. पी. की आम हड़ताल का नेतृत्व किया; असहयोग आन्दोलन में कई बार जेल गये; पता—नागपुर।

रुस्तमेहिन्द, गामा—भारतवर्ष के सुप्रसिद्ध सर्व श्रेष्ठ पहलवान; इंगलैंड जाकर अनेक पहलवानों को हराया; पटियाला में प्रसिद्ध रूसी पहलवान ज़ेविस्को को एक मिनट में परास्त किया १९२८; फ्रान्सीसी पहलवान को पटियाला में परास्त किया; महाराजा पटियाला का इन पर अत्यन्त प्रेम है; पता—पटियाला।

रूप नारायण पाण्डेय—सुविख्यात हिन्दी के विद्वान एवं संपादक; ज० १९४१ विक्र.; भू. पू. संपादक "नागरी प्रचारक" मासिक पत्र, "निगमागम चंद्रिका", "इन्दु", "कान्य कुब्ज"; आजकल "माधुरी" का सम्पादन कर रहे हैं; अनेक बंगाली पुस्तकों का अनुवाद किया है; मुख्य चौबे का चिट्ठा, शाहजहाँ, सीता, ज्ञान और कर्म, गल्प गुच्छ, पृथ्वीराज; पता—'माधुरी', लखनऊ।

रुरिक, प्रो० निकोलस के. डी.—संसार के सर्वश्रेष्ठ चित्रकार; रूसनिवासी; योरुप में इनके नाम की

कई संस्थायें तथा क्लब स्थापित हैं; दर्शन शास्त्र में भी योग्यता रखते हैं; महात्मा गांधी तथा रवीन्द्र नाथ टागोर के परम मित्र हैं; अनेक ग्रन्थ लिखे हैं; पता—नगर कुलू, पंजाब,

रेडी, श्री० डाक्टर मुथुलक्ष्मी—ब्रिटिश इंडिया में प्रथम स्त्री एम. एल. सी.; भू. पू. डिप्टी प्रेसीडेन्ट मद्रास लेजिस० कौंसिल; ज० १८८१; स्त्रियों व बच्चों की बीमारियों की खास तरह पर शिक्षा लेने के लिये इङ्गलैंड भेजी गई; अन्तर्राष्ट्रीय महिला परिषद पेरिस की प्रतिनिधि. १९२५; पता—मद्रास ।

ललिता प्रसाद सुकुल,—उच्च कोटि के साहित्यक तथा विद्वान; जन्म० ४ फरवरी १९०४ शि० एम. ए. (इंग्लिश तथा हिन्दी); मेम्बर रायल एशियाटिक सोसाइटी; आल इण्डिया ओरिएंटल कान्फ्रेन्स, जीओग्रेफिकल सोसाइटी इंडिया, तथा अन्य समितियों के सदस्य; कलकत्ता हिन्दी क्लब के संयोजक; पुस्तकें—साहित्य चर्चा, सुदामा चरित्र, धोखा धड़ी, मीराबाई ऐंड हर पोइट्री (अंग्रेज़ी); अध्यक्ष, हिन्दी विभाग कलकत्ता विद्यालय; पता—कलकत्ता ।

लक्ष्मीधर बाजपेयी—हिन्दी के सुयोग्य लेखक तथा कवि; ज. १९४४ विक्र; भू. पू. संपादक हिन्दी केसरी, चितमय जगत, आर्य मित्र; भू पू. प्रधानमन्त्री तथा प्रचार मन्त्री हिन्दी साहित्य सम्मेलन; पुस्तकें-गैरीबाड़ी, एब्राहम लिंकन स्वामी नित्यानन्द, सुख और शांति, स्वदेशाभिमान, इत्यादि; पता—इलाहाबाद ।

लक्ष्मीनारायण शर्मा—

'कृपाण' हिन्दी के अच्छे कवि, जन्म आश्विन शुक्ल २, सं. १९५३ (भिवानी पंजाब); शांति शास्त्र ही विशेष प्रेम; पुस्तकें—रामबन चरित्र, पतिव्रता सरस्वती, कृपाण गीतांजलि, भारत दर्पण, हिन्दुओं की मूंछ, कृपा कीर्तन; सन् १९१८ से देश सेवा कर रहे हैं; सोशेलिस्ट कार्य कर्ता, अनेक बार जेल यात्रा, महाजनी हिसाब के विद्वान, प्रधान अध्यापक महाजनी पाठशाला, सीतापुर, पता—सीतापुर ।

लक्ष्मीनिधि चतुर्वेदी—हिन्दी के अच्छे लेखक, जन्म० स० १९६० जन्माष्टमी; शि० साहित्यरत्न

पुस्तकें—रमेशचन्द्र दत्त, स्वामी विवेकानन्द, महाराज पृथ्वीराज, नेपोलियन बोना पार्ट, तथा अनेक ग्रन्थ मद्रास प्रान्त में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से हिन्दी प्रचार कार्य किया, पता--मधुसूदन हाई स्कूल, सुलतानपुर।

लाल बहादुर शास्त्री—मेम्बर, सर्वेंटस आफ दी पीपुल सुसाइटी लाहौर (१९२६ से); जन्म मार्च १९०४; शि० शास्त्री काशी विद्यापीठ; स० १९२० में असहयोग आन्दोलन में प्रवेश; राष्ट्रीय कार्य में ४ बार जेल गये; मेम्बर म्यु० बोर्ड और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट इलाहाबाद; मेम्बर प्रान्तीय तथा आल इंडिया कांग्रेस कमेटी; ग्रामीण समस्या में विशेष अभिरुचि; इलाहाबाद देहाती हलके से कांग्रेसी मेम्बर यू० पी० लेजिसलेटिव एसेम्बली १९३७; इलाहाबाद।

लाल सुरेन्द्रबहादुर सिंह,—ज० १९६० (दीपावली); युवराज सेमरीराज्य, रायबरेली (अवध); शि० एफ० ए० तक; मेम्बर डि० बोर्ड रायबरेली; १० वर्षों से कांग्रेस कार्य, सभापति स्वागत कारिणी प्रान्तिक क्षत्रिय सभा रायबरेली; कांग्रेसी मेम्बर यू० पी० लेजिस्लेटिव एसेम्बली १९३७;पता—सेमरी राज्य, जिला रायबरेली।

लोचनप्रसाद पांडेय शर्मा—हिन्दी के अच्छे लेखक तथा कवि, जन्म पौष शुद्ध १०, संवत् १९४३; उपाधि "काव्य विनोद"; छत्तीसगढ़ गौरवप्रचारक मंडली व इतिहास समिति के संस्थापक तथा ग्राम शिक्षा प्रचार में रुचि; लगभग २५ पुस्तकें लिखीं; दो मित्र (उपन्यास), प्रवासी (खंड काव्य), माधव मंजरी, प्रेम प्रशंसा (नाटक) छत्तीसगढ़ी व्याकरण, आदि, पता—बालपुर, पो० चन्द्रपुर (रायगढ़ सी० पी०)

वज़ीर हसन, सर सैयद,—शिया मुसलमानों के प्रमुख नेता, बी० ए० एल एल बी, भूतपूर्व चीफ जज अवध चीफ कोर्ट; अ० भा० मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी (१९१२-१९); जुडीशल कमिश्नर (१९२०); आल इण्डिया सिविल लिबर्टीज़ यूनियन के संस्थापक; कांग्रेस द्वारा मंत्री पद ग्रहण समस्या के समय अनेक वैधानिक लेख कांग्रेस पक्ष के पोषक लिखे; पता—वज़ीर हसन रोड, लखनऊ।

वंशगोपाल, राष्ट्रीय कार्यकर्ता; जन्म, मार्च १८९४, शि० बी० ए०, एलएल० बी०; एडवोकेट; असहयोग में वकालत त्याग दी; राष्ट्रीय आन्दोलन में जेलयात्रा ६ बार; मंत्री

ज़िला कांग्रेस कमेटी १६२१ से १६-३८ तक; सदस्य आ० इं० कांग्रेस कमेटी अनेक बार; चेयरमैन एजूकेशन कमेटी डि० बो० फतेहपुर अनेक बार; कांग्रेसी सदस्य यू० पी० लेजि० एसेम्बली १६३३ से; पुस्तकें,—एसेम्बली का आल्हा, जेलों की पोल, पता,—फतेहपुर।

बंशीधर, मिश्र—एम, ए०, एलएल. बी, ऐडवोकेट; ज० २ जनवरी १६०२; हिंदी के अच्छे लेखक; प्रान्तीय तिलक स्वराज्य आश्रम प्रयाग के मैनेजर रहे; भू० पू० संपादक 'हिन्दू' (लखनऊ युनि.) मंत्री प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी १६३०; अ० भा. कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे; प्रधान, खीरी ज़िला हरिजन सेवक संघ, ज़िला कांग्रेस कमेटी; डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के सदस्य; कांग्रेसी एम० एल० ए० यू० पी० १६३७; पुस्तकें—सुगृहणी; अजबदेश, हक्काहुवा, गणित चमत्कार; पता—लखीमपुर, खीरी।

वर्मा वृन्दाबन लाल,—शि० बी० ए० एल एल० बी० हिन्दी भाषा के अच्छे लेखक तथा साहित्य प्रेमी पुस्तकें 'लगन', आदि; चेयरमैन डि० बोर्ड झाँसी, मंत्री भू० पू० अ० भा० साहित्य सम्मेलन झाँसी; सर बाल्टर स्काट की लेखन शैली पर 'गढ़ कुंडार' पुस्तक लिखी, लिबरल दल के मेंबर पता—झाँसी '

वर्मा सूर्यकुमार,-हिन्दी के अच्छे लेखक गवालियर राज्य में अच्छे पद पर हैं, ज० अषाढ़ शु० २ संवत् १६३४; पुस्तकें जर्मनी का विकाश बालभारत आदि पता—लश्कर।

वादिया मैडम सोफिया—ज० १६०१, शिक्षा फ्रान्स और अमेरिका में पाई; अंतर्राष्ट्रीय लेखिका तथा वक्ता, कई वैदेशिक संस्थाओं में भारत की प्रतिनिधि; सदस्य, पी. इ. एन. क्लब और रायल एशियाटिक सुसाइटी; पता—मालावार हिल बम्बई।

विजयलक्ष्मी पण्डित,—मिनिस्टर, यू० पी० गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और पब्लिक हेल्थ १६३७; उम्र लगभग ३८ साल; शिक्षा काफी अंग्रेज़ी व हिन्दी सुयोग्य शिक्षकों से; धर्मपत्नी श्रीयुत आर० एस पंडित तथा पुत्री

पंडित मोतीलाल नेहरू; असहयोग आंदोलन में दो बार जेलयात्रा; कांग्रेस की प्रमुख कार्यकर्त्री; पता—लखनऊ।

विद्या वतीराठौर—कांग्रेस की प्रमुख कार्य कर्त्री, जन्म० चैत्र बदी १९२७; शि० हिंदी प्रभाकर; और अंग्रेज़ी

मैट्रिक; राष्ट्रीय आन्दोलन में जेल यात्रा (१९३०, १९३२, १९३३); आगरा ज़िले में स० १९३२ में कांग्रेसी डिकटेटर कांग्रेस एम. एल. ए. यू. पी.; पता—इटावा।

विद्यार्थी, हरिशंकर, ज० ६ मार्च १९१२, शि०, बी. ए.; श्रद्धेय अमर शहीद श्री गणेशशंकर विद्यार्थी के सुपुत्र; स० १९३० से साप्ताहिक "प्रताप" का सम्पादन और २ वर्ष बाद दैनिक "प्रताप" का संपादन सफलतापूर्वक कर रहे हैं; पता-कानपुर।

विश्वनाथ—दलित जातियों के उत्साही कार्यकर्त्ता; ज० १९०९ ई०; शि. अंग्रेज़ी इण्ट्रेन्स तक; अपनी कंजड़ जाति के उत्थान के लिये, अथक परिश्रम कर रहे हैं, जनरल सेक्रटरी अलाहाबाद डिप्रेस्ड

क्लासेस लीग; उप सभापति प्रान्तीय डिप्रेस्ड क्लासेस लीग; संस्थापक यू. पी० कंजड़ महासभा; कांग्रेसी एम. एल. ए. यू पी. सरकार; पता—कर्नलगंज; प्रयाग।

विश्वनाथ, प्रोफेसर—जन्म १८९०; शि० विद्यालंकार (गुरुकुल वि); पुस्तकें-वैदिक जीवन, वीरमाता का संदेश, पशुयज्ञ मीमांसा; गृहस्थ जीवन का वैदिक आदर्श; वाइस प्रिंसिपल गुरुकुल यूनिवर्सिटी; प्रो० वैदिक साहित्य; पता—कांगड़ी।

बिश्वम्भर दयालु त्रिपाठी,—समाजवादी तथा किसान आन्दोलन के प्रमुख कार्यकर्ता, ज० कुंआर सम्बत १९५६; शि० एम. ए. एल. एल. बी; १९२० असहयोग आन्दोलन में कालेज छोड़ा; भू. पू प्रान्तीय तथा उन्नाव जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री प्रान्तीय राजनैतिक सम्मेलन (उन्नाव) के स्वागताध्यक्ष; जिला किसान संघ

के सभापति; यू० पी० लेजिसलेटिव एसेम्बली के कांग्रेसी सदस्य; पता—उन्नाव ।

विश्वम्भर नाथ जिज्जा—हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक; ज० आश्विन १८६४ ई०; प्रारम्भ से समाचार पत्रों में काम किया; श्रीवेंकटेश्वर समाचार (१६१६–१६); वर्तमान (१६२०), आज (१६२१), भारतमित्र (१६२२), श्रीकृष्ण संदेश (१६२५); हिन्दूपंच (१६३०) के सहकारी सम्पादक; विजय के प्रधान सम्पादक (१६३२); आजकल "भारत" इलाहाबाद के सहकारी सम्पादक; पुस्तकें—रूस का युगान्तर, स्त्रियों की स्वाधीनता, तुर्क तरुणी इत्यादि; पता—इलाहाबाद ।

विश्वम्भर नाथ शर्मा 'कौशिक'—हिंदी के श्रेष्ठतम कहानी लेखक तथा उपन्यासकार ; भू. पू. संपादक 'हिन्दी मनोरंजन'; ज. १६४५ विक्र, हास्य पूर्ण लेख लिखने में बड़े सिद्धहस्त हैं; पता—बंगाली मुहाल, कानपुर ।

विशेश्वरनाथ रेउ,—प्रसिद्ध इतिहास लेखक; जन्म २ जुलाई १८६०; ओरियंटल कान्फ्रेन्स तथा हिस्टारिकल रेकार्ड कमीशन की अनेक सभाओं में अनेक ऐतिहासिक लेख पढ़े; हिन्दी साहित्य सम्मेलन (झांसी अधिवेशन) के इतिहास परिषद् के सभापति; भारत सरकार द्वारा "हिस्टारिकल रेकर्ड कमीशन के करस-पांडिग मेम्बर नियुक्त हुये (मार्च १६३८); पुस्तकें—भारत के प्राचीन राज वंश (तीन भाग), राजाभोज, राष्ट्रकूटों (राठोड़ों) का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास; इनके अतिरिक्त भारतीय तथा योरोपीय पत्रों में अंग्रेजी तथा हिन्दी लेख; पता—जोधपुर ।

वियोगी हरि—ज० १६५३ विक्र; भू. पू. संपादक 'सम्मेलन पत्रिका', 'संक्षिप्त सूरसागर'; छतरपुर राज्य की महारानी इनको पुत्रवत मानती थीं; उन्हीं के साथ अनेकबार तीर्थाटन किया; उनके मरने के उपरान्त सन्यास ले लिया; व्रजभाषा के सरस कवि हैं; संपादक, 'हरिजन सेवक'; पता—नई दिल्ली ।

वेंकटा चेलम गोविंदराज—ज. १८६५; शिक्षा एम. एस. एल. सी.; जज सदर्न आर्मी १६१६—१८, एनी बेसेण्ट के साथ कला का प्रचार किया; "रूपलेखा" और "थियेटर" के उपसम्पादक; अदयार विश्वविद्यालय के ब्रह्म विद्याश्रम के सेक्रेटरी रहे;

जावा, चीन, जापान कोरिया का भ्रमण किया १६३५; कला विज्ञान पर, अनेक मूल्यवान ग्रन्थ लिखे; पता—बंगलौर छावनी ।

वेंकटेश नारायण तिवारी,— ज० १६४७ बिक्र.; शि० एम. ए. पार्लामेंटरी सेक्रेटरी तथा चीफ ह्विप यू० पी० कांग्रेसी सरकार; भू० पू० सदस्य सर्वेंट आफ इंडिया सुसाइटी; मेंम्बर यू० पी० लेजिस्लेटिव कौंसिल (१६२३-२६); डेपुटेशन में ब्रिटिश गायना. फिजी व दक्षिणी अफ्रीका गये; असहयोग में सुसाइटी से त्यागपत्र तथा जेलयात्रा; कांग्रेसी एम. एल. ए. यू० पी० १६३७; पता—लखनऊ ।

श्याम सुन्दर दास, बा०, हिन्दी भाषा के प्रसिद्ध विद्वान, जन्म १४ जुलाई १८७५; शि० बी० ए; काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना, उसका उतकर्ष वर्धन, तथा हिन्दी भाषा और साहित्य की सेवा में जीवन बिताते हैं; हिंदी भाषाके उत्कृष्ट ग्रंथ लिखे हैं—शब्द सागर, हिन्दी भाषा और साहित्य, साहित्यालोचन, भाषाविज्ञान, भाषा रहस्य, हिन्दी को; विद रत्न माला; 'गो० तुलसीदास रामायण सटीक, भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, तथा अन्य सम्पादित ग्रंथ; प्रोफे..र हिंदू यूनिवर्सिटी १६२१ से; पता—हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस ।

शर्मा, पण्डित नेकीराम— हिन्दी के प्रसिद्ध वक्ता; सेक्रेटरी हिन्दू महासभा; ज० १८८७; असहयोग में अग्रसर भाग; देश कार्य में अनेक बार कैद पता—भिवानी पंजाब ।

शास्त्री, श्रीनिवास—भूतपूर्व एजेंट टु गवर्नर जनरल इन साउथ अफ्रीका १६२७ से १६२६; ज० १८६६, शि० कुम्भकोनम; हेडमास्टर ट्रिप्लिकेन हाईस्कूल, इस्तीफा १६०६; स्व० मि० गोखले के बाद सोसाइटी के प्रेसीडेन्ट १६१५, २७; मेम्बर मद्रास लेजिसलेटिव कौंसिल १६१३—१६ व इम्पीरियल लेजिस० कौंसिल १६१६—२०; मेम्बर माडरेट डेप्यूटेशन इंग्लैंड को १६१६, इम्पीरियल पीस कांफ्रेन्स १६२१; लीग आफ नेशन्स जिनेवा व वाशिंगटन परिषद में हिन्दुस्तान के प्रतिनिधि; नियुक्ति प्रीवी कौंसिलर व फ्रीडम आफ दी सिटी आफ लण्डन की पदवी मिली १६२१; उपनिवेशों में हिन्दुस्तान सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से दौरा किया १६२२; मेंबर कौंसिल आफ स्टेट १६२१—२४; मेंबर केनिया डेपुटेशन १६२३; मेंबर भारतीय डेलीगेशन साउथ अफ्रीका की राउण्डटेबिल परिषद् के लिये १६२६—२७; पता—पूना ।

शान्ति स्वरूप—जन्म, २५ दिसम्बर १८६०; भूतपूर्व मुहम्मद अली कुरैशी; ता० १७ अगस्त १९१३ स्थान दिल्ली में वैदिकधर्म की दीक्षा ली; आर्यसमाज की सेवा तथा कांग्रेस की सेवा तन मन, और धन से की; राष्ट्रीय आन्दोलन में जेल यात्रा तीन वार १९२१, १९२३, १९३०; अरबी, फारसी, हिन्दी और उर्दू के विद्वान; यू० पी० लेजिसलेटिव एसेम्बली में कांग्रेसी सदस्य (१९३७); पता—हरदोई।

शामलाल लाला—ज० १८८३; शिक्षा बी. ए.; रोहतक में वकालत की और कांग्रेस कमेटी बनाई १९१७; रौलेट एक्ट तथा असहयोग आन्दोलन में प्रमुख भाग; वक़ालत से १ साल के लिये मुअत्तिल कर दिये गये; उपसभापति पंजाब प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी; लाहौर षड्यंत्रकेस के अभियुक्तों की ओर से मुक़दमा लड़े; केन्द्रीय असेम्बली में पंजाब से सिर्फ यही कांग्रेस मेम्बर हैं; पता—रोहतक, पंजाब।

शालिग्राम वर्मा—हिंदी के प्रसिद्धि लेखक; जन्म फागुन कृष्ण ६, सं० १९४९; शि० एम० ए०; नागरी प्रचारिणी सभा और हिंदी साहित्य समिति के सहकारी मंत्री; साहित्य और वैज्ञानिक साहित्य से विशेष रुचि; पुस्तकें, उन्नति का सिद्धांत, वैज्ञानिक महापुरुष, पशु पक्षियों का श्रृंगार, नया खिलौना, हिन्दुस्थानी एरिथमेटिक, हिन्दी सौरभ आदि, पता—सरस्वती पब्लिशिंग हाउस, लखनऊ।

शालिमराम शास्त्री,—संस्कृत तथा हिन्दी के प्रसिद्ध विद्वान; जन्म० माघ शुक्ल त्रयोदशी सं० १९४२; विद्या वाचस्पति, साहित्याचार्य, विद्या वारिधि, वैद्य भूषण, कविराज; पुस्तकें—रामायण में राजनीति, आयुर्वेद महत्व, वेदों में त्रिधातुवाद, आदि; अ. भा. वैद्य सम्मेलन, प्रा. वैद्य सम्मेलन, अ. भा. संस्कृत सम्मेलन; एवं अन्य अनेक सम्मेलनों के सभापति; डी. ए. वी. कालेज लाहौर, महाविद्यालय ज्वालापुर, गुरुकुल कांगड़ी, ऋषिकुल कालेज हरिद्वार आदि संस्थाओं में अध्यापन किया; पता—मृत्युंजय भवन, लखनऊ।

शाहनवाज़, बेगम जहान-आरा—ज. १८९६; मेम्बर अ. भा. मुस्लिम लीग; रेड क्रास सुसाइटी के अ. भा. जनरल कमेटी की सदस्य; सामाजिक सुधार

कान्फ्रेन्स लाहौर की उपसभानेत्री; इम्पीरियल कान्फ्रेन्स लन्दन में अवैतनिक सिक्रेटरी (भारतीय डेलीगेशन की) होकर गई १९३०; गोलमेज़ कान्फ्रेन्स तथा ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी की भारत से स्त्री प्रतिनिधि; अन्तर्राष्ट्रीय लीग में कई बार और कई विभागों में भारत की प्रतिनिधि होकर गईं; पता—लाहौर।

शाहसाहेब, मौलवी उमर अली—ज० १८८६; संस्कृत तथा तेलेगू के प्रकाण्ड विद्वान; लगभग सभी बड़ी पुस्तकों पर समालोचना लिखी है; पुरानी संस्कृत सभ्यता एवं न्यायशास्त्र पर सुयोग्य वक्ता हैं; अंग्रेज़ी और फारसी के भी अच्छे विद्वान हैं; उमर ख़य्याम, कुरान तथा भगवद्गीता का अनुवाद तेलेगू में किया है; योगाभ्यास में बहुत सफल; 'पण्डित' की उपाधि मिली; असहयोग में कांग्रेस में सम्मिलित हुये १९२१; अ० भा० कांग्रेस कमेटी के सदस्य; जनरल सेक्रेटरी अ. भा. खिलाफत कांफ्रेन्स; एम. एल. ए. (केन्द्रीय) १९३४; पता – गोदावरी ज़िला, मद्रास।

शिंदे, विट्ठलराव जी—ज० १८७९; बी. ए. पूना और विलायत में पढ़े; "आल इण्डिया ऐण्टी अनटचेबिलिटी लीग" तथा "डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सुसाइटी आफ इण्डिया" के संस्थापक तथा ट्रस्टी; ब्रह्मसमाज के आजीवन धर्म प्रचारक; प्रार्थना समाज के प्रमुख व्यक्ति; ग्रन्थ—"थीइस्टिक डायरेक्टरी"; पता—पूना।

शिवपूजन सहाय—हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक; जन्म० श्रावण सं० १९५० जि० शाहाबाद; मतवाला, माधुरी, समन्वय, बालक आदि के सम्पादकीय विभाग में काम किया; साहित्यक पाक्षिक "जागरण", "मारवाड़ी सुधार", "उपन्यास तरंग", के सम्पादक; पुस्तकें, देहाती दुनिया (उपन्यास); विभूति (१६ कहानियां), भीष्म, अर्जुन, बिहार का बिहार; श्री द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ का सम्पादन किया; पता, पुस्तक भंडार, लहेरिया सराय।

शिवराम वैद्य,—क्षय चिकित्सा

के विशेषज्ञ जन्म माघ शुक्ल १४ १९६४, दार्शनिक-ग्रन्थों का अध्ययन किया; आयुर्वेदाचार्य; कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता;

असहयोग आन्दोलन में कांग्रेस डिक्टेटर (सीतापुर); बम्बई, पूना आदि स्थानों में कांग्रेस कार्य किया; बड़े सफल वैद्य चिकित्सक; आर्य समाज के प्रमुख कार्यकर्ता; धन के एकत्रीकरण के विरुद्ध; दानवीर; सेवाभाव मुख्य ध्येय; मेम्बर, बोर्ड आफ इंडिया मेडीसन यू० पी०; कांग्रेसी मेम्बर लेजिस्लेटिव एसेम्बली यू० पी० १९३७ से; पता- रसायन शाला, अमीनाबाद, लखनऊ।

शीतलासहाय—बी. ए.; कांग्रेस के कार्य कर्ता; असहयोग में प्रवेश १९२०; हिंदी के लेखक, पुस्तकें, हिंदी त्योहारों का इतिहास, मनोरमा; यू. पी. प्रांतीय चर्खा संघ के सञ्चालक; डिपुटी डायरेक्टर आफ पब्लीसिटी डिपार्टमेंट यू. पी. सरकार १९३७; पता—इलाहाबाद।

शुकदेवबिहारी तिवारी—लेखक तथा पत्रकार, जन्म० १० जूलाई १९०६; शि० बी० ए० एल एल० बी०; दूसरा नाम 'विनयमोहन शर्मा'; जिला कांग्रेस कमेटी के मंत्री (१९२८-२९); सभापति तरुण संघ (१९२९); "वीरात्मा" उपनाम; सहकारी सम्पादक "कर्मवीर" (खंडवा १९२९-३० वर्तमान सहकारी सम्पादक, "हिंदी स्वराज्य," पुस्तक—घृणित (उपन्यास); पता—खंडवा।

शुक्ला, रविशंकर—सी. पी. प्रान्त के प्रधान मन्त्री १९३८; महाकौशल कांग्रेस प्रान्त के प्रमुख तथा पुराने कांग्रेस नेता; सन् १९३७ में सी. पी. में कांग्रेस सरकार बनने पर मन्त्री हुये तथा अगस्त १९३८ में डा० खरे के स्तीफा देने पर प्रधान मन्त्री निर्वाचित हुये; पता—नागपुर।

श्रीनाथ सिंह—साहित्यिक तथा पत्रकार, जन्म १ अक्टूबर १९०१; शि० बी. ऐ. कांग्रेस के आन्दोलनों में बराबर भाग लेते रहे और जेल गये; बाल-साहित्य के अच्छे लेखक; पुस्तकें—उलझन, जागरण तथा अकेली स्त्री (उपन्यास), यौवन सौंदर्य और प्रेम, तरुण तपस्विनी, बाल कवितावली, अविष्कारों की कथा, नयन तारा तथा पाथेपिका; सम्पादक, "सरस्वती," पता—इलाहाबाद।

श्रीप्रकाश— ज० १८९०; शिक्षा बी. ए. एल एल. बी., बार ऐटला इंगलैंड में विद्यार्थी जीवन में ही आप अच्छे वक्ता थे

सेण्ट्रल हिन्दू कालेज अलाबाबाद में इतिहास के प्रोफेसर १९१४-१७; 'लीडर' के उप संपादक १९१७-१८, और 'इण्डिपेण्डेण्ट' १९१९, सेवा समिति के संस्थापक तथा उसके सेक्रेटरी और उप सभापति, १९१८-१९३५ तक आ० भा० कांग्रेस कमेटी के सदस्य, सम्पादक 'आज' १९२०, काशी विद्यापीठ बनारस के वाइस प्रिंसपल, जनरल सेक्रेटरी युक्त प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी १९२८-३१, इटावा की प्रांतीय पोलीटिकल कान्फ्रेन्स के सभापति, एम. एल. ए. (केन्द्रीय); १९३४ स्वागताध्यक्ष नेशनल कांग्रेस १९३६; पता—सेवाश्रम, बनारस।

श्रीरत्न शुक्ल—हिन्दी के अच्छे लेखक; शि० एम. ए. एल एल. बी ; एडवोकेट; अनेक बर्षों तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा म्यु० बोर्ड; के शिक्षा कमेटी के चेयरमैन; कांग्रेसी सदस्य यू० पी० एसेम्बली १९३८; पता—आनन्द बाग़, कानपुर।

श्रीवास्तव, लेडी कैलाश—कानपुर की प्रसिद्ध नागरिका; प्रमुख सामाजिक कार्य करने वाली, यूरोप में भ्रमण किया, यू० पी० फ्रेंचाइज़ कमेटी की सदस्य, लेडी असेसर टु ह्विटले लेवर कमीशन, युक्त प्रान्तीय स्त्री शिक्षा जांच कमेटी की सभानेत्री; भू. पू. सदस्या यू. पी. कौंसिल और आजकल भी; पता—कानपुर।

श्री झाववोला, एस० एच० जी,—जन्म २० मई १८८७ सूरत, शि० बी. ए. सेक्रेटरी अनेक राजनैतिक समाजिक संस्थायें, बंबई के मज़दूरों के नेता, चीफ सेक्रेटरी, जी. आई. पी. रेलवेमेंस यूनियन बम्बई; स्वार्थ त्यागी और उच्च कोटि के कार्यकर्ता किसान मज़दूर कान्फ्रेन्स यू० पी० झांसी के सभापति १९२८, राजद्रोह के मामले में ३१ मनुष्यों के साथ गिरफ्तार; पता—बम्बई।

श्रीवास्तव, सर ज्वाला प्रसाद—ज. १८८९; सरकारी वजीफा पाकर विलायत गये; युक्त-प्रान्तीय सरकार के इण्डस्ट्रियल केमिस्ट नियुक्त हुये; यूरोप महायुद्ध में फौज में काम किया; १९१९ में सरकारी नौकरी छोड़ दी, और व्यापार में प्रवेश; मैनेजिंग डायरेक्टर, न्यू विक्टोरिया मिल्स कम्पनी और इण्डियन टरपण्टाइन एण्ड रोज़िन कं०, एम. एल. सी. यू. पी. १९२६, १९३०; चेयरमैन यू. पी. सायमन कमेटी; चेयरमैन कानपुर इम्प्रूवमेण्ट ट्रस्ट; शिक्षा मंत्री यू. पी.

सरकार १९३१, अस्थाई मंत्री-मंडल में मिनिस्टर (१९३७), पता—कानपुर।

सङ्गमलाल, अग्रवाल—संस्थापक प्रयाग महिला विद्यापीठ, जन्म—१४ जनवरी १८९२; शिक्षा—एम. ए. एल. एल. बी; सं० १९१० में अग्रवाल विद्यालय इन्टरमीडियेट कालेज की स्थापना की; सं० १९२२ में प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की; यू. पी. लेजिसलेटिव कौंसिल के सदस्य तथा सेक्रेटरी, कौंसिल स्वराज्य पार्टी (१९२४—२६), रजिस्ट्रार महिला विद्यापीठ; पता—१५ क्रास्थवेट रोड, प्रयाग।

सद्गुरुशरण अवस्थी—हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक, जन्म, श्रावण १९५८; शि० एम. ए.; हिन्दी साहित्य सम्मेलन की कार्य कारिणी के सदस्य; हिन्दुस्थान एकेडेमी के सरकार द्वारा नियोजित सदस्य; कानपुर म्यु. बोर्ड के भूत पूर्व मंत्री तथा चेयरमैन शिक्षा समिति; प्रताप, विक्रम, संसार, कान्यकुब्ज हितकारी आदि पत्रों के सम्पादकीय विभाग में काम किया; स्कूलों के लिये अनेक पुस्तकें लिखीं; उत्तरी भारत के विभिन्न पत्र—पत्रिकाओं के प्रतिष्ठित लेखक; पुस्तकें—भ्रमित पथिक (काव्य); फूटा शीशा; तुलसी के चार दल; त्रिमूर्ति, एकादशी आदि; मुख्याध्यापक हिन्दी विश्वम्भर नाथ सनातन धर्म कालेज कानपुर; पता—कानपुर।

सत्यकेतु, डा० विद्यालंकार—प्रसिद्ध विद्वान तथा लेखक, जन्म० १९ सितम्बर १९०३; शि० विद्यालंकार गुरुकुल कांगड़ी डी० लिट० पेरिस; मौर्य साम्राज्य के इतिहास पर अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन से "मंगलाप्रसाद पारितोषिक" प्राप्त हुआ तथा काशी नागरी प्रचारिणी सभा और अन्य संस्थाओं से पारितोषिक और पदक प्राप्त हुये गुरुकुल कागड़ी में ११ वर्ष तक अध्यापन किया; १९३६ में इतिहास के अध्यन के लिये योरोप गये और पेरिस यूनि० में आनर्स (Honours) डी० लिट. की पदवी प्राप्त की; पुस्तकें—मौर्य समाज का इतिहास, भारतवर्ष का इतिहास।

सत्यदेव विद्यालंकार—उच्चकोटि के राष्ट्रीय कार्यकर्ता; जन्म १ अक्टूबर १९००; शि० विद्यालंकार (१९१९) गुरुकुल कांगड़ी (राजनीति-इतिहास में विशेष योग्यता); राष्ट्रीय आन्दोलन १९२० में प्रवेश; वर्धा में ३ मास की सज़ा; झंडा सत्याग्रह (१९२३) नागपुर में १ साल की सज़ा; स० १९३० में

कलकत्ते में १ साल की सज़ा; स० १६३१ में दो बार जेल; बिहार भूकम्प के समय कार्य; विजय (दिल्ली), राजस्थान केसरी (वर्धा) मारवाड़ी (नागपुर), राजस्थान (अकोला) स्वतंत्र (दैनिक कलकत्ता) राष्ट्रीय पत्रों का सम्पादन; इस समय "हिन्दोस्तान" दैनिक दिल्ली का सम्पादन करते हैं; इनकी सहधर्मिणी श्रीमती सुभद्रा देवी राष्ट्र कार्य में दोबार जेल हो आई हैं; पुस्तकें—जनरल अवारी, दयानन्द दर्शन, राष्ट्रधर्म, स्वामी श्रद्धानंद, परदा, आदि; पता—"हिन्दुस्तान" दैनिक, नई दिल्ली।

सत्यदेव, स्वामी—हिन्दी भाषा तथा राष्ट्र के निर्भीक सेवक; अमरीका में स्वतंत्र रूप से विद्याभ्यास तथा भ्रमण अनेक वर्षों तक; लौट कर देश कार्य में प्रवेश; असहयोग में प्रमुख भाग, हिन्दू संगठन के अग्रसर कार्य कर्ता, हिन्दी भाषा के उत्कृष्ट लेखक तथा वक्ता; राष्ट्रीय शिक्षा, हिन्दू संगठन का विगुल तथा अन्य पुस्तकों के लेखक; वर्तमान पता—'सत्यनिकेतन' ज्वालापुर।

सत्य नारायण पाण्डेय—समाज सेवक तथा साहित्यक; जन्म माघकृष्ण १४, सं० १६६९ वि.; शि० एम० ए०; सं १६३२ से १६३५ तक प्रांतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार तथा आगरा कालिजकी ट्राफी जीती; सं० १६३५ में बनारस विश्वविद्यालय से अ० भा० विवाद प्रति योगिता में द्वितीयपुरस्कार पाया; प्रान्तीय हिंदू सभा के मंत्री (१६३६); पता--एस० डी. कालेज; कानपुर।

सत्यपाल, डा०— ज० १८८५ बी० ए० एम० बी०, दांतों के उपचार में विशेषज्ञ; सभापति पंजाब प्रांतीय कांग्रेस कमेटी और पटेल सेना समिति, डेण्टल एण्ड आफथालमिक कालेज ऐण्ड दि मेडिकल एकाडेमी के प्रिंसपल; १६१६ में आपको आजन्म देश-निकाला मिला था पर बाद में छोड़ दिये गये; कई बार जेल गये; अ.भा. कांग्रेस वर्किंग-कमेटी के सदस्य, पुस्तकें-पंजाब कीर्ती, भगवान बुद्ध के उपदेश, पता—लाहौर।

सत्यव्रत, प्रो०—ज० १८९७; शि० गुरुकुल विश्वविद्यालय (कांगडी) 'सिद्धांतालंकार' उपाधि प्राप्त; अष्टम हिन्दी साहित्य सम्मेलन से सुवर्ण पदक प्राप्त; मद्रास तथा मैसूर प्रान्तों में आर्य समाज केन्द्रीय निर्णय का ३ वर्ष तक कार्य किया; कोल्हापुर

के राजाराम कालेज में प्रोफेसर रहे; बंगलौर के दयानन्द ब्रह्मचर्याश्रम को स्थापित किया; "अलंकार" मासिक के सम्पादक, इनकी धर्म पत्नी श्रीमती चन्द्रावती, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एम. ए. हैं; भ्रमण--अफ्रीका व बर्मा; गुरुकुल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तथा रजिस्ट्रार; पता—कांगड़ी।

सत्यमूर्ति एस.--ज० १८८७; बी० ए० बी० एल०; वकील मद्रास हाईकोर्ट; १९१९ में कांग्रेस डेपुटेशन के सदस्य और १९२५ में स्वराज्य पार्टी के प्रतिनिधि होकर इंग्लैंड गये; मद्रास की अनेक शिक्षा संबन्धी सामाजिक संस्थाओं के सभापति, मद्रास प्रान्तीय कौंसिल के सदस्य दो बार, अ. भा. कांग्रेस कमेटी के सदस्य अनेकबार; सहकारी कमेटियों तथा कमीशनों के सदस्य रहे तथा उनके सामने बयान दिये, तामिल नाय्डू प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के सभापति; सविनय अवज्ञा आन्दोलन में दो बार जेल; नेशनल लिबरल क्लब लन्दन के सदस्य; केन्द्रीय असेम्बली के मेम्बर; पता—दिल्ली, सिमला, मद्रास।

सत्यवती देवी,—जन्म ४ फरवरी १९०४ (लाहौर छावनी); शि० कन्या महाविद्यालय की स्नातिका, स० १९२६ में कन्या महाविद्यालय के डेपुटेशन में ब्रह्मदेश गई; रंगून में वक्तृत्व शक्ति के लिये सुवर्ण पदक मिला; मेरठ म्युनिसिपिल बोर्ड की सदस्या (१९३२); मेरठ डि० बोर्ड की शिक्षा समिति की सदस्या; मेरठ जिला काँग्रेस कमेटी की सदस्य; भूतपूर्व संयोजक मंत्रिणी दिल्ली प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी; भूतपूर्व सम्पादक "किसान सेवक", यू० पी० लेजिसलेटिव एसेम्बली में कांग्रेस सदस्या; पता--मेरठ।

सत्यानंद सरस्वती---पिछला नाम श्री० बलदेव चौबे; जन्म १९५५ विक्र०; शि० बी० ए० राष्ट्रीय लाहौर; सरवैंट्स आफ दि पीपुल्स सुसाइटी में प्रवेश १९२४; सेक्रेटरी, आल इंडिया अछूतोद्धार सभा १९२५-३२; प्रिंसिपल हिंदी विद्यापीठ (१९३२); सुसाइटी से अलग हुये (१९३३), गुप्त तथा एकांत जीवन तथा मौन (१९३३-३१); राष्ट्रीथ आन्दोलन में जेल यात्रा १९२२, १९३०, १९३२; सन्यास ग्रहण आषाढ़ १९९४ विक्र;० वेदांताश्रम आजमगढ़ में स्थापित किया (१९३५); हरिजन गुरुकुल की स्थापना की है; बर्तमान जीवन विशेष कर ग्रामसुधार तथा हरिजन सेवा में बिताते हैं; पता—वेदांत आश्रम, आजमगढ़।

सनेही, गयाप्रसाद शुक्ल—हिन्दी तथा उर्दू के प्रतिष्ठित कवि; ज० श्रावण शुक्ल १३ सं० १९४० वि०; कानपुर साहित्य समाज में आप गुरुवत माने जाते हैं; कवि सम्मेलनों में प्रायः सभापति होते हैं; अनेकों पुरुष्कारों के विजेता; 'त्रिशूल' के नाम से भी राष्ट्रीय रचनायें की हैं; प्रकाशित पुस्तकें—प्रेम पचीसी, कुसुमाञ्जलि, कृषक क्रन्दन; संपादक 'सुकवि'; पता—सुकवि प्रेस, कानपुर ।

सम्पूर्णानन्द, बाबू—शिक्षा मंत्री यू० पी० सरकार १९३८; ज० १८८९, शिक्षा बी. एस सी. एल टी., असिस्टेंट मास्टर डेली कालेज इन्दौर, हेड मास्टर डूनर कालेज बीकानेर, सम्पादक 'मर्यादा' (हिन्दी), दैनिक 'आज' (अंग्रेज़ी); सभी कांग्रेस आन्दोलनों में प्रमुख भाग लिया, चार बार जेल गये, सेक्रेटरी युक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी १९२६-२९, कौंसिल के मेम्बर, स्कीन कमेटी के सेक्रेटरी, सदस्य आ. भा. कांग्रेस कमेटी १९२२-२९, १९३०-३६; प्रोफेसर काशी विद्यापीठ १९२३ से, सभापति अ. भा. कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी १९३४, ग्रन्थ—'हर्षवर्धन' "महादा जी सिन्धिया," "मिश्र एवं चीन की स्वतंत्रता का इतिहास," 'अन्तर्राष्ट्रीय विधान', 'अशोक' इत्यादि; पता—लखनऊ, बनारस ।

सप्रू, सर तेजबहादुर के. सी. एस. आई. पी. सी.—ज० १८७५, शिक्षा एम. ए एल एल. डी., एम एल. सी. १९१३-१६, अ. भा. कांग्रेस कमेटी के सदस्य १९०६-१७; यू० पी० पोलिटिकल कान्फ्रेन्स के सभापति १९१४, सोशल कान्फ्रेन्स के १९१३, लिबरल लीग के १९१८-२०; ला मेम्बर गवर्नमेंट आफ इण्डिया; सभापति अ. भा. लिबरल फिडरेशन पूना १९२३. गोलमेज़ की सभी कान्फ्रेन्सों में प्रतिनिधि होकर इंग्लैंड गये; जे पी. सी. के समक्ष तथा श्री जयकर की सम्मति से रिपोर्ट पेश की, सम्पादक, अलाहाबाद ला जर्नल १९०४-१७, पता—अलाहाबाद ।

सरकार, सर यदुनाथ सी. आई. ई.—ज० १८७०, एम. एल. सी. १९२०-२२, आर. ए. एस. के. सदस्य; रायल हिस्टारिकल सुसाइटी, इण्डियन हिस्ट्री रिकार्डस कमीशन के सदस्य; कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चान्सलर १९२६-२८, कलकत्ता तथा बनारस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे, ग्रन्थ—औरंगजेब,

शिवाजी मुगुल शासन प्रबंध, पता—आकलैंड रोड, दार्जिलिंग ।

सरकार, सर नृपेन्द्र नाथ के. सी. एस. आई.—शिक्षा एम. ए. बी. एल., कलकत्ता तथा विलायत में पढ़े, भागलपुर में वकालत शुरू की १८६७, सबार्डिनेट जज १९०२-०४, एडवोकेट जनरल १९२८-३४, तृतीय गोलमेज़ कान्फ्रेन्स के प्रतिनिधि, वायसराय की कौंसिल के ला मेम्बर; पता—दिल्ली और शिमला ।

सहगल, केदार नाथ—भारतमाता सुसाइटी पंजाब के सदस्य १९०८, सम्पादक 'अखबार खबरदार" और "उर्दू अखबार", सरकार द्वारा दोनों पत्र ज़ब्त कर लिये गये १९२२; १९११ में आर्मस ऐक्ट के अनुसार गिरिफ़्तार; १९१२ में छोड़ दिये गये; गदर षड्यंत्र केस में गिरिफ़तार १९१५, लाहौर कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रटरी १९२१; १९३५ तक अ. भा. कांग्रेस कमेटी के सदस्य, पंजाब पोलिटिकल सफरर्स कान्फ्रेन्स के प्रथम सभापति, कम्प्लीट इण्डिपेण्डेन्स लीग नौजवान भारत सभा, सेक्रटरी पंजाबी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी, १९३३-३६, पता—अनारकली, लाहौर ।

सहजानंद, स्वामी—बिहार के प्रसिद्ध किसान नेता; मेम्बर आल इंडिया कांग्रेस कमेटी; कांग्रेस सोशेलिस्ट पार्टी के प्रमुख सदस्य; बिहार भूकम्प में काफी काम किया; बुन्देलखंड किसान कान्फ्रेन्स झांसी के सभापति (१९३७); जनरल सेक्रेटरी आल इंडिया किसान संघ; पता—पटना ।

सहानी, डा० बीरबल—ज० १८९१, शिक्षा लाहौर और विलायत में पाई, फेलो रायल सुसाइटी, पेरिस की नेचुरलहिस्ट्री म्यूज़ियम की शताब्दी पर भारत के प्रतिनिधि होकर गये १९३५, ऐमेस्टरडम के इण्टर नेशनल बोटैनिकल कांग्रेस में लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि होकर गये १९३५, डीन आफ दि फैकल्टीज़ आफ सायन्स लखनऊ विश्वविद्यालय १९३३ से; इन्डियन बोटैनिकल सुसाइटी के भूतपूर्व सभापति, इण्डियन एकाडेमी आफ सायन्स तथा फेलो बोटेनी सेक्शन आफ दि इण्टर नेशनल बोटैनिकल कांग्रेस कैम्ब्रिज के उपसभापति, पता—लखनऊ विश्वविद्यालय ।

साम्बमूर्ति वी.—आंध्र के प्रमुख कांग्रेस कार्यकर्ता, असहयोग में अच्छी वकालत छोड़ दी, कोकेनाडा

कांग्रेस की स्वागत समिति के जनरल सेक्रेटरी १९२५, इण्डिपेण्डेन्स लीग का संगठन किया, नागपुर झंडा सत्याग्रह के नेता, नील स्टेच्यू सत्याग्रह और सायमन कमीशन बायकाट मद्रास के नेता, सभापति हिन्दुस्तानी सेवादल, स्वयंसेवकों को तय्यार किया, बंगाल वालिंटियर कान्फ्रेन्स के सभापति, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य १९२९; स्पीकार, मद्रास लेजिस्लेटिव एसेम्बली, पता—मद्रास।

सावरकर, विनायक दामोदर—ज० १८८३, बार ऐट ला, 'बिहार' पत्र चलाया, अभिनव भारत सुसाइटी चलाई; शिवाजी वज़ीफ़ा इनाम मिलने से लन्दन पढ़ने गये; और वहां "फ्री इण्डिया सुसाइटी" स्थापित की; १९१० में गिरिफ्तार किये गये; भारत लाये जाते वक्त जहाज से कूद पड़े; और फ्रान्सीसी बन्दरगाह मारसेलीज़ में फिर गिरिफ़तार कर लिये गये; फलस्वरूप इंग्लैण्ड और फ्रान्स में झगड़ा हो जाने से मामला संसार के सब से बड़े कोर्ट (हाइएस्ट वर्ल्ड ट्रिब्यून) तक पहुंचाया गया, ४० साल की सज़ा; १९११-२४ तक अण्डमन्स में रहे, १९२४ में छोड़ दिये गये पर रत्नागिरि में नज़रबन्द कर दिये गये, हिन्दू संगठन तथा अछूतोद्धार का काम कर रहे हैं, सभापति अ. भा. हिन्दू महासभा १९३७, ग्रन्थ-जाजेफ मैज़िनी (ज़ब्त), वार आफ इण्डिपेण्डेन्स १८५७ (ज़ब्त), सिक्खों का इतिहास (ज़ब्त), हिन्दूपादपादशाई, इत्यादि अनेक नाटक, उपन्यास एवं काव्यग्रन्थ लिखे; पता—दिल्ली।

सांवलिया बिहारीलाल वर्मा—बिहार प्रान्त के प्रसिद्ध साहित्यिक, जन्म० १८ जून १८९६; शि० एम. ए., बी. एल.; अखिल भारत-वर्षीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के १९२१ से स्थायी समिति के सदस्य; हिन्दी विश्वविद्यालय तथा परीक्षा समिति के सदस्य; प्रोफेसर, अर्थ शास्त्र पटना कालेज (१९२१–२३); तत्पश्चात वकालत की; स० १९३० के राष्ट्रीय आन्दोलन में प्रवेश; छपरा कोआपरेटिव बैंक व सीतामढी कोआपरेटिव बैंक के मंत्री रह चुके; बिहार प्रान्तीय कोआपरेटिव बैंक के डायरेक्टर; पुस्तकें—योरोपीय महायुद्ध का इतिहास, पता—छपरा, बिहार।

सिकन्दर हयात खां, सरदार सर,—शिक्षा अलीगढ़ तथा विलायत में पाई, योरुपीय महायुद्ध

में रणस्थल पर एक फौज का नेतृत्व किया; एम. एल. सी. पंजाब १९२६, चेयरमैन प्रान्तीय सायमन कमेटी, रेवेन्यू तथा फायनेंस मेम्बर रह चुके डिपुटी गवर्नर आफ रिज़र्व बैंक आफ इण्डिया; भूतपूर्व गवर्नर पंजाब; आज कल पंजाब के प्रधान मन्त्री; मुस्लिम लीग के प्रमुख कार्यकर्ता; पता—लाहौर।

सिंह, अनुग्रह नारायण—मन्त्री विहार सरकार १९३७; विहार में कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ता, शि०एम. ए.बी. एल. (पटना); असहयोग आन्दोलन में वकालत त्याग,गया कांग्रेस में सेक्रेटरी स्वागत कमेटी; मेंबर कौंसिल आफ स्टेट १०२३-२७, पता—पटना।

सिंह, नरबदा प्रसाद—जन्म सं०१८४६; शि० हायर डिप्लोमा मेयो कालेज अजमेर (१९१९), असहयोग में प्रवेश १९२१, रीवां राज्य में रेविन्यू कमिश्नर, त्यागपत्र (१९२१); पता—इलाहाबाद।

सिनहा, सच्चिदानन्द—ज० १८७१, बार ऐटला, कलकत्ता पटना तथा अलहाबाद हाई कोर्ट के एडवोकेट; संस्थापक तथा संपादक "हिन्दुस्तान रिव्यू"; इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कौंसिल तथा लेजिस्लेटिव असेम्बली के सदस्य; राधिका इंस्टीट्यूट तथा सच्चिदानन्द सिनहा लायब्रेरी पटना की स्थापना की; "इण्डियन नेशन" के मैनेजिंग डायरेक्टर १९३१; १९३३ में आपको इंगलैण्ड से भारतीय सुधारों पर विचार करने के लिये एक विशेष निमन्त्रण मिला; वायस चान्सलर पटना विश्वविद्यालय, प्रथम भारतीय फायनेन्स मेम्बर; बिहार उड़ीसा; गवर्नमेन्ट की इक्ज़ीक्यूटिव के सदस्य १९२१-२६ तथा प्रान्तीय कौंसिल के सभापति १९२१; पता—पटना।

सियाराम शरण गुप्त—ज० सम्वत् १९५२ में चिरगांव में सुप्रसिद्ध एवं सुशिक्षित वैश्य कुल में पैदा हुये; श्रीयुत मैथलीशरण के कनिष्ठ भ्राता; अनेक उपन्यास, कहानी, नाटक एवं कवितायें लिखी हैं; पुस्तकें—'गोद', 'पुण्य पर्व', 'कृष्णकुमारी', आदि पता—चिरगांव

सिंहानियां, पद्मपत—डायरेक्टर जुग्गीलाल कमलापत मिल्स, यू० पी० के सब से बड़े मिल मालिक, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया की एडवायजरी कमेटी के

सदस्य, आल इण्डिया फिडरेशन आफ इण्डियन चेम्बर्स आफ कामर्स के भूतपूर्व सभापति, पता—कमला टावर, कानपुर।

सुधाकर, प्रो०—हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक; जन्म, जुलाई १८८८, शि० एम. ए.; हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रगति में विशेष दिलचस्पी रखते हैं; "मनोविज्ञान" पुस्तक पर मंगलाप्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ; अन्य पुस्तकें जीवनामृत, आनन्दामृत, पुरुषार्थामृत, इत्यादि; मन्त्री, अन्तर्राष्ट्रीय आर्यन लीग, दिल्ली; पता—हनुमानरोड, दिल्ली।

सुन्दरलाल गुप्त—जन्म १३ मार्च १६०६; कांग्रेस कार्य सं० १६२६ से प्रारंभ किया; ४ बार जेल यात्रा,

ज़िला कांग्रेस कमेटी के प्रेसीडेंट अनेक बार; हिमालय में भ्रमण, २००० फुट उंचाई तक गये; अच्छे खिलाड़ी अनेक पदक तथा पुरस्कार प्राप्त किये; प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के मेम्बर तथा यू० पी० एसेम्बली में कांग्रेसी मेम्बर (१६३७); पता—पलटन बाजार, सुलतानपुर।

सुन्दर लाल, पण्डित—कर्मवीर; भूतपूर्व सम्पादक "कर्मयोगी" 'भविष्य'; प्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्ता, सभी राष्ट्रीय आन्दोलनों में प्रमुख भाग लिया, कई बार जेल गये, ग्रंथ—भारत में अंग्रेजी जाति का इतिहास; पता—इलाहाबाद।

सुभद्रा कुमारी चौहान,—सुप्रतिष्ठित विख्यात कवियित्री; ज० १६६१, वाल्यकाल से ही प्रतिभापूर्ण कविता लिख रहीं हैं, "मुकुल" और "विखरे मोती" पर दो बार सेकसेरिया पारतोषिक हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा दिया गया है; सं० १६१६ से राष्ट्र कार्य कर कर रहीं हैं, झंडासत्याग्रह नागपुर (१६२३) में दो बार गिरफ़्तार, सी० पी० एसेम्बली में कांग्रेसी मेम्बर (१६३८); पता, ३०३ राइट टाउन, जबलपुर।

सुमित्रानंदन पंत—हिंदी के सुप्रसिद्ध छायावादी कवि; ज० सं० १६०० ई; अविवाहित; हिंदी, संस्कृत, अंग्रेज़ी और बंगला के पण्डित; आप नवयुग काव्य के प्रवर्त्तक माने जाते हैं; कविता के

अतिरिक्त उपन्यास और नाटक भी लिखते हैं; पुस्तकें—'उच्छ्वास' और 'पल्लव' आदि, आदिस्थान कौसानी ज़िला अलमोड़ा संपादक रूपाभ; पता—कालाकांकर रियासत।

सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला-ज० सम्वत १९५३ में मेदनीपुर (बंगाल) में हुआ। आपका असली घर उन्नाव के गढ़कोला-नामक गांव में था। बंगला मातृभाषा बन गई थी और प्रारम्भ में बंगला ही में कविता लिखते थे; अंगरेज़ी, संस्कृत, बंगला, हिन्दी के बड़े धुरंधर विद्वान् हैं। रामकृष्ण मिशन के 'समन्वय' एवं 'मतवाला' का संपादन किया है पुस्तकें—'अनामिका,' 'परिमल,' 'गीतिका,' 'तुलसीदास'; वर्तमान हिंदी काव्य जगत में युगप्रवर्तक कहलाते हैं; अतुकांत कविता का प्रचार सर्वप्रथम इन्होंने किया; पता—लखनऊ।

सूर्यदेवी दीक्षित 'ऊषा'—ज० अक्टूबर १९०१; शि० विदुषी; हिन्दी में कविता अच्छी लिखती हैं, विशाल भारत, माधुरी, सुकवि, प्रताप, बीणा; वर्तमान आदि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं; पुस्तकें—निर्झरिणी इत्यादि; पं० उमाशंकर दीक्षित एम, ए. एल. टी. (शिक्षा विभाग) कानपुर की धर्मपत्नी; पता—डिप्टी का पड़ाव, कानपुर।

सेठ दामोदर स्वरूप—यू. पी. के प्रसिद्ध कांग्रेस कार्यकर्ता मैनपुरी क्रांतिकारी षड्यंत्र केस में गिरफ़्तार तथा रिहाई; मेम्बर, यू० पी० प्रांतीय तथा आल इंडिया कांग्रेस कमेटी अनेक बार; राष्ट्रीय आन्दोलन में जेल अनेक बार; सेक्रेटरी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी (यू० पी०) १९३६—३७; पता—बरेली।

सैयद रज़ा अली, सर—ज० १८८२, शिक्षा बी. ए. एल एल. बी; मुरादाबाद में वकालत शुरू की, यू. पी. एम, एल. सी. १९१२, १९१६-२१, सदस्य कौंसिल आफ स्टेट १९२१-२६; मुस्लिम डेलीगेशन टु वायसराय १९२२ के नेता, सभापति अ० भा० मुस्लिमलीग १९२४, डेलीगेट टु लीग एसेम्बली, दक्षिण अफ्रीका के लिये भारतीय सरकारी एजेण्ट; पता—दिल्ली शिमला।

हक़, ए. फ़जलुल—प्रजा पार्टी के नेता बंगाल; बार. ऐट. ला; गोलमेज़ कांफ्रेंस के डेलीगेट (१९३०-३२) सी. आर. दास के समय में आप कांग्रेस कार्यकर्ता थे और मुस्लिम लीग से भी

सम्बन्धित थे, पर अब मुस्लिम लीग के प्रधान कार्य कर्ता हैं; बंगाल सरकार एसेम्बली के प्रधान मंत्री (प्राइम मिनिस्टर) १९३७ से ; पता—कलकत्ता ।

हर्डीकर, डाक्टर नारायण सुबराव—ज० १८८९, शि० राष्ट्रीय मेडिकल कालेज कलकत्ता, अमरीका का मिचिगोन वि० वि० न्यूयार्क के 'यंग इंडिया' के प्रबन्धक सम्पादक, कुछ समय तक कर्णाटक प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रधान मंत्री, हिन्दुस्तानी सेवा दल के मंत्री, सम्पादक 'वालिंटियर' कर्णाटक के स्वयंसेवकों का नागपुर झण्डा सत्याग्रह में संचालन किया और जेल गये; चीन की सेवा दल भेजने का प्रस्ताव किया जिसे गवर्नमेंट ने स्वीकार नहीं किया; पता—हुबली ।

हरदयाल, लाला—प्रसिद्ध देश भक्त, शि० एम. ए. पंजाब; विदेशों में भारत की स्वतन्त्रता के लिये कार्य कर रहे । अंग्रेजी के प्रकाण्ड विद्वान तथा लेखक ।

हरिवंशराय, 'बच्चन'—हिन्दी के अच्छे कवि, जन्म, २७ नवंबर १९०७; शि० एम० ए०; पुस्तकें—मधुशाला, मधुवाला, खैयाम की मधुशाला, आदि; पता–प्रयाग ।

हरी, श्रीयुत—जन्म० १९१४; पं० जवाहरलाल नेहरू के गृह में बाल्य-काल से पोषण, सत्याग्रह अन्दोलन में काफी भाग लिया; अछूत जाति के हलका इलाहाबाद से कांग्रेसी मेम्बर लेजिसलेटिव एसेम्बली यू० पी०; पता—आनंद भवन, इलाहाबाद ।

हसन ज़ाहिर, डा० सैयद—जन्म १९०१; शि० बी० ए० (आक्सफोर्ड), पीयच डी; सर वजीर हसन के सुपुत्र; यू० पी० असेम्बली में यूनिवर्सिटी के हलके से कांग्रेसी मेम्बर (१९३७); लखनऊ यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के रीडर; पालियामेण्टरीसेक्रेटरी शिक्षा-विभाग यू० पी० गवर्मेंट (अगस्त १९३७ से मार्च १९३८ तक); विचार समाज वादी; पता—सर वजीर हसन रोड लखनऊ ।

हाफिज़ मुहम्मद इब्राहीम—मिनिस्टर, यू० पी० गवर्मेंट; शि०

बी० ए०, एलएल० बी; मेम्बर पुरानी यू० पी० लेजिलेटिव कौंसिल के अनेक वर्षों तक रहे और स्वाराजिस्ट पार्टी का साथ देते रहे; सं० १९३७ में मुसलिम लीग के टिकट पर यू० पी० एसेम्बली की मेम्बरी के लिये खड़े और चुने गये; चुनाव के बाद कांग्रेसी दल के साथ रहे और मिनिस्टर बनाये गये; मुसलिम लीग की ओर से आपत्ति किये जाने पर मेम्बरी से त्यागपत्र दिया और दुबारा कांग्रेस टिकट पर खड़े होकर सफल हुये; पता—बिजनौर व लखनऊ।

'हितैषी' जगदम्बा प्रसाद--हिंदी के अच्छे कवि; जन्म १९४५ विक्र०; आपने राष्ट्रीय आन्दोलनों में सदैव अग्रसरभाग लिया हैं; ३ बार जेल गये हैं आपकी रचनायें हिंदी में एक ऊँचा स्थान रखती हैं; पुस्तकें—कल्लोलिनी, खय्याम का हिंदी पद्यानुवाद इत्यादि; पता—पुर्वा, उन्नाव

हिमांशु राय---बम्बई टाकीज़ के विधाता, १२ साल अंतराष्ट्रीय फिल्म उद्योग में सिखते रहे, जर्मनी और अमेरिका की कई फिल्म कम्पनियों की सहायता करते रहे, एलायन्स सीनीमेंटोग्रैफिक योरुपीनी पेरिस में आपको बहुत ऊँचा वैतनिक पद मिल रहा था पर राष्ट्रीय फिल्म कम्पनी बनाने के लिये आपने अस्वीकृति देदी, पता—रेडमिनी बिल्डिंग चर्चगेट स्ट्रीट, बंबई फोर्ट,

हुकुमचन्द, सर सरूप चन्द जी---कपास और अफीमके व्योपारी, इन्दौर मालवा मिल्स स्थापित किया १९०९, हुकुमचन्द मिल्स १९१४, राजकुमार मिल्स १९२२, अनेक मन्दिर और धर्मशालायें बनवाईं, योरोपीय महायुद्ध में गवर्मेंट को १ करोड़ ३५ लाख का क़र्ज़ दिया, इन्दौर लेजिस्लेटिव कमेटी के सदस्य; पता—इन्दौर।

हुसेन अहमद, मौलाना 'शेखुल हदीस'-.-प्रसिद्ध विद्वान एवं राष्ट्रीय नेता; मिश्र, स्याम अरब में शिक्षा पाई और दी; अनेक भाषाओं के ज्ञाता एवं अनेक देशों का भ्रमण किये हुये हैं; देवबन्ध में आजकल हदीस को तालीम दे रहे हैं; राष्ट्रीय आन्दोलनों में अनेक बार जेल गये; उम्र लगभग ४५ वर्ष, साहित्य एवं राजनीति पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं; पता—देवबन्ध, दारूउलूम,।

हैदरी सर अकबर—ज० १८६९, भारतीय अर्थ विभाग में नौकर हुये १८८८; यू. पी. में असिस्टेंट ए०

जी० १८६०, बम्बई में १८६७, मद्रास में १६००, ईक्ज़ामिनर गवर्मेंट प्रेस एकाउण्ट सं० १६०१, काण्ट्रोलर इण्डियन ट्रेज़रीज़ १६०३ सी० पी०; ए० जी. हैदराबाद स्टेट १६०४, अर्थ सचिव १६०७, डायरेक्टर जनरल आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज़ १६१६ फायनेन्स एण्ड रेल के मेम्बर हैदराबाद इक्जीक्यूटिव कौंसिल १६२१, सभापति एन० एस. रेलवे बोर्ड और माइनिंक बोर्ड १६२५, सभापति अ० भा० मुस्लिम शिक्षा कांफ्रेन्स १६७०, स्टेट पुरातत्व विभाग के संगठनकर्ता गोलमेज़ कान्फ्रेन्स के सदस्य, पता—हैदराबाद दखिन।

'हृदयेश', हृदय नारायण त्रिपाठी—ब्रजभाषा तथा खड़ीबोली के उत्कृष्ट कवि; ज. १६६० विक्र; अध्यापक है; आजकल के छायावादी कवियों में आपका ऊँचा स्थान है; पुस्तकें—कसक इत्यादि; पता—कानपुर।

श्री कमलापति त्रिपाठी एम. एल. ए.
उप-सम्पादक "आज" काशी

श्री व्यङ्कटेशनारायण तिवारी
पार्लीमेंटरी सेक्रेटरी यू० पी० सरकार,

डा० विधानचन्द्र राय

श्रीयुत सम्पूर्णानन्द
शिक्षा-मंत्री यू० पी० सरकार

राजनैतिक संस्थायें।

कांग्रेस।

इंडियन नेशनल कांग्रेस अथवा हिन्दी राष्ट्रीय महासभा उस बड़ी सभा का नाम है जिसमें भारत-निवासियों के चुने हुए डेलीगेट या प्रतिनिधि प्रत्येक वर्ष एक स्थान पर एकत्र होकर भारतवर्षसम्बन्धी राजनैतिक प्रश्नों पर विचार करते हैं और वाद-विवाद करके स्वराज्य-प्राप्ति के लिए उपाय सोचते हैं।

कांग्रेस की रचना।

पूरे भारतवर्ष के लिये एक मुख्य कमेटी है जिसको भारतीय कांग्रेस कमेटी (All India Congress Committee) कहते हैं। प्रत्येक वर्ष जो कांग्रेस का सभापति चुना जाता है वही इस कमेटी का भी सभापति एक साल के लिए होता है। इस कमेटी के अधिकतर मेम्बर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के मेम्बरों द्वारा चुने जाते हैं और पुराने सभापतियों व कांग्रेस के कुछ मुख्य कर्मचारियों को मेम्बर बने रहने का मान जन्म भर के लिए स्वयं ही प्राप्त हो जाता है। आल इण्डिया कमेटी अपना कार्य चलाने के लिए एक छोटी कमेटी बनाती है जिसे Working Committee कहते हैं। प्रत्येक प्रान्त में एक एक प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी ProvincialCongressCommittee) होती है जिसके मेम्बर जिलों के कांग्रेस प्रतिनिधि होते हैं। प्रत्येक जिले में जिला कांग्रेस कमेटी (DistrictCongressCommittee) होती है जिसके सदस्य नगर कांग्रेस कमेटी (TownCongress Committee) तथा मंडल कांग्रेस कमेटी (Circle Congress Committee) द्वारा चुने हुए सज्जन होते हैं। Circle के अन्तर्गत ग्राम कांग्रेस कमेटी होती है जिसका सदस्य प्रत्येक मनुष्य, जो कांग्रेस का ध्येय मानता हो, हो सकता है। इन सब कमेटियों में सभापति, मन्त्री, खजांची इत्यादि पदाधिकारी चुने हुए होते हैं। जो एक साल तक काम करते हैं। प्रत्येक वर्ष कांग्रेस की बैठक एक मुख्य स्थान पर होती है। भारतीय कांग्रेस कमेटी व प्रांतीय कांग्रेस कमेटियाँ ही कांग्रेस की बैठक होने के पहिले सभापति चुन लिया करती हैं। इसके पश्चात् सभापति अपना आसन ग्रहण करता है। भारतनिवासी को यदि कोई सबसे ऊँचा सम्मान प्रजा की ओर से मिल सकता है तो वह कांग्रेस का सभापति चुना जाना है।

राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन

संख्या	स्थान	सन्	सभापति
१	बम्बई	१८८५	श्री उमेशचन्द्र बनर्जी
२	कलकत्ता	१८८६	श्री दादाभाई नौरोजी
३	मद्रास	१८८७	श्री बद्रुद्दीन तय्यबजी
४	इलाहाबाद	१८८८	सर फ़ीरोजशाह मेहता
५	बम्बई	१८८९	सर विलियम बेडरबर्न
६	कलकत्ता	१८९०	सर फ़ीरोजशाह मेहता
७	नागपुर	१८९१	श्री आनन्द चारलू
८	इलाहाबाद	१८९२	श्री वोनेशचन्द्र बनर्जी
९	लाहौर	१८९३	श्री दादाभाई नौरोजी
१०	मद्रास	१८९४	श्री ऐलफ्रेड वेब
११	पूना	१८९५	श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी
१२	कलकत्ता	१८९६	मु० रहीमतुल्ला सयानी
१३	अमरावती	१८९७	श्री सी० शंकर नय्यर
१४	मद्रास	१८९८	श्री आनन्द मोहन बोस
१५	लखनऊ	१८९९	श्री रमेशचन्द्र दत्त
१६	लाहौर	१९००	श्री एन० जी० चन्द वरकर
१७	कलकत्ता	१९०१	श्री दिनशा इदलजी वाच्छा
१८	अहमदाबाद	१९०२	श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी
१९	मद्रास	१९०३	श्रीलालमोहन घोष
२०	बम्बई	१९०४	सर हेनरी काटन
२१	बनारस	१९०५	श्रीगोपालकृष्ण गोखले
२२	कलकत्ता	१९०६	श्री दादा भाई नौरोजी
२३	सूरत (स्थगित)	१९०७	डा० रासबिहारी घोष
	मद्रास	१९०८	डा० रासबिहारी घोष
२४	लाहौर	१९०९	पं० मदनमोहन मालवीय
२५	इलाहाबाद	१९१०	सर विलियम बेडरबर्न
२६	कलकत्ता	१९११	पं० बिशननारायण दर

२७	बांकीपुर (पटना)	१६१२	श्री आर० एन० मुधोलकर
२८	करांची	१६१३	नवाब सैय्यदमुहम्मद
२६	मद्रास	१६१४	श्री भूपेन्द्रनाथ बसु
३०	बम्बई	१६१५	सर सत्येन्द्र प्रसन्नसिंह
३१	लखनऊ	१६१६	बा० अम्बिक चरन मजूमदार
३२	कलकत्ता	१६१७	श्रीमती एनी बेसेण्ट
वि. अधि. बम्बई		१६१८	श्रीहसन इमाम
३३	दिल्ली	१६१८	पं० मदनमोहन मालवीय
३४	अमृतसर	१६१६	पं० मोतीलाल नेहरू
३५	नागपुर	१६२०	श्री विजयराघवाचार्यर
वि. अधि. कलकत्ता		१६२०	श्री लाला लाजपतराय
३६	अहमदाबाद	१६२१	श्री सी० आर० दास (जेल में)
			श्री हकीम अजमलखां
३७	गया	१६२२	श्री सी० आर० दास
वि.अधि. दिल्ली		१६२३	श्री अबुलकलाम आज़ाद
३८	कोकोनाडा	१६२३	मौ० मुहम्मदअली
३६	बेलगाँव	१६२४	महात्मा गांधी
४०	कानपुर	१६२५	श्रीमती सरोजिनी नायडू
४१	गोहाटी	१६२६	श्री श्रीनिवास आयंगर
४२	मद्रास	१६२७	डा० एम्० ए० अन्सारी
४३	कलकत्ता	१६२८	पं० मोतीलाल नेहरू
४४	लाहौर	१६२६	पं० जवाहरलाल नेहरू
४५	करांची	१६३१	श्री वल्लभभाई पटेल
४६	दिल्ली	१६३२	श्री रनछोड़लाल अमृतलाल
४७	कलकत्ता	१६३३	श्रीमती नेलीसेन गुप्ता
४८	बम्बई	१६३४	श्री राजेन्द्रप्रसाद
४६	लखनऊ	१६३५	पं० जवाहरलाल नेहरू
५०	फैजपुर	१६३६	पं० जवाहरलाल नेहरू
५१	हरीपुरा	१६३८	श्री सुभाषचन्द्र बोस

५१ वीं इंडियन नैशनल कांग्रेस हरिपुरा (गुजरात)

१९, २०, २१ फरवरी १९३८

प्रेसीडेंट—सुभाषचन्द्र बोस।

इस कांग्रेस के स्वागताध्यक्ष श्री गोपालदास दरबार थे। उन्होंने अपने भाषण में कांग्रेस-आन्दोलन की सफलता वर्णन करते हुये प्रतिनिधियों और उपस्थित सज्जनों का स्वागत किया।

श्रीसुभाषचन्द्र बोस ने विद्वत्तापूर्ण तथा सारगर्भित भाषण में देश की वर्तमान परिस्थिति का वर्णन किया। उन्होंने मुख्यतः वैदेशिक परिस्थिति तथा आगे आनेवाले संघ-शासन के संबंध में अपने विचार प्रकट किये। गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट द्वारा दिये हुये संघ-शासन को भारत किसी भी अवस्था में स्वीकार करने पर तैयार नहीं है और सब प्रकार से उसका विरोध करने पर उद्यत है।

मुख्य प्रस्तावः—(१) शोक-प्रस्ताव—श्रीमती स्वरूपरानी नेहरू, सर जगदीशचन्द्र बोस, श्रीसरतचन्द्र चटर्जी, श्रीमनीलाल कोठारी, श्रीमती पार्वती देवी, श्री जोगेन्द्रनाथ बरुआ, श्रीहरेन्द्र नाथ मुंशी, श्रीबुची सुन्दर राव, श्रीआर्यदत्त जोगदान, श्रीआदिनारायण चेटियर, श्री जैशंकर प्रसाद, श्रीरामदास गौड़, श्रीक्षीरोदचन्द्र देव, श्री गुलज़ार सिंह, पंडित नारायणराव खरे, श्रीहिमांशु बोस, श्रीमती शरमादा त्यागी, और श्री हेरंबचन्द्र मैत्र की मृत्यु पर।

(२) श्रीमती गुइडालो, आसाम के नागप्रदेश की वीराङ्गना जिसने सन् १९३२ में आजादी का झंडा आसाम के जंगलों में ऊँचा किया, और जो अभी तक जेल में है उसकी रिहाई की मांग।

(३) ब्रिटिश गायना के भारतीयों को वहां जाकर १०० वर्ष हुये। इस शुभ अवसर के समारंभ पर उन्हें बधाई तथा उनकी उन्नति के लिए शुभकामना।

(४) जंजीबार, केन्या, उगंडा टैंगानीका, मारीशस, फीजी तथा अन्य पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के स्थानों में भारतीयों के अधिकारों पर रोजाना होनेवाले आक्रमणों पर दुःखजनक चिन्ता का प्रदर्शन। उपनिवेशों और आधीन प्रदेशों में बृटिश साम्राज्य द्वारा चलाई हुई नई आर्थिक नीति—शोषण नीति—की निन्दा।

(५) जंजीबार में लौंग के भारतीय व्यापारियों द्वारा कांग्रेस की आज्ञा मानने पर बधाई।

भारतीयों के व्यापारसंबंधी अधिकारों के संतोषजनक निबटारा न किये जाने पर रोष।

(६) भेदमूलक कानून द्वारा भारतीयों के अधिकारों पर लंकाद्वीप (सीलोन) में आक्रमण पर असंतोष तथा सीलोन की सरकार से इस प्रकार के कानून न बनाने का अनुरोध।

(७) चीन पर जापान द्वारा होने वाले अमानुषिक आक्रमण का विरोध तथा चीनियों के साथ सहानुभूति।

(८) बृटिश साम्राज्य द्वारा रायल कमीशन की नियुक्ति तथा उसकी सिफारिश पर पैलेस्टाइन का बटवारा किये जाने का विरोध।

(९) भारत की वैदेशिक नीति तथा युद्ध का भय। कांग्रेस का स्पष्ट निर्णय है कि भारत पड़ोसी देशों से मित्रता रखना चाहता है और उनकी स्वतंत्रता की रक्षा का इच्छुक है। साथ-साथ अपनी शक्ति अन्तर्राष्ट्रीय पारस्परिक सहयोग और सदिच्छा पर निर्भर है।

(१०) कमिश्नरी प्रान्त और पृथक् किये हुये प्रदेश बृटिश बिलोचिस्तान और कुर्ग तथा अन्य प्रदेश जो प्रान्तीय स्वशासन से पृथक् किये गये हैं उनके संबंध में असन्तोष।

(११) बृटिश गवर्नमेंट द्वारा अजमेर मारवाड़ से ११५ गाँवों का अलग करना और उन्हें जोधपुर और उदयपुर में शामिल करने की नीति की निन्दा।

(१४) कांग्रेस-संघ शासनभाव के विरुद्ध नहीं है किंतु संघ के सब घटकों के प्रबंध में पूर्ण राजनैतिक समानता होना चाहिये विशेपतः देशी राज्य संबंधी कांग्रेस, प्रान्तीय और ज़िला कांग्रेस कमेटियों तथा प्रान्तीय सरकारों व मंत्री-मंडलों से अनुरोध करती है कि संघशासन को अस्तित्व में आने से रोकें। (१३) केन्या में भारतीयों पर अचल सम्पत्ति रखने व खरीदने पर जो प्रतिबंध हैं उनकी निन्दा (१४) मिदनापुर जिले में ११० कांग्रेस-कमेटियों पर सरकार द्वारा प्रतिबंध जारी है उसकी निन्दा।

(१५) राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार।

(१६) अल्पसंख्यक जातियों, और विशेपतः मुसलिमों में साम्राज्य-विरोधी भावों के प्रसार पर तथा उन सबके राजनैतिक एकीकरण पर हर्ष करती है (१७) देशी राज्यों-संबंधी कांग्रेस नीति (१८) यू० पी० और बिहार के मंत्री-मंडलों के त्यागपत्रों पर विचार और कांग्रेस नीति का स्पष्टीकरण (१९) किसानों को अलग संस्था बनाने की स्वीकृति और कांग्रेस सिद्धांतों से बिलग नीति का विरोध (२०) कांग्रेस-विधान में परिवर्तन के लिये एक कमेटी की नियुक्ति।

राष्ट्रीय कांग्रेस के पदाधिकारी

(१९३८-३९)

सभापति

श्री सुभाषचन्द्र बोस, कलकत्ता.

भूतपूर्व सभापति

१. पं० मदनमोहन मालवीय, बनारस.

२. श्री सी० विजय राघवाचार्य्य, सलेम.

३. महात्मा गांधी, वर्धा.

४. श्री एस० श्रीनिवास आयङ्गर, मद्रास.

कार्य-समिति (Working Committee)

१. मौ० अबुलकलाम आज़ाद, कलकत्ता.

२. श्री सरोजिनी नायडू, बम्बई.

३. श्री जवाहरलाल नेहरू, इलाहाबाद.

४. श्री वल्लभभाई पटेल, बम्बई.

५. श्री राजेन्द्रप्रसाद, पटना.

६. श्री जमनालाल बजाज, (कोषाध्यक्ष)

७. श्री अब्दुलग़फ्फ़ार खाँ.

८. श्री जयरामदास दौलतराम

९. श्री भूलाभाई जे० देसाई

१०. डा० पट्टाभी सीतारमैय्या

११. श्री सरतचन्द्र बोस

१२. श्री हरिकृष्ण मेहताब

१३. श्री जे० बी० कृपलानी (प्रधान मन्त्री)

आल इंडिया कांग्रेस कमेटी

अजमेर—४ सदस्य

१. श्री हरिभाऊ उपाध्याय, अजमेर.

२. श्री सैयद रजमी, अजमेर.

३. श्री मिश्रीलालजी गंगवाल, इन्दौर.

४. श्री जयनारायण व्यास, ब्यावर.

आंध्र—२९ सदस्य

१. डा० पट्टाभी सीतारमैय्या, मछलीपट्टम्.

२. श्री कोंडा वेंकटपैय्या एम०एल० ए०, गंटूर.

३. श्री टंगटूर प्रकाशम पंटुलू, एम० एल० ए०, मद्रास.

४. श्री मल्लीपुडी पल्लमराजू, कोकानाडा.

५. श्री ए० कालेश्वर राव, मद्रास.
६. श्री दुग्गीरला बलरामकृष्णैया, अंगलूर.
७. श्री पिडीकिर्टी रमाकोटिया, बेजवाड़ा.
८. श्री अलूरी सत्यनारायण, पश्चिमी गोदावरी.
९. श्री अल्लमगद कामेश्वरराव, गंटूर.
१०. श्री चम्पारला कृष्णब्रह्मम, गंटूर.
११. श्री बेजवाडा गोपालरेडी, मद्रास.
१२. डा० के० एल० नरसिंह राव, राजमहेन्द्री.
१३. श्री एन० बी० एल० नरसिंह राव, गंटूर.
१४. श्री डी० नारायण राजू एम० एल० ए०, ऐलोर.
१५. श्री पेरामिल्ली, नरसापुरम्.
१६. श्री रामीनेनी, ब्रह्मनकोडूरू.
१७. श्री मगनती बपीनीडू, मद्रास.
१८. श्री डी० रामकृष्ण परमहंस, विज़िनग्रम.
१९. श्री मन्दायका रंगाय्या नायडू, कोकानाडा.
२०. श्री एन० जी० रंगा एम० एल० ए०, गंटूर.
२१. श्री टी० विश्वनाथम्, मद्रास.
२२. श्री एम०बी०वी०सत्यनारायण डिमिली, विजिगापट्टम्.
२३. श्री काला वेंकटाराव, एम०एल० ए०, अमलापुरम्.
२४. श्री गोगिनेनी वेंकटपैया, गंटूर.
२५. श्री के० सखेश्वर शास्त्री, चाई-काकोल.
२६. श्री एच० सीतारामरेडी, एम० एल० ए०, बलैरी.
२७. श्री पूचाला सुन्दरैय्या, ऐलोर.
२८. श्री स्वामी नारायनदा, करनूल.
२९. श्रीएम० अनन्तसयानम, चित्तूर.

आसाम—५ सदस्य

१. श्री विष्णुनाम मेधी, गोहाटी.
२. श्री एफ़० ए० अहमद बार-एट-ला, एम० एल०ए०, गोहाटा.
३. श्री कुलाधर चलीहा, एम०एल० ए०, जोरहाट.
४. श्री राजेन्द्रनाथ बरुआ, गोलाघाट (आसाम).
५. श्री लीलाधर बरुआ, गोहाटी.

बिहार—२७ सदस्य

१. श्री श्रीकृष्ण सिन्हा, पटना.
२. श्री अनुग्रहनारायण सिन्हा, पटना.
३. श्री डा० सैयद महमूद, पटना.
४. श्री बिपिनबिहारी वर्मा, चम्पारन.
५. श्री मथुराप्रसाद, पटना.
६. श्रीशाहमुहम्मदओज़ेम्मुनेमीपटना.
७. श्री प्रोफ़ेसर अब्दुलबारी, पटना.
८. श्री सत्यनारायण सिन्हा, दरभंगा.
९. श्री प्रजापती मिश्रा, चम्पारन.
१०. श्री विंधेश्वरीप्रसाद, मुज़फ़्फ़रपुर.

११. श्री अतुलचन्द्र घोष, पुरुलिया.
१२. श्री महामायाप्रसाद, छपरा.
१३. श्री रामविनोदसिंह, डिघवारा.
१४. श्री स्वामी सहजानन्द, पटना.
१५. श्री गंगाशरण सिन्हा, पटना.
१६. श्री शार्ङ्गधर सिन्हा, पटना.
१७. श्री शिवनन्दनप्रसाद, भागलपुर.
१८. श्री सिंघेश्वरप्रसाद, पटना.
१९. श्री हरगोविन्द मिश्रा, आरा.
२०. श्री एम० रफ़ीउद्दीन रिज़वी, मुंगेर.
२१. श्री बूधनराय वर्मा, आरा.
२२. श्री प्रभूनाथसिंह, छपरा.
२३. श्री मुकुटधारीसिंह, पटना.
२४. श्री दुर्गाप्रसाद, पुरनिया.
२५. श्री बैजनाथप्रसाद, पुरनिया.
२६. श्री कैलाशपति सिन्हा, पटना.
२७. श्री श्रीनारायणदास, दरभंगा.
२८. श्री अवधेश्वरप्रसाद, मुज़फ़्फ़रपुर.
२९. श्री लक्ष्मीनारायण, दरभंगा.
३०. श्री रामनिरीक्षणसिंह, दरभंगा.
३१. श्री ठाकुर रामनन्दनसिंह, मुज़फ़्फ़रपुर.
३२. श्री मथुराप्रसादसिंह, मुज़फ़्फ़रपुर.
३३. श्री डा० रामप्रकाशशर्मा, दरभंगा.
३४. श्री इस्माइल बेहशी, चम्पारन.
३५. श्री एम० नूर, पुरनिया.
३६. मौलवी मंज़ूर अहसन एज़ाज़ी, मुज़फ़्फ़रपुर.
३७. श्री कालिकाप्रसाद सिन्हा, मुंगेर.

बम्बई—४ सदस्य

१. श्री भूलाभाई जे० देसाई, बम्बई.
२. श्री एस० के० पटेल, बम्बई.
३. श्री एस० ए० ब्रेलवी, बम्बई.
४. श्री एम० आर० मसानी, बम्बई.

बर्मा—४ सदस्य

१. श्री बी० के० दादा चानजी, रंगून.
२. श्री रामेशनाथ गौतम, रंगून.
३. श्री सोनीराम पोद्दार, रंगून.
४. श्री जनार्दन पी० शुक्ला, रंगून.

देहली—४ सदस्य

१. श्री कृष्णन नैयर, देहली.
२. श्रीमती सत्यवती देवी, देहली.
३. श्री बी० नरसिंह. देहली.
४. श्री बहालसिंह, देहली.

गुजरात—१२ सदस्य

१. श्री मुरारजी आर० देसाई, बम्बई.
२. श्री कन्हैयालाल नानूभाई देसाई, सूरत.
३. श्री चन्दूलाल मनीलाल देसाई, सेवाश्रम, बरोच.
४. श्री ज्योत्स्नाबेन शुक्ला, सूरत.
५. श्री भक्तीलक्ष्मी देसाई, केरा.
६. श्री गोपालदास अम्बेदास देसाई, नडियाड.
७. श्री कल्याणजी विट्ठलभाई सूरत.
८. श्री ईश्वरलाल छोटूभाई देसाई, सूरत
९. श्री लक्ष्मीदास मंगलदास श्रीकान्त, दोहाद.
१०. श्री खाण्डू भाई कसनजी देसाई, अहमदाबाद.

११. श्री हरीप्रसाद पीताम्बरदास, अहमदाबाद.

१२. श्री बेनीलाल छगनलाल बुच, विरमगम.

करनाटक—२० सदस्य

१. श्री के० चेंगलराय रेडी, बैंगलोर.
२. श्री जी०बी० देशपांडे, बेलगाम.
३. श्री एस० आर० हल्दीपुरकर एम० एल० सा०, करवार.
४. श्री एस०के०कगटीकर, बेलगाम.
५. श्री एन० जी० जोशी एम० एल० ए०, बेलगाम.
६. श्री एस०बी०हयरमथ, धारवाड़.
७. श्री के० एस० पटिल एम० एल० ए०, बेलगाम.
८. श्री बे० एन० दतर, बेलगाम.
९. श्री वाई० पार्थनारायण, धारवाड.
१०. श्री एस०एस० सक्री, बागलकोट.
११. श्री कमलादेवी, मैंगलोर.
१२. श्री सी० एम० पूनाचया, कुर्ग.
१३. श्री के० फे० पटिल, धारवाड.
१४. श्री टी० एम० हेगडी, सिरसी.
१५. श्री बी० चन्द्रशेखार्य्या, शिमोगा
१६. श्रीयू०श्रीनिवासमल्लियामगलोर.
१७. श्री टी०राजगोपालअयंगर, मैसूर.
१८. श्री बी० बी० पाटिल, हुबली.
१९. श्री भोजाराव बोलर, मैंगलोर.
२०. श्री टी० सुब्रमंहनैय्यम, मद्रास

केरला—१० सदस्य

१. श्री ई० एम० संकरन नम्बूदीरीपद, कालाकट.
२. श्री पी०कृष्ण पिल्ले, कालीकट.
३. श्री एच०मंजूनाथ राव, कालीकट.
४. मुहम्मद अब्दुर्रहमान, कालीकट.
५. श्री टी०जे० ज्यार्ज, त्रिचूर.
६. श्री ए० बी०कुट्टीमलू, कालीकट.
७. श्री आर० राघव मेनन एम० एल० ए०, पालघाट.
८. श्री सी० के० गोविन्दम् नैय्यर एम० एल० ए०, क्वीलन्दी.
९. श्री जी० रामचन्द्रण, त्रिवन्द्रम्.
१०. श्री के० रमन मेनन, मद्रास.

महाकोशल—१७ सदस्य

१. श्री छेदीलाल एम० एल० ए०, बिलासपुर.
२. श्री डी० के० मेहता, नागपुर.
३. श्री रवीशङ्कर शुक्ला, नागपुर.
४. श्री डी० पी० मिश्रा, नागपुर.
५. श्री गोविन्ददास एम० एल० ए०, जबलपुर.
६. श्री शिवदास दागा एम० एल० ए०, रायपुर.
७. श्री माखनलालचतुर्वेदी खँडवा.
८. श्री बी० बी० सूबेदार एम० एल० ए०, सागर.
९. श्री दीपचन्द गोठी एम० एल० ए०, बेतूल.
१०. श्रीनरसिंहदासअग्रवाल, जबलपुर

११. श्री कुञ्जबिहारीलाल अग्नि-होत्री, बिलासपुर.
१२. श्री निरंजनसिंह बी० ए०, करेली.
१३. श्री अवधेश प्रतापसिंह, रीवां.
१४. श्री मोहनलाल बकलीवाल, द्रुग.
१५. श्री बामन बलीराय लाखे, रायपुर.
१६. श्री अर्जुनसिंह एम० एल० ए०, होशंगाबाद.
१७. डा० पी० जी० सप्रे, सागर.

सहाराष्ट्र—१८

१. श्री शङ्करराव ठकर, धुलिया.
२. श्री के० बी० देशमुख एम० एल० ए०, नगर.
३. श्री शंकरराव देव, पूना ५
४. श्री जी० एच० देशपाण्डे, नासिक सिटी.
५. श्री पंढारीनाथ वमन थानेकर, सतारा.
६. श्री पी० बी० कर्मालकर, रतनागिरी.
७. स्वामी आनन्द, थाना.
८. श्री बामनराव कुलकरनी, शोलापुर.
९. श्री टी० आर० योगिरिकर, पूना.
१०. श्री गोकुलभाई भट्ट, बाबई.
११. डा० क़ाज़ी अब्दुल हमीद, खानदेश.
१२. श्री ए० एस० पटवर्धन, अहमदनगर.
१३. श्री दीपचन्द बोरा, सतारा.
१४. श्री बालगंगाधर खेर, बम्बई.
१५. श्री बी० एल० कवाडी, शोलापुर.
१६. श्री लक्ष्मणशास्त्री जोशी, सतारा.
१७. श्री शंकरशेट कवाड़े, खानदेश.
१८. श्री एन० बी० गाडारील एम० एल० ए०, पूना.

नागपुर—४

१. डा० नारायण भास्कर खरे, नागपुर.
२. श्री जमनालाल बजाज, वर्धा.
३. श्री पूनमचन्द शम्भूराम रँका, नागपुर.
४. श्री चतुर्भुज विट्ठलदास जसानी, गोंडिया.

सीमाप्रांत—४

१. ख़ाँ अब्दुलग़फ़्फ़ारखाँ, पेशावर.
२. अरबाब अब्दुररहमान ख़ाँ, पेशावर.
३. हकीम अब्दुस्सलम, पेशावर.
४. खाँ अलीगुल ख़ाँ, पेशावर.

पंजाब—२६

१. डा० सत्यपाल, लाहौर.
२. श्री राजाराम, लाहौर.
३. श्री दुनीचन्द अम्बालवी एम० एल० ए०, लाहौर
४. श्री श्यामलाल एम० एल० ए० लाहौर.

५. डा० गोपीचन्द भार्गव, लाहौर.
६. श्री केदारनाथ सहगल, लाहौर.
७. श्री नन्दलाल, जरानवाला.
८. श्री काबुलसिंह, जलन्धर.
९. श्री मुनमराय एम० ए०, फीरोजपुर.
१०. मियां इफ्तिखारउद्दीन एम० एल० ए०, लाहौर.
११. श्री नेकीराम शर्मा, हिसार.
१२. श्री श्रीराम शर्मा एम० एल० ए०, रोहतक.
१३. श्री अब्दुलग़नी, लुधियाना.
१४. हकीम अहमद हसन, अमृतसर.
१५. श्री मोहम्मदद्दीन, लाहौर.
१६. मुन्शी अहमद्दीन, लाहौर.
१७. श्री मुबारक सागर, मेरठ.
१८. श्री सोहनसिंह जोश, अमृतसर,
१९. श्री भगतसिंह विलगा, लाहौर.
२०. श्री मोटासिंह, जलन्धर.
२१. श्री तारासिंह, अमृतसर.
२२. श्री भगतसिंह चनाना, लायलपुर.
२३. श्री प्रतापसिंह एम० एल० ए०, अमृतसर.
२४. श्री तेजासिंह, शेख़पुरा.
२५. स्वामी बालस्वरूप, लाहौर.
२६. श्री भागसिंह, गुरुदासपुर.

सिन्ध—४

१. श्री जयरामदास दौलतराम, हैदराबाद.
२. डा० चौथराम पी० गिडवानी, करांची
३. श्री हरीदासलाल जी, करांची.
४. श्री मचानन्द फेरूमल, सिन्ध.

तामिलनाड्—२८

१. श्री सी० राजगोपालचारी, मद्रास.
२. श्री एस० रामनाथम्, मद्रास.
३. श्री एम० भक्तवत्सलम्, मद्रास.
४. श्री एल० नेट्सन्, रामनद.
५. श्री ए० एम० पी० सुब्बारोया. नेगापट्टम्.
६. श्री एस० सत्यमूर्त्ति, मद्रास.
७. श्री के० कामराज नादर एम० एल० ए०, विरूधूनगर.
८. श्री एन० एम० आर० सुब्रामन एम० एल० ए०, मदूरा.
९. श्री टी० एस० अविन शलिङ्गम, कोयम्बटूर.
१०. श्री आर० वी० स्वामीनथन, रामनद.
११. श्री के० वी० वेंकटाचाला, रेड्डियर, नमकल.
१२. श्री पी० राममूर्ति, मद्रास.
१३. श्री टी० एन० रामचन्द्रम्, निगापट्टम.
१४. श्री एन० सुब्रामुनिया ऐय्यर, कोयम्बटूर.
१५. डा० पी० सुबरैयन एम० एल० ए०, मद्रास.
१६. डा० टी० एस० राजन एम० एल० ए०, मैलापुर.

१७. श्री के० सन्तानम् एम० एल० ए०, मद्रास.
१८. श्री सी०एन०मुथुरङ्गा चिंगलीपुर.
१९. श्री पी० रमास्वामी, दक्षिणी अर्काट.
२०. श्री के०एस०मुथुस्वामी,रामनद.
२१. श्री एस० ओ० एस० पी० ओडेयप्पा, रामनद.
२२. श्री ए०वेदरतनाम पिल्ले,तँजोर.
२३. श्री पी० एस०कुमारस्वामी राजा एम० एल० ए०, रामनद.
२४. श्री रुक्मिणी लक्ष्मी पथी, मद्रास.
२५. श्री एम० ए० ईश्वरम्, इरोडी.
२६. श्री पी० जीवनन्दम, मद्रास.
२७. श्रीएन० सोमासुन्दरम्, वैलोर.
२८. श्री शफ़ी मुहम्मद, मद्रास.

संयुक्तप्रांत—५९

१. श्री बालकृष्ण शर्मा, कानपुर.
२. श्री रघुवरदयाल मिश्रा, बुलन्दशहर.
३. डा० जे०ए०अहमद,इलाहाबाद.
४. श्री जगन्नाथसिंह, बलिया.
५. श्री सरजूप्रसाद, मेरठ.
६. श्री कृष्णचन्द्र पंगोरिया झाँसी.
७. श्री जी० बी० पन्त, लखनऊ.
८. श्री नन्दकुमार देव, अलीगढ़.
९. श्री बृजमोहनलालशास्त्रीबरेली.
१०. श्री ज्वालाप्रसाद जिज्ञासु अलीगढ़.
११. श्री विष्णुशरण दुबलीश, मेरठ.
१२. श्रीमती उमा नेहरू, एम० एल० ए०, लखनऊ.
१३. श्री मलखानसिंह एम० एल० ए०, अलीगढ़.
१४. श्री चन्द्रभानु गुप्त एम० एल० ए०, लखनऊ.
१५. श्री विजयपालसिंह, मेरठ.
१६. श्री जुगलकिशोरद्विवेदी,फ़तेहपुर.
१७. श्री रघुपतिसिंह, इटावा.
१८. श्री गनपतसहाय, सुलतानपुर.
१९. श्री प्रकाशचन्द्र अग्रवाल, फ़र्रुखाबाद.
२०. श्री रामगोपाल गुप्ता,हमीरपुर.
२१. श्री केदारनाथ भार्गव, मथुरा.
२२. श्री ब्रह्मदत्त शुक्ला,शाहजहाँपुर.
२३. श्री विशम्भरदयाल त्रिपाठी, उन्नाव.
२४. श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, आगरा.
२५. मौलवीइद्रिसखाँ लोदी, बदायूँ.
२६. मौलवी अब्दुललतीफ़ बिजनौर.
२७. श्री एम० हिफ़ैजुर रहमान, मुरादाबाद.
२८. श्री रफ़ीअहमदकिदवई,लखनऊ.
२९. श्री एम० हुसैन अहमद, सहारनपुर.
३०. श्री गंगासहाय चौबे, कानपुर.
३१. डा० के० एम० अशरफ़, इलाहाबाद.

३२. डा० मुरारीलाल, कानपुर.
३३. श्रीरामनरेश सिंह एम० एल० ए०, जौनपुर.
३४. श्री एम० एन० राय, बम्बई.
३५. प्रो० शिब्बनलाल एम० एल० ए०, गोरखपुर.
३६. श्री बिन्ध्यबासिनीप्रसाद, गोरखपुर.
३७. श्री गोविन्दसहाय, बिजनौर.
३८. श्री गोपालनारायण सक्सेना, सीतापुर.
३९. श्री बेनीकृष्ण
४०. श्री पुरुषोत्तमदासटंडन, लखनऊ.
४१. श्री सरदार नर्मदाप्रसाद सिंह, इलाहाबाद.
४२. श्री यूसुफ़ इमाम, मिर्ज़ापुर.
४३. प्रो० रामसरन एम० एल० ए०, बनारस.
४४. श्री सम्पूर्णानन्द एम० एल० ए० लखनऊ.
४५. श्री अचलसिंह एम० एल० ए०, आगरा.
४६. श्री कालीचरनटंडन, फ़र्रुख़ाबाद.
४७. श्री दामोदरस्वरूप सेठ, बरेली.
४८. श्री मंजरअली सोख़्ता, उन्नाव.
४९. श्री कमलाप्रसाद शुक्ला, गोंडा.
५०. श्री मोहनलाल सक्सेना एम० एल० ए०, लखनऊ.
५१. श्री हरिहरनाथ शास्त्री एम० एल० ए०, कानपुर.
५२. श्री नरेन्द्रदेव एम० एल० ए०, लखनऊ.
५३. श्री दीनदयाल शास्त्री सहारनपुर.
५४. श्री रघुनाथप्रसाद राय, आजमगढ़.
५५. श्री श्रीकृष्णशङ्कर श्रीवास्तव, गोरखपुर.
५६. श्री बिमलप्रसाद जैन, मेरठ.
५७. श्री जे० बी० कृपलानी, इलाहाबाद.
५८. श्री लालबहादुर शास्त्री एम० एल० ए०, इलाहाबाद.
५९. श्री रघुकुलतिलक, बनारस.

अटकल—१६

१. श्री हरीकृष्ण मेहताब, कटक.
२. श्री भागीरथी महापत्र, कटक.
३. श्री नित्यानंद कानूनगो, कटक.
४. श्री ब्रनकृश्न पधायारी, कटक.
५. श्री नन्दकिशोर दास, बेलासोर.
६. श्री राधाकृष्ण बिश्वास राय, कोरायत.
७. श्री लिंगाराज मिश्रा, कटक.
८. श्री गोदावरीश मिश्रा, पुरी.
९. श्री नीलकंठ दास, पुरी.
१०. श्री प्राणनाथ पट्टनेक
११. श्री निरंजन पट्टनेक, गंजम.
१२. श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र, सम्बलपुर.
१३. श्री विश्वनाथदास, कटक.

१४. श्री दिवाकर पट्टनेक, गंजम.
१५. श्री के० वीरराजू, गंजम.
१६. श्री मालती चौधरी, कटक.

विदर्भ—४

१. श्री बृजलाल ब्यानी, अकोला.
२. श्री के० बी० सहस्रबुधे, अकोला.
३. श्री एम. एस. अणे एम० एल० ए०, यवतमहल.
४. डा० नारायण जुगलाजी, यवतमहल.

कांग्रेस के प्रान्तीय पदाधिकारी

अजमेर

दफ़्तर—कचहरी रोड, अजमेर
सभापति—श्री हरिभाऊ उपाध्याय
मन्त्री—१. प्रो० गोकुल लाल
२. श्रीकृष्ण गोपाल गर्ग
३. श्रीबालकृष्ण गर्ग

आंध्र

दफ़्तर—मछलीपट्टम्
सभापति—श्री बी० पट्टाभी सीतारमैय्या
प्रधान मन्त्री—श्रीगोटी पाटी ब्रह्मैय्या

आसाम

दफ़्तर—गोहाटी
सभापति—श्री विष्णुराय मेधी
प्रधान मन्त्री—श्री सिद्धिनाथ समीर एम्० एल० ए०
कोषाध्यक्ष—डा० हरीकृष्णदास

विहार

दफ़्तर—पटना
सभापति—श्री राजेन्द्रप्रसाद
प्रधान मन्त्री—श्री विपिनबिहारी वर्मा

बम्बई

दफ़्तर—बम्बई
सभापति—श्री भूलाभाई जे० देसाई
प्रधान मन्त्री—१. श्री एस० के० पाटिल
२. श्री जी० एन० देसाई
कोषाध्यक्ष—श्री भावनजी ए० खीमजी

बरमा

दफ़्तर—रंगून
सभापति—श्री बी० के० दादा चानजी
मन्त्री—श्री के० नटरंजन
कोषाध्यक्ष—श्री मोहनलाल कालीदास

देहली

दफ़्तर—चाँदनी चौक, देहली
सभापति—श्रीमती दुर्गा बोहरा
प्रधान मन्त्री—श्री सी० कृष्णन नैयर

गुजरात

दफ़्तर—अहमदाबाद
सभापति—श्री वल्लभभाई पटेल
मन्त्री—१. श्री भोगीलाल धीरज राय लाला
२ श्री जीवनलाल हरीप्रसाद दीवान

करनाटक

दफ्तर—धारवाड़
सभापति—श्री जी० बी० देशपांडे
प्रधान मन्त्री—श्री जी०बी० हर्लीकेरी
कोषाध्यक्ष—श्री आर० एस० हुक्केरीकर धारवाड़

केरल

दफ़्तर—कालीकट
सभापति—श्री मुहम्मद अब्दुलरहमान
मन्त्री—श्री ई० एम० शङ्करम् नम्बूदीरीपद
कोषाध्यक्ष—श्री पी० नारायन नैयर

महाकोशल

दफ़्तर—जबलपुर
सभापति—श्री छेदीलाल
प्रधान मन्त्री—१. पं० बद्रीनाथ दुबे
२. पं० अम्बिकाचरन शुक्ला
कोषाध्यक्ष—श्री जमनालाल चौपड़ा

महाराष्ट्र

दफ़्तर—पेठ पूना २
सभापति—श्री केशवराव मारुतराव जेधे एम० एल० ए०
मन्त्री—१. श्री जी० ए० देशपांडे
२. श्री टी० आर० दोगिरीकर
कोषाध्यक्ष—डा० बी० सी० लागू

नागपुर

दफ़्तर—नागपुर
सभापति—श्री जमनालाल बजाज
मन्त्री—१. श्री ई० एस० पटवर्धन
२. श्री एन० एम० घाटवाई
कोषाध्यक्ष—श्री भिकूलालजी लक्ष्मीचंद चन्दक एम० एल० ए०

सीमाप्रांत

दफ़्तर—पेशावर
सभापति—ख़ान गुलाम मुहम्मद
प्रधानमन्त्री—ख़ानअली गुलख़ान
कोषाध्यक्ष—ख़ान अरबाब अब्दुलरहमान एम० एल० ए०

पंजाब

दफ़्तर—लाहौर
सभापति—डा० सत्यपाल
प्रधानमन्त्री—श्री राजाराम
अर्थमन्त्री—श्री पिण्डीदास

तामिल नाडू

दफ़्तर—मद्रास
सभापति—श्री सी० एन० मुथूरंगा मुदालियर
मन्त्री—१. श्री सी० पी० सुबिया एम० एल० ए०, मद्रास
२. श्री के० एस० मुथुस्वामी
कोषाध्यक्ष—श्री पी० एस० अविनाशलिंगम् चेत्यर

संयुक्तप्रांत

दफ़्तर—लखनऊ
सभापति—श्री मोहनलाल सक्सेना
प्रधानमन्त्री—श्री आर०एस० पंडित एम० एल० ए०

कोषाध्यक्ष—सरदार नर्बदाप्रसादसिंह

उत्कल

दफ़्तर—कटक

सभापति—श्री हरीकृष्ण मेहताब

मन्त्री—श्री लोकनाथ मिश्र

कोषाध्यक्ष—श्री अचलबिहारी आचार्य

विदर्भ

दफ्तर—बरार

सभापति—श्री बृजलाल ब्यानी

मन्त्री—डा० एस० एल० काशीकर

कोषाध्यक्ष—राजस्थान प्रिंटिंग ऐण्ड लिथो वर्क्स लिमिटेड, अकोला

नेशनल लिबरल फिडरेशन।

सन् १९०७ के पहिले से ही कांग्रेस में दो दल (गरम और नरम) बन गये थे। गरम दल में वे लोग थे जो राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रबलता से चलाना चाहते थे और स्वदेशी व बायकाट शस्त्रों का पूर्णरीति से उपयोग करना चाहते थे। इस दल के नेता लो० बाल गंगाधर तिलक, श्री० अरविन्द घोष, श्री० विपिन चन्द्रपाल प्रभृति सज्जन थे। नरम दल में वे थे जो धीमी चाल चलना चाहते थे और सरकार से मुठभेड़ करने पर तत्पर न थे और न किसी प्रकार सरकारी रोष का मुकाबला करने पर हा तैयार थे। सन् १९०७ की सूरत कांग्रेस में यह दल स्पष्ट रीति से पृथक् २ दिखाई देने लगे और कांग्रेस में गड़बड़ी मच जाने के कारण कांग्रेस की बैठक न हुई। बाद की कांग्रेस नरम दलवालों के हाथों में ही रही। सन् १९१६ में आपसी समझौता होने पर लखनऊ की कांग्रेस में गरम दल के नेता सम्मिलित हुए। किन्तु यह एका बहुत दिन न चला। सन् १९१७में मिस्टर मांटेगू (भारत-मंत्री) ने घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत को स्वराज्य देने का है किन्तु उसकी मात्रा तथा समय ब्रिटिश पार्लमेंट निश्चित करेगी। सन् १९१८ में मांटेगू-चेम्सफोर्ड-रिपोर्ट प्रकाशित हुई। इसी समय नरम और गरमदलों में अधिक अन्तर पड़ गया। प्रश्न यह आगे आया कि सुधारों का किस प्रकार स्वागत करना चाहिए। गरम दल चाहता था कि रिपोर्ट बिलकुल अमान्य कर दी जावे। नरम दल इसके लिए तैयार न था।

अगस्त १९१८ में कांग्रेस का

विशेष अधिवेशन बम्बई में हुआ। जिसमें मांटेगू-चेम्सफोर्ड-रिपोर्ट पर विचार किया गया किन्तु उसमें नरम दल के लोग न आये। उन्होंने अपनी एक अलग कान्फ्रेंस कायम की जिसका नाम "आल इण्डिया माडरेट कान्फ्रेंस" रक्खा। यह बैठक श्रीयुत सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के सभापतित्व में बम्बई में हुई। इस कान्फ्रेंस में यह निश्चय कर लिया गया कि कांग्रेस से अलग रहकर ही नरम दल अपना कार्य करेगा। दिसम्बर में फिर कान्फ्रेंस हुई और इसका नाम "आल इंडिया लिबरल फिडरेशन" हुआ। बाद को नाम "नेशनल लिबरल फिडरेशन" हो गया।

१९१८ (दिसम्बर) की कान्फ्रेंस में यह खास रीति से प्रगट किया गया कि सुधार-रिपोर्ट से देश का लाभ है और भारतवासियों को राजनैतिक क्षेत्र में तथा प्रबन्धक्षेत्र में अनेक सुविधाएँ दी गई हैं और यह लिबरल दल उसे स्वीकार करने पर तैयार है।

इसके बाद सन् १९२० में कांग्रेस ने असहयोग - आन्दोलन आरम्भ किया। लिबरल दल इसमें शामिल नहीं हुआ। सन् १९२१ व १९२२ के अधिवेशनों में असहयोग, सविनय आज्ञाभंग करना (Civil Disobedience), बायकाट आदि का निषेध किया गया।

इस दल का उद्योग केवल वैध (Constitutional) आन्दोलन द्वारा ही राजनैतिक स्वत्वों को माँगना है। (Direct Action) प्रत्यक्ष कार्य के यह दल विरुद्ध है। कौंसिलों में प्रवेश करके कार्य करना इस दल का मुख्य कार्यक्रम है। सन् १९२८ में सायमन-कमीशन के बायकाट में लिबरल दल ने कांग्रेस का साथ दिया। नेहरू-कमेटी की रिपोर्ट की तय्यारी में भी लिबरल दल के नेताओं ने साथ दिया।

कांग्रेस द्वारा स्वाधीनता का प्रस्ताव पास होने से लिबरल दल राष्ट्रीय राजनीति से और भी अधिक दूर हो गया। सरकार द्वारा नियोजित लिबरल दल के प्रतिनिधि सब राउंडटेबल कान्फ्रेन्सों में शामिल हुए और १९३० से १९३३ तक के असहयोग-आन्दोलनों की निन्दा न्यूनाधिक प्रत्येक लिबरल नेता ने की।

गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट १९३५ की निन्दा लिबरल दल ने अपने वार्षिक अधिवेशनों तथा सभास्थलों पर की है किन्तु पूर्ववत् यह नीति प्रकट की है कि नये विधान का बायकाट न किया जावे। इस नये विधान के अनुसार सन् १९३७ के प्रान्तीय एसेम्बलियों के चुनाव के पहिले ऐसा प्रयत्न किया गया था

कि लिबरल दल तथा कांग्रेस संयुक्त रूप से चुनाव लड़े किन्तु वह प्रयत्न निष्फल रहा और इस चुनाव में लिबरल दल बिलकुल सफल नहीं रहा।

चुनाव के बाद लिबरल दल ने कांग्रेस पर जोर दिया कि जब कांग्रेसी सदस्यों का बहुमत है तो मंत्री-पद ग्रहण करना चाहिये।

सर पी. सी. एस. शिवस्वामी अय्यर, मि० सी. वाई. चिन्तामणि, डा० सर तेजबहादुर सप्रू, श्री० श्रीनिवास शास्त्री, सर चिमनलाल सीतलवाद, पं० हृदयनाथ कुंजरू, प्रभृति सज्जन इस संस्था के आधार-स्तम्भ हैं।

सन् १९२८ में साइमन-कमीशन के बायकाट में लिबरल दल ने कांग्रेस का साथ दिया और उसने सब प्रकार से कमीशन का बायकाट किया। नेहरू-कमेटी की तैयारी तथा सर्वदल-सम्मेलन की कार्यवाही में भी नरम दल के नेताओं ने भाग लिया।

मुसलिम-लीग।

मुसलिम-लीग की स्थापना सन् १९०६ में हुई। इसके पहिले मुसलमानों ने राजनीति में बहुत कम भाग लिया। सर सैयद अहमद की नीति थी कि मुसलमानों को राजनीति में न पड़ना चाहिये, इसलिये उन्होंने शिक्षा की ओर ही ध्यान दिया। कुछ मुसलमान कांग्रेस में आते रहे किन्तु मुसलमान-समाज शामिल नहीं हुआ।

सन् १९०६ के करीब जब कौंसिल-सुधार का प्रश्न छिड़ा उस समय मुसलमानों ने अपने स्वत्वों की रक्षा का विचार किया और हिज़ हाइनेस दी आगा खां के नेतृत्व में वाइसराय के पास एक मुसलमान शिष्ट मंडल गया और अपनी माँग लिखकर पेश की। उसी समय मुसलमानों ने यह भी सोचा कि राजनैतिक प्रश्नों को, जो विशेषतः मुसलमानों से सम्बन्ध रखते हैं, सोचने तथा उन पर विचार करने के लिए यह आवश्यक है कि कांग्रेस से भिन्न एक संस्था कायम की जावे। इन्हीं कारणों से मुसलिम-लीग की स्थापना हुई।

सन् १९१२ व सन् १९१३ में परिस्थिति में अन्तर पड़ने से मुसलमानों के विचारों में परिवर्तन हो गया। पहिले कार्यकारिणी सभा की बैठक में और पीछे वार्षिक

अधिवेशन में मुसलिम-लीग के ध्येयों में "भारत के लिए स्वराज्य शासन की प्राप्ति" का ध्येय भी जोड़ दिया गया।

सन् १९१८ में मांटेगू-चेम्सफोर्ड-रिपोर्ट प्रकाशित हुई। उसके पहिले मुसलिम-लीग ने कांग्रेस के साथ स्वराज्य की एक योजना बनाई, जिसे "कांग्रेस-लीग-स्कीम" कहते हैं, जो मि० मांटेगू के सामने पेश की गई थी।

सन् १९१९ की अमृतसर कांग्रेस के समय मुसलिम-लीग की राजनीति और कांग्रेस की नीति में कुछ भेद नहीं रहा।

सन् १९१६ में कांग्रेस और लीग के बीच एक 'पैक्ट' हो गया था जिसके द्वारा मुसलमानों की प्रतिनिधि संख्या कौंसिलों में निश्चित कर दी गई थी। यही पारस्परिक निश्चय मुसलमानों के लिए गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट [१९१९] में स्वीकृत कर लिया गया था।

खिलाफत कमेटी सन् १९२० में स्थापित होने से मुसलिम-लीग का अस्तित्व मिट सा गया और ६-७ वर्ष तक अधिवेशनोंके अतिरिक्त कोई विशेष कार्य इस संस्था द्वारा नहीं हुआ।

सन् १९२७ में सायमन-कमीशन नियत हुआ और साथ २ सर्वदल सम्मेलन की योजना भी देशकी ओर से हुई। मुसलिम-लीग में दो भाग हो गये। सर मुहम्मद शफी ने लीग को अपने कब्जे में करना चाहा और कोशिश की कि सायमन - कमीशन का बायकाट न हो।

दिल्ली में सन् १९२८ में सर्वदल मुसलिम-सम्मेलन का अधिवेशन सर आगा खां के सभापतित्व में हुआ। एसेम्बली में ३३ प्रतिशत मेंबर मुसलमान होना चाहिये, ऐसी माँग का समर्थन किया गया।

सन् १९३० व १९३१ की राउंड-टेबल कान्फ्रेंसों में मुसलिम-लीग शामिल हुई और ब्रिटिश सरकार की भेदनीति के कारण हिन्दू व मुसलिम-समाजों का संयुक्त निर्वाचन मुसलिम-लीग तथा अन्य मुसलमान मेंबरों ने पसन्द न किया। फलतः मि० रेमजे मेकडानेल्ड प्रधान मन्त्री ने "साम्प्रदायिक निर्णय" (Communal award) दे दिया और मुसलमानों के लिए पृथक् निर्वाचन तथा सुरक्षित सदस्य संख्या एसेम्बलियों में दे दी। सन् १९३४ में यह प्रयत्न किया गया था कि अ ल पार्टी मुसलिम कान्फ्रेंस और मुसलिम-लीग मिलकर काम करें किन्तु वह निष्फल रहा।

सन् १९३६ के आरम्भ में जो वार्षिक अधिवेशन हुआ उसमें मि० जिन्ना ने मुसलमानों को संगठित होने तथा राजनीति में सक्रिय भाग लेने के लिए कहा। एक केन्द्रीय पार्लीमेंटरी बोर्ड बनाया गया और उसके अधीन प्रान्तीय बोर्ड भी बनाये गये।

सन् १९३७ के प्रान्तीय एसेम्बली के चुनाव में मुसलिम-लीग ने अपने उम्मीद्वार खड़े किये। बंगाल में उसके आधे उम्मीदवार सफल हुए। यू० पी० एसेम्बली में ३५ उम्मीद्वारों में से २९ सफल हुए। मद्रास में ११ उम्मीद्वार एसेम्बली के लिए खड़े किये गये जिसमें १० सफल हुए। बम्बई में ३० मुसलिम सीटों में २० मुसलिम-लीग को मिलीं। आसाम में ३४ सीटों में से ९ लीग को मिलीं। मि० जिन्ना ने यह घोषित किया कि लीग के मेंबरान अन्य पार्टियों से सहयोग करेंगे किन्तु कांग्रेस और लीग का सहयोग न हो सका। मुसलिम-लीग ने मि० जिन्ना द्वारा यह दावा आरम्भ किया कि कुल भारतीय मुसलमानों की लीग ही एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है और कांग्रेस पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकती। वह एक पार्टी है। यह दृष्टिकोण एकता का पोषक नहीं हो सकता है, ऐसा स्पष्ट हो गया। पंजाब और बंगाल में मुसलिम लीग ने कांग्रेस के अतिरिक्त अन्य सदस्य समूहों से मिलकर मंत्रिमण्डल बनाये हैं।

हिन्दू महासभा

अप्रैल १९१५ में यह सभा आल इण्डिया हिन्दू सभा के नाम से प्रारम्भ की गई। उद्देश्य यह था कि विभिन्न हिन्दू जातियों में एकता कायम की जावे। इस सभा में प्रगतिशील हिन्दू लोग ही शामिल हुये। अछूतोद्धार, विधवा-विवाह, शुद्धि और सङ्गठन के कार्य इस सभा के सदस्यों ने बड़ी रुचि के साथ किये हैं। आरम्भ से ही इस सभा में राजनैतिक वातावरण रहा और कुछ दिनों से इस सभा ने हिन्दुओं के राजनैतिक स्वत्वों की रक्षा की ओर अपना विशेष ध्यान देना आरम्भ किया है। सन् १९२३ में आल इंडिया हिन्दू सभा का नाम बदलकर हिन्दू महासभा हो गया। सन् १९२६ के कौंसिल और एसेम्बली के चुनाव में हिन्दू महासभा ने अपने उम्मेद्वार भी खड़े कर दिये थे। कुछ वर्षों से हिन्दू महासभा के सभापति राजनैतिक नेता होते हैं। देश और विदेशों में २००० शाखा सभायें हैं।

हिन्दू महासभा ने सदैव साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का विरोध किया है। सायमन-कमीशन के बायकाट में भी हिन्दू सभा अग्रसर रही है। राउंड टेबल कान्फ्रेन्स तथा "कम्यूनल अवार्ड" के संबंध में भी महासभा ने अपनी दृष्टि राष्ट्रीय रखी है। मुसलिम लीग के साम्प्रदायिक कार्यों का विरोध करती है। महासभा ने अपना ध्येय बदलकर निम्नलिखित कर लिया है—

हिन्दू जाति, हिन्दू संस्कृति और हिन्दू सभ्यता तथा हिन्दूराष्ट्र के गौरव और उत्थान की रक्षा, स्थिरत्व तथा उन्नति तथा हिन्दुस्थान के लिये सब उचित उपायों द्वारा पूर्ण स्वराज्य अर्थात् अपरिमित राजनैतिक स्वातंत्र्य हिन्दू सभा के ध्येय हैं।

हिन्दू महासभा ने अपने अधिवेशनों द्वारा भारत के अंग्रेजों द्वारा निःशस्त्रीकरण का बड़े ज़ोरदार प्रस्तावों से निषेध किया है। सन् १९३५—३६ के एक प्रस्ताव द्वारा "सेन्ट्रल हिन्दू मिलिटरी एजूकेशन सोसाइटी" तथा "भोंसला मिलिटरी स्कूल" नासिक की स्थापना पर डा० मुंजे को बधाई दी थी। गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ऐक्ट को भी अपर्याप्त और असंतोषजनक कानून मानकर उसका विरोध किया था।

सन् १९३६ में होनेवाले अधिवेशन के सभापति जगद्गुरु शंकराचार्य डा० कुर्तकोटी थे। उनके सभापतित्व में अनेक प्रस्ताव अछूतोद्धार, हरिजनों के लिये मंदिर-प्रवेश, गोरक्षा तथा अन्य प्रस्ताव राजनीतिविषयक पास हुए।

मजदूर-आन्दोलन

प्रारंभिक काल।

श्री० नारायण मेघाजी लोखण्डे ने पहिला मज़दूर-संघ बम्बई में सन् १८६० में खोला। उन्होंने एक समाचारपत्र "दीनबन्धु" भी आरंभ किया। अनेक वर्षों तक मजदूर-संघों की संख्या न बढ़ी। इसके अनेक कारण थे—मुख्य मजदूरों की अपढ़ता तथा सुशिक्षित वर्ग का इस कार्य की ओर दुर्लक्ष्य।

सन् १६१० में दूसरा "यूनियन" मजदूर-संघ खुला और धीरे धीरे प्रगति होने लगी। सन् १६१८ में मि० वी. पी. वाडिया ने मद्रास बाकिंगहम और कर्नाटक मिलों के मजदूरों का सङ्गठन किया। सन् १६१६ में ४ 'यूनियन' और २०००० मेम्बर हो गए। अब इस समय प्रत्येक औद्योगिक केन्द्र में सब प्रकार के संघ मौजूद हैं और सदस्य लाखों की संख्या में हैं।

सन् १८८१ में पहिला फैक्टरी ऐक्ट पास किया और सन् १८६१ में सशोधित हुआ। किन्तु इस ऐक्ट से कोई लाभ न हुआ। मिल-मालिक मजदूरों से ज्यादा घण्टे काम लेते रहे। उनके साथ निर्दयता का व्यवहार करते रहे और अन्य प्रकार की असुविधायें भी उनके लिए बनी रहीं। सन् १६०७ में ब्रिटिश सरकार द्वारा फैक्टरी लेबर कमीशन नियत हुआ जिसकी रिपोर्ट सन् १६०८ में प्रकाशित हुई। फलतः १६११ के फैक्टरी ऐक्ट ने दैनिक घण्टों को निश्चित कर दिया। सन् १६१६ में 'लीग आफ नेशन्स' (राष्ट्रसंघ) योरुप में बना। भारत को भी सदस्य के नाते मजदूरों के प्रश्नों पर विचार करना पड़ा। भारत के प्रतिनिधि "अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कान्फ्रेंस" वाशिंगटन में सम्मिलित हुए और भारत-सरकार पर भी मजदूरों के लिए उचित कानून बनाना बाध्य हुआ।

संगठित रूप का जन्म

मजदूर-आन्दोलन का संगठित रूप सन् १६१८ से आरंभ होता है। साल भर के अन्दर देश भर में विभिन्न व्यवसायों में मजदूर-संघों की स्थापना हो गई।

दिसम्बर १६१६ में बम्बई के फैक्टरियों के मजदूरों की एक कान्फ्रेंस हुई जिसमें ७१ फैक्टरियों के सदस्य उपस्थित थे। उन्होंने एक "मेमोरैंडम" बनाया जिसमें 'दैनिक घंटों' में कमी तथा मजदूरी

में बढ़ती की माँगें रक्खी गईं। मिल-मालिकों ने इस ओर कुछ ध्यान न दिया जिसके कारण अनेक हड़तालें हुईं। सन् १९१९ से हड़तालों का युग आरंभ होता है। कोई वर्ष उसके बाद ऐसा नहीं है जिसमें मिलों के या रेलवे के मजदूरों की हड़तालें न हुई हों। इसी साल में जी. आई. पी. रेलवे के झांसी वर्कशाप में हड़ताल हुई जिसमें करीब १०००० मजदूर २८ दिन तक काम पर नहीं गये। श्री० र. वि. धुलेकर मजदूरों का पक्ष लेकर बम्बई गये और मजदूरों की मजदूरी में बढ़ती करवाई। छुट्टी व पासों में भी सुविधा हो गई।

ट्रेड यूनियन कांग्रेस

सन् १९२० में मजदूर-आन्दोलन जोर पकड़ गया और उसने राष्ट्रीय स्वरूप भी धारण कर लिया। ३१ अक्टूबर १९२० को बम्बई में प्रथम "आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस" ला० लाजपतराय की अध्यक्षता में हुई। दूसरी ट्रेड यूनियन कांग्रेस" नवम्बर १९२१ में झरिया में हुई। इस कांग्रेस में १०००० प्रतिनिधि १०० संघों से आये थे। तीसरी कांग्रेस लाहौर में श्री० सी. आर. दास की अध्यक्षता में हुई। सन् १९२७ की कांग्रेस कानपुर में हुई जिसके अध्यक्ष दीवान चिमनलाल थे। सन् १९२८ की ट्रेड यूनियन कांग्रेस झरिया (बङ्गाल) में हुई।

भारतदेश सन् १९२२ में अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर कान्फ्रेंस का स्वतन्त्र रूप से सदस्य बनाया गया और ८ महत्त्व-शाली औद्योगिक राष्ट्रों में उसका स्थान है। इस प्रकार इस कान्फ्रेंस के सब प्रस्ताव भारत पर लागू हैं।

फैक्टरी कानून

सन् १९११ के फैक्टरी ऐक्ट के मुख्य अंश यह हैं (१) फैक्टरी की परिभाषा में वे भी औद्योगिक फैक्टरियां रक्खी गईं जो केवल फसल पर चलाई जाती हैं। (२) बच्चों और स्त्रियों के दैनिक घंटों में कमी करके घंटे निश्चित कर दिए गए और उन्हें रात में सिवाय (वीविंग और प्रेसिंग फैक्टरियों के) सबमें काम करने की मनाई कर दी गई। (३) मजदूरों का स्वास्थ्य, फैक्टरियों की जांच आदि के लिए भी नियम बनाये गए। (४) प्रौढ़ मजदूरों के दैनिक घंटे (बुनाई की फैक्टरियों में) अधिक से अधिक १२ कर दिये गये।

वाशिंगटन कान्फ्रेंस के प्रस्तावों के कारण सन् १९२२ में यह ऐक्ट फिर बदला गया जिसमें यह बातें रक्खी गईं। (१) एक सप्ताह ६०

घण्टे का रक्खा गया। (२) मजदूर बच्चों की उम्र ९ से १२ तक कर दी गई। १२ वर्ष की उम्र से नीचे कोई बच्चा काम न कर सकेगा। (३) स्त्रियाँ रात को काम न कर सकेंगी। (४) छोटी छोटी फैक्टरियों में भी ऐक्ट लागू किया गया। यह ऐक्ट सन् १९२३, १९२६ और १९३१ में फिर संशोधित हुआ।

सन् १९२३ में एक ऐक्ट पास किया गया जिसके द्वारा मजदूरों को दुर्घटना से चोटें लगने पर फैक्टरी के मालिक ने मुआवजा देना अनिवार्य कर दिया।

ट्रेड यूनियन कानून

मार्च सन् १९२१ में मि० एन. एम. जोशी एम. एल. ए. ने एसेम्बली में प्रस्ताव पेश किया कि एक कानून बनाया जावे जिससे "ट्रेड यूनियनों" की रजिस्ट्री हो सके और उनकी रक्षा भी हो। भारत-सरकार ने सितम्बर १९२१ में इस विषय पर सब प्रान्तीय सरकारों से राय माँगी। एक बिल बनाया गया जो पुनः राय के लिए भेजा जाकर ३१ अगस्त १९२५ को एसेम्बली में पेश हुआ। लेजिस्लेटिव एसेम्बली ने उसे ८ फरवरी १९२६ को और कौंसिल आफ स्टेट ने उसे २५ फरवरी १९२६ को पास किया। इसके अनुसार संघ बनाना, उसके उद्देश्यपूर्ति के लिए आपस में कोई इकरार करना कानूनी समझा जावेगा। इसी प्रकार ट्रेड यूनियन या उसके सदस्यों के खिलाफ कोई दीवानी या फौजदारी मुकदमा न चलाया जावेगा इस कारण कि "ट्रेड डिस्प्यूट" (व्यापारी झगड़े) के सुलझाने के लिए कोई ऐसा काम किया गया है जिससे मजदूरों ने मालिकों के साथ अपना इकरार तोड़ दिया है या कुल मिलकर काम करने पर तैयार नहीं हैं।

सन् १९२३ से जो हड़ताल अहमदाबाद के मिल-मजदूरों ने की वह १ अप्रैल सन् १९२३ से ४ जून १९२३ तक चली। ४३,११३ मनुष्यों ने काम छोड़ दिया था।

सन् १९२४ में बम्बई में रुई की मिलों में हड़ताल हुई। झगड़ा 'बोनस' बन्द कर देने पर हुआ। १७ जनवरी से हड़ताल शुरू हुई और २५ मार्च तक चली। सरकार ने सर नोरमैन मैकलियड चीफ जस्टिस बम्बई हाईकोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी नियत की। कमेटी ने मजदूरों के विरुद्ध फैसला दिया।

सन् १९२४ में १३३ झगड़े मिल-मालिकों और मजदूरों में भारत में हुए। ३,१२,४६२ मजदूरों ने काम

छोड़ा । ८७,३०,६१८ दिन काम बन्द रहा । सन् १९२५ में हड़तालें व झगड़े बढ़ गए । झगड़े १३४, मजदूरों की संख्या जिन्होंने काम छोड़ा २,७०,४२३ और काम १,२५,७८,१२९ दिन बन्द रहा। सन् १९२६ व १९२७ में भी यही हाल रहा।

मजदूर-आन्दोलन में राजनीति

सन् १९२७ से मजदूर-आन्दोलन में राजनीति का प्रवेश होता है। कानपुर के ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन में क्रांतिकारी मजदूर नेता श्री डांगे आदि आये थे । मजदूरों को कोई स्थायी लाभ राजनीति से विलग रहने से नहीं हो सकता, ऐसा निश्चित हुआ । सायमन-कमीशन का बायकाट भी पास हुआ।

सन् १९२८ में अनेक हड़तालें हुईं । खड़कपुर की हड़ताल कई मास चली । लिलुआ ई. आई. आर. वर्कशाप की भी हड़ताल काफी बड़ी थी । बम्बई में जो हड़ताल मिलों के मजदूरों की हुई वह वर्षारम्भ से चलते चलते छः मास तक चली । इस हड़ताल में श्री० डांगे, श्री० निम्बकर, मि० झाबवाला, मि० ब्रैडले, आदि समाजवादी कार्यकर्ताओं ने कार्य किया । यह हड़ताल इतनी बड़ी थी कि पीड़ितों के लिए बहुत सा रुपया भारत में एकत्र हुआ और कुछ रुपया रूस के मजदूरों ने भी भेजा।

बम्बई की इस हड़ताल में १,४७,६४४ मजदूरों ने काम छोड़ दिया था । इस हड़ताल का मुख्य कारण यह था कि मिल-मालिकों ने पैसा बचाने का नया तरीका यह निकाला कि प्रत्येक बुननेवाले मजदूर को दो करघों की जगह तीन करघों पर काम करने का नियम बनाया और इसी प्रकार सूत कातनेवाले मजदूर को १ फ्रेम की जगह दो फ्रेम पर काम करने पर बाध्य किया। इस नई पद्धति को 'Rationalization' कहते हैं । सन् १९२७ में छोटी २ अनेक हड़तालें इन नये नियमों के विरोध में हुईं किन्तु कोई फल नहीं हुआ । अन्ततः किसान-मजदूर-पार्टी की बम्बई ब्रांच ने १६ अप्रैल १९२८ और २६ अप्रैल १९२८ के बीच सब मिलों के मजदूरों की हड़तालें करा दीं । एक ज्वाइंट स्ट्राइक कमेटी सब मजदूरों की बनाई गई और १७ माँगें रक्खी गईं । कई महीनों के बाद सरकार ने एक जांच-कमेटी सर चार्ल्स फासेट की अध्यक्षता में बनाई और ६ अक्टूबर से हड़ताल बन्द होना आरम्भ हो गई । हड़ताल से मिल-मजदूरों को बहुत थोड़ा लाभ हुआ क्योंकि सरकार मजदूर-आन्दोलन को पसन्द नहीं करती ।

टाटा आयरन और स्टील वर्क्स (जमशेदपुर) में भी बड़ी भारी हड़ताल हुई जो अप्रैल १९२८ से आरम्भ होकर सितम्बर १९२८ में खतम हुई। श्री० सुभाषचन्द्र घोष तथा मि० सी. एफ. एण्डरूज ने मजदूरों के लिये बड़ा काम किया।

सौथ इंडियन रेलवे और ईस्ट इंडियन रेलवे की हड़तालें भी काफी बड़ी थीं लेकिन सफल नहीं हुईं।

दो नये कानून

सरकार ने बढ़ते हुए मजदूर-आन्दोलन को दबाने के लिये दो नये कानून बनाने का प्रयत्न किया। जनता ने बड़ा विरोध किया किन्तु उसका कोई परिणाम नहीं हुआ। (१) ट्रेड डिस्प्यूट ऐक्ट जिसके द्वारा स्ट्राइक और लाकऔट के लिये नियम बनाये गये। (२) पबलिक सेफ्टी बिल (जो पास नहीं हुआ) द्वारा यह प्रयत्न था कि मजदूर-आन्दोलन को चलानेवालों को अर्थात् नेताओं और कार्यकर्ताओं को देश से निकाल दिया जावे। सरकार का यह कहना था कि रूस तथा विदेशों से मनुष्य आकर मजदूरों को भड़काते हैं।

इस बढ़ते हुए आन्दोलन को दबाने के लिये २० मार्च १९२९ को मजदूर - नेताओं की गिरफ्तारियां की गईं और कम्यूनिस्ट होने और ब्रिटिश-शासन का अन्त करने के अभियोग लगाकर षड्यंत्र केस चलाया गया। यह मेरठ षड्यंत्र के नाम से प्रसिद्ध है। अनेकों को लम्बी २ सजायें दी गईं।

इस षडयन्त्र के मुकदमे चलने से भी आन्दोलन में कुछ कमी नहीं हुई वरन् मजदूर दल बढ़ता ही गया।

इस दल के साम्यवादी नेताओं ने 'बम्बई गिरणी कामगार यूनियन' को, जिसके ५४००० सदस्य थे तथा जी० आई० पी० वर्क्स यूनियन को जिसके ४१०००सदस्य थे ट्रेड यूनियन कांग्रेस से सम्बन्धित कर दिया। नवम्बर १९२९ में जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस नागपुर में हुई (अध्यक्ष पं० जवाहरलाल नेहरू) उसमें नरम दल के नेताओं का प्रभुत्व बिलकुल उठ गया। दीवान चमनलाल, श्री० जोशी प्रभृति नेता उठ कर चले गए। इस दल ने कार्य-समिति पर भी कब्जा कर लिया और अन्तर्राष्ट्रीय कम्यूनिस्ट संस्थाओं से संबंध जोड़ने और इंडियन लेबर संबंधी रायल कमीशन व इन्टरनेशनल लेबरकान्फ्रेन्स व शासन-विधान संबंधी होनेवाली राउंडटेबल कान्फ्रेन्सों का बायकाट भी पास कराया।

नरमदलवादियों ने मि० एन० एम० जोशी के नेतृत्व में एक नयी

संस्था 'इंडियन ट्रेड्स यूनियन फिडरेशन' कायम की। सन् १९३० के आरम्भ में जी. आई. पी. रेलवे की बड़ी भीषण हड़ताल आरम्भ हुई। मि० रुईकर (अध्यक्ष जी. आई. पी. रेलवेमेन्स यूनियन) द्वारा नोटिस दिये जाने पर ४ फरवरी १९३० को हड़ताल सारी लाइन भर में आरम्भ हुई। ऐसी बड़ी हड़ताल कभी पहले नहीं हुई थी। हड़ताल पूरी सफल नहीं हुई।

सन् १९३० में मजदूर-नेताओं में मतभेद हो गया। एक समूह का कहना था कि राष्ट्रीय आन्दोलन यद्यपि समाजवादी तत्वों पर नहीं बढ़ रहा है तो भी उसमें मजदूरों को भाग लेना चाहिए और अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरे समूह का कहना था कि राष्ट्रीय आन्दोलन का विरोध करना चाहिये। गिरणी कामगार यूनियन बम्बई के दो टुकड़े हो गए। प्रथम समूह को श्री० एम० एन० राय के नेतृत्व के कारण "रायग्रुप" कहते हैं। फलतः सन् १९३१ में जब श्री० सुभाषचन्द्र बोस के सभापतित्व में ट्रेड यूनियन कांग्रेस हुई तो दूसरे समूह ने गड़बड़ मचाई। का० देशपांडे तथा का० रणदिवे ने अलग होकर आल इंडिया रेड (Red) ट्रेड यूनियन कांग्रेस कायम की। सन् १९३१ व १९३२ में मजदूर-आन्दोलन कोई उन्नति न कर सका।

यहाँ यह बतलाना आवश्यक है कि सन् १९२९ में जो मजदूर सम्बन्धी कमीशन (Royal Commission on Indian Labour) नियुक्त हुआ था। उसकी रिपोर्ट १९३१ में प्रकाशित हुई। यह रिपोर्ट बड़ी महत्वपूर्ण है और इसमें सैकड़ों सिफारिशें हैं। प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारें प्रत्येक वर्ष उक्त सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की गई ऐसा ब्योरा प्रकाशित करती हैं। उनके अनुसार सन् १९३२ और १९३४ में अनेक कानून भी पास किये गये हैं।

उपरोक्त प्रकार की फूट पड़ने के कारण मजदूर-नेताओं को चिन्ता उत्पन्न हुई और ता० १० मई १९३१ को बम्बई की आल इंडिया रेलवेमेन्स फिडरेशन की संरक्षता में एक "एकता समिति" नियुक्त हुई। इस कमेटी ने एक हो जाने की सिफारिश की और अप्रैल १९३३ में 'इंडियन ट्रेड्स यूनियन फिडरेशन' और 'नेशनल फिडरेशन आफ लेबर' एक हो गये और नया नाम "नेशनल ट्रेड्स यूनियन फिडरेशन" धारण किया।

सन् १९३३ में बम्बई मिलों ने मजदूरों की मजदूरी में कटौती की। अनेक मिलों ने मजदूरों को निकालना शुरू कर दिया। विदेशों के प्रतियोगिता को और घटते हुए दामों को मिल-मालिकों ने अन्य रीति से मुकाबला न करके यही रास्ता सोचा। ऐसे समय में "स्ट्राइक" का भी हथियार काम नहीं देता था क्योंकि मिलों में स्वयं ही माल जमा हो रहा था। बम्बई प्रान्त के गवर्नर ने एक जाँच-कमेटी कायम की जिसकी रिपोर्ट २१ जून १९३४ को प्रकाशित हुई। किन्तु मजदूरों की हालत बहुत ही खराब होती जाती थी, इसलिए सन् १९३३ के दिसम्बर में जो आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस हुई, उसमें आम हड़ताल का प्रस्ताव पास हुआ। २३ अप्रैल १९३४ को बम्बई में आम हड़ताल का प्रारंभ हुआ जो कई महीने तक बराबर चलती रही।

सन् १९३४ में ट्रेड यूनियन कांग्रेस के दोनों भाग भी एक हो गये।

सन् १९३५ में नेशनल ट्रेड यूनियन फ़िडरेशन के ६२ यूनियन व ८३००० सदस्य थे और आल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के ९८ यूनियन और ४६००० सदस्य थे।

१७ अप्रैल १९३८ को नागपुर में उपरोक्त दोनों फ़िडरेशन की संयुक्त बैठक हुई जिसमें दोनों फिडरेशन एक हो गये। दोनों का झंडा एक ही लाल रंग का होगा, किन्तु हथौड़ा व हँसिया उस पर न होंगे। इसके अतिरिक्त पदाधिकारी भी संयुक्त राय से नियुक्त किये गये। सभापति—डा० एस० सी० बनर्जी; उपसभापति श्री आफ़ताबअली, श्री० जमनादास मेहता, श्री० मुकुन्दीलाल सरकार; मंत्री—मि० बी० के० मुकर्जी (एम० एल० ए०, यू० पी०)।

किसान-आंदोलन

भारत कृषि-प्रधान देश है। और ७५ प्रतिशत मनुष्यों से ऊपर कृषि-उद्योग में लगे हुए हैं। नौकरशाही वर्ग में वाइसराय से लेकर चौकीदार तक, जमींदारों में राजे-महाराजाओं से लेकर दो एकड़ के माफीदार तक, और महाजनों में करोड़पति से लेकर ग्राम के छोटे बनिये तक सभी केवल एक किसान-वर्ग की पीठ पर लदे हुए हैं। क्या आश्चर्य है कि सब सम्पत्ति का उत्पादक होता हुआ वही सबसे निर्धन है? आश्चर्य तो यह है

कि उसी पर सबसे अत्याचार भी है।

ऐसी परिस्थिति में यदि जागृत होने पर किसानवर्ग भयंकर रूप धारण कर प्रतिहिंसा पर उद्यत हो जावे तो कोई आश्चर्य न होना चाहिए।

किसान-आन्दोलन का आरंभ सन् १६१८ में होता है जबकि महायुद्ध के बाद महात्मा गांधी ने बिहार के नील वाले अंग्रेज़ जमींदारों के अत्याचारों के विरोध में किसान आन्दोलन संगठित किया और गुजरात के खेड़ा प्रान्त के किसानों को संगठित करके सत्याग्रह चलाया। दोनों में किसान सफल रहे। बाद को सन् १६२० के असहयोग आन्दोलन में महात्माजी ने तथा सरदार बल्लभभाई पटेल ने बारडोली प्रदेश के किसानों को संगठित किया और यू० पी० में अवध प्रदेश में इसी असहयोग-आन्दोलन के सिलसिले में रामचन्द्र बाबा ने लाखों किसानों को उभारा। बाबा राघवदास ने गोरखपुर जिले के किसानों को संगठित किया। सारांश यह कि असहयोग-आन्दोलन से सारे भारतवर्ष में राजनैतिक जागृति के साथ-साथ किसान भी न्यूनाधिक मात्रा में जागृत हुए किन्तु किसान-संगठन का वर्तमान स्वरूप उस समय नहीं था।

यहाँ यह भी कह देना अनावश्यक न होगा कि रूस की समाजवादी क्रांति भी भारत के किसान-आन्दोलन (मज़दूर-आन्दोलन के साथ-साथ) का कारण है। महायुद्ध के बाद ही भारत में समाजवादी विचार क्रमशः प्रवेश करने लगे और साम्राज्यविरोधी वातावरण फैलने लगा। स्वर्गीय देशबंधु सी० आर० दास का ध्यान भी ग्रामीण जनता की दरिद्रता की ओर आकर्षित हुआ था और उन्होंने एक ग्राम-संगठन की आयोजना भी तैयार की थी, किन्तु उनके असामयिक स्वर्गवास से आयोजना प्रकाशित न हुई।

सन् १६२५–२६ से किसानों की आर्थिक अवस्था दिन-प्रतिदिन बहुत ही गिरती गई। उधर मज़दूरों की अवस्था भी मिल-मालिकों के सब प्रकार के मज़दूरी कटौती के उपायों के कारण बिगड़ती गई। असंतोष बढ़ता ही गया; मज़दूरों की हड़तालें बढ़ती गईं। सन् १६२८ में किसान-मज़दूर-पार्टी कायम हुई और अनेक स्थानों पर श्री जवाहरलाल नेहरू, डा० एस० सी० बनर्जी, मि० झाबवाला आदि सज्जनों के सभापतित्व में कान्फ्रेन्सें हुईं। सन् १६३०--३१ के असहयोग-आन्दोलन के बाद संयुक्त-प्रान्त के किसानों की दुर्दशा सीमा तक पहुँच गई। किसान

लगान देने में बिलकुल असमर्थ हो गया। जमींदारों के लगान वसूली संबंधी अत्याचार भी बढ़ते ही गये। महात्मा गांधी राउंड टेबल कान्फ्रेन्स में सम्मिलित होने के लिये लंदन गये थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें किसानों की दशा पत्रों और तार द्वारा सूचित की। अलाहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने अन्ततः प्रस्ताव द्वारा प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी से लगानबन्दी आन्दोलन की आज्ञा मांगी। ब्रिटिश सरकार ने तो यह चाल चली कि गांधी-इरविन-समझौता करने के बाद अपनी नीति बदल दी। मुख में समझौता किन्तु हृदय में दमन व बदले के तत्व रक्खे। महात्माजी को आश्वासन देकर लंदन बुला लिया। इधर जमींदारों और अपने कर्मचारियों द्वारा किसानों को कुचलवाना शुरू किया कारण कि वे ही बड़ी संख्या में असहयोग में शामिल हुए थे। जब सरकार ने भारत में अपनी तैयारी कर ली तो महात्माजी को भी लंदन में बेरुखी का उत्तर दिया और महात्माजी के लौटते लौटते भारत में अनेक नेताओं को गिरिफ्तार कर लिया।

किन्तु सरकार को दबकर किसानों को लगान में छूट देनी ही पड़ी। कर्जों की किस्तबंदी, छूट, तथा व्याज सम्बन्धी कानून बनाने ही पड़े। सन् १९३३ से १९३६ तक राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्रतिवर्ष अपने कार्यों में ग्राम-सुधार का कार्य मुख्य बनाना शुरू किया और सन् १९३६ से तो कांग्रेस के अधिवेशन ग्रामों में ही होने लगे हैं। ग्राम-उद्योग-संघ का काम ग्रामों में ही होने लगा।

सन् १९३७ में किसान-आन्दोलन को बहुत काफी ज़ोर मिल गया। ग्राम ग्राम में प्रान्तीय एसेम्बलियों के कांग्रेसी उम्मीदवारों ने किसानों को जागृत किया। उन्हें उनकी दुर्दशा तथा गरीबी बताई, साथ-साथ कांग्रेस मैनीफेस्टो में दिये हुए मौलिक अधिकार उन्हें समझाये। किसान तो पहिले ही से ऊब उठे थे उन्हें कांग्रेस का इतना बड़ा सहारा मिलना अमृत का काम कर गया। ७ बड़े प्रान्तों में कांग्रेसी उम्मेदवारों का बहुसंख्या में सफल होना किसान-आन्दोलन के लिये अत्यंत लाभदायक हुआ।

कांग्रेस ने जब तक मंत्रिपद नहीं लिया उस बीच जो मंत्रिमंडल बने उन्होंने किसानों को अपनी तरफ खींचने के लिये बड़े बड़े वादे किये। जमनादास मेहता—मंत्री बंबई सरकार—ने किसानों के उद्धार के लिये एक बड़ी आयोजना प्रकाशित की।

किन्तु महाराष्ट्र और गुजरात के दुर्भिक्ष में उन्होंने कुछ न किया और उनके वादे थोथे थे, यही सिद्ध हुआ।

किसानों की सबसे बड़ी दो माँगें हैं—(१) क़र्ज़-निवारण। (२) किसान-मज़दूरों के लिये जीवन-निर्वाह का प्रबंध।

बढ़ते हुए आन्दोलन को देखकर बंगाल के ग़ैर-कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने टिनेन्सी बिल पेश किया किन्तु किसान नेताओं को आन्दोलन करने से रोका और उन्हें जेल भेज दिया।

आल इंडिया किसान कमेटी ने प्रान्तीय कमेटियों को गश्ती चिट्ठी द्वारा आदेश दिया कि अपनी अपनी माँगें कांग्रेसी सरकारों के सामने रखें।

लगभग सभी प्रान्तों में आज्ञाओं द्वारा किसानों के कर्ज की अदायगी स्थगित कर दी गई। देश में अनेक प्रान्तों में अदायगी स्थगित करने के लिये किसान-संघ द्वारा "किसान दिवस" मनाये गये।

कांग्रेसी प्रान्तों में तो आज्ञाओं द्वारा बेगार तथा अत्याचार बन्द किये गये किन्तु इन अत्याचारों के बन्द होने का श्रेय अधिकतर किसानों को ही है।

बिहार में मंत्रिमंडल ने जमींदारों को उनकी धमकी के कारण कि वे सत्याग्रह करेंगे और विशेषकर इस कारण कि झगड़े से कानून बनने में कई साल लग जायँगे जमींदारों से राजीनामा कर लिया। किसान-सभाओं ने स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में इसका विरोध किया।

प्रो० एन० जी० रंगा (अध्यक्ष), स्वामी सहजानंद सरस्वती (जनरल-सेक्रेटरी) और श्री० इंदुलाल याज्ञिक (ज्वाइंट सेक्रेटरी आल इंडिया किसान कमेटी) ने किसान-आन्दोलन को बहुत आगे बढ़ा दिया। स्वामी सहजानंद के यह कहने पर, कि यदि जमींदार जुल्म करेंगे तो किसान को अपना 'डंडा' काम में लाने का अधिकार है, कांग्रेस-क्षेत्र में बड़ी हलचल मच गई। उन्हें बिहार की कांग्रेस कमेटी से हटाये जाने का प्रयत्न किया गया। श्री० जयप्रकाश नरायन ने किसान-सभा का पक्ष लिया किन्तु सरदार वल्लभभाई पटेल भी किसान-सभा द्वारा किसान-आन्दोलन के विरोधी हैं और उनका मत है कि राजनैतिक प्रश्नों पर विचार करने के लिये कांग्रेस ही एकाकी संस्था होना चाहिये। यही मत उनका कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संबंध में भी है। ऐसे विचार उन्होंने हरिपुरा-कांग्रेस (१९३८) के अवसर पर प्रकट किये थे।

राजनैतिक क्षेत्र में इस समय भयंकर तेजी के साथ विचारधारा (Ideology) बदल रही है और कांग्रेस के भीतर इन दो "विचार-समूहों" का संघर्ष हो रहा है।

धार्मिक, साहित्यिक तथा सामाजिक संस्थाएँ

अखिल भारतीय ग्राम-उद्योग-संघ, वर्धा

यह संघ सन् १९३५ में कांग्रेस की संरक्षता में राष्ट्रीय महासभा के ता० २७ अक्टूबर १९३४ (बम्बई) के प्रस्तावानुसार स्थापित हुआ। इसके संचालन के लिये दो समितियां हैं—(१) बोर्ड आफ़ ट्रस्टीज़ और (२) बोर्ड आफ़ मैनेजमेंट।

बोर्ड आफ ट्रस्टीज़

श्रीकृष्णदास जाजू, जे० सी० कुमारप्पा, जमनालाल बजाज, डा० खान साहब, डा० गोपीचंद, वैकुण्ठराय एल० मेहता।

बोर्ड आफ़ मैनेजमेंट

श्रीकृष्णदास जाजू, श्रीमती गोसिबेन एम० एस० कैप्टेन, शूरजी वल्लभदास, डा० प्रफुल्लचन्द्र घोष, लक्ष्मीदास पुरुषोत्तमदास अशर, शंकरलाल बैंकर, वैकुण्ठराय एल० मेहता, जे० सी० कुमारप्पा सेक्रेटरी।

संघ की ओर से वर्धा में शिक्षकों को तैयार करने के लिये स्कूल खोला गया है। ग्रामों में छोटे छोटे उद्योगधंधों का प्रचार करना इस संघ का मुख्य उद्देश्य है। संघ ने लखनऊ कांग्रेस और फैजपुर कांग्रेस के अवसरों पर खादी और उद्योग सम्बन्धी वस्तुओं का प्रदर्शन किया। प्रत्येक वस्तु कैसे बनाई जाती है यह बताने का प्रयत्न किया।

मधुमक्खियों का पालना, काग़ज़ बनाना, सोयाबीन (फली) का बोना, गुड़ बनाना, चावल का साफ़ करना आदि विषयों पर पुस्तकें तथा लेख प्रकाशित किये गये हैं।

सन् १९३६ की रिपोर्ट के अनुसार इस संघ के ३६७ साधारण मेम्बर, ११ वैतनिक कार्यकर्ता, ४४ एजेन्ट, २२ प्रमाणित दुकानें और ५ सम्बन्धित संस्थायें थीं। आय १८४४१ रु० और ख़र्च १९५७२ रु० अर्थात् ११३१ रु० की घटी रही।

दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास

सन् १९१८ में महात्मा गांधी ने इस कार्य को साहित्य-सम्मेलन द्वारा आरंभ कराया। मद्रास प्रान्त में हिन्दी भाषा का प्रचार करना इस सभा का मुख्य कार्य रहा है। प्रचार, परीक्षा, प्रकाशन, पुस्तक बिक्री कार्य, पुस्तकालय, पत्रिका तथा प्रेस इसके साधन हैं।

सन् १९३५-३६ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष के आरंभ में २४ प्रचारक थे। इस वर्ष आंध्र, केरल, व तामिल प्रान्तों का प्रचार-भार उन उन प्रान्तीय सभाओं को सौंप दिया गया।

फ़रवरी १९३६ तक प्रचारक विद्यलाय आन्ध्र प्रान्तीय हिन्दी महाविद्यालय कमेटी के संचालन में बेजवाड़ा में ही रहा। ११ प्रचारक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। कुल ७८०७ विद्यार्थी भिन्न भिन्न परीक्षाओं में ३२३ केन्द्रों द्वारा बैठे।

प्रकाशन-विभाग ने दो पुस्तकें "हज़रत मुहम्मद" (पं० सुन्दरलाल द्वारा लिखित) और "हिन्दी-हिन्दुस्तानी गाइड" (पंडित रामचन्द्र शास्त्री द्वारा लिखित) छपाई। इस वर्ष ४२ पुस्तकों का नया संस्करण निकाला गया और १,३२,००० प्रतियां छपाई गयीं। उत्तर भारत के प्रकाशकों की लगभग ३०००० पुस्तकें बिकीं।

पुस्तकालय में इस समय २८०० पुस्तकें हैं। मुख्य पत्रिका "हिन्दी-प्रचारक" है। मद्रास यूनिवर्सिटी ने १९३७ से हिन्दी में विद्वान् परीक्षा भी रखी है। आन्ध्र यूनिवर्सिटी में भी उसकी तैयारी हो रही है। मैसूर यूनिवर्सिटी ने पाठ्यक्रम समिति बनाने का निश्चय किया है। अन्नमलय यूनिवर्सिटी ने बी० ए० और बी० एस० सी० में विद्यार्थियों की संख्या काफी होने पर हिन्दी पढ़ाने का निश्चय किया है। अलीगढ़ में आल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ने डा० एस० राधाकृष्णन के प्रस्ताव पर यह निश्चय है कि तमाम यूनिवर्सिटियों में हिन्दी को ऐच्छिक भाषा का स्थान मिलना चाहिए।

मद्रास प्रान्त के १२ ज़िला बोर्डों ने अपने अनेक स्कूलों में हिन्दी की शिक्षा का प्रबन्ध किया।

इस वर्ष सभा के भवन १ लाख रुपया लगाकर निर्माण किये जा रहे हैं। सभा के प्रधान भवन का उद्घाटन पं० जवाहरलाल द्वारा ७ अक्टोबर १९३६ में किया गया।

अध्यक्ष—महात्मा गांधी,

प्रधान मंत्री—पं० हरिहर शर्मा; कोषाध्यक्ष—श्री० रामनाथ गोयनका बी० ए०, श्री० के० संजीव कामथ, डायरेक्टर।

डेक्कन सभा, पूना

स्वर्गीय जस्टिस रानडे ने इस संस्था की स्थापना सार्वजनिक राजकीय हितरक्षा के उद्देश्य से १८९६ में पूना में की। पता—सदाशिव पेठ पूना सिटी।

भारत-इतिहास-संशोधक मंडल, पूना

संस्था का उद्देश्य प्राचीन प्रख्यात ग्रन्थकारों के अप्रकाशित ग्रन्थों की व ऐतिहासिक कागजपत्रों की खोज करना व उनका प्रकाशन करना है। प्रेसीडेंट—एन० सी० केलकर। सेक्रेटरी—प्रो० डी० वी० पोतदार। पता—शनवार पेठ, पूना।

इंडियन सायन्स कांग्रेस, कलकत्ता

यह संस्था वैज्ञानिक शोध की उन्नति के लिये १९१४ में स्थापित हुई। हर साल भिन्न भिन्न स्थानों में इसका अधिवेशन होता है। पता—एशियाटिक सोसाइटी आफ बेंगाल, पार्क स्ट्रीट कलकत्ता।

कामगार हितवर्धक सभा, बम्बई

स्थापना १९०९। उद्देश्य—(१) मजदूर व उनके मालिकों के बीच झगड़ों का समझौते से निपटारा करना। (२) मजदूरों को शिक्षा देकर उनकी बुरी आदतें दूर करना। (३) उनको उनके संकटकाल में आर्थिक, कानूनी या वैद्यकीय मदद देना और हर तरह से उनके हितों की रक्षा करना।

यूरोपियन एसोसियेशन, कलकत्ता

स्थापना १८८३। उद्देश्य—हिन्दी राजकीय जीवन में यूरोपियन वर्ग्स कायम रखना। इसकी भारत में कुल २० शाखायें हैं और एक त्रैमासिक पत्रिका भी निकलती है। प्रेसीडेण्ट, मि० जेलांगफर्ड जेम्स; जनरल सेक्रेटरी, कर्नल जे. डी. क्राफर्ड; मुख्य आफिस १७ स्टीफन कोर्ट, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता।

इंडियन केमिकल सोसाइटी, कलकत्ता

१९२४ में सर पी. सी. राय की अध्यक्षता में स्थापित हुई। सेक्रटरी-प्रो. जे. एन. मुकर्जी, ९२ अपर सरक्यूलर रोड, कलकत्ता।

इंडियन सोसाइटी आफ़ ओरियंटल आर्ट, कलकत्ता

बङ्गाल के प्रसिद्ध व्यक्तियों ने १९०७ ई० में इस सभा की स्थापना की। प्रत्येक वर्ष प्रदर्शिनी होती है।

प्रेसीडेण्ट—सर राजेन्द्रनाथ मुकर्जी, सेक्रेटरीज—मेसर्स काटन व जी. एन. टागोर। पता—६ ए. कारपोरेशन स्ट्रीट हिन्दुस्तान बिल्डिंग, कलकत्ता।

आर्ट सोसाइटी, बम्बई

१८८८ में चित्र व अन्य कला के कामों की प्रदर्शिनियों से कलाओं को उत्तेजना देने के उद्देश्य से स्थापित हुई। प्रेसीडेन्ट—सर कावस जी जहांगीर। सेक्रेटरी—वी० वी० ओक।

एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता

पौर्वात्य हस्तलिखित ग्रन्थों का संग्रह अच्छी संख्या में करना उद्देश्य है। सेक्रेटरी, जी. एच. टिपर ५७ पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता।

सोशल सर्विस लीग, बम्बई

स्थापना १९११। उद्देश्य—सामाजिक जनसेवा। संस्था की 'सोशल सर्विस' क्वार्टर्ली नामक एक त्रैमासिक पत्रिका है और संस्था अन्य लोकोपयोगी काम करती है।

वेस्टर्न इंडिया नेशनल लिबरल असोसियेशन, बम्बई

स्थापना १९१९। उद्देश्य—जनसाधारण के नैतिक, आर्थिक व राजकीय सुखवृद्ध्यर्थ अखंडित प्रयत्न के उद्देश्य से यह संस्था आल इंडिया माडरेट पार्टी कान्फ्रेन्स के प्रस्तावानुसार स्थापित की गई थी। प्रेसीडेंट—सर चिमनलाल सीतलवाद। पता—१०७ इस्प्लेनेड रोड, फोर्ट, बम्बई।

ऐङ्गलो इंडियन लीग, कलकत्ता

ऐङ्गलो इण्डियनों के हितरक्षणार्थ यह सभा स्थापित हुई। अध्यक्ष—डा० एच० डबलू० वी० मोरीनो एम० एल० सी०, सेक्रेटरी—मि० ए० मेकडोनाल्ड बी० ए०, बी० एल०। आफिस—२ वेलस्ली स्क्वेअर कलकत्ता।

बनारस मेथिमेटिकल सोसाइटी

गणित विषय का अध्ययन व ऐतिहासिक जांच करने के लिये ता० २९ अगस्त १९१८ में स्थापित हुई। सोसाइटी का एक जर्नल व लायब्रेरी है और उसमें करीब ६० मेंबर हैं। डा० गोरखप्रसाद प्रेसीडेंट।

हिन्दू वनिता आश्रम तथा आल इंडिया हिन्दू सम्बन्ध सहायक समिति, सहारनपुर

स्थापना—२२ जून १९२२ को पं० हरिदेव शर्मा कथावाचक द्वारा। सदस्यों की संख्या ६० है।

ज्ञानमण्डल, काशी

स्थापना—सन् १९१९ में श्री० शिवप्रसाद गुप्त ने की और वही इसके सञ्चालक हैं। प्रधान व्यवस्थापक श्री० श्रीप्रकाश हैं। इस मण्डल से

अनेक उत्तम २ पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। हिन्दी भाषा की उन्नति ही इसका ध्येय है। 'आज' दैनिक पत्र यहीं से प्रकाशित होता है।

महारानी लक्ष्मीबाई स्मारक सभा, झांसी

इस सभा का उद्देश्य महारानी लक्ष्मीबाई के लिये एक उत्तम स्मारक तैयार करना है। यह संस्था रजिस्टर्ड है। प्रथम अध्यक्ष स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी अमर शहीद के बाद स्थायी अध्यक्ष नहीं चुने गये हैं। उपसभापति श्री० ए० जी० खेर एम० एल० ए० काम कर रहे हैं। और मंत्री श्री० र० वि० धुलेकर एम० एल० ए० हैं। पता—झांसी।

इंडियन मेथेमेटिकल सोसाइटी, पूना

स्थापना १६०७। हिन्दुस्तान में गणित विषय के अध्ययन की प्रगति के उद्देश्य से स्थापना। संस्था की लायब्रेरी फरग्यूसन कालेज पूना में है जहां से उसके अखिल भारतीय २२५ मेंबरों को किताबें व पत्रिकायें भेजी जाती हैं। संस्थाकी त्रैमासिक पत्रिका मद्रास से प्रकाशित होती है। प्रेसीडेन्ट-मि० आर० पी० परांजपे वा० चांसलर लखनऊ यूनिवर्सिटी। सेक्रेटरी—डा० वैद्यनाथ स्वामी मद्रास यूनिवर्सिटी।

पेसिंजर्स एंड ट्राफिक रिलीफ़ असोसियेशन, बम्बई

स्थापना १९१५। संस्थापक जीवराज जी० नेन्सी। उद्देश्य—भारतीय रेलवे और जहाज व अन्य कम्पनियों के प्रवासियों के कष्टों की खोज करके दूर करने के लिये सभाओं, अर्जियों, प्रचार वगैरा द्वारा प्रयत्न करना व इस उद्देश्यपूर्ति के लिये शाखाओं की स्थापना व धन सञ्चय करना। प्रेसीडेंट—बेहराम एन० करांजया जे० पी०। सेक्रेटरी—खानबहादुर पी० ई० घामट। पता—ऐलबर्ट बिल्डिंग, हार्नबी रोड, बम्बई।

नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बम्बई

स्थापना १९१३। उद्देश्य—प्राणि-शास्त्र की सर्वशाखाओं के अध्ययन को उत्तेजना देना। संस्था का एक प्राणिसंग्रहालय है जिसमें हिन्दुस्तान भर के सब तरह के प्राणी हैं। इसके करीब १७०० मेंबर हैं। संस्था की तरफ़ से एक त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित होती है। प्रेसीडेन्ट—सर लेस्ली विल्सन। सेक्रेटरी—आर. ए. स्पेन्सर। पता, ६ अपोलो स्ट्रीट बम्बई।

खादी प्रतिष्ठान, सोदेपुर बंगाल

यह खादी-प्रचार की सबसे बड़ी

संस्था बंगाल में है । साबरमती आश्रम के ढङ्ग पर यहाँ कार्यकर्ता सिखाये जाते हैं । इस प्रतिष्ठान के मुख्य कार्यकर्ता श्री० सतीशचन्द्र दास गुप्त हैं । डा० पी० सी० राय की भी बहुत कुछ सहायता है । रंगसाजी भी सिखाई जाती है । बंगाल में इस संस्था की अनेक शाखायें हैं और खादी बेचनेवाले भण्डार भी काफी हैं । लगभग १०००० रु० की खादी प्रत्येक मास में तैयार होती है । यह प्रतिष्ठान पुस्तकें भी प्रकाशित करता है और प्रचार का भी कार्य करता है । इसके कार्यकर्ता १६० हैं ।

भांडारकर ओरियंटल रिसर्च इन्स्टीस्यूट, पूना

स्वर्गीय सर रामकृष्ण भांडारकर के नाम से १९१७ में स्थापित हुई । संस्था के उद्देश्य पौर्वात्य प्राचीन साहित्य के मौलिक ग्रन्थों का व अन्य ग्रन्थों के शुद्ध संस्करण को प्रकाशित करना, पौर्वात्य साहित्य की खोज करने के मार्ग छात्रों को सिखाना, साहित्य का ज्ञान हर तरह से संगृहीत करना व ग्रन्थों का संग्रहालय स्थापित करना है । इस संस्था को डाक्टर सर आर० जी० भांडारकर की बहुमूल्य लायब्रेरी और डेक्कन कालेज के हस्तलिखित प्रतियों का संग्रह प्राप्त हुआ है और इसकी सांपत्तिक स्थिति भी अच्छी है । संस्था से एक पत्रिका प्रकाशित होती है ।

सन् १९२७ से संस्कृत, पाली, अर्धमागधी और प्राचीन सभ्यता विषयों में एम० ए० की शिक्षा दी जाती है । सेक्रेटरी—डा० वी० एस० सुकथानकर एम०ए०,पी० एच०डी० ।

सर गंगाराम ट्रस्ट सोसाइटी, लाहौर

स्वर्गीय सर गंगाराम ने १ दिसंबर १९१४ को यह ट्रस्ट कायम किया । इस ट्रस्ट द्वारा निम्न-लिखित संस्थायें चलाई जाती हैं और सन् १९३६ में जो उन संस्थाओं को सहायता दी गई वह यहाँ दी जाती है—

	रु०
विधवाविवाह सहायक सभा	३००००
सर गंगाराम फ्री हास्पिटल	३५४५२
हिन्दू स्टूडेन्ट्स केरियर सोसाइटी	११८१८
बिज़िनेस ब्यूरो व लाइब्रेरी	५०००
हिन्दू अपाहिज आश्रम	७०००
इन्डस्ट्रियल वर्कशाप स्कालरशिप्स	१८५४
दीन हिन्दू फंड	८०००
सर गंगाराम हिन्दू गर्ल्स स्कूल	४५६२२

विधवाविवाह सहायक सभा—इस सभा के प्रयत्नों द्वारा १९३६ में ३६६२ विधवाविवाह हुए और सभा ने स्वयं १४६४ कराये। इस सभा की शाखायें देश भर में ६१७ हैं। इस सभा ने इस वर्ष २४५८०-६-४ खर्च किया। दो पत्रिकायें "विधवा-बन्धु" (हिन्दी) और "विधवा-सहायक" उर्दू प्रकाशित की जाती हैं।

हिन्दू अबला-आश्रम तथा अनाथ शिशुगृह, कलकत्ता

इस आश्रम की स्थापना (१९२४) का श्रेय स्वर्गीय बा० फूलचंद चौधरी, श्री० पद्मराजजैन, तथा श्री बालकृष्ण मोहता को है। सन् १९२६ से श्री प्रभूदयाल हिमतसिंका एम० एल० ए० प्रधान तथा श्री० पद्मराज जैन मन्त्री हैं। प्रत्येक वर्ष सैकड़ों अनाथ अबलाओं को आश्रय दिया जाता है और इसी प्रकार नवजात बच्चों को तथा अन्य अनाथ बच्चों की रक्षा की जाती है। स्त्रियों के लिये शादी का भी प्रबंध किया जाता है यदि वे चाहें। सन् १९३४ में ४१६, सन् १९३५ में ५१७, और सन् १९३६ में ४८४ स्त्रियां प्रविष्ट हुईं और १९३४ में १५६, सन् १९३५ में २३७, और सन् १९३६ में २१० शिशु प्रविष्ट हुए। बच्चे गोद भी दिये जाते हैं, तथा बड़े होने पर अनाथालयों को भेज दिये जाते हैं। बालिकाओं और स्त्रियों के लिये पढ़ने का प्रबंध है। अबलाश्रम में सन् १९३६ में २६६५१ रु० खर्च हुआ और शिशुगृह में ६६४५ रु० खर्च हुआ।

जामैमिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली

यह संस्था उर्दू भाषा की राष्ट्रीय विद्यापीठ है। अरबी व फारसी विद्या की उच्च शिक्षा देना इसका उद्देश्य है। अनेक परीक्षायें प्रति वर्ष ली जाती हैं। इस संस्था के पास एक अत्युत्तम वाचनालय, छापाखाना तथा उर्दू पुस्तकों का भंडार भी है। जामैमिल्लिया ने एक 'उर्दू एकाडमी' भी कायम की है जिसमें विज्ञान, इतिहास इत्यादि इत्यादि के विश्वस्त ग्रन्थ लिखने का प्रबंध किया गया है। इस एकाडमी के अधिष्ठाता डा० सैयद आबिदहुसेन एम० ए०, पी० एच० डी० हैं।

जामैमिल्लिया के अध्यापक तथा विद्यार्थी सब राष्ट्रीय विचारों के हैं और कांग्रेस भक्त हैं। प्रिंसिपल डा० ज़ाकिरहुसेन हैं जिन्होंने शिक्षा संबंधी "वर्धा स्कीम" तैयार की है।

क्षय रोगियों के लिये शुश्रूषा-गृह भुवाली, यू० पी०

यह रजिस्टर्ड संस्था स्वर्गीय मि०

वी० एम० मलबारी व मि० दयाराम गिडुमल ने १९०९ में स्थापित की। धरमपुर में यह सेनिटोरियम देवदार के जङ्गल में विस्तृत स्थान में है। १९११ में उसका नाम 'दी किंग एडवर्ड दी सेवन्थ सेनिटोरियम' रक्खा गया। इस संस्था की एक स्वतन्त्र गौशाला दूध के लिये है और इसके लिये लेडी हार्डिङ्ग वाटर वर्क्स नामक पानी का भांडार है। यहां ७५ रोगियों के लिये प्रबन्ध है और दो डाक्टर भी इलाज के लिये संस्था की तरफ से नियत हैं। यू० पी० गवर्नमेंट द्वारा सहायता मिलती है। पता—भुवाली, यू० पी०।

थियोसोफिकल एजुकेशनल ट्रस्ट, अडियार

स्थापना १९१३। उद्देश्य—भारतीय विद्यार्थियों को मानसिक, शारीरिक, धार्मिक व बौद्धिक शिक्षा देना। ट्रस्ट की साधारण शिक्षानीति श्रीमती बेसेन्ट की "प्रिन्सिपल्स आफ एजुकेशन" नामक किताब में है। संस्था की मुख्य शालायें व पाठशालायें निम्नलिखित हैं—

(१) थियोसोफिकल स्कूल व कालेज, अडियार. (२) थियोसोफिकल स्कूल, मदनापल्ली. (३) यथियोसोफिकल स्कूल, बनारस. (४) महिला थियोसोफिकल पाठशाला, बनारस। सेक्रेटरी—मि० यदुनन्दनप्रसाद। मुख्य स्थान—अडियार।

सेवासदन सोसाइटी, पूना

स्वर्गीय श्रीमती रमाबाई रानडे, मि० गो. कृ. देवधर प्रभृति सज्जनों ने १९०९ में पूना में स्थापित की। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य स्त्रियों को स्वावलम्बी बनाना और शैक्षणिक व वैद्यकीय क्षेत्रों में सेवा करने की शिक्षा देना है। इस संस्था की शाखायें सतारा, बारामती, बम्बई, सोलापुर, अहमदनगर, अलीबाग, व नासिक आदि स्थानों पर हैं और लगभग १२०० स्त्रियां व बालिकायें इन सब शाखाओं में मिलकर सङ्गीत, रोग-चिकित्सा, दाइयों का काम, तथा अन्य विषयों की शिक्षा पाती हैं। बाई मोतीबाई वाडिया के नाम से एक ट्रेनिङ्ग कालेज है जिसमें ८५ महिलायें शिक्षक बनने की शिक्षा पाती हैं। इस संस्था ने अपना ध्यान इस समय विशेषतः सूतिका-परिचर्या, शिशु व बालसङ्गोपन व अन्य नर्सिङ्ग कार्य की ओर भी दिया है। प्रेसीडेन्ट—श्रीमती राणी साहिब सांगली और मंत्री जी० बी० गरुड हैं। पता—पूना।

बम्बई ह्यूमेनिटेरियन लीग (जीव-दया-संघ)

स्थापना १९१९। उद्देश्य—आरोग्य उपयोगिता तथा भूत दया की दृष्टि से पशु-हत्या-निषेध लोगों को बतलाना और हर तरह की निर्दयता से पशुओं को बचाने की कोशिश करना। अंग्रेजी मासिक इण्डियन ह्यूमेनिटेरियन और गुजराती मासिक "जीवदया" संस्था की ओर से प्रकाशित होती हैं। सेक्रेटरी श्री० झावबाला।

डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, पूना

यह संस्था महाराष्ट्र में शिक्षा-प्रचार के उद्देश्य से स्थापित हुई। इसके संस्थापकों में लोकमान्य तिलक, श्रीयुत आगरकर प्रभृति स्वार्थत्यागी नेता थे। प्रारम्भ में न्यू इङ्गलिश स्कूल नामक पाठशाला खोली गई। संस्था द्वारा कायम किये हुए फरग्युसन कालेज पूना व विलिंगडन कालेज सांगली नामक दो कालेज व अनेक पाठशालायें हैं जिनमें कई हजार छात्र शिक्षा पाते हैं और संस्था की निज की कई कीमती इमारतें व छात्रालय हैं। देश की शिक्षा-संस्थाओं में इस संस्था का प्रधान स्थान है।

विमेंस इण्डियन एसोसियेशन, मयलापुर, मद्रास

इस संस्था की स्थापना १९१७ में अडियार में हुई। संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—(१) बालविवाह की प्रथा की रोक। (२) महिलाओं के लिये कौंसिलों व म्युनिसिपैलिटियों में मताधिकार प्राप्त करना। मतदान का व मेंबर होने का हक सम्पादन करना। (३) महिलाओं को यह ज्ञान करा देना कि भारत के भविष्य का उत्तरदायित्व उनके हाथ में है क्योंकि माताओं व पत्नियों के नाते से भारत के भावी शासकों का चरित्र बनाने का कार्य उनका ही है। (४) अनाथ व रोगी दुःखितों की शुश्रूषा करने की शिक्षा महिलाओं को देना। इस संस्था की ४८ शाखाएँ हैं। उसमें ४००० हजार से ऊपर मेंबर हैं। संस्था में सेवासदन की तरह सङ्गीत, सीना, पिरोना, आरोग्य, धर्म व साहित्य की शिक्षा दी जाती है। संस्था से एक 'स्त्रीधर्म' नाम की मासिक पत्रिका भी प्रकाशित होती है।

इस सभा की सदस्या डा० श्रीमती एम० मुथुलक्ष्मी रेडी (प्रेसीडेंट), श्रीमती रुक्मिणी लक्ष्मीपती तथा अन्य महिलायें उच्चपद पर हैं।

यंगमेन्स क्रिश्चियन एसोसियेशन कलकत्ता।

इस संस्था की स्थापना १८४४ में सर जार्ज विलियम्स के द्वारा हुई। इस समय इस संस्था की लगभग दो सौ पचास शाखायें सारे जगत् में फैली हुई हैं। हिन्दुस्तान में इसकी ६० से ऊपर शाखायें हैं और सर्व-धर्म व पथ के कई हजार मेंबर हैं। संस्था का उद्देश्य युवकों की धार्मिक, सामाजिक, मानसिक व शारीरिक उन्नति करना है। संस्था की तरफ से एक मासिक पत्रिका "यंग मेन आफ इंडिया" निकलती है। संरक्षक-लार्ड लिनलिथगो, प्रेसीडेंट - डा० फास-वेस्ट काट, सेक्रेटरी—बी० एल० रलियाराम।

यंगविमेन्स क्रिश्चियन एसोसियेशन आफ़ इंडिया, कलकत्ता

स्थापना १८७५, उद्देश्य–यूरोपियन एङ्गलो इंडियन व भारतीय युवतियों व कन्याओं की आध्यात्मिक, बौद्धिक, शारीरिक व सामाजिक उन्नति करना। शाखायें १५४। संस्था के २३ निवास-गृह हैं। संस्था का कार्य वाई० एम० सी० ए० के ही धरती पर होता है। कन्याओं के लिये शारीरिक व्यायाम, खेल, क्लब, व्याख्यान, व्यापारिक शिक्षा, बाइबिल शिक्षा व सामाजिक सभा आदि का प्रबंध किया जाता है। पता—१३४ कोरपोरेशन स्ट्रीट कलकत्ता।

इंडियन इकोनोमिक सोसाइटी, बम्बई

स्थापना १९१५। उद्देश्य--अर्थ-शास्त्र का अध्ययन शास्त्रीय दृष्टि से करना और भारत के उद्योगधन्धों का निश्चित ज्ञान एकत्र करना। एक त्रैमासिक पत्रिका "दी जर्नल आफ दी इंडियन एकोनोमिक सोसाइटी" संस्था से प्रकाशित होती है. आफिस—सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटीज होम, गिरगांव, बम्बई।

पारसी राजकीय सभा, बम्बई

स्थापना १९८१। उद्देश्य-राजकीय विषयों की पारसी समाज को शिक्षा देना और पारसियों में राजनैतिक कार्य की रुचि उत्पन्न करके भार-तोन्नति में अन्य समाजों की सहा-यता करने के लिये उनको तैयार करना। अध्यक्ष-एम०आर०बोमनजी, सेक्रेटरी—मि० बी० एफ० भारुचा, पता- लिप्टन कम्पनी के सामने-अपोलो स्ट्रीट, फोर्ट बम्बई।

सर्वेण्ट्स आफ इंडिया सोसाइटी, पूना

यह संस्था स्व० देशभक्त गोपाल-कृष्ण गोखले ने १९०५ में स्थापित

की थी। इस संस्था का उद्देश्य ऐसे देशसेवकों को तैयार करना है जो देश-सेवा को धर्म समझकर उसके लिये अपना पूरा आयुष्य देवें। यह संस्था सर्व वैध उपायों द्वारा भारतवासियों के हितवृद्धि के प्रयत्न करने का उद्देश्य अपने सामने रखती है। संस्था का मुख्य आफिस पूना में है और बम्बई, मद्रास, इलाहाबाद, नागपुर, में शाखायें हैं। उप-शाखायें कालीकट। मंगलोर, लखनऊ, लाहौर व कटक में हैं। सेवक को प्रवेश के अनन्तर तीन वर्ष तक पूना में और दो साल तक और जगह पर कुल पांच साल तक अस्थायी रूप से रहना पड़ता है। हर मेंबर को प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि देश ही का स्थान उसके हृदय में सदा प्रथम रहेगा और वह जात-पांत विचार छोड़कर सब भारतवासियों की सेवा भ्रातृ-भाव से करेगा। स्वर्गीय गोखले के बाद आनरेबुल मि० सी० एस० श्री निवास शास्त्री प्रेसीडेंट हुए और तदनन्तर मि० गो० कृ० देवधर प्रेसी-डेन्ट हुए। उनकी मृत्यु पर अब श्री० हृदयनाथ कुंजरू प्रेसीडेन्ट हैं। सहकारी समितियों का आन्दोलन, दुर्भिक्ष-पीड़ितों की सहायता, मजदूर-संगठन व अन्य सामाजिक कार्यों में संस्था के मेंबर प्रमुख भाग लेते हैं। सोसाइटी के तीस मेंबर हैं और उसके नियंत्रण में 'हितवाद,' 'ज्ञानप्रकाश', व 'सर्वेंट आफ इंडिया', समाचार-पत्र प्रकाशित होते हैं।

अखिल भारतीय चरखा-संघ, अहमदाबाद

यह संस्था सितम्बर सन् १९२५ में पटना में आल इंडिया कांग्रेस-कमेटी की बैठक के अवसर पर महात्मा गांधी द्वारा कायम हुई। मुख्य उद्देश्य यह था कि खादी-प्रचार के कार्य में राजनैतिक कार्यों से बाधा न पड़े। कांग्रेस-कमेटी ने अपना कुल धन, जो खादी-कार्य में लगा हुआ था, इस संस्था को प्रस्ताव द्वारा दे दिया। पाँच वर्ष के लिये एक कार्यकारिणी कमेटी भी बना दी गई और उसके लिये नियम भी बना दिये गये।

प्रान्तों में एजेन्ट और सेक्रेटरी नियत हैं जो संस्था का कार्य चलाते हैं।

इस समय इस संस्था के ४९२३ खादी बनानेवाले ग्राम और २५६ बेचने वाले भंडार हैं। सन् १९३६ में संस्था की ओर से ४४२००६३१ वर्ग-गज़ खादी तैयार की गई और २४३१४२२ रु० की बेची गई।

इस संस्था का यह भी कार्य है कि खादी-प्रचार के लिये रुई धुनकना, कातना, बुनना, रँगना, सूत

जांचना, और यन्त्र बनाना विद्यार्थियों को सिखावे।

इसके अतिरिक्त संघ की ओर से प्रमाणित खादी तैयार करने के केन्द्र १६४३ हैं। जिन्होंने सन् १६३६ में १७५३०६६ वर्गगज़ खादी बनाई, और १०,१६,३१६ रु० की बेची। प्रेसीडेन्ट—महात्मागांधी। सेक्रेटरी—शंकरलाल बैंकर, खजांची—सेठ जमनालाल बजाज।

सर्वेन्ट्स आफ दी पीपुल्स सोसाइटी, लाहौर

सन् १६२१ में स्वनामधन्य लाला लाजपतराय जी ने इस समिति की नींव डाली। उद्देश्य—राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षासम्बन्धी क्षेत्रों में मातृभूमि की सेवा के लिये होनहार और शिक्षित नवयुवकों को तैयार करना। प्रत्येक व्यक्ति को, जो सोसाइटी में शामिल होता है, यह प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि वह कम से कम बीस साल तक सोसाइटी की सेवा करेगा, उसके उद्देश्यों को सफल बनाने की पूरी कोशिश करेगा, और कोई कार्य ऐसा नहीं करेगा जो सोसाइटी के उद्देश्यों के प्रतिकूल हो। सोसाइटी के मेम्बर वे ही लोग बनाये जा सकते हैं जो ग्रेजुएट हों या उतनी योग्यता रखते हों। सोसाइटी का सारा प्रबन्ध कार्यकारिणी कमेटी करेगी जिसमें सिर्फ सोसाइटी के मेम्बर होंगे और जिसके मेंबरों का चुनाव हर साल सोसाइटी के मेम्बरों, द्वारा हुआ करेगा। लालाजी संस्था के नियमों द्वारा प्रथम सभापति थे। बाद में हर तीसरे साल सभापति का चुनाव हुआ करेगा, ऐसा नियम है। सभापति मेंबरों में से ही चुना जायगा। सोसाइटी के सहायकोंमें से "एसोशिएट" भी बनाये जाते हैं।

अपने मेम्बरों के गुजारे मात्र के लिये सोसाइटी कुछ वृत्ति देती है जो ५० रुपये मासिक से आरंभ होकर ११० रुपये मासिक तक है। बच्चों के लिये तथा घरभाड़ा अलग मिलता है। इस सम १४ आजीवन सदस्य हैं।

आजीवन सदस्य

(१) लाला फिरोजचन्द (२) लाला अचिन्तराम (३) लाला जगन्नाथ (४) देवराज सेठी (५) मोहनलाल (६) बलदेव चौबे (७) अलगूराय शास्त्री (८) हरिहरनाथ शास्त्री (६) हनुमानप्रसाद माथुर (१०) लिङ्गराज मिश्र (११) लालबहादुर शास्त्री (१२) बलवन्त राय मेहता (१३) अमरनाथ विद्यालङ्कार (१४) लाला छबीलदास।

सभा की कार्यकारिणी समिति—श्रीपुरुषोत्तम दास टंडन (प्रेसीडेन्ट), श्री फीरोजचन्द, श्री अचिन्तराम, श्री मोहनलाल, श्री छबीलदास, श्री जगन्नाथ (सेक्रेटरी)

हरिजन-उद्धार का कार्य सोसाइटी की तरफ से पंजाब और संयुक्त प्रान्त में हो रहा है। अछूतोद्धार के कार्य पर हर साल ४० हजार रुपया खर्च किया जा रहा है।

सोसाइटी के प्रयत्नों से पंजाब और संयुक्त प्रान्त में सहयोग-समितियों (कोआपरेटिव सोसाइटीज) का कार्य खूब जोर पकड़ रहा है।

सोसाइटी के आधीन दोनों प्रान्तों में अछूतों की शिक्षा के लिये १०० से अधिक पाठशालायें खुल चुकी हैं। मेरठ में कुमार-आश्रम और लाहौर में श्रद्धानन्द-आश्रम सोसाइटी द्वारा सञ्चालित हो रहे हैं। इन आश्रमों में आक्षरिक ज्ञान के अलावा बच्चों को रहन-सहन का ढङ्ग सिखाया जाता है और उन्हें समाज-सेवा के लिये तैयार किया जाता है।

सोसाइटी द्वारा किये हुए आन्दोलन से पंजाब-सरकार ने एक विज्ञप्ति निकालकर बेगार को गैर कानूनी करार दे दिया है। सोसाइटी की ओर से 'बन्देमातरम्' (उर्दू) और 'पीपुल' (अंग्रेजी) यह दो पत्र प्रकाशित होते हैं। जिन्होंने अल्प काल में ही बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है।

सोसाइटी के सदस्यों ने बिहार-भूकम्प के समय, तथा यू० पी० किसान-आन्दोलन तथा बाढ़, क़हत आदि के समय बड़ी तत्परता से काम किया है। लाहौर में स्वास्थ्य, शिशुपालन व व्यायाम वगैरह की शिक्षा का प्रबन्ध भी सोसाइटी की ओर से हुआ है। बाढ़-पीड़ितों की सहायता व मजदूर-सङ्गठन का कार्य भी सोसाइटी करती है। सोसाइटी के मेम्बरों को कांग्रेस के कार्य में भाग लेने की पूर्ण आजादी है और कई मेम्बर राजनैतिक जीवन के खास अङ्ग हैं। सन् १९३०–३२ के आन्दोलन में सोसाइटी के अनेक मेम्बर जेल गये। स्वर्गीय लाला लाजपतराय असेम्बली के मेम्बर थे और पं० लिंगराज मिश्र बिहार उड़ीसा कौंसिल के मेम्बर थे। इस समय श्री पुरुषोत्तमदास टंडन (प्रेसीडेंट) यू० पी० एसेम्बली के "स्पीकर" हैं और अलगूराय शास्त्री, लालबहादुर शास्त्री, तथा राजाराम शास्त्री उक्त एसेम्बली के मेम्बर हैं और हरिहरनाथ शास्त्री यू० पी० कौंसिल के नियोजित सदस्य हैं।

संस्था का धन लगभग ढाई लाख रुपया है। इसके अतिरिक्त लालाजी स्मारक-फण्ड भी जमा हुआ है।

वार्षिक खर्च लगभग २८००० है।

हिन्दू अबलाश्रम, कलकत्ता

श्री० फूलचन्द चौधरी, श्री० पद्म-राज जैन, श्री० बालकृष्ण मेहता तथा अन्य सज्जनों ने मिलकर यह आश्रम विधवाओं तथा अनाथ स्त्रियों की रक्षा के लिये सन् १९२४ में खोला। सन् १९२८ में ऐसी १९ कुमारी बालिकायें आईं जिन्हें उनके सम्बंधियों ने ही भ्रष्ट कर दिया था और वे गर्भवती हो गईं। ७२ बच्चों में से ३२ अपनी माताओं के साथ गये और १८ मर गये। शेष का प्रबन्ध कर दिया गया। ३१ मई १९२८ को ४४ बालिकायें थीं। वार्षिक व्यय १३०९०) है। स्थायी मासिक आमदनी २५०) है।

सर्वेंट्स आफ़ दि नेशन सोसाइटी, झांसी (राष्ट्रसेवा-मंडल)

यह संस्था सन् १९३२ में श्रीयुत र० वि० धुलेकर द्वारा राष्ट्रसेवा के लिये स्थापित की गई। इसी प्रकार की अन्य सभाओं के सदृश आजीवन सदस्यों के लिये मासिक पुरस्कार आदि के लिये नियम हैं। जो सज्जन संस्था के उद्देश्यों से सहानुभूति रखते हैं और धन द्वारा तथा परिश्रम द्वारा सहायता करते हैं उन्हें "एसोशियेट" कहते हैं।

इस संस्था के पास लगभग ६० हजार रुपये की अचल सम्पत्ति है। संस्था ने सन् १९३४ में बुन्देलखंड, आयुर्वेदिक कालेज, झांसी में स्थापित किया। दो सार्वजनिक औषधालयों द्वारा जनता की सेवा की जा रही है।

संस्था का कार्यसंचालन कार्य-समिति द्वारा होता है जिसके प्रधान र० वि० धुलेकर हैं और मंत्री श्री० कुंजविहारीलाल शिवनी बी. ए. एलएल. बी. हैं। संरक्षक—श्रीयुत पुरुषोत्तमदास टंडन हैं। पता—झांसी।

आल इंडिया विमेन्स (महिला) कान्फ्रेन्स

इस कान्फ्रेन्स की स्थापना सन् १९२६ में श्रीमती मारगरेट ई० कजिन्स (सेक्रेटरी विमेन्स इंडियन एसोसियेशन, अडियार मद्रास) के प्रयत्नों से हुई। उन्होंने पत्रों द्वारा सब स्त्री-समाज से अपील की कि प्रान्तों में महिला-समाज कायम करें और अपने विचार शिक्षा संबंधी प्रकट करें। सन् १९२६ में अनेक प्रान्तों में कान्फ्रेन्सें हुईं और प्रथम अखिल भारतवर्षीय महिला कान्फ्रेन्स ता० ५ जनवरी १९२७ में पूना में हुई। अध्यक्षस्थान श्रीमती महारानी गायकवाड़ ने ग्रहण किया। सन्

१६२८ में कान्फ्रेन्स श्रीमती बेगम माता भूपाल की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई। इस कान्फ्रेन्स में लेडी इर्विन भी सम्मिलित हुईं। प्रस्तावों द्वारा श्री हरबिलास शारदा के 'विवाह नियमन बिल' का समर्थन तथा केन्द्रीय एसेम्बली में स्त्रियों के लिये काफी सदस्यतायें मिलने की मांग की गई। स्त्री-शिक्षा के लिये एक फंड भी कायम किया गया। कान्फ्रेन्सें बराबर हर साल होती हैं। सन् १६३१ में डा० श्रीमती मुथुलक्ष्मी रेडी की अध्यक्षता में जो कान्फ्रेन्स लाहौरमें हुई उसमें शिक्षा व अछूतोद्धार के प्रश्नों के अतिरिक्त राजनीति का प्रवेश भी कान्फ्रेन्स में हुआ और उसके बाद प्रतिवर्ष यह कान्फ्रेन्स अधिक उत्तरोत्तर राजनैतिक स्वरूप धारण करती जाती है। नये शासन-विधान तथा दिन-प्रतिदिन सामने आनेवाले प्रश्नोंपर कान्फ्रेन्स में विचार होता है। इस कान्फ्रेन्स ने ज्वाइन्ट पार्लामेंटरी कमेटी के सामने अपना आवेदनपत्र भेजा और ३ प्रतिनिधियों ने लंदन जाकर गवाही भी दी।

अखिल भारतीय हरिजन-सेवक-संघ

महात्माजी ने इस संघ की स्थापना की। इसका संचालन एक केन्द्रीय बोर्ड द्वारा हुआ जिसमें प्रेसीडेंट, मन्त्रीगण, खजांची तथा सब प्रान्तीय बोर्डों के प्रेसीडेंट और १५ तक अधिक सदस्य होते हैं। प्रेसीडेंट हर तीन वर्ष चुना जाता है। कुल सम्पत्ति ट्रस्टियों के हाथ में रहती है। सन् १६३५ में २४ प्रान्तीय बोर्ड थे जिनमें लगभग १७६ जिला और १५४ ताल्लुका कमेटियाँ काम करने लगी थीं।

इस संघ के काम अनेक हैं। उद्योगगृह, रात्रि-पाठशाला, हरजन-पाठशाला आदि खोले जाते हैं। हरिजनों के लिये कुएँ बनवाना तथा पब्लिक कुओं से हरिजनों को पानी लेने का अधिकार दिलाना, मंदिरों में प्रवेश मिलना, सर्वसाधारण जनता में अछूतपना के भावों को नष्ट करना, हरिजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियाँ दिलाना आदि आदि इस संघ के कार्य हैं। श्री० ए० वी० ठक्कर प्रधान मन्त्री संघ के हैं।

संघ ने दिल्ली में एक "हरजन बस्ती" भी बसाई है और म्यूनिसिपैलिटियों में यह प्रयत्न किया जा रहा है कि हरिजनों के लिये साफ़-सुथरे मकानात बनवाये जावें और उनकी वर्तमान आबादियों को उन्नत किया जावे।

महात्माजी ने हरिजन कार्य के लिये ७ नवम्बर १६३३ से अगस्त

१६३४ तक सारे भारतवर्ष में दौरा किया था और इस कार्य के लिये धन एकत्र किया था। पता—वर्धा।

नागरीप्रचारिणी सभा, काशी

काशी-नागरीप्रचारिणी सभा की स्थापना १६ जुलाई १८६३ ई० को हुई थी। इन ३७ वर्षों में इस सभा ने हिन्दी की निस्सीम सेवा की है।

संयुक्तप्रदेश की अदालतों में फारसी अक्षरों का पूर्ण प्रचार था। देवनागरी अक्षरों का नाममात्र को भी कहीं प्रवेश न था। इससे साधारण प्रजा को तो कष्ट होता ही था, साथ ही साथ प्रारम्भिक शिक्षा के प्रचार में भी बड़ी बाधा पड़ती थी। इन विचारों से प्रेरित होकर सभा ने अदालतों में नागरी अक्षरों के प्रचार का विशेष उद्योग आरम्भ किया। इस उद्योग का परिणाम यह हुआ कि सन् १८६८ में संयुक्तप्रदेश की गवर्नमेंट ने यह आज्ञा निकाल दी कि जो सज्जन चाहें वे अदालतों में आवेदन पत्रादि नागरी अक्षरों में दे सकते हैं और अदालतों से जो समन आदि निकलें वे नागरी और उर्दू दोनों ही लिपियों में निकलें।

सन् १८६६ में संयुक्तप्रदेश की गवर्नमेंट ने सभा का हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों की खोज के लिये ४००) की वार्षिक सहायता देना स्वीकार किया। गवर्नमेंट अपनी यह सहायता बढ़ाती रही और अब सन् १६२१ से वह सभा को इसके लिये २०००) की सहायता प्रतिवर्ष देती है। इन वर्षों में सैकड़ों नये कवियों तथा कई सहस्र ग्रन्थों का पता लगा है और अनेक ग्रन्थों के सन्-सम्बत् आदि का ठीक २ निश्चय किया गया है। सन् १६३५–३६ में ३११ हस्त-लिखित ग्रन्थों का विवरण लिया गया। इनमें से २२६ इटावा ज़िले में लिये गये।

पंजाब की गवर्नमेंट ने भी अपने प्रान्त में प्राचीन हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकों की खोज के लिये सन् १६२१ से १६२३ तक तीन वर्ष ५००) की वार्षिक सहायता दी थी, पर अब वह बन्द हो गई है।

प्राचीन पुस्तकों की खोज के साथ ही साथ सभा ने चुनी चुनी पुस्तकों को प्रकाशित करना भी आरंभ कर दिया। ये पुस्तकें नागरीप्रचारिणी ग्रन्थमाला के नाम से प्रकाशित हुई हैं।

इस काम में भी संयुक्तप्रदेश की गवर्नमेंट ने कई वर्षों तक कभी २००) और कभी १००) की वार्षिक सहायता दी थी। श्रीमान् अलवर नरेश ने तुलसी-ग्रन्थावली प्रकाशित करने के लिये ५०००) की सहायता दी थी।

हिन्दी में वैज्ञानिक शब्दों का बड़ा अभाव था और विज्ञान-संबंधी लेख या ग्रन्थ लिखने में बड़ी कठिनता पड़ती थी। अतः सन् १८९८ में सभा ने यह निश्चय किया कि भूगोल, ज्योतिष, अर्थशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणितशास्त्र, पदार्थ विज्ञान तथा दर्शनशास्त्र के अंग्रेजी शब्दों का एक कोश उनके पर्यायवाची हिन्दी शब्दों के साथ तैयार किया जाय। सात वर्षों के निरन्तर उद्योग के अनन्तर सन् १९०८ में यह कोश छपकर प्रकाशित हुआ। इसमें अंग्रेजी के १०३३० और हिन्दी के १६२६६ शब्द हैं।

सन् १९०८ में इस सभा ने हिंदी में एक सर्वाङ्गपूर्ण बृहत् कोश के निर्माण करने का काम अपने हाथ में लिया और सन् १९२८ में यह कोश तैयार हुआ। सभा ने यह भी निश्चय किया है कि इस कोश का एक संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित किया जाय। बाबू श्यामसुन्दरदास ने इस कोष की तैयारी में बड़ा परिश्रम किया है।

सन् १९१४ से सभा ने मनोरंजन पुस्तकमाला नाम की एक पुस्तकावली छापना आरंभ किया।

जोधपुर के प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता स्वर्गवासी मुन्शी देवीप्रसादजी ने सन् १८९८ में इस सभा को बम्बई (अब इम्पीरियल) बंक के ७ हिस्से इसलिये दिये थे कि इनकी आय से सभा हिन्दी में इतिहास-सम्बन्धी पुस्तकें प्रकाशित करे। इसमें अब तक अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं।

शाहपुरा के श्रीमान् महाराज कुमार उम्मेदसिंहजी से उनकी स्वर्गीया धर्मपत्नी श्रीमती महाराज कुँवरानी श्री सूर्यकुमारी देवी की स्मृति में हिन्दी की उन्नति के लिये ४ वर्ष तक प्रतिवर्ष २ हजार रु० सभा को मिलते रहे। इस सहायता से सभा ने "सूर्यकुमारी पुस्तकमाला" प्रकाशित की। जयपुर राज्य के बारहट बाला-बख्शजी ने राजपूतों और चारणों के रचे हुए ऐतिहासिक ग्रन्थ और कविता की पुस्तकें प्रकाशित करने के लिये सभा को ७०००) दिये थे। इस सहायता से बारहट बालाबख्श राज-पूत चारणपुस्तकमाला प्रकाशित होती है जिसमें बांकीदास की ग्रन्थावली और बीसलदेव रासो ये दो ग्रन्थ निकले हैं।

सन् १९०७ में सभा ने यह निश्चय किया कि हिन्दी का एक सर्वाङ्ग-सुन्दर व्याकरण बनना चाहिये यह काम पंडित कामताप्रसाद गुरू को सौंपा गया। जिन्होंने आठ वर्ष के निरन्तर परिश्रम के अनन्तर एक व्याकरण तैयार किया। हिन्दी के

प्रसिद्ध विद्वानों की एक समिति के निर्देश के अनुसार यह व्याकरण संशोधित होकर छप गया। इसके कई संक्षिप्त संस्करण भी तैयार हुए हैं और भिन्न २ स्थानों में पाठ्यक्रम के अन्तर्गत आ गये हैं।

सभा ने अपने जीवन के चौथे वर्ष में 'नागरीप्रचारिणी पत्रिका' नाम की एक त्रैमासिक पत्रिका निकालना आरंभ किया था। ११ वर्ष तक यह त्रैमासिक रूप में निकली। १२वें वर्ष से इसका रूप मासिक हो गया। सम्वत् १९७७ से इसे पुनः त्रैमासिक रूप दिया गया और अब इसमें प्राचीन शोध संबंधी लेख ही दिये जाते हैं। हिन्दी में यह अपने ढंग की बिलकुल नई और अद्वितीय पत्रिका है।

सभा ने अपने जीवन के दूसरे वर्ष से हिन्दी की सुन्दर हस्तलिपि के लिये पुरस्कार देना आरंभ किया था। पहले पहल यह पुरस्कार संयुक्त-प्रदेश के वर्नाक्यूलर स्कूलों के विद्यार्थियों को दिया जाता था, पर सन् १९१९ से प्रति वर्ष ४४) के पुरस्कार संयुक्तप्रदेश के समस्त स्कूलों के विद्यार्थियों में बाँटे जाते हैं।

इसके अतिरिक्त अनेक पुरस्कार ग्रन्थकारों को सभा से दिये जाते हैं जिनके साथ एक एक पदक भी दिया जाता है। उल्लेखनीय ये हैं—

मेहता जोतसिंह पुरस्कार—इतिहास विषयक सर्वोत्तम ग्रन्थ के लिए प्रति तीसरे वर्ष दिया जाता है।

छन्नूलाल पुरस्कार—विज्ञान विषयक सर्वोत्तम ग्रंथ के लिये।

रत्नाकर पुरस्कार—व्रज भाषा की सर्वोत्तम कविता के लिए।

बटुकप्रसाद पुरस्कार—सर्वोत्तम शिक्षाप्रद मौलिक उपन्यास या नाटक के लिए। इसके साथ सुधाकर रौप्य पदक दिया जाता है।

द्विवेदी स्वर्णपदक—"काव्य में रहस्यवाद" नामक ग्रन्थ के लिए। यह पदक पं० रामचन्द्र शुक्ल को दिया गया। अब से सर्वोत्तम ग्रन्थ के रचयिता को प्रति वर्ष दिया जाता है।

आर्यभाषा पुस्तकालय जिसमें हिन्दी की लगभग १३९३० छपी पुस्तकें, अंग्रेजी की करीब २१६४ पुस्तकें तथा १२० पत्र-पत्रिकायें आती हैं। ११ गुजराती, ३ मराठी, १ बङ्गला और १ गुरुमुखी भी आती है। हिन्दी का इतना बड़ा पुस्तकालय भारतवर्ष में दूसरा नहीं है। पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी का भी संग्रह अब इसी पुस्तकालय में सम्मिलित है जिससे इसका महत्त्व और भी बढ़

गया है। इस संग्रह में कई सहस्र अच्छे अच्छे ग्रन्थ हैं। पुस्तकालय को १०००) प्रान्तीय गवर्नमेंट से तथा बनारस के म्यूनिसिपल बोर्ड से भी ३६०) वार्षिक प्राप्त होता है। सन् १६३५—३८ में व्यय २७३५ रु० हुआ।

सभाभवन निज का है। सन् १६०४ में यह भवन बनकर तैयार हुआ था।

इस सभा को "सरस्वती" पत्रिका तथा "हिन्दी साहित्य-सम्मेलन" को जन्म देने का गौरव प्राप्त है, और इसने हिन्दी के उत्थान, प्रसार तथा प्रचार में अमूल्य सहायता की है।

भारत-कला-भवन—१००० चित्र राजपूत, मुगल तथा कांगड़ा शैली के हैं। प्राचीन मूर्तियों की संख्या लगभग १०० से अधिक है। प्राचीन सिक्कों की संख्या ३०० के लगभग है। बहुमूल्य साहित्यिक, और ऐतिहासिक ग्रन्थ, सोने और चांदी की बनी हुई मूल्यवान् मीने की वस्तुओं, हाथीदांत की तथा पीतल और अन्य धातुओं की बनी हुई वस्तुओं और ऊनी, रेशमी तथा सूत के प्राचीन वस्त्रों आदि का दर्शनीय संग्रह है।

सभा की ४४वीं रिपोर्ट (सं० १६६३ वि०) के अनुसार आय १७७१५) और व्यय १६७६१) है।

संस्था ने हिन्दी भाषा की बड़ी भारी सेवा की है, इसमें सन्देह नहीं।

संस्था के प्रधान कार्यकर्ता निम्नलिखित हैं—

सभापति—बाबू श्यामसुन्दरदास

उपसभापति—पंडित रामनारायण मिश्र, ठा० शिवकुमारसिंह, प्रधान मंत्री—कृष्णदेवप्रसाद गौड़, साहित्य मंत्री पं० विद्याभूषण मिश्र।

दुर्गावती आश्रम, जबलपुर

मध्यप्रांत में सन् १६२६ से दुर्भिक्ष जारी होने के कारण सूबे के कार्यकर्ताओं ने दुर्भिक्ष-पीड़ित किसानों की सहायता के लिए यह संस्था स्थापित की। मुख्य संस्थापक श्रीयुत सेठ गोविन्ददास हैं। इसका उद्देश्य यह नहीं है कि मुफ़्त रुपया या नाज बांटा जावे किन्तु किसानों मज़दूरों को कोई लाभदायक कार्य दिया जावे।

अखिल भारतवर्षीय वैद्य सम्मेलन

सरकार से आयुर्वेद को हरतरह दबाये जाने पर वैद्य-समुदाय ने उपरोक्त सम्मेलन की स्थापना २७ वर्ष पहिले की।

२६वें आयुर्वेद-सम्मेलन के सभापति वैद्यशास्त्री प्राणाचार्य नारायणशङ्कर देवशंकरजी थे जिनका

स्वर्गवास १६३७ में हुआ। प्रधान मन्त्री श्रीकविराज रसायना-चार्य प्रतापसिंहजी हैं। सम्मेलन केअधिवेशन प्रतिवर्ष विभिन्न स्थान में होते हैं।

गीता धर्म मण्डल, पूना।

इस मंडल की स्थापना ता० २३ जूलाई १६२४ को हुई। मंडल का उद्देश्य यह है कि श्रुति, स्मृति विशेषतः ईशोपनिषद् महाभारत भगवद्गीता के आधार पर प्रचार शिक्षण, और ग्रन्थ प्रकाशन द्वारा कर्म योगात्मक गीता धर्म का प्रसार किया जावे।

रचना।

मण्डल के सहायक निम्न प्रकार के हैं:—

(१) आश्रयदाता—जो ५०० रुपया या अधिक एकदम देवें।

(२) सभासद जो एकदम १०० रु० या अधिक देवें।

(३) चंदा देनेवाले—जो मण्डल को प्रति वर्ष ५ रु० देते हों।

(४) हितचिंतक—जो कुछ भी सहायता दें।

इस मण्डल द्वारा गीताजयन्ती उत्सव प्रति वर्ष मार्गशीर्ष शुद्ध ११ को मनाए जाने का प्रयत्न किया जाता है और भारतवर्ष में गीता-जयन्ती मनाई जावे, ऐसा आन्दोलन किया जा रहा है। अनेक स्थानों में गीताजयन्ती मनाई जाने लगी।

गीता-रहस्य-विषयक निबन्ध के लिए प्रतिवर्ष इनाम देने के लिए रुपया जमा कर लिया गया है और जो व्यक्ति इस विषय पर सर्वोत्तम निबन्ध लिखे उसे दिया जाता है।

मण्डल के मुख्य कार्यकर्ता निम्न लिखित हैं—

१—नृसिंह चिन्तामणि केलकर अध्यक्ष

२—वे० शा० स० सदाशिव शास्त्री भिडे प्रचारक।

३—ग० वि० केतकर—खजांची व मन्त्री।

अखिल भारतवर्षीय अछूतोद्धार सभा, कानपूर

इस सभा की स्थापना पं० मदन-मोहन मालवीय, स्व० ला० लाजपतराय तथा श्री० घनश्यामदास बिड़ला के प्रयत्नों से कुछ वर्ष पहिले स्थापित हुई।

अछूत कहानेवाली जातियों को निम्नलिखित सुविधाएँ दिलाने का प्रयत्न करना इस सभा का उद्देश्य है:—

(१) अछूत प्रथा का मिटाना।

(२) अन्य हिन्दू जातियों के समान अछूतों को सामाजिक

अधिकारों को प्राप्त करना जैसे पबलिक कुओं से अछूतों को पानी लेने देना, सार्वजनिक कार्यों में समान रूप से भाग लेने देना, सार्वजनिक पाठशालाओं में शिक्षा लेने देना, मन्दिरों में देवदर्शन लेने देना आदि।

इस सभा की शाखाएँ भारतवर्ष भर में हैं। सभा का कार्य सन् १९२४ से १९२७ तक अधिक जोर से चला क्योंकि उस काल में हिन्दू-मुसलिम अनबन बहुत बढ़ गई थी और दोनों ओर से अपने अपने धर्म की उन्नति करने के प्रयत्न किए जा रहे थे।

ला० लाजपतराय के तिलक स्कूल आफ पोलीटिक्स के कुछ कार्यकर्ता इस कार्य में लगे हुए हैं। सभा की ओर से संयुक्तप्रांत, बिहार, पंजाब में अनेक शाखाएँ हैं। अछूतोद्धार सभा के प्रधान मन्त्री का कार्य श्रीयुत लाला रामप्रसाद (भूतपूर्व सम्पादक बन्देमातरम्) कुछ वर्षों तक करते रहे।

महाराष्ट्र-साहित्य सभा, इन्दौर।

स्थापना—सितम्बर सन् १९१५। उद्देश्य—मराठी साहित्य की उन्नति। सभापति—श्रीयुतरावबहादुर सरदार माधवराय विनायक किबे। मन्त्री—वि० हा० आपटे। पता—इन्दौर

श्रीगोवर्धन संस्था, बांई बम्बई

इस संस्था को श्री० बालकृष्ण मार्तंड चौंडे महाराज ने गोहत्या रोकने तथा गौओं की वृद्धि करने, उत्तम दूध का प्रयत्न करने, चरागाहों का प्रबन्ध करने आदि उद्देश्योंके लिए सं० १९९२ में स्थापितकी "गोरक्षण" पत्र प्रकाशित किया जाता है।

४०००० रु० खर्च करके ५०० एकड़ चराभूमि इस संस्था ने खरीदी है। लगभग ४० शाखायें खोली जा चुकी हैं।

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, प्रयाग

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की स्थापना सम्वत् १९६७ वि०(१९१०ई०) में काशी स्थान में हुई। प्रथम अधिवेशन के सभापति महामना पं० मदनमोहन मालवीय थे। चतुर्थ सम्मेलन के सभापति स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानंद थे। इस सम्मेलन में हिन्दी की परीक्षा संबंधी नियमावली बनाई गई। नागरी वर्णमाला पर विचार करने के लिये भी एक उप-समिति बनाई गई। अगले वर्ष से सम्मेलन के साथ हिन्दी पुस्तकों की प्रदर्शनी भी की जाने लगी। इसी सम्मेलन (लखनऊ) में परीक्षोत्तीर्ण विद्यार्थियों को सर्वप्रथम उपाधियाँ वितरण की गईं। आठवें सम्मेलन (इंदौर) के सभापति

महात्मा गांधी थे। उस वर्ष मद्रास प्रान्त में हिन्दी प्रचार का कार्य प्रारंभ किया गया। १६वां सम्मेलन गोरखपुर में श्रद्धेय अमर शहीद गणेशशंकर विद्यार्थी के सभापतित्व में हुआ था।

मंगलाप्रसाद-पारितोषिक

कलकत्ते के प्रसिद्ध साहित्यप्रेमी सेठ गोकुलचंद ने ४००००) रुपये के प्रामीसरी नोट प्रदान किये जिसके ब्याज से १२००) रुपये हर साल उत्तम पुस्तक के लेखक को दिया जाया करे। उनके भ्राता स्वर्गीय मंगलाप्रसाद के नाम से यह पारितोषिक प्रतिवर्ष दिया जाता है।

सम्मेलन परीक्षायें

भारत के कोने कोने से विद्यार्थी सम्मेलन की परीक्षाओं में प्रतिवर्ष बैठते हैं।

हिन्दी-विद्यापीठ

सम्मेलन की ओर से एक हिन्दी-विद्यापीठ भी स्थापित किया गया है।

पुस्तकप्रकाशन

सम्मेलन का एक साहित्य-विभाग है जिसमें पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य होता है।

सम्मेलन अपनी एक पत्रिका भी प्रकाशित करता है।

हिन्दी-प्रचार

सम्मेलन का मुख्य कार्य हिन्दी का प्रचार कार्य है। मद्रास, आन्ध्र, तामिल, कर्नाटक, मैसूर, सिंध, पंजाब, आसाम तथा बंगाल प्रदेशों में यह प्रचार किया जाता है। पता—प्रयाग।

सेन्ट्रल हिन्दू मिलिटरी एजूकेशन सोसाइटी नासिक

यह सोसाइटी भारतीय हिन्दू-समाज के नवयुवकों को फौजी शिक्षा देने के लिये डा० बी० एस० मुंजे ने अथक परिश्रम करके स्थापित की है। उनके प्रयत्नों से श्रीमान् मोतीलाल मानिक चंद उर्फ प्रताप सेठ ने १ लाख रुपया का दान दिया जो स्थायीकोश के रूप में रख दिया गया है और उस पर ४०००) रु० वार्षिक ब्याज मिलता है। अभी तक २½ लाख रुपया जमा हुआ है। १७० एकड़ भूमि नासिक के पास ली गई है और उसमें अनेक इमारतें तैयार की गई हैं।

भोंसला मिलिटरी स्कूल

सोसाइटी की ओर से जो फौजी विद्यालय खुला है उसका नाम भोंसला मिलिटरी स्कूल रखा गया है। ६० विद्यार्थियों के रहने का प्रबंध किया गया है। १५ जून १६३७ से विद्यालय खुला और २० जून १६३८ से अभ्यास प्रारंभ हुआ है।

भूमि का नाम "रामभूमि" रखा गया है और उसके गिर्द (१) हिन्दूकुश, (२) कन्याकुमारी, (३) फारस की खाड़ी, (४) ब्रह्मा-जापान, (५) अफ़ग़ानिस्तान (६) अदन-अरब (७) नैपाल (८) जगन्नाथपुरी नामक ८ द्वार हैं।

इमारतों के नाम रानी झांसी, रानी दुर्गावती, प्रताप आदित्य, बाजी चिमाजी आदि महान् स्त्री-पुरुषों के स्मारक रूप रखे जावेंगे। प्रेसीडेंट—प्रताप सेठ और प्रधान मन्त्री डा० बी० एस० मुंजे। पता—नासिक।

श्रीरामकृष्ण मिशन, बेलूर

श्रीरामकृष्णदेव परमहंस के स्वर्गवास (१८८६) के बाद ही स्वामी विवेकानंद की अध्यक्षता में संन्यासियों का एक संघ निर्माण किया गया जिसके उद्देश्य यह थे—(१) संन्यासियों का ऐसा मंडल स्थापित करना जो त्याग और व्यावहारिक अध्यात्म का जीवन व्यतीत करें और जिनमें से कार्यकर्त्ता तथा शिक्षक तैयार किये जावें जो वेदान्त तथा धार्मिक विचारों का प्रसार करें। (२) साधारण शिष्यवर्ग के सहयोग से प्रचारकार्य, और सेवाकार्य इस धरती पर किया जावे कि सर्व स्त्री, पुरुष और बालकों को बिना किसी रंग, धर्म अथवा जाति के भेदभाव के परमात्मा का ही स्वरूप माना जावे।

यूरोप से वापिस आकर स्वामी विवेकानंद ने सन् १८९७ में "रामकृष्ण मिशन एसोसियेशन" नामक संघ आरंभ किया था जिसके द्वारा प्रचारकार्य तथा सेवाकार्य किया जाता था। उन्होंने सन् १८९९ में बेलूर स्थान पर एक मठ स्थापित किया और सन् १९०१ में "ट्रस्ट" रजिस्टर्ड करा दिया। इसके बाद उपरोक्त 'रामकृष्ण मिशन संघ' का काम इस मठ ने करना आरंभ किया। किन्तु काम बहुत बढ़ जाने से यही उचित समझा गया कि अलग ही एक संस्था होनी चाहिये और सन् १९०९ में "रामकृष्ण मिशन" नामक संस्था सन् १८६० के ऐक्ट के अनुसार रजिस्टर्ड हुआ।

मठ की शाखायें अलग खोली गईं और रामकृष्ण मिशन की भी शाखायें भिन्न भिन्न स्थानों में खोली गईं।

'रामकृष्ण मिशन' भारतवर्ष में सबसे बड़ी परोपकारी संस्था है और उसमें कार्यवाहक केवल त्याग और सेवा के ही आधार पर कार्य करते हैं।

वेदान्त के प्रचार के लिये योरोप और अफ्रीका को इस मिशन और

डा० मुंजे

भाई परमानन्द

श्री० के. एफ. नरीमैन

श्री० सी. एफ. ऐन्ड्रूज़

और मठ से प्रचारक भेजे जाते हैं। मठ और मिशन का कोश अलग अलग है।

सन् १९३५ में २६ मिशन केन्द्र, १६ संयुक्त मठ और मिशन केन्द्र और २५ मठ केन्द्र भारत और ब्रह्मदेश में थे। इनके अतिरिक्त ४ केन्द्र लंका में, १ स्ट्रेट सेटलमेंट में, १ इंगलैंड में, १ जर्मनी में, १ दक्षिण अमरीका में, १२ यूनाइटेड स्टेट्स अमरीका में थे। इस संस्था का कार्य निम्न-लिखित आँकड़ों से स्पष्ट होगा—

भारत, लंका व स्टेट सेटलमेंट

९ अस्पताल ७०३९ रोगी
४४ दवाखाने १०,५०,३३२ रोगी
२८ आश्रम बाहरी सेवा करनेवाले
२४ आश्रम ६४४ विद्यार्थी
३ स्कूल निवासस्थानयुक्त २८६ लड़के।

७ हाई स्कूल १८८१ विद्यार्थी
३ औद्योगिक स्कूल ११० विद्यार्थी
६ मिडिल इं० स्कूल ७९१ ,,
४८ अपर व लो० प्रा० स्कूल ४८४९ विद्यार्थी
१५ रात्रिपाठशाला ५२९ विद्यार्थी
४ अनाथालय ८४ विद्यार्थी

बिहार-भूकम्प (१५ जनवरी १९३४) के अवसर पर रामकृष्ण मिशन ने कई सहस्र झोपड़े बनाये। २५३ कुएँ साफ किये और बहुत से बनाये। ३१८१ मन अन्न, १३४११ नये और १०३३४ पुराने कपड़े, १७१३ ऊन और ७७०६ रुई के कम्बल, ५०३१ बर्तन, ९३८ बालटियां तथा और बहुत सा उपयोगी सामान पीड़ितों को बाँटा।

पीड़ितों की सेवा और सहायता इस मिशन का कार्य है और यह कार्य पूर्णरूपेण निस्स्वार्थ बुद्धि से किया जाता है। यही इस संस्था की उपयोगिता के लिये कहना पर्याप्त है। पता—बेलूर।

यू० पी० किराना सेवासमिति, कानपुर

यह संस्था सन् १९२० में स्थापित हुई। लाला काशीराम इसके आजीवन अध्यक्ष हैं। उद्देश्य दीन-हीनजनों की सेवा करना है। समिति की ओर से एक बृहत् दवाखाना चलाया जाता है। स्वयंसेवकों द्वारा मेलों आदि अवसरों पर यात्रियों को सहायता दी जाती है। बिहार-भूकम्प में इस सेवासमिति ने प्रशंसनीय सेवाकार्य किया। कानपुर में लड़के तथा स्त्रियाँ गुंडों द्वारा भगाई जाती हैं, उनकी रोकथाम का प्रयत्न सफलता-पूर्वक किया। यह सेवासमिति ग़रीब विद्यार्थियों को उचित सहायता देती है। अंधे, लूले-लँगड़े, कोढ़ी, विधवायें तथा अनाथों

को अन्न-वस्त्र दान में दिये जाते हैं। जाड़ों में दीनों को कम्बल बांटे जाते हैं।

किराना बाज़ार में व्यापारियों से बिक्री पर आध आना रुपया प्रति-मन पर कटौती काटकर सेवासमिति को दी जाती है जिससे उपरोक्त कार्य किये जाते हैं। मन्त्री—कृष्णलाल गुप्त बी. ए. एल-एल. बी.।

क्षेत्र बाबा काली कमलीवाला, ऋषिकेश

वैकुण्ठनिवासी श्री १०८ बाबा काली कमलीवाले जब सं० १६४१ में उत्तराखण्ड की यात्रा को पधारे उस समय श्रीबद्रीनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री के रास्ते का यह हाल था कि बहुत खर्च करनेवाले यात्री को भी ठहरने के लिये जगह और भोजन के लिये अन्न नहीं मिलता था। साधारण यात्रियों की अवस्था तो अत्यन्त ही दुःखजनक थी। इस कारण इस यात्रा का फल बहुत कम लोग उठा सकते थे।

इस कष्ट की निवृत्ति के लिए वैकुण्ठनिवासी बाबा काली कमली वाले महाराज ऋषिकेश में बैठकर धर्मात्मा पुरुषों को इस मार्ग में जगह जगह धर्मशाला, सदावर्त, आदि खुलवाने का उपदेश किया करते ताकि यात्री और अभ्यागतों को आराम मिले और धर्मात्मा पुरुषों का धन भी शुभ कार्य में खर्च हो। जिस समय संवत् १६५३ में बाबा काली कमलीवाले महाराज का वैकुण्ठवास हुआ, उस समय आपके सामने यात्रा लाइन में ६ सदावर्त थे। कोश भी मामूली ही था और क्षेत्र का काम भी एक छोटे से रूप में था।

उनके बाद बाबा रामनाथजी ने, जो कि वैकुण्ठवासी बाबाजी के सामने भी क्षेत्र का कार्य-सम्पादन करते रहते थे, कार्यभार सम्भाला और ईश्वर की कृपा, बाबा जी की आत्मिक शक्ति के बल तथा सज्जन श्रीमानों की सहायता से आपने क्षेत्र के कार्य और कोश को विशाल रूप से बढ़ाते हुए क्षेत्र को एक स्थायी, लोकप्रिय, दातव्य संस्था के रूप में परिणत कर दिया।

आपने यात्रा लाइन में दुकान-दारों को पेशगी रुपया देकर दुकानें खुलवाईं और अपने पुरुषार्थ से ६८ सदावर्त और खुलवाये। आज बाबा जी के क्षेत्र के आधीन कुल ५७ सदावर्त, १२ औषधालय, ६५ धर्म-शाला, ४२ प्याऊ, ५ गौशाला, ३ पाठशाला, तथा एक आयुर्वेदिक कालेज, एक आयुर्वेदिक औषध-निर्माणशाला और सेवासमिति

है । सहस्रों यात्रियों को, साधु-संन्यासियों को, अबलाओं को, अनाथों को, रोगियों को अन्न, वस्त्र, उपयोगी सामग्री, तथा औषधि दी जाती है । संवत् १९८२ फाल्गुन बदी ३ को बाबा रामनाथ जी का भी स्वर्गवास हो गया । तब से बाबा मनीराम जी धर्मात्मा सज्जन श्रीमानों की सहायता और बाबाजी की तथा महात्माओं की कृपा से क्षेत्र का प्रबंध यथोचित करते चले आ रहे हैं ।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अमृतसर

यह संस्था ता० १५ नवम्बर १९२० ई० को स्थापित हुई । इस संस्था का उद्देश्य यह है कि सिख-पंथ के गुरुद्वाराओं का उचित प्रबंध सिखों द्वारा ही हो । आरम्भिक काल में सिखों के गुरुद्वाराओं का प्रबंध स्थानिक संगतों (सदस्यों के समूहों) के हाथों में रहता था जो अपना २ ग्रन्थी (पुजारी) नियत कर लेते थे । कभी २ समय पाकर यह ग्रन्थी स्वार्थवश, अपने आपको मालिक समझ लेते थे और दुष्कर्मों में लिप्त हो जाते थे । उस समय सिखों की संगतें ऐसे लोगों को हटा देती थीं । किन्तु अंग्रेजी राज्य में इन ग्रन्थियों को महन्तों जैसा मान कानून द्वारा मिलने लगा और ग्रन्थी ही (जो ग्रन्थ साहब के एक प्रकार के पुजारी थे) गुरुद्वारा के मालिक माने जाने लगे । संगतों की भी दृष्टि इन गुरुद्वारों की ओर कम हुई । फलतः गुरुद्वाराओं का प्रबंध बिगड़ गया और ग्रन्थी लोग आमदनी को नाच-रंग में उड़ाने लगे । जायदादें बरबाद की जाने लगीं । सन् १९१८ के करीब सिखों में गुरुद्वाराओं के सुधार की चर्चा चलने लगी । और अमृतसर के सुवर्णमन्दिर में नाचरंग बन्द किये जाने का प्रयत्न किया जाने लगा किन्तु सिखों की कुछ चल न सकी । गुरु गोविन्दसिंह ने सिखों को सशस्त्र सिपाही बना दिया था । ऐसे सशस्त्र योद्धाओं का नाम "अकाली" पड़ गया था । इन्हीं अकालियों ने गुरुद्वारा-सुधार-आन्दोलन आरम्भ किया । उन्हें यह देखकर अत्यन्त दुःख हुआ कि सुवर्ण गुरुद्वारा अमृत-सर के महन्त ने जनरल डायर को, जिसने जलियानवाला बाग में भीषण हत्याकांड किया था, 'खिलअत' दी । सन् १९२० में नानकाना साहब में एक ऐसा महन्त बना दिया गया जो सिखधर्म छोड़ चुका था । 'बावेदी बेर' नामक मुकदमा भी चला किन्तु सिख हार गये । सरकार ने सिखों को इस कार्य में कोई सहायता

न दी। इन्हीं बातों से सिखों ने निश्चय कर लिया कि बिना सरकारी सहायता के वे स्वयं अपनी शक्ति से गुरुद्वारों का सुप्रबंध कर लेंगे। इन कारणों से 'शिरोमणि गुरुद्वारा-कमेटी' की स्थापना हुई। इस कमेटी ने गुरुद्वारा-सुधार-आन्दोलन बड़े जोरशोर से चलाया। 'गुरु का बाग सत्याग्रह' इसी कमेटी ने चलाया और सरकार को हरा दिया। उस स्थान पर सहस्रों अकालियों को भारी से भारी चोटें सरकारी पुलिस व फौज द्वारा दी गईं। सहस्रों अकाली जेल भेज दिये गये, अनेक नेताओं को कड़ी सजायें दी गईं किन्तु सिख पीछे न हटे। जैतो-सत्याग्रह भी अकालियों द्वारा किया गया और वहाँ भी अकालियों की विजय रही। सन् १९२५ में सरकार ने मजबूर होकर एक ऐक्ट पास किया जिसके द्वारा सब गुरुद्वारा सिखों के हाथ में दे दिये गये और महन्तों की शक्ति तोड़ दी गई।

इस संस्था की निम्नलिखित शाखायें हैं—

१—छूततोड़ सभा। २—शहीद सिख मिशनरी कालेज। ३—कानून-विभाग (शि० मु० प्र० क०) लाहौर। और ४—प्रत्येक सिख गुरुद्वारा के लिये एक प्रबंधक कमेटी।

प्रबन्धक कमेटी के कोष के चार भाग हैं। १—प्रचार। २—गुरुद्वारा-सेवक-सहायता। ३ गुरुद्वारा बोर्ड। ४—जनरल ट्रस्ट कोष।

श्रीभारतधर्म महामंडल, काशी

प्रयाग में महाकुम्भ के अवसर पर श्रीस्वामी केशवानन्द, श्रीस्वामी बालानन्द आदि महापुरुषों ने इस प्रकार के मंडल स्थापित किये जाने का कार्य आरंभ किया। इसी के बाद ही मथुरा में 'निगमागममण्डली' खोली गई और शास्त्र-प्रकाशन का कार्य प्रारम्भ किया गया। सन् १९०१ में सनातनधर्म महापरिषद् दक्षिणधर्म मण्डली, पूर्व भारतधर्म महामण्डल उत्तर भारत, तथा अन्य सभाओं के सम्मेलन से इस अखिल भारतवर्षीय धर्म महामण्डल का जन्म हुआ। सन् १९०२ में इस संस्था की रजिस्ट्री हुई।

वर्णाश्रमधर्मावलम्बी हिन्दू जाति में संघशक्ति उत्पन्न करके उसके सब प्रकार के कल्याण करने के अभिप्राय से इस भारतधर्म महामण्डल का सूत्रपात हुआ। सनातनधर्म के अनुयायियों की यह मुख्य सभा है।

सबसे पहले इस संस्था ने यह प्रयत्न किया कि विभिन्न सम्प्रदायों द्वारा यह सभा सबकी प्रतिनिधि सभा मानी जावे। इसके अतिरिक्त

अनेक ग्रन्थ भी प्रकाशित किये गये। हिन्दू राजन्य वर्ग से और सरकार से सहानुभूति भी प्राप्त की गई।

इस सभा के संरक्षक दो प्रकार के हैं—(१) स्वाधीन हिन्दू नरपति (२) साम्प्रदायिक धर्माचार्यगण।

व्यवस्थापक सभा

धर्म के विवादास्पद विषयों के निर्णय करने के लिए और उचित धर्म व्यवस्था देने के लिये विद्वान् ब्राह्मणगण व्यवस्थापक बनाये जाते हैं। इन विद्वानों की सभा को व्यवस्थापक सभा कहते हैं।

सहायक

सहायक ५ श्रेणियों में विभक्त हैं—(१) विद्यासम्बन्धी सहायता देनेवाले (२) धर्मकार्य करनेवाले (३) धन देनेवाले (४) विद्यादान करनेवाले (५) धर्म प्रचार करनेवाले साधु, संन्यासी आदि।

साधारण सभ्य

साधारण सभ्य हिन्दूमात्र हो सकते हैं।

प्रधान कार्यालय

काशी में प्रधान कार्यालय है। ट्रस्टों की शर्तों में ऐसा लिखा है कि यदि प्रधान कार्यालय यहाँ से हटाया जावे तो ट्रस्टों की स्थावर अस्थावर सम्पत्ति उसे न मिलेगी।

ट्रस्ट सम्पत्ति।

(१) महामण्डल ट्रस्ट (२) महामाया ट्रस्ट दो अलग अलग ट्रस्ट इस सभा की सहायता के संचालन के लिए हैं। दोनों ट्रस्टों की सम्पत्ति का मूल्य आठ लाख रुपये से अधिक है। प्रधान कार्यालय ट्रस्ट के ही भवन में है। इस भवन में (१) गायत्री-मन्दिर (२) सरस्वती-मन्दिर (३) महामण्डल-भवन हैं।

प्रकाशन-विभाग

(१) इस सभा का एक शास्त्र-अनुसन्धान-विभाग है।

(२) पाठशालाओं, स्कूलों तथा कालेजों के लिए धार्मिक पुस्तकें तैयार करनेवाला विभाग।

(३) हिन्दीभाषा-प्रचार-विभाग। हिन्दी की अनेक पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं।

(४) महामण्डल डायरेक्टरी विभाग। इसका प्रकाशन आरम्भ हो गया है।

अन्य विभाग

(१) हिन्दी सामाजिक संगठन।

(२) मानदान विभाग।

(३) रक्षा-विभाग।

(४) स्त्रीशिक्षा-विभाग—आर्यमहिला-हितकारिणी महा-

परिषद् नामक एक स्वतंत्र रजिस्टर्ड संस्था स्थापित कर दी गई है। 'आर्य महिला' पत्रिका भी प्रकाशित होती है।

(५) संगीत उत्साह प्रदान विभाग।

(६) वाराणसी विद्यापरिषद्। अनेक परीक्षायें की जाती हैं और उपाधियां दी जाती हैं।

दान-भण्डार

(८) उपदेशक महाविद्यालय।

(९) धर्मालय संस्कार-विभाग। तीर्थ स्थानों तथा मन्दिरों का जीर्णोद्धार इसी विभाग द्वारा होता है।

(१०) सार्वजनिक धार्मिक सेवा।

(११) प्रान्त - मण्डल और शाखा सभा।

(१२) धर्म-प्रचार-विभाग।

(१३) समाजहितकारी कोष।

वर्णाश्रमसंघ

भारतधर्म महामण्डल के अन्तर्गत प्राचीन वर्णाश्रम की रक्षा करने के लिये वर्णाश्रम की स्थापना की गई है।

अखिल भारतवर्षीय संस्कृत तथा आध्यात्मिक विश्व-विद्यालय

इसी मण्डल ने उपरोक्त संस्था "All India Sanskait and Spiritnol Univeresity' भी स्थापित की है।

भारतधर्म महामण्डल के संरक्षक सभी देशी नरेश हैं और जनरल प्रेसीडेंट महाराज दरभंगा और जनरल सेक्रेटरी विद्यारत्न पं० रामेश्वरदत्त पांडे हैं।

विमेन्स इंडियन एसोशियेसन।

यह संस्था ८ मई सन् १९१७ को श्रीमती जिनाराजा दास के प्रयत्नों से भारत की महिला-समाज की उन्नति के लिये अडियार, मद्रास में स्थापित हुई।

इस संस्था की शाखाएँ भारत के अनेक स्थानों में हैं तथा लंदन में भी एक शाखा है। लंदन की अनेक सामाजिक संस्थाओं से इसका संबंध है। मिसेज हामिद अली, मिसेज़ कुबलुन्निसां हुसेन और बेगम कमालुद्दीन टर्की में १२ वीं इन्टरनेशिनल एलायंस आफ वीमेन में इस्तम्बोल स्थान पर १८ से २५ अप्रैल १९३५ तक सम्मिलित हुई।

स्त्रियों के मताधिकार सम्बन्धी काफी कार्य इस संस्था ने किया है। इस सभा की सदस्या डा० श्रीमती एस० मुथुलक्ष्मी रेडी (प्रेसीडेंट), श्रीमती रुक्मिणी

लक्ष्मीपती तथा अन्य महिलायें उच्च पदों पर हैं।

कानपुर-संगीत-समाज

कानपुर-संगीत-समाज का ८ जनवरी १९२७ को सूत्रपात हुआ था। जिस समय संगीत-समाज स्थापित किया गया था उस समय कानपुर में सङ्गीत की ओर लोगों की कुछ भी रुचि न थी। समाज ने सङ्गीत के अधिवेशन प्रारम्भ किये जिनमें गुणीजनों के गायन-वादन की आयोजना की गई। धीरे धीरे जनता में सङ्गीत की ओर रुचि बढ़ने लगी। नवम्बर १९२८ में समाज ने एक सङ्गीत-विद्यालय भी खोल दिया जो दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है। इस समय विद्यालय की तीन शाखायें हैं। एक मारवाड़ी विद्यालय में, एक खत्री हाई स्कूल में और एक बालिका-विद्यालय में। इनमें से बालिका-विद्यालय में केवल बालिकाओं को ही संगीत की शिक्षा दी जाती है।

सन् १९२९ में समाज ने द्वितीय युक्तप्रान्तीय सङ्गीत परिषद् को आमन्त्रित किया जो कानपुर एडवर्ड मेमोरियल हाल में बड़े धूमधाम से हुई। उसके पश्चात् समाज प्रत्येक वर्ष एक सङ्गीत-परिषद् की आयोजना करता रहा है। समाज प्रत्येक मास में एक साधारण अधिवेशन और वर्ष में एक बार बालक-बालिकाओं का संगीत में प्रतियोगिता की आयोजना करता है। सन् १९३५ से समाज अपना एक वार्षिक मुखपत्र भी निकाल रहा है। गत वर्ष सदस्यों की संख्या १११ थी। इस वर्ष सदस्यों की संख्या ९३ है।

प्रेसीडेंट—रायसाहब गोपीनाथ मेहरोत्रा।

मन्त्रीप्रोफेसरजयदेवसिंह, सहकारी मन्त्री—शंकर श्रीपाद बोडस।

यू० पी० डिप्रेस्डिस क्लासेस लीग।

सन् १९११ में, बरेली शहर में, सर्वप्रथम प्रांतीय 'सर्वदलित सभा' की स्थापना हुई। सन् १९२६ तक इसने सामाजिक सुधार और जाति-संगठन का कार्य किया। उसी साल इसका नाम 'यू० पी० डिप्रेस्डक्लासेज एसोसिएशन' हो गया था। सन् १९३३ से यू० पी० डिप्रेस्ड क्लासेस लीग के नाम से सुप्रसिद्ध है। प्रांतीय वार्षिक अधिवेशनों के अतिरिक्त तीन अखिल भारतवर्षीय सम्मेलन भी हो चुके हैं। इसका एक मात्र उद्देश्य दलित जातियों की सर्वोन्मुखी उन्नति करने का है।

शिक्षाप्रसाद राजनैतिक समाधिकारों की प्राप्ति तथा मानसिक, आत्मिक, सामाजिक शक्ति का संपादन इसकी उन्नति मार्ग के साधन हैं। इसके वर्तमान सभापति सुप्रसिद्ध देशहित बरेली-निवासी डा० धर्मप्रकाशजी तथा मन्त्री बा० लालताप्रसादजी सोनक्कर हैं। इसके कार्मसंचालन के लिए २६ सदस्यों की एक कार्यकारिणी समिति भी है।

सन् १९३७ के सम्मेलन।

१९ वां हिंदू-महासभा अधिवेशन,

अहमदाबाद

ता० ३० दिसम्बर १९३७

सभापति—स्वतन्त्रवीर विनायक दामोदर सावरकर।

यह अधिवेशन विशेष उत्साह के साथ हुआ क्योंकि महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध देशभक्त तथा त्यागी श्री० विनायक दामोदर सावरकर इसके सभापति थे। अपने भाषण में उन्होंने हिन्दू-राष्ट्रीयता तथा हिन्दू-संस्कृति की रक्षा पर अधिक ज़ोर दिया और साथ-साथ मुसलिम संस्थाओं तथा नेताओं की नीति का खंडन किया।

मुख्य प्रस्ताव—(१) कोल्हापुर, बड़ोदा, ट्रावन्कोर, कशमीर तथा लाठी नरेशों को बधाई दी गई कि उन्होंने अछूतों के लिये राज्यमंदिर खोल दिये हैं। अन्य हिन्दू सज्जनों ने ऐसा किया है, उन्हें भी बधाई दी गई। अन्य देशी नरेशों से ऐसा ही करने के लिये प्रार्थना की गई। (२) श्रीबल स्वामीजी को पूना में साधु-संगठन निमित्त संत कान्फ्रेंस करने पर बधाई। (३) लाहोर में खुलनेवाले मज़बे को रुकवाने के प्रयत्नों पर हिंदुओं को बधाई तथा वाइसराय को धन्यवाद। (४) [क] फिडरेशन असंतोषजनक होने पर भी जो कुछ शक्ति उसमें हो हिंदुओं को हिंदुस्थान को एक राष्ट्र बनाने में उपयोग करना चाहिये और गवर्नमेंट से अनुरोध करती है कि तुरन्त उसे चलावे [ख] साम्प्रदायिक निर्णय का हिन्दू-सभा सैद्धांतिक रूप में विरोध करती हुई ब्रिटिश सरकार को बताती है कि देशी राज्यों में उसका प्रसार हिन्दूसभा न मानेगी। (५) निजाम (हैदराबाद) तथा भूपाल द्वारा हिन्दुओं पर किये गये अत्याचारों का निषेध। एक शिष्ट-मंडल भी इसके लिये बनाया गया। (६) देशी राज्यों से प्रार्थना कि

अपनी प्रजा को प्रजातन्त्र शासन के अधिकार देवें। (७) हिन्दी ही राष्ट्रभाषा है और देवनागरी राष्ट्र-लिपि है। वर्धा-आयोजना में उर्दू का शामिल किये जाने का विरोध। (८) प्रांतीय और केन्द्रीय सरकारों से गोहत्या बन्द करने की माँग। (९) अस्थायी मन्त्रि-मंडलों को बधाई कि विरोध होते हुए भी उन्होंने पद-ग्रहण किया।

आल इंडिया क्रिश्चियन कान्फ्रेन्स, कलकत्ता

अध्यक्ष—कुँवरानी लेडी महाराजसिंह
२७ दिसम्बर १९३७

मि० एस० सी० मुकर्जी, स्वागताध्यक्ष ने कहा कि साम्प्रदायिक निर्णय गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट १९३५ का सबसे काला धब्बा है। कांग्रेस प्रोग्राम और विशेषकर गरीब किसानों की उन्नति और नशा का बन्द होना अत्यंत प्रशंसनीय है।

श्रीमती महाराजसिंह ने भी कांग्रेस मंत्रिमंडल की प्रशंसा की और कहा कि ईसाई समाज सेवा करेगा और कोई विशेषाधिकार नहीं चाहता।

आल इंडिया विमेन्स (महिला) कान्फ्रेन्स, नागपुर

ता० २८ से ३१ दिसम्बर १९३७

अध्यक्ष—श्रीमती राजकुमारी अमृतकौर।

श्रीमती राजकुमारी अमृतकौर ने अध्यक्ष-स्थान से कहा कि असली भारत देहातों में रहता है इस कारण यदि स्त्रियों में जागृति फैलाना है तो देहातों में कार्य बढ़ाना चाहिए। खादी और स्वदेशी वस्तुएँ लेना चाहिये।

डा० खरे, प्रधान मंत्री, का भी व्याख्यान हुआ। मुख्य प्रस्ताव—(१) निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। (२) श्रीमती हामिदअली का संशोधन पास हुआ कि यह कान्फ्रेन्स पूर्ववत् पार्टी-राजनीति से अलग रहे किन्तु राष्ट्रीय उन्नति के सब प्रयत्नों में साथ रहे।

स्काउट राउंड टेबल कान्फ्रेन्स, इलाहाबाद

ता० २९ नवम्बर, १९३७
सभापति—नवाब सर मुहम्मद अहमद सैयदखां (छतारी)

मुख्य प्रस्ताव—(१) नया नाम "स्काउट एसोसियेशन आफ इंडिया" रखा जावे। (२) स्काउट शपथ बदल दी गई—"मैं अपने आत्म-सम्मान को साक्षी देकर वचन देता हूँ कि मैं (क) ईश्वर, राज्य और देश के प्रति अपना कर्तव्य पालन करूँगा, (ख) हर समय

दूसरों की सहायता करूँगा और (ग) स्काउट नियमों का पालन करूँगा।

नोट—प्रान्तीय अथवा देशी राज्यों की शाखाएँ "क्राउन" या "महाराजा" जैसा वे निश्चित करें इस शब्द का उपयोग कर सकती है।

उपस्थिति—श्री० मालवीय, श्री० कुंजरू, एस० पी० ऐन्डरूज़, डा० डिसिलवा, मि० कामथ आदि।

वर्धा-शिक्षा-कान्फ्रेंस

अध्यक्ष—महात्मा गांधी

ता० २२—२३ अक्टूबर १९३७

राष्ट्रीय शिक्षा का देशव्यापी प्रसार करने की योजना पर विचार करने के निमित्त महात्मा गांधी ने उपरोक्त कान्फ्रेंस बुलाई। कान्फ्रेंस के विचार से यह समस्या बहुत बड़ी होने के कारण, सर्वप्रथम केवल प्राथमिक शिक्षा पर ही विचार किया गया। निमंत्रण केवल कांग्रेसी प्रान्तों के शिक्षा-मंत्रियों को तथा राष्ट्रीय शिक्षा-क्षेत्र में काम करनेवालों के ही पास भेजे गये थे। विचार के बाद निम्नलिखित तत्त्व निश्चित किये गये।

(१) इस कान्फ्रेन्स की राय में मुफ्त व जबरिया शिक्षा ७ वर्ष तक भारतव्यापी होनी चाहिये।

(२) यह कान्फ्रेन्स महात्मा गांधी की राय को पुष्ट करती है कि शिक्षा किसी खास काम को जो हाथ द्वारा किया जावे और सार्थक हो, केन्द्र बनाकर दी जाये। ऐसे केन्द्रीय कार्य द्वारा ही बालक की बुद्धि तथा योग्यता का विकास कराया जावे।

(३) इस कान्फ्रेन्स की राय है कि यह शिक्षा-पद्धति आहिस्ता २ शिक्षकों के वेतन का भार उठा सके।

(४) शिक्षा का माध्यम मातृ-भाषा हो।

कान्फ्रेन्स ने एक छोटी कमेटी डा० जाकिरहुसैन की अध्यक्षता में बनाई और उसे आदेश दिया कि एक मास में आयोजना पेश करे।

नोट—इस कमेटी ने आयोजना तथा पाठ्यक्रम बना दिये हैं और कांग्रेसी सरकारें उनकी भरती पर अपनी शिक्षानीति परिवर्तन कर रही हैं।

कमेटी के सदस्य—(१) डा० जाकिरहुसैन (चेयरमैन) (२) श्री० आर्यनायकम् (मन्त्री) (३) ख्वाजा गुलाम सैफुद्दीन (४) श्री० विनोबा (५) श्री० काका कालेलकर (६) श्री० कृष्णदास जाजू (७) जे०सी०कुमारप्पा (८) श्री० आशा-देवी (९) श्री० किशोरीलाल मशरुवाला (१०) प्रा० के० टी० शाह।

अखिल भारतीय शिक्षा कान्फ्रेंस, कलकत्ता

अध्यक्ष—श्री० सी० आर० रेडी

२७—३० दिसम्बर १९३७

श्री० सी० आर० रेडी वाइस चांसलर आंध्र यूनिवर्सिटी की अध्यक्षता में यह कान्फ्रेंस हुई।

मुख्य प्रस्ताव—(१) शिक्षा की सब श्रेणियों में मातृभाषा ही माध्यम हो। (२) बेसिक इंग्लिश अधिक मात्रा में चलाई जावे। (३) बालक-बालिकाओं के योग्य फिल्में तैयार कराना। (४) पिछड़ी हुई जातियों के लिये शिक्षा का अधिक प्रबंध होना चाहिए।

आल इंडिया मुसलिम विद्यार्थी कान्फ्रेन्स, कलकत्ता

अध्यक्ष—प्रो० हुमायूँ कबीर

२७–२८ दिसम्बर १९३७

मुख्य प्रस्ताव—(१) मुसलिम विद्यार्थी तथा सर्वसाधारण विद्यार्थी-समाज के लिए यह बात हानिकारक है कि साम्प्रदायिक तत्वों पर अलग संगठन किया जावे। लाभ तभी हो सकता है, जब विद्यार्थी समाज जिसमें हिन्दू, मुसलिम और अन्य सभी जातियों के विद्यार्थी हों। (२) परीक्षाओं का सुधार (३) अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से प्रार्थना कि अपना चिह्न (Monogram) बदल दे जिसमें ब्रिटिश राज्य का प्रभुत्व अंकित है। (४) कलकत्ता यूनिवर्सिटी से प्रार्थना कि वह भी अपना चिह्न बदल दे क्योंकि वह जनता के एक भाग को मान्य नहीं है। (५) प्रान्तीय सरकारों से प्रार्थना कि चूँकि "ब्लैक होल कांड" सर्वथैव मिथ्या है इसलिये सब पढ़ाई जानेवाली किताबों में से उसे निकलवा दें।

आल इंडिया मुसलिम विद्यार्थी फिडरेशन, कलकत्ता

अध्यक्ष—मि० एम. ए. जिन्ना।

ता० २७–२८ दिसम्बर १९३७

सैयद अब्दुल अज़ीज़, भूतपूर्व मिनिस्टर बिहार, ने कान्फ्रेन्स का उद्घाटन करते हुए कहा कि मुसलमान विद्यार्थियों के लिए अलग संगठन की उपयोगिता पर उन्हें शक है।

मि० जिन्ना अध्यक्ष ने अपने भाषण में कहा कि हिन्दू और मुसलिम जातियों के बीच सहयोग असंभव है।

एक प्रस्ताव कि बालक-बालिकायें सब कक्षाओं में साथ पढ़ें (Co-education) पास नहीं हुआ। अन्य प्रस्तावों द्वारा इस्लामी शिक्षा पर जोर दिया गया

नेशनल लिबरल फिडरेशन, कलकत्ता

अध्यक्ष—सर चिमनलाल सीतलवाद

ता० २६-३१ दिसम्बर १६३७

सर चिमनलाल सीतलवाद ने कांग्रेस द्वारा मन्त्रिपद ग्रहण करने की नीति पर कांग्रेस की कार्यसमिति के प्रस्ताव के संबंध में कहा कि "उक्त प्रस्ताव, लखनऊ अधिवेशन में लिबरल फिडरेशन द्वारा पास किये हुए प्रस्ताव का कांग्रेसी भाषा में उलथा है" ऐक्ट में चाहे जो दोष हों किन्तु शक्ति के उपयोग का वह अच्छा साधन है। कांग्रेस ने अब लिबरल नीति को मान लिया है कि ऐक्ट द्वारा जनता को लाभ पहुँचाया जावे। कांग्रेस प्रेसीडेंट ने एक नवीन किन्तु ग़लत सिद्धांत बताया है कि कांग्रेस मन्त्रिमंडल वोटरों के उत्तरदायी नहीं हैं किन्तु कांग्रेस के हमारी सभा में सहस्रों सदस्य नहीं हैं किन्तु हमें संतोष है कि सहस्रों मस्तिष्क रखनेवाले मनुष्य हमारे सिद्धान्तों को मानते हैं और पसंद करते हैं।

मुख्य प्रस्ताव—(१) संघशासन असंतोषजनक है किन्तु उसके द्वारा जितनी शक्ति मिले उसका उपयोग करना चाहिए। (२) देशी राज्यों में सुधार की आवश्यकता और देशी राज्यों के निवासियों के साथ सहानुभूति। (३) फौज का देशी बनाना। (४) वर्धा-शिक्षा-आयोजना पर विचार।

आल इंडिया लाइब्रेरी कान्फ्रेन्स, दिल्ली

२२-२४ दिसम्बर १६३७

अध्यक्ष—डा० वलीमुहम्मद

उपरोक्त कान्फ्रेन्स का तृतीय अधिवेशन दिल्ली में डा०वलीमुहम्मद, लखनऊ यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के मुख्य और यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरियन, की अध्यक्षता में हुई। सर गिरिजाशंकर वाजपेयी, सेक्रेटरी गवर्नमेंट आफ इंडिया, ने उद्घाटन किया।

डा० वलीमुहम्मद ने अपने भाषण में वाचनालयों की महत्ता का वर्णन किया और प्रान्तीय और केन्द्रीय सरकारों से वाचनालय-आन्दोलन के लिये काफी सहायता देने के लिये अपील की। मुख्य प्रस्ताव—(१) कालेज वाचनालयों का वैज्ञानिक रीति से प्रबंध। (२) फिडरेशन पबलिक सर्विस कमीशन और प्रां० पब्लिक सर्विस कमीशनों से सिफारिश की जाती है कि लाइब्रेरियनों को नियुक्त करना जो लाइब्रेरियों के काम में शिक्षित हों। (३) प्रान्तीय सरकारों से प्रार्थना कि कापीराइट

वाचनालय पब्लिक के लिये कायम करें जिनमें उस प्रान्त में प्रकाशित होनेवाली पुस्तकें, पत्र-पत्रिकायें, हस्तपत्रक आदि सभी रखी जावें। (४) ग्राम-सुधार-आयोजना में प्रान्तीय सरकारों को वाचनालय स्थापित करने का विशेष प्रयत्न करना चाहिये।

आल इंडिया मुसलिम लीग, लखनऊ

अध्यक्ष—मुहम्मदअली जिन्ना

ता० १५ से १८ अक्तूबर १९३७

मुसलिम लीग का २५ वां अधिवेशन लखनऊ में हुआ। मि० फजलुलहक, मि० ख्वाजा नसरुल्ला, सर सिकंदरहयातखाँ, नवाब छतारी, मि० अब्दुलमतीं चौधरी, बेगम शाह नवाज़, राजा गज़नफरअली, मौ० शौकतअली प्रभृति सज्जन उपस्थित थे।

राजा महमूदाबाद ने स्वागत करते हुए शिकायत की कि "बहुमत रखनेवाला समाज (हिन्दू-समाज) मुसलिम-समाज का अस्तित्व भी मानने पर तैयार नहीं है। एक भी मुसलमान ऐसा नहीं है जो स्वतंत्रता नहीं चाहता, किन्तु मुसलमान देश की आज़ादी चाहता है और साथ साथ अपने समाज की आज़ादी भी चाहता है। मुसलमानों के राजनैतिक स्वत्व सुरक्षित होने चाहिए।

मि० जिन्ना ने अपने अध्यक्ष-स्थान से कहा—जो पूर्ण स्वराज्य अपने मुँह से कहते हैं वे १९३५ का गवर्नमेंट आफ इंडिया ऐक्ट हाथों में लिये हैं। क्या गांधी-इरविन-संधि पूर्ण स्वराज्य के सुसंगत थी? वर्तमान कांग्रेसी नेता और विशेषकर, इस १० वर्ष के बीच के, मुसलमानों को अलग कर रहे हैं; क्योंकि उनकी नीति हिन्दू है। बन्देमातरम् राष्ट्रीय गान है, कांग्रेसी झंडा राष्ट्रीय झंडा है, हिन्दी राष्ट्रीय भाषा है—यह सब चीज़ें मुसलमानों पर लादी जा रही हैं। कांग्रेस साफ बात नहीं करती है।

ब्रिटिश सरकार का भी उत्तरदायित्व कम नहीं है कि वाइसराय और गवर्नरों ने उन अधिकारों से काम नहीं लिया जो अल्पमतवालों की रक्षा के लिये बनाये गये हैं। पैलेस्टाइन में वर्तमान ब्रिटिश नीति ब्रिटिशसाम्राज्य की जड़ खोद रही है। मुख्य प्रस्ताव—(१) वज़ीरस्तान में ब्रिटिश-नीति का विरोध, (२) कांग्रेस द्वारा मन्त्रिमंडल बनाये जाने का विरोध और तत्संबंधी ब्रिटिश-नीति का विरोध। (३) पैलेस्टाइन-रायल-कमीशन की सिफारिशों का विरोध। (४) उर्दू

भाषा ही राष्ट्रीय भाषा है और उसी को राष्ट्रीय भाषा बनाने का प्रयत्न होना चाहिए।

आल इंडिया शिया पोलीटिकल कान्फ्रेन्स, लखनऊ

अध्यक्ष—सर वज़ीरहसन

ता० ११-१२ अक्टूबर १६३७

सर वज़ीरहसन ने कहा, कि मुसलमानों की उतनी ही दुर्दशा है, यदि अधिक नहीं तो, जितनी हिन्दुओं की है। अल्पमतवादियों की कोई असली समस्या नहीं है। यह समस्या ब्रिटिश साम्राज्य की खड़ी की हुई है। कांग्रेस ही एक संस्था है जो सबकी है। कांग्रेस को त्रिमुखी युद्ध करना पड़ रहा है, (१) ब्रिटिश साम्राज्य (२) हिन्दू-सम्प्रदायवादी और (३) मुसलिम सम्प्रदायवादी। मुसलिम लीग भारतीय मुसलमानों की प्रतिनिधि नहीं है। मुख्य प्रस्ताव—(१) साम्प्रदायिक चुनाव पद्धति हटा दी जावे और मुसलिम अल्पमतवालों के लिये सदस्यतायें सुरक्षित कर दी जावें। (२) कन्स्टीट्यूऍट एसेम्बली प्रस्ताव का समर्थन (३) रायल-कमीशन की सिफारिश, कि पैलेस्टाइन का बटवारा किया जावे, का विरोध।

आल इंडिया शिया (मुसलिम) कान्फ्रेन्स, कानपुर

अध्यक्ष—राजा साहब महमूदाबाद

ता० २६ दिसम्बर १६३७

इस कान्फ्रेन्स में शिया मुसलिम समाज के प्रतिगामी लोगों ने भाग लिया। कान्फ्रेन्स ने एक प्रस्ताव द्वारा मुसलमानों से अपील की कि वे केवल मुसलमान व्यापारियों से माल खरीदें और मुसलमानों को चाहिए कि उद्योग-धंधों के कारखाने खोलें। दूसरे प्रस्ताव द्वारा पैलेस्टाइनसंबंधी ब्रिटिश नीति की आलोचना की गई।

आल इंडिया नेशनल कन्वेंशन, दिल्ली

१६-२० मार्च १६३७

अध्यक्ष—जवाहरलाल नेहरू

राष्ट्रीय महासभा (फैजपुर) के प्रस्ताव के अनुसार एसेम्बलियों के चुनाव के बाद दिल्ली में राष्ट्रीय कनवेंशन बुलाया गया जिसमें प्रान्तीय और केन्द्रीय एसेम्बलियों के कांग्रेसी सदस्य और आल इंडिया कांग्रेस-कमेटी के सदस्य आमंत्रित किये गए।

अध्यक्ष के भाषण के बाद सब सदस्यों ने खड़े होकर एक प्रतिज्ञापत्र पढ़ा। (१) राष्ट्रीय मांग, (२) व्यवस्थापिका सभाओं में कांग्रेस-नीति (३) व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्यों का इन सभाओं के बाहर कर्तव्य।

आल इंडिया राजनैतिक कैदी सहायक कान्फ्रेंस, दिल्ली

२० मार्च, १९३७

अध्यक्ष—श्रीशरत्‌चन्द्र बोस

(द्वितीय अधिवेशन)

श्री० राजेन्द्रप्रसाद ने इस अधिवेशन का उद्‌घाटन करते हुए कहा कि हम उन भाइयों और बहिनों की सहायता के लिए सम्मिलित हुए हैं जो भारत की जेलों और अंडमन में सड़ रहे हैं। इन कैदियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता, पुस्तकें नहीं मिलतीं, अच्छा खाना नहीं मिलता इत्यादि। उनको शीघ्रातिशीघ्र रिहा कराना हमारा कर्तव्य है।

श्रीशरत्‌चन्द्र बोस ने अपने भाषण में राजनैतिक बन्दियों के साथ दुर्व्यवहारों की आलोचना करते हुए उनकी मांगों का ब्योरा बताया (१) सब प्रकार के राजनैतिक बन्दियों और नज़रबन्दों की रिहाई। (२) देश से निकाले हुए मनुष्यों पर की रोक हटा लेना। (३) सब दमन क़ानूनों का रद्द होना। (४) सब राजनैतिक बन्दियों का एक स्थान पर रखा जाना। (५) राजनैतिक बन्दियों को जेलों में सुविधाएँ मिलना। (६) अंडमान के सब राजनैतिक बन्दी वापस बुलाये जावें।

मुख्य प्रस्ताव—(१) स्व० नवजीवन घोष, सन्तोषचन्द्र गंगोली, और कृष्णपंकज गोस्वामी की रहस्यपूर्ण आत्महत्या पर शोक तथा गवर्नमेंट के विरुद्ध रोष कि उसने डा० रवीन्द्रनाथ टागोर के नेतृत्व में की हुई खुली जांच की मांग को नहीं माना। (२) श्री जोगेशचन्द्र चटर्जी द्वारा बताये हुए जेलों में दुर्व्यवहारों सम्बन्धी पिछले वर्ष के प्रस्ताव का समर्थन किया गया और मांगे दुहराई गईं। (३) प्रत्येक प्रान्त में राजबन्दी-सहायक कमेटी की स्थापना। (४) प्रत्येक प्रान्त में एसेम्बलियों के कुछ ख़ास सदस्य राजबन्दियों के प्रश्नों पर ही अपना समय लगावें।

सेवासमिति, इलाहाबाद

(स्थापित—१९१४)

सेवासमिति की स्थापना सन् १९१४ में महामना मदनमोहन मालवीय द्वारा हुई। यह संस्था उत्तरोत्तर सेवा-कार्य में उन्नति करती जाती है।

सन् १९३६, ३७ की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित कार्यों का ब्योरा दिया जाता है।

सभापति महामना मदनमोहन मालवीय तथा प्रधान सेक्रेटरी पं० हृदयनाथ कुंजरू हैं। इसके अतिरिक्त

८ प्रतिष्ठित सज्जन उपसभापति और ९ आनरेरी सेक्रेटरी हैं। श्री० एस० आर० भरतिया एम० ए० संगठन-मंत्री हैं।

श्री० चित्रसेन कानपुर ब्रांच के मंत्री हैं और पं० बद्रीदत्त पांडे एम० एल० ए० अलमोड़ा नायक-सुधार-कार्य के मंत्री हैं।

उपरोक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त १५ सदस्य कार्यसमिति के और हैं।

इस समिति द्वारा विद्यामन्दिर हाईस्कूल, भारद्वाज वाचनालय और एक अस्पताल इलाहाबाद में चलाये जाते हैं। माघमेला इलाहाबाद, कुम्भ मेला आदि में सेवासमिति ने प्रशंसनीय कार्य किया है। सैकड़ों बच्चों और स्त्रियों को तलाश करके उनके संरक्षकों को दिया।

सेवासमिति रात्रिपाठशालायें

१२ रात्रिपाठशालायें, जिनमें ३७० विद्यार्थी पढ़ाये गये, इलाहाबाद ज़िले में काम करती हैं।

सेवासमिति अस्पताल, इलाहाबाद

इस अस्पताल में १९३६-३७ में १७०५९ बाहरी रोगियों को औषधि दी गई और ४२२२ रोगियों की भीतरी विभाग में चिकित्सा की गई।

सेवासमिति औषधालय कानपुर

कानपुर औषधालय में ४०७१६ रोगियों को पाश्चात्य औषधि दी गई।

आयुर्वेदिक औषधालय

युक्त प्रान्त में ११ आयुर्वेदिक औषधालयों द्वारा १,३१,९५७ रोगियों को औषधि दी गयी।

आयव्यय (१९३६—३७)

आय ३६४१३—१०—७

व्यय ३५५४५— ३—६

सेवासमिति ब्वाय स्काउट्स एसोसियेशन, यू० पी० इलाहाबाद

मार्च सन् १९३७ तक पंचवर्षीय रिपोर्ट के अनुसार सेवासमिति ब्वाय स्काउट्स एसोसियेशन का कार्य निम्नलिखित है—

स्काउटर, स्काउट, लायन कब और रोवर स्काउट की संख्या ८५३९८ थी।

१९३२-३३	...	३२०००
१९३३-३४	...	३७०००
१९३४-३५	...	५००९०
१९३५-३६	...	७०६००
१९३६-३७	...	८५३९८

२३५ ट्रेनिंग कैम्प खोले गये जिनमें ३४७० स्काउटर सिखाये गये। प्रत्येक वर्ष पहाड़ों पर एक कैम्प ४०

दिन के लिये गर्मी में खोला जाता है।

दौरों की संख्या २०५ थी जिनमें पिडारी ग्लेशियर का दौरा १६३३, काश्मीर का सन् १६३५, और पौरी गढ़वाल का १६३६ में हुआ।

रैली और प्रदर्शनों की संख्या २०२ थी। ४ अखिल भारतवर्षीय थे। इन रैलियों के सभापति सर सीताराम, सर जे० पी० श्रीवास्तवा, कुँअर सर महाराजसिंह, प्रभृति सज्जन थे।

फ़र्स्ट एड और एबुलेन्स ट्रेनिंग की तरफ अधिक ध्यान दिया गया।

झांसी स्काउटों ने प्रत्येक वर्ष अखिल भारतवर्षीय और प्रान्तीय इनामें (ट्राफी) जीतीं।

सार्वजनिक सेवायें इस सभा की अनेक हैं। बिहार-भूकम्प (१६३४-३५), हरिद्वार कुम्भमेला (१६३३), और इलाहाबाद कुम्भमेला (१६३६) के अवसरों पर सेवायें उल्लेखनीय हैं। पानी की बाढ़ों तथा बीमारी के फैलने के अवसरों पर इस सभा की सेवायें अमूल्य हैं।

इसके अतिरिक्त अनेक नाटक ग्राम-सुधार और स्वास्थ्य संबधी विषयों पर खेले गये। अनेक रात्रि-पाठशालायें भी चलाई जा रही हैं।

केप्टेन राजा दुर्गानरायण सिंह
एम. एल. ए. तिरवा नरेश

श्री० डा० रघुबीर सिंह
एम. ए, एल-एल. बी, डी. लिट.
युवराज सीतामऊ (मालवा)

श्री० राजा खलक सिंहजू
खनियाधाना नरेश (बुन्देलखंड)

श्री० रामचरण हयारण "मित्र"

बा० व्रजरत्नदास

डा० राधागोविन्द मिश्र

विविध विषय

पुलिस।

स० १९३५ के एक्ट के अनुसार पुलिस प्रान्तों के आधीन पूर्णतया हो गई है। सारे भारतवर्ष में पुलिस और उसका कार्य नीचे दिये हुये आंकडों से स्पष्ट होगा—

सिविलपुलिस (१९३७) १८३९१२

थाने व चौकियां ६५९८

व्यय रु० ९, ४३, ३३, ०२०

जुर्मों की संख्या (१९३७)

मनुष्य(जिनपर मुकदमाचला)	५९१४५२
,, (जिन्हें सजाहुई)	४८६८६४
चोरियां (साधारण)	७६०५५
चोरियां (मवेशी की)	१६५६८
चोरियां (घरों में घुसकर)	१११०१५
डांके	२७४८
क़तल	५९२७

कुल जुर्मों की संख्या (१९३५)

रिपोर्टें	११,२२,९ ४५
मुकदमें चले	१०,३०, ८६ ८
सज़ायें	८९०८५०
बरी हुये	१३४८०६
हवालाती	७८१९१

सजायें (१९३५)

फांसी	१३५८
देश निकाला	१८०२
जीवनभर	१८०२
अन्य	९२
१० वर्ष से ऊपर	३२९
५ वर्ष से १० वर्ष	४७५०
१॥वर्ष से ५ वर्ष	३१८००
६महीने १ वर्ष	४४४९०
अन्य	१४८०९९

इनकम टैक्स।

इनकम टैक्स	रु०	सुपर टैक्स	रु०
१९३३—३४	१४. ४ करोड़	१९३३—३४	२.७५ करोड़
१९३४—३५	१४. ३५ करोड़	१९३४—३५	३.१६ करोड़
१९३५—३६	१३. ९० करोड़	१९३५—३६	३.१४ करोड़

कस्टम।

कस्टम कुल आय	रु०	कुल व्यय वापिसी सहित (कस्टम)	
१९३३—३४	४८.५ करोड़	१९३३—३४	२.३ करोड़
१९३४—३५	५४.२ करोड़	१९३४—३५	२.६ करोड़
१९३५—३६	५९.३ करोड़	१९३५—३६	२.० करोड़

केन्द्रीय सरकार

आय व्यय का अनुमान-पत्र (Budget)

आय] [सहस्त्रों रुपयों में

आयकी मदें	अनुमान १९३७—३८	पुनः अनुमान १९३७—३८	अनुमान १९३८—३९
कस्टम	४२,६०,५०	४३,९३,००	४३,८१,००
केन्द्रीय आवकारी	७,१६,००	७,७४,००	७,७३,००
कोरपोरेशन टैक्स	१,४४,९४	१,५०,००	१,५५,००
आमदनियों पर टैक्स (उक्त को. टैक्स को छोड़ कर)	१२,८५,०६	१२,१२,४०	१२,४२,३४
नमक	८,२५,००	८,३५,००	८,३५,००
अफीम	४९,५२	४६,२३	४४,९२
अन्य मदें	९४,०४	१,००,२१	१,०६,५७
योग	७३,७५,०६	७५,१०,८४	७५,४०,८३
रेलवे बजट ख़र्च काटकर	३०,१३,७४	३२,७२,१५	३२,५०,४१
सिंचाई के साधनों से आय (ख़र्च काटकर)	१,०५	१,१०	१,०२
पोस्ट व तार ख़र्च काटकर	७६,९८	१,१५,४३	७४,६१
कर्ज़ों द्वारा आय	७१,३५	५७,६७	६६,३३
सिविल एडमिनिस्ट्रेशन (प्रबन्ध)	९१,७३	९९,५४	९९,९९
करेन्सी व मिन्ट नोट व टकसाल	१,०६,४९	८५,४६	६६,९४
इमारतों आदि से आय	३४,७१	३२,३५	३०,९०
फुटकर	१,४१,५१	१,३६,५२	१,५४,८६
रक्षा की सेवाओं द्वारा	५,२२,१०	५,३१,७९	५,५९,६९
आकस्मिक मदें	५,०७,२०	४,१३,८९	३,७५,१४
योग	१,१९,४१,८८	१,२२,५७,०४	१,२२,७२
कुल	१,१९,४१,८८	१,२२,५७,०४	१२२,२७,७२

केन्द्रीय सरकार का

आय व्यय का अनुमान-पत्र

व्यय] [सहस्रों रुपयों में

व्यय की मदें	अनुमान १९३७—३८	पुनः अनुमान १९३७—३८	अनुमान १९३८—३९
आमदनी पर प्रत्यक्ष मांगे	३,८३,८९	३,७४,८४	४,३३,३५
नमक के कारख़ानों पर लागत	३६	४६	६८
रेलवे व्याज व फुटकर ख़र्च	२९,९८,९२	२९,८९,८५	३०,०१,७५
सिंचाई के साधन	११,३५	११,०९	१०,७८
डाक व तार	७९,८०	७७,२८	८०,४८
कर्ज़ों द्वारा व्यय	१४,१२,२२	१,४८४,०८	१४,६२,३२
साधारण प्रबन्ध (सिविल)	१०,४२,७९	१०,६३,३७	११,३१,१८
नोट व टकसाल	३४,००	३६,०५	३७,४३
इमारतें आदि	२,८७,२३	२,५८,६४	३,१२,३६
फुटकर	३,८३,१४	३,८५,८०	३,६३,४५
फौजी ख़र्च	४९,८३,९२	५२,५३,६१	५०,७७,६६
प्रान्तीय व केन्द्रीय सरकारों का लेन देन	३,१५,९०	३,१५,९०	३,०४,८२
आकस्मिक मदें	१,१९	३,०७	१,८८
योग	१,१९,३४,७१	१,२२,५७,०४	१,२२,१८,४७
बढ़ती	७,१७	...	९,२५
कुल योग	१,१९,४१,८८	१,२२,५७,०४	१,२२,२७,७२

उपाय और साधन (Ways and Means)

केन्द्रीय सरकार की आय तथा व्यय में घटी बढ़ी को सम करने के उपाय व साधन के अनुमान (Budgets) निम्न कोष्टक में दिये जाते हैं।

आय व्यय में घटी बढ़ी के उपाय व साधन।

आय   [लाख रुपयों में

मदें	अनुमान १९३७–३८	पुनः अनुमान १९३७–३८	अनुमान १९३८–३९
व्यय से आय में बढ़ती	७	....	९
नया ऋण	....	...	....
ट्रेज़री बिलों (हुंडियों) की बिक्री (खर्च काटकर)	४,००	६,००	५,००
पोस्ट आफिस कैश सार्टीफिकट	—१,५०	—४,००	—५,००
पोस्ट आफिस सेविंग बंक में धन	८,००	६,०४	६,५४
अन्य अनफन्डेड ऋण (ख़र्च काटकर)	—३,५०	—१,५१	—४,२५
डिस्काउंट सिंकिंग फंड (ख़र्च काटकर)	१,१०	१११	१,१७
ऋण में कमी	३,००	३,००	३,००
रेलवे डिपरीसियेशन (कमी) फंड	६,५९	४,३७	५,९२
पोस्ट व टेलीग्राफ डिप्रीसियेशन फंड	५	६	४
टेलीफोन डिवलेपमेंट फंड	...	....	२,१०
डिफेन्स (रक्षा) रिजर्वफंड	—१,४२	—१,०९	—१,५०
रेविन्यू रिज़र्व फंड	१,८४	१,०६	७५
अन्य अमानतें व जमा (ख़र्च काटकर)	१,६६	७४	१,७१
योग	१,६२१	१४,७२	१५,६७
पिछले वर्ष की बचत	१,६८८	२१,३६	९,४१
कुल योग	३३,०९	३६,०८	२५,०८

उपाय और साधन

(चालू)

व्यय] [लाखों रुपयों में

मदें	अनुमान १९३७—३८	पुनः अनुमान १९३७—३८	अनुमान १९३८—३९
कैपिटल आउटले (नई लागत)			
रेलवे	४,४६	२,१५	६,८३
पोस्ट व टेलीग्राफ	६३	४२	२,७२
सिविल	३८	२९	२०
पेन्शनों का परिवर्तन	२५	२२	४
कम किये हुये कर्मचारियों को इनाम (ग्रेचुइटी)	—५	—९	...
स्थाई ऋण की अदायगी	२,९५	७,०२	३०२
कैश सार्टीफिकट बोनसफंड	१,५१	१,१६	....
सिविल एवियेशन (मुसाफिरी हवाई जहाज)	३४	२३	२३
ग्रामोन्नति तथा सुधार	८०	१०	३०
ब्राडकास्टिंग	१८	१४	१३
सीमाप्रान्त की जातियों की उन्नति	५	२७	२
सिंध व उड़ीसा में नई इमारतें	....	४०	....
पबलिक को कर्ज़ (ख़र्च काटकर)	—१,१०	—१५०	६९
रिज़र्व बैंक को चाँदी के दाम	५,००	५,००	५,००
रिज़र्व बैंक द्वारा रुपया भेजना (ख़र्च काटकर)	....	...	...
प्रान्तीय आवश्यकतायें (ख़र्च काटकर)	९,००	१०,६८	१,३९
योग	२४,४०	२६,६७	१६,३३
पिछले वर्ष की बचत	८,६९	९,३१	८,७५
कुल	३०,०९	३६,०८	२५,०८

विभिन्न प्रान्तों के अनुमान-पत्र (Budgets)

आसाम।

(रुपयों में)

आय	१९३७—३८	१९३८—३९
	२,८४,७४,०००	२,६४,२४,०००
व्यय	२८२,४८,०००	२,८६,८६,०००
	+२,२६,००	+४,६२,०००

बंगाल।

आय	१२,५५,०३,०००	१३,१३,००,०००
व्यय	१२,२१,०५,०००	१३,२५,००,०००
	+३३,९८,०००	—१२,००,०००

बिहार।

आय	५,०६,००,०००	५,०५,५०,०००
व्यय	५,०३,३४,०००	५,०४,२५,०००
	+२,६६,०००	+१,२५,०००

बम्बई।

आय	११,९९,५५,०००	१२,०३,००,०००
व्यय	१२,१७,२२,०००	१२,५०,००,०००
	—१७,६७,०००	—४१,००,०००

मध्यप्रदेश।

आय	४,७४,८४,०००	४,८१,९९,०००
व्यय	४,७४,५३,०००	४,८१,१८,०००
	+३१,०००	+८१,०००

मद्रास।

आय	१५,९३,७३,०००	१५,९८,२१,०००
व्यय	१५,९३,६७,०००	१५,९८,०८,०००
	+६,०००	+१२,०००

अनुमान-पत्र

(चालू)

उड़ीसा।

	१९३७—३८				१९३८—३९
आय	१,८९,५७,०००	....	....	....	१,९२.०८,०००
व्यय	१,८४,३७,०००	....	...	...	१,९४,५६,०००
	+५,२०,०००	....	....	....	—२,४८,०००

पंजाब।

आय	१०,९०,३९,०००	....	...	...	११,४१,५६,०००
व्यय	१०,८८,६७,०००	...	...	...	११,३६,४२,०००
	+१,७२,००७	....	....	....	+५,१४,०००

सिन्ध।

आय	३,४७,५०,०००	....	....	...	३,६०,६७,०००
व्यय	३,४७,०१,०००	....	...	...	३,५९,१२,०००
	+४९,०००	...	....	....	+१,५५,०००

संयुक्तप्रान्त।

आय	१२,५४,०७,०००	....	....	...	१३,०१,७०,०००
व्यय	१२,६६,७५,०००	....	...	....	१३,१६,७८,०००
	—१२,६८,०००	....	....	....	—१५,०८,०००

सीमा प्रान्त।

आय	१,७९,६९,०००	...	...	...	१,८०,०५,०००
व्यय	१,८५,३१,०००	....	...	...	१,८६,६८,०००
	—५,६२,०००	...	...	....	—६,६३,०००

कुल प्रान्तों की आय व्यय।

आय		व्यय	
१९३१—३२	८३.१ करोड़	१९३१—३२	८६.७ करोड़
१९३३—३४	८२.८ करोड़	१९३३—३४	८५.९९ करोड़
१९३७—३८	१३१.० करोड़	१९३७—३८	८३.० करोड़

ग्रेट ब्रिटेन ।

	आय	व्यय
१९३३—३४ पौंड	७८,२३,१६,००० पौं०	७,८४,४०५,०००
१९३४—३५ ,,	७६,१२,३८,००० ,,	८०,२१,०७,०००
१९३५—३६ ,,	८१,४७,७०,००० ,,	८४,८२,९९,०००
१९३६—३७ ,,	८६,४२,२५,००० ,,	९१,१८,३२,०००
९३७—३८ ,,	८६,३१,००,००० ,,	८६,२८,३८,०००

नोटः—१ पौंड = रु० १३५ आ० ४ पाई । १ रु० = १ शि० ६ पें०

भारत की सेना

सेना का प्रबंध इस प्रकार हैः—

(१) भारत मंत्री ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि होने के कारण, भारतीय सेना पर उसका सब प्रकार का प्रभाव है । इंडिया आफिस का मिलिटरी सेक्रेटरी इस विभाग का संचालन करता है ।

(२) गवरनर जनरल-इन-कौंसिल । भारत में प्रत्यक्ष दायित्व इन्हीं का है ।

(३) कमांडर-इन-चीफ, गर्वनर जनरल की कौंसिल का एक सदस्य होता है और उसके हाथों में सेना का चार्ज होता है । (Army) सेना तीन प्रकार की है—(१) थल सेना (२) जल सेना (Royal Indian Marine) (३) हवाई सेना (Royal air Force).

सुविधा के लिये भारतीय सेना के ४ विभाग ४ प्रदेशों के अनुसार कर दिये हैं । इन प्रदेशों को कमांड (Command) कहते हैं और इन का प्रबंध एक एक जनरल आफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के आधीन है । इन कमांडों के अन्तर्गत १२ ज़िले (Districts) हैं ।

(१) उत्तरी प्रदेश (Northern Command) ज़िले-पेशावर, कोहाट, रावलपिंडी, लाहौर, वजीरिस्तान ।

(२) पश्चिमी प्रदेश (Western Command) ज़िले–बिलोचिस्तान, सिंध इंडिपेंडेंट ब्रिग्रेड एरिया, ज़ोब इंडिपेंडेंट ब्रिगेड एरिया ।

(३) ईस्टर्न प्रदेश (Eastern Command) मेरठ, लखनऊ, प्रेसीडेंसी और आसाम, दिल्ली इंडिपेंडेंट ब्रिगेड एरिया ।

(४) दक्षिणी प्रदेश (Southern Command) ज़िले–दक्षिण, बम्बई मद्रास, पूना इंडिपेंडेंट ब्रिगेड एरिया ।

युद्ध की दृष्टि से भारतीय सेना के ३ भाग हैं—

(१) आन्तरिक रक्षा सेना, जो भारत में फैली रहती है।

(२) मैदानी सेना (Field Army) जो युद्ध के समय आगे जा कर लड़ती है।

(३) सहायक सेना (Covering Force) जो उत्तरी पश्चिमी सीमा पर रक्खी जाती है जिससे मैदानी सेना बिना रोक टोक लड़ सके।

सेना पर ख़र्च

	करोड़ रु०
१६३१—३२	४६, ७४
१६३२—३३	४४, ४२
१६३३—३४	४४, ३४
१६३४—३५	४४, ६८
१६३५—३६	४५, ४५
१६३६—३७	४५, ४५
१६३७—३८	४४, ६२

भारतीय थल सेना (१६३७)

अंग्रेज़ अफसर (किंग्स कमीशन)	६५७०
भारतीय अफसर (भारतीय कमीशन)	१६१
अंग्रेज़ सैनिक	५५१८७
भारतीय अफसर (वाइसराय कमीशन)	४२२५
भारतीय सैनिक	१३६०७४
क्लर्क आदि	१००११
सेवक	३२८२६
भारतीय रिजर्विस्ट	४१८८७

हवाई सेना

अंग्रेज़ अफसर	२६०
एयरमेन	१८८७
देशी अफसर व सिपाही	६४५
साधारण नौकर	५३०

जल सेना।

पदाधिकारी।

मुख्य अफसर	३
अन्य अफसर	१५
सी ट्रान्सपोर्ट स्टाफ	३
सिविल गज़टेड अफसर	४

समुद्री अफसर

केप्टन	८
कमांडर	१८
ले० कमांडर	५०
इंजीनियर केप्टन	१
इं० कमांडर	१३
इं० ले० कमांडर	३७
गनर व नाविक	१७
अन्य	२७
जहाज़	१६

भारत में रेलवे।

(१६३६—३७)

रेल पथ (मील)	४३, १२८
कुल लागत (रु०)	८ अर्ब ८० करोड़
कुल आमदनी (रु०)	१ अर्ब ८ करोड़
कुल खर्च (रु०)	६६ करोड़ ६४ लाख
आमदनी (प्रतिशतलागतपर)	४. ३३

जी. आई. पी.

रेल पथ	३७२७ मील
लागत	१ अर्ब १४ करोड़
लाभ	४ करोड़ ६४ लाख

मद्रास सदर्नमराठा

रेल पथ	३२२८ मील
लागत	५३ करोड़ ३० लाख
लाभ	२ करोड़ ४२ लाख

नार्थ वेस्टर्न

रेल पथ	६६४६ मील
लागत	३ अर्ब १३ करोड़
लाभ	५ करोड़ ६६ लाख

सौथ इंडियन

रेल पथ	२५३१ मील
लागत	४३ करोड़ ७३ लाख
लाभ	१ करोड़ ६४ लाख

ईस्ट इंडियन

रेल पथ	४३६० मील
लागत	१ अरब ४८ लाख
लाभ	७ करोड़ ६२ लाख

बी. बी. सी. आई.

रेल पथ	३५११ मील
लागत	७३ करोड़ ७८ लाख
लाभ	५ करोड़ ६ लाख

बंगाल नागपुर

रेल पथ	३३६२ मील
लागत	७७ करोड़ ८३ लाख
लाभ	१ करोड़ ७१ लाख

बी. एन. डब्लू.

रेल पथ	१३०६ मील
लागत	२३ करोड़ ८७ लाख
लाभ	१६ लाख ६४ हजार

दुर्घटनायें।

मृत्यु।

(१६३५—३६)

यात्री	१८५
रेलवे नौकर	२०२
अन्य	२७२२
कुल	३१०६

(१६३६—३७)

यात्री	१७६
रेलवे नौकर	२०१
अन्य	२८५७
कुल	३२३७

चोटें।

१६३५—३६

यात्री	६०१
रेलवे नौकर	६०५६
अन्य	६६०
कुल	१०६५०

१९३६—३७ (चोटें)

यात्री	८३२
रेलवे नौकर	९७३४
अन्य	९८८
कुल	११५५४

यात्रियों की संख्या

१९३३—३४	४९.९ करोड़
१९३४—३५	४९.६ करोड़
१९३५—३६	५० ३ करोड़

यात्रियों से आमदनी

१९३२—३३	३१ ३ करोड़
१९३३—३४	३०.१ करोड़
१९३३—३५	३०.३ करोड़

माल से आमदनी

१९३४—३५	रु ६४.३ करोड़
१९३५—३६	,, ६४.६ करोड़

कुल आमदनी

	रु०
१९३३—३४	९९.५७ करोड़
१९३४—३५	१.०२ अर्ब
१९३५—३६	१.०३ अर्ब

कुल खर्च

	रु०
१९३३—३४	६६.६ करोड़
१९३४—३५	७०.६ करोड़
१९३५—३६	७०.९ करोड़

भारत के डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ।

	संख्या	आय	कर प्रति मनुष्य
		रु० करोड़	रु० आ० पा०
१९३१–३२	१२७४	१५'५२	०—९—७
१९३२-३३	१३२४	१५'५१	०—९—५
११३३-३४	१३१७	१५'९२	०—७—१

भारत की म्युनिसिपेलिटियां

	संख्या	रु० करोड़	रु० आ० पा०
१९३१–३२	७८५	३६'२८	५—८—८
१९३२–३३	७८९	३९'००	५—८—२
१९३३–३४	७९४	३६ ७०	५—१०—५

सहकारी समितियां

	संख्या	सदेस्य	पूंजी
			रु० करोड़
१९३१–३२	१६५०८	६७३९८६	२'१७
१९३२–३३	१६५५७	६८८६९७	२'३१

भारत के देशी राज्य।

देशी राज्यों का वर्गीकरण।

वर्ग	संख्या	देशी राज्य	क्षेत्रफल (वर्गमील)	जन संख्या (१९३१)
प्रथम	१	हैदराबाद	८२,६९८	१,४४,३६,१४८
	२	मैसूर	२९,४४४	५९,७६,६६०
	३	बड़ौदा	८,०९९	२४,४३,००७
	४	कश्मीर	८०,९००	३६,४६,२४३
	५	सिक्किम	२,८१८	८१,७२२
	६	गवालियर	२६,३८०	३१,७५,८२२ (१९२१)
द्वितीय	लगभग १७५ राज्य	राजपूताना एजन्सी	१,२७,५४१	९८,५७,०१२
		बिलोचिस्तान एजन्सी	८६,५११	३,७८,९९९
		पश्चिमोत्तर सीमाप्रांत ए०	२५,५००	२८,२८,०५५
		मध्यभारत एजन्सी	७८,७७२	६१,८०,४०३
तृतीय	प्रान्तीय सरकारों के आधीन लगभग ५०० राज्य	पंजाब में	३६,५३२	४४,१५,४०१
		बिहार उड़ीसा में	२८,६४९	३९,६५,४३१
		बंगाल में	३२,७७३	८,९६,१७३
		बम्बई में	६५,७६१	७४,१२,३४१
		मध्य प्रान्त में	३१,१८८	२०,६८,४८२
		आसाम में	८,४५६	३,८३,६७२
		मद्रास में	९,९९६	५४,६०,०२९
		संयुक्तप्रान्त में	५,०७१	११,३४.८२४
		बर्मा में	६०,५९३	१४,९७,३९२

नोट:—द्वितीय और तृतीय वर्गों की जनसंख्या १९२१ ई० की दी गई है।

देशी राज्य।

देशी नरेशों के आधीन भारतका क्षेत्रफल ७१२५०८ वर्गमील है जिसमें जन संख्या ८,१९,३९,१८७ है।

देशी राज्य तीन प्रकार के हैं—(१) बड़े राज्य, जिनका सम्बन्ध सीधा वाइसराय से है और जहाँ "रेजीडेंट" रहता है (२) छोटे राज्य जो समूह रूप में 'एजेन्सी' के अन्तर्गत होते हैं (३) प्रान्तीय सरकारों के आधीन राज्य लगभग ५०० हैं।

चेम्बर आफ प्रिंसेज़।

(नरेन्द्र मण्डल)

उक्त मंडल की रचना तथा स्थापना सन् १९१९ के गवर्मेंट आफ इंडिया ऐक्ट द्वारा हुई। सन् १९३५ के ऐक्ट द्वारा बने हुये संघ शासन में नरेन्द्र मंडल न रहेगा। देशी राज्यों को कौंसिल आफ स्टेट में १०४ सदस्य और लेजिस्लेटिव एसेम्बली में १२५ सदस्य भेजने का अधिकार होगा।

हैदराबाद।

हिज इकज़ालटेड हाइनेस सर उसमानअली खां बहादुर फतेहजंग, जी. सी. बी, जी. सी. एस आई।

प्रबंध के लिये एक व्यवस्थापिका सभा है। आमदनी लगभग ८ करोड़ २५ लाख वार्षिक है।

युवराज को "प्रिंस आफ बरार" पदवी है। जन समाज लगभग ८५ प्रतिशत हिन्दू हैं।

मैसूर।

महाराज कर्नल श्रीकृष्ण राजेन्द्र वाडयार बहादुर, जी. सी. एस. आई, जी. बी. ई.।

यह राज्य बड़ा प्रगतिशील है। दो व्यवस्थापक सभायें हैं। वार्षिक आय लगभग ३.०५ करोड़ रुपया है।

बड़ौदा।

हिजहाइनेस महाराजा सर सयाजी राव गायकवाड़

इसी राज्य ने सर्व प्रथम प्रारम्भिक शिक्षाअनिवार्य की।

वार्षिक आय लगभग २.५ करोड़ है।

कश्मीर।

हिज हाइनेस महाराजा सर हरीसिंहजी बहादुर हैं। जन समाज लगभग ८५ प्रतिशत मुसलमान हैं। यह राज्य दो प्रदेशों का—जम्मू और कशमीर का, संयुक्त राज्य है।

वार्षिक-आय लगभग २.२५ करोड़ है। रेशम व ऊन मुख्य उद्योग हैं।

गवालियर ।

हिज़ हाइनेस महाराजा जार्ज जीवाजी राव ।

वार्षिक आय लगभग २ करोड़ है । स्वर्गीय महाराज माधवराव ने इस राज्य को बहुत उन्नति किया ।

खनियाधाना ।

गवालियर रेज़ीडेन्सी के अन्तर्गत यह राज्य छोटा किंतु बड़ा उन्नतशील है ।

शासक श्रीमान् राजा खड़कसिंहजू हैं जो बड़े साहित्य सेवी और अच्छे प्रबंधक हैं ।

बीकानेर ।

महाराजा सर गंगासिंह बहादुर । राज्य में एक व्यवस्थापिका सभा भी है । आय लगभग ६० लाख रुपया है । ५६८ मील रेलवे राज्य की सम्पत्ति है ।

सिरोही ।

महाराज सर स्वरूप रामसिंह बहादुर । यह राज्य सन् १८२३ में अंग्रेजी राज्य में आया ।

उदयपुर ।

हिज़ हाइनेस उदयपुर महाराजाधिराज महाराना सर रजेन्द्रसिंह बहादुर ।

वार्षिक आय ४५ लाख रुपया है ।

बांसवाड़ा ।

हिज हाइनेस राय रायन महारावल साहेब पृथीसिंहजी बहादुर ।

वार्षिक आय ७ लाख रुपया है ।

डुङ्गरपुर ।

राय रायन महारावल श्रीलचमणसिंहजी ।

वार्षिक आय साढ़े छः लाख रुपया है ।

परतापगढ़ (राजपूताना)

हिज़ हाईनेस महारावल सर रघुनाथ सिंह बहादुर के. सी. आई. ई.

वार्षिक आय लगभग ६ लाख रुपया है । ३६३५० रु० महाराजा होल्कर को खिराज देना पड़ता है ।

जोधपुर ।

मेजर महाराजा सर उम्मेदसिंहजी साहेब बहादुर । ३६०२१ वर्गमील राज्य का क्षेत्रफल है । २१,२५,९८२ जन संख्या है ।

जैसलमीर ।

हिज़ हाईनेस महाराजाधिराज महारावल श्री सर जवाहिरसिंहजी बहादुर ।

क्षेत्रफल १६०६२ वर्गमील और जन संख्या ७६२५५ है । वार्षिक आय ४,३२,००० हैं ।

राजपूताना एजेन्सी ।

राज्य	क्षेत्रफल	जन संख्या (१९३१)
१—एजेन्ट गवरनर जनरल से सीधा सम्बन्ध		
बीकानेर	२३,३१७	९,३६,२१८
सिरोही	१,९६४	२,२१,०६०
झालवार	८१०	१,०७,८९०
२—मेवाड़ रेज़ीडेन्सी		
उदयपुर	१२,९२३	१५,६६,९१०
३—दक्षिणी राजपूताना राज्य एजेन्सी		
बंसवाड़ा	१,५९९	२,२५,१०६
डुंगरपुर	१,४६०	२,२७,५४४
परतावगढ़	८८६	७६,५३९
बुसलगढ़	३३८	३५,५६४
४—पश्चिमी राज्य रेज़ीडेन्सी		
जोधपुर	३६,०२१	२१,२५,९८२
जैसलमेर	१६,००७	७६,२५५
पालनपुर	१,७६९	२६,४१,८०९
दाँता	३४७	२६,१७२
५—जयपुर रेज़ीडेन्सी		
जयपुर	१५,५९७	२६,३१,७७१
किशनगढ़	८४९	७५,७४४
लावा	२०	२,७९०
अलवर	३,१५८	७,४९,७५१
टोंक	२,५४०	३,१७,३६०
शाहपुरा	४०५	५४,२३३

राजपूताना एजेन्सी (चालू)

राज्य	क्षेत्रफल	जन संख्या (१९३१)
७—पूर्वी राज्य एजेन्सी		
भरतपुर	१,९७८	४,८६,९५४
धौलपुर	१,१७३	२,५४,९८६
करौली	१,२१७	१,४०,५२५
कोटा	५,७२५	६,८५,८०४
झालावार	८१३	१,०७,८९०
बूंदी	२,२००	२,१६,७२२

जैपुर ।

हिज़ हाईनेस महाराजा सवाई मानसिंह बहादुर (द्वितीय)

राज्य का क्षेत्रफल १६,६८२ वर्ग-मील और जनसंख्या २६,३१,३७५ है। वार्षिक आय १,२०,००,००० है।

किशनगढ़ ।

ले. क. हिज़ हाईनेस महाराजाधिराज सर मदनसिंह बहादुर ।

जन संख्या ८५,७४४ और वार्षिक आय ६ लाख रुपया है ।

बून्दी ।

हिज़ हाईनेस महाराज राजा सर रघुबीरसिंह बहादुर ।

जन संख्या २,१६,७२२ और वार्षिक आय १० लाख रुपया ।

टोंक ।

हि. हा. अमीरुद्दौला वजीरुल मुल्क नवाब सर हाफिज मुहम्मद सआदतअलीखां बहादुर ।

जन संख्या ३१७३६० और वार्षिक आय रू० २३,६५,७८५ हैं ।

शाहपुर ।

राजाधिराज सर उम्मैदसिंहजी ।

जन संख्या ५४,२३३ है। क्षेत्रफल ४०५ वर्गमील है ।

भरतपुर ।

हिज़ हाईनेस महाराजा सर बृजेन्द्रसिंह बहादुर ।

क्षेत्रफल १९७८ वर्गमील और ४,८६,९५४ जनसंख्या हैं। आय लगभग ३४ लाख रुपया है ।

धौलपुर ।

हिज़ हाईनेस महाराजाधिराज श्रीसवाई महाराना उदयभानसिंह ।

जन संख्या २,५४,६८६ ।

करौली ।

हिज़ हाईनेस महाराजा सर भँवरपाल बहादुर ।

क्षेत्रफल १२४२ वर्ग मील है। जन संख्या १४०५२५ और आय ७ लाख १० हज़ार है।

कोटा ।

हिज़ हाईनेस ले० कर्नल महाराज सर उम्मेदसिंह बहादुर ।

जन संख्या ५६८४ वर्गमील है और आबादी ६८५८०४ है वार्षिक आय ५३ लाख रुपया है।

अलवर ।

हिज़ हाईनेस श्रीसवाई महाराजा तेजसिंहजी बहादुर ।

क्षेत्रफल ३१५८ वर्गमील और जन संख्या ७४६७५१ हैं। वार्षिक लगभग ४० लाख रुपया है।

सेन्ट्रल इण्डिया एजेन्सी ।

इस एजेन्सी का मुख्य स्थान इन्दौर है जहाँ गवर्नर जनरल का एजेंट रहता है। इस एजेन्सी के दो प्राकृतिक भाग हो गये हैं। (१) पूर्वी भाग या बुन्देलखंड और बघेलखंड एजेन्सियाँ (२) पश्चिमी भाग या भूपाल मालवा और दक्षिणी स्टेट एजेन्सियाँ ।

इस एजेन्सी में छोटी बड़ी ५८ रियासतें हैं। मुख्य राज्यों का ब्योरा इस प्रकार है।

इन्दौर ।

हिज़ हाईनेस महाराजाधिराज ले० कर्नल श्री राजराजेश्वर सवाई यशवन्त राव होल्कर बहादुर ।

रियासत से आयात और निर्यात का मूल्य १,६५,६७,५७७ और ७,१५,८७,१० क्रमशः है। मुख्य व्यापार रूई और तम्बाकू का है।

क्षेत्रफल ६६०२ वर्गमील और जन संख्या १३,२५,००० हैं। वार्षिक आय १ करोड़ ४४ लाख के लगभग है।

बघेलखंड एजेन्सी ।

इस एजेन्सी की राजधानी सतना है और इसका पोलीटिकल एजेण्ट बघेलखंड सतना के आधीन है।

रीवां ।

हिज़ हाईनेस महाराजा सर गुलाबसिंह बहादुर ।

राज्य का क्षेत्रफल १३,००० वर्गमील और जन संख्या १५,८७,४४५ हैं। वार्षिक आय ६० लाख रुपया है।

लाख का व्यापार इस राज्य में विशेष है। राज्य में जंगल बहुत है।

भोपाल एजेन्सी।

यह एजेन्सी १८१८ में बनी थी। इसका पोलिटिकल एजेंट भोपाल के आधीन है।

भोपाल।

हिज़ हाईनेस नवाब मुहम्मद हमीदुल्ला खान बहादुर।

क्षेत्रफल ६६२४ वर्गमील और जन संख्या ७२९९५५ हैं वार्षिक आय ६२,१०,००० रु० है।

बुंदेलखंड एजेन्सी।

यह एजन्सी १८०२ में बनी थी। राजधानी नौगाँव है और पोलिटिकल एजेंट नौगाँव के आधीन है। मुख्य रियासतें यह हैं।

ओरछा।

हिज हाईनेस महाराजा सर वीरसिंह देव बहादुर।

क्षेत्रफल २०८० वर्गमील है। जनसंख्या ३,१४,६६१ हैं। वार्षिक आमदनी १० लाख रुपया है। शासक साहित्य प्रेमी हैं।

दतिया।

हिज हाईनेस महाराजा सर गोविंदसिंह बाहादुर।

क्षेत्र फल ९१८ वर्गमील और जनसंख्या १,५८,८३४ हैं। वार्षिक आय १९ लाख रुपया है।

समथर।

हिज़ हाईनेस महाराजाधिराज चरनसिंह देव बहादुर।

राज्य का क्षेत्रफल १८० वर्गमील और जनसंख्या ३३, २२० हैं; आय ३,५०,००० रु० है

पन्ना

हिज हाईनेस महारजा सर यादवेन्द्र सिंह बाहदुर।

राज्य का क्षेत्रफल २५९६ वर्गमील और जनसंख्या २, १२, १३० हैं और वार्षिक आय ९ लाख ४८ हज़ार रुपया है। राज्य में हीरा की खानें हैं।

चरखारी।

हिज़ हाईनेस महाराजाधिराज अरिमर्दनसिंह जु देव बहादुर।

राज्य का क्षेत्रफल ८८० वर्गमील और जनसंख्या १,२०, ३५१ हैं। आय ८, २६, ००० रुपया है।

अजयगढ़।

हिज़ हाईनेस महाराजा सर सवाई भोपालसिंह जू बहादुर।

राज्य का क्षेत्रफल ८०२ वर्गमील और जनसंख्या ८५, ८९५ हैं। आय ३, ३७,००० रुपया है।

बिजावर।

हिज हाईनेस महाराजा सवाई

सर सामन्तसिंह जू बहादुर

राजका क्षेत्रफल ६७३ वर्गमील और जनसंख्या १, १५, ८५२ है। वार्षिक आय ३ लाख ३४ हजार रुपया है।

बाओनी।

हिज़ हाईनेस आज़मुल उमरा इफ्तीखरुद्दौला नवाब मुहम्मद मुस्ताकुल हसन खाँ

क्षेत्रफल १२१ वर्गमिल जनसंख्या १६, १ ३२ और आय १,५०,००० रुपया हैं।

छतरपुर।

हिज़ हाईनेस महाराजा भवानी सिंह जू देव

क्षेत्रफल ११३० वर्गमील, जनसंख्या १,६१,२६७ और आय ७ लाख है।

छोटी रियासतें।

नाम	क्षेत्रफल वर्गमील	जनसंख्या	आय (रु०)
सरीला	३५	६० १	१,००, ००
टोड़ी फतहपुर	३६	६५८०	४०,०००
लुगांसी	४५	६१८२	३०,०००
बेरी	३२	४६२१	४५,०००
अलीपुरा	७३	१४५८	७०,०००
गौरहार	७१	६४८६	५५,०००
गरौली	३६	४८१७	३५,०००
बीहट	१६	४७८६	३५,०००

मालवा एजेन्सी।

सन् १६२५ से यह एजेंन्सी पोलिटिकल एजेंट मनीपुर के आधीन है।

मालवा एजेंन्सी की बड़ी रियासतें।

नाम	क्षेत्रफल वर्गमील	जनसंख्या	आय (रु०)
देवास सीनियर	४४६	७७,००५	१० लाख
देवास जूनियर	४१६	६६,६६८	६½ ,,
सीतामऊ	२०१	२६,५४६	२,५६,०००

जावरा ।

हिज़ हाईनेस नवाब सर मुहम्मद इफ्तिखार अलीखाँ

राज्य का क्षेत्रफल ६०१ वर्गमील, जनसंख्या १,००, २०४ और आय १२ लाख रुपया हैं ।

रतलाम ।

हिज हाईनेस महाराजा सर सज्जनसिंह जी

राज्य का क्षेत्रफल ६९३ वर्गमील, जनसंख्या १,६७, ३२७ और आप ९ लाख है ।

सदर्न स्टट ऐजन्सी

सन् १९२५ में मालवा एजेन्सी इस एजेन्सी में मिला दी गई, इसकी राजधानी मानपुर है ।

नाम	क्षेत्रफल वर्गमील	जनसंख्या	आय
झाबुआ	१३३६	१,२३,९३२	३॥ लाख
बड़वानी	११७८	१,२०,१५०	११ लाख
अलीराजपुर	८३६	८९,६३४	५॥ लाख

धार ।

हिज़ हाईनेस माहाराजा सर आनन्द राव (नावालिग) हैं ।

राज्य की जनसंख्या २,४३, ५३१, क्षेत्रफल १८०० वर्गमील और ३० लाख रुपया हैं ।

बिलोचिस्तान एजेन्सी

वेगलर वेगी सर मीर महमूद खाँ

इस एजन्सी में कलात राज्य और सहायक राज्य लासवेला हैं ।

कलात का क्षेत्रफल ८०, ४१० वर्गमील और जनसंख्या ३,७९,००० हैं । आय १७, ६०,००० रुपया है ।

लासवेला का क्षेत्रफल ७१३२ वर्गमील, जन संख्या ५०,६९६ और ३,८०,००० रुपया हैं ।

पश्चिमोत्तर सीमा के राज्य ।

हिजहाईनेस सर शुजाउल मुल्क ।

क्षेत्रफल ७,७०४ वर्गमील, जनसंख्या १६,१२,०९४ और आय ४,६५,००० रुपया वार्षिक है

मालाकन्द में पोलिटिकल एजेन्ट हैं ।

मद्रास प्रेसीडेन्सी के देशी राज्य

इसके अन्तर्गत ५ राज्य हैं जिनका सम्बन्ध सीधा भारत सरकार से है। इन राज्यों का व्योरा यों है।

राज्य	क्षेत्रफल वर्गमील	जन संख्या	वार्षिक आय
ट्रावनकौर	७,६२४	५०,९५,९७३	२४० २५ लाख रु.
कोचीन	१.४१७	१२,०५,०१६	७९.७२ ,,
पद्दुकोटाई	१,१७९	४,००,६९४	२०.५३ ,,
वेंगनपल्ले	२७५	३९,२३९	३.५६ ,,
संदूर	१६७	१३,५८३	१.५९ ,,

ट्रांवकोर।

हिज़ हाईनेस सर बालाराम वर्मा महाराजा राय राजा बहादुर

राजधानी त्रिवेन्द्रम है। क्षेत्रफल ७,६२४ वर्ग-मील, जनसंख्या ५०,९५,९७३ और वार्षिक आय २ करोड़ ४० लाख रु० हैं।

राज्य बहुत प्रगतिशील है। प्रजा को अधिकतम स्वतंत्रता दी गई है

कोचीन।

हिज़ हाईनेस सर श्री राम वर्मा।

राज्य का क्षेत्रफल १४१७ वर्ग-मील है।

इस राज्य के जंगलों से मूल्यवान लकड़ियाँ मिलती हैं।

पश्चिमी भारत के राज्य।

स० १९२४ में एक नई रेजीडेन्सी स्थापित की गई और उनका सम्बन्ध सीधा भारत सरकार से कर दिया गया।

भावनगर।

हिज़ हाईनेस महाराजा कृष्ण-कुमार सिंह जी।

क्षेत्रफल २९६१ वर्गमील, जन-संख्या ५,००,२७४ और वार्षिक आय १,००,०९,५२१ हैं।

गोण्डाल।

हिज़ हाईनेस महाराजा सर भगवन्त सिंह जी

राज्य का क्षेत्रफल १०२४ वर्गमील व जनसंख्या २,०५,८४६ है।

प्राथमिक शिक्षा राज्य में अनिवार्य कर दी गई है।

जूनागढ़।

हिज़ हाईनेस नवाब सर महाबत ख़ाँ तृतीय

राज्य का क्षेत्रफल ३३३७ वर्गमील, जन संख्या ५,४५,१५२ और आय ७३,००,००० है।

बम्बई प्रान्त के मुख्य राज्यों का ब्योरा।

राज्य	क्षेत्रफल (वर्गमील)	जन संख्या	आय (रुपयों में)
कैम्बे	३५०	७१,७१५	६,६४,६३४
इडर	१,६६६	२,२६,३५५	१६,७५,६३६
खेरपुर	६,०५०	१,६३,१५२	२५,५७,८७१
कोल्हापुर	३,२१७	८,३३,७२६	१,४०,११,८४४
राजपीपला	१,५१७	१,६८,४५४	१७,२१,२६२
सेगंली	१,१३६	२,२१,३२१	११,७१,१८४
सेवन्तवादी	६२५	२,०६,४४०	६,६२,५०८
छोटा उदयपुर	८६०	१,२५,७०२	१२,४१,०००

सतारा जागीर के अन्तर्गत राज्य।

राज्य	क्षेत्रफल (वर्गमील)	जन संख्या	आय (रुपयों में)
औंध	५०१	६४,५६०	३ लाख
फलटन	३९७	४३,२८६	३ ,,
भोंर	६२५	१,३०,४२०	५ ,,
अकालकोट	४६८	८१,२५०	६ ,,
जथ	६८१	८२,६५४	३ ,,

नवानगर।

शासक - हिज़ हाईनेस जाम साहेब श्री दिगविजयसिंह जी बिभाजी।

क्षेत्रफल ३७९१ वर्गमील। जनसंख्या ४,०६,१९२ और आय ६४,००,००० रु० है।

कच्छ।

शासक-हिज़ हाईनेस महाराजा श्री खेनगर जी सावाई बहादुर

राज्य का क्षेत्रफल ८२४६ वर्गमील, जनसंख्या ५,१४,३०७ हैं। इस राज्य में नमक बहुत तैयार होता है।

बम्बई सरकार के आधीन देशी राज्य

बम्बई सरकार के आधीन १५१ देशी राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल २८०३६ वर्गमील है और जनसंख्या ३८,७६,०६५ है। प्रबन्धार्थ १५ विभिन्न एजेन्सी बना दी गई।

कोल्हापुर।

हिज़ हाईनेस श्री राजाराम छत्रपति महाराज।

राज्य का क्षेत्रफल ३२१७ वर्गमील, जन संख्या ६,५७,१३७ और वार्षिक आय लगभग ६० लाख रुपया है। यहाँ के शासक महाराजा शिवा जी के वंशज हैं।

इदर।

हिज़ हाईनेस महाराजा हिम्मत सिंह जी।

राज्य का क्षेत्रफल १६६८ वर्गमील जन संख्या २,६२,६६० और आय १६,४७,३७६ रुपया है।

औंध।

मेहरवान भवनराव निवासराव उर्फ बाला साहेब पन्त

राज्य का क्षेत्रफल ५०१ वर्गमील, जनसंख्या ६४५६० है वार्षिक आय ३,००,००० रुपया हैं। राज्य में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य है।

खैरपुर (सिंध)।

मीर अली नवाब खाँ।

क्षेत्रफल ६०५० वर्गमील, जन संख्या १,६३,१५२ और वार्षिक आय २६ लाख रुपया हैं।

बंगाल सरकार के आधीन देशी राज्य।

कूचबिहार।

महाराज जगद्दीपेन्द्र नरायण जी।

राज्य का क्षेत्रफल १३१८ वर्गमील जन संख्या ५६०८३६ और वार्षिक आय ४२ लाख रुपया हैं।

त्रिपुरा।

महाराजा माणिक्य वीर विक्रम किशोर देव वर्मन बहादुर

राज्य का क्षेत्रफल ४११६ वर्गमील, जनसंख्या ३,८२,४५० और आय १७ लाख हैं।

बिहार सरकार के आधीन देशी राज्य

इस प्रान्त में लगभग २४ छोटे बड़े राज्य हैं। इनकी जन संख्या ३८,०७,१७२ है और वार्षिक आय लगभग ६४,५०,०३६ रुपया है।

यू. पी. सरकार के आधीन देशी राज्य

रामपुर।

हिज़हाईनेस अमीरुल उमरा नवाब सर सैय्यद मुहम्मद हामिद अली खाँ बहादुर।

यह राज्य रुहेला राज्य का शेष है। क्षेत्रफल ८९२ वर्गमील और जन-

संख्या ४,६४,६१६ और वार्षिक आय ५४ लाख रुपया हैं।

टेहरी।

हिज़ हाईनेस नरेन्द्र शाह जी।

राज्य का क्षेत्रफल ४५०० वर्गमील और जनसंख्या ३,१८,४८२ है। वार्षिक आय १४ लाख रुपया है।

बनारस।

हिज़ हाईनेस महाराजा सर आदित्य नारायणसिंह जी।

राज्य का क्षेत्रफल ८७५ वर्गमील, जनसंख्या ३,६१,१६५ और आय २२ लाख रुपया है।

पंजाब के देशी राज्य।

कपूरथला।

हिज़ हाईनेस महाराजा फरजन्दे दिलबन्द जगतजीत सिंह बहादुर

क्षेत्रफल ६३० वर्गमील, जन संख्या २,८४,२७५ और आय ३७,५०,००० है।

पटियाला।

फरजन्दे ख़ास दौलते इंगलिशिया महाराजा सर बहादुर कामेश्वर सिंह।

राज्य का क्षेत्रफल ५९३२ वर्गमील, जन संख्या १४,९९,७३९ और आय १ करोड़ ४० लाख रुपया है।

मण्डी।

हिज़ हाईनेस राजा जोगेन्द्र सेन बहादुर

क्षेत्रफल १००० वर्गमील और जन संख्या २,०७,४६५ और आय १३ लाख रुपया हैं।

नाभा।

हिज़ हाईनेस महाराजा प्रताप सिंह (नाबालिग़)

क्षेत्रफल १,००० वर्गमील, जन-संख्या ३,००,००० और आय २३ लाख रुपया है।

बहावलपुर

हिज़ हाईनेस नवाब सर सादिक मुहम्मद ख़ाँ बहादुर।

क्षेत्रफल १५ हज़ार वर्गमील और जनसंख्या ७,८१,१९१ हैं। वार्षिक आय लगभग १ करोड़ रुपया है।

आसाम सरकार के आधीन।

मणिकपुर।

हिज हाई नेस महाराजा सर चूड़ा चन्द्र सिंह।

राज्य का क्षेत्रफल ८,६३८ वर्ग-मील है। जन संख्या ४,४५,६०६ है।

सी. पी. सरकार के आधीन।

इस प्रान्त के आधीन १५ राज्य हैं जिनका क्षेत्रफल ३१,०८० वर्गमील जन संख्या २०,६७,३७१ और आय लगभग ६० लाख रुपया है।

॥ इति शुभम् ॥